मय तर्जुमा व तफ़्सीर

जिल्द अव्वल

मुरत्तिब (अ़रबी)

अमीरिल मोमिनीन फ़िल हदीष़ सय्यिदुल फ़ुक़हा हज़रत अ़ल्लामा

अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.)

उर्दू तर्जुमा व तश्रीह

हज़रत मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)

हिन्दी अनुवाद

सलीम ख़िलजी

प्रकाशक : जमीयत अहले हदीष़, जोधपुर (राजस्थान)

© सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित
अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) के ख़लीफ़ा नज़ीर अहमद बिन मुहम्मद दाऊद राज़ ने सहीह बुख़ारी की उर्दू शरह के हिन्दी अनुवाद सम्बंधित समस्त अधिकार जमीयत अहले हदीष़ जोधपुर (प्रकाशक) के नाम कर दिये हैं। इस किताब में प्रकाशित सामग्री के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/समूह/प्रकाशन आदि इस पुस्तक की आंशिक अथवा पूरी सामग्री किसी भी रूप में मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्जे-ख़र्चे के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब : सहीह बुख़ारी (हिन्दी तर्जुमा व तफ़्सार)
मुरत्तिब (अरबी) : अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.)
उर्दू तर्जुमा व शरह : अल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)
हिन्दी तर्जुमा व नज़रे-ष़ानी : सलीम ख़िलजी
तस्हीह (Proof Checking) : जमशेद आलम सलफ़ी

कम्प्यूटराइज़ेशन, डिज़ाइनिंग एवं लेज़र टाइपसेटिंग : ख़लीज मीडिया, जोधपुर (राज.)
aleejmedia78@yahoo.in # 91-98293-46786
हिन्दी टाइपिंग : मुहम्मद अकबर
ले-आउट व कवर डिज़ाइन : मुहम्मद निसार खिलजी, बिलाल ख़िलजी
मार्केटिंग एक्ज़ीक्यूटिव : फ़ैसल मोदी

ता'दाद पेज (जिल्द-1) : 740 (+8 पेज परिशिष्ठ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) : रजब 1432 हिजरी (जून 2011 ईस्वी)
ता'दाद (प्रथम संस्करण) : 2400
क़ीमत (जिल्द-1) : ₹ 500/-
प्रिण्टिंग : अनमोल प्रिण्ट्स, जोधपुर (0291-2742426)
प्रकाशक : जमीयत अहले हदीष़ जोधपुर (राज.)

मिलने के पते

मुहम्मदी एण्टरप्राइजेज़
तेलियों की मस्जिद के पीछे, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर-1
(फ़ोन): 98293-46786, 99296-77000,
92521-83249, 93523-63678, 90241-30861

अल किताब इण्टरनेशल
जामिया नगर, नई दिल्ली-25
(फ़ोन): 011-6986973
93125-08762

232

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून	सफ़ा नं.

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

किताबुल गुस्ल

किताबुल हैज़

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून	सफ़ा नं.

किताबुत्-तयम्मुम

2

किताबुस्सलात

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

2

मवाक़ीतुस्सलवात

किताबुल अज़ान

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून | सफ़ा नं. | मज़मून | सफ़ा नं.

सिफ़तुस्सलात

3

3

फ़ेहरिस्त तशरीहे मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

हर्फ़े-आग़ाज़

पेश–लफ़्ज़ (प्रस्तावना)

सहीह बुख़ारी, कुतुबे–अहादीष़ की दुनिया में सबसे मो'तबर हैष़ियत रखती है। इमामे आली मक़ाम के कमालाते–इल्मिया, सिफ़ाते–आलिया और मसाइले शरिइय्या में आपकी शाने–फ़ुक़ाहत व तराजिमे–अबवाब को बयान करने के लिये एक मुस्तक़िल किताब की ज़रूरत है। बाज़ अहले हिम्मत ने इस पर तवज्जह की है और आपकी बेनज़ीर फ़ुक़ाहत को बयान किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर और दीगर शारेहीन ने जामेउस्सहीह की शरह बयान करते हुए हस्बे–मौक़ा आपकी फ़ुक़ाहत और उसकी बारीकियों पर रोशनी डाली है। तफ़्सीर व हदीष़ में तबह्हुर, निकाते हदीष़िय्या, इललें हदीष़, लताइफ़े–इस्नाद, अस्मा-उ-रिजाल, तारीख़े-फ़िक़ह, अदब, अक़ाइद, कलाम में से कौनसी ऐसी शिक है और कौनसा ऐसा गोशा व फ़न है जिसमें आप माहिरे-कामिल और बदरे-तमाम न दिखाई पड़ते हों। उलूमे-इस्लामिया में कौनसा ऐसा फ़न है जिसमें आपको कमाले-दस्तरस न हो। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि आपकी फ़ुक़ाहत और शरई मसाइल में आपकी बसीरत को ष़ाबित करने के लिये न किसी मेहनत की ज़रूरत है और न किसी दूर-अज़कार तहरीर की। जिस तरह दिन में सूरज के वजूद पर किसी ख़ारज़ी शहादत (बाहरी गवाही) की ज़रूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह इमामे-मौसूफ़ की जामेउस्सहीह बुख़ारी और उसके तराजिमे-अबवाब आपकी आला दर्जे की फ़ुक़ाहत पर शाहिदे-अदल है।

अल्लाहु अकबर! सहीह बुख़ारी के तराजिमे-अबवाब देखकर अक़्ल हैरान रह जाती है कि कितनी बारीकबीनी के साथ फ़िक़ही मसाइल को सादा इबारतों में बयान कर दिया गया है और एक ही हदीष़ से अनेक मसाइल का इस्तिख़राज और इस्तिंबात किया गया है, जिसे कम पढ़ा-लिखा आदमी भी समझ सकता है। इख़्तलाफ़ी मसाइल में राजेह और मरजूह का बयान कुछ इस ढंग से हुआ है कि मुहक़्क़िक़ को तसल्ली मिले। इमाम मौसूफ़ ने तराजिमे-अबवाब में ऐसी शाने-फ़ुक़ाहत दिखाई है क़यामत तक आने वाले फ़ुक़हा रोशनी हासिल करते रहेंगे। फ़र्ज़ व वुजूब, ताकीदो-इस्तिहबाब, मन्दूबो-जवाज़, हिल्लत व हुर्मत, कराहत व अदमे-जवाज़ को कैसी सादा ज़बान में समझा दिया है।

ये भी क़ाबिले-फ़ख़्र बात है कि इमामे आली मक़ाम के फ़िक़ह की बुनियाद किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल (ﷺ) पर है जिसकी रहनुमाई हादी-ए-आज़म नबी-ए-बरहक़ (ﷺ) ने फ़र्माई है, जिस पर सहाबा किराम का तहम्मुल था। आप उस फ़िक़ह व इस्तिख़राज से कोसों दूर हैं जिसकी बुनियाद क़ियास व राय पर है जिसके मनगढ़त क़वाइद व उसूल वज़अ किये (गढ़ लिये गये) हैं। आप उस फ़िक़ह के क़रीब भी नहीं जाते जिसमें हुदूदुल्लाह को पामाल किया जाता हो, जिसमें हलाल को हराम और हराम को हलाल किया जाता हो। बल्कि आप पुरज़ोर आवाज़ में उसकी तर्दीद फ़र्माते हैं। इख़्तिसार की तंगदामनी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि जामेउस्सहीह से आपकी इस्तिख़राज की मिष़ालें पेश की जाएं। सिर्फ़ एक जामेअ इक्तिबास सैयद सुलैमान नदवी की तहरीर से पेश कर रहा हूँ। आप लिखते हैं,

'एक बड़ी ख़ूबी यह है कि इमाम बुख़ारी (रह.) अहादीष़ से उस ज़माने की मुआशरत का पता लगाते हैं और मा'मूली वाक़ियात से निहायत मुफ़ीद नतीजे निकालकर हर नतीजे को अलग–अलग बाबों में दर्ज करते हैं।

मष़लन एक ह़दीष़ है कि ह़ज़रत बरीरा, जो कि ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की लौण्डी थीं, किसी ने उनको कुछ गोश्त स़दक़े के तौर पर दिया। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने वो गोश्त आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में यह सोचकर पेश नहीं किया कि ये गोश्त स़दक़े का है और आप (ﷺ) स़दक़ा नहीं खाते। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, बेशक ये बरीरा के लिये स़दक़ा है लेकिन अगर बरीरा मुझे दे तो यह मेरे लिये हदिया है। इमाम मुस्लिम ने इस ह़दीष़ को बाबुस्सदक़ा में दर्ज किया है, मगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस एक ह़दीष़ से अनेक नतीजे निकाले हैं और उनको अलग–अलग बाब में नक़ल किया है। एक मौक़े पर ये नतीजा निकाला कि जिन लोगों पर स़दक़ा ह़राम है उनके लौण्डी-गुलामों को स़दक़ा देना जाइज़ है क्योंकि अजवाज़े-रसूल (ﷺ) की लौण्डी ने स़दक़ा लिया है और आँह़ज़रत (ﷺ) ने मना नहीं किया। एक दूसरी जगह पर इसी ह़दीष़ से इस्तिदलाल करते हुए आपने लिखा है कि अगर किसी शख़्स़ को स़दक़ा दिया जाए और वो किसी ऐसे शख़्स़ को वो चीज़ हदिये के तौर पर दे, जिस पर स़दक़ा ह़राम है, तो उसको क़ुबूल करना जाइज़ है।' (तज़्किरतुल मुहद्दिष़ीन, पेज नं. 217)

स़ाहिबे सीरतुल बुख़ारी फ़र्माते हैं कि इमाम बुख़ारी पहले ह़दीष़ की तन्क़ीद करते हैं और उसकी स़िह़त हर तरह से जाँचते हैं। स़िहत का यक़ीन होने पर भी एहतियातन इत्मीनान के लिये इस्तिख़ारा करते हैं। इत्मीनान होने पर ह़दीष़ को अक्षर मसल–ए–फ़िक़्हिया के तहत में ज़िक्र करते हैं, जिसका नाम तर्जुमतुल बाब है। कभी अहले ज़माना के मुरव्वजा रसूमो–आदात को क़ुर्आन व ह़दीष़ के मे'अयार पर जाँचकर उसकी स़िहत व ग़लती का अन्दाज़ा करते हैं। कभी स़ह़ीह़ ह़दीष़ की ताईद, कभी ज़ईफ़ ह़दीष़ की स़िहत की शहादत में दूसरी स़ह़ीह़ ह़दीष़ पेश करते हैं। कभी दो मुतआ़रिज़ ह़दीष़ के दो महल दलील बताते हैं जिससे ज़ाहिरी तआ़रुज रफ़ा हो जाता है। (सीरतुल बुख़ारी पेज नं. 329-330)

इमाम बुख़ारी (रह.) की फ़ुक़ाहत और आपके तराजिमे–अबवाब पर ये एक सरसरी तब्स़रा है। अगर तमाम मुहद्दिष़ीन के तब्स़रे पेश किये जाएं तो बहुत तफ़्सील दरकार होगी। ये एक मुख़्तस़र जाइज़ा है, जिससे इमाम मौसूफ़ की फ़ुक़ाहत का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। अल्लाह पाक अफ़रादे–उम्मत को तौफ़ीक़ बख़्शे कि वो इमाम बुख़ारी (रह.) की फ़ुक़ाहत से इस्तिफ़ादा हासिल करे ताकि राहे हक़ व स़वाब या'नी स़ह़ाबा व ताबेईन के मसलक व मज़हब पर गामज़न हो सके।

अल्लाह तआ़ला इस ह़ुस्ने-अ़मल को तमाम अह़बाबे-जमाअ़त के लिये नजात का ज़रिया बनाए। ख़ुस़ूस़न शहरी अमीर व स़ूबाई अमीर और तमाम अहले-ख़ैर के लिये; और इस किताब को आ़म व ख़ास़ सबके लिये मुफ़ीदे-आ़म बनाए, आमीन!! तक़ब्बल या रब्बल आ़लमीन.

अबुल कलाम ष़नाउल्लाह फ़ैज़ी

इमाम व ख़तीब, मुहम्मदी मस्जिद जोधपुर

अर्ज़े-नाशिर
(इस किताब के बारे में)

सहीह बुख़ारी कुतुबे अहादीष़ में क़ुर्आन के बाद सबसे ज़्यादा सहीह किताब शुमार होती है। इमाम बुख़ारी ने सिर्फ़ सहीह अहादीष़ को ही जमा नहीं किया बल्कि उनसे मसाइल भी इस्तिम्बात किये हैं या'नी उन सहीह अहादीष़ से अनेक मसाइल का निष्कर्ष निकाला है। इस्तिंबात में उन्होंने क़ुआनि पाक को अव्वल मक़ाम दिया है। वो तर्जुमतुल बाब में अव्वलन क़ुर्आन पाक की आयतों को बयान करते हैं, उसके बाद अहादीष़ को और उसके बाद अक़्वाले सहाबा व ताबेईन को ज़िक्र करते हैं। फ़ुक़हा के इत्तफ़ाक़ व इख़्तिलाफ़, क़ौले-मुख़्तार (पसन्दीदा या मशहूर क़ौल) या तवक़्क़ुफ़ और मसलकों की कमज़ोरी या ताईद की तरफ़ इशारे करते हैं। सलफ़-सालेहीन के अक़ाइद का इष़्बात और बातिल फ़िर्क़ों के अक़ाइद व अफ़कार की तर्दीद करते हैं। मुर्जिया, करामिया, मो'तज़िला, जहीमिया और अहले हवा का पूरे ज़ोर-शोर से तआक़ुब करते हैं। किताबुल ईमान, किताबुल अख़बारुल आहाद, किताबुल ए'तिसाम बिल किताबो–सुन्नः, किताबु रद्द अला जहीमिया वग़ैरह में बतौरे ख़ास इसका एहतिमाम किया है। जिन फ़िक़ही अक़्वाल से शदीद इख़्तिलाफ़ हो, उसके अब्ताल पर भी पूरी तरह कमरबस्ता हो जाते हैं। किताबुल हियल और क़ाल बअ़्ज़ुन्नास के उन्वान से ऐसे फ़िक़ही मज़ाहिब पर नकीर करते हैं।

इमाम बुख़ारी (रह.) जिस तरह क़ुर्आन व हदीष़ के हाफ़िज़ थे उसी तरह लुग़त और तमाम इस्लामी व अरबी उ़लूम, फ़िक़ही मज़ाहिब, बातिल अदयान (झूठे धर्म) और गुमराह फ़िर्क़ों के नज़रियात और अक़ाइद से पूरी तरह वाकिफ़ थे। इमाम साहब (रह.) ने ये सारा काम तराजिमे अबवाब के ज़रिये किया है। इसीलिये कहा जाता है, **'फ़िक़्हुल बुख़ारी फ़ी तराजिमः'** इमाम बुख़ारी (रह.) की फ़क़ाहत, ज़हानत और, दूरबीनी, इल्मी वुस्अ़त, दिक़्क़ते–नज़र का अन्दाज़ा उनके तराजुम से होता है। तर्जुमतुल बाब के ज़रिये मज़कूरा मक़ासिद और मा'नी के बयान के बाद मर्फ़ूअ़, मुफ़स्सिल, सहीहुल इस्नाद अहादीष़ को ज़िक्र करके दा'वा को षाबित करते हैं। एक हदीष़ से जितने मसले मुस्तंबित होते हैं, उन मसाइल को मुता'ल्लिक़ः किताब के तर्जुमतुल बाब में ज़िक्र करने के बाद हदीष़ को दोबारा लाते हैं। इस तरह हदीष़ दोबारा–तिबारा आ जाती है, मगर इस शर्त के साथ कि मतन या सनद में कुछ न कुछ फ़र्क़ भी हो। अगर मतन या सनद में कुछ भी इख़्तिलाफ़ न हो लेकिन मसला मुस्तंबित होता हो तो तर्जुमतुल बाब में मसले को बयान करने के बाद हदीष़ का हवाला देने को काफ़ी समझते हैं।

सहीह बुख़ारी को इमाम बुख़ारी (रह.) से बराहे–रास्त 90 हज़ार तलबा ने सुना। इसी वक़्त से सहीह बुख़ारी का दर्सो–तदरीस (पढ़ना–पढ़ाना) आ़लमे इस्लाम में जारी है। मस्जिदें और मदरसे इसकी ख़ुश्बुओं से मुअत्तर, महफ़िलें इसकी सदाओं से मुक़द्दस, असातिज़ा और तलबा इसके नूर से मुनव्वर हैं। इसकी बेशुमार शरहें लिखी गईं जो कि कुतुबख़ानों और उ़लमा की नज़र का मर्कज़ हैं। ये सब क़ाबिले क़द्र व इस्तिफ़ादा हैं। हर एक की अपनी ख़ुसूसियात और इम्तियाज़ है। अरबी ज़बान में सहीह बुख़ारी की सैंकड़ों शरहें लिखी जा चुकी हैं। उर्दू ज़बान में भी सहीह बुख़ारी के अनेक तर्जुमे शाए हो चुके हैं, उनमें सबसे बेहतर व उ़म्दा शरह जो किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक़ है वो मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) की शरह है; जो कि आठ ज़ख़ीम जिल्दों में तक़रीबन साढ़े पाँच हज़ार सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस शरह की अफ़ादियत को देखते हुए

जमीयत अहले हदीष़ जोधपुर ने इसे हिन्दी में मुन्तक़िल करने का प्रोजेक्ट शुरू किया।

अ़ल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) का ता'ल्लुक़ जोधपुर से बहुत क़दीम (पुराना) है। आज से तक़रीबन 40-42 साल पहले जब मौलाना मौसूफ़ ने स़हीह़ बुख़ारी के उर्दू तर्जुमा व तशरीह का काम शुरू किया था, तब वे जोधपुर तशरीफ़ लाए थे। उनके ऐ'ज़ाज़ में जनाब (मरहूम) अल्लाहदीन जी घाटीवालों के मकान पर एक इज्तिमाअ़ रखा गया था, जिसके आग़ाज़ में तिलावते-कलामे पाक के बाद मौलाना दाऊद राज़ स़ाहब ने बाक़ायदा दर्से-स़हीह़ बुख़ारी का आग़ाज़ कुछ इस अन्दाज़ में किया जिस तरह किसी दारुल उ़लूम में त़लबा के सामने किया जाता है और एक घण्टे तक इफ़्तिताही तक़रीर के साथ जामेउ़स्सह़ीह़ बुख़ारी की पहली ह़दीष़ सिलसिल-ए-इस्नाद के साथ बयान फ़र्माई। उसके बाद जोधपुर में स़हीह बुख़ारी ह़ासिल करने वाले शाएक़ीन ह़ज़रात को मेम्बर बनाया गया। उस वक़्त मौलाना (रह.) ने एक-एक पारा अलाहदा-अलाहदा शाए करने का प्रोग्राम बनाया था। उस इज्तिमाअ़ में जोधपुर के उ़लम-ए-वक़्त, जमीयत के क़ाबिले-ज़िक्र अफ़राद के अ़लावा जोधपुर के दूसरे मो'ज़िज़ ह़ज़रात भी शरीक थे।

मज़्कूरा अ़ज़ीमुशान शरह के हिन्दी वर्ज़न की इशाअ़त के मौक़े पर हम मुहतरम भाई नज़ीर अहमद बिन अ़ल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) के दिली तौर से मशकूर हैं जिन्होंने स़हीह़ बुख़ारी के मज़कूरा नुस्ख़े के हिन्दी तर्जुमे के जुम्ला हुक़ूक़ जमीयत अहले हदीष़ जोधपुर के नाम कर दिये हैं। अल्लाह तआ़ला उनको जज़ा–ए–ख़ैर अ़ता फ़र्माए, आमीन!

हिन्दी ज़बान आज दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। हिन्दी पढ़ने, लिखने और बोलने वाले न सिर्फ़ हिन्दुस्तान में रहते हैं बल्कि उनकी एक बड़ी ता'दाद ख़लीजे–अ़रब के मुल्कों, अफ़्रीकी देशों, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। स़ह़ीह़ इस्लामी अदब (साहित्य) को हिन्दी में नश्रो–इशाअ़त (प्रकाशित व प्रसारित) करना वक़्त की एक अहम ज़रूरत है। जहाँ तक स़ह़ीह़ बुख़ारी के हिन्दी में तर्जुमानी का मामला है इसके लिये कोशिश की गई है कि तर्जुमा ज़्यादा से ज़्यादा मे'यारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह! तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद इस नुस्खे को तर्जुमे और मुफ़स्सल तशरीह के साथ हिन्दी ज़बान में मुन्तक़िल किया गया है। हमारा इरादा था कि इस तर्जुमे को सऊदी अ़रब के किसी मुस्तनद इदारे के ट्राँसलेशन डिपार्टमेण्ट से नज़रे–ष़ानी कराएं। इसके लिये सऊदी अ़रब में मुक़ीम साथी हफ़ीज़ स़ाहब के ज़रिये कोशिश की गई लेकिन मा'लूम हुआ कि वहाँ कई किताबें इशाअ़त के इन्तिज़ार में लाइन में लगी हुई हैं और कई साल बाद नज़रे–ष़ानी का नम्बर आ सकता है। इसीलिये इस इरादे को मुल्तवी किया गया और मक़ामी अमानतदार, मो'तमद (विश्वसनीय) और बा–स़लाहियत अफ़राद की एक टीम की निगरानी में इस काम को अंजाम देने की कोशिश की गई।

किताब की प्रिण्टिंग का स्टेण्डर्ड आ़लातरीन मे'यार का रखा गया है। तस्ह़ीह़ (प्रूफ़ रीडिंग) में भी बहुत तवज्जह, मेहनत और बारीकबीनी का एहतिमाम किया गया है। इन तमाम मरहलों में जमीयत अहले हदीष़ के अह़बाब और कारकुनान की ख़िदमात क़ाबिले–क़द्र हैं। अल्लाह तआ़ला उन सबको दुनिया व आख़िरत में अच्छा बदला अ़ता फ़र्माए और जो कोताही, ग़लती या ख़ता हो उसको मुआफ़ फ़र्माए, आमीन!

मिनजानिब,

जमीयत अहले हदीष़ जोधपुर (राजस्थान)

अर्ज़े-मुतर्जिम
(अनुवादक की गुज़ारिशात)

क़ारेईने किराम! तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त के फ़ज़्ल व एहसानो-करम से आपके हाथों में आठ जिल्दों के 5400 पेजों पर आधारित, वो किताब सौंपी जा रही है जिसे बेमिषाल (अतुलनीय), नायाब (दुर्लभ) और बेशक़ीमती ख़ज़ाना कहना यक़ीनन दुरुस्त होगा। वैसे तो देश में सहीह बुख़ारी के अनेक हिन्दी तर्जुमे मौजूद हैं लेकिन इस नुस्ख़े में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाती है।

सहीह बुख़ारी (हिन्दी) की इम्तियाज़ी ख़ासियतें (अनुपम विशेषताएं) :

01. अनुवाद करते समय इस हिन्दी नुस्ख़े की सेटिंग मूल उर्दू किताब के मुवाफ़िक़ (अनुरूप) की गई है। या'नी पेज टू पेज सेटिंग, मिषाल के तौर पर जो मेटर उर्दू नुस्ख़े की पहली जिल्द के 150 नं. पेज पर है वही मेटर हिन्दी नुस्खे की पहली जिल्द के पेज नं. 150 पर मौजूद है। यही सेटिंग सभी आठों जिल्दों के 5400 पेजों पर की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह! यह अपने आप में एक यूनीक काम है।

02. हर हदीष का अरबी मतन, उसका हिन्दी अनुवाद और उसकी तशरीह (व्याख्या) दी गई है, जिससे हदीष का मा'नी व मफ़हूम (अर्थ एवं भावार्थ) समझना आसान हो गया है।

03. आम तौर पर हदीष, सहाबी के नाम के साथ बयान करने को ही काफ़ी समझा जाता है लेकिन इस अज़ीम नुस्ख़े में हर हदीष मुकम्मल इस्नाद के साथ बयान की गई है। या'नी विस्तारपूर्वक बताया गया है कि इमाम बुख़ारी (रह.) तक वो हदीष किन-किन रावियों से होकर पहुँची है।

04. बेहद सावधानी के साथ इसकी तस्हीह व नज़रे-षानी की गई है ताकि ग़लती की कम से कम गुंजाइश रहे, इसके लिये अरबी के माहिर आलिम मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी की ख़िदमात बेहद सराहनीय रही है।

05. हिन्दी में तर्जुमा करते वक़्त इस बात का ख़ास ख़याल रखा गया है कि हदीष व उसकी तशरीह की रूह, मजरूह न हो; या'नी उसका आला मे'यार क़ायम रहे। <u>हर लफ़्ज़ की हिन्दी करने से भी गुरेज किया गया है,</u> मिषाल के तौर पर ज़्यादातर अनुवादक अल्लाह के लिये 'ख़ुदा' या 'ईश्वर' लफ़्ज़ का इस्ते'माल करते हैं लेकिन हमने ऐसे शाब्दिक अनुवाद से दूरी रखते हुए मूल शब्द 'अल्लाह' का ही प्रयोग किया है।

06. पूरी किताब में बाजारू शब्दों के प्रयोग से बचने की कोशिश की गई है। अक्षर अनुवादक अरबी लफ़्ज़ 'सुरीन' के लिये 'चूतड़' शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि इसके लिये 'कमर का निचला हिस्सा' या 'कूल्हा' शब्द उपयोग किया जाना चाहिये। इस तर्जुमे की मूल किताब में भी ऐसे कुछ लफ़्ज़ थे, तर्जुमा करते समय उनके स्थान पर उचित शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके शाब्दिक अनुवाद से पाठकों को असहजता महसूस होती है लेकिन अफ़सोस! ज़्यादातर अनुवादक इसका ख़याल नहीं रखते।

07. **कुछ लोगों का ये कहना है कि दीनी किताबों के हिन्दी रूपान्तरण का ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो उर्दू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम अपने उन भाइयों के जज़्बात की क़द्र करते हुए बा-अदब गुजारिश करते हैं कि दीनी किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया जाना आज के दौर की एक अहमतरीन ज़रूरत है क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी ता'दाद उर्दू से नावाकिफ़ है। हमने तर्जुमा करते वक़्त ज़्यादातर उर्दू के अल्फ़ाज़ को हिन्दी लिपि में लिखा है और ब्रेकेट ( ) में उसका मा'नी (अर्थ) दिया है। इस तरह हमने उर्दू को मतन (लिपि) के रूप में न सही, पर लफ़्ज़ों के रूप में ज़िन्दा रखने की कोशिश की है। नये पाठकों के लिये कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मा'नी समझना दुश्वार हो, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आठों जिल्दों के कठिन उर्दू अल्फ़ाज़ के मा'नी समझाने के लिये एक मीनिंग बुक भी अलग से छापी जा सकती है।**

08. **बयान की गई ह़दीष़ की तशरीह में जो कोई बात क़ाबिले-ग़ौर है, उसे बोल्ड अक्षरों में छापा गया है।**

09. **इस किताब की हिन्दी को उर्दू के मुवाफ़िक़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई है इसके लिये उर्दू के कुछ ख़ास़ हर्फ़ों को अलग तरह से लिखा गया ह** मिष़ाल के तौर पर :– (ا) के लिये अ, (ع) के लिये अ़; (ث) के लिये ष़, (س) के लिये **स**, (ش) के लिये श, (ص) के लिये स़; (ح) के लिये ह़, (ہ) के लिये ह, (خ) के लिये ख़, (غ) के लिये ग़, (ف) के लिये **फ़**, (ك) के लिये **क**, (ق) के लिये **क़** लिखा गया है। (ج) के लिये **ज** का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ज़ाल (ذ) ज़े (ز) ज़ाद (ض) ज़ोय (ظ) के लिये मजबूरी में एक ही हुरूफ़ ज़ का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन हर्फ़ों के लिये स़ह़ीह़ विकल्प हमें नज़र नहीं आया। आपको यह बता देना मुनासिब होगा कि उर्दू ज़बान के कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा हुरूफ़ लिख दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक लफ़्ज़ उर्दू में पाँच तरह से लिखा जाता है; **असीर,** अलिफ़ (ا)–सीन (س) ये (ی) रे (ر) जिसका मतलब होता है **क़ैदी**। **अष़ीर,** अलिफ़ (ا) ष़े (ث) ये (ی) रे (ر) जिसका मतलब होता है **ख़ालिस़**। **अ़सीर** अ़ेन (ع) सीन (س) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **मुश्किल**। **अ़स़ीर** अ़ेन (ع) स़ाद (ص) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **अंगूर की चाशनी (शीरा)**। **अ़ष़ीर** अ़ेन (ع) ष़े (ث) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **धूल**। कहने का मतलब ये है कि इस किताब में स़ह़ीह़ तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) के लिये हद–दर्जा कोशिश की गई है।

10. **इसी के साथ यह जानकारी देना भी मुनासिब होगा कि यह किताब अ़ल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) की शरह का हिन्दी रूपान्तरण है। इसमें न कुछ घटाया गया है, न बढ़ाया गया है और न ही अनुवादक द्वारा किसी मैटर की एडीटिंग की गई है। लिहाज़ा हर तशरीह (व्याख्या) से अनुवादक सहमत हो, ये ज़रूरी नहीं है।**

इस किताब को तर्तीब देते समय हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि कम से कम ग़लती हो। फिर भी अगर इस किताब की कम्पोज़िंग या अनुवाद में कोई ग़लती आपको नज़र आए तो बराए-करम उसकी तरफ़ हमारी तवज्जह फ़र्माएं। कृपया इतना ख़याल ज़रूर रखें कि आपकी तन्क़ीद (आलोचना) हमारी इस्लाह के लिये हो। **सिर्फ़ ख़ामियाँ तलाशने में अपनी स़लाहियत (योग्यता) ख़र्च न करें।** एक शे'र मुलाहज़ा फ़र्माएं,

अच्छाइयों का मेरी किसी ने चर्चा नहीं किया, ऐ़बों पे मेरे अहले जहाँ की नज़र गई॥

इस किताब की कम्पोज़िंग, तस़्ह़ीह़ (त्रुटि संशोधन) और कवर डिज़ाइनिंग में मेरे जिन साथियों की मेहनत जुड़ी हैं, उन सब पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें व सलामती नाज़िल हों। **ऐ अल्लाह! मेरे वालिद–वालदा को अपने अ़र्श के साये तले, अपनी रहमत की पनाह नस़ीब फ़र्मा जिनकी दुआओं के बदले तूने मुझे दीने–इस्लाम का फ़हम अ़ता किया। ऐ अल्लाह! हमारी ख़ताओं और कोताहियों से दरगुज़र फ़र्माते हुए तू हमसे राज़ी हो जा और हमें रोज़े आख़िरत वो नेअ़मतें अ़ता फ़र्मा, जिनका तूने अपने बन्दों से वा'दा फ़र्माया है।** आमीन! तक़ब्बल या रब्बल आ़लमीन!!

व स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़ला नबिय्यिना व अ़ला आलिही व अस़्ह़ाबिही व अत्बाइहि व बारिक व सल्लिम.

सलीम ख़िलजी.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

जीवनी इमाम बुख़ारी (रह.)

इमामुल मुस्लिमीन, क़दवतुल मुवह्हिदीन, अमीरुल मुहद्दिषीन हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.) इस्लाम के उन माय-ए-नाज़ (क़ाबिले-फ़ख़्र) फ़र्ज़न्दों में से हैं जिनका नाम इस्लाम और कुर्आन के साथ-साथ (अहादीष़ के मज्मूए सहीह बुख़ारी के कारण) दुनिया में ज़िन्दा रहेगा। अहादीषे रसूले करीम (ﷺ) की जाँच-पड़ताल, फिर उनको जमा करके तर्तीब देने पर आपकी मसाई-ए-जमीला (ख़ूबसूरत कोशिशों) को आनेवाली तमाम मुसलमान नस्लें ख़िराजे तहसीन (श्रद्धाञ्जलि) पेश करती रहेंगी। आपका ज़ुहूर पुरसुरूर ऐन उस कुर्आनी पेशगोई के मुताबिक़ हुआ जो बारी तआला ने सूरह जुम्आ में फ़र्माई थी। **'वआख़रीन मिन्हुम लम्मा यलहक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।'** (सूरह जुम्आ : 3) या'नी ज़मान-ए-रिसालत के बाद कुछ और लोग भी वजूद में आएँगे जो उलूमे-किताब व हिक्मत के हामिल (या'नी कुर्आन का ज्ञान और बारीकबीनी/तत्वदर्शिता रखने वाले) होंगे। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) यक़ीनन उन्हीं पाक नुफ़ूस के सरख़ैल (सरदार) हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि आले फ़ारस में से कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे कि अगर दीनी उलूम (इस्लामी ज्ञान), षुरैय्या (सात तारों का समूह/सप्तऋषि) या सितारे पर होंगे तो वहाँ से भी वो उनको ढूँढ़ निकालेंगे।

मुबारक है वो फ़ारसी ख़ानदान जिसमें हज़रत अमीरुल मुहद्दिषीन इमाम बुख़ारी (रह.) ने जन्म लिया और आपने अपनी इल्मी काविशों से रिसालते मआब (ﷺ) की पेशीनगोई को हर्फ़ ब हर्फ़ सहीह करके दिखला दिया। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की सीरते पाकीज़ा और हयाते तय्यिबा पर इन बारह सौ बरस में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिनमें से आज बहुत सी नायाब (दुर्लभ) भी हो चुकी हैं और बहुत सी मौजूद भी हैं। अरबी व फ़ारसी के अलावा उर्दू में भी बहुत काफ़ी मवाद (मेटीरियल/सामग्री) मौजूद है। जिसकी रोशनी में अगर मुफ़स्सल (विस्तार के साथ) क़लम उठाया जाए तो एक मुस्तक़िल ज़ख़ीम (भारी भरकम) किताब तैयार की जा सकती है चूँकि यहाँ तिवालत (विस्तार से वर्णन करने) का मौक़ा नहीं है लिहाज़ा इमाम बुख़ारी (रह.) की मुख़्तसर हालाते ज़िंदगी नाज़िरीन की ख़िदमत में पेश किये जा रहे हैं।

नाम व नसब व पैदाइश :

अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है। सिलसिल-ए-नसब ये है; मुहम्मद बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुग़ीरह बिन बर्दज़बा बिन बज़ज़्बः अल जुअफ़ी अल बुख़ारी। हज़रत हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने बुर्दज़िबा के मुता'ल्लिक़ लिखा कि वो आतिशपरस्त (आग के पुजारी) थे। उससे आपका फ़ारसी अन् नस्ल होना ज़ाहिर है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के परदादा मुग़ीरह ने यमान अल जुअफ़ी हाकिमे बुख़ारा के हाथ पर इस्लाम कुबूल किया और शहरे बुख़ारा ही में सकूनत पज़ीर (निवासी) हो गए। इसीलिये हज़रत इमाम को अल जुअफ़ी अल बुख़ारी कहा जाता है।

आपके वालिद माजिद हज़रतुल अल्लाम मौलाना इस्माईल (रह.) अकाबिरे मुहद्दिषीन में से हैं। कुन्नियत अबुल हसन है। हज़रत इमाम मालिक (रह.) के अख़स्से तलामिज़ा (ख़ास शागिर्दों) में से हैं। और हज़रत इमाम मालिक (रह.) के अलावा हम्माद बिन ज़ैद (रह.) और अबू मुआविया (रह.), अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) वग़ैरह से आपने अहादीष़ रिवायत की हैं। अहमद बिन हफ़्स (रह.), नस्र बिन हुसैन (रह.) वग़ैरह आपके शागिर्द हैं। इस क़दर पाकबाज़, मुतदय्यन, मुहताता (एहतियात बरतने वाले) थे। ख़ास तौर पर अक्ले हलाल में कि आपके माल में एक दिरहम भी ऐसा न था जिसे मशकूक (संदिग्ध) या हराम (नाजाइज़) कहा जा सके। उनके शागिर्द अहमद बिन हफ़्स का बयान है कि मैं हज़रत मौलाना इस्माईल की वफ़ात के वक़्त हाज़िर

था। उस वक़्त आपने फ़र्माया कि मैं अपने कमाए हुए माल में से एक दिरहम भी मुश्तबह (संदिग्ध) छोड़कर नहीं चला हूँ।

इमाम बुख़ारी (रह.) क़द्दस सिर्रहु शहर बुख़ारा में बतारीख़ 13 शव्वाल 194 हिजरी नमाज़े जुम्आ के बाद पैदा हुए थे। ये फ़ख़्र उम्मत में कम ही लोगों को नसीब हुआ है कि बाप भी मुहद्दिष़ और बेटा भी मुहद्दिष़ बल्कि सय्यिदुल मुहद्दिष़ीन। अल्लाह तआला ने ये शर्फ़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) को नसीब फ़र्माया। जिस तरह हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को **करीमुब्नुल करीमुब्नुल करीम** कहा गया है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) भी मुहद्दिष़ुब्नुमुहद्दिष़ु (मुहद्दिष़ का बेटा मुहद्दिष़) क़रार पाए। मगर सद अफ़सोस कि वालिदे माजिद ने अपने होनहार बच्चे का इल्मी ज़माना न देखा और आपको बचपन ही में दाग़े मुफ़ारक़त (जुदाई/वियोग) दे गए। हज़रत इमाम (रह.) की तर्बियत की पूरी ज़िम्मेदारी उनकी वालिदा पर आ गई जो निहायत ही ख़ुद्दार, सय्यिदा, इबादतगुज़ार और शब-बेदार ख़ातून थीं। वालिदैन की इल्मी शान व दीनदारी के पेशेनज़र अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत इमाम की ता'लीम व तर्बियत किस अंदाज़ के साथ हुई होगी।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **'फ़ क़द रब्बा फ़ी हुजरिल इल्मि हत्ता रब्बा व रतज़अ ष़दयल फ़ज़्लि फ़कान फ़ितामुहु अला हाज़िल्लिबा'** या'नी आपने इल्म की गोद में परवरिश पाई, यहाँ तक कि आप बूढ़े और इल्म की पिस्तान से शीर पाया (या'नी कि आप इल्मनुमा दूध से पलकर बड़े हुए) और उसी पर आपका फ़ताम या'नी दूध छुड़ाने का ज़माना ख़त्म हुआ।

अव्वलीन करामत :

फ़िन्जार ने **'तारीख़े बुख़ारा'** में और लासकाई ने **'शरहुस्सुन्ना बाब करामातुल औलिया'** में नक़ल किया है कि बचपन में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की बसारत (देखने की ताक़त/नैत्र ज्योति) जाती रही थी। वालिदा माजिदा के लिये अपनी बेवगी का सदमा कम न था कि अचानक ये सानिहा (दुर्घटना) पेश आई। अतिब्बा (सभी हकीम और वैद्य) इलाज से आजिज़ आ गये। वालिदा माजिदा अपने यतीम बच्चे की इस हालत पर रातो-दिन रोतीं और दुआएँ करती थीं। आख़िर एक रात बाद नमाज़े इशा मुसल्ले ही पर रोते हुए और दुआ करते हुए उन्हें नींद आ गई। ख़्वाब में ख़लीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) तशरीफ़ लाए और बशारत (ख़ुशख़बरी) दी कि तुम्हारे रोने और दुआ करने से अल्लाह पाक ने तुम्हारे बच्चे की बीनाई दुरुस्त कर दी है। सुबह हुई तो फ़िल वाक़ेअ (वास्तव में) आपकी आँखें दुरुस्त थीं। बाद में अल्लाह पाक ने आपको इस क़दर रोशनी अता फ़र्माई कि **'तारीख़े कबीर'** का पूरा मसौदा आपने चाँदनी रात में तहरीर फ़र्माया।

ताजुद्दीन सबकी ने **'तब्क़ाते-कुबरा'** में लिखा है कि धूप और गर्मी की शिद्दत में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने तलबे इल्म (ज्ञान प्राप्ति) के लिये सफ़र किया तो दोबारा आपकी बीनाई ख़त्म हो गई। ख़ुरासान पहुँचने पर आपने किसी हकीम हाज़िक़ के मशवरे से सर के बाल साफ़ करवाये और गुल ख़तमी का ज़िमाद किया। इस नुस्ख़े से अल्लाह पाक ने आपको शिफ़ा-ए-कामिलः अता की। दस साल की उम्र थी कि आप मक्तबी ता'लीम से फ़ारिग़ (प्राथमिक शिक्षा से निवृत) हो गये। और इसी नन्हीं उम्र से ही आपको अहादीष़े नबवी (ﷺ) याद करने का शौक़ दामनगीर हो गया और आप मुख़्तलिफ़ हल्का हाए दर्स में शिर्कत फ़र्माने लगे।

70,000 अहादीष़े नबवी (ﷺ) का हाफ़िज़ एक होनहार नौजवान :

उन दिनों शहर बुख़ारा में उलूमे क़ुर्आन व हदीष़ के बहुत से मराकिज़ (क़ुर्आन व हदीष़ के ज्ञान के बहुत से केन्द्र) थे जहाँ **क़ालल्लाहु व क़ालर्रसूलु** (ﷺ) की सदाएँ बुलन्द हो रही थीं। हज़रत इमाम उन मराकिज़ (केन्द्रों) से इस्तिफ़ादा फ़र्माने लगे। एक दिन मुहद्दिष़े बुख़ारा हज़रत इमाम दाख़ली (रह.) के हल्क़-ए-दर्स में शरीक थे कि इमाम दाख़ली ने एक हदीष़ की सनद बयान करते वक़्त **सुफ़यान अन अबिज़्ज़ुबैरि अन इब्राहीम** फ़र्मा दिया। इमाम बुख़ारी बोले कि हज़रत ये सनद इस तरह नहीं है क्योंकि अबू अज़्ज़ुबैर ने इब्राहीम से रिवायत नहीं की है। एक नौउम्र शागिर्द की इस गिरफ़्त (पकड़) से मुहद्दिष़े बुख़ारा चौंक पड़े और ख़फ़्गी (नाराज़गी) के लहज़े में आपसे मुख़ातिब हुए। आपने उस्तादे मुहतरम के अदब का पूरा लिहाज रखते हुए बड़ी आहिस्तगी से फ़र्माया कि अगर आपके पास अस्ल किताब हो तो उसकी तरफ़ मुराजअत फ़र्मा लीजिए। अल्लामा ने घर जाकर अस्ल किताब से मुलाहज़ा फ़र्माया

तो इमाम बुख़ारी (रह.) की गिरफ़्त को मान लिया। और वापसी पर मुंसिफ़ मिजाज़ (न्यायपूर्ण स्वभाव वाले) उस्ताद ने इस सनद की तस्हीह के बारे में आपसे सवाल किया। इमाम बुख़ारी ने बरजस्ता जवाब दिया कि सहीह सनद यूँ है **सुफ़यान अनिज़्ज़ुबैरि वहुवब्नु अदी अन इब्राहीम**। उस वक़्त हज़रत इमाम की उम्र सिर्फ़ 11साल की थी। सच है,

'होनहार बरवा के चिकने चिकने पात।'

उन्हीं अय्याम (दिनों) में आपने बुख़ारा के 18 मुहद्दिष़ीन से फ़ैज़ हासिल करते हुए बेशतर ज़ख़ीर–ए–अहादीष़ महफ़ूज़ फ़र्मा लिया था। इमाम वकीअ और इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक की किताबें आपको ज़ुबान की नोक पर याद थीं। अल्लामा दाख़ली के साथ वाक़िआ मज़्कूरा से बुख़ारा के हर इल्मी मर्कज़ में आपका चर्चा होने लगा। नौबत यहाँ तक पहुँची कि बड़े–बड़े असातिज़ा–ए–किराम आपके हिफ़्ज़ व ज़िहानत के क़ाइल होने लगे। अल्लामा बैकन्दी (रह.) जो एक मशहूर मुहद्दिष़े बुख़ारा हैं, फ़र्माया करते थे कि मेरे हल्क़–ए–दर्स में जब भी मुहम्मद बिन इस्माईल आ जाते है मुझ पर आलमे तहय्युर (तअज्जुब का आलम) तारी हो जाता है। एक दिन उन अल्लामा की ख़िदमत में एक बुज़ुर्ग सलीम बिन मुजाहिद आए। आपने उनसे फ़र्माया कि अगर तुम ज़रा पहले आ जाते तो एक ऐसा होनहार नौजवान देखते जिसे सत्तर हजार हदीषें हिफ़्ज़ हैं। सलीम बिन मुजाहिद ये सुनकर हैरतज़दा (आश्चर्यचकित) हो गए। और हज़रत इमाम की मुलाक़ात के इश्तियाक़ (शौक़/चाहत) में निकले। मुलाक़ात हुई तो हज़रत इमाम ने फ़र्माया कि न सिर्फ़ 70000 बल्कि उससे भी ज़ाइद अहादीष़ मुझे याद हैं। बल्कि सिलसिल ए सनद, हालाते रिजाल से जैसा भी सवाल करेंगे जवाब दूँगा हत्ताकि अक़्वाले सहाबा और ताबेईन के बारे में भी बतला सकता हूँ कि वो किन किन आयाते क़ुर्आनी व अहादीष़े नबवी से माख़ूज़ हैं। (मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी)

ये सब उसी ज़माने की बातें हैं कि अभी आप अपने वतने मालूफ़ बुख़ारा ही में सकूनत पज़ीर थे। अल्लामा बेकन्दी (रह.) फ़र्माया करते थे कि इस वक़्त मुहम्मद बिन इस्माईल हिफ़्ज़ व ज़िहानत के ए'तिबार से लाष़ानी (अद्वितीय) शख़्सियत के मालिक हैं।

तलबे हदीष़ के लिये बिलादे इस्लामिया की रहलत (इस्लामी देश का सफ़र) :

लफ़्ज़ रहलत के लग़वी मा'नी (शाब्दिक अर्थ) कूच करने के हैं मगर इस्तिलाहे मुहद्दिष़ीन में ये लफ़्ज़ उस सफ़र के लिये इस्तिलाह बन गया है जो हदीष़ या हदीष़ की किसी सनदे आली के लिये किया जाए। सहाबा व ताबेईन ही के बाबरकत ज़मानों से अकाबिरे उम्मत में ये शौक़ पैदा हो गया था कि वो उलूम की तहसील (इल्म हासिल करने) के लिये दूर–दूर तक का सफ़र करने लगे। क़ुर्आन मजीद में बारी तआला का इर्शाद है कि **'फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिम्मिन्हुम ताइफ़तुल्लियतफ़क़्क़हु फ़िद्दीन'** (अत् तौबा : 122) तर्जुमा : **मुसलमानों का एक गिरोह ज़रूर दीनी उलूम की तहसील व फ़ुक़ाहत के लिये घर से बाहर निकलना चाहिये।** उसी की ता'मील के लिये मुहद्दिष़ीने किराम रहिमहुल्लाहु अजमईन कमरबस्ता हुए और उन्होंने उस पाकीज़ा मक़सद के लिये ऐसे–ऐसे कठिन सफ़र तै किये कि वो दुनिया की तारीख़ में बेमिष़ाल बन गये।

सय्यिदुल मुहद्दिष़ीन अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष़ इमाम बुख़ारी (रह.) अपनी उम्र के 16वें साल 210 हिजरी में अपनी वालिदा मुहतरमा और मुहतरम भाई अहमद के साथ सफ़रे हज्ज पर रवाना हुए और मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे। आपने इस मर्कज़े इस्लाम में बड़े बड़े उलमा ए–किराम व मुहद्दिष़ीने इज़ाम से मुलाक़ात फ़र्माई। और हज्ज के बाद वालिदा मुहतरम की इजाज़त से तहसील उलूमे हदीष़ के लिये मक्का ही में सकूनत (रिहाइश) इख़्तियार की। उस वक़्त मक्का शरीफ़ के अरबाब इल्मो फ़ज़्ल में अब्दुल्लाह बिन यज़ीद, अबूबक्र अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर, अबुल वलीद अहमद बिन अल अरज़क़ी और अल्लामा हुमैदी वग़ैरह मुमताज़ शख़्सियतों के मालिक थे। आपने पूरे दो साल मक्कतुल मुकर्रमा में रहकर ज़ाहिरी व बातिनी कमालात भी हासिल फ़र्माए और 212 हिजरी में मदीना मुनव्वरा का सफ़र इख़्तियार किया और वहाँ के मशाहिर मुहद्दिष़ीने किराम मुतर्रफ़ बिन अब्दुल्लाह, इब्राहीम बिन मुंज़िर, अबू ष़ाबित मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह, इब्राहीम बिन हम्ज़ा वग़ैरह वग़ैरह बुज़ुर्गों से फ़ायदा हासिल किया। बिलादे हिजाज में आपकी इक़ामत छह साल रही। फिर आपने बसरा का रुख़ किया। उसके बाद कूफ़ा का क़स्द (इरादा) किया। हज़रत वर्राक़ बुख़ारी ने कूफ़ा और बग़दाद के बारे में आपका ये क़ौल नक़ल किया है। **'ला उहसी कम दख़लतु इलल कूफ़ति व बग़दाद मअल मुहद्दिष़ीन'** मैं शुमार नहीं कर सकता कि कूफ़ा व बग़दाद में मुहद्दिष़ीन के साथ कितनी बार दाख़िल हुआ हूँ।

बग़दाद चूँकि अब्बासी हुकूमत का पाय–ए–तख़्त (राजधानी) रहा है, इसलिये वो उलूम व फ़ुनून का मर्कज़ बन गया था। बड़े–बड़े अकाबिरे अस्र बग़दाद में जमा (एकत्रित) थे। इसीलिये इमाम (रह.) ने बार बार बग़दाद का सफ़र फ़र्माया। वहाँ के मशाइख़े हदीष़ (हदीष़ के विद्वानों) में हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) का नामे–नामी ख़ुसूसियत से क़ाबिले ज़िक्र है। 8वीं बार जब हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) बग़दाद से आख़री सफ़र करने लगे तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने बड़े पुरदर्द लहजे में फ़र्माया। **'अ ततरूकुन्नास वल अस्र वल इल्म व तसीरु इला ख़ुरासान'** क्या आप लोगों को, बग़दाद के उस ज़माने को और यहाँ के उलूम व फ़नून के मराकिज़ को छोड़कर ख़ुरासान चले जाएँगे? बुख़ारा के इब्तिदाई दौर में जबकि वहाँ का हाकिम आपसे नाराज़ हो गया था, आप हज़रत इमाम अहमद (रह.) के इस मकूले को बहुत याद फ़र्माया करते थे।

इमाम बुख़ारी (रह.) ख़ुद फ़र्माते हैं कि जब मेरी उम्र 18 साल की थी तो मैंने किताब **'क़ज़ाय–ए– सहाबा व ताबेईन'** नामी तस्नीफ़ की (लिखी), फिर मैंने मदीना मुनव्वरा में रोज़–ए–मुनव्वरा के पास बैठकर तारीख़ तस्नीफ़ की जिसे मैं चाँदनी रातों में लिखा करता था। फिर मैंने शाम और मिस्र और जज़ीरह और बग़दाद व बसरा का सफ़र किया। हाशिद बिन इस्माईल आपके हम–अस्र (समकालीन) कहते हैं कि आप बसरा में हमारे साथ हाज़िरे दर्स हुआ करते थे। महज़ सुनते और कुछ न लिखते। आख़िर सोलह दिन इसी तरह निकल गए एक दिन मैंने आपको न लिखने पर मलामत की तो आप बोले कि इस अर्से में आपने जो कुछ लिखा है उसे हाज़िर करो और मुझसे उन सबको बरज़ुबान सुन लो। चुनाँचे 15000 अहादीष़ से ज़्यादा थीं जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) ने सिर्फ़ अपनी याद्दाश्त से इस एहतिमाम से सुनाया कि बहुत से मक़ामात पर हमको अपनी किताबत में तस्हीह करने का मौक़ा मिला।

अबूबक्र बिन अबी इताब एक बुज़ुर्ग मुहद्दिष़ कहते हैं कि हमसे इमाम बुख़ारी ने हदीष़ लिखी और उस वक़्त तक उनकी दाढ़ी मूँछ के बाल नहीं निकले थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने 212 हिजरी में इंतिक़ाल किया उस वक़्त इमाम बुख़ारी (रह.) की उमर 18 बरस या इससे कम थी। मुहम्मद बिन अज़हर सख़्तियानी ने कहा कि मैं सुलैमान बिन हर्ब की मजलिस में था और इमाम बुख़ारी (रह.) हमारे दर्स में शरीक थे मगर अहादीष़ को लिखते नहीं थे। लोगों ने इस पर तअज्जुब किया तो उन्होंने कहा कि वो बुख़ारा जाकर अपनी याद्दाश्त से इन सब अहादीष़ को लिख लेंगे।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के सफ़र के सिलसिले में मर्व, बल्ख़, हिरात, नीशापुरी, वग़ैरह बहुत से दूरदराज़ शहरों के नाम आए हैं। आपने तलबे हदीष़ के लिये तक़रीबन तमाम ही इस्लामी मुल्कों का सफ़र किया। जा'फ़र बिन मुहम्मद बिन ख़त्तान कहते हैं कि मैंने इमाम बुख़ारी से सुना है कि वो कहते थे कि मैंने एक हज़ार से ज़्यादा असातिज़ा से हदीषें सुनी हैं। और मेरे पास जिस क़दर भी अहादीष़ हैं उनकी सनदें और रूवात के जमीअ–ए–अहवाल मुझे महफ़ूज़ हैं।

यूसुफ़ बिन मूसा मरवज़ी कहते हैं कि मैं बसरा की जामा मस्जिद में था कि हज़रत इमामुल मुहद्दिष़ीन की तशरीफ़ आवरी का ऐलान किया गया। लोग जोक़ दर जोक़ लायक़े शान आपके इस्तिक़बाल को जाने लगे जिनमें मैं भी शामिल हुआ। उस वक़्त हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) आलमे शबाब में थे। बेहद हसीन, स्याह रीश। आपने पहले मस्जिद में नमाज़ अदा की फिर लोगों ने उनको दर्से हदीष़ के लिये घेर लिया। आपने दूसरे रोज़ के लिये ये दरख़्वास्त मंज़ूर की। चुनाँचे दूसरे दिन बसरा के मुहद्दिष़ीन और हुफ़्फ़ाज़ (हाफ़िज़ लोग) जमा हुए। आपने फ़र्माया कि बसरा वालों! आज की मजलिस में तुमको अहले बसरा ही की रिवायतें पेश करूँगा जो तुम्हारे यहाँ नहीं है। फिर आपने इस हदीष़ को इम्ला करा दिया, **'हद्दष़ना अब्दुल्लाहिब्नु उष़्मानब्नि जिब्लतिब्नि अबी रव्वाद अल अक़ली बिबलदिकुम क़ाल हद्दष़नी अबी अन् शुअबत अन् मन्सूरिन व ग़ैरुहु अन् सालिमिब्नि अबिल जुअदि अन अनसिब्नि मालिकिन अन्न अअराबिय्यन जाअ इलन्नब्बिय्यि (ﷺ) फ़ क़ाल या रसूलल्लाहु (ﷺ)! अर्रज्लु युहिब्बुल क़ौम ....'** (अल हदीष़) हदीष़ लिखवाकर इर्शाद फ़र्माया कि ऐ अहले बसरा ये हदीष़ तुम्हारे पास मंसूर के वास्ते से नहीं है। और इसी शान के साथ आपने घंटों इस मजलिस को बहुत सी अहादीष़ लिखवाईं।

आपकी कुव्वते हाफ़िज़ा (स्मरण शक्ति) से मुता'ल्लिक़ बहुत से वाक़िआत मुअर्रिख़ीन (इतिहासकारों) ने नक़्ल किये हैं। जिनको जमा किया जाए तो एक मुस्तक़िल किताब तैयार हो सकती है। **'व फ़ीहि किफ़ायतुन लि मन् लहु दिरायतुन.'**

ख़ानगी पाकीज़ा ज़िंदगी, इख़्लास व इत्तिबाअे सुन्नत :

सय्यिदुल मुहद्दिषीन इमामुल मुत्तक़ीन फ़िदा-ए-सुनन सय्यिदुल मुर्सलीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) को अपने वालिदे माजिद मौलाना मुहम्मद इस्माईल (रह.) के तर्के (विरासत) से काफ़ी दौलत हासिल हुई थी। आपने उस पाकीज़ा माल को बसूरते मुज़ारबत तिजारत में लगा दिया था। ताकि ख़ुद तिजारती झमेलों से आज़ाद रहकर दिल के सुकून के साथ ख़िदमते हदीषे नबवी अलैहि फ़िदाहु अबी व उम्मी कर सकें।

मुज़ारबत की सूरत ये कि किसी शख़्स को सरमाया (पैसा, नक़द रक़म) बराए तिजारत इस शर्त पर दे दिया जाए कि नफ़ा व नुक़्सान में दोनों फ़रीक़ शरीक रहेंगे। एक फ़रीक़ का सरमाया होगा, दूसरे की मेहनत होगी।

अल्लाह पाक ने इस तिजारत के ज़रिये आपको फ़ारिग़ुल बाली अता फ़र्माई थी। बावजूद इसके अय्यामे तालिबे इल्मी में आपने बेइंतिहा तकलीफ़ें बर्दाश्त कीं और किसी मरहले पर भी सब्र व शुक्र को हाथ से न जाने दिया। **वारिक़ बुख़ारी के बयान के मुताबिक़ एक बार हज़रत इमाम अपने उस्ताद आदम बिन अबी अय्यास के पास तलबे हदीष के लिये तशरीफ़ ले गये मगर तौशा (राशन/खाना) ख़त्म हो गया और उन्होंने सफ़र में तीन दिन लगातार घास और पत्तों पर गुज़ारा किया। आख़िर एक अजनबी इंसान मिला और उसने एक थैली दी जिसमें दीनार थे। हफ़्स बिन उमर अल अश्कर आपके बसरा के हमसबक़ (सहपाठी) बयान करते हैं कि एक बार आप कई दिन तक शरीके दर्स न हुए। बाद में मा'लूम हुआ कि ख़र्च ख़त्म हो गया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि आपको बदन के कपड़े भी बेचने पड़ गए थे। चुनाँचे हमने आपके लिये इम्दादी चंदा करके कपड़े तैयार कराये तब आप दर्स में हाज़िर हुए।**

अबुल हसन यूसुफ़ बिन अबी ज़र्र बुख़ारी कहते हैं कि इसी फ़ाक़ाकशी की वजह से एक बार हज़रत इमाम अलील (बीमार) हो गये। तबीबों (वैद्यों) ने आपका क़ारूरः (बीमार के पैशाब का सैम्पल) देखकर फ़ैसला किया कि ये क़ारूरः ऐसे दुरवेशों के क़ारूरों से मुशाबहत (समरूपता) रखता है जो रोटियों के साथ सालन का इस्ते'माल नहीं करते, जो सिर्फ़ सूखी रोटियाँ खाकर गुज़ारा किया करते हैं। पूछने पर मा'लूम हुआ कि कई साल से आपका यही अमल है कि सूखी रोटियाँ खाकर गुज़ारा करते रहे हैं। कहा गया कि तबीबों ने आपके इलाज में सालन खाना तजवीज़ किया है। आपने ये सुनकर इलाज से इंकार कर दिया। जब आपके शुयूख़ (उस्तादों/आचार्यों) ने बहुत मजबूर किया तो रोटियों के साथ शकर–ख़्वानी मंज़ूर फ़र्माई।

अबू हफ़्स नामी बुज़ुर्ग आपके वालिदे माजिद के ख़ास तलामिज़ा (शागिर्दों) में से हैं। उन्होंने एक बार कुछ माल आपकी ख़िदमत में पेश किया। इत्तिफ़ाक़े हसना कि शाम को बाज़ ताजिरों ने उसी माल पर पाँच हज़ार मुनाफ़ा देकर उसे ख़रीदना चाहा। आपने कहा कि सुबह बात पुख़्ता करूँगा । सुबह हुई तो दूसरे ताजिर पहुँचे और उन्होंने दस हज़ार मुनाफ़ा देकर वो माल ख़रीदना चाहा। आपने कहा कि मैं शाम को आने वाले और सिर्फ़ पाँच हज़ार मुनाफ़ा देने वाले ताजिर को ये माल दे देने की निय्यत कर ली थी। अब मैं अपनी निय्यत को तोड़ना पसंद नहीं करता। चुनाँचे आपने दस हज़ार के नफ़े को छोड़कर पहले वाले ताजिर ही के माल हवाले कर दिया।

मिज़ाज में इंतिहा दर्जे की रहमदिली और नर्मी अल्लाह ने बख़्शी थी। एक बार आपका एक मुज़ारब (शरीके तिजारत, पार्टनर) आपके 25,000 दिर्हम दबा बैठा। आपके कुछ शागिर्दों ने (मुहम्मद बिन अबी हातिम वग़ैरह) ने कहा कि वो क़र्ज़दार शहरे आमिल में आ गया है अब उससे रुपया वसूल करने में आसानी होगी। आपने कहा कि मैं क़र्ज़दार को परेशानी में नहीं डालना चाहता। क़र्ज़दार डर से ख़्वारिज़्म चला गया। आपसे कहा गया कि गवर्नर की तरफ़ से एक ख़त हाकिमे ख़्वारिज़्म को लिखवाकर गिरफ़्तार करा दीजिए। आपने फ़र्माया कि मैं हुकूमत से एक ख़त के लिये तमअ (लालच) करूँगा इसके बदले हुकूमत कल मेरे दीन में तमअ करेगी, मैं ये बोझ सहन करने के लिये तैयार नहीं। बिल आख़िर इमाम ने मक़रूज़ से इस बात पर मुसालहत (समझौता) कर ली कि वो हर माह एक मख़्सूस रक़म हज़रत को अदा करेगा लेकिन वो तमाम रुपया बरबाद हो गया और वो इमाम का एक पैसा भी वापस न कर सका। मगर आपने हिल्म (बुर्दबारी) व अफ़्व (नेकी) का दामन नहीं छोड़ा। सच है,

शुनीदम के मर्दाने राहे ख़ुदा दिले दुश्मनाँ हम न करदन्दे तंग

इमाम किर्मानी का बयान है कि इमाम बुख़ारी (रह.) कई कई दिन मुसलसल (लगातार) बग़ैर खाये–पिये रह जाते थे और कभी सिर्फ़ दो–तीन बादाम खा लेना ही उनके लिये काफ़ी हो जाता था। लेकिन उसके साथ वो बहुत ही सख़ी और ग़ुरबा-नवाज़ व मसाकीन-दोस्त इंसान थे। अपनी तिजारत से ह़ासिलशुदा नफ़ा त़लबा व मुह़द्दिष़ीन पर ख़र्च कर देते थे। हर माह फ़ुक़रा व मसाकीन त़लबा व मुह़द्दिष़ीन के लिये पाँच सौ दिर्हम बांटा करते थे। बेनफ़्सी का ये आ़लम कि एक बार एक लौंडी घर में उस तरफ़ से गुज़री जहाँ आप काग़ज़, दवात, क़लम वग़ैरह रखा करते थे। उस बांदी की ठोकर से आपकी दवात की सारी स्याही फ़र्श पर फैल गई। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी ने बांदी को इस ह़रकत के लिये टोका तो उसने जवाब दिया कि जब किसी तरफ़ रास्ता ही न हो तो क्या किया जाए? ह़ज़रत इमाम उस नामाक़ूल जवाब से बरअंगेख़्ता (नाराज़) नहीं हुए बल्कि हाथ दराज़ (लम्बे) करके कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। इस पर आपसे पूछा गया कि उसने तो नाराज़गी वाला काम किया था और आपने उसे आज़ाद क्यों कर दिया? आपने कहा कि उसके इस काम से मैंने अपने इस नफ़्स की इस्लाह़ कर ली और इसी ख़ुशी में उसे आज़ाद कर दिया।

एक बार आपने अबू मअ़शर एक नाबीना बुज़ुर्ग से फ़र्माया कि ऐ अबू मअ़शर! तुम मुझे मुआ़फ़ कर दो। उन्होंने ह़ैरत व तअ़ज्जुब के साथ कहा कि ह़ज़रत ये मुआ़फ़ी किस बात की है? आपने बतलाया कि आप एक बार ह़दीष़ बयान करते हुए फ़र्ते मुसर्रत में (ख़ुशी के मारे) अनोखे अंदाज़ से अपने सर और हाथों को ह़रकत दे रहे थे जिस पर मुझको हँसी आ गई। मैं आपकी शान में उसी गुस्ताख़ी के लिये आपसे मुआ़फ़ी माँग रहा हूँ। अबू मअ़शर ने जवाब में कहा कि ऐ ह़ज़रत इमाम! आपसे किसी क़िस्म की बाज़पुर्स नहीं है।

खालिद बिन अह़मद ज़ुह्ली ह़ाकिमे बुख़ारा ने एक बार आपकी ख़िदमत में दरख़्वास्त भेजी कि आप दरबारे शाही में तशरीफ़ लाएँ और मुझे और मेरे शहज़ादों को सह़ीह़ बुख़ारी और तारीख़ का दर्स दिया करें। आपने क़ासिद की ज़बानी कहला भेजा कि मैं आपके दरबार में आकर शाही ख़ुशामदियों की लिस्ट में इज़ाफ़ा नहीं करना चाहता और न मुझे इ़ल्म की बेक़द्री गवारा है। ह़ाकिम ने दोबारा कहलवा भेजा कि फिर शहज़ादों के लिये कोई वक़्त तै कर लीजिए। इमाम ने इस पर जवाब दिया कि मीराषे नबवी (ﷺ) में किसी अमीर-ग़रीब का कोई फ़र्क़ नहीं है, इसलिये मैं इससे भी मअ़ज़ूर (असमर्थ) हूँ। अगर ह़ाकिमे बुख़ारा को मेरा ये जवाब नागवार गुज़रे तो जबरन मेरा दर्से ह़दीष़ रोक सकते हैं ताकि मैं ख़ुदावन्द क़ुद्दूस के दरबार में उ़ज़्र पेश कर सकूँ। इन जवाबात से ह़ाकिमे बुख़ारा सख़्त बरहम (नाराज़) हुए और उसने ह़ज़रत इमाम को बुख़ारा से निकालने की साज़िश की।

इ़बादत में आपका इस्तिग़राक़ (गहराई) इस दर्जे की था कि इमाम को एक बाग़ में मदऊ़ (आमंत्रित) किया गया। जब इमाम ज़ुहर की नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए तो नवाफ़िल की निय्यत बाँध ली। नमाज़ से फ़राग़त के बाद क़मीस़ का दामन उठाकर किसी से कहा कि देखना क़मीस़ में कोई मूज़ी (ज़हरीला) जानवर मह़सूस हो रहा है। देखा गया तो एक ज़ंबूर ने सत्तर जगह डंक लगाये थे और जिस्म के कुछ ह़िस्सों पर वरम (सूजन) आ रहा था। कहा गया कि आपने पहली बार ही क्यों न नमाज छोड़ दी। इमाम ने फ़र्माया कि मैंने एक ऐसी सूरह शुरू कर रखी थी कि बीच में उसका तोड़ना गवारा न हुआ।

आख़िर रात में 13 रकअ़तों का आप हमेशा सफ़र व हजर में मा'मूल रखते थे। उस्वा–ए–ह़स्ना की पैरवी में तहज्जुद की नमाज़ कभी नहीं छोड़ते थे। रमज़ान में नमाज़े तरावीह़ से फ़ारिग़ होकर आधी रात से लेकर सह़र तक ख़ल्वत में तिलावते क़ुर्आन पाक फ़र्माते थे और हर तीसरे दिन एक क़ुर्आन ख़त्म करते और दुआ़ करते और कहते हर ख़त्म पर एक दुआ़ ज़रूर क़ुबूल होती है।

इत्तिबाए़ सुन्नत का इस क़दर जज़्बा था कि ख़ालिस़ उस्वा–ए–ह़सना की पेशे नज़र तीरअंदाज़ी की मश्क़ (प्रेक्टिस) फ़र्माई। इस क़दर कि आपका निशाना कभी चूकता नहीं देखा गया। एक बार आपका तीर एक पुल की मेख़ पर जा लगा जिससे पुल का नुक़सान हो गया। आपने पुल के मालिक से दरख़्वास्त की कि या तो पुल की मरम्मत की इजाज़त दे दी जाए या फिर उसका तावान (जुर्माना) ले लिया जाए ताकि हमारी ग़लती की तलाफ़ी हो सके। पुल के मालिक ह़ुमैद बिन अल अख़्ज़र ने जवाब में आपको बहुत बहुत सलाम कहला भेजा और कहा कि आप बहरहाल मौजूदा सूरत में बेक़ुसूर हैं। मेरी तमाम दौलत आप पर क़ुर्बान है। पैग़ाम पहुँचने पर आपने 500 अह़ादीष़ बयान की और तीन सौ दिरहम बत़ौरे सदक़ा फ़ुक़रा व मसाकीन

में बांट दिया। (मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी)

अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) बग़दाद में :

अब्बासी हुकूमत का पाय–ए–तख़्त (राजधानी) बग़दाद इस्लामी दुनिया का मर्कज़ और इस्लामी उ़लूम व फुनून का बेशबहा मख़्ज़न (अकूत ख़ज़ाना) रह चुका है। यही हज़रत सय्यिदुल मुहद्दिष़ीन इमाम बुख़ारी (रह.) की शोहरत व व इल्मी क़ुबूलियत का ज़माना था। मुतकल्लिमीन व मुहद्दिष़ीन व फ़ुक़हा व मुफ़स्सिरीन चारों ओर से सिमट–सिमटकर बग़दाद में जमा हो चुके थे। उस दौर में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) बग़दाद में आए। पूरा बग़दाद आपकी शोहरत से गूंज उठा। हर मस्जिद, हर मदरसा, हर ख़ानक़ाह में आपके ज़हन व हिफ़्ज़ो -ज़िहानत व महारते हदीष़ के चर्चे होने लगे। आख़िर दारुल ख़ुलफ़ा के कुछ मुहद्दिष़ीन ने आपके इम्तिहान की तरकीब सोची, वो ये कि सौ अहादीष़े नबवी (ﷺ) में से हर हदीष़ की सनद दूसरी हदीष़ के मतन में मिला दी और उसको दस आदमियों पर बराबर बांट दिया और मुक़र्ररः तारीख़ पर मजमए़ आम में (सार्वजनिक रूप से) आपके इम्तिहान का फ़ैसला किया गया। चुनाँचे मुक़र्ररः वक़्त पर सारा शहर उमड़ आया। उन दस आदमियों ने नम्बरवार इख़्तिलात (ख़लत-मलत/गड्ड–मड्ड) की हुई अहादीष़ इमाम साहब के सामने पढ़ना शुरू कीं और आपसे इस्तिस्वाब (ठीक–ठीक बात जानने की इच्छा/स्वीकृति) चाही। मगर आप हर शख़्स और हर हदीष़ के बारे में यही कहते रहे कि **'ला अअ़रिफ़ुहु'** (मैं इस हदीष़ को नहीं जानता) इस तरह जब सौ अहादीष़ ख़त्म हो चुकी तो लोगों में कानाफूसियाँ शुरू हो गईं। किसी का ख़याल था कि इमाम हक़ीक़ते हाल को पहचान चुके है और किसी का ख़्याल था कि आपने मुहद्दिष़ीने बग़दाद के सामने सिपर डाल दी (घुटने टेक दिये) है।

इमामुल मुहद्दिष़ीन उसी वक़्त खड़े होकर पहले साइल की तरफ़ मुड़े और फ़र्माया **'अम्मा हदीषुकल अव्वलु फ़बिहाज़ल इस्नादि ख़ताउन व सबाबुहु क़ज़ा'** या'नी तुमने पहली हदीष़ जिस सनद से बयान की थी वो ग़लत थी उसकी असल सनद ये है। इसी तरह आपने दसों लोगों की सुनाई सौ अहादीष़ को बिल्कुल सहीह दुरुस्त करके तर्तीबवार सवालात पढ़कर सुना दिया। इस ख़ुदादाद हाफ़िज़े व महारते फ़न्ने हदीष़ को देखकर अहले बग़दाद हैरतज़दा हो गए और बिल इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मति से) मान लिया गया कि फ़न्ने अहादीष़ में असे हाज़िर (इस दौर) में आपका कोई ष़ानी नहीं है।

इल्मुल इस्नाद में इमाम बुख़ारी (रह.) की महारते ताम्मा :

मशहूर मक़ूला है **'अल इस्नादु मिनद्दीनि व लौलल्इस्नादु लक़ाला मन शाअ मा शाअ'** या'नी इस्नाद का इल्म भी दीनी उ़लूम में शामिल है। अगर इस्नाद (सनदें) न होती तो जो शख़्स जो कुछ चाहता कह डालता। इसीलिये मुहद्दिष़े कामिल के लिये ज़रूरी है कि वो मुतूने अहादीष़ (हदीषों के भावार्थ) के साथ तमाम रूवाते हदीष़ (हदीष़ रिवायत करने वालों) के बारे में उनकी पैदाइश और वफ़ात के अवक़ात की ख़बर रखता हो। उनके बाहमी मुलाक़ात के सिनीन याद हों। उनके अल्क़ाब और कुन्नियतें याद हों। और तमाम रावियों के अल्फ़ाज़े हदीष़ भी पूरी तरह याद हों। इमाम बुख़ारी (रह.) इस फ़न में महारते–ताम्मा रखते थे।

हाफ़िज़ अहमद बिन हम्दून का बयान है कि मैं उ़ष़्मान बिन अबू सईद बिन मरवान के जनाज़े में हाज़िर हुआ। इमाम बुख़ारी (रह.) भी आए हुए थे। उस मौक़े पर मुहम्मद बिन यह्या जुह्ली ने इमाम बुख़ारी से अस्माए रुवात और इलले अहादीष़ के सिलसिले में कुछ पूछा। इमाम बुख़ारी ने इस क़दर बर्जस्तगी से जवाबात इनायत फ़र्माए जैसे कोई **'कुल हुवल्लाहु अहद'** तिलावत करता हो।

इस्तिलाहे हदीष़ में इल्लते-क़ादिहा उस पोशीदा सबब (छुपे हुए कारण) का नाम है जिससे हदीष़ की सिहत मश्कूक (संदिग्ध) और मजरूह (आहत) हो जाती है। इल्मे हदीष़ में कमाल हासिल करने के लिये सिर्फ़ यही एक चीज़ ऐसी अहम है जिसके लिये बेपनाह कुव्वते हाफ़िज़े (असाधारण याद्दाश्त), ज़हन-रसा और नक़्दो इंतिक़ाद (जाँच परख/तन्क़ीद) की कामिल महारत दरकार है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) को अल्लाह तआ़ला ने इन सारे उ़लूम में महारते ताम्मा अ़ता फ़र्माई थी।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) जब नीशापुर में मुक़ीम थे। उस ज़माने का वाक़िआ अबू अहमद अअ़मश बयान करते हैं कि मैं इमाम बुख़ारी (रह.) की मजलिस में हाज़िर हुआ। इमाम मुस्लिम (रह.) तशरीफ़ लाए और एक मुअ़ल्लक़ हदीष़ का दरम्यानी हिस़्सा सुनाकर पूछा कि ये हदीष़ आपके पास हो तो उसे मुत्तसिल फ़र्मा दीजिए। हदीष़ के अल्फ़ाज़ ये हैं,

'उबैदुल्लाहिब्नु उमर अन अबिज़्ज़ुबैरि अन जाबिरिन क़ाल बअष़ना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी सरीय्यतिन व मअ़ना अबू उबैदत अल हदीष़' इमाम बुख़ारी (रह.) ने उस हदीष़ को उसी वक़्त मुत्तसिलुस्सनद पढ़कर सुना दिया कि **'हद्दष़नब्नु अबी उवैसिन क़ाल हद्दष़नी अख़ी अन् सुलैमानब्नि बिलालिन अन उबैदिल्लाहि इला आख़िरिल हदीष़.'**

उसी मजलिस का क़िस्सा है कि किसी ने ये हदीष़ सनद के साथ पढ़ी, **'हज्जाजुब्नु मुहम्मदुन अनिब्नि जुरैजिन अन मूसब्न अक़्बत अन सुहैलिब्नि अबी सालिहिन अन अबीहि अन अबी हुरैरत अनिन नबिय्यी (ﷺ) कफ़्फ़ारतुल मजलिसि इज़ा क़ामल अब्दु अंय्यक़ूल सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिका अस्तग़फ़िरुक व अतूबु इलैक'** सुनकर इमाम मुस्लिम बोले कि इस हदीष़ की इससे ऊँची सनद सारी दुनिया में नहीं है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि ठीक है मगर इसकी सनद मअ़लूल है। ये सुनकर इमाम मुस्लिम (रह.) हैरत में रह गये और कहने लगे कि इल्लत (कारण/वजह) से आगाही फ़र्माइये। हज़रत इमाम ने फ़र्माया रहने दीजिए जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया हो आपको भी उस पर पर्दा डालना चाहिये। मगर इमाम मुस्लिम (रह.) ने इसरार किया तो आपने फ़र्माया। अच्छा सुनो! ग़ैर मअ़लूल सिलसिल–ए–सनद यूँ है। **'हद्दष़ना मूसब्नु इस्माईल हद्दष़ना वुहैबुन हद्दष़ना मूसब्नु उक़्बत अन औनिब्नि अब्दिल्लाहि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) कफ़्फ़ारतुल मजलिसि .... इज़ल हदीष़'** हदीष़ की इल्लत के सिलसिले में हज़रत इमाम ने बतलाया कि मूसा बिन उक़्बा कि कोई हदीष़ सुहैल से मर्फ़ूअ़ नहीं है। फिर उसके लिये हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने षुबूत पेश किया। जिसे सब हाज़िरीने मजलिस इलम–ए–हदीष़ ने तस्लीम किया। (फ़त्हुल बारी)

जरह व इंतिक़ाद (बहस व आलोचना) के लिये क़ुर्आनी हिदायत :

मुहद्दिष़ीन किराम ने रूवाते-हदीष़ की जरह व इंतिक़ाद का तरीक़ा क़ुर्आन मजीद की आयते करीमा **'या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा जाअकुम फ़ासिक़ुम बि नबइन फ़तबय्यनू'** (सूरह अल हुजरात) **'ऐ ईमानवालों! अगर तुम्हारे पास कोई फ़ासिक़ इंसान कुछ ख़बर लेकर आए तो उसकी तह्क़ीक़ कर लिया करो।'** और अस्हाबे किराम (रज़ि.) के तर्ज़े अमल ही से अख़ज़ (हासिल/उद्धृत) किया था क्योंकि एक गिरोह हदीष़ गढ़नेवाला पैदा हो चुका था। अ़ब्दुल करीम वज़्ज़ाअ़ मशहूर हैं जिसने चार हज़ार अहादीष़ वज़अ़ कीं (गढ़ीं) और ख़वारिज़ और रवाफ़िज़ में मौज़ूआत का एक अंबार मौजूद हो रहा था। इन हालात में जरह इंतिक़ाद का दायरा वसीअ़तर होता चला गया। ऐसी जरह व तअ़दील वो ग़ीबत नहीं है जिसके लिये क़ुर्आन मजीद ने मना किया है। इस हक़ीक़ते बाहिरा के बावजूद हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इस बारे में बड़ी एहतियात से काम लेते थे और आम इस्तिलाहे मुहद्दिष़ीन की तरह वज़्ज़ाअ़, कज़्ज़ाब के अल्फ़ाज़ की जगह (अल मतरूक) मुंकिरुल हदीष़ वग़ैरह के अल्फ़ाज़ इस्ते'माल फ़र्माते थे। इसीलिये आपका इर्शाद है **'कुल्ल मन क़ुलतु फ़ीहि मुन्करुल हदीष़ि ला यहिल्लुरिवायतु अन्हु'** या'नी जिस रावी के मुता'ल्लिक़ लफ़्ज़ मुंकिरुल हदीष़ इस्ते'माल कर दूँ, उससे रिवायत करना हलाल नहीं है। ये सब एहतियात इसलिये कि आप ख़्वाम ख़्वाह किसी मुसलमान की ग़ीबत के गुनाह में मुलव्विष़ (लिप्त) न हो जाएँ। आप कहते हैं कि ग़ीबत के बारे में क़यामत के दिन मुझसे कोई दादख़्वाह न हो सकेगा। आपके एक शागिर्द ने कहा कि आपकी तारीख़ के बारे में लोग ग़ीबत का इल्ज़ाम लगाते हैं। कहा कि तारीख़ में हमने सिर्फ़ मुतक़द्दिमीन (पहले के लोगों) के अक़्वाल (कथन) नक़ल किये हैं। हमने अपनी तरफ़ से उसमें कुछ नहीं लिखा है।

इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहू की बेनज़ीर ष़क़ाहत :

अ़ल्लामा उ़ज्लूनी ने आपकी ष़क़ाहत के बारे में ये अजीब वाक़िआ़ नक़ल किया है कि एक बार आप दरिया का सफ़र कर रहे थे और आपके पास एक हज़ार अशरफ़ियाँ थीं। एक रफ़ीक़े सफ़र (सफर के साथी) ने अ़क़ीदत-मंदाना राह व रस्म (श्रद्धाभरी जान-पहचान) बढ़ाकर अपना ए'तिमाद (भरोसा) क़ायम कर लिया। हज़रत इमाम ने अपनी अशरफ़ियों की उसे ख़बर दे दी। एक दिन आपका ये साथी सोकर उठा तो उसने बाआवाज़े बुलन्द (ज़ोर -ज़ोर से) रोना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मेरी एक हज़ार अशरफ़ियाँ कम हो गई हैं। चुनाँचे तमाम मुसाफ़िरों की तलाशी शुरू हो गई। हज़रत इमाम ने ये देखकर कि अशरफ़ियाँ मेरे पास हैं और वो एक हज़ार हैं। तलाशी में ज़रूर मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा और यही उसका मक़्सद था। इमाम ने ये देखकर वो थैली समुन्दर में डाल दी। इमाम बुख़ारी (रह.) की भी तलाशी ली गई। मगर वो अशरफ़ियाँ हाथ न आईं और

जहाज़वालों ने ख़ुद उस मक्कार रफ़ीक़ को मलामत की। सफ़र ख़त्म होने पर उसने हज़रत इमाम से अशरफ़ियों के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि मैंने उनको समुन्दर में डाल दिया। वो बोला इतनी बड़ी रक़म का नुक़्सान आपने कैसे बर्दाश्त किया। आपने जवाब दिया जिस दौलते षक़ाहत को मैंने तमाम उम्रे अज़ीज़ गंवाकर हासिल किया है और मेरी षक़ाहत (बुज़ुर्गी/विश्वसनीयता) जो तमाम दुनिया में मशहूर है क्या मैं उसको चोरी का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर बर्बाद कर देता और उन अशरफ़ियों के बदले अपनी दयानत, व अमानत व षक़ाहत का सौदा कर लेता मेरे लिये हर्गिज़ ये मुनासिब न था।

हद दर्जा क़ाबिले सद अफ़सोस :

ये उस इमामुल अइम्मा के पाकीज़ा हालात हैं जिन पर उम्मते इस्लाम क़यामत तक फ़ख़्र करती रहेगी। मगर दूसरी तरफ़ ये किस क़दर अफ़सोसनाक बात है कि आज बहुत से तक़्लीदे–जामिद के फ़िदाई उलमा हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन की षक़ाहत को मजरूह करने के लिये हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। अन्वारुल बारी का मुक़द्दमा और सारी किताब जो सहीह बुख़ारी का तर्जुमा व शरह के नाम से वजूद में लाई गई है, पढ़ जाइए। एक सीधा–सादा व आम इंसान सहीह बुख़ारी और हज़रत इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहू के बारे में बहुत ही ग़लत ताष्षुरात ले सकता है। साहिबे अन्वारुल बारी ने ये सारी काविश (फ़िक्र) अपने मस्लक की हिमायत (समर्थन) में की है। मगर ये मस्लक की ता'मीरे ख़िदमत नहीं है। अगर जवाबी सिलसिला दर सिलसिला चल पड़ा तो तारीख़ की किताबों व रिजाल की रोशनी में वो तफ़्सीलात पब्लिक में लाई जा सकेंगी जिनसे आजकल के नौजवानाने इस्लाम की आँखें खुल जाएँगी और वो अस्लाफ़े उम्मत के मुता'ल्लिक़ आज़ादाना क़यास आराइयाँ शुरू करके बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर जा सकेंगे। उम्मत की हज़ार साला बाहमी फ़िक़्ही चपक़लिये को ताज़ा करके फिर उसके लिये रास्ता खोलना आज के हालात के तहत किसी तरह भी मुनासिब न था। मगर सद अफ़सोस की तक़्लीदे जामिद के शैदाई शायद फिर उन बोसीदा अखाड़ों की ता'मीरे जदीद चाहते हैं। सच है

दीन मिला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद

जिन हज़रात ने मज़कूरा बाला किताब का इंसाफ़ की नज़र से मुतालआ किया है, वो हमें इन लाइनों के लिखने पर यक़ीनन मअज़ूर तसव्वुर फ़र्माएँगे।

अल जामेअ अस् सहीहुल बुख़ारी लिखने की वजह :

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी में तफ़्सीलन (विस्तारपूर्वक) लिखा है कि रसूले करीम (ﷺ) और सहाबा किराम व ताबेईन के पाकीज़ा ज़मानों में अहादीष को जमा करने व तर्तीब देने का सिलसिला कमाहक़्क़हू न था। एक तो इसलिये कि शुरू के ज़माने में इसकी मुमानअत (मनाही) थी जैसा कि सहीह मुस्लिम की रिवायत से षाबित है। सिर्फ़ इस डर से कि कहीं क़ुर्आन मजीद और अहादीष के मुतून (भावार्थ) आपसी तौर पर गड्ड–मड्ड न हो जाएँ। दूसरे ये कि इन लोगों के हाफ़ज़े वसीअ थे, ज़हन साफ़ थे। किताबत से ज़्यादा उनको अपने हाफ़ज़े पर भरोसा था और अक्षर लोग फ़न्ने किताबत से वाक़िफ़ न थे। इसका ये मतलब नहीं है कि किताबते अहादीष का सिलसिला ज़मान-ए-रिसालत (ﷺ) में बिल्कुल न था। ये कहा जा सकता है कि ऊपर लिखी वजहों की बिना पर कमाहक़्क़हू न था। फिर ताबेईन के आख़िर ज़माने में अहादीष की तर्तीब व तबवीब शुरू हुई। पाँचवें ख़लीफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने हदीष को एक फ़न की हैषियत से जमा कराने का एहतिमाम किया। तारीख़ में रबीअ बिन सबीह और सईद बिन अरूबा वग़ैरह वग़ैरह हज़रात के नाम आते हैं जिन्होंने इस फ़न्ने शरीफ़ पर बाज़ाब्ता क़लम उठाया। अब वो दौर हो चला था जिसमें ख़्वारिज व रवाफ़िज़ व दीगर अहले बिदअत ने मनघड़ंत अहादीष का एक ख़तरनाक सिलसिला शुरू कर दिया था। उन हालात के पेशे नज़र तीसरे तबक़े के लोग उठे और उन्होंने अहकाम को जमा किया। हज़रत इमाम मालिक ने मुअत्ता तस्नीफ़ की जिसमें अहले हिजाज़ की क़वी रिवायतें जमा कीं, और अक़्वाले सहाबा, फ़तावा ताबेईन को भी शरीक किया। अबू मुहम्मद अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज ने मक्कतुल मुकर्रमा में और अबू अम्र व अब्दुर्रहमान बिन उमर औज़ाई ने शाम में और अब्दुल्लाह सुफ़यान बिन सईद षौरी ने कूफ़ा में और अबू सलमा हम्माद बिन सलमा दीनार ने बसरा में हदीष के जमा करने, तर्तीब देने व लिखवाने पर ध्यान दिया।

उनके बाद बहुत से लोगों ने अहादीष़ जमा करने की ख़िदमत अंजाम दी और दूसरी सदी के आख़िर में बहुत सी मुस्नदें वजूद में आ गईं जैसे मुस्नद अहमद बिन हंबल, मुस्नद इमाम इस्हाक़ बिन राहवैय, मुस्नद इमाम उ़ष्मान बिन अबी शैबा, मुस्नद इमाम अबूबक्र बिन अबी शैबा वग़ैरह वग़ैरह। इन हालात में सय्यिदुल मुहद्दिष़ीन इमामुल अइम्मा ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का दौर आया। आपने इन जमा तसानीफ़ (लेखनियों) को देखा, इनको रिवायत किया। इनसे उ़लूमे नबवी का काफ़ी मज़ा उठाया। उन्होंने देखा कि इन किताबों में सहीह, हसन और ज़ईफ़ सब क़िस्म की अहादीष़ मौजूद हैं।

एक मुबारक ख़्वाब :

ह़दीषे रसूले पाक (ﷺ) के लिये आपके क़ल्बे मुबारक में एक ख़ासुल ख़ास जज़्बा था। एक रात आप देखते हैं कि हुज़ूर रसूले करीम (ﷺ) आराम फ़र्मा रहे हैं और आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के सिरहाने खड़े होकर पंखा झूल रहे हैं और मक्खी वग़ैरह मूज़ी (हानिकारक) जानवरों को आपसे दूर कर रहे हैं। बेदार होकर मुअब्बिरीन (ख़्वाब ताबीर करने वालों) से ता'बीर पूछी गई तो उन्होंने बतलाया कि आप रसूले करीम (ﷺ) की अहादीषे पाक की अ़ज़ीम ख़िदमत अंजाम देंगे और झूठे लोगों ने जो अहादीष़ ख़ुद गढ़ ली हैं, सहीह अहादीष़ को आप उनसे बिलकुल अलग छांट देंगे।

उसी दौरान आपके बुज़ुर्ग तरीन उस्ताद ह़ज़रत इस्हाक़ बिन राहवैय ने एक दिन कहा कि **'लौ जमअ़तुम किताबन मुख़्तसरन अस्सहीहु सुन्नतु रसूलिल्लाहि (ﷺ)'** काश! आप नबी करीम (ﷺ) की सहीह—सहीह अहादीष़ पर मुश्तमिल एक जामेअ़ मुख़्तसर किताब तस्नीफ़ कर देते। ह़ज़रत इमाम फ़र्माते हैं **'फ़ वक़अ़ ज़ालिका फ़ी क़ल्बी'** मेरे दिल में ये बात बैठ गई और मैंने उसी दिन से जामेअ़ सहीह की तदवीन का अ़ज़्म बिल जज़्म (दृढ़ निश्चय) कर लिया।

इसी सिलसिले में नज्म बिन फुज़ैल और वर्राक़ बुख़ारी का ख़्वाब भी क़ाबिले लिहाज़ है कि रसूले करीम (ﷺ) क़ब्र से बाहर तशरीफ़ लाये और जब आप क़दम मुबारक उठाते हैं, इमाम बुख़ारी आपके क़दमे मुबारक की जगह पर अपना क़दम रख देते हैं। अबू ज़ैद मरवज़ी का ख़्वाब हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने नक़ल किया है कि मैं रुक्न और मक़ाम के बीच बैतुल्लाह के पास सो रहा था। ख़्वाब में हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाये और फ़र्माया कि ऐ अबू ज़ैद! कब तक शाफ़िई की किताब का दर्स देते रहोगे और हमारी किताब का दर्स न दोगे। अ़र्ज़ किया हुज़ूर (ﷺ) फ़िदाक अबी व उम्मी आपकी किताब कौनसी है? फ़र्माया जिसे मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने जमा किया है।

यही वो अज़ीमुश्शान तस्नीफ़ है जिसकी वजह से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) को हयाते जावदाँ मिली और वो दुनिय—ए—इस्लाम में अमीरुल मुअमिनीन फ़िल ह़दीष़ जैसे अ़ज़ीम ख़िताब से नवाज़े गये।

त़रीक़—ए—तालीफ़ :

इस बारे में कि ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं कि मैंने कोई ह़दीष़ इस किताब में उस वक़्त तक दाख़िल नहीं की जब तक कि ग़ुस्ल कर के दो रकअ़त नमाज़ अदा न कर ली हो। बैतुल्लाह शरीफ़ में उसे मैंने लिखा और दो रकअ़त नमाज़ पढ़कर हर ह़दीष़ के लिये इस्तिख़ारा किया। मुझे जब हर तरह इस ह़दीष़ की सिह़त का यक़ीन हुआ, तब मैंने उसके इंदराज (लिखने) के लिये क़लम उठाया। इसको मैंने अपनी नजात के लिये हुज्जत बनाया है और छह लाख ह़दीषों से छांट छांटकर मैंने उसे जमा किया है।

अ़ल्लामा इब्ने अ़दी अपने शुयूख़ (उस्तादों) की एक जमात से नक़ल करते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह.) अल जामेउ़स्सहीह़ के तमाम तराजिमे-अब्वाब को हुज्र—ए—नबवी (ﷺ) और मिम्बर के बीच बैठकर और हर तर्जुमतुल बाब को दो रकअ़त नमाज़ पढ़कर और इस्तिख़ारा करके कामिल इत्मीनाने क़ल्ब (दिल को पूरी तसल्ली) हासिल होने पर साफ़ करते। वराक़ ने अपना एक वाक़िआ बयान किया है कि मैं इमाम बुख़ारी (रह.) के साथ था। मैंने आपको किताबुत्तफ़्सीर लिखने में देखा कि रात में 15,20 बार उठते चकमाक से आग रोशन करते और चिराग़ जलाते और ह़दीषों पर निशान देकर सो रहते।

इससे पता चलता है कि इमाम साह़ब सफ़र व ह़ज़र में हर जगह तालीफ़े किताब में मशग़ूल रहा करते थे। और जब भी जहाँ भी किसी ह़दीष़ के सहीह होने का यक़ीन हो जाता, उस पर निशान लगा देते। इस तरह तीन बार आपने अपने ज़ख़ीरे पर नज़र डाली। आख़िर तराजिमे अब्वाब (अनुवादित अध्यायों) की तर्तीब और तहज़ीब और हर बाब के तहत ह़दीषों का

दर्ज करना; इसको इमाम साहब ने एक बार हरमे मुहतरम में और दूसरी बार मदीना मुनव्वरः मस्जिदे नबवी के मिम्बर और मेहराबे नबवी के बीच बैठकर अंजाम दिया। उसी तराजिमे अब्वाब की तहज़ीब व तबवीब के वक़्त जो हदीषें अबवाब के तहत लिखते पहले ग़ुस्ल करके इस्तिख़ारा कर लेते। इस तरह पूरे सोलह साल की मुद्दत में इस अज़ीम किताब की तालीफ़ से फ़ारिग़ हुए।

आवाज़े ख़ल्क़ को नक़्क़ार–ए–ख़ुदा कहते हैं :

हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन जबलुल हिफ़्ज़ सय्यिदना इमाम बुख़ारी (रह.) और आपकी जामेउस्सहीह के बारे में इन बारह सौ बरस में अकाबिरे उम्मत ने जिन आरा–ए–मुबारका का इज़्हार किया है, उन सबको जमा करने व तर्तीब देने के लिये भी एक मुस्तक़िल किताब दरकार है। उन सबका लिहाज रखते हुए बिला ख़ौफ़े–तर्दीद कहा जा सकता है कि हज़रत इमाम बुख़ारी इन्दल्लाह मक़्बूल और आपकी जामेउस्सहीह भी इन्दल्लाह मक़्बूल और उम्मत के लिये बिला शक व शुब्हा कुर्आन मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सहीहतर क़ाबिले अमल किताब है। जो शख़्स भी हज़रत इमाम की शान में तन्क़ीस (गुस्ताख़ी) व तख़्फ़ीफ़ और आपकी जामेउस्सहीह के बारे में शुकूक व शुब्हात (संदेहों) की फ़िज़ा पैदा करता है वो इज्माअ़े उम्मत का मुख़ालिफ़ है, ख़ाती (ख़ताकार) है, नाक़ाबिले इल्तिफ़ात है बल्कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी क़द्दस सिर्रहु के लफ़्ज़ों में वो बिदअती है।

हम बहुत ही इख़्तिसार के पेशेनज़र सिर्फ़ चंद आरा–ए मुबारका नक़ल करते हैं, उम्मीद है कि साहिबाने सिद्क़ व सफ़ा के लिये ये काफ़ी होंगी और वो हर्गिज़ किसी मुतकश्शिफ़ और नामाकूल नाक़िद के भरोसे और नामकूलात से मुताष्षिर न होंगे।

जामेउस्सहीह के मुता'ल्लिक़ पहले ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) का बयान सुनिये। फ़र्माते हैं, **'लम उख़रिज फ़ी हाज़ल किताबि इल्ला सहीहन'** मैंने अपनी इस किताब में सिर्फ़ सहीह अहादीष की तख़रीज की है। (मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी)

और फ़र्माया कि मैंने तक़रीबन छह लाख तुरूक से जामेउस्सहीह की अहादीष का इंतिख़ाब किया है।

हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह फ़र्माते हैं कि सहीह बुख़ारी में तमाम मुस्नद अहादीष मुकर्ररात समेत 7275 की ता'दाद में हैं और मुकर्ररात को निकाल दिया जाए तो चार हज़ार हदीषें रह जाती हैं (मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. : 8)

ये इख़्तिलाफ़े ता'दाद महज़ मुख़्तलिफ़ु अक़्साम अहादीष की गिनती के ए'तिबार से है इसलिये दोनों बयान सहीह हैं।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की हयाते तय्यिबा में नब्बे हज़ार लोगों ने बराहे–रास्त (डायरेक्ट) आपसे इस अज़ीम किताब का दर्स लिया और बिला वास्ता उनकी सनद से रिवायत किया है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) जब इसकी जमा व तालीफ़ से फ़ारिग़ हुए तो आपने इसे इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम यह्या बिन मुईन और इमाम अली बिन मदीनी वग़ैरह अकाबिरे उम्मत के सामने पेश किया। सबने मुत्तफ़क़ा (सर्वसम्मत) तौर पर इस किताब को मुस्तहसन क़रार दिया और उसकी सिहत की गवाही दी। कुछ हज़रात ने सिर्फ़ चार अहादीष से मुता'ल्लिक़ अपना ख़याल ज़ाहिर किया। मगर आख़िर में उनके मुता'ल्लिक़ भी हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ही का ख़याले शरीफ़ सहीह षाबित हुआ (मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी पेज नं. 578)

हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं कि हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रहु ने अपनी जामेअ सहीह को मज़कूरा बुज़ुर्गों के अलावा वक़्त के दीगर मशाइख़ व फ़ुक़हा व मुहद्दिषीन के सामने भी पेश किया। सबने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस किताब की सिहत की तस्दीक़ व तौषीक़ फ़र्माई।

मुल्ला अली क़ारी ने मशाइख़े–अस्र के ये लफ़्ज़ नक़ल किये हैं, **'अन्नहु ला नज़ीर लहू फ़ी बाबिहि'** (मिरक़ात जिल्द अव्वल पेज नं. 15) या'नी जामेउस्सहीह अपने बाब में बे–नज़ीर किताब है।

इमाम निसाई फ़र्माते हैं, **'अजवदु हाज़िहिल कुतुबि किताबुल बुख़ारी वज्मअतिल उम्मतु अला सिह्हति हाजैनिल किताबैन'** या'नी उम्मत का सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम दोनों किताबों की सिहत पर क़तई तौर पर इज्माअ हो चुका है और अहादीष की सारी किताबों में सहीह बुख़ारी सबसे अफ़ज़ल है।

अल्बिदाया वन्निहाया जिल्द यज़्दहुम पेज नं. 28 पर इमाम फ़ज़ल बिन इस्माईल जुरजानी का एक क़सीदा बाबत मदह बुख़ारी शरीफ़ मनक़ूल है जिसका ख़ुलासा ये है कि सहीह बुख़ारी सनद और मतन के लिहाज़ से इस क़दर आला दर्जा

किताब है कि इसकी अफ़्ज़लियत पर तमाम अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ और इज्माअ (एक राय व सर्वसम्मति) है। नबी करीम (ﷺ) के दीन के लिये ये किताब वो कसौटी है जिसके आगे अरब व अजम सबने सरे तस्लीम ख़म किया है।

बिला शक सहीह बुख़ारी आबे ज़र (सोने के पानी) से लिखे जाने के क़ाबिल है।

सहीह बुख़ारी की किताबत आबे ज़र (सोने के पानी) से :

उम्मत में ऐसे भी क़द्रदान गुज़रे हैं जिन्होंने क़ुर्आन मजीद और उसके बाद सहीह बुख़ारी को ख़ालिस आबे ज़र से लिखवा दिया। चुनाँचे एक आलिमे दीन अबू मुहम्मद मुज़्नी के तज़किरे में लिखा है कि उन्होंने किताबत करनेवालों को हुक्म दिया कि वो क़ुर्आन मजीद और सहीह बुख़ारी को आबे ज़र से लिखकर उनके सामने पेश करें। चुनाँचे ये दोनों किताबें तमाम व कमाल आबे ज़र से लिखकर उनके सामने पेश की गईं। (मिफ़्ताहुस्सआदा जिल्द अव्वल पेज नं. 7)

इमाम अबुल फ़तह अज्ली फ़र्माते हैं कि सहीह बुख़ारी का मतने हदीष क़वी और रिजाले-इस्नाद आली मर्तबा हैं। सिहत में इसको वो बुलन्द मर्तबा हासिल है गोया हर हदीष को इमाम बुख़ारी (रह.) ने आँहज़रत (ﷺ) से बराहे रास्त ख़ुद हासिल किया और दर्ज फ़र्माया है।

शैख़ुल इस्लाम इमाम बल्क़ैनी फ़र्माते हैं कि सहीह बुख़ारी हाफ़िज़े अस्र हज़रत इमाम बुख़ारी की वो अहम तस्नीफ़ है जिसमें आपने नबी करीम (ﷺ) की सुनने सहीहा को जमा किया है। रिजाले बुख़ारी सब सदूक़ और षिक़ात हैं। इन फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात की बिना पर उम्मत का इज्माअ है कि क़ुर्आन शरीफ़ के बाद दुनिय-ए-इस्लाम के हाथों में सबसे ज़्यादा सहीह किताब बुख़ारी शरीफ़ है। (इर्शादुस्सारी जिल्द अव्वल पेज नं. 44)

अल्लामा अैनी (हनफ़ी) शारेह बुख़ारी लिखते हैं, **'इत्तफ़क़ उलामाउश्शर्क़ि वल ग़रबि अला अन्नहू लैसा बअद किताबिल्लाहि असह्हु मिन सहीहिल बुख़ारी फ़रज्जहल बअज़ु सहीह मुस्लिम अला सहीहिल बुख़ारी वल जम्हूरु अला तरजीहिल बुख़ारी अला मुस्लिम.'** (उम्दतुल क़ारी पेज नं. 5) या'नी मश्रिक़ व मग़्रिब के तमाम उलम-ए-किराम का इस अम्र पर इत्तिफ़ाक़ है कि किताबुल्लाह के बाद सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम से ज़्यादा सहीह कोई किताब नहीं है। कुछ अइम्मा ने मुस्लिम को बुख़ारी पर मुक़द्दम क़रार दिया है। लेकिन जुम्हूर उलम-ए-उम्मत (अधिकांश इस्लामी विद्वानों) ने सहीह बुख़ारी को सहीह मुस्लिम के मुक़ाबले में तर्जीह (प्राथमिकता) दी है और उसी को अफ़्ज़ल (श्रेष्ठ) क़रार दिया है।

हुज्जतुल इस्लाम हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी मरहूम फ़र्माते हैं, **'व इन्नहू कुल्ल मंयहूनु अम्रहुमा फ़हुव मुब्तदिउन मुत्तबिउ ग़ैर सबीलिल मुअमिनीन.'** (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ः जिल्द अव्वल पेज नं. 134) जो शख़्स बुख़ारी व मुस्लिम की तख़्फ़ीफ़ व तौहीन करता है, वो बिदअती है और उसने वो रास्ता इख़्तियार किया है जो ईमानवालों का रास्ता नहीं है। (जिसका नतीजा दोज़ख़ है)

हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिष देहलवी फ़र्माते हैं कि बुख़ारी व मुस्लिम व मुअत्ता इमाम मालिक (रह.) की अहादीष निहायत सहीह है। जामेअ सहीह बुख़ारी में ब-लिहाज़ अग़लब ख़ुद मुअत्ता इमाम मालिक की भी मर्फ़ूअ हदीषें मौजूद हैं, इस लिहाज़ से सहीह बुख़ारी सबसे ज़्यादा सहीह और जामेअ किताब है। (अजाला-ए-नाफ़ेआ पेज नं. 6)

हज़रत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी (रह.) कहते हैं कि उलम-ए-उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि कुतुबे हदीष में सबसे ज़्यादा सहीह किताब बुख़ारी, फिर मुस्लिम है और इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि इन दोनों में सहीह बुख़ारी सिहत में बढ़कर है और ज़्यादा फ़वाइद की जामेअ है। (मुक़द्दमा हज़रत मौलाना सहारनपुरी मरहूम अलल बुख़ारी पेज नं. 4)

हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब देवबन्दी (रह.) कहते हैं कि हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह व हाफ़िज़ इब्ने हजर व अल्लामा इब्ने तैमियः शम्सुल अइम्मा शरख़सी वग़ैरह अजिल्ल-ए-मुहद्दिषीन व फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम की सब हदीषें हुज्जत के लिये क़तई हैं। और उन अजिल्ल-ए-अस्हाबुल हदीष व मुहक़्क़िक़ीन का फ़ैसला मेरे नज़दीक बिलकुल सहीह फ़ैसला है। (फ़ैज़ुल बारी)

अल्लामा शब्बीर अहमद उष्मानी देवबन्दी मरहूम फ़र्माते हैं कि सबसे पहले जिसने सिर्फ़ अहादीषे सहीहा को जमा

किया है, वो इमाम बुख़ारी हैं। फिर उनके नक़्शे क़दम पर इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह को जमा किया है। ये दोनों किताबें मुसन्नफ़ाते हदीष में सबसे ज़्यादा सहीह हैं। (फ़त्हुल मुल्हिम शरह मुस्लिम पेज नं. 54)

इस क़िस्म के हज़ारों उलमा व फ़ुज़ला–ए–अकाबिरे उम्मत मुतक़द्दिमीन व मुतअख़्ख़िरीन (पहले और बाद वालों) के बयानात कुतुबे तवारीख़ (इतिहास की किताबों) में मौजूद हैं। जिन सबका जमा करना इस मुख़्तसर से मक़ाला में नामुम्किन है। इसलिये इन चंद बयानात पर इक्तिफ़ा किया जाता है। इन्हीं से नाज़िरीन को अंदाज़ा हो जाएगा कि उम्मत में इमाम बुख़ारी और उनकी जामेउस्सहीह का मक़ाम कितना बुलन्द है। वलहम्दु लिल्लाहि अला ज़ालिक

मुहद्दिषे आ'ज़म हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और मसालिके मुरव्वजा :

मसालिके मुरव्वजा (प्रचलित मस्लकों) से मुराद मज़ाहिबे अर्बअ (चारों मज़हब) हैं जो अइम्म–ए–अर्बअ (चारों इमाम) हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम शाफ़िई, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल, हज़रत इमाम मालिक (रह.) की तरफ़ मनसूब हैं। इन मसालिक के पैरोकार अपने अपने इमाम की तक़्लीद अलल इत्लाक़ अपने लिये वाजिब जानते हैं। और इस तक़्लीदे शख़्सी का तर्क (छोड़ना) उनके यहाँ किसी भी तरह जाइज़ नहीं। तक़्लीद की ता'रीफ़ यूँ की गई है, **'अत् तक़्लीदु इत्तबाउर्रजुलि ग़ैरुहू फ़ीमा समिअहु बि क़ौलिहि औ फ़ी फ़ेअलिही अला जअमिन अन्नहू मुहक्क़िकुन बिला नज़रिन फ़िद्दलील.'** (हाशिया नूरुल अन्वार लख़नऊ पेज नं. 216) या'नी तक़्लीद कहते हैं किसी का क़ौल सिर्फ़ इस हुस्ने ज़न (ख़ुशफ़हमी) पर मान लेना कि ये दलील के मुवाफ़िक़ (अनुरूप) ही होगा और इससे दलील की तह्क़ीक़ न करना।

साहिबे मुस्लिम अष्षुबूत लिखते हैं कि **'अत् तक़्लीदु अल अमलु बि क़ौलिल ग़ैरि मिन ग़ैरि हुज्जतिन'** (मुस्लिम पेज नं. 289) या'नी बग़ैर दलील किसी की बात को अमलन मान लेना तक़्लीद है। आम तौर पर मुक़ल्लिदीने मज़ाहिबे अर्बअ का तरीक़ा है। इस रोशनी में हज़रत मुहद्दिषे-आ'जम, मुज्तहिदे मुअज़्ज़म हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) को चारों मसलकों में से किसी एक मसलक का मुक़ल्लिद बताना ऐसा ही है जैसा कि चमकते हुए सूरज को रात से ता'बीर करना। ये हक़ीक़त है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) किसी भी मज़हब के मुक़ल्लिद न थे। उनका इल्म व फ़ज़ल, उनका दर्जा–ए–इज्तिहाद व इस्तिंबात इस हद तक पहुँचा हुआ है कि उनको मुक़ल्लिद कहना सरासर नासमझी व हिमाक़त है। अल्लाह ने उनको बुलन्दतरीन मक़ाम नसीब फ़र्माया था।

कुछ मुतक़द्दिमीन ने उनको तब्क़ाते शाफ़िआ में शुमार किया है मगर ये उनकी सिर्फ़ ख़ुशफ़हमी है या ये मुराद है कि मसाइले ख़िलाफ़िया में वो ज़्यादातर इमाम शाफ़िई को मुवाफ़क़त करते हैं। इसलिये उनको शाफ़िई कह दिया गया था। वरना वाक़िआ ये है कि उन्होंने अपनी जामेउस्सहीह में जिस तरह मुक़ल्लिदीने अह्नाफ़ से इख़्तिलाफ़ किया है उसी तरह मालिकिया, शाफ़िइया, व हनाबिला से भी कुछ-कुछ मक़ामात पर इख़्तिलाफ़ किया है।

हज़रत शाह वलीउल्लाह मरहूम फ़र्माते हैं **'व अम्मल बुख़ारिय्यु फ़हुव व इन काना मुन्तसिबन इलश्शाफ़िइय्यि मुवाफ़क़ल लहु फ़ी कषीरिम्मिनल फ़िक़्हि फ़क़द ख़ालफ़हू अयज़न फ़ी कषीरिन इला आख़िरिही'** या'नी कषरते मुवाफ़क़ात के सबब हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) को हज़रत इमाम शाफ़िई की तरफ़ मंसूब कर दिया गया है। मगर वाक़िआ ये है कि जिस कषरत से मुवाफ़क़त है उसी कषरत से इमाम शाफ़िई की मुख़ालफ़त भी मौजूद है। जिनकी बहुत सी मिषालें बुख़ारी शरीफ़ का मुतालआ करने वालों पर ज़ाहिर होंगी।

हज़रत मौलाना सय्यद अनवर शाह साहब देवबन्दी (रह.) ने वाजेह तौर इर्शाद फ़र्माया है कि **'इन्नल बुख़ारी इन्दी सलक मस्लकल इज्तिहादि वलम युकल्लिद अहदन फ़ी किताबिही अल अख़'** (फ़ैज़ुल बारी जिल्द अव्वल पेज नं. 335) या'नी इमाम बुख़ारी (रह.) ने एक मुज्तहिद की हैषियत से अपना मसलक बनाया है और अपनी किताब में हर्गिज़ उन्होंने किसी की तक़्लीद नहीं की।

साहिबे ईज़ाहुल बुख़ारी देवबन्दी लिखते हैं,

लेकिन हक़ीक़त ये है कि किसी शाफ़िई या हंबली से शागिर्दी और इल्म हासिल करने के आधार पर किसी को शाफ़िई

या हंबली कहना मुनासिब नहीं बल्कि इमाम के तराजिमे बुख़ारी के गहरे मुतालअ़ से मा'लूम हुआ है कि इमाम एक मुज्तहिद हैं। उन्होंने जिस तरह अ़हनाफ़ रहिमहुमुल्लाह से इख़्तिलाफ़ किया है वहाँ हज़राते शवाफ़ेअ़ से इख़्तिलाफ़ की ता'दाद भी कुछ कम नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि अ़हनाफ़ रहिमहुमुल्लाह के साथ इनका लबो–लहज़ा सख़्त है और मशहूर मसाइल में उनकी राय हज़राते शवाफ़ेअ़ के मुवाफ़िक़ है...... इमाम के इज्तिहाद और तराजिमे अब्वाब में उनकी बालिग़ नज़री के पेशेनज़र उनको किसी फ़िक़्ह का पाबन्द नहीं कहा जा सकता। (ईज़ाहुल बुख़ारी जुज़ अव्वल पेज नं. 30)

ख़ुलास़तुल मराम ये है कि हज़रत सय्यिदुल मुहद्दिष़ीन इमाम बुख़ारी (रह.) एक मुज्तहिदे आ'ज़म थे। वो क़ुर्आन व ह़दीष़ को बराहे रास्त अपना मदारे अ़मल क़रार देते थे। और सहीह मा'नों में वो न सिर्फ़ अहले ह़दीष़ बल्कि इमाम अहले ह़दीष़ थे। उनकी जामेअ़ अस्सहीह का एक एक पन्ना इस ह़क़ीक़त पर शाहिद है। अह़ादीष़े नबवी ही उनका ओढ़ना–बिछोना था। ह़दीष़ की अद्ना सी मुख़ालफ़त भी उनके लिये नाक़ाबिले बर्दाश्त थी। वो सहीह मा'नों में फ़िदाए रसूल थे। वो दरह़क़ीक़त मीनारे हिदायात थे।

दीगर तसानीफ़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) :

आपकी अ़ज़ीम तस्नीफ़ अल जामेअ़उस्सहीह पर जो कुछ लिखा गया वो महज़ मुश्ते नमूना अज़ ख़रवार है। ये वो अ़ज़ीम किताब है जिसके एक-एक लफ़्ज़ की शरह व तफ़्सील के लिये दफ़ातिर (बहुत से रिकार्ड ऑफ़िस) दरकार हो सकते हैं। इसकी बहुत सी शुरुहात हैं। फ़त्हुल बारी को किसी क़दर जामेअ़ कहा जा सकता है। मगर अ़स्रे हाज़िर (वर्तमान काल) में आज एक और फ़त्हुल बारी की ज़रूरत है जिसमें उ़लूमे जदीदा (आधुनिक ज्ञान) की रोशनी में अह़ादीष़े नबवी के इस अ़ज़ीम ख़ज़ाने का मुतालआ होना चाहिये। अल्लाह के लिये कोई मुश्किल नहीं है कि दुनिया–ए–इस्लाम का कोई मायानाज़ फ़रजन्द अ़ल्लामा इब्ने हजर ष़ानी (द्वितीय) की शक्ल में पैदा हो और ये ख़िदमत अंजाम दे।

आपने इसके अ़लावा और भी बहुत सी किताबें तस्नीफ़ फ़र्माई हैं। जिनमें क़ज़ाया अस्सह़ाबा वत्ताबेईन आपने अपनी उ़म्रे अ़ज़ीज़ के 18वीं साल में पहली तस्नीफ़ फ़र्माई थी। मगर अफ़सोस आज उसका कोई नुस्ख़ा मौजूदा इल्म में न आ सका। उ़म्र के इसी दौरान आपने अत्तारीख़ुल कबीर लिखी जिसे दायरतुल मआरिफ़ हैदराबाद ने बसूरते अजज़ा शाया किया था।

अत्तारीख़ुल औसत और अत्तारीख़ुस्सग़ीर भी आपकी अहम तसानीफ़ हैं। ख़ल्क़ अफ़आलुल इबाद, किताबुज़्ज़ुअफ़ा अस्सग़ीर, अल मुस्नदुल कबीर, अल अदबुल मुफ़रद भी आपकी शानदार यादगार हैं। ख़ुसूसन अल अदबुल मुफ़रद बड़ी जामेअ़ पाकीज़ा अख़्लाक़ी किताब है। जिसे आपने बेहतरीन मुदल्लल तौर पर जमा फ़र्माया है। उसकी अ़रबी शरहें और उर्दू तर्जुमें काफ़ी शाया हो चुके हैं। (हज 1962 ई. में एक नुस्ख़ा मअ़ शरह फ़ज़्लुल्लाह अस्समद जद्दा से बतौरे तोहफ़ा मिला था। (जज़ाहुल्लाहु ख़ैरल्जज़ा), जुज़्उलक़िरत ख़ल्फ़ल इमाम भी आपका मशहूर रिसाला है। जो क़िराते ख़ल्फ़ल इमाम के मुत्तअ़ल्लिक़ एक फ़ैसलाकुन हैषियत रखता है। मिस्र में तबअ़ (प्रकाशित) हो चुका है। आपने इस रिसाले में अह़ादीष़ व सुनन की रोशनी में क़िराते फ़ातिहा ख़ल्फ़ुल इमाम का इष़्बात फ़र्माया है। और ख़िलाफ़े दलाइल पर भी रोशनी डाली है। इसी तरह दूसरा रिसाला आपका जुज़्इ रफ़इल्यदैन के नाम से मशहूर है। जिसमें आपने बतर्ज़े अहले ह़दीष़ रफ़उलयदैन का मुदल्लल इष़्बात फ़र्माया है। इन दोनों अजज़ा के आपसे रिवायत करने वाले आपके शागिर्दे रशीद महमूद बिन इस्हाक़ ख़ुज़ाई हैं। आप हज़रत इमाम के वो शागिर्द हैं जिन्होंने बुख़ारा में सबसे आख़िर में आपसे शर्फ़े तलम्मुज़ ह़ासिल किया।

उनके अ़लावा और भी बहुत सी आपकी क़लमी यादगारें हैं जिनमें से अकष़र नापैद हो चुकी हैं। कुछ के क़लमी नुस्ख़े दूसरी जंगे अ़ज़ीम से क़ब्ल कुतुब ख़ाना दारुल उ़लूम जर्मन में पाये गये। अब नामा'लूम इंक़िलाबाते ज़माना ने उनको भी बाक़ी रखा है या नहीं। बहरहाल **'यमहुल्लाहु मा यशाउ व युष़ब्बितु व इन्दहू उम्मुल किताब'** (अर्रअ़द : 39)

वफ़ाते ह़सरत आयात हज़रत इमामुल मुहद्दिष़ीन मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.):

ख़ालिद बिन जुहली ह़ाकिमे बुख़ारा की बाबत लिखा जा चुका है कि वो हज़रत सय्यिदुल मुहद्दिष़ीन से महज़ इस बिना पर कि आपने दर्से ह़दीष़ के लिये शाही दरबार मे जाने और उसके साहबज़ादों के लिये वक़्त मख़्सूस करने से इंकार कर दिया था, मुख़ालफ़त पर आमादा हो गया था। और चाहता था कि किसी बहाने से हज़रत इमाम को शहर बुख़ारा से निकाल दिया जाए।

जिसमें वो उस जमाने के उ़लम–ए–सू के तआ़वुन (बुरे आलिमों की मदद) से कामयाब हो गया। उन्होंने ह़ज़रत इमाम पर अक़ाइद के बारे में इल्ज़ाम लगाया और फिर हिफ़्ज़े अमन के बहाने से ह़ज़रत इमाम को बुख़ारा से निकल जाने का हुक्म दे दिया। आप बादिले नख़ास्ता बुख़ारा से ये कहते हुए निकले कि ख़ुदावन्दा! इन लोगों ने मेरे साथ जो इरादा किया था। वही सूरतेह़ाल उनको अपने और उनके अहलो अयाल के बारे में दिखला दे। मज़लूम इमाम की दुआ क़ुबूल हुई और एक माह भी न गुज़रा था कि जुहली, अमीर त़ाहिर के हुक्म से मअ़ज़ूल (पद से हटा) करके गधे पर फिराया गया और क़ैद में डाल दिया गया और हुरेष़ बिन अबी वरक़ाअ जो आपके निकलवाने में साज़िशी था, उसको और उसके घरवालों को सख़्त मुसीबत पेश आई और दूसरे मुख़ालिफ़ीन (विरोधी) भी उसी तरह़ ख़ाइब व ख़ासिर (नुक़्सान उठाने वाले) हुए।

दुनिया का यही दस्तूर है एक दिन वो था कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) अपने इल्मी अस्फ़ार (यात्राओं) से बुख़ारा वापस लौटे तो शहर से तीन मील के फ़ासले पर उनके लिये ढेर लगाए गए और पूरा शहर उनके इस्तिक़बाल (स्वागत) के लिये उमड़ आया और उन पर रुपये और अशरफ़ियाँ तसद्दुक़ (न्यौछावर) किये गये। एक दिन आज है कि ह़ज़रत इमाम को अपने वत़ने मालूफ़ से निकाला जा रहा है और वो दस्ते बद्दुआ, बेकसी की ह़ालत में वत़न से बेवत़न हो रहे हैं। आप बुख़ारा से चलकर बेकन्द पहुँचे। वहाँ से समरक़न्दवालों की दा'वत पर समरक़न्द के लिये दा'वत क़ुबूल फ़र्माई। ख़रतंग नामी एक गांव में जो मुज़ाफ़ाते समरक़न्द से था, आप पहुँचे ही थे कि तबीअ़त ख़राब हो गई और वहाँ अपने अक़रबा (रिश्तेदारों) में उतर गए। एक रात आपने अल्लाह से दुआ की कि इलाहल्आलमीन अब ज़मीन मेरे लिये तंग नज़र आ रही है, बेहतर है कि तू मुझे अपने पास बुला ले। आख़िर 13 दिन कम 62 साल की उ़मर में ये आफ़ताबे ह़दीष़ ख़ुरतंग की ज़मीन में ग़ायब हो गया। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ़न**। रूह़ परवाज़ कर जाने के बाद भी बराबर जिस्म पर पसीना जारी रहा। यहाँ तक कि आपको ग़ुस्ल देकर कफ़न में लपेट दिया गया। कुछ लोग समरक़न्द ले जाने के ख़्वाहिशमंद हुए। मगर ख़ुरतंग ही में तदफ़ीन (दफ़नाने) के लिये इत्तिफ़ाक़ हो गया। ईदुल फित्र के दिन नमाज़े ज़ुहर के बाद आपका जनाज़ा उठाया गया। एक ख़ल्क़े कष़ीर (लोगों की एक बड़ी ता'दाद) ने तदफ़ीन में शिर्कत की। और आज वो अह़ादीष़ रसूले करीम (ﷺ) का आफ़ताब आ़लमताब, दुनिय–ए–इस्लाम का मुह़सिने आ'ज़म ख़ाक में छुप गया और दुनिया में तारीकी हो गई। एक शायर ने आपके साले विलादत और साले वफ़ात दोनों को एक ही बंद में जमा कर दिया है। फ़र्माते हैं –

कानल बुख़ारी ह़ाफ़िज़न व मुह़द्दिष़न — जमअ़स्सह़ीह़ मुकम्मलत्तहरीरि

मीलादुहू सिदक़ुन व मुद्दतु उ़म्रिही — फ़ीहा ह़मीदुन्क़ज़ा फ़ी नूरि

ख़तीब अ़ब्दुल वाहिद बिन आदम कहते हैं कि मैंने आँह़ज़रत (ﷺ) को ख़्वाब में चंद अस्ह़ाबे किराम के साथ किसी का मुंतज़िर देखा। सलाम के बाद अ़र्ज़ किया हुज़ूर किसका इंतिज़ार फ़र्मा रहे हैं? इर्शाद हुआ कि मैं आज मुह़म्मद बिन इस्माईल बुख़ारी के इंतिज़ार में खड़ा हुआ हूँ। बाद में जब ह़ज़रत इमाम के इंतिक़ाल की ख़बर पहुँची तो मैंने ख़्वाब के वक़्त के बारे में सोचा, इमाम के इंतिक़ाल का ठीक वही वक़्त था। आपकी वफ़ाते ह़सरते आयात पर दुनिय–ए–इस्लाम में एक तहलका बर्पा हो गया। हर शहर व क़रया (गाँव) में मुसलमानों ने इज़्हारे ग़म किया और आपके लिये दुआ–ए–मग़्फ़िरत की। उ़ल्म–ए–उम्मत और मशाहिरे इस्लाम ने उस सानिह़ा पर बहुत से मक़ाले जात और अश्आर लिखे जो कुतुबे तवारीख़ (इतिहास की किताबों) में लिखे हुए हैं।

*****

शारेह के मुख़्तसर हालात और चन्द अहम गुज़ारिशात

दिल्ली से 30-40 मील दूर दक्षिण-पश्चिमी इलाक़े को मेवात के नाम से पुकारा जाता है जो ज़िला गुड़गांव की तहसील नूह व फ़िरोज़पुर झिरका और रेवाड़ी व पलौल और जिला अलवर और भरतपुर राजस्थान के अकषर हिस्सों पर मुश्तमिल (आधारित) हैं। बाशिन्दे ज़्यादातर मेव राजपूत मुसलमान हैं। जिनका आबाई पेशा काश्तकारी है। वही इलाक़ा राक़िमुल हुरूफ़ का वतने मालूफ़ है। ज़िला गुड़गांव की तहसील फ़िरोज़पुर झिरका में क़स्बा पंग्वाँ के पास एक मौज़अ रहपुवा नामी नाचीज़ का मक़ामे सकूनत है। और यहीं मुख़्तसर सी बस्बेदारी है जो बच्चों के लिये ज़रिय-ए-मआश है। **अल्लाहुम्म बारिकलना फ़ीमा अअतैत** । आमीन!

अगरचे तक़सीमे मुल्क की वजह से इस इलाक़े पर बहुत काफ़ी अषर पड़ा, ताहम आज भी यहाँ कि मुस्लिम आबादी कई लाख है। यहाँ तौहीद व सुन्नत की इशाअत व तब्लीग़ का अव्वलीन सहरा उन बुज़ुर्गाने क़ौम के सर पर है जो आज़ादी-ए वतन के अव्वलीन अलमबरदार हज़रत मौलाना सय्यद अहमद साहब बरेलवी और हज़रत मौलाना इस्माईल शहीद देहलवी रहिमहुमुल्लाह जैसे पाकबाज़ बुज़ुर्गों के तर्बियतयाफ़्ता थे। वो यहाँ आए और इस्लाह व सुधार के फ़राइज़ अंजाम दिये। बाद में हज़रत शैख़ुल कुल मौलाना सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसैन साहब मुहद्दिष देहलवी (रह.) के फ़ैज़याफ़्ता हज़रात ने भी यहाँ काफ़ी काम किया। **तक़ब्बलल्लाहु हस्नातहुम** आमीन।

राक़िमुल हुरूफ़ (लेखक) का बचपन इब्तिदाई स्कूली ता'लीम से शुरू हुआ। वालिदे माजिद (रह.) पहले ही दाग़े मुफ़ारक़त दे चुके (या'नी इंतक़ाल कर चुके) थे। बड़े भाई मरहूम और वालिदा मरहूमा के ज़ेरे साया ग़ालिबन 1337 हिजरी में दारुल उलूम देहली जाकर मदरसा हमीदिया सदर बाज़ार में दाख़िला की सआदत हासिल हुई। उस ज़माने में ये मदरसा मुसलमान बच्चों के लिये न सिर्फ़ ता'लीम बल्कि बेहतरीन तर्बियत व परवरिश की ख़िदमत अंजाम दे रहा था। लायक़तरीन असातिज़ा (क़ाबिल मुदर्रिस) मुक़र्रर थे। और बच्चों के जुम्ला मसारिफ़ ख़ुद रईसे अअज़म देहली हज़रत शैख़ हाफ़िज़ हमीदुल्लाह साहब (रह.) बर्दाश्त फ़र्माते थे। उसी दर्सगाह में कुर्आन मजीद और फ़ारसी व सर्फ़ व नह्व वग़ैरह की इब्तिदाई किताबें पढ़ीं। बाद में मदरसा दारुल किताब वस्सुन्नह सदर देहली में हज़रत मौलाना शैख़ अब्दुल वहाब साहब सद्री (रह.) के यहाँ तक्मील करके आप ही से सनदे फ़राग़त हासिल की। ये ग़ालिबन 1346 हिज्री का ज़माना था। उन दिनों देहली फ़िल वाक़ेअ दारुल उलूम थी। बड़े-बड़े उलम-ए-इस्लाम यहाँ मौजूद थे और दीगर अकाबिर अतराफ़े हिन्द से आते भी रहते थे। अलहम्दुलिल्लाह अपने तहक़ीक़ी तबई रुज्हान के तहत बेशतर उलम-ए-किराम की इल्मी मजालिस से इस्तिफ़ादा के मौक़े हासिल हुए। उन्हीं दिनों मदरसा सईदिया पुल बंगश भी उलमा व तलबा के लिये एक ज़बरदस्त इल्मी मर्कज़ था। जहाँ बैहक़ी दौराँ हज़रत मौलाना अबू सईद शर्फ़ुद्दीन साहब मुहद्दिष देहलवी (रह.) का सिलसिल-ए-दर्स जारी था। आपकी सुहबत में भी हाज़िरी का मौक़ा मिला। तक़्सीमे मुल्क (बंटवारे) के बाद आप कराची तशरीफ़ ले गए थे मगर 1372 हिजरी में आप बम्बई तशरीफ़ लाए और तक़रीबन दो माह यहाँ आपकी ख़िदमत करने का मौक़ा हासिल हुआ। उन्हीं दिनों आपने सनदे इजाज़त मरहमत फ़र्माई। मौलान-ए मरहूम की पाकीज़ा सुहबत से दिलो-दिमाग़ ने बहुत रोशनी पाई अल्लाह आपको करवट-करवट जन्नत नसीब फ़र्माए और जुम्ला असातिज़ा किराम को बेहतरीन जज़ाएँ अता करे ख़ास तौर पर वालिदा मुहतरमा मरहूमा को जन्नतुल फ़िर्दौस में जगह दे जिन्होंने उस ज़माने की मुश्किलात के पेशेनज़र हर क़िस्म के मुसीबतों को सहते हुए पूरे इंहिमाक के साथ मेरी दीनी ता'लीम के सिलसिले को जारी रखा और मेरे लिये बहुत सी तकलीफ़ों को खंदापेशानी के साथ बर्दाश्त फ़र्माया। अल्लाह पाक उनको करवट-करवट जन्नत नसीब करे और उनकी क़ब्र को मुनव्वर फ़र्माए। जब भी उस ज़माने के हालात और मरहूमा वालिदा

माजिदा ग़फ़रुल्लाह की मसाई याद करता हूँ आँखों से आँसू जारी हो जाते हैं **रब्बनग़्फ़िअली वलि वालिदय्य वलिल मुअमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब।**

कुछ क़मरियों को याद है कुछ बुलबुलों को हिफ़्ज़, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्ताँ के हैं

अब कि उम्रे अज़ीज़ साठ साल को पहुँच रही है। सफ़रे आख़िरत क़रीब ही होता जा रहा है, दुआ है कि अल्लाह पाक इतनी मुहलत दे दे कि मैं बुख़ारी शरीफ़ की इस ख़िदमत को भी पूरा कर जाऊँ और अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि अज़ीज़ान ख़लील अहमद व नज़ीर अहमद व सईद अहमद सल्लमहुमुल्लाहु तआला इस पाक सिलसिल-ए-तब्लीग़ व इशाअत को जारी रख सकें, आमीन या इलाहल आलमीन। मज़कूरा बाला चंद अल्फ़ाज़ की चन्दाँ ज़रूरत न थी मगर इस्लामी किताबों के लेखकों की चली आ रही पुरानी परम्परा के अनुसार ये छोटा सा तआरुफ़ कराना ज़रूरी था। **व तशब्बहू इल्लम तकूनू मिष्लहुम, इन्नत्तशब्बुह बिल किरामि फ़लाहु**

मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीने किराम इस तफ़्सील से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मैं एक इल्म व अमल से तहीदस्त इंसान इस क़ाबिल न था कि असह्हुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल जामेउस्सहीह अल बुख़ारी जैसी अहम मुक़द्दस किताब के उर्दू तर्जुमे के लिये क़लम उठाने की जुर्अत कर सकूँगा मगर मशिय्यते-ऐज़्दी ने **'कुल्लु अम्रिन मरहूनून बि औक़ातिहा'** के तहत इस ख़िदमत का आग़ाज़ करा ही दिया। जिसका मंसूबा आज से 15 साल पहले फ़्नाई तर्जुमा वाले क़ुर्आन मजीद के पहले एडीशन के साथ ही बना लिया गया था। अपने मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलम-ए-जमाअत की दुआओं का सदक़ा है कि आज मैं बुख़ारी शरीफ़ का पहला पारा मुतर्जम उर्दू क़द्रदानों के हाथों में दे रहा हूँ। मेरे ये 15 साल भी मुतफ़र्रिक़ इल्मी मशाग़िल में गुज़रते चले गये और उनमें मज़ीद दर मज़ीद तजुर्बात हासिल हुए।

मशहूर मक़ूला है कि **'ज़रूरत ईजाद की माँ है (आवश्यकता आविष्कार की जननी है)'** आज जब कि हमारे कुछ मुतअस्सिब मुक़ल्लिद हज़रात हदीष ख़ुसूसन बुख़ारी शरीफ़ के तर्जुमे व शरह की ख़िदमत का नाम लेकर इस मुक़द्दस किताब के ख़ुदादाद मक़ाम को गिराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं बल्कि ख़ुद इमामुद्दुनिया फ़िल हदीष हज़रत इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रहु की तख़्फ़ीफ़ व तन्क़ीस (निन्दा) करके अपने मज़मूआत की बरतरी षाबित करने की धुन में लगे हुए हैं। ऐन मंशा-ए-यज़्दी और सख़्ततरीन ज़रूरत के तहत इस ख़िदमत का आग़ाज़ किया गया है जिसे तक्मील को पहुँचाना गुंबदे-ख़ज़रा के मकीन (ﷺ) के रब और सारी कायनात के परवरदिगार का काम है।

असल अरबी मतन को जिस ख़ूबी के साथ किताबत कराया गया है वो क़द्रदानों के सामने है। फिर बामुहावरा तर्जुमा और मुख़्तसर तशरीही नोट लिखते हुए बहुत सी हदीष की शरहों और बहुत से नये-पुराने तर्जुमों को सामने रखकर मसलके मुहद्दिषीन की ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए निहायत ही एहतियात से क़लम उठाया गया है। इख़्तिलाफ़ी मक़ामात पर बेजा तअस्सुब से परहेज़ करते हुए बिला इम्तियाज़ फ़िक़ही मसालिक जुम्ला अइम्म-ए-दीन उलम-ए-इस्लाम के इस्लामी अदब व एहतिराम का हर जगह लिहाज रखा गया है। फिर भी एक हक़ीर इंसान हूँ अगर कोई लफ़्ज़ कहीं भी किसी भाई को नागवार ख़ातिर नज़र आए तो उसके लिये मुआफ़ी का तलबग़ार हूँ। तर्जुमा और शरह में जिन-जिन किताबों से इस्तिफ़ादा किया गया है उनकी तूलोतवील फ़हरिस्त पेश करके अपने मुअज़्ज़ज़ क़ारेईन किराम के क़ीमती वक़्त को ज़ाया करना मुनासिब नहीं जानता, न रस्मी नुमाइश मक़्सूद है।

यहाँ इस हक़ीक़त का इज़्हार भी ज़रूरी है कि बुख़ारी शरीफ़ जैसी अहम मुक़द्दस किताब की मुकम्मल उर्दू शरह का तसव्वुर एक कोहे हिमालिया (हिमालय पहाड़) जैसा तसव्वुर है। इस अज़ीम जामेअ किताब का लफ़्ज़ बहुत कुछ तफ़्सील तलब है। साथ ही मुबाहिषाते तबवीब व अक़्सामे हदीष व तफ़ासिले रिजाल व इस्नाद और जवाबात ऐतिराजाते जदीदा और दक़ाइक़े बुख़ारी वग़ैरह वग़ैरह ऐसे उन्वानात हैं कि इन सब पर कमाहक़्क़हू तफ़्सीलात के लिये आज एक और अज़ीम उर्दू फ़त्हुल बारी शरह बुख़ारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा अंदाज़ा है कि अगर उलम-ए-इस्लाम की एक मुंतख़ब जमाअत इस ख़िदमत पर मामूर (नियुक्त) की जाए और इनके लिये हर क़िस्म की आसानियाँ मुहय्या कर दी जाएँ और एक मुस्तक़िल इदारा सिर्फ़ उसी एक ख़िदमत के लिये कमर कस ले तो एक मुद्दते मदीद की दिन-रात की काविशों के बाद उर्दू फ़त्हुल बारी तीस जिल्दों में मुरत्तब हो सकेगी। जिसकी हर एक जिल्द कम से कम एक हज़ार सफ़्हात पर फैली हुई होगी। अल्लाह पाक हर चीज़ पर क़ादिर

है। क्या मुश्किल है कि वो किसी भी वक़्त उस अज़ीम ख़िदमत के लिये अपने कुछ प्यारे बन्दों को पैदा फ़र्मा दे। मैं ये इसलिये कह रहा हूँ कि मैंने उर्दूदाँ तब्क़े और नई नस्लों के लिये बहुत ही मुख़्तसर पैमाने पर इस ख़िदमत को शुरू किया है। अपनी हर क़िस्म की कमज़ोरियों को देखते हुए भी मैं सिर्फ़ इस पहले ही पारे को सैंकड़ों सफ़्हात पर फ़ैला सकता था। मगर देखा जा रहा है कि आज का ता'लीमयाफ़्ता तब्क़ा (शिक्षित वर्ग) मौजूदा कशाकिशे हयात की वजह से किसी तूलोतवील (लम्बी–चौड़ी/विस्तृत) किताब को पढ़ने के लिये वक़्त नहीं निकाल सकता। फिर इल्मी मबाहिष ख़ुसूसन दीनियात से जो ज़हनी बुअ़द (दूरी) पैदा हो रहा है उन सबका एह्सास न करना मौजूदा उ़लम–ए–इस्लाम की एक ख़तरनाक ग़लती है।

बहरहाल ये हक़ीर ख़िदमत क़द्रदानों के सामने है। मुअ़ज़्ज़ज़ उ़लम–ए–किराम को उसमें बहुत सी ख़ामियाँ नज़र आ सकती हैं। मतन और तर्जुमा और तशरीहात में कुछ मुनासिब इस्लाहात भी दी जा सकती हैं जिनके लिये अपने मुअ़ज़्ज़ज़ उ़लम–ए–किराम का मशकूर होते हुए तबअ़े षानी (री–प्रिण्ट) पर उनकी निगारशात से इस्तिफ़ादा कर सकूँगा।

शुक्रिया :

बड़ी नाक़द्री होगी अगर मैं यहाँ उन सारे उ़लम–ए–किराम का शुक्रिया अदा न करूँ जिनकी पाकीज़ा दुआओं से मेरी बड़ी हिम्मत अफ़्ज़ाई हुई। ऐसे मुअ़ज़्ज़ज़ हज़रात में से बेशतर की दुआइया पैग़ामात जरीदा नूरुल इस्लाम में वक़्तन फ़वक़्तन शाए किए जा चुके हैं और बहुत से पैग़ामात इशाअ़त में लाये भी न जा सके हैं । कुछ हस्बे गुंजाइश इस इशाअ़त के साथ दिये जा रहे हैं उन सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर उन सारे मुआविनीने किराम मुख़्लिसीने इज़ाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके मुख़्लिसाना तआवुन से इस अज़ीम ख़िदमत को शुरू किया गया है जिनमें जरीदा नूरुल ईमान के अराकीन ख़ुसूसी व मुअ़ज़्ज़ज़ सरपरस्त हज़रात और सारे क़द्रदान ख़रीददार हज़रात शामिल हैं। उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनकी इस अज़ीम ख़िदमत को क़ुबूल फ़र्माकर ज़रूर ज़रूर उन सबके लिये ज़रिय–ए–नजात बनाएगा। और कितने सआ़दत मंद मर्द और औरतों और नौजवानों को इसके मुतालए से हिदायत फ़र्माकर जुम्ला मुआविनीने किराम के लिये सदक़–ए–जारिया करेगा। **वमा ज़ालिक अ़लल्लाहि बि अ़ज़ीज़**

रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अन्तस्समीउ़ल अ़लीम व सल्लि व सल्लिम अल्फ़ अल्फ़ सलातिन अ़ला हबीबिकल करीम, आमीन या रब्बल आ़लमीन!

उम्मीदवारे मग़्फ़िरत

नाशिरे क़ुर्आन व सुन्नह

मुहम्मद दाऊद राज़ अस्सलफ़ी वल्द अ़ब्दुल्लाह

सकूनत रहपुआ तह्सील फ़िरोज़पुर झिरका जिला गुड़गांव हरियाणा

नोट : इन अल्फ़ाज़ का इज़्हार मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ साहब ने आज से 43 बरस पहले किया था, तब उनकी उम्र 60 की हो चुकी थी। आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं हैं; अल्लाह उनकी मग्फ़िरत फ़र्माए, उनकी काविशों का अच्छा बदला दे और उन्हें अपनी ख़ास रहमत से नवाज़कर जन्नतुल फ़िरदौस में मक़ाम नसीब फ़र्माए, आमीन ! –अनुवादक

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

नहमदुहू वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

मुक़द्दमा सहीह बुख़ारी

(उर्दू नुस्ख़े का हिन्दी अनुवाद)

'रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर वबिक नस्तईनु.' बाद हम्दो बारी तआला व तक़दुसे दरूदो सलाम बरज़ाते सतूदा सिफ़ाते रसूल अक़दस (ﷺ) अल्फ़–अल्फ़ मर्रतुन व सल्लम, हदीषे नबवी (ﷺ) का शौक़ रखनेवालों की ख़िदमत में बड़े अदब और एहतिराम के साथ अर्ज़गुज़ार हूँ कि बुख़ारी शरीफ़ पारा अव्वल के दीबाचे में आपने इमामुद्दुनिया फ़िल हदीष हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के मुख़्तसर हालाते ज़िन्दगी मुलाहज़ा फ़र्माए हैं। पारा दोम के साथ शैख़ुल हदीष हज़रत मौलाना मुहम्मद इस्माईल साहब ऑफ़ गूजराँवाला ताबल्लाह सराहु व जअलल जन्नत मस्वाहु के क़लमे हक़ीक़त रक़म से मुक़द्दमा सहीह बुख़ारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू शाए करने का ख़्याल था। जिसके लिये हज़रत मरहूम सिहत की शर्त के साथ मेरी दरख़्वास्त मंज़ूर भी फ़र्मा चुके थे। मगर मशिय्यते–ऐज़्दी के तहत इस ख़िदमत की अंजामदेही का मौक़ा आपको न मिल सका और आप अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक आपको करवट करवट जन्नत नसीब फ़र्माए। मरहूम ने पूरे 50 साल मस्नदे दर्स व तदरीस पर गुज़ारे। इल्मे हदीष पर आपको जो गहरी बसीरत हासिल थी, दौरे हाज़िर में इसकी मिषालें बहुत कम मिलती है। मसलके अहले हदीष के लिये आपको इमामुल अस्र कहना मुबालग़ा न होगा। मुझे अपनी हयाते मुस्तआर में जिन अकाबिर से दीन फ़हमी का थोड़ा शुऊर पैदा हुआ, उनमें आपकी ज़ाते गिरामी मेरे लिये बड़ी अहमियत रखती थी। इल्मी व रूहानी शफ़क़त का ये हाल कि मेरी दरख़्वास्त पर षनाई तर्जुमा वाले कुर्आन मजीद का तर्जुमा और हवाशी लफ़्ज़न लफ़्ज़न मुतालआ फ़र्माया और इस्लाहात से नवाज़ा। इस पर एक इल्मी मुक़द्दमतुल कुर्आन तहरीर फ़र्माया और जरीदा नूरुल ईमान व बुख़ारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू के प्रोग्राम से इस क़दर ख़ुश हुए कि हमेशा अपनी दुआओं और इल्मी मशवरों से नवाज़ते रहे। मुल्क के बंटवारे के बाद आपकी तमन्ना रही कि मैं हाज़िरे ख़िदमत होकर शर्फ़े नियाज़ हासिल करूँ मगर अल्लाह को मंज़ूर न हुआ। और ये आरज़ू पूरी न हो सकी। सोचता हूँ तो सदमे से दिल काँप जाता है कि आप अगर बुख़ारी शरीफ़ का मुक़द्दमा मौऊदा लिख जाते तो हम जैसे नाचीज़ मुतअल्लिमीन के लिये मा'लूमात का एक ख़ज़ाना होता मगर[1],

वही होता है जो मंज़ूरे ख़ुदा होता है

आज इस्लाम जिन नाज़ुक हालात से दो चार है कहने की बात नहीं। एक तरफ़ कुफ़्र व सरकशी है जो सर उठाये हुए है और इस्लाम को दुनिया से नेस्तोनाबूद करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ़ ख़ुद मुसलमान हैं जो उलूमे दीन कुर्आन व हदीष से दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं। कुछ मुतजद्दिदे दीन (मजहबी सुधारक) ऐसे भी हैं जो सिरे से इस्लाम की शक्लो सूरत ही को बदल देना चाहते हैं और इस नापाक मक़्सद की तक्मील के लिये वो हदीष जैसे अज़ीम इस्लामी ज़ख़ीरे की तक्ज़ीब (झुठलाने) ही के दरपै हैं। कुछ मसालिके मुरव्वजा (प्रचलित मसलकों) के मुतअस्सिबीन अहले इल्म हैं जो पूरी काविशों में मसरूफ़ हैं कि अहादीषे नबवी (ﷺ) व कुतुबे अहादीष को अपने मज़ऊमा मसालिक के क़ालिब में ढाल लें। ख़ास तौर पर

हाशिया 1 : हज़रत मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ साहब ने बुख़ारी शरीफ़ के तर्जुमे को अलग–अलग पारों की शुरूआत पर लिखा था चूँकि मौलाना बुख़ारी शरीफ़ के हर पारे को अलग–अलग शाए कर रहे थे, इसलिये हर पारे के शुरू में थोड़ा–थोड़ा मुक़द्दमा लिखते गये लेकिन हमने मुख़्तलिफ़ पारों के आग़ाज़ में मौजूद मुक़द्दमे को यक्जा (इकट्ठा) कर दिया है।

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु और आपकी जमा फ़र्मूदा सह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ उनकी कोताहबीन निगाहों में हमेशा ख़ार (काँटा) नज़र आती रही हैं। आजकल इस मुक़द्दस किताब के कई एक तर्जुमे हो रहे हैं मगर कुछ में ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के ख़िलाफ़ तअ़स्सुब नुमाया नज़र आ रहा है।

अलग़र्ज़ ये ह़ालात है जिनमें सहीह़ बुख़ारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू की इशाअ़त का ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ख़ुद मुद्दइयाने अ़मल बिल ह़दीष़ तसाहुल और मुदाहनत के इस क़द्र शिकार हो रहे हैं जिन पर 'चुना ख़फ्तः (अन्दकि गोई मुर्दा अन्द)' का फ़िक़रा सादिक़ आ रहा है। ऐसे मायूसकुन ह़ालात और अपनी हर क़िस्म की तही दस्ती व इल्मी व अ़मली बेमाइगी के बावजूद सह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू के मुक़द्दमा के लिये सिर्फ़ तवक्कलन अ़लल्लाह क़लम उठा रहा हूँ। ये मुक़द्दमा ह़दीष़ व अह़मियते ह़दीष़ व फ़ज़ाइले अहले ह़दीष़ व ह़ालाते मुह़द्दिष़ीने किराम व तफ़्सीलाते कुतुबे अह़ादीष़ और फ़ज़ाइल ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और ख़ुसूसियाते बुख़ारी शरीफ़ जैसे अहम मज़ामीन पर मुश्तमिल होगा। जिसे बुख़ारी शरीफ़ मुतर्जम उर्दू के शाए होने वाले पारों के साथ क़िस्तवार शाए करने की सई (कोशिश) की जाएगी। अपना काम कोशिश है। कामयाबी बख़्शनेवाला अल्लाह रब्बुल आ़लमीन है। वही तौफ़ीक़ ख़ैर देने वाला और वही लग़्ज़िशों से बचाने वाला है और ग़लतियों को मुआ़फ़ करने वाला है। **'बि यदिहिन्सतुत तह़क़ीक़ व हुव ख़ैरुर्रफ़ीक़ि व हुव हसबी अ़लैहि तवकल्लतु व इलैहि उनीबु.'**

(नाचीज़ मुह़म्मद दाऊद राज़ अ़ज़ अफ़ा अन्हु)

तारीफ़े इल्मे ह़दीष़

इल्मे ह़दीष़ की ता'रीफ़, इसका मौज़ूअ़, इसकी ग़र्ज़ व ग़ायत क्या है? इन सबका जवाब अल्लामा किरमानी शारेह़ बुख़ारी ने इन अल्फ़ाज़ में दिया है,

'इअ़लम इन्ना इल्मल ह़दीष़ि मौज़ुउहु ज़ातु रसूलिल्लाहि (ﷺ) मिन हैषु अन्नहु रसूलुल्लाहि (ﷺ) वहदहू हुव इल्मुन युअ़रफ़ु बिही अक़्वालु रसूलिल्लाहि (ﷺ) व अफ़आलुहू व ग़ायतुहू हुवल फ़ौज़ु बि सआ़दतिद्दारैन.' (मुक़द्दमा तुह़फ़तुल अहवज़ी) या'नी इल्मे ह़दीष़ का मौज़ूअ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ाते गिरामी है, इस हैषियत से कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इस इल्म की ता'रीफ़ ये है कि वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिये से रसूले करीम (ﷺ) के इर्शादाते गिरामी, आपके अफ़्आ़ले पाकीज़ा और अह़वाले शाइस्ता मा'लूम किये जाते हैं और इस इल्म की ग़र्ज़ व ग़ायत दुनिया व आख़िरत की सआ़दत ह़ासिल करना है।

'व क़ालल बाजुरी फ़ीहाशिय्यतिही अलश्शमाइलिल मुह़म्मदिय्यति अन्नहुम अ़रफ़ूइल्मल ह़दीष़ि रिवायतन बिअन्नहू इल्मुन यश्तमिलु अ़ला नक़लिन मा उज़ीफ़ इलन्नबिय्यि (ﷺ) क़ीला औ इला सह़ाबिय्यिन औ इला दुनिही क़ौलन औ फ़ेअ़लन औ तक़्रीरन औ सिफ़तन मौज़ूउहू ज़ातुन्नबिय्यि (ﷺ) मिन हैषु अन्नहू नबिय्युन ला मिन हैषु अन्नहू इन्सानुन मष़लन व वाज़िउहु अस्ह़ाबुहू (ﷺ) अल्लज़ीन तसद्दु ज़ब्त अक़्वालहु अफ़्वालहू व तक़्रीरातिही व सिफ़ातिही व ग़ायतहुल फ़ौज़ बि सआ़दतिद्दारैन.' (मुक़द्दमा तुहफ़तुल अहवज़ी)

ख़ुलासा इस इबारत का ये कि इल्मे ह़दीष़ उन मा'लूमात पर मुश्तमिल है जो नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ मंसूब की गई हैं। वो आपके इर्शादात या पाकीज़ा अफ़्आ़ल हो या वो जो आपकी मौजूदगी में किये गए और आपने उन पर सुकूत फ़र्माया (ख़ामोशी इख़्तियार की) या आपके सिफ़ाते-हसना। इल्मे ह़दीष़ का मौज़ूअ़ रसूले करीम (ﷺ) की ज़ाते गिरामी इंसान होने की हैषियत से नहीं बल्कि नबी व रसूले बरह़क़ होने की हैषियत से है। इल्मे ह़दीष़ के अव्वलीन वाज़ेअ़ सह़ाबा किराम (रज़ि.) हैं जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) की पूरी पाक ज़िंदगी, आपके इर्शादात व अफ़्आ़ल व तक़रीरात, आपके औसाफ़े हस्ना सबको इस तरह ज़ब्त किया कि दुनिया में किसी नबी व रसूल की तारीख़ में ऐसी मिषाल मिलनी मुश्किल है। इल्मे ह़दीष़ की ग़र्ज़ व

ग़ायत दोनों जहाँ दुनिया व आख़िरत की सआदत हासिल करना है।

मुहद्दिषे कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी क़द्दस सिर्रुहु इस सिलसिले की बहुत सी तफ़्सीलात के बारे में फ़र्माते हैं,

'कुल्तु क़द ज़हर मिन हाज़िहिल इबारति अन्न इल्मल हदीषि युत्लकु अला षलाषति मआनिन अल अव्वलु अन्नहू इल्मुन युअरफु बिही अक़्वालु रसूलिल्लाहि (ﷺ) व अफ़्आलुहू व अहवालुहू व क़द क़ीला लहुल इल्मु बि रिवायतिल हदीषि वष्षानी अन्नहू इल्मुन युबहषु फ़ीहि अन कैफ़िय्यति इत्तिसालिल अहादीषि बिर्रसूलि (ﷺ) मिन हैषु अहवालु रुवातिहा ज़ब्तन व अदालतन व मिन हैषु कैफ़िय्यतुस्सनदि इत्तिसालन व इन्क़िताअन व ग़ैर ज़ालिक व इल्मुल हदीषि बि हाज़ल मअनिष्षानी हुवल मअरुफु बिइल्मि उसूलिल हदीषि व क़द क़ील लहू बि रवायतिल हदीषि ऐज़न कमा फ़ी इबारतिल कश्फ़ि वल हित्तति व क़द क़ीला लहुल इल्मु बि दिरायतिल हदीषि ऐज़न कमा फ़ी इबारति इब्निल अक्फ़ानी वल बअज़ूरि वष्षालिषु अन्नहू इल्मुन बाहिषुन अनिल मअनिल मफ़्हूमि मिन अल्फ़ाज़िल हदीषि व अनिल मुरादि मिन्हा मुबनिय्यन अला क़वाइदिल अरबिय्यति व ज़वाबितिश्शरइय्यति व मुताबिक़ल लि अहवालिन्नबिय्य (ﷺ) कमा फ़ी इबारतिल कश्फ़ि फ़हफ़िज़ हाज़ा.'

ख़ुलास–ए–इबारत ये कि इल्मे हदीष का इत्लाक़ तीन मा'नी पर होता है। पहला वो ऐसा इल्म है जिसके ज़रिये रसूले करीम (ﷺ) के अक़्वाल व अफ़्आल व अहवाल मा'लूम किये जाते हैं। **इसको इल्मे रिवायतुल हदीष भी कहा गया है।** दूसरा इस इल्म में रसूले करीम (ﷺ) तक अहादीष पहुँचाने के हालात से बहष की जाती है कि उसके रिवायत करने वालों के हालाते ज़ब्त व अदालत (इंसाफ़पसन्दी) कैसे हैं और उस हदीष की सनद मुत्तसिल (सिलसिलेवार) है या मुंक़तअ (टूटी हुई) है वग़ैरह वग़ैरह। **ये इल्मे उसूले हदीष के नाम से भी मौसूम (जाना जाता) है। तीसरा इल्मे हदीष वो है जिसमें इस मफ़हूम (भावार्थ) के बारे में बहष होती है जो अल्फ़ाज़े हदीष से ज़ाहिर होता है।** वो बहष क़वाइदे अरबिय्या और ज़वाबिते शरइय्या के तहत हो सकती है और अहवाले रसूलुल्लाह (ﷺ) को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तहक़ीक़ की जाती है।

इल्मे उसूल के माहिरीन ने हदीषे नबवी (ﷺ) को तीन और क़िस्मों में बांटा है,

(1) **हदीषे क़ौली :** रसूले करीम (ﷺ) के इर्शादे गिरामी

(2) **हदीषे फ़ेअली :** जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के किरदार से मुता'ल्लिक़ हो और जिनमें आपके अफ़्आले महमूदा को नक़्ल किया गया है।

(3) **हदीषे तक़रीरी :** किसी हदीष में किसी भी सहाबी का कोई ऐसा अमल मन्क़ूल हो जो आप (ﷺ) की मौजूदगी में किया गया हो और आप (ﷺ) ने उस पर ख़ामोशी इख़्तियार फ़र्माई हो।

अलग़र्ज़ हदीष ये तीनों हालाते नबवी को शामिल है और यही वो इल्म है जिसको कुर्आन मजीद की तफ़्सीर कहा जाए तो ऐन मुनासिब है और यही वो हिक्मत है जिसका जा-बजा कुर्आन पाक में ज़िक्र हुआ है।

लफ़्ज़े हदीष कुर्आन मजीद में :

अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने कुर्आन को अपने हबीब रसूले करीम (ﷺ) पर नाज़िल फ़र्माया। वो जानता था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के इर्शादाते गिरामी को लफ़्ज़े हदीष के नाम से ता'बीर किया जाएगा, इसलिये ताकि ये लफ़्ज़ कुर्आन मजीद पर ईमान लाने वाले किसी भी इंसान को ग़ैर–मानूस (अपरिचित) न लगे, इसलिये ख़ुद कुर्आन मजीद की बहुत सी आयात में इस मुबारक लफ़्ज़ हदीष का इस्ते'माल हुआ है। चंद आयात मुलाहज़ा हों,

(1) **फ़ल्यातु बिहदीषिम्मिष्लिही** (सूरह तूर : 34) मुंकिरीने कुर्आन अगर अपने दावे में सच्चे हैं तो कुर्आन मजीद जो बेहतरीन हदीष है उस जैसी कोई किताब वो भी बनाकर लाएँ। इस आयत में कुर्आने मजीद पर लफ़्ज़ हदीष का इत्लाक़ किया गया है।

(2) अफ़मिन हाज़ल हदीषि तअजबून (सूरह अन् नज्म : 59) क्या तुम ये हदीष (क़ुर्आन) सुनकर तअ़ज्जुब करते हो?

(3) फ़मालि हा–उलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़कहून हदीषन (अन् निसा : 78) इस क़ौमे काफ़िर को क्या हो गया जो इस हदीष या'नी क़ुर्आन मजीद को समझते ही नहीं ।

(4) व मन अस़दक़ु मिनल्लाहि हदीषन (अन् निसा : 86) अल्लाह पाक की फ़र्माई हुई हदीष से बढ़कर किसकी हदीष सहीह और सच्ची हो सकती है।

(5) अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीषि (ज़ुमर : 23) अल्लाह पाक ही है जिसने बेहतरीन हदीष (क़ुर्आन) को नाज़िल फ़र्माया है।

(6) अफ़बिहाज़ल हदीषि अन्तुम मुद्हिनून (अल वाक़िआ : 81) बस क्या तुम इस हदीष या'नी (क़ुर्आन मजीद) के मुआमले में मुदाहिनत सुस्ती बरतने वाले हो और ख़्वाह मख़्वाह इसकी तक्ज़ीब (झुठलाने) के दर पे हो।

(7) मा कान हदीषय्युँफ़्तरा (यूसुफ़ : 111) ये हदीष (या'नी क़ुर्आन मजीद) मनघड़त नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ़ से है।

इनके अलावा और भी बहुत सी आयात में क़ुर्आन मजीद को लफ़्ज़े हदीष से ता'बीर किया है। जिनसे मा'लूम होता है कि ये लफ़्ज़े हदीष जब अक़्वाले स़ादिक़ा (सच्चे क़ौलों) पर बोला जाए तो ये इन्दल्लाह बहुत ही महबूब है। इसीलिये रसूले करीम (ﷺ) के इर्शादाते तय्यिबा के लिये लफ़्ज़े हदीष का इस्ते'माल क़रार पाया। और इल्मे हदीष अल्लाह के नज़दीक भी एक शरीफ़ तरीन इल्म ठहरा और इस इल्म के हामिलीने किराम लफ़्ज़े-मुहद्दिषीन से मौसूम हुए। रहिमहुमुल्लाह अज्मईन। सच है,

क्या तुझसे कहूँ हदीष क्या है दुरदाना–ए–दुर्जे मुस्तफ़ा है

हदीष क्या है?

मुहतरम मौलाना अ़ब्दुर्रशीद नो'मानी देवबन्दी को कौन अहले इल्म है जो नहीं जानता? हदीष नबवी (ﷺ) की ता'रीफ़ (परिभाषा) और अहमियत पर आपके क़लम से एक तवील तब्स़रा आपकी मा'लूमात से भरी किताब इल्मे हदीष और इब्ने माजा से नक़ल किया जा रहा है ताकि नाज़िरीने किराम अंदाज़ा लगा सकें कि इल्मे हदीष क्या है और इसकी अहमियत के ए'तिराफ़ से किसी को इन्कार नहीं। ज़िक्र किये गये उन्वान के तहत मौलाना मौसूफ़ फ़र्माते हैं :

'क़ुर्आने करीम दीने इलाही की आख़री और मुकम्मल किताब है जो हज़रत ख़ातिमुन्नबिय्यीन (ﷺ) पर नाज़िल की गई और आपको इसका मुबल्लिग़ (प्रचारक) और मुअ़ल्लिम (ता'लीम देने वाला/अध्यापक) बनाकर दुनिया में भेजा गया। चुनाँचे आपने इस किताबे मुक़द्दस को अव्वल से आख़िर तक लोगों को सुनाया, लिखवाया और याद कराया और बख़ूबी समझाया। और ख़ुद इसके सारे अहकामात व ता'लीमात पर अ़मलपैरा होकर उम्मत को दिखाया। आँहज़रत (ﷺ) की हयाते तय्यिबा हक़ीक़त में क़ुर्आन मजीद की क़ौली, फ़ेअ़ली और अ़मली तफ़्सीर है आपके इन्हीं अक़्वाल, आमाल और अहवाल का नाम ही हदीष है।'

लफ़्ज़े-हदीष अ़रबी ज़ुबान में वही मफ़्हूम रखता है जो हम उर्दू में गुफ़्तगू, कलाम या बात से मुराद लेते हैं। चूँकि नबी (ﷺ) गुफ़्तगू और बात के ज़रिये पयामे इलाही को लोगों तक पहुँचाने और अपनी तक़रीर और बयान से किताबुल्लाह की शरह करते और ख़ुद उस पर अ़मल करके लोगों को दिखलाते थे। इसी तरह जो चीज़ें आपके सामने होती थीं और आप उनको देखकर या सुनकर खामोश रहते थे तो उसे भी दीन का हिस्सा समझा जाता था क्योंकि अगर वो उमूर मंश–ए–दीन के मनाफ़ी (विपरीत) होते तो आप यक़ीनन उनकी इस्लाह करते या मना कर देते। लिहाज़ा इन सबके मजमूअ़े का नाम हदीष क़रार पाया।

नबी अ़लैहिस्सलाम के अक़्वाल, अआमाल और अफ़आल को लफ़्ज़े हदीष से ता'बीर करना ख़ुद साख़्ता इस्तिलाह (स्वरचित उपमा) नहीं बल्कि ख़ुद क़ुर्आन मजीद से ही मुस्तंबित है। क़ुर्आने करीम में दीन को नेअ़मत फ़र्माया है और इस नेअ़मत की नश्रो इशाअ़त को तहदीष से ता'बीर किया है। चुनाँचे इर्शाद है : -

'वज़्कुरू निअ़मतल्लाहि अ़लैकुम वमा अंज़ल अ़लैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिही' (अल बक़रा : 231) और याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेअ़मत को और जो तुम पर किताब व हिक्मत नाज़िल फ़र्माया कि तुमको इसके ज़रिये नसीहत फ़र्माए।

और तक्मीले दीन के सिलसिले में फ़र्माया है :–

'अल यौम अक्मल्तु लकुम दीनकुम वअत्मम्तु अलैकुम निअ़मति' (अल माइदा : 3) आज के दिन तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को मैंने कामिल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेअ़मत तमाम (पूरी) कर दी।

देखिए इन दोनों आयतों में क़ुर्आने हकीम ने दीन को नेअ़मत कहा है और सूरह वज़्ज़ुहा में आँहज़रत (ﷺ) को इसी नेअ़मत के बयान करने का इन अल्फ़ाज़ में हुक्म दिया है,

'वअम्मा बिनिअ़मति रब्बिक फ़हद्दिष़' (सूरह अज़्ज़ुहा : 11) और अपने रब की नेअ़मत को बयान कीजिए।

बस आँहज़रत (ﷺ) की इसी तहदीषे नेअ़मत को हदीष़ कहते हैं।

यही नहीं अंबिया (अलैहिमुस्सलाम) के अक़्वाल, अअ़माल और अह्वाल के लिये ख़ुद क़ुर्आन मजीद में अनेक मक़ामात पर हदीष़ ही का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया गया है चुनाँचे सूरह अज़्ज़ारियात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़्किरा इस तरह शुरू होता है, **'हल अताक हदीषु ज़ैफ़ि इब्राहीमल मुकरमीन'** (अज़्ज़ारियात : 24) और हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) के हालात में एक जगह नहीं दो जगह फ़र्माया है **'हल अताक हदीषु मूसा'** (ताहा : 9)

ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) के क़ौले मुबारक के लिये भी क़ुर्आन मजीद में हदीष़ का लफ़्ज़ मौजूद है **'वइज़ा असर्रन्नबिय्यु इला बअ़ज़ि अज़्वाजिही हदीष़न'** (अत्तहरीम : 3) और जब नबी ने छिपाकर कही अपनी किसी बीवी से एक बात।

हदीष़ की दीनी हैष़ियत :

हदीष़ शरीफ़ का दीन में क्या दर्जा है, इसको ज़हननशीन करने के लिये आँहज़रत (ﷺ) की नीचे लिखी हैष़ियतों को पेशे नज़र रखना ज़रूरी है जिनको क़ुर्आन पाक ने निहायत स़राहत के साथ बयान फ़र्माया है,

(1) आप मुबल्लिग़ थे :

'याअय्युहर्रसूलु बल्लिग़ मा उंज़िल इलैक मिर्रब्बिक' (अल माइदा :67) ऐ रसूल पहुँचा दीजिए जो कुछ उतारा गया है आपकी तरफ़ आपके परवरदिगार की जानिब से।

(2) आप मुरादे इलाही के मुबय्यिन या'नी बयान करने वाले हैं :

'वअंज़ल्ना इलैकज़्ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम' (अन् नह्ल : 44) और आप पर भी मैंने ये याद्दाश्त नाज़िल की है ताकि जो कुछ उनकी तरफ़ उतारा गया है आप उसको खोलकर लोगों से बयान कर दें।

(3) आप मुअ़ल्लिमे किताब व हिक्मत हैं :

'लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़् बअ़ष़ फ़ीहिम रसूलम मिन् अन्फ़ुसिहिम यत्लु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअ़ल्लिमुहुमुल किताब वल् हिक्मा' (आले इमरान : 164) बेशक अल्लाह ने ईमानवालों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उनको संवारता है और उनको किताबुल्लाह और हिक्मत की ता'लीम देता है।

(4) तह्लील व तहरीम या'नी अश्याअ को हलाल व हराम करना आपके मन्सब में दाख़िल था :

'व युहिल्लु लहुमुत्तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइष़' (अल अअ़राफ़ : 157) और वो उनके लिये पाक चीजों को हलाल करता है और गंदी चीजों को उन पर हराम फ़र्माता है। **'क़ातिलुल्लज़ीना ला युअमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आख़िरी व ला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहू।'** (सूरह तौबा : 29) लड़ो उन लोगों से जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यक़ीन नहीं रखते और हराम नहीं समझते उन चीजों को जिनको अल्लाह ने हराम किया और उसके रसूल (ﷺ) ने।

(5) आप उम्मत के तमाम मुआमलात और फ़ैसलों में क़ाज़ी है :

'व मा कान लिमुअमिनिंव्वला मुअमिनतिन् इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहू अम्रन् अय्यकुन लहुमुल ख़ियरतु मिन् अम्रिहिम. व मय्यँअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द् ज़ल्ल ज़लालम्मुबीना' (अल अह्ज़ाब : 36) और किसी ईमानवाले मर्द और किसी ईमानवालीर औरत के लिये इस बात की गुन्जाइश नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मुआमले का फ़ैसला कर दे उसके बाद उनको अपने उस मुआमले में इख़्तियार बाक़ी रहे और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़र्मानी करे तो बेशक वो शरीह तौर पर गुमराह हो गया।

(6). आप उम्मत के तमाम झगड़ों और क़ज़ियों में हकम हैं :

'फ़ला व रब्बिक ला युअमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम थुम्म ला यजिदू फ़ी अन्फ़ुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा' (अन् निसा : 65) क़सम है तुम्हारे रब की ये मुअमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हें ही हकम न बनाएँ उस झगड़े में जो उनके बीच हो फिर जो तुम फ़ैसला करो उससे ये अपने जी में नाराज़गी भी महसूस न करें और तस्लीम करके मान लें।

'इन्ना अन्ज़ल्ना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितह्कुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाहु' (अन् निसा : 105) बेशक हमने ये किताब तुम्हारी तरफ़ हक़ के साथ नाज़िल की है ताकि तुम लोगों के बीच जो कुछ अल्लाह तुम्हें समझाए उससे फ़ैसला किया करा।

(7) आपकी ज़ाते क़ुदसी, सिफ़ात में हर मोमिन के लिये उस्व-ए-हसना है :

'ल क़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुल लिमन कान यर्जुल्लाह वल्यौमल आख़िर वज़करल्लाह कथीरा' (अल अह्ज़ाब : 21) बेशक तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह की ज़ात उम्दा नमून-ए-अमल है उस शख़्स के लिये जो अल्लाह पर और आख़िरत के दिन से आस लगाए हुए हो और अल्लाह को बहुत याद करता हो।

(8) आपकी इत्तिबाअ सब पर फ़र्ज़ है :

'फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युअमिनु बिल्लाहि कलिमातिही वत्तबिऊहु।' (अल अअराफ़ : 158) सो ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके नबी-ए-उम्मी पर कि जो अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान रखता है और उसके ताबेअ है।

'कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिउनी युहिबिबकुमुल्लाहु व यग़्फ़िरलकुम ज़ुनुबकुम' (आले इमरान : 31) आप कह दीजिये अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबाअ करो ताकि अल्लाह तुमसे मुहब्बत रखे और तुम्हारे गुनाह बख़्श दे।

(9) जो कुछ आप दें उसको ले लेना और जिससे आप मना करें उस से दूर रहना ज़रूरी है :

'वमा आताकुमुर्रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू' (सूरह हश्र : 7) और जो रसूल तुमको दे उसे ले लो, और जिससे मनअ करे उसे छोड़ दो।

(10) आपकी इताअत तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है :

'या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल' (मुहम्मद : 33) ऐ ईमानवालों! इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की।

(11) हिदायत आपकी इताअत से वाबस्ता (जुड़ी हुई) है :

'वइन तुती ऊहु तह्तदू' (सूर नूर : 54) और अगर तुमने उनकी इताअत की तो हिदायत पर आ जाओगे।

इन आयात से मा'लूम होता है कि आँहज़रत (ﷺ) ने जिस क़दर उम्मत को हिदायतें दीं। जो जो चीज़ें उनसे बयान

फ़र्माई और किताब व हिक्मत की ता'लीम के ज़ेल में जो कुछ इर्शाद फ़र्माया जिन चीजों को हलाल और जिन चीजों को हराम ठहराया, आपसी मुआमलात व क़ज़ाया (झगड़ों) में जो कुछ फ़ैसला फ़र्माया, तनाज़ुआत (मतभेदों) व ख़ुसूमात को जिस तरह चुकाया उन सबकी हैषियत दीनी और तशरीई है। यही नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिये बेहतरीन नमून–ए–अमल है जिसकी इत्तिबाअ और पैरवी का हमको हुक्म दिया गया है आपकी इताअत हर उम्मती पर फ़र्ज़ है। जो आप हुक्म दें उसको बजा लाना और जिससे मना करे उससे रुक जाना हर मोमिन के लिये लाज़िम और ज़रूरी है। मुख़्तसर ये है कि आपकी इताअत ही हक़ीक़त में हक़ तआला की इताअत करना है। चुनाँचे क़ुर्आने करीम में साफ़ तसरीह है :–

'मय्युँतिइर्रसूल फ़क़द अताअल्लाह' (अन् निसा : 80) जिसने रसूल की इताअत की उसने बिला शुब्हा अल्लाह ही की इताअत की।

जाहिर है कि वुज़ू, ग़ुस्ल, रोज़ा, ज़कात और हज्ज, दरूद, दुआ, जहाँ ज़िक्रे इलाही है, उसी तरह निकाह, तलाक़ बैअ व शिरा, फ़स्ले क़ज़ाया व ख़ुसूमात, अख़्लाक़ व मुआशिरत, सियासियाते मिल्लत ग़र्ज़ सारे अहकाम-दीन के मुता'ल्लिक़ सारे अहकाम क़ुर्आन मजीद में मौजूद हैं। लेकिन इन अहकाम की तशरीह, उनके जुज़इयात की तफ़्सील और उनकी अमली तश्कील आँहज़रत (ﷺ) के अक़्वाल व अआमाल और आपके अहवाल के जाने बग़ैर बिलकुल नहीं हो सकती। इसलिये अल्लाह की इताअत बग़ैर रसूलुल्लाह (ﷺ) की इत्तिबाअ और इताअत के नामुम्किन और महाल है। (इब्ने माजा और इल्मे हदीष पेज नं. 128–129)

मुहतरम मौलाना ने हदीष का तआरुफ़ कराने के बाद हदीष की दीनी हैषियत पर क़ुर्आन मजीद की जो आयात पेश फ़र्माई है उनके अलावा भी बहुत सी आयाते क़ुर्आनी हैं जिनकी रोशनी में हदीष की दीनी हैषियत को समझा जा सकता है। जैसा कि इर्शादे-बारी है,

'या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदइल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउल् अलीम' (अल हुजुरात : 1) ऐ ईमानवालों! अल्लाह और उसके रसूल से आगे पेशक़दमी न करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुननेवाला और जानने वाला है।

इस आयत के तहत हाफ़िज़ इब्ने कषीर रह फ़र्माते हैं,

'हाज़िही आदाबुन अद्दबल्लाहु तआला बिहा इबादहुल मोमिनीन फ़ीमा युआमिलून बिहिर्रसूल (ﷺ) मिनत्तौक़ीरि वल इहतिरामि वत्तब्ज़ीली वल इअज़ामि फ़ क़ाल तबारक व तआला याअय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदइल्लाहि व रसूलिही अय तसरऊ फ़िल अश्याइ बैन यदैहि अय क़ब्लहू बल कूनू तब्अल लहू फ़ी जमीइल उमूरि हत्ता यदख़ुल फ़ी उमूमि हाज़ल अदबिश्शरइय्यि हदीषु मआज़ (रज़ि.) हैषु क़ाल लहुन्नबिय्यु (ﷺ) हीन बअषहु इलल यमनि बिमा तहकुमु क़ाल बि किताबिल्लाहि तआला क़ाल फ़इल्लम तजिद क़ाल बिसुन्नति रसूलिल्लाहि (ﷺ) क़ाल (ﷺ) फ़इल्लम तजिद क़ाल रज़िअल्लाहु अन्हु अज्तहिदु राई फ़ज़रब फ़ी सदरिही व क़ाल अल हम्दुल्लिाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलि (ﷺ) लिमा यरज़ा रसूलुल्लाहि (ﷺ) व क़द रवाहु अहमदु व अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी वब्नु माजत फ़ल्ग़र्ज़ु मिन्हु अन्नहू आख़िरु रायिही व नज़रिही वजतिहादिही इला मा बअदल किताबि वस्सुन्नति व लौ क़द्दमहू क़ब्लल बहषि अन्हुमा लकान मिन बाबि तक्दीमि बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही व क़ाल अलिय्यब्नु तलहत अनिब्नि अब्बासिन (रज़ि.) ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही ला तक़ूलू ख़िलाफ़ल किताबि वस्सुन्नति अल अख़' (मुक़द्दमा तुहफ़तुल अहवज़ी हज़रत मुबारकपुरी (मरहूम) पेज नं. 23)

या'नी इन आयात में अल्लाह ने ईमानवालों को अपने रसूल (ﷺ) की तौक़ीर व तअज़ीम के आदाब ता'लीम फ़र्माए हैं। जिनका मक़सद ये है कि हर काम में रसूले करीम (ﷺ) के फ़र्मांबरदार बनकर रहो। इस अदबे शरई के ज़ेल हदीषे मुआज़ (रज़ि.) है जिनको आँहज़रत (ﷺ) ने यमन का हाकिम बनाकर भेजा था। और आप (ﷺ) ने उनसे रवानगी के वक़्त पूछा था कि तुम किस चीज़ के साथ हुकूमत करोगे? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की किताब क़ुर्आन मजीद के साथ। फिर आप (ﷺ) ने पूछा कि क़ुर्आन मजीद में अगर कोई हुक्मे सरीह न पाओ फिर कौनसा क़ानून तलाश करोगे? उन्होंने कहा था कि इस सूरत

में रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत पर फ़ैसला करूँगा। फिर आप (ﷺ) ने पूछा कि अगर सुन्नते रसूल (ﷺ) भी कहीं ज़ाहिर न हो तो क्या करोगे? उन्होंने बतलाया कि ऐसी सूरत में ख़ुद अपनी ख़ुदादाद समझ के आधार पर फ़ैसला करूँगा। रसूले करीम (ﷺ) उनकी ये तक़रीर सुनकर बेहद ख़ुश हुए और आप (ﷺ) ने उनके हक़ में दुआ–ए–ख़ैर फ़र्माई। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने अपनी राये क़ियास इज्तिहाद को किताबुल्लाह व सुन्नत के बाद रखा। अगर वो इनको किताब व सुन्नत से पहले करते तो ये अल्लाह और रसूल (ﷺ) पर पेशक़दमी हो जाती।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत के ज़ेल (अन्तर्गत) फ़र्माते हैं कि अल्लाह व रसूलुल्लाह (ﷺ) पर पेशक़दमी करने का मतलब ये है कि किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ न जाओ। बहरहाल क़ुर्आन व सुन्नत के ताबेअ़ (अधीन) रहो।

इर्शादे नबवी (ﷺ) की हैषियत मा'लूम करने के लिये ये आयते करीमा भी एक अ़ज़ीम रोशनी है जिसमें अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया,

'ला तजअ़लू दुआअर्रसूलि बैनकुम कदुआइ बअ़्ज़िकुम बअ़्ज़न क़द यअ़लमहुल्लाहु लज़ीन यतसल्ललून मिन्कुम लिवाज़न फ़ल्यहज़रिल्लज़ीन युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ित्नतुन औ तुसीबहुम अ़ज़ाबुन अलीम' (सूरह नूर : 63) या'नी जब भी किसी हुक्म के लिये रसूले करीम (ﷺ) तुमको बुलाएँ तो आपके बुलाने को ऐसा न समझा करो जैसा तुम आपस में एक–दूसरे को बुलाया करते हो (अल्लाह के रसूल की दा'वत असाधारण अहमियत रखती है, याद रखो) जो लोग (मेरे रसूल की दा'वत सुनकर भी) इधर–उधर ख़िसक जाते हैं। (उनका अंजाम अच्छा नहीं) बस उन लोगों को जो मेरे रसूल के हुक्म की मुख़ालफ़त करें उनको डरना चाहिये कि कहीं इस नाफ़र्मानी की सजा में उनको कोई अ़ज़ीम फ़ित्ना न पकड़ ले या कोई दुख देने वाला अ़ज़ाब उनको लाहिक़ न हो जाए।

इस आयत के ज़ेल मुहद्दिषे कबीर हज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपुरी फ़र्माते हैं कि :–

'फ़ीहि अन्नदुआर्रसूलि (ﷺ) लैस कदुआइ आहादिल उम्मति बल हुव अअ़्ज़मु ख़तरन व अजल्लु क़दरन मिन दअ़वाति साइरिल ख़ल्कि फ़इज़ा दआ अहदन तअ़य्यिनु अ़लैहिल इजाबतु व ला रैब अन्ना (ﷺ) क़द दआ उम्मतहू इलत तमस्सुकि बि किताबिल्लाहि व सुन्नतिही फ़ी ग़ैरि मौज़इम्मिन्हा फ़तुअ़य्यिनु अ़ला जमीइल उम्मति अंय्युजीबुहू व ला यक़उदुहू अन इस्तिजाबतिही व दुआइही (ﷺ) इय्याहुम बाक़िन इला यौमि बक़ाइल अहादीषि फ़िल उम्महातिस्सित्ति व ग़ैरहा बक़ाइल क़ुर्आनि फ़िद्दुन्या इला क़ियामिस्साअ़ति ला यबरउ ज़िम्मतु अहदिम मिनल उम्मति मिन इजाबति दअ़्वतिही फ़ी अय्यि असरिन व क़तरिन इन्द वुजूदि हाज़िहिल किताबि बैन ज़हरानिल उलमा मिन साइरि अस्नाफ़िहिम अ़ला इख़्तिलाफ़ि मज़ाहिबिहिम व तबायुनि मशारिबिहिम फ़मल्लम युजिब दाइयल्लाहि फ़हुव ख़ासिरुन फ़िद्दुन्या वल आख़िरति' (मुक़द्दमा तुहफ़तुल अहवज़ी)

इस आयते करीमा में से है कि रसूले करीम (ﷺ) की पुकार मामूली पुकारों की तरह नहीं हैं बल्कि इसको न सुनने की सूरत में अ़ज़ीम ख़तरा है और सारी मख़्लूक़ की पुकारों से ये पुकार बड़ा ऊँचा मक़ाम रखती है। आप जैसे भी, बुलाएँ लब्बैक कहना उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। और बिला शक व शुब्हा के आपने अपनी उम्मत को किताबो सुन्नत के साथ चंगुल मारने की दा'वत दी है पस उम्मत के लिये लाज़िम है कि आप (ﷺ) की इस दा'वत पर लब्बैक कहें और आप (ﷺ) की दा'वत, दा'वते हक़्क़ा दुनिया मे उस वक़्त तक बाक़ी रहनेवाली है जब तक कुतुबे अहादीषे सिहाह सित्ता (बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) बाक़ी हैं और जब तक दुनिया में क़ुर्आनी बाक़ी है आप (ﷺ) की दा'वत बाक़ी है। क़ुर्आन व कुतुबे सिहाह की मौजूदगी में उम्मत का कोई भी शख़्स ख़्वाह वो किसी भी मुल्क में रहता हो आँहज़रत (ﷺ) की दा'वते हक़्क़ा की क़ुबूलियत से बरी उज़्ज़िमा नहीं हो सकता, ख़्वाह इख़्तिलाफ़े-मज़ाहिब व तबायुने मशारिब के लिहाज़ से वो कुछ भी हो। बस जो कोई भी अल्लाह और अल्लाह के दाई रसूले करीम (ﷺ) की पुकार को क़ुबूल न करे वो दुनिया और आख़िरत में सरासर ख़सारा नुक़्सान उठाने वाला है।

इस बहष से मुता'ल्लिक़ अल्लाह ने ख़ुद क़ुर्आने मजीद में आख़री फ़ैसला दे दिया है। **'वमा यन्तिक़ु अ़निल हवा इन हुव इल्ला वह्युंय्यूहा'** (अन् नज्म : 3,4) या'नी वो रसूल (ﷺ) अपनी ख़्वाहिशे नफ़्सानी से नहीं बोलता। दीन के

बारे में वो जो कुछ भी मुँह से निकालते हैं वो सब अल्लाह की वह्य की बिना पर निकालते हैं। **इसीलिये क़ुर्आन मजीद को वह्ये जली और ह़दीष़ नबवी को वह्य ख़फ़ी कहा गया है।**

ह़ाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम अपनी मशहूर किताब अस्सवाइक़ुल्मुर्सला में बज़ेल आयत करीमा **'इन्ना नहनु नज़्ज़लनज़्ज़िक्र वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून'** (अल ह़िज्र : 9) मैंने ही ये क़ुर्आन नाज़िल किया है और मैं ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाला हूँ; के बारे में लिखते हैं, **'फ़इल्मुन अन्न कलामर्रसूलि (ﷺ) फ़िद्दीनि कुल्लिही वह्युम मिन इन्दिल्लाहि फ़ हुव ज़िक्रन नज़्ज़लहुल्लाहु'** (सियानतुल ह़दीष़ पेज नं. 39 ब–हवाला सवाइके-मुरसिला जिल्द दोम पेज नं. 371) या'नी दीनी उमूर में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो भी फ़र्माया है वो सब अल्लाह की तरफ़ से है और वो सब ज़िक्र है जिसे अल्लाह ने नाज़िल किया है। अल्लाह पाक इसकी हिफ़ाज़त का भी ख़ुद ज़िम्मेदार है। चुनाँचे अल्लाह पाक ने इस अ़ज़ीम ख़िदमत के लिये जमाअ़ते मुह़द्दिष़ीन को पैदा फ़र्माया। जिन्होंने अह़ादीष़े नबवी की हिफ़ाज़त व ख़िदमत के सिलसिले में वो कारहाए नुमायाँ अंजाम दिये जिनकी मिष़ाल मिलनी मह़ाल है। इस सिलसिले की दीगर तफ़्सीलात मौक़ा ब मौक़ा बयान होगी इंशाअल्लाह तआ़ला।

फ़न्ने ह़दीष़ अ़ह्दे रिसालत व अ़ह्दे स़ह़ाबा व ताबेईन में :–

ऊपर की तफ़्सीलात पर मज़ीद वष़ूक़ ह़ासिल करने के लिये ज़रूरी है कि ये मुआ़मला किया जाए कि जिस तरह क़ुर्आन मजीद की नुज़ूल की तारीख़ उसके ज़ब्त व हिफ़ाज़त का एहतिमाम, स़ह़ाबा किराम का इस सिलसिले में ज़ौक़, अ़ह्दे रिसालत व अ़ह्दे स़ह़ाबा में नुमायाँ नज़र आता है। अह़ादीष़ के साथ भी स़ह़ाबा किराम का अ़ह्दे रिसालत और बाद के ज़मानों में यही मुआ़मला था। रसूले करीम (ﷺ) ने अगरचे कुछ मौक़ों पर ताकीद फ़र्माई थी कि क़ुर्आन मजीद की किताबत की जाए और अह़ादीष़ को इस डर से न लिखा जाए कि कहीं इसका क़ुर्आन मजीद में इख़्तिलात (मिक्सिंग) न हो। फिर ह़स्बे मौक़ा आप (ﷺ) ने ख़ुद किताबते ह़दीष़ का हुक्म दिया और कुछ अह़ादीष़ आप (ﷺ) ने ख़ुद लिखवाई।

इस लम्बी बह़ष़ के लिये हम निहायत ही शुक्रिया के साथ अपने मुहतरम मौलाना अ़ब्दुर्रशीद नो'मानी का तब्सरा पेश कर रहे हैं जो अगरचे लम्बा है मगर इसमें आपने बहुत से गोशों को रोशन कर दिया है। जिनके मुत़ालअ़ से इस सिलसिले की बहुत सी मा'लूमात हमारे नाज़िरीन के सामने आ जाएँगी। किताबते ह़दीष़ के उ़न्वान के ज़ेल मौलाना मौसूफ़ लिखते हैं,

अ़रब की क़ौम आ़म त़ौर पर अनपढ़ क़ौम थी और उनमें किसी क़िस्म की मक्तूबी या ज़बानी ता'लीम का रिवाज न था। चुनाँचे क़ुर्आने करीम ने उनको उम्मिय्यीन ही फ़र्माया है। ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) के मुत़ा'ल्लिक़ भी क़ुर्आने पाक में नबिय्यिल उम्मी वारिद है साथ ही ये भी तारीख़ शहादत देती है कि अहले अ़रब का ह़ाफ़िज़ा निहायत ही क़वी था। वो अपने तमाम शजराहाए नसब, अहम तारीख़ी वाक़िआ़त, जंगी कारनामे, बड़े–बड़े ख़ुत्बे, लम्बे–लम्बे क़सीदे और नज़्में सब ज़ुबानी याद रखते थे। क़ुर्आन पाक नाज़िल हुआ तो अ़रब की आ़म आदत के मुत़ाबिक़ ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) और स़ह़ाबा किराम ने इसको ज़ुबान की नोक पर याद रखा और इस सिलसिले को हमेशा के लिये जारी फ़र्मा दिया। इसीलिये इर्शाद है,

'बल हुव आयातुम बय्यिनातुन् फ़ी सुदूरिल्लज़ीन ऊतुल इल्म' (अ़न्कबूत : 49) बल्कि ये क़ुर्आन खुली खुली आयतें हैं उन लोगों के सीने में जिनको इल्म दिया गया है।

ताहम चूँकि क़ुर्आन मजीद तमामतर मो'जिज़ः है और इसका लफ़्ज़–लफ़्ज वह्ये–इलाही है। जिसमें किसी एक लफ़्ज की बजाय दूसरे उसके हममा'नी (पर्यायवाची) और मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ लाने की भी गुंजाइश नहीं है। इस आधार पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने शुरू ही से उसकी किताबत का भी एहतिमाम फ़र्माया। चुनाँचे मा'मूले मुबारक था कि जिस वक़्त कोई आयत उतरती आप उसी वक़्त लोगों को याद करा देते और किसी कातिब को बुलाकर उसको लिखवा देते। मगर अस़ल तवज्जुह इसको ह़िफ़्ज़ व तिलावत पर मर्कूज़ (केन्द्रित) थी और किताबत मज़ीद बराँ थी।

हाशिया 1 : या'नी क़ुर्आन मजीद जैसा मोअ़जज़ा (चमत्कार) है, ह़दीष़ वैसा मोजज़ा नहीं थी। वर्ना **'उ़तीतु जवामेउ़ल कलिम'** के तहत ह़दीष़े नबवी (ﷺ) भी अपनी हैष़ियत के अन्दर एक अ़ज़ीम मोअजज़ा ए नबवी है। (दाऊद राज़)

इसके बरख़िलाफ़ ह़दीष़ मो'जिज़ः न थी, उसके अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि मानी व मत़ालिब (मतलब और भावार्थ) आपके क़ल्बे मुबारक (पाक दिल) पर वारिद होते थे। और आप उसको अपने लफ़्ज़ों में अदा फ़र्माते थे और ये अल्फ़ाज़ भी ह़स्बे ज़रूरत मुख़्तलिफ़ होते थे क्योंकि आपको अलग तबीयतों और अलग मज़ाज़ के लोगों को समझाना पड़ता था। इसी बिना पर उसके लफ़्ज़ों की बऐनिही तिलावत का हुक्म न था।

अलावा अज़ीं आपको अपनी क़ौम की क़ुव्वते ह़ाफ़िज़ा और याद्दाश्त पर पूरा-पूरा विश्वास और वष़ूक़ था क्योंकि वो जो कुछ सुनते थे उनके स़फ़हे ह़ाफ़िज़ा पर ष़बत (दर्ज) हो जाता था। इब्तिदा-ए-इस्लाम में किताबते ह़दीष़ की ज़रूरत नहीं समझी गई बल्कि सिर्फ़ ज़ुबानी रिवायत का हुक्म दिया गया। और साथ ही ये वईद भी सुना दी गई। कि आपके बारे में अ़मदन (जान-बूझकर) किसी क़िस्म की ग़लत बयान या दरोग़ज़नी का मतलब जहन्नम में अपना ठिकाना बनाना है। इतनी ही नहीं बल्कि स़ह़ीह़ मुस्लिम में ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ज़ुबानी आँह़ज़रत (ﷺ) की ये हिदायत भी मन्क़ूल है कि :-

'ला तक्तुबू अन्नी व मन कतब अन्नी ग़ैरल क़ुर्आनि फ़लयमह़हू व ह़द्दिष़ू अन्नी व ला ह़रज व मन कज़्ज़ब अलय्य मुतअम्मिन फ़लयतबव्व मक़अदहू मिनन्नारि.' (बाबुत तष़ब्बुति फ़िल ह़दीष़ि व हुक्मु किताबतिल इल्म)

मुझसे कुछ न लिखो और जिसने मुझे क़ुर्आन के अ़लावा कुछ लिख लिया है तो वो उसे मिटा दे और मुझसे ह़दीष़ें बयान करो इसमें कुछ ह़र्ज़ नहीं और जिस शख़्स़ ने मेरे मुता'ल्लिक़ क़स्दन (जान-बूझकर) झूठ बोला, उसे चाहिये कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

अगरचे इमाम बुख़ारी (रह.) और दीगर मुह़द्दिष़ीन के पास ये रिवायत स़ह़ीह़ नहीं बल्कि मअ़लूल है और उनकी तह़क़ीक़ में ये अल्फ़ाज़ आँह़ज़रत (ﷺ) के नहीं बल्कि ख़ुद अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के हैं। जिनको ग़लती से रावी ने मर्फ़ूअ़न नक़ल किया है। लेकिन बिल फ़र्ज़ अगर इस रिवायत को मौक़ूफ़ नहीं बल्कि मर्फ़ूअ़ ही स़ह़ीह़ तस्लीम कर लिया जाए तब भी ये मुमानअ़त वक़्ती और आरज़ी थी जो उस ज़माने में कुछ अ़र्से के लिये ख़ास़ तौर पर ह़िफ़ाज़ते क़ुर्आन के सिलसिले में कर दी गई थी। जिसकी वजह से बज़ाहिर ये मा'लूम होती है कि चूँकि ह़क़ तआ़ला ने आपको क़ुर्आने करीम के अ़लावा जवामिउ़ल कलिमः भी अ़ता किया था जो अपने ऐजाज़ लफ़्ज़ी व मअ़नवी तौर पर अपनी नज़ीर आप थे। इसलिये अंदेशा था कि ये उम्मी लोग जो नए नए क़ुर्आन से आशना (परिचित) हुए हैं कहीं दोनों को ख़लत़-मलत (मिक्स) न कर दें। इस बिना पर ग़ायत एहतियात के मद्देनज़र आपने क़ुर्आन मजीद के सिवा हर चीज़ के लिखने की मुमानअ़त (मनाही) कर दी और आ़म हुक्म दिया कि अगर आपसे क़ुर्आने मजीद के अ़लावा और कुछ लिख लिया गया है तो उसे मिटा दिया जाए।

अह़ादीष़े फ़ेअ़लिया में तमाम अह़काम व इ़बादात का अ़मली नक़्शा और उनकी तश्कील थी। अ़मली चीज़ें लिखवाने की बनिस्बत अ़मली तौर पर करके दिखलाने और फिर लोगों से उसके मुत़ाबिक़ अ़मल करवाने से ज़्यादा ज़हननशीन होती हैं। इसलिये आप (ﷺ) ने उनके बारे में यही तरीक़ा इख़्तियार फ़र्माया और हिदायत कर दी कि :-

'स़ल्लू कमा राइतुमूनी उस़ल्ली' (स़ह़ीह़ैन) जिस तरह़ तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा उसी तरह़ तुम भी नमाज़ पढ़ा करो और ह़ज्जतुल विदाअ़ में रम्ये जिमार करते हुए फ़र्माया,

'ख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम फ़ इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहुज्जु बअ़द ह़ज्जति हाज़िही' (स़ह़ीह़ मुस्लिम) मुझसे तुम अपने ह़ज्ज के त़रीक़े सीख लो क्योंकि पता नहीं शायद इस ह़ज्ज के बाद दूसरा ह़ज्ज न कर सकूँ।

बहुत सी चीज़ें जिनमें आपने किसी क़िस्म की इस्लाह़ न तर्मीम (संशोधन) की ज़रूरत न समझी और उनको होते देखकर आप (ﷺ) ख़ामोश रहे और इस तरह़ अपने तर्ज़े अ़मल से आपने उनकी तक़रीर या'नी इष़्बात फ़र्माया कि बावजूद इन चीजों के आपके इ़ल्म में आ जाने के आपने उन पर किसी क़िस्म का इंकार नहीं किया। ऐसी ह़दीष़ें तक़रीरी कहलाती हैं। अब ज़ाहिर है कि इस क़िस्म की रोज़मर्रा की बातें अगर आप क़लमबंद करने का हुक्म देते तो एक लम्बी चौड़ी और ऊँटों पर लादने वाली ज़ख़ीम किताब बनती। जिसकी तक्लीफ़ उस वक़्त के उम्मियों के लिये **तक्लीफ़े मा ला यत़ाक़** से कम न थी ख़ुस़ूस़न जबकि उस वक़्त पूरी क़ौम में लिखना जानने वालों की ता'दाद इतनी थोड़ी थी कि उँगलियों पर गिने जा सकते थे और काग़ज़

की क़िल्लत का ये आलम था कि लोग क़ुर्आन पाक को भी खजूर की शाख़ों, पेड़ों के पत्तों, ऊँट और बकरी के शानों की हड्डियों, जानवरों के चमड़ों और खालों, पालान की लकड़ियों और चौड़े- चकले और पतले-पतले पत्थरों पर लिखा करते थे।

ग़र्ज़ उस वक़्त हिफ़ाज़ते दीन के सिलसिले में वही आसान और सादा तरीक़ा अपनाया गया जो उस अ़हद में अहले अ़रब का फ़ित्री और मुरव्वज (प्रचलित) तरीक़ा था। क़ुर्आन मजीद जो दीन की तमाम बुनियादी और बुनियादी ता'लीमात पर आधारित, और तमाम अक़ाइद व अहकाम के मुता'ल्लिक़ कुल्ली हिदायात का हामिल है, इसका एक-एक लफ़्ज़ लोगों ने ज़ुबानी याद किया। मज़ीद एहतियात के लिये मो'तबर कातिबों से ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) ने इसको लिखवा लिया। ह़दीष़ शरीफ़ में जो शरअ-ए-इस्लामी की तमाम ऐतक़ादी और अ़मली तफ़्सीलात पर हावी है, इसका क़ौली हिस्सा सहाबा किराम (रज़ि.) ने अपनी क़ौमी आदत और रिवाज के मुताबिक़ उससे भी ज़्यादा एहतिमाम के साथ अपने हाफ़ज़े में महफ़ूज़ रखा कि जिस एहतिमाम के साथ वो इससे पहले अपने ख़तीबों के ख़ुत्बे, शाइरों के क़सीदे और हाकिमा के मक़ूले याद रखा करते थे। और उसके अ़मली हिस्से पर फ़ौरन तआमुल और अ़मल दरआमद शुरू कर दिया गया। ज़ाहिर है कि उस वक़्त में इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता था।

लेकिन बाद को जबकि क़ुर्आन मजीद का काफ़ी हिस्सा नाज़िल हो चुका और आम तौर पर लोग क़ुर्आन के ज़ोक़ आशना हो गए और इस बात का अंदेशा बिलकुल जाता रहा कि कलामे इलाही के साथ ह़दीष़ के अल्फ़ाज़ मिल जाएंगे। इधर ग़ज़वा-ए-बद्र के बाद मदीने में बहुत से लोगों ने लिखना भी सीख लिया तो फिर किताबते-ह़दीष़ की इजाज़त दे दी गई। चुनाँचे जामेअ़ तिर्मिज़ी में ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि :-

'कान रजुलुम मिनल अन्सारि यज्लिसु इला रसूलिल्लाहि (ﷺ) फयस्मउ मिनन्नबिय्यी (ﷺ) अल ह़दीष़ फयअजिबुहू व ला यहफ़ज़ुहू फ़शका ज़ालिक इला रसूलिल्लाही (ﷺ) फ़क़ाल या रसूलल्लाह (ﷺ) इन्नी लअस्मउ मिन्कल ह़दीष़ फ़यअजिबुनी व ला अहफ़ज़ुहू फ़ क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) इस्तइना बि यमीनिक व औमा बियदिही लिल ख़त' (तिर्मिज़ी बाबु माजाअ फ़िर्रुख़्सती फ़ी किताबतिल इल्मि)

एक सहाबी अंसारी आँहज़रत (ﷺ) के पास में बैठते, आपकी बातें सुनते और बहुत पसंद करते, मगर याद न रख पाते। आख़िर उन्होंने अपनी याद्दाश्त की खराबी की शिकायत आँहज़रत (ﷺ) से की कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपसे ह़दीष़ सुनता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है मगर मैं उसे याद नहीं रख सकता। इस पर आपने ये इर्शाद फ़र्माते हुए कि अपने दाहिने हाथ से मदद लो, अपने दस्ते मुबारक से उनको लिखने की तरफ़ इशारा किया।

और ह़ज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान फ़र्माते हैं कि मैंने ख़िदमत नबवी में गुज़ारिश की कि **'या रसूलल्लाहि (ﷺ) इन्ना नस्मउ मिन्का अश्याअन् फ़नक्तुबुहा'** या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम आपकी फ़र्मूदा बातें सुनकर लिख लेते हैं।

तो आपने फ़र्माया, **'उक्तुबू व ला हरज'** लिख लिया करो कुछ ह़र्ज नहीं।

और सुनन अबी दाऊद और मुस्नद दारमी में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) से रिवायत है :-

'कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मउहू मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) उरीदु हिफ़्ज़ुहू फ़नहतनी क़ुरैशुन व क़ालू तक्तुबु कुल्ल शैइन नस्मउहू व रसूलुल्लाह (ﷺ) बशरुन यतकल्लमु फ़िल ग़ज़बि वर्रिज़ा फ़अम्सकतु अ़निल किताबति फ़ज़करतु ज़ालिक इला रसूलिल्लाही (ﷺ) फ़औमा बि इस्बिइही इला फ़ीहि फ़ क़ाल उक्तुब फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़्रुजु मिन्हु अल ह़क़्क़' (सुननु अबी दाऊद बाब किताबतिल इल्मि)

मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो कुछ सुनता था, हिफ़्ज़ करने के लिये उसको लिख लिया करता था। फिर क़ुरैश ने मुझको मना कर दिया और कहने लगे कि तुम जो बात सुनते हो लिख लेते हो हालाँकि रसूलुल्लाह (ﷺ) बशर (इन्सान) हैं। ग़ुस्से में भी कलाम फ़र्माते हैं और ख़ुशी में भी। ये सुनकर मैंने लिखना छोड़ दिया और आँहज़रत (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आपने अपनी अंगुली से अपने दहने मुबारक की तरफ़ इशारा किया और फ़र्माने लगे कि तुम लिखो, क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़-ए -क़ुदरत में मेरी जान है इससे बजुज़ ह़क़ (ह़क़ के अ़लावा) के कुछ नहीं निकलता।

बल्कि हकीम, तिर्मिज़ी और समूवियह ने हज़रत अनस (रज़ि.) से और तिबरानी ने मुअजमे कबीर में और हाकिम ने मुस्तदरक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से आँहज़रत (ﷺ) का ये इर्शाद भी नक़ल किया है कि:–

'क़य्यिदुल इल्म बिल किताबि' इल्म को क़ैदे किताबत में ले आओ। (मुंतख़ब कंज़ुल् उम्माल जिल्द 4 पेज नं. 69)

आँहज़रत (ﷺ) की तरफ़ से लिखवाया जाना :

ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) ने भी अनेक मौक़ों पर ज़रूरी अह़काम व हिदायात को क़लमबंद करवाया है।

(1) चुनाँचे सहीह बुख़ारी और सुनन तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि फ़त्हे मक्का के साल क़बील-ए-ख़ुज़ाआ के लोगों ने बनी लैष के एक शख़्स को क़त्ल कर दिया था। जब इस वाक़िये की इत्तिला आप (ﷺ) को दी गई तो आप (ﷺ) ने अपनी सवारी पर सवार होकर ख़ुत्बा दिया। जिसमें हरमे मुह्तरम की अज़मत और हुर्मत और उसके आदाब की तफ़्सील और क़त्ल के सिलसिले में क़िसास व दियत का बयान था। ख़ुत्बे से फ़राग़त हुई तो यमन के एक सहाबी हज़रत अबू शाह (रज़ि.) ने उठकर दरख़्वास्त की कि **'उक्तुबु ली या रसूलल्लाहि (ﷺ)'** या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये ख़ुत्बा मेरे लिये लिखवा दीजिए। आप (ﷺ) ने उनकी इस दरख़्वास्त को मंज़ूर कर लिया हुक्म दिया कि **'उक्तुबु ली अबी शाह'** अबू शाह के लिये ख़ुत्बा लिख दिया जाए। (बुख़ारी बाब किताबतुल इल्म)

(2) और हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर्र जामेअ बयानिल इल्म व मुफ़ज़्ज़िला में लिखते हैं, **'व कतब रसूलुल्लाहि (ﷺ) किताबस्सदक़ाति वद् दियात वल फ़राइज़ि वस्सुनन लि अम्रिब्नि हज़म वग़ैरह'** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अम्र बिन हज़म वग़ैरह के लिये सदक़ात, दियात, फ़राइज़ और सुनन के मुता'ल्लिक़ एक किताब तहरीर करवाई थी।

अम्र बिन हज़म (रज़ि.) को आँहज़रत (ﷺ) ने 10 हिज्री में अहले नज्रान पर आमिल बनाकर भेजा था। उस वक़्त उनकी उम्र 17 साल की थी। ये नविश्ता आप (ﷺ) ने इनको जब ये यमन जाने लगे तो हवाले किया था। सुनन निसाई में है:–

'अन्न रसूलुल्लाही (ﷺ) कतब इला अहलिल यमनि किताबन फ़ीहिल फ़राइज़ु वस्सुननु वद् दियातु बअस बिही मअ अम्रिब्नि हज़्म कुरिअत अला अहलिल यमन' (ज़िकर हदीष अम्रब्नि हज़मिन फ़िल उक़ूलि)

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले यमन की तरफ़ नविश्ता तहरीर किया था जिसमें फ़राइज़, सुनन और ख़ूँबहा के अह़काम थे और ये नविश्ता अम्र बिन हज़म (रज़ि.) के साथ रवाना किया था। चुनाँचे वो अहले यमन के सामने पढ़ा गया।

इस किताब का आग़ाज़ इस तरह होता है :– **'मिन मुहम्मद अन्नबिय्यु (ﷺ) इला शरहबीलब्नि अब्दे किलाल व नईमब्नि अब्द किलाल वल हारिषब्नि अब्दे किलाल क़ील ज़ी रईन व मआफ़िर हमदान अम्मा बअद'** (सुनन निसाई)

और किताबुल जिराह की इब्तिदा में ये तहरीर था, **'हाज़ा बयानुम मिल्लाहि व रसूलिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूदि'** फिर यहाँ से लेकर **'इन्नल्लाह सरीउल हिसाब'** तक मुसलसल आयात दर्ज थीं। इसके बाद लिखा था **'हाज़ा किताबुल जिराहि, फ़िन्नफ़्सि मिउतुम्मिनल इबिलि अल अख़'** (सुनन निसाई)

इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी का बयान है कि ये किताब चमड़े पर तहरीर थी और अम्र बिन हज़म के पोते अबू बक्र बिन हज़म के पास मौजूद थी। वो ये किताब मेरे पास भी लेकर आए थे और मैं ने इसको पढ़ा था। (सुनन निसाई)

हाफ़िज़ इब्ने कषीर इस किताब के बारे में फ़र्माते हैं:–

'फ़हाज़ल किताबु मुतदाविलुन बैन अइम्मतिल इस्लामि क़दीमन् व हदीषन यअतमिदून अलैहि व यफ़ज़ऊन फ़ी मुहिम्माति हाज़ल बाबि इलैहि कमा क़ाल यअक़ुबुब्नु सुफ़्यानु ला अअलमु फ़ी जमीइल कुतुबि किताबन असह्हु मिन किताबि अम्रिब्नि हज़म कान अस्हाबु रसूलिल्लाहि (ﷺ) यरजिऊन इलैहि व यदऊन अराअहुम'

ये किताब अ़ह्दे क़दीम (पुराने ज़माने) व अ़ह्दे जदीद (नये ज़माने) दोनों में अइम्म–ए–इस्लाम के बीच मुतदावल रही है जिस पर वो भरोसा करते और इस बाब के मुहिम मसाइल में रुजूअ करते रहे हैं। चुनाँचे यअ़क़ूब बिन सुफ़यान का बयान है कि मेरे इल्म में तमाम किताबों में कोई किताब अ़म्र बिन ह़ज़म की किताब से ज़्यादा सह़ीह़ नहीं है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अस्ह़ाब उसकी त़रफ़ रुजूअ करते और अपनी–अपनी राय को छोड़ देते।

चुनाँचे ह़स्बे तस्रीह़ ह़ाफ़िज़ इब्ने कष़ीर, सईद बिन अल मुसय्यिब से सिह़त के साथ मन्क़ूल है कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उँगलियों की दियत के बारे में इसी किताब की तरफ़ रुजूअ किया था और दार क़ुत्नी ने अपनी सुनन में रिवायत किया है कि ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ जब ख़लीफ़ा हुए तो उन्होंने ज़कात के मुता'ल्लिक़ आँह़ज़रत (ﷺ) की तह़रीर को मा'लूम करने की ग़र्ज़ से मदीना मुनव्वरा में अपना आदमी रवाना किया था जिसको एक तह़रीर तो आले अ़म्र बिन ह़ज़म के पास मिली जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़म्र बिन ह़ज़म को स़दक़ात के बारे में लिखवाई थी। और दूसरी आले उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के पास दस्तयाब हुई जो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने इस सिलसिले में अपने उ़म्माल के नाम लिखी थी। इन दोनों नविश्तों का मज़मून एक ही था। फिर ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने अपने तमाम उ़म्माल और विलात के नाम फ़र्मान ज़ारी कर दिया कि जो कुछ इन दोनों किताबों में तह़रीर है उसी के मुताबिक़ अ़मल दरआमद किया जाए।

और ह़ाफ़िज़ जमालुद्दीन ज़ेलई, नस़बुर्राया में कुछ हुफ़्फ़ाजे–ह़दीष़ से नक़ल करते हैं कि :-

'नुस्ख़तु किताबि अ़म्रिब्नि ह़ज़म तलाक़्क़ाहल अइम्मतुल अरबअ़तु बिल क़ुबूलि व हिय मुतवारिष़तन क नुस्ख़ति अ़मरिब्नि शुऐबिन अ़न अबीहि अ़न जद्दिही' अ़म्र बिन ह़ज़म (रज़ि.) की किताब को चारों अइम्मा ने क़ुबूल किया है और ये नुस्ख़ा भी, नुस्ख़–ए–अ़म्र बिन शुऐब अ़न अबिही अ़न जद्दिही की तरह मुतावारिष़ है।

ह़दीष़ की बेशतर किताबों में इस नुस्ख़े की जस्ता–जस्ता ह़दीष़ें मन्क़ूल हैं, ह़ाफ़िज़ इब्ने कष़ीर ने लिखा है कि :–

इसको मुस्नदन भी रिवायत किया गया है और मुर्सलन भी। चुनाँचे जिन हुफ़्फ़ाज व अइम्म–ए–ह़दीष़ ने इसको मुस्नदन रिवायत किया है वो ह़स्बे ज़ेल हैं। इमाम निसाई ने अपनी सुनन में, इमाम अह़मद ने अपनी मुस्नद में, इमाम अबू दाऊद ने किताबुल मरासील में, अबू मुह़म्मद अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रह़मान दारमी, अबू यअ़ला मूसली, और यअ़क़ूब बिन सुफ़यान ने अपनी अपनी मुस्नदों में, नीज़ ह़सन बिन सुफ़यान नस्वी, उ़ष़्मान बिन सईद दारमी, अ़ब्दुल्लाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बग़वी, अबू ज़र्आ दमिश्क़ी, अह़मद बिन अल ह़सन बिन अ़ब्दुल जब्बार अस्सूफ़िल्कबीर, ह़ामिद बिन मुह़म्मद बिन शुऐब बल्ख़ी, ह़ाफ़िज़ त़िबरानी और अबू ह़ातिम बिन हिब्बान बस्ती ने अपनी स़ह़ीह़ में रिवायत किया है। और बैह़क़ी लिखते हैं कि **'हुव ह़दीषु मौस़ूलुल इस्नादि ह़सनुन।'** रही मुर्सलात रिवायत सो वो तो बहुत से त़रीक़ों से मन्क़ूल है)

मौत़ा इमाम मालिक में भी इस नुस्ख़े से ह़दीष़ें मरवी हैं और इमाम ह़ाकिम ने अल मुस्तदरकु अ़लस्सह़ीह़ैन की स़िर्फ़ किताबुज़्ज़कात में इस नुस्ख़े से 63 ह़दीष़ें नक़ल की हैं, इसी तरह सुनन दारे क़ुत्नी और सुनन बैह़क़ी वग़ैरह में भी मुख़्तलिफ़ अबवाब में इसकी ह़दीष़ें मन्क़ूल हैं।

(3) सुनन दार क़ुत्नी में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से मरवी है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने अहले यमन की तरफ़ ह़ारिष़ बिन अ़ब्दे कलाल और उनके साथ मुआफ़िर व हम्दान के दीगर अहले यमन के नाम एक तह़रीर लिखी थी जिसमें ज़रई पैदा'वार की बाबत ज़कात के अह़काम दर्ज थे।

(4) अहले यमन के नाम अह़कामे ज़कात के मुता'ल्लिक़ आँह़ज़रत (ﷺ) की एक तह़रीर का ज़िक्र इमाम शुअ़बी ने भी किया है। चुनाँचे मुसन्नफ़ अबीबक्र बिन अबी शैबा की किताबुज़्ज़कात में इस नविश्ते की अनेक ह़दीष़ें इमाम शुअ़बी की रिवायत से मन्क़ूल हैं।

(5) अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने किताबुस्सदक़ा तह़रीर फ़र्माई और उसको आपने अभी अपने आ़मिलों की तरफ़ रवाना न किया था कि रह़लत फ़र्मा गए। ये किताब आपकी तलवार के साथ रखी थी। फिर ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने इस पर अ़मल किया। जब वो भी वफ़ात पा गए तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उसके मुताबिक़ अ़मल दरआमद किया। यहाँ तक कि उनकी भी वफ़ात हो गई। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने

इस नविश्ते की ह़दीषें भी नक़ल की हैं और इमाम तिर्मिज़ी ने तो इसको रिवायत करके ये भी तस़रीह़ कर दी है कि :–

'वल अ़मलु अ़ला हाज़ल हदीषि इन्द आ़म्मति अहलिल इल्मि' आ़म उलमा का अ़मल इस ह़दीष़ पर है।

आँह़ज़रत (ﷺ) का ये नविश्ता उन दोनों किताबों के अ़लावा मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, सुनन दारमी और सुनन दारे कुत्नी वग़ैरह दीगर कुतुबे ह़दीष़ में भी मरवी है। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की वफ़ात पर ये तह़रीर आपके ख़ानदान में महफ़ूज़ रही। चुनाँचे इमाम ज़ुहरी का बयान है कि ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) का बयान है कि उसको ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) के दोनों स़ाहबज़ादों अ़ब्दुल्लाह और सालिम से लेकर नक़ल कर लिया था। इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि मैंने इस नुस्ख़े को ज़ुबानी याद कर लिया था।

(6) सुनन अबी दाऊद, जामेअ़ तिर्मिज़ी, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़लीम (रज़ि.) से मरवी है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपनी वफ़ात से एक माह पहले क़बील–ए–जुहैना की तरफ़ ये लिखवाकर भेजा था कि मुरदार की खाल और पुट्ठों को काम में न लिया जाए। इमाम तिर्मिज़ी की रिवायत में ज़मान–ए–तह़रीर वफ़ाते नबवी से दो माह पहले मज़कूर है।

(7) ह़ाफ़िज़ इब्ने अ़ब्दुल बर्र ने जामेअ़ बयानुल इल्म में इमाम अबू जा'फ़र मुह़म्मद बिन अ़ली (बाक़िर) से ब–सनद नक़ल किया है कि आँह़ज़रत (ﷺ) की तलवार के दस्ते में एक स़ह़ीफ़ा रखा हुआ मिला जिसमें ह़दीषें लिखी हुई थीं। चुनाँचे जामेअ़ बयानुल इल्म में उसमें से कुछ अह़ादीष़ मन्क़ूल भी हैं।

ये तो मअ़दूदे चंद तह़रीरों और कुछ नविश्तों का ज़िक्र था। इनके अ़लावा मुख़्तलिफ़ क़बाइलों को तह़रीरी हिदायात, ख़ुतूत के जवाबात (पत्रों के जवाब), मदीना मुनव्वरा की मर्दम शुमारी (जनगणना) के काग़ज़ात, उस वक़्त के सुल्तानों और मशहूर फ़र्मांरवाओं के नाम इस्लाम के दा'वतनामे, उ़म्माल और विलात के नाम अह़काम, मुआ़हदात, स़ुलह़नामे, अमाननामे और इस क़िस्म की बहुत सी मुख़्तलिफ़ तह़रीरात थीं जो आँह़ज़रत (ﷺ) ने वक़्तन फ़ वक़्तन क़लमबंद करवाए। मुह़द्दिष़ीन ने आपके नामे और मुआ़हिदात व वस़ाइक़ को मुस्तक़िल तस़ानीफ़ में अलग जमा किया है। चुनाँचे इसी मौज़ूअ़ पर ह़ाफ़िज़ शम्सुद्दीन मुह़म्मद बिन अ़ली बिन अह़मद बिन तौलून दमिश्क़ी ह़न्फ़ी मुतवफ़्फ़ा 953 हिज्री की मशहूर तस्नीफ़ इअ़लामुस्साइलीन अ़न कुतुबि सय्यिदिल मुर्सलीन चंद साल पहले छपकर प्रकाशित हो चुकी है।

अ़हदे रिसालत में स़ह़ाबा के कुछ नविश्ते :–

साबिक़ में सुनन अबी दाऊद और दारमी के हवाले से ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अल आ़स़ (रज़ि.) की ये तस़रीह़ गुज़र चुकी है कि :–

मैं आँह़ज़रत (ﷺ) की ज़ुबाने मुबारक से जो कुछ सुनता था ह़िफ़्ज़ करने के इरादे से क़लमबंद कर लिया करता था।

इसी ह़दीष़ में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ये सब कुछ आँह़ज़रत (ﷺ) की इजाज़त और आपके हुक्म से था, स़ह़ीह़ बुख़ारी और जामेअ़ तिर्मिज़ी में ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि स़ह़ाबा में मुझसे ज़्यादा आँह़ज़रत (ﷺ) से ह़दीषें रिवायत करनेवाला कोई नहीं, मगर हाँ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर हो सकते हैं क्योंकि वो ह़दीषें लिखा करते थे और मैं नहीं लिखता था। इमाम अह़मद ने अपनी मुस्नद में और बैहक़ी ने मुदख़ल में मुजाहिद और मुग़ीरह बिन अल ह़कीम से नक़ल किया है कि हम दोनों ने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये फ़र्माते हुए सुना है कि मुझसे ज़्यादा ह़दीषे रसूलुल्लाह (ﷺ) का कोई आ़लिम नहीं मगर अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का मुआ़मला अलग है क्योंकि वो अपने हाथ से लिखते और दिल से याद रखते थे और मैं सिर्फ़ याद रखता था, लिखता न था। उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से लिखने की इजाज़त माँगी थी, और आपने उनको इजाज़त दे दी थी।

ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) ने ह़दीषे नबवी (ﷺ) की किताबत का जो सिलसिला शुरू किया था उससे एक अच्छी ख़ास़ी ज़ख़ीम किताब तैयार हो गई थी जिसका नाम उन्होंने **'अस़्स़ादिक़ा'** रखा था। ये किताब उन्हें इस क़दर प्यारी थी कि अकष़र फ़र्माया करते थे :–

'मा यरग़बुनि फ़िलहयातिहुन्या इल्लस्सादिक़तु वल वहतु' मुझे ज़िंदगी की यही दो चीज़ें ख़्वाहिश दिलाती हैं, सादिक़ा और वहत। फिर ख़ुद ही उन दोनों चीज़ों की पहचान इन अल्फ़ाज़ में कराते हैं :–

'व अम्मस सादिक़तु सहीफ़तुन क़तब्तुहा मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) व अम्मल वहतु फअरज़ुन तसद्दक़ बिहा अमरुब्नुल आसि कान यक़ूमु अलैहा.'

सादिक़ा तो वो सहीफ़ा है जिसको मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनकर लिखा है और वहत वो ज़मीन है जिसको (वालिद बुज़ुर्गवार) हज़रत अम्र बिन अल आस (रज़ि.) ने राहे ख़ुदा में वक़्फ़ किया था और वो उसकी देखभाल किया करते थे।

ये सहीफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) की वफ़ात पर उनके पोते शुऐब बिन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मिला था और शुऐब से उस नुस्ख़े को उनके बेटे अम्र रिवायत करते हैं। चुनाँचे हदीष की किताबों में **'अम्रुब्नु शुऐबिन अन अबीहि अन जद्दिही'** के सिलसिले से जितनी भी रिवायतें मन्क़ूल हैं वो सब सहीफ़े सादिक़ा ही की हदीषें हैं। साबिक़ में कुछ हुफ़्फ़ाज़े हदीष की तस्रीह आप पढ़ चुके हैं कि ये नुस्ख़ा मुतावारिष़ है। शुऐब के वालिद मुहम्मद का इंतिक़ाल अपने बाप की ज़िंदगी में ही हो गया था। इसलिये पोते की तमाम तर्बियत दादा ही की ज़िल्ले आतिफ़त (छत्रछाया) में हुई थी। अलबत्ता मुहद्दिषीन का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि शुऐब ने सादिक़ा का ये नुस्ख़ा दादा से पढ़ा था या नहीं। कुछ सख़्तगीर मुहद्दिषीन ने इसी बिना पर उन रिवायात के इत्तिसाल पर भी कलाम किया है। चुनाँचे हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी **'तहज़ीबुत्तहज़ीब'** में अम्र बिन शुऐब के तर्जुमे में यह्या बिन मुईन से नक़ल करते है कि:–

'हुव षिक़तुन फ़ी नफ़्सिही व मा रवा अन अबीहि अन जद्दिही ला हुज्जतुन फ़ीहि व लैस बि मुत्तसिलिन व हुव ज़ईफ़ुन मिन क़बीलि अन्नहू मुर्सलुन वजद शुऐबुन कुतुब अब्दिल्लाहिब्नि अमरिन फ़ कान यरवीहा अन जद्दिही इर्सालन व हिय सिहाहुन अन अब्दिल्लाहिब्नि अमरिन ग़ैर अन्नहू लम यसमअहा'

ये ख़ुद तो षिक़ा है और जो रिवायत ये अपने बाप शुऐब से और वो अपने दादा अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से करते हैं वो हुज्जत नहीं ग़ैर मुत्तसिल है और ब–सबब मुर्सल होने के ज़ईफ़ है। शुऐब को अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) की किताबें मिली थीं, चुनाँचे वो उनको अपने दादा से मुर्सलन रिवायत करते हैं। ये रिवायतें अगरचे अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से सहीह है। लेकिन इनको शुऐब ने नहीं सुना था। हाफ़िज़ इब्ने हजर इस इबारत को नक़ल करते हुए फ़र्माते हैं कि :–

'कुल्तु फ़इज़ा अशहद लहुब्नु मुईनुन अन्न अहादीषहु सिहाहुन ग़ैर अन्नहू लम यस्मअहा व सहह सिमाउहु लिबअज़िहा फ़ग़ायतुल बाक़ी अंय्यकून विजादतन सहीहतन व हुव अहदु वुजूहित तहम्मुलि'

मैं कहता हूँ जबकि इब्ने मुईन इस अम्र की शहादत दे रहे हैं कि इसकी हदीषें तो सहीह है मगर उनको शुऐब ने नहीं सुना है और कुछ हदीषों को सिमाओ सेहत को पहुँच चुका है तो बक़िया हदीष की रिवायत ज़्यादा से ज़्यादा (विजाद-ए-सहीहा) से होगी और ये भी अख़्ज़े इल्म का एक तरीक़ा है।

और इमाम तिर्मिज़ी अपनी जामेअ में फ़र्माते हैं कि:–

'व मन तकल्लम फ़ी हदीषि अमरिब्नि शुऐबिन इन्नमा ज़अअफ़हु लिअन्नहू युहद्दिषु अन सहीफ़ति जद्दिही कअन्नहुम रऔ अन्नहू लम यस्मअ हाज़िहिल अहादीष अन जद्दिही.'

और जिसने भी अम्र बिन शुऐब की हदीष में कलाम किया है, सो सिर्फ़ इस बिना पर उसकी तज़्ईफ़ की है कि वो अपने दादा के सहीफ़े से हदीषें बयान करते थे। गोया उन लोगों की ये राय है कि उन्होंने इन हदीषों को अपने दादा से नहीं सुना था।

लेकिन अकषर मुहद्दिषीन अम्र बिन शुऐब की इन हदीषों को हुज्जत मानते और सहीह समझते हैं। चुनाँचे इमाम तिर्मिज़ी इसी इबारत से ज़रा पहले इमाम बुख़ारी से नक़ल करते हैं कि:–

'रअयतु अहमद व इस्हाक़ व ज़कर ग़ैरहुमा यहतजून बिहदीषि अमरिब्नि शुऐबिन' मैंने अहमद बिन हंबल,

इस्हाक़ बिन राहवै, और इन दोनों के अलावा मुहद्दिष़ीन (का भी ज़िक्र किया कि) इन सबको देखा कि वो अ़म्र बिन शुऐ़ब की ह़दीष़ों को हुज्जत मानते थे।

और **'बाबु मा जाअ फ़ी ज़काति मालिल यतीमि'** में लिखते हैं :–

'व अम्मा अक्ष़रुअहलिल हदीष़ि फयहतजून बि हदीष़ि अ़मरिब्नि शुऐ़बिन व युष़बितूनहू' और अकष़र मुहद्दिष़ीन अ़म्र बिन शुऐ़ब की ह़दीष़ों को हुज्जत समझते और ष़ाबित मानते हैं।

इमाम बुख़ारी और इमाम तिर्मिज़ी ने इसकी भी तस्रीह़ की है कि शुऐ़ब ने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से ह़दीष़ें सुनी हैं। शुऐ़ब को तो ये पूरा नुस्ख़ा विराष़त में मिला ही था। लेकिन ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से उनके दूसरे तलामिज़ा (शागिर्दों) ने जितनी ह़दीष़ें रिवायत की हैं, वो भी इसी स़ह़ीफ़-ए-स़ादिक़ा की हैं।

(2) अ़हदे रिसालत के तह़रीरी नविश्तों में से एक ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) का भी स़ह़ीफ़ा था। जिसके मुता'ल्लिक़ ख़ुद उनका बयान है कि :–

'मा कतबना अ़निन्नबिय्यि (ﷺ) इल्ललल क़ुर्आन व मा फ़ी हाज़िहिस्सह़ीफ़ति.'

हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बजुज़ क़ुर्आन के और जो कुछ इस स़ह़ीफ़े में दर्ज है, इसके अ़लावा और कुछ नहीं लिखा।

ये स़ह़ीफ़ा चमड़े के एक थैले में था जिसमें ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) की तलवार मअ़ नियाम के रखी रहती थी, ये वही स़ह़ीफ़ा है जिसके मुता'ल्लिक़ स़ह़ीह़ बुख़ारी में आपके स़ाहबज़ादे मुह़म्मद बिन हनफ़िय्या से मज़्कूर हैं कि:–

'अर्सलनी अबी ख़ुज़ लिहाज़ल किताबि फ़ज़हब बिही इला उ़ष़्मान फ़इन्न फ़ीहि अ़मरुन्नबिय्यि (ﷺ) फ़िस्सदक़ति' मुझको मेरे वालिद ने भेजा कि इस किताब को लेकर ह़ज़रत उ़ष़्मान (रज़ि.) के पास जाओ क्योंकि इसमें ज़कात के मुता'ल्लिक़ आँह़ज़रत (ﷺ) के अह़काम दर्ज हैं।

इस स़ह़ीफ़े में ज़कात के अ़लावा ख़ूनबहा, असीरों की रिहाई, काफ़िर के बदले मुसलमान को क़त्ल न करना, ह़रमे मदीना के हुदूद और उसकी हुर्मत, ग़ैर की तरफ़ इंतिसाब की मुमानअ़त, नक़्ज़े अ़हद की बुराई। ग़ैर के लिये ज़िब्ह करने पर वईद और ज़मीन के निशानात मिटाने की मज़म्मत वग़ैरह बहुत से अह़काम व मसाइल दर्ज थे। ह़दीष़ की अकष़र किताबों में इस स़ह़ीफ़े की रिवायतें मौजूद हैं। ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी हस्बे ज़ेल अबवाब में इस स़ह़ीफ़े की मज़कूरा बाला रिवायात को नक़ल किया है। **(1) बाबु किताबतिल इल्मि (2) बाबु हुरुमिल मदीनति (3) बाबु फ़िकाकिल असीरि (4) बाबु ज़िम्मतिल मुस्लिमीन व जवारिहिम वाहिदतुन यसआ बिहा अदनाहुम (5) बाबुन इष़्मुम मन आहद षुम्म ग़दर (6) बाबुन इष़्मुम मन तबर्रअ मिम्मवालीहि (7) बाबुल आ़क़िलति (8) बाबुन लायुक़्तलुल मुस्लिमु बिल काफ़िरि (9) बाबुन यकरहू मिनत तअ़म्मुक़ि वत्तनाज़ुइ फ़िल इल्मि वल गुलुव्वि फ़िद्दीनि।** स़ह़ीह़ बुख़ारी में इसका भी ज़िक्र किया गया है कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने एक बार मिम्बर पर ख़ुत्बा दिया तो आपकी तलवार के साथ ये स़ह़ीफ़ा आवेज़ाँ था फिर आपने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम!, हमारे पास बजुज़ किताबुल्लाह के और जो कुछ इस स़ह़ीफ़े में लिखा हुआ है इसके अ़लावा कोई नविश्ता नहीं कि जो पढ़ा जा सके। उसके बाद आपने उस स़ह़ीफ़े को खोला और लोगों को उसके मसाइल पर इत्तिला हुई।

(3) ह़ज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ साबिक़ में गुज़र चुका है कि वो अ़हदे रिसालत में ह़दीष़ें लिखा करते थे जिसकी इजाज़त नबी करीम (ﷺ) ने ख़ुद दी थी। चुनाँचे उनके पास भी आँह़ज़रत (ﷺ) की बहुत सी ह़दीष़ें तह़रीरी शक्ल में मौजूद थीं। मुस्नद इमाम अह़मद बिन हंबल में मज़्कूर है कि एक बार मरवान ने ख़ुत्बा दिया जिसमें मक्का और उसकी हुर्मत का ज़िक्र था। तो ह़ज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने पुकारकर कहा कि अगर मक्का ह़रम है तो मदीना भी ह़रम है जिसका

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हराम क़रार दिया है और ये हुक्म हमारे पास चमड़े पर लिखा हुआ है अगर तुम चाहो तो तुम्हें पढ़कर सुना दें। मरवान ने जवाब दिया हाँ! हमें भी आपका ये हुक्म पहुँचा है।

सहाबा किराम के कुछ और नविश्ते :–

(1) सहीह बुख़ारी, सुनन अबी दाऊद (बाबुन फ़ी ज़कातिस्साइमति), सुनन निसाई (बाबुन ज़कातिल इबिलि) में मज़्कूर है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने जब हज़रत अनस (रज़ि.) को बहरैन पर आमिल बनाकर भेजा तो ज़कात के मसाइल व अहकाम के मुता'ल्लिक़ एक मुफ़स्सिल तहरीर लिखकर उनके हवाले की, जो इन लफ़्ज़ों से शुरू होती है:–

'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाज़िही फ़रिज़तुस्सदक़तिल्लति फ़रज़ रसूलुल्लाहि (ﷺ) अलल मुस्लिमीन वल्लती अमरल्लाहु बिहा रसूलहू .... अल अख़' (सहीह बुख़ारी, बाबु ज़कातिल ग़नमि)

इमाम बुख़ारी ने इस नविश्ते की रिवायत को किताबुज़्ज़कात के तीन मुख़्तलिफ़ अबवाब में मुतफ़र्रिक़ तौर पर दर्ज किया है और अपनी सहीह में 11 जगह इसको रिवायत किया है। छह: जगह किताबुज़्ज़कात में और दो जगह किताबुल्लिबास में और एक एक जगह किताबुश्शिर्कति अबवाबुल ख़ुमुसि और किताबुल हियलि में। ये नविश्ता हज़रत अनस (रज़ि.) के ख़ानदान में बराबर महफ़ूज़ चला आता था। चुनाँचे इमाम बुख़ारी ने इसको मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुग़्ना बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) जो हज़रत अनस (रज़ि.) के पोते हैं, से रिवायत करते हैं कि मुहम्मद इसको अपने वालिद अब्दुल्लाह से और अब्दुल्लाह अपने चचा षुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस से, और वो ख़ुद हज़रत अनस (रज़ि.) से इसके रावी हैं। और इमाम अबू दाऊद इसको हदीष के मशहूर रावी हम्माद बिन सलमा से रिवायत करते हैं। जिनमें हम्माद की ये तस्रीह भी मौजूद है कि मैंने ख़ुद षुमामा से इस नविश्ते को अख़्ज़ किया है, उस पर आँहज़रत (ﷺ) की मुहरे मुबारक भी षबत (लगी हुई) थी।

(2) जामेअ तिर्मिज़ी में सुलैमान तैमी से मन्क़ूल है कि हसन बसरी और क़तादा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) के सहीफ़े से हदीषें रिवायत किया करते थे। हज़रत जाबिर (रज़ि.) के इस सहीफ़े का ज़िक्र बहुत से मुहद्दिषीन के तज़्किरे में आया है। हाफ़िज़ ज़हबी ने तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में क़तादा के तर्जुमे में इमाम अहमद बिन हंबल से नक़ल किया है कि:–

'कान क़तादतु अहफ़ज़ु अहलिल बसरति ला यसमउ शैअन इल्ला हफ़िज़हू क़ुरिअत अलैहि सहीफ़तु जाबिरिन मर्रतन फ़हफ़िज़हा'

क़तादा अहले बसरा में सबसे बड़े हाफ़िज़ थे, जो सुनता याद हो जाता। हज़रत जाबिर (रज़ि.) का सहीफ़ा सिर्फ़ एक बार उनके सामने पढ़ा गया था, बस उन्हें याद हो गया।

हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने तहज़ीबुत्तहज़ीब में इस्माईल बिन अब्दुल करीम सन्आनी (मुतवफ़्फ़ा 210 हिजरी) के तर्जुमे में भी इस सहीफ़े का ज़िक्र किया है। ये इसको वहब बिन मुनब्बा से और वो इसको हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत करते थे और सुलैमान बिन क़ैस यश्करी के तर्जुमे में लिखते हैं कि:–

'क़ाल अबू हातिम जालस जाबिरन व कतब अन्हु सहीफ़तन व तवफ़्फ़ा व रवा अबुज़्ज़ुबैर व अबू सुफ़्यान वश्शुअबी अन जाबिरिन व हुम क़द समिउ मिन जाबिरिन व अक्षरुहु मिनस्सहीफ़ति व कज़ालिक क़तादतु.'

अबू हातिम का बयान है कि सुलैमान ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हमनशीनी इख़्तियार की और उनसे सहीफ़ा लिखा और वफ़ात पा गये और अबू अज़्ज़ुबैर, अबू सुफ़यान और शुअबा ने भी हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायतें की हैं और उन लोगों ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से हदीषें भी सुनी हैं जो अकषर उसी सहीफ़े की हैं, और इसी तरह क़तादा ने भी।

और तलहा बिन नाफ़ेअ अबू सुफ़यान वास्ती के तर्जुमे में सुफ़यान बिन उयैयना और शुअबा दोनों का मुत्तफ़क़ा बयान नक़ल किया है कि :

'हदीषु अबी सुफ़्यान अन जाबिरिन इन्नमा हिय सहीफ़तुन' अबू सुफ़यान जाबिर (रज़ि.) से जो हदीष़ रिवायत करते हैं, वो सहीफ़े से होती है।

(3) हाफ़िज़ इब्ने हजर ने तहज़ीबुत्तहज़ीब में हज़रत हसन बसरी के तर्जुमे में लिखा है कि उन्होंने हज़रत समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) से हदीष़ का एक बहुत बड़ा नुस्ख़ा रिवायत किया है जिसकी बेशतर हदीषें सुनने अर्बअ में मन्क़ूल हैं। अली बिन अल मदीनी और इमाम बुख़ारी दोनों ने तस्रीह की है कि इस नुस्ख़े की सब हदीषें उनकी मस्मूआ (सुनी हुई) थीं। लेकिन यह्या बिन सईद अल क़त्तान और दीगर उलमा ये कहते हैं कि ये सब नविश्ते से रिवायत करते हैं। इस नुस्ख़े को इमाम हसन बसरी के अलावा ख़ुद हज़रत समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) के साहबज़ादे सुलैमान बिन समुरह भी उनसे रिवायत करते हैं। चुनाँचे तहज़ीबुत्तहज़ीब में सुलैमान के तर्जुमे में मज़्कूर है, **रवा अन अबीहि नुस्ख़तन कबीरतन.**

(4) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) अगरचे अहदे रिसालत में हदीषें लिखते न थे लेकिन बाद में उन्होंने भी अपनी तमाम रिवायतों को तहरीरी शक्ल (लिखित रूप) में महफ़ूज़ कर लिया था। चुनाँचे इब्ने वहब ने हसन बिन अम्र बिन उमय्या जम्री का बयान नक़ल किया है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से एक हदीष़ बयान की तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर पर ले गये और हदीषे नबवी (ﷺ) की किताबें दिखलाकर कहने लगे, देखो ये हदीष़ मेरे पास भी लिखी हुई है।

(5) इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी जामेअ में किताबुल इलल के अंदर इकरमा से रिवायत की है कि एक बार ताइफ़ के कुछ लोग हज़रत अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में उनकी किताबों में से एक किताब लेकर आए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उस किताब को लेकर पढ़ना शुरू किया, मगर अल्फ़ाज़ में तक़्दीम व ताख़ीर होने लगी तो आपने उनसे फ़र्माया कि मैं तो इस मुसीबत (ज़ुअफ़े बसर) के सबब आजिज़ हो चुका हूँ तुम ख़ुद इसको मेरे सामने पढ़ो क्योंकि (जवाज़े रिवायात में) तुम्हारा मेरे सामने पढ़कर सुनाना और मेरा इक़रार कर लेना ऐसा ही है जैसाकि मेरा ख़ुद तुम्हारे सामने पढ़ना।

(6) हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर्र ने जामेअ बयानुल इल्म में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के नबीरा मअन बिन अब्दुर्रहमान की ज़ुबानी नक़ल किया है कि :–

'अख़रज इलय्य अब्दुर्रहमानिब्नि अब्दिल्लाहिब्नि मस्ऊदिन किताबन व हलफ़ लि अन्नहु मिन ख़त्ति अबीहि बियदिही'

(वालिदे मुहतरम) अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद एक किताब सामने निकालकर लाए और क़सम खाकर मुझसे कहने लगे कि ये अब्बाजान के अपने हाथ की लिखी हुई है।

हमने सहाबा कि सिर्फ़ उन चंद मशहूर नविश्तों के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा की है कि जो बहुत सी अहादीष़ पर मुश्तमिल (आधारित) थे या जो मुस्तक़िल सहीफ़े और किताब की हैषियत रखते थे। वरना अगर सहाबा की उन तमाम तहरीरात को यकजा जमा किया जाए कि जिसमें उन्होंने किसी हदीष़ का ज़िक्र किया है तो उसके लिये एक मुस्तक़िल किताब चाहिये। जिसके लिये काफ़ी फ़ुर्सत और वसीअ मुतालआ और ततब्बुअ व तलाश की ज़रूरत है।

अहदे सहाबा (रज़ि.) में ताबेईन के नविश्ते :–

(1) सुनन दारमी में बशीर बिन नुहैक सदौसी से जो मशहूर ताबेई हैं, मन्क़ूल है कि :–

'कुन्तु अक्तुबू मा अस्मउ मिन अबी हुरैरत फलम्मा अरत्तु अन उफ़ारिक़हू अतैतुहू बि किताबिही फक़रअतुहू अलैहि व कुल्तु लहू हाज़ा मा समिअतु मिन्क क़ाल नअम.' (बाबु मन रख़्ख़स फ़ी किताबतिल इल्मि) .

मैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से जो हदीषें सुनता था लिख लेता था। फिर जब मैंने उनसे रुख़्सत होने का इरादा किया तो उस किताब को लेकर उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसको उनके सामने पढ़कर सुनाया। और फिर उनसे कहा कि ये सब वही हदीषें हैं जो मैंने आपसे सुनी हैं। फ़र्माने लगे हाँ।

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने भी किताबुल इलल में इस वाक़िअ को बिल इख़्तिसार नक़ल किया है।

(2) ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की मर्वियात से एक सह़ीफ़ा ह्मामाम बिन मुंबा यमानी ने भी मुरत्तब किया था। उसमें एक सौ चालीस के क़रीब अह़ादीष़ मज़्कूर हैं। ये पूरा सह़ीफ़ा इमाम अह़मद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में यक्जा रिवायत किया है। सह़ीहैन में भी इस सह़ीफ़े की रिवायतें मुतफ़र्रिक़ तौर पर मौजूद हैं। ह़ाफ़िज़ इब्ने हजर ने इस सह़ीफ़े के मुता'ल्लिक़ इब्ने ख़ुज़ेमा के ये अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं कि **'सह़ीफ़तु हम्माम अन अबी हुरैरत मश्हूरतुन'** ये सह़ीफ़ा आज भी जर्मनी के मशहूर शहर बर्लिन के कुतुबख़ाने (लाइब्रेरी) में मौजूद है।

(3) सुनन दारमी में सईद बिन जुबैर से जो मशहूर अइम्म-ए-ताबेईन में से हैं, मरवी है कि,

'कुन्तु अक्तुबु इन्दब्नि अ़ब्बासिन फ़ी सह़ीफ़तिन' (बाबु मन रख़्ख़स फ़ी किताबतिल इ़ल्मि) मैं इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास बैठा सह़ीफ़े में लिखता रहता था।

दारमी ही ने उनसे ये भी नक़ल किया है कि मैं रात को मक्का मुअ़ज़्ज़मा की राह में ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के हमरिकाब होता। वो मुझसे कोई ह़दीष़ बयान करते तो पालान की लकड़ी पर लिख लेता ताकि सुबह को फिर उसे नक़ल कर सकूँ। सुनन दारमी ही में है कि उनका बयान भी मज़्कूर है कि मैं ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से रात को ह़दीष़ सुनता तो पालान की लकड़ी पर लिख लेता था।

(4) सुनन दारमी में सलम बिन क़ैस का बयान मज़्कूर है कि मैं ने अबान को देखा कि वो ह़ज़रत अनस (रज़ि.) के पास बैठे तख़्तियों पर लिखते रहते थे। (बाबु मज़्कूर)

(5) ह़ज़रत ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) एक ज़माने तक किताबते ह़दीष़ के क़ाइल न थे। मरवान ने अपनी इमारते मदीना के ज़माने में उनसे ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि वो कुछ ह़दीष़ें लिख दें मगर आपने मंज़ूर न फ़र्माया। आख़िर उसने ये तदबीर निकाली कि पर्दे के पीछे कातिब बिठाया और ख़ुद ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि.) को अपने यहाँ बुलाने लगा। यहाँ मुख़्तलिफ़ लोग आपसे मसाइल व अह़काम दरयाफ़्त करते, और आप जो कुछ फ़र्माते कातिब लिखता जाता।

हिफ़्ज़े ह़दीष़ :—

ये मअ़दूदे चंद वाक़िआ़त हैं जिनमें ख़ुद सह़ाबा किराम या सह़ाबा के सामने ह़दीष़ के सह़ीफ़े और नविश्ते लिखे जाने का ज़िक्र है। दौरे ताबेईन में अगरचे अह़ादीष़ के क़लमबंद करने का सिलसिला पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। ताहम अब तक आ़म तौर पर लोग लिखने के आ़दी न थे और जो कुछ लिखते उससे मक़सूद सिर्फ़ उसको अज़बर करना होता था इस ज़माने में ह़दीष़ों को सुनकर ज़ुबानी याद करने का उसी तरह रिवाज था जिस तरह मुसलमान क़ुर्आन को याद करते हैं।

इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं:—

'लम यकुनिल क़ौमु यक्तुबून इन्नमा कानू यह़फ़ज़ून फ़ मन कतब मिन्हुमुश्शयअ फ़ इन्नमा यक्तुबूहु लियह़फ़ज़हु फ़इज़ा हफ़िज़हू महाहू.'

अगले लोग लिखते न थे बस हिफ़्ज़ करते थे और जो कोई उनमें से कुछ लिख भी लेता तो ह़िफ़्ज़ करने ही के लिये लिखता और जब ह़िफ़्ज़ कर लेता तो उसे मिटा डालता।

तक़रीबन पहली सदी हिजरी तक अ़रब उ़लमा आ़म तौर पर किताबत को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अ़रबों का ह़ाफ़िज़ा फ़ितरतन निहायत क़वी (मज़बूत) था। वो जो कुछ सुनते फ़ौरन याद कर लेते थे ऐसी सूरत में किसी चीज़ को लिखना तो दरकिनार उसका दोबारा पूछना भी तअ़ज्जुब से देखा जाता था। चुनाँचे सुनन दारमी में इब्ने शब्रमा की ज़ुबानी मन्क़ूल है कि शुअ़बी कहा करते थे। ऐ शबाक (शुअ़बी के शागिर्द का नाम) मैं तुमसे दोबारा ह़दीष़ बयान कर रहा हूँ हालाँकि मैंने कभी किसी से ह़दीष़ के दोबारा इआ़दह की दरख़्वास्त नहीं की।

उसी किताब में शुअ़बी का ये बयान भी मौजूद है कि **'मा कतबतु सवादन फ़ी बयाज़िन वलस्तअ़त्तु हदीष़न मिन इन्सानिन.'** मैंने न कभी सफ़ेदी पर स्याही से लिखा और न कभी किसी इंसान से एक बार हदीष़ सुनकर दोबारा उससे इआदह करवाया।

सुनन दारमी ही में इमाम मालिक से ये भी मरवी है कि इमाम ज़ुहरी ने एक बार एक हदीष़ बयान की फिर किसी रास्ते में मेरी ज़ुहरी की मुलाक़ात हुई। तो मैंने उनकी लगाम थामकर कहा कि ऐ अबूबक्र (ये इमाम ज़ुहरी की कुन्नियत है) जो हदीष़ आपने हमसे बयान की थी उसे ज़रा मुझे दोबारा बता दीजिए। जवाब दिया तुम हदीष़ को दोबारा पूछते हो? मैंने कहा क्या आप दोबारा नहीं पूछते थे? कहने लगे नहीं! मैंने कहा लिखते भी न थे? कहने लगे, नहीं!

हाफ़िज़ इब्ने अ़ब्दुल बर्र, जामेअ़ बयानुल इल्म में उन तमाम उ़लमा के अक़्वाल नक़ल करने के बाद कि जो किताबते इल्म को पसंदीदा नज़र से नहीं देखते थे, फ़र्माते हैं:–

'मिन ज़िक्रिना क़ौलहू फ़ी हाज़ल बाबि फ़इन्नमा ज़हब फ़ी ज़ालिक मज़हबल अरबि लि अन्नहुम कानू मत़बूईन अलल हिफ़्ज़ि मख़्सूसीन बि ज़ालिक वल्लज़ीन करिहुल किताब कब्नि अ़ब्बासिन वश्शुअ़बी वब्नु शिहाबिन वन्नख़ई व क़तादत व मन ज़हब मज़हबहुम व जबल्ल जिबल्लतहुम कानू कत तबइ अलल हिफ़्ज़ि फ़ कान अह़दुहुम यजतज़ी बिस्सुमअ़ति अला तरा मा जाअ अनिब्नि शिहाबिन अन्नहू कान यक़ूलु इन्नी लअमर्रु बिल बक़ीइ फ़असद्दुआज़ानी मख़ाफ़तुन अंय्यदख़ुल फ़ीहा शैउम मिनलख़ना फ़वल्लाहि मा दख़ल उजनी शैउन क़त्तु फ़नसयतुह व जाअ अनिश्शुअ़बी नहवहु व हा-उलाइ कुल्लुहुम अरब. व क़ालन्नबिय्यु (ﷺ) नह्नु उम्मतुन उम्मियतुन ला नकतुबु व ला नह्सबु हाज़ा मशहूरुन इन्नल अरब क़द ख़ुस्सत बिल हिफ़्ज़ि कान अह़दुहुम यहफ़ज़ु अश्आर बअ़ज़िन फ़ी सुमअ़तिन वाहिदतिन व क़द जा–अ अन्नब्न अब्बासिन (रज़ि.) हफ़िज़ क़सीदत उ़मरब्नि रबीअ़त फ़ी सुमअ़तिन वाहिदतिन अला मा–ज़करु व लैस अह़दुल यौम अला हाज़ा व लौलल किताबु लज़ाअ कष़ीरुम मिनल इल्मि व क़द रख़्ख़स रसूल (ﷺ) फ़ी किताबिल इल्मि व रख़्ख़स फ़ीहि जमाअ़तुम मिनल उलमा–इ व हमिदू ज़ालिक'

जिसका क़ौल भी हमने इस बात में ज़िक्र किया है वो इस बारे में अ़रब की रविश पर गया है क्योंकि वो फ़ित़री त़ौर पर क़ुव्वते ह़ाफ़ज़ा रखते थे और इस सिलसिले में मुम्ताज़ थे। और जिन ह़ज़रात ने भी किताबत को नापसंद फ़र्माया है जैसे ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.), इमाम शुअ़बी, इमाम इब्ने शिहाब, ज़ुहरी, इमाम इब्राहीम नख़ई और क़तादा और वो ह़ज़रात जो उन्हीं के त़रीक़े पर चले और उन ही की फ़ित़रत पर पैदा हुए, ये सबके सब वो हैं जो तबअ़ी त़ौर पर क़ुव्वते ह़ाफ़िज़ा रखते थे। चुनाँचे उनमें का एक–एक शख़्स सिर्फ़ एक बार सुन लेने पर इक्तिफ़ा किया करता था। देखते नहीं कि इब्ने शिहाब से मरवी है कि वो फ़र्माया करते थे मैं जब बक़ीअ़ से गुज़रता हूँ तो अपने कान इस डर से बंद कर लेता हूँ कि कहीं कोई फ़ह़श बात उसमें न पड़ जाए क्योंकि अल्लाह की क़सम! कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात मेरे कान में पड़ी और मैं उसको भूल गया हूँ और शुअ़बी से भी इसी क़िस्म का बयान मन्क़ूल है। ये सब लोग अ़रब थे और आँह़ज़रत (ﷺ) का इर्शाद है कि हम उम्मी लोग हैं न लिखना जानते हैं न हिसाब न करना।

और ये चीज़ तो मशहूर है कि अ़रब को ज़ुबानी याद रखने में ख़ुसूसियात ह़ासिल है, चुनाँचे उनमें का एक–एक शख़्स कुछ लोगों के अश्आर को एक बार के सुनने में ह़िफ़्ज़ कर लिया था। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ आता है कि उन्होंने उ़मर बिन अबी रबीआ़ के क़सीदे **अम–न आलु नअ़म अन्ता ग़ादिन फ़ मुबक्किरु** को सिर्फ़ एक बार सुनकर याद कर लिया था। चुनाँचे उ़लमा ने इस वाक़िऐ का ज़िक्र किया है और आज एक शख़्स भी इस तरह की क़ुव्वते हाफ़ज़ा नहीं रखता बल्कि अगर तह़रीर न हो तो इल्म का बड़ा ह़िस्सा ज़ाये (नष्ट) हो जाए। हालाँकि आँह़ज़रत (ﷺ) भी किताबते इल्म की इजाज़त मर्हमत फ़र्मा चुके हैं और उ़लमा की एक जमाअ़त ने भी इसकी रुख़्सत दी है और इसको फ़ेअ़ले मह़मूद (बेहतरीन काम) क़रार दिया है।

और ये उन ड़लमा की बरकत है कि जिसकी बदौलत हम एक हज़ार साल तक हर दौर में ह़दीष़ शरीफ़ के ह़ाफ़िज़ बड़ी ता'दाद में नज़र आते हैं और क़ुर्आने करीम के हुफ़्फ़ाज़ तो अलह़म्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के चप्पे–चप्पे पर फैले हुए हैं। पिछली चंद सदियों में ह़िफ़्ज़े ह़दीष़ का सिलसिला बहुत ही कम हो गया, ताहम मताबेअ़ के वजूद में आने से पहले–पहले ड़लमे–ए–इस्लाम का ये आम दस्तूर था कि वो हर फ़न में एक मुख़्तसर मतन त़ालिबे इ़ल्म को ह़िफ़्ज़ याद करा दिया करते थे। मौजूदा सदी को छोड़कर किसी सदी के ड़लमा का तज़किरा उठा लीजिए और उनके ह़ालात पढ़िए तो आपको मा'लूम हो जाएगा कि वो मुख्तलिफ़ ड़लूम व फ़ुनून (ज्ञान और विज्ञान) की कितनी किताबें ज़ुबानी याद किया करते थे।

नाज़िरीन किराम ने तफ़्सीलाते मज़्कूरा से अंदाज़ा लगाया होगा कि ह़िफ़ाज़ते ह़दीष़ के सिलसिले में मुसलमानों की ख़िदमात उनको अदयाने आलम के पैरोकारों (दुनिया के अन्य धर्मों के मानने वालों पर) पर नुमायाँ मक़ाम देती हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) के हर–हर मुक़द्दस इर्शाद की हिफ़ाज़त के लिये उन्होंने हर वो कोशिश की जो इंसानी दायर–ए–इम्कान के अंदर दाख़िल है। मुसलमानों के यहाँ लफ़्ज़ 'ह़ाफ़िज़' अपनी जगह पर ख़ुद एक मुअ़ज़्ज़ज़ लक़ब बन गया। हुफ़्फ़ाज़े क़ुर्आन का तो ज़िक्र ही क्या है मगर हुफ़्फ़ाज़े ह़दीष़ भी इस कष़रत के साथ होते चले आ रहे हैं कि उनकी तफ़्सीली तज़्किरों से इस्लामी तवारीख़ (इतिहास) की किताबें भरपूर हैं।

हुफ़्फ़ाज़े ह़दीष़ अ़ह्दे स़ह़ाबा (रज़ि.) में :–

स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) को क़ुर्आन मजीद के साथ–साथ ह़िफ़्ज़े अह़ादीष़ का भी बेह़द शौक़ थाा। कुछ तो वालिहाना अंदाज़ में हर लम्हा हर घड़ी इसी इंतिज़ार में सरापा शौक़ बने रहते थे कि हुज़ूर (ﷺ) कुछ फ़र्माए और वो आप (ﷺ) के इर्शादे आली को ज़ुबान की नोक पर याद करने की सआ़दत ह़ासिल कर लें। इनमें ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का मक़ाम निहायत ही बुलंद है। आपको 5374 इर्शादाते नबवी बरज़ुबान याद थे। ह़ाफ़िज़ सख़ावी (रह.) ने 5364 की ता'दाद बतलाई है। उन ह़दीष़ों में से सिर्फ़ स़ह़ीह़ बुख़ारी में 1486 अह़ादीष़ नक़ल की गई हैं। जबकि इस मुस्तनद व मो'तबर किताब में किसी और स़ह़ाबी से इस क़दर अह़ादीष़ मन्क़ूल नहीं हैं। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर (रज़ि.) की रिवायत की गई ह़दीष़ों की कुल ता'दाद 2630 बतलाई गई है। जिनमें से बुख़ारी शरीफ़ के अंदर 270 ह़दीष़ें नक़ल की गई हैं। ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ख़ादिमे रसूले पाक (ﷺ) 2286, अह़ादीष़े नबवी के ह़ाफ़िज़ थे। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) को 2210 फ़रामीने रसूल (ﷺ) ज़ुबान की नोक पर याद थे। जिसमें से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेउ़स्स़ह़ीह़ में 242 अह़ादीष़ को नक़ल फ़र्माया है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) को 1660 ह़दीष़ें ज़बानी याद थीं। ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह(रज़ि.) 1540 ह़दीष़ों के ह़ाफ़िज़ थे और ह़ज़रत अबू सई़द ख़ुदरी (रज़ि.) को 1170 अह़ादीष़ें याद थीं। ये चंद मिष़ालें नमूने के त़ौर पर दी गई हैं वरना सारे ही स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) इस सआ़दत को ह़ासिल करने के लिये हमेशा तैयार रहते थे।

ख़तीबुल इस्लाम ह़ज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रऊफ़ स़ाह़ब रह़मानी झण्डा नगरी ने अपनी क़ाबिले क़द्र किताब सियानतुल ह़दीष़ में स़ह़ाबा किराम और ह़िफ़्ज़े ह़दीष़ के सिलसिले में एक नफ़ीसतरीन मक़ाला लिखा है। जिसे हम अपने क़ारेईने किराम के इज़्दियादे ईमान के लिये लफ़्ज़–ब–लफ़्ज़ नक़ल कर रहे हैं। जिससे अंदाज़ा हो सकेगा कि अ़ह्दे स़ह़ाबा में ह़दीष़े नबवी (ﷺ) को ह़िफ़्ज़ करने का किस क़दर एहतिमाम था। मौलाना मौसूफ़ लिखते हैं :–

चंद वाक़िआ़त :–

चंद वाक़िआ़त स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) के ज़ब्ते अल्फ़ाज़ और ह़िफ़्ज़े ह़दीष़ के भी हम यहाँ नक़ल कर रहे हैं ताकि स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) का अ़मली एहतिमाम मा'लूम हो कि वो किस तरह़ ख़ुद भी याद करते हैं और अपने रफ़ीक़ों व तलामिज़ा (शागिर्दों) को भी किस तरह़ ह़िफ़्ज़े अह़ादीष़ के लिये ताकीदाते बलीग़ा फ़र्माते थे।

एक बार ह़ज़रत ड़मर (रज़ि.) ने स़ह़ाबा (रज़ि.) की एक मजलिस में पूछा, **'अय्युकुम यह़्फ़ज़ु क़ौल**

रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़िल फ़ित्नति' या'नी फ़ित्नों के मुता'ल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की अहादीष़ किसको ख़ूब याद हैं? ह़ज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फौरन जवाब दिया कि **अना कमा क़ाल** (सहीह बुख़ारी जिल्द अव्वल पेज नं. 79)। मैं इस तरह याद रखता हूँ कि जिस तरह हुज़ूरेअकरम (ﷺ) ने फ़र्माया था। सुब्हानल्लाह! कैसा हिफ़्ज़ व ज़ब्त का कमाल है।

(2) एक मौक़े पर ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने एक पेश आमदा मुआमले में अहादीषे रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुता'ल्लिक़ सहाबा किराम की एक जमाअत से सवाल किया कि इस मुआमले में हल के लिये किसी को हदीष़ याद है? अनेक सहाबा किराम आगे बढ़े जिस पर ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने ख़ुश होकर फ़र्माया। **'अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फ़ीना मंय्यह़फ़ज़ु अला नबिय्यिन'** (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द अव्वल पेज नं. 149) कि उस मौला–ए–करीम की ता'रीफ़ है जिसने हममें उन लोगों को रखा है जो अहादीषे नबविया के हाफ़िज़ हैं। इससे अनेक सहाबा का हाफ़िज़े हदीष़ होना षाबित हुआ।

(3) ह़ज़रत अली (रज़ि.) ने अपने तर्ज़े अमल से सहाबा किराम को हिफ़्ज़े हदीष़ का ख़ूगर और ज़ब्ते अल्फ़ाज़ का पाबंद बनाया था। आपके मुता'ल्लिक़ अल्लामा जहबी (रह.) ने लिखा है, **'कान इमामन आलिमन मुतहर्रियन फ़िल अख़्ज़ि बिहयष़ु अन्नहू यस्तहलिफ़ु मंय्युहद्दिष़ुहु बिल हदीष़'** (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द अव्वल पेज नं. 10) या'नी ह़ज़रत अली (रज़ि.) इमाम जलीलुश्शान और आलिमे मुतबह्हर थे और अख़्ज़े हदीष़ में सख़्त तहर्री व तहक़ीक़ और एहतियात फ़र्माते। हत्ताकि हदीष़ बयान करने वालों से हलफ़ लेते कि तुमको ठीक–ठीक अल्फ़ाज़े नबवी याद हैं? और अल्फ़ाज़े नबवी में कोई कमी बेशी तो नहीं हो रही है। जब रावी क़सम से बयान करते कि बिल्कुल इसी तरह अल्फ़ाज़े नबवी में ये हदीष़ है, तब क़ुबूल फ़र्माते।

वाज़ेह रहे कि ह़ज़रत अली (रज़ि.) का मक़सद इससे अहादीष़ का ज़ब्त और तहफ़्फ़ुज़ ही था।

(4) ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) भी अहादीषे नबवी के बड़े ज़ाबित व हाफ़िज़ थे। ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की वफ़ात के मौक़े पर उनके इस वस्फ़े हिफ़्ज़े अहादीष़ को याद करके अफ़सोस व हसरत के लहज़े में फ़र्माया **'यहफ़ज़ु अलल मुस्लिमीन हदीष़न्नबिय्यि (ﷺ)'** (फ़त्हुल बारी जिल्द अव्वल पेज नं. 109) या'नी ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) अपने ज़माने के तमाम रावियाने हदीष़ में सबसे बढ़कर हाफ़िज़ुल हदीष़ थे।

इमाम अअमश (रह.) ने फ़र्माया, **'कान अबू हुरैरत मन अहफ़ज़ु अस्हाबि मुहम्मद (ﷺ)'** या'नी ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मुहम्मद (ﷺ) के अस्हाब में सबसे ज़्यादा अहादीष़ के हाफ़िज़ व ज़ाबित थे। (मुक़द्दमा इब्ने सलाह जिल्द अव्वल पेज नं. 34 व 149)

(5) ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं। हम लोग नबी (ﷺ) से अहादीष़ सुनकर याद कर लिया करते थे। उनके अल्फ़ाज़ ये हैं, **'कुन्ना नहफ़ज़ुल हदीष़ वल हदीषु यहफ़ज़ु अन रसूलिल्लाहि (ﷺ)'** (सहीह मुस्लिम जिल्द अव्वल पेज नं. 10) इससे मा'लूम हुआ कि न सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बल्कि जमाअते सहाबा में अहादीष़ के ज़ब्त व हिफ़्ज़ का उमूम के साथ एहतिमाम था।

(6) ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) अहादीषे नबविया के तलब व तलाश और एहतियात व ज़ब्ते अल्फ़ाज़ की ख़ुद भी बड़ी पाबन्दी फ़र्माते थे और अपने शागिर्दों को पाबन्द कराते। अल्लामा ज़हबी (रह.) लिखते हैं, **'कान मिम्मय यतहर्रा फ़िल अदाइ व युशद्दिदू फ़िर्रिवायति व यरजू तलामिज़तहू अनित्तहावुनि फ़ी ज़ब्ति अल्फ़ाज़िन'** या'नी असल अल्फ़ाज़ को याद करने के लिये ख़ुद भी बहुत एहतियात बरतते थे और अपने शागिर्दों को भी ज़ब्ते अल्फ़ाज़ की ताकीद फ़र्माते। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द अव्वल पेज नं. 13)

(7) एक बार ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने (ग़ालिबन कूफ़ा के मुअल्लिमी के ज़माने में) अपने शागिर्दों और दोस्तों से पूछा कि तुम लोग अहादीष़ को सहीह तरीक़े से ज़ब्त रखने के लिये बाहम मुज़ाकरा और दौरा करते हो या कि सुस्ती कर जाते हो? शागिर्दों ने जवाब दिया कि हम लोग दौर–ए–हदीष़ और ज़ब्ते अल्फ़ाज़ और बाहम मुज़ाकरा के लिये इस क़दर एहतिमाम रखते हैं कि हमारा हर साथी दूसरे को हदीषें सुनाता है। अगर कोई साथी कभी ग़ायब हो जाता है और किसी वजह से वो मुज़ाकरे में शरीक नहीं हो पाता है तो बाक़ी दोस्त लोग उससे वहीं जाकर मिलते हैं और इस तरह हम

मुज़ाकरा और दौरा ज़रूर कर लेते हैं। (सुनन दारमी पेज नं. 79)

(8) इसी तरह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) का वाक़िआ है। अगरचे ये अहादीषे नबविया को पूरी सिहत के साथ याद रखते थे लेकिन एक बार उनको एक हदीष में कुछ इश्तिबाह पैदा हो गया तो इस शक को मिटाने के लिये अपने दूसरे साथी हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) के पास मिस्र पहुँचे। जब मदीना से सफ़र करके मिस्र पहुँचे तो सवारी से उतरते ही फ़र्माते हैं कि **'हद्दषना मा–समिअ़तु मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़ी सतरिल मुस्लिमि लम यबक़ अहदुन ग़ैरि व ग़ैरुक'** या'नी आप मुझे वो हदीष सुना दीजिए जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुसलमानों के ऐबपोशी (ख़ामी छुपाने) के बारे में सुनी थी और आपके पास इसीलिये आया हूँ कि मेरे बाद आपके अलावा और कोई दूसरा इस हदीष के सुननेवालों में से अब बाक़ी नहीं है। हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने मुअ़ज़्ज़ज़ (सम्मानित) मेहमान की दिलदारी में सबसे पहले वही हदीष **'मन सतर मुस्लिमन ख़िजयहु सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामति'** सुना दी। आप सुनने के बाद ख़ुश व ख़ुर्रम अपनी सवारी की तरफ़ पलटे और मदीने की तरफ़ उसी वक़्त रवाना हो गये। मिस्र में अपना कजावा भी न खोला क्योंकि बजुज़ इस हदीष के सुनने और शक दूर करने के अलावा और कोई मक़सद न था। इब्ने अ़ब्दुल बर (रह.) के अल्फ़ाज़ इस मौक़े पर ये हैं:– **'फ अता अबू अय्यूब मुराहिलतहू फ़रक़िबहा वन सरफ़ इलल मदीनति वमा हल्ल रिहलहू'** (जामेअ़ बयानुल इल्म पेज नं. 64)

मेज़बान ने हर चंद उनको ठहराना चाहा मगर उनका मक़सद सिर्फ़ हदीष का सुनना और सहीह तौर पर महफ़ूज़ कर लेना ही था। जब उन्होंने हदीष को सुन लिया तो फिर बिना देर किये वापस लौट आए। इस रिवायत से ज़ाहिर हुआ कि सहाबा किराम (रज़ि.) किसी दूसरी ग़र्ज़ की आमेज़िश के बग़ैर (या'नी दीगर कोई काम शामिल किये बिना) सिर्फ़ तहफ़्फ़ुज़े हदीष के लिये अपने रफ़क़ाए दर्स (दर्स के साथियों) के पास सफ़र करते और अस्फ़ार तवीला (लम्बे–लम्बे सफ़रों) को इस मुआमले में आसान समझते थे। जो लोग न सिर्फ़ हदीष बल्कि हदीष सुननेवाले अपने तमाम रुफ़क़ा (साथियों) को भी जानते हों और बवक़्त ज़रूरत उनसे मुराजअ़त भी ज़रूर कर लेते हों उनकी सियानते-हदीष के मुआमले में अदना शुब्हा भी महज़ शैतानी वस्वसे हैं।

(9) इसी तरह इमाम दारमी (रह.) ने एक और सहाबी (रज़ि.) का वाक़िआ क़लमबंद फ़र्माया है कि वो सिर्फ़ एक हदीष की तस्हीह की ख़ातिर फ़ुज़ाला (रज़ि.) बिन उबैदुल्लाह के पास मिस्र पहुँचे। हज़रत फ़ुज़ाला (रज़ि.) ने आपको देखकर ख़ुश आमदीद फ़र्माया और मरहबा कहा। सहाबी ने कहा, **'इन्नी लम आतिक ज़ाइरन वला किन्नी समिअ़तु व अन्त हदीषम मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) रजौतु अन तकून इन्दक मिन्हु इल्मुन'** या'नी मैं आपके पास बतौर मेहमान नहीं आया हूँ बल्कि मैंने और आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक हदीष सुनी थी। जो मुझे पूरी तरह महफ़ूज़ नहीं रही (या'नी मुझे पूरी तरह से याद नहीं रही, इसलिये मैं आपके पास) इस ख़्याल और इस उम्मीद को लेकर आपके पास आया हूँ कि वो आपको याद होगी। (सुनन दारमी पेज नं. 69)

इस वाक़िअे से ज़ाहिर है कि सहाबा किराम ज़ब्ते हदीष और कमाले सिहत मा'लूम करने और उसे याद रखने के लिये अपने दीगर रुफक-ए-दर्स के पास लम्बे से लम्बे सफ़र इख़्तियार करके पहुँच जाते थे। क्या सच कहा है मौलाना हाली मरहूम ने,

सुना ख़ाज़िने इल्मे दीं जिस बशर को — लिया उससे जाकर ख़बर और अषर को
इसी धुन में आसाँ किया हर सफ़र को — इसी शौक़ में किया तै बहरो बर को (मुसद्दस हाली)

(10) इसी तरह हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) हाफ़िज़ुल हदीष होने के साथ अपने रुफ़क़ाए दर्स से भी वाक़िफ़ थे। चुनाँचे मक़ामे रब्ज़ा के गोश–ए–तन्हाई (एकान्त) में जब आपका इंतिक़ाल होने लगा तो आपकी अहलिया मुहतरमा ये तन्हाई और बे–सरो सामानी देखकर रोने लगीं। पूछा क्यूँ रोती हो? उन्होंने कहा आपकी ये हालत है और कपड़े वग़ैरह भी नहीं है। दफ़न-कफ़न के आम फ़राइज़ से भी मैं अकेली सुबुकदोश नहीं हो सकती। फ़र्माया कि तुम न घबराओ, एक बार आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें से एक शख़्स एक गोश–ए–जंगल में इंतिक़ाल करेगा और मेरे कुछ सहाबी बरवक़्त पहुँचकर उसके कफ़न दफ़न का इंतिज़ाम करेंगे चूँकि उस दर्स के वक़्त के मेरे तमाम साथी शहरों और आबादियों में मुन्तक़िल (स्थानान्तरित) हो चुके हैं इसलिये इस हदीष का मिस्दाक़ सिर्फ़ मैं ही रह गया हूँ और मैं ही आबादी से बाहर इंतिक़ाल

कर रहा हूँ, तो यक़ीनन अल्लाह के कुछ बन्दे आँहज़रत (ﷺ) की पेशगोई के मुताबिक़ मेरे कफ़न–दफ़न को पहुँचेंगे। चुनाँचे ऐसा ही हुआ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह का एक छोटा सा काफ़िला बरवक़्त कफ़न–दफ़न और नमाज़े जनाज़ा के लिये पहुँच गया। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) नक़ल करते हैं कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) ने फ़र्माया, '**अबशिरी वला तब्की फ़इन्नी समिअ़तु रसूलल्लाहि (ﷺ) यक़ूलु लिनफ़रि अना फ़ीहिम लयमुतन्ना रज़ुलुम्मिन्कुम बिफ़ुलातिम मिनल अर्ज़ि यशहदुहू असाबतुम मिनल मुस्लिमीन व लैष अहदुम मिन उलाइकन नफ़रि इल्ला क़द मा–त फ़ी क़रयतिंव व जमाअ़तिन फ़अना ज़ालिकर्रजुलु इन्तहा.**' (ज़ादुल मआद जिल्द अव्वल पेज नं. 460 वल क़िस्सतु बितुलिहा)

इस जगह मुझे सिर्फ़ ये कहना मक़सूद है कि उनको आँहज़रत (ﷺ) की हदीष भी याद थी और उसके साथ वो इस हदीष के तमाम रुफ़क़ा को भी साथ उनके जाए सकूनत (रहने की जगह/निवास स्थान) और जाए वफ़ात वग़ैरह से भी वाक़िफ़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह बरवक़्त आये और कफ़न दफ़न का इंतिज़ाम हो गया।

(11) इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी अहादीषे नबविया को पूरी तरह ज़ब्त रखते थे। आपके कमाले ज़ब्त और ग़ायते एहतियात फ़िल हदीष के सिलसिले में अल्लामा ज़हबी नक़ल करते हैं कि '**लम यकुन अहदुम मिनस्सहाबति इज़ा समिअ़ मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) हदीषन वाहिदन अहज़र अल ला यज़ीद वला यन्क़ुस मिन्हु वला वला मिन इब्नि उमर**' या'नी सहाबा किराम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से बढ़कर रिवायते हदीष में कोई और एहतियात बरतने वाला न था। आप हदीष नबवी के अख़्ज़ो–रिवायत में अदना दर्जा की कमी बेशी न होने देते थे। **वला वला मन इब्ने उमर** के अल्फ़ाज़ से मा'लूम होता है कि नबी करीम (ﷺ) के असल अल्फ़ाज़ की अदायगी और ज़ब्त व हिफ़्ज़ के मुआमले में उनका कोई भी हम पल्ला व हमसर न था। अल्फ़ाज़ नबवी की सही तर्तीब भी उनके हाफ़ज़े (याददाश्त) में महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहती थी। नीचे लिखा वाक़िआ मुलाहज़ा फ़र्माइए,

(12) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने '**बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन व सियामु रमज़ान वल हज्ज**' है। शागिर्दों व रुफ़क़ा (साथियों) में से एक साहब ने तकरारो हिफ़्ज़ के लिये दोहराते हुए आख़िरी लफ़्ज़ों को पलटकर यूँ कह दिया **वल हज्ज व सियाम रमज़ान**। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़ौरन टोका और कहा इस तरह नहीं! बल्कि **व सियामु रमज़ान वल हज्ज पढ़ो**। मैंने नबी करीम (ﷺ) से ऐसा ही सुना है। (सहीह मुस्लिम जिल्द अव्वल पेज नं. 32 व फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 298)

इफ़ादह :–

हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) से इस जगह नक़ले रिवायत में ज़हूल व तसामुअ़ (भूल) वाक़ेअ हुआ है क्योंकि मुस्लिम शरीफ़ की तरफ़ मुराजअ़त के (या'नी रुजूअ किये) बग़ैर महज़ हाफ़िज़े के भरोसे पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत को और इस मुमानअ़त को यूँ लिख दिया है। '**इजअ़लिस्सियाम उख़राहुन्न**' हालाँकि मुस्लिम शरीफ़ के हवाले मज़्कूरा से ज़ाहिर है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) सिमाअ़े नबवी (ﷺ) के मुताबिक़ (नबी (ﷺ) से सुने हुए के अनुसार) आख़िरी लफ़्ज़ हज्ज को क़रार देते हैं सिवाय इसके कि हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) की किसी और किताब पर नज़र हो।

(13) हज़रत अनस (रज़ि.) अपने हिफ़्ज़े रिवायत का वाक़िआ इस तरह बयान करते हैं कि हम लोग हदीषों को मजलिसे नबवी (ﷺ) में सुनते थे, आँहज़रत (ﷺ) के तशरीफ़ ले जाने के बाद बाहम उन हदीषों का तकरार और दौरा करते। एक सहाबी अपनी बारी पर सब हदीषों को बयान कर जाते। फिर दूसरे सहाबी बयान करते, फिर तीसरे इसी तरह कई बार हम साठ आदमी होते तो पूरे साठों आदमी अपनी–अपनी बारी पर सुनाते। ग़र्ज़ पूरा दौरा कर लेने के बाद हम लोग मुंतशिर होते (बिखरते), इस तरह कि हिफ़्ज़ व तकरार व मुज़ाकरा से अहादीषे रसूले करीम (ﷺ) पूरी तरह हमारे ज़हनों में बैठ जातीं। (मज्मउज़्ज़वाइद जिल्द अव्वल पेज नं. 64)

इफ़ादह :–

हज़रत अनस (रज़ि.) पहले तो उन हदीषों को ज़हन में महफ़ूज़ करते। फिर उनको क़लमबंद करके बग़र्ज़ इस्लाह (सुधार के

इरादे से) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश करते। इस तरह नज़रेषानी करके अहादीष़ को पूरी सिह़त के साथ सीना व सफ़ीना में जमा फ़र्माते। (मुस्तदरक हाकिम व फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 331)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के बाद सबसे ज़्यादा ह़दीषें हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है। इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि उनसे 2286 अहादीषें मरवी हैं। (तल्क़ीह़ फुहूमु अहलिल अष़र पेज नं. 184 व फ़त्हुल मुग़ीष़)

(14) हज़रत हिशाम (रज़ि.) बिन आ़मिर भी बड़े ज़ाबित और अहादीषे नबविया के हाफ़िज़ थे। एक बार अपने साथियों से कहा, **'इन्नकुम मुतजाविज़ून इला रहतिम मिन अस्हाबिन्नबिय्यि (ﷺ) मा कानू अहसा व अह़फ़ज़ू लिहदीषिही मिन्नी'** (मुस्नद अह़मद जिल्द 4 पेज नं. 19) या'नी तुम लोग दर्से ह़दीष़ के लिये जिन स़ह़ाबा किराम के पास जाते हो वो अहादीषे नबविया (ﷺ) के हिफ़्ज़ व ज़ब्त के मुआमले में मुझसे बढ़कर कोई नहीं हैं। या'नी तुम दूर दराज़ बिला वजह जाते हो जबकि अहादीषे नबविया (ﷺ) के हिफ़्ज़ो-ज़ब्त में किसी से कम नहीं हूँ।

(15) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि हम लोग ह़दीष़ को सुनकर हिफ़्ज़ किया करते थे। सुनन दारमी में है कि अपने शागिर्दों से फ़र्माया कि जिस तरह हमने नबी करीम (ﷺ) से सुनकर ह़दीषों को हिफ़्ज़ किया है। इसी तरह तुम लोग हमसे सुनकर ह़दीषों को हिफ़्ज़ करो और उसके लिये बाहम मुज़ाकरा (आपस में चर्चा) और तकरार करते रहो। (सुनन दारमी पेज नं. 66)

इसी तरह इब्ने अ़ब्दुल बर लिखते हैं, **'कान मिम्मन ह़फ़िज़ अन रसूल्लिाहि (ﷺ) सुननन कष़ीरतन'** (इस्तिआ़ब जिल्द नं. 2 पेज नं. 567) या'नी हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की अहादीषे कष़ीरा के हाफ़िज़ थे।

(16) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अल आ़स़ (रज़ि.) भी अहादीष़ को हिफ़्ज़ फ़र्माते और लिख भी लेते थे। मुस्नद अह़मद में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का उनके मुता'ल्लिक़ ये ए'तिराफ़ मौजूद है कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) हाथ से लिखते है और वैसे याद भी करते थे। अ़ल्लामा इब्ने अ़ब्दुल बर (रह.) ने लिखा है। **'फ़इन्नहू कान वाइयल क़ल्बि व कान यक्तुबू'** (इस्तियाब जिल्द नं. 1 पेज नं. 370) या'नी अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अल आ़स़ ज़ुबानी भी याद रखते थे और लिखते भी थे। मुस्नद अह़मद में उनका बयान मन्कूल है कि मैं याद करने ही के लिये लिखता था। (मुस्नद अह़मद जिल्द 2 पेज नं. 162)

(17) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) भी हाफ़िज़ुल ह़दीष़ थे। एक बार हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनकी एक ह़दीष़ पर मज़ीद शहादत त़लब की (गवाही माँगी गई)। हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) अंसार के एक मज्मए में तशरीफ़ ले गये और इस ह़दीष़ के मुता'ल्लिक़ सवाल किया कि आप लोगों में किसी ने इस ह़दीष़ को नबी करीम (ﷺ) से सुना है। और आप लोगों को याद हो तो फ़र्माइए, पूरे मज्मए ने जवाब दिया, हाँ! हम सबको ये ह़दीषे नबवी याद है और हम सबने सुना है। (तज़किरा अव्वल पेज नं. 6, हुज्जतुल्लाह अव्वल पेज नं. 141)

इससे मा'लूम हुआ कि स़ह़ाबा को अहादीष़ बहुत ही पुख़्ता त़रीक़े से याद रहती थी।

(18) हज़रत उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) भी अहादीषे नबविया (ﷺ) के हाफ़िज़ थे। एक बार आपने हज़रत उ़मर (रज़ि.) के सामने एक ह़दीष़ बयान की। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने मज़ीद शहादत उनसे भी त़लब फ़र्माई। हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) और फ़ारूक़े आ'ज़म (रज़ि.) दोनों अंसार के मज्मए में पहुँचे और ज़ेरे बहष़ ह़दीष़ के मुता'ल्लिक़ अहले मज्मए से पूछा, सबने कहा **'क़द समिअ़ना हाज़ा मिन रसूलिल्लाह (ﷺ)'** या'नी हम सबने इस ह़दीष़ को रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। (तज़किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 8 व मुंतख़ब कंज़ुल अ़म्माल जिल्द 3 पेज नं. 262)

इन दोनों रिवायतों से हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) और हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) के हिफ़्ज़े ह़दीष़ की बकमाल दर्जे ताईद व तस्दीक़ भी षाबित हुई और इज्माली त़रीक़े से दीगर स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) के हिफ़्ज़े ह़दीष़ का हाल भी मा'लूम हुआ।

(19) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने अपने साहबज़ादे अबूबर्दा (रज़ि.) से फ़र्माया **'इह़फ़ज़ कमा ह़फ़िज़ना अन रसूलिल्लाहि (ﷺ)'** या'नी जिस तरह हमने आँह़ज़रत (ﷺ) की ह़दीषों को याद किया, उसी तरह तुम भी याद कर लो (मज्मउ़ज़्ज़वाइद जिल्द अव्वल पेज नं. 60)

इस ह़दीष़ में हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) के हिफ़्ज़े ह़दीष़ का षुबूत तो मिलता ही है। दीगर स़ह़ाबा (रज़ि.)

के ह़िफ़्ज़े अह़ादीष़ का भी पता लगता है। जैसा कि **कमा ह़फ़िज़ना अन रसूलिल्लाह (ﷺ)** इस पर एक वाज़ेह़ दलील है। अ़ल्लामा हैष़मी इस रिवायत के मुता'ल्लिक़ लिखते हैं। **व रिजालुहू रिजालुस्सह़ीह़ि।**

(20) ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह भी अ ह़ादीष़े शरीफ़ा के ज़ाबित व ह़ाफ़िज़ थे। अ़ल्लामा इब्ने अ़ब्दुल बर (रह.) कहते हैं कि **'व कान मिनल मुकष़्ष़िरीनल ह़ुफ़्फ़ाज़ि लिस्सुनिन'** या'नी ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) सुनन नबविया (ﷺ) के ह़ाफ़िज़ थे। (इस्तीआ़ब जिल्द अव्वल पेज नं. 85)

(21) इन्हीं जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने नक़ल किया है कि **'व रहल जाबिरुब्नु अ़ब्दिल्लाहि मसीरत शहरिन इला अ़ब्दिल्लाहि इब्ने अनीस फ़ी ह़दीष़िन वाहिदिन'** (स़ह़ीह़ बुख़ारी जिल्द अव्वल पेज नं. 17) या'नी ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) ने सिर्फ़ एक ह़दीष़ के लिये एक माह का सफ़र तै किया और अ़ब्दुल्लाह बिन अनीस (रज़ि.) से मिलकर इस ह़दीष़ का सिमाअ़ किया (या'नी उस ह़दीष़ को सुना)। ये सफ़र जैसा कि शारेह़ीने ह़दीष़ ने लिखा है मदीने से शाम (वर्तमान में सीरिया) तक का था।

अ़ल्लामा इब्ने अ़ब्दुल बर (रह.) ने लिखा है कि जब इस ह़दीष़ को ह़ास़िल करने के लिये मम्लिकते शाम पहुँचने का इरादा किया तो उसी सफ़र के लिये एक ऊँट ख़रीदा। ये तमाम एहतिमाम सिर्फ़ एक ह़दीष़ के सुनने के लिये था। इससे मा'लूम हो सकता है कि अह़ादीष़े नबविया (ﷺ) के स़ह़ीह़ तौर से याद रखने, उसे महफ़ूज़ करने व जमा करने का किस क़दर एहतिमाम था।

(22) अबू शुरैह़ ख़ुज़ाई (रज़ि.) भी ह़ाफ़िज़े ह़दीष़ थे। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) के ख़िलाफ़ जब यज़ीद के हुक्म से अ़म्र बिन सईद ने फ़ौजकशी के लिये मक्का पर चढ़ाई की तैयारी की तो उन्होंने फ़र्माया कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़रमे मक्का में लड़ाई करने को ह़राम ठहराया है। इस मौक़े के अल्फ़ाज़ ये हैं, **'अय्युहल अमीरु उह़द्दिषुक क़ौलन क़ाम बिहिन्नबिय्यु (ﷺ) स़मिअ़तहू उज़ुनाय व वआहू क़ल्बी'** या'नी मैं तुमको रसूलुल्लाह (ﷺ) की वो ह़दीष़ सुना रहा हूँ जिसको ख़ुद मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने याद रखा। (स़ह़ीह़ बुख़ारी जिल्द अव्वल किताबुल इ़ल्म)

इससे मा'लूम होता है ये ह़दीष़ उनके ह़ाफ़ज़े में पूरी स़िह़त के साथ फ़तह़े-मक्का के वक़्त से लेकर यज़ीद बिन मुआ़विया (अमीर मुआ़विया रज़ि. के बेटे) के अ़ह्द तक तक़रीबन आधी सदी से ज़्यादा अ़र्से तक मह़फ़ूज़ रही थी।

(23) समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) भी ह़ाफ़िज़ुल ह़दीष़ थे। ह़ज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) ह़ज़रत समुरह (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ कहते हैं, **'क़द सदक़ व ह़फ़िज़'** या'नी वो सच्चे हैं और ह़ाफ़िज़ुल ह़दीष़ हैं। (अल इस्तिआ़ब दूसरी जिल्द पेज नं. : 546)

ह़ाफ़िज़ सख़ावी (रह.) ने ह़ज़रत समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) का बयान नक़ल किया है कि मैं आँह़ज़रत (ﷺ) की ह़दीष़ों को ह़िफ़्ज़ रखता था (फ़त्ह़ुल मुग़ीष़ पेज नं. 311)

ग़र्ज़ स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) इस ह़दीष़ को **'नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन स़मिअ़ मक़ालती फ़ौआहा व अद्दाहा कमा समिअ़ मिन्नी'** के तह़त बयान करते थे। जिनको उन्होंने अपने ज़मान-ए-इस्लाम में सुना था। लेकिन कमाल ये है कि उन ह़ज़राते स़ह़ाबा (रज़ि.) ने अपने इस्लाम लाने से पहले भी जिन ह़दीष़ों को आँह़ज़रत (ﷺ) को बयान करते हुए सुना था उनको भी ख़ूब याद रखा। और बाद इस्लाम लाने के उनकी तर्वीज व रिवायत फ़र्माई। ह़ाफ़िज़ सख़ावी (रह.) के अल्फ़ाज़ इस मौक़े पर ये हैं, **'क़द ष़ब्बतत रिवायातुन कष़ीरतुन लिग़ैरि वाहिदिम्मिनस्स़ह़ाबति कानू ह़फ़िज़ुहा क़ब्ल इस्लामिहिम व अद्दूहा बअ़दहू।'** (फ़त्ह़ुल मुग़ीष़ पेज नं. 164)

इसी तरह़ स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) के ह़िफ़्ज़े रिवायत के मुता'ल्लिक़ ह़ाफ़िज़ इब्ने अ़ब्दुल बर (रह.) कुर्तुबी लिखते हैं, **'अल्लज़ीन नक़ुलूहा अन नबिय्यिहिम (ﷺ) इलन्नासि काफ़्फ़तन व ह़फ़िज़ूहा अ़लैहि बल्लग़ू मा अन्द्दू व हुम स़ह़ाबतुव वल हवारिय्यूनल लज़ीन व ऊ़हा व अद्दूहा ह़त्ता कम-ल बिमा नक़लूहुद्दीन'** (ख़ुत्बा इस्तिआ़ब जिल्द अव्वल पेज नं. 2)

अगर फ़ुर्सत और वक़्त मुसाअ़दत (मदद) करे तो ऐसी बहुत सारी मिष़ालें सुनन अर्बअ़ व स़ह़ीह़ैन व मुस्नदात व मुजामिअ़ के बुतून से निकालकर पेश की जा सकती हैं।

हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर (रह.) ने बिल उमूम तमाम सहाबा (रज़ि.) के हिफ़्ज़े अहादीष़ का इज्माली तौर पर तज़किरा ख़ुत्ब–ए इस्तिआब में फ़र्माया है और अदा-ए-रिवायत व हिफ़्ज़े अहादीष़ व तब्लीग़े सुनन में उनके एहतिमामे अज़ीम का ए'तिराफ़ किया है। इन हक़ाइक़ की मौजूदगी में सहाबा किराम (रज़ि.) के हिफ़्ज़े रिवायात व तब्लीग़े अहादीष़ कमा हियस में ग़लती का इम्कान करना इद्दिआए-बातिल है। सहाबा किराम (रज़ि.) ख़ुद भी अहादीष़ को अज़बर करते और अपने शागिर्दों को भी हिफ़्ज़ व तकरार, मुदावमते नज़र की ताकीद करते। और नबी करीम (ﷺ) की दुआ **'नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन'** के तहत दारेन की सरफ़राज़ी व सुर्ख़रूई हासिल करने के लिये सहाबा किराम (रज़ि.) व ताबेईन इज़ाम (रह.) हिफ़्ज़े अहादीष़ व तब्लीग़े सुनन में ग़ैर मामूली एहतिमाम रखते थे। बस ऐसे वसीउल हाफ़िज़ अस्हाबे किराम (रज़ि.) और उनके तर्बियतयाफ़्ता शागिर्दों के लिये अदमे ज़ब्त (संकलन नहीं करना) और अदमे हिफ़्ज़ (याद नहीं रखना) और निस्यान (भूल जाने) का वहम सरासर तवह्हुम-परस्ती और हक़ाइक़ से इंहिराफ़ व इनाद है।

हिफ़्ज़ व ज़ब्त का तसलसुल (याद रखने की निरन्तरता) :–

आँहज़रत (ﷺ) ने ज़ब्त रिवायत व तब्लीग़े अहादीष़ पर जो बशारत **'नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालति फ़वआहा व अदाहा कमा समिअ मिन्नी'** के तहत दिया था। उसका अष़र सहाबा किराम (रज़ि.) पर ऐसा उम्दा हुआ कि सहाबा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) की हदीषों को ख़ुद भी अच्छी तरह महफ़ूज़ (सुरक्षित) किया और अहादीष़ का बाहम मुज़ाकरा दौरा भी किया और अपने शागिर्दों और ताबेईन तक हदीषों को पहुँचाया और अपने साथियों, दोस्तों व शागिर्दों को भी ख़ूब याद रखने के लिये शदीद ताकीद की। यहाँ चंद सहाबा किराम की इंतिबाह और ताकीदात के वाक़िआत इस सिलसिले में मुश्ते नमूना अज़ ख़रवार के तौर पर अर्ज़ किये जाते हैं :–

(1) हज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म (रज़ि.) सहाबा किराम (रज़ि.) को ज़ब्ते अहादीष़ की सख़्त ताकीद किया करते थे। (तज़्किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 7)

(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अहादीषे नबविया को हर ज़्यादतो–नुक़्सान (बढ़ाने–घटाने) से महफ़ूज़ रखने में सख़्त एहतिमाम फ़र्माते थे। (तज़्किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 37)

(3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अपने मशहूर शागिर्द इमाम नाफ़ेअ को जो हदीषें लिखवाई थीं, वो उनको अपने पास बिठाकर लिखवाईं ताकि कमी–बेशी का अदना सा अन्देशा भी न वाक़ेअ हो सके। (सुनन दारमी पेज नं. 69)

ये रिवायात के हिफ़्ज़ो ज़ब्त का किस क़दर आला दर्जे का एहतिमाम है।

(4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अपने शागिर्दों से ज़ब्ते अहादीष़ के सिलसिले में दौरा और बाहम तकरार व मुज़ाकरा का हुक्म दिया। हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) नक़ल करते हैं कि हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया, **'तज़ाकरुल हदीष़ फ़इन्न हयातहू मुज़ाकरतहू'** (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 331 मारिफ़तु उलूमुल हदीष़ लिल हाकिमी पेज नं. 141) या'नी अहादीष़ का बाहम मुज़ाकरा किया करो। कि ये हदीष़ की बक़ा व हिफ़ाज़त का ज़ामिन है।

(5) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अपने शागिर्दों से पूछा। कि तुम लोग रोज़मर्रा अहादीष़ का दौरा और आपस में तकरार कर लिया करते हो या नहीं? शागिर्दों ने कहा हमारा ये रोज़मर्रा का मामूल है। हम अपने दर्स के दोस्तों के पास चाहे वो कूफ़ा के किसी दूर दराज मुहल्ले में हो जाकर मिलते हैं और तकरार और दौरा बाहम मिलकर करते हैं। (सुनन दारमी पेज नं. 79)

(6) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) के शागिर्दों में ज़्यादातर कूफ़ा में थे क्योंकि हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) कूफ़ा में अमीरुल मुअमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ से मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। तो अहले कूफ़ा जिन अहादीष़ को हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से बरिवायते उमर (रज़ि.) सुनकर उनकी मज़ीद तस्दीक़ और ऊँची सनद के ख़याल से इब्ने मसऊद (रज़ि.) के शागिर्द कूफ़ा से मदीना आकर हज़रत उमर (रज़ि.) से सुना करते कि हदीषे नबवी अच्छी तरह से महफ़ूज़ हो जाए और पूरी तरह रिवायत की सिहत व अल्फ़ाज़े नबवी का वुष़ूक़ हो जाए। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 336)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के इन ताकीदात का ये नतीजा हुआ कि सब शागिर्द पुख़्ता हाफ़िज़ व शुयूख़े वक़्त (अपने दौर के उस्ताद) बनकर निकले हज़रत अली (रज़ि.) व हज़रत सईद बिन ज़ुबैर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि **'अस्हाबु अब्दिल्लाहि सुरूजु हाज़िहिल् क़राया'** (तब्क़ाति इब्ने सअद जिल्द, छह पेज नं. 4) हज़रत अब्दुल्लाह के शागिर्द

इस बस्ती के मिस्बाह (चिराग़) हैं। सुलैमान तमीमी (रह.) फ़र्माते हैं, **'कान फ़ीना सित्तून शैख़म्मिन अस्हाबि अब्दिल्लाह'** या'नी हमारे ज़माने में अब्दुल्लाह बिन मसऊद के शागिर्दों में से साठ शैख़ मौजूद थे।

(7) हज़रत अली (रज़ि.) ने अपने दोस्तों और शागिर्दों से फ़र्माया **'तज़ाकरू हाज़ल हदीष़ व इल्ला तफ़्अलू युदरसू'** (कंज़ुल उम्माल जिल्द नं. 5 पेज नं. 242 व जामेअ बयानिल इल्म जिल्द अव्वल पेज नं. 101)

या'नी अपने साथियों से आपस में मुलाक़ात करते रहो और हदीष़ का दौरा और मुज़ाकरा (विचार–विमर्श) जारी रखो और ग़फ़लत से छोड़े न रखो कि मिट जाए। जामेअ में तो मज़ीद ये अल्फ़ाज़ हैं। **'अकष़िरू ज़िकरल हदीष़ि फ़इन्नकुम इल्लम तफ़अलू यदरिसु इल्मुकुम'** या'नी हदीष़ का मुज़ाकरा बकष़रत ज़ारी रखो। अगर इसमें ग़फ़लत करोगे तो तुम्हारा इल्म मिट जाएगा।

(8) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बिन अब्दुल्लाह के शागिर्द भी हज़रत जाबिर (रज़ि.) के हस्बे ताकीद आपस में दौरा व तकरार करते रहते थे। हज़रत ज़ाबिर (रज़ि.) के शागिर्दों में मशहूर ताबिई अ़ता बिन अबी रबाह का मक़ूला इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने नक़ल किया है। **'क़ाल कुन्ना इज़ा ख़रजना मिन इन्द जाबिरिन तज़ाकरना हदीष़हू व कान अबुज़ुबैर अहफ़ज़ुनल हदीष़'** (जामेअ तिर्मिज़ी किताबुल इलल जिल्द नं. 2 पेज नं. 246, तब्क़ाते इब्नि सअ़द जिल्द नं. 5 पेज नं. 354)। या'नी हम लोग हज़रत जाबिर (रज़ि.) की मज्लिस से अहादीष़ को सुनने के बाद उठते तो उनसे हासिलकर्दा अहादीष़ का आपस में दौरा व तकरार करते थे और बारी-बारी आपस में सुनते सुनाते और तमाम साथियों में हमारे साथी अबुज़ुबैर का हाफ़ज़ा सबसे अच्छा ष़ाबित होता।

(9) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ख़ुद भी अहादीष़े करीमा को हिफ़्ज़ रखते और अपने दोस्तों और शागिर्दों को हदीष़ों के हिफ़्ज़ करने की ताकीद करते। कहते थे **'तज़ाकरु हाज़ल हदीष़ ला यंफ़लितुम्मिन्कुम'** हदीष़ों का आपस में मुज़ाकरा व तकरार करते रहो ताकि ग़फ़लत के सबब ज़हन से निकल न जाए। (सुनन दारमी पेज नं. 78 व फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 331)

(10) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ख़ुद भी हाफ़िज़ुल हदीष़ थे और जिन शागिर्दों को अहादीष़े नबविया बताते थे उनसे भी आपस में तकरार व मुज़ाकरा और हिफ़्ज़े हदीष़ की ताकीद फ़र्माते। (सुनन दारमी पेज नं. 62 व फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 331)

अल ग़र्ज़ कुछ सहाबा किराम बिल उमूम अपने शागिर्दों को अहादीष़ के हिफ़्ज़ो ज़ब्त की ताकीद करते थे चुनाँचे इब्ने अब्दुल बर (रह.) ने हज़राते सहाबा (रज़ि.) का क़ौल नक़ल किया है, **'इन्ननबिय्यकुम (ﷺ) युहद्दिषुना फ़नह्फ़ज़ु फ़ह्फ़ज़ु कमा कुन्ना नह्फ़ज़ु'** (जामेअ बयानुल इल्म पेज नं. 64)

इफ़ादा :—

हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) ने चंद और हज़रात सहाबा (रज़ि.) का नाम क़लमबंद किया है। अल् ग़र्ज़ आँहज़रत (ﷺ) के इन बड़े सहाबियों ने ख़ुद भी अहादीष़े नबविया को हिफ़्ज़ रखा और अपने दोस्तों और शागिर्दों को भी हिफ़्ज़े हदीष़ के लिये ताकीदात फ़र्माई चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, हज़रत ज़ैद बिन ष़ाबित, हज़रत मूसा अशअरी, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का नाम पेश करके उनके बारे में लिखा है, **'अमरू बिहिफ़्ज़ ही कमा अख़ज़ूहु हिफ़्ज़न्'** (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 237) या'नी जिस तरह इन हज़रात ने ख़ुद याद रखा उसी तरह लोगों को भी ज़ुबानी याद रखने की ताकीद फ़र्माई। इन चंद मिष़ालों के पेशे नज़र ये मा'लूम किया जा सकता है कि सहाबा किराम और उनके शागिर्द ताबेईने इज़ाम (रह.) और अइम्म–ए–हदीष़ में अहादीष़े नबविया के ज़ब्त व तष़ब्बुत का सिलसिला **'करनन् बअ़द क़रनिन'** (ज़माने के बाद ज़माना) तसलसुल (लगातार चलने वाले सिलसिले) के साथ क़ायम रखा। इन हक़ाइक़ की मौजूदगी में अहादीष़े नबविया के कमाले हिफ़ाज़त और सीना व सफ़ीना में ज़ब्त व हिफ़्ज़ का एहतिमाम व इअतिनाअ साफ़ तौर से वाज़ेह हो रहा है। **'फ़रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन'** (सियानतुल हदीष़)

हुफ़्फ़ाज़े हदीष़ के तज़्किरे में यूँ तो बहुत सी किताबों में लिखी गई है मगर हम बतौरे नमूना चंद किताबों का ज़िक्र करते हैं।

तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ :—

इस अज़ीम किताब के मुसन्निफ़ हाफ़िज़ शम्सुद्दीन ज़हबी हैं। जिनका सने वफ़ात 748 हिज्री है। ये किताब चार ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल (आधारित) है और इसमें सहाबा के ज़माने से लेकर सातवीं सदी हिज्री के बाद तक के बहुत से हुफ़्फ़ाज़े हदीष़ का

तज़्किरा है। जिसमें ख़ास अम्र ये है कि आपने उन उलमा का तज़्किरा बिलकुल छोड़ दिया जो अहले इल्म में तो शुमार है मगर हाफ़िज़े हदीष़ में नहीं है।

इसी तरह उन हज़रात का तज़्किरा भी इस किताब में नहीं लिखा गया। जो बे-तहक़ीक़े मुहद्दिष़ीन, मत्रुकुर्रिवायत (जिसकी रिवायत को छोड़ दी जाए) क़रार दिये जाते हैं। मिष़ाल के तौर पर सिर्फ़ वाक़ेदी को पेश किया जा सकता है। हाफ़िज़ साहब लिखते हैं –

'अल हाफ़िज़ु अल बह्रु लम असुक़ तरजमतहू हुना लि इत्तफ़ाक़िहिम अला तर्कि हदीष़िही व हुव मिन औइय्यतिल इल्मिल कअबति ला यत्तकिनुल हदीष़ व हुव रासुन् फ़िल मग़ाज़ी वस्सियरि व यरवी अन कुल्लि ज़र्बिन' वाक़िदी हदीष़ के हाफ़िज़ और इल्मे समुंदर हैं। मगर मैं उनका तर्जुमा यहाँ नहीं लाया क्योंकि मुहद्दिष़ीने किराम ने बिल इत्तिफ़ाक़ उनको मत्रुकुल हदीष़ क़रार दिया है। ये इल्म का ख़ज़ाना है मगर हदीष़ में उनको पुख़्तगी हासिल नहीं थी और मग़ाज़ी और सियर में तो इमाम फ़न मुसल्लम है। मगर नुक़्स ये है कि हर क़िस्म के लोगों से रिवायत ले लेते हैं। अल ग़र्ज़ हुफ़्फ़ाज़े हदीष़ के तज़्किरा में ये किताब बहुत ही क़ाबिले क़द्र है। जिसमें ख़ालिसन उन्हीं उलमा का ज़िक्र किया गया है। जो हदीष़ के हाफ़िज़ थे जिनकी अदालत व सख़ावत पर उम्मत का इत्तेफ़ाक़ (सर्वसम्मति) रहा है।

तज़्किरातुल हुफ़्फ़ाज़ व तब्सिरतुल ईक़ाज़ :–

अल्लामा यूसुफ़ बिन हसन बिन अब्दुल हादी हंबली अल मुतवफ़्फ़ा 909 हिज्री ने इस किताब को लिखा है। जिसमें हुफ़्फ़ाज़े हदीष़ के नाम बयान करके हर एक के साथ उसके हाफ़िज़े हदीष़ होने की तशरीह भी नक़ल की है जो ज़्यादातर अल्लामा ज़हबी (रह.) की तारीख़े कबीर और काशिफ़ से मन्क़ूल है। मुसन्निफ़ (रह.) लिखते हैं,

इस किताब के अंदर मैं उनके नामों का ज़िक्र करूँगा जो उम्मत में हदीष़े नबवी के हाफ़िज़ गुज़रे हैं। इस किताब को मैंने हुरूफ़े मुअजम पर मुरत्तब किया है। दीगर उलमा-ए-फ़न की किताबें मैंने देखी है। जिनमें अकष़र हाफ़िज़ाने हदीष़ का ज़िक्र किया गया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ एक सौ के क़रीब हुफ़्फ़ाज़ का तज़्किरा किया है और फिर मुहद्दिष़ीने किराम (रह.) की इस्तिलाह में जिनको हाफ़िज़ कहा गया है, उसका लिहाज़ नहीं रखा है इसलिये मुझको ये किताब लिखने की ज़रूरत महसूस हुई।

इस किताब का एक क़लमी नुस्ख़ा ख़ुद मुसन्निफ़ (लेखक) के हाथ से लिखा हुआ कुतुबख़ाना ज़ाहिरिया दमिश्क़ में मौजूद है। जिस पर ख़ुद मुसन्निफ़ ही की क़लम से तालीक़ात और इज़ाफ़े भी हैं। मुसन्निफ़ ने इसको 887 हिज्री में अपने घर में लिखा था जो मुहल्ला सालिहिय्या दमिश्क़ में वाक़ेअ था। हल्ब के तकिया अख़्लाक़िया के कुतुबखाने में भी इस किताब का एक क़लमी (हस्तलिखित) नुस्ख़ा मौजूद है।

किताबु अर्बईनुत् तब्क़ात :–

इस अज़ीम किताब के मुअल्लिफ़ (सम्पादक/संकलन करने वाले) हाफ़िज़ शर्फ़ुद्दीन अबुल हसन बिन मुफ़ज़्ज़ल अल मुतवफ़्फ़ा 611 हिज्री हैं। हुफ़्फ़ाज़े हदीष़ के हालात में ये निहायत जामेअ और मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) किताब है जो 40 हिस्सों पर मुरत्तब है। और साहिबे कश्फ़ुज़्ज़ुनून ने निहायत शानदार लफ़्ज़ों में इस किताब का तआरुफ़ (परिचय) कराया है।

तब्क़ातुल हुफ़्फ़ाज़ :–

हाफ़िज़ जलालुद्दीन सियूती (रह.) अल मुतवफ़्फ़ा 911 हिज्री ने ज़हबी के तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ की तल्ख़ीस की है, इसी का नाम तब्क़ाते हुफ़्फ़ाज़ है। तराजिम (अनुवाद) में मुफ़ीद इज़ाफ़े भी किये हैं और यूरोप में शाए (प्रकाशित) हो चुकी है।

तब्क़ातुल हुफ़्फ़ाज़ ही के नाम से अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी (रह.) ने एक ज़ख़ीम किताब लिखी है जो दो जिल्दों में मुश्तमिल है। अल्लामा ने इसमें सिर्फ़ उन हुफ़्फ़ाज़ को लिया है जिनका ज़िक्र हाफ़िज़ जलालुद्दीन मूज़ी की तहज़ीबुल्कलाम में नहीं आया है। एक तब्क़ातुल हुफ़्फ़ाज़ शैख़ुल इस्लाम तक़ीयुद्दीन बिन दक़ीकुल ईद (अल मुतवफ़्फ़ा 702 हिज्री) की तस्नीफ़ भी है इसमें भी सिर्फ़ हुफ़्फ़ाज़े हदीष़ का तज़्किरा है।

अख़बारुल हुफ़्फ़ाज़ :–

अल्लामा इब्ने जौज़ी (अल मुतवफ़्फ़ा 597 हिज्री) की क़ाबिले क़द्र किताब है जिसमें सौ के क़रीब उन हुफ़्फ़ाज़ का तज़्किरा है जो अपने फ़न्ने हिफ़्ज़ के ए'तिबार से अपने अपने ज़मानों में यक्ताए ज़माना शुमार किये जाते थे, लेकिन ये सिर्फ़ हुफ़्फ़ाज़े हदीष ही का तज़्किरा नहीं बल्कि कुछ दिगर उलूमों फ़ुनून के हुफ़्फ़ाज़ का ज़िक्र भी इसमें आ गया है।

ये चंद किताबों का ज़िक्र बतौरे नमूना आ गया है वरना तफ़्सील से लिखा जाए तो एक दफ़्तर तैयार हो सकता है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अस्लाफ़ को हिफ़्ज़े क़ुर्आन, हिफ़्ज़े हदीष व दिगर उलूमो–फ़ुनून का किस दर्जा शौक़ था। इस सिलसिले में वो किस तरह एक–दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। इस कोशिश के तुफ़ैल आज तक क़ुर्आन शरीफ़ मौजूद रहा और क़यामत तक मौजूद रहेगा और इसी कोशिश के सदक़े में हज़ारों अहादीषे नबवी का ज़ख़ीरा हम तक पहुँचा और किताबों में मुदव्वन होकर क़यामत तक के लिये महफ़ूज़ हो गया। अदयाने आलम में ऐसी फ़न्नी इल्मी मिषालें मफ़क़ूद है और ये वो ख़ुसूसियत है जो इस्लाम और पैग़म्बरे इस्लाम को इसलिये नसीब हुई कि उनका दीन उनकी शरीयत अब हमेशा के लिये बाक़ी रहने वाली है। जब तक दुनिया में इंसान बाक़ी रहेगा, इस्लाम बाक़ी रहेगा और इस्लाम के साथ साथ क़ुर्आनो हदीष बाक़ी रहेंगे।

इल्मे हदीष का फ़न्नी हैषियत में मुदव्वन (संकलन) होना :

नाज़ेरीने किराम पिछले सफ़हात में मा'लूम कर चुके हैं कि अगरचे ज़मान–ए–नबवी और ज़मान–ए–सहाबा में ज़्यादातर शौक़ हिफ़्ज़े क़ुर्आन व हिफ़्ज़े हदीष ही का था। फिर भी ख़ुद रसूले करीम (ﷺ) के ज़मान–ए–मुक़द्दस में आयात व क़ुर्आन की सूरतों का मुख़्तलिफ़ काग़ज़ों, पत्तों, पत्थरों वग़ैरह पर लिखना लिखवाना मन्क़ूल है। इसी तरह अहादीष के लिये भी ख़ुद हिदायाते नबवी मौजूद है कि मेरी अहादीष को लिखो, मगर न इस तौर पर कि क़ुर्आने मजीद से इनका इख़्तिलात (मिक्सिंग) हो सके। **इस बारे में ख़ास तौर से ताकीद फ़र्माई गई कि अहादीष का ज़ख़ीरा क़ुर्आन मजीद से अलग रहना ज़रूरी है।** बहरहाल बहुत से हदीषी नविश्तों को अहदे रिसालत में षुबूत मौजूद है। फिर अहदे सहाबा में भी अहादीष के किताबी ज़ख़ीरे मिलते हैं। इन हक़ाइक़ के पेशे नज़र उम्मत में एक ऐसा वक़्त भी आया कि हदीषे नबवी को बज़ाब्ता फ़न्नी हैषियत से मुदव्वन (इकट्ठा) करने का सिलसिला शुरू हुआ।

इस सिलसिले में अल मुहद्दिषुल कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं,

'इअलम अल्लमनियल्लाहु व इय्याक अन्ना आषारन्नबिय्यि (ﷺ) लम तकुन फ़ी अस्रिन्नबिय्यि (ﷺ) व अस्रि अस्हाबिही व तबिअहुम मुदव्वनतुन फ़िल जवामिइ व ला मुरत्तबतुन लिवजहैनि अहदुहुमा अन्नहुम कानू फ़ी इब्तिदाइल हालि क़द नुहू अन ज़ालिक कमा षबत फ़ी सहीहि मुस्लिमिन ख़श्यतुन अय्यंख़लित बअज़ु ज़ालिक बिल क़ुर्आनिल अज़ीमि वष्षानी सिअतु हिफ़्ज़िहिम वसैलानु अज़हानिहिम लिअन्न अक्षरहुम कानू ला यअरिफ़ूनल किताबत षुम्म हदष फ़ी अवाख़िरी अस्रित्ताबिईन तदवीनुल आषारि तबवीबुल अख़बारि लम्म न तशरल उलमाउ बिलअम्सारि व कषुरल इब्तिदाउ मिनल ख़वारिजि वर्रवाफ़िज़ी वमुन्किरिल अक़्दारि' (मुक़द्दमा तुह्फ़तुल अहवज़ी पेज नं. 13)

या'नी रसूले करीम (ﷺ) के आषारे मुबारका आपके ज़माना और सहाबा व ताबेईन के ज़माने में किताबों में मुदव्वन न थे और न (बशक्ले मौजूदा) इनकी तर्तीब थी। जिसकी दो वजह है। पहली तो ये है कि इस्लाम की शुरूआती दौर में आषारे नबवी की किताबत से रोक दिये गए थे जैसा कि सहीह मुस्लिम में है इस ख़तरे की बिना पर कि आषार का कोई हिस्सा क़ुर्आन मजीद के साथ मख़्लूत (मिक्स) न होने पाए। और दूसरी वजह ये है कि इन हज़राते सहाबा व ताबेईन का हाफ़िज़ा बहुत वसीअ था और उनके ज़हन बड़े तेज़ और क़वी (मज़बूत) थे। उनकी अक्षरियत फ़न्ने किताबत (लेखन कला) से वाक़िफ़ न थी इसलिये वो सिर्फ़ अपने हाफ़िज़े पर भरोसा रखते थे। फिर ताबेईन के आख़िरी दौर में आषारे नबवी व अख़्बारे रिसालत (रसूल ﷺ द्वारा दी गई ख़बरों) की तद्वीन व तब्वीब (संकलन व अध्यायबन्दी) का काम शुरू हुआ जबकि उलमा मुख़्तलिफ़ शहरों में फैल गए और ख़्वारिज, रवाफ़िज़ व मुंकिरीने तक़्दीर वग़ैरह की बिदआत ने ज़ोर पकड़ा उस वक़्त ज़रूरी लगा कि अहादीषे नबवी को फ़न्नी तौर पर मुदव्वन

व मुरत्तब करना (सकलन करना व तर्तीब देना/क्रमबद्ध) ज़रूरी है। बस जमा हदीष़ का फ़न्नी तौर पर सबसे पहले जमा करने का शरफ़ हज़रत रबीअ बिन फ़सीअ़ और सअद बिन अबी अरूबा वग़ैरह को हासिल है। आगे अल्लामा मरहूम फ़र्माते है,

'फ़कानू युसन्निफ़ून कुल्ला बाबिन अला हदितिन इला इन क़ाम किबारू अहलित्तबक़तिष़्षालिष़ति फ़ी मुंतसिफ़िल क़रनिष़्षानि फ़दव्वनुल अहकाम फ़सन्नफ़ल इमामु मालिक अल मुअत्ता व तवख़्ख़ा फ़ीहिल क़विय्यि मिन हदीष़ि अहलिल हिजाज़ि मज़जहू बिअक़्वालिस्सहाबति वत्ताबिईन व मिम बअदिहिम व सन्नफ़ अब मुहम्मद अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज बिमक्कत व अबू अम्र अब्दुर्रहमान अल औज़ाई बिश्शामि व अबू अब्दुल्लाहि सुफ़्यान अष़्षोरी बिल कूफ़ति वल हम्मादुब्नु सलमतुब्नु दीनारिन बिल बसरति व हुशैम बिवासित व मअ़म्र बिलयम्नि वब्नु मुबारक बिख़ुरासान वजरीरुब्नु अब्दिल हमीदि बिरैय व कान हा—उलाइ फ़ी अस्निन वाहिदिन फ़ला युदरा अय्युहुम सबक़' (हवाला मज़कूर)

या'नी वो हज़रात अलग अलग अबवाब के तहत कुतबे हदीष़ तस्नीफ़ किया करते थे। यहाँ तक कि कर्ने ष़ानी के निस्फ़ में तब्क़–ए–ष़ालिष़ (तीसरे तबक़े) के बड़े बड़े उलमा व फ़ाज़िल लोग खड़े हुए और उन्होंने अहकामो मसाइल को मुदव्वन फ़र्माया। बस इमाम मालिक (रह.) ने मुअत्ता तस्नीफ़ की और अहले हिजाज़ से सहीह अहादीष़ को नक़ल फ़र्माया और अक़्वाले सहाबा व ताबेईन व तबअ ताबेईन से उनको मुअय्यिद फ़र्माया। हज़रत अबू मुहम्मद अब्दुल मालिक बिन जुरैज ने मक्का शरीफ़ में और अबी अबू अम्र अब्दुर्रहमान औज़ाई ने मुल्के शाम में और अबू अब्दुल्लाह सुफ़यान ष़ोरी ने कूफ़ा में और हम्माद बिन सलमा बिन दीनार ने बसरा में और हशीम ने वासित में और मअमर ने यमन में और इब्ने मुबारक ने ख़ुरासान में और जरीर बिन अब्दुल हमीद ने रै में तदवीने अहादीष़ के फ़राइज़ को अंजाम दिया। रहिमहुमुल्लाहि अज्मईन। ये सब हज़रात एक ही ज़माने में थे लिहाज़ा नहीं कहा जा सकता कि उनमें अव्वलियत किसको हासिल है।

शाइक़ीने किराम को पिछली तफ़्सीलात से मा'लूम हुआ होगा कि इल्मे हदीष़ का फ़न्नी हैषियत में मुदव्वन होना कितना अहम काम था जिस पर पूरी उम्मत हमेशा नाज़ाँ रहेगी। उससे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि फ़रामीने रिसालत की हिफ़ाज़त के साथ साथ तहक़ीक़ व तदक़ीक़, जरहो तादील के बहुत से फ़न्नी उलूम वुजूद में आ गये। और तारीख़े इंसानियत की जाँच के लिये ये यक़ीन अफ़रोज़ रास्ता खुल गया। अल्लाह न करे ये काम न अंजाम दिया जाता तो आज इस्लाम भी फ़न्नी हैषियत से ऐसा ही गुमनामी की नज़र होता जैसाकि दीगर अद्याने आलम का हाल है कि उनके मुता'ल्लिक़ सहीहतरीन मा'लूमात ज़ुनून व शुकूक़ के दर्जे में है।

तदवीने अहादीष़ के बारे में अल्लामा इब्ने हजर (रह.) का बयान :—

अल्लामा मौसूफ़ मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी में फ़र्माते हैं,

'इअलम अल्लमनियल्लाहु व इय्याक अन्ना आष़ारिन्नबिय्यि (ﷺ) लम तकुन फ़ी अष़रिन्नबिय्यि (ﷺ) वलम तकुन फ़ी अष़रिस्सहाबति व किबारि तबिअहुम मुदव्वनतन फ़िल जवामिइ व ला मुरत्तबतुन लिअम्रैनि अहदुहुमा अन्नहुम कानू फ़ी इब्तिदाइल हालि क़द नुहू अन ज़ालिक कमा ष़बत फ़ी सहीहि मुस्लिमिन ख़श्यतन अय्यंख़्तलित बअ़जु ज़ालिक बिल कुर्आनिल अज़ीम व ष़ानियुहुमा लिसिअति हिफ़्ज़िहुम व सैलानि अज़्हानिहिम व लिअन्न अक्ष़रहुम कानू ला यअरिफ़ूनल किताबत ष़ुम्म हदष़ फ़ी अवाख़िरि अस़रित्ताबिईन तदवीनुल आष़ारि व तब्वीबुल अख़्बारि लम्मन इन तशरल उलामाउ फ़िल अम्सारि व कष़ुरल इब्तिदाउ मिनल ख़्वारिजि वर्रवाफ़िज़ि व मुंकिरिल अक़्दारि फ़अव्वलु मन जमअ ज़ालिक अर्रबीउब्नु सबीह व सईदुब्नु अबी अरूबत व ग़ैरुहुमा व कानू युसन्निफ़ूना कुल्ल बाबिन अला हिदतिन इला अन क़ाम किबारू अहलित्तबक़तिष़्ष़लाष़ति फ़दव्वनुल अहकाम इला आख़िरिही'

या'नी जान लो कि नबी करीम (ﷺ) के इर्शादाते–मुबारका आपके ज़माने में और बाद में आपके सहाबा के ज़माने में फिर किबारे ताबेईन के दौर में बशक्ले कुतुब जवामेअ मुदव्वन और मुरत्तब न थे (या'नी किताब की शक्ल में जमा, संकलित और क्रमबद्ध न थे) जिसकी दो वजह है; पहली ये कि इस्लाम के शुरूआती दौर में सहाबा किराम को इर्शादाते नबवी (ﷺ) की किताबत से इसलिये रोक दिया गया था ताकि वो कुर्आन मजीद के साथ ख़लत–मलत न होने पाएँ। और दूसरी वजह ये

कि सहाबा किराम का हाफ़ज़ा बेहद क़वी था और उनका ज़हनी रुझान ज़्यादातर हाफ़ज़े ही की तरफ़ था। इसीलिये उनमें अक्षर फ़न्ने किताबत से नावाक़िफ़ थे। फिर ताबेईन के आख़िरी दौर में जब उलम-ए-इस्लाम शहरों और दूर-दराज़ के इलाक़ों में फैल गए और ख़्वारिज व रवाफ़िज़ और क़दरिया की बिदआत ने ज़ोर पकड़ा उस वक़्त ज़रूरत महसूस हुई और तद्वीने अहादीषे नबवी (ﷺ) का काम शुरू हुआ। बस अव्वल जिस बुज़ुर्ग ने ये काम अंजाम दिया वो रबीअ बिन सबीह और सईद बिन अबी अरूबा वग़ैरह बुज़ुर्गाने इस्लाम हैं। अभी तक ये हज़रात हर बाब अलग अलग मुरत्तब फ़र्मा रहे थे। यहाँ तक कि तब्क़ाए षालिषा के किबारे अइम्मा किराम व उलम-ए-इज़ाम खड़े हुए और उन्होंने अहादीष को बाज़ाब्ता मुदव्वन करना शुरू किया।

बस इमाम मालिक (रह.) ने मुअत्ता को मुदव्वन फ़र्माया और हिजाज़ियों की क़वीतरीन अहादीष को उन्होंने मुरत्तब फ़र्माकर उनको अक़्वाले सहाबा से मौषिक़ किया। और अबू मुहम्मद अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन ज़रीह ने मक्कतुल मुकर्रमा में इस काम को अंजाम दिया और अबू अम्र बिन अब्दुर्रहमान बिन औज़ाई ने शाम मेंऔर अबू अब्दुल्लाह सुफ़यान बिन सईद ने कूफ़ा में और अबू सलमा हम्माद बिन सलमा बिन दीनार ने बसरा में। फिर उनके असर में बहुत से उलम-ए-किराम ने इस नहज (स्तर) पर इस अहम ख़िदमत की तरफ़ तवज्जुह की, बाद में मज़ीद फ़न्नी तरक़्क़ियाँ वजूद में आईं।

अहादीष और आषार को इस ताख़ीर के साथ मुदव्वन करने का काम उम्मत ने क्यों शुरू किया और अहदे रिसालत में अहादीष लिखने का सिलसिला न था। इस बारे में असरे हाज़िर के एक मशहूर फ़ाज़िल डॉक्टर शैख़ मुस्तफ़ा हुस्ना सबाई का एक तवील मक़ाला हमारे सामने है जिसमें आपने हदीष के बारे में क़ीमती मा'लूमात हवाले क़िर्तास (काग़ज़ पर लिखना, लिपिबद्ध) फ़र्माई हैं। मक़ाला अरबी में है। जिसका तर्जुमा मलिक गुलाम अली साहब ने किया है। जिसे हम 'तजल्ली देवबन्द' अप्रैल 1955 ई. के शुक्रिया से नाज़ेरीन की मा'लूमात के लिये नक़ल कर रहे हैं।

अहदे नबवी (ﷺ) में अहादीष क्यों मुरत्तब नहीं की गईं? :—

मुअल्लिफ़ीने सीरत, उलम-ए-हदीष और जुम्हूरे मुस्लिमीन के माबैन इस बारे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है कि रसूले करीम (ﷺ) और अस्हाबे किराम की अव्वलीन तवज्जुह हिफ़ाज़ते कुर्आन की तरफ़ मब्ज़ूल थी। **(या'नी अल्लाह के रसूल ﷺ और आपके सहाब-ए-किराम की प्राथमिकता कुर्आने करीम की आयतों की हिफ़ाज़त करना थी। इस बात का पूरा ऐहतियात बरता गया था कि हदीष का कोई हिस्सा कुर्आन की आयतों के साथ मिक्स न हो जाए। —अनुवादक)**

जब आप (ﷺ) की वफ़ात हुई उस वक़्त कुर्आन सीनो और सफ़ीनों में महफ़ूज़ हो चुका था। सिर्फ़ उसे एक मुस्हफ़ (सहीफ़े या किताब) की शक्ल देने की कसर बाक़ी थी। हदीष व सुन्नत का मुआमला उससे अलग था। अगरचे उसके मस्दर तशरीह होने की हैषियत मुसल्लम थी। लेकिन उसकी बाज़ाब्ता संकलन उस तरीक़े से नहीं किया गया जिस तरह कुआन का हुआ। इसकी वजह ये थी कि हदीष का मवाद कुर्आन की तरह मुख़्तसर नहीं था। अक़्वाल, अअमाल और मुआमलात का ये अज़ीमुश्शान ज़ख़ीरा एक नबी की जामेअ और हमागीर 23 साला हयात (ज़िन्दगी) से जुड़ा हुआ था। जिसके देखने, सुनने और जानने वाले हज़ारों अफ़राद थे और बयक वक़्त सबको ही इससे वास्ता पेश न आता था बल्कि अलग-अलग वक़्तों में अलग अलग लोगों को पेश आता था। उस ज़माने में पढ़े-लिखे सहाबा उँगलियों में गिने जा सकते थे। सामाने किताबत का ये हाल था कि क़ुर्आन की किताबत के लिये भी कुछ खजूर के पत्ते, झिल्लियाँ और पत्थर की तख़्तियाँ बमुश्किल फ़राहम (उपलब्ध) थे। उस ज़माने के फ़न्ने तहरीर को भी आजकल की ज़ूद-नवेसी (शार्ट हैण्ड/जल्दी-जल्दी लिखना) से कोई निस्बत न थी। उन हालात में कैसे मुम्किन था कि हर सहाबी अपने साथ एक नोट बुक और पेंसिल रखता। और जो कुछ देखता या सुनता उसे लिखता जाता उनमें से जो लिखे पढ़े थे उनके लिये भी ये अमलन दुश्वार बल्कि नामुम्किन था कि वो कुर्आन की तरह कुर्आन लाने वाले के अक़्वाल और अअमाल की किताबत को भी क़लमबंद कर लेते। इसके अलावा चूँकि कुर्आन शरीअत का अव्वलीन और असासी (बुनियादी) मम्बअ था। इसलिये कातिबीन सहाबा ने सबसे पहले कुर्आन की किताबत का एहतिमाम किया। ताकि उसे बिला कम व कास्त एक मुंज़बित तहरीरी शक्ल में अपने बाद की नस्लों को सौंप दें। मज़ीद बरां अरब उम्मी और अनपढ़ थे। अगर वो किसी चीज़ को महफ़ूज़ करना चाहते तो इस मुआमले में उनका वाहिद ए'तिमाद (एकमात्र भरोसा) अपन हाफ़ज़े पर होता था। कुर्आन मजीद चूँकि नज्मन-नज्मन और शुरू में छोटी-छोटी सूरतों की शक्ल में नाज़िल हो

रहा था। इसलिये इसका अज़्बर (पूरे तौर पर याद) कर लेना निस्बतन सहलतर (निहायत आसान) था और तबाएअ फ़ित्री तौर पर उसके हिफ़्ज़ के लिये माइल और आमादा हो गई। बरअक्स इसके सुन्नत एक वसीअुल अतराफ़ ज़ख़ीरे का नाम था जो अह्दे रिसालत के कषीरुल्अदाद तशरीई अक़्वाल व अअ्माल पर मुश्तमिल था। अगर इस पूरे मवाद की बक़ायदा तद्वीन भी क़ुर्आन के साथ साथ की जाती तो लाज़िमन सहाबा को क़ुर्आन के अलावा सुन्नत की मुहाफ़ज़त के लिये भी अपने हाफ़ज़े पर शदीद बोझ डालना पड़ता और इस बोझ का नाक़ाबिले बर्दाश्त होना बिलकुल ज़ाहिर है। फिर उसके अलावा ये भी ख़दशा कहीं बिला इरादा जामेअ और मुख़्तसर कलिमाते नबवी और आयते क़ुर्आनी ख़लत–मलत न हो जाए। इससे अअ्दाए इस्लाम के लिये शक का और अहकामे इस्लामिया पर हमलों का दरवाज़ा खुलता था और सुतूते दीनी की पामाली का ख़तरा था। अदमे तद्वीने सुन्नत के और भी बहुत से वुजूह हैं जो उलमा ने तफ़्सीर से बयान किये हैं। सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से जो क़ौले रसूल (ﷺ) से मरवी है कि क़ुर्आन के सिवा किसी चीज़ को मेरी तरफ़ से न लिखो और जिसने लिखी हो वो मिटा दे। वो इसी सूरतेहाल से ता'ल्लुक़ रखती है।

क्या अह्दे नबवी (ﷺ) में अहादीष लिखी ही न गई थी? :–

लेकिन अह्दे नबवी में अगर क़ुर्आन की तरह हदीष की बाज़ाब्ता तद्वीन नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस अह्दे मुबारक में कोई हदीष सिरे से लिखी ही नहीं गई। अनेकों सहीह अहादीष इस बात की दलील पेश करती है कि उस ज़माने में भी किताबते हदीष होती रही है। इमाम बुख़ारी (रह.) किताबुल इल्म में अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत की है कि फ़तहे मक्का के साल बनू ख़ुज़ाआ ने अपने एक मक़्तूल के बदले बनू लैष का एक आदमी हरम में क़त्ल कर दिया था। नबी करीम (ﷺ) ये ख़बर पाकर सवार हुए और आप (ﷺ) ने एक तक़रीर फ़र्माई कि :–

अल्लाह तआला ने मक्का में क़िताल से रोक दिया है और यहाँ अपने रसूल (ﷺ) और मुअमिनों को ग़ालिब किया है। यहाँ लड़ाई मुझसे पहले न किसी के लिये हलाल थी और न आइन्दा होगी। ये दिन की चंद घड़ियों के लिये मुझ पर हलाल की गई थी जो इस वक़्त गुज़र रही हैं। न यहाँ का कांटा तोड़ा जाए और न टहनी काटी जाए सिवाय इसके कि कोई हाजतमंद गिरी–पड़ी चीज़ चुन ले। मक़्तूल के वारिष के लिये दो रास्ते हैं या तो उसे दियत (मुआवज़ा) दी जाए या क़िसास (बदला)।

तक़रीर के ख़ात्मे पर अहले यमन में से एक साहब अबू शाह नामी ने कहा, **'या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे लिये ये ख़ुत्बा लिखवा दीजिए**। आप (ﷺ) ने कहा कि **'उक्तुबू लि अबी शाह'** (अबू शाह को लिखकर दे दो)। इसी तरह आपने हमअस्र (समकालीन) मुल्कों के बादशाहों और अमीरों के नाम ख़ुतूत लिखवाए जिनमें दा'वते इस्लाम थी। और आप अपने उम्माल और सिपहसालारों के लिये भी हिदायात तहरीर कराते थे। और कहते थे कि जब फ़लाँ मक़ाम से गुज़र जाओ तो उन्हें पढ़ना। बअ्ज़ पढ़े–लिखे सहाबा के पास सहीफ़े और याद्दाश्तें भी होती थीं जिनमें वो इर्शादाते नबवी (ﷺ) को लिख लेते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के पास एक नोटबुक थी जिसे वो **सादिक़ा** के नाम से याद करते थे। इमाम अहमद व बैहक़ी ने मुद्ख़ल में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के क़ौल नक़ल किया है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) के सिवा मुझसे बढ़कर कोई आलिमे हदीष न था। वो लिख लेते थे, और मैं नहीं लिखता था। कुछ सहाबा की नज़र में हज़रत अब्दुल्लाह का काम खटका था और उन्होने कहा था कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) की हर बात लिख लेते हैं। हालांकि कुछ वक़्तों में हुज़ूर (ﷺ) नाराज़गी की हालत में होते हैं। और ऐसी बात कर सकते हैं जो मशरूअ न हो। इस पर हज़रत इब्ने अम्र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से रुजूअ किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **तुम मुझसे सुनकर लिख लिया करो उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है मेरे मुँह से सिवाये हक़ के और कुछ नहीं निकलता**।

हज़रत अली (रज़ि.) से भी षाबित है कि उनकी एक याद्दाश्त में दियते आक़िल और कुछ दीगर अहकाम लिखे हुए थे। इसी तरह उसका षुबूत मौजूद है कि हुज़ूर (ﷺ) ने अपने गवर्नरों को फ़रामीन इर्साल फ़र्माए थे जिनमें मवाशी और दीगर अम्वाल ज़कात के निसाब और शरह ज़कात की तफ़्सील दर्ज थी।

किताबते हदीष के बारे में इजाज़त और मुमानअत पर दलालत करनेवाली जो दो तरह की अहादीष वारिद है। उनके

मुता'ल्लिक़ अक्सर अहले इल्म की राय ये है कि नह्य पहले थी और बाद में इजाज़त दे दी गई। कुछ का ख़याल ये है कि नह्य की असल ग़र्ज़ क़ुर्आनो-सुन्नत को गडमड होने से बचाना था। इसलिये जहाँ इस अम्र का ख़तरा मौजूद था। वहाँ आँहज़रत (ﷺ) ने किताबते हदीष़ की इजाज़त दे दी और जहाँ ख़तरे का डर था वहाँ रोक दिया।

हमारी तहक़ीक़ इस बारे में ये है कि जिस चीज़ से मना किया गया था, वो क़ुर्आन की तरह हदीष़ की बाक़ायदा व बाज़ाब्ता तद्वीन थी। बाक़ी ज़ाती याद्दाश्तों की मुमानअत नहीं की गई थी और ख़ास हालात और ज़रूरियात में इसकी इजाज़त थी। जुम्ला अहादीष़ पर गौर व तअम्मुल करने से भी इसी मफ़्हूम की ताईद होती है। नह्य का एक उमूमी हुकुम देने के बाद जब नबी करीम (ﷺ) ने ख़ास अफ़राद को ख़ास हालात में इजाज़त दे दी तो उससे ये लाज़िम आता है कि हुर्मते किताबत का उमूमी हुक्म बाक़ी नहीं रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) का अहदे नबवी के आख़िर तक इस्तिमरारे किताबत इस अम्र का षुबूत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के नज़दीक किताबते हदीष़ फ़ी नफ़्सिही जाइज़ थी। बशर्ते कि वो इतने उमूमी और वसीअ एहतिमाम के साथ न हो जितना कि तदवीने क़ुर्आन के बारे में इख़्तियार किया जा रहा था। बुख़ारी (रह.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से जो रिवायत आपके आख़िरी अय्यामे मर्ज़ से मुता'ल्लिक़ बयान की है वो भी इब्ने किताबत की ताइद करती है। उसमें है कि आप (ﷺ) ने शिद्दते तक्लीफ़ में कहा था कि काग़ज़ लाओ, मैं तुम्हारे लिये एक तहरीर लिखवा दूँ ताकि तुम बाद में भटकने न पाओ। लेकिन हज़रत उमर ने आपके दर्दो-कुर्ब के पेशे-नज़र इस तज्वीज़ पर अमल दरआमद नहीं होने दिया। इस वाक़िए से ष़ाबित होता है कि इजाज़त नासिख़ और नह्य मंसूख़ है।

अहदे नबवी के बाद हदीष़ के बारे में सहाबा का मौक़िफ़ (नज़रिया) :–

हज़रत ज़ैद बिन ष़ाबित से अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की एक रिवायत पहले नक़ल की जा चुकी है कि अल्लाह उस आदमी को ख़ुश और आसूदा रखे जिसने मेरी बात सुनी, उसे महफ़ूज़ कर लिया। और फिर उसे जैसे सुना था वैसे ही दूसरों तक पहुँचा दिया। बसाऔक़ात सुननेवाले से बढ़कर मुहाफ़िज़ वो शख़्स होता है जिस तक सुननेवाला पहुँचाता है और हदीष़ में इर्शाद फ़र्माया, **'देखो! तुममें से जो यहाँ मौजूद है वो उस तक मेरी बात पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं।'** (जामेअ बयानुल इल्म अन् अबीबक्र जिल्द नं. 1 पेज नं. 241, मुस्लिम अन अबी हुरैरह (रज़ि.)

इसी तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा को वसीयत फ़र्माई कि वो सुन्नत को सिहत व तहक़ीक़ के साथ अपनी आइन्दा नस्लों तक पहुँचाएं और फ़र्माया, **'एक आदमी के गुनहगार होने के लिये बस यही काफ़ी है कि जो सुने बिला तहक़ीक़ उसे दूसरों तक पहुँचा दे।'**

इन इर्शादात के पेशे-नज़र सहाबा के लिये ज़रूरी था कि वो सुन्नत की इस अमानत को बिला कमो व कास्त दूसरों के हवाले करने का पूरा पूरा एहतिमाम करें। ख़ुसूसन जबकि वो दूर-दराज़ इलाक़ों में फैल गए थे और ताबेईन ने तरह-तरह की सऊबतें (तकलीफ़ें) झेलकर और लम्बी दूरियाँ तै करके उनके पास आना शुरू कर दिया था। हदीष़ के फैलाने और उसे जुम्हूरे मुस्लिमीन तक पहुँचाने में बयान किये गये इर्शादाते नबवी (ﷺ) ने एक ज़बरदस्त मुहर्रिक (आन्दोलनकारी) का काम किया। अल्बत्ता ये एक हक़ीक़त है कि रिवायत की कष़रत व क़िल्लत के ए'तिबार से सहाबा आपस में मुतफ़ावित थे।

मष़लन हज़रत ज़ुबैर ज़ैद बिन अरक़म और इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से बहुत कम अहादीष़ मन्क़ूल हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) किताबुल इल्म में रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने अपने वालिद से कहा कि, 'आप फ़लाँ फ़लाँ सहाबी की तरह ज़्यादा अहादीष़ क्यों बयान नहीं करते? उन्होंने जवाब दिया कि मैं भी आप (ﷺ) के हर वक़्त साथ रहता था लेकिन मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि जिसने मुझ पर झूठ बाँधा वो आग में अपनी जगह बना ले। इसी तरह इब्ने माजा ने रिवायत की है कि ज़ैद बिन अरक़म से जब कहा जाता था कि कोई हदीष़ बयान कीजिए तो कहते थे कि–

'हम बूढ़े हो गए हैं। हमारा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) से हदीष़ बयान करना एक बड़ा कठिन काम है।

साइब बिन यज़ीद कहते हैं कि मैंने सईद बिन मालिक (रज़ि.) के साथ मदीने से मक्के का सफ़र किया। इस अष़्ना में मैंने

उनसे एक ह़दीष़ भी न सुनी। ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ह़दीष़ बयान करने के बाद कहा करते थे कि **'अव कमा क़ाल'** आप (ﷺ) ने ये बात या तक़रीबन इस जैसी बात इर्शाद की थी। ह़ज़रत अनस की ये इह़तियात इस बिना पर थी कि कहीं कोई ग़लत चीज़ आप (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब न हो जाए। ह़ज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ज़ैद बिन अरकम (रज़ि.) और उनकी तरह दूसरे क़लीलुर्रिवायत (कम रिवायत करने वाले) स़ह़ाबा ने ये सब कुछ इसलिये किया है कि मुबादा बिला इरादा या ग़ैर शऊरी तौर पर ग़लत बयान का इर्तिकाब न कर बैठें। नीज़ उन्हें अपने हाफ़ज़े पर भी इस ह़द तक भरोसा नहीं था कि उन्हें इस अम्र का कुल्ली इत्मीनान होता कि वो अह़ादीष़ के अल्फ़ाज़ और अंदाज़े बयाँ को पूरी सिह़त के साथ नक़ल कर सकेंगे। इसलिये इनके नज़दीक एहतियात का पहलू इसी में था कि वो कम रिवायत करें और सिर्फ़ वही ह़दीष़ रिवायत करें जिसकी सिह़त पर उन्हें पूरा भरोसा हो। **(कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ के कुछ स़ह़ाबी, जिनका ज़िक्र ऊपर आया है, ऐसे भी हैं जिनसे बहुत कम हदीषों की रिवायतें मिलती हैं। वे हदीष़ बयान करने में बहुत ऐहतियात बरतते थे, दूसरे लफ़्ज़ों में कहा जाए तो इस बात से डरते थे कि कहीं ऐसी कोई बात मुँह से न निकल जाए जो हू–ब–हू (शब्दशः) अल्लाह के रसूल ﷺ ने न कही हो। वो उस अज़ाब से इतना डरते थे जो झूठी बात अल्लाह के रसूल ﷺ की तरफ़ मन्सूब करनेवाले को दिया जाएगा। –अनुवादक)**

इन सब एहतियातों पर मुस्तज़ाद ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की ये ख़्वाहिश थी कि ह़दीष़ में लोग ऐसे मुंहमिक (बहुत ज़्यादा मशग़ूल) न हो जाएँ कि क़ुर्आन से ग़फ़लत बरतने लगे। क़ुर्आन के नुज़ूल पर अभी ज़्यादा वक़्त न गुज़रा था और उसकी हिफ़ाज़त, मुतालआ़ और नक़्लो–इशाअ़त की ज़रूरत मुक़द्दमतरीन थी। इमाम शुअ़बी क़ुर्ज़ा बिन कअ़ब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि क़ुर्ज़ा (रज़ि.) ने कहा हम इराक़ को जा रहे थे। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) हमारे साथ मक़ामे स़िरार तक आए। यहाँ उन्होंने वुज़ू किया और कहा, 'क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्यूँ आया हूँ? हमने कहा, हाँ! इसलिये कि हम अस्ह़ाबे रसूल हैं। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो क़ुर्आन से ख़ुसूसी लगाव रखने में मशहूर हैं। इसलिये तुम लोग उन्हें ह़दीष़ सुना–सुनाकर क़ुर्आन से उनकी दिलचस्पी को कम न कर देना। क़ुर्आन की तज्वीद में कोशिश करना और रसूलुल्लाह (ﷺ) से कम रिवायत करना। जाओ मैं तुम्हारा शरीक हूँ। जब ह़ज़रत क़ुर्ज़ा इराक़ में पहुँचे। लोगों ने कहा, हमसे ह़दीषे रसूल (ﷺ) बयान कीजिए। उन्होंने जवाब दिया, हमें उ़मर (रज़ि.) ने रोक दिया है।

लेकिन स़ह़ाबा किराम में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से और जिनसे दूसरों ने कष़रत के साथ रिवायत किया है। मष़लन ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बहुत ह़दीषें बयान किया करते थे। उनकी रिवायत कर्दा अह़ादीष़ से स़ह़ाबा की महफ़िलें गर्म रहती थीं। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ अपनी नोटबुक अस़्स़ादिक़ा से अकष़र ह़दीषें सुनाया करते थे। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) किबारे स़ह़ाबा से अह़ादीष़ ह़ासिल करने में गो न गूँ तक्लीफ़ें उठाते थे। और उनके पास जाकर फ़र्माने रसूलुल्लाह (ﷺ) सुना करते थे।

इब्ने अ़ब्दुल बर इब्ने शिहाब से रिवायत करते हैं कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने एक बार कहा मुझे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के किसी स़ह़ाबी की ह़दीष़ की ख़बर मिलती थी तो मेरे लिये ये नामुम्किन नहीं होता था कि मैं किसी आदमी को भेजकर उन्हें अपने यहाँ बुलवा लेता और फिर उनसे ह़दीषे रसूल सुन लेता। लेकिन मैं ख़ुद जाकर उनके दरवाज़े पर इंतिज़ार में लेट जाया करता था। ह़त्ता कि स़ह़ाबी घर से बाहर निकलते और ह़दीष़ बयान करते।

ग़र्ज़ ये कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने ह़ुसूले अह़ादीष़ के ख़ातिर बेहद व बे ह़िसाब स़ऊ़बतें बर्दाश्त कीं। और जितने स़ह़ाबा से भी आपकी मुलाक़ात मुम्किन थी उनसे मिलकर उनसे अह़ादीष़ को ये बतमाम व कमाल अख़्ज़ किया। फिर उस पूरे ज़ख़ीरे की नश्रो–इशाअ़त का फ़रीज़ा भी अपने ज़िम्मे लिया। और उसकी अदायगी में किसी तरह़ का वक़ार या ग़ैर ज़रूरी इंकिसार आपकी राह में ह़ाइल न हो सका। अल्बत्ता बाद में जब झूठी अह़ादीष़ वज़अ़ होनी (गढ़ी जानी) शुरू हुईं तो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने रिवायते ह़दीष़ में कमी कर दी। इमाम मुस्लिम अपनी स़ह़ीह़ के मुक़द्दमे में रिवायत करते हैं कि बशीर इब्ने कअ़ब (रज़ि.) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास आए और ह़दीषें बयान करना शुरू कीं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, फ़लाँ ह़दीष़ एक बार फिर सुनाइए। बशीर बिन कअ़ब (रज़ि.) ने वो ह़दीष़ दोबारा सुनाई और साथ ही कहा, मा'लूम नहीं कि आपने मेरी सारी ह़दीषें मान ली हैं या सिर्फ़ इस एक को सही तस्लीम किया है? इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया कि जब तक कि वज़अ़े ह़दीष़ का फ़ित्ना नमूदार नहीं हुआ था हम रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते थे लेकिन जब से लोगों

ने ग़ैर–ज़िम्मेदाराना रविश इख़्तियार की है हमने भी रिवायत करना छोड़ दिया है।

कषीरुर्रिवायत सहाबा भी हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) के अहद (दौरे ख़िलाफ़त) में कम रिवायत करते थे क्योंकि ये दोनों ख़ुलफा एक तरफ़ हदीष में तहक़ीक़ो–तन्क़ीद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। और दूसरी तरफ़ इससे कहीं ज़्यादा क़ुर्आने करीम से लोगों का ता'ल्लुक़ ठीक करने में कोशाँ (प्रयासरत) रहते थे। एक बार हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कहा गया कि क्या आप हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में भी इसी तरह रिवायत करते थे। जिस तरह अब करते हैं? कहने लगे, अगर मैं हज़रत उमर के ज़माने में ऐसा करता तो वो डण्डे से मेरी ख़बर लेते। (जामेअ अहकामुल बयान 2/121)

क्या हज़रत उमर (रज़ि.) ने कषरते रिवायत की बिना (ज़्यादा हदीषें बयान करने के आधार) पर किसी सहाबी को क़ैद किया था?

इस मक़ाम पर हदीष के बारे में हज़रत उमर (रज़ि.) और दीगर सहाबा के मौक़िफ़ से मुता'ल्लिक़ नीचे लिखे दो सवालात का जवाब दे देना ज़रूरी है।

(1) क्या हज़रत उमर (रज़ि.) ने कषरते रिवायत की बिना पर किसी सहाबी को क़ैद किया था?

(2) क्या सहाबा किराम (रज़ि) क़ुबूले हदीष के लिये कुछ शराइत आइद करते (शर्तें लगाते) थे?

ये मशहूर है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने किबारे सहाबा में से तीन अस्हाब या'नी हज़रत इब्ने मसऊद, अबूदर्दा और अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) को कषरते रिवायत की बिना पर क़ैद किया था। मैंने कोशिश की है कि किसी मो'तबर किताब में मुझे ये रिवायत मिल जाए, लेकिन मैं नाकाम रहा हूँ। इस रिवायत का मौज़ूअ होना वाज़ेह है। इब्ने मसऊद एक जलीलुलक़द्र सहाबी और सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) के दिल में उनकी बड़ी इज़्ज़त थी। हत्ताकि जब इब्ने मसऊद (रज़ि.) को उन्होंने इराक़ भेजा था अपने इस काम का अहले इराक़ पर बतौर एक एहसान के ज़िक्र किया। और उनसे कहा मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद को अपने पास रखने के बजाय तुम्हारे पास भेजने में बड़े ईषार से काम ले रहा हूँ। हज़रत उमर (रज़ि.) के अहदे ख़िलाफ़त में इब्ने मसऊद (रज़ि.) का क़ियाम इराक़ में रहा। इनको हज़रत उमर ने भेजा ही इसलिये था कि अहले इराक़ को अहकामे किताबो–सुन्नत सिखाएँ। तो ये कैसे हो सकता है कि उन्हें कषरते रिवायत की वजह से क़ैद किया गया हो? जहाँ तक हज़रत अबू ज़र और अबू दर्दा का ता'ल्लुक़ है इन दोनों अस्हाब से इतनी अहादीष मरवी ही नहीं है कि इन्हें मुकष्षिरीन (ज़्यादा रिवायत करने वालों) में शुमार किया जा सके। इसके अलावा अबू दर्दा भी इब्ने मसऊद की तरह शाम में मुसलमानों के मुअल्लिम थे। और जो सवाल आख़िरुज़्ज़िक्र के बारे में पैदा होता है वही अव्वलुज़्ज़िक्र के बारे में पैदा होता है। क्या हज़रत उमर (रज़ि.) ये चाहते थे कि दोनों रिवायत हदीष से इज्तिनाब (परहेज़) करें ताकि दीन के अहकाम छुपे हुए रह जाएँ? हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से जितनी अहादीष मन्क़ूल हैं वो हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत कर्दा अहादीष का एक मामूली जुज़ (छोटा सा हिस्सा) बनती हैं। तो फिर अगर अबूज़र (रज़ि.) को क़ैद किया गया था तो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को क़ैद करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये कहा जाए कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) के डर से रिवायत नहीं करते थे इसलिये उन्हें क़ैद नहीं किया गया तो फिर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) को क़ैद किया गया था तो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को क़ैद करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये कहा जाए कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) के डर से रिवायत नहीं करते थे इसलिये उन्हें क़ैद नहीं किया गया तो फिर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) को हज़रत उमर (रज़ि.) का डर क्यों नहीं था?

सहाबा किराम में से हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि .) और हज़रत आइशा (रज़ि.) को कषीरुर्रिवायत तस्लीम किया जाता है। मगर उनमें से किसी एक की तरफ़ से भी कोई ऐसी बात मन्क़ूल नहीं है कि जिससे कि ये मा'लूम हो कि हज़रत उमर उन को रिवायते हदीष से रोकते थे। बल्कि हज़रत उमर (रज़ि.) से ये रिवायत बयान की गई है कि जब हज़रत अबू हुरैरह (रजि) ने लोगों से कषरत से अहादीष बयान करना शुरू कर दिया तो हज़रत उमर ने एक बार उनसे कहा, क्या आप फ़लाँ जगह पर मौजूद थे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे साथ मौजूद थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ! और मैंने आप (ﷺ) से ये सुना था कि जिसने जान–बूझकर मेरी तरफ़ झूठ मन्सूब किया उसने आग में अपना ठिकाना बना लिया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, अगर आपको ये फ़र्माने रसूल याद है तो फिर

जाइए और रिवायत कीजिए। अब ये कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को छोड़ दिया गया हो जो कष़रते रिवायत में जुम्ला सहाबा पर फ़ौक़ियत रखते थे और इब्ने मसऊद (रज़ि.) और अबू दर्दा जैसे सहाबा को क़ैद कर दिया जिनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) की बनिस्बत बहुत कम रिवायात मन्क़ूल हैं।

मैंने इस रिवायत पर बहुत ग़ौर किया। इसे अलग अलग तरीक़ों से जाँचा। हत्ताकि इब्ने हज़्म की किताब अल् अहकाम जिल्द नं. 2 पेज नं. 931 में इस पर ये तंक़ीद मेरी नज़र से गुज़री।

हज़रत उमर (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ कहा गया है कि उन्होंने इब्ने मसऊद (रज़ि.) अबू दर्दा (रज़ि.) और अबू ज़र (रज़ि.) को बर्बिनाए इक्ष़ारे हदीष़ (हदीष़ ज़्यादा ता'दाद में रिवायत करने की बिना पर) क़ैद किया था ये रिवायत इंक़िताअ से मतऊन है क्योंकि इसके रावी इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ का हज़रत उमर (रज़ि.) से सुनना ष़ाबित नहीं है। इमाम बैहक़ी ने भी इस राय से इत्तिफ़ाक़ किया है। अगरचे यअ़कूब बिन शैबा और तबरी वग़ैरह ने सुनने को ष़ाबित किया है। लेकिन हक़ीक़त ये है कि सुनना ष़ाबित नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि ये रावी 99वें या 95वें सन् हिज्री में फ़ौत हुए। उनकी उम्र 75 बरस थी। इस हिसाब से इनकी पैदाइश अवाख़िरे ख़िलाफ़ते उमर में 20 हिज्री में हुई। इस तरह उमर (रज़ि.) से इनके सुनने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस बिना पर ये रिवायत हुज्जत व दलील नहीं बन सकती।

आगे चलकर इब्ने हज़्म लिखते हैं कि :

'ये रिवायत बिनफ़्सिही भी किज़्ब (झूठ) व इख़्तिराअ़ का एक नमूना मा'लूम होती है क्योंकि इससे एक तरफ़ तो सहाबा किराम पर इत्तिहामे किज़्ब (झूठ का बोह्तान) ष़ाबित होता है और ये एक निहायत संगीन बात है। दूसरी तरफ़ इससे हज़रत उमर (रज़ि.) का तब्लीग़े सुन्नत से किबारे सहाबा को रोकना और अहकामे दीन का इख़्फ़ा व इंकार लाज़िम आता है जो इस्लाम से निकलने जैसा है। मआ़ज़ल्लाह! अमीरुल मोमिनीन ये कैसे कर सकते थे? ये बात तो किसी मुसलमान के शायाने–शान नहीं हो सकती और अगर ज़िक्र किये गए तीनों सहाबा पर इस सिलसिले में ग़लत बयान का इत्तिहाम (तोहमत लगाना, लांछन) न था तो फिर उन्हें नज़रबंद करना सरीह ज़ुल्म की ता'रीफ़ (परिभाषा) में आता है। बहरेहाल ये झूठी रिवायात हर्गिज़ क़ाबिले क़ुबूल नहीं। क्योंकि उसे मान लेने के बाद दो ज़लालत आमेज़ मफ़रूज़ों (गुमराह करने वाले वहम, भ्रामक कल्पनाओं) में से किसी एक को मान लेना नागुरेज़ (अनिवार्य) हो जाता है।

क्या सहाबा क़ुबूले हदीष़ के लिये कुछ शराइत रखते है?

इस सवाल का जवाब देने के लिये चंद नीचे लिखीअहादीष़ का मुतालआ़ ज़रूरी है,

(1) तज़्किरातुल हुफ़्फ़ाज़ में हाफ़िज़ ज़हबी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के बारे में लिखते हैं, आप हदीष़ क़ुबूल करने में सबसे ज़्यादा एहतियात बरतते थे। इब्ने शिहाब ने क़बीसा से रिवायत नक़ल की है कि एक बार एक मुतवफ़्फ़ा (मृतक) की दादी अबूबक्र (रज़ि.) के पास आई कि उसे भी वरष़ा में से कुछ दिया जाए। आपने फ़र्माया कि किताबुल्लाह में तेरा हिस्सा मुक़र्रर नहीं किया गया और मैं ये भी नहीं जानता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में कुछ फ़र्माया है या नहीं? फिर आपने लोगों से पूछा तो हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) ने कहा कि आपने उसे सुलुस का हक़दार बनाया है। ख़लीफ़–ए–अव्वल ने पूछा कि कोई और भी इसका गवाह है? मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि.) ने भी इसकी शहादत (गवाही) दी। तब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने इसे नाफ़िज़ कर दिया।

(2) हरीरी ने नज़्रा से और उन्होंने अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत किया है कि अबू मूसा (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के दरवाज़े के बाहर से उन्हें तीन बार सलाम कहा। लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो वापस चले गए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने आदमी भेजकर उन्हें बुलवाया और पूछा कि क्यूँ लौट गए थे? हज़रत अबू मूसा (रज़ि .) ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि जब कोई तुममें से तीन बार सलाम कहे और उसका जवाब न मिले तो फिर उसे लौट जाना चाहिये। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, इस पर कोई षुबूत पेश करो, वरना तुम्हारी ख़ैर नहीं। रावी कहता है कि अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) घबराये हुए हमारे पास आए, उनके चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो रहा था (या'नी उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था)। कहने लगे, तुममें से किसी ने इस हदीष़ को आँहज़रत (ﷺ) से सुना है? हमने कहा, हाँ! हम सबने सुना है।

फिर एक सहाबी ने उनके साथ जाकर गवाही दी। ये रिवायत मुस्लिम में भी मौजूद है।

(3) हिशाम ने अपने बाप से और उन्होंने मुग़ीरह बिन शोअ़बा (रज़ि.) से रिवायत की है कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनसे औरत के हमल साक़ित किये जाने के बारे में पूछा। तो मुग़ीरह (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दियत लगाई है, हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि अगर ये सच है तो एक गवाह लाओ। मुग़ीरह (रज़ि.) कहते हैं कि मुहम्मद इब्ने सलमा (रज़ि.) ने आकर गवाही दी कि आप (ﷺ) ने ऐसे ही फ़ैसला फ़र्माया था।

(4) अस्माअ इब्ने हकम अल फ़ज़ारी से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अ़ली (रज़ि.) से सुना कि जब आँहज़रत (ﷺ) से कोई बात सुनता तो उससे जितना फ़ायदा मेरे मुक़द्दर में था, हासिल करता था। और जब किसी और से आप (ﷺ) की हदीष़ सुनता था तो उससे हलफ़ लेता था। जब वो हलफ़ उठा लेता था तब मैं उसे मान लेता था। मुझे अबूबक्र (रज़ि.) ने बताया और उन्होंने सच कहा कि उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना कि जो भी गुनाहगार बन्दा वुज़ू करके दो रकअ़त पढ़ता है और बख़्शिश चाहता है तो अल्लाह उसे बख़्श देता है।

इल्मे हदीष़ से बहष़ करनेवालों ने मज़्कूरा आष़ार से ये नतीजा अख़्ज़ किया है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उ़मर (रज़ि.) के नज़दीक किसी हदीष़ की क़ुबूलियत की शर्त ये थी कि उसके रावी दो या दो से ज़्यादा हों। और हज़रत अ़ली (रज़ि.) का ये तरीक़ा था कि रावी से क़सम ली जाए। ये नज़रिया मुसल्लमा उसूल की हैषियत से तारीख़े तशरीअ़े-इस्लामी और तारीख़े इल्मे हदीष़ की अक्षर व बेश्तर किताबों में पाया जाता है, हमारे फ़ाज़िल असातिज़ा जिन्होंने तारीख़े तशरीअ़े-इस्लामी तालीफ़ की है, इसी नज़रिये के क़ाइल हैं। चुनाँचे उन्होंने '**शुरूतुल अइम्मा लिल अमलि बिल हदीष़**' के बाब में इसका इस तरह ज़िक्र किया है गोया कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.), हज़रत उ़मर (रज़ि) और हज़रत अ़ली (रज़ि.) के नज़दीक अ़मल बिल हदीष़ के लिये यही शर्त लाज़िम थी।

लेकिन अम्र वाक़ेअ़ ये है कि इन आष़ार से ये नज़रिया बाक़ायदा अख़्ज़ करना सहीह नहीं है। ये एक ऐसी इल्मी ग़लती है जिसकी दूसरे मन्क़ूला आष़ार तर्दीद करते हैं। और इस अम्र के गवाह हैं कि हज़रत उ़मर (रज़ि.), हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने बहुत सी बार ऐसी अहादीष़ को माना है जिनका रावी सिर्फ़ एक है और हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने क़सम लिये बग़ैर अहादीष़ को क़ुबूल किया है। इस बाब में चंद रिवायात दर्ज ज़ेल हैं–

(1) इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, इब्ने शिहाब से और वो अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर बिन रबीआ़ से रिवायत करते हैं कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) शाम को जाते हुए जब 'सुरग़' के मक़ाम पर पहुँचे तो उन्हें ख़बर मिली कि शाम में वबा (महामारी) फैल चुकी है। इस मौक़े पर हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने बताया कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि तुम वहाँ मत जाओ जहाँ के बारे में तुमको ये मा'लूम हो कि वहाँ वबा फैल चुकी है लेकिन जब तुम किसी ऐसी जगह मुक़ीम हो जहाँ वबा फूट पड़े तो वहाँ भागो भी नहीं। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने जब ये हदीष़ सुनी तो सुरग़ से वापस लौट आए। इब्ने शिहाब कहते हैं कि मुझे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने बताया है कि हज़रत उ़मर(रज़ि) सिर्फ़ हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) की ये रिवायत सुनकर लौटे थे।

(2) अर्रिसाला (इमाम शाफ़िई, अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा और मालिक की रिवायत है कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) कहा करते थे कि दियत सिर्फ़ आक़िला के लिये है और ये कि औरत अपने शौहर की दियत की वारिष़ नहीं है लेकिन जब उनको ज़िहाक़ बिन सुफ़यान ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको लिखा था कि अशीमुज़्ज़बाबी की बीवी उसकी दियत की वारिष़ है। तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अपने क़ौल से रुजूअ़ कर लिया।

(3) अर्रिसाला पेज नं. 427 की एक और रिवायत में है कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने एक बार कहा, क्या किसी ने हुनैन के मुता'ल्लिक़ नबी करीम (ﷺ) से सुना है? हमल बिन मालिक बिन नाबिग़ह ने कहा कि मेरी दो बीवियाँ थीं एक बार ऐसा हुआ कि एक ने दूसरी के डंडा मारा जिससे उसका हमल गिर गया। नबी करीम (ﷺ) ने ग़ुलाम या लौण्डी को उसकी दियत क़रार दिया। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ये सुनकर कहा कि अगर मैं ये न सुनता तो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देता।

(4) रिवायत है कि एक बार हज़रत उ़मर (रज़ि.) मजूस (अग्निपूजक) का ज़िक्र किया और कहने लगे कि मुझे मा'लूम नहीं कि उनके मुता'ल्लिक़ क्या हुक्म है? अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने कहा, मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना था आप (ﷺ) ने

फ़र्माया कि उनके साथ अहले किताब वाला सुलूक करो। हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये हदीष मान ली। (अर्रिसाला पेज नं. 430)

(5) इमाम बैहक़ी (रह.), हिशाम बिन यह्या मख़्ज़ूमी से रिवायत करते हैं कि बनी सक़ीफ़ में से एक शख़्स ने हज़रत उमर (रज़ि.) से एक ऐसी औरत के बारे में पूछा जो बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हुए हाइज़ा हो जाए, उसको तुहूर (पाकी) से पहले चले जाना चाहिये या नहीं? हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, नहीं! साइल ने कहा 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में आपके ख़िलाफ़ फ़त्वा दिया है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने साइल को दुर्रे से मारकर कहा तुम लोग मुझसे वो बात क्यूँ पूछते हो जिसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ैसला कर चुके हैं। (मिफ़्ताहुल्जन्नित लिस्सियूति पेज नं. 31)

(6) रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अँगूठे से लेकर के छुँगली (छोटी उंगली) तक कि पाँच उँगलियों तक के अलत्तर्तीब 15, 10, 9 और 6 ऊँट की दियत मुक़र्रर की थी। लेकिन जब अम्र बिन हज़्म के ख़त की रिवायत उनसे बयान की गई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर उँगली के बदले में दस ऊँट की दियत का फ़ैसला फ़र्माया है तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने क़ौल से रुजूअ कर लिया। कुछ उसूल की किताबों और अल्लामा शब्बीर अहमद उष्मानी की तस्नीफ़ फ़त्हुल मुल्हिम पेज नं. 7 और अल अह्काम इब्ने हज़्म जिल्द नं. 2 पेज नं. 13 में तो ये वाक़िआ इस तरह मज़्कूर है लेकिन **'अर् रिसाला'** मा'लूम होता है कि सहाबा किराम को इस तहरीर का इल्म हज़रत उमर (रज़ि.) की वफ़ात के बाद अम्र बिन हज़्म की औलाद के ज़रिये से हुआ था और उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) के इस फ़ैसले से रुजूअ कर लिया था।

(7) फ़त्हुल मुल्हिम पेज नं. 7 ही में है कि हज़रत उमर (रज़ि) के मोज़े का मसह का अमल भी सिर्फ़ सअद बिन अबी वक़ास (रज़ि.) की रिवायत के बिना (आधार) पर शुरू किया था।

(8) अल अह्काम लि इब्ने हज़्म जिल्द नं. 2 पेज नं. 13 में मरवी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) मज्नूना ज़ानिया (पागल बदकार) पर हद जारी करनेवाले थे कि उनको नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान मा'लूम हुआ कि तीन अश्ख़ास (तक्लीफ़े शरई के लिहाज़ से) मर्फ़ूउल क़लम है, उन्हीं में से एक मज्नून है। चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने रजम से मना कर दिया।

(नोट: इस पसमंज़र में ये हदीष है कि आप ﷺ ने बयान फ़र्माया, 'कलम तीन लोगों पर से उठा लिया गया है; (1) बच्चा, जब तक कि समझदार न हो जाए, (2) सोया हुआ शख़्स, जब तक कि जाग न जाए और (3) मज्नून (पागल)। —अनुवादक)

ये ऊपर लिखे आषार हर लिहाज़ से सहीह है जिनको अइम्मा-ए-सिक़ाते हदीष ने नक़ल किया है। इन आषार से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने सिर्फ़ एक सहाबी की रिवायत को बिला तवक़्क़ुफ़ व तरद्दुद क़ुबूल किया है। इस क़िस्म की रिवायात उन रिवायात से बहुत ज़्यादा हैं (और सिहत में उनसे कम नहीं है) जिनमें ये कहा गया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक सहाबी की रिवायत की सिहत के षुबूत में किसी दूसरे रावी को बतौर गवाह तलब किया है।

अब जब ये बात वाज़ेह हो गई कि सहाबा किराम अकषर मुंफ़रिद रावी की रिवायत को क़ुबूल कर लेते थे तो फिर हज़रत उमर (रज़ि.) से मुता'ल्लिक़ तलबे शहादत वाली उन रिवायात की तावील करनी पड़ेगी जो उनके अपने और दीगर सहाबा के अकषर अमल के ख़िलाफ़ पड़ती है। उन रिवायात पर नज़र डालने से हमें मा'लूम होता है कि इस्क़ाते हमल के बारे में मुग़ीरह बिन शुअबा की रिवायात हमल बिन मालिक से भी मरवी है और इसमें साफ़ तौर पर ये भी ज़िक्र किया गया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस रिवायत को बग़ैर गवाह के बिला तअम्मुल (अविलम्ब) मान लिया था। अब सिर्फ़ अबू मूसा (रज़ि.) की सलाम वाली रिवायात बाक़ी रह जाती है। इस रिवायत को हज़रत उमर (रज़ि.) की अपनी इंफ़िरादी मुहतात और मुहक़्क़िक़ाना रविश पर और सहाबा किराम को इस पर कारबंद रहने की तल्क़ीन पर महमूल किया जाएगा। अबू मूसा (रज़ि.) (अगर ये मान लिया जाए उनकी रिवायत किसी और तरीक़े से मरवी नहीं है) और मुग़ीरह बिन शुअबा के साथ इस तर्ज़े अमल का मक़सद हक़ीक़त में सहाबा किराम को हदीषे रसूल (ﷺ) की इल्लत व तह्क़ीक़ पर उभारना था। ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबा से शहादत का मुतालबा करके हज़रत उमर (रज़ि.) दरअसल जुम्हूरे मुस्लिमीन को ये ता'लीम देना चाहते थे कि दूसरे सहाबा व ताबेईन के मामले में भी रिवायत व क़ुबूले हदीष के वक़्त तह्क़ीक़ी रविश को न छोड़ा जाए। यही बात क़रायने क़ियास से मा'लूम होती है। चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने अबू मूसा (रज़ि.) से कहा था। 'मैं आपको मुत्तहम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष का मामला है।' एक रिवायत में है कि जब उबय बिन कअब (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से उनके इस तर्ज़े अमल की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि मैं तह्क़ीक़ चाहता हूँ।

इमाम शाफ़िई (रह.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के मुंफ़रिद सहाबी से रिवायत क़ुबूल करने की मुतअद्दिद मिषालें देने के बाद उनके इस रवैये के बारे में लिखा है कि अबी मूसा (रज़ि .) की रिवायत में तो सिर्फ़ एहतियात पेशे-नज़र थी क्योंकि इनके नज़दीक अबू मूसा (रज़ि.) के षिक़ह होने में शक नहीं था। अब अगर ये कहा जाए कि इसकी दलील क्या है? तो इसका जवाब अनस बिन मालिक (रज़ि .) की रबीआ से वो रिवायत है जो रबीआ ने अनेक उलमा से की है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अबू मूसा (रज़ि .) से ये कहा था कि मैं आपको इस सिलसिले में मुत्तहम करना नहीं चाहता। लेकिन इससे डरता हूँ कि लोग नबी अकरम (ﷺ) से ग़लत–मलत हदीषें बयान करना न शुरू कर दें।

क़ुबूले हदीष के बारे में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से सिर्फ़ **'विराषते जद्दा'** वाली एक ऐसी रिवायत है जिसकी तस्दीक़ में उन्होंने गवाह तलब किया है। लेकिन ये रिवायत इस बात की तस्दीक़ नहीं करती कि इनका मौक़िफ़ ही ये था कि जब तक रावी दो न हों हदीष क़ुबूल न की जाए। हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) को कई ऐसे मौक़े पेश आए जबकि उनको सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ रुजूअ करना पड़ा। लेकिन इस एक रिवायत के अलावा ये कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने किसी दूसरे रावी को बतौरे गवाह के तलब किया हो। बल्कि इमाम राज़ी महसूल में लिखते हैं कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) ने कोई फ़ैसला दिया था। बाद में हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने उनसे कहा कि इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला फ़र्माया था तो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अपने इस फ़ैसले से रुजूअ कर लिया। ये रिवायत हमारे ख़्याल की ताईद करती है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने **'इअलामुल मूक़िईन'** पेज नं. 51 में क़ज़ा के बारे में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के तरीक़े का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि 'हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को कोई फ़ैसला देना होता तो वो किताबुल्लाह में उसको तलाश करते। अगर वहाँ न मिलता तो फिर सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) में तलाश करते। अगर उसमें से भी न मिलता तो फिर सहाबा किराम से पूछते थे कि क्या रसूलल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में कोई फ़ैसला फ़र्माया है या नहीं? अगर इससे भी पता न चलता तो फिर मुम्ताज़ सहाबा को इकट्ठा करके उनसे मश्विरा लेते और जब वो लोग किसी राय पर मुत्तफ़िक़ हो जाते तो फ़ैसला कर दिया जाता।

हासिल ये कि हमें विराषते जद्दा की रिवायत के अलावा और कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलती जिसकी तस्दीक़ में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने किसी और रावी को तलब किया हो। इस रिवायत में ये एहतिमाल मौजूद है कि उन्होंने तषब्बुत और तहक़ीक़ के लिये ऐसा किया है कि क्योंकि उन्हें एक ऐसा फ़ैसला सादिर करना था और एक ऐसा क़ानून बनाना था जिसके बारे में क़ुर्आन चुप है। इससे ये नहीं समझा जा सकता है कि क़ुबूले हदीष में ये उनका कोई मुस्तक़िल मसलक था। इमाम ग़ज़ाली अल् मुस्तस्फ़ा में लिखते हैं कि मुग़ीरह की इस हदीष के बारे में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के तवक़्क़ुफ़ करने की वजह मुम्किन है हमें मा'लूम न हो सकी हो, हो सकता है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ये देखना चाहते हों कि अया ये हुक्म बाक़ी है या उसे किसी दूसरे फ़ैसले ने मंसूख़ कर दिया है। ये भी हो सकता है कि मुद्दआ ये हो कि अगर किसी और के पास इस हुक्म के हक़ में या ख़िलाफ़ कोई दलील हो तो पेश कर दे ताकि हुक्म मुअक्कद या मंसूख़ हो जाए। और ये भी मुम्किन है कि इससे उनका मक़्सद रिवायत में तसाहुल से रोकना हो। बहरहाल उनमें से किसी न किसी वजह पर इस रिवायत को महमूल करना पड़ेगा क्योंकि ये षाबित हो चुका है कि उन्होंने मुंफ़रिद सहाबी की रिवायत को ख़ुद भी क़ुबूल किया है और दूसरे क़ुबूल करने वालों पर भी ए'तिराज़ किया।

हज़रत अली (रज़ि.) के बारे में भी ये रिवायत कि वो रावी से क़सम लिया करते थे मुझे अजीब मा'लूम होती है। अगर ये रिवायत सही है तो इसमें कलाम नहीं। लेकिन अगर सही न हो तो फिर हज़रत अली (रज़ि.) का मसलक भी वही होगा जो दूसरे सहाबा का था। उनके बारे में मा'लूम है कि क़ुबूले हदीष के मामले में उनका तर्ज़े-अमल दूसरे सहाबा किराम से अलग न था। इमाम राज़ी ने महसूल जिल्द नं. 2 में उनसे ये क़ौल नक़ल किया है कि उन्होंने मज़ी के बारे में मिक़्दाद बिन अस्वद की रिवायत को माना है (या'नी बग़ैर क़सम के) 'और ऊपर बयान हो चुका है कि एक रिवायत में उन्होंने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से क़सम नहीं ली। बल्कि कहा कि अबूबक्र (रज़ि .) सच कहते हैं' इससे षाबित होता है कि क़सम लेना उनका आम मसलक नहीं था।

ख़ुलासा ये कि अबूबक्र, उमर और अली (रज़ि.) से मुंफ़रिद रावी की रिवायत क़ुबूल करना सही तौर पर षाबित है और वो हालात और अस्बाब जिनके तहत दूसरा रावी तलब किया गया या हलफ़ लिया गया है ये षाबित नहीं करते कि इन

हज़रात का दाइमी मसलक और मुस्तक़िल तर्ज़े अमल ये था। इस बहष व तहक़ीक़ से ये षाबित और वाजेह हो गया है कि इन तीन किबारे सहाबा का अमल उन सहाबा किराम के मुवाफ़िक़ है जो सिर्फ़ एक रावी से रिवायत मान लिया करते थे।

नाज़िरीने किराम ने इस तफ़्सीली मक़ाला के मुतालअ से बहुत सी मा'लूमात के साथ ये भी अंदाज़ा लगाया होगा कि सहाबा किराम (रज़ि.) ख़ुसूसन ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन अहादीषे रसूलुल्लाह (ﷺ) की सिहत के मुता'ल्लिक़ किस क़दर एहतियात मल्हूज़े ख़ातिर रखते थे। उनको मा'लूम था कि हज़रत नबी करीम (ﷺ) पर कोई ग़लत बात थोपना इतना बड़ा गुनाह है जिसकी सज़ा दोज़ख़ ही है। **'मन क़ाल अलय्य मालम अक़ुल फ़लयतबव्वा मक़्अदहू मिनन्नारि'** जो मेरी तरफ़ ऐसी बात मन्सूब करे जो मैंने नहीं कही हो। वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यही हदीष थी जिसकी तअमील में हज़राते सहाबा (रज़ि.) इंतिहाई एहतियात बरतते थे। इस बारे में हमारे मुहतरम मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब रहमानी नाज़िमे आला जामिआ सिराजुल उलूम झण्डानगर ने अपने क़ाबिले क़द्र किताब सियानतुल हदीष में एक तवील मक़ाला मा'लूमात से भरपूर लिखा है। जो नक़ल किया जा रहा है उसके मुतालअ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हदीषे नबवी को फ़न्नी हैषियत से मुदव्वन करनेवालों को किस क़दर एहतियात का पहलू मद्देनज़र रखना ज़रूरी है बावजूद ये है कि फ़न्ने हदीष के लिये बहुत से क़ीमती उसूल और बेहतरीन फ़न्नी जवाबित मुक़र्रर किये गए हैं। जिनका तफ़्सीली बयान अगले सफ़्हात पर आप पढ़ेंगे फिर भी लफ़्ज़े एहतियात ऐसा है जो यहाँ क़दम क़दम पर सामने रखना ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने क़ुर्आन मजीद में एक आम हिदायत फ़र्माई है कि **'व ला तक़्फ़ू मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस्समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मसऊलन'** (बनी इस्राईल : 36) या'नी ऐसी बात के पीछे बिलकुल न लगना जिसका तुझको इल्म न हो। इसलिये कि कान और आँख और दिल अल्लाह के यहाँ सबसे ही सवाल किया जाएगा।

मौलाना झण्डानगरी साहब (रह.) ने सहाबा किराम व ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन के इस पहलू पर तफ़्सीली क़लम उठाया है। गोया इन क़ीमती मा'लूमात को एक जगह जमा फ़र्माकर हम जैसे तालिबाने हदीष के लिये बेशुमार ज़ख़ीरा मुहय्या कर दिया है। जज़ाहुल्लाहु ख़ैरन। मौसूफ़ तहरीर फ़र्माते हैं।

एहतियाते सहाबा व ताबेईन व मुहद्दिषीन :–

सहाबा किराम और ताबेईने इज़ाम ज़ब्ते रिवायत में इस्तिलाहन कमाले इअतिनाअ के साथ ही मुहतात भी इस दर्जा के थे कि दो मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ (पर्यायवाची शब्द) जो मानी एक होते हैं, रिवायत करते हुए ये बता देते थे कि आँहज़रत (ﷺ) का फ़लाँ रावी के बयान में ये है और फ़लाँ रावी के बयान में ये है। इसकी नज़ीरें कुतुबे अहादीष में ख़ुसूसन मुस्नदे अहमद और मुस्लिम शरीफ़ में बकषरत हैं। चंद मिषालें देखिये :–

(1) हज़रत अनस (रज़ि.) एक मौक़े पर फ़र्माते हैं **'व मअना उक़ाज़तुन औ इस्रारून सहीहुन'** (सहीह बुख़ारी जिल्द अव्वल पेज नं. 71)। अदना फ़र्क़ के साथ दोनों के मा'नी लाठी के हैं। इसलिये ज़ब्ते अल्फ़ाज़ में एहतियात के लिये औ के साथ दोनों लफ़्ज़ों को बयान कर दिया।

(2) नबी करीम (ﷺ) से सुत्रह के बयान में जो हदीष सहाबा से मरवी है उसमें सिर्फ़ अर्बईन का लफ़्ज़ है। लेकिन इससे क्या मुराद है? 40 दिन, 40 माह या 40 साल? चूँकि कोई तअय्युन नहीं है। इसलिये आख़िर तक तमाम मुहद्दिषीन ने इसी तरह इब्हाम के साथ रिवायत किया है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने मुहद्दिष अबू अन् नस्र का मक़ूला नक़ल किया है। **'क़ाल ला अदरी क़ाल अरबईन यौमन् औ शहरन औ सनतन'** (सहीह बुख़ारी जिल्द नं. 1 पेज नं. 73)

(3) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने एक हदीष के बयान में ईशाअ या अतमअ का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया। अगरचे मा'नी दोनों एक से ही हैं लेकिन हज़रत आइशा की ता'बीर किन लफ़्ज़ों से थी, हज़रत आइशा (रज़ि.) के शागिर्द और दीगर अइम्मा–ए–हदीष ने एहतियातन दोनों लफ़्ज़ों की रिवायत कर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने **इअतम्मन्नबिय्यु (ﷺ) बिल इशाइ** फ़र्माया था या **इअतम्मन्नबिय्यु (ﷺ) बिलअतमति** फ़र्माया था। (सहीह बुख़ारी जिल्द नं. 1 पेज नं. 80)

(4) **ला तज़ामून वला तज़ाहून** में मअ़ना कुछ फ़र्क़ नहीं है। लेकिन नबी अकरम (ﷺ) ने इस मौक़े पर फ़र्माया था। हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह ने एहतियातन् दोनों लफ़्ज़ों की रिवायत कर दी। (सहीह बुख़ारी जिल्द अव्वल पेज नं. 81)

(5) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के एहतियात का ये आलम था कि हदीषे मीक़ाते एहराम में सिर्फ़ एक जुम्ला आँहज़रत (ﷺ) से ख़ुद न सुन सके बल्कि दूसरों से सुना तो ख़ास तौर पर उसका इज़्हार कर दिया कि हदीष **'व युहिल्लु अहलुल यमनि मिन यलमलम लम अफ़क़हु हाज़िही मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) व यज़अमून अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) क़ाल व युहिल्लु अहलुल यमनि मिन यलमलम'** (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 290) या'नी उन्होंने ग़ायत दर्जा एहतियात करते हुए फ़र्माया कि हदीषे मीक़ात की पूरी तफ़्सील तो ख़ुद मेरी सुनी हुई है। लेकिन अहले यमन के मीक़ात का टुकड़ा मैंने दूसरों से सुना। उन्होंने कमाल एहतियात से उनकी निस्बत उन दीगर अस्हाब की तरफ़ करके रिवायत की।

(6) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) का एक वाक़िआ़ इस तरह का है फ़र्माते हैं, **'समिअ़तुन्नबिय्य (ﷺ) यक़ूलु यक़ूनु इष्ना अशर अमीरन फ़क़ाल कलिमतन लम अस्मअ़हा फ़–क़ाल अबी इन्नहू क़ाल कुल्लुहुम मिन क़ुरैश'** (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 29) या'नी मैंने नबी (ﷺ) से सुना है कि बारह अमीर होंगे। उसके बाद आप (ﷺ) ने कुछ और फ़र्माया। जिसे मैं नहीं सुन सका। तो मेरे वालिद (समुरह रज़ि.) ने मुझे बतलाया कि उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ये सारे अमीर क़बील–ए–क़ुरैश से होंगे।

देखिए! हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने ग़ायत दर्जा एहतियात से ये वाज़ेह कर दिया कि इस क़दर तो मैंने ख़ुद सुना और ये टुकड़ा मेरे वालिद ने मुझे बतलाया। मैं आँहज़रत (ﷺ) से बराहे रास्त उसे नहीं समझ सका था।

(7) हज़रत अनस (रज़ि.), हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.), हज़रत अबूदर्दा (रज़ि.) वग़ैरह से मुता'ल्लिक़ हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) नक़ल फ़र्माते हैं कि जब ये कोई रिवायत बयान करते हैं तो उसके साथ ब–नज़रे एहतियात **'औ कमा क़ाल'** भी फ़र्माते थे। (फ़त्हुल मुग़ीष)

(8) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) अल्फ़ाज़े नबवी (ﷺ) को सिहत व ज़ब्त के साथ बयान करने के बावजूद एहतियातन् ये भी फ़र्माते **'अम्मा फ़ौक़ ज़ालिक व दून ज़ालिक व अम्मा क़रीबुम्मिन ज़ालिक'** (फ़त्हुल मुग़ीष)

(9) हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) बयाने हदीष के बाद फ़र्माते **'क़ाला हाज़ा औ नहवुन हाज़ा औ शिब्हु हाज़ा।'** (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 279) या'नी आँहज़रत (ﷺ) के अल्फ़ाज़ यही थे या इसी की तरह या इसके क़रीब क़रीब थे। हालाँकि मफ़्हूम व मअ़ना बिला शुब्हा दुरुस्त होता। बल्कि अकषर अल्फ़ाज़ भी वही होते लेकिन बख़ौफ़े हदीष **'मन कज़्ज़ब अ़लय्य मुतअ़म्मिदन'** बयान रिवायत के समय ज़ब्ते अल्फ़ाज़ के मुआ़मले में पुर हज़र रहते।

(10) मुहद्दिषीन ने अल्फ़ाज़ के तक़्दीम व ताख़ीर में बर मौक़ा शक बयान कर दिया कि पहले लफ़्ज़ था या वो लफ़्ज़ था। मषलन एक हदीष में **'वल इन्सारु ऐ़बती व करशी'** आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था या **'करशी या ऐ़बती'** फ़र्माया था। या हदीष 'असलम व ग़िफ़ार' में अस्लम व गिफ़ार था या ग़िफ़ार व अस्लम था। इसी तरह मुहद्दिष आ़सिम ने हदीष **'औसिऊ अ़ला अन्फ़ुसिकुम इज़ा वस्सअ़ल्लाहु अ़लैकुम फ़ औसिऊ अ़ला अन्फ़ुसिकुम'** के मुता'ल्लिक़ फ़र्माया था कि आँहज़रत (ﷺ) का इर्शाद इसी तर्तीब से था या इस तरह था, **'इज़ा वस्सअ़ल्लाहु अ़लैकुम औसिऊ अ़ला अन्फ़ुसिकुम'** (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 298)

इन तमाम मौक़ों पर न अल्फ़ाज़ बदलते हैं, न मअ़ना सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की तक़्दीम व ताख़ीर होती है और शक ये हो जाता है कि तर्तीब में कौनसा लफ़्ज़ पहले था। इहतियातन मुहद्दिष ने दोनों तर्तीब का ज़िक्र कर दिया। ताकि अल्फ़ाज़े नबवी (ﷺ) की जो तर्तीब हो वो सहीह तौर पर सामने आ जाए।

(11). इमाम शाफ़िई (रह.) ने इमाम मालिक (रह.) से एक रिवायत ली। उसमें एक ज़माने के बाद इमाम शाफ़िई को शक हो गया कि हदीष में लफ़्ज़ **'हत्ता याती ख़ाज़िनी मिनल्गाबति औ जारयती मिनल्गाबा'**, शक की वजह से इमाम शाफ़िई किसी जानिब को तर्जीह न दे सके तो वाज़ेह तरीक़े से बता दिया कि ये शक मुझे हो गया। मेरे शैख़ इमाम मालिक (रह.) को शक न था। हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) नक़ल करते हैं, **'क़ाल अना शककतु व क़द क़रअतुहू अ़ला**

मालिकिन सहीहन ला शक्क फ़ीहि षुम्म ताला अलज़मानि व लम अहफ़ज़ हिफ़्ज़न फ़शककतु' (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 290) या'नी मैंने अपने शैख़ इमाम मालिक (रह.) से बग़ैर शक के हासिल किया था, बाद में एक लम्बी मुद्दत गुज़रने पर ख़ुद मुझे सहीह तरीक़े से याद न रहा। तो ये अब शक मुझे आरिज़ हुआ है।

(12). एक मुहद्दिष ने हदीष **'इश्तरन्नबिय्यु (ﷺ) हुल्लतुन बिसब्इन व इशीन नाक़तन'** के मुता'ल्लिक़ फ़र्माया कि मेरे हाफ़ज़े में यहाँ लफ़्ज़ 'हुल्ला' और मेरी किताब में **'हुल्ला'** के बजाय **'षौबैन'** का लफ़्ज़ है। हाफ़िज़ सख़ावी लिखते हैं कि हुल्ला व षौबैनि में कोई फ़र्क़ नहीं है। लेकिन मुहद्दिष ने कमाल से इस फ़र्क़ को भी ज़ाहिर (उजागर) कर दिया। हालांकि मफ़ाद दोनों का एक है। (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 274)

हाफ़िज़ इब्ने सलाह भी हाफ़िज़ा और किताब के लफ़्ज़ी फ़र्क़ के बयान कर देने को अहसन फ़र्माते हैं। (मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 104)

(13). एक बार इमाम शोअ़बा ने अपनी याददाश्त से एक मर्फ़ूअ़ हदीष सुनाई। और उसके बाद कहा, **'अन्नहु फ़ीहिफ़्ज़ही कज़ालिक फ़ी ज़अ़मि फ़ुलालिन व फ़ुलालिन ख़िलाफ़ुहु'** या'नी मेरे हाफ़ज़े में तो इसी तरह है लेकिन फ़लां–फ़लां मुहद्दिष के हाफ़ज़े में अल्फ़ाज़ इसके ख़िलाफ़ (विपरीत) हैं। तो हाज़िरीने दर्स में से एक साहब ने कहा, **'हद्दषना बिहिफ़्ज़िक व दअ़ अ़न फ़ुलानिन व फ़ुलानिन'** या'नी आप हमें सिर्फ़ अपने हाफ़ज़े से हदीष सुनाइये और फ़लां-फ़लां के हाफ़ज़े का ज़िक्र छोड़ दीजिये। इमाम शोअ़बा ने जवाब दिया, **'मा उहिब्बु अन्न उ़मरी फ़िद्दुन्या उ़मरु नूहिन व इन्नी हदष्षतु बि हाज़ा व सकत्तु अन हाज़ा'** (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 275) या'नी अगर मेरी उ़म्र हज़रत नूह (अ़लैहिस्सलाम) के बराबर हो जाए तो भी मेरी ये ख़्वाहिश कभी न होगी कि मैं इस हदीष के बयान करने के बाद फ़लां–फ़लां के इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ को न बयान करुं। मतलब यह कि जब वो वक़्त भी आ जाए कि सैंकड़ों बरस की उ़मर पाकर तमाम मुतक़द्दिमीन (पूर्वकालीन) व मुआ़सिरीन (समकालीन लोगों) के ख़ात्मे के बाद सिर्फ़ तन्हा इल्मी और जलालते शान बाक़ी रह जाए तो भी मैं ये नहीं करुंगा कि दूसरे हुफ़्फ़ाज़े-मुतक़द्दिमीन के लफ़्ज़ों को बयान न करुं।

हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह लिखते हैं, **'इज़ा ख़ालफ़हु फ़ी मा यहफ़ज़ुहू बअ़ज़ुल हुफ़्फ़ाज़ि फ़लयक़ुल फ़ी हिफ़्ज़ी कज़ा व कज़ा व क़ाल फ़ीहि फ़ुलानु कज़ा व कज़ा'** (मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 104) या'नी अपने और दूसरे इमाम के हाफ़ज़े में जो फ़र्क़ हुआ है, उसे वाज़ेह कर दिया जाए। यहाँ तक अल्फ़ाज़ का एहतियात बयान किया गया। अब दूसरी तरह के एहतियातों की मिषालें देखिये।

अख़ज़ व सिमाअ़ और तरीक़–ए–रिवायत में एहतियात :

एक बार हाफ़िज़ सुहैल बिन अबी सालेह एक हदीष भूल गये और उनके शागिर्द इमाम रबीआ़ को वो रिवायत याद रही। (इमाम रबीआ़, इमाम मालिक के मशहूर शैख़ों में से हैं) जब इमाम रबीआ़ ने याद दिलाया कि आप ही ने मुझसे इस हदीष को बयान किया है तो मुहद्दिष सुहैल इस रिवायत को बयान करने लगे, मगर कमाले इहतियात मुलाहज़ा हो कि वो इस रिवायत को अपने शागिर्द के वास्ते से इस तरह बयान करने लगे, **'अख़्बरनी रबीअ़तु व हुव इन्दी षिक़तुन इन्नी हद्दष्षतुहू इय्याहू व ला अहफ़ज़ुहू'** (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 148, व मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं 53) या'नी मुझे रबीआ़ ने ख़बर दी जो मेरे नज़दीक़ षिक़ा हैं कि मैंने उनको ये हदीष सुनाई थी। लेकिन ख़ुद मुझे ये हदीष याद नहीं रही। इसीलिये मैंने हाफ़िज़े से नहीं एक क़ाबिले–ए'तिमाद (भरोसेमन्द / विश्वसनीय) षिक़ा शख़्स रबीआ़ के हाफ़ज़े के वास्ते से रिवायत करता हूँ।

इस वाक़िये के पेशेनज़र हमारे मुहद्दिषीने किराम का बयाने–हदीष में इन्तिहाई एहतियात का लिहाज़ रखना साफ़ ज़ाहिर है।

(15). इमाम अबू दाऊद (रह.) को अपने शैख़ हारिष बिन मिस्कीन पर किरअ़त का मौक़ा नहीं मिला, इसलिये इमाम अबू दाऊद ने **'समीअ़तु या हद्दषनी'** का लफ़्ज़ इस्ते'माल नहीं किया बल्कि रिवायत के प्रति कमाले एहतियात बरतते हुए ऐसे मौक़े पर सनद में साफ़ बयान कर दिया। **'क़ुरिअ अ़ला हारिषिब्नि मिस्कीनिन व अ़ना शाहिदुन'** (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 173 व ज़फ़रुल अमानी पेज नं. 291)

(16). इसी तरह इमाम निसाई का भी वाक़िया है कि मुहद्दिष हारिष बिन मिस्कीन, मिस्र के क़ाज़ी इमाम निसाई से किसी मामले में नाराज़ थे इसलिये इमाम निसाई (रह.) उनकी दर्स की मजलिस में हाज़िर न हो सकते थे। पस वो उसी जगह छुपकर

बैठते थे कि हारिष़ बिन मिस्कीन की नज़र की इमाम निसाई (रह.) पर नहीं पड़ सकती थी और इमाम निसाई वहाँ बैठकर के साथ सुन लेते थे। लेकिन कमाले एहतियात बरतते हुए **'हद्दष़नी व समिअ़तु'** नहीं फ़र्माते थे बल्कि **'क़ुरिअ अ़ला हारिष़िब्नि मिस्कीनिन व अ़ना अस्मउ'** फ़र्माते। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 173 व ज़फरुल अमानी पेज नं. 291)

इफ़ादा : हाफ़िज़ इब्नुस्सलाह,अइम्म—ए—सलफ़ के हवाले से लिखते हैं कि उस्ताद के बग़ैर, सिमाअ़ (सुनने) से जो इल्म हासिल हो वो जाइज़ है और उसकी रिवायत भी दुरुस्त है। (मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह,पेज नं. 69)

(17). हाफ़िज़ ख़तीब-बग़दादी के शैख़ हाफ़िज़ बुरक़ानी (रह.) **'समिअ़तु हीनत तहदीष़ि अ़न अबिल क़ासिमि'** के अल्फ़ाज़ के साथ हाफ़िज़ अबू क़ासिम से रिवायत करते। एक मौक़े पर इमाम ख़तीब बग़दादी ने अपने शैख़ से सवाल किया कि आप सराहतन **'हद्दष़नी अबुल क़ासिम'** या **'समिअ़तु अ़न अबिल क़ासिम'** क्यों नहीं फ़र्माते? तो उनके शैख़ बुरक़ानी ने कहा कि शैख़ अबुल क़ासिम ष़क़ाहत, ज़िहानत, सलाह, तक़्वा के बावजूद रिवायत बयान करने में बड़े मुतशद्दिद थे। हर शख़्स को हदीष़ के सुनने की इजाज़त न थी क्योंकि मुझे हुजूरे-दर्स की इजाज़त न थी। इसलिये मैं ऐसी जगह पर बैठकर हदीष़ सुनता था कि वो मुझे न देख सकें। मैं वहाँ से छुपकर सुन लेता। पस चूँकि ये बयाने—हदीष़ मेरे लिये न होती थी इसलिये मैं 'समिअ़तु अ़न अबी क़ासिम' नहीं कह सकता। इसलिये मैं एहतियात की नज़र से इस तरह रिवायत करता हूँ। **'समिअ़तु हीनत तहदीष़ि अ़न अबिल क़ासिमि'** या'नी मैंने अबुल क़ासिम से बराहे-रास्त नहीं सुना बल्कि जब वो हदीष़ रिवायत फ़र्मा रहे थे तो मैंने सुन लिया था ताकि सूरते हाल की सहीह तस्वीर सामने आ सके। (मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह,पेज नं. 61 व कज़ा फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 173)

इफ़ादा : हाफ़िज़ इब्ने सलाह आगे यह भी फ़र्माते हैं कि इस क़िस्म से सुनना और रिवायत करना, दोनों ही जाइज़ हैं। उस्ताद अबू इस्हाक़, इस्फराईन वग़ैरह की यही राय है अलबत्ता सुनने के तरीक़े का ख़ुलासा कर देना चाहिये। (मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह,पेज नं. 69)

(18). इमाम शोअ़बा फ़र्माते हैं कि जिन रिवायतों को मैं ख़ुद किसी मुहद्दिष़ से नहीं सुनता तो उसकी ता'बीर **'क़ाल फ़लानुन'** से करने को ज़िनाकारी की तरह हराम समझता हूँ। बल्कि उससे भी ज़्यादा शदीद ज़ुल्म समझता हूँ। उनके अल्फ़ाज़ यह हैं, **'लिअन अज़निय अहब्बु इलय्य मिन अ़न अक़ूल क़ाल फुलानुन व लम अस्मअ़हू मिन्हु'** (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 471)

(19). बाज़ मुहद्दिष़ीन अपनी रिवायतों को अपने क़ाबिलतरीन शागिर्दों से बयान करने के लिये ये भी इंतज़ाम करते थे कि अपने लायक़ शागिर्दों को मजलिसे—दर्स के कमरे में महफ़ूज़ बैठाकर बाहर दरबान मुक़र्रर कर देते कि दूसरा शख़्स मजलिस के दर्स में शामिल न हो सके और बाज़ यह भी करते थे कि मजलिसे—दर्स के बाहर दर्से—हदीष़ की आवाज़ सुनी न जा सके इसके लिये किसी मज़दूर के ज़रिये दर्स के कमरे के बाहर लकड़ी का दस्ता कटवाने के काम पर लगा देते थे ताकि मुहद्दिष़ के दर्स और किरअ़त की आवाज़ लकड़ी के दस्ते की खटाखट की आवाज़ ग़ालिब (हावी) हो जाए और बाहर उसके पास बैठने वालों तक मुहद्दिष़ की आवाज़ न पहुँच सके और बाहरी लोग न सुन सकें जो मुहद्दिष़ के नज़दीक और रिवायत करने व हदीष़ याद करने में क़ाबिले इत्मीनान (संतोषप्रद) न हों। (फ़त्हुल मुग़ीष़ : 173)

(20). मुहद्दिष़ीन ने यहाँ तक एहतियात किया है कि ऐसे शैख़ की रिवायत और सिमाअ़ (सुनने) को क़ुबूल नहीं किया, जो मरीज़ हों या इतने ज़ईफ़ (कमज़ोर) हों कि अपने शागिर्दों की किरअ़त की तस्हीह (ग़लतियों की इस्लाह) न कर सकते हों बल्कि शागिर्दों के सवालों पर सिर्फ़ **'ला या नअ़म'** कह सकते हों। ऐसे शैख़ों से रिवायत करना और सुनना मुहद्दिष़ीन के नज़दीक जाइज़ नहीं है। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 180)

(21). बयाने हदीष़ में एहतियात :

मुहद्दिष़ीने किराम ने इस तरह भी एहतियात किया है कि महज़ अपने हिफ़्ज़ पर भरोसा न करते हुए शागिर्दों को हदीष़ नहीं लिखवाते

और न बयान करते बल्कि असल किताब भी अपने सामने रखते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने इसका मश्वरा हज़रत अली इब्ने मदीनी और यह्या इब्ने मुईन जैसे ह़ाफ़िज़ों को दिया था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़र्माया, **'ला तुहद्दिष़ इल्ला मिन किताबिन वला शक्क इन्नल ह़िफ़्ज़ ख़व्वानुन।'** (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 269) या'नी किताब सामने रखकर बयान करें क्योंकि ह़ाफ़िज़ में कमज़ोरी भी वाक़ेअ हो सकती है।

ह़ाफ़िज़ इब्ने स़लाह लिखते हैं, **'व लि ज़ालिक इनतनअ जमाअतुहू मिन अइलामिल हुफ़्फ़ाज़ि अन रिवायतिम मा यह़फ़ज़ूनहू इल्ला मन कतबहुम'** (मुक़द्दमा इब्नुस्स़लाह पेज नं. 118) या'नी बग़ैर किताब के महज़ हाफ़ज़े के भरोसे पर बड़े–बड़े अइम्मा ने ह़दीष़ की रिवायत नहीं की।

(22). रिवायत नक़ल करने में एहतियात :

मुहद्दिष़ीन ने इस तरह भी एहतियात का लिहाज रखा है कि अपने शागिर्दों को उस वक़्त तक अपनी किताबों से नक़ल करने की इजाज़त नहीं दी जब तक शागिर्दों की नक़ल की हुई ह़दीष़ का अपनी असल किताब से मुक़ाबला और तस़्ह़ीह़ न कर लिया। चुनाञ्चे इमाम अह़मद बिन ह़म्बल ने अपने शागिर्दों को अजज़ा–ए–मन्कूला की रिवायत की इजाज़त मुक़ाबला और तस़्ह़ीह़ (तुलना करने व ग़लतियाँ सुधारने) के बाद दी। (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 216 व क़ज़ा क़ालल ह़ाफ़िज़ु इब्नुस्स़लाह पेज नं. 78)

(23). इमाम औज़ाइ ने भी अपने शागिर्दों को नक़लकर्दा अह़ादीष़ की मुक़ाबला व तस़्ह़ीह़ के बाद इजाज़त दी। (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 218)

ह़ाफ़िज़ इब्नुस्स़लाह ने लिखा है कि मुहद्दिष़ ने अपनी नक़ल की हुई किताब के रिवायत की इजाज़त बिला नज़र व मुक़ाबले के अगर किसी को दे दी तो ये इजाज़त स़ह़ीह़ नहीं होगी। (मुक़द्दमा इब्नुस्स़लाह पेज नं. 79)

(24). इसी त़रह ह़ज़रत उ़र्वा ने (जो कि एक जलीलुक़द्र ताबई और ह़ज़रत आइशा रज़ि के भतीजे हैं) अपने स़ाहिबज़ादे हिशाम से फ़र्माया कि तुमने मेरी ह़दीष़ों को लिखा व अस़ल से मुक़ाबला कर लिया या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं! फ़र्माया, तो तुमने जो कुछ लिखा वो सब कल–अदम (रद्द, निरस्त) है। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 218, अल ख़िफ़ाया बिल ख़तीब पेज नं. 237, मुक़द्दमा इब्नुस्स़लाह पेज नं. 91)

(25). इसी तरह इमाम क़ानबी ने एक तालिबे इ़ल्म से पूछा कि तुमने मेरी रिवायात को मेरी किताब से नक़ल किया, तो उसका मुक़ाबला किया या नहीं? तालिबे इ़ल्म ने जवाब दिया कि मुक़ाबला तो अब तक नहीं हुआ। फ़र्माया, 'फ़लम तस्नअ शैअन' तो फिर तुमने कुछ नहीं किया। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 250)

इन रिवायतों से मुह़द्दिष़ीन का कमाले एहतियात ज़ाहिर है। इन अइम्मा हजरात ने ह़दीष़ की ग़ायत, स़िहत और ज़ब्ते रिवायत के लिये उन तमाम उसूल व ज़वाबित को पेशेनज़र रखा कि ह़ाफ़िज़े के बावजूद अस़ल किताब से मुक़ाबला और तस़्ह़ीह़ को लाज़िम क़रार दिया। तस़्ह़ीह़ के बाद रिवायत की इजाज़त दी।

(26). ह़ल्फ़िया बयान और ग़ायत एहतियात :

मुह़द्दिष़ीने किराम ने इस त़रह भी एहतियात किया है कि जब उनको शुयूख़ के किसी ह़दीष़ के मतन या सनद में कुछ शुब्हा गुज़रा, वह ख़ुद हल न कर सके तो अपना शुब्हा ज़ाहिर करके कमाले स़िहत मा'लूम करने के लिये अदब के साथ दर्ख़्वास्त करते कि आप हल्फ़ से बयान करें कि आपने इस ह़दीष़ को फ़लां अन फ़लां से इसी त़रह सुना है। चुनाञ्चे एक बार ह़ाफ़िज़ुल ह़दीष़ यह्या बिन मुईन ने 20,000 ह़दीष़ों को परख–परखकर क़ुबूल किया। सिर्फ़ एक ह़दीष़ में उनको शुब्हा गुज़रा, शुब्हे की वजह ज़ाहिर करके इब्ने मुईन ने कामिल इत्मीनान ह़ासिल करने के लिये अपने शैख़ से कहा कि अगर आप नाराज़ न हों तो मैं आपसे इस बारे में एक सवाल कर लूं? जब शैख़ ने इजाज़त दे दी तो कहा, **'अ तहलिफ़ु ली इन्नक समिअ़तहू मिन हुम्माम'** (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 266) या'नी क्या आप मेरी ख़ातिर ये ह़ल्फ़ उठा सकते हैं कि आपने क़तई तौर पर इस रिवायत को हुम्माम से सुना है। शैख़ ने बड़ी तफ़्स़ील से जवाब दिया। आख़िर कहा मेरी अहलिया बिन्ते आस़िम को तीन त़लाक़ें पड़ जाएं अगर मैंने इस रिवायत को बईं त़ौर (इसी तरह से) हुम्माम से न सुना हो।

(27). इसी त़रह एक मुहद्दिष़ ने अपने शैख़ से पूछा कि क्या आपने उसको फ़लां साह़ब से सुना है? शैख़ क़िब्ला–रू होकर बैठ गये और

फ़र्माया, **'अय वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव'** या'नी क़सम वह्दहू ला शरीक लक की कि मैंने इसी तरह सुना है।

(28). इसी तरह मुहद्दिष़ ज़ैद बिन वहब (ताबिई) अपने शागिर्दों और दर्स में हाज़िर होने वालों के कामिल इत्मीनान के लिये हलफ़ उठाकर ह़दीष़ों को बयान करते थे। मष़लन फ़र्माया करते थे, **'हद्दष़ना वल्लाहि अबू ज़र बिज़्ज़ुबदति'** (फ़त्हुल मुग़ीष़ : 266)

(29). अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रत अली करमल्लाहु वजहहू भी एहतियात की नज़र से ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के बाक़ी सब ह़दीष़ के रावियों से हलफ़ उठवाकर ही ह़दीष़ को क़ुबूल करते। इमाम ज़हबी ह़ज़रत अली (रह.) से नक़ल करते हैं, **'फ़ इज़ा हलफ़ स़दक़्तन'** कि जब ह़दीष़ का रावी हलफ़ उठा लेता कि मैंने आँह़ज़रत (ﷺ) को इसी तरह सुना और याद रखा है तो मैं ऐसी तस्दीक़शुदा ह़दीष़ को क़ुबूल कर लेता। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द अव्वल व फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 266)

(30). शैख़ों के दर्स का त़रीक़ा और एहतियात :

मुहद्दिष़ीन ने अह़ादीष़ को सहीह़ त़रीक़े से ज़हन–नशीं करने और हाफ़ज़े में महफ़ूज़ रखने के ख़याल से ये भी किया है कि उन्होंने अपने शैख़ों से दो–दो, चार–चार ह़दीष़ों को ही ह़ासिल किया और इसको सीनों और सफ़ीनों में महफ़ूज़ रखा और शैख़ों ने भी शागिर्दों को कमाले–ज़ब्त के ख़याल से सिर्फ़ चन्द ह़दीष़ों को ही क़लमबन्द कराया। चुनाञ्चे इमाम मालिक (रह.) अपने शैख़ इमाम नाफ़ेअ़ से अख़्ज़े–ह़दीष़ का हाल बयान करते हैं कि मैं दोपहर की चिलचिलाती धूप में इमाम नाफ़ेअ़ (मोला बिन उ़मर) के मकान पर हाज़िर होता और उनके निकलने का इंतज़ार करता। जब वो ख़ुद बाहर तशरीफ़ लाते और मस्जिद में जाकर सहन में इत्मीनान से बैठ जाते तो मैं उनसे ब–रिवायत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर चन्द रिवायतें ह़ासिल करता और जल्दी सबक़ बन्द कर देता। (अद्दीबाजुल्मज़्हब लि इब्नि फ़रहून पेज नं. 20)

(31). इमाम मालिक (रह.) ख़ुद भी ह़दीष़ बयान करने में एहतियात फ़र्माते। वे आने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा छह–सात अह़ादीष़ सुनाते। ह़ाफ़िज़ सख़ावी लिखते हैं कि एक बार कूफ़ा से एक जमाअ़त इमाम मालिक की ख़िदमत में मदीना आई तो इमाम मालिक ने उन्हें सिर्फ़ सात ह़दीष़ें सुनाईं। इस जमाअ़त ने सोचा कि हम कूफ़ा से मदीने का सफ़र करके आए हैं, कुछ और ह़ासिल कर लें। इसलिये लोगों ने इमाम मालिक (रह.) से कुछ और ह़दीष़ें बयान करने की दरख़्वास्त की। इमाम मालिक (रह.) ने इसको पसन्द नहीं फ़र्माया और सबको उठा दिया और सात ह़दीष़ों से ज़्यादा किसी को कुछ न सुनाया। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 324)

इससे मा'लूम हुआ कि मुहद्दिष़ीने किराम और अइम्म–ए–ह़दीष़ ने ह़दीष़ का इल्म ख़ुद भी थोड़ा–थोड़ा ह़ासिल किया और थोड़ा–थोड़ा करके अपने शागिर्दों और दोस्तों को सुनाया, इसके पीछे उनका मक़सद कमाले–ज़ब्त और हिफ़्ज़े–ह़दीष़ था। इससे ज़्यादा हुसूले–ज़ब्त और ग़ायते–एहतियात क्या होगी?

(32). इमाम शोअ़बा (रह.) मअ़मर बिन उ़तबा वग़ैरह के मुता'ल्लिक़ इमाम ख़तीब बग़दादी (रह.) अपनी किताब 'अल जामिउ़ल आदाबुर्राविय्यु अख़्लाक़ुस्सामेइ' में नक़ल करते हैं कि ये ह़ज़रात अपने शैख़ों से सिर्फ़ चार–चार अह़ादीष़ सुनकर वापस आ जाते ताकि उन ह़दीष़ों को अच्छी तरह महफ़ूज़ और ज़हननशीन कर लें। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 331 व मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 129)

(33). जिस तरह इमाम शोअ़बा (रह.) ने ख़ुद भी अपने उस्तादों से सिर्फ़ तीन–चार ह़दीष़ों को ह़ासिल किया करते थे उसी तरह वो अपने तलबा को भी तीन–चार ह़दीष़ों की ही ता'लीम दिया करते थे। चुनाञ्चे यह़्या बिन सईद क़त्तान जैसे हुफ़्फ़ाजे–ह़दीष़ को तीन–चार से दस के बीच अहादीस की ता'लीम देते थे। इमाम ख़तीब बग़दादी (रह.) इमाम क़त्तान (रह.) का एक मक़ूला नक़ल करते हैं, **'लज़िम्तु शुअ़बत इशरीन सनतन फ़मा कुन्तु अरजिउ मिन इन्दिही इल्ला बिष़लाष़ति अह़ादीष़ व अशरत अक्ष़रु मा कुन्तु अस्मउ मिन्हु'** (तारीख़े ख़तीब जिल्द 14 पेज नं. 136) कि इमाम शोअ़बा तीन से दस ह़दीष़ के बीच ता'लीम देते थे, इसलिये मुझे वहाँ पर बीस बरस तक ठहरना पड़ा। आ़म तौर पर वो तीन अह़ादीष़ पढ़ाते, कभी–कभार उससे कुछ ज़्यादा भी पढ़ा देते।

इमाम ज़हबी ने यह़्या बिन सईद क़त्तान का बयान नक़ल किया है कि उनसे किसी ने पूछा, **'कम स़हिब्तुहू'** या'नी

इमाम शोअ़बा के पास आपने कितना ज़माना गुज़ारा? उन्होंने कहा, **'इश्रीन सना'** या'नी मैं बीस बरस तक उनके पास अहादीष़ हासिल करने में मसरूफ़ (व्यस्त) रहा। इससे मा'लूम हुआ कि इमाम शोअ़बा अहादीष़ की बहुत थोड़ी मिक़दार की ता'लीम देते थे। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द अव्वल पेज नं. 183)

(34). इसी तरह इमाम ग़न्दर बसरी भी इल्मे–ह़दीष़ के सिलसिले में इमाम शोअ़बा के पास बीस बरस तक हाज़िर रहे। (हाशिया तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द अव्वल पेज नं. 276 व तारीख़े स़ग़ीर पेज नं. 218)

(35). इसी तरह इमाम सुफ़यान ष़ौरी फ़र्माते हैं कि मैं इमाम अअ़मश व इमाम मन्सूर से सिर्फ़ चार या पाँच ह़दीषें सुनकर वापस पलट आता था और इससे ज़्यादा अहादीष़ इस अन्देशे से हासिल नहीं करता था कि कहीं याद्दाश्त से बाहर न हो जाए। उनके अल्फ़ाज़ यह हैं, **'अस्मउ अरबअत अहादीष़ औ ख़म्सत षुम्मन स़रफ़ कराहियतुन अन तक्षुरा व तफ़लत'** (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 330) इसका हासिल यही है कि रोज़ाना चार या पाँच ह़दीष़ों से ज़्यादा नहीं सुनता।

(36). इसी तरह इमाम सुफ़्यान बिन उययना का भी यही दस्तूर था कि वो रोज़ाना सिर्फ़ पाँच ह़दीष़ों को पढ़ाया करते थे और इस दस्तूर से हटने और इससे ज़्यादा सुनाने के लिये कभी तैयार नहीं होते थे। (तारीख़ इब्ने असाकिर जिल्द दो पेज नं. 415)

(37). यही दस्तूर और यही पाबन्दी सुलैमान तैमी भी फ़र्माते थे। इमाम सुलैमान तैमी पहले तो आने वाले तलबा का इम्तिहान लेते और उनमें से सलफ़ के मे'यार पर पूरा उतरने वाले तलबा को दर्से–ह़दीष़ में शिरकत की इजाज़त देते और सिर्फ़ पाँच ह़दीष़ों की ता'लीम देते।

हाफ़िज़ ज़हबी (रह.) ने लिखा है कि अगर तालिबे इल्म तक़दीर वग़ैरह उमूर का इन्कारी होता तो उसे मजलिसे–दर्स में शिरकत की इजाज़त ही नहीं देते और अगर ये उमूरे–तक़दीर का क़ाइल होता तो उससे हलफ़ लेते, 'फ़इज़ा हलफ़ ह़द्दष़हू ख़म्सत अहादीष़' (तज़्किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 135) या'नी जब हलफ़ उठा लेता तो उसे सिर्फ़ पाँच ह़दीषें सुनाते। मक़सद ये था कि वो ह़दीष़ों को अच्छी तरह महफ़ूज़ और ज़हननशीन कर लें।

इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी सुलैमान तैमी (रह.) के इस दस्तूर के मुता'ल्लिक़ लिखा है, **'व हुव युहद्दिषुश्शरीफ़ वल वज़ीअ ख़म्सतन ख़म्सतन'** (तारीख़े स़ग़ीर पेज नं. 167) या'नी वो हर अअ़ला व अदना को रोज़ाना पाँच ह़दीष़ ही सुनाया करते थे।

(38). इमाम ज़ुहरी जैसे मज़बूत हाफ़ज़े वाले शख़्स अपने शैख़ से सिर्फ़ दो–दो ह़दीषें हासिल करते और अपने साथियों और शागिर्दों से फ़र्माते, **'युदरकुल इल्मु ह़दीषुन औ ह़दीष़ानि'** कि इल्मे–नबवी (ﷺ) एक–एक, दो–दो ह़दीष़ हासिल करने से ही क़ाबू में आ सकता है। यहाँ तक कि इमाम ज़ुहरी ने कष़रत–तलबी से मना करते हुए फ़र्माया कि इल्मे–ह़दीष़ अगर तुम एक वक़्त में बहुत सारा हासिल करोगे तो तुम उस पर क़ाबू न पा सकोगे। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 331 व मुक़द्दमा इब्नुस्सलाह पेज नं. 129)

इस तरह ग़ायत और एहतियात बरतने के बावजूद उन अइम्म–ए–दीन पर, मुन्किरीने ह़दीष़ द्वारा तहरीफ़ व तब्दील (फेर बदल) व अ़दमे–हिफ़्ज़ (याद न रख पाने) का इल्ज़ाम लगाना न सिर्फ़ उनकी ह़दीष़ दुश्मनी है बल्कि तारीख़े–ह़दीष़, अ़क़्ले सलीम और इन्स़ाफ़ व दयानत से भी दुश्मनी है। अब हम स़हाबा किराम व अइम्म–ए–ह़दीष़ के हालात तफ़्सील के साथ लिखना चाहते हैं ताकि बवज़ाहत मा'लूम हो सके कि अहादीषे–नबविया (ﷺ) की ता'लीम व तर्वीज के लिये उन बुज़ुर्गों की क्या मसाई थीं?

इस सिलसिले का आग़ाज़ हम ख़ुलफ़ा–ए–राशिदीन के तज़्किर–ए–जमील से करेंगे और चूँकि ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) अफ़ज़लुल उम्मत हैं जैसा कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह **बिन उ़मर (रज़ि.) का एक क़ौल हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) ने नक़्ल किया है और जिसे हुक्मन् मर्फ़ूअ ठहराया है कि, 'कुन्ना नक़ूलू व रसूलुल्लाहि ﷺ हय्युन अफ़ज़लु हाज़िहिल उम्मति बअ़द नबिय्यिहा अबू बक्रिन व उ़मरु व उ़ष्मानु व यस्मउ ज़ालिक रसूलल्लाहि फ़ला युनकिरुहू'** (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 47) या'नी हम आँहज़रत (ﷺ) के सामने कहा करते थे कि ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि.), ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) और ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) उम्मत के सबसे अफ़ज़ल और बेहतरीन लोगों में से हैं। सुनकर आप (ﷺ) हम को रोकते नहीं थे।

लिहाज़ा इस हदीष की रोशनी में हम ख़ुलफ़ा–ए–राशिदीन में सबसे पहले हज़रत अबू बक्र (रज़ि .) का तज़्किरा करते हैं।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) :

हज़रत अबू बक्र अहादीषे–नबवी के जामेअ व हाफ़िज़ थे और हमेशा अहादीष और सुनन की तलाश में रहते थे। साथ ही अहादीष की तष़ब्बत और कमाले–ज़ब्त को भी निहायत ज़रूरी समझते थे। मुन्किरीने हदीष ने हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) को हदीष दुश्मन ठहराने और अहादीष के एक मज्मूअे (संग्रह) को जलाने का एक निहायत ही ग़लत वाक़िया उनकी तरफ़ मन्सूब किया है। अगर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) की नज़र सिर्फ़ कुर्आने पाक तक ही महदूद होती और अहादीष से उनको बैर होता तो अहादीष की किताबों में एक भी रिवायत उनसे मरवी न होती और वो ख़ुद किसी हदीष को रिवायत करते हुए नज़र नहीं आते क्योंकि वह वक़्त के फ़र्मांरवा और इक़्तिदारे अअ़ला के मालिक थे; वो ख़ुद भी रिवायते–हदीष से एहतिराज़ करते और दूसरों को भीं रोकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ख़ुद भी मौक़ा–ब–मौक़ा अहादीष से मसाइल को अख़्ज़ करते और सहाब–ए–किराम भी आपसे हदीषें रिवायत करते थे। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने बहुत सी हदीषों को आप (ﷺ) की सोहबत में रहकर हासिल किया और बहुत सी हदीषें सहाब–ए–किराम से सुनकर हासिल की। यही नहीं बल्कि हदीषों को हिफ़्ज़ करने वालों और रिवायत करने वालों को आपने ता'रीफ़ भी फ़र्माई। इस क़िस्म के बहुत से वाक़ियात हैं कि जब आपको किसी मुआमले में हदीष मा'लूम नहीं होती थी तो आप सहाब–ए–किराम के मजमे को मुख़ातब करके पूछते कि इस मसले के बारे में क्या किसी को कोई हदीष मा'लूम है? इसकी वजह यह थी कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) अपने ज़मींदाराना कारोबार में मसरूफ़ (व्यस्त) रहने की वजह से सारी अहादीष का इल्म हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिये वो लोगों से मा'लूम फ़र्माते थे। अब चन्द वाक़ियात मुलाहज़ा फ़र्माएं : -

(1). फ़ैसले :

अ़ल्लामा ज़हबी (रह.) ने लिखा है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दौर में एक शख़्स की दादी हज़रत अबू बक्र (रज़ि .) की ख़िदमत में अपनी विराष़त के बारे में दर्याफ़्त करने के लिये आई। दादी की विराष़त के बारे में कुर्आने करीम में कोई तज़्किरा नहीं और न उसके मुता'ल्लिक़ कोई हदीष उनके सामने थी। इसलिये उन्होंने हाज़िरीने मजलिस से पूछा कि जद्दा (दादी) की विराष़त के बारे में किसी को कोई हदीष मा'लूम है? तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा (रज़ि.) ने फ़र्माया, **'समिअ़तु रसूलल्लाहि ﷺ युअ़तीहास्सुदुस'** कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है कि आप दादी को छठा हिस्सा देते थे। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने मज़ीद एहतियात के पेशेनज़र दोबारा पूछा कि किसी और को भी ये हदीष मा'लूम है? तो उसी वक़्त हज़रत मुहम्मद बिन सलमा (रज़ि.) ने गवाही दी कि मैंने भी यह हदीष नबी करीम (ﷺ) से सुनी है। तब हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने इस हदीष को तस्लीम (स्वीकार) किया और दादी को छठा हिस्सा दिलाया। (तज़्किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 2)

(2). तहदीषे–रिवायत :

हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने लोगों को हदीषें भी सुनाईं। अज़ाँ जुम्ला हाफ़िज़ ज़हबी (रह.) एक वाक़िया नक़ल करते हैं, **'हद्दष यूनुसु अनिज़्ज़ुहरी अन्न अबा बकरिन हद्दष रजुलन हदीष़न फ़स्तफहमर्रजुलु इय्याहु फ़ क़ाल अबू बकरिन हुव कमा हद्दष्तुका'** (तज़्किरा पेज नं. 4) या'नी हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने एक शख़्स को हदीष सुनाई। इसने आप से मज़ीद दर्याफ़्त किया, तो आपने फ़र्माया कि ये हदीष बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने रिवायत किया है, हदीष उसी तरह है।

(3). हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़ुहरा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के इर्तिहाल के बाद तर्क-ए-नबविय्या में से विराष़त की तालिब हुईं। तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है, **'ला नूरिषु मा तरक्ना स़दक़तन'** (मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द अव्वल) या'नी मेरे तर्के का कोई वारिष नहीं होगा बल्कि वो सदक़े के तौर पर फ़ी सबीलिल्लाह तक़्सीम होगा। (सदक़ा आले नबी ﷺ पर हराम है)

अगर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) दुश्मने–हदीष होते तो कभी भी अहादीष को हुज्जत और दलील के तौर पर कुबूल न

फ़र्माते। कुर्आने करीम में बेटी का हिस्सा मुक़र्रर है लेकिन हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को बाप के माल से सिर्फ़ एक हदीष़ की बिना (आधार) पर महरूम कर दिया गया।

(4). हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) सक़ीफ़ा बनी सअ़दा में 'अन्सारी स़हाबा' के आ़म इज्तिमाअ़ में उस वक़्त पहुँचे जबकि अन्सार हज़रत स़अ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) को अपना अमीर मुक़र्रर करना चाहते थे और मुहाज़िरीन में से हज़रत उ़मर और हज़रत अबू उ़बैदा बिन जर्राह (रज़ि.) इस इंतख़ाब के ख़िलाफ़ थे। बिल आख़िर ग़लग़ला उठा कि, **'मिन्ना अमीरुन व मिन्कुम अमीरुन'** एक अमीर अन्सार में से ले लिया जाए और एक अमीर मुहाज़िरीन में से।

इस शोरो शग़ब का और झगड़े का ख़ात्मा सिर्फ़ एक हदीष़ के ज़रिये हो गया, जिसको हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने पेश किया। आपने ख़ुसूसियत से हज़रत सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) को मुख़ातब किया कि ऐ सअ़द! तुम आँहज़रत (ﷺ) के पास बैठे हुए थे और तुमने अपने कानों से रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना था, **'क़ुरैशुन विलातु हाज़ल अम्रि'** क़ुरैश ही में सरदारी और ख़िलाफ़त रहेगी। तो हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने 'स़दक़्त (सच कहा)' कहते हुए हदीषे़–नबवी (ﷺ) को क़ुबूल कर लिया। (फ़त्हुल बारी पेज नं. 14 बाब मनाक़िबुल मुहाज़िरीन)

ग़र्ज़ यह कि आनन–फ़ानन में सारी कश्मकश ख़त्म हो गई। चुनाञ्चे सबने क़बील–ए–क़ुरैश के एक फ़र्द हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के हाथ पर बैअ़त कर ली। इससे मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) अहादीष़ को याद भी रखते थे और मसाइल को षा़बित करने के लिये उनसे एहतिजाज भी फ़र्माते थे और हदीषे़ रसूल (ﷺ) के अ़ज़्मतो एहतिराम के लिये सबको पाबन्द बनाते थे।

(5). हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) स़हाब–ए–किराम को अहादीष़ सुनाते भी थे। अ़ल्लामा ज़हबी (रह.) ने हज़रत अ़ली (रज़ि.) का वो मक़ूला नक़ल किया है जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं किसी स़हाबी से हदीष़ सुनता हूँ तो कमाले–इत्मीनान की ग़र्ज़ से हल्फ़ के साथ उस हदीष़ को क़ुबूल करता हूँ, मगर जब हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) हदीष़ सुनाते हैं तो मैं उसे बग़ैर हल्फ़ के क़ुबूल कर लेता हूँ क्योंकि वो सिद्दीक़ हैं। लिहाज़ा इमाम ज़हबी (रह.) के नक़लकर्दा वो अल्फ़ाज़ **'हद्दष़नी अबू बक्र'** और **'स़दक़ अबू बकरिन'** से मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) हदीष़–दोस्त थे और वे हदीष़ की नश्रो–इशाअ़त और तबलीग़ व बयान से दिलचस्पी रखते थे। (तज़्किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 10)

(6). तवक्कुल अ़लल्लाह का एक बेहतरीन नमूना :

स़हाब–ए–किराम हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) से हिजरत के मुता'ल्लिक़ अहादीष़ को ख़ास तौर पर फ़र्माइश के साथ सुनते थे। इसी सन्दर्भ में एक वाक़िया स़हीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब में इस तरह मज़्कूर है कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने एक कजावा (ऊँट का पालान) हज़रत आ़ज़िब से 13 दिरहम में ख़रीदा और उनसे गुज़ारिश की कि आप अपने लड़के बराअ को इजाज़त दीजिये कि वो कजावे को मेरे घर तक पहुँचा दें। हज़रत आ़जिब (रज़ि.) ने कहा, **'ला हत्ता तहद्दष़ना'** या'नी जब तक हम आपसे हिजरत के बारे में हदीषें न सुन लें आपको जाने नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने हिजरत के वाक़िये के बारे में बतलाया कि जब हम दोनों ग़ार में छुपे हुए थे तो मुश्रिकीने मक्का ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। चप्पा–चप्पा छान मारा। एक जमाअ़त ग़ार के दहाने तक पहुँच गई। मैंने कुछ ख़दशा ज़ाहिर किया तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, **'मा ज़न्नुक या अबा बकरिन बिइष्नैनि अल्लाहु षा़लिषुहुमा'** ऐ अबू बक्र! तुम्हारा उन दो आदमियों के बारे में क्या गुमान है जिनके साथ तीसरा अल्लाह भी है। यहाँ तक कि जब सुराक़ा नामी एक शख़्स़ आँहज़रत (ﷺ) का पीछा करते हुए चन्द गज़ के फ़ास़ले पर आ पहुँचा तो मेरे दिल में आँहज़रत (ﷺ) के लिये फिर ख़दशा पैदा हुआ और मैंने घबराहट ज़ाहिर की। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, **'ला तहज़न इन्नल्लाह मअ़ना'** घबराओ नहीं! अल्लाह हमारे साथ है। (बुख़ारी जिल्द अव्वल पेज नं. 516)

अगर मुन्किरीने हदीष़ के क़ौल के मुताबिक हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) हदीष़ों के दुश्मन होते तो उनकी ज़बान से कोई स़हाबी हदीष़ नहीं सुन सकता था और अगर किसी स़हाबी की तरफ़ से फ़र्माइश होती तो वो उसको डाँटते और फिर किसी को इस क़िस्म की जुरअ़त नहीं होती। लिहाज़ा मा'लूम हुआ कि हदीष़ दुश्मनी की कहानी बिल्कुल फ़र्ज़ी और ख़ुदसाख़्ता (गढ़ी हुई) और सरासर फ़ुतूर है।

(7). हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) अहादीष़ याद रखने वालों की हौसला अफ़ज़ाई फ़र्माते थे और अहादीष़ हिफ़्ज़ करने पर सहाब–ए–किराम से ख़ुशी का इज़्हार फ़र्माते थे। इसकी वजह ये थी कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) अपनी कारोबारी मसरूफ़ियात और काश्तकारी की वजह से हर वक़्त ख़िदमते–नबवी (ﷺ) में हाज़री नहीं दे सकते थे। इसलिये दूसरों को हदीषों का इल्म होता रहता था और फिर जब उनके ज़रिये से हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) को कोई हदीष़ मा'लूम होती तो आप बहुत ख़ुश होते थे। आँहज़रत (ﷺ) के विसाल के वक़्त हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) आपके पास नहीं थे बल्कि अपने मोज़ा 'सख़' में थे। इमाम बुख़ारी नक़ल करते हैं, **'अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) मा त व अबू बक्रिन फ़िस्सनहि'** (बुख़ारी जिल्द अव्वल पेज नं. 517)

बेशक ज़मींदारी का काम बहुत मशग़ूल रखनेवाला काम है। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने क्या ख़ूब तर्जुमानी की है,

ज़र्रे–ज़र्रे से लगावट की ज़रूरत है यहाँ, आफ़ियत चाहे जो इन्सान तो ज़मींदार न हो।

ग़रज़ ये कि कारोबारी मशग़लों की वजह से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और दीगर सहाबा की तरह हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) आम तौर पर ख़िदमते–अक़दस में हाज़िर नहीं रह सके और उनको ज़्यादा ता'दाद में अहादीष़ सुनने का मौक़ा नहीं मिल सका। इसलिये जब मन्सबे–ख़िलाफ़त पर फ़ाइज़ किये गये तो नये मुआमलात और मसाइल का फ़ैसला आप इस तरह करते थे कि पहले मसले को किताबुल्लाह में ढूँढ़ते, उसके बाद सुन्नते रसूल (ﷺ) में तलाश करते। आख़िर में सहाब–ए–किराम के मजमे के पास इन अल्फ़ाज़ में सवाल करते, **'अतानि क़ज़ा व क़ज़ा फ़हल अलिम्तुम अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) क़ज़ा फ़ी ज़ालिक बि क़ज़ाइन'** या'नी ऐसा–ऐसा मुआमला पेश आ गया है, आप में से किसी को रसूलुल्लाह (ﷺ) का कोई फ़ैसला इस बारे में मा'लूम हो तो मुझे जानकारी दें।

हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) लिखते हैं कि अनेक सहाबा उन मुआमलात के बारे में सुन्नते मुतह्हरा बयान करने के लिये आगे बढ़ते। **'कुल्लुहुम यज़्कुरु अन रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़ीहि क़ज़ाउन'** हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ख़ुश होकर फ़र्माते, **'अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअ़ल फ़ीना मंय्यहफ़ज़ु अला नबिय्यिना'** (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पेज नं. 149) या'नी अल्लाह का शुक्र है कि हम में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो हमारे नबी (ﷺ) के सुनने मुतह्हरा को हिफ़्ज़ रखते हैं।

सहाबा से हदीषें मा'लूम करने के बाद हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) उनको याद भी रखते थे। और दूसरों तक पहुँचाते थे अस्माउर्रिजाल की मुस्तनद किताब **'ख़ुलासतुत्तहज़ीब'** में हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) से 142 मरवी हदीषें मौजूद हैं। इनमें वो हदीषें भी हैं जो आपने ख़ुद नबी (ﷺ) सुनीं और वो हदीषें भी हैं जो सहाब–ए–किराम के तवस्सुत से आपको मिली थीं।

इमाम सियूती (रह.) की **'तारीख़ुल ख़ुलफ़ा'** में 104 हदीषों का ज़िक्र मौजूद है। हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) ने **'इज़ालतुल ख़ुलफ़ा'** में लिखा है कि हज़रत अबू बक्र की रिवायतकर्दा तक़रीबन 150 हदीषें हदीष़ की किताबों में मौजूद हैं।

(9). इसी तरह अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) लिखते हैं कि शैख़ेन हज़रत अबू बक्र और उमर (रज़ि.) का तरीक़ा यह था कि जब कोई ताज़ा वाक़िया पेश आ जाता तो ये दोनों शैख़ पहले किताबुल्लाह में ग़ौर करते। अगर इसमें मसले का हल मिल जाता तो उसके मुताबिक़ फ़ैसला करते और अगर किताब से कोई वाज़ेह बात न मिलती तो रसूले अकरम (ﷺ) की अहादीष़ में ग़ौर करते। अगर इन हज़रात को ख़ुद अपने ग़ौरो–ख़ोज़ से कोई हदीष़ न मिलती तो लोगों से सवाल करते, **'हल अलिम्तुम अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) क़ज़ा फ़ीहि बि क़ज़ाइन'** या'नी आप हज़रात को इस मसले से मुता'ल्लिक़ नबी अकरम (ﷺ) के किसी फ़ैसले का इल्म हो या आपके किसी क़ौली या फ़ेअली उस्व–ए–हसना पता हो तो पेश कीजिये। चुनाञ्चे ये हज़रात मुख़्तलिफ़ मौक़ों की हदीषों को सुनाते और उस पर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) अमल दरामद करते। (इअलामुल मूक़िईन जिल्द अव्वल पेज नं. 22)

इससे मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) किताबो–सुन्नत से इहतिजाज़ फ़र्माते और मसाइल व क़ज़ाया के लिये अहादीषे नबविया को हमेशा पेशेनज़र रखते। **तमस्सकु बि अहादीष़** और **क़ज़ाया बिस्सुनन** के वाक़ियात को अल्लामा इब्ने हज़्म ने पेशेनज़र रखकर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का शुमारे वसीउल्इफ़्तः सहाबा में किया है। और मुकष़्षिरीन फ़िल फ़तावा के क़रीब आपको भी क़रार दिया है।

इज़ाल–ए–वहम :

अ़ल्लामा ज़हबी (रह.) ने हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ एक रिवायत नकल की है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कुछ ह़दीषों को नाक़ाबिले ए'तिबार (अविश्वसनीय) समझ कर जला दिया था। इस पर मुन्किरीने ह़दीष को बड़ा नाज़ है। हालाँकि यह रिवायत सही नहीं है। इसका रावी इब्राहीम बिन उ़मर मजहूल है। ख़ुद ह़ाफ़िज़ ज़हबी (रह.) ने इस मुर्सल रिवायत के आख़िर में लिख दिया है कि **'फ़हाज़ा ला यसिह्हु'** (या'नी ये दुरुस्त नहीं है)

इमाम ज़हबी (रह.) की यह आ़दत है कि वो अपना तबसरा बिल्कुल आख़िर में दो ह़र्फ़ में करते हैं। चुनाँचे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद के मुता'ल्लिक़ एक ह़दीष नकल करके आख़िर में लिखते हैं, **'हाज़ा मुन्क़तिउन'** (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़, ज़िल्द अव्वल, पेज नं. 14) या'नी यह ह़दीष मुनक़तअ़ है।

इसी तरह जाफ़र बिन मुहम्मद बिन अ़ली की रिवायत के आख़िर में लिखा है **'हाज़ा मुन्क़तिउल इस्नाद'** (तज़्किरा ज़िल्द अव्वल, पेज नं. 158)

इसी तरह एक ह़दीष के बारे में लिखते हैं **'हाज़ा इस्नादुन सहीहुन'** (तज़्किरा ज़िल्द अव्वल, पेज नं. 351) इसी तरह ह़ाफ़िज़ सववी के मुता'ल्लिक़ एक रिवायत पर आख़िर में यह कह कर तन्क़ीद की **'व लम यसिह्ह'** (तज़्किरा ज़िल्द दोम, पेज नं. 146) इसी तरह उन्होंने ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के मजकूरा वाक़िअ़े के मुता'ल्लिक़ आख़िर में तबस़रा करते हुए लिखा है, **'फ़ हाज़ा ला यसिह्हु'**

इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इस ह़दीष में ख़ुद मुन्किरीने ह़दीष के ख़िलाफ़ एक अन्दरूनी शहादत मौजूद है। ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने ह़दीष के जिस मजमूअ़े (संग्रह) को जला दिया था वो उनके नज़दीक क़ाबिले ए'तिमाद नहीं था। चुनाँचे उन्होंने अपने इस फ़ेअ़ल के जवाज़ में फ़र्माया था, **'व लम यकुन कमा हद्दषनी'** या'नी मुझे अन्देशा है कि जो ह़दीषें मुझसे बयान की गई हैं वो वाक़िअ़तन इस तरह न हों। इसी बिना पर इहतियात के पेशेनज़र मैंने इस मुशतबह मजमूअ़े को बाक़ी नहीं रखा। ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का यह इर्शादे-मुबारक साफ़ तौर से यह बता रहा है कि आपने इस मजमूअ़े को नाक़ाबिले ए'तिमाद (अविश्वसनीय) समझ कर जला दिया था। इसलिये नहीं जलाया था कि अल्लाह न करे आप ह़दीषे नबवी के मुन्किर थे। लेकिन जैसा कि ज़हबी (रह.) ने तस़रीह की है कि यह वाकिआ़ ही सही नहीं है।

वहाँ न हम थे और न बरक़ जो देख सकते कि मजमूअ़े में किस क़िस्म की ह़दीषें थीं और रिवायत करने वाले कौन थे? इन सब पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जिस क़दर ज़ाहिर है वो सिर्फ़ यह कि सिद्दीक़े-अकबर (रज़ि.) के नज़दीक वो मजमूआ क़ाबिले इत्मीनान (संतोषप्रद) न था।

इसी तरह ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने एक मौक़े पर फ़र्माया, **'क़द तरक्तु अ़श्रत आलाफ़ ह़दीषिन लिरजुलिन फ़यन्ज़ुरु तरक्तु मिष्लहा औ अक्षर मिन्हा लि ग़ैरिही ली फ़ीही नज़्रुन'** (मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी, पेज नं. 568) या'नी एक शख़्स को मैंने क़ाबिले ए'तिराज़ पाया तो दस हज़ार ह़दीषें जो मैंने उससे ली थी वो मैंने छोड़ दी और इसी तरह एक और शख़्स की रिवायतें (जो ता'दाद में इतनी ही थीं या इससे ज़्यादा) उसको भी छोड़ दी क्योंकि वह शख़्स नाक़ाबिले ए'तिमाद था। अब क्या कोई शख़्स इमाम बुख़ारी को इस एहतियात के पेशेनज़र दुश्मने-ह़दीष कह सकता है ? **हाशा व कल्ला**

जिस तरह दस हज़ार को मतरूक़, नाक़ाबिले ए'तिमाद ठहराने से इमाम बुख़ारी पर ह़दीष दुश्मनी का इल्ज़ाम आइद नहीं किया जा सकता उसी तरह ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) पर चन्द अहादीस को नाक़ाबिले ए'तिमाद क़रार देने और उनको जला देने से ह़दीष दुश्मनी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है। ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का यह इक़दाम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तीसरे ख़लीफ़ा ह़ज़रत उस्मान (रज़ि.) ने मुशतबह मुख़्तलिफ़ किरअ़तों के साथ मख़लूते क़ुर्आन मजीद के मजमूअ़े को जलवा दिया था।

दूसरे ख़लीफ़ा अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) :

ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) भी अहादीस की इशाअ़त और रिवायत में हद दर्ज़ा मुहतात थे। उन्हें इस बात का बहुत ख़्याल रहता था कि आँह़ज़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ कोई ग़लत बात मन्सूब न हो जाए। हमेशा इस अम्र का लिहाज़ रखते थे कि रसूलुल्लाह

(ﷺ) का जो भी क़ौल व फ़ेअल मरवी हो इसमें पूरी सिहत और सदाक़त को पेशेनज़र रखा जाए। मुन्किरीने हदीष ने आपकी इस मुहतात रविश से यह नतीजा निकाला कि हज़रत उमर (रज़ि.) भी हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) की तरह दुश्मने-हदीष थे क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) हदीषों को तलाश करके फ़ना करते रहते थे। (दवाउस्सलाम, पेज नं. 51)

हज़रत उमर (रज़ि.) के मुता'ल्लिक़ यह कहना कि वो अहादीस को फ़ना कर देते थे यह सरासर ग़लत है। किसी मुस्तनद तारीख़ से उसकी सिहत का षुबूत नहीं मिलता। लेकिन अगर बफ़र्ज़े-महाल यह तस्लीम कर लिया जाए कि यह वाक़िआ दुरुस्त है तो यह कोई ऐसा मजमूआ रहा होगा जो उनके नज़दीक क़ाबिले ए'तिमाद न था। पस अगर ऐसे किसी मजमूअे को हज़रत उमर (रज़ि.) बाक़ी रहने देते तो उम्मत में इख़्तिलाफ़ व रंजिश का सबब होता। हज़रत उमर (रज़ि.) का मक़सद यह था कि ग़लत और मशकूक अहादीष आँहज़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब न हो और बिला कमाले तहक़ीक़ और तफ़तीश कोई रिवायत शाए न हो। मुन्किरीने हदीष फ़ारूक़े आ'ज़म के हदीष-दुश्मन होने पर इस रिवायत से भी इस्तिदलाल करते हैं कि जिसे अल्लामा हैषमी (रह.) ने **'मजमउज़्ज़वाइद'** में और अल्लामा ज़हबी (रह.) **'तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़'** में नकल किया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने बकषरत हदीषों की रिवायत करने पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.), अबूदर्दा (रज़ि.), अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) को मदीने में क़ैद कर दिया था। उनकी क़ैदो-बन्द का सिलसिला हज़रत उमर (रज़ि.) की शहादत तक जारी रहा।

लेकिन यह रिवायत मुन्क़ता है। अल्लामा हैषमी (रह.) **'मजमउज़्ज़वाइद'** में लिखते हैं, **'कुल्लु हाज़ा अम्रुन मुन्क़तिउन व इब्राहीमु वलदु सनत इश्रीन व लम युदरिक मिन हयाति उमर इल्ला षलाष सिनीन वब्नु मसऊदिन कान बिल कूफ़ति वला यसिह्हु हाज़ा अन उमर'** (मजमउज़्ज़वाइद, पेज नं. 59) या'नी इब्राहीम को (जो इस अषर के रावी हैं) हज़रत उमर (रज़ि.) का ज़माना नहीं मिला क्योंकि हज़रत उमर की शहादत के वक़्त वो सिर्फ़ तीन बरस के थे, इसलिये उनका हज़रत उमर (रज़ि.) से रिवायत करना नामुमकिन है। इसलिये यह रिवायत बिल्कुल ही नाक़ाबिले क़ुबूल है। इसके अलावा मअन बिन ईसा और ज़हबी के बीच कई सदियों की दूरी है। दूसरे सईद बिन इब्राहीम भी जरह से ख़ाली नहीं। हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) साहिबे-इल्म सहाबी अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) साहिबे कमाल बद्री सहाबी के सज़ा देने का वाक़िया भी ग़लत है।

दूसरी बात इस रिवायत में यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी शहादत तक मदीना में ही क़ैद रखा। उसकी ग़लती में इतना कह देना काफ़ी है कि तमाम सहीह रिवायतों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का क़याम कूफ़ा में षाबित है। ख़ुद हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको कूफ़ा का मुअल्लिम बनाकर भेजा था और वो कूफ़ा में ता'लीमे सुनन और हुकूमत की तरफ़ से आइदकर्दा फ़राइज़ की अदायगी में बराबर मशग़ूल रहे। (तज़्किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 13 व इस्तिआब जिल्द अव्वल पेज नं. 361)

लिहाज़ा जब वो कूफ़ा में थे तो मदीने में शहादते फ़ारूक़ी तक क़ैद में रहने की बात क्योंकर दुरुस्त क़रार दी जा सकती है? लिहाज़ा ब-कषरत हदीषें बयान करने के जुर्म में क़ैद हो जाना मज़्कूरा हक़ाइक़ की रोशनी में ख़ुद ब ख़ुद बातिल हो जाता है। इसी हक़ीक़त की तरफ़ अल्लामा हैषमी (रह.) ने यह कहकर, **'वला यसिह्हु हाज़ा अन उमर'** इशारा किया है कि हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ इसका इन्तिसाब ग़लत है। लिहाज़ा मुन्किरीने हदीष का इस क़िस्म की रिवायतों के बलबूते पर हज़रत उमर (रज़ि.) को दुश्मने-हदीष ठहराना सरासर दज्लो-फ़रेब है।

अलबत्ता हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के इस इन्तिबाह का ज़िक्र फ़र्माया है जिसमें फ़ारूक़े आ'ज़म ने हज़रत कअब अहबार (रज़ि.) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह सहाबा को अहले किताब के वाक़ियात और इस्राईली रिवायतों के बयान करने पर सख़्त तन्बीह फ़र्माई थी। हाफ़िज़ सख़ावी (रह.) के अल्फ़ाज़ यह हैं, **'व क़द मनअ उमरू कअबन मिनत्तहदीषि बिज़ालिक क़ाइलल लहू लततरुकन्नहू औ लअलहक़न्नक बिअरज़िल क़िरदति व क़ज़न्नह्यु अम्मिष्लिही इब्न मस्ऊदिन व ग़ैरहू मिनस्सहाबति।'** (फ़त्हुल मुग़ीष पेज नं. 82)

पस इस क़िस्म की रिवायत की तहदीष पर डाँट-डपट यारों ने अहादीषे-नबविया की मुमानिअत पर महमूल कर दिया। अल्लाह न करे अगर हज़रत उमर (रज़ि.) हस्बे बयान मुन्किरीने हदीष, दुश्मने हदीष होते तो वो ख़ुद अहादीष की रिवायत क्यों करते? और लोगों से अहादीषे नबविया क्यों दर्याफ़्त फ़र्माते? और दीगर अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) को रिवायते हदीष की इजाज़त

क्यों देते? ह़ज़रत ड़मर (रज़ि.) का मंशा इन्ज़िबाते रिवायत और एहतियात फ़िल ह़दीष़ के सिवा और कुछ न था। अगर ऐसी कोशिशें मुन्किरीने ह़दीष़ के नज़दीक ह़दीष़ को मिटाने के बराबर हैं तो बयान का अपना इज्तिहाद है। इस आज़ादी के दौर में दुर्रे–ए–फ़ारूक़ी नहीं है, वर्ना फ़ारूक़े आ'ज़म पर ह़दीष़ दुश्मनी का बोहतान का असली जवाब दुर्रा ही था। फिर हर मुन्किरे ह़दीष़ चन्द दुर्रों पर चिल्ला–चिल्लाकर ऐलान करता, **'ज़हबल्लज़ी कुन्तु अजिदुहू फ़ी रासी'** फ़ारूक़े आ'ज़म (रज़ि.) का मक़सद इन एहतियाती बन्दिशों से सिर्फ़ यह था कि नबी (ﷺ) के तमाम इर्शादात असली हालत में, बग़ैर किसी इज़ाफ़े और किसी नुक़्सान के दुनिया की रहबरी के लिये बाक़ी रहें और कोई सहाबी फ़र्मूदाते रसूल (ﷺ) में किसी ग़लती का इर्तिकाब न कर सके। किसी लफ़्ज़ को न घटा सके और न बढ़ा सके। **'कन्ज़ुल उ़म्माल'** में लिखा है कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के ज़माने में अह़ादीष़ की रिवायत पर सख़्त क़िस्म की शर्तें आइद थीं और इन सबका मंशा यह था कि लोग हर क़िस्म की रिवायात बयान करने में आज़ाद न हो जाएं।

ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) बयाने रिवायत में लोगों को अल्लाह का ख़ौफ़ व डर दिलाया करते थे ताकि नबी करीम (ﷺ) की तरफ़ कोई ऐसी बात मन्सूब न हो जाए जो वाक़ई आप (ﷺ) से षाबित न हो। (मुन्तख़ब कन्ज़ुल उ़म्माल जिल्द छह पेज नं. 61)

और इसी ह़क़ीक़त की तरफ़ अल्लामा ज़हबी (रह.) ने ऐसे ही अल्फ़ाज़ से इशारा किया है। **'हुवल्लज़ी सन्नल मुहद्दिषीनत्तषब्बुत फ़िन्नक़्लि व रुब्बमा कान यतवक़्क़फ़ु फ़ी ख़बरिल वाहिदि इज़रताब'** (तज़्किरा जिल्द अव्वल पेज नं. 6) या'नी ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अह़ादीष़ के ज़ब्त व हिफ़्ज़ और रिवायतों के कमाले षुबूत का इस दर्जा लिहाज रखा कि तमाम मुहद्दिषीन के लिये आपका यह तर्ज़े–अमल एक बेहतरीन नमूना बन गया। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के तज़्किरे में यह वाक़िया भी हमें नज़र आता है कि बसा औक़ात आप ह़दीष़ सुनकर दूसरे सहाबी की ताईद व तस्दीक़ का इंतज़ार फ़र्माते। जब इत्मीनानबख़्श तरीक़े पर षुबूत बहम पहुँच जाता तो कमाले शर्ह़े–सद्र के साथ उसको तस्लीम कर लेते।

सहीफ़–ए–उ़मर (रज़ि.) :

ख़तीब बग़दादी (रह.) ने किताबुल किफ़ाया में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के एक ऐसे सहीफ़े का भी ज़िक्र किया है जो ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से ह़ासिल हुआ था और जिसमें ह़दीषें दर्ज थीं। (फ़त्हुल मुग़ीष़ पेज नं. 233)

ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के कमाले ज़ब्त व एहतियात का यह नतीजा निकला कि ह़ज़रत मुआविया (रज़ि.) ने फ़र्माया कि इन ह़दीषों को हर तरह महफ़ूज़ कर लो, ये ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के ज़माने में मुरव्वज (प्रचलित) थीं क्योंकि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) रावियाने ह़दीष़ को कमाले एहतियात की तल्क़ीन फ़र्माया करते थे और उनको इस बात से ख़ौफ़ दिलाते थे कि कोई ग़लत चीज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब न हो जाए।

अगर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) दुश्मने ह़दीष़ होते तो कोई ह़दीष़ इनसे मरवी नहीं होती। हालांकि इनसे बहुत सी ह़दीषें रिवायत की गई हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी (रह.) ने मरवियाते उ़मर (रज़ि.) की ता'दाद 537 बताई है। (**तल्क़ीहु फ़ुहूमि अहलिल अषरि लि इब्निल जौज़ी** पेज नं. 184) ख़ुलासतुत्तहज़ीब के मुअल्लिफ़ ने ह़ज़रत उ़मर की मरवियात को 539 लिखा है जब ख़ुद ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से इस क़दर शिद्दते एहतियात के बावजूद 500 से ज़ाएद अह़ादीष़ मरवी हैं तो मुन्किरीने ह़दीष़ का ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) को दुश्मने ह़दीष़ क़रार देना सरापा जिहालत व ज़लालत है।

अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुर्आन मजीद में अपने महबूब रसूल (ﷺ) की शाने अक़दस में फ़र्माया, **'हुवल्लज़ी बअ़ष फ़िल उम्मिय्यीन रसूलम्मिन्हुम यत्लू अ़लैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन.'** (अल जुम्आ : 2) या'नी अल्लाह वो ज़ाते आली है जिसने अनपढ़ों में अपना एक रसूल उन्हीं की क़ौम से मबऊष़ फ़र्माया, जो उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ता और उनको बुराइयों से पाक करता है और उनको वो किताब व हिकमत की ता'लीम देता है। और वो उनकी आमद से पहले खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे।

इस आयते करीमा में जिस चीज़ को लफ़्ज़े 'हिकमत' से ता'बीर किया गया है ये वही चीज़ है जिसको दूसरे लफ़्ज़ों में ह़दीषे–नबवी कहा जाता है। एक ज़र्रा बराबर भी शक व शुब्हा की गुन्जाइश नहीं है कि ह़दीषे नबवी (ﷺ) हिकमत का एक लाफ़ानी ख़ज़ाना (अमर सम्पत्ति) है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ुर्आन मजीद के साथ–साथ अपनी उम्मत के हवाले फ़र्मा गये और जिसे उम्मत

ने पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ इस तरह महफ़ूज़ रखा जिस तरह कि क़ुर्आन मजीद को महफ़ूज़ रखा गया। इस बारे में नाज़िरीने किराम बहुत सी तफ़ासील पिछले बयानात में मुलाहज़ा फ़र्मा चुके हैं । नीज़ सहाब-ए-किराम (रज़ि.) का हाल मा'लूम कर चुके हैं कि वो अहादीषे नबवी के किस क़दर दिलदादा, किस क़दर एहतियात बरतने वाले और कितने क़द्रदां थे। बाद के ज़मानों में अहादीष पर उम्मत ने जिस क़दर तवज्जुह दी है वो तारीख़े इस्लाम का एक सुनहरी बाब है। चूँकि तदवीने हदीष पर बयान चल रहा है इसलिये आज इसके मुता'ल्लिक़ मज़ीद तफ़्सीलात पेश की जा रही हैं, उम्मीद है कि ब -ग़ौर मुतालआ फ़र्माने वाले हज़रात इनसे ईमान व यक़ीन का बहुत सा सरमाया हासिल फ़र्मा सकेंगे। **'व हाज़ा हुवल मुरादु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि'**

तारीख़ तदवीने अहादीष :

आसानी के लिये हम हदीषों के मुरत्तब होने के दौर को चार हिस्सों में बाँट लेते हैं ताकि मुफ़स्सल तौर पर मा'लूम हो सके कि हर दौर में अहादीषे–नबवी (ﷺ) को महफ़ूज़ रखने के लिये मुसलमानों ने क्या कुछ मेहनतें और जाँफ़िशानी की है? (01). रिसालते नबी (ﷺ) का ज़माना (02). सहाब–ए–किराम रज़ि. का दौर (03). ताबेईन रह. का दौर (04). ताबेईन के बाद का ज़माना।

(01). रिसालते नबी (ﷺ) का ज़माना (बेअषत से 11 हिजरी तक मुद्दत 23 साल):

आलमे इन्सानियत की शबे दीजूर (अन्धेरी रात) की नूरानी सुबह कितनी पुर कैफ़ियत थी जब वो महरे जहाँ अफ़रोज तुलूअ हुआ। उसकी हयात बख्श (ज़िन्दगी देने वाली) किरणों की ताषीर से बेहिस ज़र्रों में भी ज़िन्दगी करवटें लेने लगी। उसकी शोख़ तजल्लियों ने नशीब व फ़राज सहरा व कोहसार को बुक़अ–ए–नूर बना दिया। ख़ज़ाँ ज़दा बाग़े हस्ती में सरमदी बहारें फिर मस्तानावार झूमने लगी और इन्सान अपना खोया हुआ मक़ाम हासिल करने के लिये फिर मसरूफ तग व पू नज़र आने लगा। दुनिया हैरान है कि जिसकी पहली दा'वत पर सारा अरब आग बबूला हो गया; आँखों में गुस्से व नफ़रत के अंगारे नाचने लगे जिन्होंने इस नबी की आवाज सुनने से अपने कान बन्द कर लिये और उसकी तरफ देखने से आँखें बन्द कर ली; जो अपने पूरी इज्तिमाई ताक़त के साथ अपने घरों से कई बार तीर–कमान लेकर उसे मिटाने के लिये निकले थे, (वही लोग) किस तरह उसके इशारे पर जाने-अजीज तक निषार करने लगे। वह हस्ती जिसकी हर बात से उन्हें चिढ़ थी किस तरह उनकी आदतें बल्कि एहसास व तख़य्युल (फ़िक्र/कल्पना) की मुहासिब (रखवाला) बन गयी। सहाबा किराम (रजि.) को जो अक़ीदतो–न्याज़मन्दी, मुहब्बतो–शिगुफ्तगी इस पैकरे हुस्नो–रा'नाई व जामेअ सिफ़ाते–अम्बिया और रसूल (ﷺ) से थी इसकी मिषाल में उर्वा बिन मसऊद षक़फ़ी ने सहाबा की न्याज़मंदियों का जो नक्शा खींचा है, उससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं।

हुज़ूरे करीम (ﷺ) छह हिजरी में चौदह सौ सहाबा (रजि.) के साथ उमराह की निय्यत से आज़िमे मक्का हुए। हुदेबिया के मुकाम पर पहुँचे तो कुफ्फारे मक्का ने मुज़ाहमत की और आगे जाने से रोक दिया और मुसलमानों की कुव्वत का जाइज़ा लेने के लिये उरवा बिन मसऊद को मुसलमानों की क़यामगाह पर भेजा। उरवा ताइफ का रईस था और इसी के इशारे पर ताइफ की गलियों में नबी अकरम (ﷺ) की पिण्डलियों को बदमाशों ने पत्थर मार–मार कर लहुलुहान किया था वो अभी तक मुशर्रफ़ बा-इस्लाम भी नही हुआ था (यानी उसने इस्लाम कुबूल नहीं किया था), उसने वापस आकर कुफ्फ़ारे मक्का से कहा,

उस शख़्स से सुलह कर लो उसके मुकाबला की तुम में ताब नहीं। मैं केसरे रूम, किसर-ए-ईरान और शाहे हबश के दरबारों में गया हूँ मैंने किसी रियाया को अपने बादशाह से वो वालेहाना मुहब्बत करता नही देखा जो मैंने अस्हाबे मुहम्मद में देखी है। उनकी ज़ुबान से कोई हुक्म निकलता है तो सब बेताबानावार उसकी तामील पर कमरबस्ता नजर आते है। अगर वो वुज़ू करते है तो पानी के कतरे जमीन पर गिरने नहीं देते बल्कि अपने चेहरे पर मल लेते हैं वो थूकते है तो उसे भी जिस्म पर मल लेते है। उनकी हजामत के बालों को भी वो महफ़ूज़ रखते है जिस क़ौम को अपने पेशवा से इतनी मुहब्बत हो उस पर ग़ालिब आना मुमकिन नही।

ये राय किसी अक़ीदतमन्द, किसी गैर-जानिबदार मुबस्सिर (निष्पक्ष टिप्पणीकार) की नही बल्कि उस दुश्मन की है जिसकी बेहतरीन तमन्ना यही थी के मुसलमान सफ़्हे हस्ती से मिटा दिये जाएं।

अगरचे सहाबा की हर अदा मुहब्बते मुस्तफ़ा (ﷺ) की निछावर थी लेकिन मुहब्बत की सरमस्तियों और खुद फ़रामोशियों (अपने आप को भुला देने) के जो मनाज़िर (दृश्य) मैदाने जंग मे देखने में आए व आज तक दानिशमन्दाने आलम (दुनिया के बुद्धिजीवियों) के लिये एक मुअम्मा है। मस्लन 17 रमज़ानुल मुबारक दो हिजरी को बद्र के मैदान में हक़ और बातिल की पहली टक्कर हुई। एक तरफ कुफ़्फार का हथियाबंद लश्कर था जिसकी आतिशे ग़जब को तेज़तर करने के लिये दोशीजगाने अरब (अरब की औरतों) की शोला-नवाईयां, तेल का काम कर रही थीं । इधर सिर्फ 313 वो भी निहत्थे थे जिन्हें सिर्फ महबूबे दो आलम (ﷺ) की दुआओं का सहारा था। जंग से एक रोज पहले आप (ﷺ) ने मजलिसे मुशावरत तलब की और सहाबा (रजि.) की जंग के मुता'ल्लिक़ पूछा। मुहाज़िरीन ने अर्ज किया, ऐ रसूल (ﷺ) हम हाज़िर हैं । आप (ﷺ) ने दूसरी दफ़ा फिर पूछा मुहाज़िरीन ने फिर ये जवाब दिया। लेकिन तीसरी बार फिर लबे मुस्तफ़ा (ﷺ) पर यही सवाल था तो अब अंसार समझे के रूए-सुखन हमारी तरफ है। उस वक़्त हज़रत मिक़दाद ने अर्ज़ किया कि **या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़िदाक अबी व उम्मी** आप हमसे खिताब फरमा रहे हैं? हम क़ौमे मूसा नही कि जंग के वक़्त **'फ़ज़हब अन्त व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून'** कहकर टाल दें । हम तो हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्माबर्दार हैं। अगर आप पहाड़ से टकराने को कहे तो टकरा जाएं, आग में कूदने का हुक्म दें तो कूद जाएं और अगर समुन्द्र में छलांग लगाने का इशारा पाएं, तो छलांग लगा दें, जिससे आपकी सुलह उससे हमारी सुलह; जिससे आप (ﷺ) की जंग, उससे हमारी जंग।

अहादीषे नबवी याद रखने के बारे में सहाबा किराम (रजि.) का शदीद इहतिमाम

ये सुनकर आप (ﷺ) के होठों पर मुस्कुराहट आ गयी। आप अन्दाजा फ़र्माएं के जहां अदबो एहतिराम और जाँबाज़ी व सरफरोशी का ये आलम हो, क्या ऐसे प्यारे पाक नबी के अल्फ़ाज फ़रामोश हो सकते है ? सहाबा को हुज़ूर (ﷺ) के इर्शादात की अहमियत का पूरा एहसास था। वह हर मुमकिन कोशिश करते के हुज़ूर (ﷺ) का हुक्म, आप (ﷺ) की कोई हदीष ऐसी न हो जिसका उन्हें इल्म न हो सके। हज़रत उमर (रजि.) फ़र्माते है के मदीने से दो तीन मील बाहर एक जगह एक अंसारी भाई हज़रत अतबान बिन मालिक के साथ रहता था। हमने बारी मुक़र्रर कर रखी थी, एक रोज़ मैं बरगाहे रिसालत में हाज़िर रहता और हुज़ूर (ﷺ) के इर्शादात सुनता और शाम को वापस आकर उसे सुना देता। दूसरे रोज़ वो हाज़िर होते और मैं काम-धंधा करता। अक्षर सहाबा जो हर रोज़ हाज़िर न हो सकते उनका यही दस्तूर था। इसके अलावा सहाबा का एक खास गिरोह था जिन्हें अस्हाबे सुफ़्फ़ा के नाम से याद किया जाता है; उनका काम ता'लीम व तअल्लुम और बारगाहे अक़दस (ﷺ) में हाज़िरी के सिवा कुछ न था। वो फ़क्रो फ़ाक़ा (ग़रीबी व भूख) की सख़्तियाँ ख़ुशी से बर्दाश्त करते। फटे-पुराने कपड़े पहनते, उन्होंने दुनिया के ऐशो-आराम को राज़ी-ख़ुशी छोड़ रखा था और वे दिन-रात मदीने की मस्जिद में रहते थे और हुज़ूर की हदीष सुनते और उन्हें याद रखते। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) उसी गिरोह में से थे। एक दफ़ा उन्होंने अपनी कषरते-रिवायत (ज़्यादा हदीषें बयान करने) की वजह बयान करते हुए फ़र्माया था,

तुम ख़याल करते हो कि अबू हुरैरह बहुत कषरत से हदीषें हुज़ूर (ﷺ) से बयान करता है। हम सबको बारगाहे इलाही में हाज़िर होना है (इसलिये मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ ?) उसकी (ज़्यादा हदीषें बयान करने की) वजह यह है कि मैं एक मिस्कीन आदमी था और जो कुछ खाने को मिल जाता उसी पर क़नाअत (सब्र) करता और हमेशा बरगाहे रिसालत में हाज़िर रहता। मुहाज़िरीन बाज़ारों में तिजारत की वजह से और अंसार अपने अम्वाल की हिफ़ाज़त की वजह से मशग़ूल रहते। एक दिन मैं रसूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, **'जो शख़्स जब तक मैं अपनी बात ख़त्म न कर लूं अपनी चादर बिछाये रखे और फिर उसे इकट्ठा करे तो उसके बाद जो कुछ वो मुझसे सुनेगा वो उसे नहीं भूलेगा।'** पस मैंने अपनी चादर बिछायी जो मैं ओढ़े हुए था। मुझे उस अल्लाह की क़सम! जिसने मेरे नबी को हक़ के साथ मबऊष फ़र्माया, उसके बाद मैंने हुज़ूर (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से जो कुछ भी सुना वो मुझ से फ़रामोश नही हुआ। हज़रत उमर (रजि.) ने भी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से फ़र्माया, **'अन्त कुन्त अल्ज़मुना लिरसूलिल्लाहि ﷺ व अहफ़ज़ुना लिहदीषिही'** ऐ अबू हुरैरह! तुझे हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की सोहबत मयस्सर आई और तुझे हुज़ूर (ﷺ) की हदीषें हमसे ज़्यादा याद हैं । उनके अलावा सहाबा किराम की कषीर ता'दाद ख़ास कोशिश से हदीषे नबवी (ﷺ) याद किया करती थी। चुनाँचे हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) का शुमार हुफ़्फ़ाज़े सुन्नत में होता था।

सुन्नते नब़वी को याद करने वालों के लिये दुआ-ए-नब़वी (ﷺ) :

मज़ीद बरां नबी करीम (ﷺ) ने बारहा अपने सहाबा को ताकीद की और उन्हें शौक़ दिलाया कि वे आपके इर्शादात और ख़ुत्बों को याद करें और फिर उन्हें दूसरे लोगों तक पहुँचायें। ऐसे लोगों के हक़ में आपने दुआ फ़र्माई जैसा कि हदीषे ज़ेल से ज़ाहिर है **'क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ नज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़वआहा फ़आवाहा कमा समिअहा'** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया अल्लाह तआला उस शख़्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और उसके बाद जैसे सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुँचा दिया।

हज्जतुल विदा के मौके पर जब एक लाख से ज्यादा फ़र्ज़न्दाने तौहीद जमा थे, नबी अकरम (ﷺ) ने जो शहर-ए-आफाक़ ख़ुत्बा दिया उसके चन्द आख़िरी जुम्ले मुलाहज़ा हों,

'व क़ाल फ़इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम व आराजकुम अलैकुम हरामुन कहुअम्रति यौमिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा व सलतक़ौन रब्बकुम फ़यस अलुकुम अन आमालिकुम अला फ़ला तरजिऊ बअदी ज़लालन यज़रिबु बअज़ुकुम रिकाब बअज़िन अला लियुबल्लिग़श्शाहिदिल ग़ाइब फ़लअल्ल बअज़म्मंयुब्लगुहू अंय्यकून औआ लहू मिम्बअजिम मन समिअहू' यानि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया बेशक तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर इस तरह हराम है जैसे इस मुबारक माह का, इस मुक़द्दस शहर (मक्का) में ये मुबारक दिन (तुम) अपने रब से अन्क़रीब मिलोगे और वो ज़ुलजलाल तुम्हारे अम्वाल के मुताबिक तुमसे सवाल करेगा। देखो ख़बरदार! कहीं मेरे पीछे फिर गुमराह न हो जाना और एक दूसरे की गर्दनों को न काटना। कान खोलकर सुनो ! जो इस जगह मौजूद है, उन पर फ़र्ज़ है कि वे ये अहकाम उन लोगों तक पहुँचाएं जो इस वक़्त मौजूद नहीं। मुमकिन है जिन लोगों को ये अहकाम पहुँचाएं जाए और सुनने वालों से ज़्यादा याद रखने वाले और समझदार हो।

हुज़ूर (ﷺ) के इस इर्शाद **'अला लियुबल्लिगश्शाहिदुल ग़ाइब'** से ये हक़ीक़त रोज़े-रोशन की तरह वाज़ेह हो गई कि हुज़ूर (ﷺ) अपने इर्शादात को याद करवाने वाले और फिर उसे दूसरों तक पहुँचाने के लिये कितनी सख़्त ताकीद फ़र्माते थे क्योंकि कुर्आन व सुन्नते नबवी (ﷺ) का चोली-दामन का साथ है और दोनों को एक दूसरे से जुदा करना नामुमकिन है। दीन के मुता'ल्लिक़ हुज़ूर करीम (ﷺ) ने जो कुछ ता'लीम दी उसमें अपनी ख़्वाहिश और इरादे का कोई दख़ल नही बल्कि सब अल्लाह तआला की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक है। इसीलिये हुज़ूर (ﷺ) ने इस बात को जो कुर्आन ने बार-बार दोहराई है, अपने इस इर्शाद में वाज़ेह फ़र्मा दिया ताकि किसी को शक-शुबहा की गुंजाइश न रहे। **'क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ इन्नी क़द ख़लफ़्तु फ़ीकुम शयऐनि लन तज़िल्लू बअदहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती व लंय्यफ़तरिक़ा हत्ता यरुद्दा अलल हौज़ि'** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुम्हारे लिये अपने पीछे दो चीजें छोड़ रहा हूँ अगर उन पर अमलपैरा रहे तो हर्गिज़ गुमराह नही होंगे। (वो दो चीजें हैं) अल्लाह की किताब (कुर्आन) और मेरी सुन्नत। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी यहां तक कि क़यामत के दिन हौज़ पर दोनो एक साथ वारिद हों। इस मज़मून की बेशुमार सहीह अहादीष मौजूद हैं जिनमे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने सहाब-ए-कराम को अपने अक़्वाल व अहादीष को याद करने, उन पर अमल करने और आइन्दा आने वाली नस्लों तक इस अमानत को पहुँचाने पर बहुत ज़ोर दिया है।

अस्रे-रिसालत (ﷺ) में हदीष की किताबत :

आप (ﷺ) के दौर में अगरचे अहादीषे नबवी (ﷺ) की हिफ़ाज़त का दारोमदार अक्षर कुव्वते याद व हिफ़्ज़ पर था लेकिन इससे ये नतीजा अख़्ज़ करना (निकालना) भी क़तअन ग़लत है कि उस ज़माने में हुज़ूर (ﷺ) के इर्शादात बिल्कुल कलमबद्ध किए ही नही गये। ऐसी शहादतें कष़रत से मिलती हैं कि अनेक बार आप (ﷺ) ने खुद कई मसाइल को अपनी निगरानी में लिखवाया और सहाबा को, जिनको लिखने की पूरी महारत थी, उन्हें हदीष को ज़ब्त (लिपिबद्ध) करने की इजाजत भी दी। चुनान्चे अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) अपनी किताब **ज़ादुलमआद** में उन वाला नामों का जो आप (ﷺ) ने अहले इस्लाम को तहरीर फरमाए, उनको ज़िक्र करते हुए लिखते हैं, **'फ़मिन्हा किताबुहू फ़िस्सदक़ातिल्लज़ी कान इन्द अबी बक्रिन**

व कतबहू अबू बक्रिन व कतबहू अबू बक्रिन लिअनसिब्नि मालिक लम्मा वज्जहहु इल्लबहरैनि व अलैहि अमलुल जम्हूरि व मिन्हा किताबुहू इला अहलिल यमनि व हुवल किताबुल्लज़ी रवाहु अबू बक्रिब्नि अम्रिब्नि हज़म अन अबीहि अन जद्दिही व हुव किताबुन अज़ीमुन फ़ीहि अनवाउन कष़ीरुम्मिनल फ़िक़्हि फ़िज़्ज़काति वद्दियाति वल अहकामि व ज़करल कबाइर वत्तलाक़ वल इताक व अहकामस्सलाति फ़िष़्ष़ौबिलवाहिदि वल इहतिबाअ फ़ीहि व मस्सल मुस्हफ़ि व ग़ैर ज़ालिक क़ालल इमामु अहमदु ला शक्क अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) कतबहू वहतज्जल फ़ुक़हाउ कुल्लहुम बिमा फ़ीहि मिम्मकादीरिद्दियाति व मिन्हा किताबुहू इला बनी ज़ुहैर व मिन्हाकिताबुहुल्लज़ी कान इन्द उमरिब्निल ख़त्ताबि फ़ी निसाबिज़्ज़काति व ग़ैरहुमा.' तर्जुमा : उन गिरामी नामों में से जो रहमते आलम (ﷺ) ने अहकामे शरई मुता'ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ लोगो को इर्शाद फ़र्माए एक यह है,

(1). एक गिरामी नामा ज़कात के मुता'ल्लिक़ था जो ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र (रजि.) के पास महफ़ूज था। उसको आपके हुक्म से हज़रत अबू बक्र (रजि.) ने हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) के लिये लिखा था जब उन्हें बहरीन की तरफ रवाना किया। आज जुम्हूर उलमा का अमल उसी ख़त के मुताबिक है।

(2.) एक गिरामी नामा अहले यमन की तरफ भेजा गया। ये वो ख़त है जिसे अबू बक्र (ताबेई हैं) ने अपने वालिद अम्र से और उन्होंने अपने वालिद हज़्म से रिवायत किया और ये बहुत ही अज़ीमुश्शान ख़त है इसमें इस्लाम के क़षीरुत् ता'दाद मसाइल दर्ज हैं; ज़कात, दिय्यत और अहकाम के अलावा कबीरा गुनाहों, तलाक़, गुलामों की आज़ादी, एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने, एक ही कपड़ा ओढ़ने, मुस्हफ़ को छूने वग़ैरह के मसाइल मज़कूर हैं । इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं कि इसमें ज़र्रा भर शक की गुंजाइश नहीं क्योंकि ये खुद आपने लिखवाया है और तमाम औलमा इस ख़त में दर्ज़शुदा दिय्यत की मिक़दार पर अमलपैरा हैं

(3.) एक गिरामी नामा वो है जो बनी ज़ुहैर को भेजा गया

(4.) और एक वो है जो ख़लीफ़-ए-षानी हज़रत उमर फारूके-आ'ज़म (रजि.) के पास था। इसमें ज़कात के निसाब और दूसरे उमूर के मुताबिक अहकाम थे। अह्दे रिसालत में जो हज़रात अहादीषे तय्यिबा को क़लमबंद किया करते थे उनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ख़ास तौर पर क़ाबिले ज़िक्र हैं। पहला ज़िक्र के मुता'ल्लिक़ तो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के इस क़ौल से वज़ाहत होती है। आपसे मरवी है '**मा मिन अस्हाबिन्नबिय्यि अहदन अक्षर हदीषा अन्हु मिन्नी इल्ला कान मिन अब्दिल्लाहिब्नि उमर फ़अन्नहु कान यक्तबु वला अक्तबु**' (अल्इसाबतु फ़ी मअरिफ़तिस्सहाबा लि इब्नि हजर जिल्द 4 पेज नं.203) तर्जुमा :–सहाबा किराम में से मुझसे ज्यादा नबी करीम (ﷺ) से किसी ने अहादीष रिवायत नहीं की, सिवाय इब्ने उमर के, क्योंकि वह हदीष लिखा करते थे और मैं नहीं लिखा करता था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस के मुता'ल्लिक़ तो तसरीह मिलती है नबी करीम (ﷺ) ने आपको अपने इर्शादात तहरीर करने की सिर्फ इजाजत ही नही बख्शी बल्कि उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी फ़र्माई थी। जैसा कि नीचे लिखी रिवायत से ज़ाहिर है,

'**अन अब्दिल्लाहिब्नि अमरिन क़ाल कुन्तु अक्तुबु कुल्ला शैइन अस्मउहू मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) उरीदु हिफ़्ज़हू फ़नहत्नी कुरैश फ़क़ालू इन्नक तकतबु कुल्ला तस्मउहू मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) व रसूलुल्लाहि बशरुन यतकल्लमु फ़िल ग़ज़बि फअम्सक्तु अनिल किताबि फ़ज़करतु ज़ालिक लिरसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़क़ाल उकतुब फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा ख़रज मिन्नी इलल्लहक्क़ु रवाहुल इमामु अहमदु**' (तफ़्सीर इब्ने कषीर वन्नज्मि जिल्द 4 पेज नं. 247)

या'नी अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ने कहा कि मैं रसूलल्लाह (ﷺ) की ज़बाने पाक से जो लफ़्ज़ सुनता था उसे लिख लिया करता था, इस इरादे से कि उसे याद करूंगा। लेकिन कुरैश ने मुझे मना किया और कहा कि तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो सुनते हो वो लिखते हो और रसूलुल्लाह (ﷺ) तो बशर हैं, कभी गुस्से में भी कुछ फ़र्मा देते हैं (उनकी इस बात से मुतास्सिर होकर) मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर मैंने इस चीज का ज़िक्र बारगाहे रिसालत में किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो मुझसे सुनो जरूर लिखा करो उस जाते पाक की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मेरी ज़बान से हक के सिवा कुछ नही निकलता।'

इस हदीष़ में दो कलिमे ख़ास तौर पर क़ाबिले ग़ौर हैं; एक तो हज़रत अब्दुल्लाह का यह कहना कि मैं इसलिये लिखता था कि उसे याद करूं, जिससे वाज़ेह होता है कि सहाबा किराम में हदीषे नबवी को याद करने का आम वलवला था और उसके लिये वह अपनी तरफ़ से हर इन्सानी कोशिश करते थे और दूसरा नबी करीम (ﷺ) का यह सरीह हुक्म **'उक्तुब'** कि जरूर लिखा करो और साथ ही इस हुक्म की वजह भी बयान फ़र्मा दी, **'व मा ख़रज मिन्नी इल्लल हक़्क़'** कि मेरी ज़बान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता।

अगर ऊपर लिखी तस्रीहात को सिर्फ़ दीन की तारीख़ ही तस्लीम कर लिया जाये जिससे मुनकिरीने सुन्नत को भी इन्कार नहीं, तो क्या एक मुसन्निफ़ पर ये हक़ीक़त रोज़े रोशन की तरह अयाँ नहीं हो जाती कि नबी करीम (ﷺ) ने अपनी सुन्नत को लावारिस नहीं छोड़ा जैसा कि उन लोगों को ग़लतफ़हमी हो गई है, बल्कि उसकी हिफ़ाज़त, उसकी तब्लीग़, उस पर कारबन्द रहने के लिये सहाबा किराम और उनके बाद आने वाली उम्मत को निहायत वाज़ेह और सरीह अन्दाज़ से हुक्म फ़र्माया। और सहाबा किराम ने अपने आक़ा और हादी के तमाम इर्शादात को याद करने व महफ़ूज़ करने के लिये अपनी इन्तिहाई कोशिशें सर्फ़ कीं। जिन अहादीष में कुर्आन करीम के बग़ैर कुछ और लिखने से मना किया है, उससे मुख़ातब आम लोग हैं और उसकी वजह यह है कि अरब आम तौर पर लिखना-पढ़ना नही जानते थे। सबसे पहले इस्लाम ने उनको उसकी तरफ मुतवज्जह किया। फ़न्ने किताबत उनके लिये अनोखा फ़न था जिसमें मश्शाक़ और पुख़्ता होने के लिये काफ़ी मश्क़ (प्रेक्टिस) और महारत की ज़रूरत थी। अगर सुन्नते नबवी (ﷺ) को लिखने की आम इजाज़त दी जाती तो इससे ये अन्देशा था कि कहीं नो-आमूज़ी (नव साक्षरता) के कारण आयते-कुर्आनी के साथ हदीष का इख़्तिलात न हो जाए। इस ख़तरे से बचने के लिये अवामुन्नास (आम जनता) को (अहादीष लिखने से) रोका गया लेकिन जो इस फ़न में महारत और कमाल हासिल कर चुके थे, उन्हें सिर्फ़ इजाज़त ही नहीं बल्कि हुक्म दिया गया कि **'वक्तुब मा ख़रज मिन्नी इल्लल हक़्क़'** जरूर लिखो, जो मुझसे सुनो क्योंकि मैं हमेशा सच और हक़ बात ही कहता हूँ। सच है, **'व मा यन्तिक़ु अनिल हवा इन हुव इल्ला वह्युंय्यूहा.'**

दौरे सहाबा किराम (रजि.) :

जब तक आफ़ताबे नबुव्वत ख़ुद आलम अफ़रोज रहा उस वक़्त तक तो सदाक़त के साथ झूठ की मिलावट का इम्कान तक न था लेकिन हुज़ूर के इन्तिक़ाल के बाद मुस्लिम मआशरा तीन अनासिर पर मुश्तमिल (तीन तरह के लोगों पर आधारित) था। एक तो वो खुशनसीब थे जो एक मुद्दत तक फ़ैज़े सोहबत से बहरा-अन्दोज रहे, जिनकी आंखें मुशाहिद-ए- ज़मालो से रोशन थीं और दिल जज़्बाते मुहब्बते नबवी (ﷺ) से मामूर। जिस तरह पानी का क़तरा आग़ोशे सदफ़ (सीप) में रहकर दुर्रे यतीम (अनमोल मोती) बन जाया करता है इसी तरह रिसालते मआब की आग़ोशे तरबियत में रहने से उनके अन्दर ऐसा इन्क़िलाब पैदा हो गया था कि वो दुनिया में अदलो इन्साफ़ और हक़ व सदाक़त की जीती जागती तस्वीर थे। दूसरा उन्सर नव-मुस्लिमों का था, जो ज़्यादा तौर पर अरब के बादिया-नशीन आराब और हम साया ममालिक (अरब व आसपास के इलाक़ों) के बाशिन्दे थे, उन्हें फ़ैजे सोहबत से ज़्यादा फ़ैज़याब होने का मौक़ा नही मिला था इसलिये वे इस्लाम के उसूलों व क़ायदों की रूह से पूरे तौर पर मानूस (परिचित) न हुए थे; और तीसरा उन्सुर आस्तीन के साँप के मानिन्द मुनाफ़िक़ीन का था जो मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफ़ा करने के लिये कोई मौक़ा हाथ से नहीं जाने देते थे। कुर्आने करीम अहदे रिसालत में अक्षर सहाबा ने हिफ़्ज़ भी कर लिया था और खजूर के पत्तों और चमड़ों के टुकड़ों पर मुतफ़र्रिक़ तौर पर लिख भी लिया गया था। लेकिन जंगे यमामा में जब बहुत से हुफ़्फ़ाज़ सहाबा शहीद हो गए तो हज़रत उमर (रजि.) को फ़िक्र लाहिक़ हुई कि अगर जंगों में हुफ़्फ़ाज़े कुर्आन की शहादत की यही रफ़्तार रही तो कोई हाफ़िज़े कुर्आन बाकी न रहेगा। इसका जिक्र उन्होंने ख़लीफ़-ए-वक़्त हज़रत सिद्दीक़े अक्बर (रजि.) से किया। आपसी मश्वरे के बाद कुर्आन करीम को यक्जा जमा करने का अहम काम हज़रत ज़ैद बिन साबित (रजि.) के सुपुर्द किया गया। इस तरह फ़ारूक़ आ'ज़म के तदब्बुर ने कुर्आन को हमेशा के लिये तहरीफ़ व तब्दील (फेरबदल) से महफ़ूज कर दिया।

अहदे ख़िलाफ़ते राशिदा में रिवायते हदीष में सख़्त इहतियात :

अहादीष के मुता'ल्लिक़ भी ख़िलाफ़ते राशिदा में सख़्त इहतिमाम था ताकि कोई मुनाफ़िक़ अपनी फ़िक्री बदबातिनी या कोई नव मुस्लिम अपनी कम इल्मी में और नावाक़िफ़ होने के कारण ग़लत बात रसूले करीम (ﷺ) की तरफ मन्सूब न कर दे। इहतियात

का यह आलम था कि कई बार बड़े सहाबा (रजि.) से भी सख़्ती से अहादीष की सिहत के लिये बाज़पुर्स की जाती। मष्लन

01. हज़रत अबू बक़र (रजि.) की ख़िदमत में एक औरत हाज़िर हुई और अपने पोते के वरषे की माँग की। आपने फ़र्माया कि मैं दादी का हिस्सा कुर्आन में नहीं पाता और न मुझे इस बात का इल्म है कि नबी-ए-करीम (ﷺ) ने दादी का हिस्सा कुछ मुक़र्रर फ़र्माया। फिर आपने लोगों से पूछा तो हज़रत मुगीरा (रज़ि.) उठे और कहने लगे, मुझे मा'लूम है कि हज़रत (ﷺ) दादी को छठा हिस्सा देते थे। आपने दरयाफ़्त किया कि कोई और भी है जिसने रसूले करीम (ﷺ) से ऐसा न सुना हो ? हज़रत मुहम्मद बिन मुस्लिमा उठे और हज़रते मुगीरा की तस्दीक की तब सिद्दीके अकबर (रजि.) ने रसूले करीम (ﷺ) के हुक्म के मुताबिक उस औरत को उसके पोते की विराषत में हिस्सा दिया। (तज़किरातुल हुफ़्फ़ाज़)

02. एक दफ़ा हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रजि.) ने फ़ारूक़े-आ'ज़म (रजि.) को बाहर से तीन दफ़ा सलाम किया लेकिन जवाब न मिला और आप वापस लौट आए। हज़रत उमर (रजि.) ने उन्हें बुलवा भेजा और लौट जाने की वजह पूछी। अबू मूसा (रजि.) ने जवाब दिया कि हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि जो शख़्स तीन दफ़ा सलाम कहे और उसे साहिबे ख़ाना अन्दर आने की इजाज़त न दे तो वो ख़ामखा अन्दर जाने पर आमादा न हो बल्कि वापस लौट जाए। हज़रत उमर (रजि.) ने फ़र्माया कि तू इस हदीष की सिहत पर गवाही पेश कर वरना मैं तुम्हारी ख़बर लूंगा। वो सहाबा के पास वापस गए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सहाबा (रजि.) ने वजह पूछी तो सारा माजरा कह सुनाया। सहाबा ने कहा कि हमने भी आँहज़रत (ﷺ) से ये हदीष सुनी है। चुनाँचे एक शख़्स उनके साथ गया और हज़रत उमर (रजि.) के सामने अबू मूसा अश्अरी (रजि.) की तस्दीक़ की। हज़रत उमर (रजि.) ने उसकी वजह भी बयान फ़र्मा दी, **'क़ाल उमरु इन्नी लम अत्तहिम्क व ला किन्नी ख़शियतु अंय्यतक़व्वलन्नासु अला रसूलिल्लाहि (ﷺ)'** हज़रत उमर (रजि.) ने फ़र्माया ऐ अबू मूसा मेरा इरादा तुम्हें मुत्तहम करने का न था लेकिन मैंने इस ख़ौफ़ से इतनी सख़्ती की ताकि लोग बे-सिर-पैर की बातें आँहज़रत (ﷺ) की तरफ मन्सूब न करने लगें। इसी तरह बहुत सी दीगर रिवायात कुतुबे अहादीष में मौजूद हैं। ख़ुलफ़-ए-राशिदीन कषरते रिवायत से लोगों को मना भी फ़र्माया करते थे। हज़रत अली (रजि.) के सामने अगर कोई ऐसी हदीष बयान की जाती जिसका आपको इल्म न होता तो आप रावी से क़सम लेते। ये सारी तदबीरें इसलिये अमल में लाई जाती ताकि किसी तरह हुज़ूर (ﷺ) की अहादीष के साथ दीगर अक़वाल की आमेज़िश (मिलावट) न होने पाए। लेकिन इन इहतियाती तदबीरों से ये मतलब निकालना के ख़ुलफ़ा को अहादीष की सिहत के मुतअल्लिक यक़ीन न था या वह हदीष पर अमल से गुरैज करना चाहते थे, महज़ इफ्तिरा और सरीह बुहतान है। उनकी सारी ज़िन्दगियाँ इताअते रसूले करीम (ﷺ) में बसर हुईं।

हज़रत सिद्दीके अकबर (रजि.) ने अपने एक ख़ुत्ब-ए-आम में नबी अकरम (ﷺ) की इताअत की अहमियत का जिक्र करते हुए यहां तक तसरीह फ़रमा दी, **'अतीऊनी मा अतअतुल्लाह व रसूलहू फ़इज़ा असयतुल्लाह व रसूलहू फ़ला ताअत ली'** (बुखारी, मुस्लिम) तर्जुमा :– जब तक मैं अल्लाह तआला और रसूल अकरम (ﷺ) की इताअत करता रहूं तुम भी इताअत करते रहो और जब मैं अल्लाह तआला और रसूले करीम (ﷺ) की नाफ़र्मानी करने लगूं तो उस वक़्त तुम मेरी इताअत के पाबन्द नहीं हो। इससे बय्यिन (खुली) और रोशन दलील और क्या होगी ? हज़रत सिद्दीके अकबर (रजि.) तो ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन होने के बाद अपनी इताअत को इताअते रसूल (ﷺ) से मशरूत (सशर्त सम्बद्ध) करते हैं। इनसे बेहतर और कौन है जिसके लिये हम अपने नबी पाक (ﷺ) की सुन्नत को तर्क करके उसके अहकाम की पाबन्दी करे और उसे ही कुर्आन फ़हमी का तक़ाजा समझें क्या ये हज़रात हज़रत सिद्दीक़ (रजि.) से भी ज्यादा कुर्आन को समझने के मुद्दई हैं ?

अहदे फ़ारूक़ी में ता'लीमे सुन्नत का इन्तेज़ाम :

अहदे फ़ारूक़ी में तो अहादीषे नबवी (ﷺ) की नश्रो-इशाअत का इस क़द्र इहतिमाम क्या गया, जिसके लिये सारी उम्मत उनकी शर्मिन्द-ए-एहसान है। ममलिकते इस्लामी के कोने–कोने में हदीष की ता'लीम के लिये ऐसे सहाबा (रजि.) को रवाना किया जिनकी पुख़्तगी, सीरत और बलन्द क़िरदार के अलावा उनकी जलालते इल्मी तमाम सहाबा (रजि.) में मुसल्लम (स्वीकार्य) थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) **इज़ालतुल खुलफ़ा** में तहरीर फ़र्माते हैं,

चुनाँके फ़ारूक़े आ'ज़म अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद राबाजुमेबकौफ़ फ़रस्ताद मुग़फ्फल बिन यसार अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फल व इमरान बिन हुसैन राबा बसरा व औबादा बिना सामित व अबू दरदा रा ब शाम और बे माबिया बिन सुफ़यान के अमीर शाम बुद्ध कदगंज तदगने बलिर नविस्ते के अज़ हदीषे ईशां तज़ाविज नाख़ू।
तर्जुमा : तालीमुल कुर्आन व सुन्नत के लिये ह़ज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद को एक ज़माअत के साथ कूफ़ा भेजा और मुग़फ़्फ़ल बिन यसार व अ़ब्दुल्लाह बिन मुगफ़र व इमरान बिन हुसैन को बसरा और उ़बादा बिन सामित और अबू दरदा को शाम भेजा और अमीर मुआ़विया को जो उस वक़्त शाम के गर्वनर थे, सख़्त ताक़ीदी हुक्म लिखा कि ये ह़ज़रात जो अह़ादीष़ बयान करे उनसे हर्गिज़ तज़ावुज़ न किया जाए।

'रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन' ह़ज़रत उ़मर (रजि.) ने अहले कूफ़ा को एक खत भेजा जिसमें तह़रीर था। **'इन्नी क़द बअष्तु अलैकुम अम्मारब्न यासिरिन अमीरन व अ़ब्दल्लाहब्न मसऊदिन मुअ़ल्लिमन व वज़ीरन व हुमा मिन अस्ह़ाबि रसूलिल्लाहि (ﷺ) मिन अहलि बद्र बिहिमा वस्मऊ व क़द आषरतुकुम बि अ़ब्दिल्लाहिब्नि मसऊदिन अला नफ़्सी'** (तज़किरातुल हुफ्फ़ाज) तर्जुमा : मैं तुम्हारी तरफ अम्मार बिन यासिर को अमीर बनाकर और इब्ने मसऊद को मुअ़ल्लिम और वज़ीर बनाकर भेज रहा हूँ और ये दोनों हुज़ूरे करीम (ﷺ) के बुजुगतरीन सह़ाबा में से ह और बद्री है इनकी पैरवी करो और इनका हुक्म मानो। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) को तुम्हारी तरफ भेजकर मैंने तुम्हें अपने नफ़्स पर तरजीह दी है।

अल्लामा ख़ज़री ने **तारीख़ुत तशरीइल इस्लामी** में ऊपर लिखी इबारत नक़ल करने के बाद लिखा है, **'व क़द क़ाम फिल कूफ़ति याख़ुज़ु अन्हु अहलुहा ह़दीष़ रसूलिल्लाहि (ﷺ) व हुव मुअ़ल्लिमुहुम व क़ाज़ीहिम'** या'नी उसके बाद ह़ज़रत इब्ने मसऊद मुद्दत तक कूफ़ा में क़याम पज़ीर (ठहरे) रहे और वहाँ के बाशिन्दे उनसे अह़ादीषे नबवी (ﷺ) सीखते रहे। वह अहले कूफ़ा के उस्ताद भी थे और काज़ी भी। ह़ज़रत फ़ारूक़ (रजि.) ने जब बसरा की इमारत पर ह़ज़रत अबू मूसा अल अश्अ़री को मुक़र्रर किया और वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने आने की गर्ज़ व ग़ायत की इन अल्फ़ाज़ में बयान की, **'बअष़नी उ़मरु इलैकुम लि अल्लिमकुम किताब रब्बिकुम व सुन्नत नबिय्यिकुम'** (अद् दारमी) **तर्जुमा :** मुझे ह़ज़रत उ़मर (रजि.) ने तुम्हारी तरफ भेजा है ताकि मैं तुमको तुम्हारे रब की किताब और तुम्हारे नबी के सुन्नत की ता'लीम दूं। उसके अ़लावा ह़ज़रत उ़मर जब कभी सूबों के हुक्काम (राज्यों के प्रधानों) और कुज़ात (न्यायाधीशों) और असाकिरे इस्लामिया के क़ाइदों को ख़त लिखते तो उन्हें किताब और सुन्नते नबवी (ﷺ) पर कारबन्द रहने की सख़्त ताक़ीद फ़र्माते। आपका एक तारीख़ी ख़त है जो आपने ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रजि.) को भेजा। उसमें काज़ी के वाज़िबात और मजलिसे क़ज़ा (अ़दालत, न्यायालय) के आदाब को जिस हुस्ने खूबी और तफ्सील से बयान किया कि अगर उसे इस्लाम का बदतरीन दुश्मन भी पढ़े तो झूम जाये। दीगर उमूर के अ़लावा आपने उन्हें ये भी तह़रीर फ़र्माया, **'षुम्मल फ़हम अल फ़हम फ़ीमा ख़फ़ा इलैक मिम्मा वरद अलैक मा लैस फ़ी कुर्आनिन व ला सुन्नतिन षुम्म काइसिल्उमूरि इन्द ज़ालिक'** (इअलामुल मूक़िईन जिल्द अव्वल पेज नं. 72) **तर्जुमा :** उन वाक़ियात जिनके लिये तुम्हें कोई हुक्म कुर्आन और सुन्नत में न मिले फ़ैसला करने के लिये अ़क़्ल और समझ से काम लो और एक चीज़ को दूसरी पर क़यास किया करो। आपका एक और मक़्तूब है जो काज़ी शुरैह़ को रवाना किया गया। इसमें आप उनके लिये एक सलाह मुक़र्रर करते हुए लिखते हैं, **'इज़ा अताक अम्रुन फ़क़्ज़ि बिमा फ़ी किताबिल्लाहि फ़क़्ज़ि बिमा सन्न फ़ीहि रसूलुल्लाहि (ﷺ)'** (अल मुवाफ़क़ात लिल इमाम शातिबी जिल्द 4 पेज नं. 7) **तर्जुमा :** जब तुम्हारे पास कोई मुकद्दमा आए तो उसका फ़ैसला किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो और अगर कोई ऐसा वाक़िया दर पेश हो जिसका हुक्म कुर्आन में न हो तो फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत के मुताबिक उसका फ़ैसला करो।

ह़ज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म (रजि.) अपने ख़िलाफ़त के ज़माने में जब ह़ज्ज करने के लिये गये तो इस्लामी मुल्कों के तमाम वालियों को हुक्म भेजा कि वो भी ह़ज्ज के मौक़े पर हाज़िर हों। जब वो सब जमा हो गए तो उस वक़्त ह़ज़रत उ़मर (रजि.) ने एक तक़रीर फर्माई जिसका तर्जुमा यह है, ऐ लोगो! मैंने तुम्हारी तरफ जो हाकिम भेजे है वह इसलिये नही भेजे ताकि वो तुम्हारे साथ मारपीट करे और तुम्हारे माल व दौलत तुमसे छीने; मैंने उन्हें सिर्फ़ इसलिये तुम्हारी तरफ भेजा है ताकि वो तुम्हें तुम्हारा दीन और तुम्हारे नबी-ए-करीम (ﷺ) की सुन्नत सिखाएं। ह़ाकिमों में से अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की हो तो पेश करो। उस ज़ाते पाक की क़सम! जिसके हाथ में उ़मर की जान है उस हाक़िम से क़िसास (बदला) लिये बग़ैर नही रहूंगा।

हज़रत उमर (रजि.) ने अपने महबूब रसूले करीम (ﷺ) की सुन्नत की नश्रो-इशाअत और तमाम इस्लामी मम्लिकत में सख़्ती से अमल कराने की जो कोशिशें की, ये उसका निहायत ही मुख़्तसर ख़ाका है। लेकिन कम अज़ कम इससे ये हक़ीक़त तो वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत उमर (रजि.) को यक़ीन था कि रसूले अकरम (ﷺ) की इताअत उम्मत पर क़यामत तक फ़र्ज़ है और इसी में उनकी तरक़्क़ी, इज़्ज़त और हैबत का राज़ जुड़ा हुआ है। इसीलिये तो आपने मुल्क के कोने-कोने में बड़े सहाबा (रजि.) को भेजा कि वे लोगों को उनके रसूल (ﷺ) की सुन्नत की ता'लीम दें और हाकिमों को बार -बार इत्तिबा-ए-सुन्नत के लिये ख़त व फ़र्मान रवाना किये।

मुन्किरीने-सुन्नत कहते है कि हुज़ूर (ﷺ) की इताअत सिर्फ़ हुज़ूर (ﷺ) की ज़ाहिरी ज़िन्दगी तक फ़र्ज़ थी। उसके बाद उम्मत पर हुज़ूर की इताअत ज़रूरी नहीं । हैरत है कि इस अम्र की तरफ न तो क़ुर्आन ने इशारा किया न अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने और ये राज़ न तो ख़ुलफ़-ए-राशिदीन को समझ आया और न दूसरे सहाबा किराम को जिन्होंने एक लम्बा अर्सा नबी अकरम (ﷺ) की सोहबत में बसर किया और जिनकी मौजूदगी में सारा क़ुर्आन नाज़िल हुआ। आख़िर ये राज़, राज़े सरबस्ता चौदह सौ साल के बाद इन हज़रात पर कैसे ज़ाहिर हो गया ?

क्या हज़रत उमर (रजि.) ने कुछ सहाबा को कष़रते रिवायत की वजह से क़ैद किया था?

मुन्किरीने सुन्नत सहीह और मुस्तनद अहादीष़ को मानने से गुरेज़ां है लेकिन अगर कोई ग़लत और मौज़ूअ रिवायत ऐसी मिलती है जिससे उनके मस्लक को कुछ ताक़त पहुंचती हो तो उसे इस ए'तिबार से बयान करते है जैसे उन्होंने इतनी सदियों की दूरी तय करके इस रिवायत को ख़ुद अपने कानों से सुना हो। ये इन्सान की कमज़ोरी और अपनी ख़्वाहिश के बहुत जल्द मग़लूब (पराजित) होने की खुली निशानी है। चुनाँचे हज़रत उमर (रजि.) की तरफ वो ऐसी बे सिर-पैर की बातें मन्सूब करते है जिन्हें सुनकर इन्सान तस्वीरे हैरत बनकर रह जाता है। कहते है कि हज़रत उमर (रजि.) लोगों को अहादीष़ बयान करने से रोका करते थे और जो लोग अहादीष़ को बकष़रत बयान करते उनको आपने क़ैद भी कर दिया था। आइये ज़रा इस दावे का भी सुराग़ लगाएं कि इसमें कहां तक सच्चाई है?

वो फ़र्माते है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) को अहादीष़ की रिवायत करने से मना कर दिया था। हालाँकि इस बात की इनके पास कोई क़ाबिले-ए'तिबार (विश्वसनीय) सनद नहीं। इसके बरअक्स सहीह रिवायत से यह षाबित है कि **'रूविय अन्न उमर क़ाल लि अबी हुरैरत हीन बदअ यक्षुरू मिनल हदीषि अ कुन्त मअन हीन कान (ﷺ) फ़ी मकानि कज़ा क़ाल नअम समिअतुहू (ﷺ) यक़ूलु मन कज़ब अलय्य मुतअम्मिदन फ़लयतबव्वा मकअदहू मिनन्नारि. फ़ क़ाल लहू उमरु अम्मा इज़ा ज़करत ज़ालिक फ़जहब फ़हद्दिष़'** (तर्जुमा) : जब हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कष़रत से अहादीष़ बयान करनी शुरू की तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे कहा क्या तुम हमारे साथ थे? जब आप (ﷺ) फ़लाँ मकान में तशरीफ़ फ़र्मा थे? तो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने जवाब दिया, हाँ! मैंने हुज़ूर (ﷺ) को यह फ़र्माते सुना कि जिसने मुझ पर दानिस्ता (जान-बूझकर) झूठ बोला उसने अपना ठिकाना आग में बना लिया। यह सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, जब तुझे आँहज़रत (ﷺ) का यह इर्शाद याद है तो जाओ और लोगों को अहादीषे नबवी सुनाओ क्योंकि जिसे यह फ़र्माने-नबवी याद हो वो कभी झूठी हदीष़ बयान करने की जुरअत नहीं कर सकता। दूसरा इल्ज़ाम जो हज़रत फ़ारूक़े-आ'ज़म पर लगाया जाता है वो यह है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने तीन बुजुर्ग सहाबा इब्ने मसऊद, अबू दर्दा और अबू ज़र (रिज़.) को नज़रबन्द कर दिया क्योंकि वो अहादीष़ बहुत कष़रत से बयान करते थे।

इस रिवायत को देखते ही पता चल जाता है कि यह रिवायत बेबुनियाद है क्योंकि अगर कष़रते-बयाने-हदीष़ से उनको क़ैद कर दिया तो और सहाब -ए-किराम जो उनसे भी ज़्यादा अहादीष़ बयान करते थे, मष़लन अबू हुरैरह, उनके अपने साहबज़ादे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह बिन अब्बास वग़ैरह, उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? दूसरा यह कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) की गिनती तो उन सहाबा ही में नहीं जिनसे अहादीष़ कष़रत से मरवी हैं और हज़रत इब्ने मसऊद व अबू दर्दा (रिज़.) को तो ख़ुद हज़रत उमर (रज़ि.) ने इराक़ और शाम के लिये रवाना किया ताकि लोगों को अहादीषे नबवी (ﷺ) सुनाएं। फिर उन्होंने कौनसा क़ुसूर किया कि उनको क़ैद कर दिया गया? ये तमाम उमूर हज़रत उमर (रज़ि.) जैसी जलीलुल-क़द्र, रफ़ी-उल-मरतबत हस्ती से बिल्कुल बईद हैं जिनको आपकी ज़िन्दगी के अहवाल पर मा'मूली सी भी आगाही है वो अदना तअम्मुल किये बिना फ़ैसला

कर सकता है कि वो रिवायत जिसका सहारा उन ह़ज़रात ने लिया है, बेजान और बेबुनियाद है। अगर आप उस पर इक्तिफ़ा (बस) नहीं करते तो एक बेलाग़ नक़्क़ाद का क़ौल सुनिये। इब्ने ह़ज़्म फ़र्माते हैं, **'इन्नल ख़बर फ़ी नफ़्सिही जाहिरुल किज़्बि वत्तोलीदि'** इमाम ह़ज़्म कहते हैं कि इस ख़बर का क़ाज़िब (झूठ) और बेबुनियाद होना बिल्कुल ज़ाहिर है।

अह़ादीष़ ह़ासिल करने में आम स़ह़ाबा (रज़ि.) का शौक़ :

स़हाब–ए–किराम को हुसूले ह़दीष़ का इस क़दर शौक़ और उसकी स़िह़त का इस क़दर एहतिमाम था कि इल्म का शौक़ रखने वालों में उनकी नज़ीर नहीं मिलती। मिष़ाल के तौर पर दो वाक़िये पेश करता हूँ,

(1) ह़ज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) जिन्हें मदीना तय्यिबा में रसूले करीम (ﷺ) की पहली मेज़बानी का शर्फ़ (श्रेय) ह़ासिल हुआ था। आपने एक ह़दीष़ अपने महबूबे– करीम से सुनी थी लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि उन्हें इस ह़दीष़ के स़ह़ीह़ अल्फ़ाज़ में कुछ शक सा हो गया। उस वक़्त उनके अ़लावा फ़क़त एक और स़ह़ाबी उ़क़्बा बिन आ़मिर ज़िन्दा थे, जिन्होंने यह ह़दीष़ आँह़ज़रत (ﷺ) से सुनी थी और वो मिस्र में थे। ह़ज़रत अबू अय्यूब अन्सारी ने मिस्र जाने का अ़ज़्म (इरादा) किया। बियाबान रेगिस्तान और कठिन मन्ज़िलों को तय करते हुए एक माह बाद वे मिस्र पहुँचे। उन्हें ह़ज़रत उ़क़्बा के रहने की जगह का पता नहीं था। इसलिये पहले अमीरे मिस्र मुस्लिमा बिन मुख़ल्लद अन्सारी के यहाँ तशरीफ़ ले गये और वहाँ पहुँचते ही उनसे कहा कि मेरे साथ एक आदमी भेजो जो मुझे उ़क़्बा के मकान तक पहुँचा दे। चुनाञ्चे वे उनके यहाँ पहुँचे, उन्हें ख़बर हुई तो वो दौड़े–दौड़े आए और ख़ुशी के मारे गले लगा लिया और तशरीफ़ लाने की वजह पूछी। ह़ज़रत अबू अय्यूब ने जवाब दिया कि मोमिन की पर्दादारी और ऐ़ब छुपाने के मुता'ल्लिक़ जो ह़दीष़ तुमने आप (ﷺ) से सुनी है, फ़क़त वो पूछने आया हूँ। उ़क़्बा कहने लगे **'समिअ़तु रसूलल्लाहि (ﷺ) यक़ूलु मन सतर मुमिनन फ़िद्दुनिया अला औ़रतिन सतरहुल्लाहु यौमल क़यामति'** मैंने हुज़ूर (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना कि जिसने दुनिया में किसी मोमिन के ऐ़ब को छुपाया, क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसके ऐ़बों को छुपा देगा।

ह़ज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने सुनकर तस्दीक़ की और फ़र्माया, 'मुझे इस ह़दीष़ का पहले भी इल्म था लेकिन मुझे इसके अल्फ़ाज़ में वहम सा हो गया था और मैंने गवारा न किया कि तह़क़ीक़ से पहले लोगों को ये ह़दीष़ सुनाऊँ।' सुब्हान अल्लाह! कमाले–एहतियात का क्या अनोखा नमूना है? एक ह़दीष़ में ज़रा सा वहम हो गया तो फ़क़त उसके इज़ाले (निवारण) के लिये इतना लम्बा सफ़र इख़्तियार किया और ह़दीष़ सुनने के बाद उसी दिन अपनी सवारी पर सवार होकर वापस मदीना लौट गये। (फ़त्हुल बारी ऐ़नी)

(2). ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह को पता चला कि एक शख़्स के पास आँह़ज़रत (ﷺ) की ह़दीष़ है और वो आजकल शाम (सीरिया) में रहता है। उसी वक़्त उन्होंने एक ऊँट ख़रीदा और शाम की तरफ़ चल पड़े। एक महीने के सफ़र के बाद वे शाम पहुँचे और स़ह़ाबी, जिनका नाम अ़ब्दुल्लाह बिन अनीस था, उनके मकान पर गये। ह़ज़रत जाबिर का नाम सुनते ही वे बाहर आए, गले मिले। ह़ज़रत जाबिर कहने लगे कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास हुज़ूरे करीम (ﷺ) की एक ह़दीष़ है जो मैंने सुनी नहीं है और मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं उसके सुनने से पहले ही मर न जाऊँ। इसलिये जल्दी–जल्दी आया हूँ ताकि मैं आपसे वो ह़दीष़ ह़ासिल करूं।

(3). ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) आँह़ज़रत (ﷺ) के चचाज़ाद भाई थे और हर वक़्त बारगाहे रिसालत में ख़िदमत करते हुए नज़र आते थे। हुज़ूर (ﷺ) ने बारहा उनके लिये ये दुआ फ़र्माई थी, **'अल्लाहुम्म फ़क़्क़िहहू फ़िद्दीनि'** ऐ अल्लाह! इसे दीन की समझ अता फ़र्मा। आप (ﷺ) की वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र 13 बरस थी। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने एक अन्सारी से कहा कि हुज़ूर तो इंतक़ाल फ़र्मा गये लेकिन स़हाब–ए–किराम मौजूद हैं उन्हीं से इल्म ह़ासिल करें। वो बोले इतने बड़े–बड़े स़ह़ाबा की मौजूदगी में किसे क्या पड़ी है कि वो आकर हमसे मसाइल पूछें? मैंने उनकी नसीहत को अनसुना कर दिया और इल्म ह़ासिल करने के लिये कमर कस ली, जिसके बारे में मुझे इल्म होता कि उसने कोई ह़दीष़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है तो उसके पास जाकर वो ह़दीष़ सुनता और याद कर लेता। बाज़ लोगों के पास जाता तो वो सो रहे होते, अपनी चादर उनकी चौखट पर रखकर बैठ जाता और बसा औक़ात गर्दो–ग़ुबार से मेरा

चेहरा और जिस्म भर जाता। जब वो बेदार होते उस वक़्त उनसे वो ह़दीष़ सुनता। वो ह़ज़रात कहते भी कि आप तो महबूबे–ख़ुदा रसूले करीम (ﷺ) के चचाज़ाद भाई हैं। आपने यहाँ आने की ज़हमत क्यों उठाई? हमें याद किया होता, हम आपके घर आ जाते। लेकिन मैं कहता कि मैं इल्म ह़ासिल करने वाला हूँ, इसलिये मैं ही हाज़िर होने का ज़्यादा मुस्तह़िक़ (ह़क़दार) हूँ। बाज़ लोग पूछते थे कि कबसे बैठे हो? मैं कहता कि बहुत देर से। तो वो अफ़सोसज़दा होकर कहते कि आपने अपने आने की इत्तिला उसी वक़्त क्यों न भिजवा दी ताकि हम उसी वक़्त आ जाते और आपको इतना इंतज़ार न करना पड़ता। मैं कहता कि मेरे दिल ने न चाहा कि आप मेरी वजह से अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग़ हुए बिना आ जाएं। इसी दिलो–जान और ख़ून–पसीना एक करने का यह नतीजा था कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) उनकी कम उम्री के बावजूद आ़ला उ़लमा की सफ़ में जगह देते थे।

अह़ादीष़ के महफ़ूज़ रहने की सबसे बड़ी वजह :

अह़ादीष़े नबवी के महफ़ूज़ रहने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हुज़ूर (ﷺ) के इर्शादात, स़ह़ाबा (रज़ि.) के लिये सिर्फ़ मुतबर्रक जुम्ले न थे, जिन्हे तबर्रुक के लिये याद कर लिया जाता बल्कि उनकी ज़िन्दगी का हर पहलू उन्हीं इर्शादात के मुताबिक़ ढला हुआ था। उनके दिल के इन लतीफ़ एहसासात से लेकर जिन्हें अल्फ़ाज़ का पाबन्द नहीं किया जा सकता है, उनकी तबई ख़्वाहिशात तक सब के सब सुन्नते–रसूलुल्लाह (ﷺ) के पाबन्द थे। उनकी ख़लवतों का सोज़ो–गदाज़ और ख़लवतों का ख़रोशे–अ़मल, उनकी शब बेदारियाँ (रातों का जागना), उनके क़ैलूले (दिन की नींद) सब फ़र्माने नबवी (ﷺ) के पाबन्द थे और जो क़ौलो–फ़ेअ़ल से हर वक़्त हमकिनार रहे। वो भी कभी भुलाया जा सकता है और फ़र्मान जिसके बारे में यक़ीन हो कि उसी की तामील में हमारी दोनों जहान की कामयाबी है, उसकी याद के निशानात कभी धुँधले पड़ सकते हैं? स़ह़ाब–ए–किराम को रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो मुहब्बत थी, उनके इर्शाद की तामील करने का जो जुनून था, इल्म ह़ासिल करने का जो सौदा था, दीने–क़य्यिम की तबलीग़ का जो जज़्बा था उसके पेशेनज़र एक अजनबी भी पूरे भरोसे से कह सकता है कि स़ह़ाब–ए किराम (रज़ि.) ने आँह़ज़रत (ﷺ) का एक फ़र्मान भी फ़रामोश न होने दिया होगा।

इससे यह ह़क़ीक़त भी बख़ूबी वाज़ेह हो गई कि स़ह़ाब–ए–किराम का यह ईमान था कि आँह़ज़रत (ﷺ) के बाद भी आप का हर फ़र्मान हुज्जत है और वाजिबे–तस्लीम भी है, वर्ना उसे ह़ासिल करने और उसकी हिफ़ाज़त करने का एहतिमाम न करते और फ़ारूक़े–आ'ज़म जैसा मुदब्बिरे–सुन्नत की ता'लीम और इशाअ़त के लिये इतने बड़े–बड़े स़ह़ाबा को इस्लामी सल्तनत के मुख़्तलिफ़ मर्कज़ी मक़ामात पर न भेजते। स़ह़ाब–ए–किराम ने अह़ादीष़े नबवी को सिर्फ़ उनकी तारीख़ी अहमियत की वजह से महफ़ूज़ नहीं रखा बल्कि इसलिये महफ़ूज़ रखा कि क़यामत तक आने वाली नस्लें इस चिराग़े–हिदायत की रोशनी में ज़िन्दगी की दुश्वार गुज़ार (कठिनतम) घाटियाँ तय करके शाहिदे–मक़सूद से हमकिनार होंगी।

अ़हदे ताबेईन :

इस्तिलाहे–इल्मे ह़दीष़ (ह़दीष़ ज्ञान की परिभाषा) में ताबेई उस शख़्स़ को कहा जाता है कि जिसे नबी–ए–अकरम (ﷺ) के दीदार का शर्फ़ तो ह़ासिल न हुआ हो लेकिन स़ह़ाब–ए–किराम की सोहबत का फ़ैज़ उन्हें नसीब हुआ हो।

ताबेईन के शुरूआती दौर में भी अह़ादीष़ के बारे में वही एहतिमाम रहा। हर जगह दर्सो–तदरीस के ह़ल्क़े (सेण्टर) क़ायम थे और इल्मो–दानिश, दयानतो–तक़्वा के ए'तिबार से नामी गिरामी हस्तियाँ ह़दीष़े नबवी (ﷺ) की ता'लीम में मशग़ूल रहतीं। और क़रीब व दूर के इल्म के तलबगार उनकी ख़िदमत में हाज़िर होकर अह़ादीष़ सीखते। मिष़ाल के तौर पर इस्लामी सल्तनत के चन्द मर्कज़ी शहरों में अह़ादीष़े पाक के पढ़ने–पढ़ाने की ख़िदमत में मशग़ूल रहने वाले चन्द ताबेईन के अह़वाल मुख़्तसरन ज़िक्र किये जाते हैं।

(1). सईद बिन मुसय्यिब (रह.)

इनकी पैदाइश ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ की ख़िलाफ़त के दूसरे साल में हुई। उन्होंने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) को ख़ुत्बा देते हुए सुना।

इल्मे ह़दीष़ उन्होंने ह़ज़रत उष़्मान, ज़ैद बिन ष़ाबित, आइशा, अबू हुरैरह (रज़ि.) से सीखा। ज़माने के बड़े–बड़े आलिमों–फ़ाज़िलों को उनके नूरानी इल्म का ए'तिराफ़ था। इब्ने उमर (रज़ि.) उन्हें मुफ़्तियों के दर्जे में शुमार करते थे। **क़तादा कहते हैं कि मैंने सईद बिन मुसय्यिब से ज़्यादा आलिम किसी को नहीं देखा।** ज़ुहरी और मक्हूल की भी यही राय थी। अली बिन मदीनी कहते हैं कि ताबेईन में से वुस्अते इल्म में सईद से ज़्यादा मैं किसी को नहीं जानता, मेरे नज़दीक वो बुज़ुर्गतरीन ताबई हैं। रियाज़तो–इबादतों का ये हाल था कि हमेशा रोज़ा रखते और उम्र में 40 हज्ज किये। जमाअ़त के इस क़दर पाबन्द थे कि 50 साल तक कभी उनकी तक्बीरे–ऊला (पहली तक्बीर) क़ज़ा नहीं हुई और न ही उनसे पहले कोई मस्जिद में गया। एक दफ़ा उनकी आँख दुखने लगी, किसी हकीम ने कहा कि अगर अ़क़ीक़ (एक जगह का नाम) चले जाओ तो वहाँ हरियाली की तरफ़ देखने से और ताज़ा व सुथरी हवा से आँखें दुरुस्त हो जाएंगी। तो वे फ़र्माने लगे कि इशा और सुबह की नमाज़ का क्या करूँ? या'नी वो जमाअ़त से अदा न कर सकूँगा और सुन्नत छोड़ने का मुर्तकिब हो जाऊँगा। अपना इत्तिबाए-सुन्नते-नबवी (ﷺ) का ये जज़्बा और उस पर कभी न डिगने वाली इस्तक़ामत (मज़बूती) की यह कैफ़ियत थी। जो कोई एक इर्शादे–नबवी (ﷺ) की ख़िलाफ़वर्ज़ी करता तो वो सईद बिन मुसय्यिब को एक आँख न सुहाता। इब्ने रमला कहते हैं कि मैंने इब्ने मुसय्यिब को कभी किसी को बुरा–भला कहते हुए नहीं सुना। पहली बार मैंने उनको यह कहते हुए सुना कि अल्लाह फ़लाँ को हलाक करे, वो पहला शख़्स है जिसने हुज़ूर (ﷺ) के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुक्म दिया। ह़दीष़ बयान करते वक़्त अदबो–एहतराम का पूरा लिहाज रखते। एक दफ़ा जब आप बीमार थे और चारपाई पर लेटे हुए थे कि मुत्तलिब बिन हन्ज़ब उनके यहाँ आए और एक ह़दीष़ के बारे में पूछने लगे। फ़र्माने लगे, मुझे बैठा दो, मैं इस चीज़ को नापसन्द करता हूँ कि लेटे–लेटे हुज़ूरे नबी–ए–करीम (ﷺ) की ह़दीष़ बयान करूँ।

मालदारी और बेनियाज़ी का ये आलम था कि कभी भी किसी बादशाह का तोहफ़ा क़ुबूल नहीं किया। उनके पास 400 दीनार थे। उनसे ज़ैतून की तिजारत किया करते थे और जो कुछ नफ़ा होता उससे गुज़ारा करते। ईमान इन्सान को इस क़दर जरी व निडर कर देता है आप उसकी जीती जागती मिष़ाल थे। बनू उमैय्या के खलीफ़ाओं के फ़िस्को–फुजूर और मज़ालिम (अत्याचारों) पर हमेशा सदाएं बुलन्द करते रहे। अ़ब्दुल मलिक ने उनको अपना मातहत बनाने के लिये तरह–तरह के हथकण्डे अपनाए लेकिन ये शाहीन उनके ज़ेरे दाम न आया।

एक बार अ़ब्दुल मलिक ने उनकी ख़िदमत में 30,000 से ज़्यादा रुपया भेजा। आपने यह कहते हुए लौटा दिया, **'ला हाजत ली फ़ीहा व ला फ़ी मरवान'** या'नी न मुझे इस रुपये की ज़रूरत है और न ही मरवान की। उनकी एक साहबज़ादी थी जो हुस्ने सीरत व सूरत में क़ाबिले रश्क थी, क़ुर्आने करीम की हाफ़िज़ा और उलूमे–सुन्नत की माहिर थीं। अ़ब्दुल मलिक ने अपने वली अ़हद (युवराज) वलीद के लिये रिश्ता माँगा लेकिन आपने उसकी दर्ख़ास्त को नामंज़ूर फ़र्मा दिया और अबू वदाआ जो बिल्कुल तंगदस्त थे, लेकिन मुत्तक़ी व परहेज़गार थे, उनको अपना दामाद बनाया। अ़ब्दुल मलिक ने जब वलीद को अपना वली अ़हद मुक़र्रर किया और तमाम लोगों से उसके मुता'ल्लिक़ बैअ़त ले ली और ह़ज़रत सईद बिन मुसय्यिब अपने इन्कार पर अड़े रहे तो अ़ब्दुल मलिक ने मदीना तय्यिबा के वाली की तरफ़ से हुक्म लिखा कि जिस तरह भी हो सके उनसे वलीद के लिये बैअ़त लो। और अगर वो राज़ी न हो तो उनको क़त्ल की धमकी दो। उसकी इत्तिला जब सुलैमान बिन यसार, उर्वा बिन ज़ुबैर व सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह को हुई तो वो उनके पास आए और उनको आगाह किया और उस शक्ल से बचने के लिये उनके सामने मुख़्तलिफ़ तज्वीजें पेश कीं। उन्होंने उनसे कहा कि जब वाली ख़त लेकर आपके पास आए और आपको सुनाए तो आप ख़ामोशी इख़्तियार फ़र्माएं और हाँ या ना कुछ न कहें। आपने फ़र्माया कि उससे तो लोग ये अन्दाज़ा लगा सकत हैं कि सईद ने बैअ़त कर ली और मैं बैअ़त करने के लिये हर्गिज़ तैयार नहीं। उन्होंने दूसरी तज्वीज यह पेश की कि आप चन्द रोज़ घर में ठहरे रहिये और बाहर न निकलिये ताकि ये जोश ख़त्म हो जाए। आपने फ़र्माया **'फ़अना अस्मउल अज़ान फ़ौक उज़नी हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह मा अना बिफ़ाइलिन ज़ालिक'** मैं जब अज़ान का ये जुम्ला सुनूंगा कि **'हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह'** आओ नमाज़ की तरफ़, आओ नमाज़ की तरफ़ तो मुझसे ये नहीं हो सकेगा कि मैं उसके बावजूद घर में बैठा रहूँ।

आख़री तज्वीज़ यह थी कि आप बैठने की जगह बदल लें और वाली जब आपको अपनी मुक़र्ररः जगह पर न पाएगा

तो उसी पर कानेअ हो जाएगा। ये सुनकर मोमिन की ज़बान से एक जुम्ला निकला जिससे फ़ज़ा (माहौल) में सनसनी फैल गई, **'अफ़रक़ा मिम मख़्लूक़'** अल्लाह का बन्दा होकर मख़्लूक़ से डरूं? मुझसे ये नहीं होगा। चुनाञ्चे ज़ुहर की नमाज़ के बाद उन्हें वाली ने बुलाया और वलीद के लिये बैअत तलब की तो हक़ व सदाक़त के इस मुजस्समे (सच्चाई की प्रतिमूर्ति) ने इन्कार कर दिया। उसने क़त्ल की धमकी दी लेकिन वो बे–फ़ायदा रही। आख़िर आप को 50 कोड़े लगाए गये और शहर के बाज़ारों व गली–कूचों में फिराया गया लेकिन जुनूने–इ़श्क़ के ये अन्दाज़ न छूटे। इस मोमिन पाकबाज़ और मर्दे सदाक़त शिआर ने अपनी कुव्वत व मज़बूती का आख़री क़तरे तक उलूमे नुबुव्वत की शमअ को फ़रोज़ाँ (रोशन) रखने के लिये ख़र्च कर दिया और उसी ख़िदमत गुज़ारी में सन् 105 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में अपनी जान, जाने–आफ़रीं की नज़र कर दी। **रहमतुल्लाहि तआला व रहमतुन वासिअतुन।**

(2). उ़र्वा बिन ज़ुबैर बिन अवाम क़ुरशी असदी :

मदीना तय्यिबा के ओलमा एअलाम में शुमार हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) के भांजे थे। उन्हीं से ज़्यादा इ़ल्म सीखा। उनके अलावा ज़ैद बिन साबित, उसामा बिन ज़ैद, सईद बिन ज़ैद, हकीम बिन हिज़ाम और अबू हुरैरह (रज़ि.) से इ़ल्मे हदीष हासिल किया। इनके शागिर्दों में इनके लड़के हिशाम, मुहम्मद, उष्मान, यह्या, अ़ब्दुल्लाह के नाम और इमाम ज़ुहरी (अबू अज़्ज़िनाद), इब्नुल मुन्कदिर, सालेह बिन कीसान के नाम बहुत मशहूर हैं। इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि मैंने उन्हें बहरे–बेकरां पाया। उनके बेटे हिशाम से मरवी है कि उनके वालिदे–मुकर्रम उ़र्वा हमेशा के रोज़ेदार थे, दिन को क़ुर्आने करीम का चौथा हिस्सा तिलावत करते और रात की तन्हाइयों में नमाज़े–तहज्जुद अदा करते वक़्त उसकी तिलावत से लज़्ज़त–अन्दोज़ होते। एक बार उनके पाँव में एक फोड़ा निकल आया, हकीम ने कहा अगर उसे काटेंगे नहीं तो सारा जिस्म ख़राब हो जाएगा, काटने से पहले आपसे कहा गया कि शराब पी लीजिये ताकि दर्द महसूस न हो। वे फ़र्माने लगे, मैं उस चीज़ को इस्ते'माल नहीं करूंगा जिसे अल्लाह तआ़ला ने हराम फ़र्माया है। फिर उन्हें कहा गया कि ख़्वाब–आवर (नींद की) दवाई पी लीजिये, वे कहने लगे कि अगर नींद की हालत में आपने मेरा पाँव काटा तो तकलीफ़ की शिद्दत महसूस करने से महरूम रह जाऊँगा। पाँव का गोश्त छुरी और फिर हड्डी आरी से काटी गई लेकिन उन्होंने उफ़ तक नहीं की। जब ये आलम हो कि छुरी से गोश्त और आरी से हड्डी कट रही हो, उस वक़्त अल्लाह तआ़ला की इस आज़माइश पर सब्र में जो लुत्फ़ होता है उसे उलुल अ़ज़्म (दृढ़ निश्चय) हस्तियाँ महसूस कर सकती हैं। हम ऐसे वाक़ियात पढ़कर ही काँप उठते हैं। जब पाँव काट दिया गया और ख़ून बन्द करने के लिये गर्म तेल में उसे रखा गया तो बेहोश हो गए। जब होश आया तो अपने कटे हुए पाँव को हाथ में लेकर फ़र्माने लगे, **'अम्मा वल्लज़ी हमलनी अलैक अन्नहू लयअलमु इन्नी मा मशयतु बिक इला मअसियतिन'** उस पाक ज़ात की क़सम! जिसने मुझे आज तक तुझ पर उठाए रखा, वो जानता है कि मैं तेरे साथ चलकर गुनाह की तरफ़ कभी नहीं गया।

(3). सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अमीरुल मो'मिनीन उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) :

आप मदीना तय्यिबा के सात फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) में से हैं। उनकी गिनती ताबेईन के चोटी के उ़लमा में होता है। आपने अपने वालिद और दूसरे सहाबा से हदीषे नबवी सुनी और इमाम ज़ुहरी और नाफ़ेअ और दीगर मुहद्दिषीन ने आपसे इ़ल्मे–अहादीष हासिल किया।

एक बार हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ने उन्हें लिखा कि उनकी तरफ़ हज़रत उ़मर (रज़ि.) के ख़ुतूत (पत्रों) में से कोई ख़त रवाना करें, तो उनकी तरफ़ नासिहाना (नसीहतों भरा) यह ख़त भेजा गया। तर्जुमा, 'ऐ उ़मर! उन बादशाहों को याद कर जिनकी वो आँखें, जिनसे वो हमेशा लुत्फ़ उठाते थे, फट चुकी है और उनके वो पेट जो कभी सैर हुए थे, फट चुके हैं और मिट्टी के टीलों के नीचे मुर्दार पड़े हैं और अगर उन्हें दफ़न न किया जाता और उनके जिस्मों को हमारे मकानों के नज़दीक डाल दिया जाता तो उनकी बदबू से हमें कड़ी तकलीफ़ पहुँचती। वे हमेशा ऊन का लिबास पहनते थे और अपने हाथों से अपने सारे काम करते। आप हज्ज के लिये गये होते कि सुलैमान बिन अ़ब्दुल मलिक ने आपको ख़ान–ए–का'बा में देखा तो आपसे कहने लगा, **'सल्नी हवाइजक'** या'नी अपनी ज़रूरियात के लिये मुझसे तलब करो, मैं पूरी करूंगा। वे फ़र्माने लगे, **'वल्लाहि ला सअलतु फ़ी**

बयतिल्लाहि ग़ैरल्लाहि' अल्लाह की क़सम! मैं अल्लाह के घर में ग़ैरुल्लाह से सवाल नहीं किया करता। इमाम मालिक (रह.) कहा करते थे कि सालिम से बढ़कर ज़ुहदो–तक़्वा और मियांनारवी (मध्यमार्गी होने) में सलफ़े–सालिहीन में उनके जैसा कोई नहीं। आप दो दिरहम का कपड़ा पहना करते, आप का इंतक़ाल माहे ज़िलहिज्जा के आख़िर 106 हिजरी में मदीना तय्यिबा में हुआ।

(4). इमाम अलक़मा बिन क़ैस बिन अ़ब्दुल्लाह कूफ़ी (रह.) :

उन्होंने इल्मे–हदीष़ ह़ज़रत उ़मर, ह़ज़रत उष़्मान, ह़ज़रत अ़ली, अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द और अबू दर्दा (रज़ि.) से सीखा। ये इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) के नामी–गिरामी शागिर्दों में से थे। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) ख़ुद उनकी वुस्अ़ते–इल्म के बारे में फ़र्माया करते थे, **'मा अक़्रउ शयअन व मा आलमु शयअन इल्ला व अलक़मतु यक़्रउहू व यअ़लमुहू'** या'नी जो कुछ मैं पढ़ सकता हूँ और जो कुछ मैं जानता हूँ, अलक़मा भी उसे पढ़ सकता है और जान सकता है। क़ौम की तरफ़ से उन्हें फ़क़ीहुल इराक़ का ख़िताब मिला था। कई स़ह़ाबा भी उनसे आकर मसाइल पूछा करते थे। क़नाअ़तो–सैर चश्मी का ये आ़लम था कि बकरियों का एक रेवड़ पाल रखा था, उसी पर वक़्त गुज़ारा करते थे। अपनी बकरियाँ ख़ुद ही दुहते और ख़ुद ही चारा–पानी देते थे। अपने शागिर्दों से कभी ख़िदमते–नफ़्स (व्यक्तिगत सेवा) का काम नहीं लिया। अलक़मा फ़र्माया करते, **'इह़याउल इल्मि अल्मुज़ाकरत'** या'नी बार–बार दोहराना इल्म को ज़िन्दा रखता है। वे अक्सर अपने शागिर्दों को नसीहत किया करते थे, **'तज़ाकरुल ह़दीष़ फ़इन्न ह़यातहू ज़िक्रुहू'** ह़दीष़ को बार–बार दोहराया करो क्योंकि दोहराना ही उसकी ज़िन्दगी है। इतने इल्मो–फ़ज़्ल और फ़हम व ज़का (विद्वता) के मालिक ने अपनी सारी उ़म्र ह़दीष़ का दर्स देने में गुज़ार दी। उनके ह़ज़ारों शागिर्द थे जिनमें इब्राहीम नख़ई, अबुज़ुहा, मुस्लिम बिन सबीह और शअ़बी तआ़रुफ़ (परिचय) के मोहताज नहीं। उनका इंतक़ाल सन् 62 हिजरी में हुआ।

(5). मसरूक़ बिन अल अज्दा कूफ़ी :

ये मुजाहिदे–आ'ज़म अ़म्र बिन मअ़दी करब के भांजे हैं। उन्होंने ह़ज़रत उ़मर, ह़ज़रत अ़ली, ह़ज़रत मुआ़ज़, इब्ने मसऊ़द, ह़ज़रत उबय (रज़ि.) जैसे बड़े स़ह़ाबा से इल्मे–ह़दीष़ ह़ासिल किया। इतने क़ाबिले–तारीफ़ औसाफ़ (गुणों) के बावजूद उन्होंने उम्मुल मो'मिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के नज़दीक इतनी मक़्बूलियत (लोकप्रियता) ह़ासिल कर ली थी कि ह़ज़रत सिद्दीक़ा ने उन्हें अपना मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया। उनके शागिर्द इमाम शा'बी उनके शौक़े-इल्म की कैफ़ियत बयान करते हुए कहते हैं, **'मा अलिम्तु अह़दन कान अतलबुल इल्मि मिन्हु'** या'नी मुझे कोई ऐसा आदमी मा'लूम नहीं जिसके दिल में इल्म ह़ासिल करने की तड़प उनसे ज़्यादा हो। शा'बी कहते हैं कि सिर्फ़ एक आयत का मा'ना पूछने के लिये कूफ़ा से बसरा का सफ़र किया। वहाँ मक़स़द पूरा न हुआ, उन्हें बताया गया कि शाम (सीरिया) में एक फ़ाज़िल है जो आपके सवाल का जवाब दे सकता है। शौक़े–इल्म की बेक़रारियाँ मुलाहज़ा हों कि इसी एक आयत का मा'ना जानने के लिये बसरा से शाम का रुख़ किया। ज़ुहदो–तक़्वा का ये आ़लम था कि अबू इस्ह़ाक़ कहते हैं कि मसरूक़ ह़ज्ज को गये, ह़ज्ज के दौरान में अगर सोये भी सज्दे में सर रखकर ही सोये। उनकी बीवी का बयान है कि नमाज़ पढ़ते–पढ़ते उनके पाँव सूज जाते थे। नमाज़ शुरू करते वक़्त अपने घरवालों के बीच पर्दा लटका देते, फिर **मह़्विय्यत** (मशग़ूलियत) की यह कैफ़ियत तारी होती कि दुनिया व दुनिया के अ़लावा की ख़बर तक न रहती। आप का एक मक़ूला सुनहरे अल्फ़ाज़ में लिखने लायक़ हैं, **'कफ़ा बिल्मइ इल्मन अंय्यख़शल्लाह व कफ़ा बिल्मइ जहलन अंय्युअजिब बिअ़मलिही'** या'नी इन्सान के लिये इतना इल्म काफ़ी है कि वो अल्लाह तआ़ला से डरने लगे और उसे डूबने के लिये इतनी जहालत काफ़ी है कि वो अपने अ़मल पर ग़ुरूर (घमण्ड) करने लगे। ये भी एक लम्बे अर्से तक कूफ़ा में ह़दीष़ का दर्स देते रहे। आपकी वफ़ात 63 हिजरी में हुई।

(6). इमाम अबू अ़म्र नख़ई :

ये ह़ज़रत अलक़मा बिन क़ैस के भतीजे हैं। उन्होंने इल्मे ह़दीष़ ह़ज़रत मुआ़ज़, इब्ने मसऊ़द, ह़ुज़ैफ़ा, बिलाल (रज़ि.) और दीगर बड़े स़ह़ाब–ए–किराम व अपने चचा अलक़मा से ह़ासिल किया। वे निहायत इबादतगुज़ार और परहेज़गार थे, अपनी उ़म्र में 80 ह़ज्ज–उ़मरे किये और हर रोज़ सात रकअ़त नफ़्ल पढ़ा करते थे। उनके आ'माले–ह़सना के पेशेनज़र लोग उनकी ज़िन्दगी में ही जन्नती कहा करते थे। रमज़ानुल मुबारक में हर दूसरे दिन ख़त्मे–क़ुर्आन किया करते थे, सिर्फ़ शाम व इशा के दरम्यान मुख़्तस़र सी नींद

लेते थे। बाक़ी अक्सर रात यादे-इलाही में बीत जाती और रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में छह दिन में कुर्आन पूरा किया करते। अलक़मा बिन मरषद कहते हैं कि आठ ताबई ने जुहदो-रियाज़त की इंतिहा कर दी, उन्हीं में से एक नख़ई हैं।

जब मरने का वक़्त क़रीब आ पहुँचा तो बहुत रोये। किसी ने कहा कि ये घबराहट कैसी? कहने लगे, मैं क्यों न घबराऊँ, अगर बख़्श भी दिया गया तो अपने किये पर नदामत (शर्मिन्दगी) का एहसास क्या कम है? ये भी कूफ़ा में अहादीष़ का दर्स देने में मसरूफ़ रहे और 73 हिजरी में इंतिक़ाल फ़र्माया।

(07). अबुल आलियतुर्रियाही (रह.) बसरा, इराक़ :

इन्होंने हज़रत सिद्दीक़े अकबर की ज़ियारत की और हज़रत उबय बिन क़अब से कुर्आन सीखा। हज़रत उमर, अली, आइशा, इब्ने मसऊद (रज़ि.) वग़ैरह से अहादीष़ सुनी। मदीना तय्यिबा में कुर्आनो-सुन्नत का इल्म हासिल करने के बाद वापस बसरा आ गये और वहाँ इल्म का दर्स देने में लग गये। सैंकड़ों मशहूर लोगों ने उनसे इल्मे-दीन सीखा। उनके शागिर्दों में से क़तादा, ख़ालिदुल हज़्ज़ा, दाऊद बिन अबी हिन्द, और रबी इब्ने अनस बहुत मशहूर हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) उन्हें अपने पास चारपाई पर बिठाते और क़ुरैशी ख़ानदान के लोग नीचे बैठे हुए होते। **'हाकज़ल इल्मु यज़ीदुश्शरीफ़ शर्फ़न'** या'नी इल्म यूँ शरीफ़ों के ऐजाज़ो-इकराम में इज़ाफ़ा (मान-सम्मान में बढ़ोतरी) करता है। इब्ने अबी दाऊद कहा करते कि सहाबा के बाद इनसे ज़्यादा कुर्आन के इल्म का कोई माहिर नहीं। इनके नीचे लिखे बयान से इनके शौक़े-इल्म और शरीअत की पाबन्दी का बख़ूबी अन्दाज़ा हो सकता है। फ़र्माते हैं,

'जिस वक़्त मुझे पता चलता है कि फ़लाँ शख़्स को हुज़ूर (ﷺ) की किसी हदीष़ का इल्म है तो कई दिनों की दूरी तय करने के बाद उसके पास पहुँचता हूँ। वहाँ जाकर सबसे पहले ये पूछता हूँ कि क्या पाबन्दी से नमाज़ पढ़ता है और नमाज़ के अरकान की अदायगी का पूरा-पूरा ख़याल रखता है। अगर इसका तसल्लीबख़्श जवाब पाता हूँ तो उसके यहाँ क़याम भी करता हूँ और उससे हदीष़ भी सुनता हूँ। लेकिन अगर नमाज़ के बारे में उसकी काहिली का पता चलता है तो वापस लौट आता हूँ और उससे हदीष़ नहीं सुनता हूँ और कहता हूँ कि **'हुव लि ग़ैरिस्सलाति अज़यअ'** या'नी जिसे नमाज़ का लिहाज व एहतिमाम नहीं वो अगर किसी दूसरी बात में ग़फ़लत करे, ऐसा हो सकता है। अबुल आलिया (रह.) ने 93 हिजरी में इंतक़ाल फ़र्माया।

(08) अबू उष़्मान अन् नहदी अल बसरी (रह.) :

इन्होंने ज़मान-ए-नुबुव्वत पाया लेकिन ज़ियारते नबी (ﷺ) का शरफ़ नहीं मिला। हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में मदीना तय्यिबा में हाज़िर हुए और हज़रत उमर, इब्ने मसऊद, हुज़ैफ़ा बिन यमान और उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से अहादीष़ सुनी। फिर बसरा लौट आए और उम्र भर नबी करीम (ﷺ) की सुन्नतों का दर्स देते रहे।

हज़रात क़तादा, ख़ालिद, हुमैद, दाऊद, सुलैमान अत् तैमी वग़ैरह ने इनसे इल्मे-हदीष़ हासिल किया। जंगे यरमूक में मुजाहिदीने इस्लाम के साथ बहादुरी की दादे-शुजाअत दी। बहुत बड़े आलिम, साइमुद्दहर (हमेशा के रोज़ेदार), क़ाइमुल्लैल (रातों के इबादतगुज़ार) थे। उनकी नमाज़ में ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का ये आलम था कि कई मौक़ों पर बेहोश होकर गिर पड़ते थे। उनके एक शागिर्द सुलैमान तैमी कहते हैं कि मेरा ख़याल है कि उनसे कभी कोई गुनाह सरज़द ही नहीं हुआ। उनकी वफ़ात 100 हिजरी में हुई।

(09). अबू रिजा इमरान बिन मल्हान अल अत्तारदी अल बसरी (रह.) :

फ़तहे मक्का के वक़्त में ईमान लाए लेकिन ज़ियारते नबवी (ﷺ) नसीब नहीं हुई। बाद में मदीना तय्यिबा में हाज़िर हुए और हज़रात उमर, अली, इमरान बिन हुसैन, अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से अहादीष़ सुनी। अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से ही कुर्आने-करीम पढ़ा और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को कुर्आन सुनाया। इल्म हासिल करने के बाद बसरा चले गये और वहाँ कुर्आनो-सुन्नत की तदरीस में आख़िरी दम तक लगे रहे। लोगों की बड़ी ता'दाद ने आपसे कुर्आने-करीम पढ़ा और अबू अय्यूब इब्ने औन, जरीर बिन हाज़िम, सईद बिन अबी अरूबा और महदी बिन मैमून ने आप से अहादीषे नबवी रिवायत कीं। इब्ने अअराबी

कहते हैं कि यह बहुत बुज़ुर्ग और इबादत गुज़ार थे और क़ुर्आन की तिलावत बहुत कषरत से करते थे। उनकी वफ़ात सन 107 हिजरी में हुई।

(10) अब्दुर्रहमान बिन ग़नमुल अशअरी (रह.) शामी :

उन्होंने हज़रत उमर, मुआज बिन जबल और बड़े-बड़े सहाबा से अहादीष़ रिवायत कीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें शाम की तरफ़ रवाना किया।

पीछे बड़ी तफ़्सील से बतलाया गया है कि हदीष़ क़ुर्आन मजीद ही की तफ़्सीर का नाम है और हदीष़ भी वह्ये इलाही है। फ़र्क़ इतना है कि क़ुर्आन मजीद को वह्ये-मतलू कहा जाता है और हदीष़ को ग़ैर मतलू कहा जाता है। (वह्ये-मतलू या'नी वो कलामे इलाही जिसकी तिलावत की जाए और ग़ैर मतलू वो कलाम है जिसकी तिलावत नहीं की जाती) हदीष़ की तारीख़ी हैषियत भी बहुत ही तफ़्सील के साथ बयान की जा चुकी है। अह्दे रिसालत, अह्दे सहाबा में हदीष़ की किताबत पर भी तफ़्सीली तबसरा किया जा चुका है कि हदीष़ का इन्कार करने वाले अक़्लो-ख़िरद से बिल्कुल ख़ाली और अपने हवा-ए-नफ़्स के बन्दे बन चुके हैं। मक़ामे रिसालत के समझने से उनको ज़र्रा बराबर भी वास्ता नहीं है।

दसवें पारे से हदीष़ की फ़न्नी हैषियत से तबसरा शुरू किया जा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिये कि अल्लाह ने चाहा तो कुछ न कुछ हर पारा के साथ ये मुक़द्दमा दिया जाएगा ताकि नाज़िरीने-किराम और शाएक़ीने-इज़ाम के लिये इज़्दियादे बसीरत का ज़रिआ हो।

हदीष़ पर तबसिरा फ़न्नी नुक्त-ए-नज़र से :

ज़मान-ए-क़दीम में हर मुल्क व क़ौम में ख़्वानदाह (पढ़े-लिखे) आदमी कम थे। असबाबे-किताबत भी कम थे। सामाने तबाअत (प्रिण्टिंग स्रोत) बिल्कुल न था। तमाम क़ौमी व मज़हबी रिवायात का ज़बानी याददाश्त पर इन्हिसार (अहाता) था।

एक मुहद्दिष़ आख़िर उमर में नाबीना (अंधे) हो गए थे वो और एक उनका शागिर्द एक ऊँट पर सवार होकर सफ़र को चले। रास्ते में एक मौक़े पर मुहद्दिष़ नीचे झुके। शागिर्द ने दरयाफ़्त किया कि आप क्यों झुके? मुहद्दिष़ ने कहा यहाँ एक पेड़ है जिसकी एक शाख़ झुकी हुई है, मुम्किन है सर में लग जाए। शागिर्द ने कहा यहाँ कोई पेड़ नहीं है। मुहद्दिष़ ने कहा रुको और तहक़ीक़ करो और मेरी यह याद ग़लत है तो आज से हदीष़ रिवायत न करूँगा। शागिर्द ने क़रीब के देहात के रहने वालों से दरयाफ़्त किया तो एक बूढ़े ने कहा कि यहाँ एक पेड़ था, उसकी एक शाख़ झुकी हुई थी। तब मुहद्दिष़ को इत्मीनान हुआ।

तहरीर में आसानी से जअ़ल (मिलावट) मुम्किन है। अगर तहरीरों पर भरोसा किया जाए तो जअ़ल मुस्तक़िल सूरत इख़्तियार कर जाता है। फिर उससे इख़्तिलाफ़ मुश्किल था। हज़रत अब्बास (रज़ि.) एक मर्तबा हज़रत अली (रज़ि.) के फ़ैसले की नक़ल कर रहे थे, बाज़ मक़ामात को छोड़ जाते और कहते जाते थे अली ने यह फ़ैसला हर्गिज़ नहीं किया होगा। (मुस्लिम)

यह ख़्याल हो सकता है कि हिफ़्ज़ में भूल मुम्किन है। लेकिन भूल से इस क़दर ख़तरा नहीं जितना जअ़ल से है। भूल की इस्लाह दूसरे मो'तबर रावी से मुम्किन है, उसकी नज़ीरें पहले लिखी जा चुकी हैं कि मुहद्दिषीन ख़फ़ीफ़ शुब्हा पर तस्हीह के लिये महीनों का सफ़र करके पहुँचे।

इस्माईल बिन अब्दुल करीम इसलिये ज़ईफ़ समझे जाते थे कि वो वहब ताबेई के सहीफ़े से देखकर रिवायत करते थे। (तहज़ीब) इसलिये क़रने-अव्वल और क़रने ष़ानी में तहरीर का रिवाज़ कम रहा। क़रने ष़ालिष़ में जब लोगों के हाफ़ज़े कमज़ोर हो गए और तालीफ़ व तसनीफ़ का ज़ोर हुआ तो मुहद्दिषीन तहरीर पर मजबूर हुए। कष़रते तहरीर व तस्नीफ़ का यह नतीज़ा हुआ कि हुफ़्फ़ाज़े हदीष़ की ता'दाद कम हो गई। यहाँ तक कि इमाम सियूति के बाद एक भी हाफ़िज़े हदीष़ न हुआ।

इख़्तिलाफ़े हदीष़ :

हदीष़ की रिवायतें दो क़िस्म की हैं, एक रिवायत बिल मअ़ना दूसरी रिवायत बिल लफ़्ज़।

इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ :

रिवायत बिल मअ़ना यह है कि रावी अपने अल्फ़ाज़ में हुज़ूर (ﷺ) के क़ौल व फ़ेअ़ल वग़ैरह को बयान करे। इसके अल्फ़ाज़ व इबारत में तो इख़्तिलाफ़ तो होना ही चाहिये क्योंकि हर शख़्स अपने हस्बे फ़हम व इस्तेअ़दाद (अपनी समझ–बूझ के मुताबिक़) अल्फ़ाज़ व इबारत बोलेगा, मतलब में फ़र्क़ नहीं आना चाहिये।

रिवायत बिल लफ़्ज़ यह है कि रावी वो अल्फ़ाज़ बयान करे जो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माए हैं । इस क़िस्म की भी बाज़ रिवायतों की इबारत के अल्फ़ाज़ में फ़र्क़ है। इसकी वजह यह है कि मुख़्तलिफ़ अवक़ात में हुज़ूर (ﷺ) ने एक ही काम के मुता'ल्लिक़ एक ही हुक्म दिया मगर कभी कुछ अल्फ़ाज़ हुए कभी उसके मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ (समान अर्थ वाले, पर्यायवाची शब्द) हुए, मतलब एक ही रहा।

इमाम इब्ने सीरीन (रह.) का क़ौल है कि मैंने एक ह़दीष़ को दस शैख़ों से सुना जिसको हर एक ने मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ों में बयान किया मगर मअ़ना एक सा था। (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़)

इख़्तिलाफ़े मतलब :

बाज़ ह़दीष़ों के मतलब व मअ़ना में भी फ़र्क़ है क्योंकि बा-मुक्तज़ा-ए मस्लिहत व ज़रूरत हुज़ूर (ﷺ) ने एक ही काम के मुता'ल्लिक़ एक दफ़ा एक हुक्म दिया, दूसरी दफ़ा उसके ख़िलाफ़ हुक्म दिया जो मस्लिहत व तक़ाज़-ए-ज़रूरते शरई के तहत होता था। जैसे कि रेशमी कपड़ा पहनने को हुज़ूर (ﷺ) ने नाजाइज़ क़रार दिया। मगर ह़ज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़(रज़ि.) व ह़ज़रत ज़ुबैर बिन अ़वाम (रज़ि.) को इजाज़त दी जो इन ह़ज़रात के ख़ास हालात के तहत थी।

ऐंठकर, अकड़कर, तकब्बुर (नाज़ व ग़ुरूर) के साथ चलने की हुज़ूर (ﷺ) ने मुमानअ़त फ़र्माई, मगर जंगे उहद में अबू दुजाना (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) की तलवार लेकर अकड़कर चले तो उनकी तारीफ़ फ़र्माई क्योंकि ये तकब्बुर अ़लाए कलिमतिल्लाह के लिये था। वाक़िआ़त के मुता'ल्लिक़ दो मर्द गवाह या एक मर्द दो औ़रत बतौरे गवाह की क़ायम की, लेकिन ह़ज़रत ख़ुज़ैमा (रज़ि.) तन्हा गवाही को काफ़ी क़रार दिया। नमाज़ की सख़्त ताक़ीद फर्माते थे, मगर जंगे ख़न्दक़ में मजबूरन नमाज़ क़ज़ा हो गई। ऐसी ही मुख़्तलिफ़ सूरतें और वाक़िआ़त पेश आए कि मुख़्तलिफ़ तरह के अह़काम और अ़मल हुए। जिसने जो देखा या जो सुना वो कुर्रा बांध लिया।

तस्ह़ीहे अह़ादीष़ में इख़्तिलाफ़े मुहद्दिष़ीन :

बाज़ अह़ादीष़ में मुहिद्दिष़ीन के बीच जो इख़्तिलाफ़ है उसकी चन्द वजहे हैं,

(01). जिसने तज़ईफ़ की उसको वो ह़दीष़ ज़ईफ़ सनद के साथ पहुँची, जिसने तस्ह़ीह़ की उसको क़वी (मज़बूत) सनद के साथ पहुँची, या दोनों को ब–सनद ज़ईफ़ पहुँची। मगर एक को उसके शवाहिदो–मुताबआ़त (समकक्ष दर्जे की) रिवायतें मिल गईं, दूसरे को नहीं मिलीं। या दोनों को मिलीं, पर एक ने सनद के ए'तिबार से ख़ास़ व मतने ख़ास में तज़ईफ़ की। चुनाञ्चे तिर्मिज़ी में बाज़ जगह यूँ है, **'ग़रीबुन बिहाज़ल लफ़्ज़ि'** या'नी मतन के ए'तिबार से ख़ास़ वो ह़दीष़ ग़रीब है।

(02). किसी रावी पर जिरह हुई हो लेकिन जिरह का सबब एक मुहद्दिष़ को मा'लूम न हुआ तो उसने तज़ईफ़ की, दूसरे को सबब मा'लूम हो गया और वो क़ाबिले इल्तिफ़ात न था, उसने तस्ह़ीह़ कर दी।

(03). बाज़ उमूर ऐसे हैं जिनको एक मुहद्दिष़ मौजिबे-जरह समझता है, दूसरा नहीं समझता। इस इख़्तिलाफ़ से तस्ह़ीह़ व तज़ईफ़ हुई।

(04). किसी इमाम के किसी रावी पर जिरह देखकर तज़ईफ़ कर दी गई और जिरह करने वाले इमाम ने उस जरह को ग़लत पाकर रुजूअ़ कर लिया, रुजूअ़ करने की इत्तिला तज़ईफ़ करने वालों तक नहीं पहुँची, इसलिये वो उसकी तज़ईफ़ पर क़ायम रहे जिनको इत्तिला हो गई उन्होंने तस्ह़ीह़ की।

(05). किसी इमाम ने किसी रावी की तफ़्तीश की और उसमें कोई अम्र क़ाबिले जरह न पाया, उसने उसकी तस्ह़ीह़ की। कुछ

दिनों बाद उसकी हालत बदल गई। इस हालत को जिसने देखा उसकी तज़ईफ़ की। इस इख़्तिलाफ़ का इर्तिफ़ाअ़ मुराजअ़ते-कुतुब से सहूलत के साथ मुमकिन है।

तीन क़िस्म के रावी और रिवायतें :

(01). एक क़िस्म के वो लोग थे जो रिवायत बिल लफ़्ज़ (हूबहू, शब्दशः वैसी ही) को ज़रूरी और रिवायत बिल मा'नी (मा'नी व मफ़हूम वाली) को मुज़िर समझते थे। उनकी ता'दाद ज़्यादा है।

(02). वो जो रिवायत बिल लफ़्ज़ को बेहतर जानते थे और मजबूरन बिल मा'नी को भी रिवायत करते थे।

(03). जो रिवायत बिल मा'नी के आदी थे और उसमें कुछ नुक़्सान न समझते थे, ये ता'दाद में बहुत कम थे और उनमें से ख़ास़-ख़ास़ षिक़ात व माहिरे उलूम की ह़दीषें ली गईं हैं।

ह़दीष़ की तमाम किताबों में इन्हीं तीन क़िस्मों से रिवायतें हैं।

मुह़द्दिष़ीन की सई (कोशिश) का नतीजा :

दुनिया में हज़ारों ह़दीषें किताबों में दर्ज हैं। अगर मुह़द्दिष़ीन सारी जमा ह़दीषों पर क़नाअ़त (स़ब्र, संतोष) कर लेते तो इससे भी कहीं ज़्यादा ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाता और ह़दीषों की दस्तयाबी (उपलब्धता) का सिलसिला क़यामत तक ख़त्म न होता। आज जो बिदअ़तियों, गुमराहों को इल्मे-ह़दीष़ की तरफ़ नज़र करके मायूसी होती है, वो न होती बल्कि उनकी हर ख़्वाहिश कामयाब होती। मुह़द्दिष़ीन ने तलाश करके, स़ह़ाबा के तआमुल पर नज़र करके, रावियों को जाँचकर मज़मून को अ़क़्ल की तराज़ू में तौलकर, किताबो-सुन्नत से मुक़ाबला (तुलना) करके ह़दीषों के रावियों के दर्जे और मर्तबे मुक़र्रर कर दिये। अब किसी को जुरअ़त नहीं हो सकती कि वो स़ह़ीह़ को ग़ैर-स़ह़ीह़ और ज़ईफ़ को क़वी बना दे। ये जाँच ऐसे सख़्त उसूलों से की गई है कि इससे ज़्यादा सख़्ती ऐसे काम में मुमकिन न थी। मौज़ूआत (गढ़ी हुई, झूठी अह़ादीष़) का ज़ख़ीरा अलग मुरत्तब है। मौज़ूआत की पहचान करने के क़ायदे मुक़र्रर हैं। ह़दीष़ के दर्जे रावियों के दर्जात के ज़वाबित मुदव्वन (संकलित, इंतिख़ाब व तर्तीब के साथ जमा किया हुआ) है। इल्मु अल्फ़ाज़िल ह़दीष़ के उसूल क़ायम हैं।

ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की ह़दीष़ ज़िल्लि अ़र्श में एक रावी से ज़रा सी लफ़्ज़ी तक़्दीम व ताख़ीर हो गई थी। मुह़द्दिष़ीन ने तह़क़ीक़ो-तफ़्तीश (खोज-बीन) करके बता दिया कि अस़ल तर्तीब इस तरह है। (नुज़हतुल फ़िक्र)

मुह़द्दिष़ीन इस दर्जा तह़क़ीक़ व तफ़्तीश करते थे कि रिवायत के स़ह़ीह़-स़ह़ीह़ हालात खुल जाते थे और वज़्ज़ाअ़ (झूठी ह़दीष़ गढ़ने वाले) इक़रार पर मजबूर हो जाते थे।

मवील बिन इस्माईल से एक शैख़ ने क़ुर्आन मजीद की सूरतों के फ़ज़ाइल ह़ज़रत उबय इब्ने कअ़ब से मर्फ़ूअ़न रिवायत किये। मवील ने उनसे पूछा कि ये ह़दीष़ आप तक किससे पहुँची? उन्होंने कहा कि मदयन के एक शैख़ से और वो अभी ज़िन्दा हैं। मवील मदयन पहुँचकर उस शैख़ से मिले और पूछा। उसने एक और शैख़ का हवाला दिया। ये उसके पास पहुँच गये। उसने बस़रा के एक शैख़ का हवाला दिया। ये बस़रा गये। उसने अ़बादान के एक शैख़ का हवाला दिया। ये अ़बादान गये। इस शैख़ ने उनकी एक और शैख़ से मुलाक़ात करवाई। मवील ने उस शैख़ से दर्याफ़्त किया। तो उसने (इक़रार करते हुए) कहा कि मैंने तर्ग़ीब दिलाने के लिये ये ह़दीष़ गढ़ी है। (तदरीबुर्रावी)

इस तरह मौज़ूअ़ अह़ादीष़ का एक बड़ा ज़ख़ीरा वजूद में आ गया। मगर मुह़द्दिष़ीने किराम ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग-अलग करके दिखला दिया। रहिमहुल्लाहु अज्मईन.

ह़दीष़ की क़िस्में :

ह़दीष़ की बहुत सी क़िस्में हैं। सबसे पहले दो क़िस्में हैं, (1) मक़्बूल (स्वीकार्य) (2) मर्दूद (रद्द की हुई, निरस्त)

ख़बरे-मक़्बूल : ये वो ह़दीषें हैं जिनको रिवायतो -दिरायत के ए'तिबार से अइम्मा ने हुज्जत के क़ाबिल क़रार दिया है।

ख़बरे-मर्दूद : जिन रिवायतों को रिवायतो-दिरायत के ए'तिबार से नाक़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है।

ये दोनों क़िस्में तीन क़िस्मों में बंटी हुई है। क़ौली, फ़ेअ़ली, तक़रीरी।

क़ौली : रसूले करीम (ﷺ) का क़ौल सहाबी इस तरह बयान करे कि रसूले करीम (ﷺ) ने यूँ फ़र्माया है।

फ़ेअली : रसूले करीम (ﷺ) के अफ़आल सहाबी इस तरह बयान करे कि रसूले करीम (ﷺ) ने ये काम इस तरह किया है।

तक़रीरी : सहाबी यूँ बयान करे कि मैंने या फ़लाँ शख़्स ने रसूले करीम (ﷺ) के सामने ये काम इस तरह किया तो आप (ﷺ) ने मना नहीं फ़र्माया।

इन तीनों क़िस्मों की भी दो क़िस्में हैं, (1) सरीही (2) हुक्मी.

सरीही क़ौली : सहाबी हुज़ूर (ﷺ) के बयान फ़र्मूदा अल्फ़ाज़ को इस तरह बयान करे कि जिससे साफ़ मा'लूम हो कि उसने ये ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) से सुना है। जैसे, **'समिअतु रसूलल्लाहि (ﷺ)'** या **'हद्दषना रसूलल्लाहि (ﷺ)'** या **'अख़बरनी/अख़बरना रसूलुल्लाहि (ﷺ)'** या **'अम्बअनी/अम्बअना रसूलल्लाहि (ﷺ)'** मगर अइम्मा ने **'क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ)'** व **'अन रसूलिल्लाहि (ﷺ)'** को भी सरीही क़ौली में शुमार किया, क्योंकि बाज़ सहाबा ने दूसरे सहाबा से सुनकर रिवायतें की है।

सरीही फ़ेअली : सहाबी आँहज़रत (ﷺ) के फ़ेअल को इस तरह बयान करे कि उसने ये फ़ेअल आँहज़रत (ﷺ) को करते हुए ख़ुद देखा है। जैसे, **'राइतु रसूलल्लाहि (ﷺ)'** मगर मुहद्दिषीन ने **'कान रसूलुल्लाहि (ﷺ)'** को इसमें शुमार किया है क्योंकि बाज़ सहाबा (रज़ि.) ने ख़ुद वो फ़ेअल करते हुए नहीं देखा। दूसरे सहाबी से सुनकर रिवायत किया है।

सरीही तक़रीरी : सहाबी ऐसे काम को जो आँहज़रत (ﷺ) के सामने हुआ और आप (ﷺ) ने उसे रोका नहीं, ऐसे अल्फ़ाज़ में बयान करे जिससे साफ़ मा'लूम हो कि ये काम उसने ख़ुद किया या ये वाक़िया उसके सामने हुआ। जैसे, **'फ़अल्तु बिहज़रतिन्नबिय्यि (ﷺ)'** मुहद्दिषीन ने **'फ़अल फुलानुन बिहज़रतिन्नबिय्यि (ﷺ)'** को भी इसमें शुमार किया है।

हुक्मी क़ौली : एक ऐसा सहाबी जो इस्राइलियात से कोई बात माख़ूज़ करने का आदी नहीं, वो ऐसी बात बयान करे जिसका ता'ल्लुक़ अक़्लो–इज्तिहाद, बयाने लुग़त और शरहे ग़रीब से न हो। जैसे, अहवाले क़यामत, क़ससे अंबिया वग़ैरह।

हुक्मी फ़ेअली : सहाबी ने ऐसा काम किया हो कि जिसमें इज्तिहाद का दख़ल न हो।

हुक्मी तक़रीरी : सहाबा ने आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में आप (ﷺ) की ग़ैर–मौजूदगी में कोई ग़ैर–मम्नूअ काम किया हो।

ब–ए'तिबारे शोहरत, अदमे–शोहरत हदीष की दो क़िस्में हैं, (1) मुतवातिर (2) आहाद।

मुतवातिर : वो हदीष जिसको इस क़दर लोग बयान करें कि उनका झूठ पर जमा होना महाल हो। उलमा ने उनकी ता'दाद मुख़्तलिफ़ क़रार दी है। 4,5,7,10,11,12,20,40,70,300.

तवातुर की दो क़िस्में हैं, (1) तवातुरे फ़ेअली (2) तवातुरे क़ौली

तवातुरे फ़ेअली : रसूले करीम (ﷺ) ने कोई ऐसा काम किया जिसका ता'ल्लुक़ हर रोज़ या हर वक़्त या कुछ दिनों बाद पै–दर–पै दस्तूरुल अमल से है और तमाम मुसलमान उसको अमल में लाते हैं। जैसे, नमाज़,रोज़ा वग़ैरह से जुड़े मसाइल।

तवातुरे क़ौली : हुज़ूर (ﷺ) का जो इर्शाद तवातुर से षाबित हो उसकी दो क़िस्में हैं, (1) तवातुरे लफ़्ज़ी, (2) तवातुरे मा'नवी

तवातुरे लफ़्ज़ी : यह कि रावियों ने उसके अल्फ़ाज़ को महफ़ूज़ रखा हो।

तवातुरे मा'नवी : यह कि रावियों ने उसके मा'ना और मतलब को महफ़ूज़ रखा हो और अपने अल्फ़ाज़ व इबारत में बयान किया हो।

इन सारी मुतवातिरात की भी दो क़िस्में हैं, (1) तवातुरे सुकूती (2) तवातुरे ग़ैर सुकूती।

तावतुरे सुकूती : यह कि रावी ने रिवायत किया और किसी ने उस पर इन्कार नहीं किया।

तवातुरे ग़ैर सुकूती : यह कि लोगों ने उस पर इष्बात किया और अमल–दरामद करने लगे।

मुतवातिर चूँकि मुफ़ीद इल्मे–यक़ीनी होती है, इसलिये मक़्बूल ही होती है, मर्दूद नहीं होती। ख़बरे मुतवातिर का ता'ल्लुक़ हिस से है। फ़ेअल का ता'ल्लुक़ हिस्से–बासिरा से है और क़ौल का हिस्से–सामिआ से है।

फ़ेअल के मुता'ल्लिक़ रावी बयान करे, **'राइतु रसूलल्लाहि (ﷺ)' या 'फ़अल कज़ा'**

क़ौल के मुता'ल्लिक़ बयान करे, **'समिअतु रसूलल्लाहि (ﷺ)' या 'क़ाल कज़ा'**

आहाद : जो मुतवातिर न हो। वो रिवायात कि उमूमन उनका ता'ल्लुक़ आम ख़लाइक़ से ऐसा नहीं कि हर घड़ी, हर वक़्त या कुछ दिनों बाद पै–दर–पै अमल में आती रही हों बल्कि किल्लतो–नुदरत के साथ उन पर अमल करने की ज़रूरत पेश आई हो।

ख़बरे वाहिद के रावी अगर अच्छे हैं तो मक़्बूल होगी। अगर अच्छे नहीं तो मर्दूद होगी। इमाम नववी (रह.) ने शरह सहीह मुस्लिम में लिखा है कि वो अख़्बारे–आहाद जो सहीहैन के अलावा हैं, उस वक़्त वाजिबुल अमल होंगे जब कि उनकी सनदें सिहत को पहुँच जाएं।

अख़्बारे आहाद की तीन क़िस्में हैं, (1) मशहूर (2) अज़ीज़ (3) ग़रीब.

मशहूर : जिस हदीषे सहीह के रावी हर तबक़े में कम अज़ कम तीन ज़रूर हों या जिसकी रिवायत अहदे सहाबा (रज़ि.) व ताबेईन में कम हुई हो और बाद को कुछ ज़्यादा हुई हो। इसमें यह ज़रूरी नहीं कि रिवायत का सिलसिला इब्तिदा से इन्तिहा (शुरू से आख़िर) तक यक्सां (एक समान) हो।

अगर मशहूर के रुवात का सिलसिला इब्तिदा से इन्तिहा तक यक्सां है तो उसको मुस्तफ़ीज़ कहेंगे।

अज़ीज़ : वो हदीषे–सहीह जिसके सिलसिल–ए–रिवायत में हमेशा दो ही रावी पाए जाएं। वो कितने ही तुरूक़ से मरवी हो, हर तरीक़ में इन्हीं दो रावियों में से कोई एक रावी पाया जाए।

ग़रीब : वो हदीष जिसके इस्नाद में किसी जगह सिर्फ़ एक ही रावी हो। उसको फ़र्द भी कहते हैं। फ़र्द की दो क़िस्में हैं, (1) फ़र्दे मुतलक़ (2) फ़र्दे नसबी.

फ़र्दे मुतलक : वो है जिसकी सनद में सहाबी से जो रिवायत करता है, वो मुतफ़र्रद है। उसको ग़रीबे–मुतलक़ भी कहते हैं।

फ़र्दे नसबी : वो है जिसमें सहाबी से रिवायत करने वाले के बाद कोई रावी मुतफ़र्रद नहीं।

ग़रीब बि–हाज़ल्लफ़्ज़ : जो हदीष ख़ास मतन के ए'तिबार से ग़रीब हो।

ख़बरे मक़्बूल की पहली तक़्सीम :

सहीह : जिसके रावी मुतदय्यिन, मुतशर्रअ, जय्यिदुल हिफ़्ज़, ज़ाबित, आदिल हों। उसकी सनद लगातार हो। उसमें किसी क़िस्म की इल्लत न हो।

हसन : मिष्ले -सहीह की है, फ़र्क़ बस इतना है कि रावी, सहीह के रावियों से सिफ़्ते ज़ब्त में कम हो।

इन दोनों क़िस्मों की दो क़िस्में हैं, (1) लिज़ातिही (2) लि ग़ैरिही.

सहीह लि ज़ातिही : जिसके रावी आला दर्जे के हों और मुअल्लल व शाज़ न हो।

सहीह लि ग़ैरिही : रावी सहीह लि ज़ातिही से कम दर्जे के हों, अनेक तरीक़ों से हो, इस्नाद मुत्तसिल (मिली हुई) हो, शाज़ न हों।

हसन लि ज़ातिही : जिसके रावी हदीषे सहीह के रावियों से सिफ़ते–ज़ब्त में कम हों, लेकिन बहुत सारे तरीक़ों से हों।

हसन लि ग़ैरिही : जिसके रावी हसन लि ज़ातिही से कम दर्जे के हों। मगर बहुत सारे तरीक़ों से हों।

क़वी : जिसके सब रावी अक़ील और क़विय्युल हाफ़ज़ा और षिक़ा हों।

शाज़ व महफ़ूज़ : अगर षिक़ा रावी ने किसी ऐसे रावी के ख़िलाफ़ रिवायत की जो इससे राजेह है, तो इस हदीष को शाज़ कहेंगे। इसके मुक़ाबिल को महफ़ूज़।

मुनकर व मा'रूफ़ : अगर ज़ईफ़ रावी ने क़वी रावी के ख़िलाफ़ रिवायत की उसकी ह़दीष़ को मुन्कर और मुक़ाबिल वाली को मा'रूफ़ कहते हैं।

मुताबिअ : ह़दीषे़-फ़र्द के जिस रावी के मुता'ल्लिक़ गुमान तफ़र्रुद था। अगर उसका कोई मुवाफ़िक़ मिल गया तो उस मुवाफ़िक़ को मुताबिअ और मुवाफ़िक़त को मुताबअ़त कहते हैं और अगर मुताबअ़ते-नफ़्स मुन्फ़रिद रावी के लिये है तो उसको मुताबअ़ते-ता'म्मा कहते हैं। और अगर उसके शैख़ या ऊपर के रावी के लिये है तो मुताबअ़ते-क़ासिरा कहेंगे।

ख़बरे-मक़्बूल की दूसरी तक़्सीम :

मुहकम : जिस ह़दीष़ से मक़्बूल की कोई ह़दीष़ मुआरिज़ न हो।

मुख़्तलिफ़ुल ह़दीष़ : अगर किसी ख़बरे-मक़्बूल के मुआरिज़ कोई ख़बरे-मक़्बूल है और उन दोनों में ऐतदाल के तरीक़े से तताबुक़ मुमकिन है तो उसको मुख़्तलिफ़ुल ह़दीष़ कहते हैं।

नासिख़ व मन्सूख़ : जिस ख़बरे-मक़्बूल के मुआरिज कोई ख़बरे-मक़्बूल हो और उनमें तताबुक मुमकिन हो तो जो ह़दीष़ मुक़द्दम षाबित होगी वो मन्सूख़ समझी जाएगी और दूसरी नासिख़।

मुतवक़्क़फ़ फ़ीह : जिन दो ह़दीष़ों में तआ़रुज हो और तत्बीक़ मुमकिन न हो और शाने-नुज़ूल के ज़रिये उसको नासिख़ व मन्सूख़ भी क़रार न दिया जा सके तो दोनों पर अ़मल करने में तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा।

तक़्सीमे-ख़बरे-मर्दूद :

ह़दीष़ के मर्दूद होने की दो वजहें होती हैं, (1) यह कि उसकी इस्नाद से एक या कई रावी साकित हों (2) यह कि उसका कोई रावी दयानत व ज़ब्त के लिहाज़ से मजरूह हो।

ब-ए'तिबारे सनद :

सुक़ूते रावी के ए'तिबार से ख़बरे-मर्दूद की चार क़िस्में हैं, (1) मुअ़ल्लक़ (2) मुर्सल (3) मुअ़ज़ल (4) मुन्क़तअ.

मुअ़ल्लक़ : जिस ह़दीष़ के इब्तिदा-ए-सनद से ब-तसर्रुफ़े रावी एक या अनेक रावी साक़ित हों या उसकी सनद ह़ज़फ़ कर दी गई हो। या बयान करने वाला अपने शैख़ को छोड़कर शैख़ुश्शैख़ से रिवायत करे तो यह ह़दीष़ मुअ़ल्लक़ कहलाएगी। अगर रावी मुदल्लिस है तो ह़दीष़ मुदल्लस कहलाएगी।

मुर्सल : रावी से ऊपर का रावी जिस ह़दीष़ का साक़ित हो, इस तरह रिवायत करने को इर्साल कहते हैं। अगर कोई ताबेई अपने ऐसे हम-असर (समकालीन) से इर्साल करता है कि जिससे उसकी मुलाक़ात षाबित नहीं तो उसको मुर्सले-ख़फ़ी कहते हैं।

मुअ़ज़ल : जिस ह़दीष़ की सनद में दो या दो से ज़्यादा रावी लगातार साकित हों।

मुन्क़तअ : जिस ह़दीष़ की सनद से एक या कई रावी मुतफ़र्रिक मक़ामात से साकित हों, ह़दीषे़ मअ़नअ़न जिसमें अ़न अ़ना फ़लां फ़लानुन से रिवायत हो या फ़लां रावी से मरवी है, बयान किया जाए। इसमें इमाम बुख़ारी (रह.) की यह शर्त है कि रावी से मरवी अन्हु की मुलाक़ात षाबित हो। इमाम मुस्लिम (रह.) की शर्त यह है कि दोनों हम-अस्र (समकालीन) हों। बाज़ ने रावी का मरवी अ़न्हु से रिवायत करना काफ़ी समझा है।

बा-लिहाज़े त़अने रावी :

मौज़ूअ : जिसका रावी ह़दीषें बनाने वाला मशहूर हो।

मतरूक : जिसको झूठे रिवायत करने वाले रावी ने रिवायत किया हो।

मुन्कर : जिसका रावी कषरत के साथ ग़लतियाँ करता हो।

मुअ़ल्लल : जिस ह़दीष़ की सनद में ऐसी इल्लतें हों जो सनद की सिह़त में ख़लल-अन्दाज़ होती हों।

मुदरज : इसकी दो क़िस्में हैं, (1) मुदरजुल इस्नाद (2) मुदरजुल मतन.

मुदरजुल इस्नाद : जिसकी सनद में तग़य्युर किया गया हो।

मुदरजुल मतन : मतने ह़दीष़ में सह़ाबी या ताबेई का क़ौल मिला दिया गया हो।

मक़्लूब : जिस ह़दीष़ की सनद में अस्मा मुक़द्दम, मुअख़्ख़र हो गये हों या मतन में अल्फ़ाज़ मुक़द्दम, मुअख़्ख़र हो गये हों।

अल मज़ीदु फ़ी मुत्तसिलिल इस्नाद : जिसकी सनद में कोई रावी ज़्यादा कर दिया गया हो।

मुज़्तरिब : रावी में इस तरह तब्दीली कर दी गई हो कि एक रिवायत को दूसरे पर तर्जीह देना मुमकिन न हो या रावी को सिलसिल–ए–रुवात या इबारत मतने–ह़दीष़ मुसलसल या न रही हो।

मुसह़फ़ व मुहर्रफ़ : अस्मा–ए–रुवात में या अल्फ़ाज़ में बावजूदे बक़ा–ए–सूरत हर्फ़ी तग़य्युर कर दिया गया हो। जैसे, शुरैह को शुरैज कर दिया गया हो तो उसको मुसह़फ़ कहते हैं और अगर अस्मा–ए–रुवात में इस तरह तग़य्युर हुआ कि जिसे ह़फ़्स का जा'फ़र हो गया हो तो उसको मुहर्रफ़ कहते हैं।

रिवायत बिल मा'ना : रावी–ए–ह़दीष़ में इख़्तिसार कर ले या अल्फ़ाज़े ह़दीष़ को महफ़ूज़ न रखा हो बल्कि मतलब याद रखकर अपनी इबारत में बयान किया। बाज़ अइम्मा ने रिवायत बिल मा'ना को जाइज़ नहीं रखा। बाज़ ने यह शर्त की है कि रिवायत बिल मा'ना अस्ह़ाब के सिवा किसी को जाइज़ नहीं। बाज़ ने यह शर्त लगाई है कि अगर रिवायत बिल मा'ना करने वाला फ़क़ीह व फ़हीम है तो उसकी रिवायत ली जाएगी। और उसका इख़्तसार जाइज़ समझा जाएगा। ताबेईन में से इमाम हसन बसरी (रह.), इमाम शोअबा, इमाम इब्राहीम नख़ई, इमाम सुफ़यान ष़ौरी रिवायत बिल मा'ना को लेते थे। अस़ल यह है कि जिन लोगों के दिमाग़ में तफ़क़्क़ुह–फ़िद्दीन (दीन की समझ) होता है उनको अल्फ़ाज़ का याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि उनके दिमाग़ में मतालिब (अर्थों) का इस क़दर हुजूम होता है कि अल्फ़ाज़ के लिये मुश्किल से गुन्जाइश होती है। मुज्तहिदीन की यही कैफ़ियत थी। इमाम सुफ़यान ष़ौरी (रह.) का क़ौल है कि अगर हम एक ह़दीष़ को अपने सुने हुए के मुवाफ़िक़ बयान करना चाहें तो नहीं बयान कर सकते। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़)

इमाम इब्ने सीरीन (रह.) ने बयान किया कि मैंने एक ह़दीष़ को दस शैख़ों से सुना। हर एक ने मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ों में बयान किया मगर उनके मा'ना एक ही थे। (मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़)

फ़क़ीह व फ़हीम का मा'ना या इख़्तिसार (संक्षेप) के साथ रिवायत करना नुक़्सानदेह नहीं, हाँ! अवाम का ज़रूर मौजिबे नुक़्सान है। इसलिये ख़ास–ख़ास मुज्तहिदीन ने रिवायत बिल मा'ना को जाइज़ रखा। बाक़ी मुह़द्दिष़ीन अक्ष़र रिवायत बिल लफ़्ज़ ही के पाबन्द थे और उनको याद रहता था और वो याद रखते थे। अल्फ़ाज़े–रसूलुल्लाह (ﷺ) का बयान ह़दीष़े–क़ौली ही में हो सकता है। फ़ेअ़ली व तक़रीरी का बयान तो बिल मा'ना ही होगा।

मुबहम : जिसके रावी का नाम ज़िक्र न किया गया हो या इस तरह ज़िक्र किया गया हो कि सह़ीह़ ख़याल क़ायम न हो सके।

मस्तूर : जिसको ऐसे रावी ने रिवायत किया हो कि जिसका हाफ़ज़ा बदल गया हो और यह तह़क़ीक़ न हो सके कि ये रिवायत उसके किस ज़माने की है। क़ब्ल अज़ आरिज़ा या बाद अज़ आरिज़ा।

शाज़ : जिसका रावी हमेशा बदहाफ़िज़ा रहा।

मुख़्तलत : जिसके रावी को किसी वजह से सह्व और निस्यान (भूल) का आरिज़ा लाह़िक़ हो गया हो। ऐसे रावी की रिवायत जो क़ब्ल अज़ आरिज़ा होगी वो ली जाएगी, जो आरिज़ा के बाद होगी वो क़ुबूल न की जाएगी।

ज़ईफ़ : जिसके रावियों में कोई रावी कम फ़हम, बद ह़ाफ़िज़ा वग़ैरह हो।

तक़्सीमे ख़बर इस्नाद के लिहाज़ से :

मर्फ़ूअ़ : जिस ह़दीष़ की सनद रसूलुल्लाह (ﷺ) पर मुन्तही (पहुँच रही) हो और सब रावी ष़िक़ा हों।

मौक़ूफ़ : जिसमें रावी सहाबी के क़ौल, फ़ेअ़ल व तक़रीर को बयान करे।

मक़्तूअ़ : जिसमें रावी, ताबेई के क़ौल व फ़ेअ़ल या तक़रीर को बयान करे।

मौक़ूफ़ व मक़्तूअ़ को अषर भी कहते हैं।

मुस्नद : मर्फ़ूअ़ सहाबी जो ऐसी इस्नाद से षाबित हो कि ज़ाहिरी तौर पर मुत्तसिल है।

जिसके सिलसिल–ए–रवात में एक रावी भी बीच में साक़ित न हुआ हो।

नोट : बाज़ हदीषों के साथ **हसन ग़रीब और हसन सहीह** वग़ैरह लिखा है। इससे मुराद यह है कि यह हदीष दोनों तरीक़ों से रिवायत की गई है। **मुत्तफ़क़ुन अ़लैह** वो हदीष है जिस पर इमाम बुख़ारी (रह.) व इमाम मुस्लिम (रह.) दोनों का इत्तिफ़ाक़ हो। कुल मुत्तफ़क़ अ़लैह अहादीष 2326 हैं।

हदीषे क़ुद्सी : वो हदीष है जिसमें रसूले करीम (ﷺ) ने ख़ुदावन्दे ज़ुलजलाल की तरफ़ से बयान किया हो। या'नी फ़र्माया हो कि अल्लाह तआ़ला यूँ फ़र्माता है। (इक्तिबास अज़ किताबे हसनात अल अख़बार, तारीख़ुल हदीष क़ाज़ी अ़ब्दुस्समद सारिम सियूहारवी)

हदीष : पर फ़न्नी नुक़्त–ए–नज़र से तब्सरा आप मुतालआ़ फ़र्मा रहे हैं। यहाँ तक हदीष के मुता'ल्लिक़ कुछ इस्तिलाहात आपने मुलाहज़ा फ़र्माई हैं, जिनकी तफ़्सीलात के लिये मुस्तक़िल दफ़्तरों की ज़रूरत है। यहाँ ईजाज़ व इख़्तिसार मद्देनज़र है। अब फ़न्ने–हदीष के मुता'ल्लिक़ एक बुनियादी चीज़ पर आपको तवज्जुह दिलाई जाएगी। वो बुनियादी चीज़ इस्नाद है। मुहद्दिषीने किराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह कहा है कि **'अल इस्नादु मिनद्दीनि व लौ ललइस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ'** या'नी इस्नाद दीन से है। अगर इस्नाद न होती तो जो शख़्स जो चाहता कह देता। इस्नाद से मुराद वो सनद है जो मुहद्दिषीने किराम अपने उस्तादों से नक़ल करते हुए हदीष को रसूले करीम (ﷺ) तक पहुँचा देते हैं। इस्नाद की जाँच के लिये इल्मे–अस्माउर्रिजाल वजूद में आया। जिसके मुता'ल्लिक़ एक ग़ैर–मुस्लिम फ़लसफ़ी डॉक्टर स्प्रिंगर लिखते हैं, 'न कोई क़ौम दुनिया में ऐसी गुज़री, न आज मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह अस्माउर्रिजाल का अ़ज़ीमुश्शान फ़न ईजाद किया हो जिसकी बदौलत आज पाँच लाख शख़्सों का हाल मा'लूम हो सकता है।' इस्नाद की अहमियत पर अ़ल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हज़्म (रह.) ने बहुत कुछ लिखा है जिसका बेहतरीन ख़ुलासा उस्तादुल हदीष हज़रत मौलाना बद्रे आ़लम मेरठी मरहूम ने अपनी क़ाबिले–क़द्र किताब **'तर्जमानुस्सुन्नह'** में पेश फ़र्माया है। चुनाञ्चे हज़रत मेरठी मरहूम अ़ल्लामा इब्ने हज़्म के इन मबाहिष को इस तरह नक़ल फ़र्माते हैं।

सनद सिर्फ़ इस्लाम की ख़ासियत है :

हाफ़िज़ इब्ने हज़्म (रह.) तहरीर फ़र्माते हैं कि पहले की उम्मतों में किसी को यह तौफ़ीक़ मयस्सर नहीं हुई कि अपने रसूल के कलिमात सहीह-सहीह षुबूत के साथ महफ़ूज़ (सुरक्षित) कर सकें। ये सिर्फ़ इस उम्मत का तुर्रए-इम्तियाज़ है कि उसको अपने रसूल (ﷺ) के एक-एक कलिमे की सिहत और इत्तिसाल के साथ जमा करने की तौफ़ीक़ बख़्श दी गई है। आज इस ज़मीन पर कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो अपने पेशवा के कलिमे की सनद को सहीह तरीक़ पर पेश कर सके। इसके बरख़िलाफ़ इस्लाम है जो अपने रसूल (ﷺ) की सीरत का एक-एक गोशा पूरी सिहतो-इत्तिसाल के साथ पेश कर सकता है।

दीन के षुबूत की छह सूरतें :

हमारे दीन की मो'तबर और ग़ैर–मोत'बर तौर पर मन्क़ूल होने की कुल छह सूरतें हैं,

(01). पहली सूरत में पूरब से लेकर पश्चिम तक मुस्लिम व काफ़िर सब शरीक हैं। यहाँ मुन्सिफ़ो–मुआनिद की भी कोई तफ़्सील नहीं है। जैसा क़ुर्आने करीम तमाम आ़लम इसका गवाह है कि जो क़ुर्आन हमारे हाथों में मौजूद है, यह वही क़ुर्आन है जो आप (ﷺ) पर नाज़िल हुआ था। इसी तरह पंज वक़्ता नमाज़, रमज़ान के रोज़े, ज़कात, हज्ज और इसी क़िस्म के वो अहकाम जो क़ुर्आने करीम में मन्क़ूल हैं। सब तवातुर (निरन्तरता) के साथ षाबित हैं। यहूदो–नसारा के मज़हब में एक बात भी ऐसी नहीं है जिसके मुता'ल्लिक़ वो इतना अ़ज़ीमुश्शान तवातुर पेश कर सकें। उनकी शरीअ़त का तमाम दारोमदार तौरात पर है जिसके ख़ुद षुबूत ही में सौ तरह के शुब्हात हैं। यहूद को इसका ए'तिराफ़ है कि हज़रत मूसा (अ़लैहिमिस्सलाम) के बाद आ़म इर्तिदाद फैल गया था। लम्बे ज़माने तक बुतपरस्ती की जाती थी। अंबिया (अ़लैहिमिस्सलाम) को तकलीफ़ें दी जाती थीं। हत्ताकि बाज़ को क़त्ल कर दिया जाता था

शरो–फ़साद के इस दौर में भला तौरात की हिफ़ाज़त का क्या ख़याल किया जा सकता है। उसका तवातुर तो दरकिनार है।

नसारा का हाल यह है कि उनके कुल मज़हब की बुनियाद पाँच लोगों पर है। जिनका झूठ ख़ुद उनके बयानात से षाबित है। क़ुर्आने करीम के तवातुर से भला उसका क्या मुक़ाबला किया जा सकता है?

(02). दूसरा तरीक़ा भी मुतवातिर है। मगर उसका दायरा पहले से किसी क़दर तंग है। या'नी पहली सूरत में अहले इल्म व बे–इल्म मुस्लिम और काफ़िर सब उसमें शरीक होते हैं। यहाँ सिर्फ़ एक महदूद दायरे को उसका इल्म होता है। अगरचे इसका इहाता भी हज़ारों की ता'दाद से मुतजाविज़ होता है जैसा कि आप (ﷺ) के मुअजिज़ात, मनासिके–हज्ज और ज़कात के बाज़ अहकाम, अहले ख़ैबर से आप (ﷺ) का मुआहदा वग़ैरह–वग़ैरह यहूदो–नसारा के पास इस जिन्स का षुबूत भी नदारद है।

(03). तीसरी सूरत यह है कि उसके नक़ल करने वाले अगरचे हद्दे–तवातुर को न पहुँचे मगर भरोसेमन्द लोग हों। फिर वो उसी क़िस्म के दूसरे चन्द लोगों या एक शख़्स से नक़ल करें और इसी तरह ये नक़ल तबक़ा–ब–तबक़ा आँहज़रत (ﷺ) तक मुत्तसिल हो जाए। यहूदो–नसारा के यहाँ इस क़िस्म की भी कोई सनद नहीं है। यह इम्तियाज़ सिर्फ़ उम्मते–मुहम्मदिया (ﷺ) का है कि उसने अपने रसूल (ﷺ) का एक–एक कलिमा हर मुमकिन से मुमकिन तरीक़ से महफ़ूज़ कर लिया है। और इस ख़िदमत के लिये पूरब व पश्चिम में इतने नुफ़ूस मारे–मारे फिरे हैं कि उनकी सही ता'दाद अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी को मा'लूम नहीं। नतीजा यह है कि आज किसी फ़ासिक़ की यह मजाल नहीं रही कि वो दीन का एक शोशा भी अपनी जगह से हटा सके। इसके बरख़िलाफ़ यहूदो नसारा अपने दीन के किसी एक मसले के मुत्ता'ल्लिक भी उसूक के साथ ये षाबित नहीं कर सकते कि ये उनके दीन का जुज़ है।

(04). चौथी सूरत मुर्सल है या'नी रसूल (ﷺ) और नक़ल करने वाले के बीच का वास्ता मज़्कूर न हो। कोई ताबेई बराहे–रास्त आप (ﷺ) का क़ौलो–फ़ेअल नक़ल करे यहूदो–नसारा के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीन की कोई सनद है तो क़िस्म की है। फिर इस तरीक़े में भी ज़मान–ए–नुबुव्वत से जो कुर्ब हमें हासिल है, उन्हें हासिल नहीं। इस पर उनके लिये अन्दरूनी और बाहरी हालात के नामुवाफ़क़त मज़ीद बरां है। इसलिये जितने तरद्दुद और शुब्हात के इम्कानात वहाँ पैदा हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। हमारे इल्म में यहूदो–नसारा के पास सिर्फ़ एक ही मसला ऐसा है जिसको उनके किसी आ़लिम ने बनी इस्राईल के किसी आख़री नबी से बराहे–रास्त सुना है। इसके अलावा उनके तमाम दीन के षुबूत की दरम्यानी कड़ी ग़ायब है। हम इन तरीक़ों में से अपने तमाम दीन की बुनियाद सिर्फ़ पहले तीन तरीक़ों पर क़ायम करते हैं। मुर्सल के क़ुबूल व रद्द करने के मुता'ल्लिक़ उसूले हदीष में इख़्तिलाफ़ नक़ल किया गया है। हर फ़रीक़ के दलाइल वहाँ मज़्कूर हैं। यहाँ तिवालत (विस्तार) के ख़ौफ़ से उनको नक़ल नहीं किया गया।

सहाबी के क़ौलो–फ़ेअल के मुता'ल्लिक़ भी बड़ी तफ़्सील है। अगर हुक्मन मर्फ़ूअ है तो वो भी क़ाबिले हुज्जत है, इसकी बहष भी उसूले–हदीष की किताबों में देख ली जाए। (अल मिलल वन्नहर जिल्द नं. 3 पेज नं. 66 से 69)

(05). पाँचवीं सूरत यह है कि सनद के बाज़ रावी मजरूह और ग़ैर–षिक़ा भी हों। हमारे नज़दीक ऐसी सनद का ए'तिबार करना हलाल नहीं।

(06). छठी सूरत यह है कि वो आँहज़रत (ﷺ) का क़ौलो–फ़ेअल ही न हो बल्कि मज़्कूरा बाला (उपरोक्त) तरीक़ से किसी सहाबी का क़ौल हो। उसके तस्लीम करने, न करने में भी इख़्तिलाफ़ है हम उसे वाजिबुत्तस्लीम नहीं समझते। (अल मिलल वन्नहल जिल्द 3 पेज नं. 66 से 69)

इब्ने हज़्म (रह.) के इस क़ौल से यह मा'लूम हो गया कि तवातुर के अलावा ख़बरे–वाहिद भी दीन में हुज्जत है। दीन की बुनियाद सिर्फ़ तवातुर पर क़ायम करना उसके बहुत बड़े हिस्से को ज़ाए (नष्ट) कर देने के बराबर है क्योंकि तवातुर के साथ जितना हिस्सा षाबित है वो तमाम दीन के मुक़ाबले में इतना क़लील (थोड़ा) है कि उसको न होने के बराबर कहा जा सकता है। आगे हज़रत उस्ताज़ुल हदीष ने ख़बरे–वाहिद मुता'ल्लिक़ ज़रा तफ़्सील से लिखा है, जिसे हम भी मौलाना मरहूम ही के अल्फ़ाज़ में अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। मौलाना शैख़ुल हदीष लिखते हैं।

ख़बरे वाहिद की हुज्जियत :

उसूले हदीष की इस्तिलाह के लिहाज़ से इज्माली तौर पर हदीष की दो क़िस्में है, (1) मुतवातिर (2) ख़बरे वाहिद. हर उस

ख़बर को जो मुतवातिर न हो, इस्तिलाही तौर पर ख़बरे वाहिद ही कहा जाता है।

लिहाज़ा ख़बरे वाहिद के लफ़्ज़ से उसका जो मफ़्हूम दिमाग़ में पैदा होता है उसी ख़बरे वाहिद का इन्हिसार न समझना चाहिये बल्कि तवातुर का अदद किसी एक तबक़े में भी फ़ौत हो जाए तो उसको ख़बरे वाहिद ही कहा जाता है। ख़्वाह वो ख़बर कितने ही अफ़राद से रिवायत की गई हो। इसका सिर्फ़ यह मफ़्हूम नहीं है कि इसका रिवायत करने वाला हर दौर में सिर्फ़ एक ही शख़्स हो, जो लोग मुतवातिर के सिवा ख़बरे वाहिद को हुज्जत नहीं मानते उनको ज़रा इस बात पर भी ग़ौर करना चाहिये। अगर किसी हदीष़ के रावी सहाबा और ताबेईन के दौर में कष़रत के साथ मौजूद हों। फिर किसी एक दौर में उस्तादों व शागिर्दों की नक़्लो हरकत की किल्लता–कष़रत, माहौल की मवाफ़कत या नामवाफ़क़त किसी क़दर कम हो जाएं तो क्या ऐसी ख़बर को भी रद्द कर देना भी अक़्ली तौर पर मुनासिब है। यही वजह है कि बाज़ मोअतज़िला जो ख़बरे वाहिद के सबसे पहले मुन्किर हैं, उस पर ग़ौर करते करते इस फ़ैसले के लिये मजबूर हो गये हैं कि अगर हर दौर में इसके रावी दो–दो मौजूद हैं तो फिर ऐसी ख़बर को हुज्जत कह दिया जाएगा। इसकी तर्दीद की अब कोई वजह नहीं रहती हालांकि सिर्फ़ दो राविेयों से किसी ख़बर को मुतवातिर नहीं कहा जा सकता। वो ख़बरे वाहिद ही रहती है मगर उसको ऐसी क़ुव्वत ज़रूर हासिल हो जाती है कि उसको मुफ़ीदे यक़ीन कहा जा सकता है। फिर इस पर भी ग़ौर करना चाहिये कि ये तमाम तक़्सीमें इस क़दर महदूद वक़्त के अन्दर–अन्दर हैं कि इसमें ज़ख़ीर–ए–हदीष़ को साक़ितुल एʼतिबार क़रार देना बहुत बड़ी ग़फ़लत है। तदवीने हदीष़ का दौर तीसरी सदी तक ख़त्म हो जाता है। पहली सदी तक आँहज़रत (ﷺ) के देखने वाले सहाबा (रज़ि.) ख़ुद मौजूद हैं और आप (ﷺ) की अहादीष़ का ज़ख़ीरा मुख़्तलिफ़ तौर पर उनके पास मौजूद था। उसके बाद दूसरी सदी शुरू होने न पाई कि तदवीने हदीष़ का आग़ाज़ बाज़ाब्ता हो गया। इतने क़लील (थोड़े से) अर्से में तमाम ज़ख़ीर–ए–अहादीष़ का एक कलिमे–मश्कूक हो जाना बहुत बईद अज़ क़यास (कल्पना से परे) है।

अगर तदवीने अहादीष़ सहाबा व ताबेईन के दौर के बाद शुरू होती तो हदीष़ के षुबूत में शुब्हा करना माʼकूल होता, लेकिन जबकि फ़क़त अहादीष़ का सिलसिला ख़ुद आप (ﷺ) के ज़माने से बराबर मुत्तसिल तौर पर चला आ रहा है तो अब इसमें शक व शुब्हा करने की कोई गुन्जाइश बाक़ी नहीं है। इमाम शाफ़िई (रह.) ने अपने रिसाले में इस पर मुस्तक़िल एक मक़ाला लिखा है और आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने ही के वाक़ियात से ख़बरे वाहिद की हुज्जियत ष़ाबित की है। हम यहाँ इसका मुख़्तसर ख़ुलासा नीचे दर्ज करते हैं।

पहला वाक़िया :

तहवीले क़िब्ला से पहले अहले क़ुबा का क़िब्ला भी बैतुल मक़दिस था। लेकिन जब आँहज़रत (ﷺ) का क़ासिद सुबह की नमाज़ में तहवीले क़िब्ला की ख़बर लेकर उनके पास पहुँचा तो सबने नमाज़ के अन्दर ही अपना रुख़ बैतुल्लाह की तरफ़ बदल लिया। इससे साफ़ ये नतीजा निकलता है कि इनके नज़दीक दीनी मसाइल में ख़बरे वाहिद हुज्जत थी और अगर बिल फ़र्ज़ इनका यह इक़्दाम ग़लत होता तो यक़ीनन आँहज़रत (ﷺ) उनको तम्बीह फ़र्माते कि जब तुम एक क़तई क़िब्ला पर क़ायम थे तो तुमने सिर्फ़ एक शख़्स के क़ौल पर एक फ़र्ज़े–क़तई को कैसे छोड़ दिया। बराहे रास्त मेरी हिदायत या ख़बरे मुतवातिर का इंतज़ार क्यों न किया? मगर यहाँ एʼतिराज़ करना तो दरकिनार अपने जानिब से फ़र्दे वाहिद का भेजना इस बात की खुली हुई दलील है कि ख़ुद साहिबे नुबुव्वत के नज़दीक भी दीन के बारे में एक षिका और सादिक़ शख़्स का क़ौल काफ़ी है।

दूसरा वाक़िया :

यह है कि हज़रत अनस (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि मैं अबू उबैदा, अबू तलहा, उबई इब्ने कअब (रज़ि.) को शराब पिला रहा था कि एक शख़्स आया और उसने ख़बर दी कि शराब हराम हो गई है। ये सुनकर फ़ौरन अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, अनस! उठो और शराब के मटके तोड़ डालो। मैं उठा और शराब के बर्तन तोड़ दिये।

ज़ाहिर है कि शराब पहले शरअन हलाल ही थी लेकिन यहाँ सिर्फ़ एक शख़्स के बयान पर उसकी हुर्मत का यक़ीन कर लिया गया और शराब के बर्तन तोड़ डाले गये। हाज़िरीन में से किसी ने इतनी देरी भी नहीं की कि आँहज़रत (ﷺ) से रूबरू जाकर पूछ आता। न किसी ने ये एʼतिराज़ किया कि तहक़ीक़ के पहले माल को ज़ाए (बर्बाद) और इस्राफ़े–बेजा (फ़िज़ूलख़र्च) क्यों किया गया?

तीसरा वाक़िया :

ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) का फ़र्मान है कि आप (ﷺ) ने ज़िना के एक मुक़द्दमे में ज़ानी के इक़रार पर उसको कोड़े लगाने का हुक्म दिया और जिस औरत के मुता'ल्लिक उस शख़्स ने ज़िना का इक़रार किया था उसके पास अनीस (रज़ि.) को भेजा और फ़र्माया कि उससे पूछो, अगर वो भी इक़रार करे तो उसको रज्म कर दो, वर्ना उस शख़्स को हद्दे–कज़फ़ (झूठ की सज़ा) लगाओ क्योंकि उसने बिला शरई सुबूत के एक औरत पर ज़िना की तोहमत कैसे लगाई? अनीस पहुँचे, उस औरत ने ज़िना का इक़रार किया और वो भी रजम कर दी गई।

चौथा वाक़िया :

अम्र बिन सुलैम ज़र्क़ी (रज़ि.) अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि हम मिना में मुक़ीम थे क्या देखते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ऊँट पर सवार होकर चीख़–चीख़कर ये कहते चले आ रहे हैं कि ये खाने–पीने के दिन हैं, कोई शख़्स इनमें रोज़ा न रखे।

पाँचवां वाक़िया :

यज़ीद बिन शैबान कहते हैं कि हम मक़ामे अरफ़ात में थे, इत्तिफ़ाक़न हमारा मक़ाम आँहज़रत (ﷺ) की क़यामगाह से दूर था, इसी दर्मियान में हमारे पास आँहज़रत (ﷺ) का क़ासिद ये पयाम लेकर पहुँचा कि हम जहाँ ठहरे हुए हैं, उसी जगह पर रहें वहाँ से मुन्तक़िल होने की ज़रूरत नहीं। मैदाने अरफ़ात में जहाँ भी क़याम हो जाए, फ़रीज़–ए–उक़ूफ़ हो जाता है।

छठा वाक़िया :

हिजरत के नौवें साल आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) को हज्ज का अमीर बनाकर भेजा ताकि फ़रीज–ए–हज्ज को अन्जाम दें और उनके बाद हज़रत अली (रज़ि.) को रवाना किया कि वो कुफ़्फ़ार को सूरह बराअत की आयात सुनाकर होशियार कर दें कि उन्होंने ख़ुद वा'दाख़िलाफ़ी की है अब अल्लाह का भी उनसे मुआहदा बाक़ी नहीं रहा।

इन तमाम अहादीष में आँहज़रत (ﷺ) का एक–एक शख़्स को अपनी जानिब से भेजना, बावजूद यह कि आप (ﷺ) का ख़ुद तशरीफ़ ले जाना भी मुमकिन था, इस बात की क़तई दलील है कि दीन में एक दीन में एक षिक़ा और सादिक़ शख़्स की ख़बर हुज्जत मानी गई है।

ख़बरे वाहिद की हुज्जियत का एक और षुबूत :

इसके सिवा आप (ﷺ) ने आमिल और क़ासिद जहाँ–जहाँ भी भेजे हैं, उनमें अदद का लिहाज कहीं नहीं किया। क़ैस बिन आसिम, ज़बरक़ान बिन बदर और इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) को अपने–अपने क़बीलों की तरफ़ रवाना किया। वफ़्दे बहरैन के साथ इब्ने सईद बिन आस को भेजा और मआज़ बिन जबल को यमन के मुक़ाबिल भेजा और जंग के बाद उनको शरीअत की ता'लीम देने का हुक्म दिया। लेकिन कहीं मन्क़ूल नहीं कि आप (ﷺ) के आमिलीन के साथ किसी ने यह मुनाक़शा किया हो कि चूँकि यह एक ही फ़र्द है इसलिये इसको सदक़ात व उश्र नहीं दिये जाएंगे।

ख़बरे वाहिद की हुज्जियत का तीसरा षुबूत :

इसी तरह आप (ﷺ) ने दा'वते–इस्लाम के लिये मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) शहरों में 12 क़ासिद रवाना फ़र्माए और सिर्फ़ इस बात की रिआयत की कि हर सिम्त (दिशा) में ऐसा शख़्स भेजा जाए जो उस इलाक़े में इतना मुतआरफ़ (परिचित/मशहूर) हो ताकि लोग उसके झूठा होने का अंदेशा न करें और उनको इसका इत्मीनान हो जाए कि वो आँहज़रत (ﷺ) का क़ासिद है। उसके अलावा आप (ﷺ) के आमिलों और क़ाज़ियों के पास जब भी आप (ﷺ) के ख़ुतूत पहुँचे तो हमेशा उन्होंने फ़ौरन उनको नाफ़िज़ (लागू) किया और ख़्वाह–म–ख़्वाह के शुब्हात को कोई राह न दी। फिर आप (ﷺ) के बाद भी आप (ﷺ) के ख़ुलफ़ा व उम्माल का यही दस्तूर रहा, यहाँ तक कि मुसलमानों में एक ही ख़लीफ़ा, एक ही इमाम, एक ही क़ाज़ी, एक ही अमीर होता। एक मुसल्लमा मसला था, जिसमें कोई इख़्तिलाफ़ न था।

इमाम शाफ़िई (रह.) फ़र्माते हैं कि ख़बरे वाहिद की हुज्जियत के लिये चन्द अहादीष़ नमूना के तौर पर काफ़ी है। ये वो अक़ीदा है जिस पर हमने उन लोगों को पाया है। जिनको कि हमने देखा और यही अक़ीदा उन्होंने अपने पहले वालों का हमसे बयान किया।

ख़बरे वाहिद की हुज्जियत का चौथा षुबूत :

हमने मदीना में हमेशा यही देखा है कि आँहज़रत (ﷺ) के सहाबी अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) एक हदीष़ नक़ल करते हैं और उससे दीन की एक सुन्नत षाबित हो जाती है। अबू हुरैरह (रज़ि.) एक रिवायत करते हैं, उससे भी एक सुन्नत षाबित हो जाती है। इसी तरह एक–एक सहाबी के बयान पर दीन की और सुन्नतें षाबित होती चली जाती थीं। ख़बरे वाहिद और मुतवातिर होने का सवाल वहाँ नहीं किया जाता था। आख़िर में इमाम शाफ़िई (रह.) लिखते हैं कि मैंने मदीना व मक्का, यमन व शाम और कूफ़ा के ऊपर लिखे हज़रात को देखा कि वो आँहज़रत (ﷺ) के एक सहाबी से रिवायत करते थे और सिर्फ़ इस एक सहाबी की हदीष़ से एक सुन्नत षाबित हो जाती थी। अहले मदीना के चन्द नाम यह हैं;

मुहम्मद बिन जुबैर, नाफ़ेअ बिन जुबैर, यज़ीद बिन तल्हा, मुहम्मद बिन तल्हा, नाफ़ेअ बिन उजैर, अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान, हमीद बिन अ़ब्दुर्रहमान, ख़ारिजा बिन ज़ैद, अ़ब्दुर्रहमान बिन कअब, अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा, सुलैमान बिन यसार, अ़ता बिन यसार वग़ैरह। और अहले मक्का के चन्द नाम हस्बे–ज़ैल (निम्नलिखित) हैं; अ़ता, ताऊस, मुजाहिद, इब्ने अबी मुलैका, इकरमा बिन ख़ालिद, उबैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद, अ़ब्दुल्लाह बिन बाबाह, इब्ने अबी अम्मार, मुहम्मद बिन मुन्कदिर वग़ैरह। और इसी तरह यमन में वहब बिन मुम्बह, और शाम में मक्हूल, और बसरा में अ़ब्दुर्रहमान बिन ग़नम, हसन और मुहम्मद बिन सीरीन, कूफ़ा में अस्वद, अलक़मा, शाबी।

ग़र्ज़ यह कि तमाम इस्लामी शहर इसी अक़ीदे पर थे कि ख़बरे वाहिद हुज्जत है। अगर बिल फ़र्ज़ किसी ख़ास मस'ले के मुत'ल्लिक किसी के लिये यह कहना जाइज़ होता कि इस पर मुसलमानों का हमेशा इज्माअ रहा है, तो ख़बरे वाहिद की हुज्जियत के मुत'ल्लिक़ भी यह लफ़्ज़ कह देता मगर एहतियात के ख़िलाफ़ समझकर इतना फिर भी कहता हूँ कि मेरे इल्म में फ़ुक़हा–ए–मुस्लिमीन में किसी का इसमें इख़्तेलाफ़ नहीं है।

ख़बरे वाहिद पर अ़मल न करने की चन्द सूरतें :

हाँ! ये मुमकिन है कि अगर किसी के पास ख़बरे वाहिद पहुँची हो तो उसने उस पर इसलिये अ़मल न किया हो कि उसके नज़दीक़ वो ख़बर सिहत की हद को न पहुँची हो। या वो हदीष़ दो मा'नों पर मुहतमिल हो और उसने दूसरे मा'ने पर अ़मल कर लिया हो। या उसके मुआरिज़ इससे ज़्यादा सहीह हदीष़ उसके पास मौजूद हो। ग़र्ज़ जब तक तर्जीह की वजह या छोड़ने के अस्बाब में से कोई सबब उसके पास मौजूद न हो, हर्गिज़ किसी के लिये ख़बरे वाहिद का तर्क करना जाइज़ नहीं।

ख़बरे वाहिद के मरतबे (दर्जे) :

इसी के साथ वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि एक वो हदीष़ जिस पर सबका इत्तिफ़ाक़ हो और एक वो जो किसी ख़ास मस'ले के बारे में सिर्फ़ एक रावी से रिवायत की गई हो, उसमें मुख़्तलिफ़ तावीलों की गुन्जाइश न हो; दोनों बराबर नहीं हो सकतीं। पहली हदीष़ का तस्लीम (स्वीकार) करना बिला शुब्हा क़त्ई है अगर उसका कोई इन्कारी हो तो उससे तौबा कराई जाए। लेकिन दूसरी क़िस्म की हदीष़ इस दर्जा क़वी नहीं, अगर इस हदीष़ में कोई शक करे तो उससे तौबा का मुतालबा नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर अ़मल करना वाजिब होगा जब तक कि अस्बाबे–तर्क में से कोई सबब न पाया जाए। जैसा कि शाहिदों (गवाहों) के बयान पर फ़ैसला कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ भी ग़लती और शुकूक (सन्देहों) का एहतिमाल बाक़ी रहता है लेकिन फिर भी जब तक तहक़ीक़ न हो ज़ाहिर हाल पर अ़मल किया जाता है।

अहादीषे सहीहैन मुफ़ीदे यक़ीन हैं :

हाफ़िज़ इब्ने हज़्म (रह.) से पूछा गया कि आपके नज़दीक हदीष़ के लिये कितने रावियों की ज़रूरत है जिसके बाद हदीष़ ज़ाहिरन इल्म को मुफ़ीद हो जाती है? उसके जवाब में हाफ़िज़ इब्ने हज़्म (रह.) लिखते हैं कि उसके लिये कोई ख़ास अदद (गिनती) मुक़र्रर

नहीं किया जा सकता। अगर दो शख़्स भी कोई ख़बर दें जिनके बारे में हमें यह यक़ीन हो कि इससे पहले न वो कभी एक–दूसरे से मिले हैं और न इस ख़बर में उनके लालच या ख़ौफ़ का कोई मज़्मून है। फिर एक–दूसरे की लाइल्मी में इस तवील ख़बर को हमारे सामने बयान करें वो अज़ ख़ुद नहीं बल्कि एक–एक जमाअत के वास्ते से तो हमें उनके सिद्क़ का ज़ाहिरी तौर पर यक़ीन हासिल हो जाता है। हर वो शख़्स जो दुनिया के मामलात में गुज़रता है हमारे इस बयान की शहादत दे सकता है। किसी की मौत, विलादत, निकाह, अज़्ल, विलायत और इस क़िस्म के तमाम वाक़ियात का ज़ाहिरी इल्म इन तरीक़ों से हासिल होता है। यहाँ वही शख़्स शक व शुब्हा पैदा कर सकता है जो अपने उन दुनियवी मामलात की तरफ़ ग़ौर न करे और रोज़मर्रा के इन वाक़ियात से नज़र चुरा ले।

अगर आप किसी आदमी से एक झूठा अफ़साना (कहानी) तैयार करने के लिये कहें, तो वो यक़ीनन एक लम्बी कहानी गढ़ सकता है लेकिन अगर दो मकानों में दो शख़्सों को अलग–अलग बन्द कर दें तो यह हर्गिज़ नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसी हिकायत अपनी जानिब से तैयार कर लें जिनमें दोनों शुरू से आख़िर तक मुत्तहिद हों। हाँ! शाज़ो–नादिर कभी वाक़िया हो गया है कि दो शाइरों के ख़यालात एक–आध मिसरे में इतने मुताबिक़ हो गये हैं कि उनमें लफ़्ज़ी इत्तिहाद भी पैदा हो गया है। मगर हमें अब तक अपनी उम्र में एक वाक़िया भी ऐसा देखने का इत्तेफ़ाक़ नहीं हुआ जिसमें दो शाइरों का किसी एक शे'र में भी पूरा–पूरा इत्तिफ़ाक़ हो गया हो। अगरचे लोगों ने इस बारे में ऐसे कलाम की एक फ़हरिस्त पेश की है मगर हमारे नज़दीक वो अक्सर इल्मी बयानात हैं। जिनमें अपने ऐब छुपाने के लिये इत्तिहाद के दा'वे कर दिये हैं। पस कभी ख़बरे वाहिद में भी ऐसे क़यास करने वाले जमा हो जाते हैं कि वो भी ज़ाहिरी तौर पर यक़ीन को मुफ़ीद हो जाती है और कभी एक जमाअत की ख़बर भी यक़ीन का फ़ायदा नहीं देती। मषलन; अगर किसी ख़बर से किसी शहर के बाशिन्दों का नफ़ा–नुक़्सान जुड़ा हुआ हो तो अक़्ल के नज़दीक पूरे शहर का झूठ पर मुत्तफ़िक़ (सहमत) हो जाना भी मुमकिन नहीं है। बहरहाल ख़बर के मुफ़ीदे यक़ीन होने का कोई एक ज़ाब्ता नहीं यह हालात और ज़माने के ताबेअ (अधीन) है।

ख़बरे वाहिद के मुफ़ीद यक़ीन होने पर क़ुर्आन से एक इस्तिदलाल :

इसके बाद इब्ने हज़्म (रह.) लिखते हैं कि एक क़िस्म की हदीष वो है कि जिसकी ख़बर देने वाला एक ही शख़्स है फिर जिससे वो नक़ल करता है वो भी एक ही शख़्स है, इसी तरह एक ही एक (One by one), रावी के हवाले से यह ख़बर आँहज़रत (ﷺ) तक मुत्तसिल हो जाती है। अगर ये वास्ते हस्बे ज़ाब्ता सच्चे और आदिल लोग हैं तो उस पर अमल करना भी वाजिब है। हारिष बिन असद मुहासबी, हुसैन बिन अली अल्करावेसी का यही मज़हब था। अबू सुलैमान का भी मुख़्तार क़ौल यही था और इब्ने ख़ुवैज़ मिन्दा ने यही इमाम मालिक (रह.) से भी नक़ल किया है। क़ुर्आने करीम भी इसकी सिहत का शाहिद है, '**फ़लौला नफ़–र मिन कुल्लि फ़िर्क़तिम मिन्हुम ता–इफ़तुल लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीनि व लियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअ़ल्लहुम यहज़रून.**' ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हर जमाअत में से एक ताइफ़ा दीन की ता'लीम के लिये निकल खड़ा होता ताकि जब वो लौटकर अपनी क़ौम के पास आता तो उनको डराता। शायद वो भी बुरी बातों से बचने लगते। (सूरह तौबा : 122)

लुग़त में ताइफ़ा किसी चीज़ के एक हिस्से को कहते हैं इसलिये इसका इतलाक़ एक शख़्स से लेकर जमाअत तक किया जा सकता है। लिहाज़ा ऊपर लिखी आयत की रोशनी में हर जमाअत का फ़र्ज़ है कि जब एक शख़्स या कोई जमाअत उनको दीन की बातें पहुँचाए तो वो दीन को क़ुबूल करें और मानें। (तौजीहुन् नज़र : पेज नं. 40-44)

हाफ़िज़ इब्ने तैमिया (रह.) ने इस पर मुस्तक़िल दो मक़ाले (आर्टिकल) लिखे हैं। इनका ख़ुलासा यह है कि जब एक वाक़िया, एक शख़्स की ज़बानी हमारे सामने मन्क़ूल होता है, फिर मुख़्तलिफ़ गोशों से, मुख़्तलिफ़ तौर पर उसकी मुख़्तलिफ़ शहादतें हमें मिल जाती हैं तो अगरचे हर एक शहादत अपनी जगह ख़बरे वाहिद होती है। लेकिन ख़बरों के मजमूआ (संग्रह) से हमें यह यक़ीन हासिल हो जाता है कि यह वाक़िया यक़ीनन सहीह है। अक़्ल ये हर्गिज़ बावर (स्वीकार) नहीं कर सकती कि मुख़्तलिफ़ लोग एक दूसरे की लाइल्मी में कोई एक वाक़िया नक़ल करें और फिर वो शुरू से आख़िर तक किसी एक बयान पर मुत्तफ़िक़ (सहमत) हो जाएं। मषलन् : आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत जाबिर (रज़ि.) का एक वाक़िया सहीहैन में मौजूद है कि एक सफ़र में आप (ﷺ) ने जाबिर (रज़ि.) से ऊँट ख़रीदा, हालांकि ऊँट की क़ीमत बयान करने में रावियों का इख़्तिलाफ़ है, लेकिन अनेक तरीक़ों से ये षाबित है कि आप (ﷺ) ने जाबिर (रज़ि.) से ऊँट ख़रीदा था। पस जब मुख़्तलिफ़ लोगों ने हमारे सामने इस एक वाक़िये को बयान किया

है, हालांकि हमारे पास इसका भी कोई क़रीना (कसौटी) नहीं है कि उन लोगों ने इससे पहले कहीं बैठकर इस ख़बर को बनाने में कोई मश्वरा किया था या इस ख़बर के बयान करने से उनकी कोई ख़ास ग़रज़ जुड़ी हुई है तो इस वाक़िये पर यक़ीन करने में हमें कोई तअम्मुल नहीं रहता। अगर इसके बाद भी हम इस वाक़िये में महज़ अक्ली तौर पर शक व तरद्दुद करें तो उसका नाम 'तहक़ीक़े वाक़िया (वाक़िये की खोज बीन)' नहीं बल्कि वहम-परस्ती है। अल्लामा जज़ाइरी ने ज़िम्नी तौर पर (या'नी इस सन्दर्भ में) यहाँ एक और बात नक़ल की है। बहुत से नावाक़िफ़ लोगों को मुहद्दिषीन पर यह ए'तिराज़ है कि उन्होंने हदीष की किताबों में ज़ईफ़ हदीषें क्यों जमा कर दी हैं? उसके जवाब में वो लिखते हैं कि मुहद्दिषीन; मजहूल व कमज़ोर हाफ़िज़ा (याददाश्त) वाले लोगों की अहादीष सिर्फ़ इसलिये जमा करते थे कि ये अहादीष कम-अज़-कम एक मज़्मून की तक़वियत और ताईद (मज़बूती और समर्थन) में कारआमद हो सकती है। **'क़ाल अहमदु क़द अक्तुबु हदीषर्रजुलि लिअ तबिरहू'** इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं, मैं कभी एक शख़्स की हदीष इसलिये भी लिखता हूँ कि उसको मुताबअत और शवाहिद (गवाह) के तौर पर काम में ला सकूँ। (तौजीह पेज नं. 134)

ख़बरे वाहिद के मुफ़ीद यक़ीन होने पर क़ुर्आन से दूसरा इस्तदलाल :

'या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन् जा-अकुम फ़ासिक़ुम्बि-नबइन फ़-त-बय्यनु अन तुसी-बु क़ौमम्बिजहालतिन् फ़ तुस्बिहु अला मा फ़अल्तुम नादिमीन.' ऐ ईमानवालो! जब कोई फ़ासिक़ शख़्स तुम्हारे पास ख़बर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम बिना तहक़ीक़ किसी क़ौम पर हमलावर हो जाओ, बाद में तुम्हें अपनी करनी पर नादिम (शर्मिन्दा) होना पड़े। (अल हुजुरात : 6)

इस आयत से यह मा'लूम होता है कि क़ुर्आने करीम ने ख़बरे वाहिद को क़ुबूल किया है, अगर एक शख़्स की ख़बर क़ाबिले-क़ुबूल (स्वीकार करने योग्य) न होती तो वो उसको तहक़ीक़ की बजाय रद्द करने का हुक्म करता। अल्लाह तआला ने अपनी ओर से ख़बरें पहुँचाने के लिये भी जो ज़रिया इख़्तियार फ़र्माया है वो भी ख़बरे वाहिद ही है। या'नी अल्लाह का रसूल एक ही होता है। अगर दीन में उसूली लिहाज से एक शख़्स की ख़बर क़ाबिले क़ुबूल न होती तो ख़ुद रसूल (ﷺ) तन्हा अपनी ख़बर पर दूसरों पर ईमान लाने का हुक्म कैसे दे सकते थे? क़ुर्आने करीम ने जहाँ भी ज़ोर दिया है वो रावी की अदालत (न्यायप्रियता) और उसकी सदाक़त (सच्चाई, सत्यता) पर ज़ोर दिया है। यहाँ तक कि सिर्फ़ ज़िना के एक मामले के सिवा, जान के मामले में भी दो लोगों के बयान पर ए'तिबार कर लिया है। और एक जगह भी ख़बरों की तस्दीक़ के लिये तवातुर को शर्त नहीं कहा। अगर दो शख़्सों के बयान पर एक मुसलमान को क़िसासन (बदले के तौर पर) क़त्ल किया जा सकता है या एक चोर का हाथ काटा जा सकता है या एक शख़्स पर हद्दे-क़ज़फ़ (झूठ बोलने की सज़ा) लगाई जा सकती है या लाखों-करोड़ों इन्सानों की मालियत (सम्पत्ति) बाँटी जा सकती है तो क्या ये इस बात का ज़ाहिरी षुबूत नहीं है कि शरीअत ने यक़ीन का मे'यार सिर्फ़ तवातुर पर नहीं रखा। क्या कोई यह कह सकता है कि शरीअत ने एक मुसलमान का क़त्ल, एक मासूम का हाथ काटा जाना, एक बेगुनाह पर क़ज़फ़ और लाखों की मालियत के बाँटे जाने के यक़ीन हुए बग़ैर महज़ गुमान की बिना (आधार) पर जाइज़ क़रार दे दी है?

वाक़िया तो यह है कि अगर ज़िना जैसे नाज़ुक मामले के लिये भी क़ुर्आने करीम ने चार लोगों की गवाही ब-सराहत लाज़िम न की होती तो उम्मते मुहम्मदिया (ﷺ) यहाँ भी दो शख़्सों के बयान से रज्म करने का फ़ैसला कर देती। उलमा ने उसकी हिक्मतें अपनी जगह तफ़्सील के साथ बयान की है। मगर शायद उसकी एक हिक्मत यह भी हो कि ज़िना के एक ही मामले का ता'ल्लुक़ दो जानों के साथ होता है और यह भी मुमकिन है कि कभी दो लोगों को उस एक ही जुर्म के षुबूत में रज्म करने की नौबत आ जाए इसलिये यहाँ उस जुर्म के षुबूत के लिये वो शहादत शर्त कर दी गई हो जो तन्हा-तन्हा दो जुर्मों के लिये शर्त की गई थी। यहाँ यह बहाना करना कि दो लोगों का बयान एक मुसलमान के क़त्ल कर डालने के लिये तो काफ़ी हो सकता है मगर नमाज़ के एक वाक़िये, आप (ﷺ) के हज्ज की एक सूरत, आप (ﷺ) के रोज़े की एक सुन्नत के नक़ल करने के लिये काफ़ी नहीं हो सकता, क़तअन ग़ैर-मा'क़ूल है। मअतज़िला भी जो दरअसल मुन्किरीने हदीष के क़ाफ़िले के अगुआ हैं, ये देखकर ख़बरे अज़ीज़ के तस्लीम करने पर मजबूर हो गये हैं। दीनी षुबूत के लिये यक़ीन की माँग करना तो मा'क़ूल हो सकता है मगर तवातुर की शर्त लगाना बिल्कुल बे-माना (निरर्थक) बात है। पस मुन्किरीने हदीष को दो बातों में एक बात साफ़ कर देना चाहिये, (1) यह कि शरीअत ने तवातुर के

अलावा यक़ीन को यक़ीन ही नहीं कहा या (2) ख़बरे वाहिद किसी हाल में मुफ़ीदे–यक़ीन होती ही नहीं। अगर ख़ारजी क़राएन को मिलाकर कभी ख़बरे वाहिद यक़ीन दे सकती है और अगर शरीअ़त के नज़दीक ये यक़ीन भी मो'तबर (भरोसेमन्द) है तो फिर ये तफ़रीक़ (विभाजन) किसलिये है कि इस क़िस्म का यक़ीन तो दीन के मा'मले में मो'तबर है और उस क़िस्म का यक़ीन मो'तबर नहीं है; ये सिर्फ़ एक वहमपरस्ती है और कुछ नहीं। आगे मौलाना मेरठी मरहूम फ़र्माते हैं,

इब्ने हज़्म (रह.) जैसा वसीअ़ नज़र वाला मुअर्रिख़ (इतिहासकार) और आलिम फ़ने इस्नाद को इस उम्मत की ख़ासियतों में शुमार न करता लेकिन वो बड़े फ़ख़्र से यह ऐलान करते हैं कि दीन की हिफ़ाज़त के जो चन्द तरीक़े इस उम्मत को मिले हैं उनमें से एक भी पहले की किसी उम्मत को नसीब नहीं हुआ। मुन्किरीने हदीष़ के क़ौल के मुताबिक़ अगर दीन की हिफ़ाज़त सिर्फ़ तवातुर की एक ही सूरत में मुन्हसिर (आधारित) हो तो फिर तमाम दीन की हिफ़ाज़त का दा'वा या तो सिर्फ़ एक बे–दलील ख़ुश अ़क़ीदगी बन जाए या दीन के बहुत बड़े हिस्से से महरूम होना पड़े। क़ुर्आने करीम अगरचे मुतवातिर है मगर बहुत से मक़ामात पर उसकी मुराद, उसके मा'ने का तवातुर ष़ाबित नहीं हो सकता। लुग़त में इज्तिहाद ष़ाबित है, फिर हक़ीक़त व मजाज़, इस्तिआरात, किनायात का ऐसा वसीअ़ (विस्तृत) बाब है जिस पर मुअ़तज़िला ने अपने सारे मज़हब की बुनियाद ही रख दी है। उनके नज़दीक ज़ातो-सिफ़ात की आयतें अक्सर इसी बाब में दाख़िल हैं। इन एहतिमालों (संदेहों, शक–शुब्हों) के मौजूद होते हुए हर जगह तवातुर और क़तइयत का दा'वा कैसे किया जा सकता है? इस बिना (आधार) पर अहादीष़ तो दरकिनार क़ुर्आनी अहकाम के बहुत बड़े हिस्से को भी खोना पड़ेगा। और अगर हठधर्मी से यही दा'वा कर दिया जाए कि इसकी सारी तफ़्सीलात भी ठोस षुबूत और मुतवातिर हैं तो मज़हबी दुनिया में मौजूदा हालात से भी ज़्यादा बिखराव बरपा हो जाएगा। हर शख़्स अपनी अ़क़्ल के अन्दाज़े के मुताबिक़ एक मा'ना तलाश लेगा और उस पर उस इरादे में मुब्तला (लिप्त/शामिल) रहेगा कि यही मा'ना मुतवातिर और क़तई है। मष़लन मुन्किरीने हदीष़ वह्य की पैरवी की तमाम आयतों का मफ़हूम यही समझते हैं कि उनमें हदीष़ के इन्कार की बहुत बड़ी दलील मौजूद है और हदीष़ के क़ायल लोग इन्हीं आयतों को इस्बाते हदीष़ की बहुत बड़ी हुज्जत समझते हैं। अब सोचिये कि अगर ये दोनों मा'ने मुतवातिर हों तो एक–दूसरे से कहाँ तक टकराव की नौबत आ जाएगी? लेकिन अगर गुमानों पर आधारित मसाइल भी क़ुर्आन के मातहत रह सकते हैं तो फिर किसी फ़रीक़ को यक़ीनी तौर पर दूसरे को बातिल कहने का हक़ नहीं हो सकता। बहुत सी आयतों के मा'नी में सहाब–ए–किराम का इख़्तिलाफ़ ष़ाबित है, इसके बावजूद चूँकि क़तइयत का दा'वा किसी को न था इसलिये उनमें मुख़ालफ़त का कोई असर भी न था।

इन्कारे हदीष़ के नतीजे और उनका अन्जाम :

इन्कारे हदीष़ और यक़ीन हासिल करने के लिये तवातुर शर्त करने के लाज़मी नतीजे नीचे लिखे गये हैं :–

(01). क़ुर्आने करीम की मा'नवी हिफ़ाज़त और इस्लाम के मुहाफ़ज़त (संरक्षण करने के) इम्तियाज़ी तरीक़े का इन्कार।
(02). क़ुर्आन की जामइयत का वो वसीअ़ मफ़हूम (विस्तृत भावार्थ) जो अहादीषे–नबविया पर नज़र रखने से पैदा होता है, उससे महरूम हो जाना।
(03). आँहज़रत (ﷺ) के बेशक़ीमती तशरीही कलिमात (व्याख्याओं) से महरूमी और आप (ﷺ) की पुरअसरार हालाते ज़िन्दगी से लापरवाही।
(04). आप (ﷺ) की वफ़ात के बाद, आप (ﷺ) की इताअ़त से उसूली इन्कार।
(05). क़ुर्आन करीम में जहाँ बीसियों जगह इताअ़ते रसूल (ﷺ) का हुक्म मौजूद है, उन सबकी तावील बल्कि तहरीफ़ करना।
(06). जिस दौर में क़ुर्आन पर अमलपैरा इमाम न हो उसमें **'अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल'** के तमाम निज़ाम को छोड़ देना।
(07). रसूल (ﷺ) की ज़ात में बिना किसी शरई षुबूत के दो हैषियतों का ऐतक़ाद, फिर उनके अलग–अलग हुक़ूक़ की महज अपने दिमाग़ से तक़्सीम।
(08). उस्व–ए–रसूल (ﷺ) जो क़ुर्आन की जामइयत का मुफ़स्सल नक़्शा था, उसकी ज़हनी तश्कील का कट जाना।
(09). रसूले करीम (ﷺ) की ज़ात, जो शरई और फ़ितरी जाज़बियत (प्राकृतिक आकर्षण) है, उससे अ़लैहदगी (दूरी) करना।
(10). मज़हबी आईनसाज़ी (धार्मिक संविधान के सम्बंध) में आम लोगों की अ़क़्ल की उसूली दस्तअन्दाज़ी (हस्तक्षेप)।

ह़दीष़ का इन्कार करना तो आसान है लेकिन उसके इन्कार के जो अ़वाक़िब (नतीजे) हैं उनको सम्भालना ज़रा मुश्किल है। ये पहलू दीन की तख़रीब का पहलू है, उसकी ता'मीर का पहलू नहीं। मुन्किरीने ह़दीष़ को चाहिये कि पहले वो सिर्फ़ क़ुर्आन और अपनी अ़क़्ल की मदद से दीन का एक मुकम्मल नक़्शा तैयार कर लें। उसके बाद उस मुफ़स्सल (विस्तृत) नक़्शे से उसकी तुलना करके देखें जो अह़ादीष़ की हिदायतों के अन्तर्गत मुरत्तब हो चुका है। उस वक़्त उनको फ़ैसला करना आसान होगा कि मम्लिकत, दीन की वुस्अ़त (फैलाव), मुहकमात और मुतशाबिहात के इलाक़े, हराम व हलाल की हदें, अ़क़ाइद व आ'माल की बारीकियाँ, मईशत (अर्थव्यवस्था) व तमद्दुन (संस्कृति) के शोशे, निज़ामो-सियासत (राजनीति और शासन व्यवस्था) की लाइनें किसमें नुमायां और स़ाफ़ नज़र आती हैं। हर मुश्किल को ग़ैर-ज़रूरी कहकर टाल देना हर मुत्लकुल अनानी को दीन के यस्र में दाख़िल समझ लेना, सलफ़ व ख़लफ़ की मा'रूफ़ शाहराह (जाने-माने राजमार्ग) को छोड़कर नये रास्ते की बुनियाद डालना, अपने ख़ुद के तराशे हुए ख़यालात व मज़्अ़ूमात को ह़क़ाइक़ (सत्य) और ह़क़ाइक़ को ख़यालात (कल्पनाएं) समझ लेना दीन नहीं बल्कि कोताह-नज़री, ख़ुद-पसन्दी और वाजिबुत्तौक़ीर हस्तियों की तह़क़ीर करना है। दरह़क़ीक़त ये क़ुदरत की एक ता'ज़ीर है जो इन्कारे ह़दीष़ के कारण मिली है।

ये काम यक़ीनी है कि जो तबक़ा जिस क़दर स़ाहिबे-नुबुव्वत के क़रीबतर है, उसी क़दर मज़हबी लिहाज़ से स़ह़ीह़तर है। इसलिये मज़हब की झलक जितनी सही तौर पर उनमें नज़र आ सकती है, बाद के दौर में नज़र नहीं आ सकती। लिहाज़ा ज़हन को ख़ाली (निरपेक्ष, तटस्थ) करके आप बराहे-रास्त उनकी तारीख़ का मुतालआ़ कीजिये तो बिना किसी ग़ौरो-फ़िक्र के जो बात आपके ज़हन में पैदा होगी, वो सिर्फ़ यही बात होगी कि उनके बीच आँह़ज़रत (ﷺ) की हैषियत अपनी 23 साला ह़याते-तय्यिबा में रिसालत की ही हैषियत समझी गई है और एक लम्हे के लिये भी आप (ﷺ) को एक आ़म इमाम या अमीर की हैषियत में नहीं समझा गया। उनकी नज़रों में आप (ﷺ) पर ईमान लाना, आप (ﷺ) से मुहब्बत करना, आप (ﷺ) की इताअ़त करना और वो तमाम क़ुर्बानियाँ जो उनके बस में थीं, कर गुज़रना सिर्फ़ रिसालत ही की एक हैषियत से जुड़ी हुई थीं। वो आप (ﷺ) की इताअ़त और आप (ﷺ) की फ़र्मांबरदारी के लिये नाममात्र पसोपेश किये बग़ैर हर वक़्त तैयार रहते थे। और ऐसा कहीं ष़ाबित नहीं होता कि क़ुर्आन के हुक्म या आप (ﷺ) के हुक्म को बजा लाने में उन्होंने कोई तफ़रीक़ (भेद या फ़र्क़) किया हो या आप (ﷺ) का हुक्म ष़ाबित हो जाने के बाद ज़िन्दगी और मौत का फ़र्क़ भी कभी उनके ज़हनों से गुज़रा हो। उनके नज़दीक आप (ﷺ) के अह़काम और आप (ﷺ) की जो हैषियत थी वो हर्गिज़ किसी हाकिम, किसी अमीर और किसी बादशाह के हुक्म की न थी। सलफ़ की तारीख़ का यही नक़्शा इतना सच्चा है कि इसमें मुसलमान व काफ़िर दो राय नहीं रखते। यह गई बात सनद की तह़क़ीक़ करने, शाहिदों (गवाहों) की तलाश, हर शख़्स को मा'ने समझे बग़ैर ह़दीष़ बयान करने की मुमानअ़त की, तो वो सिर्फ़ एह़तियात की नज़र और आप (ﷺ) की तरफ़ ग़लत बातों के मन्सूब कर देने के सद्देबाब (निरस्ती) के लिये थी। अगरचे किसी दौर में क़ुर्आन की तरह लिखने और क़ुर्आन की तरह ह़दीष़ को अपना मशग़ला बनाए रखने की मुमानअ़त की गई तो सिर्फ़ इस मक़सद से की गई ताकि क़ुर्आनी आयात बिना कोई फेर-बदल के महफ़ूज़ की जा सकें क्योंकि उनकी आँखों के सामने तौरात और इन्जील में की गई तह़रीफ़ की मिष़ाल मौजूद थी। अल ग़र्ज सनद की जाँच-पड़ताल, शाहिदों का मुतालबा (गवाहों की माँग करना), किताबत (लिखने) की मुमानअ़त मगर याद रखने (हिफ़्ज़) का एहतिमाम, हर शख़्स को ता'लीम की मनाही और हर क़िस्म की ह़दीष़ की रिवायत की रोकथाम, ह़दीष़ रिवायत करते वक़्त ख़ौफ़ व हिरास, ज़्यादा ता'दाद में रिवायत करने से एहतिराज़ वग़ैरह-वग़ैरह; यही स़ह़ाबा (रज़ि.) और ह़दीष़ के इतिहास का ख़ुलास़ा है। अब इसे चाहे तो ह़दीष़ की मुख़ालफ़त का प्रोग्राम कह ले या ह़दीष़ की हिफ़ाज़त, ता'लीमे-दीन की अहमियत, रिवायाते ह़दीष़ में फ़हम (समझ-बूझ), मुख़ातबीन (जिनको सम्बोधित किया जा रहा है) की रिआयत, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास, ह़दीष़ में लापरवाही से बचना और इंतहाई तशद्दुद (कट्टरता) व एहतियात से ता'बीर कीजिये।

हर शख़्स की ज़िन्दगी में कुछ वाक़ियात ऐसे भी होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर उसके आ़म ज़ौक़ या ज़माने के आ़म (या'नी प्रचलित) ज़ौक़ से ख़िलाफ़ (विपरीत) हो सकते हैं। उनकी अस़ली वजह वक़्ती मस्लिहत या कोई और आ़रज़ी (अस्थाई) सबब भी हो सकता है, सिर्फ़ उन वाक़ियात की बिना (या'नी आधार) पर उसकी स़ारी ज़िन्दगी या ज़माने के सारे ज़ौक़ को बदल देना, उस दौर के इतिहास को बिगाड़ देने के समान है।

अफ़सोस है कि इस ज़माने में मज़हबी लिट्रेचर (साहित्य) अव्वल तो कोई देखता ही नहीं और अगर कोई देखता है

तो वो भी मुख़ालिफ़ (विरोधी) के नुक़्त–ए–नज़र से ही देखता है। नतीजा यह हो गया कि इस्लाम के वाज़ेह और ख़ुले हुए हक़ाइक़ हर दिन नज़री मसाइल बनते चले जाते हैं। इस्लामी ज़हनियत बदल लेने का यह सबसे पहला नुक़्सान है और हर नुक़्सान जो उसके बाद है, वो उससे शदीदतर (सख़्त) है।

'लि मिष्लि हाज़ा यज़ूबुल क़ल्बु मिन कमद, इन कान फ़िल क़ल्बि इस्लामु व ईमानु' (तर्जुमानुस्सुन्नह पेज नं. 218)

फ़न्नी तौर पर मुख़्तसर लफ़्ज़ों में इतनी वज़ाहत पेश की जा चुकी है कि क़ारेईने किराम (पाठकगण) उनके मुतालआ (अध्ययन) से बहुत सी इल्मी मा'लूमात हासिल कर सकेंगे। अब हमारे सामने हदीष़ व अहले हदीष़ के फ़ज़ाइल, अमीरुल मुहद्दिष़ीन इमाम बुख़ारी (रह.) व जामेअतुस्सहीह (सहीह अहादीष़ का संग्रह) जैसे अहम उन्वानात (शीर्षक) हैं। अल्लाह करे कि हम बक़ाया पारों के साथ मुख़्तसर व जामेअ मवाद (सारांश) पेश करने में कामयाब हो सकें; चूँकि मुहद्दिष़ीन ख़ुसूसन इमाम बुख़ारी (रह.) किसी मस्लकी या फ़िक़्ही गिरोह से मुता'ल्लिक़ होने के बजाय ख़ुद एक फ़िक़हुल हदीष़ के जामेअ मस्लक के दाई हैं, जो सरासर किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की पैरवी का नाम है। इसी मस्लक वालों को इस्तिलाहतन (पारिभाषिक तौर पर) अहले हदीष़ से ता'बीर किया गया है और ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) इसी मस्लक के दाई हैं। लिहाज़ा ज़रूरत है कि पहले मस्लके अहले हदीष़ का तआरुफ़ (परिचय) कराया जाए; उम्मीद है कि क़ारेईने किराम ग़ौर के साथ मुतालआ करेंगे।

लफ़्ज़ अहले हदीष़ का मफ़्हूम (भावार्थ) :

ये नाम दो लफ़्ज़ों से मिलकर बना है; पहला लफ़्ज़ 'अहल' है; दूसरा लफ़्ज़ 'हदीष़' है। इसका तर्जुमा (अनुवाद) 'हदीष़ वाले' बनता है। हदीष़ अल्लाह के पाक कलाम क़ुर्आन मजीद फ़ुरक़ाने हमीद का नाम है, फिर हदीष़ आख़री नबी–ए–अकरम (ﷺ) के अक़्वाल व अफ़आल का नाम है। **मतलब यह हुआ कि 'अहले हदीष़' के मा'नी 'क़ुर्आनो–हदीष़ वाले' के हैं।**

पस मस्लके अहले हदीष़ की बुनियाद सबसे पहले क़ुर्आन मजीद है और उसके बाद वे अहादीषे–सहीहा हैं, जिनको आम बोलचाल में 'सिहाहे सित्ता' के नाम से जाना जाता है। या'नी सहीह बुख़ारी शरीफ़, सहीह मुस्लिम शरीफ़, जामेअ तिर्मिज़ी, सुनने अबी दाऊद, सुनने निसाई और सुनने इब्ने माजा। हदीष़ की इन छह मज़बूत व मशहूरतरीन किताबों में बुख़ारी शरीफ़ को **'सहीहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह'** का दर्जा दिया गया है। या'नी अल्लाह की किताब क़ुर्आन मजीद के बाद ये किताब (बुख़ारी शरीफ़) इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा सहीहतरीन किताब है। अहले इस्लाम में अहले हदीष़ के अलावा दूसरे बेशतर मज़ाहिब भी क़ुर्आनो–हदीष़ का दम भरते हैं मगर उन फ़िर्क़ों और मस्लके अहले हदीष़ के तर्ज़े–अमल में ज़मीन–आसमान का फ़र्क़ है। तक़लीदी मज़ाहिब में अव्वलीन बुनियाद अइम्मा के अक़्वाल को क़रार दिया गया है, फिर क़ुर्आनो–हदीष़ को अइम्मा के उन अक़्वाल और क़ायदों पर पेश किया जाता है। अगर क़ुर्आन व हदीष़ अइम्म के अक़्वाल और क़ायदों की मुवाफ़क़त करें तो उनको तस्लीम (स्वीकार) कर लिया जाता है और अगर वो अइम्मा के अक़्वाल के ख़िलाफ़ वाक़ेअ हों तो उनकी तावील कर दी जाती है। मुलाहज़ा हो कि तावील का मतलब है किसी बात के असली अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ बताना। अहादीष़ को सिर्फ़ तावीलों से रद्द नहीं किया जाता बल्कि उनके लिखने व तर्दीद करने के लिये दिमाग़ों की सारी काविशें ख़त्म की जाती हैं। मुक़ल्लिदीन ने जिस क़दर भी अहादीष़ की किताबों की शरह, या हाशिये या तर्जुमे शाए (प्रकाशित) किये हैं, उन सब में यही रविश नुमायां नज़र आती है। अधिक जानकारी के लिये शौक़ रखने वाले हज़रात हमारा मक़ाला **'अर्बाबे देवबन्द और अहले हदीष़'** का मुतालआ फ़र्माएं। अहले हदीष़ का उसूल यह है कि क़ुर्आनी आयतों और अल्लाह के रसूल (ﷺ) की हदीष़ों को अइम्मा के अक़्वाल और क़ायदों पर मुक़द्दम (श्रेष्ठ) रखा जाए। अगर अइम्मा के अक़्वाल क़ुर्आनो–हदीष़ के मुवाफ़िक़ हों तो उनको तस्लीम कर लिया जाए और अगर ख़िलाफ़ नज़र आएं तो उनको छोड़ दिया जाए। या'नी क़ुर्आनो हदीष़ को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाए। इसलिये कि अइम्म–ए–किराम अपनी तमाम ख़ूबियों के बावजूद ख़ताओं से मा'सूम नहीं थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) के अलावा सबसे ग़लती, सह्व, निस्यान (भूल) का इम्कान है इसीलिये तमाम अइम्म–ए–किराम ने अपने शागिर्दों को ताकीद फ़र्माई कि हमारा जो भी क़ौल किताबो–सुन्नत के ख़िलाफ़ पाओ उसे छोड़ देना और किताबो–सुन्नत को हर हाल में मुक़द्दम रखना। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, अब्दुल जय्यिद वग़ैरह)

पस अहले हदीष़ का ये वो सहीहतरीन मस्लक है जो ऐन क़ुर्आन मजीद व अहादीषे–नबवी (ﷺ) के मुताबिक़ है। जैसा कि क़ुर्आन मजीद में इर्शादे बारी तआला है, **'या अय्युहल्लज़ीन आमनू! अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल**

अम्रि मिन्कुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूलि इन कुन्तुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि ज़ालिक ख़ैरुंव् व अहसनु तावीला.' ऐ ईमानवालों! इताअत करो अल्लाह की और रसूल की और उन लोगों की जो तुम में साहिबे इख़्तियार हों लेकिन तुम में किसी चीज़ को लेकर तनाज़आ (मतभेद) वाक़ेअ हो तो उसको सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ लौटा दो; अगर अल्लाह और आख़िरत के दिन पर तुम्हारा ईमान है और ये बेहतर व उम्दा है। (अन् निसा : 59)

तहक़ीक़ की रू से इस आयते करीमा में अल्लाह की इताअत (क़ुर्आन मजीद की पैरवी की सूरत में) और रसूल (ﷺ) की इताअत (अहादीसे नबवी ﷺ की पैरवी की सूरत में) मुअमिनों के लिये असल नस्बुल ऐन (परम लक्ष्य) बतलाया है। इसके बाद **'उलिल अम्र'** या'नी इन्सानों में साहिबे इख़्तियार लोगों की पैरवी सिर्फ़ वहाँ तक है जहाँ तक कि वो अल्लाह व रसूल (ﷺ) की इताअत से न टकराएं। इसके विपरीत परिस्थिति होने पर क़ुर्आन व हदीष़ के ख़िलाफ़ उनकी बात को रद्द कर देने का हुक्म है क्योंकि **'ला ताअत लिल मख़्लूक़ि फ़ी मअसियतिल ख़ालिक़ि'** या'नी जहाँ ख़ालिक़ की नाफ़र्मानी होती हो वहाँ मख़्लूक़ की इताअत लाज़िम नहीं है। यही मस्लक अहले हदीष़ का है। पहले क़ुर्आनि पाक, उसके बाद अहादीषे नबवी (ﷺ), फिर सहाब–ए–रसूल (ﷺ) के इर्शादात (या'नी आष़ार), फिर अइम्म–ए–किराम के अक़्वाल; सिर्फ़ इसी मस्लके–हक़ की ताईद (समर्थन) में है। ख़ुद सय्यिदिना इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल है, **'इज़ा स़ह्हल हदीषु फ़हुव मज़हबी'** या'नी सही हदीष़ ही मेरा मज़हब है। नीज़ आपने यह भी फ़र्माया, **'मेरा जो भी क़ौल क़ुर्आन व हदीष़ के ख़िलाफ़ हो, उसको छोड़ दो और क़ुर्आन व हदीष़ पर अमल करो।'** शायद बाज़ हज़रात को हमारे इस दा'वे से तअज्जुब हो कि लफ़्ज़ 'हदीष़' से अव्वलीन मिस्दाक़ क़ुर्आन मजीद फ़ुर्क़ाने हमीद है। इसलिये हम अपने दा'वे को मुदल्लल करने के लिये ज़रा सी तफ़्सील नाज़िरीने किराम के सामने रखते हैं।

अव्वलीन हदीष़ क़ुर्आन मजीद है :

क़ुर्आन मजीद में चौदह आयतें ऐसी हैं जिनमें क़ुर्आन मजीद फ़ुर्क़ाने हमीद के ऊपर लफ़्ज़ 'हदीष़' का इत्लाक़ (चरितार्थ/लागू) किया गया है। इनमें से कुछ तजुर्मे के साथ लिखी जा रही हैं,

(01). **'फ़लयातु बिहदीष़िम्मिष़्लिही'** (अत् तूर : 34) मुन्किरीन अगर सच्चे हैं तो क़ुर्आन मजीद जैसी हदीष़ है वैसी हदीष़ वो भी बनाकर लाएं।

(02). **'अ फ़मिन हाज़ल हदीष़ि तअजबून'** (अन् नज्म : 59) क्या तुम इस हदीष़ को सुनकर तअज्जुब करते हो?

(03). **'फ़मालि हाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़्क़हून हदीष़ा'** (अन् निसा : 78) इस क़ौम को क्या हो गया है जो इस हदीष़ या'नी क़ुर्आन को समझते ही नहीं?

(04). **'फ़बिअय्यि हदीष़िन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून'** (अल जाष़िया : 6) पस अल्लाह पाक और इन आयतों, जो बेहतरीन हदीषें हैं और ये कौनसी हदीष़ पर ईमान लाएंगे?

(05). **'व मन अस़्दक़ु मिनल्लाहि हदीष़ा'** (अन् निसा : 87) अल्लाह की हदीष़ से बढ़कर कौनसी हदीष़ सहीह होगी?

(06). **'फ़बिअय्यि हदीष़िन बअदहू युमिनून'** (अल मुर्सलात : 50) क़ुर्आन मजीद के होते हुए और ये कौनसी हदीष़ पर ईमान लाएंगे?

(07). **'मा कान हदीष़ंय्युफ़्तरा'** (सूरह यूसुफ़ : 111) ये हदीष़ मनगढ़त नहीं बल्कि अल्लाह की जानिब से है।

(08). **'लम युअमिनू बिहाज़ ल हदीष़ि असफ़ा'** (अल कहफ़ : 6) ये लोग अगर इस हदीष़ (क़ुर्आन) पर ईमान नहीं लाते तो शायद तुम मारे ग़म के अपने नफ़्स को हलाक करने वाले हो।

(09). **'अफ़बिहाज़ल हदीष़ि अन्तुम मुदहिनून'** (अल वाक़िया : 81) पस क्या तुम इस हदीष़ के साथ सुस्ती करने वाले हो?

(10). **'फ़ज़रनी व मंय्युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीष़ि'** (अल क़लम : 44) इस हदीष़ के झुठलाने वालों को मेरे लिये छोड़ दो, मैं ख़ुद उनसे निबट लूँगा।

(11). **'अल्लाहु नज़्ज़ल अह़सनल ह़दीष़ि'** (अज़् ज़ुमर : 23) अल्लाह ने बेहतर ह़दीष़ को नाज़िल फ़र्माया है।

इन सारी आयात में क़ुर्आन मजीद पर लफ़्ज़े 'ह़दीष़' का इत्लाक़ किया गया है। पस इन आयतों की रोशनी में लफ़्ज़ 'अहले ह़दीष़' का मफ़हूम (भावार्थ) होगा, **'आमिलीने क़ुर्आन या'नी क़ुर्आन पर अ़मल करने वाले'**, जो कि ह़क़ीक़त की स़ह़ीह़ तर्जुमानी है। मशहूर ह़दीष़े -नबवी (ﷺ) **'अम्मा बअ़दु फ़इन्न ख़ैरल ह़दीष़ि किताबुल्लाहि व ख़ैरल ह़दयि ह़दयु मुह़म्मदिन (ﷺ)'** में इसी ह़क़ीक़त की ओर इशारा किया गया है। या'नी ख़ुद अल्लाह के मुक़द्दस रसूल (ﷺ) फ़र्माते हैं कि बेहतरीन ह़दीष़ अल्लाह की किताब क़ुर्आन मजीद है, फिर बेहतरीन त़रीक़ा ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) का त़रीक़ा है।

ह़दीष़े नबवी (ﷺ) भी ऐ़न वह्ये-इलाही है :

आयते करीमा **'व मा यन्तिक़ु अनिलहवा इन हुव इल्ला वह्युंय्यूह़ा'** के तह़त अह़ादीष़े–रसूल (ﷺ) भी ऐ़न वह्ये-इलाही हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि उलम–ए–इस्लाम की इस्तिलाह (परिभाषा) में क़ुर्आन मजीद को वह्ये-मत्लू (तिलावत करने योग्य वह्य) और ह़दीष़ को वह्ये-ग़ैर मत्लू (तिलावत न करने योग्य) क़रार दिया गया है। ह़दीष़ की ता'रीफ़ ज़ेहननशीं करने के लिये उलम–ए–ह़दीष़ की नीचे लिखी तशरीह़ात मशअ़ले-राह (मार्गदर्शक) ष़ाबित होंगी।

मुक़द्दमा 'मिश्कात शरीफ़' में है, **'अल ह़दीष़ु फ़ी इस्तिलाहिल मुह़द्दिष़ीन युत्लक़ु अला क़ौलिन्नबिय्यि (ﷺ) व फ़िअ़लिही व तक़रीरिही व मअनत्तक़रीरि अन्नहू क़ाल अह़दुन शैअन फ़ी ह़ज़्रतिही (ﷺ) व लम युन्किर व लम यन्ह अन्हु बल सकत व क़र्रहू'** या'नी ज़्यादातर मुह़द्दिष़ीन की इस्तिलाह में लफ़्ज़े–ह़दीष़ आँह़ज़रत (ﷺ) के क़ौल, फ़ेअ़ल और तक़रीर पर बोला जाता है और तक़रीर के मा'नी यह है कि किसी ने आँह़ज़रत के सामने कोई काम किया या कोई बात कही और आप (ﷺ) ने न तो उस पर बुरा माना और न उससे रोका बल्कि ख़ामोश रहे और उसे बरक़रार रखा, ये भी ह़दीष़ में दाख़िल है।

ह़दीष़े–नबवी (ﷺ) ही वो चीज़ है जिसको क़ुर्आन मजीद की अनेक आयतों में 'हिकमत' से ता'बीर किया गया है। चुनान्चे इर्शादे बारी तआ़ला है, **'हुवल्लज़ी बअ़ष़ फ़िल उम्मिय्यीन रसूलम्मिन्हुम यत्लू अ़लैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअ़ल्लिमुहुमुल किताब वल ह़िक्मत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन'** या'नी अल्लाह पाक वो है जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़–पढ़कर सुनाता है और अपनी मुक़द्दस ता'लीम से उनके नफ़्स का तज़्किया (शुद्धिकरण) करता है और उनको किताब (या'नी क़ुर्आन मजीद) और हिकमत (या'नी अपनी पाकीज़ा ह़दीष़ें) सिखलाता है। बेशक उनके तशरीफ़ लाने से पहले ये लोग खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे। (अल जुम्आ : 2) ह़दीष़े–नबवी (ﷺ) की हुज्जियत के बारे में ये आयते करीमा ऐसी खुली हुई दलील है जिसका इन्कार वही लोग कर सकते हैं जिनके दिल ईमान के नूर से महरूम हैं। इससे भी वाज़ेह एक और आयते करीमा मुलाहज़ा हो; इर्शादे बारी तआ़ला है, **'इन्ना अन्ज़ल्ना इलैकल्किताब बिल ह़क़्क़ि लितह़कुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाहु'** ऐ नबी! बेशक मैंने ये किताब (क़ुर्आन मजीद) आपकी तरफ़ ह़क़ के साथ उतारी है कि आप लोगों में उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करें जो अल्लाह आपको दिखा दे या'नी समझा दे। (अन् निसा : 105) इस आयत के बारे में इमाम राज़ी फ़र्माते हैं, **'क़ालल मुह़क़्क़िक़ून हाज़िहिल आयतु तदुल्लु अला अन्नहू अ़लैहिस्सलामु मा कान यह़कुम इल्ला बिल वह़यि वन्नस़्सि'** तह़क़ीक़ करने वालों ने कहा है कि ये आयते करीमा इस बात पर दलालत करती है कि आँह़ज़रत (ﷺ) वह्य और नस़ के सिवा फ़ैसला नहीं करते थे। (तफ़्सीरे कबीर जिल्द तीन पेज नं. 327) इसीलिये आयते करीमा **'फ़ला व रब्बिक ला युमिनून ह़त्ता युह़क्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम'** (अन् निसा : 65) के तह़त आपका फ़ैसला आख़री और क़तई है, जिसकी न तो कहीं अपील की जा सकती है और न उस पर नज़रे–ष़ानी (पुनर्विचार) करने की कोई गुंजाइश है। आयते शरीफ़ा **'क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह़बिब कुमुल्लाहु'** (आले इमरान : 31) में इस ह़क़ीक़त को और भी ज़्यादा वाज़ेह कर दिया गया है कि ऐ नबी! आप ऐलान कर दीजिये कि ऐ लोगों! अगर तुम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो तो मेरी फ़र्मांबरदारी करो। इससे अल्लाह भी तुमको अपना महबूब बना लेगा। पस इससे मा'लूम हुआ कि नबी–ए–करीम (ﷺ) की पैरवी करना दीन के लिये पहली शर्त है।

और ये तब ही मुमकिन है कि आप (ﷺ) के अक़्वाल और अफ़आल की पूरी पैरवी की जाए और याद रहे कि आप (ﷺ) के अक़्वाल और अफ़आल का नाम ह़दीष़ है। **'क़ाल साहिबु कश्फ़िज़्ज़ुनूनि इल्मुल ह़दीष़ि हुव इल्मुन युअरफ़ु बिही अक़्वालुन्नबिय्यि (ﷺ) व अफ़आलुहू'** या'नी इल्मे ह़दीष़ वो इल्म है जिसके द्वारा जनाबे नबी करीम (ﷺ) के अक़्वाल (कथन), आप (ﷺ) के अफ़आल (काम) और अह़्वाल (हालात) मा'लूम किये जाते हैं। **'क़ालस्सय्यिदुल यमानी इल्मुल ह़दीष़ि इल्मु रसूलिल्लाहि (ﷺ) अल्लज़ी ख़रज मिन्बैन शफ़त्यतयहि व मा यन्तिक़ु अनिल हवा इन हुव इल्ला वह्युंय्यूहा'** या'नी इल्मे ह़दीष़ रसूले पाक (ﷺ) का इल्म है जो आप (ﷺ) के दोनों मुबारक होठों के बीच या'नी आप (ﷺ) की ज़बाने मुबारक से ज़ाहिर हुआ। आप (ﷺ) की शान ये थी कि दीने इलाही के बारे में आप (ﷺ) जो कुछ बोलते थे, वो ऐन वह्य-इलाही से बोलते थे। पस ह़दीष़ ऐन वह्य-ए-इलाही है और इस ह़क़ीक़त का इन्कार करना चमकते सूरज का इन्कार करने के समान है।

इमाम शौकानी (रह.) **'इर्शादुल फहुल'** पेज नं. 29 में लिखते हैं, **'ष़ुबूतु हुज्जियतिस्सुन्नतिल मुतह्हरति व इस्तिक़लालिहा बितशरीइल अह़्कामि ज़रूरिय्यतुन दीनिय्युन व ला युख़ालिफ़ु फ़ी ज़ालिक इल्ला मन ला ह़ज़्ज़ लहू फ़ी दीनिल इस्लामि'** सुन्नते मुतह्हरा या ह़दीष़े नबवी (ﷺ) का तशरीअ़ अह़्काम में हुज्जत होना दीन का एक ज़रूरी मसला है। इसका इन्कार वही शख़्स कर सकता है जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इमाम अय्यूब सख़्तियानी फ़र्माते हैं, **'इज़ा हद्दस्तर्रजुलु बिसुन्नतिन फ़क़ाल दअना अन हाज़ा व अजिब्ना अनिल क़ुर्आनि फ़अलम अन्नहू ज़ाल्लुन'** (मआरिफ़त उलूमुल ह़दीष़ इमाम हाकिम पेज नं. 65) या'नी जब तुम किसी के सामने ह़दीष़े रसूल (ﷺ) बयान करो और वो जवाब में ह़दीष़ को रद्द करके सिर्फ़ क़ुर्आन से जवाब माँगे तो जान लो कि ये शख़्स गुमराह है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती (रह.) **'मिफ़्ताहुल जन्नः'** पेज नं. 6 पर लिखते हैं, **'इअलमू अन्न मन अनकर कौनल ह़दीष़िन्नबिय्यि (ﷺ) क़ौलन कान औ फ़िअलन बिशर्तिहिल मअरूफ़ि फ़िल उसूलि हुज्जतुन कफ़र व ख़रज अन दाइरतिल इस्लामि'** या'नी जान लो कि जो शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ह़दीष़, ख़्वाह वो क़ौली हो या फ़ेअ़ली और मुक़र्रर शर्तों के तहत वो ह़दीष़ सह़ीह़ ष़ाबित हो; उसका इन्कार करे तो वो काफ़िर है और इस्लाम के दायरे से ख़ारिज (निष्कासित) है।

आजकल इन्कारे ह़दीष़ का तूफ़ान जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है वो नाज़िरीन से छुपा हुआ नहीं है। इस बात की सख़्त ज़रूरत है कि इस्लाम के हमदर्द इस फ़ित्ने का डटकर मुक़ाबला करें। इस्लामी इतिहास में ये कोई नई मुसीबत नहीं है बल्कि इस्लाम तक़रीबन हर ज़माने में इससे भी बड़े-बड़े हमलों का मुक़ाबला कर चुका है, आख़िरकार जीत इस्लाम ही को मिली है और सैंकड़ों ज़िन्दीक़ व मुलाहिदा सिर्फ़ एक पुरानी दास्तान बनकर रह गये। आज के मुन्किरीने ह़दीष़, दुश्मनाने सुन्नत का भी यक़ीनन यही अंजाम होगा।

रहे हैं और भी फ़िरऔन मेरी घात में अब तक
मगर क्या ग़म कि मेरी आस्तीं में है यदे बेज़ा

अहले ह़दीष़ कोई नया फ़िर्क़ा नहीं है :

इन्साफ़-पसन्द नाज़िरीन ने ऊपर लिखी तशरीह को पढ़कर समझ लिया होगा कि क़ुर्आन मजीद और ह़दीष़े-नबवी (ﷺ) सिर्फ़ यही दो चीज़ें मस्लक अहले ह़दीष़ की बुनियाद हैं। ये दोनों कोई नई चीज़ नहीं बल्कि इस्लाम की इब्तिदाई बुनियाद ही इन दो चीज़ों पर रखी गई है। पस यह ष़ाबित हो गया कि अहले ह़दीष़ कोई नया फ़िर्क़ा नहीं है। नबी करीम (ﷺ) के पाक ज़माने में जितने भी अहले इस्लाम थे वो सब क़ुर्आन व ह़दीष़ के ही मानने वालों की ही जमाअ़त थी। इसलिये अव्वलीन अहले ह़दीष़ सारे सहाब-ए-किराम थे। चन्द ऐसी ऐतिहासिक गवाहियाँ, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता, नीचे दर्ज हैं :-

ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) मशहूर सहाबी हैं जिन्होंने अपने आप को अहले ह़दीष़ कहा है। देखें इसाबा जिल्द चार पेज नं. 204, तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द 1 पेज नं. 29, तारीख़े-बग़दाद जिल्द 9 पेज नं. 467. ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन

अ़ब्बास (रज़ि.) को अहले ह़दीष़ कहा गया है जो मशहूरतरीन स़ह़ाबी हैं। देखें तारीख़े–बग़दाद जिल्द तीन पंज नं. 228. ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने फ़र्माया, **'इन्नकुम ख़ुलूफ़ुना व अहलुल ह़दीष़ि बअ़दुन'** (किताबुश्शर्फ़ लिल ख़तीबि पेज नं. 21) या'नी हमारे बाद तुम ताबेई लोग अहले ह़दीष़ हो। पस ज़ाहिर है कि स़ह़ाबा व ताबेईन सब अहले ह़दीष़ के नाम से मशहूर व मा'रूफ़ थे। इमाम शोअ़बी (रह.) जो मशहूर अइम्म-ए- इस्लाम और ताबेई में से हैं, उन्होंने पाँच सौ स़ह़ाब-ए-रसूल (ﷺ) को देखा और सबको लफ़्ज़े अहले ह़दीष़ से याद किया है। (देखें तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द 1 पेज नं. 72)

ताइफ़ा अहले ह़दीष़ और मुस़न्नफ़ाते क़ुदमाए इस्लाम :

बाज़ नावाकिफ़ या तअ़स्सुब रखने वाले लोग कह देते हैं कि जमाअ़त अहले ह़दीष़ की शुरूआत शैख़ मुहम्मद बिन अ़ब्दुल वह्हाब नज्दी से हुई है जिसकी विलादत 1115 हिजरी और वफ़ात 1206 हिजरी में हुई, ये नया फ़िर्क़ा है। ऐसे ह़ज़रात के इस क़ौल की तर्दीद के लिये ये कहना काफ़ी है कि जमाअ़ते अहले-ह़दीष़ का ज़िक्रे-ख़ैर उन किताबों में भी मौजूद है जो शैख़ मुहम्मद बिन अ़ब्दुल वह्हाब से स़दियों पहले लिखी गईं। पस अहले ह़दीष़ की मज़हबी निस्बत शैख़ मौसूफ़ की तरफ़ करना हर्गिज़ दुरुस्त नहीं क्योंकि कोई मंसूब शाने-निस्बत में अपने मन्सूब अलैह से पेशतर नहीं हो सकता। मज़हबे इस्लाम में क़ुदमाए मुस़न्निफ़ीन (पुराने लेखकों) ने तफ़्सीरो–ह़दीष़ व फ़िक़्ह व उसूल व कलाम व तारीख़ में जिस क़दर किताबें लिखी हैं उनमें से बेशतर में अहले ह़दीष़ का ज़िक्र इज़्ज़त से पाया जाता है।

हमारे मुहतरम ह़ज़रत मौलाना इब्राहीम साहब मीर सियालकोटी क़ुद्दस सिर्रुहु तारीख़े अहले ह़दीष़ में इस मौक़े पर फ़र्माते हैं, 'इससे स़ाफ़ ज़ाहिर है कि उन लिखनेवालों की नज़र में ज़रूर एक गिरोह मौजूद था तह़क़ीक़ात व तन्क़ीद की सबको ज़रूरत थी, बाज़ जगह तो उनका ज़िक्र लफ़्ज़ 'अहले ह़दीष़' से हुआ है और बाज़ जगह अस़्ह़ाबे ह़दीष़ से। बाज़ जगह अहले अष़र के नाम से और बाज़ जगह मुह़द्दिष़ीन के नाम से। हर लक़ब का सार यही है कि चूँकि इस गिरोह को अह़ादीष़ व आष़ारे नबविया (ﷺ) से एक ख़ास़ लगाव है इसलिये इनको प्यारे अल्क़ाब से याद करके सिर्फ़ आँह़ज़रत (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया गया और मक़ूला **'अज़ मुस्तफ़ा शुनीदन व अज़ दीगरान बुरीदन'** और मिस्रा **'किसी का हो रहे कोई, नबी के हो रहे हैं हम'** को स़ादिक़ कर दिखाया। इमाम शाफ़िई (रह.) फ़र्माते हैं, **'युलक़ानिर्रिजालु व अस़्ह़ाबुल ह़दीष़ि मिन्हुम अह़मदुब्नु ह़म्बल व सुफ़्यानुब्नु उयैयनत व औज़ाई'** (रिहलतुश्शाफ़िइ पेज नं. 14) मुझे आ़म लोग भी मिलते थे और अस़्ह़ाबे ह़दीष़ भी जिनमें से बाज़ ये हैं अहमद बिन हंबल और सुफ़यान बिन उयैयना व औज़ाई। इमाम शाफ़िई का सने–विलादत 150 हिजरी और साले वफ़ात 204 हिजरी है। मा'लूम हुआ कि दूसरी स़दी हिजरी में अस़्ह़ाबुल ह़दीष़, इमाम शाफ़िई (रह.) के मुताबिक़ इसी नाम से मशहूर व मा'रूफ़ थे। इमाम अहमद (रह.) बग़दाद के, इमाम सुफ़यान बिन उययना कूफ़ा के और इमाम औज़ाई शाम के रहने वाले थे। जुगराफ़िया (भूगोल) और एशिया के नक़्शे पर नज़र रखने वाले लोग जान सकते हैं कि बग़दाद, कूफ़ा और शाम में किस क़दर दूरी है। इससे मा'लूम हुआ हो सकता है कि इमाम शाफ़िई (रह.) के वक़्त में जमाअ़त अहले ह़दीष़ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी (रह.) 209 हिजरी में पैदा हुए और 279 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। आपकी अल जामेअ़ तिर्मिज़ी अहले ह़दीष़ और अस़्ह़ाबुल ह़दीष़ के ज़िक्र से भरी पड़ी है। हनफ़ी फ़िक़्ह की किताबों में भी अहले ह़दीष़ को एक 'फ़िर्क़ा' करके लिखा है। चुनांचे शामी जिल्द तीन पेज नं. 293 से 294 पर लिखा हुआ है, **'ह़का अन्न रजुलम्मिन अस़्ह़ाबि अबी ह़नीफ़त ख़तब इला रजुलिम्मिन अस़्ह़ाबिल ह़दीष़ि इब्नतहू फ़ी अहदि अबी बक्रिल जौजजाई फअबा इल्ला अंय्यतरूक मज़हबहू फयक़राउ ख़ल्फ़त इमामि व यर्फ़ेउ यदयहि इन्दल अन्हनाइ व नहवु ज़ालिक फअजाबहू व ज़व्वज़हू'** या'नी रिवायत है कि क़ाज़ी अबू बक्र जोज़जानी के दौर में एक हनफ़ी ने एक अहले ह़दीष़ से उसकी बेटी का रिश्ता माँगा तो उस अहले ह़दीष़ ने इन्कार कर दिया, मगर इस सूरत में कि वो हनफ़ी अपना मज़हब छोड़ दे और इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़े और रुकूअ़ में जाते वक़्त रफ़अ़यदैन करे।

और भी इसी तरह मसाइले अहले ह़दीष़ पर अ़मल करे। चुनांचे उस शख़्स़ ने मस्लके अहले ह़दीष़ इख़्तियार करके

आमीन व रफ़अयदैन के साथ नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और उस अहले ह़दीष़ ने अपना वा'दा पूरा करते हुए अपनी लड़की उसके निकाह में दे दी। ये वाक़िया हनफ़ी मज़हब की मशहूर किताब शामी जिल्द तीन पेज नं. 293 से 294 पर साफ़ इसी तरह लिखा हुआ है। ख़ुलासा यह है कि मस्लके अहले ह़दीष़ ख़ालिसन (शुद्ध रूप से) किताबो–सुन्नत पर अ़मल–दरामद करने का नाम है और यही वो चीज़ है जिसे सारी दुनिया चौदह सौ बरस से लफ़्ज़ 'इस्लाम' से जानती चली आ रही है। अब हम इस बहष़ को यहाँ छोड़कर ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और जामेउस्सह़ीह़ की तरफ़ मुतवज्जह होना ज़रूरी जानते हैं।

हिन्दुस्तान में मुआनिदीने (दुश्मनाने) इमाम बुख़ारी (रह.) :

हिन्दुस्तान के मुसलमानों में ऐसे लोग भी पाए गये हैं जो महज़ तअ़स्सुब की वजह से इमाम बुख़ारी (रह.) से बेवजह बुग़्ज़ रखते हैं और जामेउ़स्सह़ीह़ की अ़ज़्मत व वक़ार गिराने में कोशां (प्रयासरत) रहते हैं। ऐसे लोग हमारी नज़रों में हैं, उन पर नाम–बनाम हम तब्सरा कर सकते हैं मगर तवालत (विस्तार) बहुत हो जाएगा। इसलिये सरेदस्त हमारे सामने डॉक्टर उ़मर करीम हनफ़ी सालारी हैं। आप पटना के रहने वाले थे। अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं , अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ करे। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और जामेउ़स्सह़ीह़ पर डॉक्टर साहब मरहूम ने बहुत बरस पहले एक किताब अल जिरह अ़लल बुख़ारी लिखी थी जिसमें उन्होंने दिल खोलकर ह़ज़रत इमाम बुख़ारी और जामेउ़स्सह़ीह़ को मलामत का निशाना बनाया था। यही मैटर है जिसे बाद के अ़स़बिय्यत पसन्द उ़लमा ने सामने रखकर उस मौज़ू पर ख़ामा–फ़र्साई (क़लम घिसाई) की है और आजकल भी करते रहते हैं। अक्ष़र के सामने डॉक्टर साहब का ही मैटर है। उसी ज़माने में जमाअ़त अहले ह़दीष़ के मशहूर आ़लिम मुनाज़िरे इस्लाम ह़ज़रत मौलाना अबुल क़ासिम साहब सैफ़ बनारसी (रह.) ने डॉक्टर साहब की ना–रवा तन्क़ीदों का मुदल्लल व मुहज़्ज़ब (ठोस व संयमित) जवाब बड़ी तफ़्सील से शाए फ़र्मा दिया था। ये फ़ाज़िलाना जवाब

अल कौष़रुल जारी फ़ी जवाबिल जिरह अ़लल बुख़ारी

के नाम से मेरे सामने है जो कई जिल्दों में दलीलों के साथ विस्तारपूर्वक दर्ज है। हमारे क़ारेईने किराम ये सुनकर ख़ुश होंगे कि हम ह़ज़रत मौलाना सैफ़ बनारसी साहब की मज़्कूरा किताब ही से मुख़्तलिफ़ इक़्तिबासात (उद्धरण) इमाम बुख़ारी से वैर–भाव रखने वाले लोगों के जवाब में अपने मुक़द्दमतुल बुख़ारी की ज़ीनत बना रहे हैं। इसके मुतालअ़े से क़ारेईन को इमाम बुख़ारी के उन विरोधियों, जो मर चुके हैं और जो मौजूद हैं, के बेजा ऐतराजात और उनके मुदल्लल जवाबों से आगाह हो सकेंगे। अहले इल्म के लिये ह़ज़रत मौलाना सैफ़ बनारसी (रह.) का नाम जिस क़दर मुस्तनद और महबूब है, उस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस सिलसिले के ये इक़्तिबासात (उद्धरण) तवज्जुह और ग़ौर से पढ़े जाएंगे और एक हद तक ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और जामेउ़स्सह़ीह़ के बारे में बेहतर मा'लूमात का ज़रिया होंगे, **व हुवल मुवफ़्फ़िक़ु**

पहला इक़्तिबास (उद्धरण) हम शुरू किताब ही से दे रहे हैं जो कौष़रुल जारी का मुक़द्दमा है।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हजौतु मुहम्मदन फअजिब्तु अन्हु **व इन्दल्लाहि फ़ी ज़ाकल जज़ाउ**

अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस्सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अ़ज़ीज़िल बारी- अल्लज़ी बअ़ष़ फ़िहुनिया लिल इहयायि सुननि नबिय्यिहिल अकरमि अबा अ़ब्दिल्लाहि मुहम्मदन अल बुख़ारी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदन स़ाहिबुल कौष़रिल जारी अल्लज़ी फाहत रवाइह अहादीष़िही फ़ी अक्तारिल आलामि बिस़्सह़ीह़ि बुख़ारी- मन अख़जहू अख़ज़ बिहज़िन वाफिरिन व अला कदरहू क उलुव्विल क़वाकिबिद्दुरारी- व मन ह़ रम अन दर्सिही व तदरीसिही ह़रम अनिल ख़ैरि कुल्लिही व लम यनल बिज़ियाइ सारी- अल्लाहुम्म स़ल्लि व स़ल्लिम अ़ला सय्यिदिना मुहम्मद- व अ़ला आलिही व स़हबिही मा समिअहू सामिउन व क़रअहुल क़ारी अम्मा बअ़दु फ़ या अय्युहल इख़्वान.

इस ज़मान–ए–अख़ीर पुरआशोब में जो हमदोश हैं साअ़ते कुबरा का, अहले फ़ितन ने हर तरह का गुल मचाया है,

क़यामत का हंगामा उठाया है। जिधर देखो अहले बिदअत का ज़ोर है, अहले हवा का शोर है। सुन्नत की पैरवी करने वालों का तरीक़ा ठण्डा और नरम है, बिदअत का बाज़ार गरम है। जनता तक़लीद के नशे में मदमस्त है और सुन्नत से कोसों दूर है।

सहीह बुख़ारी, जिसका असहहुल कुतुब होना मुसल्लम है, इस पर इस तरह की ज़ोलीदा–ज़बानी (बेतुकी बातें) व ज़ाज़ख़ाई (बकवास) की जा रही है ताकि उसका नामोनिशान दुनिया के सफ़हे (पन्ने) से ग़लत हर्फ़ की तरह मिटाकर कलअदम (रद्द/निरस्त) कर दिया जाए लेकिन हरीफ़ों को ख़ूब याद रखना चाहिये कि :–

चिराग़े–राह कि ईज़द बर फ़रोज़द हर आँकस तुफ़ ज़नद रीशश बसौज़द

इस नूरे–इलाही ज़िया यूँ ही रहेगी, अफ़वाह से मुमकिन नहीं इतफ़ा–ए–बुख़ारी

तफ़्सील इस इज्माल की यह है कि उन दिनों एक रिसाला अल जिरह अलल बुख़ारी (जो मज्मूआ है अहले फ़िक़ह के अख़बार के मज़ामीन का) डॉक्टर उमर करीम हनफ़ी पटनवी ने शाए किया है जिसमें निहायत बेबाकी से सहीह बुख़ारी पर फ़र्ज़ी नुक्ताचीनियाँ और झूठे ए'तिराज़ात किये गये हैं और निहायत रकीक (तुच्छ, घटिया) व बेहूदा अल्फ़ाज़ इमाम आली मक़ाम की शान में इस्ते'माल करके तहज़ीब व हया का ख़ून किया गया है गोया दरपर्दा अपनी कम–मायगी और क़लीलुल बज़ाअती का षुबूत दिया गया है। ऊपर बयान किये गये उन कारणों की वजह से जवाब लिखने के लिये तबीयत नहीं चाहती थी। लेकिन हज़रत हस्सान बिन षाबित (रज़ि.) का यह मा'नून शे'र याद आया,

हजौतु मुहम्मदन फअजिब्तु अन्हु व इन्दल्लाहि फ़ी ज़ाकल जज़ाउ

इस दूसरे मिसरे ने तबीयत को उभार दिया और अल्लाह की तौफ़ीक़ से क़लम हाथ में उठा लिया। अल्लाह से दुआ है कि इस कठिन बेड़े को पार लगा दे और मंज़िले मक़्सूद तक पहुँचा दे।

व यरहमुल्लाहु अब्दन क़ाल आमीन

चूँकि इन जिरहों से अक्षर के जवाबात वक़्तन–फ़वक़्तन शाए हो चुके हैं लिहाज़ा उनमें इख़्तिसार से काम लिया जाएगा और बसा औक़ात हवाले पर ही बस करना काफ़ी होगा। अल्लाह ए'तिराज़ करने वाले साहब को ज़िन्दा रखे, उनके ए'तिराज़ की बदौलत सहीह बुख़ारी के मतलअ हक़ीक़त से इल्ज़ामात का गर्दो–गुबार दूर हो गया और उसके चेहरे का निखरा रंग अहले नज़र के सामने पेश हो गया।

माँगा करेंगे अब से दुआ हिज्रे यार की, आख़िर तो दुश्मनी है अषर को दुआ के साथ

रिसाले का जवाब शुरू करने से पहले चन्द ज़रूरी और मुफ़ीद उमूर का तज़्किरा किया जा रहा है जिससे किताब पर रोशनी पड़ने की उम्मीद है। **वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ु वल मूईन**

इमाम बुख़ारी (रह.) :

हमारे ज़ुल्मकश डॉक्टर उमर करीम ने अपनी हनफ़ियत की वजह से रिसाला जिरह में अक्षर मक़ामात पर यह इल्ज़ाम रखा है कि हनफ़िया के नज़दीक उनका इल्मो–फ़हम, इज्तिहादो–दिरायत व इरफ़ान चूँकि ग़ैर मुसल्लम षाबित नहीं है लिहाज़ा हनफ़ी लोग उनके क़ाइल क़द्र नहीं हो सकते। इसलिये मुनासिब मा'लूम होता है कि इमाम बुख़ारी की निस्बत महज़ हनफ़िया के अक़्वाल पेश कर दूँ ताकि असली हनफ़ी को सरताबी की गुंजाइश न हो। शामी (दुर्रे–मुख़्तार) के मुअल्लिफ़ (सम्पादक) को कौन नहीं जानता जिनका नामे नामी इब्ने आबिदीन है और मुसल्लम हनफ़ी हैं। अपनी किताब 'उक़ूदुल लाली' में फ़र्माते हैं,

'अल जामिउल्मुस्नदुस्सहीहु लिअमीरिल मुअमिनीन व सुल्तानिल मुहद्दिषीन अल हाफ़िज़ुश्शहीर वन्नाक़िदल बसीर मन कान वुजूदुहू मिन्निअमिल कुबरा अलल्आलमि अल हाफ़िज़ु लिसुन्नति रसूलिल्लाहि (ﷺ) अत्तबत्तुल हुज्जतुल वाज़िहुल्मुहज्जतु मुहम्मद बिन इस्माईल अल बुख़ारी व क़द अज्मअ़ष्षिक़ातु अला हिफ़्ज़िही व इतक़ानिही व ज़लालति क़दरिही व तमीज़िही अला मन अदाहू मिन अहलि अस्रिही व किताबुहू असहहुल्कुतुबि बअद किताबिल्लाहि तआला व असहहुल मिन सहीहि मुस्लिम व मनाक़िबुहू ला तुस्तक़्सा बिख़ुरूजिहा अन

अन तुहसा व हिय मुन्कसमतुन इला हिफ़्ज़िन व दिरायतिन व इज्तिहादिन फ़ित्तह्सीलि वरिवायतिन व नुसुकिन व इफ़ादतिन व वरइन व जुहदतिन व तहक़ीक़िन व इतक़ानिन व तमक्कुनिन व इरफ़ानिन व अहवालिन व करामातिन व हाज़िही इबारातुन लैसत बिकष्रतिन व लाकिन मआनीहा गज़ीरतुन व कद अफ़रद कषीरुम्मिनल उलामाइ तर्जमतहू बित्तालीफ़ि व औदअहा फ़ी क़ालिबित्तसीफ़ि व जकर मिन करामातिही व मनाक़िबिही व अहवालिही मिन इब्तिदाइ अम्रिही इला आख़िरि मा लहू व मख़्तुस्स बिही सहीहहू मिनल ख़ुसूसिय्यातिल मुतकाषरति व यअलमु बिहिस्सामिउ अन्न ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि तआला यूतीहि मंय्यशाउ मिन इबादिही व यतयक्कनु अन्नहू मुअजज़तुन लिर्रसूलि (ﷺ) हैषु वुजिद फ़ी उम्मतिही मिष्लु हाज़ल फ़रीदिल अदीमिन्नज़ीरि रहिमल्लाहु रूहहू व नूर मर्कदिही व ज़रीरिही व हशरूना फ़ी ज़ुमरतिही तहत लिवाइ सय्यिदिल मुर्सलीन इन्तिहा उक़ूदुल्लाली' (पेज नं. 102)

जामेअ मुस्नद सहीह के मुअल्लिफ़ अमीरुल मुअमिनीन, सुल्तानुल मुहद्दिषीन, हाफ़िज़, मशहूर, परखने वाले तजुर्बेकार, जिनका वजूद दुनिया में बहुत बड़ी ने'मतों में से था। रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नतों के हाफ़िज़, निहायत मो'तबर, राह के वाज़ेह करने वाले मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी, कि तमाम षिक़ा लोगों ने उनके हिफ़्ज़ और इतक़ान और बुज़ुर्गी शान और उनके ज़माने वालों पर मुम्ताज़ होने पर इज्माअ किया है। उनकी किताब (सहीह बुख़ारी) अल्लाह तआला की किताब (क़ुर्आन मजीद) के बाद सबसे सहीह किताब है हत्ताकि मुस्लिम से भी ज़्यादा सहीह है और उनकी ता'रीफ़ें बेहद हैं कि गिनी नहीं जा सकतीं। वो हिफ़्ज़ो-दिरायत, इज्तिहादो-रिवायत, इबादत और इफ़ादा, परहेज़गारी और ज़ुहद, तहक़ीक़ और इतक़ान, तमक्कुन और इरफ़ान, और अहवाल व करामात पर मुन्क़सिम हैं और ये इबादतें बहुत नहीं हैं लेकिन इनके मा'नी बहुत हैं। बहुत से उलमा ने उनका तर्जुमा और हालात अलग से लिखे हैं और उसको क़ालिबे बयान में लाए हैं। उनकी करामतों और मन्क़बतों और हालतों को इब्तिदा से इन्तहा तक ज़िक्र किया है और उनकी (जामेअ) सहीह के अन्दर जो बहुत सी ख़ुसूसियात हैं उनको भी बयान किया है कि जिससे सुनने वाला मा'लूम कर लेगा। ये अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है कि अपने बन्दों में से जिसको चाहे अता करे। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का मो'जज़ा है कि आप (ﷺ) की उम्मत में ऐसे-ऐसे नादिर, नायाब और बे-मिष्ल लोग पाए गये हैं। अल्लाह तआला उनकी रूह पर रहम करे और उनकी ख़्वाबगाह क़ब्रों को मुनव्वर (रोशन, प्रकाशमान) करे। और हम लोगों को उनके ज़ुमरे में दाख़िल करके सय्यिदुल मुर्सलीन के झण्डे के नीचे महशूर व मुज्तमअ (इकट्ठा) करे, आमीन! इन्तहा

अल्लाहु अक्बर ! कोई हनफ़ी तो इमाम बुख़ारी (रह.) के ज़ुमरे में दाख़िल होने की तमन्ना करे, दुआएं माँगे और कोई इतना मुतनफ़्फ़िर? सच है,

कुलाहे ख़ुसरवी व ताजे शाही, बहरे कल के रसद हाशा व कल्ला

सच पूछिये तो इसके बाद किसी हनफ़ी की इबारत पेश करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि अल्लामा शामी हनफ़ी ने तमाम झगड़ों का फ़ैसला कर दिया और इमाम बुख़ारी (रह.) की जामेअ सहीह की सच्ची हालत बयान करके हमें डिग्री दे दी। लेकिन हमारे मुअतरिज़ (आलोचक) डॉक्टर उमर करीम के नज़दीक ऐनी हनफ़ी का ज़्यादा ए'तिबार (विश्वास) है, इसलिये कि उन्होंने अपने रिसाले 'अल जरह' में ज़्यादातर इबारतें ऐनी हनफ़ी की पेश की हैं। लिहाज़ा मुनासिब है कि हम भी अल्लामा ऐनी हनफ़ी का क़ौल पेश करें कि उनके नज़दीक इमाम बुख़ारी (रह.) का क्या रुतबा था?

ऐनी हनफ़ी का क़ौल :

चुनाञ्चे फ़र्माते हैं,

'अल हाफ़िज़ुल हफ़ीज़ुश्शहीरुल मुमय्यिज़ुन्नाकिदुल बसीरुल्लज़ी शहिदत बिहिफ़्ज़िही अल उलामाउष्षिक़ातु वअतरफ़त बिज़ब्तिही अल मशाइख़ु अलइष्बातु व लम युन्किर फ़ज़्लहू उलामाउ हाज़श्शानि व ला तनाज़अ फ़ी स़िह्हति तनक़ीहिदही इष्नानि अल इमामुल हुमामु हुज्जतुल इस्लामि अबू अब्दुल्लाहि मुहम्मदुब्नु इस्माईल बुख़ारी असकनहुल्लाहु तआला बिजाबीह जन्नातिही बिअफ़विहिल जारी इन्तिहा' (उम्दतुल क़ारी जिल्द 1 पेज नं. 5)

'हाफ़िज़, निगहबान, मशहूर, तमीज़ करने वाले, परखने वाले, तजुर्बेकार; जिनके हिफ़्ज़ (याददाश्त) की गवाही मो'तबर उ़लमा ने दी है और उनके ज़ब्त का इक़रार मोअ़तर मशाएख़ ने किया है। और इस शान के उ़लमा ने उनके फ़ज़्ल का इन्कार नहीं किया और यहाँ तक कि उनकी परख के सहीह होने में दो शख़्सों ने भी इख़्तिलाफ़ (मतभेद) नहीं किया। इमाम बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.); अल्लाह उनको उफ़्वे–जारी के सदक़े में अपनी जन्नत के बीच में जगह दे।'

अ़ल्लामा ऐनी का तो इमाम के साथ ये अ़क़ीदा है और आप का कुछ और ही ख़याल है। नामा'लूम आपकी हनफ़ियत किस रंग की है। हालांकि बीते ज़माने के हनफ़िया के ख़याल और आपके तअ़स्सुब में आसमानो –ज़मीन का फ़र्क़ है। देखिये अ़ल्लामा मुल्ला अ़ली क़ारी हनफ़ी क्या लिखते हैं?

'अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीषि व नासिरु लअहादीषिन्नबविय्यति व नाशिरुल मवारीषिल मुहम्मदिय्यति लम युर फ़ी जमानिही मिष्लुहु मिन जिहति हिफ़्ज़िल हदीषि व इतक़ानिही व फ़हमि मआनी किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही मिन हैषिय्यति हिद्दति जिहनिही व दिक़्क़ति नज़रिही व वुफ़ूरि फ़िक्हिही व कमालि ज़ुहदिही व ग़ायति वरइही व कष्रति इत्तिलाइही अला तुरूकिल हदीषि व इललिही व कुव्वति इज्तिहादिही व इस्तिम्बातिही इन्तहा'
(मिरक़ात जिल्द 1 पेज नं. 12)

'मो'मिनीन के अमीर हदीष में, मदद करने वाले नबवी हदीषों के, फैलाने वाले मुहम्मदी मीराषों के, नहीं देखा गया उनके ज़माने में मिष्ल उनका, जहत से हिफ़्ज़े हदीष और इत्क़ाने हदीष और समझने मा'नी कुर्आनो–हदीष के और ब -हैषियत तेज़ी और ज़हनो–बारीकी नज़रो–ज़्यादती फ़िक़्हो–कमाल, ज़ुहदो–इनायत परहेज़गारी और बहुत इत्तिला सनदों पर हदीष और इल्लतों पर हदीष के और कुव्वतो–इज्तेहादो–इस्तिंबात का।

सुब्हान अल्लाह! क्या कमाल था इमाम बुख़ारी (रह.) को, कि जिसके ज़िक्र से हनफ़ी मुहक़्क़िक़ भी रतबुल लिसान है। ऐसे बाकमाल इमाम की शान में आजकल के हनफ़ी (जो दरअसल अपनी हनफ़ियत में भी धब्बा लगाते हैं), कैसी गुस्ताख़ियाँ करते हैं। अल्लाह उनको समझे।

शैख़ अ़ब्दुल हक़ हनफ़ी व शैख़ नूरुल हक़ हनफ़ी के अक़्वाल :

मुल्ला अ़ली क़ारी हनफ़ी के समान बल्कि उन्हीं की इबारत का तर्जुमा शैख़ अ़ब्दुल हक़ हनफ़ी देहलवी ने 'अशअ़तुल लमआ़त जिल्द 1 पेज नं. 9' पर और उनके साहबज़ादे शैख़ नूरुल हक़ हनफ़ी देहलवी ने 'तैयसीरुल क़ारी जिल्द 1 पेज नं. 2' में एक समान लफ़्ज़ों में किया है, 'बुख़ारी, पेशवा व मुक़्तदा-ए-फ़न्ने हदीष व अहल आँबूदादा और दर्मियान मुहद्दिषान अमीरिल मोमिनीन फ़िल हदीष व नासिरुल अहादीषुल मुहम्मदिया अल्क़ाब उस्तवे व दरज़मान ख़ुद दर हिफ़्ज़'

हिन्दुस्तान में तहरीके अहले हदीष :

अज़ क़लम उस्ताज़ुल असातिज़ा बहरुल उ़लूम हज़रत उस्ताज़ मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमानी अमलवी यके अज़ बानियान, मर्कज़ी दारुल उ़लूम बनारस यू.पी.

उर्दू अनुवादित इस बुख़ारी शरीफ़ की इशाअ़त का अ़ज़ीम मक़सद आज की नई नस्लों और आइन्दा आने वाले इस्लाम के नौनिहालों को सहीह और ठीक–ठीक इस्लाम से मुतआ़रफ़ (परिचित) कराना है। इसी ठीक–ठीक इस्लाम का दूसरा फ़िक़्ही नाम मस्लके अहले हदीष है, जिसकी बुनियाद किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) पर है और सुन्नते नबवी (ﷺ) का सहीह व जामेअ़ ज़ख़ीर–ए–मुबारक ये किताब बुख़ारी शरीफ़ है। इसलिये मुनासिब मा'लूम हुआ कि क़ारेईने किराम को तहरीके

अहले ह़दीष़ से परिचित कराया जाए जिसके लिये ह़ज़रत उस्ताज़ुल असातिज़ा मौलाना नज़ीर अहमद साह़ब (रह.) का ये मक़ाला मुक़द्दमा में दर्ज किया जा रहा है ताकि क़ारेईने किराम तहरीके अहले ह़दीष़ की ह़क़ीक़त से वाक़िफ़ हो जाएं।

उम्मीद है कि ये मक़ाला उस इ़ज़्ज़त की निगाहों से ग़ौर के साथ (ध्यानपूर्वक) पढ़ा जाएगा, जिसका ये मुस्तह़िक़ (ह़क़दार) है। (ख़ादिम मुह़म्मद दाऊद राज़)

इस तहरीक की इ़मारत उसूल के लिहाज़ से ठीक उन्हीं बुनियादों पर क़ाइम है जिन पर ख़ुद इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। इसलिये इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि ख़ुद इस्लाम की तारीख़ है। लेकिन मेरा मौज़ूअ़ (विषय) मह़दूद (सीमित) है। मुझे सिर्फ़ बंटवारे से पहले के हिन्दुस्तान की तहरीके अहले ह़दीष़ पर (और वो भी सियासी ख़िदमतों के नुक़्त–ए–नज़र से) एक सरसरी निगाह डालनी है। इसलिये इसकी उ़मूमी तारीख़ से क़त्अ़ नज़र करते हुए मैं अपने मौज़ूअ़ की ह़दों में रहकर ही बातचीत करना चाहता हूँ।

तहरीक का इजमाली तआ़रुफ़ :

तहरीक अहले ह़दीष़ और इसकी दा'वत, उसके अष़रात और उसके कारनामों के मुता'ल्लिक़ हम अपनी त़रफ़ से कुछ कहने के बजाय हिन्दुस्तान के एक ऐसे आ़लिम की तहरीरों के कुछ इक्तिबासात (उद्धरण, अंश) पेश कर देना मुनासिब समझते हैं, जिनकी इ़ल्मी जलालत और तारीख़ी बसीरत का लोहा दुनिया मान चुकी है। वो हैं मौलाना सैयद सुलैमान साह़ब नदवी मरहूम। सैयद साह़ब लिखते हैं, 'हिन्दुस्तान पर अल्लाह तआ़ला की बड़ी रह़मत हुई कि ऐन तनज़्ज़ुली (ज़वाल, पतन) और सकूत (चुप्पी) के आग़ाज़ में शाह वली उल्लाह साह़ब (रह.) के वजूद ने मुसलमानों की इस्लाह और दा'वत का नया निज़ाम तैयार कर दिया था और वो **'रुजूअ़ इला दीनिस्सलफ़िस्सालिहीन'** (सलफ़े–स़ालेह के दीन की तरफ लौटना) है। इस दा'वत ने हिन्दुस्तान में फ़रोग़ ह़ासिल किया। भले ही राजनीतिक हैष़ियत से ये नाकाम रहा लेकिन नज़री व मज़हबी व इ़ल्मी हैष़ियत से इसकी जड़ें मज़बूत बुनियादों पर क़ाइम हैं, जिनको हिन्दुस्तान का सियासी इंक़लाब (राजनीतिक क्रान्ति) भी अपनी जगह से हिला न सकी।

इस तहरीक का अव्वलीन उसूल यह था कि इस्लाम को बिदआ़तों से पाक करके, इ़ल्मो–अमल (ज्ञान व कर्म के क्षेत्र) में सलफ़ व सालेहीन की राह पर चलने की दा'वत मुसलमानों को दी जाए और फ़िक़्ही मसाइल में फ़ुक़हा–ए–मुह़द्दिष़ीन के तर्ज़ को इख़्तियार किया जाए। यहाँ से सैयद साह़ब ही की त़रफ़ से एक ह़ाशिया है, जिसमें वो फ़र्माते हैं, 'लोगों ने इसको भी मुख़्तलफ़ फ़ीह मसला बना रखा है कि वो फ़िक़्ह में क्या थे? ह़ज़रत शाह साह़ब ने अपने सवानेह ह़यात (जीवनी) 'अल जुज़ उल लतीफ़' के आख़िर में अपने को ख़ुद ही बता दिया है कि वो क्या थे ? फ़र्माते हैं, **'व बअ़द मिलाख़ता कुतुबे मज़ाहिबे अर्बआ़ व उसूले फ़िक़्ह ईशां व अह़ादीष़े के मुतमस्सिके ईशां अस्त क़रारदारे ख़ातिर ब–मदद नूरे ग़ैबी रविश फ़ुक़हा–ए–मुह़द्दिष़ीन अफ़्ताद'** या'नी चारों मज़हबों की फ़िक़्ह और उनकी उसूले फ़िक़्ह की मक्की किताबों और उन अह़ादीष़ के ग़ाइर मुतलअ़े (गहन अध्ययन) के बाद जिनसे वो ह़ज़रात अपने मसाइल में इस्तिनाद (सनदें) फ़र्माते हैं, नूरे ग़ैबी की मदद से फ़ुक़हा– ए–मुह़द्दिष़ीन का त़रीक़ा दिल में नशीं हुआ।

उसी ज़माने में यमन और नज्द में ऐसी तहरीक की तज्दीद (नवीनीकरण) का ख़याल पैदा हुआ जिसको सातवीं स़दी के आख़िर और आठवीं स़दी के शुरू में अ़ल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) और इब्ने क़य्यिम (रह.) ने मिस्र और शाम (सीरिया) में शुरू किया था। जिसका मक़स़द ये था कि मुसलमानों को अइम्म–ए मुज्तहिदीन की मुन्जमिद (रूढ़िवादी) तक़लीद और बे–दलील पैरवी से आज़ाद करके अ़क़ाइदो–आ'माल में अस़ल किताबो–सुन्नत की इत्तेबाअ़ (पैरवी) की दा'वत दी जाए। मौलाना इस्माईल शहीद (रह.) के दौर में ये तहरीक हिन्दुस्तान तक भी पहुँची और ख़ालिस़ वलीउल्लाही तहरीक के साथ आकर मुनज़्ज़म (संगठित) हो गई। इसी का नाम हिन्दुस्तान में अहले ह़दीष़ है। (मुक़द्दमा सिंधी : अफ़्कार पर एक नज़र)

सैयद साह़ब के इस बयान के नीचे लिखे कुछ फ़ायदे ख़ास़ तौर पर क़ाबिले–तवज्जुह (विचारणीय) हैं ।

(1). हिन्दुस्तान में जिस दीनी तहरीक और दा'वतो -मस्लक का नाम 'अहले ह़दीष़' है, वो 'ख़ालिस़ वलीउल्लाही' तहरीक है। दूसरे लफ़्ज़ों में हिन्दुस्तान में इस तहरीक के अव्वलीन दाऔ़ (पहले प्रवर्तक) शाह वली उल्लाह अ़लैहिर्रहमा हैं।

(2). इस तहरीक का अव्वलीन उसूल और बुनियादी मक़सद ये है कि इस्लाम को बिदअ़तों से पाक किया जाए और मुसलमानों को मुन्जमिद तक़लीद और अइम्म–ए–मुज्तहिदीन की बे–दलील पैरवी से आज़ाद करके अ़क़ाइद व आ'माल में किताबो–सुन्नत की दा'वत दी जाए।

(3). इस तहरीक को फ़रोग़ व उरूज मौलाना इस्माईल शहीद (रह.) के दौर में ह़ासिल हुआ।

ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी अ़लैहिर्रहमा की पैदाइश 1114 हिजरी (1563 ईस्वी) और वफ़ात 1176 हिजरी (1624 ईस्वी) में हुई। इस लिहाज़ से आपकी विलादत हिन्दुस्तान के मशहूर व दीनदार बादशाह औरंगज़ेब आ़लमगीर (रह.) की वफ़ात से चार साल पहले हुई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि अब तक हिन्दुस्तान किताबो–सुन्नत की रोशनी से सिरे से ही महरूम था। ताहम ये ज़रूर है कि तक़लीदे–जामिद के बंधनों से आज़ाद होकर फ़ुक़हे– ए–मुहद्दिषीन के त़रीक़ पर बराहे–रास्त किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुतमस्सक क़रार देना, इस ज़हनो–फ़िक्र की बुनियाद ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह साह़ब ही ने डाली है। इसीलिये ये कहना बिल्कुल सह़ीह़ होगा कि हिन्दुस्तान में मस्लके अहले ह़दीष और तह़रीके अहले ह़दीष के सबसे पहले दाअ़ी ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी अ़लैहिर्रहमा ही हैं। शाह साह़ब मौसूफ़ ने अपनी तस़ानीफ़ (लेखनियों) में तक़लीद और अ़मल बिल ह़दीष के मस्लक को ख़ूब निखारा है। ख़ास़ तौर पर ह़ुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में तो ह़ुज्जत पूरी कर दी। इसीलिये बक़ौल मौलाना उ़बैदुल्लाह सिंधी (रह़.), ह़ज़रत शाह इस्माईल शहीद (रह़.) ने ये किताब अपने चचा शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ अ़लैहिर्रहमा से पढ़ी तो उसका अ़मली नमूना बनकर मैदान में आ गये। मौलाना सिंधी फ़र्माते हैं,

'जब मौलाना मुह़म्मद इस्माईल शहीद (रह़.) ह़ुज्जतुल्लाह इमाम अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से पढ़ी तो अपने जद्दे अमजद (पूर्वज) के त़रीक़े पर अ़मल शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी एक ख़ास़ जमाअ़त भी तैयार की जो ह़ुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पर अ़मल करे। ये लोग शाफ़िइय्या की तरह रफ़यदैन और आमीन बिल ज़हर करते थे, जैसा कि सुनन में मरवी है। इससे देहली के अ़वाम में शोरिश (बग़ावत) फैलती रही मगर ह़िज़्बे वलीउल्लाह का कोई आ़लिम मौलाना इस्माईल शहीद (रह़.) और उनकी जमाअ़त पर ए'तिराज नहीं कर सकता था।' (शाह वलीउल्लाह और उनकी सियासी तहरीक, दूसरा एडीशन पेज नं. 105)

ये उनकी शहादत है जो मौलाना इस्माईल शहीद (रह़.) की 'ख़ास़ जमाअ़त' (अहले ह़दीष) से सख़्त नाराज़ थे। इसलिये कहना चाहिये कि ये **'अल फ़ज़्लु मा शहिदत बिहिल अअ़दाउ'** की मिस्दाक़ (चरितार्थ) है।

शाह वलीउल्लाह (रह़.) की तह़रीक से तक़लीदे–जामिद से इन्कार और किताबो–सुन्नत के साथ बराहे रास्त तमस्सुक (ग्रहण करने) की ताकीद के मुता'ल्लिक बड़ी ता'दाद में इक़्तिबासात (उद्धरण, हवालाजात) पेश किये जा सकते हैं। लेकिन इख़्तिसार (संक्षेप) के ख़याल से यहाँ सिर्फ़ एक इबारत नक़ल करने पर इक्तिफ़ा करता हूँ (पर्याप्त समझता हूँ)। शाह साह़ब फ़र्माते हैं,

'व रुब्ब इन्सानिम्मिन्कुम यबलुग़ुहू ह़दीषुम्मिन अह़ादीषि नबिय्यिकुम फ़ला यअमलू बिही व यक़ूलू इन्नमा अ़मली अ़ला मज़हबि फ़ुलानिन ला अ़लल ह़दीषि षुम्मह़ताला बिअन्न फ़हमल ह़दीषि वल क़ज़ाई बिही मिन शानिल कमालिल महारति व अन्नल अइम्मत लम यकूनू मिम्मंय्युख़्फ़ी अ़लैहिम हाज़ल ह़दीष फ़मा तरकुहू इल्ला लिवजहिन ज़हर लहुम फ़िद्दीनि मिन नसख़िन औ मरजुहिय्यतिन इलमू अन्नहू लैसा मिद्दीनि फ़ी शैइन इन आमनतुम बिनबिय्यिकुम फ़त्तबिउहू ख़ालफ़ मज़हबन औ वाफ़क़हू कान मरजल हक़्क़ि अन तशतग़िल्ल बिकिताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही इब्तिदाअन फ़इन सहल अ़लैकुमुल अख़्ज़ु बिहिमा फ़बिहा व निअ़मत व इन क़सुरत अफ़हामुकुम फ़सतईनु बिराम्मिम्मानिम्मि लउलमाउ मा तरौहु अह़क़्क़ु व असरहु व अवफ़क़ु बिस्सुन्नति इन्तिहा.'
(तफ़्हीमाति इलाहियह जिल्द अव्वल स. 214)

तर्जुमा : तुम में बहुत से ऐसे आदमी हैं, जिनके पास नबी (ﷺ) की ह़दीषों में से कोई ह़दीष पहुँचती है लेकिन वो उस पर अ़मल नहीं करते बल्कि कह देते हैं कि हमारा अ़मल फ़लां (इमाम) के मज़हब पर है, ह़दीष पर नहीं है। इसके लिये वो हीला (बहाना) बयान करते हैं कि ह़दीषों का समझना और उसके मुताबिक़ फ़ैसला करना माहिरीन और बा–कमाल (इमामों) का काम है। हमारे इमाम ऐसे न थे जिनको यह ह़दीषें मा'लूम न रही हो। इसलिये जब जान–बूझकर उन्होंने इस ह़दीष को छोड़ दिया है तो

ज़रूर इसकी कोई वजह है। या तो ह़दीष़ मन्सूख़ (रद्दशुदा) है या मरूजूअ़ है (शाह स़ाह़ब इस ह़ीले/बहाने के जवाब में फ़र्माते हैं) ख़ूब जान लो (तुम्हारे) इस (ह़ीले) का दीन से कुछ लगाव नहीं है। अगर तुम अपने नबी (ﷺ) पर ईमान लाए हो तो हर हाल में उनकी इत्तिबा करो। चाहे उनकी बात किसी इमाम के मज़हब से मुवाफ़िक़ (अनुकूल) हो या मुख़ालिफ़ (विपरीत)। (ये भी जान लो) कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक पसन्दीदा बात ये है कि तुम अल्लाह तआ़ला की किताब और उसके नबी (ﷺ) की सुन्नत के साथ सबसे पहले मशग़ूलियत (व्यस्तता) इख़्तियार करो। अगर क़ुर्आन और ह़दीष़ को ख़ुद समझ लो तो उससे बेहतर क्या है? और अगर तुम्हारी समझ इससे क़ासिर (नाकाम/असमर्थ) हो तो गुज़िश्ता उ़लमा की रायों से मदद लो। उनमें से जिसकी बात को ह़क़ पाओ और उसे सुन्नत के मुताबिक़ देखो, उसे ले लो।

इस इक़्तिबास में शाह स़ाह़ब ने किताबो-सुन्नत के साथ जिस तरह का इश्तिग़ाल इख़्तियार करने को अल्लाह तआ़ला की 'पसन्दीदा बात' क़रार दिया है और उससे क़ुर्आनो-ह़दीष़ के साथ जिस त़रीक़े-अमल को इख़्तियार करने की मुसलमानों को दा'वत दी है, अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि अहले ह़दीष़ ठीक उसी बात के क़ाइल हैं और उसी को अपना मस्लक जानते हैं और दूसरों को भी उसकी दा'वत देते हैं। इसलिये बिला शुब्हा (निस्संदेह) शाह स़ाह़ब अहले ह़दीष़ मस्लक के दाऒ मुअस्सिस व मुक़्तदा (जिसका सब लोग अनुकरण करें/अग्रसर) थे। (माख़ूज़ अज़ किताब अहले ह़दीष़ और सियासत)

तहरीके अहले ह़दीष़ के नतीजे व प्रभाव

अज़ फ़ाज़िले दौरां ह़ज़रत मौलाना सय्यद सुलैमान स़ाह़ब नदवी (रह़.)

इस तह़रीक ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर क्या अष़र किया और उसकी बदौलत किस क़िस्म की इस्लाह हुई, उसका ह़ाल जानने के लिये भी मौलाना सुलैमान नदवी मरहूम का ही नीचे लिखा हुआ बयान पढ़ें। सय्यद स़ाह़ब फ़र्माते हैं, 'अहले ह़दीष़' के नाम से मुल्क में इस वक़्त भी जो तहरीक जारी है, ह़क़ीक़त की रू से वो क़दम नहीं सिर्फ़ नक़्शे-क़दम है। मौलाना इस्माईल शहीद (रह़.) जिस तह़रीक को लेकर उठे थे, वो फ़िक़ह के चन्द मसाइल न थे बल्कि इमामते कुबरा, तौह़ीदे ख़ालिस़ और इत्तिबा-ए-नबी (ﷺ) की बुनियादी ता'लीमात थीं। मगर अफ़सोस ये कि सैलाब निकल गया और बाक़ी जो रह गया है वो पानी की फ़क़त लकीर है। बहरहाल इस तह़रीक के जो अष़रात पैदा हुए और उस ज़माने से आज तक दूर-दराज की सतह में से जो जुंबिश हुई वो भी हमारे लिये बजाय ख़ुद मुफ़ीद और लाइक़े-शुक्र है। बहुत सी बिदअ़तों का इस्तिस़ाल (उन्मूलन, जड़ से ख़ात्मा) हुआ, तौह़ीद की ह़क़ीक़त निखारी गई, क़ुर्आन की ता'लीम व तफ़्हीम का आग़ाज़ हुआ। क़ुर्आन पाक से बराहे-रास्त हमारा रिश्ता दोबारा जोड़ा गया। ह़दीषे़ नबवी (ﷺ) की ता'लीम व तदरीस और तालीफ़ व इशाअ़त की कोशिशें कामयाब हुईं और दा'वा किया जा सकता है कि पूरी इस्लामी दुनिया में सिर्फ़ हिन्दुस्तान ही को इस तह़रीक के ज़रिये ये दौलत नसीब हुई। नीज़ फ़िक़ह के बहुत से मसलों की छान-बीन हुई (ये और बात है कि कुछ लोगों से ग़लतियां भी हुई हों) लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दिलों से इत्तिबा-ए-नबवी (ﷺ) का जो जज़्बा गुम हो गया था वो सालों-साल के लिये दोबारा पैदा हो गया मगर अफ़सोस है कि अब वो भी जा रहा है। (अल्लाह पाक अहले ह़दीष़ ह़ज़रात को ये बयान ग़ौर से मुतालआ़ करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़र्माए, आमीन)

इस तह़रीक की हमागीर ताष़ीर ये भी थी कि वो 'जिहाद' जिसकी आग इस्लाम के मुजस्समे (पुतले) में ठण्डी पड़ गई थी, वो फिर भड़क उठी। यहाँ तक कि एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा कि वहाबी और बाग़ी मुतरादिफ़ (बराबर, समानार्थी) लफ़्ज़ समझे गये और कितनों के सर क़लम हो गये और कितनों को सूलियों पर लटकना पड़ा और कितने पाबजूलां दरिया-ए-शोर उबूर कर दिये गये (पाँवों में बेड़ियाँ डालकर अण्डमान की जैल/काला पानी की सज़ा भुगतने वाले क़ैदी बना दिये गये) या तंग कोठरियों में उन्हें बन्द होना पड़ा। और अब पर्दा कैसा? स़ाफ़ कहना है कि मौलाना अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रह़ीमाबादी की ज़िन्दगी तक तह़रीक के अ़लम्बरदारों में ये रूह़ काम कर रही थी। अफ़सोस कज़ क़बीला मजनूं कसे नमानद।

अहले ह़दीष़ उ़लमा की तदरीसी और तसनीफ़ी ख़िदमत (अध्यापन व लेखन की सेवा) भी क़द्र किये जाने के क़ाबिल है। पिछले दौर में नवाब सिद्दीक़ ह़सन ख़ान मरहूम के क़लम और मौलाना सय्यद नज़ीर हुसैन देहलवी (रह़.) की तदरीस से बड़ा फ़ैज़ (लाभ) पहुँचा। भोपाल एक ज़माने तक उ़लम–ए–अहले ह़दीष़ का मर्कज़ रहा। क़न्नौज, सहवान और आज़मगढ़ के बहुत से नामवर अहले इ़ल्म इस इदारे में काम कर रहे थे। शैख़ हुसैन अ़रब यमनी उन सबके सरख़ैल (सरदार) थे और देहली में मौलाना सय्यद नज़ीर हुसैन स़ाह़ब की मसनदे–दर्स बिछी हुई थी और झुण्ड के झुण्ड ह़दीष़ के तलबगार पूरब व पश्चिम से उनकी दर्सगाह का रुख़ कर रहे थे। उनकी दर्सगाह से जो नामवर उठे उनमें से एक मौलाना इब्राहीम स़ाह़ब आरवी थे जिन्होंने सबसे पहले अ़रबी ता'लीम और अ़रबी मदरसों में इस्लाह़ का ख़याल क़ायम किया और मदरसा अहमदिया की बुनियाद डाली। इस दर्सगाह के दूसरे नामवर मौलाना शम्सुल ह़क़ स़ाह़ब मरहूम (स़ाहिबे औ़नुल मअ़बूद) हैं जिन्होंने अह़ादीष़ की किताबों के जमा करने और इशाअ़त (प्रकाशित) करने को अपनी दौलत और ज़िन्दगी का मक़सद क़रार दिया। इसमें वो कामयाब भी हुए और इस दर्सगाह के तीसरे नामवर ह़ाफ़िज़ अ़ब्दुल्लाह स़ाह़ब ग़ाज़ीपुरी हैं जिन्होंने दर्सो–तदरीस (पढ़ाने) के ज़रिये ख़िदमत की। कहा जा सकता है कि मौलाना सय्यद नज़ीर हुसैन स़ाह़ब के बाद दर्स का इतना बड़ा हलक़ा (क्षेत्र) और शागिर्दों का मजमा उनके सिवा किसी और को उनके शागिर्दों में नहीं मिला। उस दर्सगाह से एक और नामवर तर्बियतयाफ़्ता हमारे ज़िला (आज़मगढ़) में मौलाना अ़ब्दुर्रह़मान स़ाह़ब मुबारकपुरी (मरहूम) थे जिन्होंने तदरीसो–तह़दीष़ के साथ जामेअ़ तिर्मिज़ी की शरह़ तुह़फ़तुल अह़वज़ी (अ़रबी) लिखी।

उलाइक आबाई फ़जिअनी बिमिष़्लिहिम व इज़ाजमअतना या जरीरुल मजामिइ

इस तह़रीक का एक और फ़ायदा ये हुआ कि मुद्दत का ज़ंग (मोर्चा/काट) तबियतों से दूर हुआ। जो ख़याल हो गया था कि अब तह़क़ीक़ का दरवाज़ा बन्द और नये इज्तिहाद का रास्ता मस्दूद (अवरुद्ध/बन्द) हो चुका है, वो रफ़ा (दूर) हो गया और लोग फिर नये सिरे से तह़क़ीक़ व काविश के आ़दी होने लगे। कुर्आन पाक और अह़ादीष़े मुबारका से दलीलों की ख़ू (प्रकृति/आ़दत) पैदा हुई और क़ीलो–क़ाल के मुकद्दर (किन्तु–परन्तु के मलिन/मैले) गड्ढों की बजाय ह़िदायत के अस़ली स़ाफ़–सुथरे सरचश्मे (झरने) की तरफ़ वापसी हुई। (मुक़द्दमा तराजिम उ़लमा–ए–ह़दीष़ हिन्द)

सय्यद स़ाह़ब का दूसरा बयान :

यही मौलाना सय्यद सुलैमान स़ाह़ब नदवी मरहूम 'सीरत सय्यद अह़मद शहीद' के मुक़द्दमे में लिखते हैं, 'तेरहवी स़दी (हिजरी) में जब एक तरफ़ हिन्दुस्तान में मुसलमानों की सियासी ताक़त फ़ना हो रही थी और दूसरी तरफ़ उनमें मुश्रिकाना रस्मों और बिदअ़तों का ज़ोर था। मौलाना इस्माईल शहीद (रह़.) और ह़ज़रत सय्यद अह़मद बरेलवी (रह़.) की मुजाहिदाना कोशिशों ने तजदीदे–दीन की नई तह़रीक शुरू की। ये वो वक़्त था जब सारे पंजाब पर सिखों का और बाक़ी हिन्दुस्तान पर अंग्रेज़ों का क़ब्ज़ा था। उन दोनों बुज़ुर्गों ने अपनी बलन्द हिम्मती से इस्लाम का अ़लम (झण्डा) उठाया और मुसलमानों को इज्तिहाद की दा'वत दी, जिसकी आवाज़ हिमालय की चोटियों और नेपाल की तराइयों से लेकर ख़लीजे–बंगाल (बंगाल की खाड़ी) तक बराबर फैल गई। लोग झुण्ड दर झुण्ड इस झण्डे के नीचे जमा होने लगे। इस मुजद्दिदाना कारनामे की आ़म तारीख़ लोगों को यहीं तक मा'लूम है कि उन मुजाहिदों ने सरह़द पार होकर सिखों से मुक़ाबला किया और शहीद हुए। ह़ालांकि ये वाक़िया इसकी पूरी तारीख़ का एक बाब (पूरे इतिहास का एक अध्याय) है। इस तह़रीक ने अपने पैरवी करने वालों में ख़ुलूस़, इत्तेहाद, नज़्म, सियासत का जो जौहर पैदा कर दिखाया था, उसको समझने के लिये किताब (सीरत अह़मद शहीद) का चौथा बाब काफ़ी है। बंगाल की सरह़द से लेकर पंजाब तक और नेपाल की तराई से लेकर दरिय–ए–शोर के साह़िल (अण्डमान–निकोबार के किनारों) इस्लामी जोश व अ़मल का दरिया मौजें मार रहा था और हैरतअंगेज़ वह़दत (एकता) का समां आखों को नज़र आ रहा था। सय्यद स़ाह़ब के ख़ुलफ़ा (उत्तराधिकारी) हर सूबे और विलायत में पहुँच चुके थे और अपने–अपने दायरे में तजदीदे–इस्लाह और तंज़ीम का काम अंजाम दे रहे थे और मुश्रिकाना रस्मों को मिटाए जा रहे थे। बिदअ़तें छोड़ी जा रही थीं, नाम के मुसलमान काम के मुसलमान बन रहे थे। जो मुसलमान न थे वो भी इस्लाम का कलिमा पढ़ रहे थे (कहते हैं कि इस तह़रीक से चालीस हज़ार ग़ैर–मुस्लिम, मुसलमान हुए), शराब की बोतलें तोड़ी जा रही थीं। आवारगी और फ़ह्हाशी के बाज़ार

सर्द (ठण्डे) हो रहे थे। हक़ व सदाक़त की बलन्दी के लिये उलमा हुजरों से और अमीर लोग ऐवानों (महलों) से निकलकर मैदानों में आ रहे थे और हर क़िस्म की नाचारी, मुफ़लिसी (ग़रीबी) के बावजूद तमाम मुल्क में इस तहरीक के सिपाही फैले हुए थे और मुजाहिद तब्लीग़ व दा'वत में लगे हुए थे।'

हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ साहब नदवी (रह.) :

ऊपर बयान की गई तफ़्सील के साथ बीती सदी के मशहूर व मारूफ़ आलिमे–दीन हज़रत मौलाना अबुल हसन (अली मियाँ) नदवी साहब का तब्सरा भी क़ाबिले मुतालआ (पढ़ने लायक़) है जो आप ने मदरसा दारुल उलूम अहमदिया सलफ़िया दरभंगा (बिहार) में तशरीफ़ ले जाने पर पेश फ़र्माया था। चुनाँचे हम्द व ना'त के बाद मौसूफ़ ने फ़र्माया, 'हिन्दुस्तान में तहरीक अहले हदीष जिन बुनियादों पर क़ायम हुई, वो बुनियादें चार थीं; अक़ीद–ए–तौहीद, इत्तिबा–ए–सुन्नत, जज़्ब–ए–जिहाद और इनाबत इलल्लाह। जिसकी तफ़्सील क़ुर्आन मजीद की आयत **'हुवल्लज़ी बअष़ फ़िल उम्मिय्यिन रसूलम्मिन्हुम'** में अल्लाह तआला ने फ़र्मा दी है। जमाअत अहले हदीष उन्हीं चार चीज़ों का मजमूआ थी। दूसरे लोगों में देखिये कि अगर तौहीद है तो इत्तिब–ए–सुन्नत में कोताही है। अगर इत्तिब–ए–सुन्नत का जज़्बा है तो जज़्बा–ए–जिहाद मफ़्क़ूद (दुर्लभ, ग़ायब) है। अगर कहीं ज़िक्र व फ़िक्र है तो इत्तिब–ए–सुन्नत नहीं। ग़रज़ कि लोगों ने ख़ास–ख़ास चीज़ों को लेकर उन्हें अमल का दारोमदार बना लिया है। इसके विपरीत जमाअते अहले हदीष इन चारों चीज़ों ख़ुसूसियतों का इज्तिमा होकर शहीदैन की सूरत में नमूदार (प्रकट) हुआ और जिस जमाअत ने इन चारों चीज़ों का मुज़ाहरा एक साथ किया, वो जमाअते–सादिक़पुर है जिनका ख़ुलूस और जिनका ता'ल्लुक़ मअल्लाह हर शक व शुब्हा से बालातर (परे) है।' (अहले हदीष और सियासत पेज नं. 15)

इमाम बुख़ारी और सहीह बुख़ारी पर बाज़ ए'तिराज़ात और उनका जवाब :

अख़्बारे अहले फ़िक़ह 17 फ़रवरी 1913 में बुख़ारी शरीफ़ के मुता'ल्लिक़ 18 सवालात शाए हुए थे, जिनके फ़ाज़िलाना जवाब नीचे दर्ज किये जा रहे हैं। (अज़ सुल्ताने क़लम, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम साहब सैफ़ बनारसी रह.)

सवाल (01) : सबसे पहले बुख़ारी को सहीहुल कुतुब किसने कहा और किस ज़माने में और मज़्कूरा किताब की तस्नीफ़ के कितने दिनों बाद कहा?

जवाब : इमाम बुख़ारी (रह.) जब इसकी तालीफ़ से फ़ारिग़ हुए तो उसी वक़्त उन्होंने अपने मशाइख़ इमाम अहमद बिन हम्बल, यह्या बिन मुईन, अली बिन मदीनी वग़ैरह पर इसको पेश किया। सबने इसकी सिह्हत का इक़रार किया और उसी वक़्त से ख़ल्क़ में इसका सहीहुल कुतुब होना शाए हो गया। देखिये हुदस्सारी, मुक़द्दमा मिरक़ात व तहज़ीबुत्तहज़ीब वग़ैरह।

सवाल (02) : जिस वक़्त तक बुख़ारी सहीहुल कुतुब नहीं कही गई थी, उस वक़्त तक उसका कोई ऐसा लक़ब जिससे उसको दीगर कुतुबे अहादीष पर तफ़व्वुक़ हासिल हुआ था या नहीं ? अगर कोई ऐसा लक़ब उसका था तो क्या था? और नहीं था तो क्यों नहीं था?

जवाब : उस वक़्त सहीह बुख़ारी इन जुम्लों से ज़्यादा ता'बीर की जाती, **'हुव अव्वलु मन वज़अ फिल इस्लामि किताबन सहीहन'** (तहज़ीब जिल्द 9) **'व अन्नहू ला नज़ीर लहू फ़ी बाबिही'** (मिरक़ात पेज नं. 15) वग़ैर ज़ालिक या'नी सिह्हत में बेनज़ीर है और इस्लाम में अव्वल ये किताब सहीह तालीफ़ (संकलित) हुई है। यही अदीमुन्नज़ीर होना मा'नी है, असह्हुल्कुतुब का।

सवाल (03) : ख़ुद बुख़ारी या किसी मुहद्दिष अस्हाबे रिवायत ने ख़ुसूसन सिहाह वालों ने किताब बुख़ारी को सहीहुल कुतुब कहा या नहीं?

जवाब : हाँ! ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी किताब को सहीह कहा है। देखिये तहज़ीब जिल्द 19 और उन मुहद्दिषों ने भी कहा जिनके नामों का ज़िक्र ऊपर हुआ और वो सिहाह वालों के मशाइख़ व असातिज़ा हैं।

सवाल (04) : अगर नहीं तो क्यों नहीं कहा?

जवाब : ये लफ़्ज़ असह्हुल्कुतुब नहीं कहा। इसलिये कि उस वक़्त तक सिवाय मुअत्ता इमाम मालिक के कोई हदीष की किताब किसी के पास जमाशुदा मौजूद न थी। फ़न्ने हदीष में दूसरी किताब ये जामेअ सहीह तालीफ़ हुई है और कुतुब लफ़्ज़ जमा

(बहुवचन) है, हालांकि इसके मुक़ाबिल एक मुअत्ता रहती है, इसलिये इसका फ़क़त सहीह कहना भी उस वक़्त इस दर्जे में था जो अहादीष़ की दीगर किताबों की तालीफ़ के वक़्त सहीहुल कुतुब का दर्जा था।

सवाल (05) : इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई व इब्ने माजा ने अपनी–अपनी सहीह में इमाम बुख़ारी से कोई रिवायत की है या नहीं?

जवाब : इमाम तिर्मिज़ी व इमाम निसाई ने अपनी किताब में इमाम बुख़ारी से रिवायतें की हैं।

सवाल (06) : अगर उन लोगों ने रिवायत की है तो किस मक़ाम में है और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या ये लोग किताब बुख़ारी को इस क़ाबिल न समझते थे कि उससे रिवायत करें?

जवाब : इमाम तिर्मिज़ी ने तो बेहद मक़ामात पर इमाम बुख़ारी (रह.) से रिवायत की है जिसका ग़ालिबन आपको भी इल्म है तभी तो सवाल में तिर्मिज़ी का नाम नहीं लिया। हाँ! इमाम निसाई किताबुस्सियाम के बाब **'अल फ़ज़्लु वल जूदु फ़ी शहरि रमज़ान'** की दूसरी हदीष़ को यूँ शुरू फ़र्माते हैं, **'अख़्बरना मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी'** (जिल्द अव्वल) इसके अलावा एक जगह और भी है जिसको हम अभी नहीं बतलाएंगे। बाक़ी रहे इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद व इब्ने माजा उन्होंने सनद नाज़िल हो जाने के ख़ौफ़ से रिवायत नहीं की क्योंकि मुहद्दिष़ीन सनदे–आली के होते हुए सनदे नाज़िल नहीं लेते जिसको हम बारहाँ लिख चुके हैं। (देखिये किताब अल अल कौष़रुल जारी)

सवाल (07) : इमाम बुख़ारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हदीष़ की तलाश में बहुत दूर का सफ़र किया और उनके ज़माने में चार इमाम ख़ानदाने रसूलुल्लाह (ﷺ) के मौजूद थे। अव्वल सय्यिदिना रज़ा अलैहिस्सलाम, दूसरे सय्यिदिना इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम, तीसरे सय्यिदिना इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम और चौथे सय्यिदिना इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम। अब सवाल ये है कि इमाम बुख़ारी हदीष़ों की तलाश में इन चारों अइम्म–ए–दीन, अहले बैत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत शरीफ़ में पहुँचे या नहीं? अगर नहीं रिवायत की तो उसका क्या कारण था? क्या बुख़ारी को ये मा'लूम न था कि 'अहलुल बैति अदरी बिमा फ़ीहा?'

जवाब : इमाम बुख़ारी ने असल अहले बैत (हज़रत आइशा व जुम्ला अज़्वाज उम्महातुल मुअमिनीन) से बेशुमार रिवायतें की हैं, इसी बिना पर कि **'अहलुल बैति अदरी बिमा फ़ीहा।'** बाक़ी रहे मज़्कूर अइम्मा, वे दीन पर तख़्सीस़ (विशेष रूप से) अहले बैत नहीं है। इसके अलावा जिस शख़्स के पास अहादीष़े रसूल (ﷺ) होतीं, उससे ज़रूर रिवायत लेते। सहीह बुख़ारी में अदमे ज़िक्र अदमे रिवायत को मुस्तल्ज़िम (योग्य/पात्र) नहीं है। मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) जवाब के लिये हिस्सा अव्वल में देखिये : पेज नं. 77 से 82 तक।

सवाल (08) : इमाम बुख़ारी ने कहा कि हमने बहुत सारी सहीह अहादीष़ को छोड़ दिया है और किताबे बुख़ारी में दर्ज नहीं किया। अब सवाल ये है कि उन्होंने जान–बूझकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष़ें क्यों छोड़ी, जो कि मुसलमानों की रहनुमाई करतीं। कहा जाता है कि तवालत (विस्तार) के ख़ौफ़ से सब हदीष़ों को नहीं लिखा। ख़ैर रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीषें तो तवालत के ख़ौफ़ से छोड़ी गईं लेकिन बहुत सी हदीष़ों की जो पचासों जगह फ़ुज़ूल तौर पर तकरार किया तो क्या उससे किताब तवील नहीं हुई?

जवाब : इमाम बुख़ारी (रह.) ने जिस मौज़ूअ पर सहीह तालीफ़ की (लिखी) थी, उस दर्जे की वो बक़िया अहादीष़ न थीं। इसलिये उनको किताब में दर्ज नहीं किया गया। बाक़ी अपने शागिर्दों को सब बतला गये। ख़ुद इमाम बुख़ारी के शैख़ हुमैदी ने उन अहादीष़ को **'किताबु जमा बैनस्सहीहैन'** में जमा कर दिया। उन अहादीष़ के ज़िक्र न करने की वजह तवालत का ख़ौफ़ (विस्तृत हो जाने का डर) नहीं है बल्कि उन अहादीष़ की इस्नाद आली (श्रेष्ठ) न थीं।

सवाल (09) : अकाबिर मुहद्दिष़ीन व अइम्म–ए–दीन मसलन दारे क़ुतनी, इब्ने जौज़ी, इब्ने बत्ताल, इब्ने अब्दुल बर, अल्लामा ऐनी, बाजी, इब्ने हुमाम, शैख़ अब्दुल हक़ देहलवी, मुल्ला अली क़ारी, सख़ावी, मुहिब्बुलाह बिहारी, बहरुल उलूम, अबू मस्ऊद हाफ़िज़, ग़स्सानी, इब्ने मन्दह, इब्ने सअद, अल्लामा ज़हबी, हाफ़िज़ शरफ़ुद्दीन, दिमयाती, जारुल्लाह ज़मख़शरी, क़ाज़ी अबू बकर, बक़लानी, इमाम ग़ज़ाली (मौलवी उमर करीम) वग़ैरह वग़ैरह ने जो किताब बुख़ारी पर ए'तिराज़ात व जिरहें की हैं और उसकी बहुत सी हदीष़ों को ग़ैर सहीह समझा है तो उनका क्या मक़्सूद (उद्देश्य) था?

जवाब : उनमें कुछ ने तशद्दुद, कुछ ने तअस्सुब, कुछ ने बुग़्ज़ (ईर्ष्या–द्वेष) व कुछ ने नाफ़हमी (अज्ञानतावश) एतिराज़ किया है लेकिन बे–असल व बेबुनियाद है जैसा कि सहीह बुख़ारी बाबत हमारी तालीफ़ात से ख़ूब वाज़ेह है।

सवाल (10) : जिन रावियों को ख़ुद बुख़ारी ने ज़ईफ़ कहा तो फिर उनसे किताबे बुख़ारी में क्यों रिवायत की? क्या इससे क़वी रावी बुख़ारी को न मिल सके?

जवाब : उनसे बिल मुताबअत रिवायत की है न कि बिल इन्फ़िराद। **वला हरज फ़ीहि कमा बय्यन्तुहू फ़ी बअज़ि तसानीफ़ी**

सवाल (11) : किताबे बुख़ारी में तीस पारे किस वक़्त हुए और किसने किये?

जवाब : शारेहीन ने शरह की आसानी व मुहद्दिसीन ने दर्सो–तदरीस की आसानी के लिये एक मुद्दत बाद किये।

सवाल (12) : क़ुर्आन शरीफ़ के समान जो बुख़ारी के तीस पारे बनाए गये ये शिर्क हुआ या नहीं?

जवाब : नहीं! ये शिर्क नहीं हुआ क्योंकि शिर्क की ता'रीफ़ (परिभाषा) उस पर सादिक़ (सच्ची) नहीं। ख़ुद कलामुल्लाह (क़ुर्आन) के तीस पारे अल्लाह के यहाँ से होकर (बनकर) नहीं आए।

सवाल (13) : क्या इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम मालिक (रह.) की शर्त पर बुख़ारी की सब हदीसें सहीह ठहरी हैं? और अगर सब सहीह नहीं ठहरी हैं तो किस क़दर सहीह ठहरती हैं?

जवाब : सहीह की सनद के तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा की शराइते–सिहत कहीं मन्क़ूल (वर्णित) नहीं। इमाम मालिक (रह.) की शर्त सिर्फ़ उनके दौर के लिये है।जुम्हूर (अधिकांश) की शर्त पर सहीह बुख़ारी की सब हदीसें सहीह हैं।

सवाल (14) : क्या बुख़ारी की सब हदीसों को हनफ़ी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली, चारों तरीक़े वालों ने क़ुबूल कर लिया? और अपना मा'मूल बिही ठहराया है?

जवाब : हाँ! चारों मज़हब वाले इससे इस्तिदलाल करते हैं। इसी आधार पर इमाम बुख़ारी (रह.) को हम्बलियों ने हम्बली, शाफ़िइयों ने शाफ़िई और मालिकियों ने मालिकी समझ लिया जो कि दरअसल बिल्कुल ग़लत था।

सवाल (15) : बुख़ारी में कोई हदीस मन्सूख़ भी है या नहीं?

जवाब : हाँ! जैसे क़ुर्आन मजीद में आयतें मन्सूख़ हैं।

सवाल (16) : शराइते–बुख़ारी अगर बहुत उम्दा व आला थीं तो दीगर मुहद्दिसीन अस्हाबे रिवायत ने उसकी पैरवी क्यों न की?

जवाब : बहुतों ने पैरवी की। अली बिन अल मदीनी व अबू बक्र सीरफ़ी वग़ैरह इमाम बुख़ारी के मुअय्यिद (ताइद करने वाले) थे।

सवाल (17) : बुख़ारी की शर्त पर जो हदीस सहीह हो तो क्या ये ज़रूरी है कि वो दीगर मुहद्दिसीन की शर्त पर भी सहीह ठहरे?

जवाब : हाँ जनाब! दीगर मुहद्दिसीन अपने रुवात की तौसीक़ (पुष्टि) इन अल्फ़ाज़ में किया करते हैं कि ये अला शर्ते बुख़ारी है। इस क़दर उस पर एतिबार है।

सवाल (18) : कोई एक हदीस जो बुख़ारी की शर्त पर सहीह है और किसी दूसरे मुहद्दिस की शर्त पर सहीह नहीं है तो वो हदीस दूसरे मुहद्दिस पर जिसकी शर्त पर सहीह नहीं है उसके मुत्तबिईन पर हुज्जत हो सकती है या नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है तो क्यों?

जवाब : हुज्जत हो सकती है, इसलिये कि जुम्हूर इसी तरफ़ हैं। अगर कोई हुज्जत न समझे तो उसका अपना इज्तिहाद है क्योंकि मुहद्दिसीन में तक़लीद तो सिरे से नहीं है। **कमा हुव ज़ाहिरुन फ़लहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही तम्मल जवाबु व हुव अअलमु बिस्सवाबि व इलैहिल मरज़उ वल मआब।** (अल कौसरुल जारी हिस्सा 3 पेज नं. 143-146)

हज़रत इमाम बुख़ारी से मुता'ल्लिक़ एक सनाई जवाबी मक़ाला :

(अज़ शैख़ुल इस्लाम मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रह.)

हमारे कुछ हनफ़ी भाई अहले हदीस के सामने अपने को कमज़ोर पाकर आम तौर पर मशहूर किया करते थे कि और अब भी कुछ हलक़ों में करते हैं कि ये लोग (ग़ैर मुक़ल्लिदीन) अइम्म–ए–किराम को बुरा–भला कहते और तौहीन करते हैं। हमें हैरत होती है

कि ये आवाज़ क्योंकर किसी रास्तगो के सामने निकल सकती है और कोई रास्तगो क्योंकर अइम्म–ए–दीन की तौहीन कर सकता है? आख़िर बड़ी तलाश के बाद भी हमको कोई एक ऐसा ग़ैर–मुक़ल्लिद अहले ह़दीष़ न मिला जो अइम्म–ए–दीन की हतक–रवा रखता हो। हाँ! अगर मिले भी तो यही ह़ज़रात मिले जो अहले ह़दीष़ की निस्बत ऐसा एहतिमाम मशहूर करते थे। उन लोगों में मौलाना उमर करीम स़ाहब ह़नफ़ी पटनवी भी हैं, जिन्होंने **'अल जरह अ़लल बुख़ारी'** लिखकर ष़ाबित कर दिया कि वो अइम्म–ए–दीन की तौहीन करने वालों में से हैं। हम जानते हैं और ख़ूब जानते हैं कि ह़नफ़ियों के जुम्हूर (अधिकांश) उ़लमा, ख़ुसूसन अहले इ़ल्म ह़नफ़ी तौहीने इमाम बुख़ारी (रह़.) के बरख़िलाफ़ हैं। लेकिन फिर भी कुछ–कुछ इलाकों में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो इमाम बुख़ारी से बुग़्ज़ रखते हैं। बीते दिनों अमृतसर के एक स्थानीय अख़बार में स़ाबिक़ एडीटर अल फ़िक़ह के क़लम से एक मज़मून छपा, जो हमारे दा'वे की कामिल शहादत है। जो लोग अहले ह़दीष़ पर एहतिमामे बदगोई लगाते हैं, दरह़क़ीक़त वही अइम्मा के ह़क़ में बदगो हैं वर्ना अहले ह़दीष़ बदगोई को जाइज़ नहीं जानते। **अ़आज़नल्लाह मिन्हु**। हम अपना दा'वा बे–ष़ुबूत छोड़ना नहीं चाहते इसलिये उन ह़ज़रात की इबारत नक़ल करके दिखाते हैं और नाज़िरीन को ये तवज्जुह दिलाते हैं कि वो ग़ौर करें कि जो इल्ज़ाम मआ़ज अल्लाह बद–दयानती का इमाम बुख़ारी पर लगाया गया है वो किसी औला मुसलमान पर भी लग सकता है?'

इस मज़मून के लेखक ने ये बह़ष़ इसलिये उठाई है कि इमाम बुख़ारी, इमाम शाफ़िई के मुक़ल्लिद या'नी शाफ़िई मज़हब के मानने वाले थे। इस दा'वे का ष़ुबूत देना चूँकि बहुत कठिन काम है जिसके लिये सारी दुनिया के मुक़ल्लिदीन भी कोशिश करें तो बेकार है। मज़मून लेखक ने इस कठिनाई को यूँ ह़ल किया कि एक इमाम ताजुद्दीन सुबुकी की शहादत पेश की। दूसरे इमाम बुख़ारी का अपना फ़ेअ़ल जिससे ष़ाबित करना चाहा कि इमाम मौसूफ़ शाफ़िई थे। चुनाँचे लेखक के अल्फ़ाज़ ये हैं,

'अव्वल तो ये दा'वा ही ग़लत है कि अइम्म–ए–मुह़द्दिष़ीन मुक़ल्लिद न थे। इमाम बुख़ारी (रह़.) जिनकी तक़लीद तमाम मौजूदा अहले ह़दीष़ फ़िर्क़ा करता है और उनके मुक़ाबले में किसी दूसरे मुहद्दिष़ की हस्ती नहीं समझता, वही तअ़स्सुब रखने वाले शाफ़िई मज़हब के थे। इमाम ताजुद्दीन सुबुकी (रह़.) ने तबक़ाते कुबरा में स़ाफ़ बताया है कि इमाम बुख़ारी शाफ़िई थे।' (20 जुलाई पेज नं. 3 कॉलम नं. 2)

अहले ह़दीष़ : ताजुद्दीन सुबुकी की शहादत हमें मंज़ूर है लेकिन उसकी क़ैफ़ियत जब हम खोलेंगे तो हमारे दोस्त इस दा'वा-ए-मुक़ल्लिदियत बुख़ारी के मुद्दई ख़ुद ही इस शहादत को छोड़ देंगे। लीजिए सुनिये! इमाम ताजुद्दीन ने एक किताब लिखी है, त़ब्क़ाते शाफ़िइया जो छः जिल्दों में छपी है। उसमें उन्होंने उ़लम-ए-शाफ़िइया के नाम और काम लिखे हैं। उनमें इमाम बुख़ारी (रह़) को भी लिखा है। बस ये है शहादत इमाम बुख़ारी के शाफ़िई होने की। मगर हमें यक़ीन है कि ये राय उन लोगों की है जिन्होंने त़ब्क़ाते सुबुकी को कभी न पढ़ा होगा, न सुना होगा। वरना वो ऐसा कभी न कहते। सुनिये ताजुद्दीन ने इमाम बुख़ारी (रह़) ही को इस किताब में नहीं लिखा बल्कि ऐसे लोगों को भी लिखा है, जो यक़ीनन मुक़ल्लिद न थे। चुनाँचे दाऊद ज़ाहिरी इमाम अहलुज़्ज़ाहिर को इस किताब में त़ब्क़ाते शाफ़िइया में लिखा है। (जिल्द : 2 पेज नं. 42)

ख़ैर ये तो भला मशहूर ग़ैर मुक़ल्लिद है मैं कहता हूँ कि का'बा शरीफ़ के चौथे इमाम को सुबुकी ने शाफ़िइयों में लिखा है जिनका नामे-नामी इमाम अह़मद बिन ह़ंबल है। जो बिल इत्तिफ़ाक़ चौथे इमामे का'बा शरीफ़ की चौथाई पर क़ाबिज़, मुज्तहिदे मुस्तक़िल, बहुत बड़ी जमाअ़त के मुस्तक़िल इमाम मगर सुबुकी ने उनको भी त़ब्क़ाते शाफ़िइया में लिख दिया है। (मुलाह़ज़ा हो जिल्द अव्वल पेज 199)

क्या हमारे दोस्त अपने दा'वे के मुत़ाबिक़ मान जाएँगे कि इमाम अह़मद (रह़) भी शाफ़िई मज़हब के मुक़ल्लिद थे? फिर तो चार इमाम और चार मुसल्ले न हुए, तीन ही रह गये और इमाम शाफ़िई (रह़) दोहरे ह़िस्से के मुस्तह़िक़ हुए बल्कि इमामे आ'ज़म (रह़) से भी बढ़ गये कि उनका एक मुक़ल्लिद भी मुस़ल्ले का मालिक हो गया। ह़ालाँकि इमामे आ'ज़म स़ाहब के अनेक शागिर्द कामिल थे। मगर उनको का'बा शरीफ़ में मुसल्ला मिला न उनका मज़हब जारी हुआ। इन्नालिल्लाह।

रफ़उल यदैन : अगरचे हमारा फ़र्ज़ नहीं कि सुबुकी की इस्तिलाह बताएँ कि किस त़रह़ उसने ऐसे–ऐसे इमामों को शाफ़िई लिखा है क्योंकि बहैष़ियत फ़न्ने–मुनाज़रा, मुख़ालिफ़ की दलील पर इतना नक़्ज़ कर देने से उसकी दलील ज़ाये (नष्ट) हो जाती है लेकिन बग़र्ज़े तफ़्हीमे मत़लब हम अस़ल इस्तिलाहे सुबुकी बताते हैं ताकि आइन्दा को हमारे दोस्तों को ऐसी ख़ाम दलील

बयान करने से नदामत न हो।

जिन उ़लमा को इमाम शाफ़िई से शागिर्दी का इलाक़ा है बिला वास्ता सुबुकी की इस्तिलाह में वो त़ब्क़ाते शाफ़िइया में दाख़िल हैं। चुनाँचे पहले त़ब्क़े की बाबत वो यूँ लिखता है। **अत्तबक़तुल उला फ़िल्लज़ीन जालसुश्शाफ़िइय्य** (जिल्द अव्वल पेज नं 186) या'नी पहला वो त़ब्क़ा शाफ़िइया का है जो इमाम शाफ़िई की सुह़बत (संगत) अपनाए बिना या'नी बिला वास्त़ा उन्होंने इमामे मौसूफ़ से इल्म पढ़ा।

उसकी मिष़ाल बिल्कुल ऐसी है जो आजकल कोई शख़्स शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ स़ाह़ब क़द्दस सिर्रुहु के शागिर्दों के त़ब्क़ाते अ़ज़ीज़िया लिखे तो वो सब उ़लमा को लिख देगा आम इससे कि मुक़ल्लिद हों या ग़ैर मुक़ल्लिद, राफ़ज़ी हो या ख़ारजी, उसे उन उ़लमा के मज़हब से ग़र्ज़ नहीं होगी बल्कि जो कोई भी शागिर्दी में शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ स़ाह़ब से मिलता होगा, उसे वो लिख दे। यही ह़क़ीक़त है सुबुकी के त़ब्क़ाते शाफ़िइया की जिसे हमारे दोस्त शिद्दते तअ़स्सुब में समझते नहीं और झट से दलील में पेश कर देते हैं जिसका नतीजा वही होता है जो ऊपर मज़्कूर हुआ।

मज़्कूरा राक़िम (लेखक) ने दूसरी दलील, जिसको बड़ी ज़बरदस्त दलील जानता है, ये पेश की है कि इमाम बुख़ारी की अपनी किताब से ष़ाबित होता है कि वो शाफ़िउल मज़हब थे क्योंकि शाफ़िइया के मुख़ालिफ़ ह़दीष़ों को छुपा जाते थे। यही फ़िक़्रा अहले इल्म और अहले दयानत के क़ाबिले ग़ौर है। **क़बुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़्वाहिहिम** चुनाँचे लिखते हैं :

आओ हम ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह़) के अफ़आ़ल से ष़ाबित करते हैं कि वो बड़े पक्के शाफ़िई थे। स़ह़ीह़ मुस्लिम और नसाई में ह़दीष़ है कि **अन अ़त़ाइब्नि यसारिन अन्नहू अख़बरहू अन्नहू सअल ज़ैदब्न ष़ाबितिन अनिलक़िराति मअल इमामि फ़क़ाल ला क़िरत मअल इमामि फ़ी शयइन व ज़अ़म अन्नहू क़रः अला रसूलल्लाहि (ﷺ) वन्नजमि इज़ा हवा फ़लम यस्जुद** अ़त़ा बिन यसार से मरवी है कि उन्होंने ख़बर दी कि उन्होंने सवाल किया ज़ैद बिन ष़ाबित से निस्बते क़िरात साथ इमाम के तो ज़ैद बिन ष़ाबित ने जवाब दिया कि इमाम के साथ किसी ह़ालत (यानी नमाज़ सिर्री और जहरी) में क़िरात नहीं और ख़याल किया कि तह़क़ीक़ पढ़ी उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सूरह नज्म पढ़ी और सज्दा नहीं किया।

इमाम मुस्लिम (रह़) ने इस ह़दीष़ को यह़्या बिन यह़्या और यह़्या बिन अय्यूब व क़ुतैबा बिन सईद और इब्ने ह़जर से सुना। और इमाम नसाई ने सिर्फ़ इब्ने ह़जर से सुना उन सबने बयान किया कि हमने इस्माईल बिन जा'फ़र से सुना। उन्होंने यज़ीद बिन ह़स्फ़िया से उन्होंने क़ुसैत़ से उन्होंने अ़त़ा बिन यसार से। इस त़रह इस्माईल बिन जा'फ़र ने चार रावियों से सुना।

नाज़िरीन याद रखें कि चारों रावी बयान करते हैं कि हमने इस्माईल बिन जा'फ़र से जो सुना वो कहा है कि अ़त़ा बिन यसार ने ज़ैद बिन ष़ाबित से कुछ पूछा, क्या पूछा इमाम के साथ पढ़ना चाहिए या नहीं? तो ज़ैद बिन ष़ाबित ने जवाब दिया कि इमाम के साथ क़िरात किसी ह़ाल में यानी किसी नमाज़ में वो सिर्री हो या जहरी जाइज़ नहीं। दूसरी बात ये कही कि सूरह नज्म पढ़ी गई और सज्दा नहीं किया।

इसी ह़दीष़ को इमाम बुख़ारी (रह़) ने अपनी किताब स़ह़ीह़ बुख़ारी में सुलैमान बिन दाऊद से रिवायत किया और आगे वही सिलसिला है जो मुस्लिम और नसाई ने बयान किया यानी सुलैमान बिन दाऊद ने इस्माईल बिन जा'फ़र से सुना इमाम बुख़ारी ने क्या लिखा मुलाह़िज़ा हो **अन अ़ताइब्नि यसारिन अन्नहू अख़बरहू अन्नहू सअल ज़ैदब्न ष़ाबितिन फ़ज़अम अन्नहू करअ अलन्नबिय्यि (ﷺ) वन्नजमि फ़लम यस्जुद फ़ीहा** अ़त़ा बिन यसार से रिवायत है कि उन्होंने ख़बर दी उसकी कि उन्होंने ज़ैद बिन ष़ाबित से पूछा क्या पूछा?) उसका पता नहीं। पस ज़अ़म किया कि रसूलल्लाह (ﷺ) पर सूरह नज्म पढ़ी गई और उसमें सज्दा न किया। ये तो नहीं हो सकता कि इस्माईल बिन जा'फ़र ने इमाम बुख़ारी के रावी को सिर्फ़ इतना सुनाया हो और मुस्लिम और नसाई के चार रावियों को इससे ज़्यादा सुनाया हो। बहरहाल ज़रूरी है कि अगर इस्माईल बिन जा'फ़र स़ादिक़ और ष़िक़ह हैं तो उन्होंने सबको एक ही बात सुनाई होगी। किसी को कम और किसी को ज़्यादा। अब दो सूरतें हैं या तो सुलैमान बिन दाऊद ने इमाम बुख़ारी को कम सुनाया और असली अल्फ़ाज़ को छुपाया और ये तह़रीफ़ (फेरबदल) और ख़यानत है। अगर ऐसा है तो ऐसे शख़्स की बयानकर्दा ह़दीष़ क़ाबिले ए'तिबार नहीं मगर ये सूरत नहीं हो सकती क्योंकि बयान किया जाता है कि इमाम बुख़ारी (रह़) बड़ी तह़क़ीक़ से ह़दीष़ की रिवायत को लिया। तो दूसरी सूरत ये होगी कि इमाम बुख़ारी

(रह़) ने क़सदन (जान–बूझकर) इन अल्फ़ाज़ को छोड़ दिया जो क़िरात मअ़ल इमाम के बारे में हैं और यही स़ह़ीह़ है।

सवाल ये है कि इमाम बुख़ारी (रह़) ने ऐसा क्यूँ किया? स़ाफ़ बात है कि स़िर्फ़ इसलिये कि ये अल्फ़ाज़ इमाम शाफ़िई के मज़हब के ख़िलाफ़ थे। इमाम शाफ़िई क़िरात ख़ल्फुल इमाम को वाजिब जानते थे मगर ये अल्फ़ाज़ जो इमाम बुख़ारी ने छोड़ दिये उसको नाजाइज़ बतलाते हैं।

पस ष़ाबित हुआ कि इमाम बुख़ारी (रह़) शाफ़िई थे और शाफ़िई भी कैसे शाफ़िई कि मज़हबे शाफ़िई को क़ायम रखने के लिए ह़दीष़ के अल्फ़ाज़ को ह़ज़फ़ करना (मिटा देना) जाइज़ क़रार दिया। ये कोई नहीं कह सकता कि इमाम बुख़ारी (रह़) शाफ़िई के मुक़ल्लिद न थे और उनका मज़हब ह़दीष़े स़ह़ीह़ है क्योंकि ये बिदाहतन ग़लत है। अगर ऐसा होता तो वो ह़दीष़ के अल्फ़ाज़ पूरे नक़ल करते और अपना मज़हब भी क़रार देते कि ख़ल्फ़ुल इमाम जाइज़ नहीं मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया (20 जुलाई 1918 ईस्वी पेज नं. 4 कॉलम 1)

अहले ह़दीष़ियत :

आपकी तक़रीर से इमाम बुख़ारी (रह़) का शाफ़िउल मज़हब का मुक़ल्लिद होना ष़ाबित हो या न हो, ख़ाइन और बद-दयानत होना तो ष़ाबित होता है। ग़ालिबन यही आपकी मुराद है इन्ना लिल्लाह! क्या राक़िमे मज़मून (आर्टिकल लिखने वाला) मुसन्निफ़ुल जरह़ अ़ली बिन अबी ह़नीफ़ा को इजाज़त देंगे कि वो भी इस क़िस्म की कोई रिवायत (अगर उनको मिल सके) अपने दा'वे पर बयान कर दें। सच तो ये है कि इस क़िस्म की मुतास़िबाना तह़रीरों ने अल जरह़ अ़ला अबी ह़नीफ़ा जैसी तीरअंदाज़ किताब लिखाई थी जिसका हमें और दीगर मेम्बराने अहले ह़दीष़ और मुह़क़्क़िक़ीन ह़नफ़िया को स़दमा है मगर बहुक्म, ऐ बादे स़बा, ईं हमा आवर्दा अस्त, ये सब वज़र मुसन्निफ़ीने जरह अ़लल बुख़ारी पर है। आह! किस क़दर ज़ुल्म, किस क़दर इफ़्तिराअ है कि जिसने स़ह़ीह़ बुख़ारी जैसी अदक़ (गूढ़, इल्मी) किताब यक़ीनन उस्ताज़ से नहीं पढ़ी, अहले ह़दीष़ से तो क्या ही पढ़ी होती देवबन्द के मदरसे मे ह़नफ़ी उस्ताज़ों से भी नहीं पढ़ी। मह़ज़ सुनी–सुनाई पटनवी और बरेलवी तह़रीरों से अष़र क़ुबूल करके इतनी बड़ी ख़यानत और तअ़स्सुब इमामुल मुह़द्दिष़ीन की त़रफ़ मन्सूब कर ले **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊ़न**। कोई स़ाह़िबे दानिश व बीनश इस मज़मून के लेखक से पूछे, क्या मज़हबी तअ़स्सुब में किसी ह़दीष़ या रिवायत को छुपा जाना इसलिए कि मेरे ख़ुद साख़्ता मज़हब पर ह़र्फ़ न आए, किसी ईमानदार का काम है? क्या वो नहीं जानता कि मेरे छुपाने से ये रिवायत मनफ़ी तो नहीं हो जाएगी, आख़िर दुनिया में रहेगी। जब मौजूद रहेगी और है तो उसका हुक्म भी है और रहेगा। ऐसा करने वाला तो मुह़र्रिफ़ीन (फेरबदल करने वाला) यहूद से भी बढ़कर है जो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ किसी रिवायत को पाकर खा जाता है। ऐसा फ़ेअल एक इमाम बल्कि इमामुल मुह़द्दिष़ीन करे और फिर इमाम ही बना रहे। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं जिनसे मैं उस फ़ेअल और उस फ़ाइल की तह़क़ीर कर सकूँ। मज़मून लिखने वाला अपनी आ़दत के मुवाफ़िक़ हम मौजूदा उ़लमा को और ख़ास़कर जो चाहते हैं, कह लेते और अपना पेट भर लेते। मगर अफ़सोस उन्होंने अपनी पुरानी रविश के मुत़ाबिक़ इमाम बुख़ारी (रह़) को तख़्त–ए–मश्क़ बनाया। आह! इस मौक़े पर मौलाना रोम मरहूम का शे'र याद आता है।

चूँ ख़ुदा ख़्वाहिद कि पर्दा कस दर्द **मीलश अंदर तअ़ना पाकाँ देहद**

ख़ैर हमें इससे क्या? हमारा तो मज़हब है और हमारे बुज़ुर्ग उस्ताज़ ह़ज़रत मौलाना शम्सुल उ़लमा सय्यद मुह़म्मद नज़ीर ह़ुसैन मुह़द्दिष़ देहलवी मरहूम का फ़त्वा है कि स़ह़ाबा किराम को बुरा जानने वाला बड़ा राफ़ज़ी है। अइम्म–ए–किराम की बदगोई करने वाला छोटा राफ़ज़ी। हम तो अपने उस़ूल के पाबन्द हैं।

नज़र अपनी-अपनी, पसंद अपनी अपनी

अस़ल जवाब सुनिये :

हम मानते हैं कि ये दोनों रिवायतें, दोनों किताबों में हैं। मुस्लिम की रिवायत जिल्द अव्वल बाब **सुजूदुत् तिलावत** में और बुख़ारी की रिवायत जिल्द अव्वल बाब **मन क़रअस्सज्दा वलम यस्जुद** में है। इमाम बुख़ारी ने इस बाब में दा'वा किया है और उनका मज़हब है कि सज्द–ए–तिलावत फ़र्ज़ व वाजिब नहीं बल्कि मुस्तह़ब है चुनाँचे उन्होंने इसी मज़मून का ये बाब तजवीज़ किया है लेकिन रिवायत के टुकड़े दो हैं। एक तो क़िरात ख़ल्फुल इमाम की बाबत ज़िक्र है, दूसरे में सज्द–ए–तिलावत

न करने का मज़्कूर है मगर इमाम बुख़ारी के बाब से अख़ीर टुकड़ा ता'ल्लुक़ रखता है। पहला टुकड़ा बावजूद ग़ैर मुता'ल्लिक होने के हदीष़ मर्फ़ूअ नहीं, बल्कि सहाबी का मौक़ूफ़ है जो मुहद्दिष़ीन के नज़दीक हुज्जत और दलीले शरई नहीं। इसलिए इमामे मौसूफ़ ने पहला टुकड़ा हदीष़ का नक़ल नहीं किया कि वो बाब से ता'ल्लुक़ नहीं रखता है और रिवायत भी मौक़ूफ़ा है। हाँ ता'ल्लुक़ होता या मर्फ़ूअ रिवायत का हिस्सा होता तो नक़ल कर देते।

भला (क़ौले ज़ैद बिन ष़ाबित) से इमाम बुख़ारी (रह) को ऐसा डर था कि बक़ौल नामानिगार (लेखक) इससे इमाम शाफ़िई का मज़हब ग़लत न हो जावे जबकि इमाम शाफ़िई (रह) और दीगर मुहद्दिष़ीन का मज़हब ही ये है कि **क़ौलुस्सहाबति लैसा बिहुज्जतिन हुम रिजालुन व नहनु रिजालुन** (मुलाहज़ा हो तौज़ीह तलवीह) फिर उनको क्या मुश्किल थी कि वो उसको मानकर अपने उसूल के मुताबिक़ कह देते कि मौक़ूफ़ क़ौल हुज्जत नहीं। हैरानी है कि इमाम बुख़ारी (रह) को उस मौक़ूफ़ क़ौल से क्या मुश्किल पड़ी थी कि बक़ौल लेखक वो ऐसी ख़यानत और बद दयानती के मुर्तकिब हुए। इन्ना लिल्लाह!

लतीफ़ा मिष़ालिया :

अर्सा हुआ मज्मअ–ए–अहले इल्म में एक बड़े हनफ़ी आलिम ने सुनी–सुनाई बात बयान की कि मौलवी नज़ीर हुसैन के पास कोई शख़्स गया कि मैंने एक ही दफ़ा तीन तलाक़ें दी हैं, अब क्या करूँ? मौलवी साहब बड़े ख़फ़ा होकर बोले जाओ! जाओ!! मैं क्या करूँ? अब तो हराम हो गई। रात को वो शख़्स एक उम्दा-सी लालटेन दो रुपया की नज़राना लेकर गया तो मौलवी साहब पूछते हैं, अरे तलाक़ (**तोय** से) कही थी या तलाक़ (**ता से**) कही थी? उसने कहा हुज़ूर! मैंने तो तलाक़ तलाक़ कही थी। फ़र्माया जाओ। तलाक़ (त से) मा'नी मिलने के है, जाओ आपस में मिलियो। इस रिवायत के बयान करने से उनकी ग़र्ज़ ये थी कि मौलवी नज़ीर हुसैन उस दर्जा छोटी रिश्वत खाते और मसाइले गलत बताते थे। मैं भी पास बैठा था, मैंने कहा कि हज़रत! मौलवी नज़ीर हुसैन का तो मज़हब ये था कि एक बार की तीन तलाक़ें एक ही रजई होती हैं फिर उनको त़ और त में फ़र्क़ करने से क्या मतलब था? (मक़ाला ष़नाई)

मुंकिरीने हदीष़ के कुछ ए'तिराज़ात और उनके जवाबात :

जहाँ तक ग़ौर किया गया है मुंकिरीने हदीष़ के ख़ास ए'तिराज़ात ये दस हैं : (1) हदीष़ की रिवायत अहदे ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन में मम्नूअ थी। अहदे अब्बासिया से सिलसिल–ए–रिवायत शुरू हुआ। उनमे अकष़र बादशाहों की सियासी फ़ायदों का दख़ल है। (2) हदीष़ का लिखना और उस पर तालीफ़ात दूसरी सदी के बाद शुरू हुआ। (3) कुछ हदीष़ों से रसूले करीम (ﷺ) और इस्लाम पर ए'तिराज़ात क़ायम होते हैं। (4) कुछ हदीष़ों से नुज़ूले वह्य हस्बे ख़्वाहिशे रसूल (ﷺ) ष़ाबित होती है। (5) कुछ हदीष़ों से क़ुर्आन की मुख़ालफ़त ष़ाबित होती है। (6) अगर हदीष़ें अल्लाह और रसूल (ﷺ) के नज़दीक वाजिबुल अमल होतीं तो उनकी हिफ़ाज़त का सामान भी मिष़्ले क़ुर्आन के होता। (7) कुछ मसाइल के बारे में मुख़्तलिफ़ हदीष़ें हैं। (8) क़ुर्आन मजीद के बारे में ख़ुद क़ुर्आन में इर्शाद है, **तफ़्सीलन लिकुल्लि शैइन व तिबयानल्ल लिकुल्लि शैइन** फिर हदीष़ों की क्या ज़रूरत है? (9) हदीष़ को ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास की जानकारी के समान समझा जा सकता है। (10) बजुज़ मुतवातिर रिवायात के जो बहुत क़लील (थोड़ी) हैं, अकष़र अहादीष़ अख़बारे–आहाद हैं। अख़बारे–आहाद से इल्मे यक़ीन हासिल नहीं होता बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़न्ने ग़ालिब हासिल होता है। ज़न (विचार) पर मज़हब का आधार रखना, अक़्ल व दानिश के ख़िलाफ़ है। (11) रसूले करीम (ﷺ) से कुछ उमूर में सह्व व निस्यान (भूल जाना) ष़ाबित है। वह्ये इलाही में सह्व व निस्यान का दख़ल नहीं माना जा सकता। (12) क़ुर्आन करीम कामिल किताब है, वो किसी चीज़ का मुहताज नहीं। हदीष़ को मानना गोया क़ुर्आन को मुहताज क़रार देना।

जवाबात :

(1) गुज़िश्ता मज़ामीन में ष़ाबित हो चुका है कि रिवायते हदीष़ अहदे रिसालत से जारी थी। हुज़ूर (ﷺ) ने और ख़लाफ़ा अव्वल दोम ने कष़रते रिवायत को मना किया है और ग़ैर अहकामी हदीष़ों पर रोक टोक की है। ये दोनों ख़ुल्फ़ा (रज़ि) ख़ुद हदीष़ के बड़े रावियों में से हैं।

अगर ये माना जाए कि हदीष़ कीरिवायत और हदीष़ पर अमल अहदे अब्बासिया से शुरू हुआ और उससे पहले हदीष़

कोई चीज़ नहीं थी तो लाज़िम आता है कि रसूले करीम (ﷺ) के बाद तमाम उम्मते मरहूमा (रहमत वाली) गुमराह हो गई और दुनिया में एक भी मुसलमान न रहा। ऐसी नाकामयाब नुबुव्वत तो अंबिया साबिक़ीन में से भी किसी की नहीं हुई। ख़तमुल मुर्सलीन (ﷺ) से ज़्यादा कामयाब वही शख़्स रहा जिसने उम्मते मरहूमा को अल्लाह का हुक्म और रसूल (ﷺ) के ख़िलाफ़ इत्तिबाअ़े हदीष पर क़ायम कर दिया। इस कामयाबी की नज़ीर दुनिया के किसी मुल्क, किसी क़ौम, किसी मज़हब में नहीं मिल सकती कि अरब से चीन तक सब एक ख़याल पर क़ायम हो गये। न इस कामयाब दुश्मने हदीष लीडर का किसी को नाम मालूम, न इतिहास के पन्नों में इस इंक़िलाबे अ़ज़ीम का ज़िक्र कि एक बूंद भी ख़ून की न गिरी और सारी दुनिया के मुसलमान एक अम्र पर मुत्तफ़िक़ (सहमत) हो गये और एक भी सिराते मुस्तक़ीम पर क़ायम न रहा। हर मज़हब में, हर मुल्क में, हर क़ौम में जो–जो बदलाव हुए हैं, बिलख़ुसूस इस्लाम मे उनका ज़रा–ज़रा सा तज़्किरा भी तारीख़ में मौजूद है मगर इस इंक़िलाबे अ़ज़ीम का ज़िक्र नहीं वो कौनसी अ़ज़ीमुश्शान हस्ती थी जिसने असल मज़हब को इस तरह मिटाया कि उसका निशान इतिहास के पन्नों पर भी न छोड़ा और ये इंक़िलाब किस ज़माने में हुआ? ख़ुल्फ़ाए अ़ब्बासिया ने मसला ख़ल्क़े क़ुर्आन राइज करना चाहा। हर क़िस्म के जबर व ज़ुल्म किये गये मगर ये अ़क़ीदा तस्लीम न करा सके। नादिरशाह ने कोशिश की कि सिर्फ़ हनफ़ी, शाफ़िई, हम्बली, मालिकी मज़ाहिब के लोगों को एक अम्र पर मुत्तफ़िक़ कर दे मगर न कर सका। ये ऐसा इंक़िलाब कि जिसका निशान बतौरे आषारे क़ुदैमा भी बाक़ी न रहा। किताबों मे भी तज़्किरा न रहा। किसने कराया, कब कराया, क्यूँकर कराया? अगर दर हक़ीक़त ये इंक़िलाब कराया गया है तो ये मुअजिज़ा है और तमाम अंबिया के मुअजिज़ों से बढ़कर है। ख़ातिमुन् नबिय्यीन (ﷺ) से बुलन्द मर्तबा कौन है जिसने उनके काम को एक मुअजिज़ा के तौर पर लौटा दिया। उनसे बुज़ुर्ग हस्ती तो जनाबे बारी अ़ज़ इस्मुहू की है। बस ये इंक़िलाब उन्होंने ही कराया है उनके सिवा और किसी से इस तरह मुम्किन ही न था और जब उन्होंने कराया है तो हक़ है। (मगर हक़ीक़त ये है कि ये क़ौल ही ग़लत है अहदे नबवी ﷺ और अहदे ख़िलाफ़त में हर क़दम पर हदीष को मशअ़ले राह बनाया जाता था)

(2) इस ए'तिराज़ का जवाब साबिक़ा मज़ामीन में आ गया।

(3) कोई सहीह हदीष ऐसी नहीं जिससे हुज़ूर (ﷺ) या इस्लाम पर कोई मा'क़ूल ए'तिराज़ हो सकता हो। अगर कोई ग़ैर सहीह हदीष ऐसी है तोउसकी ज़िम्मेदारी अहले हदीष व मुहद्दिषीन पर नहीं क्योंकि जो चीज़ उनके उसूले रिवायत व दिरायत के ए'तिबार के दर्जे से गिर गई वो उन पर हुज्जत नहीं। बाक़ी मुअतरिज़ और ए'तिराज़ात का रोकना किसी के बस की बात नहीं। पण्डित दयानंद सरस्वती ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे मुतबर्रक व साफ़ जुम्ले पर भी ए'तिराज़ात किये हैं ऐसे मुअतरिज़ों और ए'तिराज़ों की तरफ़ मुतवज्जह होना अहले हक़ व अहले इल्म का काम नहीं। क़ुर्आन मजीद में क़िस्स–ए–इफ़्क़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब (रज़ि) के निकाह का ज़िक्र है। मुख़ालिफ़ीने हक़ ने उन वाक़ियात पर कष़रत से ए'तिराज़ किये हैं। मुंक़िरीने हदीष जो जवाब उन आयात के लिए तजवीज़ करें वही हदीष के लिये समझ लें।

(4) अगर वह्य का नुज़ूल मुवाफ़िक़ मंश–ए–हुज़ूर (ﷺ) हुआ तो उसमें क्या हर्ज है और ये क्या ए'तिराज़ है ख़ुद क़ुर्आन मजीद की कुछ आयात से नुज़ूले वह्य हस्बे ख़्वाहिश रसूले अकरम (ﷺ) षाबित है। हुज़ूर (ﷺ) दिल से चाहते थे कि का'बा की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ें आप (ﷺ) की ये आरज़ू पूरी की गई **नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिलहरामि** (अल बक़र: : 144) मैं देखता हूँ फिर जाना आपका मुँह आसमान में सो मैं आपको फेरता हूँ जिस क़िब्ले की तरफ़ आप राज़ी है। अब अपना चेहरा मस्जिदुल हराम की तरफ़ कर लो।

रसूले करीम (ﷺ) के मकान में सहाबा (रज़ि) खाना खाने आए। खाना खाकर बातें करने लगे, आप (ﷺ) को ये अम्र गिराँ था। लेकिन आप (ﷺ) कहते हुए शर्माते थे इस पर वह्य नाज़िल हुई **इन्न ज़ालिकुम कान युअजिन्नबिय्य फ़यसतहईम्मिन्कुम वल्लाहु ला यसतहई मिनलहक़्क़ि** (अल अहज़ाब : 53) (तुम्हारी इस बात से नबी ﷺ को तकलीफ़ थी और वो तुमसे शर्माते थे, अल्लाह हक़ बात बताने में शर्म नहीं करता)

हज़रत ज़ैद सहाबी ने अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब (रज़ि) को तलाक़ दे दी। रसूले करीम (ﷺ) का इरादा हुआ कि वो ज़ैनब से निकाह कर लें लेकिन ये दस्तूर अरब के ख़िलाफ़ था। इसलिए आप (ﷺ) इस ख़्याल को ज़ाहिर न करते थे जो चाहते थे। इस पर वह्य नाज़िल हुई। **व तुख़्फ़ी फ़ी नफ़्सिक मल्लाहु मुब्दीहि व तख़्शन्नास** (अल अहज़ाब : 37) (तू अपने दिल में वो बात छुपाता है जिसको अल्लाह ज़ाहिर करना चाहता था और लोगों से डरता था)। ग़र्ज़ मामूर के मंशा के मुवाफ़िक़

अह्काम का नाफ़िज़ होना कोई क़ाबिले ए'तिराज़ अम्र नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तो मामूर मिनल्लाह थे। क़ुर्आन मजीद की कुछ आयतें सहाबा की राय के मुवाफ़िक़ भी नाज़िल हुई हैं। इ़लूमे क़ुर्आन के बारे में मुवाफ़िक़ात सहाबा एक मुस्तक़िल फ़न है और इस पर बहुत सी तसानीफ़ हैं।

ऐ बाग़बाँ बसंत की तुझको ख़बर भी है

(5) हदीषें हर क़िस्म की हैं। मौज़ूअ भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं सहीह भी हैं उनके रद्द व क़ुबूल का मदार उनके दर्जे पर है। कांटों के डर से फूलों को छोड़ा नहीं जा सकता। सहीह हदीष कोई ऐसी नहीं जिससे क़ुर्आन पाक के ख़िलाफ़ कोई ए'तिराज़ षाबित हो।

(6) असल शरीअ़त क़ुर्आन मजीद है। जब वो महफ़ूज़ है तो किसी क़िस्म का ख़तरा नहीं। इसकी शरह का इसी तरह महफ़ूज़ रखना ज़रूरी हैं। आ़लिमुल ग़ैब जानता था कि उसके ऐसे भी बन्दे होंगे जोदूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। इ़ल्मे हदीष की तारीख़ पर नज़र करने से इस क़ौल की तस्दीक़ होती है। क़ुर्आन एक मुशख़्ख़स व मुअय्यन किताब है। इसके हर लफ़्ज़ की हिफ़ाज़त हो सकती है और हुई भी है। हदीष हज़रत (ﷺ) के ख़्वाब व ख़ूर, सफ़र व हज़र, ख़ल्वत व जल्वत के हालात का मज्मूआ है। उसकी वुस्अ़ते लफ़्ज़–लफ़्ज़ को महफ़ूज़ रखने में मज़ाहिम होती है। क़ुर्आन कलामे इलाही है जिसका लफ़्ज़–लफ़्ज़ हिक्मत है। एक हर्फ़ बदलने से कुछ का कुछ हो जाता है। किसी के इम्कान में नहीं कि क़ुर्आन का एक लफ़्ज़ हटाकर उस मौक़े के लिहाज़ से इस मफ़्हूम के मुवाफ़िक़ दूसरा लफ़्ज़ रख दे। हदीष मे हम-मा'नी (पर्यायवाची) लफ़्ज़ आने से बहुत कम मफ़्हूम बदलता है। क़ुर्आन की तरह हिफ़ाज़ते हदीष का सवाल क़ुर्आन पर ईमान रखने वाला कोई अहले किताब नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि वह्ये मतलू तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफ़ाज़त भी अल्लाह ने क़ुर्आन के समान के नहीं कराई। फिर वह्ये ग़ैर मतलू के लिए इस क़िस्म का एहतिमाम क्यूँ किया जाता?

अल्लाह और रसूल के कलाम का फ़र्क़ भी उस हिफ़ाज़त के सवाल को हल करता है। अगर ग़ौर से देखा जाए तो हदीष की हिफ़ाज़त अगरचे क़ुर्आन की तरह नहीं हुई मगर ऐसे बेनज़ीर तरीक़ पर हुई है जो एक मुअ़जिज़ा है और रसूले करीम (ﷺ) के अ़हद में क़ुर्आन के हुफ़्फ़ाज़ थे। सारा क़ुर्आन सबको याद न था। कुछ एक–एक, दो–दो सूरतों के हाफ़िज़ थे। हदीष के हुफ़्फ़ाज़ भी थे। अबू हुरैरह (रज़ि) एक षुलुष शबे हिफ़्ज़ हदीष में सर्फ़ (ख़र्च) करते थे। उनसे 5374 हदीषें मरवी हैं। तीन हज़ार हदीषों पर मदारे अह्काम है उनमें से आधा उनकी रिवायात हैं। समुरह बिन जुन्दब हदीषें हिफ़्ज़ करते थे। जिस तरह थोड़ा बहुत क़ुर्आन बहुत से सहाबा को हिफ़्ज़ था। उसी तरह थोड़ी बहुत हदीषें भी सभी को याद थीं।

उन अस्हाब की ता'दाद ग्यारह हज़ार है जिन्होंने किसी न किसी तरह अक़्वाल व अह्वाल रसूले करीम (ﷺ) को उम्मत तक पहुँचाया है। हाँ तमाम हदीषों का कोई एक हाफ़िज़ न था।

जिस तरह क़ुर्आन की मुख़्तलिफ़ सूरतें मुख़्तलिफ़ अस्हाब के पास लिखी हुई थीं, उसी तरह हदीषें भी अस्हाब के पास लिखी हुई थीं जिस तरह अबूबक्र व उ़मर (रज़ि) ने क़ुर्आनी आयात को शहादत लेकर क़ुबूल किया, उसी तरह हदीषों को क़ुबूल किया।

जिस जुर्अत व हिम्मत व सदाक़त से सहाबा व ताबेईन व तबे ताबेईन ने हदीषों को आने वाली नस्लों तक पहुँचाया है, दुनिया की तारीख़ उसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकती। हदीष की हिफ़ाज़त व तदवीन के लिये सौ के क़रीब फ़ुनून ईजाद हुए। लक़ व दक़ मैदान, बहर व बर्र, कोहे सहरा छान मारे। एक–एक हदीष के लिए बेआब व गियाह मैदानों में महीनों का सफ़र किया। हदीष की जांच के लिये ऐसे सख़्त और मा'क़ूल शराइत क़ायम किये कि जिससे ज़्यादा उ़क़ूल बशरी तजवीज़ नहीं कर सकतीं। रावियों, अक़्सामे हदीष, किताबों के तब्क़ात सब क़ायम कर दिये मौज़ूआत और वज़्ज़ाओं को नाम बनाम गिना दिया। अगर किसी शख़्स का झूठ बोलना षाबित हो जाए और वो तौबा कर ले तो उसकी शहादत तो क़ुबूल है मगर हदीष क़बूल नहीं। झूठ बोलना तो एक तरफ़ मत्तहम बिल किज़्ब की हदीष भी क़ुबूल नहीं की जाती। इमाम बुख़ारी (रह) ने एक अदना शुब्हा पर एक शख़्स से बेशुमार हदीषें छोड़ दीं। रावियों के हालात को इस तरह खोल दिया है कि किसी शक व शुब्हा की गुंजाईश नहीं रहती। जिस रिवायत में अ़ली बिन मदीनी, यह्या बिन मुईन, अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक होंगे वो आ़ला दर्जा की होगी। जिस रिवायत में मुहम्मद बिन इस्हाक़ होंगे वो ज़ईफ़ होगी। जिस रिवायत में इब्ने उ़काशा किरमानी होगा वो मौज़ूअ होगी।

सबसे बेहतर बुख़ारी की ह़दीषें हैं फिर मुस्लिम की, उसके बाद दीगर कुतुबे सिह़ाह़ की उनके बाद और ह़दीष़ की किताबों की दर्जा ब दर्जा उसकी तफ़्सील किसी जगह है, इसी त़रह़ मौज़ूआत की तफ़्सील भी लिखी गई है।

ह़दीष़ के हुफ़्फ़ाज़ भी कष़ीर ता'दाद में हुए हैं। तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ वग़ैरह कुतुब में उनका मुफ़स्सल ज़िक्र है। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल को दस लाख, ह़ाफ़िज़ अबू ज़रआ़ को सात लाख, यह्या बिन मुईन को दस लाख, इमाम मुस्लिम को तीन लाख, इमाम अबू दाऊद को पाँच लाख, ह़ाफ़िज़ अबूबक्र को एक लाख, ह़ाफ़िज़ अबू अल अ़ब्बास को तीन लाख से ज़ाइद, इस्ह़ाक़ बिन राह्वैय को सत्तर हज़ार ह़दीषें याद थीं। ये हमने दो चार ह़ज़रात की तफ़्सील लिख दी है। बाक़ी और बहुत से हुफ़्फ़ाज़े ह़दीष़ का इस किताब में ज़ि क्र होगा।

(7) ये पहले बयान किया जा चुका है कि हुज़ूर (ﷺ) आ़दात व मुबाह़ात व सुनन में एक अम्र के पाबन्द न रहते थे और न ये पाबन्दी मुम्किन थी। अइम्मा ने अख़ीर ज़माना के अक़्वाल व अफ़्आ़ल को हुज्जत गरदाना है। एक मसला पर मुतअ़द्दिद रिवायात का होना मुज़िर नहीं मुफ़ीद है कि एक हुक्म पर अ़मल करने की चंद सूरतें पैदा हो गईं। अगर ये रिवायतें न होतीं तो तकलीफ़ का बाइ़ष़ होता।

(8) उसके बारे में अलग मज़्मून है।

(9) ह़दीष़ व तारीख़ के बारे में अलग से मज़्मून है। ह़दीष़ व तारीख़ में ये फ़र्क़ है कि इ़ल्मे ह़दीष़ एक सह़ीह़ इ़ल्म है। इ़ल्मे तारीख़ मुश्तबह इ़ल्म है। इन दोनों में कोई निस्बत ही नहीं।

(10) बहुत से मामलात अ़दालतों में अख़बार आह़ाद से पेश होते हैं और तस्लीम किये जाते हैं। अगर जज हर शाहिद को झूठा समझे और शहादत की तलाश ह़द्दे तवातुर तक करे तो दुनिया के काम दरहम बरहम हो जाएँ। हर शख़्स सिर्फ़ ख़बरे वाह़िद यानी अपनी माँ के बयान से उस अम्र पर यक़ीन करता है कि वो फ़लाँ शख़्स की औलाद है।

अकष़र ख़बरे वाह़िद को क़वी क़रीना की बिना पर तरजीह़ देनी पड़ती है। क़ुर्आन मजीद का कलामे इलाही होना हमको सिर्फ़ ख़बरे वाहिद से मालूम हुआ। रसूले करीम (ﷺ) की सिद्क़ व रास्तबाज़ी पर नज़र करके तस्दीक़ को तक्ज़ीब पर तरजीह़ दी गई। यही सूरत अह़ादीष़ में है।

वो शहादतें जिनकी बिना पर क़ुर्आन एक मुसलमान के ख़ून को मुबाह़ करता है, उन पर यक़ीन ज़न ही से ह़ासिल होता है। मुशाहिदा ऐ़नी व तजुर्बा—ए—ह़िस्सी के सिवा दुनिया में कोई ज़रिया ऐसा नहीं है जो मुफ़ीद यक़ीन हो सकता है। तवातुर को भी मह़ज़ इस क़यास की बिना पर यक़ीनी समझा जाता है कि बहुत से आदमियों का झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना मुस्तबअ़द है।

ये ख़्याल भी ग़लत है कि मुतवातिर ह़दीषें कम हैं। कुतुबे अह़ादीष़ जो उ़लमा—ए—अ़स्र में मुतदाविल हैं उनका इंतिसाब जिस मुसन्निफ़ की त़रफ़ किया जाता है वो एक यक़ीनी अम्र है। पस ये मुसन्निफ़ीन अगर उन्हीं किताबों में मुत्तफ़िक़ होकर एक ह़दीष़ को इस क़द्र रुवात से रिवायत करें कि आ़दतन उनका झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना या इत्तिफ़ाक़न उनसे झूठ का सरज़द होना मुम्किन न हो तो ला रयब वो ह़दीष़ मुतवातिर होगी। और ज़रूर उसका इंतिसाब क़ाइल की त़रफ़ बत़ौरे इ़ल्मे यक़ीनी के होगा ऐसी ह़दीषें कुतुबे ह़दीष़ में कष़रत से हैं।

1. किताबुल वह्य

किताब वह्य के बारे में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

शैख़ इमाम ह़ाफ़िज़ अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुग़ीरा बुख़ारी (रह.) ने फ़र्माया,

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى آمِين:

बाब 1 : इस बारे में कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) पर वह्य की इब्तिदा कैसे हुई और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का ये फ़र्मान कि मैंने बिला शुब्हा (ऐ मुहम्मद !) आपकी तरफ़ वह्य का नुज़ूल उसी तरह किया है जिस तरह ह़ज़रत नूह (अ़लैहिस्सलाम) और उनके बाद आने वाले तमाम नबियों की तरफ़ किया था

١ - بَابٌ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

وَقَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء : ١٦٣]

(1). हमको हुमैदी ने ये ह़दीष़ बयान की, उन्होंने कहा कि हमको सुफ़यान ने ये ह़दीष़ बयान की, वो कहते हैं हमको यह़्या बिन सईद अन्सारी ने ये ह़दीष़ बयान की, उन्होंने कहा मुझे ये ह़दीष़ मुहम्मद बिन इब्राहीम तैमी से ह़ासिल हुई। उन्होंने इस ह़दीष़ को अलक़मा बिन वक़्क़ास लैष़ी से सुना, उनका बयान है कि मैंने मस्जिदे नबवी

١ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ

में मिम्बरे-रसूल (ﷺ) पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की ज़ुबान से सुना, वो फ़र्मा रहे थे कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि तमाम आ'माल का दारोमदार निय्यत पर है और हर अमल का नतीजा हर इन्सान को निय्यत के मुताबिक़ ही मिलेगा। पस जिसकी हिजरत (तर्के-वतन) दौलते दुनिया हासिल करने के लिये हो या किसी औरत से शादी की ग़रज़ से हो। पस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिये होगी जिनको हासिल करने की निय्यत से उसने हिजरत की।

(दीगर मक़ामात : 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953)

وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

[أطرافه في: ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣].

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ के इफ़्तिताह के लिये या तो सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम को ही काफ़ी समझा कि इसमें भी अल्लाह की हम्द कामिल तौर पर मौजूद है या आपने हम्द का तलफ़्फ़ुज़ ज़बान से अदा फ़र्मा लिया कि इसके लिये लिखना ही ज़रूरी नहीं। या फिर आपने जनाबे नबी करीम (ﷺ) की सुन्नत का लिहाज रखा हो नबी करीम (ﷺ) की तहरीरों की शुरूआत सिर्फ़ **बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम** से ही हुआ करती थी जैसा कि तारीख़ और सीरत की किताबों से ज़ाहिर है। हज़रतुल इमामे-क़ुद्दस सिर्रुहु ने पहले **वह्य** का ज़िक्र मुनासिब समझा, इसलिये कि क़ुर्आन व सुन्नत की सबसे पहली बुनियाद **वह्य** है। इसी पर आँहज़रत (ﷺ) की सदाक़त मौक़ूफ़ है। **वह्य** की तारीफ़ अल्लामा क़स्तलानी शारेह बुख़ारी के लफ़्ज़ों में यह है, **वल वह्यु अल इअलामु फ़ी ख़िफ़ाइन व फ़ी इस्तिलाहिश्शरइ इअलामुल्लाहि तआला अम्बियाअहु अश्शैया इम्मा बिकिताबिन औ बि रिसालति मलकिन औ मनामिन औ इल्हामिन** (इर्शादुल सारी 1/48) यानी 'वह्य' **लुग़त** (डिक्शनरी) में उसको कहते हैं कि छुपे हुए तौर पर कोई चीज़ जानकारी में आ जाए और शरअन् 'वह्य' ये है कि अल्लाह पाक अपने नबियों और रसूलों को बराहे रास्त किसी छुपी हुई चीज़ से आगाह फ़र्मा दे। इसकी भी कई सूरतें हैं। या तो कोई किताब नाज़िल फ़र्माए या किसी फ़रिश्ते को भेजकर उसके ज़रिये से ख़बर दे या ख़्वाब में आगाह फ़र्मा दे या फिर दिल में डाल दे। वह्य मुहम्मदी की सदाक़त के लिये हज़रत इमाम ने आयते करीमा **इन्ना औहैना इलयक कमा औहैना इला नूहिन** (अन निसा : 123) दर्ज फ़र्माकर बहुत ही लतीफ़ इशारात फ़र्माए हैं, जिनकी तफ़्सील बहुत **तवील** (विस्तृत) है। मुख़्तसरन ये कि आँहज़रत (ﷺ) पर नाज़िल होने वाली वह्य कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि यह सिलसिल-ए-आलिया हज़रत आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा व दीगर अंबिया व रुसूल (अलैहिस्सलाम) से मरबूत है और इस सिलसिले की आख़री कड़ी हज़रत सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) है। इस तरह आप (ﷺ) की तस्दीक़ तमाम अंबिया और रसूलों की तस्दीक़ है और आप (ﷺ) का इन्कार तमाम अंबिया और रसूलों का इन्कार है। अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **मुनासबतुल आयति लित् तर्जुमति वाज़िहुन मिन जहति अन्न सिफ़तल वह्य इला नबिय्यिना (ﷺ) तुवाफ़िक़ु सिफ़तल वह्यि इला मन तक़द्दमहू मिनन नबिय्यीन** (फ़त्हुल बारी 9/1) यानी बाब बदउल वह्य के इन्एक़ाद और आयत **इन्ना औहैना इलैक** अल आयत में मुनासबत इस तौर पर वाज़ेह (स्पष्ट) है कि नबी करीम (ﷺ) पर वह्य का नुज़ूल क़तई तौर पर उसी तरह है जिस तरह आप (ﷺ) से पहले तमाम नबियों और रसूलों पर वह्य नाज़िल होती रही है।

ज़िक्रे वह्य के बाद हज़रतुल इमाम ने हदीष **'इन्नमल आ'मालु बिन् निय्यात'** को नक़ल फ़र्माया, इसकी बहुत सी वजहें हैं। इनमें से एक वजह यह ज़ाहिर करना भी है आँहज़रत (ﷺ) को ख़ज़ान-ए-वह्य से जो कुछ भी दौलत नसीब हुई है ये सब आप (ﷺ) की पाक निय्यत का फल है जो आप (ﷺ) को शुरूआती उम्र से ही हासिल थी। आपका बचपन, जवानी, यहाँ तक कि नुबूव्वत मिलने से पहले का पूरा अर्सा निहायत पाकीज़गी के साथ गुज़रा। आख़िर में आपने दुनिया से क़तई **अलैहदगी** (एकान्तवास) इख़्तियार फ़र्माकर ग़ारे-हिरा में ख़लवत इख़्तियार फ़र्माई। आख़िर आप (ﷺ) की पाक निय्यत का फल आप (ﷺ) को हासिल हुआ और ख़लअते-रिसालत से आप (ﷺ) को नवाज़ा गया। रिवायत की गई हदीष़ के सिलसिल-

ए-आलिया में हज़रतुल इमाम क़द्दस सिर्रुहु ने इमाम हुमैदी (रह.) से अपनी सनद का इफ़्तिताह फ़र्माया। हज़रत इमाम हुमैदी (रह.) इल्मो-फ़न, हसबो-नसब हर लिहाज़ से इसके **अहल** (योग्य) थे, इसलिये कि उनकी इल्मी और अ़मली जलालते-शान के लिये यही काफ़ी है कि वो हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के उस्तादों में से हैं, हसब व नसब के लिहाज से क़ुरैशी हैं। उनका सिलसिल-ए-नसब नबी करीम (ﷺ) व हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) से जा मिलता है। उनकी कुन्नियत अबू बक्र, नाम अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन ईसा है। उनके **अज्दाद** (पूर्वजों) में कोई बुज़ुर्ग हुमैद बिन उसामा नामी गुज़रे हैं, उनकी निस्बत से ये हुमैदी मशहूर हुए। इस हदीष़ को इमाम बुख़ारी (रह.) हुमैदी से जो कि मक्की हैं, लाकर यह इशारा फ़र्मा रहे हैं कि वह्य की इब्तिदा मक्का से हुई थी।

हदीष़ **इन्नमल आ'माल बिन् निय्यात** की बाबत अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **वहाजल हदीस अहदुल अहादीसिल्लति अलैहा मदारुल इस्लाम ..... वक़ालश्शाफ़ेई व अहमद अन्नहू यदख़ुलू फ़ीहि षुलषुल इल्म** (इर्शादे रिसालत 1/56-57) यानी ये हदीष़ उन अहादीष़ में से एक है जिन पर इस्लाम का दारोमदार है। इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अह़मद (रह.) जैसे अकाबिरे-उम्मत ने सिर्फ़ इस एक हदीष़ को इल्म व दीन का तिहाई या आधा हिस्सा क़रार दिया है। इसे ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के अ़लावा तक़रीबन बीस सहाब-ए-किराम (रज़ि.) ने आँह़ज़रत (ﷺ) से नक़ल फ़र्माया है। बाज़ उलमा ने इसे हदीष़े-मुतवातिर भी क़रार दिया है। इसके राविर्यों में सअ़द बिन अबी वक़्क़ास, अ़ली बिन अबी तालिब, अबू सईद ख़ुदरी, अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द, अनस, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, अबू हुरैरह, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह, मुआ़विया बिन अबी सुफ़यान,, उबादा बिन सामित, उतबा बिन अ़ब्दुस्सलमा, हिलाल बिन सुवैद, उ़क़्बा बिन आ़मिर, अबू ज़र उ़क़्बा बिन अल मुन्ज़िर, उ़क़्बा बिन मुस्लिम और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) जैसे जलीलुल क़द्र सहाब-ए-किराम के नाम नक़ल किये गये हैं। (क़स्तलानी)

इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ़ सह़ीह़ को इस ह़दीष़ से इसलिये शुरू फ़र्माया कि हर नेक काम की तकमील के लिये ख़ुलूसे-निय्यत ज़रूरी है। अहादीसे-नबवी (ﷺ) का जमा करना, उनका लिखना, उनका पढ़ना, ये भी एक नेकतरीन अ़मल है। पस इस फ़न्ने-शरीफ़ के हासिल करने वालों के लिये आदाबे-शरइय्या में से यह ज़रूरी है कि इस इल्म शरीफ़ को ख़ालिस़ दिल के साथ महज़ रज़ा-ए- इलाही व मा'लूमाते सुनन व रिसालत-पनाही के लिये ह़ासिल करें। कोई फ़ासिद ग़रज हर्गिज़ बीच में नहीं होनी चाहिये। वर्ना ये नेक अ़मल भी अज्रो-षवाब के लिहाज से उनके लिये फ़ायदेमन्द अ़मल ष़ाबित नहीं होगा। जैसा कि इस हदीष़ के शाने-रूद से ज़ाहिर है कि एक शख़्स ने उम्मे क़ैस नामी औरत को निकाह का पैग़ाम दिया था, उसने जवाब में यह ख़बर दी कि आप हिजरत करके मदीना आ जाएं तो शादी हो सकती है। चुनाञ्चे वो शख़्स इसी ग़रज़ से हिजरत करके मदीना पहुँचा और उसकी शादी हो गई। दूसरे सहाबा उसे **मुहाजिरे उम्मे क़ैस** कहा करते थे। इस हदीष़ के पसमंज़र (बैकग्राउण्ड) में हम अपनी तुलना करें।

ह़ज़रत इमाम क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व अख़्रजहुल मुअल्लिफ़ु फ़िल ईमानि वल अ़िल्क़े वल हिजरति वन् निकाहि वल ईमानि वन्नुज़ूरि वतरकिल हीयलि व मुस्लिम वतिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा व अह़मद व दारूक़ुत्नी व इब्ने हिब्बान वल बैहक़ी** यानी इमाम बुख़ारी (रह.) अपनी जामेअ़ सह़ीह़ में इस हदीष़ को यहाँ (यानी किताबुल वह्य) के अ़लावा किताबुल ईमान में भी लाए हैं और वहाँ आप ने ये बाब मुन्अ़क़िद फ़र्माया है, **बाबु माजाअ अन् नल आ'माल बिन निय्यति वल हिसबति व वलिकुल्ली इमरिइन मानवा** यहाँ आपने इस हदीष़ से इस्दलाल फ़र्माया है कि वुज़ू, ज़कात, हज्ज, रोज़ा समेत सभी आ'माल का अज्र उसी सूरत में हासिल होगा कि ख़ुलूसे-निय्यत से और ष़वाब की ग़रज़ से उनको किया जाए। यहाँ आपने **इस्तिश्हादे-मजीद** (विस्तृत साक्ष्य/गवाही) के तौर पर क़ुर्आन की आयते करीमा **क़ुल कुल्लूय्यअ़मलू अ़ला शाकिलतिही** को नक़ल करते हुए बतलाया है कि शाकिलतिही से निय्यत ही मुराद है। मिष़ाल के तौर पर अगर कोई शख़्स अपने अह्लो-अयाल पर ष़वाब की निय्यत से ख़र्च करता है तो यक़ीनन उसे ष़वाब हासिल होगा। तीसरे इमाम बुख़ारी इस हदीष़ को किताबुल इ़त्क़ में लाए हैं। चौथे बाबुल हिजरत में, पाँचवे किताबुन् निकाह में, छठे नुज़ूर के बयान में, सातवें किताबुल हियल में। हर जगह इस हदीष़ को इस ग़रज़ से नक़ल किया गया है कि सिहते-आ'माल और ष़वाबे-आ'माल सब निय्यत ही पर आधारित हैं और इस हदीष़ का **मफ़हूम** (भावार्थ) आ़म तौर पर दोनों सूरतों में शामिल है। इस हदीष़ के ज़ैल में **फ़ुक़हा-ए-शवाफ़िअ़** (शाफ़िई धर्मशास्त्री) सिर्फ़ सिहते आ'माल की तख़्सीस़ करते (विशिष्टता बताते)

हैं और **फ़ुक़्ह-ए-अहनाफ़** (हनफ़ी धर्मशास्त्री) सिर्फ़ ष़वाबे-आ'माल की। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब (रह.) ने इन दोनों की ग़लती बयान फ़र्माते हुए इमामुल मुहद्दिषीन बुख़ारी (रह.) के मौक़िफ़ (दृष्टिकोण) की ताईद की है कि ये हदीष़ दोनों सूरतों को शामिल है। (देखें अनवारुल बारी 1/16-17)

निय्यत से मुराद दिल का इरादा है। जो हर फ़ेअल इख़्तियार करने से पहले दिल में पैदा होता है। नमाज़, रोज़ा वग़ैरह के लिये ज़बान से निय्यत के अल्फ़ाज़ अदा करना ग़लत है। अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) और दीगर अकाबिरे-उम्मत ने तस्रीह की है कि ज़बान से निय्यत के अल्फ़ाज़ अदा करने का ष़ुबूत न तो ख़ुद रसूले करीम (ﷺ) से है, न सहाबा व ताबेईन से, लिहाज़ा ज़बान से निय्यत के अल्फ़ाज़ अदा करना महज़ बन्दों की ईजाद है, जिसकी शरअन कोई इजाज़त नहीं है।

आजकल एक जमाअत मुन्किरीने-हदीष़ की भी पैदा हो गई है जो अपनी हफ़्वात के सिलसिले में हज़रत उमर (रज़ि.) का नाम इस्ते'माल किया करते हैं और कहा करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) अहादीस रिवायत करने के ख़िलाफ़ थे। इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ सहीह को हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायत से शुरू फ़र्माया है, जिससे **रोज़े-रोशन** (दिन के उजाले) की तरह वाज़ेह हो गया है कि मुन्किरीने हदीष़ का हज़रत उमर (रज़ि.) पर ये इल्ज़ाम बिल्कुल ग़लत है। हज़रत उमर (रज़ि.) ख़ुद अहादीसे-नबवी (ﷺ) को रिवायत फ़र्माया करते थे। हाँ! सिहत के लिये आपकी तरफ़ से एहतियात ज़रूर मद्देनज़र रहता था जो कि हर आलिम, इमाम, मुहद्दिष़ के सामने होना ही चाहिये। मुन्किरीने हदीस को मा'लूम होना चाहिये कि सय्यिदिना हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने अहदे-ख़िलाफ़त में अहादीष़े-नबवी (ﷺ) की नश्रो-इशाअत का **ग़ैर-मामूली** (असाधारण) एहतिमाम फ़र्माया था और इस्लामी दुनिया के कोने-कोने में ऐसे जलीलुलक़द्र सहाबा को इस ग़रज़ (उद्देश्य) के लिये भेजा था, जिनकी पुख़्तगी सीरत और बुलन्दी-ए-किरदार के अलावा उनकी जलालते-इल्मी (ज्ञान की श्रेष्ठता) तमाम सहाबा में **मुसल्लम** (सर्वमान्य/क़ाबिले क़ुबूल) थी। जैसा कि हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) **'इज़ालतुल ख़िफ़ाअ'** में तहरीर फ़र्माते हैं, जिसका तर्जुमा यह है, 'फ़ारूक़े-आज़म (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) को एक जमाअत के साथ कूफ़ा भेजा और मग़फ़ल बिन यसार, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल, इमरान बिन हुसैन को बसरा में मुक़र्रर फ़र्माया था और उबादा बिन सामित और अबू दर्दा को शाम (मौजूदा मुल्क सीरिया) भेजा। साथ ही वहाँ के उम्माल को लिखा कि इन हज़रात को तर्वीजे-अहादीष़ (हदीसों के प्रचार-प्रसार) के लिये मुक़र्रर किया गया है, लिहाज़ा ये हज़रात जो अहादीस बयान करें उनसे हर्गिज़ **तजावुज़** (हुक्म उदूली/अवज्ञा) न किया जाए। मुआविया बिन अबू सुफ़यान (रज़ि.) जो कि उस वक़्त शाम के गवर्नर थे, उनको ख़ुसूसियत के साथ इसकी तवज्जुह दिलाई।'

हज़रत उमर (रज़ि.) सन् 7 नबवी में ईमान लाए और आपके मुस्लिम होने पर का'बा शरीफ़ में तमाम मुस्लिमों ने बाजमाअत नमाज़ अदा की, ये पहला मौक़ा था कि बातिल के मुक़ाबले पर हक़ सरबुलन्द हुआ। इसी वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको **'फ़ारूक़'** का **लक़ब** (उपाधि) अता फ़र्माई। आप बड़े नेक, **आदिल** (न्यायप्रिय) और **साइबुर्राय** (ठोस राय वाले) थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) आप की तारीफ़ में फ़र्माया करते थे कि अल्लाह तआला ने हज़रत उमर की ज़बान और दिल पर हक़ जारी कर दिया है। सन् 13 नबवी में आपने मदीना की तरफ़ हिजरत फ़र्माई। हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) के बाद ख़िलाफ़ते-इस्लामिया को सम्भाला और आपके दौर में **फ़ुतूहाते इस्लामी** (इस्लामी विजय) का दौर सैलाब की तरह दूर-दूर तक पहुँच गया। आप ऐसे **मुफ़क्किर** (चिन्तक) और **माहिरे-सियासत** (राजनीति विशेषज्ञ) थे कि आप का दौर इस्लामी हुकूमत का सुनहरा दौर कहा जाता है। मुग़ीरा बिन शोबा के एक पारसी ग़ुलाम फ़िरोज़ ने आपके दरबार में अपने आक़ा की ग़लत शिकायत पेश की थी। चुनाञ्चे हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस पर तवज्जुह नहीं दी। मगर वो पारसी ग़ुलाम ऐसा असंतुष्ट हुआ कि सुबह की नमाज़ में ख़ञ्जर छुपाकर ले गया और नमाज की हालत में आप पर उस ज़ालिम ने हमला कर दिया। उसके तीन दिन बाद 1 मुहर्रम 24 हिजरी में आपने शहादत पाई और नबी-ए-अकरम (ﷺ) और अपने मुख़्लिस रफ़ीक़ (प्रिय दोस्त) अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पहलू में क़यामत तक के लिये सो गये। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैही राजिऊन-अल्लाहुम्मग़्फ़िर लहुम अज्मईन-आमीन!**

बाब 2 : بَابٌ

(2). हमको अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने हदीस बयान की, उनको

٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ)). قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

[أطرافه في : ٣٢١٥].

मालिक ने हिशाम बिन उर्वा की रिवायत से ख़बर दी, उन्होंने अपने वालिद से नक़ल की, उन्होंने उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल की। आपने फ़र्माया कि हारिष बिन हिशाम नामी एक शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) से सवाल किया था कि हुज़ूर आप पर वह्य कैसे नाज़िल होती है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वह्य नाज़िल होते वक़्त कभी-कभी मुझे घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वह्य की यह कैफ़ियत मुझ पर बहुत शाक़ (नाक़ाबिले बर्दाश्त/असहनीय) गुज़रती है। जब ये कैफ़ियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो-दिमाग़ पर (उस फ़रिश्ते) के ज़रिए नाज़िलशुदा वह्य महफ़ूज़ हो जाती है और किसी वक़्त ऐसा होता है कि फ़रिश्ता बशक्ले इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि मैंने सख़्त कड़ाके की सर्दी में आँहज़रत (ﷺ) को देखा है कि आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हुई और जब उसका सिलसिला मौक़ूफ़ (मुल्तवी/स्थगित) हुआ तो आप (ﷺ) की पेशानी पसीने से सरोबार थी। (दीगर मक़ामात : 3215)

तश्रीह : अंबिया (अलैहिमिस्सलाम) ख़ुसूसन आख़री नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर वह्य नाज़िल होने के मुख़्तलिफ़ तरीक़े (विभिन्न प्रकार) रहे हैं। अंबिया (अलैहिमिस्सलाम) के ख़्वाब भी वह्य होते हैं और उनके क़ल्ब (दिल) पर जो इल्हामात वारिद होते हैं, वो भी वह्य हैं। कभी अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता अपनी असली सूरत में उनसे हमकलाम होता है और कभी वो फ़रिश्ता इन्सान की सूरत में हाज़िर होकर अल्लाह का फ़र्मान सुनाता है। कभी बारी तआला व तक़द्दुस बराहे रास्त ख़ुद (सीधे तौर पर) अपने रसूल से ख़िताब फ़र्माता है। नबी करीम (ﷺ) की हयाते तय्यिबा में वक़्तन-फ़वक़्तन वह्य की ये सभी क़िस्में पाई गई। ऊपर बयान की गई हदीष में जिस घण्टी की आवाज़ की मुशाबहत का ज़िक्र आया है, हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने उससे मुराद वह्य लेकर आने वाले फ़रिश्ते के पैरों की आवाज़ बतलाई है। बाज़ हज़रात ने इस आवाज़ से सौते-बारी को मुराद लिया है और क़ुर्आनी आयत **'व मा कान लि-बशरिन अंय्युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वह्यन औ मिव्वरा-इ हिजाब ....'** तर्जुमा : 'और किसी आदमी के लिये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उससे बात करे, मगर इल्हाम (के ज़रिये) से या पर्दे के पीछे से या कोई फ़रिश्ता भेज दे, तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्क़ा करे। बेशक वो बुलन्द मर्तबा (और) हिक्मत वाला है।' (सूरह शूरा 51) के तहत इसे वरा-ए-हिजाब वाली सूरत से ताबीर किया है। आजकल टेलीफ़ोन की ईजाद में भी हम देखते हैं कि फ़ोन करने वाला पहले नम्बर डायल करता है और जहाँ वो फ़ोन करता है, वहाँ घण्टी की आवाज़ सुनाई देती है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ऊपर बयान की गई हदीष में कोई ऐसा ही इस्तिआरा (रूपक/मिषाल) है। हाँ! कुछ न कुछ मुशाबिहत (समरूपता) ज़रूर है।, वह्य और इल्हाम भी अल्लाह पाक की तरफ़ से एक ग़ैबी रूहानी फ़ोन ही है जो आलमे-बाला से उसके मक़बूल बन्दों, अंबिया व रसूलों के मुबारक दिलों पर नाज़िल करता है। नबी करीम (ﷺ) पर वह्य का नुज़ूल इतनी कष़रत से हुआ कि उसकी तश्बीह (उपमा) **'रहमतों की बरसात'** से दी जा सकती है। क़ुर्आन मजीद वो वह्य है जिसे वह्ये-मतलू कहा जाता है, यानी वो वह्य जो ता-क़यामे-दुनिया मुस्लिमों की तिलावत में रहेगी और वह्ये-ग़ैर मतलू आप (ﷺ) की हदीषे-क़ुदसिया है जिनको क़ुर्आन मजीद में **'अल हिक्मह'** से ताबीर किया गया है। इन दोनों क़िस्मों की वह्य की हिफ़ाज़त अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे ली हुई है और इस सवा चौदह सौ साल के अर्से में जिस तरह क़ुर्आन करीम की ख़िदमत और हिफ़ाज़त के लिये हाफ़िज़, क़ारी, उलमा, फ़ाज़िल, मुफ़स्सिरीन लोग पैदा होते रहे हैं, इसी तरह अहादीषे-

नबवी (ﷺ) की हिफ़ाज़त के लिये अल्लाह पाक ने इमाम बुख़ारी व मुस्लिम (रह.) जैसे मुहद्दिष़ीन की जमाअत को पैदा किया है। जिन्होंने उलूमे नबवी (ﷺ) की वो ख़िदमत की है कि क़यामत तक उम्मत उनके एहसान से बरी नहीं हो सकती। हदीषे नबवी (ﷺ) है कि अगर दीन षुरेय्या पर होगा तो आले फ़ारस से कुछ लोग पैदा होंगे जो वहाँ से भी इसे हासिल कर लेंगे। बिला शक व शुब्हा इससे यही मुहद्दिषीने किराम इमाम बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह हैं, जिन्होंने अहादीषे-नबवी की तलब में हज़ारों मील पैदल सफ़र किया और बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके उनको जमा किया।

लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि आज के दौर में कुछ लोग खुल्लम खुला अहादीषे नबवी (ﷺ) का इन्कार करते हैं और मुहद्दिसीने किराम पर फब्तियाँ कसते हैं और कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए हैं जो ज़ाहिरी तौर पर उनके एहतिराम का दम भरते हैं और पर्दे के पीछे उनको ग़ैर-फ़िक़्ह, महज़ रिवायत कुनिन्दा, दिरायत से आरी (ज़हानत/प्रतिभा/ज्ञान से ख़ाली) **नाक़िसुल फ़हम** (त्रुटिपूर्ण समझवाला) षाबित करने में अपनी ऐड़ी-चोटी का ज़ोर लगाते रहते हैं। मगर अल्लाह पाक ने अपने मक़बूल बन्दों की अज़ीम ख़िदमात को जो दवाम (स्थायित्व) बख़्शा और उनको क़ुबूले आम अता फ़र्माया, वो ऐसी ग़लत कोशिशों से ज़ाइल (नष्ट) नहीं हो सकता। अल ग़रज़ वह्य की चार सूरतें हैं, (1) अल्लाह पाक बराहे रास्त अपने रसूल से ख़िताब फ़र्माए; (2) कोई फ़रिश्ता अल्लाह का पैग़ाम लेकर आए; (3) ये कि दिल में बात डाल दी जाए; (4) सच्चे ख़्वाब दिखाई दें।

इस्तेलाही (पारिभाषिक) तौर पर वह्य का लफ़्ज़ सिर्फ़ पैग़म्बर के लिये बोला जाता है और इल्हाम आम है जो दूसरे नेक बन्दों को भी होता रहता है। क़ुर्आन मजीद में जानवरों के लिये भी लफ़्ज़ '**इल्हाम**' इस्ते'माल हुआ है। जैसा कि '**व औहा रब्बु-क इलन्नह्लि** ....' (सूरह नह्ल : 68) में मज़्कूर (वर्णित) है। वह्य की मज़ीद तफ़्सील (विस्तृत विवरण) के लिये हज़रत इमाम ने नीचे लिखी हदीष नक़ल फ़र्माई है।

(3) हमको यह्या बिन बुकैर ने ये हदीष बयान की, वो कहते हैं कि इस हदीष की हमको लैष ने ख़बर दी, लैष अक़ील से रिवायत करते हैं। अक़ील इब्ने शिहाब से, वो उर्वा बिन ज़ुबैर से, वो उम्मुल मो'मिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि आँहज़रत (ﷺ) पर वह्य का शुरूआती दौर अच्छे-सच्चे पाकीज़ा ख़्वाबों से शुरू हुआ। आप ख़्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा षाबित होता। फिर मिनजानिबे क़ुदरत आप (ﷺ) तन्हाईपसंद (एकान्त प्रिय) हो गए और आप (ﷺ) ने ग़ारे हिरा में ख़ल्वतनशीनी इख़्तियार फ़र्माई और कई-कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और यादे इलाही व ज़िक्रो-फ़िक्र में मशग़ूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तौशा (खाना) साथ लिए वहाँ रहते। तौशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के पास आते और कुछ तौशा साथ लेकर फिर वहाँ जाकर ख़ल्वत गुज़ी हो जाते, यही तरीक़ा ज़ारी रहा यहाँ तक कि जब आप (ﷺ) पर हक़ ज़ाहिर हो गया और आप (ﷺ) गारे हिरा ही में क़याम-पज़ीर (ठहरे हुए) थे कि अचानकएक रात हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! पढ़ो आप (ﷺ) फ़र्माते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आप (ﷺ) फ़र्माते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे

٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ: فَقُلْتُ ((مَا أَنَا بِقَارِىءٍ)). قَالَ: ((فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي)) فَقَالَ: اقْرَأْ: ((قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءٍ. فَأَخَذَنِي

فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي)) فَقَالَ: اقْرَأْ: ((فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴾)) فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: ((زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي)) فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: ((لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي)). فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى – ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ– وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ ((فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى)) فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ

पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताक़त जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो, मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फ़रिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख़्त तकलीफ़ महसूस हुई, फिर उसने कहा कि पढ़! मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने मुझको पकड़ा और तीसरी बार फिर मुझको भींचा और कहने लगा कि पढ़ो! अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को ख़ून की फुटकी से बनाया, पढ़ो! और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) से सुनकर इस हाल में ग़ारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़िये से कांप रहा था। आप हज़रत ख़दीजा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और फ़र्माया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। उन्होंने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा। तो आपने अपनी ज़ोजे मुहतरमा हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) को तफ़्सील के साथ यह वाक़िया सुनाया और कहने लगे कि मुझको अब अपनी जान का ख़ौफ़ हो गया है। आपकी बीवी हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने आपको ढारस (हिम्मत) बंधाई और कहा कि आपका ख़याल सहीह नहीं है। अल्लाह की क़सम! आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप तो अख़्लाक़े-फ़ाज़िला (श्रेष्ठ चरित्र) के मालिक हैं, आप तो कुम्बा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफ़लिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाज़ी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक़्त में आप हक़ बात का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े-हसना (अच्छे गुणों) वाला इंसान यूँ बेवक़्त ज़िल्लत व ख़्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) आप (ﷺ) को वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में ईसाई मज़हब इख़्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे, चुनाँचे इन्जील को भी हस्बे मंश-ए-इलाही इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। (इंजील सुरयानी ज़ुबान में नाज़िल हुई थी फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ, वर्क़ा उसी को लिखते थे) वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी जा चुकी थी। हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाज़ाद भाई! अपने भतीजे (मुहम्मद ﷺ) की ज़ुबानी ज़रा उनकी कैफ़ियत सुन

لَى مُوسَى، يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي كُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ ؟)) قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ.

[أطرافه في : ٣٣٩٢، ٤٩٥٣، ٤٩٥٥، ٤٩٥٦، ٤٩٥٧، ٦٩٨٢].

लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है, उसकी तफ़्सील सुनाओ। चुनाँचे आप (ﷺ) ने शुरू से आख़िर तक पूरा वाक़िआ सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा बेइख़्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस (मुअ़ज़्ज़ज़ राज़दाँ फ़रिश्ता) है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) पर वह्य देकर भेजा था, काश! मैं आपके उस अ़हदे नुबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश! मैं उस वक़्त तक ज़िन्दा रहता जबकि आपकी क़ौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूले करीम (ﷺ) ने यह सुनकर तअ़ज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? (हालाँकि मैं तो उनमें सादिक़ व अमीन व मक़बूल हूँ) वर्क़ा बोला हाँ! यह सबकुछ सच है। मगर जो शख़्स भी आपकी तरह अम्रे हक़ लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नुबुव्वत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी-पूरी मदद करूँगा । मगर कुछ दिनों बाद वर्क़ा बिन नौफ़ल का इंतिक़ाल हो गया। फिर कुछ वक़्त तक आप (ﷺ) पर वह्य का आना मौक़ूफ़ (स्थगित) रहा।

(दीगर मक़ामात : 3392, 4953, 4955, 4956, 4957, 6982)

٤- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ - فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: ((بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ جَاءَنِي بِحِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ - إِلَى قَوْلِهِ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾. فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ)). تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ، وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ

(4) इब्ने शिहाब कहते हैं मुझको अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) बिन अ़ब्दुल्लाह अंसारी से ये रिवायत नक़ल की कि आप (ﷺ) ने वह्य के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फ़रमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ़ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया क्या देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास ग़ारे हिरा में आया था वो आसमान व ज़मीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख़्वाहिश ज़ाहिर की। उस वक़्त अल्लाह पाक की तरफ़ से ये आयतें नाज़िल हुईं। ऐ कंबल ओढ़कर लेटने वाले! उठ खड़ा हो और लोगों को अ़ज़ाबे इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ़ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वह्य तेज़ी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीष़ को यह्या बिन बुकैर के अलावा लैष़ बिन सअ़द से अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ और अबू सालेह ने भी रिवायत किया है। और अ़क़ील के अलावा ज़ुहरी से हिलाल बिन रव्वाद ने भी रिवायत किया है। यूनुस और मअ़मर ने अपनी

रिवायत में लफ़्ज़ फ़ुवादह की जगह 'बवादिरह' नक़ल किया है।

الزُّهْرِيُّ، وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ ((بَوَادِرُهُ)).

(दीगर मक़ामात : 3238, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4156, 6214)

[أطرافه في : ٣٢٣٨، ٤٩٢٢، ٤٩٢٣، ٤٩٢٤، ٤٩٢٥، ٤٩٢٦، ٤٩٥٤، ٦٢١٤].

तश्रीह : बवादिर, बादिरह की जमा (बहुवचन) है, जो कि जिस्म के गर्दन और मोंढों के बीच वाले हिस्से के लिये बोला जाता है। किसी **दहशत-अंगेज़ मंज़र** (आतंकित करने वाले दृश्य) को देखकर कई बार जिस्म का यह हिस्सा भी फड़कने लगता है। मुराद यह है कि इस हैरत अंगेज़ वाक़िये से आप (ﷺ) के कंधे का गोश्त तेज़ी से फड़कने लगा।

वह्य की इब्तिदा से मुता'ल्लिक़ इस हदीष से बहुत सारे उमूर पर रोशनी पड़ती है। पहला **मनामाते-स़ादिक़ा** (सच्चे ख़्वाबों) के ज़रिये आप (ﷺ) का राबिता आलमे-मिष़ाल से क़ायम कराया गया, साथ ही आप (ﷺ) ने ग़ारे-हिरा में ख़लवत इख़्तियार की। ये ग़ार (गुफा) मक्का मुकर्रमा से क़रीब तीन मील के फ़ासले पर है। आप (ﷺ) ने वहाँ पर **'तहन्नुष़'** इख़्तियार फ़र्माया। लफ़्ज़े तहन्नुष़ ज़मान-ए-जाहिलिय्यत की इस्तिलाह है। उस ज़माने में इबादत का अहम तरीक़ा यही समझा जाता था कि आदमी किसी गोशे में दुनिया व मा फ़ीहा से अलग होकर कुछ रातें यादे-इलाही में बसर करे। चूँकि आप (ﷺ) के पास उस वक़्त तक वह्ये-इलाही नहीं आई थी, इसलिये आपने यह अमल इख़्तियार फ़र्माया और यादे-इलाही, ज़िक्रो-फ़िक्र व मुराक़ब-ए-नफ़्स में वहाँ वक़्त गुज़ारा। हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने आप (ﷺ) को तीन मर्तबा अपने सीने से आपके सीने को मिलाकर ज़ोर से इसलिये भींचा कि अल्लाह के हुक्म से आप (ﷺ) का सीना खुल जाए और एक ख़ाकी व माद्दी (मिट्टी से बनी भौतिक) मख़्लूक़ का नूरानी मख़्लूक़ से **फ़ौरी राबिता** (तात्कालिक सम्पर्क) हासिल हो जाए। यही हुआ कि आप (ﷺ) बाद में वह्ये-इलाही **'इक़्रः बिस्मि रब्बिक'** को आसानी से अदा करने लगे। पहली वह्य में ये सिलसिला उलूमे **मआरिफ़ते-हक़** (हक़ की पहचान), **ख़िलक़ते-इन्सानी** (इन्सान की रचना), क़लम की अहमियत, तालीम के आदाब और इल्म व जहालत में फ़र्क़ के जो लतीफ़ इशारे किये गये हैं, उनकी तफ़्सील का ये मौक़ा नहीं, न ही यहाँ गुन्जाइश है। वर्क़ा बिन नौफ़ल दौरे-जाहिलिय्यत में बुतपरस्ती (मूर्तिपूजा) से अलग होकर नस़रानी हो गये थे और उनको सुरयानी और इब्रानी इल्म पर महारत थी। आँहज़रत (ﷺ) ने उनकी वफ़ात पर उनको जन्नती लिबास में देखा, इसलिये कि ये शुरू ही में आप (ﷺ) पर ईमान ला चुके थे। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिये जो कुछ भी फ़र्माया वो आप (ﷺ) के अख़लाक़े-फ़ाज़िला (सद्चरित्र) की बेहतरीन तस्वीर है। हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने उर्फ़े-आम (प्रचलित नज़रिये) के पेशेनज़र फ़र्माया कि आप जैसे इन्सानियत के हमदर्द, अख़्लाक़ वाले लोग हर्गिज़ ज़लीलो-ख़्वार नहीं हुआ करते, बल्कि आपका मुस्तक़बिल तो बेहद शानदार है। वर्क़ा ने हालात सुनकर हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) को लफ़्ज़ **'नामूसे अकबर'** से याद फ़र्माया। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) शरहे बुख़ारी में फ़र्माते हैं, **'हुव स़ाहिबुस्सिर्रुल वह्यि वल मुरादु बिही जिब्रईल अलैहिस्सलातु वस्सलामु व अहलुल किताब यसुम्मूनहू अन्ना मूसुल अकबर'** यानी ये वह्य के राज़दाँ हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) हैं जिनको अहले किताब 'नामूसे अकबर' के नाम से मौसूम किया करते थे। हज़रत वर्क़ा ने अपने नसरानी होने के बावजूद यहाँ हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) का नाम लिया इसलिये कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ही साहिबे-शरीअ़त हैं। हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) शरीअ़ते-मूसा के ही मुबल्लिग़ थे। इसके बाद तीन या ढाई साल तक वह्य का सिलसिला बन्द रहा कि अचानक सूरह मुद्दस्सिर का नुज़ूल हुआ। फिर बराबर पै दर पै वह्य आने लगी।

हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने आप (ﷺ) को दबाया। इसके मुता'ल्लिक़ अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **'व हाज़ल ग़त्तु लि यफ़रुग़ाहू अनिन्नज़्रि इला उमूरिहुनिया व युक़बलु बि कुल्लियति इला मा युलक़ा इलैहि व करहू लिल मुबालग़ति वसतदल्ल बिही अला अन्नल मुअद्दिब ला यज़रिबु स़बिय्यन अक्षर मिन ष़लास ज़रबात व क़ील अल ग़त्तुल ऊला लियतख़ल्ला अनिहुनिया वष़्ष़ानियतु लियतफ़र्रग़ लिमा यूहा इलैहि वष़्ष़ालिष़तु लिल मुवानसह'** (इर्शादुल सारी 1/63) यानी ये दबाना इसलिये था कि आपको दुनियावी उमूर की तरफ़ नज़र डालने से फ़ारिग़ करके जो वह्य व रिसालत का भार आप (ﷺ) पर डाला जा रहा है, उसको पूरी तरह कुबूल करने के लिये आप (ﷺ) को तैयार कर दिया जाए। इस वाक़िये से दलील पकड़ी गई है कि मुअ़ल्लिम के लिये मुनासिब है कि अगर ज़रूरत के वक़्त तालिबे-इल्म को मारना ही हो ता

तीन दफ़ा से ज़्यादा न मारे। बाज़ लोगों ने इस वाक़िये 'ग़त्तह' को आँहज़रत (ﷺ) के ख़ासियतों में शुमार किया है, इसलिये कि दीगर अंबिया की इब्तिदा-ए-वह्य के वक़्त ऐसा वाक़िया कहीं मन्क़ूल नहीं हुआ। हज़रत वर्क़ा बिन नौफ़ल ने आप (ﷺ) के हालात सुनकर जो कुछ ख़ुशी का इज़हार किया, उसकी मज़ीद तफ़्सील अल्लामा क़स्तलानी (रह.) यूँ नक़ल फ़र्माते हैं, **'फ़क़ा-ल लहू वरक़तु अबशिर षुम्म अबशिर फ़ अना अश्हदु इन्नका अल्लज़ी बश्शर बिही इब्नु मरयम व इन्नक अला मिष़ले नामूसे मूसा व इन्नका नबिय्युन मुर्सलून'** यानी वर्क़ा ने यह कहा, 'ख़ुश हो जाइये, ख़ुश हो जाइये, मैं यक़ीनन गवाही देता हूँ कि आप वही नबी व रसूल हैं जिनकी बशारत हज़रत इब्ने मरयम (अलैहिस्सलाम) ने दी थी और आप पर वही नामूस नाज़िल हुआ है जो हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) पर नाज़िल हुआ करता था और बेशक आप (ﷺ) अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने वर्क़ा बिन नौफ़ल को मरने के बाद जन्नती लिबास में देखा था। वो आप (ﷺ) पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक़ की, इसलिये जन्नती हुआ। वर्क़ा बिन नौफ़ल के इस वाक़िये से यह मसला षाबित होता है कि अगर कोई शख़्स अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) पर ईमान लाए और उसको दूसरे इस्लामी फ़राइज़ अदा करने का मौक़ा न मिले, उससे पहले ही वो इंतिक़ाल कर जाए, अल्लाह पाक ईमानी बरकत से उसे जन्नत में दाख़िल करेगा।

हज़रत मौलाना ष़नाउल्लाह अमृतसरी (रह.) सूरह मुद्दस्सिर की आयत **'व ष़ियाबक फ़तह्हिर'** की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि अरब में शोअ़रा (शाइर हज़रात) ष़ियाब से मुराद दिल लिया करते हैं। इम्र उल क़ैस कहता है, **'व इन कुन्त साअतका मिन्नी ख़लीक़तन फ़ सुल्ली ष़ियाबी मिन ष़ियाबिकि तुनसिली'** इस शे'र में ष़ियाब से मुराद दिल है। यहाँ मुनासिब यही है क्योंकि कपड़ों का पाक रखना सिहते-सलात (नमाज़) के लिये ज़रूरी है मगर दिल का पाक-साफ़ रखना हर हाल में लाज़मी है। हदीष़ शरीफ़ में वारिद है, **'इन्न फ़िल जसदि मुज़्ग़तन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहू व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहू अला व हियल क़ल्बु'** यानी इन्सान के जिस्म में एक टुकड़ा है जब वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है, सुनो! वो दिल है। (अल्लाहुम्म असलिह क़ल्बी व क़ल्ब कुल्लि नाज़िर) (तफ़्सीर ष़नाई)

अजीब लतीफ़ा : क़ुर्आन मजीद की कौनसी सूरह पहले नाज़िल हुई? इसके बारे में क़दरे-इख़्तिलाफ़ ह मगर सूरह **'इक़रः बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी'** पर अक्षर का इत्तेफ़ाक़ है, इसके बाद वह्य नाज़िल होने का ज़माना ढाई-तीन साल रहा और पहली सूरह **'या अय्युहल मुद्दष़्षिर'** नाज़िल हुई। मस्लकी तअस्सुब का हाल मुलाहज़ा हो इस मुक़ाम पर एक साहब ने जो कि बुख़ारी शरीफ़ का तर्जुमा शरह के साथ शाए फ़र्मा रहे हैं, इससे सूरह फ़ातिहा की नमाज़ में अदम रुकनियत की दलील पकड़ी है। चुनाञ्चे उनके अल्फ़ाज़ हैं, 'सबसे पहले सूरह इक़रः नाज़िल हुई और सूरह फ़ातिहा का नुज़ूल बाद में हुआ तो जब तक उसका नुज़ूल नहीं हुआ था, उस ज़माने में नमाज़ें किस तरह दुरुस्त हुईं? जबकि फ़ातिहा रुक्ने नमाज़ है कि उसके बग़ैर नमाज़ दुरुस्त ही नहीं हो सकती, नमाज़ में सूरह फ़ातिहा की रुकनियत को मानने वाले जवाब दें।' (अनवारुल बारी जिल्द अव्वल पेज नं. 40)

नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ना नमाज़ की सिहत के लिये ज़रूरी है, इस पर यहाँ तफ़्सील से लिखने का मौक़ा नहीं, न ही इस बहष़ का ये मौक़ा है। हाँ! हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी (रह.) के लफ़्ज़ों में इतना अर्ज़ कर देना ज़रूरी है, **'फ़ इन्न क़िरअतहा फ़रीज़तुन व हिय रुक्नुन तबतुलुस्सलातु बि तरकिहा'** (गुनियतुत् तालिबीन : पेज नं. 53) यानी नमाज़ में रुक्न के तौर पर सूरह फ़ातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है, जिसके छोड़ने से नमाज़ बातिल हो जाती है। मौसूफ़ के जवाब में हम लगे हाथों इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी समझते हैं कि जबकि सूरह फ़ातिहा का नुज़ूल ही नहीं हुआ था, जैसा कि मौसूफ़ ने भी लिखा है, तो उस मौक़े पर उसके रुकनियते-नमाज़ होने या उसकी फ़रज़ियत का सवाल ही क्या है? रिसालत के शुरूआती दौर में बहुत से इस्लामी अहकामात वजूद में नहीं आए थे जो बाद में बतलाए गये। फिर अगर कोई कहने लगे कि ये अहकाम रिसालत के शुरूआती ज़माने में नहीं थे तो उनका मानना ज़रूरी क्यों? शायद कोई भी अक़्ल वाला इन्सान इस बात को सहीह नहीं समझेगा। पहले सिर्फ़ दो नमाज़ें थीं, बाद में पाँच नमाज़ों का तरीक़ा जारी हुआ। पहले अज़ान भी न थी, बाद में अज़ान का सिलसिला जारी हुआ। मक्की ज़िन्दगी में रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे, मदनी ज़िन्दगी में ये फ़र्ज़ आइद किया गया। फिर क्या मौसूफ़ की इस नाज़ुक दलील के आधार पर इन सारे उमूर का इन्कार किया जा सकता है? एक अदना तअम्मुल (सोच/विचार/ग़ौर) से ये हक़ीक़त वाज़ेह हो सकती थी, मगर जहाँ क़दम-क़दम पर मस्लकी व फ़िक़्ही जमूद (जड़ता Rigidness) काम कर रहा हो वहाँ वुस्अतनज़री की तलाश बेकार है। ख़ुलासा यह कि जब भी सूरह फ़ातिहा का नुज़ूल हुआ और नमाज़े-फ़र्ज़ या बाजमाअत नमाज़ का तरीक़ा इस्लाम में राइज़ (प्रचलित) हुआ,

इस सूरह फ़ातिहा को नमाज़ का रुक्न क़रार दिया गया। सूरह फ़ातिहा के नाज़िल होने से पहले बाजमाअ़त या फ़र्ज़ नमाज़ से पहले इन चीज़ों का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। बाक़ी मबाहिष़ अपने मक़ाम पर आएंगे, इंशाअल्लाह!

हदीषे-क़ुदसी में सूरह फ़ातिहा को **'सलात (नमाज़)'** कहा गया है। शायद ऐतराज़ करने वाले साहब इस पर यूँ कहने लगें कि जब सूरह फ़ातिहा ही असल नमाज़ है तो इसके नाज़िल होने से पहले वाली नमाज़ों को नमाज़ कहना क्योंकर सहीह होगा? ख़ुलासा यह कि सूरह फ़ातिहा नमाज़ का एक ज़रूरी रुक्न है और ऐतराज़ करने वाले साहब का क़ौल सहीह नहीं। ये जवाब इस आधार पर है कि सूरह फ़ातिहा का नुज़ूल मक्का में न माना जाए, लेकिन अगर मान लिया जाए जैसा कि तफ़्सीर की किताबों से ष़ाबित है कि सूरह फ़ातिहा मक्का में नाज़िल हुई तो मक्का शरीफ़ ही में इसकी रुक्नियत नमाज़ के लिये ष़ाबित होगी।

बाब 5 :

٥- بَابٌ

(5) मूसा बिन इस्माईल ने हमसे हदीष़ बयान की, उनको अबू अ़वाना ने ख़बर दी, उनसे मूसा इब्ने अबी आयशा ने बयान की, उनसे सईद बिन जुबैर ने, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से कलामे इलाही (ला तुहर्रिक ....) की तफ़्सीर के सिलसिले में सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नुज़ूले क़ुर्आन के वक़्त बहुत सख़्ती महसूस किया करते थे और उसकी (अ़लामतों) में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थ। सईद कहते हैं मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को मैंने हिलाते हुए देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। (इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा) फिर ये आयत उतरी, 'ऐ मुहम्मद! क़ुर्आन को जल्दी-जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान न हिलाओ। उसका जमा कर देना और पढ़ा देना मेरे ज़िम्मे है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि यानी क़ुर्आन आप (ﷺ) के दिल में जमा देना और पढ़ा देना अल्लाह के ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो उस पढ़े हुए की इत्तिबाअ़ करो। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं (इसका मतलब यह है) कि आप उसको ख़ामोशी के साथ सुनते रहो। उसके बाद मतलब समझा देना मेरे ज़िम्मे है। फिर यक़ीनन यह मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो (यानी इसको महफ़ूज़ कर सको) चुनाँचे उसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम (वह्य लेकर) आते तो आप (तवज्जुह से) सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस (वह्य) को उसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) ने उसे पढ़ा था। (दीगर मक़ामात : 4927, 4928, 4929, 5044, 7524)

٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا. وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا - فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ: جَمْعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ.

[أطرافه في : ٤٩٢٧، ٤٩٢٨، ٤٩٢٩، ٥٠٤٤، ٧٥٢٤].

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने वह्य की इब्तिदाई कैफ़ियत के बयान में इस हदीष़ को नक़ल करना भी मुनासिब

समझा जिससे वह्य की अ़ज़्मत और सदाक़त पर भी रोशनी पड़ती है, इसलिये अल्लाह पाक ने इस आयते करीमा **'ला तुहर्रिक बिही लिसानक लि तअ़जल बिही'** (अल क़ियामा : 16) में आपको पूरे तौर पर तसल्ली दिलाई कि वह्य का नाज़िल करना, फिर आप (ﷺ) के दिल में जमा देना, उसकी पूरी तफ़्सीर आपको समझा देना, उसका हमेशा के लिये महफ़ूज़ रखना ये सारी ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह की है। इब्तिदा में आप (ﷺ) को खटका रहता था कि कहीं हज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) के जाने के बाद नाज़िलशुदा कलाम भूल न जाऊँ। इसलिये आप (ﷺ) उनके पढ़ने के साथ-साथ और याद करने के लिये अपनी ज़बाने मुबारक हिलाते रहते थे, उससे आप (ﷺ) को रोका गया और कामिल तवज्जुह के साथ ग़ौर से सुनने की हिदायत की गई, जिसके बाद आप (ﷺ) का यही मामूल हो गया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) आयते करीमा **'ला तुहर्रिक बिही'** नुज़ूल के वक़्त मौजूद नहीं थे। मगर बाद के ज़माने में जब आप भी आँहज़रत (ﷺ) वह्य के इब्तिदाई हालात बयान फ़र्माते तब इब्तिदा-ए-नुबुव्वत की पूरी तफ़्सील बयान फ़र्माया करते थे, होंठ हिलाने का मामला भी ऐसा ही है। ऐसा ही हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने अपने अ़हद में देखा और फ़ेअ़ले-नबवी (ﷺ) की इक़्तिदा में अपने होंठ हिलाकर इस हदीष़ को नक़ल फ़र्माया। फिर हज़रत सअ़द बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने भी अपने दौर में इसे रिवायत करते वक़्त अपने होंठ हिलाए। इसीलिये इस हदीष़ को **'मुसलसल बि तहरीकिश्शफ़तैन'** कहा गया है। यानी एक ऐसी हदीष़ जिसके रावियों में होंठ हिलाने का तसलसुल पाया जाए। इसमें यह भी इशारा है कि वह्य की हिफ़ाज़त के लिये इसके नुज़ूल के वक़्त की हरकतों व सकनाते नबविया (ﷺ) तक को बज़रिये नक़ल दर नक़ल महफ़ूज़ रखा गया। आयत शरीफ़ा **'षुम्म इन्न अ़लैना बयानह'** में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का इशारा इस तरफ़ भी है कि क़ुर्आन मजीद की अ़मली तफ़्सीर जो आँहज़रत (ﷺ) ने बयान फ़र्माई और अपने अ़मल से दिखलाई। ये भी सब अल्लाह की वह्य के तहत है, इससे हदीषे नबवी (ﷺ) की अ़ज़्मत ज़ाहिर होती है। जो लोग हदीषे नबवी (ﷺ) में शक व शुबहे पैदा करते हैं उनको ग़लत क़रार देने की **मज़्मूम** (बेजा/निन्दित) कोशिश करते हैं उनके बातिल ख़यालात की भी यहाँ पूरी तर्दीद मौजूद है। सहीह मर्फ़ूअ़ हदीष़ यक़ीनन वह्य है। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है क़ुर्आनी वह्य को वह्ये-मतलू और हदीष़ को वह्ये-ग़ैर मतलू क़रार दिया गया है। मज़्कूरा हदीष़ से **मुअ़ल्लिम** (पढ़ाने वाले) और **मुतअ़ल्लिम** (तालीम पाने वाले) के आदाब पर भी रोशनी पड़ती है कि आँहज़रत (ﷺ) को एक मुतअ़ल्लिम की हैषियत में इस्तिमाअ़ (सुनने) और इन्सात की हिदायत फ़र्माई गई। इस्तिमाअ़ कानों का फ़ेअ़ल है और इन्सात बक़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) आँखों से होता है। लिहाजा मुतअल्लिम के लिये ज़रूरी है कि दर्स के वक़्त अपने कानों और आँखों से मुअ़ल्लिम पर पूरी तवज्जुह से काम ले। उसके चेहरे पर नज़र जमाए रखे, लबो-लहजे के इशारों को समझने के लिये निगाह उस्ताद की तरफ़ भी उठती हो। क़ुर्आन मजीद व हदीष़ शरीफ़ की अ़ज़्मत का यही तक़ाज़ा है कि इन दोनों का दर्स लेते वक़्त मुतअ़ल्लिम **हमातनगोश** (एकाग्रचित्त) हो जाए और पूरे तौर पर सुनने व समझने की कोशिश करे। हालते ख़ुत्बा में **सामेईन** (श्रोताओं) के लिये इसी इस्तिमाअ़ व इन्सात की हिदायत है। नुज़ूले वह्य के वक़्त आप (ﷺ) पर सख़्ती और शिद्दत का तारी होना, इसलिये था कि ख़ुद अल्लाह पाक ने फ़र्माया है, **'इन्ना सनुल्क़ी अ़लैक क़ौलन ष़क़ीला'** बेशक मैं आप पर भारी व अ़ज़मत वाला कलाम नाज़िल करने वाला हूँ। पिछली हदीष़ में गुज़र चुका है कि नुज़ूले वह्य के वक़्त सख़्त सर्दी के मौसम में भी आप (ﷺ) पसीने-पसीने हो जाते थे। वही कैफ़ियत यहाँ बयान की गई है। आयते शरीफ़ा में ज़बान हिलाने से मना किया गया है और हदीषे हाज़ा में होठ हिलाने का ज़िक्र है। यहाँ रावी ने इख़्तिसार (संक्षेप) से काम लिया है। किताबुत्तफ़्सीर में हज़रत ज़रीर ने मूसा बिन अबी आइशा से इस वाक़िये की तफ़्सील में होठों के साथ ज़बान हिलाने का भी ज़िक्र फ़र्माया है। **'कान रसूलुल्लाहि सल्ललल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इज़ा नज़ल जिब्रईलु बिल वह्यि फ़ कान मिम्मा युहर्रिकु बिलिसानिही व शफ़तैहि'** इस सूरत में आयत व हदीस में कोई तआ़रुज़ (झगड़ा) नहीं रहता।

रावियाने हदीष़ : हज़रत मूसा बिन इस्माईल मुन्क़री, मुन्क़र बिन उ़बैद अल हाफ़िज़ की तरफ़ मन्सूब हैं जिनका इंतिक़ाल बसरा में 223 हिजरी माहे रजब में हुआ। अबू अ़वाना वज़ाह बिन अ़ब्दुल्लाह हैं जिनका 196 हिजरी में इंतिक़ाल हुआ। मूसा बिन अबी आइशा अल कूफ़ी अल हम्दानी हैं। सईद बिन ज़ुबैर बिन हिशाम अल कूफ़ी अल असदी हैं जिनको 92 हिजरी में मज़्लूमाना हालत में हज्जाज बिन यूसुफ़ ष़क़फ़ी ने निहायत ही बेदर्दी के साथ क़त्ल किया था जिनकी बद् दुआ से हज्जाज फिर जल्दी ही ग़ारत हो गया।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) को तर्जमानुल क़ुर्आन कहा गया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके लिये फ़हमे-क़ुर्आन की दुआ फ़र्माई थी। 68 हिजरी में ताइफ़ में उनका इंतिक़ाल हुआ। सहीह बुख़ारी में उनकी रिवायत से दो सौ सत्रह (217) अहादीष़ नक़ल की गई हैं। (क़स्तलानी)

बाब 6 :

بَابٌ

(6) हमको अब्दान ने ह़दीष़ बयान की, उन्हें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उनको यूनुस ने, उन्होंने ज़ुहरी से यह ह़दीष़ सुनी। (दूसरी सनद ये है कि) हमसे बिशर बिन मुहम्मद ने ये ह़दीष़ बयान की। उनसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने, उनसे यूनुस और मअ़मर दोनों ने, इन दोनों ने ज़ुहरी से रिवायत की पहली सनद के मुताबिक़ ज़ुहरी से उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, उन्होंने ह़ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ये रिवायत नक़ल की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सब लोगों से ज़्यादा जव्वाद (सख़ी) थे और रमज़ान में (दूसरे औक़ात के मुक़ाबले में जब) जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आप (ﷺ) से मिलते तो बहुत ही ज़्यादा जूदो-करम फ़र्माते। जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) रमज़ान की हर रात में आप (ﷺ) से मुलाक़ात करते और आप (ﷺ) के साथ क़ुर्आन का दौर करते, ग़र्ज़ आँहज़रत (ﷺ) लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूदो-करम फ़र्माया करते थे।

(दीगर मक़ामात : 1902, 3220, 3554, 4997)

٦- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

[أطرافه في : ١٩٠٢، ٣٢٢٠، ٣٥٥٤، ٤٩٩٧].

तश्रीह : इस ह़दीष़ की मुनासबत बाब से ये है कि रमज़ान शरीफ़ में ह़ज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आप (ﷺ) से क़ुर्आन मजीद का दौर किया करते थे तो मा'लूम हुआ कि क़ुर्आन यानी वह्य का नुज़ूल रमज़ान शरीफ़ में शुरू हुआ। जैसा कि आयते शरीफ़ा '**शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुर्आन**' (अल बक़र : 185) में ज़िक्र किया गया है। ये नुज़ूले क़ुर्आन लौहे महफ़ूज़ से बैतुल इ़ज़्ज़त में समाउद्दुनिया की तरफ़ था। फिर वहाँ से आँहज़रत (ﷺ) पर नुज़ूल भी रमज़ान शरीफ़ ही में शुरू हुआ। इसीलिये रमज़ान शरीफ़ क़ुर्आन करीम के लिये सालाना यादगार महीना क़रार पाया और इसीलिये इस माहे मुबारक में आप (ﷺ) और ह़ज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) क़ुर्आन मजीद का बाक़ायदा दौर फ़र्माया करते थे। साथ ही आप (ﷺ) के 'जूद' का ज़िक्रे-ख़ैर भी किया गया। सख़ावत ख़ास माल की तक़्सीम का नाम है और जूद के मा'ने '**इ़अताउ मा यम्बग़ी लिमन यम्बग़ी**' के हैं जो बहुत ही ज़्यादा उ़मूमियत लिये हुए हैं। लिहाज़ा जूद माल ही पर **मौक़ूफ़** (मुन्हसिर/निर्भर) नहीं बल्कि जो शय भी जिसके लिये मुनासिब हो दे दी जाए, इसलिये आप (ﷺ) जूदुन्नास थे। हाजतमन्दों के लिये माली सख़ावत, इल्म के प्यासों के लिये इल्मी सख़ावत, गुमराहों के लिये रूहानी फ़ैज़ की सख़ावत, अल ग़रज़ आप (ﷺ) हर लिहाज़ से **तमाम बनी नोअ़े इन्सानी** (सम्पूर्ण मानव जाति) में बेहतर **सख़ी** (दानी) थे। आपकी जुम्ला सख़ावत की **तफ़्सीलात** (विवरण) ह़दीष़ की किताबों और सीरत में नक़ल की गई है। आप (ﷺ) की जूदो-सख़ावत की **तश्बीह** (उपमा) बारिश लाने वाली हवाओं से दी गई है जो कि बहुत ही मुनासिब है। बाराने-रहमत से ज़मीन **सरसब्ज़ व शादाब** (हरी भरी व मनोरम) हो जाती है। आपकी जूदो-सख़ावत से बनी नोअ़े इन्सानी की उजड़ी हुई दुनिया आबाद हो गई। हर तरफ़ हिदायत के दरिया बहने लगे। ख़ुदाशनासी और **अख़्लाक़े फ़ाज़िला** (उच्च चरित्र) के समन्दर मौजें मारने लगे। आप (ﷺ) की सख़ावत और रूहानी कमालात से सारी दुनिया के इन्सानों ने फ़ैज़ हासिल किये और ये मुबारक सिलसिला दुनिया के क़ायम

रहने तक क़ायम रहेगा क्योंकि आप (ﷺ) पर नाज़िल होने वाला कुर्आन मजीद वह्ये-मतलू और और अहादीष़ शरीफ़ वह्ये-ग़ैर मतलू तब तक क़ायम रहने वाली चीज़ें हैं जब तक दुनिया क़ायम रहेगी। लिहाज़ा दुनिया में आने वाली तमाम इन्सानियत उनसे फ़ैज़ हासिल करती रहेगी। इससे वह्य की अज़्मत भी ज़ाहिर होती है और यह भी कि कुर्आन व हदीष़ की तालीम देने वाले और तालीम हासिल करने वाले लोगों को, दूसरे लोगों के बनिस्बत ज़्यादा सख़ी, जूद व **वसीउल क़ल्ब** (सहृदय/बड़े दिलवाला) होना चाहिये कि उनकी शान का यही तक़ाज़ा है। ख़ुसूसन रमज़ान शरीफ़ का महीना जूदो सख़ावत का महीना है कि इसमें एक नेकी का ष़वाब कितने ही कितने ही (गुना ज़्यादा) दर्जात हासिल कर लेता है। जैसा कि नबी-ए- करीम (ﷺ) इस माह में ख़ुसूसियत के साथ अपनी ज़ाहिरी व बातिनी सख़ावत के दरिया बहा देते थे।

सनदे-हदीष़ : पहला मौक़ा है कि इमाम बुख़ारी ने यहाँ सनदे हदीष़ में तहवील फ़र्माई है। यानी इमाम ज़ुहरी तक सनद पहुँचा देने के बाद आप फिर दूसरी सनद की तरफ़ लौट आए हैं अब्दान पहले उस्ताद के साथ अपने दूसरे उस्ताद बिशर बिन मुहम्मद की रिवायत से भी इस हदीष़ को नक़ल फ़र्माया है और ज़ुहरी पर दोनों सनदों को यक्जा कर दिया। मुहद्दिष़ीन की **इस्तलाह** (परिभाषा) में लफ़्ज़ 'हे' से यही तहवील मुराद होती है। इससे तहवीले-सनद और सनद में **इख़्तिसार** (संक्षेप) मक़सूद होता है। आगे इस क़िस्म के बहुत सारे मौक़े आते रहेंगे। बक़ौल अल्लामा क़स्तलानी (रह.) इस हदीष़ की सनद में रिवायते हदीष़ की मुख़्तलिफ़ क़िस्में तहदीष़, **अख़बार** (खबरें), अनअ़ना, तहवील सब जमा हो गई हैं। जिसकी तफ़्सीलात मुक़द्दमा में बयान की जाएंगी, इंशा अल्लाह!

(7) हमको अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने यह हदीष़ बयान की, उन्हें इस हदीष़ की शुऐब ने ख़बर दी। उन्होंने ज़ुहरी से ये हदीष़ सुनी। उन्हें उ़बैदुल्लाह इब्ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़त्बा बिन मसऊ़द ने ख़बर दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से अबू सुफ़यान बिन हर्ब ने वाक़िआ बयान किया कि हिरक़्ल (शाहे रूम) ने उनके पास क़ुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक़्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्के शाम गए हुए थे और ये ज़माना था जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुरैश और अबू सुफ़यान से एक वक़्ती अ़हद (सामयिक समझौता) किया हुआ था। जब अबू सुफ़यान और दूसरे लोग हिरक़्ल के पास ऐलिया पहुँचे जहाँ हिरक़्ल ने दरबार तलब किया था। उसके आस-पास बड़े-बड़े लोग (उ़लमा, वज़ीर, उमरा) बैठे हुए थे। हिरक़्ल ने उनको और अपने तर्जुमान (दुभाषिये) को बुलवाया। फिर उनसे पूछा कि तुममें से कौन शख़्स मुद्दइये-रिसालत (रिसालत के दावेदार) के ज़्यादा क़रीबी अज़ीज़ है? अबू सुफ़यान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा क़रीबी रिश्तेदार हूँ। (ये सुनकर) हिरक़्ल ने हुक्म दिया कि उसको (अबू सुफ़यान को) मेरे क़रीब लाकर बैठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू

٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ

سُفْيَانَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَ اللهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِيْ عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ ؟ قُلْتُ : هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُم ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُم. قَالَ: أَيَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيْدُوْنَ. قَالَ : فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ : فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيْهَا.
قَالَ: وَلَم تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَا ذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ: يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا. وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ آبَاؤُكُمْ : وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيْكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ ؟ فَذَكَرْتَ

सुफ़यान से उस शख़्स के (यानी हज़रत मुहम्मद ﷺ के) हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। (अबू सुफ़यान का क़ौल है कि) अल्लाह की क़सम! अगर ये ग़ैरत न आती कि ये लोग मुझको झुठलाएँगे तो मैं आप (ﷺ) की निस्बत ज़रूर ग़लतगोई से काम लेता। ख़ैर पहली बात जो हिरक़्ल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख़्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है? मैंने कहा वो तो बड़े ऊँचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा नहीं! वो कहने लगा, उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं! फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख़्तियार की है या कमज़ोरों ने? मैंने कहा, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, उसके मानने वाले रोज़ बढ़ते जाते हैं या फिर कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं! कहने लगा, क्या अपने इस दा'वा (ए-नुबुव्वत) से पहले कभी (किसी भी मौक़े पर) उसने झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं! और अब हमारी उससे (सुलह की) एक मुक़र्रर मुद्दत ठहरी हुई है मा'लूम नहीं कि वो इसमें क्या करने वाला है। (अबू सुफ़यान कहते हैं) मैं इस बात के सिवा और कोई (झूठ) उस बातचीत में शामिल न कर सका। हिरक़्ल ने कहा। क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई हुई है? हमने कहा, हाँ! फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है। कभी वो हमसे (मैदाने जंग) जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरक़्ल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप-दादा की (शिर्क की) बातें छोड़ दो और हमें नमाज़ पढ़ने, सच बोलने, परहेज़गारी और सिलह रहमी का हुक्म देता है। (ये सब सुनकर) फिर हिरक़्ल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफ़यान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हममें आली नसब है और पैग़म्बर अपनी क़ौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि (दा'वा नुबुव्वत की) ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले भी किसी

और ने कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं! तब मैंने (अपने दिल में) कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख़्स ने भी उसी बात की तक़्लीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा था कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुज़रा है, तुमने कहा कि नहीं! तो मैंने (दिल में) कहा कि उनके बुज़ुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूँगा कि वो शख़्स (इस बहाने) अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क (दोबारा) हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने (यानी पैग़म्बरी का दावा करने) से पहले तुमने कभी उसपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया है, तो तुमने कहा कि नहीं! तो मैंने समझ लिया कि जो शख़्स आदमियों के साथ झूठ बोलने से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरो होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी पैरवी की है, तो (दरअसल) यही लोग पैग़म्बरों के मानने वाले होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफ़ियत यही होती है। यहाँ तक कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या कोई शख़्स उसके दीन से नाख़ुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं, तो ईमान की ख़ासियत भी यही है जिनके दिलों में इसकी मुसर्रत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या वो कभी वा'दा-ख़िलाफ़ी करते हैं? तुमने कहा नहीं! पैग़म्बरों का यही हाल होता है, वो अहद की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं। सच बोलने और परहेज़गारी का हुक्म देते हैं। लिहाज़ा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनक़रीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मा'लूम था कि वो

أَنْ لاَ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَتَأَسَّى بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَاءِهِ مِنْ مَلِكٍ. فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَو أَنِّيْ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الَّذِيْ بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيْهِ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ.

سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيْسِيِّيْنَ وَ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا. فَقُلْتُ لأَصْحَابِيْ حِيْنَ أُخْرِجْنَا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُوْرِ - صَاحِبُ إِيْلِيَاءَ وَهِرَقْلَ - أُسْقُفٌ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِيْنَ قَدِمَ إِيْلِيَاءَ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُوْرِ: وَكَانَ

(पैग़म्बर) आने वाला है मगर मुझे ये मा'लूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुँच सकूँगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हिरक़्ल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का वो ख़त्त मंगाया जो आपने दह़्या कलबी (रज़ि.) के ज़रिये हाकिमे बस़रा के पास भेजा था और उसने वो हिरक़्ल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें (लिखा था),

अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रह़मवाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैग़म्बर मुह़म्मद (ﷺ) की तरफ़ से ये ख़त्त है अज़ीमे–रूम के लिए। उस शख़्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद में आपके सामने दा'वते इस्लाम पेश करता हूँ। अगर इस्लाम ले आएँगे तो (दीनो दुनिया में) सलामती नस़ीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा स़वाब देगा और अगर आप (मेरी दा'वत से) रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रिआया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ऐ अहले किताब! एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक जैसी है। वो यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न बनाएँ और न हममें से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब (इस बात से) मुँह फेर लें तो (मुसलमानों!) तुम उनसे कह दो कि (तुम मानो या न मानो हम तो एक ख़ुदा के इत़ाअत गुज़ार हैं। अबू सुफ़यान कहते हैं, जब हिरक़्ल ने जो कुछ कहना था कह दिया और पढ़कर फ़ारिग़ हुआ तो उसके आसपास शोरो-गुल हुआ। बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे (आँह़ज़रत ﷺ) का मुआमला तो बहुत बढ़ गया। (देखो तो) उससे बनी अस़फ़र (रूम) का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक़्त से इस बात का यक़ीन हो गया कि हुज़ूर (ﷺ) अनक़रीब ग़ालिब होकर रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान बना दिया। (रावी का बयान है कि) इब्ने नातूर ईलया का ह़ाकिम हिरक़्ल का मुस़ाहिब और शाम के नस़ारा का लाट पादरी बयान करता था कि हिरक़्ल जब

ईलया आया। एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने पूछा कि आज हम आपकी ह़ालत बदली हुई पाते हैं (क्या वजह है?) इब्ने नातूर का बयान है कि हिरक़्ल नुजूमी था, इल्मे नुजूम में वो पूरी तरह़ माहिर था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि ख़त्ना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर ग़ालिब आ गया है। (भला) इस ज़माने में कौन लोग ख़त्ना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई ख़त्ना नहीं करता। सो उनकी वजह से परेशान न हों। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिये कि वहाँ जितने यहूदी हों सब क़त्ल कर दिए जाएँ वो लोग उन्हीं बातों में मशग़ूल थे कि हिरक़्ल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाहे ग़स्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ह़ालात बयान किए। जब हिरक़्ल ने (सारे हालात) सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो ख़त्ना किए हुए हैं या नहीं? उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो ख़त्ना किया हुआ है। हिरक़्ल ने जब उस शख़्स से अ़रब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो ख़त्ना करते हैं। तब हिरक़्ल ने कहा कि ये ही (मुह़म्मद ﷺ) इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया ख़त लिखा और वो भी इल्मे नुजूम में हिरक़्ल की तरह़ माहिर था। फिर वहाँ से हिरक़्ल ह़िम्स चला गया। अभी ह़िम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का ख़त (उसके जवाब में) आ गया। उसकी राय भी हुज़ूर (ﷺ) के ज़ुहूर के बारे में हिरक़्ल के मुवाफ़िक़ थी कि मुह़म्मद (ﷺ) (वाक़ई) पैग़म्बर हैं। इसके बाद हिरक़्ल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने ह़िम्स के महल में बुलाया और उसके हुक्म से महल के दरवाज़े बंद कर लिए गए। फिर वो (अपने ख़ास महल से) बाहर आया। और कहा, 'ऐ रूमवालों! क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बक़ा चाहते हो तो फिर उस नबी (ﷺ) की बैअ़त कर लो और मुसलमान हो जाओ। (ये सुनना था कि) फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ़ दौड़े (मगर) उन्हें बंद पाया। आख़िर जब हिरक़्ल ने (इस बात से) उनकी ये नफ़रत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया। तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। (जब वो दोबारा आए) तो उसने कहा कि मैंने जो

هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ؟ قَالُوا : لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلاَّ الْيَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ ؟ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ : هُمْ يَخْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ. وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ

عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[أطرافه في : ٥١، ٢٦٨١، ٢٨٠٤، ٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٤٥٥٣، ٤٩٨٠، ٦٢٦٠، ٧١٩٦، ٧٥٤١].

बात कही थी उससे तुम्हारे दीनी पुख़्तगी की आज़माइश मक़सूद थी। सो वो मैंने देख ली। तब (ये बात सुनकर) वो सबके सब उसके सामने सज्दे में गिर पड़े और उससे ख़ुश हो गए। बिल आख़िर हिरक़्ल की आख़िरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि इस हदीष़ को स़ालेह बिन कैसान, यूनुस और मुअमर ने भी ज़ुहरी से रिवायत किया है। (दीगर मक़ामात : 51, 2681, 2804, 2941, 2978, 3174, 4553, 4980, 6260, 7196, 7541)

तश्रीह : वह्य, नुज़ूले वह्य, अक़्सामे वह्य (वह्य की क़िस्में), ज़मान-ए-वह्य, मुक़ामे वह्य इन तमाम की तफ़्सीलात के साथ-साथ ज़रूरत थी कि जिस मुक़द्दस शख़्सियत पर वह्य का नुज़ूल हो रहा है उनकी ज़ाते गिरामी का **तआरुफ़** (परिचय) कराते हुए उनके हालात पर भी कुछ रोशनी डाली जाए। मशहूर **मक़ूला** (कहावत) है, **'अल हक़्क़ु मा शहिदत बिहिल अअ़दाउ'** हक़ वो है जिसकी दुश्मन भी गवाही दें। इसी उसूल के पेशेनज़र हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) क़ुद्दस सिर्रुहु उल अ़ज़ीज़ ने यहाँ तफ़्सीली हदीष़ को नक़ल फ़र्माया जो दो अहमतरीन शख़्सियतों यानी रूम के बादशाह हिरक़्ल और कुफ़्फ़ारे मक्का के सरदार अबू सुफ़यान के बीच **मुकालमा** (वार्तालाप) है। जिसका **मौज़ूअ़** (विषय) आँहज़रत (ﷺ) की ज़ाते गिरामी और आपकी नुबुव्वत व रिसालत है। ग़ौर करने की बात यह है कि मुकालमा करने वाली दोनों शख़्सियतें उस वक़्त ग़ैर मुस्लिम थीं। बाहमी तौर पर दोनों के **क़ौम व वतन** (जाति और देश), **तहज़ीब व तमद्दुन** (सभ्यता और संस्कृति) में हर तरह से दो अलग-अलग दिशाओं जैसी हैं। अमानत व दयानत और अख़्लाक़ के लिहाज़ से दोनों अपनी-अपनी जगह ज़िम्मेदार हस्तियाँ हैं। ज़ाहिर है कि उनका मुकालमा बहुत ही जंचा-तुला होगा और उनकी राय बहुत ही आला व अर्फ़अ़ होगी। चुनाञ्चे इस हदीष़ में पूरे तौर पर ये चीज़ मौजूद है। इसीलिये अ़ल्लामा सिंधी (रह.) फ़र्माते हैं, **'लम्मा कानल मक़्सूद बिज़्ज़ात मिन ज़िक्रिल वह्य हुव तहक़ीक़ुन्नुबुव्वह व इष़बातुहा व कान हदीषु हिरक़्ल औफ़र तादियतुन लि ज़ालिकल मक़्सूद अदरजहू फ़ी बाबिल वह्यि वल्लाहु अअ़लम'** इस इबारत का मफ़्हूम (भावार्थ) वही है जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष़ को इस मक़ाम के अ़लावा किताबुल जिहाद व किताबुत् तफ़्सीर व किताबुल शहादात व किताबुल जिज़्या व अदब व ईमान व इल्म व अहकाम व मग़ाज़ी वग़ैरह-वग़ैरह में भी नक़ल फ़र्माया है। कुछ तअ़स्सुब रखने वाले और विरोधी लोग कहते हैं कि मुहद्दिष़ीने किराम रहिमहुल्लाह अज्मईन महज़ रिवायतें नक़्ल करने वाले थे, इज्तिहाद और **इस्तिम्बाते मसाइल** (मसाइल का निचोड़/निष्कर्ष निकालने) में उनको महारथ नहीं थी। ये महज़ झूठ और मुहद्दिष़ीने किराम की खुली हुई तौहीन है जो हर पहलू से **लाइक़े-मज़म्मत** (निन्दनीय) है।

बाज़ हज़रात मुहद्दिष़ीने किराम ख़ुसूसन इमाम बुख़ारी (रह.) को मस्लके-शाफ़िई का मुक़ल्लिद बतलाया करते हैं। मगर इस बारे में मज़ीद तफ़्सीलात (विस्तृत विवरणों) से अलग हटकर हम साहिबे-ईज़ाहुल बुख़ारी का एक बयान यहाँ नक़ल कर देते हैं जिससे मा'लूम हो जाएगा कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) मुक़ल्लिद हर्गिज़ न थे बल्कि आप को मुज्तहिदे मुतलक़ का दर्जा हासिल था।

'लेकिन हक़ीक़त ये है कि किसी शाफ़िई या हंबली से **तलम्मुज़** (शागिर्दी) और **तहसीले इल्म** (इल्म हासिल करने) की बिना पर किसी को शाफ़िई या हंबली कहना मुनासिब नहीं बल्कि इमाम के तर्जुमाशुदा बुख़ारी के **अमीक़ मुतालअ़** (गहन अध्ययन) से मा'लूम होता है कि इमाम एक मुज्तहिद हैं, उन्होंने जिस तरह अहनाफ़ (रह.) से इख़्तलाफ़ किया है हज़राते शाफ़िई की तादाद भी कुछ कम नहीं है। इमाम बुख़ारी (रह.) के इज्तिहाद और **तराजिमे-अबवाब** (अनुवादित अध्याय) में उनकी बालिग़ नज़री के पेशेनज़र उनको किसी फ़िक़्ह का पाबन्द नहीं कहा जा सकता है। (ईज़ाहुल बुख़ारी हिस्सा अव्वल पेज नं. 30)

सहीह बुख़ारी शरीफ़ के **अमीक़ मुतालअ़े** (गहन/सूक्ष्म अध्ययन) से मा'लूम होगा कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस्तिंबाते मसाइल व फ़िक़्हुल हदीष़ के बारे में बहुत ही ग़ौर व ख़ोज़ से काम लिया है और एक-एक हदीष़ से बहुत से मसाइल

षाबित किये हैं। जैसा कि अपने-अपने मक़ामात पर नाज़िरीन (पाठक गण) मुतालआ करेंगे।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) मुक़द्दमे की दूसरी फ़स्ल में फ़र्माते हैं,

'तक़र्रर अन्नहू इल्तज़म फ़ीहिस्सिह्हत व अन्नहू ला यूरेदु फ़ीहि इल्ला हदीषिन सहीहन (इला क़ौलिही) षुम्म राअ अल्ला युख़्लीहि मिनल फ़वाएदिल फ़िक़हिय्यह वन्निकति हिकमिय्यति फ़सतख़रज बि फ़हमिही मिनल मुतूनि मआनी कषीरह फ़र्रक़हा फ़ी अबवाबिल किताब बि हस्बे तुनासिबुहा (इला क़ौलिहा) क़ालश्शैख़ मुहिय्युद्दीन नफ़अल्लाहु बिही लैस मक़्सूदुल बुख़ारी अल इक़्तिसार अल्ल अहादीषि फ़क़त बल मुरादोहू अल इस्तिम्बातु मिन्हा वल इस्तिदलालु लि अबवाबि अरादिहा (इला क़ौलिही) व क़द इद्दआ बअज़ुहुम अन्नहू सनअ ज़ालिक अमादन' (हुदा उस्सारी पेज नं. 8 बैरूत)

ये बात षाबित है कि इमाम ने इल्तिज़ाम किया है कि इसमें सिवाय सहीह अहादीष के और किसी क़िस्म की रिवायात नहीं ज़िक्र करेंगे और इस ख़याल से है कि इसको फ़वाइदे-फ़िक़्ही और हिक्मत के नुकात से ख़ाली न रहना चाहिये, अपनी फ़हम से मतने हदीष से बहुत बहुत मा'नी **इस्तिख़राज** (आविष्कार करना/निकालना) किये गये हैं। जिनको मुनासबत के साथ अलग-अलग अबवाब (अध्यायों) में बयान कर दिया। शैख़ मुहियुद्दीन ने कहा कि इमाम का मक़्सूद हदीष ही का ज़िक्र करना नहीं है बल्कि इससे **इस्तिदलाल** (दलील लेकर) व इस्तिंबात करके बाब मुक़र्रर करना है (इन्हीं वुजूहात से) बाज़ ने दावा किया है कि इमाम ने ये सब-कुछ ख़ुद और **क़सदन** (जान-बूझकर) किया है। (हल्ले मुश्किलाते बुख़ारी रह. हज़रत मौलाना सैफ़ बनारसी क़द्दस सिर्रुहु पेज नं. 16)

सन् 7 हिजरी माहे मुहर्रम की पहली तारीख़ थी कि नबी करीम (ﷺ) ने शाहाने-आलम (विभिन्न देशों के बादशाहों) के नाम दा'वते-इस्लामी के ख़ुतूते मुबारक (चिट्ठियाँ) अपने मुअज़्ज़ सुफ़रा (सम्माननीय संदेशवाहकों) के हाथों रवाना किये। जो सफ़ीर जिस क़ौम के पास भेजा गया वो वहाँ की ज़बान (भाषा) जानता था कि तब्लीग़ के फ़राइज़ को हुस्ने ख़ूबी के साथ अंजाम दे सके। ऐसी ही ज़रूरियात के लिये आप (ﷺ) के वास्ते चाँदी की मुहर तैयार की गई थी। तीन लाइनों में इस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह नक्श किया गया था। हिरक़्ल, क़ुस्तुनतुनिया (वर्तमान इस्ताम्बूल/तुर्की की राजधानी) का शाह या रूम की पूर्वी शाख़े-सल्तनत का नामवर शहंशाह था, वो मज़हबी तौर पर ईसाई था। हज़रत दहिया कल्बी (रज़ि.) उसके पास नाम-ए-मुबारक लेकर गये। ये बादशाह से बैतुल मक़दिस के मुक़ाम पर मिले, जिसे यहाँ लफ़्ज़े ईलया से याद किया गया है, जिसके मा'ने बैतुल्लाह के हैं। हिरक़्ल ने सफ़ीर के ऐजाज़ (सम्मान) में बड़ा ही शानदार दरबार मुनअक़िद किया (सजाया) और सफ़ीर से आँहज़रत (ﷺ) के बारे में बहुत सी बातें दर्याफ़्त करता रहा। इसके बाद हिरक़्ल ने मज़ीद तहक़ीक़ (विस्तृत खोजबीन) के लिये हुक्म दिया कि अगर मुल्क में कोई आदमी मक्का से आया हुआ हो तो उसे पेश किया जाए। इत्तेफ़ाक़ से उन दिनों अबू सुफ़यान, मक्का के दीगर ताजिरों (व्यापारियों) के साथ मुल्के शाम (सीरिया) आए हुए थे, उनको बैतुल मक़दिस बुलाकर दरबार में पेश किया गया। उन दिनों अबू सुफ़यान नबी करीम (ﷺ) का जानी दुश्मन था। मगर क़ैसर के दरबार में उसकी ज़बान हक़ व सदाक़त (सच्चाई) के सिवा कुछ और न बोल सकी। हिरक़्ल ने आँहज़रत (ﷺ) के मुतअल्लिक़ अबू सुफ़यान से दस सवाल किये जो अपने अन्दर बहुत गहरे हक़ाइक़ रखते थे। उनके जवाब में अबू सुफ़यान ने भी जिन हक़ाइक़ का इज़्हार किया उनसे आप (ﷺ) की सदाक़त हिरक़्ल के दिल में नक़्श हो गई, मगर वह अपनी क़ौम और हुकूमत के ख़ौफ़ से ईमान न ला सका। आख़िरकार कुफ़्र की हालत ही में उसका ख़ात्मा हुआ। मगर उसने जो पेशगोई (भविष्यवाणी) की थी कि एक दिन आएगा कि अरब के मुसलमान हमारे मुल्क के तख़्त पर क़ाबिज़ हो जाएंगे वो हर्फ़ ब हर्फ़ सही षाबित हुई और वो दिन आया कि मसीहियत (ईसाइयत) का सदर मुक़ाम और क़िब्ला व मर्कज़ ईसाई क़ौम के हाथ से निकलकर नई क़ौम के हाथों में चला गया।

मशहूर इतिहासकार गैबन के लफ़्ज़ों में तमाम मसीही दुनिया पर सकते की हालत तारी हो गई क्योंकि मसीहियत की एक सबसे बड़ी तौहीन को न तो मज़हब का कोई मोजज़ा (चमत्कार) रोक सका, जिसकी उन्हें उम्मीद थी, न ही ईसाई शहंशाह का भारी-भरकम लश्कर। फिर ये सिर्फ़ बैतुल मक़दिस ही की फ़तह न थी बल्कि तमाम एशिया व अफ़्रीक़ा में मसीही फ़र्मारवाई का ख़ात्मा था। हिरक़्ल के ये अल्फ़ाज़ जो उसने तख़्त-ए-जहाज़ पर लेबनान की चोटियों को मुख़ातब (सम्बोधित) करके कहे थे, वे आज तक मुवर्रिख़ीन (इतिहासकारों) की ज़बान पर हैं, अलविदा सरज़मीने शाम! हमेशा के लिये अलविदा!'

फ़िदा-ए-रसूल हज़रत क़ाज़ी मुहम्मद सुलैमान साहब (रह.) पटयालवी : मुनासिब होगा कि इस मुकालमे को मुख़्तसरन फ़िदा-ए-रसूल हज़रत क़ाज़ी मुहम्मद सुलैमान साहब मन्सूरपुरी (रह.) के लफ़्ज़ों में भी नक़ल कर दिया जाए, जिससे नाज़िरीन (पाठक) इस मुकालमे को पूरे तौर पर समझ सकेंगे।

क़ैसर : मुहम्मद का ख़ानदान व नसब क्या है?

अबू सुफ़यान : शरीफ़ व अज़ीम

क़ैसर : सच है नबी शरीफ़ घराने के होते हैं ताकि उनकी इताअ़त में किसी को आ़र (शर्म) न हो।

क़ैसर : मुहम्मद से पहले भी किसी ने अ़रब में या कुरैश में नबी होने का दा'वा किया है?

अबू सुफ़यान : नहीं!

ये जवाब सुनकर हिरक़्ल ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं समझ लेता कि अपने से पहले की तक़्लीद और रेस करता है।

क़ैसर : नबी होने से पहले क्या ये शख़्स झूठ बोला करता था या उसे झूठ बोलने की कभी तोहमत दी गई थी?

अबू सुफ़यान : नहीं!

हिरक़्ल ने इस जवाब पर कहा, ये नहीं हो सकता कि जिस शख़्स ने लोगों पर झूठ न बोला हो वो ख़ुदा पर झूठ बाँधे।

क़ैसर : उसके बाप-दादा में कोई बादशाह भी हुआ है?

अबू सुफ़यान : नहीं!

हिरक़्ल ने इस जवाब पर कहा, अगर ऐसा होता तो मैं समझ लेता कि वो नुबुव्वत के बहाने से बाप-दादा की सल्तनत हासिल करना चाहता है।

क़ैसर : मुहम्मद के मानने वाले मिस्कीन ग़रीब लोग ज़्यादा हैं या सरदार और क़वी (मज़बूत) लोग?

अबू सुफ़यान : मिस्कीन व हक़ीर लोग।

हिरक़्ल ने इस जवाब पर कहा कि हर नबी के पहले मानने वाले मिस्कीन ग़रीब लोग ही होते रहे हैं।

क़ैसर : उन लोगों की तादाद रोज़ -ब-रोज़ बढ़ रही है या कम हो रही है?

अबू सुफ़यान : बढ़ रही है।

हिरक़्ल ने कहा, ईमान की यही ख़ासियत होती है कि आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है और हद्द-कमाल तक पहुँच जाता है।

क़ैसर : कोई शख़्स उसके दीन से बेज़ार होकर फिर भी जाता है?

अबू सुफ़यान : नहीं!

हिरक़्ल ने कहा, लज़्ज़ते-ईमानी की यही तासीर होती है कि जब दिल में बैठ जाती है और रूह पर अपना असर क़ायम कर लेती है तब जुदा नहीं होती।

क़ैसर : ये शख़्स कभी अहदो-पैमां (वा'दों) को तोड़ भी देता है?

अबू सुफ़यान : नहीं! लेकिन इस साल हमारा मुआहदा उससे हुआ है देखें क्या अंजाम हो? अबू सुफ़यान कहते हैं कि मैंने जवाब में सिर्फ़ इतना फ़िक़रा ज़्यादा कर सका था। मगर क़ैसर ने उस पर कुछ तवज्जुह नहीं दी और यूँ कहा कि बेशक नबी अहद-शिकन (वा'दा तोड़ने वाले) नहीं होते, अहदशिकनी दुनियादार लोग किया करते हैं। नबी दुनिया के तलबगार नहीं होते।

क़ैसर : कभी उस शख़्स के साथ तुम्हारी लड़ाई भी हुई है?

अबू सुफ़यान : हाँ।

क़ैसर : जंग का नतीजा क्या रहा?

अबू सुफ़यान : कभी वो ग़ालिब रहा (बद्र में) और कभी हम (उहुद में)।

हिरक़्ल ने कहा अल्लाह के नबियों का यही हाल होता है लेकिन आख़िरकार अल्लाह की मदद और फ़तह उन्हीं को मिलती है।

क़ैसर : उसकी ता'लीम क्या है?

अबू सुफ़यान : एक अल्लाह की इबादत करो, बाप दादा के तरीक़ (यानी बुत-परस्ती को) छोड़ दो। नमाज़, रोज़ा, सच्चाई, पाक दामनी, और सिलह रहमी की पाबन्दी इख़्तियार करो।

हिरक़्ल ने कहा सच्चे नबी की यही अ़लामतें (निशानियाँ) बताई गई हैं। मैं समझता था कि नबी का ज़ुहूर होनेवाला है लेकिन ये नहीं समझता था कि वो अ़रब में से होगा। अबू सुफ़यान! अगर तुमने सच सच जवाब दिये हैं तो वो एक दिन इस जगह (यानी शाम और बैतुल मक़दिस) जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, का ज़रूर मालिक हो जाएगा। काश! मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर हो सकता और नबी के पांव धोया करता।

इसके बाद आँहज़रत (ﷺ) का नाम-ए-मुबारक पढ़ा गया। अराकीने दरबार उसे सुनकर चीखे-चिल्लाये और हमको दरबार से निकाल दिया गया। उसी दिन से अपनी ज़िल्लत का नक़्श और आँहज़रत (ﷺ) की अ़ज़मत का यक़ीन हो गया। (रह्मतुल लिल आलमीन, जिल्द अव्वल पेज नं. : 152,154)

अबू सुफ़यान ने आप (ﷺ) के लिए अबू कब्शा का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया था क्योंकि कुफ़्फ़ारे मक्का आँहज़रत (ﷺ) को तंज और तह्क़ीर के तौर पर इब्ने अबू कब्शा के लक़ब से पुकारा करते थे। अबू कब्शा एक शख़्स का नाम था जो बुतों की बजाए एक सितारा शुअ़रा की पूजा किया करता था।

कुछ लोग कहते हैं कि अबू कब्शा आँहज़रत (ﷺ) के रज़ाई (दूध शरीक) बाप थे।

हिरक़्ल को जब ये अंदाज़ा हो गया कि ये लोग किसी तरह भी इस्लाम क़ुबूल नहीं करेंगे तो उसने भी अपना पैंतरा बदल दिया और कहा कि इस बात से महज़ तुम्हारा इम्तिहान लेना मक़्सूद था। तो सबके सब उसके सामने सज्दे में गिर गए, जो गोया तअ़जीम और इताअ़त (सम्मान और फ़र्माबरदारी) के था।

हिरक़्ल के बारे में कुछ लोग इस्लाम के भी क़ाइल हैं। मगर सहीह बात यही है कि रग़बत (लगाव) होने के बावजूद वो इस्लाम क़ुबूल न कर सका।

अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) ने लिखा है कि उनके अ़हद यानी 11वीं सदी हिज्री तक आँहज़रत (ﷺ) का नामा मुबारक हिरक़्ल की औलाद में महफ़ूज़ था और उसको तबर्रुक समझकर बड़े एहतिमाम से सोने के संदूक़चे में रखा गया था। उनका ऐतिक़ाद था कि '**वअवस़ाना आबाअना मादाम हाज़ल किताब इन्दना ला यज़ालुल मलिकु फ़ीना फ़नह्नु नह्फ़िज़हू ग़ायतल ह़िफ़्ज़ि व नुअज़्ज़िमुहू वनकतुमुहू अनिन्नसारा लियदूमल मलिकु फ़ीना इन्तिहा।**' (फ़त्हुल बारी)

अबू सुफ़यान आख़िरी वक़्त में जबकि मक्का फ़तह हो चुका था। इस्लाम क़ुबूल करके फ़िदाइयाने इस्लाम में दाख़िल हो गये थे। उस वक़्त के चंद अशआ़र मुलाहज़ा हों।

ल अ़ मरुका इन्नी यौम अह्मिलू रायतन / लि तग़लिब ख़ैलुल्लाति ख़ैला मुहम्मद
फ़कामा लि मुदलिजल हैरान अज़लम लैलतन / फ़हाज़ा अवानी हीन अहदी फ़हतदी
हदानी हादिन ग़ैर नफ़्सी व दल्लनी इल्लल्लाहि मन तरदतहु कुल्लु मुतरदिन

क़सम है कि जिन दिनों में निशाने जंग इसलिये उठाया करता था कि लात (बुत) का लश्कर मुहम्मद (ﷺ) के लश्कर पर ग़ालिब आ जाए उन दिनों में ख़ार पुश्त जैसा था जो अँधेरी रात में टक्करें खाता हो। अब वो वक़्त आ गया कि मैं हिदायत पाऊँ और सीधी राह अपना लूँ, मुझे हादी ने, न कि मेरे नफ़्स ने हिदायत दी है और अल्लाह का रास्ता उस शख़्स ने बतलाया है

जिसे मैं ने पूरे तौर पर धुत्कार दिया और छोड़ दिया था।

मुतफ़र्रिक़ात : अबू सुफ़्यान (रज़ि.) ने जिस मुद्दते सुलह़ का ज़िक्र किया था। उससे सुलह़ हुदैबिया के दस साला मुद्दत ज़िक्र है।

हिरक़्ल ने कहा था वो आख़िरी नबी अ़रब में से होगा। ये इसलिये कि यहूद और नसारा यही गुमान किये हुए थे कि आख़िरी नबी भी बनी इस्राईल में से होगा। उन्होंने ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के इस क़ौल को भुला दिया था कि तुम्हारे भाईयों में से अल्लाह एक पैग़म्बर मेरी त़रह पैदा करेगा।

और नबी के क़रीबियों की इस **बशारत** (ख़ुशख़बरी/शुभ सूचना) को भी फ़रामोश कर दिया (भुला दिया) था कि फ़ारान यानी मक्का के पहाड़ों से अल्लाह ज़ाहिर हुआ। नीज़ ह़ज़रत मसीह़ (अ़लैहिस्सलाम) की इस बात को भी वो भूल गए थे कि जिस पत्थर को मुअ़म्मारों ने कोने में डाल दिया था, वही महल का स़द्र नशीन हुआ।

नीज़ ह़ज़रत सुलैमान (अ़लैहिस्सलाम) के इस मुक़द्दस गीत को भी वो फ़रामोश कर चुके थे कि वो तो ठीक मुह़म्मद (ﷺ) हैं, मेरा ख़लील, मेरा ह़बीब भी यही है। वो दस हजार कुदूसियों के बीच झण्डे की तरह़ खड़ा होता है ऐ यरोशलम के बेटों!

ये जुम्ला बशारतें यक़ीनन ह़ज़रत मुह़म्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के ह़क़ में थीं, मगर यहूद और नस़ारा उनको इ़नादन (कीना, दुश्मनी, वैरभाव की वजह से) भूल चुके थे। इसीलिए हिरक़्ल ने ऐसा कहा।

आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपने नाम–ए–मुबारक में आयते करीमा **'वला यत्तख़िज़ु बअ़्ज़ुना बअ़्ज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाहि'** (आले इमरान : 64)) का इस्ते'माल इसलिये किया कि यहूद और नस़ारा में और बहुत से अमराज़ के साथ तक़्लीदे जामिद (अंधी पैरवी) का भी मर्ज़ बुरी तरह दाख़िल हो गया था। वो अपने मौलवियों और दुरवेशों की तक़्लीद में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हीं का फ़त्वा उनके लिए आसमानी वह़्य का दर्जा रखता था।

हमारे ज़माने में मुक़ल्लिदीने जामिदीन का भी यही हाल है कि उनको कितनी ही क़ुर्आनी आयात या अह़ादीष़ नबवी दिखलाओ क़ौले इमाम के मुक़ाबले में उन सबको रद्द कर देंगे। इसी तक़्लीदे जामिद ने उम्मत का बेड़ा ग़र्क़ कर दिया। **इन्ना लिल्लाहि थुम्मा इन्ना लिल्लाह** हनफ़ी, शाफ़िई नामों पर जंगो जिदाल इस तक़्लीदे जामिद ही का नतीजा है।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) ने लिखा है कि हिरक़्ल और उसके दोस्त ज़ग़ातिर ने इस्लाम क़ुबूल करना चाहा था। मगर हिरक़्ल अपनी क़ौम से डर गया था और ज़ग़ातिर ने इस्लाम क़ुबूल कर लिया था और रूम वालों को इस्लाम की दा'वत दी मगर रूमियों ने उनको शहीद कर दिया।

अबू सुफ़यान (रजि) ने रोमियों के लिए बनू अस़फ़र (ज़र्द नस्ल) का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया था। कहते हैं कि रोम के जद्दे आला (पूर्वज), जो रूम बिन ऐस बिन इस्ह़ाक़ (अ़लैहिस्सलाम) थे, ने एक ह़ब्शी शहजादी से शादी की थी। जिससे ज़र्द यानी गेहुंआ रंगी नस्ल की औलाद पैदा हुई। इसीलिए उनको बनू अल अस़फ़र कहा गया। इस ह़दीष़ से और भी बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है।

आदाबे मुरासलत व त़रीक़े दा'वते इस्लाम के लिए नाम-ए-मुबारक में हमारे लिए बहुत से अस्बाक़ हैं। ये भी मा'लूम हुआ कि **इस्लामी तब्लीग़ के लिए तहरीरी (लिखित/प्रिण्टेड) कोशिश करना भी नबी (ﷺ) की सुन्नत है।**

दा'वते ह़क़ को मुनासिब त़ौर पर अकाबिरे अ़स्र के सामने रखना भी मुसलमानों का एक अहम फ़रीज़ा है। ये भी ज़ाहिर हुआ कि अलग ख़याल क़ौमें अगर मुश्तरका (एक समान) मसलों में इत्तिहाद व अ़मल से काम लें तो ये भी इस्लाम की मंशा के मुताबिक़ है।

इर्शादे नबवी **'फ़इन्न अ़लैक इष्मुल यरीसीन'** से मा'लूम हुआ कि बड़ों की ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी होती हैं। यरीसीन काश्तकारों (किसानों) को कहते हैं। हिरक़्ल की रिआ़या काश्तकारों ही पर मुश्तमिल थी। इसलिये आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर आपने दा'वते इस्लाम क़ुबूल न की और आपकी मुताबअ़त में आपकी रिआ़या भी इस नेअ़मते उ़ज़्मा से मह़रूम रह गई तो सारी रिआ़या का गुनाह आपके सर होगा।

उन तफ़्स़ीली मा'लूमात के बाद हिरक़्ल ने आँह़ज़रत (ﷺ) का नाम-ए-मुबारक मंगवाया जो अ़जीमे बस़रा की मअ़रिफ़त हिरक़्ल के पास पहुँचा था। जिसका मज़मून इस तरह़ शुरू होता था,

'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाहि इला हिरक़्ल अज़ीमिर्रूम' इसे सुनकर हिरक़्ल का भतीजा बहुत नाराज़ हुआ और चाहा कि नाम–ए–मुबारक को चाक कर दिया जाए क्योंकि उसमें शहंशाहे–रूम के नाम पर मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के नाम को फ़ौक़ियत (श्रेष्ठता) दी गई है और शहंशाह को भी सिर्फ़ अज़ीमुर्रूम लिखा गया है; हालाँकि आप मालिके रोम, सुल्ताने रोम हैं। हिरक़्ल ने अपने भतीजे को डाँटते हुए कहा, जो ख़त में लिखा है वो सही है मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक तो अल्लाह करीम है। रहा अपने नाम का तक़द्दुम सो अगर वो वाक़िअतन नबी हैं तो उनके नाम को तक़्दीम हासिल है। इसके बाद नाम–ए–मुबारक पढ़ा गया।

इब्ने नातूर शाम में इसाई लाट पादरी और वहाँ का गवर्नर भी था। हिरक़्ल जब हिम्स से ईलया आया तो इब्ने नातूर ने एक सुबह को उसकी हालत **मुतग़य्यिर व मुतफ़क्किर** (बदली हुई और अलग) देखी। सवाल करने पर हिरक़्ल ने बताया कि मैंने आज रात तारों पर नज़र की तो मा'लूम हुआ कि मेरे मुल्क पर **मलिकुल ख़ित्तान** (ख़त्ना करने वालों के बादशाह) का **ग़लबा** (प्रभुत्व) हो चुका है। हिरक़्ल फ़ितरी तौर पर **काहिन** (ज्योतिषी) था और **इल्मे नुजूम** (ज्योतिष विद्या) में महारत रखता था। मुंजिमीन का अक़ीदा था कि बुर्जे अक़रब में क़िरानु अस्सादैन के वक़्त आख़री नबी का ज़ुहूर होगा। बुर्जे अक़रब वो है जब उसमें चाँद और सूरज दोनों मिल जाते हैं तो ये वक़्त मुंजिमीन के पास क़िरानुस्सादैन कहलाता है और मुबारक समझा जाता है। ये क़िरान हर बीस साल के बाद होता है। चुनाँचे आँहज़रत (ﷺ) की औलाद बसआदत भी क़िराने अस्सअदैन में हुई और आप (ﷺ) के सरे मुबारक पर नुबुव्वत का ताज भी जिस वक़्त रखा गया वो क़िरानुस्सादैन का वक़्त था। फ़तहे मक्का के वक़्त अस्सअदैन बुर्जे अक़रब में जमा थे। ऐसे मौक़े पर हिरक़्ल का जवाब उसके पास बड़ी अहमियत रखता था चुनाँचे उसने मुसाहिबीन से मा'लूम किया कि ख़त्ने का रिवाज किस मुल्क और किस क़ौम में है? चुनाँचे यहूदियों का नाम लिया गया और साथ ही उनके क़त्ल का भी मश्वरा दिया गया कि हाकिमे ग़स्सान हारिष बिन अबी तामिर ने एक आदमी (ये शख़्स ख़ुद अरब का रहनेवाला था जो ग़स्सान के बादशाह के पास आँहज़रत (ﷺ) की ख़बर देने गया, उसने उसको हिरक़्ल के पास भिजवा दिया, ये मख़्तून था) की मअरिफ़त हिरक़्ल को ख़बर दी कि अरब में एक नबी पैदा हुए हैं। जब ये मुअज़्ज़ज़ क़ासिद हिरक़्ल के पास पहुँचा तो हिरक़्ल ने अपने ख़्वाब की बिना पर मा'लूम किया कि आने वाला क़ासिद फ़िल वाक़ेअ मख़्तून (ख़त्ना शुदा) है। हिरक़्ल ने उसी को ख़ुद के ख़्वाब की ता'बीर क़रार देते हुए कहा कि ये रिसालत का दावेदार मेरी राजधानी तक जल्दी ही सल्तनत हासिल कर लेगा।

उसके बाद हिरक़्ल ने बतौरे मश्विरा ज़ग़ातिर को इटली में ख़त लिखा और साथ में मक्तूबे नबवी भी भेजा। ये हिरक़्ल का हम-सबक़ (सहपाठी) था। ज़ग़ातिर के नामा मक्तूब हज़रत दहया क़लबी (रज़ि.) ही लेकर गए थे और उनको हिदायत की गई थी कि ये ख़त ज़ग़ातिर को अकेले में दिया जाए। चुनाँचे ऐसा ही किया गया। उसने नाम–ए–मुबारक को आँखों से लगाया और बोसा दिया और जवाब में हिरक़्ल को लिखा कि मैं ईमान ला चुका हूँ। फ़िलवाक़ेअ हज़रत मुहम्मद (ﷺ) नबी व रसूले मौऊद हैं। दरबारी लोगों ने ज़ग़ातिर का इस्लाम मा'लूम होने पर उनको क़त्ल कर दिया। हज़रत दह्या क़लबी (रज़ि.) वापिस हिरक़्ल के दरबार में गए और माजरा बयान किया। जिससे हिरक़्ल भी अपनी क़ौम से डर गया। इसलिये दरवाज़े को बंद करके दरबार मुनअक़िद किया ताकि ज़ग़ातिर की तरह उसको भी क़त्ल न कर दिया जाए। दरबारियों ने नामा ए मुबारक और हिरक़्ल की राय सुनकर मुख़ालफ़त में शोरगुल बर्पा कर दिया। जिस पर हिरक़्ल को अपनी राय बदलनी पड़ी और बिल आख़िर कुफ़्र ही पर दुनिया से रुख़्सत हुआ।

इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ सहीह को हदीष **'इन्नमल आ'मालो बिन्नियात'** और आयते करीमा **'इन्ना औहैना इलैक'** से शुरू फ़र्माया था और इस बाब को हिरक़्ल के क़िस्से और नाम–ए–नबवी पर ख़त्म फ़र्माया और हिरक़्ल की बाबत लिखा कि **फ़काना ज़ालिक आख़िरू शानि हिरक़्ल** यानी हिरक़्ल का आख़री हाल ये हुआ।

इसमें हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इशारतन फ़र्माते हैं कि हर शख़्स का फ़र्ज़ है कि वो अपनी निय्यत की दुरुस्तगी के साथ अपनी आख़िरी हालत को दुरुस्त रखने की फ़िक्र करे कि आ'माल का ए'तिबार निय्यत और ख़ातिमे पर है। शुरू की आयते शरीफ़ा **'इन्ना औहैना इलैक'** में हज़रत मुहम्मद (ﷺ) और आप से पहले के तमाम अंबिया व रसूल (अलैहिमिस्सलाम) की वह्य का सिलसिल–ए–औलिया एक ही रहा है और सबकी दा'वत का ख़ुलासा सिर्फ़ इक़ामते दीन व आपसी इत्तिफ़ाक़ है। उसी दा'वत को दोहराया गया और बतलाया गया कि अक़ीद-ए-तौहीद पर तमाम धर्मों को जमा होने की दा'वत पेश करना यही इस्लाम का अव्वलीन मक़सद है और बनी नोअे इंसान को इंसानी ग़ुलामी की जंजीरों से निकालकर सिर्फ़ एक ख़ालिक़ मालिक फ़ातिरस्समावाति वल अर्ज़ की ग़ुलामी में दाख़िल होने का पैग़ाम

देना तालीमाते मुहम्मदी (ﷺ) का लब्बेलुबाब है। इक़ामते दीन ये कि सिर्फ़ ख़ुदा-ए-वहदहू ला शरीक की इबादत, बंदगी, इताअत, फ़र्माबरदारी की जाए और तमाम ज़ाहिरी व बातिनी मअबूदाने बातिला (झूठे उपास्यों) से मुँह मोड़ लिया जाए। इक़ामते दीन का सहीह मफ़हूम कलिमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह में पेश किया गया है।

हिरक़्ल काफ़िर था मगर आँहज़रत (ﷺ) ने अपने नाम-ए-मुबारक में उसको एक मुअज़्ज़ज़ लक़ब अज़ीमुर्रूम से मुख़ातब फ़र्माया। मा'लूम हुआ कि ग़ैर मुस्लिमों के साथ भी अख़्लाक़े फ़ाज़िला व तहज़ीब के दायरे में ख़िताब करना सुन्नते नबवी (ﷺ) है।

अलहम्दुलिल्लाह! बाब बदउल वह्य के तर्जुमे व तश्रीहात से फ़राग़त हासिल हुई। **वलहम्दुलिल्लाहि अव्वलु व आख़िरु रब्बना ला तुआख़िज़्ना इन्नसीना औ अख़्ताना**, आमीन!

2. किताबुल ईमान

किताब ईमान के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 :

नबी करीम (ﷺ) के उस फ़र्मान की तशरीह से मुता'ल्लिक़ है जिस में आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर रखी गई है और ईमान का ता'ल्लुक़ क़ौल और फ़ेअल दोनों से है और वो बढ़ता और घटता है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया, ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और ज़्यादती हो। (सूरह फ़त्ह : 4) **और फ़र्माया, मैंने उनको हिदायत में और ज़्यादा बढ़ा दिया।** (सूरह कहफ़ : 13) **और फ़र्माया कि जो लोग सीधी राह पर हैं उनको अल्लाह और हिदायत देता है** (सूरह मरयम : 76) **और फ़र्माया कि जो लोग हिदायत पर है अल्लाह ने और ज़्यादा हिदायत दी और उनको परहेज़गारी अता फ़र्माई।** (सूर मुहम्मद : 17) **और फ़र्माया कि जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान और ज़्यादा हुआ** (सूरह मुद्दष्षिर : 31) **और फ़र्माया कि इस सूरह ने तुम में से किसका ईमान और बढ़ा दिया? फ़िल वाक़ेअ जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और ज़्यादा हो गया।** (सूरह तौबा : 124) **और फ़र्माया कि मुनाफ़िक़ों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग बकष़रत जमा हो रहे हैं, उनका ख़ौफ़ करो।**

١- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ))
وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾، ﴿وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾، ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ وَقَوْلُهُ : ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾. وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ مِنَ الإِيمَانِ.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ

عَدِيٍّ: أَنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الإِيمَانَ. فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ.

बस यह बात सुनकर ईमानवालों का ईमान और बढ़ गया और उनके मुँह से यही निकला, हस्बुनल्लाहु व नेअ़मल वकील (सूरह आले इमरान : 173) **और फ़र्माया कि उनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ! ईमान और इत्ताअ़त का शैवा ज़रूर बढ़ गया।** (सूरह अह़ज़ाब : 22) **और हदीष़ में वारिद हुआ कि अल्लाह की राह में मुहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी रखना ईमान में दाख़िल है** (रवाहु अबू दाऊद अन अबी उमामा) **और ख़लीफ़ा उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ने अ़दी बिन अ़दी को लिखा था कि ईमान के अन्दर कितने ही फ़राइज़ और अक़ाइद हैं।**

तश्रीह : हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मरवान उमवी कुरैशी ख़ुलफ़-ए-राशिदीन में से दसवें ख़लीफ़ा हैं, जिनको हदीष़ के मुताबिक़ मुजद्दिदे इस्लाम (इस्लामी सुधारकों) में पहला मुजद्दिद तस्लीम किया गया है। आप सन् 99 हिजरी में मसनदे-ख़िलाफ़त पर फ़ाइज हुए, जिन दिनों बनू उमय्या की ख़िलाफ़त ने चारों तरफ़ ज़ुल्म व फ़साद का दरवाज़ा खोल रखा था। आपने गद्दीनशीन होते ही सारे ज़ुल्मों का ख़ात्मा करके ऐसा माहौल बनाया जैसे शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हों। अ़ल्लामा इब्ने जोज़ी (रह.) ने लिखा है कि एक दिन चरवाहे ने शोर किया, उससे वजह पूछी गई तो उसने आह भरकर कहा कि ख़लीफ़-ए-वक़्त हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) का आज इंतिक़ाल हो गया है, इसीलिये देख रहा हूँ कि भेड़िये ने बकरी पर हमला कर दिया। तहक़ीक़ की गई तो जो वक़्त भेड़िये का बकरी पर हमला करने का था, वही वक़्त दसवें ख़लीफ़ा हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के इंतिक़ाल का था।

आपकी वफ़ात सन् 101 हिजरी में हुई। आपने अपनी ख़िलाफ़त के छोटे से अर्से में इस्लाम और मिल्लत की वो ता'मीरी ख़िदमात (रचनात्मक सेवाएं) अंजाम दी कि रहती दुनिया तक यादगार रहेगी। अहादीष़े नबवी (फ़िदाहु रूही) की जमा और तर्तीब के लिये आपने एक मुनज़्ज़म **इक़दाम (संगठित काम)** फ़र्माया। बाद में जो कुछ इस फ़न में तरक़्क़ियाँ हुईं वो सब आपकी मसाओ़-ए- जमीला (सुन्दर प्रयासों) के नतीजे हैं। आपने अपने दौरे-हुकूमत में बनू उमय्या की वो जायदादें बैतुलमाल में ज़ब्त (अधिगृहीत) कर लीं जो उन्होंने नाजाइज़ तरीक़े से हासिल की थीं और वो सारा माल भी बैतुलमाल में दाख़िल कर दिया जो लोगों ने ज़ुल्म व ज़ोर के ज़रिये जमा किया था। यहाँ तक कि एक दिन अपनी अहलिया मोहतरमा (बीवी) के गले में एक क़ीमती हार को देखकर फ़र्माया कि तुम भी इसे बैतुलमाल के हवाले कर दो, वो कहने लगीं कि ये तो मेरे बाप अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान ने दिया है। आपने फ़र्माया कि ये मेरा अटल फ़ैसला है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। चुनाञ्चे इताअ़तगुज़ार उस नेक औरत ने ख़ुद ही अपना वो हार बैतुलमाल में दाख़िल कर दिया। **(बैतुलमाल यानी क़ौमी ख़ज़ाना/ सार्वजनिक या सरकारी सम्पत्ति)**

एक दफ़ा एक शख़्स ने ख़्वाब में आपको नबी-ए-करीम (ﷺ) के बेहद क़रीब देखा, यहाँ तक सय्यिदिना हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) से भी ज़्यादा क़रीब देखा। पूछने पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया (ख़्वाब में) कि सिद्दीक़ और फ़ारूक़ (रज़ि.) ने ऐसे वक़्तों में इन्साफ़ से हुकूमत की जबकि वो दौर इन्साफ़ का था और उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ने ऐसे वक़्त में इन्साफ़ से हुकूमत की जबकि इन्साफ़ का दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) अपने दौरे ख़िलाफ़त में हर रात सज्दा-रेज़ रहते थे और रो-रो कर दुआएं करते थे कि ऐ ख़ुदावन्दे क़ुद्दूस! ऐ क़ादिरे क़य्यूम मौला! जो ज़िम्मेदारी तूने मुझ पर डाली है उसको पूरा करने की भी ताक़त अ़ता फ़र्मा। कहते हैं बनू उमय्या क़बीले में से किसी ज़ालिम ने आपको ज़हर खिला दिया था, यही आप की वफ़ात का सबब हुआ। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज़िऊन!**

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾. وَقَالَ مُعَاذٌ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً.

और हुदूद हैं और मुस्तहब और मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाख़िल हैं। बस जो इन सबको पूरा करे उसने अपने ईमान को पूरा

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الإِيمَانُ كُلُّهُ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا أَوْحَيْنَاكَ. ﴾ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾: سَبِيلاً وَسُنَّةً.

कर लिया और जो पूरे तौर पर इनका लिहाज़ रखे न इनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। बस अगर मैं ज़िन्दा रहा तो उन सबकी तफ़्सीली मा'लूमात तुमको बतलाऊँगा ताकि तुम उन पर अ़मल करो और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोहबत में ज़िन्दा रहने की ख़्वाहिश भी नहीं। और ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) का क़ौल क़ुर्आन में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और मुआ़ज़ (रज़ि.) ने एक बार एक सहाबी अस्वद बिन बिलाल से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर लें। और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि यक़ीन पूरा ईमान है (और सब्र आधा ईमान है। रवाहुत् तबरानी) और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का क़ौल है कि बन्दा तक़्वे की अस़्ल ह़क़ीक़त यानी तह़क़ीक़ को नहीं पहुँच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो उसे बिलकुल छोड़ न दे। और मुजाहिद (रह.) ने आयते करीमा (शरअ़लकुम मिनद्दीन....) की तफ़्सीर में फ़र्माया कि (उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता ठहराया जो ह़ज़रत नूह (अ़लैहिस्सलाम) के लिए ठहराया था) इसका मत़लब यह है कि ऐ मुहम्मद! मैंने तुमको और नूह को एक ही दीन के लिए वस़िय्यत की है और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने आयते करीमा (शिरअ़तंव व मिन्हाजा .....) के बारे में फ़र्माया कि इससे सबील सीधा रास्ता और सुन्नत (नेक तरीक़ा) मुराद है। और सूरह फ़ुर्क़ान की आयत में लफ़्ज़ 'दुआउकुम' के बारे में फ़र्माया कि 'ईमानुकुम' इससे तुम्हारा ईमान मुराद है।

तश्रीह़ : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ़ स़ह़ीह़ को वह्य और उसकी तफ़्सील, उसकी अ़ज़्मत और स़दाक़त के साथ शुरू फ़र्माया जिसके बाद ज़रूरी था कि दीन व शरीअ़त की अव्वलीन बुनियाद पर रोशनी डाली जाए जिसका नाम शरई इस्तिलाह (परिभाषा) में **'ईमान'** है। जो अल्लाह और बन्दे के बीच एक ऐसी कड़ी है कि उसको दीन का अव्वलीन और आख़िरी दर्जा दिया जा सकता है। ईमान ही दोनों जहान में कामयाबी की कुन्जी (चाबी) है और ह़क़ीक़ी इ़ज़्ज़त और रिफ़अ़त (बुलन्दी) के साथ जुड़ी है।

स़ाहिबे मिश्कात ने भी अपनी किताब को किताबुल ईमान से ही शुरू फ़र्माया है। इस पर ह़ज़रत मौलाना शैख़ुल ह़दीस़ मुबारकपुरी मद्दज़िल्लहु फ़र्माते हैं, **'व क़द्दमहू लि अन्नहू अफ़्ज़लुल उमूरि अ़लल इतलाक़ि व अशरफ़ुहा व लि अन्नहू अव्वलु वाजिबिन अ़लल मुकल्लफ़ि व लि अन्नहू शर्ततुल लिस्सिह्हतिल इबादातिल मुतक़द्दमति अ़लल मुआमलाति'** यानी 'ज़िक्रे ईमान को इसलिये मुक़द्दम (सर्वोपरि) किया कि ईमान सारे कामों पर मुत्लक़न फ़ज़ीलत का दर्जा रखता है और हर मुकल्लफ़ पर यह पहला वाजिब है और इबादत की सिह्हत और क़ुबूलियत के लिये ईमान पहली शर्त है।'

इसलिये इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी बाबुल वह्य के बाद किताबुल ईमान से अपनी जामेअ़ सहीह का इफ़्तेताह (शुरूआत) किया है। फ़त्हुल बारी में है, **'वलम यस्तफ़तिहिल मुसन्निफ़ु बदअल वह्यि बिकिताबिल ईमानि लि अन्नल मुक़द्दमत ला तस्तफ़तिहु बिमा यस्तफ़तिहु बिही ग़ैरुहा लि अन्नहा तन्तवी अ़ला मा यतअ़ल्लकु बिमा बअ़दहा'**

यानी 'लफ़्ज़ ईमान अमन से मुश्तक़ से बनाया गया है, जिसके लुग़वी मा'ने (शाब्दिक अर्थ) सुकून और ईमान के हैं। अमन लुग़वी हैसियत से उसको कहा जाएगा कि लोग अपनी जानों, मालों और इज़्ज़त-आबरू के बारे में सुकून व इत्मीनान महसूस करें जैसा कि हदीषे नबवी (ﷺ) है, **'अल मोमिनु मन अमिनहुन्नासु अला दिमाएहिम व अम्वालिहिम'** मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जान व माल के बारे में अमन में रहें। ईमान के लुग़वी मा'ने तस्दीक़ (सत्यापन/पुष्टि) के भी हैं जैसा कि सूरह यूसुफ़ में हज़रत याक़ूब (अलैहिस्सलाम) के बेटों के ज़िक्र में वारिद हुआ है, **'व मा अन्त बि मुमिनिल्लना व लौ कुन्ना सादिक़ीन'** (यूसुफ़ : 17) यानी ऐ अब्बाजान! हम जो कुछ भी (बिनयामीन) के बारे में अर्ज़ कर रहे हैं आप (अपने साबिक़ तजुर्बे की बिना पर) उसकी तस्दीक़ करने वाले नहीं है अगरचे हम कितने ही सच्चे क्यों न हों? यहाँ ईमान तस्दीक़ के लुग़वी मा'ने में इस्ते'माल हुआ है। किसी की बात पर ईमान लाना, इसका मतलब यह है कि हम उसको अपनी तक़ज़ीब (झुठलाने) की तरफ़ से मुतमईन (संतुष्ट) कर देते हैं और उसकी अमानत व दयानत (दारी) पर पूरा इत्मीनान षाबित कर देते हैं।

अल्लामा इब्ने हजर (रह.) सहीह बुख़ारी की शरह 'फ़त्हुल बारी' में फ़र्माते हैं, **'वल ईमानु लुग़तन अत्तस्दीक़ु व शर्अन तस्दीक़ुर्रसूलि बिमा जाअ बिही अर-रब्बिही व हाज़ल मुक़द्दरु मुत्तफ़क़ुन अलैहि'** यानी ईमान लुग़त में मुतलक तस्दीक़ का नाम है और शरीअत में ईमान के मा'नी ये हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जो कुछ भी अपने रब की तरफ़ से उसूल व अहकाम व अरकाने दीन लेकर आए हैं उन सबकी तस्दीक़ करना, सबकी सच्चाई दिल में बिठाना। यहाँ तक ईमान के लुग़वी (शाब्दिक) और शरई मा'नी पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। तफ़्सीलात में जो इख़्तिलाफ़ात (मतभेद) पैदा हुए हैं उनकी तफ़्सील (डिटेल) मशहूर मुअर्रिख़े-इस्लाम (इस्लामी इतिहासकार) मुहम्मद अबू ज़ुहरा, प्रोफ़ेसर लॉ कॉलेज फव्वाद यूनिवर्सिटी मिस्र के लफ़्ज़ों में यह है जिसका उर्दू तर्जुमा **'सीरत इमाम हंबल (रह.)'** से दर्ज ज़ैल (निम्नलिखित) है,

ईमान की हक़ीक़त ऐसा मसला है जो अपने अन्दर अनेक इख़्तिलाफ़ी पहलू रखता है और ये इख़्तिलाफ़ इतना बढ़ गया है कि इसने अनेक फ़िर्क़े पैदा कर दिये हैं। जहमिया का ख़याल है कि ईमान मअरिफ़त (पहचान) का नाम है, अगरचे वो अमल से हमआहंग (एक राय) न हो। उन्होंने ये तस्रीह (स्पष्ट) नहीं किया कि मअरिफ़त के साथ इज़्आन (आज्ञापालन/हुक्मबरदारी) भी वाजिब है। मुअतज़िला का यह ख़याल है कि आ'माल, ईमान का **जुज़्व (हिस्सा)** हैं। उनके नज़दीक जो शख़्स कबाइर (बड़े गुनाहों) का इर्तिकाब करता है वो मोमिन नहीं रहता, अगरचे वहदानियते ख़ुदावन्दी (तौहीद/ एकेश्वरवाद) पर अक़ीदा रखता हो और मुहम्मद (ﷺ) को अल्लाह का रसूल मानता हो। लेकिन वो काफिर भी नहीं होता यानी न पूरा मोमिन न पूरा काफिर बल्कि उन दोनों के बीच। ख़्वारिज का ख़याल है कि गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करने वाला मोमिन नहीं रहता काफिर हो जाता है इसलिये कि अमल ईमान का जुज़्व है। ज़रूरी था कि मुहद्दिषीन और **फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री)** अपने-अपने अन्दाज़ में इस मसले पर गुफ़्तगू करते और ज़ाहिर है कि उनकी रविश यही हो सकती थी कि वो अक़्ले-मुजर्रद (सिर्फ अक़्ल) पर ए'तिमाद (भरोसा) करने के बजाय किताबो-सुन्नत पर भरोसा करें, फिर इस बारे में उनकी रायें आपस में एक-दूसरे से गो ज़्यादा दूर नहीं हैं ताहम किसी न किसी हद तक **मुख़ालिफ़ (विरोधी)** ज़रूर हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक इस **ए'तिक़ाद (अक़ीदे)** की **अलामत (निशानी)** सिर्फ़ इतनी है कि आदमी अल्लाह की वहदानियत (एक होने) और रसूल (ﷺ) की रिसालत का इक़रार करे। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक अमल ईमान का हिस्सा नहीं है बल्कि उनके नज़दीक ईमान एक ऐसी अकेली हक़ीक़त है जो बजाते ख़ुद कामिल होती है और कमी-बेशी को क़ुबूल नहीं करती। हज़रत अबू बक्र ((रज़ि.)) को जो फ़ज़ीलत हासिल है वो अमल की बिना (आधार) पर है (न कि ईमान की बिना पर) और इस बिना पर कि आँहज़रत (ﷺ) ने आपको मिनजुम्ला दस लोगों के लिये जन्नत की बशारत दी थी। अब इसके बाद मुसलमानों के अक़्दार के बाहमी **तफ़ावुत (आपसी दूरी/अन्तर)** सिर्फ़ अमल और हुक्मे-इलाही की तामील और गुनाहों के काम से रूकने की बिना (आधार) पर रह गया।

इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ईमान, तस्दीक़ और **इज़्आन (हुक्मबरदारी)** का नाम है लेकिन उनके नज़दीक ईमान में ज़्यादती मुमकिन है इसलिये कि क़ुर्आन में कुछ मुसलमानों के बारे में फ़र्माया गया है कि उनका ईमान बढ़ता है। जिस तरह इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ईमान में बढ़ोतरी हो सकती है उसी तरह कभी वो इसकी कमी होने की सराहत भी कर देते थे। लेकिन ऐसा मा'लूम होता है कि वो कमी की सराहत करने से रुक गये क्योंकि उन्होंने इसका इज़्हार फ़र्माया है कि ईमान क़ौल व अमल का नाम है, वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। हाफ़िज़ इब्नुल जोज़ी (रह.) की किताबुल मनाक़िब

में वारिद (आया) हुआ है कि इमाम अहमद (रह.) फ़र्माया करते थे कि ईमान क़ौल व अमल का नाम है, वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। नेकियों के सारे काम ईमान ही है और मआसी (गुनाहों के काम) से ईमान में कमी हो जाती है। नीज़ वो ये भी फ़र्माया करते थे कि अहले सुन्नत वल जमाअत मोमिन की सिफ़त (तारीफ़/गुण/ख़ूबी) यह है कि वो इस अम्र की शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद (पूजनीय) नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक (साझीदार) नहीं है। यह भी गवाही देता है कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। यहाँ तक कि वो उन सबका इक़रार करे जो दूसरे अंबिया और रसूल लेकर आए और जो कुछ उनकी ज़बान से ज़ाहिर हुआ वो उस (मोमिन) के दिल से **हमआहंग (सहमत)** हो। लिहाज़ा ऐसे आदमी के ईमान में कोई शक नहीं। (हयाते इमाम अहमद बिन हंबल रह. पेज नं. 216, 217)

मसलके मुहद्दिषीन और जुम्हूर अइम्म-ए-अहले सुन्नत वल जमाअत : ईमान के बारे में जुम्हूर (अधिकांश) अइम्म-ए-अहले सुन्नत वल जमाअत और तमाम मुहद्दिषीने किराम सबका मसलक यही है जिसे अल्लामा ने इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से नक़ल फ़र्माया है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी ईमान, मुदल्लल तौर पर इसी को बयान फ़र्माया है। इमाम अब्दुल बर 'तहमीद' में फ़र्माते हैं, **'अजमअ अहलुल फ़िक़्हि वल हदीषि अला अन्नल ईमान क़ौलुन व अमलुन, वला अमल इल्ला बिनिय्यतिन क़ाल वल ईमानु इन्दहुम यज़ीदु बित्ताअति व यन्कुसु बिल मअसिय्यति वत्ताअतु कुल्लुहा इन्दहुम ईमानुन इल्ला मा ज़ुकिर अन अबी हनीफ़त व अस्हाबिही फ इन्नहुम ज़हबू इला अन्नातआति ला तुसम्मा ईमानन क़ालू इन्नमल ईमानु तस्दीक़ुन वल इक़रारु व मिन्हुम मन ज़ादल मअरिफ़त व ज़ुकिर महतज्जू बिही इला अन क़ाल व अम्मा साइरुल फ़ुक़्हाउ मन अक्मलिर्रायि वल आषारि बिल हिजाज़ि वल इराक़ि वश्शामि व मिस्र मिन्हुम मालिक बिन अनस वल्लैष बिन सअद व सुफ़यान अष्षौरी वल औज़ाइ वश्शाफ़िई व अहमद बिन हंबल व इस्हाक़ बिन राहवैय व अबू ओबैदिल क़ासिम बिन सलाम व दाऊद बिन अली व मन सलक सबीलहुम क़ालू अल ईमानु क़ौलुन व अमलुन क़ौलुम्बिल्लिसान व हुवल इक़रारु व इताक़ादुम्बिल क़ल्बि व अमलुम्बिल जवारिहि मअल इख़्लासि बिन् निय्यतिस्सादिक़त व क़ालू कुल्लुम्मा युताअल्लाहु बिही मिन फ़रीज़तिन व नाफ़िलतिन फ़ हुव मिनल ईमानि क़ालू वल ईमानु यज़ीदु बित्ताअति व यन्कुसु बिल मआसी व हाज़ा मज़हबुल जमाअति मिन अहलिल हदीषि वल हम्दुलिल्लाहि'**

अल्लामा इब्ने अब्दुल बर की इस जामेअ तक़रीर का ख़ुलासा ये है कि अहले फ़िक़्ह और अहले हदीष सबका इज्माअ (सर्वसम्मति) है कि ईमान क़ौल व अमल (वचन व कर्म) पर मुश्तमिल (आधारित) है और अमल का ए'तिबार निय्यत पर है। ईमान नेकियों से बढ़ता है और गुनाहों से घटता है और नेकियाँ जिस क़दर भी हैं वो ईमान हैं। हाँ! इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके साथियों का क़ौल यह है कि ईमान इताअत का नाम नहीं रखा जा सकता, ईमान सिर्फ़ तस्दीक़ और इक़रार का नाम है, बाज़ ने मअरिफ़त को भी ज़्यादा किया है। उनके अलावा सारे फ़ुक़हा-ए-अहलुर्राय व अहले हदीष हिजाज़ी, इराक़ी, शामी व मिस्री हैं। सब यही कहते हैं (जिनमें से कुछ बुज़ुर्गों के नाम अल्लामा ने यहाँ नक़ल भी फ़र्माए हैं) कि ज़बान से इक़रार करना और दिल में ऐतिक़ाद (अक़ीदा, भरोसा) रखना और जवारेह (जिस्म के सभी अंगों) से सच्ची निय्यत के साथ अमल करना ईमान है और तमाम इबादतें चाहे फ़र्ज़ हों या नफ़्ल, वे सब ईमान (में दाख़िल) हैं। ईमान नेकियों से बढ़ता है और बुराइयों से घटता है। जमाअत अहले हदीष का भी यही मसलक है वल्हम्दुलिल्लाह! सलफ़े-उम्मत इस क़िस्म की तस्रीहात (वज़ाहतें, स्पष्टीकरण) इस क़दर नक़ल की गई हैं कि उन सब के लिये एक मुस्तक़िल (स्थाई) दफ़्तर की ज़रूरत है। यहाँ मज़ीद तवालत (अधिक विवरण) की गुन्जाइश नहीं।

फ़िर्क़-ए-मुरजिया : ईमान के मुताल्लिक़ तमाम मुहद्दिषीने किराम व अइम्म-ए-षलाषा अहले सुन्नत वल जमाअत से अगरचे फ़िर्क़ा ख़्वारिज और मोअतज़िला ने काफ़ी इख़्तिलाफ़ात किये हैं, मगर सबसे बदतरीन इख़्तिलाफ़ वो है जो फ़िर्क़-ए- मुरजिया ने किया।

साहिबे ईज़ाहुल बुख़ारी लिखते हैं, **'बसीत (ग़ैर मुरक्कब/अमिश्रित)** मानने वालों की दो जमाअतें हैं, एक जमाअत कहती है कि ईमान की हक़ीक़त सिर्फ़ तस्दीक़ है, अमल और इक़रार ईमान में दाख़िल नहीं। इमामे आज़म और फ़ुक़्ह- ए- अलैहिमुर्रहमः कहते हैं कि ईमान सिर्फ़ तस्दीक़ का नाम है। लेकिन आ'माल ईमान की तरक़्क़ी के लिये ज़रूरी है। और मुरजिया कहते हैं कि आ'माल बिल्कुल ग़ैर-ज़रूरी है। ईमान लाने के बाद नमाज़ अदा करना और खाना खाना दोनों बराबर हैं। बसीत मानने वालों की दूसरी जमाअत मुरजिया और कर्रामिया की है जो सिर्फ़ इक़रार को ईमान की हक़ीक़त बतलाते हैं, तस्दीक़ और आ'माल इसका जुज़्व नहीं। सिर्फ़ ये शर्त कि **इक़रारे-लिसानी (ज़बान से इक़रार)** के साथ दिल में इन्कार नहीं होना चाहिये।

(ईज़ाहुल बुख़ारी जिल्द 2 पेज नं. 132)

इसलिये अस्लाफ़े-उम्मत ने फ़िर्क़-ए-मुरजिया के ख़िलाफ़ बड़े ही सख़्त बयानात दिये हैं। हज़रत इब्राहीम नख़ई फ़र्माते हैं, **'अल मुरजियतु अख़वफ़ु अला हाज़िहिल उम्मति मिन ख़वारिज'** यानी उम्मत के लिये मुरजिया का फ़ित्ना, ख़्वारिजियों के फ़ित्ने से भी बढ़कर ख़तरनाक है।

इमाम ज़ुहरी (रह.) फ़र्माते हैं, **'मब्तदअ फ़िल इस्लामि बिदअतुन अजरू अला अहलिही मिनल इर्जाइ'** यानी इस्लाम में मुरजिया फ़िर्क़े से बढ़कर नुक़्सान पहुँचाने वाली कोई बिदअत पैदा नहीं हुई। यह्या बिन अबी कषीर और क़तादा फ़र्माते हैं, **'लैस शयउम्मिनल अहवाइ अशद्दु इन्दहुम अलल उम्मति मिनल इर्जाइ'** यानी मुरजिया से बढ़कर ख़्वाहिश परस्ती का कोई फ़ित्ना, जो इन्तिहाई ख़तरनाक हो, उम्मत में पैदा नहीं हुआ। क़ाज़ी शरीक ने कहा, **'अल मुरजियतु अख़बषु क़ौमिन हस्बुक बिर्राफ़िज़ति व लाकिन्नल मुरजियत यकज़िबून अलल्लाहि'** यानी फ़िर्क़-ए-मुरजिया बहुत ही गन्दी क़ौम है जो राफ़ज़ियों से भी आगे बढ़ गये हैं। जो अल्लाह झूठ बाँधने में ज़रा भी ख़ौफ़ महसूस नहीं करते। इमाम सुफ़यान षौरी, इमाम वकीअ, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम क़तादा, इमाम अय्यूब सख़्तियानी और भी बहुत से अहले सुन्नत ने भी ऐसे ही ख़यालात का इज़्हार किया है।

मुरजिया में जो बहुत से **ग़ाली (अतिवादी/हद से आगे बढ़ जाने वाले)** किस्म के लोग हैं उनका यहाँ तक कहना है कि जिस तरह कुफ़्र की हालत में कोई नेकी नफ़ा नहीं पहुँचाती, इसी तरह ईमान की हालत में कोई गुनाह नुक़्सानदेह नहीं और यह वो बदतरीन क़ौल है जो इस्लाम में कहा गया है। **लवामिअ अनवारुल बहिय्या**

ईमान के बसीत और मुरक्कब (मिश्रण/मिक्स्चर) की बहष में अल्लामा सिन्धी (रह.) का ये क़ौल सुनहरे लफ़्ज़ों में लिखने लायक़ है, आपने फ़र्माया, **'वस्सलफ़ु कानू यत्तबिऊनल वारिद ला यल्तफितून इला नहवि तिल्कल मबाहिषि इल्ला कलामुल कलामिय्यति इस्तख़रजहल मुतअख़्ख़िरून'** यानी सलफ़-सालिहीन सिर्फ़ उन आयतों और हदीषों की पैरवी करने को काफ़ी समझते थे जो ईमान से मुता'ल्लिक़ वारिद हुई हैं और वो उन बहषों से क़तई इत्तेफ़ाक़ नहीं करते थे जिनको बाद वालों ने ईजाद किया है।

ईमान बहरहाल दिल से तस्दीक़ करने, ज़बान से इक़रार करने और बदन से अमल करने का नाम है और ये तीनों आपसी तौर पर इस क़दर लाज़िम व ज़रूरी है कि अगर इन तीनों में से किसी एक को भी अलग कर दिया जाए तो हक़ीक़ी ईमान, जिससे अल्लाह की तरफ़ से नजात मिलने वाली है, बाक़ी नहीं रह जाएगा।

हज़रत अल्लामा मौलाना शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी (रह.) : हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी (रह.) ने ईमान के मुता'ल्लिक़ एक बेहतरीन जामेअ तब्सरा फ़र्माया जो दर्ज ज़ैल (निम्नलिखित) है,

फ़र्माते हैं, **'व इन्नमा उन्वानु बिही मअ ज़िक्रिहिल इस्लामु अयज़न लि अन्नहुमा बि मअनन वाहिदिन फ़िश्शरइ'** यानी किताबुल ईमान के उन्वान के तहत इस्लाम का भी ज़िक्र आया है, इसलिये कि ईमान और इस्लाम; शरीअत में एक ही मा'ने रखते हैं। **'इख़्तलफ़ू फ़ीहि अला अक़वाल'** के तहत हज़रत शैख़ुल हदीष फ़र्माते हैं, **'फ़ क़ालल हनफ़िय्यतु अल ईमानु हुव मुजर्रदुन तस्दीक़ुन्नबिय्यि (ﷺ) फ़ीमा इल्मुन मजीउहूबिही बिज़्ज़रूरति तफ़्सीलन फिल उमूरित्तफ़्सीलिय्यति व इजमालन फिल उमूरिल इजमालिय्यति तस्दीक़न जाज़िमन व लौ बि ग़ैरि दलीलिन फ़लईमानु बसीतुन इन्दहुम ग़ैर मुरक्कबिन ला यक्बलुज़्ज़ियादत व लन्नक़्सान मिन हैषिल कम्मियति .....'** यानी हनफ़िय्या कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की तस्दीक़े-मुजर्रद का नाम ईमान है। तफ़सीली उमूर में तफ़्सीली तौर पर, इज्माली (मुख़्तसर/संक्षिप्त) उमूर में इज्माली तौर पर जो कुछ ज़रूरी अहकाम आप (ﷺ) लेकर आए, उन सबकी तहे दिल से तस्दीक़ करना ईमान है। हनफ़ियों के नज़दीक़ ईमान **मुरक्कब (मिश्रण)** नहीं बल्कि **बसीत (ग़ैर मुरक्कब)** है और वो कमियत के ए'तिबार से ज़्यादती और कमी को क़ुबूल नहीं करता (यानी उनके नज़दीक ईमान घटता/बढ़ता नहीं है)। गुमराह मुरजिया फ़िर्क़े की ज़द से बचने के लिये वो भी अहले सुन्नत व जुम्ला मुहद्दिषीन की तरह आ'माल को तक्मीले-ईमान की शर्त क़रार देते हैं और कमाले-ईमान के लिये ज़रूरी **अजज़ा (हिस्सा/अवयव)** तस्लीम करते हैं और कहते हैं कि हमारे और दीगर अहले सुन्नत के बीच इस बारे में सिर्फ़ लफ़्ज़ी टकराव है। (रिसाला ईमानो-अमल मौलाना हुसैन अहमद मदनी रह. पेज नं. 23)

हज़रत शैख़ुल हदीष आगे मुरजिया के मुता'ल्लिक़ फ़र्माते हैं, **'व क़ालल मुरजियतु हुव इतिक़ादुन फ़क़त वल इक़रारु**

बिल्लिसानि लैस बिरुकनिन फ़ीहि वला शर्तिन फजअलुल अमल ख़ारिजम्मिन हक़ीक़तिल ईमानि कल हनफ़िय्यति व अन्करु अजज़अतहू इल्ला अन्नल हनफ़िय्यत इहतम्मू बिही व हर्रज़ू अलैहि वजअलूहु सबबन सारियन फ़ी नुमाइल ईमानि व अम्मल मुरजियतु फहदरुहु व क़ालू ला हाज़त इलल अमलि व मदारुन्निजात हुवत्तस्दीक़ु फ़क़त फ़ला यज़ुर्रुल मअसिय्यतु इन्दहुम मअत्तस्दीक़ि' और गुमराह फ़िर्क़ मुरजिया ने कहा कि ईमान फ़क़त ए'तिक़ाद (यक़ीन) का नाम है। इसलिये कि ज़बानी इक़रार न रुक्न है न शर्त है। हनफ़िया ने भी अमल को हक़ीक़ते ईमान से ख़ारिज किया है और उसकी जुज़इय्यत का इन्कार किया है। मगर हनफ़िया ने अमल की अहमियत को माना है और इसके लिये रग़बत दिलाई और ईमान की तरक़्क़ी में अमल को एक मुअष्षिर सबब (प्रभावशाली कारण) तस्लीम किया है। मुरजिया ने अमल को बिल्कुल बातिल क़रार दिया और कहा कि अमल की कोई ज़रूरत नहीं है। नजात का दारोमदार फ़क़त तस्दीक़ पर है जिसके बाद कोई गुनाह **मज़िर (हानिकारक)** नहीं है। (शायद हज़रत मौलाना मदनी साहब मरहूम के ज़िक्रशुदा हवाले की भी यही मंशा है)। आगे कर्रामिया के बारे में शैख़ुल हदीष़ फ़र्माते हैं, **'व क़ालल कर्रामिय्यतु हुव नुतक़ुन फ़क़त फल इक़रारु बिल्लिसानि यक्फ़ी लिन्नजाति इन्दहुम सवाउन वुजिदत्तस्दीक़ु अमला'** यानी मुरजिया के विपरीत करामिया कहते हैं कि ईमान फ़क़त ज़बान से इक़रार कर लेने का नाम है जो नजात के लिये काफ़ी है, तस्दीक न की जाए।

आगे हज़रत शैख़ुल हदीष़ फ़र्माते हैं, **'व क़ालस्सलफ़ु मिन अइम्मतिष़्षलाति मालिक वश्शाफ़िअ व अहमद वग़ैरहुम मिन अस्हाबिल हदीष़ि हुव इतिक़ादुन बिल क़ल्बि व नुत्क़ुम्बिल्लिसानि व अमलुम्बिल अर्कानि फ़ल ईमानु इन्दहुम मुरक्कबुन ज़ू अजज़ाइन वल आमालु दाख़िलतुन फ़ी हक़ीक़तिल ईमानि व मिन हाहुना नशअलुहुमुल क़ौलु बिज़ियादति वन्नक़सानि बि हसबिल कम्मिय्यति'**

यानी सलफ़े-उम्मत, **अइम्म-ए-ष़लाष़ा (तीनों इमाम)** मालिक (रह.), शाफ़िई (रह.), अहमद बिन हंबल (रह.) और दीगर अस्हाबुल हदीष़ के नज़दीक ईमान दिल के ए'तिक़ाद और ज़बान के इक़रार और अरकान के अमल का नाम है। इसलिये उनके नज़दीक ईमान मुरक्कब है जिसके लिये बयान किये गये हिस्से ज़रूरी हैं और आ'माल हक़ीक़ते ईमान में दाख़िल हैं। इसी आधार पर उनके नज़दीक ईमान में कमी-बेशी होती है। इस दावे पर उनके यहाँ बहुत सी क़ुर्आनी आयतें और अहादीषे-नबवी दलील हैं। जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ और अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने किताबुल ईमान में बयान फ़र्माया है और सही मज़हब यही है। (मिरआत जिल्द अव्वल पेज नं. 23)

इस तफ़्सील की रोशनी में हज़रत अल्लामा मुबारकपुरी दामत बरकातुहुम आगे फ़र्माते हैं, **'व क़द ज़हर मिन हाज़ा अन्नल इख़्तिलाफ़ बैनल हनफ़िय्यति व अस्हाबिल हदीष़ि इख़्तिलाफ़ुन मअनविय्युन हक़ीक़िय्युन ला लफ़्ज़िय्युन कमा तवह्हम बअज़ुल हनफ़िय्यति'** (मिरआत) यानी ईमान के बारे में हनफ़ियों और अहले हदीष़ का इख़्तिलाफ़ मअनवी हक़ीक़ी है लफ़्ज़ी नहीं है जैसा कि कुछ हनफ़ियों को वहम हुआ है।

मुअतज़िला के नज़दीक ईमान अमल व क़ौल व ए'तिक़ाद का मज्मूआ है। उनके नज़दीक कबीरा गुनाह का मुर्तकिब (दोषी) न तो काफिर है और न ही मोमिन बल्कि ईमान और कुफ़्र के बीच एक दर्जा करार देते हैं और कहते हैं कि कबाइर का मुर्तकिब अगर बग़ैर तौबा मरेगा तो वो मुख़ल्लद फ़िन्नार यानी हमेशा के लिये दोज़ख़ी होगा। उनके बरख़िलाफ़ (विपरीत) ख़ारिजी कहते हैं कि कबीरा और सग़ीरा दोनों तरह के गुनाहों का दोषी काफ़िर हो जाता है, कुफ़्र और ईमान के बीच कोई दर्जा ही नहीं है। ये दोनों फ़िर्क़े गुमराह हैं। इसके बरख़िलाफ़ अहले सुन्नत जहाँ ईमान को चार हिस्सों का मुरक्कब और कमी-ज़्यादती के क़ाबिल मानते हैं वहाँ उनके नज़दीक आमाल को ईमान के कमाल (पूर्णता) के लिये शर्त भी क़रार देते हैं। लिहाज़ा उनके नज़दीक कबाइर का मुर्तकिब और फ़र्ज़ों का छोड़ने वाले मुतलक़ काफिर और ईमान से महरूम नहीं होंगे। (फ़त्हुल बारी वग़ैरह)

मुनासिब होगा कि अपने मुहतरम क़ारेईने किराम की मज़ीद तफ़्हीम (अधिक जानकारी) के लिये ईमान से मुता'ल्लिक़ एक मुख़्तसर ख़ाका (संक्षिप्त रूपरेखा) पेश कर दें।

(01) ईमान **बसीत (ग़ैर मुरक्कब/अमिश्रित)** है। सिर्फ़ दिल से तस्दीक़ करना और ज़बान से इक़रार करना काफ़ी है जिसके बाद कोई गुनाह **मुज़िर (नुक़्सानदेह)** नहीं और कोई नेकी मुफ़ीद (लाभप्रद) नहीं है। (बक़ौल मुरजिया)

(02) ईमान फ़क़त ज़बान से इक़रार कर लेने का नाम है, दिल से तस्दीक़ हो या न हो। ज़बानी इक़रार नजात के लिये काफ़ी है। (बक़ौल कर्रामिया)

(03) ईमान **बसीत (ग़ैर मुरक्कब/अमिश्रित)** है और सिर्फ़ तस्दीक़ का नाम है। आमाल इसमें दाख़िल नहीं हैं और न वो

घटता बढ़ता है। हाँ! आमाल ईमान की तरक़्क़ी के लिये ज़रूरी हैं। (हनफ़िय्या) (देखें : ईज़ाहुल बुख़ारी पेज नं. 132)

(04) ईमान; ए'तिक़ाद (अक़ीदा), अमल और क़ौल का एक ऐसा मज्मूआ (संग्रह) है जिसे अलग-अलग नहीं किया जा सकता। इस सूरत में कबीरा गुनाह का मुर्तकिब अगर तौबा किये बिना मरेगा तो वो हमेशा के लिये दोज़ख़ी है। गोया अल्लाह पर मुतीअ (फ़र्मांबरदार) का सवाब और आसी (नाफ़र्मान) का अज़ाब वाजिब है। (बक़ौल मुअतज़िला)

(05) ईमान; ए'तिक़ाद और अमल दोनों का मज्मूआ है, जिसके बाद सिर्फ़ कुफ़्र ही का दर्जा है। लिहाज़ा कबीरा और सग़ीरा दोनों क़िस्म के गुनाहों का मुर्तकिब, जो तौबा न करे, वो काफ़िर है। (बक़ौल ख़ारजी)

(06) ईमान; क़ौल व अमल का एक मज्मूआ है जिसके लिये दिल से तस्दीक़, ज़बान से इक़रार और (दीनी) अरकान पर अमल ज़रूरी है और वो यानी ईमान इन तीनों अजज़ा (हिस्सों) से मुरक्कब है। वो घटता है और बढ़ता है। कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब को अल्लाह चाहे तो उसके ईमान की सिह्हत (क्वालिटी) की शर्त पर बख़्श दे या दोज़ख़ में सज़ा देने के बाद जन्नत में दाख़िल कर दे। लिहाज़ा कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हमेशा के लिये काफ़िर और ईमान से महरूम नहीं होगा। (अहले सुन्नत वल जमाअत) और यही मज़हब हक़ और साइब (सही/शुद्ध) है।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **'वस्सलफ़ु क़ालू हुव ऐतिक़ादुन बिल क़ल्बि व नुतक़ुम्बिल्लिस्सानि व अमलुम्बिल अर्कानि व अरादू बि ज़ालिक अन्नल आमाल शर्तुन फ़ी कमालिही व मिन हुना नशा लहुमुल क़ौलु बिज़्ज़ियादति वन् नक़्सि कमा सयाती वल मुर्जिअतु क़ालू हुव इतक़ादुन व नुतक़ुन फ़क़त वल करामिय्यतु क़ालू हुव नुत्क़ुन फ़क़त वल मुअतज़िलतु क़ालू हुवल अमलु वन्नुतक़ु वल इतिक़ादु वल फ़ारिक़ु बैनहुम व बैनस्सलफ़ि अन्नहुम जअलुल आमाल शर्तन फ़ी सिह्हतिही वस्सलफ़ु जअलूहा शर्तन फ़ी कमालिही'** (फ़त्हुल बारी) इस इबारत का ख़ुलासा वही है जो ऊपर ज़िक्र किया गया है।

एक लतीफ़ मुकालमा : हमारे मुहतरम मौलाना फ़ाज़िले मुनाज़रा अब्दुल मुबीन मंज़री साहब बस्तवी ने शैख़ अबुल हसन अश्अरी (रह.) और उनके उस्ताद जबाई मुअतज़ली का वो दिलचस्प मुकालमा 'अक़ाइदे इस्लाम' में दर्ज फ़र्माया है। ये मुकालमा बहुत सी हदीष की किताबों में ज़िक्र किया गया है, जिसका ख़ुलासा यह है कि एक दिन शैख़ अबुल हसन अश्अरी ने जबाई से पूछा कि आप उन तीन भाइयों के बारे में क्या कहते हैं जिनमें से एक मुतीअ व ताबेअदार मरा, दूसरा आसी व नाफ़र्मान और तीसरा बचपन ही में मर गया। जबाई ने जवाब में कहा कि पहला शख़्स जन्नत में, दूसरा दोज़ख़ में और तीसरा दोनों से अलग। न जन्नत में न दोज़ख़ में। इस पर अबुल हसन ने पूछा कि अगर तीसरा शख़्स अल्लाह से अर्ज़ करे कि मुझे क्यों न ज़िन्दगी अता हुई कि मैं बड़ा होकर नेकी करता और जन्नत पाता, तो अल्लाह क्या जवाब देगा? जबाई साहब ने कहा कि अल्लाह फ़र्माएगा कि मैं जानता था कि तू बड़ा होकर नाफ़र्मानी करके जहन्नम में दाख़िल होगा, लिहाज़ा तेरे लिये बचपन में ही मर जाना बेहतर था। अबुल हसन अश्अरी ने कहा अगर दूसरा शख़्स अर्ज़ करे कि मेरे रब तूने मुझे बचपन ही में मौत क्यों न दे दी कि मैं तेरी नाफ़र्मानियों से बचकर दोज़ख़ से नजात पाता, तो आपके मज़हब के हिसाब से उसको अल्लाह पाक की तरफ़ से क्या जवाब मिलेगा?

इस सवाल के बाद अली जबाई (मुअतज़िला) लाजवाब हो गया यानी कोई जवाब न दे सका और अबुल हसन अश्अरी (रह.) ने अपने उस्ताद का मज़हब छोड़कर मुअतज़िला की तर्दीद और ज़ाहिर सुन्नत की ताईद में अपनी पूरी ज़िन्दगी ख़र्च कर दी। क्या ख़ूब कहा गया है,

तर्दीदो अश्अरी हमा ख़ूब लयक तौर सलफ़ बूद मरग़ूब
चीत दानी अक़ाइद ईशाँ इन्तख़ाब फ़वाइद ईशाँ
पाए बरपाए मुस्तफ़ा रफ़तन बसर ख़्विश ने ज़ पा रफ़तन
पुश्त पा बरज़ून बफ़हम जमील बर क़िया सात व ऐं हमा तावील

'नसअलुल्लाहन्निजात यौमल मआदि व अंय्युतह्हिर क़ुलूबना अन क़बाइहिल इतिक़ाद व नस्तग़्फ़िरुल्लाह लना व लि काफ़्फ़तिल मुस्लिमीन मिन अहलिल हदीषि वल क़ुर्आनि व अस्हाबित्तौहीदि वल ईमान, आमीन!

चूँकि ऊपर बयान की गई तफ़्सीलात में कई जगह ईमान के बारे में 'हनफ़िया' का ज़िक्र आया है, इसलिये मुनासिब होगा कि कुछ तफ़्सीलात हम मौजूदा उलमा-ए-अहनाफ़ ही से नक़ल कर दें जिससे नाज़िरीन को मुहद्दिषीने किराम के मसलक

और मौजूदा बड़े हनफ़ी उलमा के ख़यालात को समझने में मदद मिल सकेगी ।

देवबन्द से बुख़ारी शरीफ़ का एक तर्जुमा मअ़ह शरह ईज़ाहुल बुख़ारी के नाम से भी शाए (प्रकाशित) हो रहा है जो हज़रत मौलाना फ़ख़्रुद्दीन साहब शैख़ुल हदीष़, दारूल उलूम देवबन्द व सदरे जमइय्यत उलम-ए-हिन्द के इफ़ादात (बहुत सारे फ़ायदों) पर मुश्तमिल हैं। ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा मुस्तनद बयान और नहीं हो सकता। नीचे लिखे तफ़्सीलात हम लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ इसी ईज़ाहुल बुख़ारी से नक़ल कर रहे हैं :-

ईमान में कमी-ज़्यादती का बयान : इमाम बुख़ारी (रह.) ने जिस अन्दाज़ से मसला शुरू फ़र्माया है, उसके नतीजे में ये बात ष़ाबित हो रही है कि ईमान तीन चीज़ों से मुरक़्क़ब है; **ए'तिक़ादे-क़ल्बी (दिल से अक़ीदा)**, **क़ौले-लिसानी (ज़ुबान से इक़रार)**, **अफ़आले जवारेह (ज़ाहिरी आ'माल)** क्योंकि तमाम **'व हुव क़ौलुन व फेअलुन'** में क़ौल व फ़ेअ़ल दोनों में तामीम (आम) हो सकती है। या तो क़ौल को क़ौले लिसानी और क़ौले क़ल्बी दोनों पर आम कर दिया जाए, मगर उर्फ़े-आम (प्रचलन) में क़ौल का लफ़्ज़ सिर्फ़ क़ौले लिसानी पर ही बोला जाता है। लेकिन उसको इस मा'न में क़ौले क़ल्बी पर भी आम किया जा सकता है कि दिल में तस्दीक़ का पैदा हो जाना ईमान नहीं है बल्कि पैदा करना ईमान है और जब क़ौल-दिल और ज़बान दोनों पर आम हो गया तो फ़ेअ़ल से मुराद फ़ेअ़ले-जवारेह हो ही जाएगा। वर्ना अगर क़ौल को सिर्फ़ क़ौले लिसानी पर महदूद कर दिया जाए तो लफ़्ज़े फ़ेअ़ल में तामीम कर दी जाएगी जो फ़ेअ़ले क़ल्बी और फ़ेअ़ले जवारेह पर आम हो जाएगा।

और बाज़ हज़रात ने कहा कि तस्दीक़ व ए'तिक़ाद का मसला तो अहले फ़न के नज़दीक मुसल्लम (स्वीकृत) था, इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ ज़बान और जिस्म के हिस्सों के सिलसिले में था। इसलिये इमाम बुख़ारी (रह.) ने इधर ही तवज्जुह रुजूअ (आकृष्ट) की और जब ये बात ष़ाबित हो गई कि ईमान में तीन चीज़ें दाख़िल हैं तो उसके नतीजे में ईमान में कमी-ज़्यादती मुमकिन होगी। ये कमी व बेशी बज़ाहिर इमाम बुख़ारी (रह.) की क़ायमकर्दा तर्तीब के मुताबिक ऐसा मा'लूम होता है कि अजज़ा (अंगों) के ए'तिबार से है। यानी चूँकि ईमान एक ज़ी-अजज़ा चीज़ है और तीन चीज़ों से मुरक़्क़ब है इसलिये ज़रूरी कमी-ज़्यादती की क़ाबिलियत होनी चाहिये और इमाम बुख़ारी (रह.) के दा'वे के मुताबिक़ सलफ़ का भी मज़हब यही है क्योंकि इमाम बुख़ारी (रह.) ने तमाम उस्तादों से **'यज़ीदु व यन्कुसु'** ही नक़ल किया है। और अगर इस सिलसिले में कुछ इख़्तिलाफ़ नज़र आता है तो वो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का है क्योंकि सिर्फ़ इमाम ही की तरफ़ **'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु'** की निस्बत की गई है और जुम्हूर (अधिकांश) **'यज़ीदु व यन्कुसु'** (कमी-बेशी) के क़ायल हैं। गोया इमाम बसातते-ईमान के क़ायल हैं और जुम्हूर तरकीब के। इसलिये बज़ाहिर तर्दीद इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ही की मा'लूम होती है लेकिन इन क़ाइलीने-तर्दीद (रद्द करने के समर्थकों) ने इस पर ग़ौर नहीं किया कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का **'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु'** जुम्हूर के यज़ीदु व यन्कुसु से मुतआ़रिज़ (विरोधाभासी) भी है या नहीं। अगर ये हज़रात इस हक़ीक़त को समझ लेते तो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) को हदफ़ (निशाना) बनाने की नौबत नहीं आती लेकिन क्या किया जाए कि होता ही ऐसा आया है।

इसलिये अस्ल तो यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से **'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु'** का षुबूत ही दुश्वार है। क्योंकि जिन **तसानीफ़ (किताबों)** पर भरोसा करके इस क़ौल की निस्बत इमाम (रह.) की तरफ़ की गई है, तहक़ीक़ की रोशनी में इमाम अ़लैहिर्रहमा की जानिब ग़लत है। मसलन फ़िक़्हे-अकबर इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तरफ़ मन्सूब है लेकिन सच है कि इमाम की **तिल्मीज़ (छात्र, स्टुडेण्ट)** अबू मुतीअ़ अल बल्ख़ी की **तसनीफ़ (लेखनी)** है, जो फ़ुक़हा की नज़र में बुलन्द मर्तबत सहीह है मगर मुहद्दिषीन की निगाह में कमज़ोर हैं। इसी तरह **'अल आलिमु वल मुतअल्लिमु अल वसिय्यतु'** और वस्तैन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तरफ़ मन्सूब हैं लेकिन सहीह ये है कि इमाम (रह.) तक उनकी निस्बत की सिह्हत में कलाम है और हज़रत अल्लामा कश्मीरी (रह.) की तहक़ीक़ (खोज, रिसर्च) के मुताबिक़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के मज़हब का रुख़ ही ये नहीं है कि जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) समझ रहे हैं। यहाँ तक कि इब्राहीम बिन यूसुफ़ (इमाम अबू यूसुफ़ के स्टुडेण्ट) और अहमद बिन इमरान का क़ौल **'तबक़ातुल हनफ़िय्या'** में मौजूद है कि वो ईमान की कमी-बेशी के क़ाइल थे। अल आख़िर (ईज़ाहुल बुख़ारी पेज नं. 147-148)

आगे इस अम्र की वज़ाहत की गई है कि बिल फ़र्ज़ (मान लिया जाए) **'ला यज़ीदु व ला यन्कुसु'** इमाम अ़लैहिर्रहमा ही का क़ौल मान लिया जाए तो उसकी सहीह **तौजीह (व्याख्या)** क्या है? इस तफ़्सील से चन्द उमूर रोशनी में आ जाते हैं।

(01). ईमान की कमी-ज़्यादती के मुता'ल्लिक़ **'यज़ीदु व यन्क़ुसु'** ही का नज़रिया जुम्हूर का नज़रिया है और यही सहीह है।
(02). हज़रत अबू हनीफ़ा (रह.) की बाबत **'ला यज़ीदु व ला यन्क़ुसु'** जिन किताबों में नक़ल है वो किताबें इमाम साहब की तसनीफ़ (लिखी हुई) नहीं है और उनको हज़रत इमाम की तरफ़ मन्सूब करना ही ग़लत है। जैसे फ़िक़्हे-अकबर वग़ैरह।
(03). इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) भी ईमान में कमी और ज़्यादती के क़ायल थे। **'फ़ निअ़मल विफ़ाक़ व हब्बज़ल इत्तिफ़ाक़'**

इस तफ़्सील के बाद मस्लके-मुहद्दिषीन की तगलीत में अगर कोई साहब लब-कुशाई करते (ज़बान खोलते) हैं तो यह ख़ुद उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। जुम्हूरे-सलफ़ और ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के मुता'ल्लिक़ सहीह मौकिफ़ यही है जो ऊपर तफ़्सील में पेश किया गया है। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को मस्लके हक़ मुहद्दिषीने किराम पर ज़िन्दा रखे और उस पर मौत नसीब करे और उस पर हश्र फ़र्माए ताकि क़यामत के दिन शफ़ाअ़ते नबवी (ﷺ) से बहुत ज़्यादा हिस्सा नसीब हो, आमीन! या रब्बल आलमीन!!

तर्जुमें का मक़्सद : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल ईमान को आँहज़रत (ﷺ) की हदीष **'बुनियल इस्लामु अ़ला ख़म्सिन'** से शुरू फ़र्माया, जिसमें इशारा है कि अगरचे ईमान दिल से तस्दीक़ का नाम है और इस्लाम जिस्म से अ़मल करने का, मगर बतौरे-उमूम, ख़ुसूस-मुत्लक़ हक़ीक़त में दोनों एक ही है। और आख़िरत में नजात के लिये आपसी तौर सख़्त ज़रूरी हैं। इसीलिये आपने दूसरा जुम्ला ईमान के लिये ये इस्ते'माल फ़र्माया, **'व हुव क़ौलुन व फ़ेअलुन'** यानी वो क़ौल (ज़बान से इक़रार) और फ़ेअ़ल (यानी आ'माले सालेहा) है। तीसरा जुम्ला फ़र्माया, **'व यज़ीदु व यन्क़ुसु'** यानी वो ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है। इन तीनों जुम्लों में हर पहला जुम्ला दूसरे के लिये ब-मन्ज़िले सबब या हर दूसरा जुम्ला पहले के लिये ब-मन्ज़िला नतीजे के है। जिसका मतलब ये हुआ कि ईमान, क़ौल व फ़ेअ़ल का नाम है जिसे दूसरे लफ़्ज़ों में इस्लाम कहना चाहिये और उसमें कमी व ज़्यादती की **सलाहियत (योग्यता)** है।

किताबुल ईमान वल इस्लाम में शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (रह.) फ़र्माते हैं, **'अल ईमानु वल इस्लामु अहदुहुमा मुर्तबिततुन बिल आख़िरि फ़हुमा कशैइन वाहिदिन ला ईमान लिमन ला इस्लाम लहू व ला इस्लाम लिमन ला ईमान लहू इज़ ला यख़्लुल मुस्लिमु मिन ईमानिन बिही युसह्हिहू इस्लामहू वला यख़्लुल मुमिनु मिन इस्लामिन बिही युहक़्क़िक़ु ईमानहू'** यानी ईमान व इस्लाम आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक ही चीज़ की तरह हैं। क्योंकि जो इस्लाम का पाबन्द नहीं उसका ईमान का दा'वा ग़लत है और जिसके पास ईमान नहीं उसका इस्लाम ग़लत है। मुसलमान जो हक़ीक़ी मा'नों में मुसलमान होगा वो कभी भी ईमान से खाली नहीं हो सकता और मोमिन जो हक़ीक़ी मोमिन होगा उसको इस्लाम के बग़ैर चारा नहीं। इसलिये कि इसी से उसका ईमान **मुतहक़्क़क़ (वास्तविक)** होगा। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के मक़ासिद (उद्देश्यों) को इस तौर पर मुतय्यन (निर्धारित) किया जा सकता है।
(01). ईमान व इस्लाम आपस में मरबूत (जुड़े हुए) हैं।
(02). ईमान में क़ौल व फ़ेअ़ल दोनों दाख़िल (शामिल/सम्मिलित) हैं।
(03). ईमान में कमी व ज़्यादती हो सकती है।

इमामे बरहक़ ने जो कुछ फ़र्माया है, यही जुम्ला सलफ़े-उम्मत का मस्लक है। सहाबा व ताबेईन व तबअ़ ताबेईन व जुम्ला इमामाने-इस्लाम सब उन पर **बिल इत्तेफ़ाक़ अ़क़ीदा (सर्वसम्मत आस्था)** रखते हैं। हाँ! मुरजिया व करामिया व जहमिया व मोअ़तज़िला व ख़्वारिज व रवाफ़िज़ को इनसे इख़्तेलाफ़ ज़रूर है और इन्ही की **तर्दीद (खण्डन/रद्द करना)** हज़रते इमाम (रह.) का मक़्सद है।

ज़रूरत थी कि अपने दा'वे को पहले किताबुल्लाहिल मजीद से षाबित किया जाए। चुनाञ्चे आप ने इस मक़ाम पर क़ुर्आन शरीफ़ से **इस्तिदलाल (दलीलों के ज़रिये षाबित)** करने के लिये नीचे दी हुई आयत को नक़ल फ़र्माया है। जिनमें ईमान को हिदायत व दुआ़ वग़ैरह से ता'बीर करते हुए इसके बढ़ने और ज़्यादा होने का **सराहतन ज़िक्र (खुलासा बयान)** मौजूद है।
(01) **'हुवल्लज़ी अन्ज़लस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मूमिनीन लियज़्दादु ईमानम्मअ़ ईमानिहिम व लिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वल अर्ज़ि व कानल्लाहु अ़लीमन हकीमा'**. (अल फ़त्ह : 4)

वो अल्लाह ही है जिसने ईमानवालों के दिलों में (सुलहे हुदैबिया के मौक़े पर) तस्कीन नाज़िल फ़र्माई। ताकि वो अपने साबिका ईमान में और ज़्यादती हासिल कर लें और ज़मीन व आसमानों के सारे लश्कर अल्लाह ही के क़ब्ज़े में है और वो जानने वाला और हिकमत वाला है।

इस आयत में वाज़ेह तौर पर ईमान की ज़्यादती का ज़िक्र है।

(02) **'नह्नु नक़ुस्सु अलैक नबअहुम बिल हक़्क़ि इन्नहुम फ़ितयतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िद्नाहुम हुदा'** (अल कहफ़ : 13) अस्हाबे-कहफ़ की मैं सहीह-सहीह ख़बरें आपको सुनाता हूँ बिला शक वो चन्द नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे मैंने उनको हिदायत में ज़्यादती अता फ़र्माई।

ये आयते करीमा भी साफ़ बतला रही है कि ईमान व हिदायत में अल्लाह के फ़ज़्ल से ज़्यादती हुआ करती है।

(03) **'व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीनह तदौ हुदन वल बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इन्दरब्बिक षवाबंव व ख़ैरुम्मरद्दा'** (मरयम : 76)

जो लोग हिदायत पर हैं, अल्लाह उनको हिदायत में और ज़्यादती अता फ़र्माता है और नेक आ'माल (मौत के बाद) पीछे रहने वाले हैं, तुम्हारे रब के नज़दीक षवाब और अन्जाम के लिहाज से वही अच्छे हैं।

यहाँ भी हिदायत में ज़्यादती का ज़िक्र है, जिससे ईमान की ज़्यादती मुराद है।

(04) **'वल्लज़ीनह तदौ ज़ादहुम हुदंव व आ-ताहुम तक़्वाहुम'** (मुहम्मद : 17)

और जो लोग हिदायतयाब हैं अल्लाह उनको हिदायत और ज़्यादा देता है और उनको तक़्वा परहेज़गारी की तौफ़ीक़ बख़्शता है।

इस आयते शरीफ़ा में भी हिदायत (ईमान) की ज़्यादती का ज़िक्र है और यही मक़्सूद है कि ईमान की ज़्यादती होती है।

(05) **'व मा जअल्ना अस्हाबन्नारि इल्ला मला-इकतंव वमा जअल्ना इद्दतहुम इल्ला फ़ित्नतल्लज़ीन कफ़रु लियस्तैक़िनल लज़ीन ऊतुल किताब व यज़्दादुल्लज़ीन आमनू ईमानन.'** (अल मुद्दष्षिर : 31)

मैंने दोज़ख़ के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते ही बनाए हैं और मैंने उनकी गिनती इतनी मुक़र्रर की है कि वो काफ़िरों के लिये फ़ित्ना हो और अहले किताब इस पर यक़ीन कर लें। और जो ईमानदार मुसलमान हैं वो अपने ईमान में ज़्यादती और तरक़्क़ी करें।

इस आयते शरीफ़ा में भी ईमानवालों के ईमान की ज़्यादती का ज़िक्र फ़र्माया गया है।

(06) **'व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिन्हुम मंय्यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीन आमनू फ़ ज़ादतहुम ईमानंव व हुम यस्तबशिरुन.'** (अत तौबा : 124)

यानी जब कोई सूरह-ए-शरीफ़ा क़ुर्आने करीम में नाज़िल होती है तो मुनाफ़िक़ लोग आपस में कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसका ईमान ताज़ा कर दिया है? हाँ! जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान यक़ीनन ज़्यादा हो जाता है और वो उससे ख़ुश होते हैं।

इस आयते शरीफ़ा में निहायत ही सराहत (ख़ुलासे) के साथ ईमान की ज़्यादती का ज़िक्र है।

(07) **'अल्लज़ीन क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील.'** (आले इमरान : 173)

वो मज़बूत ईमानवाले लोग (अन्सार व मुहाजिरीन) जिनको लोगों ने डराते हुए कहा कि लोग ब'कष्रत तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो गये हैं। तुम इससे डरो तो उनका ईमान बढ़ गया और उन्होंने फ़ौरन कहा कि हमको अल्लाह ही काफी वाफ़ी है और बेहतरीन कारसाज़ है।

इस आयते शरीफ़ा में भी ईमान की ज़्यादती का ज़िक्र वाज़ेह लफ़्ज़ों में मौजूद है।

(08) **'व लम्मा राअल मूमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा व अदनल्लाहु व रसूलुहू व सदक़ल्लाहु व रसूलुहू वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानंव व तस्लीमा.'** (अल अहज़ाब : 22)

ईमानदारों ने (जंगे ख़ंदक में) जब कुफ़्फ़ार की फ़ौजों को देखा तो कहा ये तो वही वाक़िआ है जिसका वा'दा अल्लाह और रसूल (ﷺ) ने हमसे पहले ही से किया हुआ है और अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) ने सच फ़र्माया और इससे भी उनके

ईमान व तस्लीम में ज़्यादती ही हुई। इस आयत में भी ईमान की ज़्यादती का साफ़ ज़िक्र मौजूद है।

क़ुर्आने शरीफ़ के बाद सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस्तिदलाल करने के लिए आपने मशहूर ह़दीष़ **(अल हुब्बू फ़िल्लाह)** अल अख़ को ज़िक्र फ़र्माया कि अल्लाह के लिए मुहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना ये भी दाख़िले ईमान है। मुहब्बत और दुश्मनी दोनों घटने और बढ़ने वाली चीज़ें हैं। इसलिये ईमान भी हस्बे मरातिब घटता और बढ़ता रहता है। पांचवे ख़लीफ़ा ह़ज़रते उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ का फ़र्मान भी आपने इस्तिदलालन नक़ल फ़र्माया जिससे ज़ाहिर है कि ख़ैरुल क़ुरून (रसूल ﷺ और सह़ाबा किराम के ज़माने में) फ़राइज़ और शराऐ और हुदूद और सुनन सब दाख़िले ईमान समझे जाते थे और ईमान के कामिल या नाक़िस होने का तसव्वुर मिन जुम्ला उ़मूर की अदायगी व अ़दमे अदायगी पर मौक़ूफ़ समझा जाता था और मुसलमानों में आम तौर पर ईमान की कमी व ज़्यादती की इस्तिलाह़ात मुरव्वज (परिभाषाएं प्रचलित) थीं। ह़ज़रत सय्यिदना ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का क़ौल **(लियत्मइन्ना क़ल्बी)** भी इसीलिए नक़ल फ़र्माया कि ईमान की कमी व ज़यादती का ता'ल्लुक़ दिल के साथ है। अल्लाह के हुक्मों पर जिस क़दर भी दिल का इत्मीनान ह़ासिल होगा, ईमान में तरक़्क़ी होगी। इल्मुल यक़ीन ऐनुल यक़ीन के साथ ह़क़्क़ुल यक़ीन के लिए आपने ये दरख़्वास्त की थी जैसाकि शहद की मिठास सिर्फ़ ख़बर सुननेवाला और दूसरा उसको आँखों से देखनेवाला और तीसरा उसे देखनेवाला और फिर चखनेवाला। ज़ाहिर है कि इन तीनों में काफ़ी फ़र्क़ है; ह़क़्क़ुल यक़ीन इसी आख़िरी मुक़ाम का नाम है। ह़ज़रत मुआ़ज़ ने अपने साथी से जो कुछ फ़र्माया जिसे ह़ज़रत इमाम ने यहाँ नक़ल फ़र्माया है इससे भी ईमान की तरक़्क़ी मुराद है। बक़ौल ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) पूरा यक़ीन (अपनी सारी क़िस्मों के साथ) ईमान ही में दाख़िल है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ह़क़ीक़ते तक़्वा के बारे में जो फ़र्माया उससे भी ईमान की कमी व ज़्यादती पर रोशनी पड़ती है। मशहूर मुफ़स्सिरे-क़ुर्आन मजीद ह़ज़रत मुजाहिद (रह.) ने आयते शरीफ़ा **(शरअ लकुम मिनद्दीनि)** अल्अख़ के बारे में जो फ़र्माया। वो वज़ाहत से बतला रहा है कि ईमान और दीन के बारे में तमाम अंबिया-ए-किराम का उ़सूलन इत्तिहाद रहा है।

आयते करीमा (**लिकुल्लिन जअ़लना मिनकुम शिर्अ़तवं व मिन हाज़ा** अल माइदा आयत : 48) की तफ़्सीर में ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया शिर्अ़तन से मुराद हिदायत (सुन्नत तरीक़ा) और मिन हाज़ा से मुराद (सबील) यानी दीनी रास्ता मुराद है। मक़्सद ये है कि ईमान उन सबको शामिल है। इसी तरह आयते करीमा (**कुल मा यअ़बउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़ब्तुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा** अल फ़ुर्क़ान : 77) यानी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की इ़बादत नहीं करते तो अल्लाह को भी तुम्हारी परवाह नहीं। सो तुमने तक्ज़ीब पर कमर बाँधी हुई है। बस बहुत जल्द वो (अ़ज़ाबे इलाही) भी तुमको चिमटने वाला है। यहाँ दुआउकुम में ह़क़ीक़तन ईमान बिल्लाह और ईमान बिर्रसूल मुराद है। वरना ज़ाहिर है कि अहले मक्का अपने त़ौर-त़रीक़ पर इ़बादत भी करते थे। पस ईमान ही अस़ल बुनियादे-नजात है और इ़बादात और तमाम आ'माले स़ालिह़ा इसके अंदर दाख़िल हैं। आयते करीमा **'वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ़ ईमानकुम'** (अल बक़र : 143) में अल्लाह पाक ने ख़ुद नमाज़ को लफ़्ज़े ईमान से ता'बीर फ़र्माया है। इन सारी ठोस दलीलों के बाद भी आ'माले नमाज़, रोज़ा वग़ैरह को ईमान से अलग कहना स़रीह़न ग़लती है अल्लाह नेक समझ दे, आमीन!

इमाम बुख़ारी (रह.) और सारे मुह़द्दिष़ीने किराम व इमामाने हुदा का भी यही मसलक है। **'व नक़लश्शाफ़िइय्यु अ़ला ज़ालिक अल इज्माअ़ व क़ालल् बुख़ारी लक़ीतु अक्षर मिन अल्फ़ि रजुलिम्मिनल उ़लमाइ बिल अम्स़ारि फ़मा रअयतु अहदम्मिन्हुम यख़्तलिफ़ुहू फ़ी अन्नल ईमान क़ौलुन व अ़मलुन व यज़ीदु व यन्क़ुसु'** (लवामिउ़ल अन्वारिल बहिय्यति, पेज नं. 431) यानी इमामे शाफ़ई (रह.) ने इस मसलक पर इज्मा नक़ल किया है और इमाम बुख़ारी रह. फ़र्माते हैं कि इस्लामी ममालिक के मुख़्तलिफ़ शहरो में एक हज़ार से ज़्यादा अहले इ़ल्म व फ़ज़्लो कमाल से मिला। इनमें से मैंने किसी को इस बारे में मुख़्तलिफ़ नहीं पाया कि ईमान क़ौल व अ़मल का नाम है और वो बढ़ता भी है और घटता भी है।

इर्शादे बारी तआ़ला है **'षुम्मा औरष्नल किताबल्लज़ीनस्तफ़ैना मिन इ़बादिना फ़मिन्हुम ज़ालिमुल्लिनफ़्सिही व मिन्हुम मुक़्तस़िदुन व मिन्हुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाहि ज़ालिक हुवल फ़ज़्लुल कबीर'** (फ़ातिर, 32) यानी (अहले किताब के बाद) मैंने अपनी किताब क़ुर्आने पाक का वारिष़ उन लोगों को बनाया जिनको मैंने उसके लिये चुन लिया था बस कुछ उनमें से ज़ुल्म करनेवाले हैं, कुछ बीच का रास्ता चलनेवाले हैं और कुछ नेकियों के लिए सबक़त करनेवाले हैं अल्लाह

के हुक्म से और यही बड़ा फ़ज़्ल है।

इस आयते करीमा में अव्वल नम्बर पर वो मुसलमान मुराद है जो मुसलमान तो है मगर उसने ईमानी इस्लामी फ़राइज़ को पूरे तौर पर अदा न करके अपनी नफ़्स पर ज़ुल्म किया और दूसरे नम्बर पर वो है जिसने दीनी वाजिबात को अदा किया और मुहर्रमात से बचा वो मोमिने-मुत्लक़ है और तीसरा साबिक़ बिल ख़ैरात वो मुहसिन है जिसने अल्लाह की इबादत इस तौर पर की गोया वो उसको देख रहा है। हासिल ये दीन के यही तीन दर्जे हैं पहला इस्लाम, औसत ईमान, आला एहसान। इस्लाम इन्क़ियादे-ज़ाहिरी और ईमान तस्दीक़े अल्लाह और रसूल (ﷺ) के साथ इन्क़ियादे-बातिन का नाम है। इस लिहाज़ से इस्लाम व ईमान में जो फ़र्क़ है वो भी जाहिर है कि ईमाने मुजमल तो ये है कि अल्लाह और रसूल (ﷺ) की तस्दीक़ की जाए और क़यामत व तक़दीर और तमाम रसूलों व नबियों और फ़रिश्तों पर ईमान लाया जाए ईमाने मुफ़स्सल की साठ या सत्तर से कुछ ऊपर शाख़ें हैं। जिनमें से कुछ के मुता'ल्लिक़ वो अहादीष़ हैं जिनको हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) किताबुल ईमान में रिवायत फ़र्मा रहे हैं; हर हदीष़ के मुतालओ के साथ इस हक़ीक़त को सामने रखने से बहुत से इल्मी और रूहानी फ़वाइद हासिल होंगे, वबिल्लाहित्तौफ़ीक़!

(8) हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने यह हदीष बयान की। उन्होंने कहा कि हमें इसकी बाबत हंज़ला बिन अबू सुफ़यान ने ख़बर दी। उन्होंने इकरमा बिन ख़ालिद से रिवायत की। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर क़ायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज़ क़ायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। (दीगर मक़ामात : 4515)

٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)).

[طرفه في : ٤٥١٥].

तशरीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस मर्फ़ूअ हदीष़ को यहाँ इस मक़सद के तहत बयान फ़र्माया कि ईमान में कमी व ज़्यादती होती है और तमाम आ'माले सालेहा व अर्काने इस्लाम ईमान में दाख़िल है। हज़रत इमाम के दा'वे इस तौर पर ष़ाबित है कि यहाँ इस्लाम में पाँच अर्कान को बुनियाद बतलाया गया और ये पाँचों चीज़ें एक ही वक़्त में हर एक मुसलमान मर्द-औरत में जमा नहीं होती है। इसी ए'तिबार से मरातिबे ईमान में फ़र्क़ आ जाता है औरतों को नाक़िसुल अक़्ल वद्दीन इसलिये फ़र्माया गया कि वो एक माह में चंद दिनों बग़ैर नमाज़ के गुज़ारती हैं। रमज़ान में चंद रोज़े वक़्त पर नहीं रख पाती। इसी तरह कितने मुसलमान नमाज़ी भी हैं जिनके हक़ में **'वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला'** (अन् निसा : 142) कहा गया है कि वो जब नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो बहुत ही काहिली के साथ खड़े होते हैं बस ईमान की कमी व ज़्यादती ष़ाबित है।

इस हदीष़ में इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों को बतलाया गया। जिनमें अव्वलीन बुनियाद तौहीद और रिसालत की शहादत है और इमारते-इस्लाम के लिए यही असल सुतून है जिस पर पूरी इमारत क़ायम है। इसकी हैषियत क़ुतुब की है जिस पर ख़ैम-ए-इस्लाम क़ायम है बाक़ी नमाज़, रोज़ा, हज्ज, ज़कात बमंज़िला-ए-**औताद (खूंटियों)** के हैं। जिनसे ख़ैमे की रस्सियाँ बाँधकर उसको मज़बूत व मुस्तहकम (दृढ़) बनाया जाता है, उन सब मज्मूए का नाम ख़ैमा है जिसमें **दरम्यानी (बीच का)** असल सुतून व दीगर रस्सियाँ व औताद, छत सभी शामिल हैं। हूबहू यही मिष़ाल इस्लाम की है जिनमें कलिम-ए-शहादत क़ुतुब हैं, बाक़ी औताद अर्कान है जिनके मज्मूओ का नाम इस्लाम है।

इस हदीष़ में ज़िक्रे हज्ज को ज़िक्रे सौमे रमज़ान पर मुक़द्दम किया गया है। मुस्लिम शरीफ़ में एक दूसरे तरीक़े से सौमे

रमज़ान, हज्ज पर मुक़द्दम किया गया है। यही रिवायत हज़रत सईद बिन उबैदा (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ज़िक्र की है, उसमें भी सौमे रमज़ान का ज़िक्र हज्ज से पहले है और उन्हें हंज़ला से इमाम मुस्लिम ने ज़िक्रे सौम को हज्ज पर मुक़द्दम किया है गोया हंज़ला से दोनों तरीक़ मन्क़ूल हैं। इससे मा'लूम होता है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से दोनों तरह सुना है। किसी मौक़े पर आपने हज्ज का ज़िक्र पहले फ़र्माया और किसी मौक़े पर सौमे रमज़ान का ज़िक्र मुक़द्दम फ़र्माया।

इसी तरह मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत के मुताबिक़ वो बयान भी सही है जिसमें ज़िक्र है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने जब **वल् हज्जु व सौमु रमज़ान** फ़र्माया तो रावी ने आपको टोका और **सौमु रमज़ान वल हज्ज** के लफ़्ज़ों में आपको लुक़्मा दिया। इस पर आपने फ़र्माया कि **'हाकज़ा समिअ़तु रसूलल्लाहि (ﷺ)'** यानी मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से **वल हज्जु व सौमु रमज़ान** सुना है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने मुस्लिम शरीफ़ वाले बयान को असल क़रार दिया है और बुख़ारी शरीफ़ की इस रिवायत को बिल् मअ़ना क़रार दिया है। लेकिन ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी जामेअ़ तस्नीफ़ में अबवाबे हज्ज को अबवाबे सौम पर मुक़द्दम किया है। इस तर्तीब से मा'लूम होता है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक यही रिवायत असल है जिसमें सौमे रमज़ान से हज्ज का ज़िक्र मुक़द्दम किया गया है।

रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत दो हिज्री में नाज़िल हुई और हज्ज छः हिजरी में फ़र्ज़ क़रार दिया गया। जो बदनी व माली दोनों क़िस्म की इबादतों का मज्मूआ है। इक़रारे तौहीद और रिसालत के बाद पहला रुक्न नमाज़ और दूसरा रुक्न ज़कात क़रार पाया जो अलग अलग बदनी और माली इबादात हैं। फिर इनका मज्मूआ हज्ज क़रार पाया। इन मंज़िलों के बाद रोज़ा क़रार पाया जिसकी शान ये है - **अस्सियामु ली व अना अज्ज़ी बिही** (बुख़ारी किताबुस्सौम) यानी रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं ही दे सकता हूँ। फ़रिश्तों को ताब नहीं कि उसके अज्रो-ष़वाब को वो क़लमबंद कर सकें। इस लिहाज़ से रोज़े का ज़िक्र अख़ीर में लाया गया। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने शायद ऐसे ही पाकीज़ा मक़ासिद के पेशेनज़र अबवाबे सियाम को नमाज़, ज़कात, हज्ज के बाद क़लमबंद फ़र्माया है। हक़ीक़त ये है कि इस्लाम के उन अर्काने ख़म्सा को अपनी अपनी जगह पर ऐसे मुक़ाम हासिल है जिसकी अहमियत से इंकार नहीं किया जा सकता। सबकी तफ़्सीलात अगर क़लमबंद की जाएँ तो एक दफ़्तर हो जाएगा। ये सब हस्बे मरातिब आपस में एक दूसरे को बाँधे रखते हैं। हाँ ज़कात व हज्ज ऐसे अर्कान हैं जिनसे **ग़ैर मुस्ततीअ़ (बिना माल वाले)** मुसलमान **मुस्तष़्ना (शर्त से आज़ाद या अपवाद)** हो जाते हैं जो **(ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा)** के तहत उसूले क़ुर्आन के तहत हैं।

हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि यहाँ अर्काने ख़म्सा (पाँच अर्कान) में जिहाद का ज़िक्र इसलिये नहीं आया कि वो फ़र्ज़े किफ़ाया है जो कुछ मख़्सूस अक़्वाल के साथ मुतअय्यन (निर्धारित) है। नीज़ कलिम-ए-शहादत के साथ दीगर नबियों और मलाइका पर ईमान लाने का ज़िक्र इसलिये नहीं हुआ कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की तस्दीक़ ही इन सबकी तस्दीक़ है। **'फ़यस्तलज़िमु जमीउ मा ज़ुकिर मिनल मुअतक़िदाति इक़ामतिस्सलाति'** से ठहर ठहरकर नमाज़ अदा करना और मुदावमत मुहाफ़ज़त मुराद है **'ईताइज़्ज़कात'** से मख़्सूस तरीक़ पर माल का एक हिस्सा निकाल देना मक़्सूद हैं।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं :- 'व मिन लताइफ़ि इस्नादि हाज़ल हदीष़ि जमअहु लित्तहदीष़ि वल अख़्बारि वल अन्अनति व कुल्लु रिजालिही मक्किय्यून इल्ला उबैदुल्लाहि फ़इन्नहू कूफ़ी व हुव मिनर्रुबाइय्याति व अख़्रज मतनहुल मुअल्लिफु अयज़न फ़ित्तफ़्सीरि व मुस्लिमुन फ़िल ईमानि ख़ुमासिल इस्नाद।' यानी इस हदीष़ की सनद के लताइफ़ में से ये है कि इसमें रिवायते हदीष़ के मुख़्तलिफ़ तरीक़े तहदीष़ व अख़्बार व अन् अना सब जमा हो गए हैं। (जिनकी तफ़्सीलात मुक़द्दमा बुख़ारी में हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह!) और इसके जुम्ला रावी सिवाय उबैदुल्लाह के, सब मक्की हैं, ये कूफ़ी हैं और ये रुबाइयात में से हैं (उसके सिर्फ़ चार रावी हैं जो इमाम बुख़ारी और आँहज़रत (ﷺ) के बीच वाक़ेअ हुए हैं) इस रिवायत के मतन को हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुत्तफ़्सीर में भी ज़िक्र किया है। और इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल ईमान में इसे ज़िक्र किया है। मगर वहाँ सनद में पाँच रावी हैं।

बाब 3 : ईमान के कामों का बयान और अल्लाह

٣- بَابُ أُمُوْرِ الْإِيْمَانِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ - ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

के इस फ़र्मान की तश्रीह कि

नेकी यही नहीं है कि तुम (नमाज़ में) अपना मुँह पूरब या पश्चिम की तरफ़ कर लो। अस़्ली नेकी तो उस इंसान की है जो अल्लाह (की ज़ात व स़िफ़ात) पर यक़ीन रखे और क़ियामत को बरहक़ माने और फ़रिश्तों के वजूद पर ईमान लाए और आसमान से नाज़िल होने वाली किताब को सच्चा समझे और जिस क़दर नबी रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए उन सबको सच्चा माने। और वो शख़्स माल देता हो अल्लाह की मुहब्बत में अपने (हाजतमंद) रिश्तेदारों और (नादार) यतीमों को और दूसरे मुहताज लोगों को और (तंगदस्त) मुसाफ़िरों को और (लाचारी में) सवाल करने वालों को और (क़ैदी और गुलामों की) गर्दन छुड़ाने में और नमाज़ की पाबन्दी करता हो और ज़कात अदा करता हो और अपने वा'दों का पूरा करनेवाले जब किसी अम्र की बाबत वा'दा करें। और वो लोग जो स़ब्र व शुक्र करने वाले हैं तंगदस्ती में और बीमारी में और जिहाद (मोर्चे) में। यही लोग वो हैं जिनको सच्चा मोमिन कहा जा सकता है और यही लोग दरहक़ीक़त परहेज़गार हैं। यक़ीनन ईमान वाले कामयाब हो गए। जो अपनी नमाज़ों में ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ करनेवाले हैं। और जो लग़्व बातों से दरकिनार रहनेवाले हैं। और वो जो ज़कात से पाकीज़गी हास़िल करनेवाले हैं। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों से क्योंकि उनके साथ सुहबत करने में उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ जो इनके अलावा (ज़िना या समलैंगिता या मुश्त ज़िनी/हस्तमैथुन वग़ैरह से) शहवतरानी करें ऐसे लोग हद से निकलनेवाले हैं। और जो लोग अपनी अमानत व अ़हद का खयाल रखनेवाले हैं और जो अपनी नमाज़ों की कामिल त़ौर पर हिफ़ाज़त करते हैं यही लोग जन्नतुल फ़िरदौस की वराष़त हास़िल कर लेंगे फिर वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे।

٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

(9) हमसे बयान किया अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद जुअफ़ी ने, उन्होंने कहा हमसे बयान किया अबू आ़मिर अ़क़दी ने, उन्होंने कहा हमसे

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ)).

बयान किया सुलैमान बिन बिलाल ने, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह दीनार से, उन्होंने रिवायत किया अबू स़ालेह से, उन्होंने नक़ल किया ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नक़ल फ़र्माया जनाब नबी करीम (ﷺ) से। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाख़ें हैं और ह़या (शर्म) भी ईमान की एक शाख़ है।

तश्रीह : अमीरुल मुहद्दिषीन ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) साबिक़ में बुनियादी चीज़ें बयान फ़र्मा चुके अब फ़ुरूअ़ की तफ़्स़ील पेश करना चाहते हैं। इसीलिए बाब में **उमूरुल ईमान (ईमान के कामों)** का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया गया है। मुर्जिया की तर्दीद करना भी मक़्सूद है क्योंकि पेशकर्दा क़ुरआनी आयाते करीमा में से पहली आयत में कुछ उमूरे ईमान गिनाए गए हैं और दूसरी आयतों में ईमानवालों की चंद सिफ़ात का ज़िक्र है। पहली आयत सूरह बक़र की है जिसमें दरअस़ल अहले किताब की तर्दीद मक़्सूद है। जिन्होंने तह़्वीले क़िब्ला के वक़्त मुख़्तलिफ़ क़िस्म की आवाज़ें उठाई थीं। नस़ारा का क़िब्ला मश्रिक़ (पूरब) था और यहूद का मग़्रिब (पश्चिम)। आप (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा में सोलह या सत्रह माह बैतुल मक़दिस को क़िब्ला क़रार दिया। फिर मस्जिदुल ह़राम को आप (ﷺ) का क़िब्ला क़रार दिया गया और आपने इधर मुँह फेर लिया। इस पर **मुख़ालिफ़ीन (विरोधियों)** ने ऐतराज़ात शुरू किये। जिनके जवाब में अल्लाह ने ये आयते शरीफ़ा नाज़िल फ़र्माई और बतलाया कि मश्रिक़ या मग़्रिब की तरफ़ मुँह करके इबादत करना ही बिज़्ज़ात कोई नेकी नहीं है। अस़ल नेकियाँ तो **ईमाने रासिख़ (मुकम्मल ईमान)** व **अक़ाइदे स़ह़ीह़ा (दुरुस्त अ़क़ीदा)** और **आ'माले स़ालेह़ा (नेक अ़मल)**, मुआशरती पाक ज़िन्दगी और अख़्लाक़े फ़ाज़िला हैं। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ से बरिवायत मुजाहिद ह़ज़रते अबू ज़र (रज़ि.) ये नक़ल किया है कि उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से ईमान के बारे में सवाल किया था आपने जवाब में आयते शरीफ़ा **'लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मश्रिक़ी वल मग़्रिबी वला किन्नल मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरी वल मलाइकति वल किताबि वन्नबिय्यीन वआतल् माला अ़ला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस्सबील वस्साइलीन वफ़िर्रिक़ाब वअक़ामस्स़लात व आतज़्ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आ़हदू वस्स़ाबिरीन बिल बाअ साइ वज़्ज़र्राइ व ह़ीनल बअ्षि उलाइकल्लज़ीन स़दक़ू वउलाइक हुमुल मुत्तक़ून'** (अल बक़र : 177) तर्जुमा ऊपर बाब में लिखा जा चुका है।

आयात में अक़ाइदे स़ह़ीह़ा व ईमाने-रासिख़ के बाद ईसार, माली क़ुर्बानी, स़िलह रहमी, ह़ुस्ने मुआ़शरत, रिफ़ाहे आ़म को जगह दी गई है। आ'माले इस्लाम नमाज़, ज़कात का ज़िक्र है। फिर अख़्लाक़े फ़ाज़िला की तर्ग़ीब है। उसके बाद स़ब्रो-इस्तिक़लाल की तल्क़ीन है। ये सब-कुछ **'बिर्र'** की तफ़्सीर है। मा'लूम हुआ कि तमाम आ'माले स़ालेह़ा व अख़्लाक़े फ़ाज़िला अर्काने इस्लाम में दाख़िल हैं। और ईमान की कमी-बेशी बहरहाल व बहर सूरत क़ुर्आन व ह़दीष़ से ष़ाबित है। मुर्जिया जो आ'माले स़ालेह़ा को ईमान से अलग और बेकारे महज़ क़रार देते हैं और नजात के लिए सिर्फ़ 'ईमान' को काफ़ी जानते हैं। उनका ये क़ौल सरासर क़ुर्आन व सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

सूरह मोमिनून की आयाते करीमा ये हैं **'बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम क़द अफ़्लहल मूअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स़लातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीन हुम अ़निल लग़्वी मुअ़्रिज़ून वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीन हुम लि फ़ुरूजिहिम ह़ाफ़िज़ून इल्ला अ़ला अज़्वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरू मलूमीन फ़मनिब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आ़दून वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअ़हदिहिम रॉऊन वल्लज़ीन हुम अ़ला स़लावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिषून अल्लज़ीना यरिषूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून** (अल मुअमिनून : 1-11)। इन आयात का तर्जुमा भी ऊपर लिखा जा चुका है।

इस पिराया में ये बयान दूसरा इख़्तियार किया गया है। मक़्स़द दोनों आयात का एक ही है। हाँ! इसमें बज़ेल अख़्लाक़े फ़ाज़िला, इफ़्फ़त, इस्मत, शर्मो -ह़या को भी ख़ास़ जगह दी गई है। इसी जगह से इस आयत का इर्तिबात अगली ह़दीष़ से हो रहा है जिसमें ह़या को भी ईमान की एक शाख़ क़रार दिया गया है।

हज़रत इमाम ने यहाँ दोनों आयात के दरम्यान वाव आतिफ़ा का इस्ते'माल नहीं किया। मगर कुछ नुस्ख़ों में वाव आतिफ़ा और कुछ में व क़ौलुल्लाह का इज़ाफ़ा भी मिलता है। अगर उन नुस्ख़ों को न लिया जाए तो हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने ये वजह बयान फ़र्माई कि हज़रातुल इमाम पहली आयत की तफ़्सीर में अल् मुत्तक़ून के बाद इस आयत को बिला फ़स्ल इसलिये नक़ल कर रहे हैं। ताकि 'मुत्तक़ून' की तफ़्सीर इस आयत को क़रार दिया जाए। मगर तर्जीह वाव आतिफ़ह और वक़ौलुल्लाह के नुस्ख़ों को हासिल है।

आयते कुर्आनी के बाद हज़रत इमाम ने हदीषे नबवी (ﷺ) को नक़ल फ़र्माया और इशारतन बतलाया कि उमूरे ईमान (ईमान के काम) उन्हीं को कहा जाना चाहिए जो पहले किताबुल्लाह से और फिर सुन्नते रसूल से षाबित हों। हदीष में ईमान को एक दरख़्त से तश्बीह देकर उसकी साठ से कुछ ऊपर शाख़ें बतलाई गई है। इसमें भी मुर्जिया की साफ़ रद्द मक़्सूद है जो ईमान से आ'माले सालेहा को बेजोड़ क़रार देते हैं। हालाँकि दरख़्त की जड़ में और उसकी डालियों में एक ऐसा कुदरती रब्त है कि उनको बाहमी तौर पर एक जोड़ बिलकुल नहीं कहा जा सकता। जड़ क़ायम है तो डालियाँ और पत्ते क़ायम हैं। जड़ सूख रही है तो डालियाँ और पत्ते भी सूख रहे हैं। हूबहू ईमान की यही शान है। जिसकी जड़ कलिमा तय्यिबा **ला इलाहा इल्लल्लाह** है और तमाम आ'माले सालेहा व अख़्लाक़े फ़ाज़िला व अक़ाइदे रासिख़ा इसकी डालियाँ हैं। उससे ईमान व अमले सालेहा का बाहमी लाज़िम मल्ज़ूम (एक-दूसरे से जुड़ा हुआ) होना और ईमान का घटना और बढ़ना दोनों उमूर षाबित हैं।

कुछ रिवायात में '**बिज़्उव्वंसित्तून की जगह बिज़्उंव्वसबऊन**' है और एक रिवायत में '**अर्बउ़ व सित्तून**' है। अहले लुग़त ने 'बिज़्अ' का इत्लाक़ तीन और नौ के दरम्यान अदद पर किया है। किसी ने उसका इत्लाक़ एक और चार तक किया है, रिवायात में ईमान की शाख़ों की तहदीद (हदबंदी) मुराद नहीं बल्कि कषीर मुराद है। अ़ल्लामा तीबी (रह.) का यही क़ौल है। कुछ उलमा तहदीद मुराद लेते हैं। फिर सित्तून (60) और सबऊन (70) में ज़ाइद 'सबऊन' को तर्जीह देते हैं। क्योंकि ज़ाइद में नाक़िस भी शामिल हो जाता है। कुछ हज़रात के नज़दीक सित्तून (60) ही मुतयक़्क़न (क़ाबिले-यक़ीन) है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ़ में अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार की रिवायत से जहाँ सबऊन का लफ़्ज़ आया है वहाँ बतरीक़े शक वाक़ेअ हुआ है '**वल् हयाउ शुअबतुम्मिनल ईमान**' में तन्वीन ता'ज़ीम के लिए है। हया तबीअ़त के इन्फ़िआल को कहते हैं। जो किसी ऐसे काम के नतीजे में पैदा हो जो काम उर्फ़न य शरअ़न मज़्मूम, बुरा, बेहयाई से मुता'ल्लिक़ समझा जाता हो। हया व शर्म ईमान का अहम तरीन दर्जा है। बल्कि तमाम आ'माले ख़ैरात का मख़्ज़न है। इसीलिए फ़र्माया गया '**इज़ा लम तस्तहि फ़ स्नअ माशिअत**' जब तुम शर्मो-हया को उठाकर ताक़ पर रख दो फिर जो चाहो करो, कोई पाबन्दी बाक़ी नहीं रह सकती।

इमाम बैहक़ी (रह.) ने इस हदीष की तशरीह में मुस्तक़िल एक किताब शोअबुल ईमान के नाम से मुरत्तिब फ़र्माई है। जिसमें सत्तर से कुछ ज़ाइद उमूरे ईमान को मुदल्लल और मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) बयान किया है। उनके अलावा इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह हलीमी ने फ़वाइदुल मिन्हाज में और इस्हाक़ बिन कुर्तुबी ने किताबुन्नसाइह में और अबू हातिम ने वस्फ़ुल ईमान व शुअबा में और दीगर हज़रात ने भी अपनी तस्नीफ़ात में उन शाख़ों को मामूली फ़र्क़ के साथ बयान किया है।

अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह.) ने इन सबको **आ'माले क़ल्ब (दिल के काम) आ'माले लिसान (ज़ुबान के काम) आ'माले बदन (बदन के काम)** पर तक़सीम करके आ'माले क़ल्ब की 24 शाख़ें और आ'माले लिसान की 7 शाख़ें और आ'माले बदन की 38 शाख़ें तफ़्सील के साथ ज़िक्र की है। जिनका मज्मूआ 69 बन जाता है। रिवायते-मुस्लिम में ईमान की आला शाख़ कलिमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाह और अदना शाख़ ईमाततुल अज़ा अनित्तरीक़ (रास्ते से तक्लीफ़देह चीज़ों को हटा देना) बतलाई गई है। इसमें ता'ल्लुक़ बिल्लाह (अल्लाह से रिश्ता) और ख़िदमते ख़ल्क़ (लोगों की भलाई) का एक लतीफ़ इशारा है। गोया दोनों लाज़िम मल्ज़ूम हैं। तब ईमाने कामिल हासिल होता है। ख़िदमते ख़ल्क़ में रास्तों की सफ़ाई, सड़कों की दुरुस्तगी को लफ़्ज़े अदना से ता'बीर किया गया। जिसका मतलब ये है कि ख़िदमते ख़ल्क़ का मज्मून बहुत ही वसीअ़ है। ये तो एक मामूली काम है जिस पर इशारा किया गया है। ईमान बिल्लाह, अल्लाह तआ़ला की वहदानियात से शुरू होकर उसकी मख़्लूक़ पर रहम करने और मख़्लूक़ की हर मुम्किन ख़िदमत करने पर जाकर पूरा होता है। आगे लिखे शे'र का भी यही मतलब हैं :-

ख़ुदा रहम करता नहीं उस बशर पर — न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर
करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर — ख़ुदा मेहरबाँ होगा अर्शे बरी पर

बाब 4 : इस बयान में कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान बचे रहें (कोई तकलीफ़ न पाएँ)

٤- بَابٌ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

(10) हमसे आदम बिन अबी अयास ने यह हदीष़ बयान की, उनको शैबा ने वो अ़ब्दुल्लाह बिन अबी अस्सफ़र और इस्माईल से रिवायत करते हैं वो दोनों शअ़बी से नक़ल करते हैं, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़, वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान बचे रहें और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फ़र्माया।

١٠- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)).

अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी ने फ़र्माया और अबू मुआ़विया ने कि हमको हदीष़ बयान की दाऊद बिन अबी हिंद ने, उन्होंने रिवायत की आ़मिर शैअ़बी से, उन्होंने कहा कि मैंने सुना अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ से, वो हदीष बयान करते हैं जनाब नबी करीम (ﷺ) से (वही मज़कूरा हदीष़) और कहा कि अ़ब्दुल आ़ला ने रिवायत किया दाऊद से, उन्होंने आ़मिर से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ से, उन्होंने नबी (ﷺ) से।

(दीगर मक़ामात : 6484)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ أَبِي هِنْدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفه في: ٦٤٨٤].

तशरीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ ये बात ष़ाबित की है कि इस्लाम की बुनियाद अगरचे पाँच चीज़ों पर क़ायम की गई है। मगर उससे आगे कुछ नेक आदतें, पाकीज़ा ख़स़लतें, भी ऐसे हैं जो अगर हासिल न हों तो इंसान हक़ीक़ी मुसलमान नही हो सकता। न पूरे तौर पर साहिबे ईमान हो सकता है और इसकी तफ़्सील से ईमान की कमी व बेशी व पाकीज़ा आ'माल और नेक ख़स़लतों का दाख़िले ईमान होना ष़ाबित है। जिससे मुर्जिया वग़ैरह की तर्दीद होती है। जो ईमान की कमी बेशी के क़ायल नहीं। वे आ'माले स़ालेह़ा व अख़्लाक़े ह़सना को दाख़िले ईमान नहीं मानते हैं। ज़ाहिर है कि उनका क़ौल नुसूसे स़रीह़ा के क़त्अ़न ख़िलाफ़ है। ज़ुबान को हाथ पर इसलिये मुक़द्दम किया गया कि ये हर वक़्त कैंची की तरह चल सकती है और पहले इसी के वार होते हैं। हाथ की नौबत बाद में आती है जैसाकि कहा गया कि

'जराहातुस्सिनानि लहत्तयामु — वला यल्तामु मा जरहल्लिसानु'

(यानी नेज़ों के ज़ख़्म भर जाते हैं और ज़ुबानों के ज़ख़्म अ़र्से तक नहीं भर सकते)

'मन सलिमल मुस्लिमून' की क़ैद का ये मतलब नहीं है कि ग़ैर मुसलमानों को ज़ुबान या हाथ से ईज़ारसानी जाइज़ है। इस **शुबा को रफ़अ (शक को दूर)** करने के लिए दूसरी रिवायत में **'मन अमिनहुन्नासु'** के अल्फ़ाज़ आए हैं। जहाँ हर इंसान के साथ सिर्फ़ इंसानी रिश्ता की बिना पर नेक मुआमलात अख़्लाक़े ह़स्ना की ता'लीम दी गई है। इस्लाम का **माख़ज़ (उत्पत्ति)** ही सलम है जिसके मा'नी सुलहजूई, ख़ैर-ख़्वाही, मुसालहत के हैं। ज़ुबान से ईज़ारसानी में ग़ीबत, गाली-गलौच, चुग़ली,

बदगोई वग़ैरह तमाम बुरी आदतें दाख़िल हैं और हाथ की ईज़ारसानी में चोरी, डाका, मारपीट, क़त्लो-ग़ारत वग़ैरह वग़ैरह। बस कामिल इंसान वो है जो अपनी ज़ुबान पर, अपने हाथ पर पूरा-पूरा कंट्रोल रखे और किसी इन्सान की ईज़ारसानी के लिए उसकी ज़ुबान न खुले, उसका हाथ न उठे। इस मेअ़यार पर आज तलाश किया जाए तो कितने मुसलमान मिलेंगे जो ह़क़ीक़ी मुसलमान कहलाने के ह़क़दार होंगे। ग़ीबत, बदगोई, गाली-गलौच तो अ़वाम का ऐसा रिवाज़ बन गया है गोया ये कोई ऐब ही नहीं है, अस्तग़्फ़िरुल्लाह! शरअ़न मुहाजिर वो जो दारुल ह़रब से निकलकर दारुस्सलाम में आए। ये हिजरत ज़ाहिरी है। हिजरते बातिनी ये है जो यहाँ ह़दीष़ में बयान हुई और यही ह़क़ीक़ी हिजरत है जो क़यामत तक हर ह़ाल में हर जगह जारी रहेगी।

ह़ज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहू ने दो तअ़लीक़ात ज़िक्र फ़र्माई है। पहले का मक़्सद ये बतलाना है कि आमिर और शअ़बी दोनों से एक ही रावी मुराद है। जिसका नाम आमिर और लक़ब शअ़बी है। दूसरा मक़्सद ये है कि इब्ने हिन्दा की रिवायत से शुब्हा होता था कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स से शअ़बी ने बराहे रास्त इस रिवायत को नहीं सुना। इस शुब्हा के दफ़्अ़ के लिए **'अन आ़मिरिन क़ाल समिअ़तु अ़ब्दल्लाह बिन अ़म्र'** के अल्फ़ाज़ नक़ल किये गये। जिनसे बराहे रास्त शअ़बी का अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स से सुनना ष़ाबित हो गया।

दूसरी तअ़लीक़ का मक़्सद ये है कि अ़ब्दुल आ़ला के त़रीक़ में अ़ब्दुल्लाह को ग़ैर मुंतसिब ज़िक्र किया गया जिससे शुब्हा होता था कि कहीं अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) मुराद न हो। जैसा कि तब्क़ाए स़ह़ाबा में ये इस्तिलाह़ है। इसलिये दूसरी तअ़लीक़ में **अन् अ़ब्दिल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.)** की स़राह़त कर दी गई। जिससे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) बिन आ़स मुराद हैं।

बाब 5 : इस बयान में कि कौनसा इस्लाम अफ़ज़ल है

٥- بَابٌ: أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟

(11) हमको सईद बिन यह्या बिन सईद उमवी कुरैशी ने यह ह़दीष़ सुनाई, उन्होंने इस ह़दीष़ को अपने वालिद से नक़ल किया, उन्होंने अबू बुर्दा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा से, उन्होंने अबी बर्दा से, उन्होंने अबू मूसा से, वो कहते हैं कि लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा इस्लाम अफ़ज़ल है? तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया वो जिसके मानने वाले की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें।

١١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)).

तश्रीह़ : चूँकि ह़क़ीक़त के लिहाज से ईमान और इस्लाम एक ही हैं, इसलिये **'अय्युल इस्लामु अफ़ज़ल'** के सवाल से मा'लूम हुआ कि ईमान कम-ज़्यादा होता है। अफ़ज़ल के मुक़ाबले पर अदना है। पस इस्लाम, ईमान, **आ'माले स़ालिहा (नेक अ़मल)** व पाकीज़ा अख़्लाक़ के लिहाज से कम व ज़्यादा होता रहता है। यही ह़ज़रत इमाम का यहाँ मक़्सद है।

बाब 6 : इस बयान में कि (भूखे नादारों को) खाना खिलाना भी इस्लाम में दाख़िल है

٦- بَابٌ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ

(12) हमसे ह़दीष़ बयान की अ़म्र बिन ख़ालिद ने, उनको लैष ने, वो रिवायत करते हैं यज़ीद से, वो अबुल ख़ैर से, वो ह़ज़रत

١٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि एक दिन एक आदमी ने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा कि कौनसा इस्लाम बेहतर है? फ़र्माया यह कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको न पहचानो उसको भी, अलग़र्ज़ सबको सलाम करो। (दीगर मक़ामात : 28, 6236)

اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)).

[طرفاه في: ٢٨، ٦٢٣٦].

तश्रीह : आप (ﷺ) **'तूकिलुत्ताअम'** के बजाय **'तुतइमुत्ताअम'** फ़र्माया। इसलिये कि इतआ़म में खाना खिलाना, पानी पिलाना, किसी चीज़ का चखाना और किसी चीज़ की **ज़ियाफ़त (आवभगत)** करना और इसके अलावा बख़्शिश के तौर पर कुछ अता करना वग़ैरह शामिल हैं। हर मुसलमान को सलाम करना चाहे **आश्ना (परिचित)** हो या **बेगाना (अपरिचित)**, ये इसलिये कि सारे मूमिनीन आपसी तौर पर भाई-भाई हैं। वो कहीं के भी बाशिन्दे (निवासी) हों, किसी क़ौम से उनका ता'ल्लुक़ हो, मगर इस्लामी रिश्ते और कलिम-ए-तौहीद के ता'ल्लुक़ से सब भाई-भाई हैं। इतआ़म, तआ़म मकारिमे मालिया से और इस्लाम मकारिमे बदनिया से मुता'ल्लिक़ (सम्बंधित) हैं। गोया माली और बदनी तौर पर जिस क़दर भी मकारिमे अख़लाक़ हैं, उन सबके **मजमूअ़े (संग्रह)** का नाम इस्लाम है। इसलिये ये भी षाबित हुआ कि सारी इबादतें ईमान में दाख़िल हैं और इस्लाम व ईमान नताइज (परिणामों) के ए'तिबार से एक ही चीज़ है और ये कि जिसमें जिस क़दर भी मकारिमे अख़्लाक़ बदनी व माली होंगे, उसका ईमान व इस्लाम उतना ही तरक़्क़ीयाफ़्ता होगा। पस जो लोग कहते हैं कि ईमान घटता व बढ़ता नहीं, उनका ये क़ौल सरासर नाक़ाबिले इल्तिफ़ात यानी तवज्जुह देने लायक नहीं है।

इस रिवायत की सनद में जिस क़दर रावी वाक़ेअ हुए हैं वो सब मिस्री हैं और सब जलीलुलक़द्र अइम्म-ए-इस्लाम हैं। इस हदीस को हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इसी किताबुल ईमान में आगे चलकर एक और जगह लाए हैं और **'बाबुल इस्तीज़ान'** में भी इसको नक़ल किया है। इमाम मुस्लिम (रह.) और इमाम नसई (रह.) ने **किताबुल ईमान** में नक़ल किया है और इमाम अबू दाऊद (रह.) ने **बाबुल अदब** में और इमाम इब्ने माजा (रह.) ने **बाबुल इत्आम** में नक़ल किया है।

ग़रीबों व मिस्कीनों को खाना खिलाना इस्लाम में एक ऊँचे दर्जे की नेकी क़रार दिया गया है। क़ुर्आन में जन्नती लोगों के ज़िक्र में है, **'व युतइमूनत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनंव व यतीमंव व असीरा'** (अद दहर : 8) नेक बन्दे वो हैं जो अल्लाह की मुहब्बत के लिये मिस्कीनों, यतीमों और क़ैदियों को खाना खिलाते हैं। इस हदीस से ये भी ज़ाहिर है कि इस्लाम का मंशा ये है कि बनी **नोए-इन्सानी (मानव जाति)** में भूख व तंगदस्ती का इतना मुक़ाबला किया जाए कि कोई भी इन्सान भूख का शिकार न हो सके और अमन व सलामती को इतना **वसीअ़ (विस्तृत)** किया जाए कि **बदअमनी (अव्यवस्था)** का एक मामूली सा अन्देशा भी बाक़ी न रह जाए। इस्लाम का यह मिशन ख़ुलफ़-ए-राशिदीन के ज़मान-ए-ख़ैर पूरा हुआ और अब भी जब अल्लाह को मंज़ूर होगा, ये मिशन पूरा होगा। **ताहम जुज़्वी (आँशिक/थोड़े-बहुत हिस्से)** के तौर पर हर मुसलमान के मज़हबी फ़राइज़ में से है कि भूखों की ख़बर ले और बदअमनी (अशान्ति) के ख़िलाफ़ हर वक़्त जिहाद करता रहे। यही इस्लाम की **हक़ीक़ी ग़र्ज़ो-ग़ायत (वास्तविक उद्देश्य)** है।

उख़ुव्वत की जहाँगीरी मुहब्बत की फ़रावानी, यही मक़्सूदे फ़ितरत है यही रम्ज़े मुसलमानी

बाब 7 : इस बारे में कि ईमान में दाख़िल है कि मुसलमान जो अपने लिए दुरुस्त रखता है वही चीज़ अपने भाई के लिए दुरुस्त रखे

٧- بَابٌ: مِنَ الإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(13) हमसे हदीष बयान की मुसद्दद ने, उनको यह्या ने, उन्होंने शुअ़बा से नक़ल किया, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने हज़रत अनस

١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ

(रज़ि.) ख़ादिमे रसूले करीम (ﷺ) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया। और शुअ़बा ने हुसैन मुअ़ल्लिम से भी रिवायत किया, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से, उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से नक़ल फ़र्माया कि तुममें से कोई शख़्स ईमान वाला न होगा जब तक कि अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपनी नफ़्स के लिए चाहता है।

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)).

बाब 8 : इस बयान में कि नबी करीम (ﷺ) से मुह़ब्बत रखना भी ईमान में दाख़िल है

٨- بَابٌ: حُبُّ الرَّسُوْلِ ﷺ مِنَ الإِيْمَانِ

(14) हमसे अबुल यमान ने ह़दीष़ बयान की, उनको शुऐ़ब ने, उनको अबुज़्ज़िनाद ने अअ़रज से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल की कि बेशक रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कसम है उस ज़ात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है। तुममें से कोई ईमान वाला न होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब न बन जाऊँ।

١٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : نَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ)).

तश्रीह़ : पिछले अबवाब (अध्यायों) में मिनल ईमान का जुम्ला मुक़द्दम था और यहाँ ईमान पर हुब्बे-रसूल (ﷺ) को मुक़द्दम (सर्वोपरि) किया गया है। जिसमें अदब मक़्सूद है और ये बतलाना भी कि मुहब्बते-रसूल (ﷺ) से ही ईमान की अव्वल व आख़िर तकमील (प्रारम्भिक व अंतिम पूर्णता) होती है। ये (मुहब्बते ﷺरसूल) है तो ईमान है और ये नहीं तो कुछ नहीं। इससे भी ईमान की कमी-बेशी पर रोशनी पड़ती है और ये कि आ'माले सालेहा (नेक काम), अख़्लाक़े फ़ाज़िला (श्रेष्ठ चरित्र) और ख़साइले-हमीदा (काबिले-ता'रीफ़ आदतें) सब ईमान में दाख़िल (सम्मिलित) हैं क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उस शख़्स के ईमान की क़सम खाकर नफ़ी फ़र्माई है (यानी अस्वीकार है) जिसके दिल में आँह़ज़रत (ﷺ) की मुह़ब्बत पर उसके वालिद या औलाद की मुहब्बत ग़ालिब हो। रिवायत में वालिद को इसलिये मुक़द्दम किया गया है कि औलाद से ज़्यादा वालिदैन का ह़क़ है और लफ़्ज़ वालिद में माँ भी दाख़िल है।

(15) हमें ह़दीष़ बयान की यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने, उनको इब्ने अ़लय्या ने, वो अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब से रिवायत करते हैं , वो ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं और हमको आदम बिन अबी अयास ने ह़दीष़ बयान की, उनको शुअ़बा ने, वो क़तादा से नक़ल करते हैं, वो ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया तुममें से कोई शख़्स ईमान वाला न होगा जब तक कि उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मुहब्बत न हो जाए।

١٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)).

तश्रीह़ : इस रिवायत में दो सनदें हैं। पहली सनद में ह़ज़रत इमाम के उस्ताद या'क़ूब बिन इब्राहीम हैं और दूसरी सनद में आदम बिन अबी अयास हैं। तह़वील की सूरत इसलिये इख़्तियार नहीं की गई कि दोनों सनदें ह़ज़रत अनस (रज़ि.) पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं।

आँहज़रत (ﷺ) के लिये इन रिवायतों में जिस मुहब्बत का मुतालबा किया गया है वो मुहब्बते-तबई मुराद है क्योंकि हदीष में वालिद और **वलद (औलाद)** से मुक़ाबला (तुलना) है और उनसे इन्सान को मुहब्बते तबई ही होती है। पस आँहज़रत (ﷺ) से मुहब्बते तबई इस दर्जे में **मतलूब (वांछित)** है कि वहाँ तक किसी की भी मुहब्बत की **रसाई (पहुँच)** न हो, यहाँ तक कि अपने नफ़्स तक की भी मुहब्बत (इस दर्जे की) न हो।

बाब 9 : ईमान की मिठास के बयान में

(16) हमें मुहम्मद बिन मुषन्ना ने यह हदीष बयान की, उनको अब्दुल वह्हाब षक़्फ़ी ने, उनको अय्यूब ने, वो अबू क़िलाबा से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अनस (रज़ि.) से नक़ल करते हैं। वो नबी करीम (ﷺ) से; आपने फ़र्माया तीन ख़स्लतें ऐसी है कि जिसमें यह पैदा हो जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया। पहला यह कि अल्लाह और उसका रसूल (ﷺ) उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएँ, दूसरे यह कि वो किसी इंसान से महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए मुहब्बत रखे। तीसरा यह कि वो कुफ़्र में वापस लौटने को इस तरह बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। (दीगर मक़ामात : 21, 41, 60, 6941)

٩- بَابٌ: حَلاَوَةِ الإِيْمَانِ

١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)).

[أطرافه في : ٢١، ٤١، ٦٠، ٦٩٤١].

तश्रीह : यहाँ भी हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन (रह.) ने मुर्जिया और उनके कुल्ली व जुज़्ई हमनवाओं (पूरे व आँशिक समर्थकों) के फ़ासिद अक़ीदों पर एक करारी चोट लगाई है और ईमान की कमी व ज़्यादती और ईमान पर आ'माल के अषरअन्दाज़ (प्रभावी) होने के सिलसिले में इस्तिदलाल किया है और बतलाया है कि ईमान की मिठास के लिये अल्लाह व रसूल (ﷺ) की हक़ीक़ी मुहब्बत, अल्लाह वालों की मुहब्बत और ईमान में **इस्तिक़ामत (मज़बूती/दृढता)** लाज़िम है।

अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **'व फ़ी क़ौलिही हलावतुल ईमानि इस्तिआरुहू तख़्यियलतुन शुब्बिह रग़बतुल ईमानि बिशैइन हुलुव्विन व उष्बित लहू लाज़िमुन ज़ालिकश्शय व इज़ाफ़ुहू इलैहि व फीहि तल्मीहुन इला क़िस्सतिल मरीज़ि वस्सहीहु लिअन्नल मरीज़स्सरावी यजिदु तुअमल असलि मुर्रन नक़सतिस्सिहहतु शयअन मा नक़स जौक़ुहू बिक़द्रि ज़ालिक फ़कानत हाज़िहिल इस्तिआरतु मिन औजहिम्मा यक़्वी इस्तिदलालुल मुसन्निफ़ि अलज़्ज़ियादति वन्नक़्स'** या'नी ईमान की मिठास के लिये लफ़्ज़ 'हलावत' बतौर **इस्तिआरा (रूपक या प्रतीक के रूप में)** इस्ते'माल फ़र्माकर मोमिन की ईमानी रग़बत को मीठी चीज़ के साथ तश्बीह (उपमा) दी गई है और इसके लाज़िमा (अनिवार्यता) को षाबित किया गया है और उसे इसकी तरफ़ मन्सूब किया, उसमें मरीज़ और तन्दुरुस्त की तश्बीह पर भी इशारा किया गया है कि **सफ़रावी (पित्त की बीमारी का)** मरीज़ शहद को भी चखेगा तो उसे कड़वा बतलाएगा और तन्दुरुस्त उसकी मिठास की लज़्ज़त हासिल करेगा। गोया जिस तरह सेहत ख़राब होने से शहद का मज़ा ख़राब मा'लूम होने लगता है, उसी तरह **मआसी (नाफ़र्मानी)** का **सफ़रा (खारापन)** जिसके मिज़ाज पर ग़ालिब (हावी) है, उसे ईमान की हलावत (मिठास) नसीब न होगी। ईमान की कमी व ज़्यादती को षाबित करने के लिये **मुसन्निफ़ (लेखक)** का ये निहायत वाज़ेह और क़वीतर (स्पष्ट और ठोस) इस्तदलाल है।

मज़्कूरा (वर्णित) हदीष हलावते ईमान के लिये तीन ख़स्लतें पेश की गई हैं। शैख़ मुहीउद्दीन (रह.) फ़र्माते हैं कि ये हदीष दीन की एक असले-अज़ीम है। इसमें पहली चीज़ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मुहब्बत को क़रार दिया गया है, जिससे ईमानी मुहब्बत मुराद है। अल्लाह की मुहब्बत का मतलब यह है कि तौहीदे-उलूहिय्यत में उसे वहदहू ला-शरीक ला-यक़ीन करके इबादत की सारी क़िस्में सिर्फ़ उस अकेले के लिये अमल में लाई जाएं और किसी भी नबी, वली, फ़रिश्ते, जिन्न, भूत, देवी, देवता, इन्सान वग़ैरह-वग़ैरह को उसकी इबादत के कामों में शरीक न किया जाए क्योंकि कलिमा **'ला इलाहा इल्लल्लाह'** का यही तक़ाज़ा है। जिसके मुता'ल्लिक़ हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन ख़ान (रह.) अपनी किताब **'अद्‌दीनुल**

ख़ालिस़' में फ़र्माते हैं, '**व फ़ी हाज़िहिल कलिमति नफ़्युन व इ़ब्बातुन नफ़्युल उलूहिय्यति अम्मा सिवल्लाहि तआला मिनल मुर्सलीन हत्ता मुहम्मद (ﷺ) वल मलाइकतु हत्ता जिब्रीलु (अलैहि.) फ़ज़्लन अन ग़ैरिहिम मिनल औलियाइ वस़्सालिहीन व इ़ब्बातुहा लहू वहदुहू ला हक़्क़ फ़ी ज़ालिक लिअहदिम्मिनल मुक़र्रबीन इज़ा फ़हिम्त ज़ालिक फ़तअम्मल हाज़िहिल उलूहिय्यतुल्लती अ़्बतहा कुल्लहा लिनफ़्सिहिल मुक़द्दसति व नफ़ा अन मुहम्मदिंव व जिब्रील व ग़ैरहुमा अलैहिमिस्सलाम अंय्यकून लहुम मिस़्काल हब्बति ख़र्दलिम्मिन्हा**' (अद् दीनुल ख़ालिस़ जिल्द 1 पेज नं. 182)

या'नी इस कलिमा तय्यिबा में **नफ़ी (नामंज़ूरी)** व **इ़ब्बात (प्रमाणीकरण)** है। अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा हर चीज़ के लिये उलूहिय्यत की नफ़ी (इन्कार) है, यहाँ तक कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) और हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) के लिये भी नफ़ी है। फिर दीगर औलिया व सहाबा का तो ज़िक्र ही क्या है? उलूहिय्यत ख़ालिस़ अल्लाह के लिये ष़ाबित है और उसके क़रीबियों में से किसी के लिये कोई हिस़्सा नहीं है। जब तुमने ये समझ लिया तो ग़ौर करो कि ये उलूहिय्यत वो है जिसको अल्लाह पाक ने ख़ालिस़ अपनी ही ज़ाते-मुक़द्दसा (पवित्र हस्ती) के लिये ख़ास़ किया है और अपने हर ग़ैर हत्ताकि मुहम्मद (ﷺ) और जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) तक से इसकी नफ़ी की है, उनके लिये एक राई के दाने के बराबर भी उलूहिय्यत में कोई हिस़्सा हासिल नहीं। पस हक़ीक़ी मुहब्बते इलाही का यही मक़ाम है जो लोग अल्लाह की उलूहिय्यत में, उसकी इबादत के कामों में औलिया, सलहा (नेक लोग) या अंबिया व मलाइका (फ़रिश्तों) को शरीक करते हैं। '**व यज़ुन्नून अल्लाहु जअल नहवम्मिनल ख़ल्कि मंज़िलतन यरज़ा अन्नल आमी यल्तजिउ इलैहिम व यरजूहुम व युख़ालिफ़ुहुम व यस्तग़ीषु बिहिम व यस्तईनु मिन्हुम बिक़ज़ाइ हवाइजिही व अस्आफ़ि मरामिही वन्जाहि मक़ामिही व यजअलुहुम वसाइत बैनिही व बैनल्लाहि तआला हियश्शिर्कुल जली अल्लज़ी ला यग़फ़िरुल्लाहु तआला अबदन**' (हवाला मज़्कूर)

और गुमान करते हैं कि अल्लाह ने अपने ख़ास़ बन्दों को ऐसा मक़ाम दे रखा है कि अवाम (जनता) उनकी तरफ़ पनाह ढूंढें, उनसे अपनी मुरादें माँगें, उनसे मदद तलब करें और क़ज़ा-ए-हाज़त (ज़रूरत पूरी करने के लिये) के लिये उनको अल्लाह के दरमियान वसीला ठहरा दें। ये वो शिर्के-जली है जिसको अल्लाह पाक हर्गिज़ नहीं बख़्शेगा, '**इन्नलल्लाह ला यग़फ़िरु अंय्युशरिक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमंय्यशा**' (अन निसा : 48) या'नी बेशक अल्लाह शिर्क को नहीं बख़्शेगा और उसके अलावा जिस गुनाह को चाहे बख़्श देगा।

'रसूल' मुहब्बत से उनकी इताअत और फ़र्माबरदारी मुराद है, इसके बग़ैर मुहब्बत का अस़ल दा'वा ग़लत है। नीज़ मुहब्बते-रसूल (ﷺ) का तक़ाज़ा है कि आपका हर फ़र्मान बलन्द व बाला तस्लीम किया जाए और उसके मुक़ाबले में किसी का कोई हुक्म न माना जाए। पस जो लोग सहीह अहादीसे मर्फ़ूआ की मौजूदगी में अपने मज़ऊमा इमामों के अक़वाल को मुक़द्दम (सर्वोपरि) रखते हैं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) के फ़र्मान को ठुकरा देते हैं, उनके बारे में सय्यिदुल अल्लामा हज़रत नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान साहब (रह.) फ़र्माते हैं, '**तअम्मल फ़ी मुक़ल्लिदतिल मज़ाहिबि कयफ़ा अकर्रू अला अन्फ़ुसिहिम बितक़्लीदिल अम्वाति मिनल उलमाइ वल औलियाइ वअतरफ़ू बिअन्न फ़हमल किताबि वस्सुन्नति कान ख़ास्सन लहुम वस्तदल्लू लिइशाकिहिम फ़िस्सुलहाइ बिइबारातिल क़ौमि व मुकाशफ़ातुश्शुयूख़ि फ़िन्नौमि व रज्जहू कलामलउम्मति वल अइम्मति अला कलामिल्लाहि तआला व रसूलिही अला बस़ीरातिम्मिन्हुम व अला इल्मिन फ़मा नदरी मा उज़रूहुम अन ज़ालिक ग़दन यौमल हिसाबि वल किताबि व मा युग़नीहिम मिन ज़ालिकल अज़ाबि वलइक़ाबि**' (अद्दीनुल ख़ालिस़ जिल्द न पेज नं. 196)

या'नी मज़ाहिबे मा'लूमा के मुक़ल्लिदीन में ग़ौर करो कि उलमा व औलिया जो दुनिया से रुख़्सत हो चुके, उनकी तक़लीद में किस तौर पर गिरफ़्तार हैं और कहते हैं कि क़ुर्आन व हदीष़ को समझना उन ही इमामों पर ख़त्म हो चुका, ये ख़ास़ उनका ही काम था। सलहा (नेक लोगों) को इबादते इलाही में शरीक करने के लिये इबाराते-क़ौम से काँट-छाँट कर दलील पकड़ते हैं और शैख़ों के मुकाशिफ़ात से जो कि उनके ख़्वाबों से मुता'ल्लिक़ होते हैं और उम्मत और अइम्मा के कलाम को अल्लाह व रसूल (ﷺ) के कलाम पर तरजीह देते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि ये रविश सहीह नहीं है। हम नहीं जान सकते कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये लोग क्या उज़्र बयान करेंगे और उस दिन के अज़ाब से उनको कौनसी चीज़ नजात दिला सकेगी अल ग़रज़ अल्लाह और रसूल (ﷺ) की मुहब्बत का तक़ाज़ा यही है जो ऊपर बयान हुआ, वर्ना सच होगा कि,

तअ़सिर्रसूल व अन्त तज़हरु हुब्बहु, हाज़ा लि उमरी फ़िल्क़ियासि बदीउ

लौ कान हुब्बुक स़ादिक़न लअतअतहू, इन्नल मुहिब्ब लिमंय्युहिब्बु मुतीउ

इस ह़दीष़ में दूसरी ख़स़लत भी बहुत अहम बयान की गई है कि कामिल मोमिन वो है, जिसकी लोगों से मुहब्बत ख़ालिस़ अल्लाह के लिये हो और दुश्मनी भी ख़ालिस़ अल्लाह के लिये हो, थोड़ा-बहुत भी नफ़्सानी अग़राज़ (व्यक्तिगत स्वार्थ) न हो। जैसा कि ह़ज़रत अ़ली मुर्तज़ा (रज़ि.) के बाबत मरवी है कि एक काफ़िर ने जिसकी छाती पर आप चढ़े हुए थे, उसने आप के मुँह पर थूक दिया, तो आपने फ़ौरन हटकर उसके क़त्ल से रुक गये और ये फ़र्माया कि अब मेरा ये क़त्ल करना ख़ालिस़ अल्लाह के लिये न होता बल्कि उसके थूकने की वजह से अपने नफ़्स के लिये होता और सच्चे मोमिन का शैवा नहीं कि अपने नफ़्स के लिये किसी से मुहब्बत या अ़दावत रखे।

तीसरी ख़स़लत में इस्लाम व ईमान पर **इस्तिक़ामत (दृढ़ता)** मुराद है। हालात कितने भी नासाज़गार हों, एक सच्चा मोमिन ईमान की दौलत को हाथ से नहीं जाने देता। बिला शक (निस्संदेह) जिसमें ये तीनों ख़स़लतें जमा होंगी, उसने दरह़क़ीक़त ईमान की लज़्ज़त ह़ास़िल की, फिर वो किसी हाल में भी ईमान से मह़रूमी पसन्द नहीं करेगा और **मुर्तद (विधर्मी)** होने के लिये कभी तैयार नहीं हो सकेगा, ख़्वाह वो शहीद कर दिया जाए। इस्लामी तारीख़ (इतिहास) के **माज़ी (भूतकाल)** और **हाल (वर्तमान)** की ऐसी बहुत सी मिष़ालें मौजूद हैं कि बहुत से मुख़्लिस़ मुस्लिम बन्दों ने जामे-शहादत पी लिया मगर **इर्तिदाद (धर्म परिवर्तन)** के लिये तैयार न हुए। अल्लाह पाक हर मुस्लिम मर्द-औरत के अन्दर ऐसी ही इस्तिक़ामत पैदा फ़र्माए, आमीन!

अबू नुऐ़म ने मुस्तख़रिज में हसन बिन सुफ़यान अन मुहम्मद बिन अल मशनी की रिवायत से **'व यकरहु अंय्यउद फिल कुफ़्रि'** के आगे **'बअ़ द इज़ अन्क़ज़हुल्लाहु'** के अल्फ़ाज़ ज़्यादा किये हैं। ख़ुद इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु ने दूसरी सनद से इन लफ़्ज़ों का इज़ाफ़ा नक़ल फ़र्माया है, जैसा कि आगे आ रहा है। इन लफ़्ज़ों का तर्जुमा ये है कि वो कुफ़्र में वापस जाना मकरूह (नापसंद) समझते, बाद उसके कि अल्लाह ने उसे उस (कुफ़्र) से निकाला, इससे मुराद वो लोग हैं जो पहले काफ़िर थे बाद में अल्लाह ने उनको ईमान व इस्लाम नसीब फ़र्माया। अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **'हाज़ल इस्नादु कुल्लुहू बस्रिय्यून'** यानी इसकी सनद में सबसे ज़्यादा बस़री रावी वाक़ेअ़ हुए हैं।

एक इश्काल (कठिनाई/दुश्वारी) और उसका जवाब : मज़्कूरा ह़दीस में **'अंय्यकूनल्लाहु व रसूलहू फ़क़द रशद व मंय्यअ़्सिहिमा मिम्मा सिवाहुमा'** फ़र्माया गया है। जिसमें ज़मीरे-तष़्निया **'हुमा'** में अल्लाह और रसूल (ﷺ) दोनों को **जमा (इकट्ठा)** कर दिया गया है। ये जमा करना उस ह़दीष़ से टकराता है जिसमें ज़िक्र है कि किसी ख़तीब ने आप (ﷺ) की मौजूदगी में बईं अल्फ़ाज़ में एक ख़ुत्बा दिया था, **'मंय्युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द रशद व मंय्यअ़्सिहिमा'** आप (ﷺ) ने ये सुनकर नाराज़गी के इज़हार के लिये फ़र्माया, **'बिअ़सल ख़तीबु अन्त'** या'नी तुम अच्छे ख़तीब नहीं हो। आपकी यह नाराज़गी यहाँ ज़मीर (हुमा) पर थी जबकि ख़तीब ने **'यअ़्सिहिमा'** कह दिया था। अहले इ़ल्म ने इस इश्काल के कई जवाब दिये हैं। कुछ कहते हैं कि ता'लीम और ख़ुत्बे के मौक़े अलग-अलग हैं। इस ह़दीष़ में आप (ﷺ) ने बतौर **इख़्तिस़ार (संक्षेप)** और जामेइयत के पेशेनज़र यहाँ 'हुमा' ज़मीर इस्ते'माल फ़र्माई और ख़तीब ने ख़ुत्बे के मौक़े पर जबकि तफ़्स़ील व तवील (विस्तार) का मौक़ा था, वहाँ इख़्तिस़ार के लिये 'हुमा' ज़मीर इस्ते'माल की जो कि बेहतर न थी। इसलिये आप (ﷺ) ने नाराज़गी ज़ाहिर फ़र्माई। कुछ अहले इ़ल्म कहते हैं कि मज़्कूरा ह़दीष़ में मक़ामे-मुहब्बत में दोनों को जमा किया गया है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि अल्लाह व रसूल (ﷺ) की मुहब्बत लाज़िम व मल्ज़ूम (अनिवार्यतः) दोनों की मुहब्बत जमा हो गई तो नजात हो गई और ईमान का मदार दोनों की मुहब्बत पर है और ख़तीब ने **मअ़्स़ियत (नाफ़र्मानी)** के मामले में दोनों को जमा कर दिया था, जिससे वहम पैदा हो सकता था कि दोनों की मअ़्स़ियत नुक़्सान का कारण है और अगर किसी एक की इताअ़त की और दूसरे की नाफ़र्मानी की तो ये नुक़्सान का कारक नहीं, हालांकि ऐसा ख़याल बिल्कुल ग़लत है। इसलिये कि अल्लाह की इताअ़त न करना भी गुमराही है और रसूल (ﷺ) की नाफ़र्मानी भी गुमराही है। इसलिये वहाँ अलग-अलग बयान ज़रूरी था, इसी वजह से आप (ﷺ) ने तंबीह फ़र्माई कि तुमको ख़ुत्बा देना नहीं आता।

इमाम तहावी (रह.) ने मुश्किलुल आष़ार में यूँ लिखा है कि ख़तीबे-मज़्कूर ने लफ़्ज़ **'व मन यअ़्सिहिमा'** पर सक्ता कर दिया था और ठहरकर बाद में कहा, **'फ़क़द ग़वा'** इससे तर्जुमा ये हो गया कि जो अल्लाह और रसूल (ﷺ) की इताअ़त करे वो नेक है और जो नाफ़र्मानी करे वो भी; इस **तर्ज़े-अदा (उच्चारण)** से बड़ी भारी ग़लती की सम्भावना थी, इसलिये

आप (ﷺ) ने ख़तीब को तंबीह फ़र्माई (यानी टोका)।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह़.) फ़त्हुल बारी में फ़र्माते हैं कि इस मज़्कूरा ह़दीष़ में **'मिम्मा सिवाहुमा'** के अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किये गये, **'मिम्मन सिवाहुमा'** नहीं फ़र्माया गया। इसलिये कि पिछले लफ़्ज़ों में बतौर उ़मूम अ़क़्लवाले और ग़ैर-अ़क़्लवाले यानी इन्सान, हैवान, जानवर, नबातात, जमादात सब दाख़िल हैं। **'मिम्मन सिवाहुमा'** कहने में ख़ास़ अ़क़्ल रखने वाले मुराद होते, इसलिये **'मिम्मा सिवाहुमा'** के अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किये गये और इसमें इस पर भी दलील है कि इस तंबीह के इस्ते'माल में कोई बुराई नहीं। मज़्कूरा ह़दीष़ में इस अम्र पर भी इशारा है कि नेकियों से **आरास्ता (सुसज्जित)** होना और बुराइयों से दूर रहना ईमान की **तकमील (पूर्णता)** के लिये ज़रूरी है।

बाब 10 : इस बयान में कि अंस़ार की मुहब्बत ईमान की निशानी है

١٠ - بَابٌ: عَلاَمَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

(17) हमसे इस ह़दीष़ को अबुल वलीद ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर ने ख़बर दी, वो कहते हैं कि हमने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से इसको सुना, वो रसूल अल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया अंस़ार से मुहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंस़ार से कीना रखना निफ़ाक़ की निशानी है। (दीगर मक़ाम : 3784)

١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ))

[أطرافه في : ٣٧٨٤].

तशरीह़ : इमामे आ़ली मक़ाम ने यहाँ भी मुर्जिया की **तर्दीद (खण्डन)** के लिये इस रिवायत को नक़ल फ़र्माया है। अन्स़ार अहले मदीना का लक़ब है जो उन्हें मक्का से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की इम्दाद और **इआ़नत (सहयोग)** के बदले में दिया गया। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा की तरफ़ हिजरत फ़र्माई और आपके साथ मुसलमानों की एक बड़ी ता'दाद मदीना आ गई तो उस वक़्त मदीना के मुसलमानों ने आप (ﷺ) की और दीगर मुसलमानों की जिस तरह मदद फ़र्माई, **तारीख़ (इतिहास)** उसकी नज़ीर पेश करने में **आजिज़ (असमर्थ)** है। उनका ये बहुत बड़ा कारनामा था जिसको अल्लाह की तरफ़ से इस तरह क़ुबूल किया गया कि क़यामत तक मुसलमान उनका ज़िक्र अन्स़ार के **मुअ़ज़्ज़ज़ (सम्मानजनक)** नाम से करते रहेंगे। उस नाज़ुक वक़्त में अगर अहले मदीना इस्लाम की मदद के लिये न खड़े होते तो अ़रब में इस्लाम के उभरने का कोई मौक़ा न था। इसीलिये अन्स़ार से मुह़ब्बत ईमान का **जुज़्व (हिस़्सा)** क़रार पाई। क़ुर्आने पाक में भी जा-बजा अन्स़ार व मुहाजिरीन का ज़िक्र हुआ है और **'रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु'** (यानी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए) से उनको याद किया गया है।

अन्स़ार के मनाक़िब व फ़ज़ाइल में और भी बहुत सी अह़ादीष़ मरवी हैं, जिनका ज़िक्र **मूजिबे-तवालत (विस्तार का कारक)** होगा। उनके बाहमी जंगो-जिदाल के मुता'ल्लिक़ अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह़.) फ़र्माते हैं, **'व इन्नमा कान हालुहुम फ़ी ज़ालिक हालुलमुज्तहिदीन फ़िल अहकामि लिल मुस़ीबि अज्रानि व लिलमुख़्ती अज्रुन वाहिदुन वल्लाहु आलमु'** यानी इस बारे में कि उनको मुज्तहिदीन के ह़ाल पर क़ियास किया जाएगर जिनका इज्तिहाद दुरुस्त हो तो उनको दोगुना ष़वाब मिलता है और अगर उनसे ख़ता हो जाए तो भी वो एक ष़वाब से महरूम नहीं रहते। **'अल मुज्तहिदु क़द युख़्ती व युस़ीबु'** हमारे लिये यही बेहतर होगा कि इस बारे में ज़बान बन्द रखते हुए उन सबको इ़ज़्ज़त से याद करें।

अन्स़ार के फ़ज़ा इल के लिये इतना ही काफ़ी है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ुद अपने बारे में फ़र्माया, **'लौलल हिज्स्तु लकुन्तु इम्रअम्मिनल अन्स़ारि'** (बुख़ारी शरीफ़) अगर हिजरत की फ़ज़ीलत न होती तो मैं भी अपना शुमार अन्स़ार में कराता। अल्लाह पाक ने अन्स़ार को ये इ़ज़्ज़त अता फ़र्माई कि क़यामत तक के लिये आँह़ज़रत (ﷺ) उनके शहर मदीना में उनके

साथ आराम फ़र्मा रहे हैं। (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)

एक बार आप (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया था कि अगर सब लोग एक वादी में चलें और अन्सार दूसरी वादी में तो मैं अन्सार की वादी को इख़्तियार करूंगा। इससे भी अन्सार की शान व मर्तबे का इज़्हार मक़्सूद है।

बाब 11 :

(18) हमसे इस ह़दीष़ को अबुल यमान ने बयान किया, उनको शुऐ़ब ने ख़बर दी, वो ज़ुहरी से नक़्ल करते हैं, उन्हें अबू इदरीस अ़इज़ुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि उ़बादा बिन स़ामित (रज़ि.) जो बद्र की जंग में शरीक थे और लैलतुल उ़क़्बा के 12 नक़ीबों में से थे। फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस वक़्त, जब आपके गिर्द (चारों ओर) स़ह़ाबा की एक जमाअ़त बैठी थी, आपने फ़र्माया कि मुझसे बैअ़त करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, ज़िना न करोगे, अपनी औलाद को क़त्ल न करोगे और अ़म्दन (जान-बूझकर) किसी पर कोई नाह़क़ बोहतान न बाँधोगे और किसी भी अच्छी बात में (अल्लाह की) नाफ़र्मानी न करोगे। जो कोई तुममें (इस अ़हद को) पूरा करेगा तो उसका ष़वाब अल्लाह के ज़िम्मे है और जो कोई उन (बुरी बातों) में से किसी का इर्तिकाब करे और उसे दुनिया में (इस्लामी कानून के तह़त) सज़ा दे दी गई तो यह सज़ा उसके (गुनाहों के) लिए बदला हो जाएगी और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके (गुनाह) को छुपा लिया तो फिर उसका (मुआ़मला) अल्लाह के ह़वाले है, अगर चाहे मुआ़फ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। (उ़बादा कहते हैं कि) फिर हम सबने उन (सब बातों) पर आप (ﷺ) से बैअ़त कर ली।

(दीगर मक़ामात : 3892, 3893, 3999, 4894, 6784, 6801, 6873, 7055, 7199, 7213, 7468)

١١ - بَابٌ

١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : ((بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ، وَ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ)). فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

[أطرافه في : ٣٨٩٢، ٣٨٩٣، ٣٩٩٩، ٤٨٩٤، ٦٧٨٤، ٦٨٠١، ٦٨٧٣، ٧٠٥٥، ٧١٩٩، ٧٢١٣، ٧٤٦٨].

तश्रीह : इस ह़दीष़ के रावी उ़बादा बिन सामित ख़ज़रज़ी (रज़ि.) उन लोगों में से हैं जिन्होंने मक्का आकर मक़ामे-उ़क़्बा में आँह़ज़रत (ﷺ) से बैअ़त की और अहले मदीना की ता'लीम व तर्बियत के लिये आप (ﷺ) ने जिन बारह आदमियों को अपना नाइब मुक़र्रर किया था, ये उनमें से एक हैं और जंगे बद्र के मुजाहिदीन में से हैं। 34 हिजरी में 72 साल की उ़म्र पाकर इंतिक़ाल किया और रमला में दफ़न हुए। स़ह़ीह़ बुख़ारी में उनसे नौ (9) अह़ादीष़ मरवी हैं।

अन्स़ार के तस्मियः (नामकरण) की वजह ये है कि मदीना के लोगों ने जब इस्लाम की इआ़नत (सहयोग) के लिये मक्का आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअ़त की तो उसी आधार पर उनका नाम 'अन्स़ार' हुआ। 'अन्स़ार', 'नास़िर' की जमा (बहुवचन) है और नास़िर, मददगार को कहते हैं। अन्स़ार जाहिलिय्यत के दौर में बनू क़ीला के नाम से जाने जाते थे। क़ीला उस माँ को कहते हैं जो

दो क़बीले की जामिआ हो। जिनसे औस व ख़ज़रज दोनों क़बीले मुराद हैं, उन्हीं के मज्मूअे को 'अन्सार' कहा गया।

इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि इन्सामी क़ानूनों के तहत जब एक मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा मिल जाए तो आख़िरत में उसके लिये ये सज़ा कफ़्फ़ारा बन जाती है।

दूसरा मसला ये भी मा'लूम हुआ कि जिस त़रह ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह हर गुनाह की सज़ा दे, उसी तरह़ अल्लाह पर किसी नेकी का ष़वाब देना भी ज़रूरी नहीं। अगर वो किसी गुनाहगार को सज़ा दे तो ये उसका ऐन इन्स़ाफ़ है और अगर गुनाह माफ़ कर दे तो ये उसकी ऐन रहमत है। नेकी पर अगर ष़वाब न दे तो ये उसकी शाने-बेनियाज़ी है और ष़वाब अ़ता फ़र्मा दे तो ये उसका ऐन करम है।

तीसरा मसला ये ष़ाबित हुआ कि **कबीरा गुनाह का मुर्तकिब (महापाप का भागी)** अगर बग़ैर तौबा किये मर जाए तो वो अल्लाह की मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है, चाहे तो उसके ईमान की बरकत से बग़ैर सज़ा दिये जन्नत में दाख़िल कर दे और चाहे तो सज़ा देकर फिर जन्नत में दाख़िल करे। मगर शिर्क उससे अलग है क्योंकि उसके बारे में क़ानूने-इलाही ये है, **'इन्नल्लाह ला यग़ फिरु अंय्युश्रिक बिही'** जो शख़्स़ शिर्क की ह़ालत में इंतिक़ाल कर जाए तो अल्लाह पाक उसे हर्गिज़ नहीं बख़्शेगा और वो हमेशा दोज़ख़ में रहेगा। किसी मोमिन का **ख़ूने-नाह़क़ (अकारण हत्या)** भी नस्से-क़ुर्आनी से यही हुक्म रखता है और हुक़ूक़ुल इबाद का मा'मला भी ऐसा ही है कि जब तक वो बन्दे ही माफ़ न कर दें, माफ़ी नहीं मिलेगी।

चौथी बात ये मा'लूम हुई कि किसी आम आदमी के बारे में क़तई जन्नती या जहन्नमी कहना जाइज़ नहीं।

पाँचवीं बात ये मा'लूम हुई कि अगर ईमान दिल में है तो महज़ गुनाहों के इर्तिकाब से इन्सान काफ़िर नहीं होता। मगर ईमाने-क़ल्बी के लिये ज़बान से इक़रार करना और अमल से ईमान का षुबूत देना भी ज़रूरी है। इस ह़दीष़ में ईमान, इस्लाम, अख़्लाक़, हुक़ूक़ुल इबाद के वो ज़्यादातर मसाइल आ गये हैं जिनको दीन व ईमान की बुनियाद कहा जा सकता है। इससे स़ाफ़ वाज़ेह हो गया कि नेकी व बदी यक़ीनन ईमान की कमी व बेशी पर अष़र-अन्दाज़ (प्रभावित) होती हैं और सारे **आ'माले-स़ालेहा (नेक काम)** ईमान में दाख़िल हैं। इन अह़ादीष़ की रिवायत से ह़ज़रत अमीरुल मुह़द्दिष़ीन का यही मक़स़द है। पस जो लोग ईमान में कमी-बेशी के क़ाइल नहीं वो यक़ीनन ख़ता (ग़लती) पर हैं। इस ह़दीष़ में उन लोगों की भी तर्दीद है जो गुनाहे-कबीरा के मुर्तकिब को काफ़िर या हमेशा के लिये दोज़ख़ी बतलाते हैं।

अ़ल्लामा इब्ने ह़जर (रह़.) फ़र्माते हैं कि हमारी रिवायत के मुताबिक़ यहाँ लफ़्ज़ बाब बग़ैर तर्जुमा के है और ये तर्जुमा **साबिक़ (पिछले)** ही से मुता'ल्लिक़ है। **'ववज्हुत्तअल्लुकि अन्नहू लिमा ज़ुकिरल अन्स़ारु फ़िल ह़दीषि अव्वलि अशार फ़ी हाज़ा इला इब्तिदाइस्सबबि फ़ी तलक्क़ीहिम बिल अन्स़ारि लिअन्न अव्वल ज़ालिक कान लैलतल अक़बति लि तवाफ़क़ुम अन्नबिय्यि (ﷺ) इन्दअक़्बति मिना फ़िल मूसमि कमा सयाती शर्हु ज़ालिक इन्शाअल्लाहु तआला फ़िस्सीरतिन्नबविय्यति मिन हाज़ल किताब'** यानी इस ता'ल्लुक़ की वजह ये है कि पहली ह़दीष़ में अन्स़ार का ज़िक्र किया गया था, यहाँ ये बतलाया गया कि ये लक़ब उनको क्योंकर मिला? इसकी इब्तिदा उस वक़्त हुई जब उन लोगों ने अ़क़्बा में मिना के क़रीब आँह़ज़रत (ﷺ) की **मुवाफ़क़त (अनुकूलता)** व मदद के लिये पूरे तौर पर वा'दा किया।

लफ़्ज़ **'अ़स़ाबा'** का इतलाक़ ज़्यादा से ज़्यादा चालीस पर हो सकता है। ये बैअ़ते-इस्लाम थी जिसमें आप (ﷺ) ने शिर्क बिल्लाह से तौबा करने का अ़हद लिया। फिर दीगर अख़्लाक़ी बुराइयों से बचने और औलाद को क़त्ल न करने वा'दा लिया। जबकि अ़रब में ये बुराइयाँ आम थीं। बुहतान से बचने का वा'दा लिया, ये वो झूठ है जिसकी कोई अस़लियत न हो। लफ़्ज़ **'बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम'** में **दिल से किनाया (दिल की ओर इशारा)** है, यानी दिल ने एक **बे-ह़क़ीक़त (अवास्तविक)** बात गढ़ ली। आगे आप (ﷺ) ने उसूली बात पर अ़हद लिया कि हर नेक काम में हमेशा इताअ़त करनी होगी। मा'रूफ़ हर वो चीज़ है जो शरीअ़त की निगाह में जानी हुई हो, इसी की ज़िद (विलोम) मुन्कर (इन्कार करना) है जो शरीअ़त की निगाह में नफ़रत से देखी जाए।

बाब 12 : इस बयान में कि फ़ित्नों से दूर भागना

١٢- بَابٌ: مِنَ الدِّيْنِ الْفِرَارُ مِنَ

(भी) दीन (है) में शामिल है

الْفِتَنِ

(19) हमसे (इस ह़दीष़ को) अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने उसे मालिक (रह.) से नक़ल किया, उन्होंने अ़ब्दुर्रह़मान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी स़अ़स़ा से, उन्होंने अपने बाप (अ़ब्दुल्लाह रह.) से, वो अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूल अल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया वो वक़्त क़रीब है जब मुसलमान का (सबसे) उ़म्दा माल (उसकी) बकरियाँ होंगी। जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा।

(दीगर मक़ामात : 3300, 3600, 6495, 7088)

١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

[أطرافه في : ٣٣٠٠، ٣٦٠٠، ٦٤٩٥، ٧٠٨٨].

तशरीह : ह़दीष़ का मक़स़द ये है कि जब फ़ित्ना व फ़साद इतना बढ़ जाएगा कि उसकी इस्लाह बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आने लगेगी, तो ऐसे वक़्त में सबसे **यक्सूई (एकांतवास)** बेहतर है। फ़ित्ने में फ़िस्को-फ़ुजूर की ज़्यादती, राजनीतिक हालात और मुल्क (देश) के हालात की **बद-उन्वानी (अराजकता)** ये सब चीज़ें दाख़िल हैं, जिनकी वजह से मर्दे-मोमिन के लिये अपने दीन और ईमान की ह़िफ़ाज़त दुश्वार हो जाती है। इन ह़ालात में अगर महज़ दीन की ह़िफ़ाज़त के जज़्बे से आदमी किसी **तन्हाई (एकांत)** की जगह में चला जाए; जहाँ फ़ित्ने व फ़साद से बच सके तो ये दीन ही की बात है और उस पर भी आदमी को ष़वाब मिलेगा।

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) का मक़स़द यही है कि अपने दीन को बचाने के लिये सबसे यक्सूई इख़्तियार करने का अ़मल भी ईमान में दाख़िल है। जो लोग आ'माले-स़ालेहा को ईमान से जुदा क़रार देते हैं उनका क़ौल स़ह़ीह़ नहीं है।

बकरियों का ज़िक्र इसलिये किया गया कि उस पर इन्सान आसानी से क़ाबू पा लेता है और ये इन्सान के लिये **मुज़ाह़िमत (मनाही)** भी नहीं करती। ये बहुत ही ग़रीब और मिस्कीन जानवर है। इसको जन्नत के चौपायों में से कहा गया है। इससे इन्सान को नफ़ा भी बहुत है। इसका दूध बहुत मुफ़ीद है, जिसके इस्ते'माल से तबीयत हल्की रहती है। नीज़ इसकी नस्ल भी बहुत बढ़ती है। इसकी ख़ुराक के लिये भी ज़्यादा एहतिमाम करने की ज़रूरत नहीं होती। जंगलों में अपना पेट ख़ुद भर लेती है। आसानी के साथ पहाड़ों पर चढ़ जाती है। इसलिये फ़ित्ने-फ़साद के वक़्त पहाड़ों-जंगलों में तन्हाई इख़्तियार करके इस **मुफ़ीदतरीन (सर्वाधिक लाभदायक)** जानवर की परवरिश से ज़िन्दगी का गुज़ारा करना मुनासिब है। आँह़ज़रत (ﷺ) ये **पेशीनगोई (भविष्यवाणी)** के तौर पर फ़र्माया था। चुनाँचे इतिहास में बहुत से पुरफ़ितन ज़माने आए और कितने ही अल्लाह के बन्दों ने अपने दीन और ईमान की ह़िफ़ाज़त के लिये आबादी से वीरानों को इख़्तियार किया। इसलिये अ़मल ईमान में दाख़िल है क्योंकि इससे ईमान व इस्लाम की हिफ़ाज़त मक़्सूद है।

बाब 13 : रसूलुल्लाह (ﷺ) के उस इर्शाद की तफ़्सील कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह तआ़ला को जानता हूँ और इस बात का षुबूत कि मअ़रिफ़त दिल का फ़ेअ़ल है। इसलिये अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है, 'लेकिन (अल्लाह) गिरफ़्त करेगा उस पर जो तुम्हारे दिलों ने किया होगा।'

١٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ)) وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

(20) यह हदीष़ हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान की, वो कहते हैं कि उन्हें उसकी उ़बादा ने ख़बर दी, वो हिशाम से नक़ल करते हैं, हिशाम ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से, वो फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में त़ाक़त होती (इस पर) स़हाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं (आप तो मासूम हैं) और आपके अल्लाह पाक ने अगले-पिछले सब गुनाह मुआ़फ़ कर दिये हैं। (इसलिये हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फ़र्माइये, यह सुनकर) आप नाराज़ हुए यहाँ तक कि नाराज़गी आपके मुबारक चेहरे से ज़ाहिर होने लगी। फिर फ़र्माया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ (बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नही कर सकते)।

٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ. قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: ((إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا)).

तश्रीह : इस बाब के तह़त इमाम बुख़ारी (रह़.) ये ष़ाबित करना चाहते हैं कि ईमान का ता'ल्लुक़ दिल से है और दिल का काम हर जगह एक सा नहीं होता। रसूलुल्लाह (ﷺ) के **क़ल्ब (दिल)** की ईमानी कैफ़ियत तमाम स़ह़ाबा और तमाम मख़्लूक़ात से बढ़कर थी। यहाँ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) मुर्जिया के साथ-साथ करामिया के क़ौल का बुत़लान भी ष़ाबित करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि ईमान सिर्फ़ क़ौल का नाम है और ये ह़दीष़ ईमान की कमी व ज़्यादती के लिये भी दलील है। आँह़ज़रत (ﷺ) के फ़र्मान **'अना आ़लमुकुम बिल्लाहि'** से ज़ाहिर है कि इल्म बिल्लाह के दर्जे हैं और इस बारे में लोग एक-दूसरे से कम-ज़्यादा हो सकते हैं और आँह़ज़रत (ﷺ) इस मामले में तमाम स़ह़ाबा बल्कि तमाम इन्सानों से बढ़-चढ़कर ह़ैषियत रखते हैं। बाज़ स़ह़ाबी आप (ﷺ) से बढ़कर इबादत करना चाहते थे। आप (ﷺ) ने इस ख़याल की **तग़लीत (भूल-सुधार)** में फ़र्माया कि तुम्हारा ये ख़याल स़ह़ीह़ नहीं; (और यह भी कि) तुम कितनी ही इबादत करो मगर मुझसे (आगे) नहीं बढ़ सकते हो, (यह) इसलिये कि मअ़रिफ़ते-इलाही तुम सबसे ज़्यादा मुझी को ह़ासिल है।

इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि इबादत में **मियाना-रवी (मध्यमार्ग)** ही अल्लाह को पसन्द है। ऐसी इबादत जो त़ाक़त से ज़्यादा हो, इस्लाम में पसंदीदा नहीं है और ये भी मा'लूम हुआ कि ईमान मअ़रिफ़ते-रब **(रब की पहचान)** का नाम है और मअ़रिफ़त का ता'ल्लुक़ दिल से है। इसलिये ईमान मह़ज़ ज़बानी इक़रार को नहीं कहा जा सकता। इसके लिये मअ़रिफ़ते-क़ल्ब भी ज़रूरी है और ईमान की कमी-बेशी भी ष़ाबित हुई।

बाब 14 : इस बयान में कि जो आदमी कुफ़्र की त़रफ़ वापसी को आग में गिरने के बराबर समझे, तो उसकी यह रविश भी ईमान में दाख़िल है

١٤- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيْمَانِ

(21) इस ह़दीष़ को हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने, वो क़तादा से रिवायत करते हैं, वो ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से और वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स में यह तीन बातें होंगी वो ईमान का

٢١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ

فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ)).

मज़ा चख लेगा, एक यह कि वो शख़्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके मासिवा (तमाम दुनियवी चीज़ों) से ज़्यादा अज़ीज़ हों और दूसरे यह कि जो किसी बन्दे से महज़ अल्लाह के लिए मुहब्बत करे और तीसरी बात यह कि अल्लाह ने जिसे कुफ़्र से नजात दी हो, फिर दोबारा कुफ़्र इख़्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है।

तश्रीह : ज़ाहिर है कि जिस शख़्स के दिल में अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की मुहब्बत फ़िल हक़ीक़त बैठ जाए वो (फिर) कुफ़्र को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस मुहब्बत का इज़हार महज़ इक़रार से नहीं बल्कि अहकामात की इताअत और नफ़्स की कोशिश से हो सकता है और ऐसा ही आदमी दरहक़ीक़त इस्लाम की राह में मुसीबतें झेलकर भी ख़ुश रह सकता है। इस हदीष से यह भी षाबित हुआ कि सारी पाकीज़ा आदतें और **इस्तिक़ामत (दृढ़ता)** ये सब ईमान में दाख़िल हैं। अभी पीछे यही हदीष ज़िक्र हो चुकी है, जिसमें **'बअद इज़ अन्क़ज़हुल्लाहु'** के लफ़्ज़ नहीं थे। **मज़ीद तफ़्सीलात (विस्तृत विवरण)** के लिये पिछले पेजों का मुतालआ (अध्ययन) कीजिये।

हज़रत नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (रह.) फ़र्माते हैं, **'व हाज़ल हदीषु बिमअ़न हदीषि ज़ाक़ तुअमल ईमानि मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिस्लामि दीनन व बिमुहम्मद (ﷺ) रसूलन व ज़ालिक अन्नहू ला यसिहहुल महब्बतु लिल्लाहि व रसूलिही हक़ीक़तन व हुब्बुल आदमी फ़िल्लाहि व रसूलिही व कराहतुर्रुजूइ इलल कुफ़्रि ला यकूनु इल्ला लिमन क़विय्युल इमानि यक़ीनुहू वत्मअन्नत बिही नफ़्सुहू वन्शरह लहू सदरुहू व ख़ालत लहमुहू व दमुह व हाज़ा हुवल्लज़ी वजद हलावतहू वलहुब्बु फ़िल्लाहि मिन षमराति हुब्बिल्लाहि'** (सिराजुल वह्हाज : 36) यानी ये हदीष दूसरी हदीष **'ज़ाक़ तुअमल ईमानि'** के ही मा'ने में है, जिसमें वारिद है कि ईमान का मज़ा उसने चख लिया जो अल्लाह के **रब (पालनहार)** होने पर राज़ी हो गया और जिसने इस्लाम को दीन की हैषियत से पसन्द कर लिया और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को अल्लाह के रसूल की हैषियत से मान लिया, उसने ईमान का मज़ा हासिल कर लिया। और ये ने'मत उसी ख़ुशनसीब इन्सान को हासिल होती है जिसके ईमान ने उसके यक़ीन को ताक़तवर कर दिया हो और उसका नफ़्स **मुतमईन (संतुष्ट)** हो गया और उसका सीना खुल गया और ईमान व यक़ीन उसके गोश्त-पोस्त व ख़ून में दाख़िल हो गया। यही वो ख़ुशनसीब है जिसने ईमान की हलावत (मिठास) पाई और अल्लाह के लिये उसके नेक बन्दों की मुहब्बत अल्लाह ही की मुहब्बत का फल है। फिर आगे हज़रत नवाब सिद्दीक़ साहब मरहूम फ़र्माते हैं कि मुहब्बत दिली मेलान (झुकाव) का नाम है। कभी ये हसीनो-जमील सूरतों की तरफ़ होता है, कभी अच्छी आवाज़ या अच्छे खाने की तरफ़, कभी लज़्ज़ते-मेलान **बातिनी मा'नी (गूढ़ अर्थ)** से मुता'ल्लिक़ होती है। जैसे सालिहीन व उलमा व अहले फ़ज़्ल से उनके मरातिबे-कमाल की बिना (आधार) पर मुहब्बत रखना। कभी मुहब्बत ऐसे लोगों से पैदा हो जाती है जो साहिबे-इहसान हैं, जिन्होंने तकलीफ़ों और मुसीबतों के वक़्त मदद की है। ऐसे लोगों की मुहब्बत भी (उम्दा) है इस क़िस्म की सारी ख़ूबियाँ अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की ज़ाते-गिरामी में जमा हैं। आपका जमाल (सौन्दर्य) ज़ाहिर व बातिन और आपके ख़िसाले हमीदा (प्रशंसनीय आदतें) और फ़ज़ाइल और जमीउल मुस्लिमीन पर आप (ﷺ) के एहसानात ज़ाहिर हैं, इसलिये आप (ﷺ) की मुहब्बत ईमान का ऐन तक़ाज़ा है।

आगे हज़रत नवाब मरहूम ने **इश्क़े-मजाज़ी (दुनियावी मुहब्बत)** पर एक तवील तब्सरा फ़र्माते हुए बतलाया है कि **'व मिन आज़ामि मकाइदिश्शैतानि मा फ़त्तन बिही उश्शाकुन सुवरुल मर्दि वन्निस्वानि व तिल्क लिअमरिल्लाहि फ़ितनतुन कुब्रा व बलियतुन उज़्मा'** यानी शैतान के अज़ीमतरीन जालों में से एक जाल यह है जिसमें बहुत से आशिक़ मुब्तला रहते चले आए हैं और इस वक़्त भी मौजूद हैं जो लड़कों और औरतों की सूरतों पर आशिक़ होकर अपनी दुनिया व आख़िरत तबाह कर लेते हैं और क़सम अल्लाह की ये बहुत ही बड़ा फ़ित्ना और बहुत ही बड़ी मुसीबत है। अल्लाह तमाम मुसलमानों को इससे महफ़ूज़ रखे, आमीन!

हज़रत इमामुल मुफ़स्सिरीन नासिरुल मुहद्दिषीन नवाब साहब मरहूम दूसरी जगह अपने मशहूर मक़ाला तहरीमुल

ख़म्र में फ़र्माते हैं, 'मर्ज़े-इश्क़ को शराब व ज़िना के साथ मिष्ले-ग़िना के एक मुनासबते-ख़ास है। ये मर्ज़े-शहवत फ़रज (शर्मगाह) से पैदा होता है, जिस किसी के मिजाज़ पर शहवत (वासना) हावी हो जाती है ये बीमारी उस शहवत-परस्त को पकड़ लेती है, जब विसाले-मा'शूक़ (प्रेमी/प्रेमिका का मिलन) महाल होता है या मयस्सर नहीं आता तो इश्क़ से हरकाते-बेअक्ली (मूर्खतापूर्ण हरकतें) ज़ाहिर होने लगती हैं। लिहाज़ा दीनी किताबों में इश्क़ की मज़म्मत आई है और इसका अंजाम शिर्क ठहराया है। क़ुर्आनो-ह़दीष़ में किसी जगह इस मनहूस लफ़्ज़ का इस्ते'माल नहीं हुआ। क़िस्स-ए-ज़ुलैख़ा में इफ़राते-मुहब्बत को 'शग़फ़े हुब्ब' के लफ़्ज़ से ता'बीर किया गया है। ये ह़रकत ज़ुलैख़ा से हालते-कुफ़्र में सादिर हुई थी। हिन्दुओं में भी ज़ुहूरे-इश्क़ (इज़्हारे-इश्क़) औरतों की तरफ़ से होता है। इसके विपरीत अरब में मर्द आशिक़ी में गिरफ़्तार होते हैं, जिस तरह क़ैस (मजनूं) लैला पर फ़रेफ़्ता (दीवाना) था। इससे बदतर इश्क़ अहले फ़ारस का है कि वो मर्द पर रीझते हैं। ये एक क़िस्म की इग़लाम (समलैंगिकता) है। इसी तरह औरत की तरफ़ से इश्क़ का ज़ाहिर होना ज़िना की पेशक़दमी है, जो कोई इस मर्ज़ का मरीज़ होता है, वो शराबी ज़ानी हो जाता है। अहले इल्म ने लिखा है कि इश्क़ बन्दे को तौहीदे-ख़ुदावन्दी से रोक कर शिर्क व बुतपरस्ती में गिरफ़्तार कर देता है। इसलिये कि आशिक़, मा'शूक़ का बन्दा हो जाता है; उसकी रज़ामन्दी को ख़ालिक़ की रज़ामन्दी पर मुक़द्दम (सर्वोपरि) रखता है, यही उसकी सनम-परस्ती है। किताबु इग़ाष़तिल लफ़हानि व किताबुद्दवाइल काफ़ी' और दीगर रिसालों में इश्क़ की आफ़तों और मुसीबतों को तफ़्सीलवार (विस्तारपूर्वक) लिखा है। अल्लाह तआला इस शिर्के-शीरीं और कुफ़्रे नमकीन से बचाकर अपनी मुहब्बत बख़्शे और मजाज़ (भ्रम) से ह़क़ीक़त की तरफ़ लाए। ह़दीष़ में आया है कि 'हुब्बुक्कश्शैआ यअमा व यसुम्मु' यानी किसी चीज़ की मुहब्बत तुझको अंधा-बहरा बना देती है।

लेखक कहता है कि यही हाल मुक़ल्लिदीने-जामिद का है जिनका तौर-तरीक़ा बिल्कुल उन लोगों के मुताबिक़ है, जिनका हाल अल्लाह पाक ने यूँ बयान फ़र्माया है, 'इत्तख़ज़ू अह़बारहुम व रुहबानहुम अरबाबम्मिनदूनिल्लाहि' (तौबा : 31) उन्होंने अपने उलमा व मशाइख़ को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। अइम्म-ए-मुज्तहिदीन का एहतिराम अपनी जगह पर है मगर उनके हर फ़त्वे या हर इर्शाद को आसमानी वह्य जैसा दर्जा देना किसी तरह मुनासिब नहीं कहा जा सकता। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इफ़रातो-तफ़रीत से बचाए, आमीन!

बाब 15 : (इस बयान में कि) ईमानवालों का अ़मल में एक-दूसरे से बढ़ जाना (ऐन मुम्किन है)

١٥- بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيْمَانِ فِي الأَعْمَالِ

(22) हमसे इस्माईल ने यह ह़दीष़ बयान की, वो कहते हैं उनसे मालिक ने, वो अ़म्र बिन यह्या अल माज़िनी से नक़ल करते हैं, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं और वो ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से और वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब जन्नती जन्नत में दाख़िल और जहन्नमी जहन्नम में दाख़िल हो जाएँगे। अल्लाह पाक फ़र्माएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर (भी) ईमान हो, उसको भी जहन्नम से निकाल लो। तब (ऐसे लोग) जहन्नम से निकाल लिए जाएँगे और वो जलकर कोयले की तरह स्याह (काले) हो चुके होंगे। फिर आबे-हयात में या बारिश के पानी में डाले जाएँगे। (यहाँ रावी को शक हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौनसा लफ़्ज़ इस्ते'माल किया) उस वक़्त वो दाने की तरह उग आएँगे, जिस

٢٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَا - أَوِ الْحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ

तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा दाना ज़र्दी माइल पेच दरपेच निकलता है। वुहैब ने कहा कि हमसे अम्र ने (हया की बजाए) हयात, और (ख़र्दलिम मिन ईमान) की बजाय (ख़र्दलिम मिन ख़ैर) का लफ़्ज़ बयान किया। (दीगर मक़ामात : 6560, 6574, 7438, 7439)

صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً))؟ قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو ((الْحَيَاةِ)). وَقَالَ: ((خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ)).[أطرافه في : ٤٥٨١، ٤٩١٩، ٦٥٦٠، ٦٥٧٤، ٧٤٣٨، ٧٤٣٩].

तश्रीह : इस हदीष़ से साफ़ ज़ाहिर हुआ कि जिस किसी के दिल में ईमान कम से कम होगा, किसी न किसी दिन वो मशिय्यते-एज़्दी के त हत अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद दोज़ख़ से निकालकर जन्नत में दाख़िल कर दिया जाएगा। इससे यह भी मा'लूम हुआ कि ईमान पर नजात का दारोमदार तो है, मगर अल्लाह के यहाँ दर्जे आ'माल से ही मिलेंगे जिस क़दर आ'माल उम्दा और नेक होंगे, उसी क़दर उसकी इज़्ज़त होगी।

इससे ज़ाहिर हुआ कि आ'माल ईमान में दाख़िल हैं और कुछ लोग ईमान में तरक़्क़ीयाफ़्ता होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनका ईमान कमज़ोर होता है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के दिल में ईमान महज़ एक राई के दाने के बराबर होता है। हदीषे-नबवी में इस क़दर वज़ाहत के बाद भी जो लोग सारे ईमानवालों का ईमान **यक्साँ (समान)** मानते हैं और (ईमान में) कमी-बेशी के क़ाइल नहीं, उनके इस क़ौल का ख़ुद अन्दाज़ा कर लेना चाहिये। अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, '**व वजहु मुताबक़ति हाज़ल हदीषि लित्तर्जुमति ज़ाहिरुन व अराद बिईरादिही अर्रद्दु अ़लल मुर्जिअति लिमा फ़ीहि मिन ज़ररिल मआसी मअल ईमानि व अ़लल मुअ़तज़िलति फ़ी अन्नल मआसी मूजिबतुन लिल ख़ुलूदि**' यानी इस हदीष़ की बाब से **मुताबक़त (समरूपता)** ज़ाहिर है और हज़रत मुसन्निफ़ (इमाम बुख़ारी रह.) का यहाँ इस हदीष़ को लाने का मक़सद मुर्जिया की **तर्दीद (खण्डन)** करना है। इसलिये कि इसमें ईमान के बावजूद **मआसी (नाफ़र्मानी)** का ज़रर व नुक़्सान बतलाया गया है और मुअ़तज़िला पर रद्द है जो कहते हैं कि गुनाहगार लोग दोज़ख़ में हमेशा रहेंगे।

(23) हमसे मुहम्मद बिन उ़बैदुल्लाह ने यह हदीष़ बयान की, उनसे इब्राहीम बिन सअ़द ने, वो स़ालेह से रिवायत करते हैं, वो इब्ने शिहाब से, वो अबू उमामा इब्ने सहल बिन हुनीफ़ से रावी हैं, वो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से, कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं एक वक़्त सो रहा था, मैंने ख़्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। (फिर) मेरे सामने उ़मर बिन ख़त्ताब लाए गए। उनके (बदन) पर (जो) कुर्ता था। उसे वो घसीट रहे थे। (यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था) स़हाबा (रज़ि.) ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसकी क्या ता'बीर है? आपने फ़र्माया कि (इससे) दीन मुराद है।

(दीगर मक़ाम : 3691, 7008, 7009)

٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُوْنَ ذَلِكَ. وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((الدِّيْنَ)).

[أطرافه في: ٣٦٩١، ٧٠٠٨، ٧٠٠٩].

तश्रीह : मतलब ये है कि दीन हज़रत उ़मर (रज़ि.) की ज़ात में इस तरह जमा हो गया कि किसी और को ये शरफ़ (श्रेय) हासिल नहीं हुआ। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की शख़्सियत अपनी फ़िदाकारी व जाँनिषारी और दीनी अ़ज़मत व अहलियत के लिहाज़ से हज़रत उ़मर (रज़ि.) से भी बढ़कर है और बुज़ुर्गी व अ़ज़मत में वो सबसे बढ़कर हुए हैं। मगर इस्लाम को जो तरक़्क़ी और दीन की हैषियत से जो (शानो-)शौकत हज़रत उ़मर (रज़ि.) की ज़ात से हुई वो बढ़-चढ़कर

है। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि उनका कुर्ता सबसे बढ़ा हुआ था, इसलिये उनकी दीनी फ़हम (समझ-बूझ) भी औरों से बढ़कर थी। दीन की इसी कमी-बेशी में उन लोगों की तर्दीद (खण्डन) है जो कहते हैं कि ईमान कम व ज़्यादा नहीं होता। इस रिवायत के नक़ल करने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का यही मक़सद है।

'व मुताबकतुहू लित्तर्जुमति ज़ाहिरतुन मिन जिहति तावीलिल कुमुसि बिद्दीनि व क़द ज़ुकिर अन्नहुम मुतफ़ाज़िलून फ़ी लुब्सिहा फ़दल ल अला अन्नहुम मुतफ़ाज़िलून फ़िलईमानि' यानी हदीष व बाब की **मुताबक़त (समानता)** साफ़ तौर पर ज़ाहिर है कि क़मीसों से दीन मुराद है और मज़्कूर हुआ कि लोग उनके पहनने में कमी-बेशी की हालत में हैं। यही दलील है कि वो ईमान में भी कम व ज़्यादा हैं।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **'व फ़ी हाज़ल हदीषि अत्तश्बीहुल बलीग़ु व हुव तशबीहुद्दीनि बिल क़मीसि लिअन्नहू लियस्तिर औरतल इन्सानि व कज़ालिकद्दीन यस्तिरूहू मिनन्नारि व फ़ीहिद्दलालतु अलत्तफ़ाज़ुलि फिल ईमानि कमा हुव मफ़्हुमु तावीलिल क़मीसि बिद्दीनि मअ मा ज़िकिरही मिन अन्नल्लाबिसीन यतफ़ाज़लून फ़ी लुब्सिही'** यानी इस हदीष में एक गहरी **बलीग़ तश्बीह (अलंकारपूर्ण उपमा)** है जो क़मीस के साथ दी गई है, क़मीस इन्सान के शरीर को छुपाने वाली है, इस तरह दीन दोज़ख़ की आग से छुपा लेगा। इसमें ईमान की कमी-बेशी पर भी दलील है जैसा कि क़मीस के साथ दीन की ता'बीर का मफ़्हूम है। जिस तरह क़मीस पहनने वाले उसके पहनने में कम व ज़्यादा हैं उसी तरह दीन में भी लोग कम व ज़्यादा दर्जे रखते हैं। पस ईमान की कमी व ज़्यादती षाबित हुई। इस हदीष के सारे रावी मदनी हैं। हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन आगे उन चीज़ों का बयान शुरू फ़र्मा रहे हैं जिनके न होने से ईमान में **नुक्स (कमी/त्रुटि)** लाज़िम आती है।

चुनाँचे अगला बाब इस मज़मून से मुता'ल्लिक़ है।

बाब 16 : शर्म व हया भी ईमान से है

١٦- بَابُ الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ

(24) अब्दुल्लाह इब्ने युसुफ़ ने हमसे बयान किया, वो कहते हैं के हमें मालिक इब्ने अनस ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, वो सालिम बिन अब्दुल्लाह से नक़ल करते हैं, वो अपने बाप (अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि एक दफ़ा रसूले करीम (ﷺ) एक अंसारी शख़्स के पास से गुज़रे इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने उस अंसारी से फ़र्माया कि उसको उस हाल पर रहने दो क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। (दीगर मक़ाम : 6118)

٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ - وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيْمَانِ)).

[أطرافه في : ٦١١٨].

तश्रीह : बुख़ारी किताबुल अदब में यही रिवायत इब्ने शिहाब से आई है। इसमें लफ़्ज़ यइज़ु की जगह **युआतिबु** है जिससे ज़ाहिर है कि वो अन्सारी उसको इस बारे में **इताब (गुस्सा/क्रोध)** कर रहे थे। आँहज़रत (ﷺ) ने अन्सारी से फ़र्माया, 'इसे इसकी हालत पर रहने दो; हया ईमान का ही हिस्सा है।'

हया कि हक़ीक़त ये है कि इन्सान बुराई की निस्बत अपने नाम होने से डरे। हराम कामों में हया करना वाजिब है और **मकरूहात (नापसन्दीदा कामों)** में भी हया को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। **'अल हयाउ ला याती इल्ला बिख़ैर'** का यही मतलब है कि हया ख़ैर ही लाती है। बाज़ सलफ़ का क़ौल है, **'ख़ुफ़िल्लाह अला क़ुदरतिही अलैक वस्तही मिन्हु अला क़ुदरतिही क़ुर्बहू मिन्क'** अल्लाह का ख़ौफ़ पैदा करो, इस अन्दाज़े के मुताबिक़ कि वो तुम्हारे ऊपर कितनी ज़बरदस्त क़ुदरत रखता है और उससे शर्म रखो, ये अन्दाज़ा करते हुए कि वो तुमसे किस क़दर क़रीब है। मक़सद ये है कि अल्लाह का ख़ौफ़ पूरे

तौर पर हो कि वो तुम्हारे ऊपर अपनी कामिल क़ुदरत रखता है; जब वो चाहे, जिस तरह चाहे तुमको पकड़े और उससे शर्मो-हया भी इस ख़याल से होनी चाहिये कि वो तुम्हारी शहे रग से भी ज़्यादा क़रीब है।

अल ग़रज़ हया और शर्म इन्सान का एक फ़ितरी नेक जज़्बा है जो उसे बेहयाई से रोक देता है और उसके **तुफ़ैल (ज़रिये)** वो बहुत से गुनाहों के करने से बच जाता है। ये ज़रूरी है कि हया से मुराद बेजा शर्म नहीं है जिसकी वजह से इन्सान की **जुरअते अमल (अमल करने का हौसला)** ही **मफ़्क़ूद (गुम/ग़ायब)** हो जाए। वो अपने ज़रूरी फ़राइज़ की अदायगी में भी शर्मो-हया का बहाना तलाश करने लगे। हज़रत इमामुल मुहद्दिष़ीन इस हदीष़ की नक़ल से भी मुर्जिया की तर्दीद करना चाहते हैं जो ईमान को सिर्फ़ क़ौल, बिला अमल मानते हैं। हालांकि किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) में सारे आ'माले सालेहा व नेक आदतों को ईमान का ही अजज़ा (अंग) क़रार दिया गया है, जैसा कि ऊपर की हदीष़ से ज़ाहिर है कि हया जैसी पाकीज़ा आदत भी ईमान में दाख़िल है।

बाब 17 : अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तफ़्सीर में कि अगर वो (काफ़िर) तौबा कर लें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो (यानी उनसे जंग न करो)

(25) इस हदीष़ को अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उनसे अबू रूह हर्मी बिन अम्मारा ने, उनसे शुअबा ने, वो वाक़िद बिन मुहम्मद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं मैंने यह हदीष़ अपने बाप से सुनी, वो इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे अल्लाह की तरफ़ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करो उस वक़्त तक कि वो इस बात का इक़रार कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं है और यह कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज़ अदा करने लगें और ज़कात दें, जिस वक़्त वो यह करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान व माल को महफ़ूज़ कर लेंगे, सिवाए इस्लाम के हक़ के (रहा उनके दिल का हाल तो) उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।

١٧- بَابُ ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾

٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ)).

तशरीह : अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीष़ को ईमान के बाब में लाने से फ़िर्क़-ए-ज़ाल्ला (गुमराह फ़िर्क़ा) मुर्जिया की **तर्दीद (खण्डन)** करना **मक़्सूद (अभीष्ट)** है। जिनका गुमान है कि ईमान के लिये **अमल की हाजत (कर्म की आवश्यकता)** नहीं। आयत और हदीष़ में मुताबक़त (समानता) ज़ाहिर है; तौबा करने और नमाज़ व ज़कात की अदायगी पर आयत में हुक्म दिया गया है कि उनका रास्ता छोड़ दो यानी जंग न करो। और हदीष़ में उसकी मज़ीद तफ़्सीर (विस्तृत व्याख्या) के तौर पर नमाज़ व ज़कात के साथ कलिम-ए-शहादत का भी ज़िक्र किया गया और बतलाया गया कि जो लोग उन ज़ाहिरी आ'माल को बजा लाएंगे उनको यक़ीनन मुसलमान ही तसव्वुर किया (यानी समझा) जाएगा और वे सारे इस्लामी हुक़ूक़ के हक़दार होंगे। रहा उनके दिल के हाल का सवाल, तो वो अल्लाह के हवाले है कि दिलों के भेदों का जानने वाला वही है।

'इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम' का मतलब ये है कि इस्लामी क़वानीन के तहत अगर वो किसी सज़ा या हद के मुस्तहिक़ होंगे तो उस वक़्त उनका ज़ाहिरी इस्लाम इस बारे में रुकावट न बन सकेगा और शरई सज़ा बिज़्ज़रूर (अनिवार्यतः) उन पर लागू होगी। जैसे **ज़ानी (ज़िना/बदकारी करने वाले)** के लिये **रजम (संगसार कर देना)** है, **नाहक़ ख़ूँरेज़ी (अकारण हत्या)**

करने वाले के लिये **क़िसास (बदला)** है। जैसे वो लोग जिन्होंने आँहज़रत (ﷺ) के विसाल के बाद ज़कात (अदा करने) से इन्कार कर दिया था, जिस पर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने साफ़-साफ़ फ़र्मा दिया था कि **'लअक़्तुलन्नक मन फ़र्रक़ बैनस्सलात वज़्ज़कात'** जो लोग नमाज़ की फ़रज़ियत के क़ाइल हैं मगर ज़कात की फ़रज़ियत और अदायगी से इन्कार कर रहे हैं उनसे मैं ज़रूर **मुक़ातलः (युद्ध)** करूंगा, **'इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम'** में ऐसे सारे काम दाख़िल हैं।

मज़्कूरा आयते शरीफ़ा सूरह तौबा में है जो पूरी यह है, **'फ़इज़न-स-ल ख़ल-अश्हुरुल-हुरुमु फ़क़्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजत्तुमूहुम व ख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़्उदू लहुम कुल- ल मर्सदिन फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह ग़फ़ूर्रहीम'** (तौबा : 5) यानी हुर्मत के महीने गुज़र जाने के बाद (मुदाफ़िआना तौर पर) मुश्रिकीन से जंग करो और जहाँ भी तुम्हारा दाँव लगे उनको मारो, पकड़ो, क़ैद कर लो और उनके पकड़ने या ज़ेर (अधीन) करने के लिये हर घात में बैठो। फिर अगर वो शरारत से तौबा करें और नमाज़ पढ़ने लगें और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो क्योंकि अल्लाह पाक बख़्शने वाला मेहरबान है।

आयते शरीफ़ा का ता'ल्लुक़ उन मुश्रिकीने अरब के साथ है जिन्होंने मुसलमानों को एक लम्हे के लिये भी सुकून से नहीं बैठने दिया और हर वक़्त वे मदीना की ईंट से ईंट बजाने की फ़िक्र में रहे और **'ख़ुद जियो और दूसरों को भी जीने दो'** का फ़ितरी उसूल क़तअन भुला दिया। आख़िर मुसलमानों को मजबूरन **मुदाफ़अत** (हमले की रोक/बचाव) के लिये क़दम उठाना पड़ा। आयत का ता'ल्लुक़ उन्हीं लोगों से है, इस पर भी उन लोगों को आज़ादी दी गई कि अगर वो जारिहाना इक़्दाम से बाज़ आ जाएं और जंग बंद करके जिज़्या अदा करें तो उनको अमन दिया जाएगा और अगर इस्लाम क़ुबूल कर लें तो फिर वो इस्लामी बिरादरी के फ़र्द बन जाएंगे और उन्हें सारे इस्लामी हुक़ूक़ हासिल होंगे।

अल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, **'व यूख़ज़ु मिन हाज़ल हदीषि क़ुबूलुल आमालिज़्ज़ाहिरति वलहुक्मु बिमा यक़्तज़ीहिज़्ज़ाहिरु वल इक्तिफ़ाउ फ़ी क़ुबूलिल ईमानि बिलइतिक़ादिल जाज़िमि'** यानी इस हदीष से मा'लूम हुआ कि ज़ाहिरी आ'माल को क़ुबूल किया जाएगा और ज़ाहिरी हाल ही पर हुक्म लगाया जाएगा और **पुख़्ता ऐ'तिक़ाद (मज़बूत अक़ीदा/ठोस आस्था)** को क़ुबूलियते ईमान के लिये काफ़ी समझा जाएगा।

अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **'व यूख़ज़ु मिन्हु तर्कु त कफ़ीरिन अहलुलबिदइल मुक़र्रबीन बित्तौहीदिल मुल्तज़िमीन लिश्शराएइ व क़ुबूलि तौबतिल काफ़िरि मिन कुफ़्रिही मिन ग़ैरि तफ़्सीलिन बैन कुफ़्रिन ज़ाहिरिन औ बातिनिन'** यानी इस हदीष से ये भी लिया जाएगा कि जो अहले बिदअत तौहीद के इक़रारी और शराएअ का इल्तिज़ाम (शरीअत को अपने ऊपर लाज़िम) करने वाले हैं उनकी तकफ़ीर न की जाएगी (यानी उनको काफ़िर नहीं कहा जाएगा) और ये कि काफ़िर की तौबा क़ुबूल की जाएगी और इसकी तफ़्सील में न जाएंगे कि वो तौबा ज़ाहिरी कर रहा है या उसके दिल से भी इसका ता'ल्लुक़ है क्योंकि ये मामला अल्लाह के हवाले है। हाँ! जो लोग बिदअत की मुहब्बत में गिरफ़्तार होकर ऐलानिया तौहीन व इन्कारे सुन्नत करेंगे वो ज़रूर आयते करीमा **'फ़ इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन'** (आले इमरान : 32) के मिस्दाक़ होंगे।

हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन (रह.) मुर्जिया की तर्दीद करते हुए और ये बतलाते हुए कि आ'माल भी ईमान ही में दाख़िल हैं, **मज़ीद तफ़्सील (विस्तृत विवरण)** के तौर पर आगे बतलाना चाहते हैं कि बहुत सी क़ुर्आनी आयात और अहादीषे नबवी में लफ़्ज़े 'अमल' इस्ते'माल हुआ है, वहाँ उससे मुराद ईमान है। पस मुर्जिया का ये क़ौल कि ईमान **क़ौल बिला अमल (मात्र वचन, कर्म रहित)** का नाम है, **बातिल (असत्य/झूठ)** है।

हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं, **'व फ़िल हदीषि रद्दुन अलल मुर्जिअति फ़ी क़ौलिहिम अन्नल ईमान ग़ैर मुफ़्तकिरिन इलल आमालि व फ़ीहि तम्बीहुन अला अन्नल आ'माल मिनल ईमानि वल हदीषु मुवाफ़िक़ुन लि क़ौलिही तआला फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात फ़ख़ल्लौव सबीलहुम मुत्तफ़क़ुन अलैहि अख़रजहुल बुख़ारी फ़िल ईमानि वस्सलाति मुस्लिमुन फ़िल ईमानि इल्ला अन्न मुस्लिमन लम यज़कुर इल्ला बिहक़्क़िल इस्लामि लाकिन्नहू मुरादुन वल हदीषु अख़रजहु अयज़न अश्शैख़ानि मिन हदीषि अबी हुरैरत वल बुख़ारी मिन हदीषि अनस व मुस्लिम मिन हदीषि जाबिर'** (मिर्आत जिल्द अव्वल पेज नं. 36) मुराद वही है जो ऊपर बयान हुआ है। इस हदीष को इमाम बुख़ारी ने किताबुल ईमान और किताबुस्सलात में नक़ल किया है और इमाम मुस्लिम ने सिर्फ़ ईमान में और वहाँ लफ़्ज़ इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम ज़िक्र नहीं हुआ लेकिन मुराद वही है नीज़ इस हदीष को शैख़ान ने हदीषे अबू हुरैरह से और बुख़ारी ने हदीषे अनस से और मुस्लिम ने हदीषे जाबिर से भी रिवायत किया है।

बाब 18 : उस शख़्स के क़ौल की तस्दीक़ में जिसने कहा कि ईमान अमल (का नाम) है

١٨- بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है 'और यह जन्नत है अपने अमल के बदले में तुम जिसके मालिक हुए हो)' और बहुत से अहले इल्म हज़रात इर्शादे बारी (फ़ व रब्बिक ...) की तफ़्सीर में कहते हैं कि यहाँ अमल से मुराद 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहना है और अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि अमल करने वालों को उसी जैसा अमल करना चाहिए।

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ عَنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَالَ ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾

(26) हमसे अहमद बिन यूनुस और मूसा बिन इस्माईल दोनों ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, वो सईद बिन अल्‌मुसय्यिब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा अमल सबसे अफ़ज़ल है? फ़र्माया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना; कहा गया, उसके बाद कौनसा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना; कहा गया, फिर क्या है? आपने फ़र्माया हज्जे मबरूर।

(दीगर मक़ाम : 1519)

٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: ((إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)).

[طرفه في : ١٥١٩].

तश्रीह : हज़रत इमाम क़ुद्दससिर्रुहु यहाँ भी षाबित फ़र्मा रहे हैं कि ईमान और अमल दोनों चीज़ें दरहक़ीक़त एक ही हैं और क़ुर्आनी आयतें जो यहाँ मज़्कूर हैं, (उनमें) लफ़्ज़े अमल इस्ते'माल करके ईमान मुराद लिया गया है। जैसा कि आयते करीमा **'व तिल्कल जन्नतुल्लती औरषतुमुहा बिमा कुन्तुम तअमलून'** (अज़् ज़ुख़रुफ़ : 72) में है और बहुत से अहले इल्म जैसे अनस बिन मालिक, मुजाहिद और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने **बिलइत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मति)** से कहा है कि आयते करीमा **'फ़ व रब्बिक .....'** में **'अम्मा कानू यअमलून'** (अल हिज्र : 93) ये कलिमा तय्यिबा **'ला इलाहा इल्लल्लाह'** पढ़ना और इस पर अमल करना मुराद है कि क़यामत के दिन इसी के बारे में पूछा जाएगा। आयते शरीफ़ा **'लिमिष्लि हाज़ा फ़ल्यअमलिल आमिलून'** (अस् स़ाफ़्फ़ात : 61) में भी ईमान मुराद है। मक़सद ये कि किताबुल्लाह की इसी क़िस्म की सारी आयतों में अमल का लफ़्ज़ इस्ते'माल में लाकर ईमान मुराद लिया गया है। फिर मज़्कूरा ह़दीष़ में निहायत स़ाफ़ लफ़्ज़ों में मौजूद है, **'अय्युल अमलि अफ़ज़लु'** कौनसा अमल बेहतर है? जवाब में फ़र्माया, **'ईमान बिल्लाहि व रसूलिही'** अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) पर ईमान लाना। यहाँ इस बारे की ऐसी **स़राहत (स्पष्टीकरण)** मौजूद है, जिसमें किसी तावील की गुँजाइश ही नहीं। बाब का मतलब भी यहीं से निकलता है क्योंकि यहाँ ईमान को स़ाफ़-स़ाफ़ लफ़्ज़ों में ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) ने लफ़्ज़ अमल से ता'बीर फ़र्माया है और दूसरे आ'माल को इसलिये ज़िक्र फ़र्माया कि ईमान से यहाँ अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) पर यक़ीन रखना मुराद है। इसी ईमानी ताक़त के साथ मर्दे-मोमिन जिहाद के मैदान में गामज़न होता है। ह़ज्जे-मबरूर से ख़ालिस़ ह़ज्ज मुराद है जिसमें रिया व नुमूद (दिखावे) का शाइबा न हो। उसकी निशानी ये है कि ह़ज्ज के बाद आदमी गुनाहों से तौबा करे, फिर गुनाहों में मुब्तला (लिप्त) न हो।

अ़ल्लामा सिंधी फ़र्माते हैं, **'फ़मा वक़अ फ़िल क़ुर्आनि मिन अतफ़िल अ़मलि अ़लल ईमानि फ़ी मवाज़िअ फ़हुव मिन अतफ़िल आमि अ़लल ख़ास़ि लि मज़ीदिल इहतिमामि बिल ख़ास़ि वल्लाहु अअ़लमु'** यानी क़ुर्आन पाक के बाज़ मक़ामात पर अ़मल का अत्फ़ ईमान पर वाक़ेअ़ हुआ है और ये ईमाने ख़ास़ के पेशेनज़र आ़म का अ़त्फ़े-ख़ास पर है। ख़ुलास़ा ये है कि जो लोग ईमान क़ौल बिला अ़मल का ए'तिक़ाद (यक़ीन) रखते हैं वो सरासर ख़ता पर हैं और किताबो-सुन्नत से उनका ये अ़क़ीदा बात़िल, ज़ाहिर व बाहिर है।

अ़ल्लामा इब्ने ह़जर (रह़) फ़त्ह़ुल बारी में फ़र्माते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) से पूछने वाले ह़ज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि) थे।

इमाम नववी (रह़) फ़र्माते हैं कि इस ह़दीष़ में ईमान बिल्लाह के बाद जिहाद का फिर ह़ज्ज का ज़िक्र है। ह़दीष़े अबू ज़र में ह़ज्ज का ज़िक्र छोड़कर इत्क़ यानी ग़ुलाम आज़ाद करने का ज़िक्र है। ह़दीष़ इब्ने मसऊ़द (रज़ि) में नमाज़ फिर बिर्र (नेकी) फिर जिहाद का ज़िक्र है। कुछ जगह पहले उस शख़्स का ज़िक्र है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से लोग सलामती में रहें। ये जुम्ला इख़्तिलाफ़ात अह़वाले मुख़्तलिफ़ा की बिना पर और अहले ख़िताब की ज़रूरियात की बिना पर हैं। कुछ जगह सामेईन को जो चीज़ मा'लूम थीं उनका ज़िक्र नहीं किया गया और जो मा'लूम कराना था उसे ज़िक्र कर दिया गया। इस रिवायत में जिहाद को मुक़द्दम किया जो **अरकाने ख़म्सा** (पाँच बुनियादी अरकान) में से नहीं है और ह़ज्ज को मुअख़्ख़र किया जो अरकाने ख़म्सा में से है। ये इसलिये कि जिहाद का नफ़ा मुतअ़द्दी है यानी पूरी मिल्लत को ह़ासिल हो सकता है और ह़ज्ज का नफ़ा एक ह़ाजी की ज़ात तक मुन्ह़सिर है। आयते शरीफ़ा **व तिल्कल जन्नत..... अल्अख़** सूरह ज़ुख़रुफ़ में है और आयते शरीफ़ा **फ़व रब्बिका.... अल्अख़** सूरह हिज्र में है और आयते शरीफ़ा **लिमिष़्लि हाज़ा..... अल्अख़** सूरह स़ाफ़्फ़ात में है।

तम्बीह (ताकीद) : ह़ज़रत इमामुद्दुनिया फ़िल ह़दीष़ इमाम बुख़ारी (रह़) के जुम्ला तराजिमे-अब्वाब पर गहरी नज़र डालने से आपकी दिक़्क़ते नज़र व वुस्अ़ते मा'लूमात, मुज्तहिदाना बस़ीरत, ख़ुदादाद क़ाबिलियत रोज़े रोशन की तरह़ वाज़ेह़ होती है। मगर तअ़स्सुब का बुरा हो आजकल एक जमाअ़त ने उसी को ख़िदमते ह़दीष़ क़रार दिया है कि आपकी इल्मी शान पर जा व बेजा ह़मले करके आपके ख़ुदादाद मुक़ाम को गिराया जाए और स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ को अल्लाह ने जो क़बूलियते-आम अ़त़ा की है, जिस त़ौर पर भी मुम्किन हो उसे अ़दमे क़बूलियत में तब्दील किया जाए। अगरचे उन ह़ज़रात की ये ग़लत़ कोशिश बिलकुल बेसूद (निरर्थक) है। फिर भी कुछ सीधे-सादे मुसलमान उनकी ऐसी नामुबारक कोशिशों से मुताष़्षिर (प्रभावित) हो सकते हैं। उन ह़ज़रात की एक नई अपच ये भी है कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) ह़दीष़े नबवी सिर्फ़ नक़ल किया करते थे मुज्तहिदाना बस़ीरत उनके ह़िस्से में नहीं आई थी। ये क़ौल इतना बात़िल और बेहूदा है कि इसकी तर्दीद (खण्डन) में दस्तावेज़ लिखे जा सकते हैं। मगर विस्तार के डर से हम लगे हाथों सिर्फ़ ह़ुज्जतुल हिन्द ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह मुह़द्दिष़ देहलवी (रह़) का एक मुख़्तस़र तब्स़रा नक़ल करते हैं जिससे वाज़ेह़ हो जाएगा कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) की शान में ऐसी हरकतें करने वालों की दयानत व अमानत किस दर्जे में है। ये तब्स़रा ह़ज़रतुल अ़ल्लाम मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ (रह़) के लफ़्ज़ों में ये है।

शाह वलीउल्लाह मुह़द्दिष़ देहलवी (रह़) ने अपनी कुछ तालीफ़ात (लेखनियों) में लिखा है कि एक दिन हम इस ह़दीष़ में बह़ष़ कर रहे थे, **'लौ कानल ईमानु इन्दष़्ष़ुरय्या लनालहू रिजालुन औव रजुलुम्मिन हाउलाइ यअ़नी अहलु फ़ारस व फ़ी रिवायतिन लनालहू रिजालुन मिन हा उलाइ।'** मैंने कहा इमाम बुख़ारी (रह़) उन लोगों में दाख़िल हैं इसलिये कि ख़ुदा-ए-मन्नान ने ह़दीष़ का इल्म उन्हीं के हाथों मशहूर किया है और हमारे ज़माने तक ह़दीष़ इस्नाद के साथ स़ह़ीह़ मुत्तस़िल उसी मर्द की हिम्मते-मर्दाना से बाक़ी रही। (जिस शख़्स के साथ बह़ष़ हो रही थी) वो शख़्स अहले ह़दीष़ से एक क़िस्म का बुग़्ज़ रखता था जैसे हमारे ज़माने के अकष़र फ़क़ीहों का हाल है। अल्लाह उनको हिदायत करे उसने मेरी बात को पसंद न किया और कहा कि इमाम बुख़ारी ह़दीष़ के ह़ाफ़िज़ थे न आ़लिम। उनको ज़ईफ़ और ह़दीष़े स़ह़ीह़ की पहचान थी लेकिन फ़िक़्ह और फ़हम में कामिल न थे (ऐ जाहिल! तू ने इमाम बुख़ारी रह़. की तस्नीफ़ात पर ग़ौर नहीं किया वर्ना ऐसी बात उनके ह़क़ में नहीं निकालता। वो तो फ़िक़ह व फ़हम और बारीकी इस्तिम्बात़ में त़ाक़ हैं और मुज्तहिदे मुत्लक़ हैं और उसके साथ ह़ाफ़िज़े-ह़दीष़ भी थे, ये फ़ज़ीलत किसी मुज्तहिद को बहुत कम नसीब होती है) शाह स़ाह़ब ने फ़र्माया कि मैंने उस शख़्स की त़रफ़ से चेहरा फेर लिया। (क्योंकि **जवाबे जाहिलाना बाशद ख़मूशी**) और अपने लोगों की त़रफ़ मुतवज्जह हुआ और मैंने कहा कि

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह़) तक़रीब में लिखते हैं, **'मुहम्मद बिन इस्माईल इमामुदुनिया फ़ी फ़िक़्हिल हदीष़'** यानी इमाम बुख़ारी (रह़) फ़िक़्ह और ह़दीष़ में सारी दुनिया के इमाम हैं और ये अम्र उस शख़्स के नज़दीक जिसने फ़न्ने ह़दीष़ का ततब्बोअ किया हो, बदीही है। बाद उसके मैंने इमाम बुख़ारी (रह़) की चंद तह़क़ीक़ाते इल्मिया जो सिवा उनके किसी ने नहीं की हैं, बयान कीं और जो कुछ अल्लाह ने चाहा वो मेरी ज़ुबान से निकला। (मुक़द्दमा तैसिरुल बारी, पेज नं. 27,28)

स़ाह़िबे-ईज़ाहुल बुख़ारी (देवबन्द) ने भी ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) को एक मुज्तहिद तस्लीम (स्वीकार) किया है जैसा कि इसी किताब के पेज नं. 20 पर लिखा हुआ है। मगर दूसरी त़रफ़ कुछ ऐसे तअ़स्सुबी लोग भी मौजूद हैं जिनका मिशन ही ये है कि जिस त़ौर भी मुम्किन हो ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) के रुतबे को कम किया जाए और उनका अपमान किया जाए।

ऐसे ह़ज़रात को ये ह़दीष़ क़ुदसी याद रखनी चाहिए **'मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द अजिन्तहू बिल्हर्बि'** अल्लाह के प्यारे बन्दों से अ़दावत रखने वाले, अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाएँ और नतीजा देख लें कि इस जंग में उनको क्या ह़ासिल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) अल्लाह के प्यारे और रसूले करीम (ﷺ) के सच्चे फ़िदाई थे।

ये अ़र्ज़ कर देना भी ज़रूरी है कि ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) भी अपनी जगह पर उम्मत के लिए बाअ़िषे स़द फ़ख़्र हैं । उनकी मुज्तहिदाना कोशिशों के शुक्रिया से उम्मत किसी सूरत मे भी ओ़हदाबर (ज़िम्मेदारी से बरी) नहीं हो सकती। मगर उनकी ता'रीफ़ और तौसीफ़ में हम इमाम बुख़ारी (रह़) की तन्क़ीस़ व तज़्हील (नुक़्स़ निकालना और अपमान) करना शुरू कर दें, ये इंतिहाई ग़लत क़दम होगा। अल्लाह हम सबको नेक समझ अ़त़ा फ़र्माए, आमीन!

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) क़द्दस सिर्रहु के मनाक़िब के लिए यही काफ़ी है कि वो न स़िर्फ़ मुह़द्दिष़, फ़क़ीह, मुफ़स्सिर बल्कि वली-ए-कामिल भी थे। अल्लाहपरस्ती में मगन हो जाने का ये आ़लम था कि एक मर्तबा नमाज़ की ह़ालत में आपको ज़ंबूर ने सत्रह बार काटा और आपने नमाज़ में उफ़ तक न की। नमाज़ के बाद लोगों ने देखा कि सत्रह जगह ज़ंबूर का डंक लगा और जिस्म का ज़्यादातर ह़िस्सा सूज गया है। आपकी सख़ावत का हर त़रफ़ चर्चा था ख़ुस़ूस़न त़लब-ए-इस्लाम का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करते थे, इसीलिए उ़लम-ए-मुआस़िरीन में से बहुत बड़ी ता'दाद का ये मुत्तफ़क़ा क़ौल (सर्वसम्मत कथन) है कि इमाम बुख़ारी (रह़) को उ़लमा पर ऐसी फ़ज़ीलत ह़ासिल है जैसी कि मर्दों को औ़रतों पर ह़ासिल है, वो अल्लाह पाक की आयाते क़ुदरत में से ज़मीन पर चलने फिरने वाली एक ज़िंदा निशानी थे, (रह़महुल्लाह)।

हाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़) फ़र्माते हैं कि ये मनाक़िब ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) के मशाइख़ और उनके ज़माने के उ़लमा के बयानकर्दा हैं अगर हम बाद वालों के भी अक़्वाल नक़्ल करें तो काग़ज़ ख़त्म हो जाएँगे और उ़म्र तमाम हो जाएगी मगर हम उन सबको न लिख सकेंगे। मत़लब ये कि बेशुमार उ़लमा ने उनकी ता'रीफ़ की है।

बाब 19 : जब ह़क़ीक़ी इस्लाम पर कोई न हो

١٩- بَابٌ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلاَمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الإِسْتِسْلاَمِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ ﴾

बल्कि मह़ज़ ज़ाहिरी त़ौर पर मुसलमान बन गया हो या क़त्ल के ख़ौफ़ से तो (लग़्वी हैषियत से उस पर) मुसलमान का इत़्लाक़ दुरुस्त है। जैसाकि इर्शादे बारी है, जब देहातियों ने कहा कि हम ईमान ले आए आप कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि यह कहो कि ज़ाहिर त़ौर पर मुसलमान हो गए। लेकिन अगर ईमान ह़क़ीक़तन ह़ासिल हो तो वो बारी तआ़ला के इर्शाद (बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक स़िर्फ़ इस्लाम ही है) का मिस्दाक़ है। आयते शरीफ़ा में लफ़्ज़ ईमान और इस्लाम एक ही मा'नी में इस्ते'माल किया गया है।

(27) हमसे अबुल यमान ने बयान किया वो कहते हैं कि हमें शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्हें आमिर सअ़द बिन अबी वक़्क़ास ने अपने वालिद सअ़द (रज़ि.) से सुनकर यह ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और सअ़द यहाँ मौजूद थे। (वो कहते हैं कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनमें से एक शख़्स को कुछ न दिया। हालाँकि उनमें मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा हुज़ूर आपने फ़लाँ को कुछ न दिया हालाँकि मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आपने फ़र्माया मोमिन या मुस्लिम? मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली वाली बात दुहराने लगा। हुज़ूर (ﷺ) ने भी दुबारा वही सवाल किया। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐ सअ़द! बावजूद यह कि एक शख़्स मुझे ज़्यादा अज़ीज़ है (फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज़ करके) किसी और दूसरे को इस ख़ौफ़ की वजह से यह माल दे देता हूँ कि (वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और) अल्लाह उसे आग में औंधा डाल दे। इस हदीष़ को यूनुस स़ालेह मअ़मर और ज़ुहरी के भतीजे अ़ब्दुल्लाह ने ज़ुहरी से रिवायत किया।

(दीगर मक़ाम : 1478)

٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا- وَسَعْدٌ جَالِسٌ - فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَ اللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) فَسَكَتُّ قَلِيْلاً. ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِيْ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَاللهِ لأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ الْمَقَالَتِيْ. وَعَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: ((يَا سَعْدُ، إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ)). وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[أطرافه في : ١٤٧٨].

तश्रीह : आयते करीमा में बनू असद के कुछ देहातियों का ज़िक्र है जो मदीना में आकर अपने इस्लाम का इज़्हार बतौर एहसान कर रहे थे, अल्लाह ने बताया कि ये मेरा एहसान है न कि तुम्हारा। हज़रत सअ़द ने उस शख़्स के बारे में क़सम खाकर मोमिन होने का बयान दिया था। इस पर आपने तम्बीह फ़र्माई कि ईमान दिल का फ़ेअ़ल है किसी को किसी के बातिन (छुपे हुए) की क्या ख़बर? ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होने का हुक्म लगा सकते हो। इस बाब और इसके अन्तर्गत ये हदीष़ लाकर इमाम बुख़ारी (रह) ये बतलाना चाहते हैं कि इस्लाम अल्लाह के नज़दीक वही क़ुबूल है जो दिल से हो। वैसे दुनियावी उमूर में ज़ाहिरी इस्लाम भी मुफ़ीद हो सकता है। इस मक़्सद के पेशे नज़र हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ईमान और इस्लामे शरई में इत्तिहाद षाबित कर रहे हैं और ये उसी मुज्तहिदाना बस़ीरत की बिना पर है जो अल्लाह ने आपकी फ़ितरत में अता फ़र्माई थी।

बाब 20: सलाम फैलाना भी इस्लाम में दाख़िल है

٢٠- بَابُ إِفْشَاءِ السَّلاَمِ مِنَ الإِسلاَمِ

अ़म्मार ने कहा कि जिसने तीन चीज़ों को जमा कर लिया उसने सारा ईमान हासिल कर लिया। अपने नफ़्स से इंसाफ़ करना, सलाम को आ़लम में फ़ैलाना और तंगदस्ती के बावजूद अल्लाह

وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإِيْمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ

की राह में ख़र्च करना।

السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ.

(28) हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने यज़ीद बिन अबी हबीब से, उन्होंने अबुल ख़ैर से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) से; एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कौनसा इस्लाम बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तू (भूखे को) खाना खिलाए और हर शख़्स को सलाम करे ख़्वाह तू उसको जानता हो या न जानता हो। (राजेअ़ : 12)

٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). [راجع: ١٢]

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) यहाँ भी मुर्जिया की तर्दीद फ़र्मा रहे हैं कि इस्लाम के मामूली आ'माले स़ालिहा (नेक कामों) को भी ईमान में शुमार किया (गिना) गया है। लिहाज़ा मुर्जिया का मज़हब बात़िल है। खाना खिलाना और अहले इस्लाम को आम त़ौर पर सलाम करना अल ग़र्ज़ जुम्ला आ'माले स़ालिहा (सारे नेक कामों) को ईमान कहा गया है और ह़क़ीक़ी इस्लाम भी यही है। इन आ'माले स़ालिहा के कम व ज़्यादा होने पर ईमान की कमी व ज़्यादती आधारित है।

अपने नफ़्स से इंसाफ़ करना यानी उसके आ'माल का जायज़ा लेते रहना और हुक़ूक़ुल्लाह और हुक़ूक़ुल् इबाद के बारे में इसका मुहासबा (हिसाब-किताब) करते रहना मुराद है और अल्लाह की इनायात का शुक्र अदा करना और उसकी इताअ़त व इबादत में कोताही न करना भी नफ़्स से इंसाफ़ करने में दाख़िल है। यहाँ तक कि हर वक़्त, हर हाल में इंसाफ़ को मद्देनज़र रखना भी इसी ज़िम्न में शामिल है।

बाब 21 : ख़ाविन्द की नाशुक्री के बयान में और एक कुफ़्र का (अपने दर्जे में)

٢١- بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيْرِ، وَكُفْرٍ دُوْنَ كُفْرٍ.

दूसरे कुफ़्र से कम होने के बयान में। इस बारे में वो ह़दीष़ जिसे अबू सईद ख़ुदरी ने आँह़ज़रत (ﷺ) से रिवायत किया है

فِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(29) इस ह़दीष़ को हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, वो इमाम मालिक से, वो ज़ैद बिन असलम से, वो अ़त़ा बिन यसार से, वो अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे जहन्नम दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औ़रतें थीं जो कुफ़्र करती हैं। कहा गया हुज़ूर क्या वो अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो। फिर तुम्हारी त़रफ़ से कभी कोई उनके ख़्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फ़ौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी।

(दीगर मक़ाम : 431, 748, 848, 1052, 3202, 5197)

٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُرِيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ)). قِيْلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)).

[أطرافه في : ٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧].

तशरीह : हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन क़द्दस सिर्रहु ये बतलाना चाहते हैं कि कुफ़्र दो तरह का होता है एक तो कुफ़्र हक़ीक़ी है जिसकी वजह से आदमी इस्लाम से निकल जाता है। दूसरे कुछ गुनाहों के इर्तिकाब पर भी कुफ़्र का लफ़्ज़ बोला गया है। मगर ये कुफ़्र हक़ीक़ी कुफ़्र से कम है। (अबू सईद वाली हदीष किताबुल हैज़ में है। इसमें ये है कि आपने औरतों को सदक़े का हुक्म दिया और फ़र्माया कि मैंने दोज़ख़ में ज़्यादातर तुमको देखा है। उन्होंने पूछा क्यूँ? आपने फ़र्माया कि तुम लअ़नत बहुत करती हो और शौहर का कुफ़्र यानी नाशुक्री करती हो। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) की ये हदीष बड़ी लम्बी है। जो बुख़ारी की किताबुल कुसूफ़ में है, यहाँ इस्तिदलाल के लिए हज़रत इमाम ने उसका एक टुकड़ा ज़िक्र कर दिया है।

इमाम क़स्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, **'व फ़ी हाज़ल हदीषि वअजर्रईसुल मरूस'** अल्अख़ यानी इस हदीष के तहत ज़रूरी हुआ कि सरदार अपने मातहतों को वअ़ज़ व नसीहत करे और नेकी के लिए उनको रग़्बत दिलाए और इससे ये भी निकला कि शागिर्द अगर उस्ताद की बात पूरे तौर पर न समझ पाए तो उस्ताद से दोबारा पूछ ले और इस हदीष से नाशुक्री पर भी कुफ़्र का इत्लाक़ षाबित हुआ और ये भी मा'लूम हुआ कि मआ़सी (नाफ़र्मानी) से ईमान घट जाता है। इसलिये कि मआ़सी को भी कुफ़्र क़रार दिया गया है मगर ये वो कुफ़्र नहीं है जिसके इर्तिकाब से दोज़ख़ में हमेशा रहना लाज़िम आता है। और ये भी षाबित हुआ कि औरतों का ईमान जैसे शौहर की नाशुक्री से घट जाता है, वैसे ही उनकी शुक्रगुज़ारी से बढ़ भी जाता है और ये भी षाबित हुआ कि आ'माल ईमान में दाख़िल हैं।

हज़रत इमाम ने **कुफ़्रुन दूना कुफ़्रिन** का टुकड़ा हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) के इस क़ौल से लिया है जो आपने आयते करीमा **'वमल्‌ लम्‌ यहकुम्‌ बिमा अन्ज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून'** (अल माइदा : 44) की तफ़्सीर में फ़र्माया है। **'और जो शख़्स अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसला न करे सो ऐसे लोग काफ़िर हैं।'** हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) फ़र्माते हैं कि आयते करीमा में वो कुफ़्र मुराद नहीं है जिसकी सज़ा जहन्नम की आग है। इसलिये उ़लम-ए-मुहक़्क़िक़ीन ने कुफ़्र को चार क़िस्मों पर बाँटा है (1) **कुफ़्र बिल्कुल इंकार के मा'नी में है**, यानी अल्लाह पाक का बिल्कुल इंकार करना उसका वजूद ही न तस्लीम करना, कुर्आन मजीद में ज़्यादातर ऐसे ही काफ़िरों से ख़िताब किया गया है (2) **कुफ़्रे जुहूद है** यानी अल्लाह को दिल से हक़ जानना मगर अपने दुनियावी मफ़ाद के लिए ज़ुबान से इक़रार न करना, मुश्रिकीने-मक्का में से कुछ का ऐसा ही कुफ़्र था, आज भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं (3) **कुफ़्रे इनाद है** यानी दिल में तस्दीक़ करना ज़ुबान से इक़रार भी करना मगर अहकामे इलाही को तस्लीम न करना और तौहीद व रिसालत के इस्लामी अ़क़ीदे को मानने के लिये तैयार न होना, अतीत और वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। (4) **कुफ़्रे निफ़ाक़ है** यानी ज़ुबान से इक़रार करना मगर दिल में यक़ीन न करना जैसा कि आयत शरीफ़ **'व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुअमिनु कमा आमनस्सुफ़्हा'** (अल बक़र : 13) में मज़्कूर है। **'यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि) जब उनसे कहा जाए कि तुम ऐसा पुख़्ता ईमान लाओ जैसा कि दूसरे लोग (अंसार व मुहाजिरीन) लाए हुए हैं तो जवाब में कहने लग जाते हैं कि क्या हम भी बेवक़ूफ़ों जैसा ईमान ले आएँ। याद रखो यही (मुनाफ़िक़) बेवक़ूफ़ हैं लेकिन उनको इल्म नहीं है।'**

बाब 22 : गुनाह जाहिलिय्यत के काम हैं

और गुनाह करनेवाला गुनाह से काफ़िर नहीं होता। हाँ! अगर शिर्क करे तो काफ़िर हो जाएगा क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से फ़र्माया था तू ऐसा आदमी है जिसमें जाहिलिय्यत की बू आती है। (इस बुराई के बावजूद आप ﷺ ने उन्हें काफ़िर नहीं कहा) और अल्लाह ने सूरह निसा में फ़र्माया है बेशक अल्लाह

٢٢- بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلاَّ بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ)).

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ

शिर्क को नहीं बख़्शेगा और उसके अलावा जिस गुनाह को चाहे वो बख़्श दे। (सूरह हुजुरात में फ़र्माया) और अगर ईमानदारों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करा दो (इस आयत में अल्लाह ने उस गुनाहे-कबीरा (यानी) क़त्ल व ग़ारत के बावजूद भी उन लड़नेवालों को मोमिन ही कहा है)

يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾. فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

(30) हमसे बयान किया अ़ब्दुर्रहमान बिन मुबारक ने, कहा हमसे बयान किया हम्मदा बिन ज़ैद ने, कहा हमसे बयान किया अय्यूब और यूनुस ने, उन्होंने ह़सन से, उन्होंने अह़नफ़ बिन क़ैस से, कहा कि मैं उस शख़्स (ह़ज़रत अ़ली रज़ि.) की मदद करने चला। रास्ते में मुझको अबूबक्र (रज़ि.) मिले। पूछा कहाँ जाते हो? मैंने कहा, उस शख़्स (ह़ज़रत अ़ली) की मदद करने जाता हूँ। अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा कि अपने घर को लौट जाओ। मैंने आँह़ज़रत (ﷺ) से सुना है आप (ﷺ) फ़र्माते थे जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएँ तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ातिल तो ख़ैर (ज़रूर जहन्नमी होना चाहिए) मक़्तूल क्यों? फ़र्माया वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था। (मौक़ा पाता तो वो उसे ज़रूर क़त्ल कर देता दिल के अ़ज़्मे समीम या'नी दिल से अ़ज़्म करने पर वो जहन्नमी हुआ)

(दीगर मक़ाम : 2875, 7083)

٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُوبَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ)).

[طرفاه في : ٦٨٧٥، ٧٠٨٣].

तश्रीह : इस बात का मक़्सद ख़्वारिज और मुअ़तज़िला की तर्दीद है जो कबीरा गुनाह के मुर्तकिब को काफ़िर क़रार देते हैं। अह़नफ़ बिन क़ैस जंगे-जमल में ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) के मददगारों में थे। जब अबूबक्र (रज़ि.) ने उनको ये ह़दीष़ सुनाई तो वो लौट गये।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह) फ़र्माते हैं कि अबूबक्र (रज़ि.) ने इस ह़दीष़ को मुत्लक़ रखा। ह़ालाँकि ह़दीष़ का मत़लब ये है कि जब शरई वजह के बग़ैर दो मुसलमान नाह़क़ लड़ें और ह़क़ पर लड़ने की क़ुर्आन में ख़ुद इजाज़त है। जैसा कि आयत **'फ़इन् बग़त् इह़दाहुमा अ़लल् उख़रा'** (अल् हुजुरात : 9) से ज़ाहिर है इसलिये अह़नफ़ उसके बाद ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) के साथ रहे और उन्होंने अबूबक्र की राय पर अमल नहीं किया। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि ह़दीषे नबवी (ﷺ) को पेश करते वक़्त उसका मौक़ा महल भी ज़रूरी मद्देनज़र रखना चाहिए।

(31) हमसे सुलैमान बिन ह़रब ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने वासिल अह़दब से, उन्होंने मअ़रूर से, कहा मैं अबू ज़र से रब्ज़ा में मिला। वो एक जोड़ा पहने हुए था। मैंने उसका सबब पूछा तो कहने लगे कि मैंने एक शख़्स यानी गुलाम को बुरा-भला कहा था और उसकी माँ की ग़ैरत दिलाई (यानी गाली दी) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यह मा'लूम करके मुझसे फ़र्माया ऐ अबू ज़र! तूने उसे माँ के नाम से ग़ैरत दिलाई है,

٣١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ: لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ،

فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ. فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)).

[طرفاه في : ٢٥٤٥، ٦٠٥٠]

बेशक तुझमें अभी कुछ ज़मान-ए-जाहिलिय्यत का अषर बाक़ी है। (याद रखो) मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने (अपनी किसी मस्लिहत के आधार पर) उन्हें तुम्हारे क़ब्ज़े में दे रखा है तो जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो ख़ुद खाता है और वही कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है और उनको उतने काम की तकलीफ़ न दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए और अगर कोई सख़्त काम डालो तो तुम ख़ुद भी उनकी मदद करो। (दीगर मक़ाम : 2545, 6050)

तश्रीह : हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि) क़दीमुल इस्लाम (शुरूआती लोगों में से ईमान लाने वालों में) हैं, बहुत ही बड़े ज़ाहिद व आबिद है। रब्ज़ा मदीना से तीन मंज़िलों के फ़ासले पर एक मुक़ाम है, वहाँ उनका क़याम था। बुख़ारी शरीफ़ में उनसे चौदह अहादीष मरवी हैं। जिस शख़्स को उन्होंने आर (ग़ैरत) दिलाई थी वो हज़रत बिलाल (रज़ि) थे और उनको उन्होंने उनकी वालिदा के स्याह फ़ाम (काली-कलूटी) होने का ताना दिया था। जिस पर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अबू ज़र अभी तुममें जाहिलिय्यत का फ़ख़्र बाक़ी रह गया। ये सुनकर हज़रत अबू ज़र अपने रुख़्सार के बल ख़ाक पर लेट गये और कहने लगे कि जब तक बिलाल मेरे रुख़्सार पर अपना क़दम न रखेंगे, मैं मिट्टी से न उठूँगा।

हुल्ला दो चादरों को कहते हैं। जो एक तहबंद की जगह और दूसरी जिस्म के ऊपरी हिस्से इस्ते'माल हो।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) का मक़्सद ये है कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि) को आपने तम्बीह फ़र्माई लेकिन ईमान से ख़ारिज नहीं बतलाया। षाबित हुआ कि मआसियत (नाफ़र्मानी) बड़ी हो या छोटी, महज़ उसके इर्तिकाब (यानी करने) से मुसलमान काफ़िर नहीं होता। पस मुअतज़िला व ख़्वारिज का मज़हब बातिल है। हाँ! अगर कोई शख़्स मआसियत का इर्तिकाब करे और उसे हलाल जानकर करे तो उसके कुफ़्र में कोई शक भी नहीं है क्योंकि ये हुदूदे इलाही का तोड़ना है, जिसके लिये इर्शादे बारी है, **'व मंयतअद्द हुदूदल्लाहि फ़ उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून'** (अल बक़र : 229) **'जो शख़्स हुदूदे इलाही को तोड़े वो लोग यक़ीनन ज़ालिम हैं।'** शैतान को इस ज़ेल में मिषाल के तौर पर पेश किया जा सकता है, जिसने अल्लाह की नाफ़र्मानी की और उस पर ज़िद्द और हठधर्मी करने लगा अल्लाह ने उसी की वजह से उसे मर्दूद क़रार दिया।

पस गुनाहगारों के बारे में इस फ़र्क़ का लिहाज़ रखना ज़रूरी है।

٢٣- بَابُ ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ

बाब 23 : इस बयान में कि बाज़ ज़ुल्म बाज़ से छोटे है

٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح. قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّنَا

(32) हमारे सामने अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया (दूसरी सनद) और इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि हमसे (इसी हदीष को) बिशर ने बयान किया, उनसे मुहम्मद ने, उनसे शुअ़बा ने, उन्होंने सुलैमान से, उन्होंने अलक़मा से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से जब सूरह अनआम की यह आयत उतरी जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की मिलावट नहीं की तो आप (ﷺ) के

لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.

[أطرافه في : ٣٣٦٠، ٣٤٢٨، ٣٤٢٩، ٤٦٢٩، ٤٧٧٦، ٦٩١٨، ٦٩٣٧].

अस्हाब ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो बहुत ही मुश्किल है, हममें कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तो अल्लाह पाक ने सूरह लुक़्मान की यह आयत उतारी कि बेशक शिर्क बड़ा ज़ुल्म है। (दीगर मक़ाम : 3360, 3428, 3429, 4629, 4776, 6918, 6938)

तश्रीह : पूरी आयत मे **बिज़ुल्मिन** के आगे **उलाइक लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून** के अल्फ़ाज़ और हैं या'नी अमन उन ही के लिए है और यही लोग हिदायतयाफ़्ता हैं । मा'लूम हुआ कि जो मुवह्हिद होगा उसे ज़रूर अमन मिलेगा चाहे कितना ही गुनाहगार हो। इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाहों पर बिलकुल अज़ाब न होगा जैसा कि मुर्जिया कहते हैं। हदीष और आयत से बाब का तर्जुमा निकल आया कि एक गुनाह दूसरे गुनाह से कम होता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) फ़र्माते हैं कि सहाबा किराम में ज़ालिम का लफ़्ज़ शिर्क व कुफ़्र व मआसी (नाफ़र्मानी) सब ही पर आम था। इसीलिए उनको इश्काल पैदा हुआ। जिस पर आयते करीमा सूरह लुक़्मान वाली नाज़िल हुई और बतलाया गया कि पिछली आयत में ज़ुल्म से शिर्क मुराद है। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने ईमान के साथ ज़ुल्मे अज़ीम यानी शिर्क का इख़्तिलात न किया। उनके लिए अमन है। यहाँ ईमान की कमी व बेशी भी षाबित हुई।

बाब 24 : मुनाफ़िक़ की निशानियों के बयान में

٢٤- بَابُ عَلاَمَةِ الْمُنَافِقِ

٣٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)).

[أطرافه في : ٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٦٠٩٥].

(33) हमसे सुलैमान अबुर रबीअ ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने, उनसे नाफ़ेअ बिन अबी आमिर अबू सुहैल ने, वो अपने बाप से, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुनाफ़िक़ की अलामतें (निशानियाँ) तीन हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वा'दा करे उसके ख़िलाफ़ करे और जब उसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे।

(दीगर मक़ाम : 2682, 2749, 6090)

तश्रीह : एक रिवायत में चार निशानियाँ ज़िक्र की गई हैं , चौथी ये कि इक़रार करके दग़ा करना, एक रिवायत में पाँचवी निशानी ये बतलाई गई है कि तकरार में गाली-गलौच बकना, अल्ग़र्ज़ ये तमाम निशानियाँ निफ़ाक़ से ता'ल्लुक़ रखती हैं जिसमे ये सब जमा हो जाएँ उसका ईमान यक़ीनन महल्ले-नज़र (संदिग्ध) है मगर एहतियातन उसको अमली निफ़ाक़ क़रार दिया गया है जो कुफ़्र नहीं है। कुर्आन मजीद में ए'तिक़ादी मुनाफ़िक़ीन की मज़म्मत है जिनके लिए कहा गया **'इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन्नारि'** यानी मुनाफ़िक़ीन दोज़ख़ के सबसे नीचे तबक़े में दाख़िल होंगे।

٣٤- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى

(34) हमसे क़ुबैसा बिन उक़्बा ने यह हदीष बयान की, उनसे सुफ़यान ने, वो अअमश बिन उबैदुल्लाह बिन मुर्रह से नक़ल करते हैं, वो मसरूक़ से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि चार आदतें जिस किसी में हो तो वो ख़ालिस मुनाफ़िक़ है और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो (भी) मुनाफ़िक़ ही है, जब तक कि उसे छोड़ न दे, (वो यह हैं) जब उसे अमीन बनाया जाए तो वो

ख़यानत करे और बात करते वक़्त झूठ बोले और जब (किसी से) वा'दा करे तो उसे पूरा न करे और जब (किसी से) लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीष़ को शुअबा ने (भी) सुफ़यान के साथ अअमश से रिवायत किया है। (दीगर मक़ाम : 2459, 3178)

يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)). تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ.

[طرفاه في : ٢٤٥٩، ٣١٧٨].

तश्रीह : पहली हदीष़ में और दूसरी में कोई तआरुज़ नहीं; इसलिये कि इस हदीष़ में मुनाफ़िक़े-ख़ालिस (शुद्ध कपटी, एकदम दोग़ला इन्सान) के अल्फ़ाज़ हैं, मतलब ये है कि जिसमें चौथी आदत भी हो कि लड़ाई के वक़्त गालियाँ बकना शुरू करे तो उसका निफ़ाक़ हर तरह से मुकम्मल है और उसकी अमली ज़िंदगी सरासर निफ़ाक़ की ज़िंदगी है और जिसमें सिर्फ़ एक आदत हो, तो बहरहाल निफ़ाक़ तो वो भी है, मगर कम दर्जे का है।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) का मक़सद ईमान की कमी व बेशी षाबित करना है जो इन अहादीष़ से ज़ाहिर है नीज़ ये बतलाना भी कि मआसी (नाफ़र्मानी) से ईमान में नुक़सान आ जाता है।

इन अहादीष़ में निफ़ाक़ की जितनी अलामतें ज़िक्र हुई हैं वो सब अमल से ता'ल्लुक़ रखती हैं। यानी मुसलमान होने के बाद फिर अमल में निफ़ाक़ का मुज़ाहिरा (प्रदर्शन) हो और अगर निफ़ाक़ क़ल्ब (दिल) ही में है यानी सिरे से ईमान ही मौजूद नहीं और महज़ ज़ुबान से अपने आपको मुसलमान ज़ाहिर कर रहा है तो वो निफ़ाक़ तो यक़ीनन कुफ़्र व शिर्क ही के बराबर है, बल्कि उनसे बढ़कर। आयते शरीफ़ा **'इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन्नारि'** (अन् निसा : 145) **'यानी मुनाफ़िक़ीन दोज़ख़ के नीचे वाले दर्जे मे होंगे।'** ये ऐसे ही ए'तिक़ाद मुनाफ़िक़ों के बारे में है। अल्बत्ता निफ़ाक़ की जो अलामतें अमल में पाई जाएँ, उनका मतलब भी ये ही है कि क़ल्ब का ए'तिक़ाद और ईमान का पौधा कमज़ोर है और उसमें निफ़ाक़ का घुन लगा हुआ हो ख्वाह वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बना हुआ हो, उसको अमली निफ़ाक़ कहते हैं। निफ़ाक़ के मा'नी ज़ाहिर व बातिन के इख़्तिलाफ़ के हैं। शरअ में मुनाफ़िक़ उसको कहते हैं जिसका बातिन कुफ़्र से भरपूर हो और ज़ाहिर में वो मुसलमान बना हुआ हो। रहा ज़ाहिरी ज़िक्र की गई आदतों का अष़र सो ये बात मुत्तफ़क़ अलैह (सर्वसम्मत) है कि महज़ उन ख़साइले-ज़मीमा (बुरी आदतों) से मोमिन मुनाफ़िक़ नहीं बन सकता, वो मोमिन ही रहता है। अमानत से मुराद अमानते-इलाही यानी हुदूद इस्लामी हैं। अल्लाह ने क़ुर्आन पाक में इसी के बारे में फ़र्माया है। **'इन्ना अरज़्नल् अमानत अलस्समावाति वल् अर्ज़ि वल जिबाल'** (अल् अहज़ाब : 72) यानी **'मैंने अपनी अमानत को आसमान व ज़मीन और पहाड़ों पर पेश किया मगर उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को देखकर इस बारे-अमानत के उठाने से इन्कार कर दिया। मगर इंसान ने इसके लिए इक़रार कर लिया।'** इसको मा'लूम न था कि ये कितना बड़ा बोझ है उसके बाद बाहमी तौर पर हर क़िस्म की अमानत मुराद हैं, वो माली हों या जानी या क़ौली, उन सबका लिहाज रखना और पूरे तौर पर उनकी हिफ़ाज़त करना ईमान की पुख़्तगी की दलील है। बात बात में झूठ बोलना भी बड़ी मज़्मूम आदत है। अल्लाह हर मुसलमान को बचाए, आमीन!

बाब 25 : शबे क़द्र की बेदारी (और इबादत गुज़ारी) भी ईमान (ही में दाख़िल) है

٢٥- باب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإِيمَانِ

(35) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्हें शुऐब ने ख़बर दी, कहा उनसे अबुज़्ज़िनाद ने अअरज के वास्ते से बयान किया, अअरज़ ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल किया, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स शबे क़द्र ईमान के साथ महज़ ष़वाबे आख़िरत के लिए ज़िक्रो इबादत में गुज़ारे, उसके पीछे के गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।

٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

(दीगर मक़ाम : 37, 38, 1901, 2008, 2014)

[أطرافه في : ٣٧، ٣٨، ١٩٠١، ٢٠٠٨، ٢٠١٤].

बाब 26 : जिहाद भी जुज़्वे-ईमान है

٢٦- بَابُ الْجِهَادُ مِنَ الإِيْمَانِ

(36) हमसे हरमी बिन ह़फ़्स़ ने बयान किया, उनसे अब्दुल वाहिद ने, उनसे इमारा ने, उनसे अबू ज़रआ बिन अम्र बिन जुरैर ने, वो कहते हैं मैंने ह़ज़रत अबू हुरैरह से सुना, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स अल्लाह की राह में (जिहाद के लिए) निकला, अल्लाह उसका ज़ामिन हो गया। (अल्लाह तआला फ़र्माता है) उसको मेरी ज़ात पर यक़ीन और मेरे पैग़म्बरों की तस्दीक़ ने (उस सरफ़रोशी के लिये घर से) निकाला है। (मैं इस बात का ज़ामिन हूँ) या तो उसको वापस कर दूँ षवाब और माले ग़नीमत के साथ, या (शहीद होने के बाद) जन्नत में दाख़िल कर दूँ (रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़र्माया) और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार न समझता तो लश्कर का साथ न छोड़ता और मेरी ख़्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िन्दा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ।

٣٦- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((انْتَدَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ - لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيْمَانٌ بِي أَوْ تَصْدِيْقٌ بِرُسُلِي - أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَلَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ)).

(दीगर मक़ाम : 2787, 2797, 2972, 3123, 7226, 7227, 7457, 7463)

[أطرافه في : ٢٧٨٧، ٢٧٩٧، ٢٩٧٢، ٣١٢٣، ٧٢٢٦، ٧٢٢٧، ٧٤٥٧، ٧٤٦٣].

तशरीह : ह़ज़रत इमाम (रह़) ने पिछले अब्वाब (अध्यायों) में निफ़ाक़ की निशानियों का ज़िक्र किया था, अब ईमान की निशानियों को शुरू कर रहे हैं। चुनाँचे लैलतुल क़द्र का क़याम जो ख़ालिसन अल्लाह की रज़ा के लिये हो, बतलाया गया कि वो भी ईमान का एक ह़िस्सा है। इससे ह़ज़रत इमाम का मक़्स़द ष़ाबित हुआ कि आ'माले स़ालेहा ईमान में दाख़िल हैं और उनकी कमी व बेशी पर ईमान की कमी व बेशी मुन्ह़स़िर (आधारित) है। पस मुर्जिया व करामिया जो अ़क़ाइद रखते हैं वो सरासर बात़िल हैं। लैलतुल क़द्र तक़्दीर से है यानी इस साल में जो ह़ादषे पेश आने वाले हैं उनकी तक़्दीरात का इल्म फ़रिश्तों को दिया जाता है। क़द्र के मा'नी हुर्मत के भी हैं और इस रात की इ़ज़्ज़त कुर्आन मजीद ही से ज़ाहिर है। शबे क़द्र रमज़ान शरीफ़ की त़ाक़ रातों मे से एक रात है जो हर साल अदलती बदलती रहती है। क़याम रमज़ान और क़यामे-लैलतुल क़द्र मिनद्दीन के दरम्यान ह़ज़रत इमाम ने जिहाद का ज़िक्र फ़र्माया कि ये भी ईमान का एक जुज़्वे-आज़म (सबसे बड़ा हिस्सा) है। ह़ज़रत इमाम ने अपनी गहरी नज़र की बिना पर जहाँ इर्शाद फ़र्माया कि जिहाद मअ़न नफ़्स हो (यानी नफ़्स के साथ जिहाद हो) जैसा कि रमज़ान शरीफ़ के रोज़े और क़यामे-लैलतुल क़द्र वग़ैरह हैं । ये भी ईमान में दाख़िल हैं और जिहाद बिल कुफ़्फ़ार हो तो ये भी ईमान का ह़िस्सा है। नीज़ उस त़रफ़ भी इशारा करना है कि जिहाद अगर रमज़ान शरीफ़ में वाक़ेअ हो तो और ज़्यादा ष़वाब है फिर अगर शहादत फ़ी सबीलिल्लाह भी नसीब हो जाए तो नूरुन अ़ला नूर है।

ह़दीष़े-जिहाद का मफ़्हूम ज़ाहिर है कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह सिर्फ़ वही है जिसका ख़ुरूज ख़ालिस़ अल्लाह की

रज़ा के लिए हो। रसूलों की तस्दीक़ से मुराद उन सारी बशारतों पर ईमान लाना और उनकी तस्दीक़ करना है जो अल्लाह के रसूलों ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में फ़र्माई हैं। मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये अल्लाह पाक ने दो ज़िम्मेदारियाँ ली हैं। अगर उसे शहादत का दर्जा मिल गया तो वो सीधा जन्नत में दाख़िल हुआ, हूरों की गोद में पहुँचा और हिसाब व किताब सबसे मुस्तष्ना (अलग व बरी) हो गया। वो जन्नत के मेवे खाता है और मुअल्लक़ क़िन्दीलों में बसेरा करता है और अगर वो सलामती के साथ घर वापस आ गया तो वो पूरे-पूरे ष़वाब के साथ और मुम्किन है कि माले ग़नीमत के साथ भी वापस हुआ हो।

इस ह़दीष़ में आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ुद भी शहादत की तमन्ना फ़र्माई, जिससे आप (ﷺ) उम्मत को शहादत का रुतबा व मर्तबा बतलाना चाहते हैं। क़ुर्आन मजीद में अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों के बदले में जन्नत का सौदा कर लिया है जो बेहतरीन सौदा है।

ह़दीष़ शरीफ़ में जिहाद को क़यामत तक जारी रहने की ख़बर दी गई है, हाँ! त़रीक़े-कार ह़ालात के तह़त बदलता रहेगा। आजकल क़लमी जिहाद भी बड़ी अहमियत रखता है।

बाब 27 : इस बारे में कि रमज़ान शरीफ़ की रातों में नफ़्ली क़याम करना भी ईमान ही में से है

٢٧- بَابُ تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الإِيْمَانِ

(37) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से नक़ल किया, उन्होंने ह़ुमैद बिन अ़ब्दुर्रह़मान से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि आँह़ज़रत (ﷺ). ने फ़र्माया जो कोई रमज़ान में (रातों को) ईमान रखकर और ष़वाब की निय्यत से इबादत करे उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।

(राजेअ़ : 35)

٣٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

[راجع: ٣٥]

तश्रीह : बाब के तर्जुमे का मक़्सद क़यामे रमज़ान को भी ईमान का एक जुज़ ष़ाबित करना और मुर्जिया की तर्दीद करना है जो आ'माले स़ालेह़ा को ईमान से जुदा क़रार देते हैं। क़यामे रमज़ान से तरावीह़ की नमाज़ मुराद है। जिसमें आठ रकअ़ात तरावीह़ और तीन वित्र हैं। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) ने अपने अ़हदे ख़िलाफ़त में तरावीह़ की आठ रकअ़ात को बाजमाअ़त अदा करने का त़रीक़ा राइज फ़र्माया था। (मौत़ा इमाम मालिक)

आजकल जो लोग आठ रकअ़त तरावीह़ को नाजाइज़ और बिदअ़त क़रार दे रहे हैं वो सख़्त ग़लती पर हैं। अल्लाह उनको नेक समझ बख़्शे। आमीन

बाब 28 : इस बयान में कि ख़ालिस़ निय्यत के साथ रमज़ान के रोज़े रखना ईमान का हिस़्सा है

٢٨- بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الإِيْمَانِ

(38) हमसे इब्ने सलाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मुह़म्मद बिन फ़ुज़ैल ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने अबू सलमा से रिवायत की, वो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और ख़ालिस़ निय्यत के साथ रखे उसके पिछले गुनाह मुआ़फ़ कर दिए गए।

٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

(राजअ : 35)

ذَنْبِهِ)). [راجع: ٣٥]

बाब 29 : इस बयान में कि दीन आसान है

٢٩- بَابُ الدِّينُ يُسْرٌ،
وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ))

जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो दीन पसंद है जो सीधा और सच्चा हो। (और वो यक़ीनन दीने इस्लाम है जो सच है)

(39) हमसे अ़ब्दुस्सलाम बिन मुत़हिर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको उ़मर बिन अ़ली ने मअ़न बिन मुहम्मद ग़िफ़ारी से ख़बर दी, वो सईद बिन अबू सईद मक़बरी से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया बेशक दीन आसान है और जो शख़्स दीन में सख़्ती इख़्तियार करेगा तो उस पर दीन ग़ालिब आ जाएगा (और उसकी सख़्ती न चलेगी) बस (इसलिये) अपने अ़मल में पुख़्तगी इख़्तियार करो और जहाँ मुम्किन हो मियानारवी (मध्यमार्ग) बरतो और ख़ुश हो जाओ (कि इस तर्ज़े अ़मल से तुमको दोनों जहाँ के फ़वाइद हासिल होंगे) और सुबह और दोपहर और शाम और किसी क़द्र रात में (इबादत से) मदद हासिल करो। (पंज वक़्ता नमाज़ कभी मुराद हो सकती है कि पाबन्दी से अदा करो) (दीगर मक़ाम : 5673, 6463, 7235)

٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوْا، وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ)).

[أطرافه في : ٥٦٧٣، ٦٤٦٣، ٧٢٣٥].

तश्रीह : सूरह हज्ज में अल्लाह पाक ने फ़र्माया है 'मा जअ़ल अ़लैकुम फ़िद्दीनि मिन ह़रजिन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम' (अल हज्ज : 78) यानी 'अल्लाह ने दुनिया में तुम पर कोई सख़्ती नहीं रखी बल्कि ये तुम्हारे बाप ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) की मिल्लत है।' आयतें और अह़ादीष़ से रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि इस्लाम हर तरह से आसान है। उसके उसूली और फ़ुरूई अह़काम और जिस क़द्र अवामिर व नवाही हैं सब में इसी ह़क़ीक़त को मल्ह़ूज (दृष्टिगत) रखा गया है मगर सद अफ़सोस कि बाद के ज़मानों में ख़ुद साख़्ता ईजादात से इस्लाम को इस क़द्र मुश्किल बना लिया गया है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह नेक समझ दे। आमीन!!

बाब 30 : इस बारे में कि नमाज़ ईमान का ह़िस्सा है और अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे ईमान को ज़ाया करनेवाला नहीं, यानी तुम्हारी वो नमाज़ें जो तुमने बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके पढ़ी हैं, क़ुबूल हैं

٣٠- بَابٌ: الصَّلاَةُ مِنَ الإِيْمَانِ،
وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى:
﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ يَعْنِيْ صَلاَتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

(40) हमसे अ़म्र बिन ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़ुहैर ने बयान किया, उन्हों ने कहा हमसे अबू इस्हाक़ ने बयान किया, उनको ह़ज़रत बराअ बिन आ़ज़िब ने ख़बर दी कि

٤٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ

عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ - مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلاَّهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا - كَمَا هُمْ - قِبَلَ الْبَيْتِ. وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾.

[أطرافه في: ٣٩٩، ٤٤٨٦، ٤٤٩٢، ٧٢٥٢].

रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपनी ननिहाल में उतरे, जो अंसार थे और वहाँ आपने 16 से 17 माह बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ी और आपकी ख़्वाहिश थी कि आपका क़िब्ला बैतुल्लाह की तरफ़ हो (जब बैतुल्लाह की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म हो गया) तो सबसे पहली नमाज़ जो आपने बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके पढ़ी वो अ़स्र की नमाज़ थी। वहाँ आप (ﷺ) के साथ लोगों ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर आपके साथ नमाज़ पढ़नेवालों में से एक आदमी निकला और उसका मस्जिदे (बनी हारिषा) की तरफ़ गुज़र हुआ तो वो लोग रुकूअ में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है। (यह सुनकर) वो लोग उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ़ घूम गए और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे यहूद और ईसाई ख़ुश हुआ करते थे मगर जब आप (ﷺ) ने बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह कर लिया तो उन्हें यह अम्र नागवार हुआ।

ज़ुहैर (एक रावी) कहते हैं कि हमसे अबू इस्हाक़ ने बराअ से यह हदीष भी नक़ल की है कि क़िब्ला की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतिक़ाल कर चुके थे। तो हमें यह मा'लूम न हो सका कि उनकी नमाज़ों के बारे में क्या कहें? तब अल्लाह ने यह आयत नाज़िल की 'व मा कानल्लाहु लियुज़ीअ' (सूरह बक़र : 143)

(दीगर मक़ाम : 399, 4486, 4492, 7252)

मुबारक ख़्वाब : ईमान में आ'माले सालेहा भी दाख़िल हैं, ये बहष पीछे भी मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) आ चुकी है मगर वहाँ ये आयत न थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक रात तहज्जुद के वक़्त ख़्वाब में मुझको बार-बार ताकीद के साथ ये आयत पढ़कर कहा गया कि इसको यहाँ भी लिखो चुनाँचे हदीष 39 मे ये आयत मैंने इसी ख़्वाब की बिना पर नक़ल की है .... 'व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा' (दाऊद राज़)

٣١ - بَابُ: حُسْنُ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ

बाब 31 : आदमी के इस्लाम की ख़ूबी (के दर्जे)

٤١- حَدَّثَنَا قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا

(41) इमाम मालिक रह. कहते हैं कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उन्हें अ़ता बिन यसार ने, उनको अबू सईद ख़ुदरी ने

सَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا)).

बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह इर्शाद फ़र्माते हुए सुना कि जब (एक) बन्दा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो (यक़ीन व ख़ुलूस के साथ हो) तो अल्लाह उसके गुनाह को जो उसने उस (इस्लाम लाने) से पहले किये थे, मुआफ़ फ़र्मा देता है और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है (यानी) एक नेकी का बदला दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक (स़वाब) और एक बुराई का उसी बुराई के मुत़ाबिक़ (बदला दिया जाता है) मगर यह कि अल्लाह तआला उस बुराई से भी दरगुज़र करे। (और उसे भी मुआफ़ फ़र्मा दे। यह भी उसके लिए आसान है)

٤٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا)).

(42) हमसे इस्हाक़ बिन मंस़ूर ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने, उन्हें मुअ़मर ने हम्माम से ख़बर दी, वो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें से कोई शख़्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले (यानी निफ़ाक़ और रिया से पाक कर ले) तो हर नेक काम जो वो करता है उसके बदले दस से लेकर सात सौ गुना तक नेकियाँ लिखी जाती हैं और हर बुरा काम जो करता है तो वो उतना ही लिखा जाता है (जितना कि उसने किया है)

तश्रीह : ह़ज़रत इमामुल मुह़द्दिस़ीन (रह) ने अपनी ख़ुदादाद बस़ीरत की बिना पर यहाँ भी इस्लाम व ईमान के एक होने और उनमें कमी व बेशी के स़ह़ीह़ होने के अ़क़ीदे का इस़्बात (प्रमाण, सुबूत) फ़र्माया है और बत़ौर दलील उन अह़ादीस़े पाक को नक़ल फ़र्माया है जिनसे स़ाफ़ ज़ाहिर है कि एक नेकी का स़वाब जब सात सौ गुना तक लिखा जा सकता है तो यक़ीनन इससे ईमान में ज़्यादती होती है और किताब व सुन्नत की रू से यही अ़क़ीदा दुरुस्त है जो लोग ईमान की कमी व बेशी के क़ाइल नहीं हैं अगर वो बनज़रे अ़मीक़ (सूक्ष्म दृष्टि, गहरी नज़र) से किताब व सुन्नत का मुत़ालआ़ करेंगे तो ज़रूर उनको अपनी ग़लती का एहसास हो जाएगा। इस्लाम के बेहतर होने का मत़लब ये कि अवामिर व नवाही को हर वक़्त सामने रखा जाए। ह़लाल व ह़राम में पूरे त़ौर पर तमीज़ की जाए, अल्लाह का डर, आख़िरत की त़लब, दोज़ख़ से पनाह हर वक़्त मांगी जाए और अपने ए'तिक़ाद व अ़मल व अख़्लाक़ से इस्लाम का सच्चा नमूना पेश किया जाए इस ह़ालत में यक़ीनन जो भी नेकी होगी उसका स़वाब सात सौ गुने तक ज़्यादा किया जाएगा।

٣٢- بَابُ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَدْوَمُهُ

बाब 32 : अल्लाह को दीन (का) वो (अ़मल) सबसे ज़्यादा पसंद है जिसको पाबन्दी से किया जाए

٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ

(43) हमसे मुहम्मद बिन अल मुस़न्ना ने बयान किया, उनसे यह्या ने हिशाम के वास्ते से नक़ल किया, वो कहते हैं कि मुझे मेरे बाप

(उर्वा) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत नक़ल की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (एक दिन) उनके पास आए, उस वक़्त एक औरत मेरे पास बैठी थी, आपने पूछा यह कौन है? मैंने कहा फ़लाँ औरत और उसकी नमाज़ (के इश्तियाक़ और पाबन्दी) का ज़िक्र किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया ठहर जाओ (सुन लो कि) तुम पर उतना ही अमल वजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताक़त है। अल्लाह की क़सम (सवाब देने से) अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम (अमल करते) उकता जाओगे, और अल्लाह को दीन (का) वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके (और इंसान बग़ैर उकताए उसे अंजाम दे) (दीगर : 1151)

عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ. قَالَ: مَنْ هذِهِ؟ قَالَتْ: فُلاَنَةُ - تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا - قَالَ: ((مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَ اللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا)). وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

[طرفه في : ١١٥١].

बाब 33 : ईमान की कमी और ज़्यादती के बयान में और अल्लाह तआला के इस क़ौल की (तफ़्सीर) का बयान

٣٣- بَابُ زِيَادَةِ الإِيْمَانِ وَنُقْصَانِهِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

और मैंने उन्हें हिदायत में ज़्यादती दी- और दूसरी आयत की तफ़्सीर में कि और अहले ईमान का ईमान ज़्यादा हो जाए- फिर यह भी फ़र्माया, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया क्योंकि जब कमाल में से कुछ बाक़ी रह जाए तो उसी को कमी कहते हैं।

﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا﴾ وَقَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ.

(44) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे क़तादा ने हज़रत अनस (रज़ि.) से बयान किया, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जौ बराबर भी (ईमान) है तो वो (एक न एक दिन) दोज़ख़ से ज़रूर निकलेगा और दोज़ख़ से वो शख़्स (भी) ज़रूर निकलेगा जिसने कलिमा पढ़ा और उसके दिल में गेंहू के दाना बराबर ख़ैर है और दोज़ख़ से वो (भी) निकलेगा जिसने कलिमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी ख़ैर है।

٤٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ)).

हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी (रह.) फ़र्माते है कि अबान ने बरिवायत क़तादा बवास्ता हज़रत अनस (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ैर की जगह ईमान का लफ़्ज़ नक़ल किया है।

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مِنْ الإِيْمَانِ)) مَكَانَ ((مِنْ خَيْرٍ)).

(दीगर मक़ाम : 4476, 6565, 7410, 7440, 7509, 7510, 4716)

[أطرافه في : ٤٤٧٦، ٦٥٦٥، ٧٤١٠، ٧٤٤٠، ٧٥٠٩، ٧٥١٠، ٧٥١٦].

(45) हमसे इस हदीष़ को हसन बिन स़बाह़ ने बयान किया, उन्हों ने जा'फ़र बिन औ़न से सुना, वो अबुल उ़मैस से बयान करते हैं, उन्हें क़ैस बिन मुस्लिम ने त़ारिक़ बिन शिहाब के वास्ते से ख़बर दी। वो ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! तुम्हारी किताब (क़ुर्आन) में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो। अगर वो हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम उस (के नुज़ूल के) दिन को यौमे ईद बना लेते। आपने पूछा वो कौनसी आयत है? उसने जवाब दिया (सूरह माइदा की यह आयत कि) 'आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेअ़मत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीने इस्लाम को पसंद किया।'

ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम उस दिन और उस मुक़ाम को (ख़ूब) जानते हैं जब यह आयत रसूलुल्लाह (ﷺ) पर नाज़िल हुई थी (उस वक़्त) आप (ﷺ) अ़रफ़ात में जुमे के दिन खड़े हुए थे।

(दीगर मक़ाम : 4407, 4606, 4268)

٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا: قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ الْمَائِدَة: ٣. قَالَ عُمَرُ : قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِيْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ، يَوْمَ جُمُعَةٍ.

[أطرافه في : ٤٤٠٧، ٤٦٠٦، ٧٢٦٨].

तश्रीह : ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) के जवाब का मतलब ये था कि जुम्आ का दिन और अ़रफ़ा का दिन हमारे यहाँ ईद ही माना जाता है इसलिये हम भी इस मुबारक दिन में इस आयत के नुज़ूल पर अपनी ख़ुशी का इज़्हार करते हैं, फिर अ़रफ़ा के बाद वाला दिन ईदुल अज़्ह़ा है, इसलिये जिस क़दर खुशी और मुसर्रत हमको इन दिनों में होती है उसका तुम लोग अंदाज़ा इसलिये नहीं कर सकते कि तुम्हारे यहाँ ईद का दिन खेल तमाशे और लह्वो-लइब (मौज-मजे) का दिन माना गया है, इस्लाम में हर ईद बेहतरीन रूहानी और ईमानी पैग़ाम लेकर आती है। आयते करीमा **'अल यौम अक्मल्तु लकुम दीनकुम'** (अल् माइदा : 3) में दीन के पूरे होने का ऐलान किया गया है, ज़ाहिर है कि कामिल सिर्फ़ वही चीज़ है जिसमें कोई नुक़्स़ बाक़ी न रहा गया हो, पस इस्लाम आँह़ज़रत (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में कामिल मुकम्मल हो चुका है जिसमें किसी तक़्लीदी मज़हब का वजूद न किसी ख़ास़ इमाम के मुत़ाअ़े-मुत्लक़ का तसव्वुर था। कोई तीजा, फ़ातिह़ा, चहलुम के नाम से रस्म न थी। ह़नफ़ी, शाफ़ई, मालिकी, ह़ंबली निस्बतों से कोई आश्ना (परिचित) न था क्योंकि ये बुज़ुर्ग लम्बे अ़र्से के बाद पैदा हुए और तक़्लीदी मज़ाहिब का इस्लाम की चार स़दियों तक पता न था, अब इन चीज़ों को दीन में दाख़िल करना, किसी इमाम बुज़ुर्ग की तक़्लीदे मुत्लक़ वाजिब क़रार देना और उन बुज़ुर्गों से ये तक़्लीदी निस्बत अपने लिए लाज़िम समझ लेना ये वो उमूर हैं जिनको हर बस़ीरत (समझ) वाला मुसलमान दीन में इज़ाफ़ा ही कहेगा। मगर स़द अफ़सोस कि उम्मते मुस्लिमा का एक जम्मे ग़फ़ीर इन ईजादात पर इस क़दर पुख़्तगी के साथ ए'तिक़ाद रखता है कि इसके ख़िलाफ़ वो एक ह़र्फ़ सुनने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ़ यही नहीं बल्कि इन ईजादात ने मुसलमानों को इस क़दर फ़िर्क़ों में तक़्सीम कर दिया है कि अब उनका मर्कज़े-वाह़िद (एक केन्द्र) पर जमा होना

तक़रीबन नामुम्किन नज़र आ रहा है। मसलके मुहद्दिसीन बिहम्दिही तआला इस जुमूद और इस अंधी तक़्लीद के ख़िलाफ़ ख़ालिस उस इस्लाम की तर्जुमानी करता है जो आयते शरीफ़ा '**अल यौम अक्मल्तु लकुम दीनकुम**' (अल माइदा : 3) में बताया गया है। तक़्लीदी मज़ाहिब के बारे में किसी साहब बसीरत ने ख़ूब कहा है :

दीने हक़ रा चार मज़हब साख़्तंद रख़्ना दर दीने नबी अन्दाख़्तंद

यानी लोगों ने दीने हक़ जो एक था, उसके चार मज़हब बना डाले, इस तरह नबी करीम (ﷺ) के दीन में रख़्ना डाल दिया।

बाब 34 : ज़कात देना इस्लाम में दाख़िल है

और अल्लाह पाक ने फ़र्माया, हालाँकि इन काफ़िरों को यही हुक्म दिया गया है कि ख़ालिस अल्लाह ही की बंदगी की निय्यत से एक तरफ़ होकर उसी अल्लाह की इबादत करें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें यही पुख़्ता दीन है।

(46) हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उन्होंने अपने चचा अबू सुहैल इब्ने मालिक से, उन्होंने अपने बाप (मालिक बिन अबी आमिर) से, उन्होंने तलहा बिन उबैदुल्लाह से वो कहते थे नजद वालों में से एक शख़्स आँहज़रत (ﷺ) के पास आया, सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे, हम उसकी आवाज़ की भिनभिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नज़दीक आ पहुँचा, जब मा'लूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया इस्लाम दिन-रात में पाँच नमाज़ें पढ़ना है, उसने कहा बस इसके सिवा और कोई नमाज़ तो मुझ पर नहीं। आपने फ़र्माया नहीं! मगर तू नफ़्ल पढ़े (तो और बात है) आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया और रमज़ान के रोज़े रखना। उसने कहा और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया नहीं मगर तू नफ़्ल रोज़े रखे (तो और बात है) तलहा ने कहा और आँहज़रत (ﷺ) ने उससे ज़कात के बारे में बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदक़ा तो मुझ पर नहीं है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया मगर यह कि तू नफ़्ल सदक़ा करे (तो और बात है) रावी ने कहा फिर वो शख़्स पीठ मोड़कर चला। यूँ कहता जाता था, क़सम अल्लाह की! मैं न इससे बढ़ाऊँगा न घटाऊँगा, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया अगर यह सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुँच गया।

٣٤- بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلاَمِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ﴾ البينة : ٥

٤٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)). فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَصِيَامُ رَمَضَانَ)). قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: ((لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)). قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((زَكَاةَ)) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ)). قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)).

(दीगर मक़ाम : 1891, 2678, 2956)

[أطرافه في : ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٢٩٥٦].

बाब 35 : जनाज़े के साथ जाना ईमान में दाख़िल है

٣٥- بَابٌ: اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الإِيْمَانِ

(47) हमसे अहमद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ली मन्जूफ़ी ने बयान किया, कहा हमसे रवाहा ने बयान किया, कहा हमसे औ़फ़ ने बयान किया, उन्होंने ह़सन बस़री और मुहम्मद बिन सीरीन से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जो कोई ईमान रखकर और स़वाब की निय्यत से किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ जाए और नमाज़ और दफ़न से फ़राग़त होने तक उसके साथ रहे तो वो दो क़ीरात स़वाब लेकर लौटेगा हर क़ीरात इतना बड़ा होगा जैसे उहुद का पहाड़, और जो शख़्स जनाज़े पर नमाज़ पढ़कर दफ़न से पहले लौट जाए तो वो एक क़ीरात स़वाब लेकर लौटेगा। रवाहा के साथ इस ह़दीस़ को उ़स्मान मुअज़्ज़िन ने भी रिवायत किया है। कहा हमसे औ़फ़ ने बयान किया, उन्होंने मुह़म्मद बिन सीरीन से सुना, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से अगली रिवायत की त़रह।

(दीगर मक़ाम : 1323, 1325)

٤٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطٍ)). تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. [طرفاه في : ١٣٢٣، ١٣٢٥].

तश्रीह़ : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) ने इन अब्वाब में ईमान व इस्लाम की तफ़्सीलात बतलाते हुए ज़कात की फ़र्ज़ियत को क़ुर्आन शरीफ़ से स़ाबित फ़र्माया और बतलाया कि ज़कात देना भी ईमान में दाख़िल है, जो लोग दीन के फ़राइज़ को ईमान से अलग क़रार देते हैं, उनका क़ौल दुरुस्त नहीं। ह़दीस़ में जिस शख़्स़ का ज़िक्र है उसका नाम ज़िमाम बिन स़अलबा था। नजद लुग़त में बुलन्द इलाक़ा को कहते हैं, जो अ़रब में तहामा से इराक़ तक फैला हुआ है। जनाज़े के साथ जाना भी ऐसा नेक अ़मल है, जो ईमान में दाख़िल है।

बाब 36 : मोमिन को डरना चाहिए कि कहीं उसके आमाल मिट न जाएँ और उसको ख़बर तक न हो

٣٦- بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

और इब्राहीम तैमी (वाइ़ज़) ने कहा मैंने गुफ़्तार (बोलने) और किरदार (चरित्र) को जब मिलाया, तो मुझे डर हुआ कि कहीं मैं शरीअ़त के झुठलाने वाले (काफ़िरों) में से न हो जाऊँ और इब्ने अबी मुलैका ने कहा कि मैं नबी करीम (ﷺ) के तीस स़ह़ाबा से मिला, उनमें से हर एक को अपने ऊपर निफ़ाक़ का डर लगा हुआ

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلاَّ خَشِيْتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلاَثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ

था, उनमें कोई यूँ नहीं कहता था कि मेरा ईमान जिब्रईल व मीकाईल के ईमान के जैसा है और ह़सन बस़री से मनक़ूल है, निफ़ाक़ से वही डरता है जो ईमानदार होता है और इससे निडर वही होता है जो मुनाफ़िक़ है। इस बाब में आपस की लड़ाई और गुनाहों पर अड़े रहने और तौबा न करने से भी डराया गया है। क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान में फ़र्माया, 'और अपने बुरे कामों पर वो जान-बूझकर अड़ा नहीं करते।'

عَلَى نَفْسِهِ. مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ: مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ. وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

(48) हमसे मुहम्मद बिन अ़रअ़रह ने बयान किया, वो कहते है कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने ज़ुबैद बिन ह़ारिष़ से, कहा मैंने अबू वाइल से मुर्जिया के बारे में सवाल किया, (वो कहते हैं गुनाह से आदमी फ़ासिक़ नहीं होता) उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने बयान किया कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फ़ासिक़ हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ़्र है।

(दीगर मक़ाम : 6044, 7076)

٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)).

[طرفاه في : ٦٠٤٤، ٧٠٧٦].

(49) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्हों ने ह़ुमैद से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से, कहा मुझको उ़बादा बिन स़ामित ने ख़बर दी कि आँह़ज़रत (ﷺ) अपने हुज्रे से निकले, लोगों को शबे क़द्र बताना चाहते थे (वो कौनसी रात है) इतने में दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तो इसलिये बाहर निकला था कि तुमको शबे क़द्र बताऊँ और फ़लाँ-फ़लाँ आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। (तो अब ऐसा करो कि) शबेक़द्र को रमज़ान की 27वीं, 29वीं व 25वीं रात में ढूँढ़ा करो।

(दीगर मक़ाम : 2023, 6049)

٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: ((إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ)).

[طرفاه في : ٢٠٢٣، ٦٠٤٩].

तश्रीह : इस ह़दीष़ से भी ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) का मक़्सूद (उद्देश्य) मुर्जिया की तर्दीद करते हुए ये बतलाना है कि नेक आ'माल से ईमान बढ़ता है और गुनाहों से घटता है।

शबे क़द्र के बारे में आप (ﷺ) ने फ़र्माया है कि वो रमज़ान के आख़िरी अ़शरे की ताक़ रातों में से एक पोशिदा (छुपी हुई एक) रात है और वो हर साल उन तारीख़ों में घूमती रहती है, जो लोग शबे क़द्र को सत्ताईसवीं रात के साथ मख़्सूस समझते हैं, उनका ख़याल स़ह़ीह़ नहीं।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) : हदीष़ 45 में और इसी तरह बहुत सी मरवियात में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) का नाम बार बार आता है लिहाज़ा उनके मुख़्तसर हालात जानने के लिए ये काफ़ी है कि आप इल्मे हदीष़ के सबसे बड़े हाफ़िज़ और असातीन में शुमार हैं, साहिबे फ़त्वा अइम्मा की जमाअत में बुलंद मर्तबा रखते थे। इल्मी शौक़ में सारा वक़्त नबी (ﷺ) की ख़िदमत में गुज़ारते थे, दुआएँ भी इल्म में बढ़ोतरी की ही की मांगते थे, नश्रे-हदीष़ में दस्तरस (योग्यता/महारथ) हासिल थी। अरबी के अलावा फ़ारसी व इबरानी भी जानते थे, तौरात के मसाइल से भी पूरी वाक़फ़ियत थी।

ख़शिय्यते रब्बानी (ख़ौफ़े-इलाही) का ये आलम था कि इहतिसाबे क़यामत के ज़िक्र पर चीख़ मारकर बेहोश हो जाते थे, एक मर्तबा मख़्सूस तौर पर ये हदीष़ सुनाई जिसके दौरान में कई मर्तबा बेहोश हुए।

हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया कि बरोज़े क़यामत सबसे पहले आलिमे कुर्आन, शहीद और दौलतमंद फ़ैसले के लिये तलब होंगे, अव्वल अज़् ज़िक्र से पूछा जाएगा कि मैंने तुझे इल्मे कुर्आन अता किया, उस पर तूने अमल भी किया? जवाब देगा रात-दिन तिलावत करता रहता था। (अल्लाह) फ़र्माएगा, झूठ बोलता है, तू इसलिये तिलावत करता था कि क़ारी का ख़िताब मिल जाए, मिल गया। दौलतमंद से सवाल होगा कि मैंने तुझे दौलतमंद बनाकर दूसरों की दस्तगीरी से बेनियाज़ नहीं किया था? उसका बदला क्या दिया? (वो) अर्ज़ करेगा सिलहरहमी करता था, सदक़ा देता था। (अल्लाह की तरफ़ से) इर्शाद होगा, झूठ बोलता है मक़्सद तो ये था कि सख़ी मशहूर हो जाए, वो हो गया। शहीद से सवाल होगा। वो कहेगा इलाहुल आलमीन! मैं तो तेरे हुक्मे जिहादी के तहत लड़ा, यहाँ तक कि तेरी राह में मारा गया। (अल्लाह का) हुक्म होगा ग़लत है, तेरी निय्यत तो ये थी कि दुनिया में शुजाअ (बहादुर के तौर पर) मशहूर हो जाए, वो मक़्सद हासिल हो गया। मेरे लिए क्या किया? ये हदीष़ बयान करके हुज़ूर (ﷺ) ने मेरे ज़ानू पर हाथ मारकर इर्शाद फ़र्माया कि सबसे पहले इन्हीं तीनों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। (तिर्मिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद)

उन्हें इबादत से मुहब्बत थी, घर में एक बीवी और एक ख़ादिम था, तीनों बारी-बारी तिहाई तिहाई रात इबादत में मस्रूफ़ (व्यस्त) रहते थे। कुछ औक़ात पूरी-पूरी रातें नमाज़ में गुज़ार देते। महीने के शुरू में तीन रोज़े इल्तिज़ाम के साथ रखते, **एक रोज़ तक्बीर की आवाज़ सुनकर एक साहब ने पूछा तो फ़र्माया कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि एक दिन वो था कि मैं बर्रह बिन्ते ग़ज़्वान के पास महज़ रोटी पर मुलाज़िम था, उसके बाद वो दिन भी अल्लाह ने दिखाया कि वो मेरे अक़्द (निकाह) में आ गई।**

हुज़ूर (ﷺ) से बेहद मुहब्बत थी, रसूल (ﷺ) के उस्वे पर सख़्ती से पाबन्द थे, अहले बैते-अत्हर से वालिहाना मुहब्बत रखते थे और जब हज़रत हसन (रज़ि) को देखते तो आबदीदा हो जाते थे। वालदेन की इताअत का ये कितना शानदार मुज़ाहरा था कि शौक़े इबादत के बावजूद महज़ माँ की तन्हाई के ख़याल से उनकी ज़िंदगी में हज्ज नहीं किया। (मुस्लिम जिल्द : 2)

क़ाबिले फ़ख़्र ख़ुसूसियत ये है कि वैसे तो आपके अख़्लाक़ बहुत बुलंद थे और हक़गोई के जोश में बड़े से बड़े शख़्स को फ़ौरन रोक देते थे, चुनाँचे जब मदीना में हुण्डी या चक का रिवाज हुआ तो आपने मरवान से जाकर कहा कि तू ने रिबा (ब्याज) हलाल कर दिया क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि खाने की चीज़ों की बेअ उस वक़्त जाइज़ नहीं जब तक कि बायेअ उसे नाप-तौल न ले, उसी तरह उसके यहाँ तस्वीरें लटकी देखकर उसे टोका और उसे सर झुकाकर तस्लीम करना पड़ा। एक दफ़ा मरवान की मौजूदगी में फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) ने सहीह फ़र्माया है कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के लौण्डों के हाथों में होगी।

लेकिन सबसे नुमायाँ चीज़ ये थी कि मंसबे-इमारत पर पहुँचकर अपने फ़क़्र (ग़रीबी) को न भूले। ये हालत थी कि रोटी के लिए घोड़े के पीछे दौड़ते, मुसलसल फ़ाक़ों से ग़श पे ग़श आते, हुज़ूर (ﷺ) के सिवा कोई पूछने वाला न था। अस्हाबे सुफ़्फ़ा में थे किसी से सवाल न करते, लकड़ियाँ जंगल से काट लाते, इससे भी काम न चलता, रहगुज़र पर बैठ जाते कि कोई खिलाने के लिये ले जाए उसके बाद ये आलम हुआ कि गवर्नरी पर पहुँच गये, सब कुछ हासिल हो गया, लेकिन फ़क़ीराना सादगी बराबर क़ायम रखी, वैसे अच्छे से अच्छा पहना, कताँ के बने हुए कपड़े पहने और एक से नाक साफ़ करके कहा, वाह वाह! अबू हुरैरह (रज़ि) आज तुम कताँ से नाक साफ़ करते हो, हालाँकि कल फ़ाक़ा की शिद्दत (भूख की तीव्रता) से मस्जिदे

नबवी में ग़श खाकर गिर पड़ा करते थे। शहर से निकलते तो सवारी में गधा होता, जिस पर मामूली नमदह कसा होता है। छाल की रस्सी की लगाम होती। जब सामने कोई आ जाता तो मज़ाक़न ख़ुद कहते, रास्ता छोड़ो अमीर की सवारी आ रही है।

बड़े मेहमान-नवाज़ थे, अल्लाह तआला आज किसी को मामूली फ़ारिग़ुलबाली (बेनियाज़ी) भी अ़ता करता है तो ग़ुरूर से ह़ालत कुछ और हो जाती है मगर अल्लाह ने आपको ज़मीन से उठाकर अ़र्श पर बिठा दिया, लेकिन सादगी का वही आ़लम रहा।

बाब 37 : ह़ज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम का आँह़ज़रत (ﷺ) से ईमान, इस्लाम और एह़सान और क़यामत के इल्म के बारे में पूछना

٧- بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيْلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الإِيْمَانِ، وَالإِسْلاَمِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، وَبَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ.

ثُمَّ قَالَ: ((جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ)) فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِيْنًا. وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الإِيْمَانِ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾.

और उसके जवाब में नबी करीम (ﷺ) का बयान फ़र्माना फिर आख़िर में आपने फ़र्माया कि यह जिब्रईल अलैहिस्सलाम थे जो तुमको दीन की ता'लीम देने आए थे। यहाँ आपने उन तमाम बातों को (जो जिब्रईल अलैहिस्सलाम के सामने बयान की गई थीं) दीन ही क़रार दिया और उन बातों के बयान में जो आँह़ज़रत (ﷺ) ने ईमान से मुता'ल्लिक़ अ़ब्दुल क़ैस के वफ़्द के सामने बयान की थी और अल्लाह पाक के इस इर्शाद की तफ़्सील में कि जो कोई इस्लाम के अ़लावा कोई दूसरा दीन इख़्तियार करेगा वो हर्गिज़ क़ुबूल न किया जाएगा।

इस आयते-शरीफ़ा में भी इस्लाम को लफ़्ज़े-दीन से ता'बीर किया गया है।

٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الإِيْمَانُ؟)) قَالَ: ((الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَبِرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ)). قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: ((الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ)). قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ ا

(50) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अबू हय्यान तैमी ने अबू ज़ुरआ़ से ख़बर दी, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल किया कि एक दिन आँह़ज़रत (ﷺ) लोगों में तशरीफ़ फ़र्मा थे कि आपके पास एक शख़्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वह्दानियत पर ईमान लाओ और उसके फ़रिश्तों के वजूद पर और उस (अल्लाह) की मुलाक़ात के बरहक़ होने पर और उसके रसूलों के बरहक़ होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है? आप (ﷺ) ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम यह है कि तुम ख़ालिस़ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और नमाज़ क़ायम करो और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एह़सान के बारे में पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया एह़सान यह है कि

اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)). قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ((مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ. ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ. فَقَالَ: ((رُدُّوهُ)). فَلَمْ يَرَوا شَيْئًا. فَقَالَ: ((هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإِيْمَانِ.

[طرفه في : ٤٧٧٧].

तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो अगर यह दर्जा न हासिल हो तो यह तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया इस बारे में जवाब देने वाला पूछनेवाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता (अलबत्ता) मैं तुम्हें उसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो यह कि जब लौंडी अपने आक़ा को जनेगी और जब स्याह ऊँटों के चरानेवाले (देहाती लोग तरक़्क़ी करते-करते) मकानात बनाने में एक-दूसरे से बाज़ी ले जाने की कोशिश करेंगे (याद रखो) क़यामत का इल्म उन पाँच चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। फिर आप (ﷺ) ने यह आयत पढ़ी, 'अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब क़ायम होगी (आख़िर आयत तक)' फिर वो पूछनेवाला पीठ फेरकर जाने लगा। आपने फ़र्माया कि उसे वापस बुलाकर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया यह जिब्रईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी फ़र्माते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने इन तमाम बातों को ईमान ही क़रार दिया है।

(दीगर मुक़ाम : 4777)

तश्रीह : शारेहीने बुख़ारी लिखते हैं **'मक़्सूदुल बुख़ारी मिन अक़्दि ज़ालिकल बाबि इन्नद्दीन वल इस्लाम वल ईमान वाहिदुन लख़्तिलाफ़ फ़ी मफ़हुमिहिमा वल वाव फ़ी वमा बैन व क़ौलिही तआला बिमअना मअ'** यानी हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) का इस बाब के मुनअक़िद करने से उस अम्र का बयान मक़्सूद है कि दीन और इस्लाम और ईमान एक हैं , उसके मफ़हूम (भावार्थ) में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। और वमा बैन में और व क़ौलुहू तआला में हर दो जगह वाव साथ के मा'नी में है जिसका मतलब ये कि बाब मे पहला तर्जुमा सवाले-जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) के बारे में है जिसके मक़्सद को आपने **फ़जअल ज़ालिक कुल्लहू मिनल् ईमान** से वाज़ेह कर दिया। यानी दीन ईमान, इस्लाम, एहसान और ए'तिक़ाद क़यामत सब पर मुश्तमिल (आधारित) है। दूसरा तर्जुमा **वमा बैन लिवफ़्दि अब्दुल क़ैस** है यानी आप (ﷺ) वफ़्दे अब्दुल क़ैस के लिए ईमान की जो तफ़्सील बयान की थी उसमें आ'माल बयान करके उन सबको दाख़िले ईमान क़रार दिया गया था ख़्वाह वो अवामिर से हों या नवाही से। तीसरा तर्जुमा यहाँ आयते करीमा **व मंय्यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीना** है जिससे ज़ाहिर है कि असल दीन, दीने-इस्लाम है और दीन और इस्लाम एक ही चीज़ के दो नाम हैं क्योंकि अगर दीन इस्लाम से अलग होता तो आयते शरीफ़ा में इस्लाम का तलाश करने वाला शरीअत में मुअतबर है। यहाँ उनके लग्वी मआनी (शाब्दिक अर्थ) से कोई बहस नहीं है। हज़रत इमाम का मक़्सद यहाँ भी मुर्जिया की तर्दीद है जो ईमान के लिए आ'माल को ग़ैर ज़रूरी बतलाते हैं।

तअस्सुब का बुरा हो : फ़िर्क़-ए-मुर्जिया की ज़लालत (गुमराही) पर तमाम अहले सुन्नत का इत्तिफ़ाक़ है और इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु भी ऐसे ही गुमराह फ़िर्क़ों की तर्दीद (खण्डन) के लिये ये सारी तफ़्सीलात पेश कर रहे हैं । मगर तअस्सुब का बुरा हो अस्रे हाज़िर (वर्तमान काल) के कुछ मुतर्जेमीन (अनुवादकों) व शारेहीने बुख़ारी (बुख़ारी की शरह/मीमांसा लिखने वालों) को यहाँ भी ख़ालिसन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह) पर तअरीज़ नज़र आई है और इस ख़याल के पेशेनज़र

उन्होंने यहाँ हज़रत इमाम बुख़ारी को ग़ैर फ़क़ीह क़रार देकर दिल की भड़ास निकाली है साहिबे अनवारुल बारी के लफ़्ज़ हैं :

इमाम बुख़ारी (रह) में ताष़्षुर का माद्दा ज़्यादा था वो अपने असातिज़ा हुमैदी, नईम बिन हम्माद, ख़ुर्रामी, इस्हाक़ बिन राह्वै, इस्माईल, उर्वा से ज़्यादा मुताष़्षिर हो गये। जिनको इमाम साहब वग़ैरह से लिल्लाही बुग़्ज़ था दूसरे वो ज़ूदे रंज थे। फ़न्ने हदीष़ के इमामे बेमिष़ाल थे मगर फ़िक़ह में वो पाया न था। इसीलिए उनका कोई मज़हब न बन सका, इमामे आज़म (रह) की फ़िक़्ही बारीकियों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ऊँचे दर्जे की तफ़क़्क़ो की ज़रूरत थी। जो न समझा वो उनका मुख़ालिफ़ हो गया। (अनवारुल बारी, जिल्द दोम/ पेज नं. 168)

इस बयान पर तफ़्सीली तब्सरा के लिए दफ़ातिर भी नाकाफ़ी हैं। मगर आज के दौर में उन फ़रसूदा मबाहिष़ (प्रचलित बहष़ों) में जाकर उलम-ए-सलफ़ का बाहमी हसद व बुग़्ज़ षाबित करके तारीख़े इस्लाम को मजरूह करना ये ख़िदमत ऐसे मुतअस्सिबीन हज़रात ही को मुबारक हो हमारा तो सबके लिए ये अक़ीदा है **'तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत'** (अल बक़र : 134) रहमतुल्लाहि अलैहिम अज्मईन, आमीन! हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) को ज़ूदे रंज और ग़ैर फ़क़ीह क़रार देना ख़ुद उन लिखने वालों के ज़ूद रंज और कम फ़हम होने की दलील है।

बाब 38 :

٣٨- بَابٌ

(51) हमसे इब्राहीम बिन हम्ज़ा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने सालेह बिन कैसान से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उनको अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने ख़बर दी, उनको अबू सुफ़यान बिन हर्ब ने कि हिरक़्ल (रूम का बादशाह) ने उनसे कहा। मैंने तुमसे पूछा था कि उस रसूल के माननेवाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तूने जवाब दिया कि वो बढ़ रहे हैं। (ठीक है) ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए और जब मैंने तुझसे पूछा था कि कोई उसके दीन में आकर उसको बुरा जानकर फिर जाता है? तूने कहा नहीं! और ईमान का यही हाल है। जब उसकी ख़ुशी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता।

(राजेअ : 7)

٥١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ، وَكَذَلِكَ الإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ.

[راجع: ٧].

ये बाब भी पिछले बाब ही के बारे में है और उससे भी ईमान की कमी ज़्यादती षाबित करना मक़्सूद है।

बाब 39 : उस शख़्स की फ़ज़ीलत के बयान में जो अपना दीन क़ायम रखने के लिए गुनाह से बच गया

٣٩- بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ

(52) हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने, उन्होंने आमिर से, कहा मैंने नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना आप (ﷺ) फ़र्माते थे हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है और इनके बीच

٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ:

((الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ)). [طرفه في : ٢٠٥١].

कुछ चीज़ें शक की है जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं (कि हलाल है या हराम) फिर जो कोई शक की चीज़ों से भी बच गया उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया और जो कोई शक की चीज़ों में पड़ गया उसकी मिष़ाल उस चरवाहे की सी है जो (शाही महफ़ूज़) चारागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो क़रीब है कि कभी उस चारागाह के अंदर घुस जाए (और शाही मुजरिम क़रार पाए) सुन लो हर बादशाह की एक चारागाह होती है। अल्लाह की चारागाह इस ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं। (बस उनसे बचो और) सुन लो बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो वो टुकड़ा आदमी का दिल है।

(दीगर मक़ाम : 2051)

तश्रीह : बाब के मुनअक़िद करने से ह़ज़रत इमाम का मक़्सद ये है कि वरअ परहेज़गारी भी ईमान को कामिल करने वाले अमलों में से है। अल्लामा क़स्तलानी (रह़) फ़र्माते हैं कि इस ह़दीष़ की बिना पर हमारा मज़हब यही है कि क़ल्ब ही अक़्ल का मक़ाम है और फ़र्माते हैं, **'क़द अजमअन्न उलमाउ अला अज़्मि मौकइहाज़ल ह़दीषि व अन्नहू अहदुल अह़ादीष़िल अरबअतिल्लती अलैहा मदारुल इस्लामिल मन्जूमति फ़ी क़ौलिही'**

उम्दतुद्दीनि इन्दना कलिमातुन — मुस्नदातुन मिन क़ौलि ख़ैरिलबरिय्यति
इत्तकिश्शुब्ह वजहुदन्न वदअमा — लैस युईनुक वअमलन्न बिनिय्यति

यानी इस ह़दीष़ की अ़ज़्मत पर उ़लमा का इत्तिफ़ाक़ है और ये उन चार अह़ादीष़ में से एक है जिन पर इस्लाम का दारोमदार है जैसा कि इस रुबाई में है कि दीन के बारे में इर्शादाते नबवी (ﷺ) के ये चंद कलिमात हमारे नज़दीक दीन की बुनियाद हैं । शुब्हा की चीज़ों से बचो, दुनिया से बेरग़्बती इख़्तियार करो, फ़िज़ूलियात से बचो और निय्यत के मुताबिक़ अमल करो।

٤٠ - بَابٌ أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الإِيْمَانِ

बाब 40 : इस बारे में कि माले ग़नीमत से पाँचवाँ हिस़्सा अदा करना भी ईमान से है

٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيْرِهِ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنِ القَوْمُ - أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟

(53) हमसे अ़ली बिन ज़अ़द ने बयान किया, कहा हमको शुअ़बा ने ख़बर दी, उन्होंने अबू जम्रा से नक़ल किया कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के पास बैठा करता था वो मुझको ख़ास़ अपने तख़्त पर बैठाते (एक बार) कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तक़िल तौर पर रह जाओ मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस़्सा मुक़र्रर कर दूँगा। तो मैं दो माह तक उनकी ख़िदमत में रह गया। फिर कहने लगे अ़ब्दुल क़ैस का वफ़्द जब आँह़ज़रत (ﷺ) के पास आया तो आपने पूछा कि यह कौनसी क़ौम के लोग हैं या यह वफ़्द कहाँ का है? उन्होंने कहा कि रबीआ ख़ानदान के लोग

-)) قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى)) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: ((أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ)) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: ((عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ)) - وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ - وَقَالَ: ((احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ)).

[أطرافه في: ٨٧، ٥٢٣، ١٣٩٨، ٣٠٩٥، ٤٣٦٨، ٤٢٦٩، ٦١٧٦، ٧٢٦٦، ٧٥٥٦].

हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मरहबा इस क़ौम को या इस वफ़्द को न ज़लील होनेवाले न शर्मिंदा होनेवाले (यानी उनका आना बहुत ख़ूब है) वो कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हम आपकी ख़िदमत में सिर्फ़ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके बीच मुज़र के काफ़िरों का क़बीला आबाद है, बस आप हमको ऐसी क़तई बात बतला दीजिए जिसकी ख़बर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए और उस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाख़िल हो जाएँ और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप (ﷺ) ने उनको चार बातों का हुक्म दिया और चार क़िस्म के बर्तनों को इस्ते'माल में लाने से मना फ़र्माया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर आप (ﷺ) ने पूछा कि जानते हो एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मा'लूम है। आपने फ़र्माया इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज़ क़ायम करना और ज़कात देना और रमज़ान के रोज़े रखना और माले ग़नीमत में से जो मिले उसका 5वाँ हिस्सा (मुसलमानों के बैतुलमाल में) दाख़िल करना और चार बर्तनों के इस्ते'माल से आप (ﷺ) ने उनको मना फ़र्माया। सब्ज़ लाख़ी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से, और रोग़नी बर्तन से, और फ़र्माया कि इन बातों को हिफ़्ज़ (याद) कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ तक नहीं आए हैं।

(दीगर मक़ाम : 87, 523, 1398, 3095, 4368, 4269, 6176, 7266, 7556)

तश्रीह : यहाँ भी मुर्जिया की तर्दीद मक़सूद है। शैख़ुल हदीष़ हज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह मुबारकपुरी (रह) फ़र्माते हैं, **'व मजहबुस्सलफ़ि फ़िल ईमानि मिन कौनिल आमालि दाख़िलतुन फ़ी हक़ीक़तिही फइन्नहू क़द फस्सरल इस्लाम फ़ी हदीष़ि जिब्रील बिमा फ़स्सर बिहिल इमान फ़ी क़िस्सति वफ़दिल क़ैसि फ़दल्ल हाज़ा अला अन्नल अश्याअल मज़कूरत व फ़ीहा अदाउल ख़ुम्सि मिन अज्ज़ाइल ईमानि व अन्नहू ला बुद्द फ़िल ईमानि मिनल आमालि ख़िलाफ़ल लिल मुर्जिअति'** (मिरआत जिल्द नं. अव्वल पेज नं. 45) यानी सलफ़ का मज़हब यही है कि आ'माल ईमान की हक़ीक़त में दाख़िल हैं आँहज़रत (ﷺ) ने (पीछे बयान की गई) हदीषे जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) में इस्लाम की जो तफ़्सीर बयान की वही तफ़्सीर आपने अ़ब्दुल क़ैस के वफ़्द के सामने ईमान की फ़र्माई। पस ये दलील है कि बयान की गई चीज़ें जिनमें माले ग़नीमत से ख़ुम्स अदा करना भी है ये सब ईमान के हिस्सों से हैं और ये कि ईमान के लिए आ'माल का होना ज़रूरी है। मुर्जिया उसके ख़िलाफ़ हैं। (जो उनकी ज़लालत व जिहालत की दलील है)

जिन बर्तनों के इस्ते'माल से आपने मना फ़र्माया उनमें अरब के लोग शराब रखा करते थे। जब शराब पीना हराम क़रार पाया तो चंद रोज़ तक आँहज़रत (ﷺ) ने उन बर्तनों के इस्ते'माल की भी मुमानअ़त फ़र्मा दी।

याद रखने के क़ाबिल : यहाँ हज़रत मौलाना मुबारकपुरी मुद्दज़िल्लहु ने एक याद रखने के क़ाबिल बात फ़र्माई है। चुनाँचे फ़र्माते हैं, **'क़ालल हाफ़िज़ु व फ़ीहि दलीलुन अला तक़द्दुमि इस्लामि अब्दिल क़ैसि अला क़बाइलि मुज़र अल्लज़ीन कानू बैनहुम व बैनल मदीनति व यदुल्लु अला सबक़िहिम इलल इस्लामि अयजन मा रवाहुल बुख़ारी फ़िल जुम्अति अनिब्नि अब्बासिन क़ाल इन्न अव्वल जुम्अतिन जुमिअत बअ़द जुम्अति फ़ी मस्जिदि रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़ी मस्जिदि अब्दिल क़ैसि बिजवाष़ी मिलन बहरैनि व इन्नमा जमऊ बअ़द रुजूइ वफ़्दिहिम इलैहिम फदल्ल अला अन्नहुम सबक़ू जमीअल क़ुरा इलल इस्लामि इन्तहा वहफज्हु फ़इन्नहू यन्फ़उक फ़ी मस्अलतिल जुम्अति फ़िल क़ुरा'** (मिरआ़त जिल्द अव्वल पेज नं. 44)

यानी हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) ने कहा कि इस हदीष़ मे दलील है कि अब्दुल क़ैस का क़बीला मुज़र से पहले इस्लाम क़ुबूल कर चुका था जो उनके और मदीना के बीच में रहते थे। इस्लाम में उनकी सबक़त पर बुख़ारी की वो हदीष़ भी दलील है जो नमाज़े जुम्आ के बारे में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) से मन्क़ूल है कि मस्जिदे नबवी में इक़ामते जुम्आ के बाद पहला जुम्आ जवाष़ी नामी गाँव में जो बहरीन में वाक़ेअ था, अ़ब्दुल क़ैस की मस्जिद में क़ायम किया गया। ये जुम्आ उन्होंने मदीना से वापसी के बाद क़ायम किया था। पस ष़ाबित हुआ कि वो देहात में सबसे पहले इस्लाम क़ुबूल करने वाले हैं। इसे याद रखो ये गाँव में जुम्आ अदा होने के ष़ुबूत में तुमको नफ़ा देगी।

बाब 41 : इस बात के बयान में कि अमल बग़ैर निय्यत और ख़ुलूस़ के स़हीह नहीं होते और हर आदमी को वही मिलेगा जो वो निय्यत करे

٤١- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَ الْحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى فَدَخَلَ فِيهِ الإِيْمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلاَةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالأَحْكَامُ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ عَلَى نِيَّتِهِ. وَنَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ - يَحْتَسِبُهَا - صَدَقَةٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ)).

तो अ़मल में ईमान, वुज़ू, नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज्ज सारे अहकाम आ गए, और (सूरह बनी इस्राईल में) अल्लाह ने फ़र्माया ऐ पैग़म्बर! कह दीजिए कि हर कोई अपने त़रीक़ यानी अपनी निय्यत पर अ़मल करता है और (उसी वजह से) आदमी अगर ष़वाब की निय्यत से अल्लाह का हुक्म समझकर अपने घरवालों पर ख़र्च कर दे तो उसमें भी उसको स़दक़े का ष़वाब मिलता है और जब मक्का फ़तह हो गया तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अब हिजरत का सिलसिला ख़त्म हो गया लेकिन जिहाद और निय्यत का सिलसिला बाक़ी है।

٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ

(54) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्होंने यह्या बिन सईद से, उन्होंने मुहम्मद बिन इब्राहीम से, उन्होंने अ़लक़मा बिन वक़्क़ास़ से, उन्होंने हज़रत उ़मर (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया अ़मल निय्यत ही से स़हीह होते हैं (या निय्यत ही के मुत़ाबिक़ उनका बदला मिलता है) और हर आदमी को वही मिलेगा जो निय्यत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे उसकी हिजरत अल्लाह और उसके

रसूल (ﷺ) की तरफ़ होगी और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। (राजेअ : 1)

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). [راجع: ١].

(55) हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शुअबा ने बयान किया, वो कहते हैं मुझको अदी बिन षाबित ने ख़बर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद से सुना, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नक़ल किया, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया जब आदमी षवाब की निय्यत से अपने अहलो-अयाल पर ख़र्च करे बस वो भी उसके लिए सदक़ा है।

٥٥ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ)). [طرفاه في : ٤٠٠٦، ٥٣٥١].

(56) हमसे हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझसे आमिर बिन सअद ने सअद बिन अबी वक़्क़ास से बयान किया, उन्होंने उनको ख़बर दी कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया बेशक तू जो कुछ ख़र्च करे और उससे तेरी निय्यत अल्लाह की रज़ा हासिल करना है तो तुझको उसका षवाब मिलेगा। यहाँ तक कि उस पर भी जो तू अपनी बीवी के मुँह में डाले।

(दीगर मक़ाम : 1295, 2742, 2744, 3936, 4409, 5354, 5659, 5668, 6373, 6733)

٥٦– حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ)).

[أطرافه في : ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٥٣٥٤، ٥٦٥٩، ٥٦٦٨، ٦٣٧٣، ٦٧٣٣].

तश्रीह : इन सारी अहादीष में सारे आ'माल का दारोमदार निय्यत पर बतलाया गया। इमाम नववी (रह) कहते हैं कि उनकी बिना पर हज़्ज़े-नफ़्स (शारीरिक ज़रूरतें) भी जब शरीअत के मुवाफ़िक़ (अनुकूल) हो तो उसमें भी षवाब है।

बाब 42 : आँहज़रत (ﷺ) का यह फ़र्माना कि दीन सच्चे दिल से अल्लाह की फ़र्मांबरदारी और उसके सच्चे रसूल और मुसलमानों की ख़ैर-ख़्वाही का नाम है और अल्लाह ने (सूरह तौबा में) फ़र्माया जब वो अल्लाह और उसके रसूल की ख़ैर-ख़्वाही में रहें

٤٢– بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ))، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(57) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन सईद बिन क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने इस्माईल से, उन्होंने

٥٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي

कहा मुझसे क़ैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा आँहज़रत (ﷺ) से मैंने नमाज़ क़ायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही करने पर बैअ़त की।

(दीगर मक़ाम : 524, 1401, 2157, 2714, 2705, 7206)

حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
[أطرافه في : ٥٢٤، ١٤٠١، ٢١٥٧، ٢٧١٤، ٢٧٠٥، ٧٢٠٤].

(58) हमसे अबू नोअ़मान ने बयान किया, कहा हमसे अबू अ़वाना ने बयान किया, उन्होंने ज़ियाद से, उन्होंने इलाक़ह से, कहा मैंने जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह से सुना जिस दिन मुग़ीरह बिन शुअ़बा (हाकिमे कूफ़ा) का इंतिक़ाल हुआ तो वो ख़ुत्बे के लिये खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ़ और ख़ूबी बयान की और कहा तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए उसका कोई शरीक नहीं और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए उस वक़्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए और वो अभी आनेवाला है। फिर फ़र्माया कि अपने मरनेवाले हाकिम के लिए दुआ-ए-मग्फ़िरत करो क्योंकि वो (मुग़ीरह) भी मुआफ़ी को पसंद करता था फिर कहा कि इसके बाद तुमको मा'लूम होना चाहिए कि मैं एक बार आँहज़रत (ﷺ) के पास आया और मैंने कहा कि मैं आपसे इस्लाम पर बैअ़त करता हूँ आपने मुझसे हर मुसलमान की ख़ैरख़्वाही के लिए शर्त की। बस मैंने इस शर्त पर आपसे बैअ़त कर ली (बस) इस मस्जिद के रब की क़सम! मैं तुम्हारा ख़ैरख़्वाह हूँ फिर इस्तिग़फ़ार किया और मिम्बर से उतर आए।

٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ، حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيْرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيْكُمُ الآنَ. ثُمَّ قَالَ : اسْتَعْفُوا لأَمِيْرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلاَمِ. فَشَرَطَ عَلَيَّ ((وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ))، فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ. ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ.

तश्रीह : अल्लाह और रसूल की ख़ैरख़्वाही ये है कि उनकी तअ़ज़ीम (सम्मान) करे। ज़िंदगी भर उनकी फ़र्मांबरदारी से मुँह न मोड़े, अल्लाह की किताब की इशाअ़त करे (लोगों के बीच आ़म करे), हदीषे नबवी (ﷺ) को फैलाए, उनकी इशाअ़त करे और अल्लाह और रसूल (ﷺ) के ख़िलाफ़ किसी पीर व मुर्शिद मुज्तहिद इमाम मौलवी की बात हर्गिज़ न माने।

होते हुए मुस्तुफ़ा की गुफ़्तार — मत देख किसी का क़ौल व किरदार
जब असल है तो नक़ल क्या है — याँ वहम व ख़ता का दख़ल क्या है।

हज़रत मुग़ीरह, अमीर मुआ़विया (रज़ि) की तरफ़ से कूफ़ा के हाकिम थे। उन्होंने इंतिक़ाल के वक़्त हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह को अपना नाइब बना दिया था, इसलिये हज़रत जरीर ने उनकी वफ़ात पर ये ख़ुत्बा दिया और लोगों को नसीहत की कि दूसरा हाकिम आने तक कोई शर व फ़साद न करो बल्कि सब्र से उनका इंतज़ार करो। शर व फ़साद कूफ़ा वालों की फ़ितरत (आदत) में था, इसलिये आपने उनको तम्बीह फ़र्माई। कहते हैं कि अमीर मुआ़विया (रज़ि) ने हज़रत मुग़ीरह के बाद ज़ियाद को कूफ़े का हाकिम मुक़र्रर किया जो पहले बसरा के गवर्नर थे।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने किताबुल ईमान को इस हदीष पर ख़त्म किया जिसमें इशारा है कि हज़रत जरीर (रज़ि) की तरह मैंने जो कुछ यहाँ लिखा है महज़ मुसलमानों की ख़ैरख़्वाही और भलाई मक़्सूद है हर्गिज़ किसी से इनाद और तअस्सुब नहीं है जैसा कि कुछ लोग ख़याल करते चले आ रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। साथ ही इमाम क़द्दस सिर्रुहु ने ये भी इशारा किया है मैंने हमेशा सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए मुआफ़ी को पसंद किया है पस आने वाले मुसलमान भी क़यामत तक मेरी मग़्फ़िरत के लिए दुआ करते रहा करें। ग़फ़रल्लाहु लहू आमीन!

साहिबे ईज़ाहुल बुख़ारी ने क्या ख़ूब फ़र्माया है कि इमाम हमें ये बतला रहे हैं कि हमने अब्वाबे साबिक़ा में मुर्जिया, ख़ारजिया और कहीं कुछ अहले सुन्नत पर तअ़रीज़ात की हैं लेकिन हमारी निय्यत में इख़्लास है। ख़्वाह मख़्वाह की छेड़छाड़ हमारा मक़्सद नहीं और न हमें शोहरत की हवस है बल्कि ये एक ख़ैरख़्वाही के जज़्बे से हमने किया और जहाँ कोई फ़िर्क़ा भटक गया या किसी इंसान की राय हमें दुरुस्त नज़र न आई वहाँ हमने बनिय्यते षवाब सहीह बात वज़ाहत से बयान कर दी। (ईज़ाहुल बुख़ारी पेज नं. 428)

इमाम क़स्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, **'वन्नसीहतु मिन नुस्हतिल अस्लि इज़ा सफ़्फ़ैतहू मिनश्शमइ औ मिनन्नुस्हि व हुवल ख़ियाततु बिन्नुस्हति'** यानी लफ़्ज़े नसीहत नुस्हा से माख़ूज़ (निकला) है जब शहद मोम से अलग कर लिया गया हो या नसीहत सूई से सीने के मा'नी में है जिससे कपड़े के मुख़्तलिफ़ टुकड़े जोड़-जोड़कर एक कर दिये जाते हैं। इसी तरह नसीहते ख़ैरख़्वाही के मा'नी से मुसलमानों का बाहमी इत्तिहाद मत्लूब है। (अल्हम्दुलिल्लाह कि किताबुल ईमान आज अवाख़िर ज़िल्हिज्ज 1386 हिजरी को बरोज़ इतवार ख़त्म हुई, -दाऊद राज़)

3. किताबुल इल्म

किताब इल्म के बयान में

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

हज़रत इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म को इसलिये लाए कि ईमान और इल्म में एक ज़बरदस्त राब्ता है और ईमान के बाद दूसरी अहम चीज़ इल्म है। जिसका ख़ज़ाना कुर्आन व हदीष है। कुर्आन व हदीष के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ इल्म नहीं बल्कि जहल कहना ज़्यादा मुनासिब है। आम बोलचाल मे इल्म के मा'नी जानने के हैं और जहल न जानना उसकी ज़द (विलोम) है। पस दीन की तकमील के लिए ईमान और इस्लाम की तफ़्सीलात का जानना बेहद ज़रूरी है। इसीलिये कुर्आन मजीद में अल्लाह ने फ़र्माया, **'इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल् उलमाउ'** (फ़ातिर : 28) **अल्लाह के जानने वाले बन्दे ही अल्लाह से डरते हैं।** इसलिये कि उनके इल्म ने उनके दिमाग़ों से जहल (अज्ञानता) के पर्दों को दूर कर दिया है। पस वो देखने वालों की मिषाल हैं और जाहिल अंधों की मिषाल हैं। सच है **ला यस्तविल आमा वल बसीरु।**

बाब 1 : इल्म की फ़ज़ीलत के बयान में और

١- بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ، وَقَوْلِ اللهِ

अल्लाह पाक ने (सूरह मुजादला में) फ़र्माया

عَزَّوَجَلَّ:

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.

जो तुममें ईमानदार हैं और जिनको इल्म दिया गया है अल्लाह उनके दरजात बुलन्द करेगा और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है और अल्लाह तआला ने (सूरह ताहा में) फ़र्माया (कि यूँ दुआ किया करो) परवरदिगार मुझको इल्म में तरक़्क़ी अता फ़र्मा।

हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु ने इल्म की फ़ज़ीलत के बारे में क़ुर्आन मजीद की उन दो आयात ही को काफ़ी समझा, इसलिये कि पहली आयत में अल्लाह पाक ने ख़ुद अहले इल्म के लिए बुलंद दरजात की बशारत दी है और दूसरी में इल्मी तरक़्क़ी के लिये दुआ करने की हिदायत की गई। नीज़ पहली आयत में ईमान व इल्म का राब्ता मज़्कूर है और ईमान को इल्म पर मुक़द्दम किया गया है। जिसमें हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु के हुस्ने-तर्तीबे बयान पर भी एक लतीफ़ इशारा है क्योंकि आपने भी पहले किताबुल ईमान फिर किताबुल इल्म का इन्ईक़ाद फ़र्माया है। आयत में ईमान व इल्म दोनों को दर्जात की तरक़्क़ी के लिये ज़रूरी क़रार दिया। दर्जात जमा सालिम और नकिरा होने की वजह से ग़ैर मुअय्यन है जिसका मतलब ये है कि उन दर्जात की कोई हद नहीं जो अहले इल्म को हासिल होंगे।

बाब 2 : इस बयान में कि जिस शख़्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वो अपनी किसी दूसरी बात में मशग़ूल हो बस (अदब का तक़ाज़ा है कि) वो पहले अपनी बात पूरी कर ले फिर पूछनेवाले को जवाब दे

٢- بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيْثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ. ح. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: ((أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟)) قَالَ: هَا أَنَا يَا

(59) हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कहा हमसे फ़ुलैह ने बयान किया, (दूसरी सनद) और मुझसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप (फ़ुलैह) ने बयान किया, कहा हिलाल बिन अली ने, उन्होंने अता बिन यसार से नक़ल किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि एक बार आँहज़रत (ﷺ) लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी? आप (ﷺ) अपनी बात में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग (जो मजलिस में थे) कहने लगे आप (ﷺ) ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की और कुछ कहने लगे कि नहीं बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप (ﷺ) ने यूँ फ़र्माया वो क़यामत के बारे में पूछनेवाला कहाँ गया? उसने (देहाती) ने कहा (हुज़ूर) मैं मौजूद

हूँ। आपने फ़र्माया कि जब अमानत (ईमानदारी दुनिया से) उठ जाए तो क़यामत क़ायम होने का इंतिज़ार कर। उसने कहा ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब (हुकूमत के कारोबार) नालायक लोगों को सौंप दिए जाएँ तो क़यामत का इंतिज़ार कर।

رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)). فَقَالَ. كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: ((إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)). [طرفه في : ٦٤٩٦].

(दीगर मक़ाम : 6496)

तश्रीह : आप (ﷺ) दूसरी बातों में मशग़ूल थे, इसलिये उसका जवाब बाद में दिया। यहीं से हज़रत इमाम का मक़्सूदे-बाब ष़ाबित हुआ और ज़ाहिर हुआ कि इल्मी आदाब में ये ज़रूरी अदब है कि शागिर्द मौक़ा महल देखकर उस्ताद से बात करें। कोई और शख़्स बात कर रहा हो तो जब तक वो फ़ारिग़ न हो दरम्यान में दख़लअंदाज़ी न करें। क़स्तलानी (रह़) फ़र्माते हैं, **'व इन्नमा लम युजिब्हु अलैहिस्सलातु वस्सलामु लिअन्नहु यहतमिलु अंय्यकून लिइन्तिज़ारिल वह्यि औ यकून मश्ग़ूलन बिजवाबि साइलिन आख़र व युख़ज़ु मिन्हु यम्बग़ी लिल आलिमि वलक़ाज़ी व नहविहिमा रिआयत तक़द्दुमिल इस्लामि'** यानी आप (ﷺ) ने शायद वह्य के इंतिज़ार मे उसका जवाब न दिया या आप दूसरे साइल के जवाब में मसरूफ़ थे इससे ये भी ष़ाबित हुआ कि आलिम और क़ाज़ी स़ाहिबान को पहले आने वालों की रिआयत करना ज़रूरी है।

बाब 3 : उसके बारे में जिसने इल्मी मसाइल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया

٣- بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

(60) हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू अवाना ने अबू बशर (रह.) से बयान किया, उन्होंने यूसुफ़ बिन माहिक से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अम्र से, उन्होंने कहा एक सफ़र में जो हमने किया था आँहज़रत (ﷺ) हमसे पीछे रह गए थे और आप (ﷺ) हमसे उस वक़्त मिले जब (अस्र की) नमाज़ का वक़्त आ पहुँचा था हम (जल्दी-जल्दी) वुज़ू कर रहे थे। बस पांव को ख़ूब धोने के बदले हम यूँ ही सा धो रहे थे। (यह हाल देखकर) आप (ﷺ) ने बुलंद आवाज़ से पुकारा देखो! ऐड़ियों की ख़राबी दोज़ख़ से होने वाली है दो या तीन बार आप (ﷺ) ने (यूँ ही आवाज़े बुलंद से) फ़र्माया। (दीगर मक़ाम : 96, 163)

٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. [طرفاه في : ٩٦، ١٦٣].

तश्रीह : बुलंद आवाज़ से कोई बात करना शाने नबवी (ﷺ) के ख़िलाफ़ है क्योंकि आपकी शान मे **लस बिसख़ाब** आया है कि आप शोरो-गुल करने वाले न थे मगर यहाँ ह़ज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु ने ये बात मुनअक़िद करके बतला दिया कि मसाइल के बतलाने के लिये आप कभी आवाज़ को बुलंद भी कर देते थे। ख़ुत्बे के वक़्त भी आपकी यही मुबारक आदत थी जैसा कि मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर (रज़ि) से मरवी है कि आप (ﷺ) जब ख़ुत्बा देते तो आपकी आवाज़ बुलंद हो जाया करती थी। बाब का तर्जुमा इसी से ष़ाबित होता है। आपका मक़्सद लोगों को आगाह करना था कि जल्दी की वजह से ऐड़ियों को सूखी न रहने दें, ये ख़ुश्की उन ऐड़ियों को दोज़ख़ में ले जाएँगी। ये सफ़र मक्का से मदीना की त़रफ़ था।

बाब 4 : मुहद्दिष का लफ़्ज़ हद्दषना व अख़बरना

٤- بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ (حَدَّثَنَا) وَ

व अम्बअना इस्ते'माल करना सहीह है

(أَخْبَرَنَا) وَ (أَنْبَأَنَا)

जैसा कि इमाम हुमैदी ने कहा कि इब्ने उययना के नज़दीक हद्दषना व अख़बरना व अम्बअना और समीअतु एक ही थे---- और अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने भी यूँ ही कहा हद्दषना रसूलल्लाहि (ﷺ) हालांकि आप सच्चों के सच्चे थे। और शक़ीक़ ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नक़ल किया, मैंने आँहज़रत (ﷺ) से यह बात सुनी, और हुज़ैफ़ा ने कहा कि हमसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो हदीषें बयान की और अबुल आलिया ने रिवायत किया इब्ने अब्बास (रज़ि.) से उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से, आप (ﷺ) ने अपने परवरदिगार से और अनस ने आँहज़रत (ﷺ) से रिवायत की और आप (ﷺ) ने अपने परवरदिगार से। और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से रिवायत की। कहा आप (ﷺ) इसको तुम्हारे रब तबारक व तआला से रिवायत करते हैं।

وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَلِمَةً. كَذَا وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ. وَقَالَ أَنَسٌ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ.

तश्रीह : हज़रत इमाम (रह) का मक़सद ये है कि मुहद्दिषीन की नक़ल दर नक़ल की इस्तिलाह मे अल्फ़ाज़ **हद्दषना व अख़बरना व अम्बअना** का इस्ते'माल उनका ख़ुद ईजादकर्दा (उनकी अपनी खोज) नहीं है। बल्कि ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) और सहाबा व ताबेईन के पाक ज़मानों में भी नक़ल दर नक़ल के लिये उन ही लफ़्ज़ों का इस्ते'माल हुआ करता था। हज़रत इमाम यहाँ उन छः रिवायात को बग़ैर सनद के लाए हैं। दूसरे मक़ामात पर उनकी इस्नाद मौजूद हैं। इस्नाद का इल्म दीन में बहुत ही बड़ा दर्जा रखता है। मुहद्दिषीने किराम ने सच फ़र्माया है कि **अल इस्नादु मिनद्दीनि व लौ लल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ** यानी इस्नाद भी दीन ही में दाख़िल है। अगर इस्नाद न होती तो जिसके दिल में जो कुछ आता वो कह डालता। मगर इल्मे-इस्नाद ने सेहहते-नक़ल के लिए हदबन्दी कर दी है और यही मुहद्दिषीने किराम की सबसे बड़ी ख़ूबी है कि वो इल्मुल इस्नाद के माहिर होते हैं और रिजाल के **मा लहू व मा अलैहि** पर उनकी पूरी नज़र होती है इसीलिए किज़्ब व इफ़्तिरा (झूठ व फ़रेब) उनके सामने नहीं ठहर सकता।

(61) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से, कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया दरख़्तों में एक दरख़्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिषाल उसी दरख़्त की सी है बताओ वो कौनसा दरख़्त है? यह सुनकर लोगों का ख़याल जंगलों के दरख़्तों की तरफ़ दौड़ा। अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि वो ख़जूर का दरख़्त है। मगर मैं अपनी (कमसिनी की) शर्म से न बोला। आख़िर सहाबा ने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा कि वो कौनसा दरख़्त है? आपने फ़र्माया वो ख़जूर

٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ: ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا

का दरख़्त है।

رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : ((هِيَ النَّخْلَةُ)).

(दीगर मक़ाम : 62, 72, 131, 2209, 4698, 5444, 5448, 6132, 6144)

[أطرافه في : ٦٢، ٧٢، ١٣١، ٢٢٠٩، ٤٦٩٨، ٥٤٤٤، ٥٤٤٨، ٦١٣٢، ٦١٤٤].

तश्रीह : इस रिवायत को हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु इस बाब में इसलिये लाए हैं कि उसमें लफ़्ज़ **हद्दषना व हद्दिषूनी** ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) और आप (ﷺ) के सहाबा किराम (रज़ि) की ज़ुबानों से बोले गये हैं। पस षाबित हो गया कि ये इस्तिलाहात अ़हदे नबवी (ﷺ) से मुरव्वज (प्रचलित) हैं बल्कि ख़ुद क़ुर्आन मजीद ही से उन सबका षुबूत है। जैसा कि सूरह तहरीम में है, '**क़ालत् मन अम्बअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल् अलीमुल ख़बीरु**' (अत् तहरीम : 3) 'उस औरत ने कहा कि आप (ﷺ) को इस बारे में किसने ख़बर दी।' आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझको उसने ख़बर दी जो जाननेवाला ख़बर रखने वाला परवरदिगारे-आलम है। पस मुंकिरीने हदीष की ये हफ़्वात कि इल्मे हदीष अ़हदे नबवी (ﷺ) के बाद की ईजाद है बिलकुल ग़लत और क़ुर्आन मजीद के बिलकुल ख़िलाफ़ और वाक़ियात के भी बिलकुल ख़िलाफ़ है।

बाब 5 : इस बारे में कि उस्ताद अपने शागिर्दों का इल्म आज़माने के लिए उनसे कोई सवाल करे (यानी इम्तिहान लेने का बयान)

٥- بَابُ طَرْحِ الإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ

لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

(62) हमसे ख़ालिद बिन मख़्लद ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से कि (एक बार) आप (ﷺ) ने फ़र्माया दरख़्तों में से एक दरख़्त ऐसा है कि जिसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की भी यही मिषाल है बताओ वो दरख़्त कौनसा है? यह सुनकर लोगों के ख़यालात जंगल के दरख़्तों की तरफ़ चले गए। अ़ब्दुल्लाह ने कहा कि मेरे दिल में आया कि बतला दूँ वो ख़जूर का पेड़ है लेकिन (वहाँ बहुत से बुज़ुर्ग मौजूद थे इसलिये) मुझको शर्म आई। आख़िर सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप ही बयान कर दीजिए। आप (ﷺ) ने बताया कि वो ख़जूर का पेड़ है। (राजेअ़ : 61)

٦٢- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟)) قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((النَّخْلَةُ)). [راجع: ٦١]

इस हदीष और वाक़िअ-ए-नबवी से तालिब इल्मों (छात्रों) का इम्तिहान लेना षाबित हुआ। जबकि खजूर के दरख़्त से मुसलमान की तश्बीह इस तरह हुई कि मुसलमान **मुतवक्कल अलल्लाह** (अल्लाह पर भरोसा करने वाला) होकर हर हाल में हमेशा ख़ुश व ख़ुर्रम रहता है।

बाब 6 : शागिर्द का उस्ताद के सामने पढ़ना और उसको सुनाना

بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ

रिवायते हदीष का एक तरीक़ा तो ये है कि शैख़ अपने शागिर्द को हदीष पढ़कर सुनाए। इसी तरह यूँ भी है कि शागिर्द उस्ताद

को पढ़कर सुनाए। कुछ लोग दूसरे तरीक़ों में कलाम करते थे। इसलिये हज़रत इमाम (रह) ने ये बाब मुनअक़िद करके बतलाया कि दोनों तरीक़े जाइज़ और दुरुस्त हैं ।

وَرَأَى الْحَسَنُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً.وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُقِيمَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَه بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ: أَشْهَدَنَا فُلاَنٌ، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ. وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِىءِ فَيَقُولُ الْقَارِىءُ: أَقْرَأَنِيْ فُلاَنٌ.

और इमाम हसन बस़री और सुफ़यान ष़ौरी और मालिक ने शागिर्द के पढ़ने को जाइज़ क़रार दिया है और बाज़ ने उस्ताद के सामने पढ़ने की दलील ज़िमाम बिन ष़अलबा की ह़दीष़ से ली है, उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से कहा था कि क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म फ़र्माया है कि हम लोग नमाज़ पढ़ा करें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तो यह (गोया) आँह़ज़रत (ﷺ) के सामने पढ़ना ही ठहरा। ज़िमाम ने फिर जाकर अपनी क़ौम से यह बयान किया तो उन्होंने उसको जाइज़ रखा। और इमाम मालिक ने दस्तावेज़ से दलील ली जो क़ौम के सामने पढ़कर सुनाई जाती है। वो कहते हैं कि हमको फ़लाँ शख़्स ने दस्तावेज़ पर गवाह किया और पढ़नेवाला पढ़कर अपने उस्ताद को सुनाता है फिर कहता है मुझको फ़लाँ ने पढ़ाया।

इब्ने बत़्ताल ने कहा कि दस्तावेज़ वाली दलील बहुत ही पुख़्ता है क्योंकि शहादत तो अख़्बार से भी ज़्यादा अहम है। मत़लब ये कि स़ाह़िबे-मामला को दस्तावेज़ पढ़कर सुनाई जाए और वो गवाहों के सामने कह दे कि हाँ ये दस्तावेज़ स़ह़ीह़ है तो गवाह उस पर गवाही दे सकते हैं। इसी त़रह़ जब आ़लिम को किताब पढ़कर सुनाई जाए और वो इसका इक़रार कर ले तो उससे रिवायत करना स़ह़ीह़ होगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِىءَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَقُولَ: حَدَّثَنِي. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ.

हमसे मुह़म्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन हसन वास्ती ने बयान किया, कहा उन्होंने औ़फ़ से, उन्होंने ह़सन बस़री से, उन्होंने कहा आ़लिम के सामने पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं। और हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने सुफ़यान ष़ौरी से सुना, वो कहते थे जब कोई शख़्स मुहद्दिष़ को ह़दीष़ पढ़कर सुनाए तो कुछ क़बाहत नहीं अगर यूँ कहे कि उसने मुझसे बयान किया। और मैंने अबू आ़स़िम से सुना, वो इमाम मालिक और सुफ़यान ष़ौरी का क़ौल बयान करते थे कि मुहद्दिष़ को पढ़कर सुनाना और मुहद्दिष़ का शागिर्दों के सामने पढ़ना दोनों बराबर हैं।

٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ - هُوَ الْمَقْبُرِيُّ - عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ

(63) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने सईद मक़बरी से, उन्होंने शरीक बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी नमिर से, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि एक बार हम मस्जिद में आँहज़रत (ﷺ) के साथ बैठे हुए थे,

جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ - وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ - فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ أَجَبْتُكَ)): فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: ((سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ)). فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

इतने में एक शख़्स ऊँट पर सवार होकर आया और ऊँट को मस्जिद में बिठाकर बाँध दिया। फिर पूछने लगा (भाईयों) तुम लोगों में मुहम्मद (ﷺ) कौन हैं? आँहज़रत (ﷺ) उस वक़्त लोगों में तकिया लगाए हुए बैठे थे। हमने कहा (हज़रत) मुहम्मद (ﷺ) यह सफ़ेद रंग वाले बुज़ुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए बैठे हैं। तो वो आपसे मुख़ातिब हुआ कि ऐ अ़ब्दुल मुत्तलिब के फ़रज़न्द! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला मैं आप (ﷺ) से कुछ दीनी बातें पूछना चाहता हूँ और ज़रा सख़्ती से भी पूछूँगा तो आप अपने दिल में बुरा न मानियेगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया नहीं जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब उसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व तआ़ला की क़सम देकर पूछता हूँ क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ या मेरे अल्लाह! फिर उसने कहा कि मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने आपको रात-दिन में पाँच नमाज़ें पढ़ने का हुक्म फ़र्माया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ या मेरे अल्लाह! फिर कहने लगा कि मैं आपको अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीने रमज़ान के रोज़े रखो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ या मेरे अल्लाह! फिर कहने लगा कि मैं आप (ﷺ) को अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है कि आप हममें से जो मालदार लोग हैं उनसे ज़कात वसूल करके हमारे मुहताजों में बांट दिया करें? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ या मेरे अल्लाह! तब वो शख़्स कहने लगा जो हुक्म आप (ﷺ) अल्लाह के पास से लाएँ हैं मैं उन पर ईमान लाया और मैं अपनी क़ौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए हैं, भेजा हुआ (तहक़ीक़े हाल के लिए) आया हूँ। मेरा नाम ज़िमाम बिन ष़अलबा है। मैं बनी सअ़द बिन बकर के ख़ानदान से हूँ। इस ह़दीष़ को (लैष़ की तरह) मूसा और अ़ली बिन अ़ब्दुल ह़मीद ने सुलैमान से रिवायत किया, उन्होंने ष़ाबित से, उन्होंने अनस से, उन्होंने यही मज़मून आँहज़रत (ﷺ) से नक़ल किया है।

तश्रीह : मुस्लिम की रिवायत में हज्ज का भी ज़िक्र है। मुस्नद अहमद में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) की रिवायत में यूँ है, **'फ़ अनाख़ बइरहू अला बाबिल मस्जिदि'** यानी उसने अपना ऊँट मस्जिद के दरवाज़े पर बाँध दिया था। उसने बेतकल्लुफ़ी से सवालात किये और आप भी बेतकल्लुफ़ी से जवाब देते रहे और लफ़्ज़े मुबारक **अल्लाहुम्म नअम** का इस्ते'माल करते रहे। **अल्लाहुम्म** तमाम अस्माए हुस्ना के क़ायम मुक़ाम है, इसलिये गोया आपने जवाब के वक़्त पूरे अस्मा-ए-हुस्ना को शामिल कर लिया। ये अरबों के मुहावरे के मुताबिक़ भी था कि वो वुषूक़े-कामिल के मुक़ाम पर अल्लाह का नाम बतौरे क़सम इस्ते'माल करते थे। ज़िमाम का आना 9 हिजरी की बात है जैसा कि मुहम्मद बिन इस्हाक़ और अबू उबैदा वग़ैरह की तह्क़ीक़ है, उसकी ताईद तबरानी की रिवायत से होती है जिसके रावी इब्ने अब्बास (रज़ि) हैं और ज़ाहिर है कि वो फ़त्हे-मक्का के बाद तशरीफ़ लाए थे।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) का मक़सद ये है कि अर्ज़ व क़िरात का तरीक़ा भी मुअतबर है जैसा कि ज़िमाम ने बहुत सी दीनी बातों को आप (ﷺ) के सामने पेश किया और आप तस्दीक़ फ़र्माते रहे। फिर ज़िमाम अपनी क़ौम के यहाँ गये और उन्हों ने उनका ए'तिबार किया और ईमान लाए।

हाकिम ने इस रिवायत से आली सनद के हुसूल की फ़ज़ीलत पर इस्तिदलाल किया है क्योंकि ज़िमाम ने अपने यहाँ आपके क़ासिद के ज़रिये ये सारी बातें मा'लूम कर ली थीं लेकिन फिर ख़ुद हाज़िर होकर आप (ﷺ) से बिल मुशाफ़ा सारी बातों को मा'लूम किया। लिहाज़ा अगर किसी के पास कोई रिवायत चंद वास्तों से हुआ और किसी शैख़ की इजाज़त से इन वास्तों में कमी आ सकती हो तो मुलाक़ात करके आली सनद हासिल करना बहरहाल बड़ी फ़ज़ीलत की चीज़ है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَ نَحْنُ نَسْمَعُ

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَتَانَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَ الْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَ خَلَقَ الأَرْضَ وَ نَصَبَ الْجِبَالَ وَ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ آللَّهُ

हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान बिन मुग़ीरह ने बयान किया, कहा हमसे ग़ाबित ने अनस से नक़ल किया, उन्होंने फ़र्माया कि हमको कुर्आने करीम में रसूले अकरम (ﷺ) से सवालात करने से मना कर दिया गया था और हमको इसीलिए यह बात पसंद थी कि कोई होशियार देहाती आए और आपसे दीनी उमूर पूछे और हम सुने। चुनाँचे एक बार एक देहाती आया और उसने कहा कि (ऐ मुहम्मद ﷺ) हमारे यहाँ आपका मुबल्लिग़ गया था। जिसने हमको ख़बर दी कि अल्लाह ने आपको अपना रसूल बनाकर भेजा है, ऐसा आपका ख़याल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया उसने बिलकुल सच कहा है। फिर उसने पूछा कि आसमान किसने पैदा किए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने। फिर उसने पूछा कि ज़मीन किसने पैदा की है और पहाड़ किसने? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने। फिर उसने पूछा कि इनमें नफ़ा देने वाली चीज़ें किसने पैदा की है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने। फिर उसने कहा कि बस उस ज़ात की क़सम देकर आपसे पूछता हूँ कि जिसने ज़मीन व आसमान और पहाड़ों को पैदा किया और इसमें मुनाफ़े पैदा किए कि क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपको अपना रसूल बनाकर भेजा है? आप (ﷺ) ने जवाब दिया कि हाँ बिलकुल सच है। (अल्लाह ने मुझको रसूल बनाया है) फिर उसने

أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ زَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ زَكَاةً عَلَى أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ اللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِيْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ اللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَ لاَ أَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ.

कहा कि आपके मुबल्लिग़ ने बतलाया है कि हम पर पाँच वक़्त की नमाज़ें और माल से ज़कात अदा करना इस्लामी फ़राइज़ हैं, क्या यह दुरुस्त है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ उसने बिलकुल सच कहा है। फिर उसने कहा आपको उस ज़ात की क़सम देकर पूछता हूँ जिसने आप (ﷺ) को रसूल बनाया है क्या अल्लाह पाक ही ने आपको इन चीज़ों का हुक्म फ़र्माया है? आपने फ़र्माया हाँ बिलकुल दुरुस्त है। फिर वो बोला आपके क़ासिद का ख़याल है कि हममें से जो ताक़त रखता हो उस पर बैतुल्लाह का हज्ज फ़र्ज़ है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया हाँ वो सच्चा है। फिर वो बोला मैं आप (ﷺ) को उस ज़ात की क़सम देकर पूछता हूँ जिसने आप (ﷺ) को रसूल बनाकर भेजा कि क्या अल्लाह ही ने आप (ﷺ) को यह हुक्म फ़र्माया है? आपने जवाब दिया कि हाँ! फिर वो कहने लगा कि क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊ़ष फ़र्माया मैं इन बातों पर कुछ ज़्यादा करूँगा न कुछ कम करूँगा। (बल्कि इन्हीं के मुताबिक़ अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगा) आप (ﷺ) ने फ़र्माया अगर उसने अपनी बात को सच कर दिखाया तो वो ज़रूर ज़रूर जन्नत में दाख़िल हो जाएगा।

तश्रीह : सन्आनी ने कहा कि ये ह़दीष़ इस मुक़ाम पर इसी एक नुस्ख़े बुख़ारी में है जो फ़रबरी पर पढ़ा गया और किसी नुस्ख़े में नहीं है। शरह क़स्तलानी (रह़) में भी ये रिवायत यहाँ नहीं है। बहरह़ाल स़ह़ाबा किराम को ग़ैर ज़रूरी सवालात करने से रोक दिया गया था। वो एह़तियातन ख़ामोशी इख़्तियार करके मुंतज़िर रहा करते थे कि कोई बाहर का आदमी आकर मसाइल मा'लूम करे और हमको सुनने का मौक़ा मिल जाए। इस रिवायत में भी शायद वही ज़िमाम बिन ष़अलबा मुराद हैं जिनका ज़िक्र पिछली रिवायत में आ चुका है। इसके तमाम सवालात का ता'ल्लुक़ उसूल व फ़राइज़े दीन के बारे में था। आप (ﷺ) ने भी उसूली तौर पर फ़राइज़ ही का ज़िक्र किया। नवाफ़िल फ़राइज़ के ताबेअ़ हैं इसलिये उनके ज़िक्र करने की ज़रूरत न थी इसलिये इस बारे में आप (ﷺ) ने सुकूत फ़र्माया (ख़ामोश) रहे। इससे सुनन व नवाफ़िल की अहमियत जो अपनी जगह पर मुसल्लम है वो कम नहीं हुई।

एक बेजा इल्ज़ाम : स़ाह़बे ईज़ाह़ुल बुख़ारी जैसे संजीदा मुरत्तिब को अल्लाह जाने क्या सूझी कि ह़दीष़े त़लह़ा बिन उ़बैदुल्लाह जो किताबुल ईमान में **बाबुज़् ज़कात मिनल् इस्लाम** के तहत मज़्कूर हुई है उसमें आने वाले शख़्स़ को अहले नजद से बतलाया गया है। कुछ शारेह़ीन का ख़याल है कि ये ज़िमाम बिन ष़अलबा ही हैं। बहरह़ाल इस ज़ैल में आपने एक अ़जीब सुर्ख़ी दौरे ह़ाज़िर का एक फ़ित्ना से क़ायम की है। फिर उसकी तौज़ीह़ यूँ की है कि, अहले ह़दीष़ इस ह़दीष़ से इस्तिदलाल करते हुए सुनन के एहतिमाम से पहलू तही करते (पहलू बचाते) हैं। (ईज़ाह़ुल बुख़ारी जिल्द नं. 4 पेज नं. 386)

अहले ह़दीष़ पर ये इल्ज़ाम इस क़दर बेजा है कि इस पर जितनी भी नफ़रीन की जाए कम है। काश! आप ग़ौर करते और सोचते कि आप क्या लिख रहे हैं। जो जमाअ़त सुन्नते रसूल (ﷺ) पर अ़मल करने की वजह से आपके यहाँ इंतिहाई मअ़तूब है। वो भला सुनन के एह़तिमाम से पहलू तही करे, ये बिलकुल ग़लत़ है। इंफ़िरादी तौर पर अगर कोई शख़्स़ ऐसा कर गुज़रता है तो उस फ़ेअ़ल का वो ख़ुद ज़िम्मेदार है यूँ कितने मुसलमान ख़ुद नमाज़े फ़र्ज़ ही से पहलू तही करते हैं तो क्या किसी ग़ैर मुस्लिम

का ये कहना दुरुस्त हो जाएगा कि मुसलमानों के यहाँ नमाज़ की कोई अहमियत ही नहीं। अहले ह़दीष़ का तो नारा ही ये है।

माआ शक़ीम बेदिल दिलदार मा मुह़म्मद   मा बुलबुलीम नालाँ गुल्ज़ार मा मुह़म्मद (ﷺ)

हाँ! अहले ह़दीष़ ये ज़रूर कहते हैं कि फ़र्ज़ व सुनन व नवाफ़िल के मरातिब अलग-अलग हैं। कोई शख़्स कभी किसी मअ़कूल उ़ज़्र की बिना (जाइज़ कारणों के आधार) पर अगर सुनन व नवाफ़िल से महरूम रह जाए वो इस्लाम से ख़ारिज नहीं हो जाएगा। न उसकी अदाकर्दा फ़र्ज़ नमाज़ पर उसका कुछ अष़र पड़ेगा, अगर अहले ह़दीष़ ऐसा कहते हैं तो ये बिलकुल बजा है। इसलिये कि ये तो ख़ुद आपका भी फ़त्वा है। जैसा कि आप ख़ुद उसी किताब में फ़र्मा रहे हैं, आपके लफ़्ज़ ये हैं। आप (ﷺ) उसके बे कम व कास्त अ़मल करने की क़सम पर दुख़ूले जन्नत की बशारत दी क्योंकि अगर बिल फ़र्ज़ वो सिर्फ़ उन्हीं ता'लीमात पर इक्तिफ़ा (बस) कर रहा है और सुनन व नवाफ़िल को शामिल नहीं कर रहा है। तब भी दुख़ूले जन्नत के लिए तो काफ़ी है। (ईज़ाहुल बुख़ारी जिल्द 5 पेज नं. 31) सद अफ़सोस! कि आप यहाँ उनको दाख़िले-जन्नत फ़र्मा रहे हैं और पिछले मुक़ाम पर आप ही उसे दौरे ह़ाजिर का एक फ़ित्ना बतलाते हैं। हमको आपकी इंसाफ़पसंद त़बीअ़त से पूरी तवक़्क़ुअ़ है कि आइन्दा एडीशन में इसकी इस्लाह़ फ़र्मा देंगे।

बाब 7 : मुनावला का बयान और अहले इल्म का इल्मी बातें लिखकर (दूसरे) शहरों की तरफ़ भेजना

٧- بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

और ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ह़ज़रत उ़ष़्मान (रज़ि.) ने मस़ाह़िफ़ (यानी क़ुर्आन) लिखवाए और उन्हें चारों तरफ़ भेज दिया। और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.), यह्या बिन सईद और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक यह (किताबत) जाइज़ है। और बाज़ अहले ह़िजाज़ ने मुनावला पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की इस ह़दीष़ से इस्तिदलाल किया है जिसमें आपने अमीरे लश्कर के लिए ख़त़ लिखा था। फिर (क़ासिद से) फ़र्माया था कि जब तक तुम फ़लाँ फ़लाँ जगह न पहुँच जाओ इस ख़त़ को मत पढ़ना। फिर जब वो उस जगह पहुँच गए तो उसने ख़त़ को लोगों के सामने पढ़ा और जो आपका हुक्म था वो उन्हें बतला दिया।

وَقَالَ أَنَسٌ: نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ، وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا. وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ : لاَ تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

(64) इस्माइल बिन अ़ब्दुल्लाह ने हमसे बयान किया, उनसे इब्राहीम बिन सअ़द ने स़ालेह के वास्ते से रिवायत की, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा बिन मसऊद (रज़ि.) से नक़ल किया कि उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को अपना एक ख़त़ देकर भेजा और उसे यह हुक्म दिया कि ह़ाकिमे बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के ह़ाकिम ने वो ख़त़ किसरा (शाहे ईरान) के पास भेज दिया। जिस वक़्त उसने वो

٦٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلاً وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ

البَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ البَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

[أطرافه في: ٢٩٣٩، ٤٤٢٤، ٧٢٦٤].

ख़त्त पढ़ा तो चाक कर डाला (रावी कहते हैं) और मेरा ख़याल है कि इब्ने मुसय्यिब ने (उसके बाद) मुझसे कहा कि (इस वाक़िये को सुनकर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की वो (फाड़े हुए ख़त्त की तरह) टुकड़े- टुकड़े हो जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 2939, 4424, 7264)

٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُوْنَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُوْمًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ.

[أطرافه في : ٢٩٣٨، ٥٨٧٠، ٥٨٧٢، ٥٨٧٤، ٥٨٧٥، ٥٨٧٧، ٧١٦٢].

(65) हमसे अबुल हसन मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह ने, उन्हें शुअ़बा ने क़तादा से ख़बर दी, वो ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (किसी बादशाह के नाम दावते इस्लाम देने के लिए) एक ख़त्त लिखा या लिखने का इरादा किया तो आप (ﷺ) से कहा गया कि वो बग़ैर मुहर के ख़त्त नहीं पढ़ते (यानी बेमुहर के ख़त्त को मुस्तनद नहीं समझते) तब आप (ﷺ) ने चाँदी की अँगूठी बनवाई। जिसमें मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह नक़्श था। गोया मैं (आज भी) आप (ﷺ) के हाथ में उसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। (ह़दीष़ के रावी शुअ़बा कहते हैं कि) मैंने क़तादा से पूछा कि यह किसने कहा (कि) उस पर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह नक़्श था? उन्होंने जवाब दिया, अनस (रज़ि.) ने।

(दीगर मक़ाम : 2938, 5870, 5872, 5874, 5875, 5877, 7162)

तश्रीह : मुनावला इस्तिलाहे-मुहद्दिष़ीन में उसे कहते हैं अपनी अस़ल मरवियात और मस्मूआत की किताब जिसमें अपने उस्तादों से सुनकर ह़दीष़ें लिख रखी हों अपने किसी शागिर्द के ह़वाले कर दी जाए और उस किताब में दर्जशुदा अह़ादीष़ को रिवायत करने की उसको इजाज़त भी दे दी जाए, तो ये जाइज़ है और ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह) की मुराद यही है। अगर अपनी किताब ह़वाला करते हुए रिवायत करने की इजाज़त न दे तो इस सूरत में **ह़द्दष़नी या अख़्बरनी फ़लानुन** कहना जाइज़ नहीं है। ह़दीष़ नम्बर 64 में किसरा के लिए बद्दुआ का ज़िक्र है क्योंकि उसने आप (ﷺ) का नाम-ए-मुबारक चाककर डाला था, चुनाँचे ख़ुद उसके बेटे ने उसका पेट फाड़ डाला। सो जब वो मरने लगा तो उसने दवाओं का ख़ज़ाना खोला और ज़हर के डिब्बे पर लिख दिया कि ये दवा क़ुव्वते बाह (ताक़ते-मर्दानगी) के लिए अकसीर है। वो बेटा जिमाअ़ का बहुत शौक़ रखता था जब वो मर गया और उसके बेटे ने दवाख़ाने में उस डिब्बे पर ये लिखा हुआ देखा तो उसको वो खा गया और वो भी मर गया। उसी दिन से इस सल्तनत में तनज़्ज़ुल (पतन का दौर) शुरू हुआ, आख़िर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) के अ़हदे ख़िलाफ़त मे उनका नाम व निशान भी बाक़ी नहीं रहा। ईरान के हर बादशाह का लक़ब किसरा हुआ करता था। उस ज़माने के किसरा का नाम परवेज़ बिन हुर्मुज़ नौशीरवाँ था, उसी को ख़ुसरू परवेज़ कहते हैं। उसके क़ातिल बेटे का नाम शीरविया था, ख़िलाफ़त फ़ारूक़ी में सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि) के हाथों ईरान फ़तह़ हुआ।

मुनावला के साथ बाब में मुकातबत का ज़िक्र है जिससे मुराद ये कि उस्ताद अपने हाथ से ख़त्त लिखे या किसी और

से लिखवाकर शागिर्द के पास भेजे, शागिर्द उस सूरत में भी उसको अपने उस्ताद से रिवायत कर सकता है।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने अपनी ख़ुदादाद क़ुव्वते-इज्तिहाद की बिना पर दोनों मज़्कूरा अहादीष़ से इन इस्तिलाहात को ष़ाबित फ़र्माया है फिर तअज्जुब है उन कम-फ़हमों पर जो हज़रत इमाम को ग़ैर फ़क़ीह और ज़ूदे-रंज और महज़ नाक़िल समझकर आपकी तख़्फ़ीफ़ के दरपै हैं **नऊज़ुबिल्लाह मिन शुरूरि अन्फ़ुसिना।**

बाब 8 : वो शख़्स जो मजलिस के आख़िर में बैठ जाए और वो जो बीच में जहाँ जगह देखे बैठ जाए (बशर्ते कि दूसरों को तकलीफ़ न हो)

٨- بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

(66) हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा उनसे मालिक ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा के वास्ते से ज़िक्र किया, बेशक अबू मुर्रह मौला अक़ील बिन अबी तालिब ने उन्हें अबू वाक़िद अल्लेष़ी से ख़बर दी कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में बैठे हुए थेऔर लोग आप (ﷺ) के आसपास बैठे हुए थे कि तीन आदमी वहाँ आए (उनमें से) दो रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पहुँच गए और एक वापस चला गया। (रावी कहते हैं कि) फिर वो दोनों रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनमें से एक ने (जब) मजलिस में (एक जगह कुछ) जगह देखी तो वहाँ बैठ गया और दूसरा अहले मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) (अपनी बातचीत से) फ़ारिग़ हुए (तो सहाबा रज़ि. से) फ़र्माया क्या मैं तुम्हें तीन आदमियों के बारे में न बताऊँ? तो (सुनो) उनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही अल्लाह ने उसे पनाह दी और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी उससे शर्माया (कि उसे भी बख़्श दिया) और तीसरे शख़्स ने उससे मुँह मोड़ा, तो अल्लाह ने (भी) उससे मुँह मोड़ लिया।

(दीगर मक़ाम : 478)

٦٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ)).

[طرفه في : ٤٧٤].

तश्रीह : ष़ाबित हुआ कि मजालिसे-इल्मी में जहाँ जगह मिले बैठ जाना चाहिए। आपने मज़्कूरा तीन आदमियों की कैफ़ियत मिष़ाल के तौर पर बयान फ़र्माई। एक शख़्स ने मज्लिस में जहाँ जगह देखी वहीं बैठ गया। दूसरे ने कहीं जगह न पाई तो मज्लिस के किनारे जा बैठा और तीसरे ने जगह न पाकर अपना रास्ता लिया। हालाँकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज्लिस से एअराज़ (मुँह मोड़ना) गोया अल्लाह से एअराज़ है। इसीलिए आप (ﷺ) ने उसके बारे में सख़्त अल्फ़ाज़ फ़र्माए। इस हदीष़ से ष़ाबित हुआ कि मज्लिस में आदमी को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए अगरचे उसको सबसे आख़िर में जगह मिले। आज भी वो लोग जिनको क़ुर्आन व हदीष़ की मज्लिस पसंद न हो बड़े ही बदबख़्त होते हैं।

बाब 9 : हज़रत रसूले करीम (ﷺ) के उस इर्शाद की तफ़्सील में कि बसाऔक़ात वो शख़्स जिसे (हदीष़) पहुँचाई जाए सुनने वाले से ज़्यादा (हदीष़ को) याद रख लेता है

٩- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ))

(67) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे बिशर ने, उनसे इब्ने औ़न ने इब्ने सीरीन के वास्ते से, उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बक़र से नक़ल किया, उन्होंने अपने बाप से रिवायत की कि वो (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र करते हुए कहने लगे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने ऊँट पर बैठे हुए थे और एक शख़्स ने उसकी नक़ेल थाम रखी थी, आप (ﷺ) ने पूछा आज यह कौनसा दिन है? हम ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि हम यह समझ रहे थे कि आज के दिन का आप कोई दूसरा नाम उसके नाम के अ़लावा तजवीज़ फ़र्माएँगे (फिर) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या आज क़ुर्बानी का दिन नहीं है? हमने कहा, बेशक। (उसके बाद) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह कौनसा महीना है? हम (इसपर) भी ख़ामोश रहे और यही समझे कि इस महीने का (भी) आप उसके नाम के अ़लावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ करेंगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या यह ज़ुलहिज्जा का महीना नहीं है? हमने कहा, बेशक। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो यक़ीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे बीच उसी तरह हराम जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख़्स हाज़िर है उसे चाहिए कि ग़ायब को यह (बात) पहुचा दे, क्योंकि ऐसा मुम्किन है कि जो शख़्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख़्स को यह ख़बर पहुँचाए जो उससे ज़्यादा (हदीष़ का) याद रखनेवाला हो। (दीगर मक़ाम : 105, 1741, 3197, 4407, 4662, 5550, 7078, 7447)

٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ - أَوْ بِزِمَامِهِ - قَالَ: ((أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ: ((أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟)) فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ)).

[أطرافه في : ١٠٥، ١٧٤١، ٣١٩٧، ٤٤٠٧، ٤٦٦٢، ٥٥٥٠، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧].

तशरीह : इस हदीष़ से ष़ाबित हुआ कि ज़रूरत के वक़्त इमाम ख़तीब या मुहद्दिष़ या उस्ताद सवारी पर बैठे हुए भी ख़ुत्बा दे सकता है, वअ़ज़ कह सकता है। शागिर्दों के किसी सवाल को हल कर सकता है। ये भी मा'लूम हुआ कि शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद की तशरीह व तफ़्सील का इंतिज़ार करे और ख़ुद जवाब देने में जल्दबाज़ी से काम न ले। ये भी मा'लूम हुआ कि कुछ शागिर्द फ़हम और ह़िफ़्ज़ (समझने और याद करने) में अपने उस्तादों से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ उस्ताद के लिये बाइ़ष़े मुसर्रत होनी चाहिए। ये हदीष़ उन इस्लामी फ़लासफ़रों के लिये भी दलील है जो शरई ह़क़ाइक़ को फ़लसफ़ाना तशरीह के साथ ष़ाबित करते हैं। जैसे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष़ देहलवी (रह) ने अपनी मशहूर किताब **हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा** में अह़कामे शरअ़ के ह़क़ाइक़ व फ़वाइद बयान करने में बेहतरीन तफ़्सील से काम लिया है।

बाब 10 : इस बयान में कि इल्म (का दर्जा) क़ौल व अ़मल से पहले है

١٠- بَابٌ: العِلمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالعَمَلِ لِقَولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.
وَقَالَ: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾. ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَو نَعقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾. وَقَالَ: ﴿هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ)). وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُجِيْزُوا عَلَيَّ لأَنْفَذْتُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ عُلَماءَ. وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِيْ يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ.

इसलिये कि अल्लाह तआला का इर्शाद है फ़अ़लम अन्नहू ला इलाहा इल्लल्लाह (आप जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है) तो (गोया) अल्लाह तआ़ला ने इल्म से इब्तिदा फ़र्माई और (हदीष में है) कि उ़लमा, अंबिया के वारिष़ हैं। (और) पैग़म्बरों ने इल्म (ही) का वरषा छोड़ा है फिर जिसने इल्म हासिल किया उसने (दौलत की) बहुत बड़ी मिक़्दार हासिल कर ली। और जो शख़्स किसी रास्ते पर हुसूले इल्म के लिये चले, अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत की राह आसान कर देता है। और अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और (दूसरी जगह) फ़र्माया और उसको आ़लिमों के सिवा कोई नहीं समझता। और फ़र्माया, और उन लोगों (काफ़िरों) ने कहा अगर हम सुनते या अ़क़्ल रखते तो जहन्नमी न होते। और फ़र्माया, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हैं? और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ अ़ता करता है। और इल्म तो सीखने ही से आता है। और हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का इर्शाद है कि अगर तुम इस पर तलवार रख दो, और अपनी गर्दन की तरफ़ इशारा किया और मुझे गुमान हुआ कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से जो एक कलिमा सुना है, गर्दन कटने से पहले बयान कर सकूँगा तो यक़ीनन मैं उसे बयान कर ही दूँगा और नबी (ﷺ) का फ़र्मान है कि हाज़िर को चाहिए कि (मेरी बात) ग़ायब (ग़ैर–हाज़िर) को पहुँचा दे और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा है कि कूनू रब्बानिय्यीन से मुराद हुकमा फ़ुक़हा उ़लमा हैं। और रब्बानी उस शख़्स को कहा जाता है जो बड़े मसाइल से पहले छोटे मसाइल लोगों को समझाकर (इल्मी) तर्बियत करे।

बच्चों को क़ायदा पारा पढ़ाने वाले हज़रात भी इसी में दाख़िल हैं।

बाब 11 : नबी (ﷺ) का लोगों की रिआ़यत करते हुए नसीहत फ़र्माने और ता'लीम देने के बयान में ताकि उन्हें नागवार न हो।

١١- بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لاَ يَنْفِرُوا

٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

[طرفاه في : ٧٠، ٦٤١١].

हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्हें सुफ़यान ने अअ़मश से ख़बर दी, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं, वो अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नसीहत फ़र्माने के लिये कुछ दिन मुक़र्रर कर दिए थे इस डर से कि कहीं हम कबीदा ख़ातिर (मलिनचित्त/बोर) न हो जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 70, 6411)

٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا)).[طرفه في : ٦١٢٥].

(69) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद ने, उनसे शुअ़बा ने, उनसे अबुत्तयाह ने, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से नक़ल किया, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, आसानी करो और सख़्ती न करो और ख़ुश करो और नफ़रत न दिलाओ।

(दीगर मक़ाम : 6125)

मुअ़ल्लिमीन (ता'लीम) व असातिज़ा (उस्ताद) व वाइज़ीन व ख़ुतबा (मुक़र्रिर व ख़ुत्बा देने वाले) और मुफ़्ती हज़रात सब ही के लिये ये इर्शाद वाजिबुल अमल है।

١٢- بَابُ مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

बाब 12 : इस बारे में कि कोई शख़्स अहले इल्म के लिये कुछ दिन मुक़र्रर कर दे (तो यह जाइज़ है) यानी उस्ताद अपने शागिर्दों के लिये औक़ात मुक़र्रर कर सकता है।

٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.

(70) हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उनसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं कि अ़ब्दुल्लाह (इब्ने मसऊ़द) हर जुमअ़ेरात के दिन लोगों को वा'ज़ सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हर रोज़ वा'ज़ सुनाया करो। उन्होंने फ़र्माया, तो सुन लो कि इस अम्र से मुझे कोई चीज़ मानेअ़ है तो यह कि मैं यह बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग न हो जाओ और मैं वा'ज़ में तुम्हारी फ़ुर्सत का वक़्त तलाश किया करता हूँ जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस ख़्याल से कि हम कबीदा ख़ातिर न हो जाएँ, वा'ज़ के लिये हमारे औक़ात फ़ुर्सत का ख़्याल रखते थे।

तश्रीह : ऊपर वाली ह़दीष़ों और इस बाब से मक़्सूद असातिज़ा को ये बतलाना है कि वो अपने शागिर्दों के ज़हन का ख़्याल

रखें, ता'लीम में इस क़दर इंहिमाक और शिद्दत सहीह नहीं कि तलबा (छात्रों) के दिमाग़ थक जाएँ और वो अपने अंदर बेदिली और कम रग़्बती महसूस करने लग जाएँ। इसीलिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) ने अपने दर्स व मवाइज़ के लिये सप्ताह में सिर्फ़ जुमेरात का दिन मुक़र्रर कर रखा था। इससे ये भी षाबित हुआ कि नफ़्ल इबादत इतनी न की जाए कि दिल में बेरग़्बती और मलाल पैदा हो। बहरहाल उसूले ता'लीम ये है कि **यस्सिरू वला तअस्सिरू व बश्शिरू वला तन्फ़िरू।**

बाब 13 : इस बारे में कि अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ अता करता है

١٣- بَابُ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

(71) हमसे सईद बिन उफ़ैर ने बयान किया, उनसे वहब ने यूनुस के वास्ते से नक़ल किया, वो इब्ने शिहाब से नक़ल करते हैं, उनसे हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैंने मुआविया (रज़ि.) से सुना। वो ख़ुत्बे में फ़र्मा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना कि जिस शख़्स के साथ अल्लाह तआला भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ अता करता है और मैं तो सिर्फ़ बांटने वाला हूँ, देनेवाला तो अल्लाह ही है और यह उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर क़ायम रहेगी और जो शख़्स उनकी मुख़ालफ़त करेगा, उन्हें नुक़्सान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म (क़यामत) आ जाए (और यह आलम फ़ना हो जाए)

(दीगर मक़ाम : 3316, 3641, 7312, 4660)

٧١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي. وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ)).

[أطرافه في : ٣٣١٦، ٣٦٤١، ٧٣١٢، ٧٤٦٠].

इशारा इस तरफ़ है कि नासमझ लोग जो मुद्दइयाने इल्म और वाइज़ व मुर्शिद बन जाएँ। **नीम हकीम ख़तर–ए–जान, नीम मुल्ला, ख़तर–ए–ईमान** उन ही के हक़ में कहा गया है।

बाब 14 : इल्म में समझदारी से काम लेने के बयान में

١٤- بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ

(72) हमसे अली (बिन मदीनी) ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे इब्ने अबी नुजैह ने मुजाहिद के वास्ते से नक़ल किया, वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ मदीने तक रहा, मैंने (उस) एक हदीष के सिवा उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई और हदीष नहीं सुनी, वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे कि आप (ﷺ) के पास ख़जूर का एक गाभा लाया गया। (उसे देखकर) आपने फ़र्माया कि दरख़्तों में एक पेड़ ऐसा है उसकी मिषाल मुसलमान की तरह है। (इब्ने उमर रज़ि. कहते हैं कि यह सुनकर) मैंने इरादा किया कि अर्ज़ करूँ कि वो (पेड़) खजूर का है मगर चूँकि मैं सबमें छोटा था इसलिये ख़ामोश रहा। (फिर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद ही फ़र्माया कि वो खजूर है।

٧٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ)) فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هِيَ النَّخْلَةُ)).

(राजेअ : 61)

[راجع: ٦١].

तश्रीह : हदीष़ (71) के आख़िर में जो फ़र्माया, उसका मतलब दूसरी हदीष़ की वज़ाहत के मुताबिक़ ये है कि उम्मत किस क़दर भी गुमराह हो जाए मगर उसमें एक जमाअत की कुछ परवाह न होगी, उस जमाअते हक़्क़ा से जमाअते अहले हदीष़ मुराद है जिसने तक़्लीदे–जामिद (अंधी पैरवी) से हटकर सिर्फ़ किताब व सुन्नत को अपना मदारे अमल क़रार दिया है।

बाब 15 : इल्म व हिकमत में रश्क करने के बयान में

١٥– بَابُ الاغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

और हज़रत उमर (रज़ि.) का इर्शाद है कि सरदार बनने से पहले समझदार बनो (यानी दीन का इल्म ह़ासिल करो) और अबू अब्दुल्लाह (हज़रत इमाम बुख़ारी रह.) फ़र्माते हैं कि सरदार बनाए जाने के बाद भी इल्म हासिल करो, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अस्हाब (रज़ि.) ने बुढ़ापे में भी दीन सीखा।

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِمْ.

(73) हमसे हुमैदी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने दूसरे लफ़्ज़ों में बयान किया, उन लफ़्ज़ों के अलावा वो जो ज़ुहरी ने हमसे बयान किए, वो कहते हैं मैंने क़ैस बिन अबी हाज़िम से सुना, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है कि हसद सिर्फ़ दो बातों में जाइज़ है। एक तो उस शख़्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राहे हक़ में ख़र्च करने पर भी क़ुदरत रखता हो और एक उस शख़्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत (की दौलत) दी हो और वो उसके ज़रिये से फ़ैसला करता हो और (लोगों को) उस हिकमत की ता'लीम देता हो।

٧٣– حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ – عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ – قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)).

(दीगर मक़ाम : 1409, 7141, 7316)

[أطرافه في: ١٤٠٩، ٧١٤١، ٧٣١٦].

तश्रीह : शारेह़ीने ह़दीष़ लिखते हैं, **'इअलम अन्नल मुराद बिल ह़सदि हा-हुना अलग़िब्ततु फ़इन्नल ह़सद मजमूमुन क़द बय्यनश्शर्उ क़बाहतहू'** यानी ह़दीष़ (73) में ह़सद के लफ़्ज़ से ग़िब्ता यानी रश्क करना मुराद है क्योंकि ह़सद बहरह़ाल मज़्मूम है जिसकी शरअ ने काफ़ी मज़म्मत की है। कभी ह़सद ग़िब्ता रश्क के मा'नी में भी इस्तेमाल होता है बहुत से नाफ़हम लोग ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) से ह़सद करके उनकी तौहीन व तख़्फ़ीफ़ के दर पे हैं , ऐसा ह़सद करना मोमिन की शान नहीं। अल्लाहुम्मह़्फ़िज़्ना आमीन।

बाब 16 : ह़ज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ह़ज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास दरिया में जाने के

١٦– بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى ﷺ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

ज़िक्र में

और अल्लाह तआला का इर्शाद (जो हज़रत मूसा का क़ौल है) क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ इस शर्त पर कि तुम मुझे (अपने इल्म से कुछ) सिखाओ।

(74) हमसे मुहम्मद बिन ग़ुरैर ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने, उनसे उनके बाप (इब्राहीम) ने, उन्होंने सालेह से सुना, उन्होंने इब्ने शिहाब से, वो बयान करते हैं कि उन्हें उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि वो और हुर बिन क़ैस बिन हस्न फ़ज़ारी ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहष़ की, हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि वो ख़िज्र थे। फिर उनके पास से उबय बिन क़अ़ब गुज़रे तो अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे यह रफ़ीक़ मूसा अ़लैहिस्सलाम के उस साथी के बारे में बहष़ कर रहें हैं जिससे उन्होंने मुलाक़ात चाही थी। क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में कुछ ज़िक्र सुना है। उन्हों ने कहा, हाँ! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना है। एक दिन हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम बनी इस्राईल की एक जमाअ़त में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख़्स आया और उसने आपसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि (दुनिया में) कोई आपसे भी बढ़कर आ़लिम मौजूद है? हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़र्माया नहीं! इस पर अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के पास वह्य भेजी कि हाँ! मेरा बंदा ख़िज्र है (जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है) मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ख़िज्र अ़लैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है? अल्लाह तआला ने एक मछली को उनसे मुलाक़ात की अ़लामत क़रार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम उस मछली को गुम कर दो तो (वापस) लौट जाओ, तब ख़िज्र से तुम्हारी मुलाक़ात होगी। तब मूसा अ़लैहिस्सलाम (चले और) दरिया में मछली की अ़लामत तलाश करते रहे। उस वक़्त उनके साथी ने कहा जब हम पत्थर के पास थे, क्या आपने देखा था, मैं उस वक़्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे उसका ज़िक्र भूला दिया। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने कहा, उसी जगह की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानाते क़दम पर (पिछले पांव) बातें करते हुए लौटे (वहाँ) उन्होंने ख़िज्र अ़लैहिस्सलाम को

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا﴾

٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيْلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيْلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيْلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ. كَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾. قَالَ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ)).

पाया, फिर उनका वही क़िस्सा है जो अल्लाह ने अपने क़ुर्आन में बयान किया है। (दीगर मक़ाम : 78, 122, 2267, 2728, 3248, 3400, 3401, 4725, 4726, 4727, 6672, 7478)

[أطرافه في : ٧٨، ١٢٢، ٢٢٦٧، ٢٧٢٨، ٣٢٧٨، ٣٤٠٠، ٣٤٠١، ٤٧٢٥، ٤٧٢٦، ٤٧٢٧، ٦٦٧٢، ٧٤٧٨].

बाब 17 : नबी (ﷺ) का यह फ़र्मान कि अल्लाह उसे क़ुर्आन का इल्म अता कर

١٧- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ))

(75) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिष ने, उनसे ख़ालिद ने इकरमा के वास्ते से बयान किया, वो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं । उन्होंने फ़र्माया कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे (सीने से) लगा लिया और दुआ देते हुए फ़र्माया कि ऐ अल्लाह! इसे इल्मे किताब (क़ुर्आन) अता फ़र्मा! (दीगर मक़ाम : 143, 3756, 7270)

٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ)).

[أطرافه في : ١٤٣، ٣٧٥٦، ٧٢٧٠].

बाब 18 : इस बारे में कि बच्चे का (ह़दीष़) सुनना किस उम्र में सह़ीह़ है

١٨- بَابُ مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟

(76) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा ने, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैं (एक बार) गधी पर सवार होकर चला, उस ज़माने में, मैं बलूग़त (जवाँ होने) के क़रीब था। रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना में नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार (की आड़) न थी, तो मैं कुछ स़फ़ों के सामने से गुज़रा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी, जबकि मैं स़फ़ में शामिल हो गया (मगर) किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं।

(दीगर मक़ाम : 493, 861, 1757, 4412)

٧٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

[أطرافه في : ٤٩٣، ٨٦١، ١٨٥٧، ٤٤١٢].

(77) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे अबू मुसहिर ने, उनसे मुहम्मद बिन हर्ब ने, उनसे ज़ुबैदी ने ज़ुहरी के वास्ते से बयान किया, वो महमूद बिन अर रबीअ से नक़ल करते

٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

हैं, उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक डोल से मुँह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फ़र्माई और मैं उस वक़्त पाँच साल का था।

(दीगर मक़ाम : 189, 839, 1185, 6354, 6422)

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ.

[أطرافه في : ١٨٩، ٨٣٩، ١١٨٥، ٦٣٥٤، ٦٤٢٢].

तश्रीह : कुछ बच्चे ऐसे भी ज़हीन, ज़की, फ़हीम होते हैं कि पाँच साल की उम्र ही में उनका दिमाग़ क़ाबिले ए'तिमाद हो जाता है। यहाँ ऐसा ही बच्चा मुराद है इससे षाबित हुआ कि लड़का या गधा अगर नमाज़ी के आगे से निकल जाए तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने ये दलील ली है कि लड़के की रिवायत सहीह है चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) उस वक़्त तक लड़के ही थे। मगर आपकी रिवायत को माना गया है दूसरी रिवायत में महमूद का ज़िक्र है जो बहुत ही कमसिन थे चूँकि उनको ये बात याद रही तो उनकी रिवायत मो'तबर ठहरी। आप (ﷺ) ने ये कुल्ली शफ़क़त और बरकत के लिये डाली थी।

बाब 21 : इल्म की तलाश में निकलने के बारे में

जाबिर बिन अब्दुल्लाह का एक हदीष की ख़ातिर अब्दुल्लाह बिन उनैस के पास जाने के लिये एक माह की मसाफ़त तै करना।

(78) हमसे अबुल क़ासिम ख़ालिद बिन ख़ली क़ाज़ी हिम्स ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन हर्ब ने, औज़ाई कहते हैं कि हमें ज़ुहरी ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसऊद (रज़ि.) से ख़बर दी, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि वो और हुर बिन क़ैस बिन हस्रन फ़ुज़ारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। (इस दौरान में) उनके पास से उबय बिन कअब गुज़रे, तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उन्हें बुला लिया और कहा कि मैं और मेरे साथी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहष कर रहे हैं जिससे मिलने की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने (अल्लाह से) दुआ की थी। क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कुछ उनका ज़िक्र फ़र्माते हुए सुना है? हज़रत उबय ने कहा कि हाँ! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनका हाल बयान फ़र्माते हुए सुना है। आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल की एक जमाअत में थे कि इतने में एक शख़्स आया और कहने लगा क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं! तब अल्लाह

٢١- بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي حَدِيْثٍ وَاحِدٍ.

٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيْلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ : ((بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ

तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वह्य नाज़िल की कि हाँ मेरा बंदा ख़िज़्र (इल्म में तुमसे बढ़कर) है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की राह पूछी, उस वक़्त अल्लाह तआला ने (उनसे मुलाक़ात के लिये) मछली को निशानी क़रार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को न पाओ तो लौट जाना, तब तुम ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात कर लोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतज़ार करते रहे। तब उनके ख़ादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था जब हम पत्थर के पास थे, तो मैं (वहाँ) मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने ग़ाफ़िल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलामने कहा कि हम उसी (जगह) को तो तलाश कर रहे हैं, तब वो अपने (क़दमों के) निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। (वहाँ) ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका क़िस्सा वही है जो अल्लाह तआला ने अपनी किताब में फ़र्माया है। (राजेअ : 74)

فَأَوْحَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلَ السَّبِيْلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيْلَ لَهُ، إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى ﷺ يَتْبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ، وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾. قَالَ مُوسَى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾، فَوَجَدَا خَضِرًا. فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ)). [راجع: ٧٤]

बाब 20 : पढ़ने और पढ़ाने वाले की फ़ज़ीलत के बयान में

٢٠- بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

(79) हमसे मुहम्मद बिन अलाअ ने बयान किया, उनसे हम्माद बिन उसामा ने बुरैद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से नक़ल किया, वो अबी बुर्दा से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू मूसा और वो नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिषाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर (ख़ूब) बरसे। कुछ ज़मीनें जो साफ़ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है और कुछ ज़मीन जो सख़्त होती है वो पानी को रोक लेती है उससे अल्लाह तआला लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। वो उससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के कुछ ख़ित्तों पर पानी पड़ता है जो बिलकुल चटियल मैदान होते हैं। न पानी रोकते हैं और न ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो यह उस शख़्स की मिषाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे, उसको वो चीज़ जिसके साथ में वो मबऊष किया गया हों। उसने इल्मे-दीन सीखा और सिखाया और उस शख़्स की मिषाल

٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا

जिसने सिर नहीं उठाया (यानी तवज्जुह नहीं की) और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे क़ुबूल नहीं किया। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं कि इब्ने इस्हाक़ ने अबू उसामा की रिवायत क़बलतिल मा-अ का लफ़्ज़ नक़ल किया है। क़ाअ ज़मीन के उस ख़ित्ते को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ जाए (मगर ठहरे नहीं) और सफ़सफ़ उस ज़मीन को कहते हैं जो बिलकुल हमवार हो।

وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ.

तशरीह : हदीष़ (78) से इमाम बुख़ारी (रह) ने ये निकाला कि हज़रत मूसा ने इल्म हासिल करने के लिये कितना बड़ा सफ़र किया। जिन लोगों ने ये हिकायत नक़ल की है कि हज़रत ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) ने फ़िक़्हे-हनफ़ी सीखी और फिर कुशैरी को सिखाई ये सारा क़िस्सा महज़ झूठ है। इसी तरह कुछ का ये ख़्याल कि हज़रत ईसा या इमाम महदी हनफ़ी मज़हब के मुक़ल्लिद होंगे महज़ बेअसल और ख़िलाफ़े क़यास है। हज़रत मुल्ला अली क़ारी ने उसका ख़ूब रद्द किया है। हज़रत इमाम महदी ख़ालिस किताब व सुन्नत के अलमबरदार पुख़्ता अहले हदीष़ होंगे।

बाब 21 : इल्म के ज़वाल और जहल की इशाअत के बयान में और

٢١- بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ، وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ:

रबीअ का क़ौल है जिसके पास कुछ इल्म हो, उसे यह जाइज़ नहीं कि (दूसरे काम में लगकर इल्म को छोड़ दे और) अपने आपको ज़ाया (नष्ट) कर दे।

لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ.

(80) हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिष़ ने अबुत्तय्याह के वास्ते से नक़ल किया, वो हज़रत अनस से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। अलामते क़यामत में से यह है कि (दीनी) इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा और (ऐलानिया) शराब पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा।

(दीगर मक़ाम : 81, 5231, 5577, 6808)

٨٠- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا)).

[أطرافه في: ٨١، ٥٢٣١، ٥٥٧٧، ٦٨٠٨].

(81) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यह्या ने शुअबा से नक़ल किया, वो क़तादा से और क़तादा हज़रत अनस से रिवायत करते हैं उन्होंने फ़र्माया कि मैं तुमसे एक ऐसी हदीष़ बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना है कि अलामाते क़यामत में से यह है कि इल्म (दीनी) कम हो जाएगा। जहल ज़ाहिर हो जाएगा। ज़िना बकष़रत होगा। औरतें बढ़ जाएँगी और मर्द कम हो जाएँगे। यहाँ तक कि 50

٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً

औरतों का निगराँ सिर्फ़ एक मर्द रह जाएगा। (राजेअ : 80)

الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ)). [راجع: ٨٠]

(इस हदीष़ में) उन लड़ाइयों की तरफ़ भी इशारा है जिनमें मर्द बड़ी तादाद में मौत के घाट उतर गये और औरतें ही औरतें रह गईं।

बाब 22 : इल्म की फ़ज़ीलत के बयान में

٢٢- بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

(82) हमसे सईद बिन उफ़ेर ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे लैष़ ने, उनसे अक़ील ने इब्ने शिहाब के वास्ते से नक़ल किया, वो हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से नक़ल करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह फ़र्माते हुए सुना है कि मैं सो रहा था। (उसी हालत में) मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने (ख़ूब अच्छी तरह) पी लिया, यहाँ तक कि मैंने देखा ताज़गी मेरे नाख़ूनों में से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ (दूध) उमर बिन ख़त्ताब को दे दिया। सहाबा (रज़ि.) ने पूछा कि आपने उसकी क्या ता'बीर ली? आप (ﷺ) ने फ़र्माया इल्म।

(दीगर मक़ाम : 4671, 7556, 7007, 7027, 7032)

٨٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ)) قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((الْعِلْمُ)).

[أطرافه في : ٤٦٨١، ٧٥٥٦، ٧٠٠٧، ٧٠٢٧، ٧٠٣٢].

बाब 23 : जानवर वग़ैरह पर सवार होकर फ़त्वा देना जाइज़ है

٢٣- بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

(83) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उनसे मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, वो ईसा बिन तलहा बिन उबैदुल्लाह से रिवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ से नक़ल करते हैं कि हज्जतुल विदाअ में रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों के मसाइल पूछने की वजह से मिना में ठहर गए। तो एक शख़्स आया और उसने कहा कि मैंने बेख़बरी में ज़िब्ह करने से पहले सर मुँडवा लिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया (अब) ज़िब्ह कर ले और कुछ हर्ज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने बेख़बरी में रमी करने से पहले क़ुर्बानी कर ली। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (अब) रमी कर ले। (और पहले कर देने से) कुछ हर्ज नहीं। इब्ने अम्र कहते हैं (उस दिन) आप (ﷺ) से जिस चीज़ का सवाल हुआ, जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी। तो आप

٨٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ)) فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ)) فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ:

(ﷺ) ने यही फ़र्माया कि अब कर ले और कुछ हर्ज नहीं।

(दीगर मक़ाम : 124, 1736, 1737, 1738, 6665)

((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).

[أطرافه في : ١٢٤، ١٧٣٦، ١٧٣٧، ١٧٣٨، ٦٦٦٥].

बाब 24 : उस शख़्स के बारे में जो हाथ या सर के इशारे से फ़त्वे का जवाब दे

٢٤- بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

(84) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे वुहैब ने, उनसे अय्यूब ने इकरिमा के वास्ते से नक़ल किया, वो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) से आपके (आख़री) हज्ज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने (यानी कंकर फेंकने) से पहले ज़िब्ह कर लिया, आप (ﷺ) ने हाथ से इशारा किया (और) फ़र्माया कुछ हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़िब्ह से पहले हलक़ करा लिया। आप (ﷺ) ने इशारा फ़र्मा दिया कि कोई हर्ज नहीं।

(दीगर मक़ाम . 1721, 1722, 1723, 1734, 1735, 6666)

٨٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ: ((وَلاَ حَرَجَ)) وَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: ((وَلاَ حَرَجَ)).

[أطرافه في: ١٧٢١، ١٧٢٢، ١٧٢٣، ١٧٣٤، ١٧٣٥، ٦٦٦٦].

(85) हमसे मक्की इब्ने इब्राहीम ने बयान किया, उन्हें हंज़ला ने सालिम से ख़बर दी, उन्होने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब) इल्म उठा लिया जाएगा। जिहालत और फ़ित्ने फैल जाएँगे और हर्ज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह! हर्ज से क्या मुराद है? आप (ﷺ) ने अपने हाथ को हरकत देकर फ़र्माया, इस तरह गोया आप (ﷺ) ने उससे क़त्ल मुराद लिया।

(दीगर मकाम : 1036, 1412, 3608, 3609, 4635, 4636, 6037, 6506, 6935, 7161, 7115, 7121)

٨٥- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ)) قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ: ((هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا)) كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ.

[أطرافه في : ١٠٣٦، ١٤١٢، ٣٦٠٨، ٣٦٠٩، ٤٦٣٥، ٤٦٣٦، ٦٠٣٧، ٦٥٠٦، ٦٩٣٥، ٧١٦١، ٧١١٥، ٧١٢١].

(86) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे वुहैब ने, उनसे हिशाम ने फ़ातिमा के वास्ते से नक़ल किया, वो अस्मा से

٨٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ

فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. قُلْتُ: آيَةٌ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا – أَيْ نَعَمْ – فَقُمْتُ حَتَّى عَلاَنِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللهَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبَ – لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ – ((مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، أَوِ الْمُوْقِنُ)) – لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ – ((فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا. هُوَ مُحَمَّدٌ (ثَلاَثًا). فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوِ الْمُرْتَابُ)) – لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ – فَيَقُولُ ((لاَ أَدْرِي))، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

[أطرافه في : ١٨٤، ٩٢٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٢٣٥، ١٣٧٣، ٢٥١٩، ٢٥٢٠، ٧٢٨٧].

रिवायत करती हैं कि मैं आइशा (रज़ि.) के पास आई, वो नमाज़ पढ़ रही थीं, मैंने कहा कि लोगों का क्या ह़ाल है? तो उन्होंने आसमान की त़रफ़ इशारा किया (यानी सूरज को गहन लगा है) इतने में लोग (नमाज़ के लिये) खड़े हो गए। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, (क्या यह गहन) कोई (ख़ास़) निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया यानी हाँ! फिर मैं (भी नमाज़ के लिये) खड़ी हो गई। यहाँ तक कि मुझे ग़श (चक्कर) आने लगा, तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर (नमाज़ के बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अल्लाह तआला की ता'रीफ़ बयान की और उसकी सिफ़त बयान फ़र्माई, फिर फ़र्माया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम को भी देख लिया और मुझ पर यह वह्य की गई कि तुम अपनी क़ब्रों में आज़माए जाओगे मिश्ल या क़ुर्ब का कौनसा लफ़्ज़ ह़ज़रत अस्मा ने फ़र्माया, मैं नहीं जानती, फ़ातिमा कहती हैं (यानी) फ़ित्न—ए—दज्जाल की तरह (आज़माए जाओगे) कहा जाएगा (क़ब्र के अंदर कि) तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो स़ाहि़बे ईमान व स़ाहि़बे यक़ीन होगा, कौनसा लफ़्ज़ फ़र्माया ह़ज़रत अस्मा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा वो मुह़म्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए तो हमने उनको क़ुबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। तीन बार (इसी त़रह़ कहेगा) फिर (उससे) कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा बेशक हमने जान लिया कि तू मुह़म्मद (ﷺ) पर यक़ीन रखता था और बहरहाल मुनाफ़िक़ या शक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि इनमें से कौनसा लफ़्ज़ ह़ज़रत अस्मा ने कहा। तो वो (मुनाफ़िक़ या शक्की आदमी) कहेगा कि लोगों को मैंने कहते हुए सुना मैंने (भी) वही कह दिया। (बाक़ी मैं कुछ नहीं जानता)

(दीगर मक़ाम : 184, 922, 1053, 1054, 1235, 1373, 2519, 2520, 7287)

٢٥– بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الإِيْمَانَ

बाब 25 : रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़बील—ए—अ़ब्दुल क़ैस के वफ़्द को इस पर आमादा करना

कि वो ईमान लाएँ और इल्म की बातें याद रखें और अपने पीछे रह जाने वालों को भी ख़बर दें

और मालिक बिन अल हुवैरिष़ ने फ़र्माया कि हमें नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने घर वालों के पास लौटकर उन्हें (दीन) इल्म सिखाओ।

(87) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उनसे गुन्दर ने, उनसे शुअबा ने अबू जमरह के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और लोगों के बीच तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दिया करता था (एक बार) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि क़बील–ए–अ़ब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया। आप (ﷺ) ने पूछा कि कौनसा वफ़्द है? या यह कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबीआ़ ख़ानदान (के लोग हैं) आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुबारक हो क़ौम को (आना) या मुबारक हो इस वफ़्द को (जो कभी) न रुस्वा हो न शर्मिंदा हो (उसके बाद) उन्होंने कहा कि हम एक दूर दराज़ कोने से आप (ﷺ) के पास आए हैं और हमारे और आपके बीच कुफ़्फ़ारे मुज़र का यह क़बीला (पड़ता) है (उसके ख़ौफ़ की वजह से) हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और दिनों में आपके पास नहीं आ सकते। इसलिये हमें कोई ऐसी (क़तई) बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जानवाले लोगों को ख़बर दें। (और) उसकी वजह से हम जन्नत में दाख़िल हो सकें। तो आप (ﷺ) ने उन्हें चार बातों का हुक्म दिया और चार से रोक दिया। पहले उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएँ। (फिर) कहा कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया (एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि) इस बात का इक़रार करना कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और यह कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना और माहे रमज़ान के रोज़े रखना और यह कि तुम माले ग़नीमत में से पाँचवा हिस्सा अदा करो और चार चीज़ों से मना किया, दुब्बा, हंतुम, और मुज़फ़्फ़त के इस्तेमाल से। और (चौथी चीज़ के बारे में) शुअबा कहते हैं कि अबू जम्रह बसाऔक़ात नक़ीर कहते थे और बसाऔक़ात

وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ))

٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنِ الْوَفْدُ - أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟)) - قَالُوا: رَبِيعَةُ. فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى)) قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَوةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ)). وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ - قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرُ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرُ. قَالَ: ((احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ)).

मुक़य्यिर। (उसके बाद) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन (बातों को) याद रखो और अपने पीछे (रह जाने) वालों को भी इनकी ख़बर कर दो। (राजेअ : 53)

[راجع: ٥٣]

नोट : ये हदीष़ किताबुल ईमान के अख़ीर में गुज़र चुकी है। हज़रत इमाम ने इससे ष़ाबित किया है कि उस्ताद अपने शागिर्दों को तहसीले इल्म के लिये तरग़ीब व तहरीस़ से काम ले सकता है। मज़ीद तफ़्सील वहाँ देखी जाए।

बाब 26 : जब कोई मसला दरपेश हो तो उसके लिये सफ़र करना (कैसा है?)

٢٦- بَابُ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ

(88) हमसे अबुल हसन मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्हें अम्र बिन सईद बिन अबी हुसैन ने ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका ने उक़्बा बिन अल हारिष़ के वास्ते से नक़ल किया कि उक़्बा ने अबू इहाब बिन अज़ीज़ की लड़की से निकाह किया। तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगीं कि मैंने उक़्बा को और जिससे उसका निकाह हुआ है, उसको दूध पिलाया है। न तूने मुझे कभी बताया है (यह सुनकर) उक़्बा ने कहा, मुझे नहीं मा'लूम कि तुमने मुझे दूध पिलाया है। तब सवार होकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में मदीना हाज़िर हुए और आपसे इसके बारे में पूछा, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, किस तरह (तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे) हालाँकि (इसके बारे में यह) कहा गया। तब उक़्बा बिन हारिष़ ने उस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा शौहर कर लिया।

(दीगर मक़ाम : 2052, 2640, 2659, 2660, 5104)

٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِيْ، وَلاَ أَخْبَرْتِنِي. فَرَكِبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

[أطرافه في : ٢٠٥٢، ٢٦٤٠، ٢٦٥٩، ٢٦٦٠، ٥١٠٤].

तशरीह : उक़्बा बिन हारिष़ ने एहतियातन उसे छोड़ दिया क्योंकि जब शुब्हा पैदा हो गया तो अब शुब्हे की चीज़ से बचना ही बेहतर है। मसला मा'लूम करने के लिये हज़रत उक़्बा का सफ़र करके मदीना जाना बाब के तर्जुमा यही मक़सद है। इसी बिना पर मुहद्दिष़ीन ने तलबे हदीष़ के सिलसिले में जो–जो सफ़र किये हैं वो इल्म हासिल करने के लिये बेमिष़ाल सफर हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने एहतियातन उक़्बा की जुदाई करा दी। इससे ष़ाबित हुआ कि एहतियात का पहलू बहरहाल मुक़द्दम रखना चाहिए। ये भी ष़ाबित हुआ कि रज़ाअ सिर्फ़ मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) की शहादत से ष़ाबित हो जाता है।

बाब 27 : इस बारे में कि (तलबा का हुसूले) इल्म के लिये (उस्ताद की ख़िदमत में) अपनी अपनी बारी मुक़र्रर करना दुरुस्त ह

٢٧- بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

(89) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्हें शुऐब ने ज़ुहरी से

٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا

ख़बर दी (एक दूसरी सनद से) हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि इब्ने वहब को यूनुस ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, वो उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी ष़ौर से नक़ल करते हैं, वो अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से, वो हज़रत उ़मर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैं और मेरा एक अंसारी पड़ौसी दोनों मदीना के पास के एक गांव बनी उमय्या बिन ज़ैद में रहते थे जो मदीना के (पूरब की तरफ़) बुलंद गांव में से है। हम दोनों बारी–बारी आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में जाया करते थे। एक दिन वो आता एक दिन मैं आता। जिस दिन मैं आता उस दिन की वह्य की और (रसूलुल्लाह ﷺ की फ़र्मूदा) दीगर बातों की उसको ख़बर दे देता था और जब वो आता तो वो भी उसी तरह करता। तो एक दिन मेरा वो अंसारी साथी बारी के रोज़ हाज़िरे ख़िदमत हुआ (जब वापस आया) तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से ख़टख़टाया और (मेरे बारे में पूछा कि) क्या उ़मर यहाँ है? मैं घबराकर उसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मुआमला पेश आ गया है। (यानी रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है) फिर मैं (अपनी बेटी) हफ़्सा के पास गया, वो रो रही थी। मैंने पूछा क्या रसूलल्लाह (ﷺ) ने तुम्हें तलाक़ दे दी है? वो कहने लगीं मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने खड़े–खड़े कहा कि क्या आप (ﷺ) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं। (यह अफ़वाह ग़लत है) तब मैंने (तअज्जुब से) कहा अल्लाहु अकबर अल्लाह ही बड़ा है।

(दीगर मक़ाम : 2467, 4913, 4914, 4915, 5191, 5218, 5743, 7256, 7263)

شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. قَالَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا أَنْزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ، إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: ((لاَ)). فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ.

[أطرافه في : ٢٤٦٨، ٤٩١٣، ٤٩١٤، ٤٩١٥، ٥١٩١، ٥٢١٨، ٥٨٤٣، ٧٢٥٦، ٧٢٦٣].

उस अंसारी का नाम उ़त्बान बिन मालिक था। इस रिवायत से ष़ाबित हुआ कि ख़बरे वाहिद पर ए'तिमाद करना दुरुस्त है। हज़रत उ़मर (रज़ि) ने घबराकर इसलिये पूछा कि उन दिनों मदीना पर ग़स्सान के बादशाह के हमला करने की अफ़वाह गर्म थी। हज़रत उ़मर (रज़ि) समझे कि शायद ग़स्सान का बादशाह आ गया है। इसीलिये आप घबराकर बाहर निकले फिर अंसारी की ख़बर पर हज़रत उ़मर (रज़ि) को तअज्जुब हुआ कि उसने ऐसी बेअसल बात क्यूँ कही। इसीलिये बेसाख़्ता आपकी ज़ुबान पर नारा–ए–तक्बीर आ गया। बारी इसलिये मुक़र्रर की थी कि हज़रत उ़मर (रज़ि) तिजारत–पेशा थे और वो अंसारी भाई भी कारोबारी थे। इसलिये बारी मुक़र्रर की थी ताकि अपना काम भी जारी रहे और उ़लूमे नबवी (ﷺ) से भी महरूमी न हो। मा'लूम हुआ कि तलबे मआश (रोज़गार) के लिये भी एहतमाम ज़रूरी है। इस हदीष़ की बाक़ी शरह किताबुन्निकाह में आएगी। इंशाअल्लाह!

बाब 28 : इस बयान में कि उस्ताद शागिर्दों की जब कोई नागवार बात देखे तो वअ़ज़ करते और ता'लीम देते वक़्त उन पर ख़फ़ा हो सकता है

٢٨- بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

(90) हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, उन्हें सुफ़यान ने अबू ख़ालिद से खबर दी, वो क़ैस बिन अबी हाज़िम से बयान करते हैं, वो अबू मसऊ़द अंसारी से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स (ह़ज़म बिन अबी कअ़ब) ने (रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आकर) पूछा। या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़लाँ शख़्स (मुआ़ज़ बिन जबल) लम्बी नमाज़ पढ़ाते हैं इसलिये मैं (जमाअ़त की) नमाज़ में शरीक नहीं हो सकता (क्योंकि मैं दिनभर ऊँट चराने की वजह से रात को थककर चकनाचूर हो जाता हूँ और लम्बी क़िरअत सुनने की ताक़त नहीं रखता) (अबू मसऊ़द रावी कहते हैं) कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) को वअ़ज़ के दौरान इतना ग़ज़बनाक नहीं देखा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ लोगों! तुम (ऐसी शिद्दत इख़्तियार करके लोगों को दीन से) नफ़रत दिलाने लगे हो। (सुन लो) जो शख़्स लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले (सब ही क़िस्म के लोग) होते हैं।

(दीगर मक़ाम : 702, 704, 6110, 7159)

٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ. فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ)).

[أطرافه في : ٧٠٢، ٧٠٤، ٦١١٠، ٧١٥٩].

गुस्से का कारण ये (रहा होगा) कि आप पहले भी मना कर चुके होंगे; दूसरे ऐसा करने से डर था कि कहीं लोग थक हार कर इस दीन से नफ़रत न करने लग जाएँ। यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है।

(91) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, उनसे अबू आ़मिर अल अ़क़दी ने, वो सुलैमान बिन बिलाल अल मदीनी से, वो रबीअ़ बिन अबी अ़ब्दुर्रहमान से, वो यज़ीद से जो मुंबअ़िष के आज़ादकर्दा थे, वो ज़ैद बिन ख़ालिद अल जुहनी से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स (उ़मैर या बिलाल) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पड़ी हुई चीज़ के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया, उसकी बंधन पहचान ले या फ़र्माया कि उसका बर्तन और थैली (पहचान ले) फिर एक साल तक उसकी शिनाख़्त (का ऐलान) कराओ फिर (उसका मालिक न मिले तो) उससे फ़ायदा उठाओ और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। उसने पूछा कि अच्छा

٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: ((اعْرِفْ وِكَاءَهَا - أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا - وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا

गुमशुदा ऊँट (के बारे में) क्या हुक्म है? आप (ﷺ) को इस क़दर गुस्सा आ गया कि रुख़सारे मुबारक सुर्ख़ हो गए। या रावी ने यह कहा कि आपका चेहरा सुर्ख़ हो गया। (यह सुनकर) आप (ﷺ) ने फ़र्माया। तुझे ऊँट से क्या वास्ता? उसके साथ ख़ुद उसकी मश्क है और उसके (पाँव के) सम है। वो ख़ुद पानी पर पहुँचेगा और ख़ुद पी लेगा और ख़ुद पेड़ पर चरेगा। लिहाज़ा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा गुमशुदा बकरी के (बारे में) क्या इर्शाद है? आपने फ़र्माया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना भेड़िये की (ग़िज़ा) है।

(दीगर मक़ाम : 2372, 2427, 2428, 2429, 2436, 2438, 5292, 6112)

إِلَيْهِ)) قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَوْ قَالَ : احْمَرَّ وَجْهُهُ - فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)) قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)).

[أطرافه في: ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٢٩، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٥٢٩٢، ٦١١٢].

तश्रीह : गिरी-पड़ी चीज़ को लुक़्ता कहते हैं। इस ह़दीष़ में उसी का हुक्म बयान किया गया है। आप (ﷺ) के गुस्से का सबब ये हुआ कि ऊँट के बारे में सवाल ही बेकार था। जबकि वो तल्फ़ (बर्बाद) होने वाला जानवर नहीं। वो जंगल में अपना चारा-पानी ख़ुद तलाश कर लेता है, उसे भेड़िये नहीं खा सकते, फिर उसका पकड़ना बेकार है। ख़ुद उसका मालिक ढूँढते हुए उस तक पहुँच जाएगा। हाँ! बकरी के तल्फ़ होने का फ़ौरी ख़तरा है लिहाज़ा उसे पकड़ लेना चाहिए। फिर मालिक आए तो उसके ह़वाले कर दे। मा'लूम हुआ कि शागिर्दों के नामुनासिब सवालात पर उस्ताद की नाराज़गी स़ह़ीह़ मानी जाएगी। ये भी ज़ाहिर हुआ कि शागिर्दों को सवाल करने से पहले ख़ुद सवाल की अहमियत पर भी ग़ौर कर लेना ज़रूरी है। ऊँट के बारे में आपका जवाब उस ज़माने के माह़ौल के पेशेनज़र था मगर आजकल का माह़ौल ज़ाहिर है। (इसलिये ऊँट को भी उसके मालिक के आने तक पकड़कर रखा जा सकता है)

(92) हमसे मुह़म्मद बिन अ़ला ने बयान किया, उनसे अबू उसामा ने बुरैद के वास्ते से बयान किया, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से और वो अबू मूसा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ ऐसी बातें पूछी गईं कि आप (ﷺ) को बुरा मा'लूम हुआ और जब (इस क़िस्म के सवालात की) आप (ﷺ) पर बहुत ज़्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया, (अच्छा अब) मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख़्स ने पूछा कि मेरा बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ उसने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तेरा बाप सालिम शैबा का आज़ादकर्दा गुलाम है। आख़िर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने आपके चेहर-ए-मुबारक का हाल देखा तो कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम (इन बातों के दरयाफ़्त करने से जो आपको नागवार हों) अल्लाह से तौबा करते हैं। (दीगर मक़ाम : 7291)

٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ((سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ)) قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)). فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ)). فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

[طرفه في : ٧٢٩١].

तश्रीह : लग़्व और बेहूदा सवाल किसी साहिबे इल्म से करना सरासर नादानी है। फिर अल्लाह के रसूल (ﷺ) से इस क़िस्म का सवाल करना तो गोया बहुत ही बेअदबी है। इसीलिये इस क़िस्म के बेजा सवालात पर आपने गुस्सा में फ़र्माया कि जो चाहो दरयाफ़्त करो। इसलिये कि अगरचे बशर होने के लिहाज़ से आप ग़ैब की बातें नहीं जानते थे। मगर अल्लाह का बरगुज़ीदा पैग़म्बर होने की बिना पर वह्य व इल्हाम से अकष़र अह्वाल आपको मा'लूम हो जाते थे, या मा'लूम हो सकते थे जिनकी आपको ज़रूरत पेश आती थी। इसीलिये आपने फ़र्माया कि तुम लोग नहीं मानते हो तो अब जो चाहो पूछो, मुझको अल्लाह की तरफ़ से जो जवाब मिलेगा तुमको बतलाऊँगा। आपकी नाराज़गी देखकर हज़रत उमर (रज़ि) ने दीगार हाज़िरीन की नुमाइंदगी फ़र्माते हुए ऐसे सवालात से बाज़ रहने का वा'दा किया।

बाब 29 : उस शख़्स के बारे में जो इमाम या मुहद्दिष़ के दो ज़ानू (होकर अदब के साथ) बैठे

٢٩- بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

(93) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्हें शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्हें अनस बिन मालिक ने बतलाया कि (एक दिन) रसूलुल्लाह (ﷺ) घर से निकले तो अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा खड़े होकर पूछने लगे कि हुज़ूर मेरा बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हुज़ाफ़ा। फिर आप (ﷺ) ने बार-बार फ़र्माया कि मुझसे पूछो, तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने दो ज़ानू होकर पूछा कि हम अल्लाह के रब होने पर और मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने पर राज़ी हैं (और यह जुम्ला) तीन बार (दुहराया) फिर (यह सुनकर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ामोश हो गए।

(दीगर मक़ाम : 540, 749, 4621, 6362, 6468, 6486, 7089, 7090, 7091, 7294, 7295)

٩٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)). ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي)). فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ثَلاَثًا. فَسَكَتَ.

[أطرافه في: ٥٤٠، ٧٤٩، ٤٦٢١، ٦٣٦٢، ٦٤٦٨، ٦٤٨٦، ٧٠٨٩، ٧٠٩٠، ٧٠٩١، ٧٢٩٤، ٧٢٩٥].

तश्रीह : हज़रत उमर (रज़ि) के अ़र्ज़ करने की मंशा ये थी कि अल्लाह को रब, इस्लाम को दीन और मुहम्मद (ﷺ) को नबी मानकर अब हमें और ज़्यादा कुछ सवालात पूछने की ज़रूरत नहीं। लोग अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा को किसी और का बेटा कहा करते थे। इसीलिये उन्होंने आपसे अपनी तसल्ली ह़ासिल कर ली। हज़रत उमर (रज़ि) के दो ज़ानू होकर बैठने से बाब का तर्जुमा निकला और ष़ाबित हुआ कि शागिर्द को उस्ताद का अदब हर वक़्त मल्हूज़ रखना ज़रूरी है क्योंकि बाअदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब, हज़रत उमर (रज़ि) का मुअद्दिबाना (सम्मानपूर्वक) बयान सुनकर आप (ﷺ) का गुस्सा जाता रहा और आप (ﷺ) ख़ामोश हो गये।

बाब 30 : इस बारे में कि कोई शख़्स समझाने के लिये (एक) बात को तीन बार दुहराए तो यह ठीक है

٣٠- بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ

चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है अला व क़ौलुज़्ज़ूर इसको

فَقَالَ: ((أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ)) ، فَمَا زَالَ

तीन बार दुहराते रहे और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने तुमको पहुँचा दिया (यह जुम्ला) आपने तीन बार दुहराया।

يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَلْ بَلَّغْتُ)) ؟ ثَلاَثًا.

(94) हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुस्समद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मुषन्ना ने, उनसे षुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने, उनसे हज़रत अनस (रज़ि.) ने बयान किया, वो नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि जब आप (ﷺ) सलाम करते तो तीन बार सलाम करतेऔर जब कोई कलिमा इर्शाद फ़र्माते तो उसे तीन बार दुहराते यहाँ तक कि उसे ख़ूब समझ लिया जाता।

(दीगर मक़ाम : 95, 6244)

٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ.

[طرفاه في : ٩٥، ٦٢٤٤].

(95) हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुस्समद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मुषन्ना ने, उनसे षुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि जब आप (ﷺ) कोई कलिमा इर्शाद फ़र्माते तो उसे तीन बार लौटाते यहाँ तक कि उसे ख़ूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप तशरीफ़ लाते और उन्हें सलाम करते तो तीन बार सलाम करते।

(राजेअ : 94)

٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا. [راجع: ٩٤]

(96) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने अबी बिशर के वास्ते से बयान किया, वो यूसुफ़ बिन मालिक से बयान करते हैं वो अब्दुल्लाह बिन अम्र से, वो कहते हैं कि एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) हमसे पीछे रह गए। फिर आप (ﷺ) हमारे क़रीब पहुँचे। तो अस्र की नमाज़ का वक़्त हो चुका था या तंग हो गया था और हम वुज़ू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आपने बुलंद आवाज़ से फ़र्माया कि आग के अ़ज़ाब से इन ऐड़ियों की (जो ख़ुश्क रह जाएँ) ख़राबी है। यह दो बार फ़र्माया या तीन बार। (राजेअ : 60)

٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَاهُ وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاَةَ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. [راجع: ٦٠]

तश्रीह : इन अह़ादीष़ से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) ने ये निकाला कि अगर कोई मुह़द्दिष़ समझाने के लिये ज़रूरत के वक़्त ह़दीष़ को मुकर्रर बयान करे या त़ालिबे इल्म ही उस्ताद से दोबारा या तिबारा पढ़ने को कहे तो ये मकरूह नहीं है। तीन बार सलाम इस ह़ालत मे है कि जब कोई शख़्स किसी के दरवाज़े पर जाए और अंदर आने की इजाज़त त़लब करे। इमाम बुख़ारी (रह़) इस ह़दीष़ को किताबुल इस्तीज़ान में भी लाए हैं, इससे भी यही निकलता है। वरना हमेशा आपकी ये आदत न

थी कि तीन बार सलाम करते, ये इसी सूरत में था कि घर वाले पहला सलाम न सुन पाते तो आप दोबारा सलाम करते अगर फिर भी वो जवाब न देते तो तीसरी दफ़ा सलाम करते, फिर भी जवाब न मिलता तो आप वापस हो जाते।

बाब 31 : इस बारे में कि मर्द का अपनी बांदी और घरवालों को ता'लीम देना (ज़रूरी है)

٣١- بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

(97) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मुहारिबी ने ख़बर दी, वो स़ालेह बिन ह़य्यान से बयान करते हैं, उन्होंने कहा आ़मिर शअ़बी ने बयान किया, कहा उनसे अबू बुर्दा ने अपने बाप के वास्ते से नक़ल किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तीन शख़्स हैं जिनके लिये दुगुना अज्र है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान लाए और (दूसरे) वो गुलाम जो अपने आक़ा और अल्लाह (दोनों) का हक़ अदा करे और (तीसरा) वो आदमी जिसके पास कोई लौण्डी हो। जिससे शब-बाशी करता है और उसे तर्बियत दे तो अच्छी तर्बियत दे, ता'लीम दे तो अच्छी ता'लीम दे, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले, तो उसके लिये दुगुना अज्र है। फिर आ़मिर ने (स़ालेह बिन ह़य्यान से) कहा कि हमने यह ह़दीष़ तुम्हें बग़ैर उजरत के सुना दी है (वरना) इससे कम ह़दीष़ के लिये मदीना तक सफ़र किया जाता था।

(दीगर मक़ाम : 2544, 2547, 2551, 3011, 3446, 5083)

٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ)). ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

[أطرافه في : ٢٥٤٤، ٢٥٤٧، ٢٥٥١، ٣٠١١، ٣٤٤٦، ٥٠٨٣].

तश्रीह : ह़दीष़ से बाब की मुताबक़त के लिये लौण्डी का ज़िक्रे स़रीह़ मौजूद है और बीवी को इसी पर क़ियास किया गया है। अहले किताब से यहूद व नस़ारा मुराद हैं जिन्होंने इस्लाम क़ुबूल किया। इस ह़दीष़ से ये भी मा'लूम हुआ कि ता'लीम के साथ तादीब यानी अदब सिखाना और उ़म्दा तर्बियत देना भी ज़रूरी है। अगर इ़ल्म के साथ उ़म्दा तर्बियत न हो तो ऐसे इ़ल्म से पूरा फ़ायदा ह़ास़िल नहीं होगा। ये भी ज़ाहिर हुआ कि अस्लाफ़े उम्मत एक–एक ह़दीष़ के ह़ुसूल के लिये दूर दराज़ का सफ़र करते और बेह़द मशक़्क़तें उठाया करते थे। शारेह़ीने बुख़ारी कहते हैं **'वइन्नमा क़ाल हाज़ा लियकून ज़ालिकल ह़दीषु इन्दहू बिमंज़िलतिन अ़ज़ीमतिन व यहफ़ज़ुहू बिइहतिमामिन बलीग़िन फ़इन्न मिन आ़दतिल इन्सानि अन्नश्शयअल्लज़ी यहसुलुहू मिन ग़ैरि मुशक़्क़तिन ला यअरिफ़ु क़दरहू व ला यहतम्मु बिहिफ़ाज़तिही'** यानी आ़मिर ने अपने शागिर्द स़ालेह़ से ये इसलिये कहा कि वो ह़दीष़ की क़दर व मंज़िलत को पहचानें और उसे एहतिमाम के साथ याद रखें क्योंकि इंसान की आ़दत है कि बग़ैर मशक़्क़त (बिना तकलीफ़ उठाए, आसानी से) ह़ासि़ल होने वाली चीज़ की वो क़दर नहीं करता और न ही पूरे त़ौर पर उसकी ह़िफ़ाज़त करता है।

बाब 32 : इस बारे में कि इमाम का औरतों को भी नसीहत करना और ता'लीम देना (ज़रूरी है)

٣٢- بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

(98) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उनसे शुअबा ने अय्यूब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अ़ता बिन अबी रिबाह से सुना, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) पर गवाही देता हूँ, या अ़ता ने कहा कि मैं इब्ने अ़ब्बास पर गवाही देता हूँ कि नबी (ﷺ) (एक बार ईद के मौक़े पर मर्दों की सफ़ों में से) निकले और आपके साथ बिलाल (रज़ि.) थे। आपको ख़याल हुआ कि औरतों को (ख़ुत्बा अच्छी तरह) नहीं सुनाई दिया। तो आपने उन्हें अलग नसीहत सुनाई और सदक़े का हुक्म दिया (यह वअ़ज़ सुनकर) कोई औरत बाली (और कोई औरत) अंगूठी डालने लगी और बिलाल (रज़ि.) अपने कपड़े के दामन में (यह चीज़ें) लेने लगे। इस हदीष़ को इस्माईल बिन अलिया ने अय्यूब से रिवायत किया, उन्होंने अ़ता से कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने यूँ कहा कि मैं आँहज़रत (ﷺ) पर गवाही देता हूँ कि (इसमें शक नहीं है) इमाम बुख़ारी की ग़र्ज़ यह है कि अगला बाब आ़म लोगों के बारे में था और यह हाकिम और इमाम के बारे में है कि वो भी औरतों को वअ़ज़ सुनाए।

(दीगर मक़ाम : 863, 962, 964, 975, 977, 979, 989, 1431, 1449, 2895, 5249, 5770, 5771, 5773, 7325)

٩٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلاَلٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في : ٨٦٣، ٩٦٢، ٩٦٤، ٩٧٥، ٩٧٧، ٩٨٩، ٩٧٩، ١٤٣١، ١٤٤٩، ٢٨٩٥، ٥٢٤٩، ٥٨٨٠، ٥٨٨١، ٥٨٨٣، ٧٣٢٥].

तश्रीह : इस हदीष़ से मसल–ए–बाब के साथ–साथ औरतों का ईदगाह में जाना भी ष़ाबित हुआ। जो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं उनको मा'लूम होना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ का इंकार कर रहे हैं जो आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में मुरव्वज (प्रचलित) थी। ये अम्र ठीक है कि औरतें पर्दा और अदब व शर्म व ह़या के साथ जाएँ क्योंकि बेपर्दगी बहरहाल बुरी चीज़ है। मगर सुन्नते नबवी (ﷺ) की मुख़ालफ़त करना किसी तरह भी ज़ैबा (शोभनीय) नहीं है।

बाब 33 : इल्मे हदीष़ हासिल करने की ह़िर्स़ के बारे में

٣٣- بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

(99) हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा मुझसे सुलेमान ने अ़म्र बिन अबी अ़म्र के वास्ते से बयान किया। वो सईद बिन अबी सईद अल मक़बरी के वास्ते से बयान करते हैं, वो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअ़त से सबसे ज़्यादा सआ़दत किसे हासिल होगी? ता

٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू हुरैरह (रज़ि.)! मुझे यक़ीन था कि तुमसे पहले इस बारे में मुझसे कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि मैंने हदीष़ के बारे में तुम्हारी हिर्स़ देख ली थी। सुनो! क़यामत में सबसे ज़्यादा फ़ैज़याब मेरी शफ़ाअ़त से वो शख़्स़ होगा, जो सच्चे दिल से या सच्चे मन से, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा।

(दीगर मक़ाम : 6570)

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَن لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ)).

[طرفه في : ٦٥٧٠].

तश्रीह : हदीष़ शरीफ़ का इल्म ह़ास़िल करने के लिये आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) की तहसीन (ता'रीफ़) फ़र्माई। इसी से अहले ह़दीष़ की फ़ज़ीलत ष़ाबित होती है। दिल से कहने का मतलब ये कि शिर्क से बचे, क्योंकि जो शिर्क से न बचा वो दिल से इस कलिमे का क़ाइल नहीं है अगरचे ज़ुबान से उसे पढ़ता हो। जैसा कि आजकल बहुत से क़ब्रों के पुजारी नामनिहाद मुसलमानों का ह़ाल है।

बाब 34 : इस बयान में कि इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा

और (पाँचवें ख़लीफ़ा) ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने अबूबक्र बिन ह़ज़्म को लिखा कि तुम्हारे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) की जितनी भी ह़दीषें हों, उन पर नज़र करो और उन्हें लिख लो, क्योंकि मुझे इल्मे दीन के मिटने और उ़लम–ए–दीन के ख़त्म हो जाने का अंदेशा है और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सिवा किसी की ह़दीष़ क़ुबूल न करो और लोगों को चाहिए कि इल्म फ़ैलाएँ और (एक जगह जमकर) बैठें ताकि जाहिल भी जान लें और इल्म छुपाने ही से ज़ाया (नष्ट) होता है। हमसे अ़ला बिन अ़ब्दुल जब्बार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मुस्लिम ने अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से इसको बयान किया यानी उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़जीज़ की ह़दीष़ ज़िहाबल उ़लमा तक।

٣٤ - بَابُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاكْتُبْهُ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ. وَلاَ تَقْبَلْ إِلاَّ حَدِيْثَ النَّبِيِّ ﷺ. وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ. وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِيْ حَدِيْثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِلَى قَوْلِهِ ذِهَابَ الْعُلَمَاءِ.

मक़्सद ये है कि पढ़ने-पढ़ाने ही से इल्मे दीन बाक़ी रह सकेगा, उसमें कोताही हर्गिज़ न होनी चाहिए।

(100) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उनसे मालिक ने हिशाम बिन उ़र्वा से, उन्होंने अपने बाप से नक़ल किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अल आ़स से नक़ल

١٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) फ़र्माते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन ले। बल्कि वो (पुख़ताकार) उलमाओं को मौत देकर इल्म को उठाएगा। यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाक़ी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएँगे और वो बग़ैर इल्म के जवाब देंगे। इसलिये ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। फ़िरबरी ने कहा हमसे अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया, कहा हमसे क़ुतैबा ने, कहा हमसे जरीर ने, उन्होंने हिशाम से मानिन्द इस हदीष़ के।

(दीगर मक़ाम : 7307)

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)). قَالَ الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ.

[طرفه في : ٧٣٠٧].

तश्रीह : पुख़्ता आलिम (से मुराद वो आलिम हैं) जो दीन की पूरी समझ भी रखते हों और अहकामे इस्लाम के दक़ाइक़ व मवाक़ेअ को भी जानते हों, ऐसे पुख़्ता दिमाग़ उलमा ख़त्म हो जाएँगे और इल्म का दा'वा करने वाले सतही लोग बाक़ी रह जाएँगे जो नासमझी की वजह से महज़ तक़्लीदे जामिद की तारीकी (अंधेरे) में गिरफ़्तार होंगे और ऐसे लोग अपने ग़लत फ़त्वों से ख़ुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये राय और क़यास के दिलदादा होंगे। ये अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यूसुफ़ बिन मतर फ़ुरैरी की रिवायत है जो हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) के शागिर्द हैं और सहीह बुख़ारी के अव्वलीन रावी यही फ़ुरैरी (रह) हैं। कुछ रिवायतों में **बिग़ैरि इल्म** की जगह **बिरअयहिम** आया है। यानी वो जाहिल मुद्दइयाने इल्म अपनी राय क़यास से फ़त्वा दिया करेंगे। '**क़ालल अयनी ला यख़तस्सु हाज़ा बिल मुफ़्तिय्यिन वल आम्मुन लिल क़ुज़ातिल जाहिलीन**' यानी इस हुक्म में न सिर्फ़ मुफ़्ती बल्कि आलिम, जाहिल क़ाज़ी भी दाख़िल हैं।

बाब 35 : इस बयान में कि क्या औरतों की ता'लीम के लिये कोई ख़ास दिन मुक़र्रर किया जा सकता है?

٣٥- بَابُ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ؟

(101) हमसे आदम ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने, उनसे इब्ने अस्सुब्हानी ने, उन्होंने अबू सालेह ज़क्वान से सुना, वो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि औरतों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि (आप ﷺ से फ़ायदा उठाने में) मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिये आप अपनी तरफ़ से हमारे (वअ़ज़ के) लिये (भी) कोई दिन ख़ास कर दें। तो आप (ﷺ) ने उनसे एक दिन का वा'दा फ़र्मा लिया। उस दिन औरतों से आपने मुलाक़ात की और उन्हें वाज़ फ़र्माया और (मुनासिब) अहकाम सुनाए जो कुछ आप (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया था उसमें यह बात भी थी कि कोई औरत तुममें से (अपने) तीन (लड़के) आगे भेज देगी तो वो उसके लिये जहन्नम से पनाह बन जाएँगे। इस पर एक औरत ने कहा, अगर दो (बच्चे भेज दे) आपने फ़र्माया हाँ! और दो (का भी यही हुक्म है)

١٠١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ: ((مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ)). فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: ((وَاثْنَيْنِ)).

(दीगर मक़ाम : 1249, 7310)

[طرفاه في : ١٢٤٩، ٧٣١٠].

तश्रीह : यानी दो मा'सूम बच्चों की मौत माँ के लिये बख़्शिश का सबब बन जाएगी। पहली मर्तबा तीन बच्चे फ़र्माया, फिर दो और एक और ह़दीष़ में एक बच्चे के इंतिक़ाल पर भी ये बशारत आई है। आँह़ज़रत (ﷺ) ने औरतों को एक मुक़र्ररा दिन में ये वअ़्ज़ फ़र्माया। इसीलिये ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह) के क़ायमकर्दा बाब और ह़दीष़ में मुताबक़त पैदा हुई। दो बच्चों के बारे में सवाल करने वाली औरत का नाम उम्मे सुलैम था। कच्चे बच्चे (एबॉर्शन, गर्भपात) के लिये भी यही बशारत है।

(102) मुझसे मुह़म्मद बिन बश्शर ने बयान किया, उनसे गुंदुर ने, उनसे शुअ़बा ने अ़ब्दुर्रह़मान बिन अल अस्बहानी के वास्ते से बयान किया, वो ज़क्वान से, वो अबू सईद से और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही ह़दीष़ रिवायत करते हैं। और (दूसरी सनद में) अ़ब्दुर्रह़मान अल अस्बहानी कहते हैं कि मैंने अबू ह़ाज़िम से सुना, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि उन्होंने फ़र्माया कि ऐसे तीन (बच्चे) जो अभी बुलूग़त (जवानी) को न पहुँचे हो।

(दीगर मक़ाम : 1250)

١٠٢ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ)).

[طرفه في : ١٢٥٠].

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह) ये ह़दीष़ पहली ह़दीष़ की ताइद और एक रावी इब्नुल अस्बहानी के नाम की वज़ाह़त के लिये लाए हैं। बालिग़ होने से पहले बच्चे की मौत का काफ़ी रंज होता है। इसलिये ऐसे बच्चे की मौत माँ की बख़्शिश का ज़रिया क़रार दी गई है।

बाब 36 : इस बारे में कि एक शख़्स कोई बात सुने और न समझे तो दोबारा पूछ ले ताकि वो (अच्छी तरह़) समझ ले, ये जाइज़ है

٣٦ - بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ

(103) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्हें नाफ़ेअ़ बिन उ़मर ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने अबी मुलैका ने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवी ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) जब कोई ऐसी बातें सुनती जिसको वो समझ न पाती तो दोबारा उसको मा'लूम करतीं ताकि समझ लें। चुनाँचे (एक बार) नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिससे हिसाब लिया गया उसे अ़ज़ाब दिया जाएगा। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि (यह सुनकर) मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने यह नहीं फ़र्माया कि बहुत जल्द उससे आसान हिसाब लिया जाएगा? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि यह सिर्फ़ (अल्लाह के दरबार में) पेशी का ज़िक्र है। लेकिन जिसके

١٠٣ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ)) قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا﴾ قَالَتْ: فَقَالَ ((إِنَّمَا ذَلِكَ

हिसाब में जांच–पड़ताल की गई (समझो) वो ग़ारत हो गया।

(दीगर मक़ाम : 4939, 6536, 6537)

الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ)).

[أطرافه في : ٤٩٣٩، ٦٥٣٦، ٦٥٣٧].

तशरीह़ : ये ह़ज़रत आइशा (रज़ि) के शौक़े इल्म और समझदारी का ज़िक्र है कि जिस मसले मे उन्हें उलझन होती, उसके बारे में वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से बेतकल्लुफ़ दोबारा दरयाफ़्त कर लिया करती थीं। अल्लाह के यहाँ पेशी तो सबकी होगी, मगर हिसाबी पूछताछ जिसकी शुरू हो गई वो ज़रूर गिरफ़्त में आ जाएगा। ह़दीष़ से ज़ाहिर हुआ कि कोई बात समझ में न आए तो शागिर्द उस्ताद से दोबारा–तिबारा पूछ ले, मगर कठहुज्जती के लिये बार बार ग़लत़ सवालात करने से मुमानअत आई है।

बाब 37 : इस बारे में कि जो लोग मौजूद हैं वो ग़ायब शख़्स को इल्म पहुँचाएँ, यह क़ौल ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने जनाब नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है। (और बुख़ारी किताबुल हज्ज में यह तअ़लीक़ सनद के साथ मौजूद है)

٣٧- بَابُ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(104) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे लैष़ ने, उनसे सईद बिन अबी सईद ने, वो अबू शुरैह़ से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अ़म्र बिन सईद (वाली–ए–मदीना) से जब वो मक्का में (इब्ने ज़ुबैर से लड़ने के लिये) फ़ौजें भेज रहे थे कहा कि ऐ अमीर! मुझे आप इजाज़त दें तो मैं वो ह़दीष़ आपसे बयान कर दूँ, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दूसरे दिन सुनाई थी, उस (ह़दीष़) को मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने उसे याद रखा है और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) यह ह़दीष़ फ़र्मा रहे थे तो मेरी आँखें आप (ﷺ) को देख रही थीं। आप (ﷺ) ने (पहले) अल्लाह की ह़म्दो–ष़ना बयान की, फिर फ़र्माया कि मक्का को अल्लाह ने ह़राम किया है, इन्सानों ने ह़राम नहीं किया। तो (सुन लो) कि किसी शख़्स को जो अल्लाह पर और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता हो जाइज़ नहीं कि मक्का में ख़ूँरेज़ी करे, या उसका कोई पेड़ काटे, फिर अगर कोई अल्लाह के रसूल (के लड़ने) की वजह से उसका जवाज़ निकाले तो उससे कह दो कि अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) को इजाज़त दी थी, तुम्हारे लिये नहीं दी और मुझे भी कुछ दिन के कुछ लम्हों के लिये इजाज़त मिली थी। आज उसकी हुर्मत लौट आई, जैसी कल थी। और ह़ाज़िर ग़ायब को (यह बात) पहुँचा दे। (ये ह़दीष़ सुनने के बाद ह़दीष़ के रावी) अबू शुरैह़ स

١٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ - ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ

पूछा गया कि (आपकी यह बात सुनकर) अम्र ने क्या जवाब दिया? कहा यूँ कि ऐ (अबू शुरैह!) हदीष को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ मगर हरमे (मक्का) किसी ख़ताकार को या ख़ून करके और फ़ित्ना फैलाकर भाग आनेवाले को पनाह नहीं देता।

(दीगर मक़ाम : 1832, 4290)

عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)). فَقِيْلَ لأَبِي شُرَيْحٍ : مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ مَكَّةَ لاَ تُعِيْذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

[طرفاه في : ١٨٣٢، ٤٢٩٥].

तशरीह : अम्र बिन सईद, यज़ीद की तरफ़ से मदीना के गवर्नर थे, उन्होंने हज़रत अबू शुरैह से हदीषे नबवी (ﷺ) सुनकर तावील से काम लिया और अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) को बाग़ी (विद्रोही) व फ़सादी (उपद्रवी) क़रार देकर मक्का शरीफ़ पर फ़ौजकशी का जवाज़ निकाला। हालाँकि उनका ख़्याल बिलकुल ग़लत था। हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि) न बाग़ी थे, न फ़सादी थे। नस्स के मुक़ाबले पर राय व क़यास व फ़ासिद तावीलों से काम लेने वालों ने हमेशा इसी तरह फ़सादात बरपा करके अहले हक़ को सताया है। हज़रत अबू शुरैह का नाम ख़ुवैलिद बिन अम्र बिन सख़र है और बुख़ारी शरीफ़ में उनसे सिर्फ़ तीन अहादीष मरवी हैं। 68 हिजरी में आपने इंतिक़ाल फ़र्माया रहिमहुल्लाहु व रज़ियल्लाहु अन्हु

चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने यज़ीद की बैअत से इंकार करके हरमे मक्का शरीफ़ को अपने लिये जाए पनाह (शरणस्थली) बनाया था। इसीलिये यज़ीद ने अम्र बिन सईद को मक्का पर फ़ौजकशी करने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) शहीद किये गये। और हरमे मक्का की सख़्त बेहुर्मती की गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजेऊन। हज़रत ज़ुबैर (रज़ि) रसूलल्लाह (ﷺ) के फूफीज़ाद भाई और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि) के नवासे थे। आजकल भी अहले बिदअ़त हदीषे नबवी को ऐसे ही बहाने निकाल कर रद्द कर देते हैं।

(105) हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उनसे हम्माद ने अय्यूब के वास्ते से नक़ल किया, वो मुहम्मद से रिवायत करते हैं कि (एक बार) अबूबक्र (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र किया कि आप (ﷺ) ने (यूँ) फ़र्माया, तुम्हारे ख़ून और तुम्हारे माल, मुहम्मद कहते हैं कि मेरे ख़्याल में आप (ﷺ) ने अअ़राज़ुकुम का लफ़्ज़ भी फ़र्माया। (यानी) और तुम्हारी आबरूएँ तुम पर हराम हैं जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने में। सुन लो! यह ख़बर हाज़िर ग़ायब को पहुँचा दे। और मुहम्मद (हदीष के रावी) कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सच फ़र्माया। (फिर) दोबारा फ़र्माया कि क्या मैंने (अल्लाह का यह हुक्म) तुम्हें नहीं पहुँचा दिया। (राजेअ़ : 68)

١٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ))، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، كَانَ ذَلِكَ ((أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) مَرَّتَيْنِ. [راجع: ٦٨]

मक़सद ये कि मैं इस हदीषे नबवी की ता'मील कर चुका हूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने हज्जतुल विदाअ़ में ये फ़र्माया था, दूसरी हदीष में तफ़्सील से इसका ज़िक्र आया है।

बाब 38 : इस बयान में कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बांधने वाले का गुनाह किस दर्जे का है

٣٨- بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

(106) हमसे अली बिन जअदी ने बयान किया, उन्हें शुअबा ने ख़बर दी, उन्हें मंसूर ने, उन्होंने रब्ई बिन हिराश से सुना कि मैंने हज़रत अली (रज़ि.) को यह फ़र्माते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझ पर झूठ मत बोलो क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख़ में दाख़िल हो।

١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ)).

यानी मुझ पर झूठ बाँधने वाले को चाहिए कि वो दोज़ख़ मे दाख़िल होने को तैयार रहे।

(107) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने, उनसे जामेअ बिन शद्दाद ने, वो आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से और वो अपने बाप अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा मैंने अपने बाप यानी ज़ुबैर (रज़ि.) से पूछा कि मैंने कभी आपसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की अहादीष़ नहीं सुनीं। मैंने आपको यह भी फ़र्माते हुए सुना है कि जो शख़्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

١٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

इसीलिये मैं हदीष़े रसूल (ﷺ) बयान नहीं करता कि मुबादा कहीं ग़लतबयानी न हो जाए।

(108) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिष़ ने अब्दुल अज़ीज़ के वास्ते से नक़ल किया कि अनस (रज़ि.) फ़र्माते थे कि मुझे बहुत सी हदीष़ें बयान करने से यह बात रोकती है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स मुझपर जान–बूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

١٠٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

(109) हमसे मक्की इब्ने इब्राहीम ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अबी उबैद ने सलमा बिन अल अक्वा (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़र्माते हुए सुना कि जो शख़्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।

١٠٩- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ هُوَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

ये हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) की पहली ष़लाष़ी हदीष़ है। ष़लाष़ी वो हदीष़ हैं जिनमें रसूले करीम (ﷺ) और इमाम बुख़ारी (रह) तक दरम्यान में सिर्फ़ तीन ही रावी हों। ऐसी हदीष़ों को ष़लाष़ियाते इमाम बुख़ारी (रह) कहा जाता है। और जामेअ

अस्सहीह में उनकी ता'दाद सिर्फ़ बाईस है। ये फ़ज़ीलत इमाम बुख़ारी (रह़) के दूसरे हम अस्र उलमा (समकालीन विद्वान) जैसे हज़रत इमाम मुस्लिम वग़ैरह, को हासिल नहीं हुई। साहिबे अन्वारुल बारी ने यहाँ षलाषियाते इमाम बुख़ारी (रह़) का ज़िक्र करते हुए षनाइयाते इमाम अबू ह़नीफ़ा के लिये मुस्नदे इमाम आज़म नामी किताब का हवाला देकर ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) पर ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा की बरतरी षाबित करने की कोशिश की है मगर ये वाक़िया है कि फ़न्ने ह़दीष में ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा की लिखी हुई कोई किताब दुनिया में मौजूद नहीं है और मुस्नदे इमाम आज़म नामी किताब मुह़म्मद ख़्वारिज़्मी की जमाकर्दा है जो 674 हिज्री में राइज हुई (बुस्तानुल मुह़द्दिषीन पेज नं. 5)

(110) हमसे मूसा ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने अबी ह़ुसैन के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू सालेह़ से रिवायत करते हैं, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से कि (अपनी औलाद) का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो। मगर मेरी कुन्नियत इख़्तियार न करो और जिस शख़्स ने मुझे ख़्वाब में देखा तो बिलाशुब्हा उसने मुझे देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता और जो शख़्स मुझ पर जान–बूझकर झूठ बोले वो जहन्नम में अपना ठिकाना तलाश करे।

(दीगर मक़ाम : 3539, 6188, 6197, 6993)

١١٠- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).

[أطرافه في : ٣٥٣٩، ٦١٨٨، ٦١٩٧، ٦٩٩٣].

तशरीह : इन मुसलसल अह़ादीष का मक़सद ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की त़रफ़ लोग ग़लत़ बात मन्सूब करके दुनिया मे ख़ल्क़ (लोगों) को गुमराह न करें। ये ह़दीषें बजाते ख़ुद इस बात पर दलालत करती हैं कि आम त़ौर पर अह़ादीष नबवी (ﷺ) का ज़ख़ीरा मुफ़्सिद (फ़ासिद, उपद्रवी) लोगों के दस्तेबुर्द से मह़फ़ूज़ रहा है और जितनी अह़ादीष लोगों ने अपनी त़रफ़ से गढ़ लीं थीं उनको उलम–ए–ह़दीष ने सह़ीह़ अह़ादीष से अलग छांट दिया।

इसी त़रह आप (ﷺ) ने ये भी वाज़ेह फ़र्मा दिया कि ख़्वाब मे अगर कोई शख़्स मेरी सूरत देखे तो वो भी सह़ीह़ होनी चाहिए क्योंकि शैतान ख़्वाब मे भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की सूरत में नहीं आ सकता।

मौज़ूअ और सह़ीह़ अह़ादीष को परखने के लिये अल्लाह पाक ने जमाअ़ते मुह़द्दिषीन ख़ुसूसन इमाम बुख़ारी व मुस्लिम (रह़) जैसे अकाबिरे उम्मत को पैदा फ़र्माया। जिन्होंने इस फ़न की वो ख़िदमत की कि जिसकी पिछले दौर में नज़ीर नहीं मिल सकती, इल्मुर्रिजाल व क़वानीने जरह़ व तअ़दील ईजाद किये कि क़यामत तक उम्मते मुस्लिमा उन पर फ़ख़्र किया करेगी मगर सद अफ़सोस! कि आज चौदहवीं सदी में कुछ ऐसे भी मुतअ़स्सिब मुक़ल्लिदे जामिद वजूद में आ गये हैं जो ख़ुद उन बुज़ुर्गों को ग़ैर फ़क़ीह नाक़ाबिले ए'तिमाद ठहरा रहे हैं। ऐसे लोग महज़ अपने मज़्क़ूमा तक़्लीदी मज़ाहिब की ह़िमायत में ज़ख़ीर–ए–अह़ादीषे नबवी (ﷺ) को मशकूक (संदिग्ध) बनाकर इस्लाम की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। अल्लाह उनको नेक समझ दे। आमीन!! ये ह़क़ीक़त है कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) को ग़ैर फ़क़ीह ज़ूदो-रंज बतलाने वाले ख़ुद बेसमझ हैं जो छोटा मुँह और बड़ी बात कहकर अपनी कम अ़क़्ली का मुज़ाहिरा (प्रदर्शन) करते हैं। उसकी मुक़ाम की तफ़्सील में जाते हुए साहिबे अनवारुल बारी ने जमाअ़ते अहले ह़दीष और अकाबिरे अहले ह़दीष को बार–बार लफ़्ज़ जमाअ़ते ग़ैर मुक़ल्लिदीन से जिस त़ंज़ व तौहीन के साथ याद किया है वो ह़द दर्जा क़ाबिले मज़म्मत है। मगर तक़्लीदे जामिद का अषर ही ये है कि ऐसे मुतअ़स्सुब ह़ज़रात ने उम्मत में बहुत से अकाबिर की तौहीन व तख़्फ़ीफ़ की है। क़दीमुद्दयाम (प्राचीन काल) से ये सिलसिला जारी है। मुआनिदीन (निंदा करने वालों) ने तो सह़ाबा को भी नहीं छोड़ा। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि), उक़्बा बिन आमिर, अनस बिन मालिक (रज़ि) वग़ैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को ग़ैर फ़क़ीह ठहराया है।

बाब 40 : (दीनी) इल्म को क़लमबंद करने के जवाज़ में

٤٠- باب كِتَابَةِ الْعِلْمِ

(111) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्हें वक़ीअ ने सुफ़यान से ख़बर दी, उन्होंने मुतर्रफ़ से सुना, उन्होंने शअ़बी (रह.) से, उन्होंने अबू जुहैफ़ा से, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अली (रज़ि.) से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई (और भी) किताब है? उन्होंने फ़र्माया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुर्आन है या फिर फ़हम है जो वो मुसलमानों को अता करता है। या फिर जो कुछ इस स़हीफ़े में है। मैंने पूछा, इस स़हीफ़े में क्या है? उन्होंने कहा, दियत और क़ैदियों की रिहाई का बयान है और यह हुक्म है कि मुसलमान, काफ़िर के बदले में क़त्ल न किया जाए।

(दीगर मक़ाम : 1870, 3047, 4172, 3179, 6755, 6903, 6915, 7300)

١١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ، قَالَ قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةُ؟ قَالَ : الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيْرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

[أطرافه في : ١٨٧٠، ٣٠٤٧، ٤١٧٢، ٣١٧٩، ٦٧٥٥، ٦٩٠٣، ٦٩١٥، ٧٣٠٠].

बहुत से शिया ये गुमान करते थे कि हज़रत अ़ली (रज़ि) के पास कुछ ऐसे ख़ास़ अहकाम और पोशीदा बातें किसी स़हीफ़े में दर्ज हैं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके अलावा किसी और को नहीं बताए, इसलिये अबू जुहैफ़ा ने हज़रत अ़ली (रज़ि) से ये सवाल किया और आपने स़ाफ़ लफ़्ज़ों में इस बातिल (झूठे) ख़याल की तर्दीद फ़र्मा दी।

(112) हमसे अबू नुऐ़म अल फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, उनसे शैबान ने यह्या के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू सलमा से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि क़बील—ए—ख़ुज़ाआ (के किसी शख़्स) ने बनू लैष़ के किसी आदमी को अपने किसी मक़्तूल के बदले में मार दिया था, यह फ़तहे मक्का वाले साल की बात है, रसूलुल्लाह (ﷺ) को यह ख़बर दी गई, आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर ख़ुत्बा पढ़ा और फ़र्माया कि अल्लाह ने मक्का से क़त्ल या हाथी को रोक लिया। इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं इस लफ़्ज़ को शक के साथ समझो, ऐसे ही अबू नुऐ़म वग़ैरह ने अल क़त्ल और अल फ़ील कहा है। उनके अलावा दूसरे लोग अल फ़ील कहते हैं। (फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़र्माया) कि अल्लाह ने उन पर अपने रसूल और मुसलमानों को ग़ालिब कर दिया और समझ लो कि वो (मक्का) किसी के लिये हलाल नहीं हुआ। न मुझसे पहले और न (बाद में) कभी होगा और मेरे लिये भी स़िर्फ़ दिन के थोड़े हिस़्से के लिये हलाल कर दिया गया था।

١١٢- حدثنا أبو نُعَيمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَينٍ قال: حدثنا شيبانُ عن يَحيى عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيرةَ أنَّ خُزاعَةَ قتلوا رَجُلاً من بني لَيثٍ عامَ فَتحِ مَكةَ بقَتيلٍ منهم قَتَلوه، فأُخبِرَ بذلكَ النبيُّ ﷺ فرَكِبَ راحلَتَه فخطَبَ فقال : ((إنَّ اللهَ حَبَسَ عن مَكةَ القَتلَ - أو الفِيلَ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَجَعَلُوْهُ عَلَى شَكٍّ أبوعبدِ اللهِ - وسَلَّطَ عليهم رسولَ اللهِ ﷺ والمُؤمِنينَ. ألا وإنَّها لم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعدي. ألا وإنَّها حَلَّتْ لي ساعةً من نَهارٍ. ألا وإنَّها ساعتي هذه حَرامٌ : لا يُختَلى

شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ)). فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: ((اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)).

[طرفاه في : ٢٤٣٤، ٦٨٨٠].

सुन लो कि वो इस वक़्त हराम है। न इसका कोई कांटा तोड़ा जाए, न इसके पेड़ काटे जाएँ और इसकी गिरी–पड़ी चीज़ें भी वही उठाए जिसका मंशा यह हो कि वो उस शै का तआरुफ़ करा देगा। तो अगर कोई शख़्स मारा जाए तो (उसके अ़ज़ीज़ों को) इख़्तियार है दो बातों का, या तो दियत लें या बदला। इतने में एक यमनी आदमी (अबू शाह नामी) आया और कहने लगा (यह मसाइल) लिख दो तो एक क़ुरैशी शख़्स ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मगर इज़ख़र (यानी इज़ख़र काटने की इजाज़त दे दीजिए) क्योंकि उसे हम घरों की छतों पर डालते हैं। (या मिट्टी मिलाकर) और अपनी क़ब्रों में भी डालते हैं (यह सुनकर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि (हाँ) मगर इज़ख़र, मगर इज़ख़र। (दीगर मक़ाम : 2434, 2880)

यानी उसके उखाड़ने की इजाज़त है। आँहज़रत (ﷺ) ने यमनी साइल की दरख़्वास्त पर ये सारे मसाइल उसके लिये क़लमबन्द करवा दिये। जिससे मा'लूम हुआ कि तदवीने अहादीष़ व किताबते अहादीष़ की बुनियाद ख़ुद ज़मान–ए–नबवी (ﷺ) से शुरू हो चुकी थी, जिसे हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के ज़माने में निहायत एहतिमाम के साथ तरक़्क़ी दी गई। पस जो लोग अहादीष़े नबवी (ﷺ) में ऐसे शुकूक व शुब्हात पैदा करते और ज़ख़ीर–ए–अहादीष़ को कुछ अ़जिमयों की गढ़ी हुई बताते हैं, वो बिलकुल झूठे कज़्ज़ाब और मुफ़्तरी बल्कि दुश्मने इस्लाम हैं, उनकी ख़ुराफ़ात पर हर्गिज़ कान न धरना चाहिए। जिस सूरत में क़त्ल का लफ़्ज़ माना जाए तो मतलब ये होगा कि अल्लाह पाक ने मक्का वालों को क़त्ल से बचा लिया। बल्कि क़त्ल व ग़ारत को यहाँ हराम क़रार दे दिया। और लफ़्ज़ फ़ील की सूरत में उस क़िस्से की तरफ़ इशारा है जो क़ुर्आन पाक की सूरह फ़ील मे मज़्कूर है कि आँहज़रत (ﷺ) के विलादत वाले साल में हब्श का बादशाह अब्रहा नामी बहुत से हाथी लेकर ख़ाना कअ़बा को गिराने आया था मगर अल्लाह पाक ने रास्ते ही में उनको अबाबील परिन्दों की कंकरियों के ज़रिये हलाक कर डाला।

١١٣– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(113) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे अ़म्र ने, वो कहते हैं कि मुझे वहब बिन मुनब्बा ने अपने भाई के वास्ते से ख़बर दी, वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को यह कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के स़हाबा में अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीष़ बयान करने वाला न था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से मअ़मर ने वहब बिन मुनब्बा की मुताबअ़त की, वो हमाम से रिवायत करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से।

इससे और ज़्यादा वज़ाहत हो गई कि ज़मान–ए–नबवी (ﷺ) में अहादीष़ को भी लिखने का तरीक़ा जारी हो चुका था। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) ये समझे कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र ने मुझसे ज़्यादा अहादीष़ रिवायत की होंगी, मगर बाद की तहक़ीक़ से मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) की मरवियात पाँच हज़ार से ज़ाइद अहादीष़ (5376 अहादीष़) हैं। जबकि अ़ब्दुल्लाह

बिन अ़म्र की मरवियात सात सौ (700) से ज़ाइद नहीं हैं। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) को ये इल्मी मर्तबा आँह़ज़रत (ﷺ) की दुआ के स़दक़े में मिला था।

(114) हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे इब्ने वहब ने, उन्हें यूनुस से इब्ने शिहाब से ख़बर दी, वो उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह से, वो इब्ने अ़ब्बास से रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) के मर्ज़ में शिद्दत हो गई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे पास सामाने किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिये एक तहरीर लिखवा दूँ, ताकि बाद में तुम गुमराह न हो सको, इस पर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने (लोगों से) कहा कि इस वक़्त आप (ﷺ) पर तकलीफ़ का ग़लबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब क़ुर्आन मौजूद है जो हमें (हिदायत के लिये) काफ़ी है। इस पर लोगों की राय मुख़्तलिफ़ हो गई और शोरो–ग़ुल ज़्यादा होने लगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया मेरे पास से उठ खड़े हों, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं, इस पर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) यह कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत, बड़ी सख़्त मुसीबत है (वो चीज़ जो) हमारे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के और आपकी तहरीर के बीच हाइल हो गई।

(दीगर मक़ाम : 3053, 3168, 4431, 4432, 5669, 7366)

١١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ: ((ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ)) قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ. قَالَ: ((قُومُوا عَنِّي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ)). فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ.

[أطرافه في : ٣٠٥٣، ٣١٦٨، ٤٤٣١، ٤٤٣٢، ٥٦٦٩، ٧٣٦٦].

तशरीह : ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) ने अज़ राहे शफ़क़त आँह़ज़रत (ﷺ) की सख़्ततरीन तकलीफ़ देखकर ये राय दी थी कि ऐसी तकलीफ़ के वक़्त आप तह़रीर की तकलीफ़ क्यूँ फ़र्माते हैं। हमारी हिदायत के लिये क़ुर्आन मजीद काफ़ी है। फिर आँह़ज़रत (ﷺ) ने भी इस राय पर सुकूत फ़र्माया और इस वाक़िये के बाद चार रोज़ आप ज़िन्दा रहे मगर आप (ﷺ) ने दोबारा इस ख़्याल का इज़्हार नहीं फ़र्माया। अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, **'व क़द कान उमरु अफ़्क़हु मिन इब्नि अ़ब्बासिन हैषु इक्तफ़ा बिल्क़ुर्आनि अला अन्नहू यहतमिलु अंय्यकून (ﷺ) कान ज़हर लहू हीनहुम बिल किताबि इन्नहू मस्लहतन षुम्म ज़हर लहू औ ऊहिय इलैहि बअ़द अन्नलमस्लहत फ़ी तर्किही व लौ कान वाजिबन लम यतरूकहू अ लिइख़्तिलाफ़िहिम लिअन्नहू लम यतरूकित्तक्लीफ़ बिमुख़ालफ़ति मन ख़ालफ़ व क़द आश बअ़द ज़ालिक अय्यामन वलम युआविद अम्रहुम बिज़ालिक'** ख़ुलास़ा इस इबारत का ये है कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) से बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने क़ुर्आन को काफ़ी जाना। आँह़ज़रत (ﷺ) ने मस्लह़तन ये इरादा ज़ाहिर फ़र्माया था मगर बाद में उसका छोड़ना बेहतर मा'लूम हुआ। अगर ये हुक्म वाजिब होता तो आप लोगों के इख़्तिलाफ़ की वजह से उसे तर्क न फ़र्माते। आप (ﷺ) उस वाक़िये के बाद कई रोज़ ज़िन्दा रहे मगर फिर आप (ﷺ) ने उसका इआ़दा नहीं फ़र्माया। स़ह़ीह़ बुख़ारी में ये ह़दीष़ सात त़रीक़ों से मज़्कूर हुई है।

बाब 41 : इस बयान में कि रात को ता'लीम देना और वाज़ करना जाइज़ है

٤١- باب العِلْمِ والعِظَةِ باللَّيلِ

(115) सदक़ह ने हमसे बयान किया, उन्हें इब्ने उ़ययना ने

١١٥- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ

मअमर के वास्ते से ख़बर दी, वो ज़ुहरी से रिवायत करते हैं, ज़ुहरी हिन्द से, वो उम्मे सलमा (रज़ि.) से, (दूसरी सनद में) अम्र और यह्या बिन सईद ज़ुहरी से, वो एक औरत से, वो उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत करती हैं कि एक रात नबी करीम (ﷺ) ने जागते ही फ़र्माया कि सुब्हानल्लाह! आज की रात किस क़दर फ़ित्ने उतारे गए हैं और कितने ही ख़ज़ाने भी खोले गए हैं। इन हुज्रे वालियों को जगाओ क्योंकि बहुत सी औरतें (जो) दुनिया में (बारीक) कपड़ा पहनने वाली हैं वो आख़िरत में नंगी होंगी।

(दीगर मक़ाम : 1126, 3599, 5844, 6218, 7069)

أمّ سَلَمَةَ. وَعَمْرٌو وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ مَا ذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ. أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ)).

[أطرافه في : ١١٢٦، ٣٥٩٩، ٥٨٤٤، ٦٢١٨، ٧٠٦٩].

तश्रीह : मत़लब ये है कि नेक बन्दों के लिये अल्लाह की रहमतों के ख़ज़ाने नाज़िल हुए और बदकारों पर उसका अज़ाब भी उतरा। पस बहुत सी औरतें जो ऐसे बारीक कपड़े इस्तेमाल करती हैं जिनसे बदन नज़र आए, आख़िरत में उन्हें रुस्वा किया जाएगा। इस ह़दीष़ से रात में वअ़ज़ व नसीहत करना षाबित होता है, पस मुताबक़ते ह़दीष़ के तर्जुमे से ज़ाहिर है (फ़त्हुल बारी) औरतों के लिये ह़द से ज़्यादा बारीक कपड़ों का इस्तेमाल जिनसे बदन नज़र आए क़त्अन ह़राम है। मगर आजकल ज़्यादातर यही लिबास चल पड़ा है जो क़यामत की निशानियों में से है।

बाब 42 : इस बारे में कि सोने से पहले रात के वक़्त इल्मी बातें करना जाइज़ है

٤٢- بَابُ السَّمَرِ بِالْعِلْمِ

(116) सईद बिन उफ़ैर ने हमसे बयान किया, उनसे लैष़ ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन ख़ालिद बिन मुसाफ़िर ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने सालिम और अबूबक्र बिन सुलैमान बिन अबी ह़ष़मा से रिवायत किया कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आख़िर उ़म्र में (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप (ﷺ) ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फ़र्माया तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से सौ बरस के आख़िर तक कोई शख़्स जो ज़मीन पर है वो बाक़ी नहीं रहेगा।

(दीगर मक़ाम : 564, 601)

١١٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ)).

[أطرافه في : ٥٦٤، ٦٠١].

तश्रीह : मत़लब ये है कि आ़म त़ौर पर इस उम्मत की उ़म्रें सौ बरस से ज़्यादा न होंगी, या ये कि आज की रात में जिस क़दर इंसान ज़िन्दा हैं सौ साल के आख़िर तक ये सब ख़त्म हो जाएँगे। उस रात के बाद जो नस्लें पैदा होंगी उनकी ज़िंदगी

की नफ़ी मुराद नहीं है। मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक इसका मतलब यही है और यही ज़ाहिर लफ़्ज़ों से समझ में आता है। चुनाँचे सबसे आख़िरी स़हाबी अबू तुफ़ैल आ़मिर बिन वाष़ला का ठीक सौ बरस बाद 110 बरस की उम्र में इंतिक़ाल हुआ।

समर के मा'नी रात को सोने से पहले बातचीत करना मुराद है। पहले बाब में मुत़्लक़ रात को वअ़ज़ करने का ज़िक्र था और इसमें ख़ास़ सोने से पहले इल्मी बातों का ज़िक्र है। इसी से वो फ़र्क़ ज़ाहिर हो गया जो पहले बाब में और इसमें है (फ़त्हुल बारी)

मक़्स़द ये है कि दर्स व तदरीस, वअ़ज़ व तज़्कीर, बवक़्ते ज़रूरत दिन और रात के हर ह़िस़्से में जाइज़ और दुरुस्त है। ख़ुसूसन त़लबा के लिये रात का पढ़ना दिल व दिमाग़ पर नक़्श हो जाता है। इस ह़दीष़ से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) ने दलील पकड़ी है कि ह़ज़रत ख़िज़्र (अ़लैहिस्सलाम) की ज़िंदगी का ख़याल स़हीह़ नहीं। अगर वो ज़िंदा होते तो आँह़ज़रत (ﷺ) से ज़रूर मुलाक़ात करते। कुछ उ़लमा उनकी ह़यात के क़ाइल हैं। वल्लाहु आलम बिस़्स़वाब।

(117) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको शुअ़बा ने ख़बर दी, उनको ह़कम ने कहा कि मैंने सईद बिन जुबैर से सुना, वो ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि एक रात मैंने अपनी ख़ाला मैमूना बिन्ते अल हारिष़ (रज़ि.) जोज़–ए–नबी करीम (ﷺ) के पास गुज़ारी और नबी करीम (ﷺ) (उस दिन) उनकी रात में उन्हीं के घर थे। आप (ﷺ) ने इशा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ी। फिर घर तशरीफ़ लाए और चार रकअ़त (नमाज़े नफ़्ल) पढ़कर आप (ﷺ) सो गए, फिर उठे और फ़र्माया कि (अभी तक यह) लड़का सो रहा है या इसी जैसा लफ़्ज़ कहा। फिर आप (ﷺ) (नमाज़ पढ़ने) खड़े हो गए और मैं (भी वुज़ू करके) आपकी बाएँ जानिब खड़ा हो गया। तो आप (ﷺ) ने मुझे दाएँ जानिब (खड़ा) कर लिया, तब आप (ﷺ) ने पाँच रकअ़त पढ़ीं। फिर दो पढ़ीं, फिर आप (ﷺ) सो गए। यहाँ तक कि मैंने आप (ﷺ) के ख़र्राटे की आवाज़ सुनी, फिर आप (ﷺ) खड़े होकर नमाज़ के लिये (बाहर) तशरीफ़ ले आए।

(दीगर मक़ाम : 138, 183, 697, 698, 699, 726, 728, 859, 9924, 1198, 4569, 4570, 4571, 4572, 5919, 6215, 6316, 7452)

١١٧ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ. ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: ((نَامَ الْغُلَيِّمُ)) – أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا– ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ – أَوْ خَطِيطَهُ – ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ.

[أطرافه في : ١٣٨، ١٨٣، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٢٦، ٧٢٨، ٨٥٩، ٩٩٢٤، ١١٩٨، ٤٥٦٩، ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢، ٥٩١٩، ٦٢١٥، ٦٣١٦، ٧٤٥٢].

तश्रीह : किताबुत् तफ़्सीर में भी इमाम बुख़ारी (रह़) ने ये ह़दीष़ एक दूसरी सनद से नक़ल की है। वहाँ ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ देर ह़ज़रत मैमूना (रज़ि) से बातें कीं और फिर सो गये, इस जुम्ले से इस ह़दीष़ की बाब से मुत़ाबक़त स़हीह़ हो जाती है। यानी सोने से पहले रात को इल्मी बातचीत करना जाइज़ दुरुस्त है।

बाब 43 : इल्म को महफ़ूज़ रखने के बयान में

٤٣– باب حِفْظِ الْعِلْمِ

(118) अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने हमसे बयान किया, उनसे मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से नक़ल किया, उन्होंने अअ़रज से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) बहुत हदीष़ें बयान करते हैं और (मैं कहता हूँ) क़ुर्आन में दो आयतें न होती तो मैं कोई ह़दीष़ बयान न करता। फिर यह आयत पढ़ी, (जिसका तर्जुमा यह है) कि जो लोग अल्लाह की नाज़िल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं (आख़िर आयत) ... रहीम तक। (वाक़िआ यह है कि) हमारे मुहाजिरीन भाई तो बाजार की ख़रीदो—फ़रोख़्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशग़ूल रहते और अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह के साथ जी भरकर रहता (ताकि आपकी रफ़ाक़त में पेट भरने से भी बेफ़िक्री रहे) और (उन मजलिसों में) हाज़िर रहता जिन (मजलिसों) में दूसरे हाज़िर न होते और वो (बातें) महफ़ूज़ रखता जो दूसरे महफ़ूज़ नहीं रख सकते थे।

(दीगर मक़ाम : 119, 2047, 2350, 3648, 7354)

١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ. وَلَوْ لاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيْثًا. ثُمَّ يَتْلُو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ - إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الرَّحِيمُ﴾. إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِهِ، وَيَحْضُرُ مَا لاَ يَحْضُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لاَ يَحْفَظُونَ.

[أطرافه في : ١١٩، ٢٠٤٧، ٢٣٥٠، ٣٦٤٨، ٧٣٥٤].

'वल मअ़ना अन्नहू कान युलाज़िमु कानिअ़म्बिल्क़ूति वला यत्तजिरू व ला यज़्रउ' (क़स्तलानी) यानी खाने के लिये जो मिल जाता उसी पर क़नाअ़त (सब्र) करते हुए वो हुज़ूर (ﷺ) के साथ चिमटते रहते थे, न खेती करते और न ही तिजारत। इल्मे ह़दीष़ में इसीलिये आपको फ़ौक़ियत (श्रेष्ठता) ह़ासिल हुई। कुछ लोगों ने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) को ग़ैर फ़क़ीह लिखा और क़यास के मुक़ाबले पर उनकी रिवायत को मरजूह क़रार दिया है। मगर ये सरासर ग़लत और एक जलीलुल क़द्र स़ह़ाबी—ए—रसूल (ﷺ) के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसा लिखने वाले ख़ुद नासमझ हैं।

(119) हमसे अबू मुस़अ़ब अह़मद बिन अबी बक्र ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन दीनार ने इब्ने अबी ज़िब के वास्ते से बयान किया, वो सईद अल मक़बरी से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैंने (अबू हुरैरह ने) कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आप (ﷺ) से बहुत बातें सुनता हूँ, मगर भूल जाता हूँ। आपने फ़र्माया अपनी चादर फैलाओ, मैंने अपनी चादर फैलाई, आप (ﷺ) ने अपने दोनों हाथों की चुल्लू बनाई और (मेरी चादर में डाल दी) फ़र्माया कि (चादर को) लपेट लो। मैंने चादर को (अपने बदन पर) लपेट लिया, फिर (इसके बाद) मैं कोई चीज़ नहीं भूला। हमसे इब्राहीम बिन अल मुंज़िर ने बयान

١١٩- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيْرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: ((ابْسُطْ رِدَاءَكَ)). فَبَسَطْتُهُ. قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((ضُمَّهُ))، فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا

किया, उनसे इब्ने अबी फ़ुदैक ने उसी त़रह बयान किया कि (यूँ) फ़र्माया कि अपने हाथ से एक चुल्लू इस (चादर) में डाल दी।

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَذَا. أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ.

आपकी इस दुआ का ये अष़र हुआ कि बाद में ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) ह़िफ़्ज़े ह़दीष़ के मैदान में सबसे सबक़त ले गये और अल्लाह ने उनको दीन और दुनिया दोनों से ख़ूब ही नवाज़ा। चादर में आँह़ज़रत (ﷺ) का चुल्लू डालना नेक फ़ाली (शुभ शगुन) थी।

(120) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उनसे उनके भाई (अ़ब्दुल हमीद) ने इब्ने अबी ज़िब से नक़्ल किया। वो सईद अल मक़्बरी से रिवायत करते हैं, वो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो फ़र्माते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (इल्म के) दो बर्तन याद कर लिये हैं, एक को मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊँ तो मेरा नरख़रा काट दिया जाए। इमाम बुख़ारी (रह.) ने फ़र्माया कि बलऊ़म से मुराद वो नरख़रा (नली) है, जिससे खाना (पेट में) उतरता है।

١٢٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ. قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُلْعُومُ مَجْرَى الطَّعَامِ.

तशरीह : इसी त़रह जौहरी और इब्ने अष़ीर ने बयान किया है। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) के इस इर्शाद का मत़लब मुह़क़्क़िक़ीन उ़लमा के नज़दीक ये है कि दूसरे बर्तन से मुराद ऐसी ह़दीष़ें हैं। जिनमें ज़ालिम व जाबिर ह़ाकिमों के ह़क़ में वईदें (चेतावनियाँ) आई हैं और फ़ित्नों की ख़बरें हैं। ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) ने कभी इशारे के त़ौर पर उन बातों का ज़िक्र कर भी दिया था। **जैसा कि कहा कि मैं 60 हिजरी की शर से और छोकरों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। इसी सन में यज़ीद की हुकूमत हुई और उम्मत में कितने ही फ़ित्ने बरपा हुए।** ये ह़दीष़ भी ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) ने उसी ज़माने में बयान की, जब फ़ित्नों का आग़ाज़ हो गया था और मुसलमानों की जमाअ़त में इंतिशार पैदा हो चला था, इसीलिये ये कहा कि इन ह़दीष़ों के बयान करने से जान का ख़त़रा है, लिहाज़ा मैंने मस्लह़तन ख़ामोशी इख़्तियार कर ली है।

बाब 44 : इस बारे में कि आ़लिमों की बात ख़ामोशी से सुनना ज़रूरी है

٤٤- بَابُ الإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

(121) हमसे हज्जाज ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे अ़ली बिन मुदरक ने अबू ज़ुरआ़ से ख़बर दी, वो ज़ुरैर (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उनसे हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर फ़र्माया कि लोगों को बिलकुल ख़ामोश कर दो (ताकि वो ख़ूब सुन लें) फिर फ़र्माया, लोगों! मेरे बाद फिर काफ़िर मत बन जाना कि एक—दूसरे की गर्दन मारने लगो।

(दीगर मक़ाम : 4405, 6869, 7080)

١٢١- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ : لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

[أطرافه في: ٤٤٠٥، ٦٨٦٩، ٧٠٨٠].

तश्रीह : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नसीहतें फ़र्माने से पहले जरीर को हुक्म दिया कि लोगों को तवज्जह से बात सुनने के लिये ख़ामोश करें, बाब का मक़्सद यही है कि शागिर्द का फ़र्ज़ है उस्ताद की तक़रीर ख़ामोशी और तवज्जह के साथ सुने। हज़रत जरीर (रज़ि) 10 हिजरी में हज्जतुल विदाअ से पहले मुसलमान हो चुके थे, काफ़िर बन जाने से मुराद काफ़िरों जैसे काम करना मुराद है क्योंकि नाहक़ ख़ूँरेज़ी करना मुसलमान का शैवा नहीं। मगर सद अफ़सोस! कि थोड़े ही दिनों के बाद उम्मत में फ़ित्ने फ़साद शुरू हो गये जो आज तक जारी हैं। उम्मत में सबसे बड़ा फ़ित्ना अइम्मा की महज़ तक़्लीद के नाम पर इफ़्तिराक़ व इंतिशार पैदा करना है। मुक़ल्लिदीन ज़ुबान से चारों इमामों को बरहक़ कहते हैं। मगर फिर भी आपस में इस तरह लड़ते झगड़ते हैं गोया उन सबका दीन जुदा–जुदा है। तक़्लीदे जामिद से बचने वालों को ग़ैर मुक़ल्लिद ला मज़हब के नामों से याद करते हैं और उनकी तहक़ीर व तौहीन करना कारे षवाब जानते हैं। व इलल्लाहिल् मुश्तका।

इक़बाल मरहूम ने सच फ़र्माया है :

अगर तक़्लीद बूदे शैवा ख़ूब
पैग़म्बर हम रह अज्दाद रफ़्ते

यानी तक़्लीद का शैवा अगर अच्छा होता तो पैग़म्बर (ﷺ) अपने बाप दादा की राह पर चलते मगर आपने इस रविश की मज़म्मत फ़र्माई।

बाब 45 : इस बयान में कि जब किसी आलिम से पूछा जाए कि लोगों में कौन सबसे ज़्यादा इल्म रखता है? तो बेहतर यह है कि अल्लाह के हवाले कर दे यानी यह कह दे कि अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है या यह कि अल्लाह ही जानता है कि सबसे बड़ा आलिम कौन है

٤٥- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

(122) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अल मुस्नदी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे अ़म्र ने, उन्हें सईद बिन जुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी, वो कहते हैं कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से कहा कि नोफ़ बक्काली का ये ख़्याल है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम (जो ख़िज़्र अ़लैहि. के पास गय थे वो) मूसा (अ़लैहि.) बनी इस्राईल से न थे बल्कि दूसरे मूसा थे, (यह सुनकर) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल किया कि (एक रोज़) मूसा (अ़लैहि.) ने खड़े होकर बनी इस्राईल में ख़ुत्बा दिया, तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिबे इल्म कौन है? उन्होंने फ़र्माया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का ग़ुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ़ वह्य भेजी कि मेरे बन्दों में से एक बन्दा दरयाओं के

١٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ، فَسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا

संगम पर है। (जहाँ फ़ारस और रूम के समुन्दर मिलते हैं) वो तुझसे ज़्यादा आलिम है, मूसा (अलैहि.) ने कहा, ऐ परवरदिगार! मेरी उनसे मुलाक़ात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम उस मछली को गुम कर दोगे तो वो बन्दा तुम्हें (वहीं) मिलेगा। तब मूसा (अलैहि.) चले और साथ अपने ख़ादिम यूशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली, जब एक पत्थर के सामने पहुँचे, दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती हुई चली गई और यह बात मूसा (अलैहि.) और उनके साथी के लिये बेहद तअ़ज्जुब की थी, फिर दोनों बाक़ी रात और दिन में (जितना वक़्त बाक़ी था) चलते रहे, जब सुबह हुई मूसा (अलैहि.) ने ख़ादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ इस सफ़र में हमने (काफ़ी) तकलीफ़ उठाई है और मूसा (अलैहि.) बिलकुल नहीं थके थे, मगर जब उस जगह से आगे निकल गए, जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके ख़ादिम ने कहा, क्या आपने देखा था जब हम सख़रा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का ज़िक्र भूल गया, (बक़ौल बाज़ सख़रा के नीचे आबे हयात था, वो उस मछली पर पड़ा, और वो ज़िन्दा होकर बक़ुदरते इलाही दरिया में चल दी) (ये सुनकर) मूसा (अलैहि.) बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी, तो वो पिछले पांव वापस हो गए, जब पत्थर तक पहुँचे तो देखा कि एक शख़्स कपड़ा ओढ़े हुए (मौजूद है) मूसा (अलैहि.) ने उन्हें सलाम किया, ख़िज़्र ने कहा कि तुम्हारी सरज़मीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा (अलैहि.) ने कहा कि मैं मूसा हूँ, ख़िज़्र बोले कि बनी इस्राईल के मूसा? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो अल्लाह ने ख़ास आप ही को सिखलाई है। ख़िज़्र (अलैहि.) बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ऐ मूसा (अलैहि.)! मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते और तुमको जो इल्म दिया मैं उसको नहीं जानता। (इस पर) मूसा (अलैहि.) ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आप की नाफ़र्मानी नहीं

مِنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ لِيْ بِهِ؟ فَقِيْلَ لَهُ: احْمِلْ حُوْتًا فِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُوْنٍ، وَحَمَلاَ حُوْتًا فِي مِكْتَلٍ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا، فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ أُمِرَ بِهِ. فَقَالَ فَتَاهُ: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ﴾ قَالَ مُوسَى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ - أَوْ قَالَ : تَسَجَّى بِثَوْبِهِ - فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ، وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى. فَقَالَ : مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ ﴾ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ. قَالَ: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي

लَكَ أَمْرًا. فَانْطَلَقَا﴾ يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ. فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ. فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا! قَالَ: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ قَالَ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا. ﴿فَانْطَلَقَا﴾، فَإِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟﴾ (قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْكَدُ) ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾، قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا؟ قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ

करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे–किनारे पैदल चले, उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुज़री, तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। ख़िज्र को उन्होंने पहचान लिया और बग़ैर किराए के सवार कर लिया, इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई, फिर समुन्दर में उसने एक या दो चोंचें मारीं (उसे देखकर) ख़िज्र बोले कि ऐ मूसा! मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से उतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर (के पानी) से फिर ख़िज्र (अलैहि.) ने कश्ती के तख़्तों में से एक तख़्ता निकाल डाला, मूसा (अलैहि.) ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराए के बग़ैर (मुफ़्त में) सवार कर लिया और आपने कश्ती (की लकड़ी) उखाड़ डाली ताकि यह डूब जाएँ, ख़िज्र बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? (इस पर) मूसा (अलैहि.) ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ़्त न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूलकर यह पहला ए'तिराज़ किया था। फिर दोनों चले (कश्ती से उतरकर) एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था, ख़िज्र (अलैहि.) ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा (अलैहि.) बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बग़ैर किसी जानी हक़ के मार डाला (ग़ज़ब हो गया) ख़िज्र (अलैहि.) बोले कि मैं ने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने उयैयना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है (क्योंकि पहले कलाम में लफ़्ज़ लक नहीं कहा था, इसमें लक ज़ाइद किया, जिससे ताकीद ज़ाहिर है) फिर दोनों चलते रहे। यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास आए, उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खिलाने से मना कर दिया उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के क़रीब थी। ख़िज्र (अलैहि.) ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा (अलैहि.) बोल उठे कि अगर आप चाहते तो (गांववालों से) इस काम की मज़दूरी ले सकते थे। ख़िज्र (अलैहि.) ने कहा कि (बस अब) हम और तुम में जुदाई का वक़्त आ गया है। जनाब महबूबे किब्रिया रसूलल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि अल्लाह मूसा (अलैहि.) पर रहम करे, हमारी तमन्ना थी कि मूसा (अलैहि.) कुछ

صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِطُولِهِ.

[راجع: ٧٤]

देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़िआत इन दोनों के बयान किए जाते (और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा (अलैहि.) की उज्लत ने उस इल्मे दीनी के सिलसिले में जल्दी ही मुनक़तअ करा दिया) मुहम्मद बिन यूसुफ़ कहते हैं कि हमसे अली बिन ख़श्रम ने यह हदीष बयान की, उनसे सुफ़यान बिन उयैयना ने पूरी की पूरी बयान की। (राजेअ : 74)

तश्रीह : नौफ़ बक्काली ताबेईन में से थे, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) ने ग़ुस्से की हालत में उनको अल्लाह का दुश्मन कह दिया क्योंकि उन्होंने साहिबे ख़िज़्र मूसा बिन मैशा को कह दिया था जो कि यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के पोते हैं हालाँकि ये वाक़िया हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) साहब बनी इस्राईल ही का है। इससे मा'लूम हुआ कि क़ुर्आन शरीफ़ व हदीष के ख़िलाफ़ राय व क़यास पर चलने वालों पर ऐसा इताब (ग़ुस्सा) जाइज़ है।

हज़रत ख़िज़्र नबी हों या वली मगर हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) से अफ़ज़ल नहीं हो सकते। मगर हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) का ये कहना कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ अल्लाह तआला को नागवार हुआ और उनका मुक़ाबला ऐसे बन्दे से कराया जो उनसे दर्जे में कम थे, ताकि वो आइन्दा ऐसा दा'वा न करें, हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जब हज़रत ख़िज़्र को सलाम किया, तो उन्होंने वअलैयकुम अस्सलाम कहकर जवाब दिया, साथ ही वो घबराये भी कि ये सलाम करने वाले साहब कहाँ से आ गये। इससे मा'लूम हुआ कि हज़रत ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) को भी ग़ैब का इल्म न था, लिहाज़ा जो लोग अम्बिया व औलिया के लिये ग़ैबदानी का अक़ीदा रखते हैं वो झूठे हैं। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) का इल्म ज़ाहिर शरीअत था और हज़रत ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) मसालेहे शरइया के इल्म के साथ ख़ास हुक्मों पर मामूर थे। इसीलिये हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को उनके काम बज़ाहिर ख़िलाफ़े शरीअत मा'लूम हुए, हालाँकि वो ख़िलाफ़े शरीअत न थे। कश्ती से एक तख़्ते का निकालना इस मस्लिहत के तहत था कि पीछे से एक ज़ालिम बादशाह कश्तियों को बेगार मे पकड़ने के लिये चला आ रहा था, उसने इस कश्ती को ऐबदार देखकर छोड़ दिया। जब वो गुज़र गया तो हज़रत ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) ने फिर उसे जोड़ दिया, बच्चे का क़त्ल इसलिये किया कि हज़रत ख़िज़्र को वह्य-ए-इलाही ने बतला दिया था कि ये बच्चा आइन्दा चलकर अपने वालिदैन के लिये सख़्त मुज़िर (नुक़्सान पहुँचाने वाला) होगा, इस मस्लिहत के तहत उसका ख़त्म करना ही मुनासिब जाना। ऐसा क़त्ल शायद उस वक़्त की शरीअत में जाइज़ हो फिर अल्लाह इस बच्चे के वालिदैन को नेक बच्चे अता किये और अच्छा हो गया। दीवार को इसलिये आपने सीधा किया कि दो यतीम बच्चों का बाप इंतिक़ाल के वक़्त अपने उन बच्चों के लिये इस दीवार के नीचे एक ख़ज़ाना दफ़न कर गया। वो दीवार अगर गिर जाती तो लोग यतीमों का ख़ज़ाना लूटकर ले जाते। इस मस्लिहत के तहत आपने फ़ौरन इस दीवार को बिइज़्निल्लाह सीधा कर दिया। हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और ख़िज़्र (अलैहिस्सलाम) के इस वाक़िये से बहुत से फ़वाइद निकलते हैं, जिनकी तफ़सील गहरी नज़र वालों पर वाज़ेह हो सकती है।

٤٦- بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

बाब 46 : इस बारे में कि खड़े होकर किसी आलिम से सवाल करना जो बैठा हुआ हो (जाइज़ है)

١٢٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ - قَالَ : وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَّ

(123) हमसे उषमान ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से बयान किया, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं, वो हज़रत मूसा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है? क्योंकि हममें से कोई ग़ुस्से की वजह से और कोई ग़ैरत की वजह

अन्नहू काना क़ाइमन – फ़क़ाला: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
[أطرافه في: ٢٨١٠، ٣١٢٦، ٧٤٥٨].

से जंग करता है तो आप (ﷺ) ने उसकी तरफ़ सर उठाया, और सर इसीलिये उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था, फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया जो अल्लाह के कलिमे को सरबुलन्द करने के लिये लड़े, वो अल्लाह की राह में (लड़ता) है। (दीगर मक़ाम : 2810, 3126, 7458)

तश्रीह : यानी जब मुसलमान अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिये मैदाने जंग में पहुँचता है और गुस्से के साथ या ग़ैरत के साथ जोश में आकर लड़ता है तो ये सब अल्लाह ही के लिये समझा जाएगा। चूँकि ये सवाल आप (ﷺ) से खड़े हुए शख़्स ने किया था, इसी से तर्जुमे का मक़सद साबित हुआ कि मौक़े के मुताबिक़ खड़े–खड़े भी इल्म हासिल किया जा सकता है। अल्लाह के कलिमे को सरबुलंद करने से क़वानीने इस्लामिया व हुदूदे शरइया का जारी करना मुराद है जो सरासर अदल व इंसाफ़ व बनी नोए–इंसानी की ख़ैर–ख़्वाही पर मब्नी (आधारित) हैं, उनके बरअक्स (विपरीत) सारे क़वानीन इंसानी नस्ल की फ़लाह के ख़िलाफ़ हैं।

٤٧- بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

बाब 47 : इस बयान में कि रम्ये जिमार (यानी हज्ज में पत्थर फेंकने) के वक़्त भी मसला पूछना जाइज़ है

١٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ)) قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. قَالَ: ((انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ)). فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٣]

(124) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी सलमा ने ज़ुहरी के वास्ते से रिवायत किया, उन्हों ने ईसा बिन तलहा से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र से, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को रम्ये जिमार के वक़्त देखा; आप (ﷺ) से पूछा जा रहा था तो एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने रमी से पहले क़ुर्बानी कर ली? आप (ﷺ) ने फ़र्माया (अब) रमी कर लो कुछ हर्ज नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने क़ुर्बानी से पहले सर मुँडा लिया? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (अब) क़ुर्बानी कर लो कुछ हर्ज नहीं। (उस वक़्त) जिस चीज़ के बारे में जो आगे–पीछे हो गई थी, आपसे पूछा गया, आप (ﷺ) ने यही जवाब दिया (अब) कर लो कुछ हर्ज नहीं। (राजेअ़ : 83)

तश्रीह : **(तअ़स्सुब की हद हो गई)** इमाम बुख़ारी (रह) क़द्दस सिर्रुहु का मक़सद ज़ाहिर है कि रम्ये जिमार के वक़्त भी मसाइल दरयाफ़्त करना जाइज़ है। इस मौक़े पर आप (ﷺ) से जो भी सवालात किये गये **अह्दीनु युस्र** के तहत आप (ﷺ) ने तक़्दीम व ताख़ीर को नज़र-अंदाज़ करते हुए फ़र्मा दिया कि जो काम छूट गये हैं उनको अब कर लो, तो कोई हर्ज नहीं है। बात बिलकुल सीधी और साफ़ है मगर तअ़स्सुब का बुरा हो साहिबे अनवारुल बारी को हर जगह यही नज़र आता है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) यहाँ भी महज़ अहनाफ़ की तर्दीद के लिये ऐसा लिख रहे हैं। उनके नाक़िस ख़याल में गोया जामेअ़ सहीह (बुख़ारी) शुरू से आख़िर तक महज़ अहनाफ़ की तर्दीद के लिये लिखी गई है, आपके अल्फ़ाज़ ये हैं :

अहक़र (साहिबे अनवारुल बारी) की राय है कि इमाम बुख़ारी (रह) हस्बे आदत जिस राय को इख़्तियार करते हैं चूँकि बक़ौल हज़रत शाह साहब इसी के मुताबिक़ अहादीष लाते हैं और दूसरी जानिब को नज़र-अंदाज़ कर देते हैं। इसलिये तर्तीबे अफ़्आले हज्ज के सिलसिले में चूँकि वो इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की राय से मुख़ालिफ़ हैं इसलिये अपने ख़याल की

ताईद मे जगह जगह हदीषुल्बाब अफ़आल वला हरज को भी लाए हैं। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 104)

मा'लूम होता है कि साहिबे अनवारुल बारी को हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) के दिल का पूरा हाल मा'लूम है, इसीलिये तो वह उनके ज़मीर पर ये फ़त्वा लगा रहे हैं । इस्लाम की ता'लीम थी कि मुसलमान आपस में हुस्ने ज़न्न (अच्छे गुमान) से काम लिया करें, यहाँ ये सूए ज़न्न (बुरा गुमान) है। अस्तग़्फ़िरुल्लाह आगे साहिबे अनवारुल बारी मज़ीद वज़ाहत फ़र्माते हैं।

आज इसी क़िस्म के तशदुद से हमारे ग़ैर मुक़ल्लिद भाई और हरमैन शरीफ़ेन के नज्दी उलमा अइम्मा हनफ़िया के ख़िलाफ़ महाज़ (मोर्चा) बनाते हैं, हनफ़िया को चिढ़ाने के लिये इमाम बुख़ारी (रह) की इकतरफ़ा अहादीष पेश किया करते हैं। (हवाला मज़्कूर)

साहिबे अनवारुल बारी के इस इल्ज़ाम पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है क़ायदा है, **'अल मरउ यक़ीसु अला नफ़्सिही'** (इंसान दूसरों को भी अपने नफ़्स पर क़यास किया करता है) चूँकि इस तशदुद और चिढ़ाने का मंज़र किताब अनवारुल बारी के बेशतर मक़ामात पर ज़ाहिर व बाहिर है। इसलिये वो दूसरों को भी इसी ऐनक से देखते हैं, हालाँकि वाक़ियात बिलकुल उसके ख़िलाफ़ हैं। मुक़ामे सद शुक्र है कि यहाँ आपने अपनी सबसे मअ़तूब जमाअ़त अहले हदीष को लफ़्ज़ ग़ैर मुक़ल्लिद भाई से तो याद फ़र्माया। अल्लाह करे कि ग़ैर मुक़ल्लिदो को ये भाई बनाना बिरादराने यूसुफ़ की नक़ल न हो और हमारा तो यक़ीन है कि ऐसा हर्गिज़ न होगा। अल्लाह पाक हम सबको नामूसे इस्लाम की हिफ़ाज़त के लिये आपसी इत्तिफ़ाक़ अ़ता फ़र्माए। सहवन ऐसे मौक़ा पर इतनी तक़्दीम व ताख़ीर मुआ़फ़ है। हदीष का यही मंशा है, हनफ़िया को चिढ़ाना हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) का मंशा नहीं है।

बाब 48 : अल्लाह तआ़ला के इस फ़र्मान की तशरीह में कि तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया है

٤٨- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيْلاً﴾

(125) हमसे क़ैस बिन हफ़्सी ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल वाहिद ने, उनसे अअ़मश सुलैमान बिन मुहरान ने इब्राहीम के वास्ते से बयान किया, उन्हों ने अलक़मा से नक़ल किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से रिवायत किया, वो कहते हैं कि (एक बार) मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना के खंडहरात में चल रहा था और आप (ﷺ) खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे, तो कुछ यहूदियों का (उधर से) गुज़र हुआ, उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछो, उनमें से किसी ने कहा मत पूछो, ऐसा न हो कि वो कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हें नागवार गुज़रे (मगर) उनमें से कुछ ने कहा कि हम ज़रूर पूछेंगे, फिर एक शख़्स ने खड़े होकर कहा, ऐ अबुल क़ासिम! रूह क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने ख़ामोशी इख़्तियार फ़र्माई, मैंने (दिल में) कहा कि आप पर वह्य आ रही है। इसलिये मैं खड़ा हो गया। जब आपसे (वो कैफ़ियत) दूर हो गई तो आप ﷺ ने (क़ुर्आन की यह आयत जो उस वक़्त नाज़िल हुई थी) तिलावत फ़र्माई (ऐ नबी!) तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं। कह दो

١٢٥- حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ - وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ مَعَهُ - فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ، لاَ يَجِيءُ فِيْهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ. فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ. فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ

مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾)) قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. وَمَا أُوتُوا.

[أطرافه في : ٤٧٢١، ٧٢٩٧، ٧٤٥٦، ٧٤٦٢].

कि रूह़ मेरे रब के हुक्म से है। और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है। (इसलिये तुम रूह़ की ह़क़ीक़त नहीं समझ सकते) अअ़मश कहते हैं कि हमारी क़िरात में वमा ऊतू है। वमा (ऊतीतुम) नहीं।

(दीगर मक़ाम : 4721, 7297, 7456, 7662)

तश्रीह़ : चूँकि तौरात में भी रूह़ के बारे में यही बयान किया गया है कि वो अल्लाह की त़रफ़ से एक चीज़ है, इसलिये यहूदी मा'लूम करना चाहते थे कि उनकी ता'लीम भी तौरात के मुताबिक़ है या नहीं? या रूह़ के सिलसिले में ये भी मुलाहिदे व फ़लसफ़े की त़रह़ दूर अज़ कार बातें कहते हैं। कुछ रिवायात से मा'लूम होता है कि ये सवाल आपसे मक्का शरीफ़ में भी किया गया था, फिर मदीना के यहूदी ने भी उसे दोहराया। अहले सुन्नत के नज़दीक रूह़ जिस्मे लत़ीफ़ है जो बदन में इसी त़रह़ सरायत किये हुए है, जिस त़रह़ गुलाब की ख़ुश्बू उसके फूल में समाई हुई होती है। रूह़ के बारे में सत्तर अक़्वाल हैं ह़ाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह़) ने किताबुर् रूह़ में उन पर ख़ूब रोशनी डाली है। वाक़िया यही है कि रूह़ ख़ालिस़ एक लत़ीफ़ शै है, इसलिये हम अपनी मौजूदा ज़िंदगी में जो कषाफ़त से भरपूर है किसी त़रह़ रूह़ की ह़क़ीक़त से वाक़िफ़ नहीं हो सकते, अकाबिर अहले सुन्नत की यही राय है कि अदब का तक़ाज़ा यही है कि रूह़ के बारे में सुकूत इख़्तियार किया जाए, कुछ उ़लमा की राय है कि मिन अम्रि रब्बी से मुराद रूह़ का आ़लमे अम्र से होना है जो आ़लमे मल्कूत है, जम्हूर का इत्तिफ़ाक़ है कि रूह़ ह़ादिष़ है जिस त़रह़ दूसरे तमाम अजज़ा ह़ादिष़ हैं। ह़ज़रत इमाम क़ुद्दस सिर्रुहु का मंशा—ए—बाब ये है कि कोई शख़्स़ कितना ही बड़ा आ़लिम, फ़ाज़िल, मुह़द्दिष़, मुफ़स्सिर बन जाए मगर फिर भी इंसानी मा'लूमात का सिलसिला मह़दूद (सीमित) है और कोई शख़्स़ नहीं कह सकता कि वो जुम्ला उ़लूम (सारे ज्ञान) पर ह़ावी हो चुका है, इल्ला मन शाअल्लाह!

٤٩– بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

बाब 49 : इस बारे में कि कोई शख़्स कुछ बातों को इस ख़ौफ़ से छोड़ दे कि कहीं लोग अपनी कम फ़हमी की वजह से उससे ज़्यादा सख़्त (यानी नाजाइज़) बातों में मुब्तला न हो जाएँ

١٢٦– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا، فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قُلْتُ : قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا عَائِشَةُ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ – قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِكُفْرٍ – لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ)) مِنْهُ

(126) हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मूसा ने इस्राईल के वास्ते से नक़ल किया, उन्होंने अबू इस्ह़ाक़ से अस्वद के वास्ते से बयान किया, वो कहते हैं कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) तुमसे बहुत बातें छुपाकर कहती थीं, तो क्या तुमसे क़ाबा के बारे में भी कुछ बयान किया, मैंने कहा (हाँ) मुझसे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) इर्शाद फ़र्माया था कि ऐ आ़इशा! अगर तेरी क़ौम (दौरे जाहिलियत के साथ) क़रीब न होती (बल्कि पुरानी हो गई होती) इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा यानी ज़मान—ए—कुफ़्र के साथ (क़रीब न होती) तो मैं क़ाबा को तोड़ देता और उसके लिये दो दरवाज़े बना देता। एक दरवाज़े से लोग दाख़िल होते और दूसरे दरवाज़े से बाहर

فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

निकलते, (बाद में) इब्ने ज़ुबैर ने यह काम किया।

[أطرافه في : ١٥٨٣، ١٥٨٤، ١٥٨٥، ١٥٨٦، ٣٣٦٨، ٤٤٨٤، ٧٢٤٣].

(दीगर मक़ाम : 1583, 1584, 1585, 1586, 3368, 4484, 7243)

तश्रीह : क़ुरैश चूँकि क़रीबी ज़माने में मुसलमान हुए थे, इसीलिये रसूले करीम (ﷺ) ने एहतियातन का'बा की नई ता'मीर को मुल्तवी रखा, हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि) ने ये हदीष़ सुनकर का'बा की दोबारा ता'मीर की और उसमें दो दरवाज़े एक शर्क़ी और एक ग़र्बी जानिब निकाल दिये, लेकिन हज्जाज ने फिर का'बा को तोड़कर उसी शक्ल पर क़ायम कर दिया। जिस पर अहदे जाहिलियत से चला आ रहा था। इस बाब के तहत हदीष़ लाने का हज़रत इमाम का मंशा ये है कि एक बड़ी मस्लिहत की ख़ातिर का'बा का तोड़ना रसूले करीम (ﷺ) ने मुल्तवी फ़र्मा दिया। इससे मा'लूम हुआ कि अगर फ़ित्ना व फ़साद फैल जाने का या इस्लाम और मुसलमानों को नुक़्सान पहुँच जाने का अंदेशा हो तो वहाँ मस्लिहतन किसी मुस्तहब काम को तर्क भी किया जा सकता है। सुन्नते नबवी का मामला अलग है, जब लोग उसे भूल जाएँ तो यक़ीनन इस सुन्नत के ज़िंदा करने वालों को सौ शहीदों का षवाब मिलता है। जिस तरह हिन्दुस्तानी मुसलमान एक मुद्दत से जह्री नमाज़ों में आमीन बिल जहर जैसी सुन्नते नबवी को भूले हुए थे कि अकाबिरे अहले हदीष़ ने नये सिरे से इस सुन्नते नबवी को ज़िन्दा किया और कितने लोगों ने इस सुन्नत को रिवाज देने में बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की, बहुत से नादानों ने इस सुन्नते नबवी का मज़ाक़ उड़ाया और इस पर अमल करने वालों के जानी दुश्मन हो गये, मगर उन बंदगाने मुख़लिसीन ने ऐसे नादानों की बातों को नज़रअंदाज़ करके सुन्नते नबवी (ﷺ) को ज़िन्दा किया, जिसके अष़र में आज अकष़र लोग इस सुन्नत से वाक़िफ़ हो चुके हैं और अब हर जगह उस पर अमल दरआमद किया जा सकता है। पस ऐसी सुन्नतों का मस्लिहतन तर्क करना मुनासिब नहीं है। हदीष़ में आया है, **'मन तमस्सक बिसुन्नती इन्द फ़सादि उम्मती फ़लहू अज्रु मिअति शहीदिन'** जो कोई फ़साद के वक़्त मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ेगा उसको सौ शहीदों का षवाब मिलेगा।

٥٠- بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُوْنَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا

وَقَالَ عَلِيٌّ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ، أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ؟

बाब 50 : इस बारे में कि इल्म की बातें कुछ लोगों को बताना और कुछ लोगों को न बताना इस ख़याल से की उनको समझ में न आएँगी (यह ऐन मुनासिब है क्योंकि) हज़रत अली (रज़ि.) का इर्शाद है कि लोगों से वो बातें करो जिन्हें वो पहचानते हों। क्या तुम्हें यह पसंद है कि लोग अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) को झुठला दें?

तश्रीह : मंशा ये है कि हर शख़्स से इसके फ़हम के मुताबिक़ बात करनी चाहिए, अगर लोगों से ऐसी बात की जाए जो उनकी समझ से बालातर हो तो ज़ाहिर है कि वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की साफ़ सरीह हदीष़ें बयान करो, जो उनकी समझ के मुताबिक़ हों। तफ़्सीलात को अहले इल्म के लिये छोड़ दो।

١٢٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ.

(127) हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने मअरूफ़ के वास्ते से बयान किया, उन्होंने तुफ़ैल से नक़ल किया, उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) से मज़मूने हदीष़ 'हद्दष़ू अलन्नासि बिमा यअरिफ़ून' अल्अख़ बयान किया, तर्जुमा गुज़र चुका है

١٢٨- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ [illegible]امٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

(128) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे मुआज़ बिन हिशाम ने बयान किया, उसने कहा कि मेरे बाप ने क़तादा के वास्ते से नक़ल किया, वो अनस बिन मालिक से

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ - قَالَ: ((يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ (ثَلاَثًا) قَالَ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ)). قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ؟ قَالَ: ((إِذًا يَتَّكِلُوا)). وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

[طرفه في : ١٢٩].

रिवायत करते हैं कि (एक बार) ह़ज़रत मुआज़ बिन जबल रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवारी पर सवार थे, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैं ने कहा, हाज़िर हूँ या रसूलल्लाह! आप (ﷺ) ने (दोबारा) फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैंने कहा, हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! आप (ﷺ) ने (तीन) बार फ़र्माया, ऐ मुआज़! मैंने कहा, हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ), तीन बार ऐसा हुआ। (उसके बाद) आप (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं है और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह तआला उसको (जहन्नम की) आग पर ह़राम कर देता है। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या इस बात से लोगों को बाख़बर न कर दूँ ताकि वो ख़ुश हो जाएँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया (अगर तुम ये ख़बर सुनाओगे) तो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे (और अमल करना छोड़ देंगे) ह़ज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने इंतिक़ाल के वक़्त ह़दीष़ इस ख़याल से बयान कर दी कि कहीं ह़दीष़े रसूल (ﷺ) छुपाने के गुनाह पर उनसे आख़िरत में कोई मुवाख़ज़ा (पकड़) न हो। (दीगर मक़ाम : 129)

١٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ : ((مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) قَالَ : ((أَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: ((لاَ: أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا)). [راجع: ١٢٨]

(129) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे मुअतमिर ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से सुना, उन्होंने ह़ज़रत अनस से सुना, वो कहते हैं कि रसूलल्लाह स. ने एक रोज़ मुआज़ (रज़ि.) से कहा कि जो शख़्स अल्लाह से इस कैफ़ियत के साथ मुलाक़ात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो, वो (यक़ीनन) जन्नत में जाएगा, मुआज़ (रज़ि.) बोले, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं इस बात की लोगों को बशारत न सुना दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया नहीं, मुझे डर है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे। (राजेअ़ : 128)

तश्रीह : और अपनी ग़लतफ़हमी से नेक आमाल में सुस्ती करेंगे। नजाते उख़रवी के अस्लल् (सब नियमों की जड़) उसूल अक़ीद–ए–तौह़ीद व रिसालत का बयान करना आँह़ज़रत (ﷺ) का मक़्सद था, जिनके साथ लाज़िमन आमाले स़ालेह़ा का रब्त है। जिनसे इस अक़ीदे का दुरुस्तगी का षुबूत मिलता है। इसीलिये कुछ रिवायत में कलिम ए तौह़ीद ला इलाहा इल्लल्लाह को जन्नत की कुँजी के लिये दंदानों का होना भी ज़रूरी क़रार दिया गया है। इसी तरह आमाले स़ालेह़ इस कुँजी के दंदाने हैं। बग़ैर दंदाने वाली कुँजी से ताला खोलना मह़ाल है ऐसे ही बग़ैर आमाले स़ालेह़ा के दा'वा–ए–ईमान व दुख़ूले जन्नत नामुम्किन, इसके बाद अल्लाह हर लग़्ज़िश को मुआफ़ करने वाला है।

बाब 51 : इस बयान में कि हुसूले इल्म में शर्माना मुनासिब नहीं है

٥١- بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

मुजाहिद कहते हैं कि मुतकब्बिर और शर्मानेवाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता। उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) का इर्शाद है कि अंसार की औरतें हैं कि शर्म उन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّيْنِ.

मुतकब्बिर अपने तकब्बुर की ह़िमाक़त में मुब्तला है जो किसी से तह़सीले इल्म (इल्म हासिल करने को) अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता है और शर्म करने वाला अपनी कम अक़्ली से ऐसी जगह ह़यादार बन रहा है, जहाँ ह़या व शर्म को कोई मुक़ाम नहीं।

(130) हमसे मुह़म्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू मुआविया ने ख़बर दी, उनसे हिशाम ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा के वास्ते से नक़ल किया, वो (अपनी वालिदा) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत करती हैं कि उम्मे सुलैम (नामी एक औरत) रसूले करीम (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला ह़क़ बात बयान करने से नहीं शर्माता (इसलिये मैं पूछती हूँ कि) क्या एह़तिलाम से औरत पर भी ग़ुस्ल ज़रूरी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (हाँ) जब औरत पानी देख ले। (यानी कपड़े वग़ैरह पर मनी का अष़र मा'लूम हो) तो (यह सुनकर) ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने (शर्म की वजह से) अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या औरत को भी एह़तिलाम होता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों, फिर क्यूँ उसका बच्चा उसकी सूरत में मुशाबेह होता है। (यानी यही उसके एह़तिलाम का षुबूत है)

(दीगर मक़ाम : 282, 3228, 6091, 6121)

١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ)). فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ - تَعْنِي وَجْهَهَا - وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا)).

[أطرافه في : ٢٨٢، ٣٢٢٨، ٦٠٩١، ٦١٢١].

तश्रीह : अंसार की औरतें इन मख़्सूस मसाइल के दरयाफ़्त करने मे किसी क़िस्म की शर्म से काम नहीं लेती थीं, जिनका तअल्लुक़ सिर्फ़ औरतों से है। ये वाक़िया है कि अगर वो रसूलल्लाह (ﷺ) से ऐन मसाइल को वज़ाहत के साथ पूछा न करतीं तो आज मुसलमान औरतों को अपनी ज़िंदगी के इस गोशे के लिये रहनुमाई कहाँ से मिलती, इसी तरह मज़्कूरा ह़दीष में ह़ज़रत उम्मे सुलेम ने निहायत ख़ूबसूरती के साथ पहले अल्लाह तआला की सिफ़त ख़ास बयान की कि वो ह़क़ बात के बयान में नहीं शर्माता, फिर वो मसला दरयाफ़्त किया जो बज़ाहिर शर्म से तअल्लुक़ रखता है, मगर मसला होने की ह़ैषियत में अपनी जगह दरयाफ़्त तलब था, पस पूरी उम्मत पर सबसे पहले रसूलल्लाह (ﷺ) का बड़ा एह़सान है कि आप (ﷺ) ने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी वो बातें खोलकर बयान कर दीं जिन्हें आम तौर पर लोग बेजा शर्म के सहारे बयान नहीं करते और दूसरी तरफ़ सह़ाबिया औरतों की भी ये उम्मत बेह़द

मम्नून है कि उन्होंने आपसे सब मसाइल दरयाफ़्त कर डाले, जिनकी हर औरत को ज़रूरत पेश आती है।

हज़रत ज़ैनब बिन्ते अब्दुल्लाह बिन अल असद मख़्ज़ूमी अपने ज़माने की बड़ी फ़ाज़िला आलिमा ख़ातून थीं, उनकी वालिदा माजिदा उम्मे सलमा (रज़ि) अपने शौहर अब्दुल्लाह की ग़ज़्व-ए-उहुद में वफ़ात के बाद इद्दत गुज़ारने पर आँहज़रत (ﷺ) की ज़ोजियत से मुशर्रफ़ हुईं तो उनकी तर्बियत आप (ﷺ) ही के पास हुई। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि) इस्लाम में पहली ख़ातून हैं जिन्होंने मदीना तय्यिबा को हिज्रत की, उनके शौहर अबू सलमा बद्र में भी शरीक थे, उहुद में ये मजरूह (घायल) हुए और बाद में वफ़ात पाई, जिनके जनाज़े पर आँहज़रत (ﷺ) ने नौ तक्बीरों से नमाज़े जनाज़ा अदा फ़र्माई थी, उस वक़्त उम्मे सलमा हामिला थीं। वज़अे हमल के बाद आँहज़रत (ﷺ) के हरम में उनको शर्फ़ हासिल हुआ। हज़रत उम्मे सुलैम हज़रत अनस की वालिदा मुहतरमा हैं और हज़रत अबू तलहा अंसारी की ज़ोज-ए-मुतह्हरा हैं, इस्लाम में उनका भी बड़ा ऊँचा मुक़ाम है रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन।

(131) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उनसे मालिक ने अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से बयान किया, वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलल्लाह स. ने (एक बार) फ़र्माया कि पेड़ों में से एक पेड़ (ऐसा) है। जिसके पत्ते (कभी) नहीं झड़ते और उसकी मिषाल मुसलमान जैसी है। मुझे बतलाओ वो क्या (दरख़्त) है? तो लोग जंगली दरख़्तों (की सोच) में पड़ गए और मेरे दिल में आया (कि मैं बतलाऊँ) कि वो खजूर (का पेड़) है, अब्दुल्लाह कहते हैं कि फिर मुझे शर्म आ गई (और मैं चुप ही रहा) तब लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह! आप ही (ख़ुद) उसके बारे में बतलाइए, आप स. ने फ़र्माया, वो खजूर है। अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे जी में जो बात थी वो मैंने अपने वालिद (हज़रत उमर रज़ि.) को बतलाई, वो कहने लगे कि अगर तू (उस वक़्त) कह देता तो मेरे लिये ऐसे-ऐसे क़ीमती सरमाया से ज़्यादा महबूब होता। (राजेअ : 31)

١٣١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هِيَ النَّخْلَةُ)). قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي. فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا. [راجع: ٣١]

तश्रीह : इससे पहले भी दूसरे बाब के तहत ये हदीष़ आ चुकी है। यहाँ इसलिये बयान की है कि उसमें शर्म का ज़िक्र है। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) अगर शर्म न करते तो जवाब देने की फ़ज़ीलत उन्हें हासिल हो जाती, जिसकी तरफ़ हज़रत उमर (रज़ि) ने इशारा फ़र्माया कि अगर तुम बतला देते तो मेरे लिये बहुत बड़ी ख़ुशी होती। इस हदीष़ से भी मा'लूम हुआ कि ऐसे मौक़े पर शर्म से काम न लेना चाहिए। इससे औलाद की नेकियों और इल्मी सलाहियतों पर वालदैन का ख़ुश होना भी षाबित हुआ जो एक फ़ित्री अम्र है।

बाब 52 : इस बयान में कि मसाइले शरइय्या मा'लूम करने में जो शख़्स (किसी मा'क़ूल वजह से) शर्माए वो किसी दूसरे आदमी के ज़रिए से मसला मा'लूम कर ले

٥٢- بَابُ مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

(132) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह इब्ने

١٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((فِيهِ الْوُضُوءُ)).

[طرفاه في : ١٧٨، ٢٦٩].

दाऊद ने अअ़मश के वास्ते से बयान किया, उन्होंने मुंज़िर ष़ौरी से नक़ल किया, उन्होंने मुहम्मद इब्ने अल हनफ़िय्या से नक़ल किया, वो ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि मैं ऐसा शख़्स था जिसे ज़िर्यानि मज़ी की शिकायत थी, तो मैंने (अपने शागिर्द) मिक़्दाद को हुक्म दिया कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछे तो उन्होंने आप (ﷺ) से इस बारे में पूछा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि इस (मर्ज़) में ग़ुस्ल नहीं है (हाँ) वुज़ू फ़र्ज़ है।

(दीगर मक़ाम : 178, 269)

तश्रीह : ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपने रिश्त–ए–दामादी की वजह से इस मसले के बारे में शर्म महसूस की मगर मसला मा'लूम करना ज़रूरी था तो दूसरे सह़ाबी के ज़रिये दरयाफ़्त कराया। इसी से बाब का तर्जुमा ष़ाबित होता है।

٥٣- بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

बाब 53 : मस्जिद में इल्मी मुज़ाकरा करना और फ़त्वा देना जाइज़ है

١٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[أطرافه في : ١٥٢٢، ١٥٢٥، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ٧٣٣٤].

(133) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमको लैष़ बिन सअ़द ने ख़बर दी, उनसे नाफ़ेअ़ मौला अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बिन अल ख़त्ताब ने, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत किया कि (एक बार) एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप हमें किस जगह से एह़राम बाँधने का हुक्म देते हैं? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना वाले ज़ुलहुलैफ़ा से एह़राम बाँधें और अहले शाम जुह़फ़ा से और नजद वाले क़र्नें मनाज़िल से। इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, कि लोगों का ख़याल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि यमन वाले यलमलम से एह़राम बाँधें। और इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते थे कि मुझे यह (आख़री जुम्ला) रसूलुल्लाह (ﷺ) से याद नहीं।

(दीगर मक़ाम : 1522, 1525, 1527, 1527, 7334)

तश्रीह : मस्जिद में सवाल किया गया और मस्जिद में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जवाब दिया। उससे ष़ाबित हुआ कि मसाजिद को दारुल ह़दीष़ के लिये इस्ते'माल किया जा सकता है।

٥٤- بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ

बाब 54 : साइल को उसके सवाल से ज़्यादा जवाब

देना (ताकि उसे तफ़्सीली मा'लूमात हो जाएँ)

مِمَّا سَأَلَهُ

(134) हमसे आदम ने बयान किया, कहा उनको इब्ने अबी ज़िब ने नाफ़ेअ़ के वास्ते से ख़बर दी, वो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो रसूलल्लाह (ﷺ) से और (दूसरी सनद में) ज़ुहरी सालिम से, कहा वो इब्ने उ़मर (रज़ि.) से, वो नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने आप (ﷺ) से पूछा कि एहराम बाँधने वाले को क्या कहना चाहिए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि न क़मीस़ पहने, न साफ़ा बाँधे और न पाजामा और न कोई सरपोश ओढ़े और न कोई ज़ा'फ़रान और वर्स से रंगा हुआ कोई कपड़ा पहने और अगर जूते न मिलें तो मोज़े पहन ले और उन्हें (इस तरह) काट दे कि टख़नों से नीचे हो जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 266, 1542, 1838, 1842, 5794, 5803, 5805, 6585, 7485, 2085)

١٣٤- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: ((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ)).

[أطرافه في : ٣٦٦، ١٥٤٢، ١٨٣٨، ١٨٤٢، ٥٧٩٤، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٥٢، ٥٨٤٧، ٥٨٠٢].

तश्रीह : वर्स एक ख़ुश्बूदार घास होती है। हज्ज का एहराम बाँधने के बाद उसका इस्तेमाल जाइज़ नहीं। साइल ने सवाल तो मुख़्तसर सा किया था, मगर रसूलल्लाह (ﷺ) ने तफ़्सील के साथ उसको जवाब दिया, ताकि जवाब नामुकम्मल न रह जाए। इससे मा'लूम हुआ कि उस्ताद को मसाइल की तफ़्सील में फ़य्याज़ी से काम लेना चाहिए ताकि त़लबा के लिये कोई गोशा पूरा हुए बिना न रह जाए।

अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अशर-ए-अव्वल रबीउ़ष़ षानी 1387 हिज्री में किताबुल इल्म व हवाशी से फ़राग़त हासिल हुई, इस सिलसिले में बवजहे कम इल्मी के ख़ादिम से जो लग़्ज़िश हो गई हो अल्लाह तआ़ला उसे मुआफ़ करे। रब्बना ला इल्म लना इल्ला मा अल्लम्तना इन्नक अन्तल अलीमुल हकीम. रब्बिश्रहली स़दरी व यस्सिर ली अम्री आमीन या अरहमुर्राहिमीन!!

वुज़ू : वुज़ू के लग़्वी मा'नी सफ़ाई सुथराई और रोशनी के हैं। शरई इस्तिलाह में वुज़ू मुक़र्ररा तरीक़े के साथ सफ़ाई करना है जिसकी बरकत से क़यामत के दिन अअज़ा–ए–वुज़ू को नूर हासिल होगा। हज़रत इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु ने किताबुल वुज़ू को आयते क़ुर्आनी से शुरू फ़र्माकर इशारा फ़र्माया कि आइन्दा तमाम तफ़्सीलात को इस आयत की तफ़्सीर समझना चाहिये। आयते शरीफ़ा में सिलसिलेवार वुज़ू, चेहरा धोना और कुहनियों तक दोनों हाथों को धोना, सर का मसह करना और टखनों तक पैरों का धोना उसूले–वुज़ू के तौर पर बयान किये गये हैं। पूरे सर का मसह एक बार करना यही मसलक राजेह है। जिसकी सूरत आइन्दा बयान होगी।

लफ़्ज़े वुज़ू की तहक़ीक़ में अल्लामा क़स्तलानी (रह) फ़र्माते हैं, **'व हुव बिज़्ज़म्मि अल्फ़िअलु व बिल्फ़तहि अल्माउल्लज़ी यतवज़्ज़उ बिही व हुकिय फ़ी कुल्लिल फ़तहि वज़्ज़म्मि व हुव मुश्तक़्क़ुन मिनल वज़ाअति व हुवल हसनु वन्निज़ाफ़तु लिअन्नल मुसल्ली यतनज़्ज़फ़ु बिही फयसीरु वज़्यन'** यानी वुज़ू का लफ़्ज़ वाव के पेश के साथ वुज़ू करने के मा'नी में है और वाव के ज़बर के साथ लफ़्ज़े वुज़ू उस पानी पर बोला जाता है जिससे वुज़ू किया जाता है। ये लफ़्ज़ वज़ाअत से मुश्तक़ है जिसके मा'नी हुस्न और नज़ाक़त के हैं। नमाज़ी इससे नज़ाक़त भी हासिल करता है। पस वो एक तरह से साहिबे हुस्न हो जाता है। इबादत के लिए वुज़ू का अमल भी उन ख़ुसूसियाते-इस्लाम से है जिसकी नज़ीर मज़ाहिबे आलम में नहीं मिलेगी। **वलित्तफ़्सीलि मुक़ामु आख़र**

बाब 1 : इस आयत के बयान में कि

अल्लाह तआला फ़र्माता है (ऐ ईमानवालों! जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो जाओ तो (पहले वुज़ू करते हुए) अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो। और अपने सरों का मसह करो। और अपने पांव टख़नों तक धोओ।

इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्मा दिया कि वुज़ू में (अअज़ा का धोना) एक एक बार फ़र्ज़ है और आप (ﷺ) ने (अअज़ा) दो–दो बार (धोकर भी) वुज़ू किया है और तीन–तीन बार भी। हाँ, तीन बार से ज़्यादा नहीं किया। और उलमा ने वुज़ू

١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ.

में इसराफ़ (पानी हद से ज़्यादा इस्ते'माल करने) को मकरूह कहा है कि लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ेअ़ल से आगे बढ़ जाएँ।

وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيْهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ.

ख़ास़ तौर पर हाथ पैरों का तीन-तीन बार से ज़ाइद धोना आँह़ज़रत (ﷺ) से षाबित नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत में है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने वुज़ू में सब अअ़ज़ा (अंग) तीन-तीन बार धोये फिर फ़र्माया कि जिसने उस पर ज़्यादा या कम किया उसने बुरा किया और ज़ुल्म किया।

इब्ने ख़ुज़ैमा की रिवायत में सिर्फ़ यूँ है कि जिसने ज़्यादा किया, यही स़ह़ीह़ है और पिछली रिवायत में कम करने का लफ़्ज़ ग़ैर स़ह़ीह़ है क्योंकि तीन बार से कम धोना बिल इज्माअ़ (आम राय से) बुरा नहीं है।

बाब 2 : इस बारे में कि नमाज़ बग़ैर पाकी के क़ुबूल ही नहीं होती

٢- بَابُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

ये तर्जुम–ए–बाब ख़ुद एक ह़दीष में वारिद है। जिसे तिर्मिज़ी वग़ैरह ने इब्ने उ़मर (रज़ि) से रिवायत किया है कि नमाज़ें बग़ैर त़हारत के क़ुबूल नहीं होती और चोरी के माल से सदक़ा क़ुबूल नहीं होता। इमाम बुख़ारी (रह़) इस रिवायत को नहीं लाए कि वो उनकी शर्त के मुवाफ़िक़ न थी।

(135) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम अल ह़ंज़ली ने बयान किया। उन्हें अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने ख़बर दी, उन्हें मअ़मर ने हम्माम बिन मुनब्बह के वास्ते से बतलाया कि उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स ह़दष़ करे उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती जब तक कि वो (दोबारा) वुज़ू न कर ले। ह़ज़र मौत के एक शख़्स ने पूछा कि ह़दष़ होना क्या है? आपने फ़र्माया कि (पाख़ाने के जगह से निकलने वाली) आवाज़ वाली या बिना आवाज़ वाली हवा।

١٣٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

[الحديث ١٣٥ طرفاه في: ٦٩٥٤].

फ़साअ उस हवा को कहते हैं जो हल्की आवाज़ से आदमी के मक़अ़द से निकलती है और ज़िरात़ वो हवा जिसमें आवाज़ हो।

बाब 3 : वुज़ू की फ़ज़ीलत के बयान में (और उन लोगों की फ़ज़ीलत में) जो (क़यामत के दिन) वुज़ू के निशानात से सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ-पांव वाले होंगे

٣- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

(136) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उनसे लैष़ ने ख़ालिद के वास्ते से नक़ल किया, वो सईद बिन अबी बिलाल से नक़ल करते हैं, वो नईम अल मुज्मिर से, वो कहते हैं कि मैं (एक बार) अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वुज़ू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था कि आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वुज़ू के

١٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَقِيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أُمَّتِي

निशानात से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पांव वालों की शक्ल में बुलाए जाएँगे। तो तुममें से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले (यानी वुज़ू अच्छी तरह करे)

يُدْعَوْنَ يَومَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)).

जो अअज़ा–ए–वुज़ू में धोए जाते हैं क़यामत मे वो सफ़ेद और रोशन होंगे, उन ही को 'गुर्रम्मुहज्जलीन' कहा गया है। चमक बढ़ाने का मतलब ये कि हाथों को मूँढ़ों तक और पैरों को घुटनों तक धोये। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) कभी–कभी ऐसा ही किया करते थे।

बाब 4 : इस बारे में कि जब तक पूरा टूटने का यक़ीन न हो महज़ शक की वजह से नया वुज़ू न करे

٤- بَابُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

(137) हमसे अली ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे ज़ुहरी ने सईद बिन अल मुसय्यब के वास्ते से नक़ल किया, वो अब्बाद बिन तमीम से रिवायत करते हैं, वो अपने चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने ने रसूले करीम (ﷺ) से शिकायत की कि एक शख़्स है जिसे ये ख़याल होता है कि नमाज़ में कोई चीज़ (यानी हवा निकलती) मा'लूम होती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि (नमाज़ से) न फिरे या न मुड़े, जब तक आवाज़ सुने या बू न पाए।

(दीगर मक़ाम : 177, 2056)

١٣٧- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِيْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ : ((لاَ يَنْفَتِلُ - أَوْ لاَ يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا)).

[طرفاه في : ١٧٧، ٢٠٥٦].

तश्रीह : अगर नमाज़ पढ़ते हुए हवा ख़ारिज होने का शक हो तो महज़ शक से वुज़ू नहीं टूटता। जब तक हवा ख़ारिज होने की आवाज़ या उसकी बदबू मा'लूम न कर ले। बाब का यही मक़्सद है। ये हुक्म आम है ख़्वाह नमाज़ के अंदर हो या नमाज़ के बाहर। इमाम नववी (रह) ने कहा कि इस हदीष से एक बड़ा क़ायदा कुल्लिया निकलता है कि कोई यक़ीनी काम शक की वजह से ज़ाइल न होगा। मष़लन हर फ़र्श या हर जगह या हर कपड़ा जो पाक साफ़ और सुथरा हो अब अगर कोई उसकी पाकी में शक करे तो वो शक ग़लत होगा।

बाब 5 : इस बारे में कि हल्का वुज़ू करना भी दुरुस्त है

٥- بَابُ التَّخْفِيْفِ فِي الْوُضُوءِ

इसका मतलब ये कि नमाज़ी पानी अअज़ा पर बहा ले, या वुज़ू में वो अअज़ा को सिर्फ़ एक एक बार धो ले या उन पर पानी कम डाले बवक़्ते ज़रूरत ये सब सूरतें जाइज़ हैं।

(138) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने अम्र के वास्ते से नक़ल किया, उन्हें कुरैब ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) सोए यहाँ तक कि आप ख़र्राटे लेने लगे। फिर आपने नमाज़ पढ़ी और कभी (रावी ने यूँ) कहा कि आप (ﷺ) लेट गए, फिर ख़र्राटे लेने लगे। फिर आप (ﷺ) खड़े हुए उसके बाद नमाज़ पढ़ी। फिर सुफ़यान ने हमसे दूसरी बार यही हदीष बयान की अम्र से, उन्होंने कुरैब से,

١٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى - وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ثُمَّ

حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُصَلِّي، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ شِمَالِهِ - فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ. ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾

[الصافات: ١٠٢]. [راجع: ١١٧]

उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़ल किया कि वो कहते थे कि (एक बार) मैंने अपनी ख़ाला (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत मैमूना (रज़ि.) के घर रात गुज़ारी, तो (मैंने देखा कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को उठे। जब थोड़ी रात बाक़ी रह गई। तो आप (ﷺ) ने उठकर एक लटके हुए मशकीज़े से हल्का सा वुज़ू किया। अम्र उसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे और आप (ﷺ) खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे, तो मैंने भी उसी तरह वुज़ू किया। जिस तरह आप (ﷺ) ने किया था। फिर आकर आपके बाएँ तरफ़ खड़ा हो गया। और कभी सुफ़यान ने अन यसारिही की बजाय अन शिमालिही का लफ़्ज़ कहा (मतलब दोनों का एक ही है) फिर आप (ﷺ) ने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी तरफ़ कर लिया। फिर नमाज़ पढ़ी जिस क़दर अल्लाह को मंज़ूर था। फिर आप लेट गए और सो गए। यहाँ तक कि ख़र्राटों की आवाज़ आने लगी, फिर आपकी ख़िदमत में मुअज़्ज़िन हाज़िर हुआ और उसने आपको नमाज़ की इत्तिला दी। आप (ﷺ) उसके साथ नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गए। फिर आपने नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। (सुफ़यान कहते हैं कि) हमने अम्र से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की आँखें सोती थीं, दिल नहीं सोता था। अम्र ने कहा कि मैंने उबैद बिन उमैर से सुना, वो कहते थे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के ख़्वाब भी वह्य होते थे। फिर (क़ुर्आन की ये) आयत पढ़ी। (मैं ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे जिब्ह कर रहा हूँ) (राजेअ : 117)

तश्रीह : रसूले करीम (ﷺ) ने रात को जो वुज़ू फ़र्माया था तो या तो तीन मर्तबा हर अज़्व को नहीं धोया, या धोया तो अच्छी तरह मिला नहीं, बस पानी बहा दिया। जिससे षाबित हुआ कि इस तरह भी वुज़ू हो जाता है। ये बात सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ास थी कि नींद से आपका वुज़ू नहीं टूटता था। आपके अलावा किसी भी शख़्स को लेट कर यूँ ग़फ़लत की नींद आ जाए तो उसका वुज़ू टूट जाता है। तख़्फ़ीफ़े वुज़ू का ये भी मतलब है कि पानी कम इस्ते'माल फ़र्माया और अअज़ा-ए-वुज़ू पर ज़्यादा पानी नहीं डाला।

आयत में हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का क़ौल है जो उन्होंने अपने बेटे से फ़र्माया था। उबैद ने षाबित किया कि हज़रात इब्राहीम ने अपने ख़्वाब को वह्य ही समझा इसीलिए वो अपने लख़्ते जिगर की क़ुर्बानी के लिए मुस्तैद हो गये। मा'लूम हुआ कि पैग़म्बरों का ख़्वाब भी वह्ये-इलाही का दर्जा रखता है और ये कि पैग़म्बर सोते हैं मगर उनके दिल जागते रहते हैं। अम्र ने यही पूछा था। जिसे उबैद ने षाबित फ़र्माया। वुज़ू में हल्केपन से मुराद ये कि एक-एक दफ़ा धोया और हाथ-पैरों को पानी से ज़्यादा नहीं मला बल्कि सिर्फ़ पानी बहाने पर इक्तिसार किया। (फ़त्हुल बारी)

٦- بَابُ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

बाब 6 : वुज़ू पूरा करने के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الإِنْقَاءُ.

बिन उमर (रज़ि.) का क़ौल है कि वुज़ू का पूरा करना अअज़ा-ए-वुज़ू का साफ़ करना है

١٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((الصَّلاَةُ أَمَامَكَ)) فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

[أطرافه في: ١٨١، ١٦٦٧، ١٦٦٩، ١٦٧٢].

(139) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने मूसा बिन उ़क़्बा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कुरैब मौला इब्ने अ़ब्बास से, उन्होंने उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मैदाने अ़रफ़ात से वापस हुए। जब घाटी में पहुँचे तो आप (ﷺ) उतर गए। आप (ﷺ) ने (पहले) पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और ख़ूब अच्छी तरह नहीं किया। तब मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! नमाज़ का वक़्त (आ गया) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ तुम्हारे आगे है (यानी मुज़दलिफ़ा चलकर पढ़ेंगे) जब मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो आपने ख़ूब अच्छी तरह वुज़ू किया, फिर जमाअ़त खड़ी की गई, आप (ﷺ) ने मग़्रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर हर शख़्स ने ऊँट को अपनी जगह बिठाया, फिर इशा की जमाअ़त खड़ी की गई और आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी और उन दोनों नमाज़ों के बीच कोई नमाज़ नहीं पढ़ी।

(दीगर मक़ाम : 181, 1667, 1669, 1672)

पहली मर्तबा आपने वुज़ू सिर्फ़ पाकी हासिल करने के लिए किया था। दूसरी मर्तबा नमाज़ के लिए किया तो ख़ूब अच्छी तरह किया, हर अअज़ा-ए-वुज़ू को तीन तीन बार धोया। इस ह़दीष़ से ये भी मा'लूम हुआ कि मुज़दलिफ़ा में मग़्रिब व इशा को मिलाकर पढ़ना चाहिये। उस रात में आप (ﷺ) ने आबे ज़मज़म से वुज़ू किया था। जिससे आबे ज़मज़म से वुज़ू करना भी ष़ाबित हुआ। (फ़त्हुल बारी)

٧- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

बाब 7 : दोनों हाथों से चेहरे का सिर्फ़ एक चुल्लू (पानी) से धोना भी जाइज़ है

इस अम्र पर आगाह करना मक़्सद है कि दोनों हाथों से इकट्ठे चुल्लू भरना शर्त नहीं है। (फ़त्हुल बारी)

١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلاَلٍ - يَعْنِي سُلَيْمَانَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ

(140) हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने रिवायत किया, उन्होंने कहा मुझको अबू सलमा अल ख़ुज़ाई मंसूर बिन सलमा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमको इब्ने बिलाल यानी सुलैमान ने ज़ैद बिन असलम के वास्ते से ख़बर दी, उन्हों ने अ़ता बिन यसार से सुना, उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से नक़ल किया

بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ مَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ - يَعْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى - ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

कि (एक बार) उन्होंने (यानी इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने) वुज़ू किया तो अपना चेहरा धोया (इस त़रह़ कि पहले) पानी के एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर पानी का एक और चुल्लू लिया, फिर उसको इस त़रह़ किया (यानी) दूसरे हाथ को मिलाया। फिर उससे अपना चेहरा धोया। फिर पानी का दूसरा चुल्लू लिया और उससे अपना दाहिना हाथ धोया। फिर पानी का एक और चुल्लू लेकर उससे अपना बायाँ हाथ धोया। उसके बाद अपने सर का मसह़ किया। फिर पानी का चुल्लू लेकर दाहिने पांव पर डाला और उसे धोया। फिर दूसरे चुल्लू से अपना पांव धोया। यानी बायाँ पांव उसके बाद कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी त़रह़ वुज़ू करते हुए देखा है।

व 'फ़ी हाज़ल ह़दीष़ि दलीलुल जम्इ बैनल मज़्मज़ति वल इस्तिन्शाकि बिग़ुर्फ़तिन वाहिदतिन' यानी इस ह़दीष़ में एक ही चुल्लू से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ष़ाबित हुआ। (क़स्त़लानी रह़)

٨- بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ : وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

बाब 8 : इस बारे में कि हर ह़ाल में बिस्मिल्लाह पढ़ना यहाँ तक कि जिमाअ़ के वक़्त भी ज़रूरी है

١٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ)).

[أطرافه في : ٣٢٧١، ٣٢٨٣، ٦١٦٥، ٦٣٨٨، ٧٣٩٦].

(141) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से रिवायत किया, उन्होंने सालिम इब्ने अबी अल जअ़दी से नक़ल किया, वो कुरैब से, वो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो इस ह़दीष़ को नबी (ﷺ) तक पहुँचाते थे कि आपने फ़र्माया, जब तुममें से कोई अपनी बीवी से जिमाअ़ करे तो कहे, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह! हमें शैतान से बचा और शैतान को उस चीज़ से दूर रख जो तू (इस जिमाअ़ के नतीजे में) हमें अ़ता फ़र्माए। ये दुआ पढ़ने के बाद (जिमाअ़ करने से) मियाँ–बीवी को जो औलाद मिलेगी उसे शैतान नुक़्सान नहीं पहुँचा सकेगा।

(दीगर मक़ाम : 3271, 3283, 6165, 6388, 7396)

तश्रीह़ : वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना अहले ह़दीष़ के नज़दीक ज़रूरी है। इमाम बुख़ारी (रह़) ने बाब मे ज़िक्र की गई ह़दीष़ में यही ष़ाबित फ़र्माया है कि जब जिमाअ़ के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना मशरूअ़ है तो वुज़ू में क्यूँकर

मशरूअ न होगा वो तो एक इबादत है। एक रिवायत में हैं '**ला वुज़ूअ लिमल्लम यज़्कुरिस्मल्लाहि अलैहि**' जो बिस्मिल्लाह न पढ़े उसका वुज़ू नहीं। ये रिवायत हज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) की शराइत़ के मुवाफ़िक़ न थी इसलिए आपने उसे छोड़कर इस ह़दीष़ से इस्तिदलाल फ़र्माकर ष़ाबित किया कि वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूरी है। इब्ने जरीर ने जामेउल आष़ार में मुजाहिद से रिवायत किया है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी से जिमाअ़ करे और बिस्मिल्लाह न पढ़े तो शैतान भी उसकी औरत से जिमाअ़ करता है। आयते कुर्आनी '**लम यत्मिष़्हुन्ना इन्सुन क़ब्लहुम वला जा-न्न**' (अर् रह़मान : 56) में इसी की नफ़ी है। (क़स्तलानी)

उस्तादुल उ़लेमा शैख़ुल ह़दीष़ ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाहब मुबारकपुरी '**ला वुज़ूअ लिमल्लम यज़्किरस्मल्लाहु अलैहि**' के ज़ेल में फ़र्माते हैं, '**अय ला यसिह्हुल वज़ूअ व ला यूजदु शरअन इल्ला बित्तस्मिय्यति इज़ा ला सल्ल फ़िन्नफ़िय्यिल हक़ीक़ति वन्नुक़्स्सिह्हतु अक़्रबु इलज़्ज़ाति व अक्ष़रु लुज़ूमन लिल हक़ीक़ति फ़यस्तल्जिमु अदमुहा अदमज़्ज़ाति व मा लैस बिसहीहिन ला युज़्ज़ा व ला युअतद फ़ल हदीषु नस्सुन अला इफ़्तिराज़ित्तस्मिय्यति इन्द इबितदाइल वुज़ूइ व इलैहि ज़हब अहमद फ़ी रिवायतिन व हुव क़ौलु अहलिज़्ज़ाहिर व ज़हबतिश्शाफ़िइय्यतु वल्हनफ़िय्यतु व मन वाफ़क़हुम इला अन्नत्तस्मियत सुन्नतुन फ़क़त वख़्तार इब्नुल हुमा मिनल हनफ़िय्यति वुजूबुहा.**' (मिर्आत)

इस बयान का ख़ुलास़ा यही है कि वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। इमाम अह़मद और अस्ह़ाबे ज़वाहिर का यही मज़हब है। ह़नफ़ी व शाफ़ई वग़ैरह उसे सुन्नत मानते हैं। मगर ह़नफ़िया में से एक बड़े आलिम इब्ने हम्माम उसके वाजिब होने के क़ाइल हैं । अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने आलाम में बिस्मिल्लाह के वाजिब होने पर पचास से भी ज़्यादा दलाइल पेश किये हैं।

स़ाह़िबे अनवारुल बारी का तब्स़रा : इसमें कोई शक नहीं कि स़ाह़िबे अनवारुल बारी ने हर इख़्तिलाफ़ी मुक़ाम पर इमाम बुख़ारी (रह़) की तन्क़ीस़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मगर इमाम बुख़ारी (रह़) की जलालते इल्मी ऐसी ह़क़ीक़त है कि कभी न कभी आपके कट्टर मुख़ालिफ़ों को भी उसका ए'तिराफ़ करना ही पड़ता है। बहष़े मज़्कूरा में स़ाह़िबे अनवारुल बारी का तब्स़रा उसका एक रोशन ष़बूत है। चुनाँचे आप उस्ताद मुह़तरम ह़ज़रत मौलाना अनवर शाह स़ाह़ब (रह़) का इर्शाद नक़ल करते हैं कि आपने फ़र्माया।

इमाम बुख़ारी का मुक़ामे रफ़ीअ़ : यहाँ ये चीज़ क़ाबिले लिह़ाज़ है कि इमाम बुख़ारी (रह़) ने अपने बयान किये गये रुझान के बावजूद भी तर्जुमतुल बाब में वुज़ू के लिए तस्मिया का ज़िक्र नहीं किया ताकि इशारा उन अह़ादीष़ की तह़सीन की त़रफ़ न हो जाए जो वुज़ू के बारे में मरवी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ह़दीष़े तिर्मिज़ी को भी तर्जुमतुल बाब में ज़िक्र करना मौज़ूँ नहीं समझा। इससे इमाम बुख़ारी (रह़) की जलालते क़द्र व रिफ़अ़ते मकानी मा'लूम होती है कि जिन अह़ादीष़ को दूसरे मुह़द्दिष़ीन तह़तुल अब्वाब ज़िक्र करते हैं। उनको इमाम अपने तराजिम और उ़न्वानाते अब्वाब मे भी ज़िक्र नहीं करते। फिर यहाँ चूँकि उनके रुज्ह़ान के मुत़ाबिक़ कोई मो'तबर ह़दीष़ उनके नज़दीक नहीं थी तो उन्होंने उ़मूमात से तमस्सुक किया और वुज़ू को उनके नीचे दाख़िल किया और जिमाअ़ का भी साथ ज़िक्र किया। ताकि मा'लूम हो कि अल्लाह का इसमे मुअ़ज़्ज़म ज़िक्र करना जिमाअ़ से पहले मशरूअ़ हुआ तो बदर्ज–ए–औला वुज़ू से पहले भी मशरूअ़ होना चाहिये। गोया ये इस्तिदलाल नज़ाइर से हुआ। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 161)

मुख़्लिसाना मश्विरा : स़ाह़िबे अनवारुल बारी ने जगह-जगह ह़ज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु की शान में लबकुशाई करते हुए आपको ग़ैर फ़क़ीह, ज़ूद रंज वग़ैरह वग़ैरह तंज़ियात से याद किया। क्या अच्छा हो कि ह़ज़रत शाह स़ाह़ब (रह़) के ऊपर लिखे बयान के मुत़ाबिक़ आप ह़ज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु की शान में तन्क़ीस़ से पहले ज़रा सोच लिया करें कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) की जलालते क़द्र और रिफ़अ़ते मकानी एक अज़्हर मिनश्शम्स ह़क़ीक़त है। जिससे इंकार करने वाले ख़ुद अपनी ही तन्क़ीस़ का सामान मुहय्या करते हैं। हमारे मुह़तरम नाज़िरीन मे से शायद कोई स़ाह़ब हमारे बयान को मुबालग़ा समझें, इसलिए हम एक दो मिष़ालें पेश कर देते हैं। जिनसे अंदाज़ा हो सकेगा कि स़ाह़िबे अनवारुल बारी के क़ल्ब मे ह़ज़रत इमामुल मुह़द्दिष़ीन

क़द्दस सिर्रुहु की तरफ़ से किस क़दर तंगी है।

बुख़ारी व मुस्लिम में मुब्तदिईन व अस्हाबे अहवाअ की रिवायात : आज तक दुनिय–ए–इस्लाम यही समझती चली आ रही है कि सहीह बुख़ारी और फिर सहीह मुस्लिम निहायत ही मो'तबर किताबें हैं। ख़ुसूसन क़ुर्आन मजीद के बाद असहहुल कुतुब बुख़ारी शरीफ़ है। मगर साहिबे अनवारुल बारी की राय में बुख़ारी व मुस्लिम में कुछ जगह मुब्तदिईन व अहले अहवाअ जैसे बदतरीन क़िस्म के लोगों की रिवायात भी मौजूद हैं। चुनाँचे आप फ़र्माते हैं,

हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा (रह) और इमाम मालिक (रह) किसी बिदअती से ख़्वाह वो कैसा ही पाकबाज़ व रास्तबाज़ हो हदीष की रिवायत के रवादार नहीं बरख़िलाफ़ उसके बुख़ारी व मुस्लिम में, मुब्तदिईन और कुछ अस्हाबे अह्वाअ की रिवायात भी ली गई हैं। अगरचे उनमें षिक़ा और सादिक़ुल लहजा होने की शर्त व रिआयत मल्हूज़ रखी गई है। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 53)

मुक़ामे ग़ौर है कि सीधे–सादे लोग, हज़रत साहिबे अनवारुल बारी के इस बयान के नतीजे में बुख़ारी व मुस्लिम के बारे में क्या राय क़ायम करेंगे। हमारा दा'वा है कि आपने महज़ ग़लत बयानी की है, आगे अगर आप बुख़ारी व मुस्लिम के मुब्तदिईन और अहले अह्वाअ की कोई फ़ेहरिस्त पेश करेंगे तो इस बारे में तफ़्सील से लिखा जाएगा और आपके इफ़्तिराअ (लांछन, तोहमत) पर वज़ाहत से रोशनी डाली जाएगी।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) और आपकी जामेअ सहीह का मुक़ाम गिराने की एक और मज़्मूम कोशिश : हुब्बुकश्शैयअमर व यसुम्मु किसी चीज़ की हद से ज़्यादा मुहब्बत इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। सद अफ़सोस कि साहिबे अनवारुल बारी ने इस हदीषे नबवी की बिलकुल तस्दीक़ फ़र्मा दी है। बुख़ारी शरीफ़ का मुक़ाम गिराने और हज़रत अमीरुल मुहद्दिषीन की निय्यत पर हमला करने के लिए आप बड़े ही मुहक़्क़िक़ाना अंदाज़ से फ़र्माते हैं,

हमने अभी बतलाया कि इमामे आज़म की ज़िक्र की गई किताबुल आषार में सिर्फ़ अहादीषे अहकाम की ता'दाद चार हज़ार तक पहुँचती है, इसके मुक़ाबले में जामेअ सहीह बुख़ारी के तमाम अब्वाब ग़ैर मुकर्रर मौसूल अहादीषे मरविया की ता'दाद 2353 हस्बे तसरीह हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) है। और मुस्लिम शरीफ़ की कुल अब्वाब की अहादीषे मरविया चार हज़ार हैं। अबू दाऊद की 4800 और तिर्मिज़ी शरीफ़ की पांच हज़ार। इससे मा'लूम हुआ कि अहादीषे अहकाम का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा किताबुल आषार इमामे आज़म पर तिर्मिज़ी व अबू दाऊद में है। मुस्लिम में उनसे कम, बुख़ारी में उन सबसे कम है। जिसकी वजह ये है कि इमाम बुख़ारी (रह) सिर्फ़ इज्तिहाद के मुवाफ़िक़ अहादीष ज़िक्र करते हैं । (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 53)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) का मुक़ामे रफ़ीअ और उनकी जलालते क़द्र व रिफ़अते मकानी का ज़िक्र भी आप साहिबे अनवारुल बारी की क़लम से अभी पढ़ चुके हैं और जामेअ सहीह और ख़ुद हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) के बारे में आपका ये बयान भी नाज़िरीन के सामने है। जिसमें आपने खुले लफ़्ज़ों में बतलाया है कि इमाम बुख़ारी (रह) ने सिर्फ़ अपने इज्तिहाद को सहीह षाबित करने के लिए अपनी हस्बे मंशा अहादीषे नबवी जमा की हैं । साहिबे अनवारुल बारी का ये हमला इस क़दर संगीन है कि इसकी जिस क़दर भी मज़म्मत (निन्दा) की जाए कम है। ताहम मतानत (गम्भीरता) व संजीदगी से काम लेते हुए हम कोई मुंतक़िमाना इंकिशाफ़ (आक्रामक जवाबी टिप्पणी) नहीं करेंगे। वरना हक़ीक़त यही है कि '**अल इनाउ यतरश्शहु बिमा फ़ीहि**' बर्तन में जो कुछ होता है वही उससे टपकता है। हज़रत वाला ख़ुद अहादीषे नबवी को अपने मफ़रूज़ाते मसलकी के सांचे मे ढालने के लिए कमर बाँधे हुए हैं । सो आपको हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) क़द्दस सिर्रुहु भी ऐसे ही नज़र आते हैं। सच है, **अल्मरउ यक़ीसु अला नफ़्सिही**

बाब 9 : इस बारे में कि बैतुल ख़ला जाते वक़्त कौनसी दुआ पढ़नी चाहिये?

٩- بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلاَءِ

(142) हमसे आदम ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब (क़ज़ा–ए–हाजत के लिए) बैतुल ख़ला में दाख़िल होते तो ये (दुआ) पढ़ते। ऐ अल्लाह! मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। (दीगर मक़ाम : 6322)

١٤٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)). [طرفه في : ٦٣٢٢].

इस हदीष़ में ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) का ये दुआ पढ़ना मज़्कूर है और मुस्लिम की एक रिवायत में लफ़्ज़े अम्र के साथ है कि जब तुम बैतुल ख़ला में दाख़िल हो तो ये दुआ पढ़ो। **बिस्मिल्लाहि अऊ़ज़ू बिल्लाहि मिनल् ख़ुबुषि वल् ख़बाइषि** इन लफ़्ज़ों में पढ़ना भी जाइज़ है। ख़ुबुष और ख़बाइष़ से नापाक जिन्न और जिन्नियाँ मुराद हैं। हज़रत इमाम ने फ़ारिग़ होने के बाद वाली दुआ की हदीष़ को इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि वो आपकी शर्तों के मुवाफ़िक़ न थी। जिसे इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने हज़रत आइशा (रज़ि) से रिवायत किया है कि आप फ़ारिग़ होने के बाद **ग़ुफ़रानक** पढ़ते और इब्ने माजा मे ये दुआ आई है, **अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़्हब अ़न्निल्अज़ा व आफ़ानी** (सब ता'रीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझको आफ़ियत दी और इस गंदगी को मुझसे दूर कर दिया) फ़ारिग़ होने के बाद आँहज़रत (ﷺ) ये दुआ भी पढ़ा करते थे।

बाब 10 : इस बारे में कि बैतुल ख़ला के पास पानी रखना बेहतर है

١٠ – بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلاَءِ

(143) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे हाशिम इब्ने अल क़ासिम ने, कहा कि उनसे वर्क़ा बिन शुक्री ने उ़बैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद से नक़ल किया, वो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) पाख़ाना के लिये गए। मैंने आपके लिए वुज़ू का पानी रख दिया। (बाहर निकलकर) आपने पूछा ये किसने रखा? जब आपको बतलाया गया तो आपने (मेरे लिए दुआ की और) फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इसको दीन की समझ अ़ता फ़र्मा। (राजेअ़ : 75)

١٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا. قَالَ: ((مَنْ وَضَعَ هَذَا؟)) فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)).

[راجع: ٧٥]

ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्ते हारिष़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) की ख़ाला के घर का वाक़िया है। आपको ख़बर देने वाली भी हज़रत मैमूना ही थीं। आपकी दुआ की बरकत से हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) फ़क़ीहे उम्मत क़रार पाए।

बाब 11 : इस मसले में कि पैशाब और पाखाना के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह नहीं करना चाहिये लेकिन जब किसी इमारत या दीवार वग़ैरह की आड़ हो तो कुछ हर्ज नहीं

١١ – بَابُ لاَ تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاءِ : جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

(144) हमसे आदम ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने ज़िब ने, कहा कि हमसे ज़ुहरी ने अ़त़ा बिन यज़ीद अल लैषी के वास्ते

١٤٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)).

[طرفه في : ٣٩٤].

से नक़ल किया, वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई पाख़ाने में जाए तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे न उसकी तरफ़ पीठ करे (बल्कि) मश्रिक़ की तरफ़ मुँह कर लो या मग़्रिब की तरफ़।
(दीगर मक़ाम : 394)

तश्रीह : ये हुक्म मदीना वालों के लिए ख़ास है क्योंकि मदीना मक्का से शिमाल (उत्तर दिशा) की तरफ़ वाक़ेअ है। इसलिए आपने क़ज़ा–ए–हाजत के वक़्त पश्चिम या पूरब की तरफ़ चेहरा करने का हुक्म दिया, ये बैतुल्लाह का अदब है। इमाम बुख़ारी (रह) ने हदीष़ के उन्वान से ये षाबित करना चाहा है कि अगर कोई आड़ सामने हो तो क़िब्ला की तरफ़ चेहरा कर सकता है। आपने जो हदीष़ इस बाब में ज़िक्र की है वो बाब के तर्जुमा के मुताबिक़ नहीं होती क्योंकि हदीष़ से मुत्लक़ मुमानअत निकलती है और बाब के तर्जुमा में इमारत को मुस्तष़्ना (अलग) किया है। कुछ ने कहा है कि आपने ये हदीष़ महज़ मुमानअत षाबित करने के लिए ज़िक्र की है और इमारत का इस्तिष़्ना आगे वाली हदीष़ से निकाला है जो इब्ने उमर से मरवी है। कुछ ने लफ़्ज़े ग़ायत से सिर्फ़ मैदान मुराद लिया है और इस मुमानअत से समझा गया कि इमारत में ऐसा करना दुरुस्त है।

हज़रत अल्लामा शैख़ुल हदीष़ मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी ने इस बारे में दोनों तरफ़ की दलीलों पर मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) रोशनी डालते हुए अपना आख़िरी फ़ैसला ये दिया है, **'व इन्दी अल इहतिराज़ु अनिल इस्तिक़्बालि वल इस्तिदबारि फ़िल बुयूति अहवतु वुजूबन ला नुदुबन'** यानी मेरे नज़दीक भी वजूबन एहतियात का तक़ाज़ा है कि घरों में भी बैतुल्लाह की तरफ़ पीठ या मुँह करने से परहेज़ किया जाए। (मिर्आत जिल्द अव्वल पेज नं. 241) अल्लामा मुबारकपुरी (रह) साहिबे **तोहफ़तुल अहवज़ी** ने भी ऐसा ही लिखा है।

١٢ – بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

बाब 12 : इस बारे में कि कोई शख़्स दो ईंटों पर बैठकर क़ज़ा-ए-हाजत करे (तो क्या हुक्म है?)

١٤٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ، فَقُلْتُ : لاَ أَدْرِي

(145) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने यह्या बिन सईद से ख़बर दी। वो मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान से, वो अपने चचा वासेअ बिन हिब्बान से रिवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। वो कहते थे कि लोग कहते थे कि जब क़ज़ा-ए-हाजत के लिए बैठो तो न क़िब्ले की तरफ़ मुँह करो न बैतुल मक़्दिस की तरफ़ (ये सुनकर) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो आँहज़रत (ﷺ) को देखा आप बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके दो ईंटों पर क़ज़ा-ए-हाजत के लिए बैठे हैं। फिर अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने (वासेअ से) कहा कि शायद तुम उन लोगों में से हो जो अपने कूल्हों के बल नमाज़ पढ़ते हैं। तब मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जानता (कि आपका क्या मतलब है?) इमाम मालिक

وَا لِلّٰهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأَرْضِ.

[أطرافه في : ١٤٨، ١٤٩، ٣١٠٢].

(रह.) ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने इससे वो शख़्स मुराद लिया जो नमाज़ में ज़मीन से ऊँचा न रहे, सज्दे में ज़मीन से चिमट जाए।

(दीगर मक़ाम : 148, 149, 3106)

तश्रीह : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि) अपनी किसी ज़रूरत से छत पर चढ़े। इत्तिफ़ाक़िया (अनायास, अचानक) उनकी नज़र आँह़ज़रत (ﷺ) पर पड़ गई। इब्ने उ़मर के उस क़ौल का मंशा कि कुछ लोग अपने कूल्हों पर नमाज़ पढ़ते हैं, शायद ये हो कि क़िब्ला की त़रफ़ शर्मगाह का रुख़ इस ह़ाल में मना है कि जब आदमी रफ़ए ह़ाजत वग़ैरह के लिये नंगा हो। वरना लिबास पहनकर फिर ये तकल्लुफ़ करना किसी त़रह क़िब्ला की त़रफ़ सामना या पुश्त न हो, ये निरा तकल्लुफ़ है। जैसा कि उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वो सज्दा इस त़रह करते हैं कि अपना पेट बिलकुल रानों से मिला लेते हैं इसी को **युस़ल्लूना अ़ला औराकिहिम** से ता'बीर किया गया मगर स़ह़ीह़ तफ़्सीर वही है जो मालिक से नक़ल हुई।

स़ाह़िबे अनवारुल बारी का अ़जीब इज्तिहाद : अह़नाफ़ में औरतों की नमाज़ मर्दों की नमाज़ से कुछ मुख़्तलिफ़ (अलग) क़िस्म की होती है। स़ाह़िबे अनवारुल बारी ने लफ़्ज़े मज़्कूर **युस़ल्लून अ़ला औराकिहम** से औरतों की इस मुरव्वजा (प्रचलित) नमाज़ पर इज्तिहाद फ़र्माया है। चुनाँचे इर्शाद है,

युस़ल्लूना अ़ला औराकिहम से औरतों वाली नशिस्त और सज्दे की ह़ालत बतलाई गई है कि औरतें नमाज़ में कूल्हे और सुरीन पर बैठती हैं और सज्दा भी ख़ूब सिमटकर करती हैं कि पेट रानों के ऊपर के ह़िस्सों से मिल जाता है ताकि सतर ज़्यादा से ज़्यादा छुप सके लेकिन ऐसा करना मर्दों के लिये ख़िलाफ़े सुन्नत है। उनको सज्दा इस त़रह करना चाहिये कि पेट रान वग़ैरह ह़िस्सों से बिलकुल अलग रहे और सज्दा अच्छी त़रह खुलकर किया जाए। ग़र्ज़ औरतों की नमाज़ में बैठने और सज्दा करने की ह़ालत मर्दों से बिलकुल मुख़्तलिफ़ होती है। (अनवारुल बारी जिल्द 4 पेज नं. 187)

स़ाह़िबे अनवारुल बारी की इस वज़ाह़त से ज़ाहिर है कि मर्दों के लिये ऐसा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है और औरतों के लिये ऐन सुन्नत के मुताबिक़ है। शायद आपके इस बयान के मुताबिक़ आँह़ज़रत (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात से ऐसी ही नमाज़ स़ाबित होगी। काश! आप उन अह़ादीस़े नबवी (ﷺ) को भी नक़ल फ़र्मा देते जिनसे औरतों की नमाज़ों में ये तफ़रीक़ (फ़र्क़ या भेद) स़ाबित होती है या अज़्वाजे मुतह्हरात ही का अमल नक़ल फ़र्मा देते। हम दावा से कहते हैं कि औरतों और मर्दों की नमाज़ों में तफ़्रीक़े मुजव्वज़ा मह़ज़ स़ाह़िबे अनवारुल बारी ही का इज्तिहाद है। हमारे इल्म में अह़ादीस़े स़ह़ीह़ा से ये तफ़्रीक़ स़ाबित नहीं है। मज़ीद तफ़्सील अपने मुक़ाम पर आएगी।

١٣- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

बाब 13 : इस बारे में कि औरतों का क़ज़ा-ए-ह़ाजत के लिए बाहर निकलने का क्या हुक्म है?

١٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ - وَهُوَ صَعِيْدٌ أَفْيَحُ - وَكَانَ

(146) हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस़ ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने इब्ने शिहाब के वास्ते से नक़ल किया, वो उ़र्वा बिन ज़ुबैर से, वो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवियाँ रात में मनास़ेअ़ की तरफ़ क़ज़ा-ए-ह़ाजत के लिए जाती और मनास़ेअ़ एक खुला मैदान है। तो (ह़ज़रत) उ़मर ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से

कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराइये। मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज़ रात को इशा के वक़्त हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्आ रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीवी जो लम्बे क़द की थीं, (बाहर) गईं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें आवाज़ दी (और कहा) हमने तुम्हें पहचान लिया और उनकी ख़्वाहिश ये थी कि पर्दे (का हुक्म) नाज़िल हो जाए। चुनाँचे (उसके बाद) अल्लाह ने पर्दा (का हुक्म) नाज़िल फ़र्मा दिया।

(दीगर मक़ाम : 147, 4795, 5237, 6240)

عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ. فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِيْ عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيْلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ : أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ. فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

[أطرافه في : ١٤٧، ٤٧٩٥، ٥٢٣٧، ٦٢٤٠].

(147) हमसे ज़करिया ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, वो अपने बाप से, वो आइशा से, वो रसूलुल्लाह स. से नक़ल करती हैं कि आपने (अपनी बीवियों से) कहाकि तुम्हें क़ज़ा-ए-हाजत के लिए बाहर निकलने की इजाज़त है। हिशाम कहते हैं कि हाजत से मुराद पाख़ाना के लिए (बाहर) जाना है।

١٤٧- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ)) قَالَ هِشَامٌ : يَعْنِي الْبَرَازَ. [راجع: ١٤٦]

आयते हिजाब के बाद भी कुछ दफ़ा रात को अंधेरे में औरतों का जंगल मे जाना (हदीषों से) षाबित है (फ़त्हुल बारी)

बाब 14 : इस बारे में कि घरों में क़ज़ा-ए-हाजत करना जाइज़ है

١٤- بَابُ التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) की मुराद इस बाब से ये इशारा करना है कि औरतों का हाजत के लिए मैदान में जाना हमेशा नहीं रहा और बाद में घरों में इंतिज़ाम कर लिया गया।

(148) हमसे इब्राहीम बिन अल मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अयाज़ ने उबैदुल्लाह बिन उमर के वास्ते से बयान किया, वो मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान से नक़ल करते हैं, वो वासेअ बिन हिब्बान से, वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैंकि (एक दिन मैं अपनी बहन और रसूलुल्लाह ﷺ की बीवी मुहतरमा) हफ़्सा के मकान की छत पर अपनी किसी ज़रूरत से चढ़ा, तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ पीठ और शाम की तरफ़ मुँह किए हुए नज़र आए। (राजेअ : 145)

١٤٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. [راجع: ١٤٥]

आप उस वक़्त फ़िज़ा (खुले मैदान) में न थे, बल्कि वहाँ पाख़ाना बना हुआ था, उसमें आप बैठे हुए थे (फ़त्हुल बारी)

(149) हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमें यह्या ने मुहम्मद बिन यह्या बिन हिब्बान से ख़बर दी, उन्हें उनके चाचा वासेअ़ बिन हिब्बान ने बतलाया, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने ख़बर दी, वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा, तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) दो ईंटों पर (क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त) बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह किये हुए नज़र आए।

(राजेअ़ : 145)

١٤٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

[راجع: ١٤٥]

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि) ने कभी अपने घर की छत और कभी हज़रत हफ़्सा के घर की छत का ज़िक्र किया, इसकी हक़ीक़त ये है कि घर तो हज़रत हफ़्सा (रज़ि) ही का था। मगर हज़रत हफ़्सा (रज़ि) के इंतिक़ाल के बाद वरषे में उन ही के पास आ गया था। इस बाब की अहादीष का मंशा ये है कि घरों में पाख़ाना बनाने की इजाज़त है। ये भी मा'लूम हुआ कि मकानों में क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त कअ़बा शरीफ़ की तरफ़ चेहरा या पीठ की जा सकती है।

बाब 15 : इस बारे में कि पानी से तहारत करना बेहतर है

١٥- بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

(150) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने अबू मुआ़ज़ से जिनका नाम अ़ता बिन अबी मैमूना था नक़ल किया, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, वो कहते थे कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिये निकलते तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब ये है कि उस पानी से रसूलुल्लाह (ﷺ) तहारत किया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 151, 152, 217, 500)

١٥٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ - وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ.

[أطرافه في: ١٥١، ١٥٢، ٢١٧، ٥٠٠].

बाब 16 : इस बारे में कि किसी शख़्स के हमराह उसकी तहारत के लिए पानी ले जाना जाइज़ है

١٦- بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ

हज़रत अबू दर्दा ने फ़र्माया कि तुममें जूतों वाले, पाक पानी वाले और तकिया वाले स़ाहब नहीं हैं?

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالوِسَادِ.

ये इशारा हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि) की तरफ़ है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की जूतियाँ, तकिया और वुज़ू का पानी साथ लिये रहते थे, इसी मुनासबत से आपका ये ख़िताब पड़ गया।

(151) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, वो अ़ता बिन अबी मैमूना से नक़ल करते हैं, उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाज़त के लिये निकलते तो मैं और एक लड़का दोनों आप (ﷺ) के पीछे जाते थे और हमारे साथ पानी का एक बर्तन होता था। (राजेअ़ : 150)

١٥١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. [راجع: ١٥٠]

बाब 17 : इस बयान में कि इस्तिंजा के लिये पानी के साथ नेज़ा भी ले जाना ष़ाबित है

١٧- بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الاِسْتِنْجَاءِ

(152) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने, उनसे शुअ़बा ने अ़ता बिन अबी मैमूना के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना। वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पाख़ाने के लिये जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन और एक नेज़ा लेकर चलते थे। पानी से आप त़हारत करते थे। (दूसरी सनद से) नज़्र और शाज़ान ने इस हदीष़ की शुअ़बा से मुताबअ़त की है। अ़ंज़ा लाठी को कहते हैं जिस पर फ़ल्क़ा लगा हुआ हो।

(राजेअ़ : 150)

١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ. الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ.

[راجع: ١٥٠]

ये ढेला तोड़ने के लिए काम में लाई जाती थी और मूज़ी (नुक़्सान पहुँचाने वाले) जानवरों को दूर करने के लिये भी।

बाब 18 : इस बारे में कि दाहिने हाथ से त़हारत करने की मुमानअ़त है

١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

(153) हमसे मुआ़ज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कष़ीर के वास्ते से बयान किया, वो अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, वो अपने बाप अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई पानी पिये तो बर्तन में सांस न लें और जब पाख़ाना में जाए तो अपनी शर्मगाह को दाहिने हाथ से न छुए और न दाहिने हाथ से इस्तिंज़ा करे।

(दीगर मक़ाम : 154, 5630)

١٥٣- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ)).

[أطرافه في : ١٥٤، ٥٦٣٠].

बाब 19 : इस बारे में कि पैशाब के वक़्त अपने अ़ज़्व को अपने दाहिने हाथ से न पकड़े

١٩- بَابُ لاَ يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

(154) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे औज़ाई ने यह्या बिन कषीर के वास्ते से बयान किया, वो अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा के वास्ते से बयान करते हैं, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं। वो नबी (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया जब तुममें से कोई पैशाब करे तो अपना अ़ज़्व अपने दाहिने हाथ से न पकड़े और न दाहिने हाथ से त़हारत करे। न (पानी पीते वक़्त) बर्तन में सांस ले। (राजेअ़ : 153)

١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ)). [راجع: ١٥٣]

क्योंकि ये सारे काम सफ़ाई और अदब के ख़िलाफ़ हैं।

बाब 20 : इस बारे में कि पत्थरों से इस्तिंजा करना षाबित है

٢٠- بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

(155) हमसे अहमद बिन मुहम्मद अल मक्की ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़म्र बिन यह्या बिन सईद बिन अ़म्र अल मक्की ने अपने दादा के वास्ते से बयान किया, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बार रफ़ओ ह़ाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। आपकी आ़दते मुबारका थी कि आप (चलते वक़्त) इधर–उधर नहीं देखा करते थे तो मैं भी आपके पीछे–पीछे आपके क़रीब पहुँच गया। (मुझे देखकर) आपने फ़र्माया कि मुझे पत्थर तलाश करके दो ताकि मैं उनसे पाकी ह़ासिल कर लूँ। या इस जैसा (कोई लफ़्ज़) फ़र्माया और फ़र्माया कि हड्डी और गोबर न लाना। चुनाँचे मैं अपने दामन में पत्थर (भरकर) आपके पास ले गया और आपके पहलू में रख दिए और आपके पास से हट गया। जब आप (क़ज़ा-ए-ह़ाजत से) फ़ारिग़ हुए तो आपने पत्थरों से इस्तिंजा किया। (दीगर मक़ाम : 3860)

١٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: ((ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ)). فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.

[طرفه في : ٣٨٦٠].

तश्रीह : हड्डी और गोबर से इस्तिंजा करना जाइज़ नहीं। गोबर और हड्डी जिन्नों की ख़ुराक हैं। जैसा कि इब्ने मसऊ़द (रज़ि) की रिवायत है कि आपने फ़र्माया गोबर और हड्डी से इस्तिंजा न करो, ये तुम्हारे भाई जिन्नों का तौशा हैं। (रवाहु अबू दाऊद वत् तिर्मिज़ी) मा'लूम हुआ कि ढेलों से भी पाकी ह़ासिल हो जाती है। मगर पानी से मज़ीद पाकी ह़ासिल करना अफ़ज़ल है। (देखो ह़दीष़ : 152) आपकी आ़दते मुबारका थी कि पानी से इस्तिंजा करने के बाद अपने हाथों को मिट्टी से रगड़-रगड़कर धोया करते थे।

बाब 21 : इस बारे में कि गोबर से इस्तिंजा न करें

٢١- بَابُ لاَ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

(156) हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, कहा हमसे ज़ुहैर ने अबू

١٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

इस्हाक़ के वास्ते से नक़ल किया, अबू इस्हाक़ कहते हैं कि इस हदीष़ को अबू उ़बैदा ने ज़िक्र नहीं किया। लेकिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अल अस्वद ने अपने बाप से ज़िक्र किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि नबी करीम (ﷺ) रफ़ओ़ ह़ाजत के लिए गए, तो आपने मुझे फ़र्माया कि मैं तीन पत्थर तलाश करके आपके पास लाऊँ। लेकिन मुझे दो पत्थर मिले, तीसरा ढूँढ़ा मगर मिल न सका। तो मैंने ख़ुश्क गोबर उठा लिया। उसको लेकर आपके पास आ गया। आपने पत्थर (तो) ले लिए (मगर) गोबर फेंक दिया और फ़र्माया ये ख़ुद नापाक है। (और ये ह़दीष़) इब्राहीम बिन यूसुफ़ ने अपने बाप से बयान की, उन्होंने अबू इस्हाक़ से सुना, उनसे अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया।

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : لَيْسَ أَبُوعُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ بنعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: ((هَذَا رِكْسٌ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

इसको इसलिए नापाक फ़र्माया कि वो गधे की लीद थी जैसा कि इमाम ह़ाकिम की रिवायत में तशरीह़ है।

बाब 22 : इस बारे में कि वुज़ू में हर अ़ज़्व को एक एक बार धोना भी ष़ाबित है

٢٢- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

(157) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उनसे सुफ़्यान ने ज़ैद बिन असलम के वास्ते से बयान किया, वो अ़ता बिन यसार से, वो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू में हर अ़ज़्व को एक एक बार धोया।

١٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً.

मा'लूम हुआ कि अगर एक एक बार अअ़ज़ाअ को धो लिया जाए तो वुज़ू हो जाता है। अगरचे वो ष़वाब नहीं मिलता जो तीन तीन बार धोने से मिलता है।

बाब 23 : इस बारे में कि वुज़ू में हर अ़ज़्व को दो दो बार धोना भी ष़ाबित है

٢٣- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

(158) हमसे हुसैन बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यूनुस बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे फ़ुलैह़ बिन सुलैमान ने अ़ब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन मुहम्मद बिन अ़म्र बिन ह़ज़्म के वास्ते से बयान किया, वो अ़ब्बाद बिन तमीम से नक़ल करते हैं, वो अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) के वास्ते से बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने वुज़ू में अअ़ज़ा को दो-दो बार धोया।

١٥٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ

مَرَّتَيْنِ.

दो-दो बार धोने से भी वुज़ू हो जाता है। ये भी सुन्नत है मगर तीन-तीन बार धोना ज़्यादा अफ़ज़ल है।

बाब 24 : इस बारे में कि वुज़ू में हर अ़ज़्व को तीन—तीन बार धोना (सुन्नत है)

٢٤- بَابُ الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

(159) हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह अल उवैसी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, वो इब्ने शिहाब से नक़ल करते हैं, उन्हें अ़ता बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उन्हें हुम्रान हज़रत उ़ष्मान के मौला ने ख़बर दी कि उन्होंने हज़रत उ़ष्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) को देखा, उन्होंने (हमरान से) पानी का बर्तन मांगा। (और लेकर पहले) अपनी हथेलियों पर तीन मर्तबा पानी डाला, फिर उन्हें धोया उसके बाद अपना दाहिना हाथ बर्तन में डाला। और (पानी लेकर) कुल्ली की और नाक साफ़ की, फिर तीन बार अपना मुँह धोया और कोहनियों तक तीन बार दोनों हाथ धोए। फिर अपने सर का मसह किया। फिर (पानी लेकर) टख़नों तक तीन बार अपने दोनों पांव धोए। फिर कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स मेरी तरह ऐसा वुज़ू करे, फिर दो रकअ़त पढ़े, जिसमें अपने नफ़्स से कोई बात न करे। तो उसके गुज़िश्ता गुनाह मुआ़फ़ कर दिये जाते हैं।

(दीगर मक़ाम : 160, 164, 1939, 6433)

١٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

[أطرافه في: ١٦٠، ١٦٤، ١٩٣٤، ٦٤٣٣].

(160) और रिवायत की अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने इब्राहीम से, उन्होंने स़ालेह बिन कैसान से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, लेकिन उ़र्वा हुम्रान से रिवायत करते हैं कि जब हज़रते उ़ष्मान (रज़ि.) ने वुज़ू किया तो फ़र्माया। मैं तुमको ह़दीष़ सुनात हूँ, अगर क़ुर्आन पाक की एक आयत (नाज़िल) न होती तो मैं ये ह़दीष़ तुमको न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि आप फ़र्माते थे कि जब भी कोई शख़्स अच्छी तरह वुज़ू करता है और (ख़ुलूस के साथ) नमाज़ पढ़ता है तो उसके एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के पढ़ने तक के

١٦٠- وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا لَوْ لاَ آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: ((لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ

حَتّٰى يُصَلِّيَهَا)). قَالَ عُرْوَةُ : الآيَةُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [الْبَقَرَةُ : ١٥٩]. [راجع: ١٥٩]

गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। उर्वा कहते हैं वो आयत ये है (जिसका तर्जुमा ये है कि) जो लोग अल्लाह की इस नाज़िल की हुई हिदायत को छुपाते हैं जो उसने लोगों के लिये अपनी किताब में बयान की है। उन पर अल्लाह की लअ़नत है और (दूसरे) लअ़नत करनेवालों की लअ़नत है। (राजेअ़ : 159)

अअ़ज़ा-ए-वुज़ू का तीन-तीन बार धोना सुन्नत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये ही मा'मूल था। मगर कभी कभी आप एक-एक बार और दो-दो बार भी धो लिया करते थे, ताकि उम्मत के लिये आसानी हो।

٢٥- بَابُ الاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

बाब 25 : वुज़ू में नाक साफ़ करना ज़रूरी है, 'इस मसले को उ़ष्मान और अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल किया है.'

١٦١- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ)).

[طرفه في : ١٦٢].

(161) हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा उन्हें यूनुस ने ज़ुहरी के वास्ते से ख़बर दी, कहा उन्हें अबू इदरीस ने बताया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स वुज़ू करे उसे चाहिये कि नाक साफ़ करे और जो पत्थर से इस्तिंजा करे उसे चाहिये कि ताक़ अ़दद (यानी एक या तीन या पाँच ही) से करे।

(दीगर मक़ाम : 162)

मिट्टी के ढेले भी पत्थर ही में शुमार हैं बल्कि उनसे सफ़ाई ज़्यादा होती है।

٢٦- بَابُ الاسْتِجْمَارِ وِتْرًا

बाब 26 : ताक़ अ़दद (ढेलों) से इस्तिंजा करना चाहिये

١٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ

(162) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने अबुज़्ज़िनाद के वास्ते से ख़बर दी, वो अअ़रज से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई वुज़ू करे तो उसे चाहिये कि अपनी नाक में पानी दे फिर (उसे) साफ़ करे, और जो शख़्स पत्थरों से इस्तिंजा करे उसे चाहिये कि बेजोड़े अ़दद (यानी एक या तीन) से इस्तिंजा करे। और जब तुममें से कोई सोकर उठे, तो वुज़ू के पानी में हाथ डालने से पहले उसे धो ले क्योंकि तुममें से कोई नहीं

जानता कि रात को उसका हाथ कहाँ रहा है। (राजेअ : 161)

لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)). [راجع: ١٦١]

बाब 27 : दोनों पांव धोना चाहिये और क़दमों पर मसह न करना चाहिये

٢٧- بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

(163) हमसे मूसा ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने, वो अबू बिश्र से, वो यूसुफ़ बिन माहिक से, वो अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सफ़र मे हमसे पीछे रह गए । फिर (थोड़ी देर बाद) आप (ﷺ) ने हमको पा लिया और अस्र का वक़्त आ पहुँचा था। हम वुज़ू करने लगे और (अच्छी तरह पाँव धोने के बजाए जल्दी में) हम पांव पर मसह करने लगे। आपने फ़र्माया 'ऐड़ियों के लिए आग का अ़ज़ाब है।' दो बार या तीन बार फ़र्माया। (राजेअ : 60)

١٦٣- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. [راجع: ٦٠]

इसमें रवाफ़िज़ का रद्द है जो क़दमों पर बिला मौज़ों के मसह के क़ाइल हैं। इमाम बुख़ारी (रह) ने ह़दीषे बाब से षाबित किया है कि जब मौज़े पहने हुए न हो तो क़दमों का धोना फ़र्ज़ है जैसा कि आयते वुज़ू मे है। इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि पैर को भी दूसरे अअज़ा की तरह धोना चाहिये और इस तरह कि कहीं से कोई ह़िस्सा ख़ुश्क न रह जाए।

बाब 28 : वुज़ू में कुल्ली करना

٢٨- بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

इस मसले को इब्ने अ़ब्बास और अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल किया है

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ - ﷺ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(164) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने ज़ुहरी के वास्ते से, ख़बर दी, कहा हमको अ़ता बिन यज़ीद ने हुम्रान मौला उ़ष्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने वुज़ू का पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथों पर बर्तन से पानी (लेकर) डाला, फिर दोनों हाथों को तीन बार धोया। फिर अपना दाहिना हाथ वुज़ू के पानी में डाला। फिर कुल्ली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर नाक साफ़ की। फिर तीन बार अपना मुँह धोया और कुहनियों तक तीन बार हाथ धोये, फिर अपने सर का मसह किया। फिर हर एक पांव को तीन बार धोया। फिर फ़र्माया मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप मेरे इस वुज़ू की तरह ही वुज़ू किया करते थे और

١٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاَثًا،

आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स मेरे इस वुज़ू जैसा वुज़ू करे और (हुज़ूरे क़ल्ब से) दो रकअ़त पढ़े जिसमें अपने दिल से बातें न करे। तो अल्लाह तआ़ला उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर देता है। (राजेअ़ : 159)

ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). [راجع: ١٥٩]

इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि वुज़ू मे कुल्ली करना भी ज़रूरियात से है।

बाब 29 : ऐड़ियों के धोने के बयान में

٢٩- بَابُ غَسْلِ الأَعْقَابِ

इमाम इब्ने सीरीन वुज़ू करते वक़्त अंगूठी के नीचे की जगह (भी) धोया करते थे।

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ

(165) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो हमारे पास से गुज़रे और लोग लोटे से वुज़ू कर रहे थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया अच्छी तरह वुज़ू करो क्योंकि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़र्माया (ख़ुश्क) ऐड़ियों के लिये आग का अ़ज़ाब है।

١٦٥- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ - قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ: ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)).

मंशा ये है कि वुज़ू का कोई हिस्सा ख़ुश्क न रह जाए वरना वही हिस्सा क़यामत के दिन अ़ज़ाबे इलाही में मुब्तला किया जाएगा।

बाब 30 : इस बारे में कि जूतों के अंदर पांव धोना चाहिये और जूतों पर मसह न करना चाहिये

٣٠- بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

(166) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने सईद अल मक़्बरी के वास्ते से ख़बर दी, वो उ़बैदुल्लाह बिन जुरैज से नक़ल करते हैं कि उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कहा ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मैंने तुम्हें चार ऐसे काम करते हुए देखा है जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगे, ऐ इब्ने जुरैज! वो क्या है? इब्ने जुरैज ने कहा कि मैंने तवाफ़ के वक़्त आपको देखा कि दो यमानी रुक्नों के सिवा किसी और रुक्न को आप नहीं छूते हो। (दूसरे) मैंने आपको सिब्ती जूते पहने हुए देखा और (तीसरे) मैंने देखा आप ज़र्द रंग

١٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ،

इस्ते'माल करते हो और (चौथी बात) मैंने ये देखी हैं कि जब आप मक्का में थे, लोग (ज़िलहिज्जा का) चाँद देखकर लब्बैक पुकारने लगते हैं। (और) हज्ज का एहराम बाँध लेते हैं और आप आठवीं तारीख़ तक एहराम नहीं बाँधते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि (दूसरे) अरकान को तो मैं यूँ नहीं छूता कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यमानी रुक्नों के अलावा किसी और रुक्नोंको छूते हुए नहीं देखा और रहे सिब्ती जूते तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे और आप उन्हीं को पहने—पहने वुज़ू किया करते थे, तो मैं भी उन्हीं को पहनना पसंद करता हूँ और ज़र्द (पीले) रंग की बात ये है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़र्द रंग रंगते हुए देखा है तो मैं भी उसी रंग में रंगना पसन्द करता हूँ। एहराम बाँधने का मुआमला ये है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उस वक़्त तक एहराम बाँधते हुए नहीं देखा। जब तक कि आपकी ऊँटनी आपको लेकर न चल पड़ती। (राजेअ : 1514, 1554, 1609, 2765, 8551)

وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

[أطرافه في : ١٥١٤، ١٥٥٢، ١٦٠٩، ٢٨٦٥، ٥٨٥١].

बाब 31 : वुज़ू और ग़ुस्ल में दाहिनी जानिब से इब्तिदा करना ज़रूरी है

٣١- بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

(167) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे इस्माईल ने, उनसे ख़ालिद ने हफ़्सा बिन्ते सीरीन के वास्ते से नक़ल किया, वो उम्मे अतिय्या से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी (मरहूमा) साहबज़ादी (हज़रते ज़ैनब) को ग़ुस्ल देने के वक़्त फ़र्माया था कि ग़ुस्ल दाहिनी तरफ़ से दो और अअज़ा—ए—वुज़ू से ग़ुस्ल की इब्तिदा करो।

(दीगर मक़ाम : 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263)

١٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)).

[أطرافه في : ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣].

वुज़ू और ग़ुस्ल में दाहिनी तरफ़ से काम शुरू करना मस्नून है, उसके अलावा दूसरे कामों में भी ये तरीक़ा मस्नून है।

(168) हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने

١٦٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ:

बयान किया, उन्हें अशअष़ बिन सुलैम ने ख़बर दी, उनके बाप ने मसरूक़ से सुना, वो उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रते आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि वो फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जूता पहनने, कँघी करने, वुज़ू करने और अपने हर काम में दाहिनी तरफ़ से काम की शुरूआत करने को पसंद करते थे।

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

(दीगर मक़ाम : 426, 8380, 5854)

[أطرافه في: ٤٢٦، ٥٣٨٠، ٥٨٥٤].

बाब 32 : इस बारे में कि नमाज़ का वक़्त हो जाने पर पानी की तलाश ज़रूरी है

٣٢- بَابُ الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاَةُ

'उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रते आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि (एक सफ़र में) सुबह हो गई। पानी तलाश किया गया, मगर नहीं मिला। तो आयते तयम्मुम नाज़िल हुई।'

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.

(169) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको मालिक ने इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से ख़बर दी, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से नक़ल करते हैं, वो फ़र्माते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि नमाज़े अ़स्र का वक़्त आ गया, लोगों ने पानी तलाश किया, जब उन्हें पानी न मिला, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास (एक बर्तन में) वुज़ू के लिये पानी लाया गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसमें अपना हाथ डाल दिया और लोगों को हुक्म दिया कि इसी (बर्तन) से वुज़ू करें। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने देखा कि आपकी उँगलियों के नीचे से पानी (चश्मे की तरह) उबल रहा था। यहाँ तक कि (क़ाफ़िले के) आख़िरी आदमी ने भी वुज़ू कर लिया।

١٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

(दीगर मक़ाम : 195, 200, 3572, 3573, 3578, 3575)

[أطرافه في: ١٩٥، ٢٠٠، ٣٥٧٢، ٣٥٧٣، ٣٥٧٤، ٣٥٧٥].

ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुअ़जज़ा था कि एक प्याला पानी से सब लोगों ने वुज़ू कर लिया। वुज़ू के लिये पानी तलाश करना इससे षाबित हुआ, न मिले तो फिर तयम्मुम कर लेना चाहिये।

बाब 33 : इस बयान में कि जिस पानी से आदमी के बाल धोए जाएँ उस पानी का इस्ते'माल करना जाइज़ है या नहीं?

٣٣- بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

अ़ता बिन अबी रिबाह़ आदमियों के बालों से रस्सियाँ या डोरियाँ

وَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا

الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ. وَسُؤْرِ الْكِلاَبِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وَهَذَا مَاءٌ. وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ.

बनाने में कुछ हर्ज़ नहीं देखते थे और कुत्तों के जूठे और उनके मस्जिद से गुज़रने का बयान। ज़ुहरी कहते हैं कि जब कुत्ता किसी (पानी के भरे) बर्तन में मुँह डाल दे और उसके अलावा वुज़ू के लिए और पानी मौजूद न हो तो उससे वुज़ू किया जा सकता है। सुफ़यान कहते हैं कि ये मसला अल्लाह तआला के इस इर्शाद से समझ में आता है। जब पानी न पाओ तो तयम्मुम कर लो और कुत्ते का जूठा पानी (तो) है। (मगर) तबीअत उससे नफ़रत करती है। (बहरहाल) उससे वुज़ू कर ले और (एहतियातन) तयम्मुम भी कर ले।

١٧٠- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ. عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ - أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ - فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
[طرفه في: ١٧١].

(170) हमसे मालिक बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे इस्राईल ने आसिम के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने सीरीन से नक़ल करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने उबैदा (रज़ि.) से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) के कुछ बाल (मुबारक) हैं, जो हमें हज़रत अनस (रज़ि.) से या अनस (रज़ि.) के घरवालों की तरफ़ से मिले हैं। (ये सुनकर) उबैदा ने कहा कि अगर मेरे पास उन बालों में से एक बाल भी होता तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और उसकी हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ होता। (दीगर मक़ाम : 171)

١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ. [راجع: ١٧٠]

(171) हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको सईद बिन सुलैमान ने ख़बर दी, कहा हमसे अ़ब्बाद ने इब्ने औन के वास्ते से बयान किया। वो इब्ने सीरीन से, वो हज़रते अनस बिन मालिक (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने (हज्जतुल विदाअ़ में) जब सर के बाल मुँडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा (रज़ि.) ने आपके बाल लिए थे।
(दीगर मक़ाम : 170)

सय्यदुल मुहद्दिषीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) की ग़र्ज़ इस हदीष से इंसान के बालों की पाकी और तहारत बयान करना मक़सूद है। फिर इन अहादीष से ये भी षाबित होता है कि आप (ﷺ) ने अपने बालों को तबर्रुक के लिये लोगों में तक़सीम फ़र्माया।

٣٤- بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ

बाब 34 : जब कुत्ता बर्तन में पी ले (तो क्या करना चाहिये?)

١٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ

(172) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से ख़बर दी, वो अअ़रज से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब कुत्ता तुममें से किसी के बर्तन में से (कुछ) पी ले तो उसको

सात बार धो लो (तो पाक हो जाएगा)

أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا)).

(173) हमसे इस्हाक़ ने बयान किया, कहा हमको अ़ब्दुस्समद ने ख़बर दी, कहा हमको अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से सुना, वो अबू स़ालेह से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से नक़ल करते हैं आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक शख़्स ने एक कुत्ते को देखा, जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था। तो उस शख़्स ने अपना मोज़ा लिया और उससे पानी भरकर पिलाने लगा, यहाँ तक कि उसको ख़ूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने उस शख़्स के इस काम की क़द्र की और उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया। (दीगर मक़ाम : 2363, 2466, 6009)

١٧٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ)).

[أطرافه في: ٢٣٦٣، ٢٤٦٦، ٦٠٠٩].

(174) अहमद बिन शबीब ने कहा कि हमसे मेरे वालिद ने यूनुस के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने शिहाब से नक़ल करते हैं, उन्होंने कहा मुझसे ह़म्ज़ा बिन अ़ब्दुल्लाह ने अपने बाप (यानी ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया। वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते थे लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे।

١٧٤- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

तशरीह़ : अ़ल्लामा इब्ने ह़जर (रह़) फ़त्ह़ुल बारी में फ़र्माते हैं कि ये मामला इस्लाम के इब्तिदाई दौर में था जबकि मस्जिद के किवाड़ वग़ैरह भी न थे, उसके बाद जब मसाजिद के बारे में एह़तिराम व एहतिमाम का हुक्म नाज़िल हुआ तो इस तरह की सब बातों से मना कर दिया गया जैसा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर की रिवायत में है कि ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि) ने बुलंद आवाज़ से फ़र्माया कि लोगों! मस्जिद में बेहूदा बात करने से परहेज़ किया करो, तो जब लग़्व बातों से रोक दिया गया, तो दूसरे उमूर (कामों) का ह़ाल भी बदर्ज–ए–औला मा'लूम हो गया। इसीलिए इससे पहले ह़दीष़ में कुत्ते के जूठे बर्तन को 7 बार धोने का हुक्म आया। अब वही हुक्म बाक़ी है, जिसकी ताईद और बहुत सी अह़ादीष़ से होती है। बल्कि कुछ रिवायात में कुत्ते के झूठे बर्तन के बारे में इतनी ताकीद आई है कि उसे पानी के अलावा आठवीं बार मिट्टी से स़ाफ़ करने का भी हुक्म है। मिट्टी से अव्वल मर्तबा धोना चाहिये फिर सात बार पानी से धोना चाहिये।

इस मसले में अह़नाफ़ और अहले ह़दीष़ का इख़्तिलाफ़ : कुत्ते के झूठे बर्तन को सात बार पानी से धोना और एक बार स़िर्फ़ मिट्टी से मांझना वाजिब है। ये अहले ह़दीष़ का मज़हब है और स़िर्फ़ तीन बार पानी से धोना ये ह़नफ़िया का मज़हब है। सरताजे उ़लम–ए–अहले ह़दीष़ ह़ज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रह़मान स़ाह़ब मुबारकपुरी क़द्दस सिर्रुहु फ़र्माते हैं, '**क़ालश्शौकानी फिन्नैलि वल ह़दीषु यदुल्लु अ़ला वुजूबिल ग़स्लातिस्सबइ मिन वुलूगिल कल्बि व इलैहि ज़हबब्नु अ़ब्बासिन व उ़र्वतुब्नुज़्ज़ुबैर व मुहम्मदुब्नु सीरीन व ताऊस व अ़म्रुब्नु दीनारिन वल औज़ाई व मालिक वश्शाफ़िई व अह़मदुब्नु ह़म्बल व इस्हाक़ व अबू ष़ौर व अबू उ़बैदत व दाऊदु इन्तहा व क़ालन्नववी वजूबु ग़ुस्लि निजासति वुलूगिल क़ल्बि सब्अ मर्रातिन व हाज़ा मज़हबुना व मज़हबु मालिक वल जमाहीर व क़ाल अबू हनीफ़त यक्फ़ी गस्लुहू ष़लाष़ मर्रातिन इन्तहा व क़ालल हाफ़िज़ु फिल्फ़तहि व अम्मल हनफ़िय्यतु फ़लम यक़ूलू बिवुजूबिस्सबइ वलत्तर्तीब।**' (तुह़फ़तुल अह़वज़ी जिल्द नं. 1 पेज नं. 93)

ख़ुलासा इस इबारत का यही है कि उन अहादीष़ की बिना पर जुम्हूर उलम—ए—इस्लाम, सहाबा किराम व ताबेईने इज़ाम व अइम्म ए ष़लाष़ा (तीनों इमामों) व दीगर मुहद्दिषीन का मज़हब यही है कि सात मर्तबा धोया जाए। बरख़िलाफ़ इसके हनफ़िया सिर्फ़ तीन ही दफ़ा धोने के क़ाइल हैं और उनकी दलील वो हदीष़ है जिसे तबरानी ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) से रिवायत किया है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम्हारे किसी बर्तन में कुत्ता चेहरा डाल दे तो उसे तीन बार या पाँच बार या सात बार धो डालो। जवाब उसका ये है कि ये हदीष़ ज़ईफ़ है, इसलिए कि शैख़ इब्ने हम्माम हनफ़ी ने फ़त्हुल क़दीर में लिखा है कि हस्बे वज़ाहत इमाम दारे कुत्नी उसकी सनद में एक रावी अ़ब्दुल वह्हाब नामी मतरूक है, जिसने इस्माईल नामी अपने उस्ताद से इस हदीष़ को इस तरह बयान किया। हालाँकि उन ही इस्माईल से दूसरे रावी इसी हदीष़ को रिवायत करते हैं। जिन्होंने सात बार धोना नक़ल किया है। दूसरा जवाब ये कि ये हदीष़ दारे कुत्नी में है जो तब्क़—ए—ष़ालिष़ा की किताब है और सुनन इब्ने माजा में ये रिवायत है, **'अख़्रजब्नु माजत अन अबी रिज़ीन क़ाल रायतु अबा हुरैरत यज़्रिबु जब्हतहू बियदिही व यक़ूलु या अहलल इराक़ि अन्तुम तज्उमून इन्नी अक्ज़बु अला रसूलिल्लाहि (ﷺ) लियकून लकुमुल हना व अलल इष़्मि अश्हदु समिअ्तु रसूलल्लाहि (ﷺ) यक़ूलु इज़ा वलगल कल्बु फ़ी इनाइ अहदिकुम फ़ल्यग़सिल्हु सब्अ मर्रातिन'** (तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द नं. 1 पेज नं. 94) यानी अबू रज़ीन कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) को देखा आप इज़्हारे अफ़सोस करते हुए अपनी पेशानी पर हाथ मार रहे थे और फ़र्मा रहे थे कि ऐ इराक़ियो! तुम ऐसा ख़्याल रखते हो कि मैं तुम्हारी आसानी के लिये रसूले करीम (ﷺ) पर झूठ बाँधूं और गुनाहगार बनूँ। याद रखो मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना, आपने फ़र्माया कि जब कुत्ता तुम्हारे बर्तन में चेहरा डाले तो उसे सात मर्तबा धो डालो। मा'लूम हुआ कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) से तीन बार धोने की रिवायत नाक़ाबिले ए'तिबार है। अ़ल्लामा अ़ब्दुल हई लखनवी (रह़) ने बड़ी तफ़्सील से दलाइले ख़िलाफ़िया पर मुंसिफ़ाना रोशनी डाली है। (देखो सआ़या पेज नं. 451)

कुछ लोगों को वहम हुआ है कि इमाम बुख़ारी (रह़) के नज़दीक कुत्ता और कुत्ते का जूठा पाक है। अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह़) फ़त्हुल बारी में फ़र्माते हैं कि कुछ उलम—ए—मालिकिया वग़ैरह कहते हैं कि उन अहादीष़ से इमाम बुख़ारी(रह़) की ग़र्ज़ कुत्ते की और उसके जूठे की पाकी ष़ाबित करना है और कुछ उलमा कहते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह़) की ये ग़र्ज़ नहीं है बल्कि आपने सिर्फ़ लोगों के मज़हब बयान किये हैं। वो ख़ुद उसके क़ाइल नहीं हैं इसलिए कि तर्जुमा में आपने सिर्फ़ कुत्ते के जूठे का नाम लिया। यूँ नहीं कहा कि कुत्ते का जूठा पाक है। हदीषे बुख़ारी के ज़ेल में शैख़ुल हदीष़ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी फ़र्माते हैं, **'व फ़िल हदीषि दलीलुन अला निजासति फ़मिल कल्बि मिन हैष़ुल अम्रि बिल ग़स्लि लिमा व लग फ़ीहि वल इराक़तु लिलमाइ'** (मिर्आ़त जिल्द नं. 1 पेज नं. 324) यानी इस हदीषे मज़्कूरा बुख़ारी में दलील है कि कुत्ते का मुँह नापाक है इसीलिए जिस बर्तन में वो मुँह डाल दे उसे धोने और उस पानी के बहा देने का हुक्म हुआ। अगर उसका मुँह पाक होता तो पानी को इस तौर पर ज़ाया (नष्ट) करने का हुक्म न दिया जाता। मुँह के नापाक होने का मतलब उसके तमाम जिस्म नापाक होना है।

अ़ब्दुल्लाह बिन मअ़क़ल की हदीष़ जिसे मुस्लिम व दीगर मुहद्दिषीन ने नक़ल किया है, इसका मफ़्हूम ये है कि सात बार पानी से धोना चाहिये और आठवीं बार मिट्टी से। इसकी वज़ाहत करते हुए हज़रत शैख़ुल हदीष़ मुबारकपुरी मदज़िल्लुहुल आली फ़र्माते हैं, **'व जाहिरूहु यदुल्लु अला ईजाबि ष़मानि ग़सलातिन व इन्न ग़सलहुत्तर्तीब ग़ैरल ग़सलातिस्सबइ व इन्नत्तर्तीब ख़ारिजुन अन्हा वल हदीषु क़द अजमउ अला सिह्हति इस्नादिही व हिय ज़्यादतुन ष़िक़तुन'** (मिर्आ़त जिल्द 1 पेज नं. 324) यानी इससे आठ बार धोने का वजूब ष़ाबित होता है और ये कि मिट्टी से धोने का मामला सात दफ़ा पानी से धोने के अलावा है। ये हदीष़ बिल इत्तिफ़ाक़ सहीह है और पहली मर्तबा मिट्टी से धोना भी सहीह है। जो पहले ही होना चाहिये बाद में सात दफ़ा पानी से धोया जाए।

बाक़ी अहनाफ़ के दीगर के मुफ़स्सल जवाबात शैख़ुल अ़ल्लाम हज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी (रह़) ने अपनी माया नाज़ (मशहूर) किताब **इब्कारुल मिनन** (पेज नं. 29–32) में ज़िक्र फ़र्माए हैं । उनका यहाँ बयान करना तवालत का बाइ़ष़ होगा।

मुनासिब होगा कि कुत्ते के लुआब के बारे में ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) के मसलक के बारे में ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अनवर शाह स़ाह़ब देवबन्दी (रह़) का क़ौल भी नक़ल कर दिया जाए जो स़ाह़िबे अनवारुल बारी की रिवायत से ये है

इमाम बुख़ारी (रह़) से ये बात मुस्तब्अ़द है कि वो लुआबे कल्ब (कुत्ते के थूक) की त़हारत के क़ाइल हों, जबकि इस बाब में क़त्इयात से नजासत का षुबूत हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह़) ने दोनों त़रफ़ की अह़ादीष़ ज़िक्र कर दी हैं। नाज़िरीन ख़ुद ये फ़ैसला कर लें क्योंकि ये भी उनकी एक आदत है। जब वो किसी बाब में दोनों जानिब कुव्वत देखते हैं तो दोनों त़रफ़ की अह़ादीष़ ज़िक्र कर दिया करते हैं। जिससे ये इशारा होता है कि वो ख़ुद भी किसी एक जानिब का यक़ीन नहीं फ़र्माते वल्लाहु आलम। (अनवारुल बारी जिल्द नं. 5 पेज नं. 107) कल्बि मुअ़ल्लम की ह़दीष़ नीचे लाने से भी ज़ाहिर है कि ह़ज़रत इमाम उ़मूमी त़ौर पर लुआबे कल्ब की त़हारत के क़ाइल नहीं हैं।

कल्बि मुअ़ल्लम (सधाया हुआ कुत्ता) वो कुत्ता जिसमें इत़ाअ़त शिआ़री (वफ़ादारी) का माद्दा बहुत ज़्यादा हो और जब भी वो शिकार करे कभी उसमें से ख़ुद कुछ न खाए। (किरमानी)

١٧٥– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ)). قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ. قَالَ: ((فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ)).

[أطرافه في : ٢٠٥٤، ٥٤٧٥، ٥٤٧٦، ٥٤٧٧، ٥٤٨٣، ٥٤٨٤، ٥٤٨٥، ٥٤٨٦، ٥٤٨٧، ٧٣٩٧].

(175) हमसे ह़फ़्स़ बिन उ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने इब्ने अबिस्सफ़र के वास्ते से बयान किया, वो शुअ़बी से नक़ल फ़र्माते हैं, वो अ़दी बिन ह़ातिम से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (कुत्ते के शिकार के बारे में) पूछा तो आपने फ़र्माया कि जब तू अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़ दे और वो शिकार कर ले तो तू उस (शिकार) को खा और अगर वो कुत्ता उस शिकार में से ख़ुद (कुछ) खा ले तो तू (उसको) न खाइयो क्योंकि अब उसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि कभी–कभी (शिकार के लिए) अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। आपने फ़र्माया, फिर मत खा क्योंकि तुमने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पढ़ी थी। दूसरे कुत्ते पर नहीं पढ़ी।

(दीगर मक़ाम : 2054, 5475, 5476, 5477, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 7397)

इस ह़दीष़ की अस़ल बह़ष़ किताबुस्सैद में आएगी, इंशाअल्लाहु तआ़ला! मा'लूम हुआ कि आम कुत्ते की नजासत के हुक्म से सधाए हुए कुत्तों के शिकार का इस्तिष़्ना है, बशराइते मा'लूमा मज़्कूरा।

बाब 35 : इस बारे में कि कुछ लोगों के नज़दीक स़िर्फ़ पेशाब और पाख़ाने की राह से कुछ निकलने से वुज़ू टूटता है

٣٥– بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلاَّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ: يُعِيْدُ

क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है कि जब तुममें से कोई क़ज़ा-ए-ह़ाजत से फ़ारिग़ होकर आए तो तुम पानी न पाओ तो तयम्मुम कर लो। अ़त़ा कहते हैं कि जिस शख़्स़ के पिछले ह़िस्से

से (यानी दुबुर से) या अगले हिस्से से (यानी ज़कर या फ़रज से) कोई कीड़ा या जूँ की क़िस्म का कोई जानवर निकले उसे चाहिये कि वुज़ू लौटाए और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब (आदमी) नमाज़ में हंस पड़े तो नमाज़ लौटाए और वुज़ू न लौटाए और हसन (बसरी) ने कहा कि जिस शख़्स ने (वुज़ू के बाद) अपने बाल उतरवाए या नाख़ून कटवाए या मोज़े उतार डाले उस पर वुज़ू नहीं है। हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि वुज़ू हदष़ के सिवा किसी और चीज़ से फ़र्ज़ नहीं है और हज़रत जाबिर से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ातुर्रिक़ाअ की लड़ाई में (तशरीफ़ फ़र्मा) थे। एक शख़्स के तीर मारा गया और उस (के जिस्म) से बहुत ख़ून बहा मगर फिर भी उसने रुकूअ और सज्दा किया और नमाज़ पूरी कर ली और हसन बसरी ने कहा कि मुसलमान हमेशा अपने ज़ख़्मों के बावजूद नमाज़ पढ़ा करते थे और ताऊस, मुहम्मद बिन अली और अहले हिजाज़ के नज़दीक ख़ून (निकलने) से वुज़ू (वाजिब) नहीं होता। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने (अपनी) एक फुंसी को दबा दिया तो उसमें से ख़ून निकला। मगर आपने (दोबारा) वुज़ू नहीं किया और इब्ने अबी औफ़ा ने ख़ून थूका। मगर वो अपनी नमाज़ पढ़ते रहे और इब्ने उमर और हसन (रज़ि.) पछने लगवाने वाले के बारे में ये कहते हैं कि जिस जगह पछने लगे हों उसको धो ले, दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं।

الْوُضُوءَ. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ. وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ غَسْلُ مَحَاجِمِهِ.

(176) हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद अल मक़्बरी ने बयान किया, वो हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि बन्दा उस वक़्त तक नमाज़ ही में रहता है जब तक कि मस्जिद में नमाज़ का इंतिज़ार करता है। उस वक़्त तक कि वो हदष़ न करे। एक अज्मी आदमी ने पूछा कि ऐ अबू हुरैरह (रज़ि.)! हदष़ क्या चीज़ है? उन्होंने फ़र्माया कि हवा जो पीछे से ख़ारिज हो। (जिसे उर्फ़े आम में गूज़ मारना कहते हैं)

(दीगर मक़ाम : 445, 477, 647, 648, 659, 2119, 3229, 4717)

١٧٦- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ)). فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ (يَعْنِي الضَّرْطَةَ).

[أطرافه في : ٤٤٥، ٤٧٧، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٥٩، ٢١١٩، ٣٢٢٩، ٤٧١٧].

(177) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने उ़यय्ना ने, वो ज़ुहरी से, वो अ़ब्बाद बिन तमीम से, वो अपने चाचा से, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (नमाज़ी नमाज़ से) उस वक़्त तक न फिरे जब तक (कि रीह) की आवाज़ न सुन ले या उसकी बू न पा ले।

(राजेअ़ : 137)

١٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا)).

[راجع: ١٣٧]

ख़ुलास़–ए–ह़दीष़ ये है कि जब तक वुज़ू टूटने का यक़ीन न हो, उस वक़्त तक महज़ किसी शुब्हा की बिना पर नमाज़ न तोड़े।

(178) हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने अ़अ़मश के वास्ते से बयान किया, वो मुंज़िर से, वो अबू यअ़ला ष़ौरी से, वो मुहम्मद इब्नुल ह़नफ़िय्या से नक़ल करते हैं कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं ऐसा आदमी था जिसको सैलाने मज़ी की शिकायत थी, मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछते हुए मुझे शर्म आई तो मैंने इब्नुल अस्वद को हुक्म दिया, उन्होंने आप (ﷺ) से पूछा, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इसमें वुज़ू करना फ़र्ज़ है। इस रिवायत को शुअ़बा ने भी अ़अ़मश से रिवायत किया।

(राजेअ़ : 133)

١٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((فِيْهِ الْوُضُوْءُ)). وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ. [راجع: ١٣٣]

(179) हमसे सअ़द बिन ह़फ़्स़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शैबान ने यह्या के वास्ते से नक़ल किया, वो अ़ता बिन यसार से नक़ल करते हैं, उन्हें ज़ैद बिन ख़ालिद ने ख़बर दी कि उन्होंने ह़ज़रत उ़ष़्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) से पूछा कि अगर कोई शख़्स सुह़बत करे और मनी न निकले। फ़र्माया कि वुज़ू करे जिस तरह नमाज़ के लिए वुज़ू करता है और अपने अ़ज़्व को धो ले। ह़ज़रते उ़ष़्मान (रज़ि.) कहते हैं कि (ये) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है। (ज़ैद बिन ख़ालिद कहते हैं कि) फिर मैंने इसके बारे में ह़ज़रते अ़ली, ज़ुबैर, त़ल्ह़ा और उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से पूछा। सबने उस शख़्स के बारे में यही हुक्म दिया।

(दीगर मक़ाम : 292)

١٧٩- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

[طرفه في : ٢٩٢].

(180) हमसे इस्ह़ाक़ बिन मंस़ूर ने बयान किया, कहा हमें नज़्र ने ख़बर दी, कहा हमको शुअ़बा ने ह़कम के वास्ते से बतलाया, वो ज़क्वान से, वो अबू स़ालेह से, वो अबू सईद ख़ुदरी से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक अंस़ारी को बुलाया। वो आए

١٨٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ))؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أُعْجِلْتَ - أَوْ قُحِطْتَ - فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ)).

तो उनके सिर से पानी टपक रहा था। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ! तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब कोई जल्दी (का काम) आ पड़े या तुम्हें इंज़ाल न हो तो तुम पर वुज़ू है (गुस्ल ज़रूरी नहीं)

तश्रीह : ये सब रिवायात इब्तिदाई अ़हद से मुता'ल्लिक़ हैं। अब सुहबत के बाद गुस्ल फ़र्ज़ है ख़्वाह इंज़ाल हो या न हो, 'क़ालन्नववी इअ़लम अन्नल उम्मत मुज्तमिअ़तुल्आन अला वुजूबिल गुस्लि बिल्जिमाइ व इल्लम यकुम्मअहू इन्ज़ालुन व कानत जमाअ़तुम्मिनस्सहाबति अला अन्नहू ला यजिबु इल्ला बिलइन्ज़ालि षुम्म रजअ बअ़जुहुम वन्अक़दल इज्माउ बदअल आख़रीन इन्तहा क़ुल्तु ला शक्क फ़ी अन्न मज़्हबल जुम्हूरि हुवल हक़्क़ु वस़्स़वाबु' (तुहफ़तुल अहवज़ी पेज नं. 110–111)

यानी अब उम्मत का इज्माअ़ है कि जिमाअ़ करने से गुस्ल वाजिब होता है मनी निकले या न निकले। (हज़रत मौलाना व शैख़ुना अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह) फ़र्माते हैं) कि मैं कहता हूँ यही हक़ व स़वाब है।

٣٦- بَابُ الرَّجُلِ يُوَضِّيءُ صَاحِبَهُ

बाब 32 : उस शख़्स के बारे में जो अपने साथी को वुज़ू कराए

١٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: ((الْمُصَلَّى أَمَامَكَ)).

(181) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको यज़ीद बिन हारून ने यह्या से ख़बर दी, वो मूसा बिन उ़क़्बा से, वो कुरैब इब्ने अ़ब्बास के आज़ादकर्दा गुलाम से, वो उसामा बिन ज़ैद से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब अ़रफ़ा से लौटे तो (पहाड़ की) घाटी की जानिब मुड़ गए, और रफ़अ़े हाजत की उसामा कहते हैं कि फिर (आप ﷺ ने वुज़ू किया और) मैंने आप (ﷺ) के (अअ़ज़ा) पर पानी डालने लगा और आप (ﷺ) वुज़ू फ़र्माते रहे। मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (अब) नमाज़ पढ़ेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया नमाज़ की जगह तुम्हारे सामने (यानी मुज़दलिफ़ा में) है, वहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी।

इस ह़दीष़ से ष़ाबित हुआ कि वुज़ू में दूसरे आदमी की मदद लेना जाइज़ है।

١٨٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ

(182) हमसे अ़म्र बिन अ़ली ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उन्होंने कहा मैंने यह्या बिन सईद से सुना, उन्होंने कहा मुझे सअ़द बिन इब्राहीम ने नाफ़ेअ़ बिन जुबैर बिन मुत़इम से बतलाया। उन्होंने उ़र्वा बिन मुग़ीरह बिन शुअ़बा से सुना, वो मुग़ीरह बिन शुअ़बा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि वो एक सफ़र में रसूले करीम (ﷺ) के साथ थे। (वहाँ) आप

रफ़्ओ हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए (जब आप वापस आए, आप ﷺ ने वुज़ू शुरू किया) तो मुग़ीरह बिन शुअबा आपके (अअज़ा–ए–वुज़ू) पर पानी डालने लगे। आप (ﷺ) वुज़ू कर रहे थे आपने अपने मुँह और हाथों को धोया, सर का मसह किया और मौज़ों पर मसह किया।

(दीगर मक़ाम : 203, 206, 363, 388, 2918, 4421, 5798, 5799)

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

[أطرافه في : ٢٠٣، ٢٠٦، ٣٦٣، ٣٨٨، ٢٩١٨، ٤٤٢١، ٥٧٩٨، ٥٧٩٩].

बाब 37 : बेवुज़ू होने की हालत में तिलावते कुर्आन करना वग़ैरह और जो जाइज़ हैं उनका बयान

٣٧- بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

मंसूर ने इब्राहीम से नक़ल किया है कि हम्माम (ग़ुस्लख़ाना) में तिलावते क़ुर्आन में कुछ हर्ज नहीं, इसी तरह बग़ैर वुज़ू ख़त लिखने में (भी) कुछ हर्ज नहीं और हम्माद ने इब्राहीम से नक़ल किया है कि अगर उस (हम्माम वाले आदमी के बदन) पर तह्बन्द हो तो उसको सलाम करो, और अगर (तह्बन्द) न हो तो सलाम मत करो।

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلاَّ فَلاَ تُسَلِّمْ.

(183) हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने मख़रमा बिन सुलैमान के वास्ते से नक़ल किया, वो कुरैब—इब्ने अब्बास (रज़ि.) के आज़ादकर्दा ग़ुलाम—से नक़ल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि उन्होंने एक रात रसूले करीम (ﷺ) की ज़ौज–ए–मुतह्हरा और अपनी ख़ाला हज़रते मैमूना (रज़ि.) के घर में गुज़ारी। (वो फ़र्माते हैं कि) मैं तकिया के अर्ज़ (यानी गोशे) की तरफ़ लेट गया और रसूले करीम (ﷺ) और आपकी अहलिया ने (मा'मूल के मुताबिक़) तकिये की लम्बाई पर (सर रखकर) आराम फ़र्माया। रसूलुल्लाह (ﷺ) सोते रहे और जब आधी रात हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद आप बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आँखें मलने लगे। फिर आपने सूरह आले इमरान की आख़िरी दस आयतें पढ़ीं, फिर एक मश्कीज़े के पास जो (छत में) लटका हुआ था आप खड़े हो गए

١٨٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ- وَهِيَ خَالَتُهُ - فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ - أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَو بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ. ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ

और उससे वुज़ू किया और अच्छी तरह फिर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने लगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं मैंने भी खड़े होकर ऐसे ही किया, जिस तरह आप (ﷺ) ने वुज़ू किया था। फिर जाकर मैं भी आपके पहलू में खड़ा हो गया। आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रख दिया और मेरा दाहिना कान पकड़कर मरोड़ने लगे। फिर आपने दो रकअतें पढ़ीं। उसके बाद फिर दो रकअतें पढ़ीं। फिर दो रकअतें पढ़ीं, फिर दो रकअतें, फिर दो रकअतें, फिर दो रकअतें पढ़कर उसके बाद आपने वित्र पढ़ा और लेट गए, फिर जब मुअज़्ज़िन आप (ﷺ) के पास आया, तो आपने उठकर दो रकअत मा'मूली (तौर पर) पढ़ीं। फिर बाहर तशरीफ़ लाकर सुबह की नमाज़ पढ़ी।

(राजेअ : 117)

فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. [راجع: ١١٧]

तशरीह : आँहज़रत (ﷺ) ने नींद से उठने के बाद बग़ैर वुज़ू आयाते क़ुर्आनी पढ़ीं, इससे ष़ाबित हुआ कि बग़ैर वुज़ू तिलावते क़ुर्आन शरीफ़ जाइज़ है। वुज़ू करके तहज्जुद की बारह रकअतें पढ़ीं और वित्र भी अदा फ़र्माए, फिर लेट गये, सुबह की अज़ान के बाद जब मुअज़्ज़िन आपको जगाने के लिए पहुँचा तो आपने फ़ज्र की सुन्नतें कम क़िरात के साथ पढ़ीं, फिर फ़ज्र की नमाज़ के लिए आप (ﷺ) बाहर (मस्जिद में) तशरीफ़ ले गये।

सुन्नते फ़ज्र के बाद लेटना स़ाहिबे अनवारुल बारी के लफ़्ज़ों में : इस ह़दीष़ में आँह़ज़रत (ﷺ) का तहज्जुद में वित्र के बाद लेटना मज़्कूर है और दूसरी रिवायत से ष़ाबित है कि आप (ﷺ) सुन्नते फ़ज्र के बाद भी थोड़ी देर के लिए दाएँ करवट पर लेटा करते थे।

इसी बिना पर अहले ह़दीष़ के यहाँ ये इज़्तिजाह मामूल है। स़ाहिबे अनवारुल बारी के लफ़्ज़ों मे इसकी बाबत ह़नफ़िया का फ़त्वा ये है ह़नफ़िया सुन्नते फ़ज्र के बाद लेटने को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की आदते मुबारका पर मह़मूल करते हैं और सुन्नते मक़्सूदा आपके ह़क़ में नहीं समझते। लिहाज़ा अगर कोई शख़्स आपकी आदते मुबारका की इक़्तिदा के त़रीक़े पर ऐसा करेगा माजूर होगा, इसीलिए हम इसको बिदअत नहीं कह सकते और जिसने हमारी त़रफ़ ऐसी निस्बत की है वो ग़लत है। (अनवारुल बारी जिल्द नं. 5 पेज नं. 137)

अहले ह़दीष़ के इस मामूल को बिरादराने अह़नाफ़ उ़मूमन बल्कि अकाबिर अह़नाफ़ तक बनज़रे तख़्फ़ीफ़ देखा करते हैं। मुक़ामे शुक्र है कि मुह़तरम स़ाहिबे अनवारुल बारी ने इसे आँह़ज़रत (ﷺ) की आदते मुबारका तस्लीम कर लिया और इसकी इक़्तिदा करने वाले को माजूर क़रार दिया और बिदअती कहने वालों को ख़ात़ी (ख़ताकार) ठहराया। अल्ह़म्दुलिल्लाह अहले ह़दीष़ के लिए बाइ़ष़े फ़ख़्र है कि वो आँह़ज़रत (ﷺ) की आ़दाते मुबारका अपनाएँ और उनको अपने लिए मामूल क़रार दें।

बाब 38 : इस बारे में कि कुछ उलमा के नज़दीक सिर्फ़ बेहोशी के शदीद दौरा ही से वुज़ू टूटता है

٣٨- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلاَّ مِنَ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ

(184) हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा मुझसे मालिक ने

١٨٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ. فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوقَ رَأْسِي مَاءً. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيْبًا مِنْ - فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ (أَوِ الْمُوقِنُ، لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا. فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ (أَوِ الْمُرْتَابُ، لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ))

[راجع: ٨٦]

हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से नक़ल किया, वो अपनी बीवी फ़ातिमा से, वो अपनी दादी अस्मा बिन्ते अबीबक्र से रिवायत करती हैं, वो कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ोजा मुहतरमा आइशा (रज़ि.) के पास ऐसे वक़्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे, क्या देखती हूँ कि वो भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हैं। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है? तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ़ इशारे से कहा, सुब्हानल्लाह! मैंने कहा (क्या ये) कोई (ख़ास) निशानी है? तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ! तो भी मैं आपके साथ नमाज़ के लिए खड़ी हो गई। (आपने इतना लम्बा क़याम किया कि) मुझ पर ग़शी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो आपने अल्लाह की हम्दो-ष़ना बयान की और फ़र्माया, आज कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी इसी जगह से न देख लिया हो यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम को भी देख लिया। और मुझ पर ये वह्य की गई है कि तुम लोगों को क़ब्रों में आज़माया जाएगा। दज्जाल जैसी आज़माइश या उसके क़रीब-क़रीब। (रावी का बयान है कि) मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौनसा लफ़्ज़ कहा। तुममें से हर एक के पास (अल्लाह के फ़रिश्ते) भेजे जाएँगे और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारा उस शख़्स (यानी मुहम्मद ﷺ) के बारे में क्या ख़्याल है? फिर अस्मा ने लफ़्ज़ ईमानदार कहा या यक़ीन रखनेवाला कहा। मुझे याद नहीं। (बहरहाल वो शख़्स) कहेगा कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो हमारे पास निशानियाँ और हिदायत की रोशनी लेकर आए थे। हमने (उसे) कुबूल किया, ईमान लाए, और (आपका) इत्तिबा किया। फिर (उससे) कह दिया जाएगा कि तो सो जा दराँ हालांकि ये कि तू मर्दे स़ालेह है और हम जानते थे कि मोमिन है और बहरहाल मुनाफ़िक़ या शकी आदमी, अस्मा ने कौनसा लफ़्ज़ कहा मुझे याद नहीं (जब उससे पूछा जाएगा) कहेगा कि मैं (कुछ) नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना, वही मैंने भी कह दिया।

(राजेअ़ : 86)

हज़रत इमामुल मुहद्दिष़ीन ने इससे ष़ाबित किया कि मामूली ग़शी (बेहोशी) के दौरे से वुज़ू नहीं टूटता कि हज़रत अस्मा (रज़ि) अपने सर पर पानी डालती रहीं और फिर भी नमाज़ पढ़ती रहीं।

बाब 39 : इस बारे में कि पूरे सर का मसह करना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है कि अपने सरों का मसह करो

٣٩- بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾

और इब्ने मुसय्यब ने कहा है कि सर का मसह करने में औरत मर्द की तरह है। वो (भी) अपने सर का मसह करे। इमाम मालिक (रह.) से पूछा गया कि क्या कुछ हिस्सा सर का मसह करना काफ़ी है? तो उन्होंने दलील में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की (ये) हदीष़ पेश की, या'नी पूरे सर का मसह करना चाहिये

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَيُجْزِئُهُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ.

(185) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने अम्र बिन यह्या अल माज़िनी से ख़बर दी, वो अपने बाप से नक़ल करते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) जो अम्र बिन यह्या के दादा हैं, से पूछा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किस तरह वुज़ू किया है? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कहा कि हाँ! फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया पहले पानी अपने हाथों पर डाला और दो बार धोए। फिर तीन बार कुल्ली की, तीन बार नाक साफ़ की, फिर तीन बार अपना चेहरा धोया। फिर कुहनियों तक अपने दोनों हाथ दो-दो बार धोये। फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया। इस तौर पर अपने हाथ (पहले) आगे लाए फिर पीछे ले गए। (मसह) सर के इब्तिदाई हिस्से से शुरू किया। फिर दोनों हाथ गुद्दी तक ले जाकर वहीं वापस लाए जहाँ से (मसह) शुरू किया था, फिर अपने पैर धोए।

(दीगर मक़ाम : 186, 191, 196, 197, 199)

١٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ : بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[أطرافه في : ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٧، ١٩٩].

तशरीह : इमाम बुख़ारी (रह) और इमाम मालिक (रह) का मसलक ये है कि पूरे सर का मसह करना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने इर्शाद **वम्सहू बिरुऊसिकुम** (अल माइदा : 6) में कोई हद मुक़र्रर नहीं की कि आधे या चौथाई सर का मसह करो। जैसे हाथों में कोहनियों तक और पैरों में टख़नों तक की क़ैद मौजूद है तो मा'लूम हुआ कि सारे सर का मसह फ़र्ज़ है जब सर पर अमामा न हो और अगर अमामा हो तो पेशानी से सर का मसह शुरू करके अमामा पर हाथ फेर लेना काफ़ी है। अमामा उतारना ज़रूरी नहीं । हदीष़ की रू से यही मसलक सहीह है।

बाब 40 : इस बारे में कि टख़नों तक पांव धोना ज़रूरी है

٤٠- بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

(186) हमसे मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वहब

١٨٦- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ: فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. [راجع: ١٨٥].

ने बयान किया, उन्होंने अ़म्र से, उन्होंने अपने बाप (यह्या) से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में अ़म्र बिन ह़सन ने अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के वुज़ू के बारे में पूछा तो उन्होंने पानी का त़श्त मंगवाया और उन (पूछनेवालों) के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसा वुज़ू किया। (पहले त़श्त) से अपने हाथों पर पानी डाला। फिर तीन बार हाथ धोये, फिर अपना हाथ त़श्त में डाला (और पानी लिया) फिर कुल्ली की, नाक मे पानी डाला, नाक साफ़ की, तीन चुल्लुओं से, फिर अपना हाथ त़श्त में डाला और तीन बार मुँह धोया। फिर अपने दोनों हाथ कुहनियों तक दो बार धोये। फिर अपना हाथ त़श्त में डाला और सर का मसह किया। (पहले) आगे लाए और फिर पीछे ले गए, एक बार। फिर टख़नों तक अपने दोनों पांव धोये।

(राजेअ़ : 185)

٤١- بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

बाब 41 : लोगों के वुज़ू का बचा हुआ पानी इस्ते'माल करना

[illegible] يَتَوَضَّئُوا [illegible].

जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह ने अपने घरवालों को ये हुक्म दिया था कि वो उनके मिस्वाक के बचे हुए पानी से वुज़ू कर लें।

यानी मिस्वाक जिस पानी में डूबी रहती थी, उस पानी से घर के लोगों को बख़ुशी वुज़ू करने के लिए कहते थे।

١٨٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ. [أطرافه في : ٣٧٦، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٦٣٣، ٦٣٤، ٣٥٥٣، ٣٥٦٦، ٥٧٨٦، ٥٨٥٩].

(187) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ह़कम ने बयान किया, उन्होंने अबू जुहैफ़ा (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि (एक दिन) रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास दोपहर के वक़्त तशरीफ़ लाए तो आपके लिए वुज़ू का पानी ह़ाज़िर किया गया जिससे आपने वुज़ू फ़र्माया। लोग आपके वुज़ू का बचा हुआ पानी लेकर उसे (अपने बदन पर) मलने लगे। आप (ﷺ) ने ज़ुहर की दो रकअ़तें अदा की और अ़स्र की भी दो रकअ़तें और आपके सामने (आड़ के लिए) एक नेज़ा था।

(दीगर मक़ाम : 376, 495, 499, 501, 633, 3553, 3566, 5786, 8559)

(188) (और एक दूसरी हदीष़ में) अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक प्याला मंगवाया। जिसमें पानी था। उससे आप (ﷺ) ने अपने हाथ धोये और उसी प्याले में मुँह धोया और उसमें कुल्ली फ़र्माई, फिर फ़र्माया कि, तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो।

(दीगर मक़ाम : 196, 4328)

١٨٨- وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: ((اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا)).

[طرفاه في : ١٩٦، ٤٣٢٨].

इससे मा'लूम हुआ कि इंसान का झूठा पानी नापाक नहीं होता। जैसे कि कुल्ली का पानी कि उसको आप (ﷺ) ने उन्हें पी लेने का हुक्म फ़र्माया। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि मुस्तअ़मल (इस्ते'माल किया हुआ) पानी पाक है।

(189) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम बिन सअ़द ने, कहा हमसे मेरे बाप ने, उन्होंने स़ालेह़ से सुना। उन्होंने इब्ने शिहाब से, कहा उन्हें मह़मूद बिन अर्रबीअ़ ने ख़बर दी, इब्ने शिहाब कहते हैं मह़मूद वही हैं कि जब वो छोटे थे तो रसूले करीम (ﷺ) ने उन्हीं के कुएँ (के पानी) से उनके मुँह में कुल्ली डाली थी और उ़र्वा ने इसी ह़दीष़ को मिस्वर वग़ैरह से भी बयान किया है और हर एक (रावी) उन दोनों में से एक–दूसरे की तस्दीक़ करते हैं कि जब रसूले करीम (ﷺ) वुज़ू करते तो आपके बचे हुए वुज़ू के पानी पर स़ह़ाबा (रज़ि.) झगड़ने के क़रीब हो जाते थे।

(राजेअ़ : 77)

١٨٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِنْ بِئْرِهِمْ. وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. [راجع: ٧٧].

तश्रीह : ये एक त़वील ह़दीष़ का ह़िस्सा है जो किताबुश्शुरूत़ में नक़ल की है और ये सुलहे हुदैबिया का वाक़िया है जब मुश्रिकों की त़रफ़ से उ़र्वा बिन मसऊ़द ष़क़्फ़ी आपसे बातचीत करने आया था। उसने वापस होकर मुश्रिकीने मक्का से स़ह़ाबा किराम की जाँनिष़ारी को वालिहाना अंदाज़ में बयान करते हुए बतलाया कि वो ऐसे सच्चे फ़िदाई हैं कि आपके वुज़ू से जो पानी बच रहता है उसको लेने के लिए ऐसे दौड़ते हैं गोया क़रीब है कि लड़ मरेंगे। इससे भी आबे मुस्तअ़मल (इस्ते'माल किये हुए पानी) का पाक होना ष़ाबित हुआ।

(190) हमसे अ़ब्दुर्रह़मान बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ह़ातिम बिन इस्माईल ने जअ़द से के वास्ते से बयान किया, कहा उन्होंने साइब बिन यज़ीद से सुना, वो कहते थे कि मेरी ख़ाला मुझे नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ले गईं और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा ये भांजा बीमार है, आपने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा, और मेरे लिए बरकत की दुआ़ की, फिर आपने वुज़ू किया और मैंने आपके वुज़ू का बचा हुआ पानी पिया।

١٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ

فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.
[أطرافه في: ٣٥٤٠، ٣٥٤١، ٥٦٧٠، ٦٣٥٢].

फिर मैं आपकी कमर के पीछे खड़ा हो गया और मैंने मुहरे नुबुव्वत देखी जो आपके मूँढों के बीच ऐसी थी जैसे छप्पर–खट की घुंडी (या कबूतर का अण्डा)।

(दीगर मक़ाम : 3540, 3541, 5670, 6352)

वुज़ू का बचा हुआ पानी पाक था जब ही तो उसे पिया गया। पस जो लोग इस्ते'माल किये हुए पानी को नापाक कहते हैं वो बिलकुल ग़लत हैं।

٤٢- بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

बाब 42 : एक ही चुल्लू से कुल्ली करने और नाक में पानी डालने के बयान में

١٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا. فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [راجع: ١٨٥].

(191) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन यह्या ने अपने बाप (यह्या) के वास्ते से बयान किया, वो अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि (वुज़ू करते वक़्त) उन्होंने बर्तन से (पहले) अपने दोनों हाथों पर पानी डाला। फिर उन्हें धोया, फिर धोया। (या यूँ कहा कि) कुल्ली की और नाक में एक चुल्लू से पानी डाला। और तीन बार इसी तरह किया। फिर तीन बार अपना चेहरा धोया फिर कुहनियों तक अपने दोनों हाथ दो-दो बार धोये। फिर सर का मसह किया। अगली जानिब और पिछली जानिब का और टख़नों तक अपने दोनों पांव धोये, फिर कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुज़ू इसी तरह हुआ करता था। (राजेअ : 185)

ये शक इमाम बुख़ारी (रह) के उस्ताद शैख़ मुसद्दद से हुआ है। मुस्लिम की रिवायत में शक नहीं है। साफ़ यूँ मज़्कूर है कि अपना हाथ बर्तन में डाला फिर उसे निकाला और कुल्ली की हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

٤٣- بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

बाब 43 : सर का मसह एक बार करने के बयान में

١٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ،

(192) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन यह्या ने अपने बाप (यह्या) के वास्ते से बयान किया, वो कहते थे कि मेरी मौजूदगी में अ़म्र बिन हसन ने अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से रसूले करीम (ﷺ) के वुज़ू के बारे में पूछा। तो अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने पानी का एक तश्त मंगवाया, फिर उन (लोगों) के दिखाने के

فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَرَ بِهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. وَحَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. [راجع: ١٨٥].

लिए वुज़ू (शुरू) किया। तश्त से अपने हाथ पर पानी गिराया। फिर उन्हें तीन बार धोया। फिर अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डालकर नाक साफ़ की, तीन चुल्लुओं से तीन बार। फिर अपना हाथ बर्तन के अंदर डाला और अपने मुँह को तीन बार धोया। फिर अपना हाथ बर्तन में डाला और दोनों हाथ कुहनियों तक दो–दो बार धोये (फिर) सर का मसह किया इस तरह कि (पहले) आगे की तरफ़ अपना हाथ लाए फिर पीछे की तरफ़ ले गए। फिर बर्तन में अपना हाथ डाला और अपने दोनों पांव धोए (दूसरी रिवायत में) हमसे मूसा ने, उनसे वुहैब ने बयान किया कि आपने सर का मसह एक बार किया। (राजेअ : 185)

मा'लूम हुआ कि एक बार तो वुज़ू में धोये जाने वाले हर हिस्से का धोना फ़र्ज़ है। दो मर्तबा धोना काफ़ी है और तीन मर्तबा धोना सुन्नत है। इसी तरह कुल्ली और नाक में पानी एक चुल्लू से सुन्नत है। सर का मसह एक बार करना चाहिये, दो बार या तीन बार नहीं है।

٤٤- بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

बाब 44 : इस बारे में कि शौहर का अपनी बीवी के साथ वुज़ू करना और औरत का बचा हुआ पानी इस्ते'माल करना जाइज़ है

हज़रते उमर (रज़ि.) ने गर्म पानी से और ईसाई औरत के घर के पानी से वुज़ू किया।

ये दो अलग–अलग अष़र हैं पहले को सईद बिन मंसूर ने और दूसरे को शाफ़िई और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने निकाला है। इमाम बुख़ारी (रह) की ग़र्ज़ सिर्फ़ ये है कि जैसे कुछ लोग औरत के बचे हुए पानी से तहारत करना मना समझते हैं, इसी तरह गर्म पानी से या काफ़िर के घर के पानी से भी मना समझते थे। हालाँकि ये ग़लत है। गर्म पानी से भी और काफ़िर के घर के पानी से भी बशर्ते कि उसका पाक होना यक़ीनी हो, तहारत की जा सकती है।

١٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمِيعًا.

(193) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने नाफ़ेअ़ से ख़बर दी, वो अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं । वो फ़र्माते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में औरत और मर्द सब एक साथ (एक ही बर्तन से) वुज़ू किया करते थे।

٤٥- بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

बाब 45 : रसूले करीम (ﷺ) का एक बेहोश आदमी पर अपने वुज़ू का पानी छिड़कने के बयान में

(194) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने मुहम्मद बिन मुंकदिर के वास्ते से, उन्होंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि रसूले करीम (ﷺ) मेरी मिज़ाजपुर्सी के लिये तशरीफ़ लाए। मैं बीमार था ऐसा कि मुझे होश तक नहीं था। आप (ﷺ) ने वुज़ू किया और अपने वुज़ू का पानी मुझ पर छिड़का, तो मुझे होश आ गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा वारिष़ कौन होगा? मेरा तो स़िर्फ़ एक कलाला वारिष़ है। इस पर आयते मीराष़ नाज़िल हुई।

(दीगर मक़ाम : 4577, 5651, 5664, 5676, 6723, 2743, 7309)

١٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيْضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنِ الْمِيْرَاثُ، إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

[أطرافه في : ٤٥٧٧، ٥٦٥١، ٥٦٦٤، ٥٦٧٦، ٦٧٢٣، ٦٧٤٣، ٧٣٠٩].

कलाला उसको कहते हैं जिसका न बाप दादा हो, न उसकी औलाद हो। बाब की मुनासबत इससे ज़ाहिर है कि आप (ﷺ) ने वुज़ू का बचा हुआ पानी जाबिर पर डाला। अगर ये नापाक होता तो आप (ﷺ) न डालते। आयत यूँ है। **यस्तफ़्तुनक क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलालति** (अन् निसा : 176) तफ़्सीली ज़िक्र किताबुत् तफ़्सीर में आएगा। इंशाअल्लाह तआला

बाब 46 : लगन, प्याले, लकड़ी और पत्थर के बर्तन से ग़ुस्ल और वुज़ू करने के बयान में

٤٦- بَابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

(195) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन बक्र से सुना, कहा हमको हुमैद ने ये हदीष़ बयान की। उन्होंने अनस से नक़ल किया। वो कहते हैं कि (एक बार) नमाज़ का वक़्त आ गया, तो जिस शख़्स का मकान क़रीब ही था वो वुज़ू करने अपने घर चला गया और कुछ लोग (जिनके मकान दूर थे) रह गए। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पत्थर का एक लगन लाया गया। जिसमें कुछ पानी था और वो इतना छोटा था कि आप उसमें अपनी हथेली नहीं फैला सकते थे। (मगर) सबने उस बर्तन के पानी से वुज़ू कर लिया, हमने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि तुम कितने नफ़र (लोग) थे? कहा अस्सी (80) से कुछ ज़्यादा ही थे। (राजेअ : 169)

١٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ . حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ. قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ. قَالَ : ثَمَانِيْنَ وَزِيَادَةً.

[راجع: ١٦٩].

ये रसूले करीम (ﷺ) का मुअजज़ा था कि इतनी क़लील मिक़्दार (थोड़ी सी मात्रा) से इतने लोगों ने वुज़ू कर लिया।

(196) हमसे मुहम्मद बिन अल अलाइ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू उसामा ने बुरैद के वास्ते से बयान किया, वो अबू बुर्दा से, वो अबू मूसा (रज़ि .) से रिवायत हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ. [راجع: ١٨٨].

ने एक प्याला मंगाया जिसमें पानी था। फिर उसमें आपने अपने दोनों हाथों और चेहरों को धोया और उसी में कुल्ली की।

(राजेअ़ : 188)

गो इस ह़दीष़ में वुज़ू करने का ज़िक्र नहीं है। मगर चेहरे और हाथ धोने के ज़िक्र से मा'लूम होता है कि आप (ﷺ) ने पूरा ही वुज़ू किया था और रावी ने इख़्तिसार से काम लिया है। बाब का मतलब निकलना ज़ाहिर है।

١٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. [راجع: ١٨٥].

(197) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन यह्या ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, वो अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से नक़ल करते हैं, वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) (हमारे घर पर) तशरीफ़ लाए, हमने आप (ﷺ) के लिये तांबे के बर्तन में पानी निकाला। (उससे) आप (ﷺ) ने वुज़ू किया। तीन बार चेहरा धोया, दो-दो बार हाथ धोये और सर का मसह किया (इस त़रह कि) पहले आगे की तरफ़ (हाथ) लाए, फिर पीछे की जानिब ले गए और पैर धोये। (राजेअ़ : 185)

मा'लूम हुआ कि तांबे के बर्तन में पानी लेकर उससे वुज़ू करना जाइज़ है।

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ: بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ - قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ : هُوَ عَلِيٌّ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ : ((هَرِيْقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ

(198) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐ़ब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा मुझे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा ने ख़बर दी तह़क़ीक़ ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब रसूले करीम (ﷺ) बीमार हुए और आपकी बीमारी ज़्यादा हो गई तो आप (ﷺ) ने अपनी (दूसरी) बीवियों से इस बात की इजाज़त ले ली कि आपकी तीमारदारी मेरे ही घर की जाए। उन्होंने आपको इजाज़त दे दी, (एक दिन) रसूले करीम (ﷺ) दो आदमियों के बीच (सहारा लेकर) घर से निकले। आपके पांव (कमज़ोरी की वजह से) ज़मीन पर घिसटते जाते थे, ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) और एक आदमी के बीच (आप बाहर) निकले थे। उ़बैदुल्लाह (ह़दीष़ के रावी) कहते हैं कि मैंने ये ह़दीष़ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) को सुनाई, तो वो बोले, तुम जानते हो दूसरा आदमी कौन था, मैंने कहा कि नहीं! कहने लगे वो अ़ली (रज़ि.) थे। फिर ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) बयान फ़र्माती थीं कि जब नबी करीम (ﷺ) अपने घर में दाख़िल हुए और आपका मर्ज़ बढ़ गया। तो आपने फ़र्माया मेरे ऊपर ऐसी सात मश्कों का पानी

डालो, जिनके सरबन्द न खोले गए हों ताकि मैं (सकून के बाद) लोगों को कुछ वसिय्यत करूँ। (चुनाँचे आपको हज़रत हफ़्सा रसूलुल्लाह ﷺ की (दूसरी) बीवी के लगन में (जो तांबे का था) बैठा दिया गया और हमने आप पर उन मश्कों से पानी बहाना शुरू किया। जब आप हमको इशारा फ़र्माने लगे कि बस अब तुमने अपना काम पूरा कर दिया तो उसके बाद आप लोगों के पास बाहर तशरीफ़ ले गए।

(दीगर मक़ाम : 664, 665, 679, 683, 687, 712, 713, 716, 2588, 3099, 3386, 4442, 4445, 5714, 7303)

تُحلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ)). وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ.

[أطرافه في : ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٧٩، ٦٨٣، ٦٨٧، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٦، ٢٥٨٨، ٣٠٩٩، ٣٣٨٤، ٤٤٤٢، ٤٤٤٥، ٥٧١٤، ٧٣٠٣].

कुछ तेज़ बुख़ारों में ठण्डे पानी से मरीज़ को ग़ुस्ल दिलाना बेहद मुफ़ीद षाबित हुआ। आजकल बर्फ़ भी ऐसे मवाक़ेअ पर सर और ज़िस्म पर रखी जाती है। बाब में जिन-जिन बर्तनों का ज़िक्र था बयान की गई अहादीष में उन सबसे वुज़ू करना षाबित हुआ।

बाब 47 : तश्त से (पानी लेकर) वुज़ू करने के बयान में

٤٧- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

(199) हमसे ख़ालिद बिन मुख़्लद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुलैमान ने, कहा मुझसे अम्र बिन यह्या ने अपने बाप (यह्या) के वास्ते से बयान किया, वो कहते हैं कि मेरे चचा बहुत ज़्यादा वुज़ू किया करते थे (या ये कि वुज़ू में बहुत पानी बहाते थे) एक दिन उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से कहा कि मुझे बतलाइये रसूलुल्लाह (ﷺ) किस तरह वुज़ू करते थे। उन्होंने पानी का एक बर्तन मंगवाया। उसको (पहले) अपने हाथों पर झुकाया, फिर दोनों हाथ तीन बार धोये। फिर अपना हाथ बर्तन में डालकर (पानी लिया और) एक चुल्लू से कुल्ली की और तीन बार नाक साफ़ की। फिर अपने हाथों से एक चुल्लू (पानी लिया और तीन बार अपना चेहरा धोया। फिर कुहनियों तक अपने दोनों हाथ धोये। फिर हाथ में पानी लेकर अपने सर का मसह किया। तो (पहले अपने हाथ) पीछे ले गए, फिर आगे की तरफ़ लाए। फिर अपने दोनों पैर धोये। और फ़र्माया कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को इसी तरह वुज़ू करते हुए देखा है। (राजेअ : 185)

١٩٩- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

[راجع: ١٨٥].

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने ये हदीष लाकर यहाँ तश्त से बराहे रास्त (सीधे तौर पर) वुज़ू करने का जवाज़ षाबित किया है।

(200) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद ने, वो ष़ाबित से, वो हज़रते अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने पानी का एक बर्तन तलब किया तो आपके लिये एक चौड़े मुँह का प्याला लाया गया जिसमें कुछ थोड़ा पानी था, आपने उँगलियाँ उसमें डाल दीं। अनस कहते हैं कि मैं पानी की तरफ़ देखने लगा। पानी आपकी उँगलियों के बीच से फूट रहा था। अनस कहते हैं कि उस (एक प्याले) पानी से जिन लोगों ने वुज़ू किया वो सत्तर से अस्सी तक थे।

(राजेअ : 169)

٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيْهِ، قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّبْعِيْنَ إِلَى الثَّمَانِيْنَ.

[راجع: ١٦٩].

ये ह़दीष़ पहले भीआ चुकी है, यहाँ उस बर्तन की एक ख़ुसूसियत ये ज़िक्र की है कि वो चौड़े मुँह का फैला हुआ बर्तन था। जिसमें पानी की मिक़्दार कम आती है। ये रसूले करीम (ﷺ) का मुअजज़ा था कि इतनी कम मिक़्दार से अस्सी आदमियों ने वुज़ू किया।

बाब 48 : मुद्द से वुज़ू करने के बयान में

٤٨ - بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

(201) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे मिस्अर ने, कहा मुझसे इब्ने जुबैर ने, उन्होंने ह़ज़रते अनस (रज़ि.) को ये फ़र्माते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब धोते या (ये कहा कि) जब नहाते तो एक स़ाअ से लेकर पाँच मुद्द तक (पानी इस्ते'माल करते थे) और जब वुज़ू करते तो एक मुद्द (पानी) से।

٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ - أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

तश्रीह़ : एक पैमाना अ़रब में राइज (चलन में) था जिसमें एक रत़ल और तिहाई रत़ल आता था, उसे मुद्द कहा करते थे। इस ह़दीष़ की रोशनी में सुन्नत ये है कि वुज़ू एक मुद्द पानी से कम से न करे और ग़ुस्ल एक स़ाअ पानी से कम से न करे। स़ाअ चार मुद्द का होता है और एक रत़ल और तिहाई रत़ल का हमारे मुल्क के वज़न से स़ाअ सवा दो सैर होता है और मुद्द आधा सैर से कुछ ज़्यादा। दूसरी रिवायत में है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया वुज़ू में दो रत़ल पानी काफ़ी है। स़ह़ीह़ ये है कि बइख़्तिलाफ़ अश्ख़ास़ व ह़ालात ये मिक़्दार मुख़्तलिफ़ हुई है। पानी में फ़िज़ूलख़र्ची करना और बेज़रूरत पानी बहाना हर ह़ाल में मना है। बेहतर यही है कि नबी (ﷺ) के फ़ेअ़ल से तजावुज़ (उल्लंघन) न किया जाए।

बाब और रिवायतकर्दा ह़दीष़ से ज़ाहिर है कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) वुज़ू और ग़ुस्ल मे तअ़य्युन मिक़्दार (निर्धारित मात्रा) के क़ाइल हैं। अइम्म–ए–ह़नफ़िय्या में से ह़ज़रत इमाम मुह़म्मद (रह़) भी तअ़य्युने मिक़्दार के क़ाइल और इमाम बुख़ारी (रह़) के हमनवा (समर्थक) हैं।

अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम ने **इग़ाष़तुल्लहफ़ान** में बड़ी तफ़्सील के साथ उन वस्वसों वाले लोगों का रद्द किया है जो वुज़ू और ग़ुस्ल में मिक़्दारे नबवी (ﷺ) को बनज़रे तख़्फ़ीफ़ (कमी) देखते हुए तक्सीरे माअ (ज़्यादा पानी) पर आ़मिल होते हैं। ये शैत़ान का एक फ़रेब है जिसमें ये लोग बुरी त़रह़ से गिरफ़्तार हुए हैं और बजाए ष़वाब के अ़ज़ाब के मुस्तह़िक़ बनते हैं। तफ़्सील के लिए तहज़ीबुल ईमान तर्जुमा **इग़ाष़तुल्लहफ़ान** मत्बूआ बरेली का पेज नं. 146 मुलाह़िज़ा किया जाए।

ऊपर जिस स़ाअ का ज़िक्र हुआ है उसे स़ाअे ह़िजाज़ी कहा जाता है, स़ाअ इराक़ी जो ह़नफ़िया का मामूल है वो आठ रत़ल और हिन्दुस्तानी ह़िसाब से वो स़ाअ इराक़ी तीन सेर छः छटांक बनता है। नबी करीम (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में स़ाअ ह़िजाज़ी ही मुरव्वज (प्रचलित) था। फ़ख़्रुल मुह़द्दिष़ीन ह़ज़रत अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रह़मान स़ाह़ब मुबारकपुरी क़द्दस सिर्रुहु फ़र्माते हैं, **'वल ह़ास़िल**

अन्नहू लम यकुम दलीलुन सहीहुन अला मा जहब इलैहि अबू हनीफ़त मिन अन्नल मुद्द रतलानि व लिज़ालिक तरकल इमामु अबू युसूफ़ मज़्हबहू वख़्तार मा जहब इलैहि जुम्हूरु अहलिल इल्मि अन्नल मुद्द रत्लुन षुलुषु रत्लिन क़ालल बुख़ारी फ़ी सहीहिही बाबु साइल मदीनति व मुद्दिन्नबिय्यि (ﷺ) व बर्कतिही व मा तवारष अहलुल मदीनति मिन ज़ालिक क़र्नन बअ़द क़र्निन इन्तहा इला आख़िरिही' (तुहफ़तुज अह्वज़ी जिल्द 1 पेज नं. 59,60) ख़ुलासा ये कि मुद्द के वज़न दो रतल होने पर जैसा कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह) का मज़हब है कोई सहीह दलील क़ायम नहीं हुई। इसीलिए हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह) ने जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह) के अव्वलीन शागिर्दे रशीद हैं, उन्होंने साअ़ के बारे में हनफ़ी मज़हब छोड़कर जुम्हूर अहले इल्म का मज़हब इख़्तियार फ़र्मा लिया था कि बिला शक मुद्द रतल और षुलुष रतल का होता है। इमाम बुख़ारी (रह) ने जामेउ़स्सहीह में साअ़े अल् मदीना और मुद्दुन्नबी (ﷺ) के उन्वान से बाब मुनअक़िद किया है और बतलाया है कि यही बरकत वाला साअ़ था जो मदीना में बड़ों से छोटों तक बतौरे वरषा के नक़्ल होता रहा। हज़रत इमाम यूसुफ़ (रह) जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और इमामे दारुल हिज्रह हज़रत इमाम मालिक (रह) से मुलाक़ात फ़र्माई तो साअ़ के बारे में ज़िक्र चल पड़ा। जिस पर हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह) ने आठ रतल वाला साअ़ पेश किया। जिसे सुनकर हज़रत इमाम मालिक (रह) अपने घर तशरीफ़ ले गये, और एक साअ़ लेकर आए और फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) का मामूला साअ़ यही है। जिसे वज़न करने पर पाँच रतल और षुलुष का पाया गया। हज़रत इमाम यूसुफ़ (रह) ने उसी वक़्त साअ़े इराक़ी से रुजूअ़ फ़र्माकर साअ़े मदनी को अपना मज़हब क़रार दिया।

तअ़ज्जुब है कि कुछ उ़लमा–ए–अह्नाफ़ ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह) के इस वाक़िये का इंकार किया है। हालाँकि हज़रत इमाम बैहक़ी और हज़रत इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा और हाकिम ने सहीह सनदों के साथ इसका ज़िक्र किया है और इसके सहीह होने की सबसे बड़ी दलील ख़ुद हज़रत इमाम तहावी (रह) का बयान है जिसे अ़ल्लामा मुबारकपुरी (रह) ने तुहफ़तुल अह्वज़ी जिल्द अव्वल पेज नं. 60 पर इन अल्फ़ाज़ में नक़ल किया है, **'अख़रजत्तहावी फ़िल आषारि क़ाल हद्दषनब्नु अबी इम्रान क़ाल अख़बरना अलिय्युब्नु सालिहिन व बिश्रुब्नुल वलीदु जमीअ़न अन अबी यूसुफ़ क़ाल कदिम्तुल मदीनत फअख़्रुजु इला मन अषुक्कु बिही साअन फ़क़ाल हाज़ा साउन्नबिय्यि (ﷺ) फ़कद्दर्तुहू फ़वजत्तुहू ख़म्सत अर्तालिन व षुलुषु रत्लिन व समिअतुब्न अबी इमरान यक़ूलु युकालु अन्नल्लज़ी उख़रिजु हाजा लिअबी यूसुफ़ हुव मालिकब्नु अनसिन।'**

यानी हज़रत इमाम तहावी हनफ़ी (रह) ने अपनी सनद के साथ शरहुल आषार में इस वाक़िये को नक़ल किया है। इमाम बैहक़ी (रह) ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह) के सफ़र का वाक़िया भी सनदे सहीह के साथ नक़ल किया है कि वो हज्ज के मौक़े पर जब मदीना तशरीफ़ ले गये और साअ़ की तहक़ीक़ चाही तो अंसार व मुहाजिरीन के पचास बूढ़े अपने अपने घरों से साअ़ ले लेकर आए, उन सबको वज़न किया गया तो बख़िलाफ़ साअ़े इराक़ी के वो पाँच रतल और षुलुष रतल का था। इन जुम्ला बुज़ुर्गों ने बयान किया कि यही साअ़ है जो आँहज़रत (ﷺ) के अ़हदे मुबारक से हमारे यहाँ मुरव्वज (प्रचलित) है जिसे सुनकर हज़रत इमाम यूसुफ़ (रह) ने साअ़ के बारे मे अहले मदीना का मसलक इख़्तियार कर लिया।

उ़लमा–ए–अह्नाफ़ ने इस बारे में जिन–जिन तावीलात से काम लिया है और जिस–जिस तरह से साअ़े हिजाज़ी की तर्दीद व तख़्फ़ीफ़ करके अपनी तक़्लीदे जामिद का षुबूत पेश किया है वो बहुत ही क़ाबिले अफ़सोस है। आइन्दा किसी मौक़े पर और तफ़्सीली रोशनी डाली जाएगी इंशाअल्लाह।

अल्हम्दु लिल्लाह कि वर्तमान काल में भी बड़े–बड़े उ़लमा–ए–हदीष के यहाँ साअ़े-हिजाज़ी सनद के साथ मौजूद है जिसे वो बवक़्ते फ़राग़त अपने क़ाबिल छात्रों को सनदे सहीह के साथ रिवायत करने की इजाज़त दिया करते हैं। हमारे शैख़ मुह्तरम मौलाना अबू मुहम्मद अ़ब्दुल जब्बार साहब शैख़ुल हदीष दारुल उ़लूम शकरावा के पास भी इस साअ़ की नक़ल बसनद सहीह मौजूद है। **वल्हम्दुलिल्लाहि अ़ला ज़ालिक**

बाब 49 : मौज़ों पर मसह करने के बयान में

٤٩- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(202) हमसे अस्बग़ इब्नुल फ़रज ने बयान किया, वो इब्ने वहब से बयान करते हैं, कहा मुझसे अ़म्र ने बयान किया, कहा मुझसे अबुन्नज़्र ने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान के वास्ते से

٢٠٢- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو

नक़ल किया, वो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से, वो सअ़द बिन अबी वक़्क़ास से, वो रसूले करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने मोज़ों पर मसह किया। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा (सच है और याद रखो) जब तुमसे सअ़द रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई ह़दीष़ बयान फ़र्माएँ तो उसके बारे में उनके सिवा (किसी) दूसरे आदमी से मत पूछो और मूसा बिन उ़क़्बा कहते हैं कि मुझे अबुन्नज़्र ने बतलाया, उन्हें अबू सलमा ने ख़बर दी कि सअ़द बिन अबी वक़्क़ास ने उनसे (रसूलुल्लाह ﷺ की ये) ह़दीष़ बयान की। फिर उ़मर (रज़ि.) ने (अपने बेटे) अ़ब्दुल्लाह से ऐसा कहा।

النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ.

तश्रीह : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर जब ह़ज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि) के पास कूफ़ा आए और उन्हें मोज़ों पर मसह करते देखा तो उसकी वजह पूछी, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ेअ़ल का ह़वाला दिया कि आप (ﷺ) भी मसह किया करते थे, उन्होंने जब ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) से ये मसला पूछा और ह़ज़रत सअ़द का ह़वाला दिया तो उन्होंने फ़र्माया कि हाँ सअ़द (रज़ि) की रिवायत क़ाबिले ए'तिमाद (विश्वसनीय) है। वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो ह़दीष़ नक़ल करते हैं वो क़त्अ़न सह़ीह़ होती है किसी और से तस्दीक़ कराने की ज़रूरत नहीं।

मोज़ों पर मसह करना तक़रीबन सत्तर स़ह़ाबा किराम से मरवी है और ये ख़्याल क़त्अ़न ग़लत है कि सूरह माइदा के आयत से ये मंसूख़ हो चुका है क्योंकि ह़ज़रत मुग़ीरा बिन शुअ़बा की रिवायत जो आगे आरही है। ग़ज़्व–ए–तबूक के मौक़े पर बयान की गई है, सूरह माइदा इससे पहले उतर चुकी थी और दूसरे रावी जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह भी सूरह माइदा उतरने के बाद इस्लाम लाए बहरहाल तमाम स़ह़ाबा के इत्तिफ़ाक़ से मोज़ों का मसह ष़ाबित है और इसका इंकार करने वाला अहले सुन्नत से ख़ारिज है।

(203) हमसे अ़म्र बिन ख़ालिद अल ह़र्रानी ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ ने यह़्या बिन सईद के वास्ते से नक़ल किया, वो सअ़द बिन इब्राहीम से, वो नाफ़ेअ़ बिन जुबैर से, वो उ़र्वा इब्नुल मुग़ीरह से वो अपने बाप मुग़ीरह बिन शुअ़बा से रिवायत करते हैं वो रसूले करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं। (एक बार) आप (ﷺ) रफ़अ़े ह़ाजत के लिए बाहर गए तो मुग़ीरह पानी का एक बर्तन लेकर आपके पीछे गए, जब आप क़ज़ा-ए-ह़ाजत से फ़ारिग़ हो गए तो मुग़ीरह ने (आप ﷺ को वुज़ू कराते हुए) आप (के अअ़ज़ा–ए–मुबारक) पर पानी डाला। आप (ﷺ) ने वुज़ू किया और मोज़ों पर मसह किया।

٢٠٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. [راجع: ١٨٢].

(204) हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, कहा हमसे शैबान ने यह़्या के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू सलमा से, उन्होंने जा'फ़र बिन अ़म्र बिन उ़मय्या अल ज़मरी से नक़ल किया, उन्हें उनके बाप ने ख़बर दी कि उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) को मोज़ों पर मसह

٢٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى.

[طرفه في : ٢٠٥].

करते हुए देखा। इस हदीष़ की मुताबअ़त में ह़र्ब और अबान ने यह्या से ये हदीष़ नक़ल की है।

(दीगर मक़ाम : 205)

٢٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ. وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

(205) हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा हमें अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा हमको औज़ाई ने यह्या के वास्ते से ख़बर दी, वो अबू सलमा से, वो जा'फ़र बिन अ़म्र से, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को अपने अ़मामा और मोज़ों पर मसह़ करते देखा। इसको रिवायत किया मअ़मर ने यह्या से, वो अबू सलमा से, उन्होंने अ़म्र से मुताबअ़त की और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा (आप वाक़ई ऐसा ही किया करते थे)

तशरीह : अ़मामा पर मसह़ के बारे में ह़ज़रत अ़ल्लामा शम्सुल ह़क़्क़ स़ाह़ब मुह़द्दिष़ डयानवी क़द्दस सिर्रुहु फ़र्माते हैं, '**कुल्लु अह़ादीष़ुल मस्हि अ़लल अ़मामति अख़रजहुल बुख़ारी व मुस्लिम वत्तिर्मिज़ी व अह़मद वन्नसई वब्नु माजत व ग़ैर वाहिदिम्मिनल अइम्मति मिन तुरूकिन कष़ीरतिन मुत्तस़िलतुल असानीदि व ज़हब इलैहि जमाअ़तुम्मिनस्सलफ़ि कमा अ़रफ़्तु व क़द ष़बत अ़निन्नबिय्यि (ﷺ) अन्नहू मसह़ अ़लर्रासि फ़क़त व अ़लल उ़मामति फ़क़त व अ़लर्रासि वल उ़मामति मअ़न वल्कुल्लु स़ह़ीहुन ष़ाबितुनअ़न रसूलिल्लाहि (ﷺ) मौजूदुन फ़ी कुतुबिल अइम्मतिस्सिह़ाहि वन्नबिय्यु (ﷺ) मुबय्यिनुन अ़निल्लाहि तबारक व तआ़ला**' (औ़नुल मअ़बूद जिल्द 1 पेज नं. 56)

यानी अ़मामा पर मसह़ की अह़ादीष़ बुख़ारी व मुस्लिम तिर्मिज़ी, अह़मद, नसाई, इब्ने माजा और भी बहुत से इमामों ने पुख़्ता मुत्तस़िल सनदों के साथ रिवायत की हैं और सलफ़ की एक जमाअ़त ने इसे तस्लीम किया है और आँह़ज़रत (ﷺ) से ष़ाबित है कि आपने ख़ाली सर पर मसह़ किया और ख़ाली अ़मामा पर भी मसह़ किया और सर और अ़मामा दोनों पर इकट्ठे भी मसह़ फ़र्माया। ये तीनों सूरतें रसूले करीम (ﷺ) से स़ह़ीह़ तौर पर ष़ाबित हैं और अइम्मा किराम की कुतुबे स़िह़ाह़ में ये मौजूद हैं और नबी (ﷺ) अल्लाह पाक के फ़र्मान **वम्सह़ू बिरुऊसिकुम** (अल् माइदा : 6) के बयान फ़र्माने वाले हैं । (लिहाज़ा आपका ये अ़मल वह्ये ख़फ़ी के तह़त है)

अ़मामा पर मसह़ के बारे में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) से मरवी है कि आपने फ़र्माया, '**मल्लम युत़ह्हिर्हुल्मस्ह़ु अ़लल अमामति फ़ला त़हिरहुल्लाहु रवाहुल ख़ल्लालु बिइस्नादिही**' यानी जिस शख़्स को अ़मामा पर मसह़ ने पाक न किया पस अल्लाह भी उसको पाक न करे। इस बारे में ह़नफ़िया ने बहुत सी तावीलात की हैं। कुछ ने कहा कि अ़मामा पर मसह़ करना बिदअ़त है। कुछ ने कहा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने पेशानी पर मसह़ करके पगड़ी को दुरुस्त किया होगा। जिसे रावी ने पगड़ी का मसह़ गुमान कर लिया। कुछ ने कहा कि चौथाई सर का मसह़ जो फ़र्ज़ था उसे करने के बाद आपने सुन्नत की तक्मील के लिए जाए मसह़ बक़िया सर के पगड़ी पर मसह़ कर लिया। कुछ ने कहा कि पगड़ी पर आपने मसह़ किया था। मगर वो बाद में मंसूख़ हो गया।

ह़ज़रतुल अ़ल्लाम मौलाना मुह़म्मद अनवर शाह स़ाह़ब देवबन्दी मरह़ूम : मुनासिब होगा कि इन जुम्ला एह़तिमालाते फ़ासिदा के जवाब में हम सरताजे उ़लेमा—ए—देवबन्द ह़ज़रत मौलाना अनवर शाह स़ाह़ब (रह़) का बयान नक़ल कर दें जिससे अंदाज़ा हो सकेगा कि अ़मामा पर मसह़ करने का मसला ह़क़ व ष़ाबित है या नहीं। ह़ज़रत मौलाना मरह़ूम फ़र्माते हैं:

मेरे नज़दीक वाज़ेह़ व ह़क़ बात ये है कि मसह़े अ़मामा तो अह़ादीष़ से ष़ाबित है और इसीलिए अइम्म ए ष़लाष़ा

(तीनों इमामों) ने भी (जो सिर्फ़ मसहे अमामा को अदाए फ़र्ज़ के लिए काफ़ी नहीं समझते) इस अम्र को तस्लीम कर लिया है और इस्तिहबाब या इस्तीआब के तौर पर इस को मशरूअ भी मान लिया है।

पस अगर इसकी कुछ असल न होती तो इसको कैसे इख़्तियार कर सकते थे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ़ अल्फ़ाज़ पर जुमूद (जड़ता) करके दीन बनाते हैं। बल्कि उमूरे दीन की तअय्युन (दीनी कामों के निर्धारण) के लिये मेरे नज़दीक सबसे बेहरत तरीक़ा ये है कि उम्मत का तवारुष और अइम्मा का मसलके मुख़्तार मा'लूम किया जाए क्योंकि वो दीन के हादी व रहनुमा और उसके मीनार व सतून थे और उन ही के वास्ते से हमको दीन पहुँचा है। उन पर उसके बारे में पूरा ए'तिमाद (यक़ीन) करना पड़ेगा और इसके बारे में किसी क़िस्म की भी बदगुमानी मुनासिब नहीं है।

ग़र्ज़ मसहे अमामा को जिस हद तक षाबित हुआ हमें दीन का जुज़ मानना है, इसीलिए इसको बिदअत कहने की जुर्अत भी हम नहीं कर सकते (जो कुछ किताबों में लिख दिया है) (अनवारुल बारी जिल्द 5 पेज नं. 192)

बिरादराने अह्नाफ़, जो अहले हदीष से ख़्वाह मख़्वाह इस क़िस्म के फ़ुरूई मसाइल में झगड़ते रहते हैं, वो अगर हज़रत मौलाना मरहूम के इस बयान को इंसाफ़ की नज़र से मुलाहज़ा करेंगे तो उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि मसलके अहले हदीष के फ़ुरूई मसाइल ऐसे नहीं हैं कि जिनको आसानी के साथ मत्रूकुल अमल और क़तई ग़ैर–मक़्बूल (अस्वीकार्य) क़रार दे दिया जाए। मसलके अहले हदीष की बुनियाद ख़ालिस किताब व सुन्नत पर है। जिसमें क़ील व क़ाल व आराए रिजाल से कुछ गुंजाइश नहीं है।

बाब 50 : वुज़ू करके मोज़े पहनने के बयान में

٥٠- بَابُ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

(206) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने यह्या के वास्ते से नक़ल किया, वो आमिर से वो उर्वा बिन मुग़ीरह से, वो अपने बाप (मुग़ीरह) से रिवायत करते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूले करीम (ﷺ) के साथ था, तो मैंने चाहा (कि वुज़ू करते वक़्त) आपके मोज़े उतार डालूँ। आपने फ़र्माया कि इन्हें रहने दो। चूँकि जब मैंने इन्हें पहना था तो मेरे पांव पाक थे। (यानी मैं वुज़ू से था) पस आप (ﷺ) ने उन पर मसह किया।

(राजेअ : 204)

٢٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [راجع: ٢٠٤].

मुक़ीम (स्थानीय) के लिए एक दिन और एक रात और मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और तीन रात तक मुसलसल मोज़ों पर मसह करने की इजाज़त है, कम अज़ कम चालीस अस्हाबे नबवी (ﷺ) से मौज़ों पर मसह करने की रिवायत नक़ल हुई है।

बाब 51 : इस बारे में कि बकरी का गोश्त और सत्तू खाकर नया वुज़ू न करना षाबित है

٥١- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

'और हज़रत अबूबक्र, उमर और उष्मान (रज़ि.) ने गोश्त खाया और नया वुज़ू नहीं किया।'

وَأَكَلَ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا.

(207) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा

٢٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

[طرفاه في : ٥٤٠٤، ٥٤٠٥].

हमें इमाम मालिक ने ज़ैद बिन असलम से ख़बर दी, वो अ़ता बिन यसार से, वो अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बकरी का शाना खाया और वुज़ू नहीं किया।

(दीगर मक़ाम : 5404, 5405)

٢٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَى السِّكِّيْنَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

[أطرافه في : ٦٧٥، ٢٩٢٣، ٥٤٠٨، ٥٤٢٢، ٥٤٦٢].

(208) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा हमें लैष़ ने अ़क़ील से ख़बर दी, वो इब्ने शिहाब से रिवायत करते हैं, उन्हें जा'फ़र बिन अ़म्र बिन उमय्या ने अपने बाप अ़म्र से ख़बर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप बकरी के शाने से काट—काटकर खा रहे थे, फिर आप नमाज़ के लिए बुलाए गए तो आपने छुरी डाल दी और नमाज़ पढ़ी, नया वुज़ू नहीं किया।

(दीगर मक़ाम : 675, 2923, 5408, 5422, 5462)

किसी भी जाइज़ और मुबाह़ चीज़ के खाने से वुज़ू नहीं टूटता, जिन रिवायात में ऐसे वुज़ू करने का ज़िक्र आया है वहाँ लग़वी वुज़ू यानी स़िर्फ़ हाथ मुँह धोना और कुल्ली करना मुराद है।

٥٢ - بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

बाब 52 : इस बारे में कि कोई शख़्स सत्तू खाकर स़िर्फ़ कुल्ली करे और नया वुज़ू न करे

٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ - فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيْقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(209) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इमाम मालिक ने यह्या बिन सईद के वास्ते से ख़बर दी, वो बुशैर बिन यसार —— बनी हारिष़ा के आज़ादकर्दा गुलाम —— से रिवायत करते हैं कि सुवैद बिन नोअ़मान (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि फ़त्हे ख़ैबर वाले साल वो रसूले करीम (ﷺ) के साथ सहबा की तरफ़, जो ख़ैबर के क़रीब एक जगह है, पहुँचे। आप (ﷺ) ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी, फिर नाश्ता मंगवाया गया तो सिवाए सत्तू के और कुछ नहीं लाया गया। फिर आपने हुक्म दिया तो वो भिगो दिया गया। फिर रसूले करीम (ﷺ) ने खाया और हमने (भी) खाया। फिर मग़रिब (की नमाज़) के लिए खड़े हो गये। आपने कुल्ली की और हमने (भी) फिर आपने नमाज़ पढ़ी और नया वुज़ू नहीं किया।

(दीगर मक़ाम : 215, 2981, 4175, 4190, 5384, 5390, 5454, 5455)

[أطرافه في : ٢١٥، ٢٩٨١، ٤١٧٥، ٤١٩٠، ٥٣٨٤، ٥٣٩٠، ٥٤٥٤، ٥٤٥٥].

(210) हमसे अस्बग़ ने बयान किया, कहा मुझे इब्ने वहब ने ख़बर दी, कहा मुझसे अम्र ने बुकैर से, उन्होंने कुरैब से, उनको हज़रत मैमूना ज़ोज–ए–रसूले करीम (ﷺ) ने बतलाया कि आप (ﷺ) ने उनके यहाँ (बकरी का) शाना खाया फिर नमाज़ पढ़ी और नया वुज़ू नहीं किया।

٢١٠- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

यहाँ हज़रत इमाम (रह़) ने षाबित फ़र्माया कि बकरी का शाना (कंधे का गोश्त) खाने पर आपने वुज़ू नहीं किया तो सत्तू खाकर भी वुज़ू नहीं है जैसा कि पहली ह़दीष़ में है।

बाब 53 : इस बारे में कि क्या दूध पीकर कुल्ली करनी चाहिये?

٥٣- بَابُ هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

(211) हमसे यह्या बिन बुकैर और क़ुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, वो अक़ील से, वो इब्ने शिहाब से, वो उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा से, वो अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूध पीया, फिर कुल्ली की और फ़र्माया कि इसमें चिकनाई होती है।

(दीगर मक़ाम : 5609)

٢١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسَمًا)). تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.[طرفه في : ٥٦٠٩].

बाब 54 : सोने के बाद वुज़ू करने के बयान में

और कुछ उ़लमा के नज़दीक एक या दो बार की ऊँघ से या (नींद का) एक झोंका आ जाने से वुज़ू नहीं टूटता।

٥٤- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

(212) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा मुझको इमाम मालिक ने हिशाम से, उन्होंने अपने बाप से ख़बर दी, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब नमाज़ पढ़ते वक़्त तुममें से किसी को ऊँघ आ जाए, तो चाहिये कि वो सो रहे यहाँ तक कि नींद (का अष़र) उससे ख़त्म हो जाए। इसलिए कि जब तुममें से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ने लगे और वो ऊँघ रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो (अल्लाह से) मग़्फ़िरत

٢١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ

मांग रहा है या अपने नफ़्स को बद्दुआ दे रहा है।

نَفْسَهُ)).

(213) हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिष़ ने, कहा हमसे अय्यूब ने अबू क़िलाबा के वास्ते से नक़ल किया, वो हज़रते अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम नमाज़ में ऊँघने लगो तो तुम्हें सो जाना चाहिये। फिर उस वक़्त नमाज़ पढ़े जब जान ले कि वो क्या पढ़ रहा है।

٢١٣- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ)).

फ़र्ज नमाज़ के लिये बहरहाल जागना ही चाहिये कि कुछ मौक़ों पर आँहज़रत (ﷺ) को भी जगाया जाता था।

बाब 55 : बग़ैर हदष़ के भी नया वुज़ू करना जाइज़ है

٥٥- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

(214) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने अम्र बिन आमिर के वास्ते से बयान किया, कहा मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से सुना। (दूसरी सनद से) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या ने, वो सुफ़यान से रिवायत करते हैं, उनसे अम्र बिन आमिर ने बयान किया, वो हज़रते अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। उन्होंने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) हर नमाज़ के लिये नया वुज़ू करते थे। मैंने कहा तुम लोग किस तरह करते थे, कहने लगे हममें से हर एक को उसका वुज़ू उस वक़्त तक काफ़ी होता, जब तक कोई वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश न आ जाती। (यानी पेशाब, पाख़ाना या नींद वग़ैरह)

٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا. ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِىءُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

(215) हमसे ख़ालिद बिन मुख़ल्लद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे यह्या बिन सईद ने ख़बर दी, उन्हें बुशैर बिन यसार ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे सुवैद बिन नोअमान (रज़ि.) ने बतलाया उन्होंने कहा कि हम ख़ैबर वाले साल रसूले करीम (ﷺ) के साथ जब स़हबा में पहुँचे तो रसूले करीम (ﷺ) ने हमें अस्र की नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ पढ़ चुके तो आपने खाना मंगवाया। मगर (खाने में) सिर्फ़ सत्तू ही लाया गया। सो हमने (उसी को) खाया और पिया। फिर रसूले करीम (ﷺ) मग़रिब की नमाज़ के लिए खड़े हो गए। तो आप (ﷺ) ने कुल्ली की, फिर हमें मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई और (नया) वुज़ू नहीं किया। (राजेअ : 209)

٢١٥- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: ٢٠٩]

करते हुए देखा तो लोगों से आप (ﷺ) ने फ़र्माया उसे छोड़ दो जब

بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ

दोनों अहादीष़ से मा'लूम होता है कि अगरचे हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू मुस्तहब है। मगर एक ही वुज़ू से आदमी कई नमाज़ें भी पढ़ सकता है।

बाब 56 : इस बारे में कि पेशाब के छींटों से न बचना कबीरा गुनाह है

٥٦- بَابُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

(216) हमसे उ़ष्मान ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से नक़ल किया, वो मुजाहिद से वो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बार मदीना या मक्का के एक बाग़ में तशरीफ़ ले गए। (वहाँ) आपने दो शख़्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी क़ब्रों में अ़ज़ाब हो रहा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन पर अ़ज़ाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं, फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया बात ये है कि एक शख़्स उनमें से पेशाब के छींटों से बचने का एहतिमाम नहीं करता था और दूसरा शख़्स चुग़लख़ोरी किया करता था। फिर आप (ﷺ) ने (खजूर की) एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किए और उनमें से (एक-एक टुकड़ा) हर एक की क़ब्र पर रख दिया। लोगों ने आप (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये आपने क्यूँ किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया इसलिये कि जब तक ये डालियाँ सूखे शायद उस वक़्त तक इन पर अ़ज़ाब कम हो जाए।

(दीगर मक़ाम : 218, 1361, 1378, 6052, 6055)

٢١٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ - أَوْ مَكَّةَ - فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُوْرِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ - ثُمَّ قَالَ - بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)) ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: ((لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

[أطرافه في : ٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٦٠٥٢، ٦٠٥٥].

तशरीह : इस हदीष़ से अ़ज़ाबे क़ब्र ष़ाबित हुआ। ये दोनों क़ब्रों वाले मुसलमान ही थे और क़ब्रें भी नई थीं। हरी डालियाँ तस्बीह करती हैं इस वजह से अ़ज़ाब मे कमी हुई होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अ़ज़ाब का कम होना आप (ﷺ) की दुआ़ से हुआ था उन डालियों का अष़र न था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब!

बाब 57 : पेशाब को धोने के बयान में

٥٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

और ये कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक क़ब्र वाले के बारे में फ़र्माया था कि वो अपने पेशाब के छींटों से बचने की कोशिश नहीं किया करता था, आप (ﷺ) ने आदमी के पेशाब के अलावा किसी और के पेशाब का ज़िक्र नहीं फ़र्माया।

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ: كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.

(217) हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इस्माईल बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, कहा मुझे रौह

٢١٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنِي

बिन अल क़ासिम ने बतलाया, कहा मुझसे अ़ता बिन अबी मैमूना ने बयान किया, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब रफ़ए हाजत के लिये बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आपके पास पानी लाता। आप उससे इस्तिंजा करते। (राजेअ़ : 150)

رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ يَغْسِلُ بِهِ. [راجع: ١٥٠].

बाब

بَابٌ

(218) हमसे मुहम्मद बिन अल मुषन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मुहम्मद बिन ह़ाज़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़अमश ने मुजाहिद के वास्ते से रिवायत किया, वो ताऊस से, वो ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) दो क़ब्रों पर गुज़रे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन दोनों क़ब्रवालों को अ़ज़ाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो उनमें से पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुग़लख़ोरी किया करता था, फिर आप (ﷺ) ने एक हरी टहनी लेकर बीच में से उसके दो टुकड़े किए और हर एक क़ब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप ने (ऐसा) क्यूँ किया? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद जब तक ये टहनियाँ ख़ुश्क न हो उन पर अ़ज़ाब में कुछ तख़फ़ीफ़ रहे। इब्ने अल मुषन्ना ने कहा कि इस ह़दीष़ को हमसे वकीअ़ ने बयान किया, उनसे अ़अमश ने, उन्होंने मुजाहिद से उसी त़रह सुना।

(राजेअ़ : 216)

٢١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)) ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)). قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ. [راجع: ٢١٦].

ला यस्तिरु मिनल बोल का तर्जुमा ये भी है कि वो पेशाब करते वक़्त पर्दा नहीं करता था। कुछ रिवायात में **ला यस्तन्ज़िहू** आया है जिसका मत़लब ये है कि पेशाब के छींटों से परहेज़ नहीं किया करता था। मक़्सद दोनों लफ़्ज़ों का एक ही है।

बाब 58 : रसूले करीम (ﷺ) और स़ह़ाबा (रज़ि.) का एक देहाती को छोड़ देना जब तक कि वो मस्जिद में पेशाब से फ़ारिग़ न हो गया

٥٨- بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

(219) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम ने, हमसे इस्हाक़ ने अनस बिन मालिक के वास्ते से नक़ल किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप (ﷺ) ने फ़र्माया उसे छोड़ दो जब

٢١٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ

वो फ़ारिग़ हो गया तो पानी मंगवाकर आपने (उस जगह) बहा दिया। (दीगर मक़ाम : 221, 6025)

(अधिक विवरण अगली ह़दीष़ में आ रहा है)

فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((دَعُوهُ)). حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

[طرفاه في : ٢٢١، ٦٠٢٥].

बाब 59 : मस्जिद में पेशाब पर पानी बहा देने के बयान में

٥٩- بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

(220) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें शुऐब ने जुहरी के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा बिन मसऊ़द ने ख़बर दी कि हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि एक अअ़राबी खड़ा होकर पेशाब करने लगा तो लोग उस पर झपटने लगे। (ये देखकर) रसूले करीम (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया कि उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या कुछ कम भरा हुआ डोल बहा दो क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख़्ती के लिए नहीं।

(दीगर मक़ाम : 6128)

٢٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: ((دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ - أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ)).

[طرفه في : ٦١٢٨].

बीच में रोकने से बीमारी का अंदेशा था, इसलिए आप (ﷺ) ने शफ़क़त के तौर पर उसे फ़ारिग़ होने दिया और बाद में उसे समझा दिया कि आइन्दा ऐसी ह़रकत न हो और उस जगह को पाक करवा दिया। काश! ऐसे अख़्लाक़ आज भी मुसलमानों को ह़ासिल हो जाएँ।

(221) हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा हमें अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा हमें यह्या बिन सईद ने ख़बर दी, कहा मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, वो रसूले करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं (दूसरी सनद ये है)

हमसे ख़ालिद बिन मुख़लद ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान ने यह्या बिन सईद के वास्ते से बयान किया, कहा मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि एक देहाती शख़्स आया और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दिया। लोगों ने उसको मना किया तो रसूले करीम (ﷺ) ने उन्हें रोक दिया। जब वो पेशाब से फ़ारिग़ हुआ तो आपने उस (के पेशाब) पर एक डोल पानी बहाने का हुक्म दिया। चुनाँचे पानी बहा दिया गया।

बाब का मंशा इन अह़ादीष़ से साफ़ रोशन है।

٢٢١- وَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح حَدَّثَنَا خَالِدٌ. قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيْقَ عَلَيْهِ.

बाब 60 : बच्चों के पेशाब के बारे में

٦٠- بَابُ بَوْلِ الصِّبْيَانِ

(222) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमको मालिक ने हिशाम बिन उ़र्वा से ख़बर दी, उन्होंने अपने बाप (उ़र्वा) से, उन्होंने हज़रते आइशा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के पास एक बच्चा लाया गया। उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आप (ﷺ) ने पानी मंगाया और उस पर डाल दिया।

(दीगर मक़ाम : 5468, 6002, 6355)

٢٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.

[أطرافه في : ٥٤٦٨، ٦٠٠٢، ٦٣٥٥].

(223) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें मालिक ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, वो उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा (बिन मसऊ़द) से ये ह़दीष़ रिवायत करते हैं, वो उम्मे क़ैस बिन्ते मिह़स़न नामी एक ख़ातून से कि वो रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में अपना छोटा बच्चा लेकर आईं जो खाना नहीं खाता था (यानी शीरख़्वार था) रसूले करीम (ﷺ) ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उस बच्चे ने आप (ﷺ) के कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप (ﷺ) ने पानी मंगाकर कपड़े पर छिड़क दिया और उसे नहीं धोया। (दीगर मक़ाम : 5693)

٢٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

[طرفه في : ٥٦٩٣].

शीरख़्वार (दूधपीता) बच्चा जिसने कुछ भी खाना पीना नहीं सीखा है, उसके पेशाब पर पानी के छींटे काफ़ी हैं। मगर ये हुक्म सिर्फ़ मर्द बच्चों के लिए है बच्चियो का पेशाब बहरहाल धोना ही होगा।

बाब 61 : इस बयान में कि खड़े होकर और बैठकर पेशाब करना (ह़स्बे मौक़े दोनों त़रह से जाइज़ है)

٦١- بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

(224) हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने अअ़मश के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू वाइल से, वो हुज़ेफ़ा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) किसी क़ौम की कूड़ी पर तशरीफ़ लाए (पस) आप (ﷺ) ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। फिर पानी मंगाया, मैं आप (ﷺ) के पास पानी लेकर आया तो आप (ﷺ) ने वुज़ू किया। (दीगर मक़ाम : 225, 226, 2471)

٢٢٤- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

[أطرافه في : ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٧١].

मा'लूम हुआ कि किसी ज़रूरत के तह़त खड़े होकर भी पेशाब किया जा सकता है। और जब ज़रूरतन खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ हुआ तो बैठकर तो यक़ीनन जाइज़ होगा मगर आजकल कोट पतलून वालों ने खड़े होकर करना अंग्रेज़ों से सीखा है एक मर्द मुसलमान के लिए ये सरासर नाजाइज़ और इस्लामी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है क्योंकि उसमें न तो पर्दे का लिहाज़ रखा जाता है और न छींटों से परहेज़ किया जाता है।

बाब 62 : अपने (किसी) साथी के क़रीब पेशाब करना और दीवार की आड़ लेना

٦٢- بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

(225) हमसे उ़स्मान इब्ने अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से बयान किया, वो अबू वाइल से, वो हुज़ेफ़ा से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि (एक बार) मैं और रसूले करीम (ﷺ) जा रहे थे कि एक क़ौम की कूड़ी (कूड़ा-करकट डालने की जगह) पर (जो) एक दीवार के पीछे (थी) पहुँचे। तो आप इस तरह खड़े हो गए जिस त़रह हम तुममें से कोई (शख़्स) खड़ा होता है। फिर आपने पेशाब किया और मैं एक त़रफ़ हट गया। तब आपने मुझे इशारे किया तो मैं आपके पास (पर्दे की ग़र्ज़ से) आपकी ऐड़ियों के क़रीब खड़ा हो गया। यहाँ तक कि आप पेशाब से फ़ारिग़ हो गए। (बवक़्ते ज़रूरत ऐसा भी किया जा सकता है) (राजेअ़ : 224)

٢٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. [راجع: ٢٢٤].

बाब 63 : किसी क़ौम की कूड़ी पर पेशाब करना

٦٣- بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

(226) हमसे मुहम्मद बिन अ़रअ़रा ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने मंसूर के वास्ते से बयान किया, वो अबू वाईल से नक़ल करते हैं, वो कहते हैं कि अबू मूसा अशअ़री पेशाब (के बारे) में सख़्ती से काम लेते थे और कहते थे कि बनी इस्राईल में जब किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो उसे काट डालते। अबू हुज़ैफ़ा कहते हैं कि काश! वो अपने इस तशद्दुद से रुक जाते (क्योंकि) रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी क़ौम की कूड़ी पर तशरीफ़ लाए और आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। (राजेअ़ : 224)

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. [راجع: ٢٢٤]

ह़ज़रत की ग़र्ज़ ये थी कि पेशाब से बचने में एह़तियात़ करना ही चाहिये। लेकिन ख़्वाह मख़्वाह का तशद्दुद और ज़्यादती से वहम और वस्वसा पैदा होता है। इसलिये अ़मल में उतनी ही एह़तियात़ चाहिये जितनी आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकता है।

बाब 64 : ह़ैज़ का ख़ून धोना ज़रूरी है

٦٤- بَابُ غَسْلِ الدَّمِ

(227) हमसे मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या ने हिशाम के वास्ते से बयान किया, उनसे फ़ात़िमा ने अस्मा के वास्ते से, वो कहती हैं कि एक औरत ने रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर होकर अ़र्ज़ किया कि हुज़ूर फ़र्माइये

٢٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا

تَحِيْضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: ((تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ وَتُصَلِّي فِيْهِ)).[طرفه في : ٣٠٧].

हममें से किसी औरत को कपड़े में हैज़ आ जाए (तो) वो क्या करे, आप (ﷺ) ने (कि पहले) उसे खुर्चे, फिर पानी से रगड़े और पानी से धो डाले और उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ ले। (दीगर मक़ाम : 307)

मा'लूम हुआ कि नजासत दूर करने के लिये पानी का होना ज़रूरी है दूसरी चीज़ों से धोना दुरुस्त नहीं। अकषर उलमा का यही फ़त्वा है। हनफ़िया ने कहा कि हर रक़ीक़ चीज़ जो पाक हो उससे धो सकते हैं जैसे सिरका वग़ैरह, इमाम बुख़ारी (रह) व जुम्हूर के नज़दीक ये क़ौल सहीह नहीं है।

٢٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ. إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)). قَالَ: وَقَالَ أَبِي: ((ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءُ ذَلِكَ الْوَقْتُ)).

(228) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा मुझसे अबू मुआविया ने, कहा हमसे हिशाम बिन उर्वा ने अपने बाप (उर्वा) के वास्ते से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं , वो फ़र्माती हैं कि अबू हुबैश की बेटी फ़ातिमा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और उसने कहा कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे इस्तिहाज़ा की बीमारी है इसलिए मैं पाक नहीं रहती तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया नहीं! ये एक रग (का ख़ून) है हैज़ नहीं है। तो जब तुझे हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब ये दिन गुज़र जाएँ तो अपने (बदन और कपड़े) से ख़ून को धो डाल फिर नमाज़ पढ़। हिशाम कहते हैं कि मेरे बाप उर्वा ने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) ने ये (भी) फ़र्माया कि फिर हर नमाज़ के लिए वुज़ू कर यहाँ तक कि वही (हैज़ का) वक़्त फिर आ जाए।

तश्रीह : इस्तिहाज़ा एक बीमारी है। जिसमें औरत का ख़ून बंद नहीं होता है। उसके लिये हुक्म है कि हर नमाज़ के लिए मुस्तक़िल वुज़ू करे और हैज़ के जितने दिन उसकी आदत के मुताबिक़ होते हों उन दिनो की नमाज़ न पढ़े। इसलिए कि उन अय्याम की नमाज़ मुआफ़ है। इससे ये भी निकला कि जो लोग हवा ख़ारिज होने या पेशाब के क़तरे वग़ैरह की बीमारी में मुब्तला हो जाएँ, वो नमाज़ तर्क न करें बल्कि हर नमाज़ के लिए वुज़ू कर लिया करें । फिर भी हदष वग़ैरह हो जाए तो फिर उसकी परवाह न करें। जिस तरह इस्तिहाज़ा वाली औरत ख़ून आने की परवाह न करे, इसी तरह वो भी नमाज़ पढ़ते रहे। शरीअत हक़्क़ा ने इन हिदायात से औरतों की पाकीज़गी और तिब्बी ज़रूरियात के पेशेनज़र उनकी बेहतरीन रहनुमाई की है और इस बारे में मा'लूमात को ज़रूरी क़रार दिया। उन लोगों पर बेहद तअज्जुब है जो इंकारे हदीष के लिये ऐसी हिदायात पर हंसते हैं। और आज के दौर के इस जिंसी लिट्रेचर की सराहना करते हैं जो सरासर उर्यानियत (नंगेपन की बातों) से भरपूर है। क़ातलहुमुल्लाहु अन्न यूफ़कून।

٦٥- بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

बाब 65 : मनी का धोना और उसका खुरचना ज़रूरी है नीज़ जो चीज़ औरत से लग जाए उसका धोना भी ज़रूरी है

(229) हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा मुझे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने ख़बर दी, कहा मुझे अम्र बिन मैमून अल जज़री ने बतलाया, वो सुलैमान बिन यसार से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आप फ़र्माती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से जनाबत को धोती थी। फिर (उसको पहनकर) आप (ﷺ) नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते और पानी के धब्बे आपके कपड़े में होते थे।

(दीगर मक़ाम : 230, 231, 232)

٢٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ)).

[أطرافه في : ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢].

(230) हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद ने, कहा हमसे अम्र ने सुलैमान से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना (दूसरी सनद ये है) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने, कहा हमसे अम्र बिन मैमून ने सुलैमान बिन यसार के वास्ते से नक़ल किया, वो कहते हैं कि मैंने हज़रते आइशा (रज़ि.) से उस मनी के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाए तो उन्होंने फ़र्माया कि मैं मनी को रसूले करीम (ﷺ) के कपड़े से धो डालती थी फिर आप नमाज़ के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान (यानी) पानी के धब्बे आप (ﷺ) के कपड़े में बाक़ी होते। (राजेअ : 229)

٢٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ. [راجع: ٢٢٩]

तश्रीह : बाब में औरत की शर्मगाह से तरी वग़ैरह लग जाने और उसके धोने का भी ज़िक्र था। मगर बयान की गई अहादीष में सराहतन औरत की तरी का ज़िक्र नहीं है। हाँ! हदीष नम्बर 227 में कपड़े पर मुत्लक़न मनी लग जाने का ज़िक्र है। ख़्वाह मर्द की हो या औरत की। इसी से बाब की मुताबक़त होती है। ये भी ज़ाहिर हुआ कि मनी को पहले खुरचना चाहिये फिर पानी से साफ़ कर डालना चाहिये फिर भी अगर कपड़े पर कुछ निशान धब्बे बाक़ी रह जाएँ तो उनमें नमाज़ पढ़ी जा सकती है क्योंकि कपड़ा पाक–साफ़ हो चुका है।

बाब 66 : अगर मनी या कोई नजासत (मषलन हैज़ का ख़ून) धोए और (फिर) उसका अषर न जाए (तो क्या हुक्म है?)

٦٦- بَابُ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

(231) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अम्र बिन मैमून ने, वो कहते हैं कि मैंने उस कपड़े के बारे में जिसमें जनाबत (नापाकी) का अषर आ गया हो, सुलैमान बिन यसार से सुना वो कहते थे कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं रसूले करीम

٢٣١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ: ((كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ)). [راجع: ٢٢٩]

(ﷺ) के कपड़े से मनी को धो डालती थी फिर आप नमाज़ के लिए बाहर निकलते और धोने का निशान यानी पानी के धब्बे कपड़े में होते। (राजेअ : 229)

इस हदीष़ से मा'लूम हुआ कि पाक करने के बाद पानी के धब्बे अगर कपड़े पर बाक़ी रहें तो कुछ हर्ज नहीं।

٢٣٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا. [راجع: ٢٢٩]

(232) हमसे अ़म्र बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमसे ज़ुहैर ने, कहा हमसे अ़म्र बिन मैमून बिन मेहरान ने, उन्होंने सुलैमान बिन यसार से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि वो रसूल करीम (ﷺ) के कपड़े से मनी को धो डालती थीं (वो फ़र्माती हैं कि) फिर (कभी) मैं एक धब्बा या कई धब्बे देखती थी।

(राजेअ : 229)

तश्रीह : क़स्तलानी (रह) ने कहा कि अगर उसका निशान दूर करना सहल हो तोउसे दूर ही करना चाहिये, मुश्किल हो तो कोई हर्ज नहीं। अगर रंग के साथ बू भी बाक़ी रह जाए तो वो कपड़ा पाक न होगा। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) क़ुद्दस सिर्रुहु ने इस बाब में मनी के सिवा और नजासतों का स़राहतन ज़िक्र नहीं फ़र्माया बल्कि उन सबको मनी ही पर क़यास किया, इस तरह सबका धोना ज़रूरी क़रार दिया।

٦٧- بَابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

बाब 67 : ऊँट, बकरी और चौपायों का पेशाब और उनके रहने की जगह के बारे में

وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ : هَا هُنَا أَوْ ثَمَّ سَوَاءٌ.

हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने दारे बरीद में नमाज़ पढ़ी (हालाँकि वहाँ गोबर था) और एक पहलू में जंगल था। फिर उन्होंने कहा ये जगह और वो जगह बराबर हैं।

दारुल बरीद कूफ़ा में सरकारी जगह थी जिसमें ख़लीफ़ा के ऐलची क़याम किया करते थे। हज़रत उ़मर और उ़ष्मान (रज़ि) के ज़मानों में अबू मूसा (रज़ि) कूफ़ा के हाकिम थे। इसी जगह ऊँट, बकरी वग़ैरह जानवर भी बाँधे जाते थे। इसलिए हज़रत अबू मूसा ने उसी में नमाज़ पढ़ ली और स़ाफ़ जंगल में जो क़रीब ही था जाने की ज़रूरत न समझी फिर लोगों के पूछने पर बतलाया कि मसले की रू से ये जगह और वो स़ाफ़ जंगल दोनों बराबर हैं और इस क़िस्म के चौपायों का लीद और गोबर नजिस नहीं है।

٢٣٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ - أَوْ عُرَيْنَةَ - فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا. فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا

(233) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने हम्माद बिन ज़ैद से, वो अय्यूब से, वो अबू क़िलाबा से, वो हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग उ़क्ल या उ़रैना (क़बीलों) के मदीने में आए और बीमार हो गए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें लिक़ाह में जाने का हुक्म दिया और फ़र्माया कि वहाँ ऊँटों का दूध और पेशाब पिएँ। चुनाँचे वो लिक़ाह चले गए और जब अच्छे हो गए तो रसूले करीम (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल करके वो जानवरों को हाँक कर ले गये। अलस्सुबह रसूले करीम

(ﷺ) के पास (इस वाक़िअे की) ख़बर आई। तो आपने उनके पीछे आदमी दौड़ाए। दिन चढ़े वो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में पकड़कर लाए गए। आपके हुक्म के मुताबिक़ उनके पांव काट दिए गए और आँखों में गर्म सलाखें फेर दी गईं और (मदीना की) पथरीली ज़मीन में डाल दिए गए। (प्यास की शिद्दत से) वो पानी मांगते थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था।

رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ. فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ. فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : فَهَؤُلاَءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

अबू क़िलाबा ने (उनके जुर्म की संगीनी ज़ाहिर करते हुए) कहा कि उन लोगों ने चोरी की और चरवाहों को क़त्ल किया और (आख़िर) ईमान से फिर गए और अल्लाह और उसके रसूल से जंग की।

(दीगर मक़ाम : 1501, 3018, 4192, 4193, 4610, 5680, 5686, 5727, 6708, 6804, 6805, 6899)

[أطرافه في: ١٥٠١، ٣٠١٨، ٤١٩٢، ٤١٩٣، ٤٦١٠، ٥٦٨٥، ٥٦٨٦، ٥٧٢٧، ٦٨٠٢، ٦٨٠٣، ٦٨٠٤، ٦٨٠٥، ٦٨٩٩].

तश्रीह : ये आठ आदमी थे चार क़बील-ए-उ़रैना के और तीन क़बील-ए-उ़क्ल के और एक किसी और क़बीले का। उनको मदीना से छः मील दूर जुल मजदा नामी मुक़ाम पर भेजा गया। जहाँ बैतुलमाल की ऊँटनियाँ चरती थीं। उन लोगों ने तंदरुस्त होने पर ऐसी ग़द्दारी की कि चरवाहों को क़त्ल किया और उनकी आँखें फोड़ दीं और ऊँटों को ले भागे। इसलिए क़िसास़ में उनको ऐसी ही सख़्त सज़ा दी गई। हिक्मत और दानाई और क़यामे अमन (क़ानून व्यवस्था क़ायम करने) के लिये ऐसा ज़रूरी था। उस वक़्त के लिहाज़ से ये कोई वहशियाना सज़ा न थी जो ग़ैर मुस्लिम इस पर ए'तिराज़ करते हैं। ज़रा उनको ख़ुद अपनी तारीख़ हाए क़दीम (पुराने इतिहास) का मुतालआ करना चाहिये कि इस ज़माने में उनके दुश्मनों के लिये उनके यहाँ कैसी कैसी संगीन सज़ाएँ तज्वीज़ की गई हैं।

इस्लाम ने उसूले क़िसास़ पर हिदायात देकर एक पायेदार अमन क़ायम किया है। जिसका बेहतरीन नमूना आज भी हुकूमते अ़रबिया सऊ़दिया मे मुलाहिज़ा किया जा सकता है। **वल् ह़म्दुलिल्लाहि अ़ला ज़ालिका अयदहुमुल्लाहु बिनस़्रिहिल अ़ज़ीज़** आमीन

(234) हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने, कहा मुझे अबुत् तियाह यज़ीद बिन हुमैद ने हज़रत अनस (रज़ि.) से ख़बर दी, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद की ता'मीर से पहले नमाज़ बकरियों के बाड़े में पढ़ लिया करते थे। मा'लूम हुआ कि बकरियों वग़ैरह के बाड़े में बवक़्ते ज़रूरत नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

٢٣٤- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي -قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ- فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

(दीगर मक़ाम : 428, 429, 1868, 2106, 2771, 2774, 2779, 3932)

[أطرافه في: ٤٢٨، ٤٢٩، ١٨٦٨، ٢١٠٦، ٢٧٧١، ٢٧٧٤، ٢٧٧٩، ٣٩٣٢].

बाब 68 : उन नजासतों के बारे में जो घी और

٦٨- بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ

فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ

पानी में गिर जाएँ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى - نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ - أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ فِيهَا وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

ज़ुहरी ने कहा कि जब तक पानी की बू, ज़ाइक़ा और रंग न बदले, उसमें कुछ हर्ज नहीं और हम्माद कहते हैं कि (पानी में) मुरदार परिन्दों के पर (पड़ जाने) से कुछ हर्ज नहीं होता। मुर्दों की जैसे हाथी वग़ैरह की हड्डियाँ इसके बारे में ज़ुहरी कहते हैं कि मैंने पहले लोगों को उलमा–ए–सलफ़ में से उनकी कँघियाँ करते और उन (के बर्तनो) में तेल रखते हुए देखा है, वो इसमें कुछ हर्ज नहीं समझते थे। इब्ने सीरीन और इब्राहीम कहते हैं कि हाथी के दांत की तिजारत में कुछ हर्ज नहीं।

٢٣٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: ((أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)).

[أطرافه في : ٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠].

(235) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझको मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से रिवायत की, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसऊद से, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। फ़र्माया उसको निकाल दो और उसके आसपास (के घी) को निकाल फेंको और अपना (बाक़ी) घी इस्ते'माल करो।

(दीगर मक़ाम : 236, 5538, 5539, 5540)

٢٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: ((خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ)). قَالَ مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لاَ أُحْصِيهِ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ.

(236) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मअन ने, कहा हमसे मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, वो उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसऊद से, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से वो हज़रत मैमूना (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) से चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया था। आपने फ़र्माया कि उस चूहे को और उसके आसपास के घी को निकालकर फेंक दो। मअन कहते हैं कि मालिक ने इतनी बार कि मैं गिन नहीं सकता (ये हदीष़) इब्ने अब्बास से और उन्होंने हज़रत मैमूना से रिवायत की है।

तश्रीह : पानी कम हो या ज़्यादा जब तक गंदगी से उसके रंग या बू या मज़ा (स्वाद) में फ़र्क़ न आए, वो नापाक नहीं होता। अइम्म ए -अहले हदीष़ का यही मसलक है जिन लोगों ने कुल्लतैन दह दर दह की क़ैद लगाई है उनके दलाइल क़वी नहीं हैं। हदीष़ **अल्माउ त़हुरुन ला युनज्जिसुहू शैउन** इस बारे में बत़ौरे अस़्ल के है। मुरदार जानवरों के बाल और पर उनकी हड्डियाँ जैसे हाथी दांत वग़ैरह ये पानी वग़ैरह में पड़ जाएँ तो वो पानी वग़ैरह नापाक न होगा। हज़रत इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु का मंश–ए–बाब यही है। कुछ उलमा ने ये फ़र्क़ ज़रूर किया है कि घी अगर जमा हुआ हो तो बक़िया घी इस्ते'माल में आ सकता है और अगर पिघला हुआ स्याल हो तो सारा ही नाक़ाबिले इस्ते'माल हो जाएगा। ये उस सूरत में कि चूहा उसमे गिर जाए।

٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ)).

[طرفاه في : ٢٨٠٣، ٥٥٣٣].

(237) हमसे अहमद बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे मअ़मर ने हम्माम बिन मुनब्बा से ख़बर दी और वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया हर ज़ख़्म जो अल्लाह की राह में मुसलमानों को लगे वो क़यामत के दिन उसी हालत में होगा जिस तरह वो लगा था। उसमें से ख़ून बहता होगा। जिसका रंग (तो) ख़ून का सा होगा और ख़ुश्बू मुश्क की सी होगी।

(दीगर मक़ाम : 2803, 5533)

तश्रीह : इस हदीष़ की उलमा ने मुख़्तलिफ़ तौजीहात बयान की हैं। शाह वलीउल्लाह स़ाहब (रह) के नज़दीक इस हदीष़ से ये ष़ाबित करना है कि मुश्क पाक है जो एक जमा हुआ ख़ून होता है। मगर उसके जमने और उसमे खुश्बू पैदा हो जाने से उसका ख़ून का हुक्म न रहा। बल्कि वो पाक स़ाफ़ मुश्क की शक्ल बन गई ऐसे ही जब पानी का रंग या बू या मज़ा गंदगी से बदल जाए तो वो अस़्ल हालते तहारत पर न रहेगा बल्कि नापाक हो जाएगा।

٦٩ - بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

बाब 69 : इस बारे में कि ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है

٢٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ)).

٣٤٨٦، ٦٦٢٤، ٦٨٨٧، ٧٠٣٦،

(238) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुऐब ने ख़बर दी, कहा मुझे अबु ज़िनाद ने ख़बर दी कि उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अल अअ़रज ने बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना। आप फ़र्माते थे कि हम (लोग) दुनिया में पिछले ज़माने में आए हैं (मगर आख़िरत में) सबसे आगे हैं।

(दीगर मक़ाम : 3486, 6624, 6887, 7036)

٢٣٩ - وبإسناده قَالَ: ((لاَ يَبُوْلَنَّ

(239) और उसी सनद से (ये भी) फ़र्माया कि तुममें से कोई ठहरे

أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ)).

हुए पानी में जो जारी न हो पेशाब न करे। फिर उसी मे ग़ुस्ल करने लगे?

यानी ये अदब और नज़ाफ़त के ख़िलाफ़ है कि उसी पानी में पेशाब करना और फिर उसी से ग़ुस्ल करना।

٧٠- بَابُ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ

बाब 70: जब नमाज़ी की पुश्त पर (अचानक) कोई नजासत सा मुरदार डाल दिया जाए तो उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होती

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ : إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لاَ يُعِيْدُ.

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) जब नमाज़ पढ़ते वक़्त कपड़े में ख़ून लगा हुआ देखते तो उसको उतार डालते और नमाज़ पढ़ते रहते, इब्ने मुसय्यिब और शअ़बी कहते हैं कि जब कोई शख़्स नमाज़ पढ़े और उसके कपड़े पर नजासत या जनाबत लगी हो, या (भूलकर) क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ नमाज़ पढ़ी हो या तयम्मुम करेक नमाज़ पढ़ी हो, फिर नमाज़ ही के वक़्त में पानी मिल गया हो तो (अब) नमाज़ न दोहराए।

इन आषार को अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ और सईद बिन मंसूर और इब्ने अबी शैबा ने सहीह असानीद से रिवायत किया है।

٢٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ ح. قَالَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُوجَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُوْرِ بَنِي فُلاَنٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ. فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي

(240) हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा मुझे मेरे बाप (उ़ष्मान) ने शुअ़बा से ख़बर दी, उन्होंने अबू इस्हाक़ से, उन्होंने अ़म्र बिन मैमून से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह से वो कहते हैं कि एक बार रसूले करीम (ﷺ) कअ़बा शरीफ़ में सज्दा में थे। (एक–दूसरी सनद से) हमसे अहमद बिन उ़ष्मान ने बयान किया, कहा हमसे शुरैह बिन मुस्लिमा ने, कहा हमसे इब्राहीम बिन यूसुफ़ ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया, वो अबू इस्हाक़ से रिवायत करते हैं। उनसे अ़म्र बिन मैमून ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ने उनसे हदीष बयान की कि एक बार रसूले करीम (ﷺ) कअ़बा के नज़दीक नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी (भी वहीं) बैठे हुए थे तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुममें से कोई शख़्स है जो क़बीले की (जो) ऊँटनी ज़िबह हुई है (उसकी) ओझड़ी उठा लाए और (लाकर) जब मुहम्मद (ﷺ) सज्दा में जाएँ तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज़्यादा बदबख़्त (आदमी) उठा और वो ओझड़ी लेकर आया और देखता रहा जब आपने सज्दा किया तो उसने उस ओझड़ी को आपके दोनों कँधों के बीच रख दिया (अ़ब्दुल्लाह

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيْضَةٌ.

अबुल आ़लिया ने (अपने लड़कों से) कहा कि मेरे पैरों पर मालिश करो क्योंकि वो मरीज़ हो गए।

مَنَعَةٌ. قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ. ثُمَّ سَمَّى: ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ)) وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظْهُ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ.

[أطرافه في : ٥٢٠، ٢٩٣٤، ٣١٨٥، ٣٨٥٤، ٣٩٦٠].

बिन मसऊद कहते हैं) मैं ये (सबकुछ) देख रहा था मगर कुछ न कर सकता था। काश! (उस वक़्त) मुझ में रोकने की ताक़त होती। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे) लोट–पोट होने लगे और रसूलुल्लाह (ﷺ) सज्दे में थे (बोझ की वजह से) अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि ह़ज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) आईं और वो बोझ आपकी पीठ पर से उतारकर फेंका, तब आप (ﷺ) ने सर उठाया फिर तीन बार फ़र्माया, या अल्लाह! तू क़ुरैश को पकड़ ले, ये (बात) उन काफ़िरों पर बहुत भारी हुई कि आप (ﷺ) ने उन्हें बद्दुआ दी। अब्दुल्लाह कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर (मक्का) में जो दुआ की जाए वो ज़रूर क़ुबूल होती है फिर आपने (उनमें से) हर एक का (अलग–अलग) नाम लिया कि ऐ अल्लाह! इन ज़ालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू हजल, उत्बा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, वलीद बिन उत्बा, उमय्या बिन ख़लफ़ और उक़्बा इब्ने अबी मुईत को। सातवें (आदमी) का नाम (भी) लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों के (बद्दुआ करते समय) आप (ﷺ) ने नाम लिए थे, मैंने उनकी (लाशों) को बद्र के कुएँ में पड़ा हुआ देखा।

(दीगर मक़ाम : 520, 2934, 3185, 3854, 3960)

इस ह़दीष़ से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) ये षाबित करना चाहते हैं कि अगर नमाज़ पढ़ते हुए इत्तिफ़ाक़न कोई नजासत पुश्त पर आ पड़े तो नमाज़ हो जाएगी। ओझड़ी लाने वाला बदबख़्त उक़्बा बिन मुईत था। ये सब लोग बद्र की लड़ाई मे वासिले जहन्नम हुए। अ़म्मारा बिन वलीद ह़ब्श के मुल्क में मरा। ये क्यूँकर मुम्किन था कि मज़्लूम रसूल (ﷺ) की दुआ क़ुबूल न हो।

٧١- بَابُ الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ

बाब 71 : कपड़े में थूक और रेंट वग़ैरह लग जाने के बारे में

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ : وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ.

उ़र्वा ने मिस्वर और मर्वान से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हुदैबिया के ज़माने में निकले (इस सिलसिले में) उन्होंने पूरी ह़दीष़ ज़िक्र की (और फिर कहा) कि नबी (ﷺ) ने जितनी बार भी थूका वो लोगों की हथेली पर पड़ा। फिर वो लोगों ने अपने चेहरों और बदन पर मल लिया।

٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

(241) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने ह़मीद के वास्ते से बयान किया, वो ह़ज़रत अनस

بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في : ٤٠٥، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٧، ٥٣١، ٥٣٢، ٨٢٢، ١٢١٤].

(रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) अपने कपड़े में थूका। अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने फ़र्माया कि सईद बिन अबी मरयम ने इस ह़दीष़ को त़वालत के साथ बयान किया उन्होंने कहा हमको ख़बर दी यह्या बिन अय्यूब ने, कहा मुझसे हुमैद ने बयान किया, कहा मैंने अनस से सुना, वो आँह़ज़रत (ﷺ) से रिवायत करते हैं।

(405, 412, 413, 417, 531, 532, 822, 1214)

तश्रीह : इस सनद के बयान करने से ह़ज़रत इमाम (रह़) की ग़र्ज़ ये है कि हुमैद का सिमाअ़ अनस (रज़ि) से ष़ाबित हो जाए और यह्या बिन सईद क़त्तान का ये क़ौल ग़लत ठहरे कि हुमैद ने ये ह़दीष़ ष़ाबित से सुनी है उन्होंने अबू नज़रह से उन्होंने अनस से। इससे मा' लूम हुआ कि नमाज़ पढ़ते वक़्त अगर किसी कपड़े पर थूक ले ताकि नमाज़ में ख़लल भी न वाक़ेअ़ हो और क़रीब की जगह भी ख़राब न हो तो ये जाइज़ दुरुस्त है।

٧٢- بَابُ لاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيْذِ وَلاَ بِالْمُسْكِرِ

बाब 72 : नबीज़ से और किसी नशा वाली चीज़ से वुज़ू जाइज़ नहीं

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيْذِ وَاللَّبَنِ.

ह़ज़रते ह़सन बस़री और अबुल आ़लिया ने इसे मकरूह कहा और अ़ता कहते हैं कि नबीज़ और दूध से वुज़ू करने के मुक़ाबले में मुझे तयम्मुम करना ज़्यादा पसंद है ।

٢٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).

[طرفاه في : ٥٥٨٥، ٥٥٨٦].

(242) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने, उनसे ज़ुहरी ने अबू सलमा के वास्ते से बयान किया, वो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से वो रसूले करीम (ﷺ) से रिवायत करती हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि पीने की हर वो चीज़ जो नशा लाने वाली हो, ह़राम है। (दीगर मक़ाम : 5585, 8886)

तश्रीह : नबीज़ खजूर के शरबत को कहते हैं जो मीठा हो और उसमें नशा न आया हो। ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) ने इससे वुज़ू जाइज़ रखा है जब पानी न मिले और इमाम शाफ़िई व इमाम अह़मद व दीगर जुम्ला अइम्म-ए अहले ह़दीष़ के नज़दीक नबीज़ से वुज़ू जाइज़ नहीं। इमाम बुख़ारी (रह़) का भी यही फ़त्वा है। ह़सन के अष़र को इब्ने अबी शैबा और अबुल आ़लिया के अष़र को दारे क़ुत्नी ने और अ़ता के अषर को अबू दाऊद ने मौसूलन रिवायत किया है। ह़दीष़ के बाब का मक़्सद है कि नशावर चीज़ ह़राम हुई तो उससे वुज़ू क्यूँकर जाइज़ होगा।

٧٣- بَابُ غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

बाब 73 : इस बारे में कि औ़रत का अपने बाप के चेहरे से ख़ून धोना जाइज़ है

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيْضَةٌ.

अबुल आ़लिया ने (अपने लड़कों से) कहा कि मेरे पैरों पर मालिश करो क्योंकि वो मरीज़ हो गए।

(243) हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन इययना ने इब्ने अबी हाज़िम के वास्ते से नक़ल किया, उन्होंने सहल बिन सअद साएदी से सुना कि लोगों ने उनसे पूछा और (मैं उस वक़्त सहल के इतना क़रीब था कि) मेरे और उनके बीच कोई दूसरा हाइल न था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के (उहुद के) ज़ख़्म का इलाज किस दवा से किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात को जानने वाला (अब) मुझसे ज़्यादा कोई नहीं रहा। अली (रज़ि.) अपनी ढाल में पानी लाते और हज़रते फ़ातिमा (रज़ि.) आपके मुँह से ख़ून धोतीं, फिर एक बोरिया का टुकड़ा जलाया गया और आपके ज़ख़्म में भर दिया गया।

(दीगर मक़ाम : 2903, 2911, 3037, 4075, 5248, 5722)

٢٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ - وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ -: بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي: كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ. فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.

[أطرافه في : ٢٩٠٣، ٢٩١١، ٣٠٣٧، ٤٠٧٥، ٥٢٤٨، ٥٧٢٢].

इस हदीष़ से दवा और इलाज करने का जवाज़ ष़ाबित हुआ और ये कि ये तवक्कल के मनाफ़ी नहीं । नीज़ ये कि नजासत दूर करने में दूसरों से मदद लेना दुरुस्त है।

बाब 74 : मिस्वाक करने के बयान में

٧٤- بَابُ السِّوَاكِ

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रात रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गुज़ारी तो (मैंने देखा कि) आप (ﷺ) ने मिस्वाक की।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ.

(244) हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने ग़ैलान बिन जरीर के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू बुर्दा से वो अपने बाप से नक़ल करते हैं कि मैं (एक बार) रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मिस्वाक करते हुए पाया और आप (ﷺ) के मुँह से अ़ुअ़ अ़ुअ़ की आवाज़ निकल रही थी और मिस्वाक आप (ﷺ) के मुँह में थी जिस तरह आप क़ै कर रहे हों।

٢٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ: ((أُعْ، أُعْ)) وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

अगर हलक़ के अंदर से मिस्वाक की जाए तो इस क़िस्म की आवाज़ निकला करती है। आँहज़रत (ﷺ) की उस वक़्त यही कैफ़ियत थी, मिस्वाक करने में मुबालग़ा करना मुराद है।

(245) हमसे उ़ष़्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से, वो अबू वाईल से, वो हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जब रात को उठते तो अपने मुँह को मिस्वाक से साफ़ करते।

(दीगर मक़ाम : 889, 1136)

٢٤٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

[طرفاه في : ٨٨٩، ١١٣٦].

तश्रीह : मिस्वाक की फ़ज़ीलत के बारे में ये ह़दीष़ काफ़ी है कि जो नमाज़ मिस्वाक करके पढ़ी जाए वो बग़ैर मिस्वाक वाली नमाज़ पर सत्ताईस दर्जा फ़ज़ीलत रखती है आप (ﷺ) मिस्वाक का इस क़दर एहतिमाम फ़र्माते कि आख़िर वक़्त भी इससे ग़ाफ़िल न हुए। तिब्बी (चिकित्सकीय) लिहाज़ से भी मिस्वाक के बहुत से फ़वाइद हैं। बेहतर है कि पीलू की ताज़ा जड़ से की जाए। मिस्वाक करने से आँखें भी रोशन होती है।

बाब 75 : इस बारे में कि बड़े आदमी को मिस्वाक देना (अदब का तक़ाज़ा है)

٧٥- بَابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

(246) अफ़्फ़ान ने कहा कि हमसे स़ख़्र बिन जुवैरिया ने नाफ़ेअ़ के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने उ़मर (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने देखा कि (ख़्वाब में) मिस्वाक कर रहा हूँ तो मेरे पास दो आदमी आए। एक उनमें से दूसरे से बड़ा था, तो मैंने छोटे को मिस्वाक दे दी फिर मुझसे कहा गया कि बड़े को दो। तब मैंने उनमें से बड़े को दी। अबू अ़ब्दुल्लाह बुख़ारी कहते हैं कि इस ह़दीष़ को नुऐ़म ने इब्नुल मुबारक से, वो उसामा से, वो नाफ़ेअ़ से, उन्होंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से मुख़्तसर तौर पर रिवायत करते हैं।

٢٤٦- وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيْلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا)). قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

मा'लूम हुआ कि ऐसे मौक़ों पर बड़े आदमी का एह़तिराम मल्ह़ूज़ रखना ज़रूरी है। नीज़ ये भी मा'लूम हुआ कि दूसरे आदमी की मिस्वाक भी इस्ते'माल की जा सकती है।

बाब 76 : रात को वुज़ू करके सोने वाले की फ़ज़ीलत के बयान में

٧٦- بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوْءِ

(247) हमसे मुह़म्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें सुफ़यान ने मंसूर के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने सअ़द बिन उ़बैदा से, वो बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो इस त़रह़ वुज़ू करो जिस त़रह़ नमाज़ के लिये करते हो। फिर दाहिनी करवट पर लेट कर यूँ कहो, 'ऐ अल्लाह! मैंने अपना चेहरा तेरी त़रफ़ झुका दिया। अपना मुआमला तेरे ही सुपुर्द कर दिया। मैंने तेरे ष़वाब की तवक़्क़ुअ और तेरे अ़ज़ाब के डर से तुझे ही पुश्तपनाह बना लिया। तेरे सिवा कहीं पनाह और नजात की जगह नहीं। ऐ अल्लाह! जो किताब तूने नाज़िल की मैं उस पर ईमान

٢٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ

إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ)). قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ ((اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ)) قُلْتُ: وَرَسُولِكَ. قَالَ: ((لاَ. وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ)).

[أطرافه في: ٦٣١١، ٦٣١٣، ٦٣١٥، ٧٤٨٨].

लाया। जो नबी तूने भेजा मैं उस पर ईमान लाया।' तो अगर इस हालत में इसी तरह मर गया तो फ़ित्रत पर मरेगा और इस दुआ को सब बातों के आख़िर में पढ़। हज़रते बराअ कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने इस दुआ को दोबारा पढ़ा। जब मैं 'आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी उन्ज़िलत' पर पहुँचा तो मैंने व रसूलक (का लफ़्ज़) कह दिया। आपने फ़र्माया नहीं (यूँ कहो) 'व नबिय्यिकल्लज़ी अर्सल्त।'

(दीगर मक़ाम : 6311, 6313, 6315, 7488)

तश्रीह : सय्यदुल मुहद्दिष़ीन हज़रत इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु ने किताबुल वुज़ू को आयते करीमा **इज़ा क़ुम्तुम इलस्सलाति** (अल् माइदा : 6) से शुरू फ़र्माया था और अब किताबुल वुज़ू को सोते वक़्त वुज़ू करने की फ़ज़ीलत पर ख़त्म फ़र्माया है। इस इर्तिबात के लिये हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु की नज़रे ग़ायर बहुत से उमूर पर है और इशारा करना है कि एक मर्दे मोमिन की सुबह व शाम इब्तिदा व इंतिहा, बेदारी व शब-बाशी सब कुछ बावुज़ू ज़िक्रे इलाही पर होनी चाहिये। और ज़िक्रे इलाही भी ऐन उसी नहज, उसी तौर तरीक़े पर हो जो रसूले करीम (ﷺ) की ता'लीमे फ़रमूदा है। इससे अगर ज़रा भी हटकर दूसरा रास्ता इख़्तियार किया गया तो वो अल्लाह के नज़दीक मक़बूल न होगा। जैसा कि यहाँ मज़्कूर है कि रात को सोते वक़्त की दुआए मज़्कूरा में सहाबी ने आपके ता'लीमे फ़रमूदा लफ़्ज़ को ज़रा बदल दिया तो आपने फ़ौरन उसे टोका और उस कमी व बेशी को गवारा नहीं किया। आयते करीमा **या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही** (अल् हुजुरात : 1) का यही तक़ाज़ा और दा'वते अहले हदीष़ का यही ख़ुलासा है। तअ़ज्जुब है उन मुक़ल्लिदीन हज़रात पर जो महज अपने मज़्क़ूमा मसालिक की हिमायत के लिए हज़रत सय्यदे मुहद्दिष़ीन इमाम बुख़ारी (रह़) की दिरायत व फ़ुक़ाहत पर लबकुशाई करते हैं और आपकी तख़्फ़ीफ़ व तन्क़ीस करके अपनी दुरैदा दहनी का षुबूत देते हैं।

किताबुल वुज़ू ख़त्म करते हुए हम फिर बबांगे दहल ऐलान करते हैं कि फ़न्ने हदीष़ शरीफ़ में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) क़द्दस सिर्रुहु उम्मत के अंदर वो मुक़ाम रखते हैं जहाँ आपका कोई मिष़ाल व नज़ीर नहीं है। आपकी जामेअ़ उस्सहीह यानी सहीह बुख़ारी वो किताब है जिस को उम्मत ने बिल इत्तिफ़ाक़ **असह्हुल कुतुबि बअ़द किताबिल्लाहि** क़रार दिया है। साथ ही ये हक़ीक़त भी ज़ाहिर है कि अइम्म–ए–मुज्तहिदीन (रह़) का भी उम्मत में एक ख़ुसूसी मुक़ाम है उनकी भी अदना तह़क़ीर गुनाहे कबीरा है। सबको अपने–अपने दर्जा पर रखना और सबकी इ़ज़्ज़त करना तक़ाज़–ए–ईमान है। उनमें से किसको किस पर फ़ज़ीलत दी जाए और उसके लिए दफ़ातिर स्याह किये जाएँ ये एक ख़ब्त है। जो उस चौदहवीं सदी में कुछ मुक़ल्लिदीने जामेदीन को हो गया है। अल्लाह पाक ने पैग़म्बरों के बारे में भी साफ़ फ़र्मा दिया है। **तिल्कर्रुसुलु फ़ज़्ज़ल्ना बअ़ज़हुम अ़ला बअ़ज़िन** (अल बक़र : 235) फिर अइम्मा किराम व औलिया–ए–इ़ज़ाम व मुहद्दिष़ीने ज़वील एहतिराम का तो ज़िक्र ही किया है। उनके बारे में यही उसूल मद्देनज़र रखना होगा।

हर गल्ले रा रंग व बूए दीगर अस्त

या अल्लाह! किस मुँह से तेरा शुक्र अदा करूँ कि तूने मुझ नाचीज़ हक़ीर फ़क़ीर गुनाहगार शर्मसार अदनातरीन बन्दे को अपने हबीब पाक गुम्बदे ख़ज़्रा के मकीं (ﷺ) की इस मुक़द्दस बाबरकत किताब की ख़िदमत के लिए तौफ़ीक़ अ़ता फ़र्माई, ये महज तेरा फ़ज़्ल व करम है वरना मन आनम कि मन दानम।

मौला–ए–करीम!

इस मुक़द्दस किताब के तर्जुमा व तशरीहात में नामा'लूम मुझसे किस क़द्र लग़्ज़िशें हुई होंगी। कहाँ–कहाँ मेरा क़लम जाद–ए–ए'तिदाल से हट गया होगा।

इलाहुल आलमीन!

मेरी ग़लतियों को मुआफ़ कर दे और इस ख़िदमत को कुबूल फ़र्माकर मेरे लिए, मेरे वालिदैन व असातिज़ा व औलाद व जुम्ला मुआविनीने किराम व हमदर्दाने इज़ाम के लिये बाइ़से नजात बना दे और इसे कुबूले आम अ़ता करके अपने बन्दों बन्दियों के लिये बाइ़से रुश्दो–हिदायत फ़र्मा।

आमीन! या इलाहल आलमीन व सल्लल्लाहु अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिंव व आलिही व अस्ह़ाबिही अज्मईन।

अल्हम्दुलिल्लाह! कि आज शुरू माह जमादिउष्षानी 1387 हिजरी में बुख़ारी शरीफ़ के पहले पारा के तर्जुमा व तशरीहात से फ़राग़त ह़ासिल हुई। अल्लाह पाक पूरी किताब का तर्जुमा व तशरीहात मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़र्माए। आमीन और क़द्रदानों को इससे हिदायत और इज़्दयादे ईमान (ईमान में बढ़ोतरी) नसीब करे। आमीन!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

दूसरा पारा

5. किताबुल ग़ुस्ल

ग़ुस्ल के अहकाम व मसाइल

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٥- كِتَابُ الْغُسْلِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْلاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:٦].

और अल्लाह तआ़ला के इस फ़र्मान की वज़ाहत में कि :—

अगर जुनुबी हो जाओ तो ख़ूब अच्छी तरह पाकी ह़ासिल करो और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या कोई तुममें पाख़ाना से आए या तुमने अपनी बीवियों से जिमाअ़ किया हो फिर तुम पानी न पाओ तो मिट्टी का क़स्द करो और अपने मुँह और हाथों पर उसे मल लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर तंगी करे लेकिन चाहता है कि तुमको पाक करे और अपनी नेअ़मत तुम पर पूरी करे ताकि तुम उसका शुक्र करो। (अल माइदा :6)

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ

और अल्लाह का दूसरा फ़र्मान है, 'ऐ ईमानवालों! नमाज़ के नज़दीक न जाओ, (उस वक़्त तक कि) जिस वक़्त तुम नशे में हो, यहाँ तक कि समझने लगो जो कहते हो और न उस वक़्त कि ग़ुस्ल की ह़ाजत हो मगर ह़ालते सफ़र में यहाँ तक कि ग़ुस्ल कर लो और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में या तुममें से कोई क़ज़ा-

ए-हाजत से आए या तुम औरतों के पास गये हो, फिर तुम पानी न पाओ तो इरादा करो पाक मिट्टी का, पस मलो अपने मुँह और हाथों को, बेशक अल्लाह मुआफ़ करनेवाला और बख़्शने वाला है। (अन् निसा : 43)

عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾. [النساء : ٤٣].

'क़ालब्नु हजर फ़िल्फ़त्हि कज़ा फ़ी रिवायतिना बितक़्दीमिल बस्मलति व लिल अक्षरि बिल अक्सि वल अव्वलु जाहिरुन व वज्हुष्षानी व अलैहि अक्षरुर्रिवायाति अन्नहु जअलत्तर्जुमत क़ाइमतन मक़ाम तस्मिय्यतिस्सूरति वल अहादीषिल मज़्कूरति बअदल बस्मलति कल्आयाति मुस्तफ्तिहतुन बिल्बस्मलति' यानी हाफ़िज इब्ने हज़र (रह.) फ़र्माते है कि हमारी रिवायत बुख़ारी में किताबुल गुस्ल पर बिस्मिल्लाह मुकद्दम है– अक्षर मुअख़्ख़र भी नक़ल करते है– अव्वल रिवायत जाहिर है गोया हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने तर्जुमा किताबुल गुस्ल को क़ुर्आन मजीद की सूरतों में किसी एक सूरत के क़ायम मक़ाम क़रार देकर अहादीष बाद को उन आयतों की जगह पर रखा है जो सूरत में बिस्मिल्लाह के बाद आती है– लफ़्ज़ गुस्ल (ग़ैन के ज़म्मा के साथ) तमाम बदन के धोने का नाम है– तहारत में पहले क़ज़ा–ए–हाज़त से फ़ारिग होकर इस्तिंजा करना फिर वुज़ू करना फिर ब-वक़्ते ज़रूरत गुस्ल करना– इसी तर्तीब के पेशे नज़र हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु ने किताबुल गुस्ल को दर्ज फ़र्माया और उसको आयाते क़ुर्आनी से शुरू किया– जिससे मक़सद ये है कि गुस्ले जनाबत की फ़रज़िय्यत क़ुर्आन मजीद से षाबित है– पहली आयत सूरए माइदा की और दूसरी आयत सूरह निसा की है– दोनों में तरीक़–ए–गुस्ल की कुछ तफ़सीलात मज़कूर हुई है– साथ ही में भी बतलाया गया है कि पानी न मिलने की सूरत में वुज़ू और गुस्ल की जगह तय्युमम बताए गये तरीक़े से कर लेना काफी हो जाता है।

बाब 1 : इस बारे में कि गुस्ल से पहले वुज़ू कर लेना चाहिए

١- بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

(248) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मालिक ने हिशाम से ख़बर दी, वो अपने वालिद से, वो नबी करीम (ﷺ) की बीवी मुतहहरा हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जब गुस्ल करते तो आप पहले अपने दोनों हाथ धोते फिर उसी तरह वुज़ू करते जिस तरह नमाज़ के लिये आप (ﷺ) वुज़ू करते थे। फिर पानी में अपनी उँगलियाँ डालते और उनसे बालों की जड़ों का ख़िलाल करते। फिर अपने हाथों से तीन चुल्लू सर पर डालते फिर पूरे बदन पर पानी बहा लेते।

(दीगर मक़ाम : 262, 272)

٢٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

[طرفاه في : ٢٦٢، ٢٧٢].

(249) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने हदीष बयान की, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया अअमश से रिवायत करके, वो सालिम इब्ने अबी अल् जअद से, वो कुरैब से, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, वो मैमूना नबी करीम (ﷺ) की जोज़ः-ए-

٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ

مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا. هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

[أطرافه في : ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١].

मुतह्हरा से रिवायत करते हैं, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ के वुज़ू की तरह एक बार वुज़ू किया, अल्बत्ता पांव नहीं धोए। फिर अपनी शर्मगाह को धोया और जहाँ कहीं भी नजासत लग गई थी, उसको धोया। फिर अपने ऊपर पानी बहा लिया। फिर पहली जगह से हटकर अपने दोनों पांव को धोया। आपका ग़ुस्ले जनाबत इसी तरह हुआ करता था।

(दीगर मक़ाम : 257, 259, 260, 266, 274, 276, 281)

हाफ़िज़ इब्ने हज़रत (रह.) फ़र्माते है कि इस रिवायत में तक़दीम, ताख़ीर हो गई है– शर्मगाह और आलाइश को वुज़ू से पहले धोना चाहिये जैसा कि दूसरी रिवायत में है– फिर वुज़ू करना मगर पैर न धोना फिर ग़ुस्ल करना फिर बाहर निकलकर पैर धोना यही मसनून तरीक़–ए–ग़ुस्ल है।

बाब 2 : इस बारे में कि मर्द का अपनी बीवी के साथ ग़ुस्ल करना सही है

٢- بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

٢٥٠- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ.

[أطرافه في: ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩].

(250) हमसे आदम बिन अबी अयास ने ह़दीष़ बयान की, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने ह़दीष़ बयान की। उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने उ़र्वा से, उन्होंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से कि मैं और नबी करीम (ﷺ) एक ही बर्तन में ग़ुस्ल किया करते थे। उस बर्तन को फ़रक़ कहा जाता था।

(दीगर मक़ाम : 261, 263, 273, 299, 5956, 7339)

तश्रीह : दोनों मियां–बीवी एक ही बर्तन में पानी भरकर ग़ुस्ल कर सकते है। यहाँ फ़रक (बर्तन) का ज़िक्र दोनों के लिये मज़कूर है जिन अह़ादीष़ में सिर्फ़ एक साथ पानी का ज़िक्र है वहाँ आँह़ज़रत (ﷺ) के तन्हा (अकेले) ग़ुस्ल का ज़िक्र है। दो फ़रक का वजन सोलह रतल यानी आठ सेर के करीब होता है जो तीन साअ़े ह़िजाज़ी के बराबर है।

स़ाह़िबे औनुल मा'बूद फ़र्माते है, **'व लैसल ग़ुस्लु बिस़्स़ाइ वल वुज़ूउ बिल मुद्दि लित्तहदीदि वत्तक़्दीरि बल कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) व बिमक्तस़र बिस़्स़ाइ व रुब्बमा ज़ाद रवा मुस्लिम मिन ह़दीष़ि आ़इशत अन्नहा कानत तग़तसिलु हिय वन्नबिय्यु (ﷺ) मिन इनाइन वाह़िदिन हुवल फ़र्कु क़ालब्नु उयियनत वश्शाफ़िइ व ग़ैरहुमा हुव ष़लाष़त असुइन'** (औनुल मा'बूद जिल्द 1 पेज 35) यानी ग़ुस्लऔर वुज़ू के लिये साअ़ की तहदीद नहीं है कभी आप (ﷺ) ने एक साअ़ पर काभी ज़्यादा इक्तिफ़ा (बस) फ़र्माया है।

बाब 3 : इस बारे में कि एक स़ाअ़ या इसी तरह़ किसी चीज़ के वज़न भर पानी से ग़ुस्ल करना चाहिये

٣- بَابُ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

(251) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने ह़दीष़ बयान की, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुस्समद ने, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने, उन्होंने कहा हमसे अबूबक्र बिन ह़फ़्स़ ने, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सलमा से ये ह़दीष़ सुनी कि मैं (अबू सलमा) और ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के भाई ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में गये, उनके भाई ने नबी करीम (ﷺ) के गुस्ल के बारे में सवाल किया तो आपने स़ाअ़ जैसा एक बर्तन मंगवाया। फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। उस वक़्त हमारे बीच और उनके बीच पर्दा हाइल था। इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह (बुख़ारी) कहते हैं कि यज़ीद बिन हारून, बहज़ और जुद्दी ने शुअ़बा से क़द्रे स़ाअ़ के अल्फ़ाज़ रिवायत किये हैं।

٢٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ: قَدْرِ صَاعٍ.

तश्रीह : ये अबू सलमा ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के रज़ाई भाँजे थे और आपके महरम थे। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने पर्दा से गुस्ल फ़र्माकर उनको तरीक़—ए—गुस्ल की ता'लीम फ़र्माई— मसनून गुस्ल यही है कि एक साअ़ पानी इस्ते'माल किया जाए। साअ़े ह़िजाज़ पौने तीन सेर से कुछ कम के क़रीब होता है, जिसकी तफ़्सील कुछ पहले गुज़र चुकी है।

(252) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने ह़दीष़ बयान की, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन आदम ने ह़दीष़ बयान की, उन्होंने कहा हमसे ज़ुहैर ने अबू इस्हाक़ के वास्ते से, उन्होंने कहा हमसे अबू जा'फ़र (मुहम्मद बाक़िर) ने बयान किया कि वो और उनके वालिद (जनाब ज़ैनुल आ़बिदीन) जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह के पास थे और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने आपसे गुस्ल के बारे में सवाल किया तो आपने फ़र्माया कि एक स़ाअ़ काफ़ी है। इस पर एक शख़्स़ बोला ये मुझे तो काफ़ी न होगा। ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि ये उनके लिये काफ़ी होता था जिनके बाल तुमसे ज़्यादा थे और जो तुमसे बेहतर थे (यानी रसूलुल्लाह ﷺ) फिर ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) ने सिर्फ़ एक कपड़ा पहनकर हमें नमाज़ पढ़ाई। (दीगर मक़ाम : 255, 256)

٢٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ وَأَبُوْهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيْكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيْنِي. فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.

[طرفاه في : ٢٥٥، ٢٥٦].

तश्रीह : वो बोलने वाले शख़्स़ हसन बिन मुहम्मद बिन हनफ़िया थे। ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) ने उनको सख़्ती से समझाया। जिससे मा'लूम हुआ कि ह़दीष़ के ख़िलाफ़ फ़ुज़ूल ए'तिराज़ करने वालों को सख़्ती से समझाना चाहिये और ह़दीष़ के मुक़ाबले पर राय या क़ियासे तावील (अनुमान) से काम लेना किसी तरह भी जाइज़ नहीं। **'वल हनफ़िय्यतु कानत ज़ौजत अलिय्यिन तज़व्वजहा बअ़्द फ़ातिमत फ़वलदत लहा मुहम्मदन फ़श्तहर बिन्निस्बति इलैहा'** (फ़तहुल बारी) यानी हनफ़िया नामी औ़रत ह़ज़रत अली (रज़ि.) की बीवी हैं जो ह़ज़रत फातिमा (रज़ि.) के इन्तिक़ाल के बाद आपके निकाह में आई जिनके बतन (पेट) से मुहम्मद नामी बच्चा पैदा हुआ और वो बजाय बाप के माँ ही के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ।

(253) हमसे अबू नुऐम ने रिवायत की, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयैना ने अम्र के वास्ते से बयान किया, वो जाबिर बिन ज़ैद से, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि नबी करीम (ﷺ) और हज़रत मैमूना (रज़ि.) एक बर्तन में गुस्ल कर लेते थे। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी (रह.)) कहते हैं कि इब्ने उयैना अख़ीर उम्र में इस हदीष़ को यूँ रिवायत करते थे इब्ने अब्बास से उन्होंने मैमूना से और स़हीह वही रिवायत है जो अबू नुऐम ने की।

٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيْرًا: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ)) وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

बाब 4 : इस बारे में जो अपने सर पर तीन बार पानी बहाए

٤ - بَابُ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا

(254) अबू नुऐम ने हमसे बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ुहैर ने रिवायत की अबू इस्हाक़ से, उन्होंने कहा कि हमसे जुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) ने रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मैं तो अपने सर पर तीन बार पानी बहाता हूँ और आप (ﷺ) ने अपने दोनों हाथों से इशारा किया।

٢٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَمَّا أَنَا فَأُفِيْضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا)) وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

अबू नुऐम ने मुस्तख़रज में रिवायत किया है कि लोगों ने आँहज़रत (ﷺ) के सामने गुस्ले-जनाबत का ज़िक्र किया, स़हीह मुस्लिम में है कि उन्होंने झगड़ा किया तब आप ने ये हदीस बयान फ़र्माई।

(255) मुहम्मद बिन बश्शार ने हमसे हदीष़ बयान की, उन्होंने कहा हमसे ग़ुंदर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, मख़्वल बिन राशिद के वास्ते से, वो मुहम्मद इब्ने अली से, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) अपने सर पर तीन बार पानी बहाते थे। (राजेअ : 252)

٢٥٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا. [راجع: ٢٥٢]

(256) हमसे अबू नुऐम (फ़ज़्ल बिन दुकैन) ने बयान किया, कहा हमसे मअमर बिन यह्या बिन साम ने रिवायत की, कहा कि हमसे अबू जा'फ़र (मुहम्मद बाक़िर) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जाबिर ने बयान किया कि मेरे पास तुम्हारे चचा के बेटे (उनकी मुराद हसन बिन मुहम्मद इब्ने हनफ़िय्या से थी) आए उन्होंने पूछा कि जनाबत के ग़ुस्ल का क्या तरीक़ा है? मैंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) तीन चुल्लू लेते और उनको अपने सर पर बहाते थे। फिर अपने पूरे बदन पर पानी बहाते थे। हसन ने इस पर

٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: أَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ - يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ - قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيْضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.

कहा कि मैं तो बहुत बालों वाला आदमी हूँ। मैंने जवाब दिया कि नबी करीम (ﷺ) के बाल तुमसे ज़्यादा थे।

(राजेअ : 252)

فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّيْ رَجُلٌ كَثِيْرُ الشَّعْرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعْرًا.

[راجع: ٢٥٢]

चचा के बेटे मजाजन कहा, दरअसल वो उनके बाप यानी जैनुल आबेदीन के चचाजाद भाई थे क्योंकि मुहम्मद इब्ने हनफ़िया जनाब हसन और जनाब हुसैन (रज़ि.) के भाई थे, जो हसन के बाप है, जिन्होंने जाबिर से ये मसला पूछा था। बाब के तर्जुमा और बयान की गई अहादीष़ की मुताबक़त से ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) ग़ुस्ले जनाबत में सरे मुबारक पर तीन चुल्लू पानी बहाते थे। पस मसनून तरीक़ा यही है। इससे ये भी षाबित हुआ कि रसूले करीम (ﷺ) का तर्ज़े अमल हर हालत में इत्तिबा (पैरवी) करने के लाइक़ है।

बाब 5 : इस बयान में कि सिर्फ़ एक बार बदन पर पानी डालकर अगर ग़ुस्ल किया जाए तो काफ़ी होगा

٥- بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

(257) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल वाहिद ने अअ़मश के वास्ते से बयान किया, उन्होंने सालिम बिन अबी अल जअ़द से, उन्होंने कुरैब से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के लिये ग़ुस्ल का पानी रखा तो आपने अपने हाथ दो बार धोए। फिर पानी अपने बाएँ हाथ में लेकर अपनी शर्मगाह को धोया। फिर ज़मीन पर हाथ रगड़ा। उसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और हाथों को धोया। फिर अपने सारे बदन पर पानी बहा लिया और अपनी जगह से हटकर दोनों पांव धोए।

(राजेअ : 249)

٢٥٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. [راجع: ٢٤٩]

यानी ग़ुस्ल में एक ही बार सारे बदन पर पानी डालना काफी है, जो कि बाब की ह़दीष़ में एक बार की सराहत नहीं मुतलक़ पानी बहाने का ज़िक्र है जो एक ही बार पर महमूल होगा इसी से बाब का तर्जुमा निकला।

बाब 6 : इस बारे में कि जिसने ह़िलाब से या ख़ुश्बू लगाकर ग़ुस्ल किया तो उसका भी ग़ुस्ल हो गया

٦- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلاَبِ أَوِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

(258) मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आ़सिम (ज़िहाक बिन मुख़लद) ने बयान किया, वो हंज़ला बिन अबी सुफ़यान से, वो क़ासिम बिन मुहम्मद से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) जब ग़ुस्ले जनाबत करना चाहते तो ह़िलाब की तरह एक चीज़ मंगाते। फिर

٢٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ

(पानी का चुल्लू) अपने हाथ में लेते और सर के दाहिने हिस्से से इब्तिदा करते। फिर बाएँ हिस्से का ग़ुस्ल करते। फिर अपने दोनों हाथों को सर के बीच में लगाते थे।

الحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ.

तश्रीह : हिलाब के मुता'ल्लिक़ मजमउल बिहार में है, **'अल हिलाबु बिकस्रि मुहमलतिन व ख़िफ़्फ़तिलामिन इनाउन यसउ क़द्रु हल्बि नाक़तिन अयकान यब्तदी बितल्बि ज़र्फ़िन व बितल्बि तीबिन औ अराद बिही इनाअत्तीबि यअ्नी बदअ तारतन बितलबि ज़र्फ़िन व तारतन बि तलबि नफ़्सित्तीबि व रुविय बिशिद्दति लामिन व जीम व हुव ख़ ताउन'** (मज्मउल बिहार) यानी हिलाब एक बरतन होता था जिसमें एक ऊंटनी का दूध समा सके। आप वो बरतन पानी से पुर करके मंगाते और उससे ग़ुस्ल फ़र्माते या उससे ख़ुशबू रखने का बरतन मुराद लिया है, यानी कभी महज़ आप बरतन मंगाते कभी महज़ ख़ुशबू। बाब का मतलब ये है कि ख़्वाह ग़ुस्ल पहले पानी से शुरू करे जो हिलाब जैसे बरतन में भरा हुआ हो फिर ग़ुस्ल के बाद ख़ुशबू लगाए या पहले ख़ुशबू लगाकर बाद में नहाए। यहाँ बाब की ह़दीष़ से पहला मतलब ष़ाबित किया और दूसरे मतलब के लिये वो ह़दीष़ है जो आगे आ रही है, जिसमें ज़िक्र है कि आप (ﷺ) ने ख़ुशबू लगाने के बाद अपनी बीवियों से सोहबत की और सोहबत के बाद ग़ुस्ल होता है तो ग़ुस्ल से क़ब्ल (पहले) ख़ुशबू लगाना ष़ाबित हुआ। शाह वलीउल्लाह मरहूम ने फ़र्माया है कि हिलाब से मुराद से बेजूँ का एक शीरा है जो अरब लोग ग़ुस्ल से पहले लगाया करते थे, जैसे आजकल साबुन या उबटन (फेस पैक) या तेल और बेसन मिला कर लगाते है फिर नहाया करते है। कुछ लोगों ने इस लफ़्ज़ को जीम के साथ जिलाब पढ़ा है और इसे गुलाब का मुअरब क़रार दिया है, **वल्लाहु आलमु बिस्सवाबि।**

बाब 7 : इस बयान में कि ग़ुस्ले जनाबत करते वक़्त कुल्ली करना और नाक में पानी डालना चाहिये

٧- بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ

(259) हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़ियाष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अअ़मश ने, कहा मुझसे सालिम ने कुरैब के वास्ते से, वो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, कहा हमसे मैमूना ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के लिये ग़ुस्ल का पानी रखा। तो पहले आपने पानी को दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर गिराया। इस तरह अपने दोनों हाथों को धोया। फिर अपनी शर्मगाह को धोया। फिर अपने हाथ को ज़मीन से रगड़कर उसे मिट्टी से मला और धोया। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर अपने चेहरे को धोया और अपने सर पर पानी बहाया। फिर एक तरफ़ होकर दोनों पांव धोए। फिर आपको रुमाल दिया गया। लेकिन आप (ﷺ) ने उससे पानी को ख़ुश्क नहीं किया।

(राजेअ़ : 249)

٢٥٩- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

[راجع: ٢٤٩]

मा'लूम हुआ कि वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना वाजिब है। **कज़ा क़ाल अहलुल ह़दीष़ व इमाम अहमद बिन हंबल** इब्ने क़य्यिम (रह.) ने फ़र्माया कि वुज़ू के बाद अअ़ज़ा के पोंछने के बारे में कोई स़ह़ीह़ ह़दीष़

नहीं आई, बल्कि सहीह अहादीष़ से यही ष़ाबित है कि गुस्ल के बाद आप (ﷺ) ने रूमाल वापस कर दिया, जिस्मे-मुबारक को उससे नहीं पोंछा। इमाम नववी (रह.) ने कहा कि इस बारे में बहुत इख़्तिलाफ़ है, कुछ लोग मकरूह जानते है तो कुछ मुस्तहब कहते है। कुछ कहते है कि पोंछना और न पोंछना बराबर है, हमारे नज़दीक यही मुख़्तार है।

बाब 8 : इस बारे में कि (गंदगी पाक करने के बाद) हाथ मिट्टी से मलना ताकि वो ख़ूब साफ़ हो जाए

٨- بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

(260) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हुमैदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअ़मश ने बयान किया सालिम बिन अबी अल जअ़द के वास्ते से, उन्होंने कुरैब से, उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने ग़ुस्ले जनाबत किया तो पहले अपनी शर्मगाह को अपने हाथ से धोया, फिर हाथ को दीवार पर रगड़कर धोया। फिर नमाज़ की तरह वुज़ू किया और जब आप अपने ग़ुस्ल से फ़ारिग़ हो गये तो दोनों पांव धोए। (राजेअ़ : 249)

٢٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. [راجع: ٢٤٩]

पहले भी ये ह़दीष़ गुज़र चुकी है, मगर यहाँ दूसरी सनद से मरवी है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) एक ही ह़दीष़ को कई बार मुख़्तलिफ़ मसाइल निकालने के लिये बयान करते हैं मगर अलग–अलग सनदों से ताकि तकरार बेफ़ायदा न हो।

बाब 9 : क्या जुनुबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है?

٩- بَابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। इब्ने उ़मर और बराअ बिन आ़ज़िब ने हाथ धोने से पहले ग़ुस्ल के पानी में अपना हाथ डाला था और इब्ने उ़मर और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) उस पानी से ग़ुस्ल में कोई मुज़ाइक़ा नहीं समझते थे जिसमें ग़ुस्ले जनाबत का पानी टपककर गिर गया हो।

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मतलब ये है कि अगर हाथ पर और कोई नजासत न हो और हाथ धोने से पहले बरतन में डाल दें तो पानी नजिस न होगा, क्योंकि जनाबत नजासते हुक्मी है, ह़क़ीक़ी नहीं है। इब्ने उमर (रज़ि.) के अष़र को सईद बिन मन्सूर ने और बराअ बिन आज़िब के अष़र को इब्ने अबी शैबा ने निकाला है। उनमें जनाबत का ज़िक्र नहीं है मगर ह़ज़रत इमाम ने जनाबत को ह़दष़ पर क़यास किया है क्योंकि दोनों हुक्मी नजासत है और इब्ने अबी शैबा ने शुअ़बी से रिवायत किया है कि बाज़ असहाबे किराम अपने हाथ बग़ैर धोए पानी में डाल देते हालांकि वो जुनुबी होते, ये उसी हालत में कि उनके हाथों पर ज़ाहिर में कोई नजासत लगी हुई न होती थी।

(261) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे अफ़्लह बिन हुमैद ने बयान किया क़ासिम से, वो आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि मैं और नबी करीम (ﷺ) एक बर्तन में इस तरह ग़ुस्ल करते थे कि हमारे हाथ बारी—बारी उसमें पड़ते थे।

٢٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

यानी कभी मेरा हाथ और कभी आप (ﷺ) का हाथ कभी दोनों हाथ मिल भी जाते हैं थे, जैसा कि दूसरी रिवायत में है।

(262) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ह़म्माद ने हिशाम के वास्ते से बयान किया, वो अपने वालिद से, वो आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ुस्ले जनाबत फ़र्माते तो (पहले) अपना हाथ धोते।

(राजेअ़ : 248)

٢٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ. [راجع: ٢٤٨]

इस ह़दीष़ के लाने से ग़र्ज़ ये है कि जब हाथ पर नजासत का अन्देशा हो तो हाथ धोकर बरतन में डालना चाहिये और अगर कोई शुबहा न हो तो बग़ैर धोए भी (पानी में हाथ डालना) जाइज़ है।

(263) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया। कहा हमसे शुअ़बा ने अबूबक्र बिन ह़फ़्स़ के वास्ते से बयान किया, वो उ़र्वा से, वो आइशा (राज़ि.) से, उन्हों ने कहा कि मैं और नबी करीम (ﷺ) (दोनों मिलकर) एक ही बर्तन में ग़ुस्ले जनाबत करते थे। और शुअ़बा ने अपने वालिद (क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबीबक्र (रज़ि.) से वो आइशा (रज़ि.) से इसी तरह रिवायत करते हैं।

(राजेअ़ : 250)

٢٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. [راجع: ٢٥٠]

(264) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से। उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम (ﷺ) और आपकी कोई जोज़ :-ए-मुतह्हरा एक बर्तन में (या'नी एक ही बर्तन के पानी से) ग़ुस्ल करते थे। इस ह़दीष़ में मुस्लिम बिन इब्राहीम और वहब बिन जरीर की रिवायत में शुअ़बा से मिनल् जनाबत का लफ़्ज़ (ज़्यादा) है। (यानी ये जनाबत का ग़ुस्ल होता था)।

٢٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ [راجع: ٢٢٤] حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ : مِنَ الْجَنَابَةِ.

हाफ़िज़ ने कहा कि इस्माईल ने वहब की रिवायत को निकाला है, लेकिन उसमें ये ज्यादती नहीं है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि ये तअलीक़ नहीं है क्योंकि मुस्लिम बिन इब्राहीम तो इमाम बुख़ारी (रह.) के शैख़ है और वहब ने भी जब वफ़ात पाई तो इमाम बुख़ारी (रह.) की उमर उस वक़्त बारह साल की थी, इसमें क्या ता'ज्जुब है कि आपको उनसे समाअ़त ह़ासिल हो।

बाब 10 : उस शख़्स़ के बारे में जिसने ग़ुस्ल में

١٠- بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى

अपने दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर पानी गिराया

شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

(265) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअमश ने सालिम बिन अबी अल जअद के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) के मौला कुरैब से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने मैमूना बिन्ते हारिषा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) के लिये (ग़ुस्ल का) पानी रखा और पर्दा कर दिया। आपने (पहले ग़ुस्ल में) अपने हाथ पर पानी डाला और उसे एक या दो बार धोया। सुलैमान अअमश कहते हैं कि मुझे याद नहीं रावी (सालिम बिन अल्जअद) ने तीसरी बार का भी ज़िक्र किया या नहीं। फिर दाहिने हाथ से बाएँ पर पानी डाला। और शर्मगाह धोई, फिर अपने हाथ को ज़मीन पर या दीवार पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और हाथों को धोया और सर को धोया। फिर सारे बदन पर पानी बहाया। फिर एक तरफ़ सरककर दोनों पांव धोए। बाद में मैंने एक कपड़ा दिया तो आपने अपने हाथ से इशारा किया कि इस तरह कि इसे हटाओ और आपने उस कपड़े का इरादा नहीं फ़र्माया।

٢٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ : لاَ أَدْرِيْ أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لاَ - ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا.

इमाम अहमद की रिवायत में यूं है कि आपने फ़र्माया मैं नहीं चाहता। आदाबे ग़ुस्ल से है कि दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर पहले ख़ूब अच्छी तरह से इस्तिंजा कर लिया जाए। बाब का तर्जुमा इस हदीष से ज़ाहिर है।

बाब 11 : इस बयान में कि ग़ुस्ल और वुज़ू के दरम्यान फ़स्ल करना भी जाइज़ है

١١- بَابُ تَفْرِيْقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوْءِ

इब्ने उमर से मन्क़ूल है कि उन्होंने अपने क़दमों को वुज़ू कर्दा अअज़ा (हिस्सों) के ख़ुश्क होने के बाद धोया।

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ.

इस अषर को इमाम शाफ़िई (रह.) ने अपनी किताबुल उम में रिवायत किया है कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बाज़ार में वुज़ू किया, फिर एक जनाज़े में बुलाए गये तो वहाँ आपने मौज़ों पर मसह किया और जनाज़े की नमाज़ पढ़ी। हाफ़िज़ ने कहा उसकी सनद सही है, इमाम बुख़ारी (रह.) का मन्शा–ए–बाब ये है कि ग़ुस्ल और वुज़ू में मवालात वाजिब नहीं है।

(266) हमसे मुहम्मद इब्ने महबूब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअमश ने सालिम बिन अबी अल् जअद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कुरैब मौला इब्ने अब्बास (रज़ि.) से,

٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى

उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से कि मैमूना (रज़ि.) ने कहा कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) के लिये ग़ुस्ल का पानी रखा। तो आप (ﷺ) ने पहले पानी अपने हाथ पर गिराकर उन्हें दो या तीन बार धोया। फिर अपने दाहिने हाथ से बाएँ हाथ पर गिराकर अपनी शर्मगाह को धोया। फिर हाथ को ज़मीन पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला फिर अपने चेहरे और हाथों को धोया। फिर अपने सर को तीन बार धोया फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाया, फिर आप अपने ग़ुस्ल की जगह से अलग हो गये। फिर अपने क़दमों को धोया। (राजेअ़ : 249)

ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. [راجع: ٢٤٩]

यहाँ से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला है कि मवालात वाजिब नहीं है। यहाँ तक कि आपने सारा वुज़ू कर लिया, मगर पांव नहीं धोएं यहां तक कि आप ग़ुस्ल से फ़ारिग हुए, फिर आपने पैर धोए।

बाब 12 : जिसने जिमाअ़ किया और फिर दोबारा किया और जिसने अपनी कई बीवियों से हमबिस्तर होकर एक ही ग़ुस्ल किया उसका बयान

١٢– باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ. وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

(267) हमसे मुहम्मद इब्ने बश्शार ने ह़दीष़ बयान की, कहा हमसे इब्ने अबी अ़दी और यह़्या बिन सईद ने शुअ़बा से, वो इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुंतशिर से, वो अपने वालिद से, उन्होंने कहा कि मैंने आइशा (रज़ि.) के सामने इस मसले का ज़िक्र किया। तो आपने फ़र्माया, अल्लाह अबू अ़ब्दुर्रहमान पर रहम फ़र्माए मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुश्बू लगाई फिर आप अपने तमाम अज़्वाजे (मुतह्हरात) के पास तशरीफ़ ले गए और सुबह को एहराम इस हालत में बाँधा कि ख़ुश्बू से बदन महक रहा था। (दीगर मक़ाम : 270)

٢٦٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا. [طرفه في : ٢٧٠].

ह़दीष़ से बाब का तर्जुमा यूँ ष़ाबित हुआ कि अगर आप हर बीवी के पास जाकर ग़ुस्ल फ़र्माते तो आपके जिस्में मुबारक पर ख़ुशबू का निशान बाक़ी न रहता, जुम्हूर के नज़दीक एहराम से पहले इस क़दर खुशबू लगाना कि एहराम के बाद भी उसका अष़र बाक़ी रहे जाइज़ है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) उसे जाइज़ नहीं जानते थे, इसी पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उनका इस्लाह के लिये ऐसा फ़र्माया, अबू अ़ब्दुर्रहमान उनकी कुन्नियत है। इमाम मालिक (रह.) का फ़तवा क़ौले इब्ने उमर (रज़ि.) पर ही है, मगर जुम्हूर इसके ख़िलाफ़ है।

(268) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया। उन्होंने कहा हमसे मुआ़ज़ बिन हिशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेर

٢٦٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

वालिद ने क़तादा के वास्ते से, कहा हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम (ﷺ) दिन और रात के एक ही समय में अपनी तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात के पास गए और ये ग्यारह थीं। (नौ निकाहशुदा और दो लौण्डियाँ) रावी ने कहा, मैंने अनस (रज़ि.) से पूछा कि हुज़ूर (ﷺ) उसकी ताक़त रखते थे। तो आपने फ़र्माया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको तीस मर्दों की ताक़त दी गई थी और सईद ने कहा क़तादा के वास्ते से कि हम कहते थे कि अनस ने उनसे नौ बीवियों का ज़िक्र किया।

(दीगर मक़ाम : 284, 5068, 5218)

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ : أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ إِنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ : تِسْعُ نِسْوَةٍ.

[أطرافه في : ٢٨٤، ٥٠٦٨، ٥٢١٥].

तश्रीह : जिस जगह रावी ने नौ बीवियों का ज़िक्र किया है, वहाँ आपकी नौ अज़्वाज़े मुतह्हरात ही मुराद हैं और जहाँ 11 का ज़िक्र फ़र्माया है, वहाँ मारिया और रेहाना जो आपकी लौण्डियाँ थीं, उनको भी शामिल कर लिया गया है।

अल्लामा ऐनी फ़र्माते हैं, **'क़ालब्नु ख़ुज़ैमत लम यक़ुल अहदुम्मिन अस्हाबि क़तादत इहदा अशरत इल्ला मआजब्नु हिशामिन व क़द रवल बुख़ारी अरिंवायतलउख़रा अन अनसिन तिस्अ व जमअ बैनहुमा बिअन्न अज़्वाजहू कुन्न फ़ी हाज़ल वक़्ति कमा फ़ी रिवायति सईदिन व सरयताहू मारयत व रैहानत।'**

हदीष़ के लफ़्ज़ फ़िस्साअतिल वाहिदा से तर्जुमतुल बाब ष़ाबित होता है। आप (ﷺ) ने एक ही साअत में जुम्ला बीवियों से मिलाप फ़र्माकर आख़िर में एक ही ग़ुस्ल फ़र्माया है।

कुव्वते मर्दानगी जिसका ज़िक्र हदीष़ में किया गया है ये कोई ऐब नहीं है बल्कि न मर्दानगी को ऐब शुमार किया जाता है। फ़िलवाक़ेअ आप (ﷺ) में कुव्वते मर्दानगी इससे भी ज़्यादा थी। बावजूद इसके आपने ऐन आलमे शबाब में सिर्फ़ एक मुअम्मर बीवी हज़रत ख़दीजतुल कुबरा (रज़ि.) पर इक्तिफ़ा फ़र्माया, जो आपके कमाले ज़ब्त की एक बय्यिन दलील है। हाँ! मदनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुल्की व सियासी व अख़्लाक़ी व समाजी मसले थे जिनकी बिना पर आपकी अज़्वाज़े मुतह्हरात की ता'दाद नौ तक पहुँच गई। इस पर ए'तिराज़ करनेवालों को पहले अपने घर की ख़बर लेना चाहिए कि उनके मज़हबी अकाबिर के घरों में सौ–सौ बल्कि हज़ार तक औरतें इतिहास की किताबों में लिखी हुई है। किसी दूसरे मुक़ाम पर इसकी तफ़्सील आएगी।

बाब 13 : इस बारे में कि मज़ी का धोना और उसकी वजह से वुज़ू करना ज़रूरी है

١٣- بَابُ غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

(269) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे ज़ाइद ने अबू हुसैन के वास्ते से, उन्होंने अबू अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि मुझे मज़ी बहुत ज़्यादा आती थी, चूँकि मेरे घर में नबी करीम (ﷺ) की बेटी (हज़रत फ़ातिमा अज़्ज़ुहरा रज़ि.) थीं, इसलिये मैंने एक शख़्स (अपने शागिर्द मिक़्दाद बिन अस्वद) से कहा कि वो आप (ﷺ) से इस मसले के बारे में मा'लूम करें। उन्होंने पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वुज़ू कर और शर्मगाह को धो (यही काफ़ी है)।

(राजेअ 132)

٢٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ- لِمَكَانِ ابْنَتِهِ - فَسَأَلَ، فَقَالَ : ((تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ))

[راجع: ١٣٢]

बाब 14 : इस बारे में कि जिसने ख़ुश्बू लगाई फिर ग़ुस्ल किया और ख़ुश्बू का अष़र अब भी बाक़ी रहा

١٤- بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

(270) हमसे अबू नोअ़मान ने बयान किया, कहा हमसे अबू अ़वाना ने इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुंतशिर से, वो अपने वालिद से, कहा मैंने आइशा (रज़ि.) से पूछा और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) के उस क़ौल का ज़िक्र किया कि मैं उसको गवारा नहीं कर सकता कि मैं एहराम बाँधूँ और ख़ुश्बू मेरे जिस्म से महक रही हो तो आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने ख़ुद नबी करीम (ﷺ) को ख़ुश्बू लगाई। फिर आप अपनी तमाम बीवियों के पास गए और उसके बाद एहराम बाँधा। (राजेअ़ : 267)

٢٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا. [راجع: ٢٦٧]

ह़दीष़ से तर्जुम–ए–बाब इस तरह ष़ाबित हुआ कि ग़ुस्ल के बाद भी आपके जिस्मे मुबारक पर ख़ुश्बू का अष़र बाक़ी रहता था। मा'लूम हुआ कि हमबिस्तरी के वक़्त मियाँ–बीवी के लिये ख़ुश्बू इस्तेमाल करना सुन्नत है, जैसा कि इब्ने बत्ताल ने कहा है (फ़त्हुल बारी) बाक़ी तफ़्सील ह़दीष़ नं. 262 में गुज़र चुका है।

(271) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने ह़दीष़ बयान की, कहा हमसे ह़कम ने इब्राहीम के वास्ते से, वो अस्वद से, वो आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया गोया कि मैं आँह़ज़रत (ﷺ) की माँग में ख़ुश्बू की चमक देख रही हूँ इस ह़ाल में कि आप एह़राम बाँधे हुए हैं।

(दीगर मक़ाम : 1538, 5918, 5923)

٢٧١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[أطرافه في : ١٥٣٨، ٥٩١٨، ٥٩٢٣].

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं कि ये ह़दीष़ मुख़्तसर है, तफ़्सीली वाक़िआ वही है जो ऊपर गुज़रा, बाब का मतलब इस ह़दीष़ से यूँ निकला है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने एह़राम का ग़ुस्ल ज़रूर किया होगा। इसी से ख़ुश्बू लगाने के बाद ग़ुस्ल करना ष़ाबित हुआ।

बाब 15 : बालों का ख़िलाल करना और जब यक़ीन हो जाए कि खाल तर हो गई तो उस पर पानी बहा देना (जाइज़ है)

١٥- بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

(272) हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया, उन्होंने अपने वालिद के ह़वाले से कि उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) जनाबत का ग़ुस्ल करते तो पहले अपने हाथों को

٢٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ

धोते और नमाज़ की तरह वुज़ू करते। फिर ग़ुस्ल करते। फिर अपने हाथों से बालों का ख़िलाल करते और जब यक़ीन कर लेते कि जिस्म गीला हो गया है। तो तीन बार उस पर पानी बहाते, फिर तमाम बदन का ग़ुस्ल करते।

يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

(273) और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं और रसूले करीम (ﷺ) एक बर्तन में ग़ुस्ल करते थे। हम दोनों उससे चुल्लू भर–भरकर पानी लेते थे। (राजेअ़ : 250)

٢٧٣- وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا. [راجع: ٢٥٠]

इस हदीष़ से ष़ाबित हुआ कि जनाबत के ग़ुस्ल में उँगलियाँ भिगोकर बालों की जड़ों मे ख़िलाल करें, जब यक़ीन हो जाए कि सर और दाढ़ी के बाल भीग गए हैं, तब बालों पर पानी बहाए। ये ख़िलाल भी आदाबे ग़ुस्ल है। जो इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक वाजिब और जुम्हूर के नज़दीक सिर्फ़ सुन्नत है।

बाब 16 : इस बारे में जिसने जनाबत में वुज़ू किया फिर अपने तमाम बदन को धोया, लेकिन वुज़ू के अअ़ज़ा को दोबारा नहीं धोया

١٦- بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى.

(274) हमसे यूसुफ़ बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे फ़ज़ल बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अअ़मश ने बयान किया, उन्होंने सालिम के वास्ते से, उन्होंने कुरैब मौला इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) से रिवायत किया, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ग़ुस्ले जनाबत के लिये पानी रखा, फिर आप (ﷺ) ने पहले दो या तीन बार अपने दाएँ हाथ से बाएँ हाथ पर पानी बहाया। फिर शर्मगाह धोई। फिर हाथ को ज़मीन पर या दीवार पर दो या तीन बार रगड़ा। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और बाज़ूओं को धोया। फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का ग़ुस्ल किया। फिर अपनी जगह से सरककर पांव धोए। हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं एक कपड़ा लाई तो आप (ﷺ) ने उसे नहीं लिया और हाथों ही से पानी झाड़ने लगे।

(राजेअ़ : 249)

٢٧٤- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَضُوءًا لِلْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ - أَوِ الْحَائِطِ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ. [راجع: ٢٤٩]

बाब 17 : जब कोई शख़्स मस्जिद में हो और

١٧- بَابُ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ

उसे याद आए कि मुझको नहाने की हाजत है तो उसी तरह निकल जाए और तयम्मुम न करे।

أَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ

(275) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा हमसे उ़ष्मान बिन उ़मर ने बयान किया, कहा हमको यूनुस ने ख़बर दी ज़ुहरी के वास्ते से, वो अबू सलमा से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नमाज़ की तक्बीर हुई और सफ़ें बराबर हो गईं, लोग खड़े थे कि रसूले करीम (ﷺ) अपने हुज्रे से हमारी तरफ़ तशरीफ़ लाए। जब आप मुसल्ले पर खड़े हो चुके तो याद आया कि आप जुनुबी हैं। बस आपने हमसे फ़र्माया कि अपनी जगह खड़े रहो और आप वापस चले गए। फिर आपने ग़ुस्ल किया और हमारी तरफ़ वापस तशरीफ़ लाए तो सर से पानी के क़तरे टपक रहे थे। आपने नमाज़ के लिये तक्बीर कही और हमने आपके साथ नमाज़ अदा की। (दीगर मक़ाम : 639, 640)

٢٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا ((مَكَانَكُمْ)) ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. [طرفاه في : ٦٣٩، ٦٤٠].

उ़ष्मान बिन उ़मर से इस रिवायत की मुताबअ़त की है अ़ब्दुल आ़ला ने मअ़मर से और वो ज़ुहरी से। और औज़ाई ने भी ज़ुहरी से इस हदीष़ को रिवायत किया है।

تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

अ़ब्दुल आ़ला की रिवायत को इमाम अह़मद ने निकाला है और औज़ाई की रिवायत को ख़ुद हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल अज़ान में ज़िक्र किया है।

बाब 18 : इस बारे में कि ग़ुस्ले जनाबत के बाद हाथों से पानी झाड़ लेना (सुन्नते नबवी है)

١٨- بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

(276) हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा हमसे अबू ह़म्ज़ा (मुहम्मद बिन मैमून) ने, कहा मैंने अअ़मश से सुना, उन्होंने सालिम बिन अबी अल जअ़द से, उन्होंने कुरैब से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, आपने कहा कि हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के लिये ग़ुस्ल का पानी रखा और एक कपड़े से पर्दा डाल दिया। पहले आपने अपने दोनों हाथों पर पानी डाला और उन्हें धोया। फिर अपने दाहिने हाथ से बाएँ हाथ पर पानी लिया और शर्मगाह धोई। फिर हाथ को ज़मीन पर मारा और धोया। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और बाज़ुओं को धोया। फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का ग़ुस्ल किया। उसके बाद आप मुक़ामे ग़ुस्ल से एक तरफ़ हो गए, फिर दोनों पांव धोए। उसके बाद मैंने आपको एक कपड़ा

٢٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ

قَدَمَيهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنفُضُ يَدَيهِ. [راجع: ٢٤٩]

देना चाहा तो आपने उसे नहीं लिया और आप हाथों से पानी झाड़ने लगे। (राजेअ़ : 249)

बाब और ह़दीष़ की मुत़ाबक़त ज़ाहिर है, मा'लूम हुआ कि अफ़ज़ल यही है कि वुज़ू और ग़ुस्ल में बदन कपड़े से न पोंछे।

١٩- بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

बाब 19 : उस शख़्स के बारे में जिसने अपने सर के दाहिने ह़िस्से से ग़ुस्ल किया

٢٧٧- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.

(277) हमसे ख़ल्लाद बिन यह़्या ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन नाफ़ेअ़ ने बयान किया, उन्होंने ह़सन बिन मुस्लिम से रिवायत करके, वो स़फ़िया बिन्ते शैबा से, वो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि हम बीवियों (मुतह्हहरात) में से किसी को अगर जनाबत लाहिक़ होती तो वो हाथों में पानी लेकर सर पर तीन बार डालतीं। फिर हाथ में पानी लेकर सर के दाहिने ह़िस्से का ग़ुस्ल करतीं और दूसरे हाथ से बाएँ ह़िस्से का ग़ुस्ल करतीं।

तश्रीह़ : पहला चुल्लू दाएँ जानिब पर दूसरा चुल्लू बाएँ जानिब पर तीसरा चुल्लू सर के बीचों–बीच जैसाकि **बाबुन मन बदअ़ बिल हिलाबि अवित्तीबि** में बयान हुआ। इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ उस ह़दीष़ की त़रफ़ इशारा किया है और बाब का तर्जुमा इस जुम्ला **षुम्म तअ़ख़ुज़ू बियदिहा अ़ला शिक़्क़िहल अयमनि** से निकलता है कि इसमें ज़मीर सर की त़रफ़ फिरती है।

यानी फिर सर के दाएँ त़रफ़ पर हाथ से पानी डालते और सर के बाएँ त़रफ़ पर दूसरे हाथ से। किरमानी ने कहा कि बाब का तर्जुमा इससे निकल आया क्योंकि बदन में सर से लेकर क़दम तक दाख़िल है।

٢٠- بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ وَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

बाब 20 : उस शख़्स के बारे में जिसने तन्हाई में नंगे होकर ग़ुस्ल किया

وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ)).

और जिसने कपड़ा बाँधकर ग़ुस्ल किया और कपड़ा बाँधकर ग़ुस्ल करना अफ़ज़ल है और बहज़ बिन ह़कीम ने अपने वालिद से, उन्होंने बहज़ के दादा (मुआविया बिन ह़ैदा) से वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह लोगों के मुक़ाबले में ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उससे शर्म की जाए।

तश्रीह़ : इसको इमाम अह़मद (रह.) वग़ैरह अस़्ह़ाबे सुनन ने रिवायत किया है। पूरी ह़दीष़ यूँ है कि मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम किन शर्मगाहों पर तस़र्रुफ़ करें और किनसे बचें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि स़िर्फ़ तुम्हारी बीवी और लौण्डी तुम्हारे लिये ह़लाल है। मैंने कहा ह़ुज़ूर जब हम में से कोई अकेला हो तो **नंगा ग़ुस्ल** कर सकता है। आपने फ़र्माया कि अल्लाह ज़्यादा लायक़ है कि उससे शर्म की जाए।

इब्ने अबी लैला ने अकेले में नंगा नहाने को जाइज़ कहा है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इनका रद्द किया और बतलाया कि ये जाइज़ है मगर सतर ढाँपकर नहाना अफ़ज़ल है। हदीष़ में हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) व हज़रत अय्यूब (अलैहिस्सलाम) का नहाना मज़्कूर है। इससे बाब का तर्जुमा ष़ाबित हुआ।

(278) हमसे इस्हाक़ बिन नस़र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने मअ़मर से, उन्होंने हम्माम बिन मुनब्बह से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से, कि आपने फ़र्माया बनी इस्राईल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख़्स दूसरे को देखता लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पर्दे से ग़ुस्ल फ़र्माते। इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह की क़सम! मूसा को हमारे साथ ग़ुस्ल करने में सिर्फ़ ये ही चीज़ मानेअ़ है कि आपके ख़ुस़िये बढ़े हुए हैं। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ग़ुस्ल करने लगे और आपने अपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। इतने में पत्थर कपड़ों को लेकर भागा और मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे बड़ी तेज़ी से दौड़े। आप कहते जाते थे। ऐ पत्थर! मेरा कपड़ा दे। ऐ पत्थर! मेरा कपड़ा दे। इस अ़र्से में बनी इस्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा देख लिया और कहने लगे कि अल्लाह की क़सम! मूसा को कोई बीमारी नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़ा लिया और पत्थर को मारने लगे। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा अल्लाह की क़सम! उस पत्थर पर छः या सात मार के निशान मौजूद हैं।

(दीगर मक़ाम : 3404, 4799)

٢٧٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ. فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ. فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَجَمَعَ مُوسَى فِي أَثَرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا)) فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ.

[طرفاه في : ٣٤٠٤، ٤٧٩٩].

(279) और इसी सनद के साथ अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया कि (एक बार) अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे ग़ुस्ल फ़र्मा रहे थे कि सोने की टिड्डियाँ आप पर गिरने लगीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। इतने में उनके रब ने उन्हें पुकारा कि ऐ अय्यूब! क्या मैंने तुम्हें उस चीज़ से बेनियाज़ नहीं कर दिया, जिसे तुम देख रहे हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हाँ तेरी बुज़ुर्गी की क़सम! लेकिन तेरी बरकत से मेरे लिये बेनियाज़ी क्यूँकर मुम्किन है। और इस हदीष़ को इब्राहीम ने मूसा बिन उक़्बा से, वो सफ़्वान से, वो अ़ता बिन यसार से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो नबी करीम (ﷺ) से,

٢٧٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ : يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ)). وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ((بَيْنَا

इस तरह नक़ल करते है, 'जबकि ह़ज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नंगे होकर ग़ुस्ल कर रहे थे। (आख़िर तक)'

(दीगर मक़ाम : 3391, 7493)

أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا . . . .)).

[طرفاه في : ٣٣٩١، ٧٤٩٣].

इब्राहीम बिन ज़मान से इमाम बुख़ारी (रह.) ने नहीं सुना तो ये तअ़लीक़ हो गई। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं कि इसको निसाई और इस्माईली ने वस्ल किया है।

बाब 21 : इस बयान में कि लोगों में नहाते समय पर्दा करना ज़रूरी है

٢١- بَابُ التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

(280) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़नी ने रिवायत की। उन्होंने इमाम मालिक से, उन्होंने उ़मर बिन उ़बैदुल्लाह से कि मौला अबू नज़र से कि उम्मे हानी बिन्ते अबी त़ालिब के मौला अबू मुर्रा ने उन्हें बताया कि उन्होंने उम्मे हानी बिन्ते अबी त़ालिब को ये कहते सुना कि मैं फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई मैंने देखा कि आप (ﷺ) ग़ुस्ल फ़र्मा रहे हैं और फ़ात़िमा (रज़ि.) ने पर्दा कर रखा है। नबी अकरम (ﷺ) ने पूछा कि कौन है? मैंने कहा कि मैं उम्मे हानी हूँ।

(दीगर मक़ाम : 357, 3171, 6158)

٢٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِىءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِىءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِىءٍ.

[أطرافه في : ٣٥٧، ٣١٧١، ٦١٥٨].

(281) हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने अअ़मश से, वो सालिम बिन अबी अल जअ़द से, वो कुरैब से, वो इब्ने अ़ब्बास से, वो मैमूना से, उन्होंने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) ग़ुस्ले जनाबत फ़र्मा रहे थे मैंने आपका पर्दा किया था। तो आपने पहले अपने हाथ धोए फिर दाहिने हाथ से बाएँ हाथ पर पानी बहाया और शर्मगाह धोई और जो कुछ उसमें लग गया था उसे धोया। फिर हाथ को ज़मीन या दीवार पर रगड़कर (धोया) फिर नमाज़ की तरह वुज़ू किया। पांव के अ़लावा। फिर पानी अपने सारे बदन पर बहाया और उस जगह से हटकर दोनों क़दमों को धोया। इस ह़दीष़ में अबू अ़वाना और मुह़म्मद बिन फ़ुज़ैल ने भी पर्दे का ज़िक्र किया।

(राजेअ़ : 249)

٢٨١- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ. [راجع: ٢٤٩]

अबू अ़वाना की रिवायत इससे पहले ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ज़िक्र फ़र्मा चुके हैं और मुह़म्मद बिन फ़ुज़ैल की रिवायत को

अबू अवाना ने अपनी सहीह में निकाला है। अबू अवाना की रिवायत के लिये हदीष नं. 260 मुलाहज़ा की जा सकती है।

बाब 22 : इस बयान मेंकि जब औरत को एहतलाम हो तो उस पर भी ग़ुस्ल वाजिब है

٢٢- بَابٌ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

(282) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से, उन्होंने अपने वालिद उर्वा बिन ज़ुबैर से, वो ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि उम्मे सुलैम अबू तलहा (रज़ि.) की औरत रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और कहा कि अल्लाह तआला हक़ से हया नहीं करता। क्या औरत पर भी जबकि उसे एहतलाम हो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। तो रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ अगर (अपनी मनी का) पानी देखे (तो उसे भी ग़ुस्ल करना होगा)

(राजेअ : 130)

٢٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ)). [راجع: ١٣٠]

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि औरत को भी एहतलाम होता है। इसके लिये भी मर्द का सा हुक्म है कि जागने पर मनी की तरी अगर कपड़े या जिस्म पर देखे तो ज़रूर ग़ुस्ल कर लें तरी न पाए तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

बाब 23 : इस बयान में कि जुनुबी का पसीना और मुसलमान नापाक नहीं होता

٢٣- باب عَرَق الْجُنُبِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ

(283) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, कहा हमसे हुमैद तवील ने, कहा हमसे बक्र बिन अब्दुल्लाह ने अबू राफ़ेअ के वास्ते से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि मदीना के किसी रास्ते पर नबी करीम (ﷺ) से उनकी मुलाक़ात हुई। उस समय अबू हुरैरह जनाबत की हालत में थे। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मैं पीछे रह कर लौट गया और ग़ुस्ल करके वापस आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा कि ऐ अबू हुरैरह! कहाँ चले गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि मैं जनाबत की हालत में था इसलिये मैंने आपके साथ बग़ैर ग़ुस्ल के बैठना बुरा समझा। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! मोमिन हर्गिज़ नजिस नहीं हो सकता।

(दीगर मक़ाम : 285)

٢٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ)).

[أطرافه في : ٢٨٥].

यानी ऐसा नजिस नहीं होता कि उसके साथ बैठा भी न जा सके। उसकी नजासत आरज़ी (अस्थाई) है जो ग़ुस्ल से ख़त्म हो जाती है, इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ से ये निकाला कि जुनुबी का पसीना भी पाक है क्योंकि जब बदन पाक है तो बदन से निकलने वाला पसीना भी पाक ही होगा।

बाब 24 : इस तफ़्सील में कि जुनुबी घर से बाहर निकल सकता है

٢٤- بَابُ الْجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

और अ़ता ने कहा कि जुनुबी पछना लगवा सकता है, नाख़ून तरशवा सकता है और सर मुँडवा सकता है अगरचे वुज़ू भी न किया हो।

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ.

(284) हमसे अ़ब्दुल आ़ला बिन ह़म्माद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी अ़रूबा ने बयान किया, उन्होंने क़तादा से, कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी (ﷺ) अपनी तमाम बीवियों के पास एक ही रात में तशरीफ़ ले गए। उस समय आपकी बीवियों में नौ बीवियाँ थीं। (राजेअ़ : 268)

٢٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. [راجع: ٢٦٨]

इससे जुनुबी का घर से बाहर निकलना यूँ ष़ाबित हुआ कि आप (ﷺ) एक बीवी से सोह़बत करके घर से बाहर दूसरी बीवी के घर तशरीफ़ ले जाते।

(285) हमसे अ़याश ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल आ़ला ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुमैद ने बक्र के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू राफ़ेअ़ से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से, कहा कि मेरी मुलाक़ात रसूलुल्लाह (ﷺ) से हुई। उस समय मैं जुनुबी था। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आपके साथ चलने लगा। आख़िर आप (ﷺ) एक जगह बैठ गए और मैं धीरे से अपने घर आया और ग़ुस्ल करके ह़ाज़िरे ख़िदमत हुआ। आप अभी बैठे हुए थे, आपने पूछा ऐ अबू हुरैरह! कहाँ चले गए थे, मैंने वाक़िआ़ बयान किया तो आपने फ़र्माया सुब्ह़ानल्लाह! मोमिन तो नजिस नहीं होता। (राजेअ़ : 283)

٢٨٥- حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ)) فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ)). [راجع: ٢٨٣]

इस ह़दीष़ की और बाब की मुताबक़त भी ज़ाहिर है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ह़ालते जनाबत में राह चलते हुए आँह़ज़रत (ﷺ) से मिले।

बाब 25 : ग़ुस्ल से पहले जुनुबी का घर में ठहरना जबकि वुज़ू कर ले (जाइज़ है)

٢٥- بَابُ كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ

(286) हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम और

٢٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ

وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. وَيَتَوَضَّأُ.

[طرفه في : ٢٨٨].

शैबान ने, वो यह़्या से, वो अबू सलमा से, कहा मैंने आइशा (रज़ि.) से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) जनाबत की ह़ालत में घर में सोते थे? कहा हाँ! लेकिन वुज़ू कर लेते थे।

(दीगर मक़ाम : 288)

तश्रीह़ : एक ह़दीष़ में है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर या जुनुबी हो तो वहाँ फ़रिश्ते नहीं आते। इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर बतलाया कि वहाँ जुनुबी से वो मुराद है जो वुज़ू भी न करे और जनाबत की ह़ालत में बेपरवाह बनकर यूँ ही घर में पड़ा रहे।

٢٦- بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ

बाब 26 : इस बारे में कि बग़ैर ग़ुस्ल किये जुनुबी का सोना जाइज़ है

٢٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ)).

[طرفاه في : ٢٨٩، ٢٩٠].

(287) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ़ से, वो इब्ने उ़मर (रज़ि.) से कि उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि क्या हममें से कोई जनाबत की ह़ालत में सो सकता है? फ़र्माया हाँ! वुज़ू करके जनाबत की ह़ालत में भी सो सकते हो।

(दीगर मक़ाम : 289, 290)

٢٧- بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

बाब 27 : इस बारे में कि जुनुबी पहले वुज़ू कर ले फिर सोए

٢٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ. [راجع: ٢٨٦]

(288) हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने उ़बैदुल्लाह बिन अबी अल् जअ़द के वास्ते से, उन्होंने मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़मान से, उन्होंने उ़र्वा से, वो ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) जब जनाबत की ह़ालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज़ की तरह वुज़ू करते।

(राजेअ़ : 286)

٢٨٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ)).

(289) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जुवैरिया ने नाफ़ेअ़ से, वो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से, कहा उ़मर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि क्या हम जनाबत की ह़ालत में सो सकते हैं? आपने फ़र्माया, हाँ! लेकिन वुज़ू करके।

٢٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ

(290) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से, उन्होंने कहा ह़ज़रत उ़मर

(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि रात में उन्हें ग़ुस्ल की ज़रूरत हो जाया करती है तो रसूलुल्लाह (ﷺ)) ने फ़र्माया कि वुज़ू कर लिया कर और शर्मगाह को धोकर सो जाओ।

(राजेअ़ : 287)

الخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ)).

[راجع: ٢٨٧]

तश्रीह : इन सारी अहादीष़ का यही मक़सद है कि जुनुबी वुज़ू करके घर में सो सकता है। फिर नमाज़ के वास्ते ग़ुस्ल कर ले क्योंकि ग़ुस्ले जनाबत किये बग़ैर नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी। मरीज़ के लिये रुख़सत है जैसा कि मा'लूम हो चुका है।

बाब 28 : इस बारे में कि जब दोनों ख़ितान एक-दूसरे से मिल जाएँ तो ग़ुस्ले जनाबत वाजिब है, हमसे मुआज़ बिन फ़ुज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया

٢٨- بَابُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح.

(291) (दूसरी सनद से) इमाम बुख़ारी ने फ़र्माया कि हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, वो हिशाम से, वो क़तादा से, वो इमाम हसन बसरी से, वो अबू राफ़ेअ से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब मर्द-औरत के चहार ज़ानू में बैठ गया और उसके साथ जिमाअ के लिये कोशिश की तो ग़ुस्ल वाजिब हो गया, इस हदीष़ की मुताबअत अम्र ने शुअबा के वास्ते से की है। और मूसा ने कहा कि हमसे अबान ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, कहा हमसे हसन बसरी ने बयान किया, इसी हदीष़ की तरह। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) ने कहा ये हदीष़ इस बाब की तमाम अहादीष़ में उम्दा और बेहतर है और हमने दूसरी हदीष़ उष़्मान और इब्ने अबी कअब की) सहाबा के इख़्तिलाफ़ के पेशेनज़र बयान की और ग़ुस्ल करना ज़्यादा बेहतर है।

٢٩١- وَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)). تَابَعَهُ عَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا أَجْوَدُ وَ أَوْكَدُ وَ إِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيثَ لاِخْتِلاَفِهِمْ وَالْغُسْلُ أَحْوَطُ.

तश्रीह : **'क़ालन्नववी मअनल हदीष़ि अन्न ईजाबल ग़ुस्लि ला यतवक्कफ़ु अ लल इन्ज़ालि बल मता ग़ाबतिल हश्फ़तु फ़िल फ़र्ज़ि वजबल ग़ुस्लु अलयहिमा व ला ख़िलाफ़ फ़ीहिल यौम।'** इमाम नववी (रह.) कहते हैं कि हदीष़ का मा'नी ये है कि ग़ुस्ल इन्ज़ाले मनी पर मौक़ूफ़ (आधारित) नहीं है बल्कि जब भी दुख़ूल हो गया दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब हो चुका और अब इस बारे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है।

ये तरीक़ा मुनासिब नहीं :— फ़िक़्ही मसालिक में कोई मसलक अगर किसी जुज़्ई में किसी हदीष़ से मुताबिक़ हो जाए तो क़ाबिले क़ुबूल है। क्योंकि असल मामूल बिही क़ुर्आन व हदीष़ है। इसीलिये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने फ़र्मा दिया है कि **इज़ा सह्हल हदीषु फ़हुव मज़हबी**। जो भी सहीह हदीष़ से ष़ाबित हो वही मेरा मज़हब है। यहाँ तक दुरुस्त और क़ाबिले तह्सीन है। मगर देखा ये जा रहा है कि मुक़ल्लिदीन अपने मज़हब को किसी हदीष़ के मुताबिक़ पाते हैं तो अपने मसलक को

मुक़द्दम ज़ाहिर करते हुए ह़दीष़ को मुअख़्ख़र करते हैं और अपने मसलक की सिह़त व ऊलूव्वियत पर इसी त़रह़ ख़ुशी ज़ाहिर करते हैं गोया अव्वलीन मुक़ाम उनके मज़्अ़म–ए–मसलक का है और अह़ादीष़ का मुक़ाम उनके बाद है। हमारे इस बयान की तस्दीक़ के लिये मौजूदा तराजिमे अह़ादीष़ ख़ास तौर पर तराजिमे बुख़ारी को देखा जा सकता है। जो आजकल हमारे बिरादराने अह़नाफ़ की त़रह़ से शाए हो रहे हैं ।

क़ुर्आन व ह़दीष़ की अ़ज़मत के पेशे–नज़र ये त़रीक़ा किसी भी त़रह़ मुनासिब नहीं है। जबकि ये तस्लीम किये बग़ैर किसी भी मुन्सिफ़ मिज़ाज़ को चारा नहीं कि हमारे मुरव्वजा (प्रचलित) मसलक बहुत बाद की पैदावार है। जिनका क़ुरूने राशिदा से कोई ता'ल्लुक़ नहीं है। बल्कि बक़ौल ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) पूरे चार सौ साल तक मुसलमान सिर्फ़ मुसलमान थे। तक़्लीदी मज़ाहिब चार सदियों के बाद पैदा हुए। उनकी ह़क़ीक़त यही है कि उम्मत के लिये ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि इन फ़िक़्ही मसलकों को अलाहिदा–अलाहिदा दीन और शरीअ़त का मुक़ाम दे दिया गया। जिसके नतीजे में वो इफ़्तिराक़ व इन्तिशार पैदा हुआ कि इस्लाम मुख़्तलिफ़ पार्टियों और बहुत से फ़िर्क़ों में तक़्सीम होकर रह गया और वह़दते मिल्ली ख़त्म हो गई और आज तक यही ह़ाल है जिस पर जितना अफ़सोस किया जाए कम है।

दावते अहले ह़दीष़ का ख़ुलासा यही है कि इस इन्तिशार को ख़त्म कर मुसलमानों को सिर्फ़ इस्लाम के नाम पर जमा किया जाए, उम्मीद है कि ज़रूर ये दावत अपना रंग लाएगी और ला रही है कि अकष़र रोशन दिमाग़ मुसलमान इन ख़ुद साख़्ता पाबन्दियों की ह़क़ीक़त से वाक़िफ़ हो चुके हैं।

बाब 29 : उस चीज़ का धोना जो औ़रत की शर्मगाह से लग जाए ज़रूरी है

٢٩- بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

(292) हमसे अबू मअ़मर अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल वारिष़ बिन सई़द ने बयान किया, उन्होंने हुसैन बिन ज़क्वान मुअ़ल्लिम के वास्ते से, उनको यह्या ने कहा मुझको अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ ने ख़बर दी, उनको अ़त़ा बिन यसार ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ने बताया कि उन्होंने ह़ज़रत उ़ष़्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) से पूछा कि मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तर हुआ लेकिन इंज़ाल नहीं हुआ तो वो क्या करे? ह़ज़रत उ़ष़्मान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़ की तरह़ वुज़ू कर ले और ज़कर को धो ले और ह़ज़रत उ़ष़्मान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये बात सुनी है। मैंने कहा इसके बारे में अ़ली बिन अबी त़ालिब, ज़ुबैर बिन अल अ़व्वाम, त़ल्ह़ा बिन उ़बैदुल्लाह, उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने भी यही फ़र्माया यह्या ने कहा और अबू सलमा ने मुझे बताया कि उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी, उन्हें अबू अय्यूब (रज़ि.) ने कि ये बात उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी थी।

(राजेअ़ : 179)

٢٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ : ((يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ)) وَقَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [راجع: ١٧٩]

हदीष़ और बाब की मुताबक़त ज़ाहिर है। इब्तिदा–ए–इस्लाम में यही हुक्म था, बाद में मन्सूख़ हो गया।

٢٩٣– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: ((يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي)). قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: الْغُسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الأَخِيْرُ. إِنَّمَا بَيَّنَّاهُ لاِخْتِلاَفِهِمْ وَالْمَاءُ أَنْقَى.

(293) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या ने हिशाम बिन उ़र्वा से, कहा मुझे ख़बर दी मेरे वालिद ने, कहा मुझे ख़बर दी अबू अय्यूब ने, कहा मुझे ख़बर दी उबय बिन कअ़ब ने कि उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब मर्द औरत से ज़िमाअ़ करे और इंज़ाल न हो तो क्या करे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत से जो कुछ उसे लग गया उसे धो ले फिर वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े। अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी (रह.)) ने कहा ग़ुस्ल करना ज़्यादा अच्छा है और ये आख़िरी अह़ादीष़ हमने इसलिये बयान कर दीं (ताकि मा'लूम हो जाए कि) इस मसले में इख़्तिलाफ़ है और पानी (से ग़ुस्ल कर लेना ही) ज़्यादा पाक करनेवाला है।

तश्रीह : यानी ग़ुस्ल कर लेना बहरे–सूरत बेहतर है। अगर बिल्फ़र्ज़ वाजिब न भी हो तो यही फ़ायदा क्या कम है कि इससे बदन की सफ़ाई हो जाती है। मगर जुम्हूर का यही फ़तवा है कि औरत–मर्द के मिलाप से ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है, इन्ज़ाल हो या ना हो। तर्जुम–ए–बाब यहाँ से निकलता है कि दुख़ूल की वजह से ज़कर में औरत की फ़रज़ से जो तरी लग गई हो, उसे धोने का हुक्म दिया।

'क़ालब्नु हजर फ़िल्फ़तहि व क़द ज़हबल जुम्हूरु इला अन्न हदीष़ल इक्तिफ़ाइ बिल वुज़ूइ मन्सूख़ुन व रवब्नु अबी शयबत व ग़ैरहू अनिब्नि अ़ब्बासिन अन्नहू हमल हदीष़िल माइ मिनल माइ अला सूरतिन मख़्सूसतिन मा यक़उ फ़िल मनामि मिन रुयतिल जिमाइ व हिय तावीलुन यज्मउ बैनल हदीष़यनि बिला तआ़रूज़िन।'

यानी अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह.) ने कहा कि जुम्हूर इस तरफ़ गए हैं कि ये अह़ादीष़ जिस में वुज़ू को काफ़ी कहा गया है, ये मन्सूख़ हैं और इब्ने अबी शैबा ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास से रिवायत किया है कि हदीष़ **अल माउ मिनल माइ** ख़्वाब से मुता'ल्लिक़ है। जिसमें जिमाअ़ दिखाया गया हो, इसमें इन्ज़ाल न हो तो वुज़ू काफ़ी होगा। इस तरह दोनों क़िस्म की हदीष़ों में ततबीक़ हो जाती है और कोई तआ़रुज़ नहीं बाक़ी रहता।

लफ़्ज़ जनाबत की लग्वी तहक़ीक़ (शाब्दिक खोजबीन) से मुता'ल्लिक़ हज़रत नवाब सिद्दीक़ हसन साहब फ़र्माते हैं, **क़ाल इब्नु हजर फिल्फ़त्हि व क़द ज़हबल जुम्हूर इला अन्न हदीष़त इक्तिफ़ाइ बिल्वुज़ूइ मन्सूख़ुन व रवा इब्नु अबी शैबत व ग़ैरुहु अन इब्नि अ़ब्बासिन अन्नहू हमल हदीष़लमाइ मिनल माइ अ़ला सूरतिन मख़्सूसतिन मा यक़उ फ़िल्मनामि मिन रूयतिल्जिमाइ व हिय तावीलुन यज्मउ बैनल हदीष़ैन बिला तआ़रूज़िन** यानी लफ़्ज़ जनब के मुता'ल्लिक़ मस्फ़ी शरह मोता में कहा गया है कि इस लफ़्ज़ का माद्दा दूर होने पर दलालत करता है। जिमाअ़ भी पोशीदा और लोगों से दूर जगह पर किया जाता है, इसलिये उस शख़्स को जुनुबी कहा गया और जुनुब को जिमाअ़ पर बोला गया। बक़ौल एक जमाअ़त जुनुबी ता ग़ुस्ल इ़बादत से दूर हो जाता है, इसलिये उसे जुनुबी कहा गया। ग़ुस्ले-जनाबत शरीअ़ते-इब्राहीमी में एक सुन्नते क़दीमा है जिसे इस्लाम में फ़र्ज़ और वाजिब क़रार दिया गया। जुम्आ़ के दिन ग़ुस्ल करना, मय्यत को नहलाकर ग़ुस्ल करना मस्नून है। (रवाह अबू दाऊद, हाकिम)

जो शख़्स इस्लाम क़ुबूल करे उसके लिये भी ज़रूरी है कि पहले ग़ुस्ल करे, फिर मुसलमान हो। (मस्कुल्ख़िताम, शरह बुलूग़ुल मराम, जिल्द अव्वल/सफ़ा : 170)

6. किताबुल हैज़

हैज़ के मसाइल

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

और अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तफ़्सीर में 'और तुझसे पूछते हैं हुक्म हैज़ का, कह दो वो गंदगी है। सो तुम औरतों से हैज़ की हालत में अलग रहो। और पास न हो उनके जब तक पाक न हो जाएँ। (यानी उनके साथ जिमाअ न करो) फिर जब ख़ूब पाक हो जाएँ तो जाओ उनके पास और जहाँ से हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने (यानी क़ुबुल मे जिमाअ करो दुबुर में नहीं) बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करनेवालों को और पसंद करता है पाकीज़गी (स़फ़ाई व सुथराई) हासिल करने वालों को।' (अल बक़र : 222)

١ – بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَحَدِيْثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ.

बाब 1 : इस बयान में कि हैज़ की इब्तिदा किस तरह हुई

और नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने आदम की बेटियों की तक़्दीर में लिख दिया है। कुछ अहले इल्म ने कहा है कि सबसे पहले हैज़ बनी इस्राईल में आया। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) की ह़दीष़ तमाम औरतों को शामिल है।

तश्रीह : यानी आदम की बेटियों के लफ़्ज़ से मा'लूम होता है कि बनी इस्राईल से पहले भी औरतों को हैज़ आता था इसलिये हैज़ की इब्तिदा के मुता'ल्लिक़ ये कहना कि बनी इस्राईल से इसकी इब्तिदा हुई सही नहीं, ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) क़द्दस सिर्रुहु ने जो ह़दीष़ यहां बयान की है इसको खुद उन्होंने इसी लफ़्ज़ से आगे एक बाब में सनद के साथ रिवायत किया है **व काल बअ़ज़ुहुम** से ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) और ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से मुराद है। उनके अष़रों को अब्दुर्रज्ज़ाक ने निकाला है, अजब नहीं कि उन दोनों ने ये हिकायत बनी इस्राईल से लेकर बयान की हो। क़ुर्आन शरीफ में ह़ज़रत इब्राहिम की बीवी सारा के हाल में हैं कि **फजहिकत** जिससे मुराद बाज़ ने लिया है कि उनको हैज़ आ गया है और जाहिर

है कि सारा बनी इस्राईल से पहले थी, ये भी हो सकता है कि बनी इस्राईल पर ये हमेशगी के अज़ाब के तौर पर भेजा गया हो।

(294) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने, कहा मैंने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से सुना, कहा मैंने क़ासिम से सुना। वो कहते थे मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, आप फ़र्माती थीं कि हम हज्ज के इरादे से निकले। जब हम मुक़ामे सरिफ़ में पहुँचे तो मैं हाइज़ा हो गई और इस रंज में रोने लगी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए, आपने पूछा तुम्हें क्या हो गया? क्या हाइज़ा हो गई हो? मैंने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों के लिये लिख दिया है। इसलिये तुम भी हज्ज के अफ़्आल (अह्काम) पूरे कर लो, अल्बत्ता बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से गाय की क़ुर्बानी की। (सरिफ़ एक जगह मक्का से छः सात मील की दूरी पर है)

(दीगर मक़ाम : 305, 316, 317, 319, 328, 1516, 1517, 1556, 1560, 1561, 1562, 1638, 1650, 1709, 1720, 1733, 1757, 1762, 1771, 1772, 1773, 1776, 1787, 1788, 2952, 2984, 4395, 4401, 4408, 5329, 5548, 5559, 6157, 7229)

٢٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ. فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: ((مَالَكِ أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)) قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

[أطرافه في: ٣٠٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٨، ١٥١٦، ١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠، ١٥٦١، ١٥٦٢، ١٦٣٨، ١٦٥٠، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ١٧٣٣، ١٧٥٧، ١٧٦٢، ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٨٣، ١٧٨٦، ١٧٨٧، ١٧٨٨، ٢٩٥٢، ٢٩٨٤، ٤٣٩٥، ٤٤٠١، ٤٤٠٨، ٥٣٢٩، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩، ٦١٥٧، ٧٢٢٩].

बाब 3 : इस बारे में कि हाइज़ा औरत का अपने शौहर के सर को धोना और उसमें कंघा करना जाइज़ है

٣- بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

(295) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें ख़बर दी मालिक ने हिशाम बिन उर्वा से, वो अपने वालिद से, वो आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि आपने फ़र्माया मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का सरे मुबारक को हाइज़ा होने की हालत में भी कंघा किया करती थी।

(दीगर मक़ाम : 296, 301, 2028, 2029, 2031, 2046, 2925)

٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

[أطرافه في: ٢٩٦، ٣٠١، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣١، ٢٠٤٦، ٢٩٢٥]

(296) हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा इब्ने जुरैज ने उन्हें ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे हिशाम बिन उ़र्वा ने उ़र्वा के वास्ते से बताया कि उनसे सवाल किया गया, क्या ह़ाइज़ा बीवी मेरी ख़िदमत कर सकती है? उ़र्वा ने फ़र्माया मेरे नज़दीक तो इसमें कोई ह़र्ज नहीं है। इस तरह की औ़रतें मेरी भी ख़िदमत करती हैं और इसमें किसी के लिये भी कोई ह़र्ज नहीं। इसलिये कि मुझे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) को ह़ाइज़ा होने की ह़ालत में कंघी किया करती थीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) उस समय मस्जिद में मुअ़तकिफ़ होते। आप अपना सरे मुबारक क़रीब कर देते और ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) अपने हुज्रे ही से कंघा कर देतीं, हालाँकि वो ह़ाइज़ा होतीं।

(राजेअ़ : 295)

٢٩٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ - رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُجَاوِرُ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ. [راجع: ٢٩٥]

बाब की ह़दीष़ से मुताबक़त जाहिर है– अदयाने साबिक़ा (अन्य पुराने धर्मों) में औ़रत को अय्यामे ह़ैज़ में बिल्कुल अलाहिदा कैद कर दिया जाता था इस्लाम ने बन्दिशों को हटा दिया।

बाब 4 : इस बारे में कि मर्द का अपनी बीवी की गोद में ह़ाइज़ा होने के बावजूद क़ुर्आन पढ़ना जाइज़ है

٤- بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

अबू वाइल अपनी ख़ादिमा को ह़ैज़ की ह़ालत में अबू रज़ीन के पास भेजे थे और वो उनके यहाँ से क़ुर्आन मजीद जुज़्दान में लिपटा हुआ अपने हाथ से पकड़कर लाती थी।

وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ.

इस अष़र को इब्ने अबी शैबा ने मौसूलन रिवायत किया है।

(297) हमसे अबू नुऐ़म फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने ज़ुहैर से सुना, उन्होंने मंसूर बिन स़फ़िया से कि उनकी माँ ने उनसे बयान किया कि आ़इशा (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) मेरी गोद में सर रखकर क़ुर्आन मजीद पढ़ते, हालाँकि मैं उस समय ह़ैज़ वाली होती थी। (दीगर मक़ाम : 7549)

٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. [طرفه في : ٧٥٤٩].

ह़दीष़ और बाब की मुताबक़त जाहिर है।

बाब 5 : उस शख़्स के बारे में जिसने निफ़ास का

٥- بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

नाम भी हैज़ रखा

(298) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम ने यह्या बिन कष़ीर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा से कि ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा ने उनसे बयान किया और उनसे उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक चादर में लेटी हुई थी, इतने में मुझे हैज़ आ गया। इसलिये मैं धीरे से बाहर निकल आई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिये। आँहज़रत (ﷺ) ने पूछा क्या तुम्हें निफ़ास आ गया है? मैंने कहा, हाँ! फिर आपने मुझे बुला लिया, और मैं चादर में आपके साथ लेट गई। (दीगर मक़ाम : 322, 323, 1929)

٢٩٨- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيْصَةٍ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي. قَالَ: ((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ : نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ.

[أطرافه في : ٣٢٢، ٣٢٣، ١٩٢٩].

तश्रीह : निफ़ास के मशहूर माना तो ये है कि ख़ून औरत की जचगी (बच्चा जनने के बाद) में आये वो निफ़ास है मगर कभी हैज़ को भी निफ़ास कह देते हैं ओर निफ़ास को हैज़, इस तरह नाम बदलकर ता'बीर करने में कोई हरज कोई मुज़ाएका नहीं। आँहज़रत (ﷺ) ने खुद यहां हैज़ के लिये निफ़ास का लफ़्ज़ इस्ते'माल फ़र्माया है।

बाब 6 : इस बारे में कि हाइज़ा के साथ मुबाशरत करना (यानी जिमाअ के अ़लावा उसके साथ लेटना बैठना जाइज़ है)

٦- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

(299) हमसे क़बीसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने मंसूर बिन मअ़मर के वास्ते से, वो इब्राहीम नख़ई से, वो अस्वद से, वो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल करते हैं कि उन्होंने फ़र्माया मैं और नबी करीम (ﷺ) एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे हालाँकि दोनों जुनुबी होते।

(राजेअ़ : 250)

٢٩٩- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ.

[راجع: ٢٥٠]

(300) और आप मुझे हुक्म फ़र्माते, बस मैं इज़ार बाँध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, उस समय मैं हाइज़ा होती।

(दीगर मक़ाम : 302, 2030)

٣٠٠- وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

[أطرافاه في : ٣٠٢، ٢٠٣٠].

(301) और आप अपना सरे मुबारक मेरी तरफ़ कर देते। उस समय आप ए'तिकाफ़ में बैठे हुए होते और मैं हैज़ की हालत में होने के बावजूद आपका सरे मुबारक धो देती। (राजेअ़ : 295)

٣٠١- وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

[راجع: ٢٩٥]

तश्रीह : बाज़ मुन्किरीने ह़दीष़ ने इस ह़दीष़ पर भी इस्तिहज़ा करते हुए (मज़ाक़ उड़ाते हुए) इसे क़ुर्आन के ख़िलाफ़ बतलाया है। उनके ख़याल नापाक में मुबाशरत का लफ़्ज़ जिमाअ़ ही पर बोला जाता है हालांकि ऐसा हर्गिज़ नहीं है। मुबाशरत का मतलब बदन से बदन लगाना और बोसा व किनार मुराद है और इस्लाम में बिल इत्तेफ़ाक हाइज़ा औरत के साथ सिर्फ़ जिमाअ़ हराम है। उसके साथ लेटना बैठना, बोसा व किनार ब-शराएते मा'लूमा मना नहीं है। मुनकिरीने ह़दीष़ अपने ख्यालाते फ़ासिदा के लिये महज़ हफ्वाते बातिला (झूठी और बकवास बातों) से काम लेते हैं। हाँ! ये ज़रूरी है कि जिसको अपनी शहवत पर क़ाबू नहीं उसे मुबाशरत से भी बचना चाहिए।

٣٠٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ الشَّيْبَانِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

(302) हमसे इस्माईल बिन ख़लील ने बयान किया, कहा हमसे अ़ली बिन मुस्हिर ने, हमसे अबू इस्हाक़ सुलैमान बिन फ़िरोज शैबानी ने अ़ब्दुर्रहमान बिन अस्वद के वास्ते से, वो अपने वालिद अस्वद बिन यज़ीद से, वो ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया हम बीवियों में से जब कोई हाइज़ा होती, उस ह़ालत में रसूलुल्लाह (ﷺ) अगर मुबाशरत का इरादा करते तो आप इज़ार बाँधने का हुक्म दे देते बावजूद हैज़ की ज़्यादती के। फिर बदन से बदन मिलाते, आपने कहा तुममें ऐसा कौन है जो नबी करीम (ﷺ) की तरह अपनी शहवत पर क़ाबू रखता हो। इस ह़दीष़ की मुताबअ़त ख़ालिद और जरीर ने शैबानी की रिवायत से की है।

٣٠٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ. رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

(303) हमसे अबू नोअ़मान मुहम्मद बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू इस्हाक़ शैबानी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद ने बयान किया, उन्होंने कहा मैंने मैमूना से सुना, उन्होंने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) अपनी बीवियों में से किसी से मुबाशरत करना चाहते और वो हाइज़ा होती तो आपके हुक्म से वो पहले इज़ार बाँध लेतीं। और सुफ़यान ने शैबानी से इसको रिवायत किया है।

इन तमाम अह़ादीष़ में हैज़ की हालत में मुबाशरत से औरत के साथ लेटना-बैठना मुराद है। मुन्किरीने ह़दीष़ का यहाँ जिमाअ़ मुराद लेकर इन अह़ादीष़ को क़ुर्आन का मुआरिज ठहराना बिल्कुल झूठ और इफ़्तरा है।

बाब 7 : इस बारे में कि हाइज़ा औरत रोज़े छोड़ दे (बाद में क़ज़ा करे)

٧- بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

٣٠٤- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:

(304) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحَى - أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)) فَقُلْنَ، وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ)). قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: ((فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ : ((فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا)) .

[أطرافه في : ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨].

कहा हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे ज़ैद ने और ये ज़ैद असलम के बेटे हैं, उन्होंने इयाज़ बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) ईदुल अज़्हा या ईदुल फ़ित्र में ईदगाह तशरीफ़ ले गये। वहाँ आप औरतों के पास से गुज़रे और फ़र्माया ऐ औरतों की जमाअ़त! सदक़ा करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम्हीं को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ऐसा क्यों? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लअ़न–तअ़न बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अ़क़्ल और दीन में नाक़िस होने के मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अ़क़्लमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने कहा हमारे दीन और हमारी अ़क़्ल में नुक़्सान क्या है या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से आधी नहीं है? उन्होंने कहा, जी है! आप (ﷺ) ने फ़र्माया बस यही उसकी अ़क़्ल का नुक़्सान है। फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज़ा हो तो न नमाज़ पढ़ सकती है और न रोज़े रख सकती है, औरतों ने कहा ऐसा ही है। आपने फ़र्माया यही उसके दीन का नुक़्सान है।

(दीगर मक़ाम : 1462, 1951, 2658)

तशरीह : क़स्तलानी ने कहा कि लानत करना उस पर जाइज़ नहीं है जिसके ख़ात्मे की ख़बर न हो, अलबत्ता जिसका कुफ़्र पर मरना यक़ीनी षाबित हो उस पर लानत जाइज़ है जैसे अबू जहल वग़ैरह, इसी तरह बग़ैर नाम लिये हुए ज़ालिमों और काफ़िरों पर भी लानत करनी जाइज़ है।

٨- بَابٌ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

बाब 8 : इस बारे में कि हाइज़ा बैतुल्लाह के तवाफ़ के अ़लावा हज के बाक़ी सारे अर्कान को पूरा करेगी

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوسُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ

इब्राहीम ने कहा आयत पढ़ने में कोई ह़र्ज नहीं। और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) जुनुबी के लिये क़ुर्आन मजीद पढ़ने में कोई ह़र्ज नहीं समझते थे। और नबी करीम (ﷺ) हर समय अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। उम्मे अ़तिया ने फ़र्माया हमें हुक्म होता था कि हम हैज़ वाली औरतों को भी (ईद के दिन) बाहर निकालें। बस वो मर्दों के साथ तक्बीर कहतीं और दुआ करतीं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि उनसे अबू

सुफ़यान ने बयान किया कि हिरक़्ल ने नबी करीम (ﷺ) के नामए-गिरामी को तलब किया और उसे पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहमवाला है और ऐ किताबवालों! एक ऐसे कलिमे की तरफ़ आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच मुश्तरक (कॉमन) है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें और उसका किसी को शरीक न ठहराएँ। अल्लाह तआला के क़ौल मुस्लिमून तक। अता ने जाबिर के हवाले से बयान किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) को (हज्ज में) हैज़ आ गया तो आपने तमाम मनासिक पूरे किये सिवाय बैतुल्लाह के तवाफ़ के और आप नमाज़ भी नहीं पढ़ती थीं और हकम ने कहा मैं जुनुबी होने के बावजूद ज़िब्ह करता हूँ। जबकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है, 'जिस ज़बीहे पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसे न खाओ।' (अल अन्आम : 121)

دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. ﴿وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُوْنَ﴾ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي. وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ. وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].

इसलिये हुक्म की मुराद भी जब्ह करने में अल्लाह के ज़िक्र को जनुबी होने की हालत में करना है।

(305) हमसे अबू नुऐम फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्हों ने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से, उन्होंने क़ासिम बिन मुहम्मद से, वो हज़रत आइशा से, आपने फ़र्माया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्ज के लिये इस तरह निकले कि हमारी ज़ुबानों पर हज्ज के अलावा और कोई ज़िक्र ही न था। जब हम मुक़ामे सरिफ़ पहुँचे तो मुझे हैज़ आ गया। (इस ग़म से) मैं रो रही थी कि नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाए, आपने पूछा क्यूँ रो रही हो? मैंने कहा काश! मैं इस साल हज्ज का इरादा ही नहीं करती। आपने फ़र्माया, शायद तुम्हें हैज़ आ गया है। मैंने कहा, जी हाँ! आपने फ़र्माया ये चीज़ तो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों के लिये मुक़र्रर कर दी है। इसलिये तुम जब तक पाक न हो जाओ तवाफ़े बैतुल्लाह के अलावा हाजियों की तरह तमाम काम अंजाम दो।

(राजेअ : 294)

٣٠٥- حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ. فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيْكِ؟)) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: ((لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ((فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ)). [راجع: ٢٩٤]

तश्रीह: सय्यिदुल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद ये बयान करना है कि हाइज़ा और जुनुबी के लिये क़ुर्आने करीम की तिलावत की इजाज़त है जैसा कि हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं, 'इअलम अन्नल बुख़ारी अक़द बाबन फ़ी सहीहिही यदुल्लु अला अन्नहू क़ाइलुन बिजवाज़ि क़िरातिल क़ुर्आनि

लिल जुनुबि वल हाइज़ि' (तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द 1 पेज नं. 124)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की नजर में कोई सहीह रिवायत ऐसी नहीं है जिसमें जुनुबी और हाइज़ा को क़िरअते क़ुर्आन से रोका गया हो। इस सिलसिले में मुतअद्दिद (अनेक) रिवायतें है और बाज़ की अनेक मुहद्दिषीन ने तस्हीह भी की है लेकिन सही यही है कि कोई सहीह रिवायत इस सिलसिले में नहीं है जैसा कि साहिबे ईज़ाहुल बुख़ारी ने जुज़: 11/ स:94 पर तहरीर फ़र्माया है,

दर्जा–ए–हसन तक रिवायात तो मौजूद है, अलबत्ता उन तमाम रिवायतों का कदरे मुशतरक (कॉमन बात) यही है कि जुनुबी को क़िरअते क़ुर्आन की इजाज़त नहीं है लेकिन चूंकि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की नजर में कोई रिवायत सिहत के दर्जे तक पहुंची हुई नहीं है इसलिये उन्होंने जुनुबी और हाइज़ा के लिये क़िरअते क़ुर्आन को जाइज़ रखा है। अइम्म–ए–फ़ुक़हा में से हज़रत इमाम मालिक (रह.) से दो रिवायतें हैं, एक में जुनुबी और हाइज़ा दोनों को पढ़ने की इजाज़त है और तबरी, इब्ने मुन्ज़िर और बाज़ हज़रात से भी ये इजाज़त मन्क़ूल है। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी क़द्दस सिर्रुहु फ़र्माते हैं,

'तमस्सकल बुख़ारी व मन क़ाल बिल जवाज़ि ग़ैरहू कत्तबरी वब्नुल मुन्ज़ि र व दाऊद बिउमूमि हदीषि कान यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही लिअन्नज़्ज़िक्र अअम्मु अंय्यकून बिल क़ुर्आनि औ बिग़ैरिही' (तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द 1 पेज नं. 124)

यानी हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और आपके अलावा दीगर मुजव्विजीन ने हदीष **यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही** (आँहज़रत ﷺ हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र फ़र्माते थे) से इस्तिदलाल किया है इसलिये कि ज़िक्र में तिलावते क़ुर्आन भी दाख़िल है मगर जुम्हूर का मजहबे मुख्तार यही है कि जुनुबी और हाइज़ा को क़िरअते क़ुर्आन जाइज़ नहीं। तफ़्सील के लिये तुहफ़तुल अहवज़ी का मक़ामे मजकूरा मुतालआ किया जाए।

साहिबे ईज़ाहुल बुख़ारी फ़र्माते हैं – दर हकीकत इन इख़्तिलाफ़ात का बुनियादी मंशा इस्लाम का वो तवस्सुअ है जिसके लिये आँहुज़ूर (ﷺ) ने अपनी हयात में भी फ़र्माया था और ऐसे ही इख़्तिलाफ़ात के मुता'ल्लिक़ आपने खुश होकर पेशीनगोई की थी कि मेरी उम्मत का इख़्तिलाफ़ बाइषे रहमत होगा (ईज़ाहुल बुख़ारी जिल्द 2 सफा 32) (उम्मत का इख़्तिलाफ़ बाइषे रहमत होने की हदीष सहीह नहीं)

बाब 9 : इस्तिहाज़ा के बयान में

٩ – بَابُ الإِسْتِحَاضَةِ

इस्तिहाज़ा औरत के लिये एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे हर वक़्त ख़ून आता रहता है इसके अहकाम भी हैज़ के अहकाम से मुख़्तलिफ़ है।

(306) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने बयान किया कि फ़ातिमा अबी हुबैश की बेटी ने रसूले करीम (ﷺ) से कहा मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज़ बिलकुल छोड़ दूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये रग का ख़ून है, हैज़ नहीं इसलिये जब हैज़ के दिन (जिनमें कभी पहले तुम्हें आदतन हैज़ आया करता था) आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब अंदाज़े के मुत़ाबिक़ वो दिन गुज़र जाए, तो ख़ून धो डाल और नमाज़ पढ़।

٣٠٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)).

तश्रीह : यानी ग़ुस्ल करके एक रिवायत में इतना और ज़्यादा है कि हर नमाज़ के लिये वुज़ू करती रहो। मालिकिया उस

औरत के लिये जिसका ख़ून जारी ही रहे या बवासीर वालों के लिये मजबूरी की बिना पर वुज़ू न टूटने के क़ाइल हैं।

बाब 10 : हैज़ का ख़ून धोने के बयान में

١٠ - بَابُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيْضِ

(307) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने हिशाम बिन उ़र्वा के वास्ते से, उन्होंने फ़ातिमा बिन्ते मुंज़िर से, उन्होंने अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि एक औरत ने रसूले करीम (ﷺ) से सवाल किया। उसने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप एक ऐसी औरत के बारे में क्या फ़र्माते हैं जिसके कपड़े पर हैज़ का ख़ून लग गया हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर किसी औरत के कपड़े पर हैज़ का ख़ून लग जाए तो चाहिए कि उसे रगड़ डाले, उसके बाद उसे पानी से धोए, फिर उस कपड़े में नमाज़ पढ़ ले। (राजेअ़ : 227)

٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيْهِ)). [راجع: ٢٢٧]

(308) हमसे अस्बग़ ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अ़म्र बिन ह़ारिस़ ने अ़ब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद क़ासिम बिन मुह़म्मद से बयान किया, वो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि हमें हैज़ आता तो कपड़े को पाक करते समय हम ख़ून को मल लेते, फिर उस जगह को धो लेते और तमाम कपड़े पर पानी बहा देते और उसे पहनकर नमाज़ पढ़ते।

٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيْهِ.

बाब 11 : औरत के लिये इस्तिह़ाज़ा की ह़ालत में ए'तिकाफ़

١١ - بَابُ الإِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ

(309) हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन अबू बशीर वास्ती ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने ख़ालिद बिन मेहरान से, उन्होंने इकरिमा से, उन्होंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) के साथ आपकी कुछ बीवियों ने ए'तिकाफ़ किया, हालाँकि वो मुस्तह़ाज़ा थीं और उन्हें ख़ून आता था। इसलिये ख़ून की वजह से तश्त अकस़र अपने

٣٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ شَاهِيْنَ أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ

أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ.

[أطرافه في : ۳۱۰، ۳۱۱، ۲۰۳۷].

नीचे रख लेतीं। और इकरिमा ने कहा कि आइशा (रज़ि.) ने कुसुम का पानी देखा तो फ़र्माया ये तो ऐसे ही मा'लूम होता है जैसे फ़लाँ साहिबा को इस्तिहाज़ा का ख़ून आता था। (दीगर मक़ाम: 310, 311, 2037)

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीष़ से षाबित हुआ कि मुस्तहाज़ा मस्जिद में रह सकती है और उसका ऐतिकाफ व नमाज़ दुरुस्त है और मस्जिद में हदष़ करना भी दुरुस्त है जबकि मस्जिद के आलूदा होने का डर न हो और जो मर्द दाइमुल हदष हो वे भी मुस्तहाज़ा के हुक्म में है या जिसके किसी ज़ख़्म से ख़ून जारी रहता हो।

٣١٠– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

[راجع: ۳۰۹]

(310) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैई ने ख़ालिद से, वो इकरिमा से, वो आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आपकी बीवियों में से एक ने ए'तिकाफ़ किया। वो ख़ून और ज़र्दी (निकलते) देखतीं। तश्त उनके नीचे होता और नमाज़ अदा करती थीं। (राजेअ: 309)

ये ख़ून इस्तिहाज़ा की बीमारी का था जिसमें औरतों के लिये नमाज़ मुआफ़ नहीं है।

٣١١– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. [راجع: ۳۰۹]

(311) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा हमसे मुअ़तमिर बिन सुलैमान ने ख़ालिद के वास्ते से बयान किया, वो इकरिमा से, वो आइशा (रज़ि.) से कि कुछ उम्महातुल मोमिनीन ने ए'तिकाफ़ किया हालाँकि वो मुस्तहाज़ा थीं। (ऊपर वाली रिवायत में इन्हीं का ज़िक्र है) (राजेअ: 309)

١٢– بَابٌ هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيْهِ؟

बाब 12 : क्या औरत उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ सकती है जिसमें उसे हैज़ आया हो?

٣١٢– حَدَّثَنَا أَبُوْنُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيْقِهَا فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا.

(312) हमसे अबू नुऐ़म फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी नजीह से, उन्होंने मुजाहिद से कि हज़रते आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमारे पास सिर्फ़ एक कपड़ा होता था, जिसे हम हैज़ के समय पहनते थे। जब उसमें ख़ून लग जाता तो उस पर थूक डाल देते और फिर उसे नाख़ून से मसल देते थे।

١٣– بَابُ الطِّيْبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ

बाब 13 : औरत हैज़ के ग़ुस्ल में

ख़ुश्बू इस्ते'माल करे

غُسْلِهَا مِنَ الْـمَحِيْضِ

(313) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब सख़्तियानी से, उन्होंने ह़फ़्सा से, वो उम्मे अ़तिया से, आपने फ़र्माया कि हमें किसी मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करने से मना किया जाता था। लेकिन शौहर की मौत पर चार महीने दस दिन के शौक का हुक्म था। उन दिनों में हम न सुरमा लगातीं, न ख़ुश्बू और न अ़स्ब (यमन की बनी हुई एक चादर जो रंगीन भी होती थी) के अलावा कोई रंगीन कपड़ा हम इस्ते'माल नहीं करती थीं और हमें (इद्दत के दिनों में) ह़ैज़ के ग़ुस्ल के बाद कुस्ते अज़्फ़ार इस्ते'माल करने की इजाज़त थी और हमें जनाज़े के पीछे चलने से मना किया जाता था। इस ह़दीष़ को हिशाम बिन ह़स्सान ने ह़फ़्सा से, उन्होंने उम्मे अ़तिया से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

(दीगर मक़ाम : 1278, 1279, 5340, 5341, 5342, 5343)

٣١٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ. وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ. وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في : ١٢٧٨، ١٢٧٩، ٥٣٤٠، ٥٣٤١، ٥٣٤٢، ٥٣٤٣].

तश्रीह : औरत जब ह़ैज़ का ग़ुस्ल करे तो मक़ामे मख़्सूस पर बदबू को दूर करने के लिये ज़रूर कुछ ख़ुशबू का इस्ते'माल करे, इसको यहां तक ताकीद है कि सोगवाली औरत को भी इसकी इजाज़त दी गई बशर्ते कि वो एहराम में न हों। कुस्त या अज़्फ़ारे कुस्त, ऊद को कहते हैं। बाज़ ने अज़्फ़ार से वो शहर मुराद लिया है जो यमन में था। वहां से ऊदे हिन्दी अ़रबी अरबी ममालिक में आया करता था हिशाम की रिवायत ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुत तलाक़ में भी नकल की है।

बाब 14 : इस बारे में कि ह़ैज़ से पाक होने के बाद औरत को अपने बदन को नहाते समय मलना चाहिए और ये कि औरत कैसे ग़ुस्ल करे, और मुश्क में बसा हुआ कपड़ा लेकर ख़ून लगी हुई जगहों पर उसे फेरे

١٤– بَابُ دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتْبَعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

(314) हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने मंसूर बिन स़फ़िया से, उन्होंने अपनी माँ स़फ़िया बिन्ते शैबा से, वो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि एक अंसारिया औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं ह़ैज़ का ग़ुस्ल कैसे करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुश्क

٣١٤– حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْـمَحِيْضِ. فَأَمَرَهَا كَيْفَ

में बसा हुआ कपड़ा लेकर उससे पाकी हासिल कर। उसने पूछा, उससे किस तरह पाकी हासिल करूँ, आपने फ़र्माया, उससे पाकी हासिल कर। उसने दोबारा पूछा कि किस तरह? आपने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! पाकी हासिल कर। फिर मैंने उसे अपनी तरफ़ खींच लिया और कहा कि उसे ख़ून लगी हुई जगहों पर फेर दिया कर।

(दीगर मक़ाम : 315, 7357)

تَغْتَسِلُ قَالَ: ((خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: ((تَطَهَّرِي بِهَا)). قَالَتْ كَيْفَ؟ قَالَ:((سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي)) فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ : تَتَبَّعِيْ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.

[طرفاه في : ٣١٥، ٧٣٥٧].

तश्रीह : इस ग़ुस्ल की कैफ़ियत मुस्लिम की रिवायत में यूं है कि अच्छी तरह से पाकी हासिल कर फिर अपने सर पर पानी डाल ताकि पानी बालों की जड़ों में पहुंच जाए फिर सारे बदन पर पानी डाल। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस रिवायत की तरफ़ इशारा करके बतलाया है कि अगरचे यहां न बदन का मलना है, न ग़ुस्ल की कैफ़ियत, मगर ख़ुशबू का फ़ाहा लेना मज़कूर है। ता'ज्जुब के वक़्त सुब्हानल्लाहु कहना भी इससे षाबित हुआ। औरतों से शर्म की बात इशारा किनाया से कहना, औरतों के लिये मर्दों से दीन की बातें पूछना ये सारे उमूर इससे षाबित हुए। कालहुल हाफ़िज़!

बाब 15 : हैज़ का ग़ुस्ल क्यूँ कर हो?

١٥- بَابُ غُسْلِ الْمَحِيْضِ

(315) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने, कहा हमसे मंसूर बिन अब्दुर्रहमान ने अपनी वालिदा सफ़िया से, वो आइशा से कि एक अंसारिया औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं हैज़ का ग़ुस्ल कैसे करूँ? आपने फ़र्माया कि एक मुश्क में बसा हुआ कपड़ा ले और पाकी हासिल कर, ये आप (ﷺ) ने तीन बार फ़र्माया। फिर हुज़ूर (ﷺ) शर्माए और आपने अपना चेहरा-ए-मुबारक फेर लिया, या फ़र्माया कि उससे पाकी हासिल कर। फिर मैंने उन्हें पकड़कर खींच लिया और नबी करीम (ﷺ) जो बात कहना चाहते थे वो मैंने उसे समझाई।

(राजेअ : 314)

٣١٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيْضِ؟ قَالَ: ((خُذِيْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلاَثًا)) ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحْيَى فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ: ((تَوَضَّئِي بِهَا)). فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ النَّبِيُّ ﷺ.

[راجع: ٣١٤]

बाब 16 : औरत का हैज़ के ग़ुस्ल के बाद कंघा करना जाइज़ है

١٦- بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ

(316) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने, कहा हमसे इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने उर्वा के वास्ते से कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदा किया, मैं तमत्तोअ करनेवालों में थी और हदी यानी क़ुर्बानी का जानवर) अपने साथ नहीं ले गई थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपने बारे में बताया कि फिर वो

٣١٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ. فَزَعَمَتْ أَنَّهَا

हाइज़ा हो गईं और अरफ़ा की रात आ गई और अभी तक वो पाक नहीं हुई थी। इसलिये उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि हुज़ूर आज अरफ़ा की रात है और मैं उमरह की निय्यत कर चुकी थी, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने सर को खोल डाल और कंघा कर और उम्रह को छोड़ दे। मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने हज्ज पूरा कर लिया और लैलतुल हस्बा में अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र को आँहज़रत (ﷺ) ने हुक्म दिया। वो मुझे इस उम्रह के बदले में जिसकी निय्यत मैंने की थी तन्ईम से (दूसरा) उम्रह करा लाये।

(राजेअ़ : 294)

حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَامْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ)) فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ. [راجع: ٢٩٤]

तश्रीह : तमत्तोअ उसे कहते हैं कि आदमी मीक़ात पर पहुंच कर सिर्फ़ उमरा का एहराम बाँधे फिर मक्का पहुंचकर उमरा करके एहराम खोल दे। उसके बाद आठवीं जिलहिज्जा को हज्ज का एहराम बाँधे।

तर्जुम–ए–बाब इस तरह निकला कि जब एहराम के गुस्ल के लिये कंघी करना मशरूअ़ हुआ तो हैज़ के गुस्ल के लिये ऊपर बताए गये तरीक़े से होगा। तनईम मक्का से तीन मील दूर हरम से करीब है, रिवायत में लैलतुल हस्बा का तज़्किरा है इससे मुराद वो रात है जिसमें मिना से हज्ज से फारिग़ होकर लौटते हैं और वादी–ए–मुहस्सब में आकर ठहरते हैं, ये जिलहिज्जा की 13वीं या 14वीं चौदहवीं शब होती है, इसी को लैलतुल हस्बा कहते हैं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर और दीगर शारेहीन ने मक़सदे तर्जुमा के सिलसिले में कहा है कि अया हाइज़ा हज्ज का एहराम बाँध सकती है या नहीं, फिर रिवायत से इसका जवाज़ षाबित किया है। गोया ये भी दुरुस्त है मगर जाहिरी अल्फ़ाज़ से माना ये हैं कि हाइज़ा किस हालत के साथ एहराम बाँधे या गुस्ल करके एहराम बाँधे या'नी बगैर गुस्ल ही से दूसरी रिवायत में गुस्ल का ज़िक्र मौजूद है अगरचे पाकी हासिल न होगी, मगर गुस्ले एहराम की जो सुन्नत है उस पर अमल हो जाएगा।

बाब 17 : हैज़ के गुस्ल के समय औरत का अपने बालों को खोलने के बयान में

١٧- بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيْضِ

(317) हमसे उबैदुल्लाह बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू उसामा हम्माद ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने आइशा (रज़ि) से कि उन्होंने फ़र्माया हम ज़िलहिज्जा का चाँद देखते ही निकले। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसका दिल चाहे तो उसे उम्रह का एहराम बाँध लेना चाहिए क्योंकि अगर मैं हदी साथ न लाता तो मैं भी उम्रह का एहराम बाँधता। इस पर कुछ सहाबा ने उम्रह का एहराम बाँधा और कुछ ने हज्ज का। मैं भी उन लोगों में से थी जिन्होंने उम्रह का एहराम बाँधा था। मगर अरफ़ा का दिन आ गया और मैं हैज़ की हालत में थी। मैंने नबी करीम (ﷺ) से इसके बार

٣١٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي لَوْ لاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)) فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ

وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ)) فَفَعَلْتُ. حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ. [راجع: ٢٩٤]

में शिकायत की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उम्रह छोड़ और अपना सर खोल और कंघा कर और हज्ज का एहराम बाँध ले। मैंने ऐसा ही किया। यहाँ तक कि जब हस्बा की रात आई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे साथ मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र को भेजा। मैं तन्ईम गई और वहाँ से अपने उम्रह के बदले दूसरे उम्रह का एहराम बाँधा। हिशाम ने कहा कि उनमें से किसी बात की वजह से भी न हदी वाजिब हुई और न रोज़ा और न सदक़ा। (तन्ईम हद्दे हरम क़रीब तीन मील दूर एक जगह का नाम है)

(राजेअ : 294)

١٨- بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

बाब 18 : अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के क़ौल मुहल्लक़ा और ग़ैर मुहल्लक़ा (कामिलुल ख़ल्क़त और नाक़िसुल ख़ल्क़त) के बयान में

٣١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ : يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ : أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ، وَالأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ)) .

[طرفاه في : ٣٣٣٣، ٦٥٩٥].

(318) हमसे मुसद्दद बिन मुसरहद ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने उबैदुल्लाह बिन अबीबक्र के वास्ते से, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, वो नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि रहमे मादर (माँ की कोख) में अल्लाह तआला ने एक फ़रिश्ता मुक़र्रर किया। वो कहता है ऐ रब! अब ये नुत्फ़ा है, ऐ रब! अब अल्क़ा हो गया है, ऐ रब! अब ये मुज़्ग़ा हो गया है फिर जब अल्लाह चाहता है कि उसकी ख़ल्क़त पूरी करे तो कहता है मुज़क्कर (नर) या मुअन्नष़ (मादा), बदबख़्त है या नेकबख़्त, रोज़ी कितनी मुक़द्दर है और उम्र कितनी। पस माँ के पेट ही में ये तमाम बातें फ़रिश्ता लिख देता है। (दीगर मक़ाम : 3333, 6595)

तश्रीह : इस बाब के क़ायम करने में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद ये मा'लूम होता है कि हामला के जो ख़ून आ जाए वो हैज़ नहीं है क्योंकि अगर हमल पूरा है तो रहम उसमें मशग़ूल होगा और जो ख़ून निकला है वो ग़िज़ा का बाक़ी मान्दा है। अगर नाकिस है तो रहम ने पतली बूटी निकाल दी है तो वो बच्चे का हिस्सा कहा जाएगा, हैज़ न होगा।

इब्ने मुनीर ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब की हदीष़ से ये दलील ली है कि हामिला का ख़ून हैज़ नहीं है क्योंकि वहां एक फ़रिश्ता मुक़र्रर किया जाता है और वो नजासत के मक़ाम पर नहीं जाता। इब्ने मुनीर के इस इस्तिदलाल को ज़ईफ़ कहा गया है। अहनाफ और हंबलियों और अकष़र हज़रात का मज़हब ये हैं कि हालते हमल में आने वाला ख़ून बीमारी माना जाएगा हैज़ न होगा। इमाम बुख़ारी (रह.) भी यही ष़ाबित फ़र्मा रहे हैं। इसी मक़सद के तहत आपने उनवान मुहल्लक़ा व ग़ैर मुहल्लक़ा इख़्तियार फ़र्माया है। रिवायते मज़कूरा इसी तरफ़ इशारा करती है, पूरी आयत सूरः हज्ज में हैं।

١٩- بَابُ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ

बाब 19 : इस बारे में कि हाइज़ा औरत हज्ज और

उम्रह का एहराम किस तरह बाँधे

بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟

(319) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने अ़क़ील बिन ख़ालिद से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने उ़र्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा हम नबी करीम (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदाअ़ के सफ़र में निकले, हममें से कुछ ने उ़म्रह का एहराम बाँधा और कुछ ने हज्ज का, फिर हम मक्का आए और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने उ़म्रह का एहराम बाँधा हो और हदी साथ न लाया हो वो हलाल हो जाए और जिसने उ़म्रह का एहराम बाँधा हो और वो हदी भी साथ लाया हो तो वो हदी की क़ुर्बानी से पहले हलाल न होगा और जिसने हज्ज का एहराम बाँधा हो तो उसे हज्ज पूरा करना चाहिए। आइशा (रज़ि.) ने कहा कि मैं हाइज़ा हो गई और अ़रफ़ा का दिन आ गया। मैंने सिर्फ़ उ़म्रह का एहराम बाँधा था मुझे नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि मैं अपना सर खोल लूँ, कंघा कर लूँ और हज्ज का एहराम बाँध लूँ और उ़म्रह छोड़ दूँ, मैंने ऐसा ही किया और अपना हज्ज पूरा कर लिया। फिर मेरे साथ आँहज़रत (ﷺ) ने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र को भेजा और मुझसे कहा कि मैं अपने छूटे हुए उ़म्रह के बदले तन्ईम से दूसरा उ़म्रह करूँ।

(राजेअ़ : 294)

٣١٩– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ نَحْرِ هَدْيِهِ. وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ)). قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ. [راجع: ٢٩٤]

बाब 20 : इस बारे में कि हैज़ का आना और उसका ख़त्म होना क्यूँकर है?

٢٠– بَابُ إِقْبَالِ الْمَحِيْضِ وَإِدْبَارِهِ

औरतें हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में डिबिया भेजती थीं जिसमें कुर्सुफ़ होता, उसमें ज़र्दी होती थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती कि जल्दी न करो यहाँ तक कि साफ़ सफ़ेदी देख लो। इससे उनकी मुराद हैज़ से पाकी होती थी। हज़रत ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) की साहबज़ादी को मा'लूम हुआ कि औरतें रात की तारीकी में चिराग़ मंगाकर पाकी होने को देखती हैं तो आपने फ़र्माया कि औरतें ऐसा नहीं करती थीं। उन्होंने (औरतों के इस काम को) मअ़यूब (ऐब की बात) समझा।

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا. وَعَابَتْ

عَلَيْهِنَّ.

क्योंकि शरीअत में आसानी है। फ़ुक़हा ने इस्तिहाज़ा के मसाइल में बड़ी बारीकियां निकाली है मगर सहीह मसला यह है कि औरत को पहले ख़ून का रंग देख लेना चाहिए। हैज़ का ख़ून काला होता है, औरतों का अपनी हैज़ की आदत का भी अन्दाज़ा कर लेना चाहिए। अगर रंग और आदत दोनों से तमीज़ न सके तो छः या सात दिन हैज़ के मुकर्रर कर ले क्योंकि हैज़ की अक्सरे मुद्दत यही है इसमें नमाज़ तर्क कर दे जिस पर तमाम मुसलमानों का इत्तफ़ाक़ है मगर ख़वारिज इससे इख़्तिलाफ़ करते हैं जो ग़लत है।

٣٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ((ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

(320) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मस्नदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उयैयना ने हिशाम बिन उर्वा से, वो अपने बाप से, वो हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश को इस्तिहाज़ा का ख़ून आया करता था। तो उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसके बारे में पूछा। आपने फ़र्माया कि ये रग का ख़ून है और हैज़ नहीं है। इसलिये जब हैज़ के दिन आएँ तो नमाज़ छोड़ दिया कर और जब हैज़ के दिन गुज़र जाएँ तो गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लिया कर।

٢١- بَابُ لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ

बाब 21 : इस बारे में कि हाइज़ा औरत नमाज़ क़ज़ा न करे

وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((تَدَعُ الصَّلاَةَ)).

और जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अबू सईद (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं हाइज़ा नमाज़ छोड़ दे।

٣٢١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ : فَلاَ نَفْعَلُهُ.

(321) हमसे मूसा इब्ने इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम बिन यह्या ने, कहा हमसे क़तादा ने, कहा मुझसे मुआज़ा बिन्ते अब्दुल्लाह ने कि एक औरत ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि जिस ज़माने में हम पाक रहते हैं। (हैज़ से) क्या हमारे लिये उसी ज़माने की नमाज़ काफ़ी है। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि क्या तुम हरूरिया हो? हम नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में हाइज़ा होती थीं और आप हमें नमाज़ का हुक्म नहीं देते थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ये कहा कि हम नमाज़ नहीं पढ़ती थीं।

तश्रीह : शैख़ुनल मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी क़द्दस सिर्रुहु फ़र्माते है, 'अल हरूरी मन्सूबुन इला हरूरा बिफ़त्हिल हाइ व ज़म्मिर्राइल हमलतैनि व बअदल वाविस्साकिनति राउन अयज़न बलदतुन अला मीलैनि मिनलकुफ़ति व युक़ालु मंय्यअतकिदु मज़्हबल ख़वारिजि हरूरिय्युन लिअन्न अव्वल फ़िर्क़तिम्मिन्हुम ख़रजू अला अलिय्यिन बिल्बलदतिल मज़्कूरति फ़श्तहरू बिन्निस्बति इलयहा व हुम फ़िरकुन कष़ीरतुन लाकिन्न मिन उसूलिहिम अल मुत्तफ़क़ु अलयहा बैनहुमुल अख़्ज़ु बिमा दल्ल अलयहिल क़ुर्आनु व रद्द मा ज़ाद अलयहि मिनल हदीष़ि मुतलक़न.' (तुहफ़तुल अहवज़ी जिल्द अव्वल पेज नं. 123)

यानी हरुरी, हरुर गांव की तरफ निस्बत है जो कूफा से दो मील की दूरी पर था। यहां पर सबसे पहले वो फ़िर्क़ा पैदा हुआ जिसने हज़रत अली के ख़िलाफ़ बग़ावत का झण्डा बुलन्द किया। ये खारजी कहलाए, जिनके कई फिर्क़े हैं मगर ये उसूल उन सबमें मुत्तफक (एक समान) है कि सिर्फ़ कुर्आन को लिया जाये और हदीष को मुतलकन रद्द कर दिया जाए।

चूंकि हाइज़ा पर फ़र्ज़ नमाज़ का मुआफ़ हो जाना सिर्फ़ हदीष से षाबित है। कुर्आन में इसके ज़िक्र नहीं है, इसलिये मुखातब के इस मस्ले का तहक़ीक़ करने पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फर्माया कि क्या तुम हरुरी तो नहीं जो इस मस्ले के मुता'ल्लिक तुमको तअम्मुल (भ्रम या असमंजस) है।

बाब 22 : हाइज़ा औरत के साथ सोना जबकि वो हैज़ के कपड़ों में हो

٢٢- بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

(322) हमसे सअ़द बिन हफ़्स ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शैबान नह्वी ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी कषीर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा से, उन्होंने बयान किया कि उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया, इसलिये मैं चुपके से निकल आई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिये। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने कहा, जी हाँ! फिर मुझे आपने बुला लिया और अपने साथ चादर में दाख़िल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे उम्मे सलमा ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) रोज़े से होते और उसी हालत में उनका बोसा लेते। और मैंने और नबी करीम (ﷺ) ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया।

(राजेअ़ : 298)

٣٢٢- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَمِيْلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ. قَالَتْ: وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ. [راجع: ٢٩٨]

बाब 23 : इस बारे में कि जिसने (अपनी औरत के लिये) हैज़ के लिये पाकी में पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा कपड़े बनाए

٢٣- بَابُ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

(323) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कषीर से, वो अबू सलमा से, वो ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा से, वो उम्मे सलमा से, उन्होंने बताया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक चादर में लेटी हुई थीं कि मुझे हैज़ आ गया, मैं चुपके से चली गई और हैज़ के कपड़े बदल लिये, आपने पूछा क्या तुझको हैज़ आ गया है। मैंने कहा,

٣٢٣- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيْلَةٍ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي،

जी हाँ! फिर मुझे आपने बुला लिया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई।

(राजेअ़ : 298)

فَقَالَ: ((أَنُفِسْتِ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ.
[راجع: ٢٩٨]

मा'लूम हुआ कि ह़ैज़ के लिये औरत को अलग से कपड़े बनाना मुनासिब है और तुहर के लिये अलाहिदा ताकि उनको सहूलत हो सके, ये इसराफ़ (फ़िज़ूलख़र्ची) में दाख़िल नहीं।

बाब 24 : ईदैन में और मुसलमानों के साथ दुआओं में ह़ाइज़ा औरतें भी शरीक हों और ये औरतें नमाज़ की जगह से एक तरफ़ होकर रहें

٢٤- بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيْدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

(324) हमसे मुह़म्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ष़क़फ़ी ने अय्यूब सख़्तियानी से, वो ह़फ़्सा बिन्ते सिरीन से, उन्होंने फ़र्माया कि हम अपनी कुँवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थीं, फिर एक औरत आई और बनी ख़ल्फ़ के महल में उतरीं और उन्होंने अपनी बहन (उम्मे अ़तिया) के ह़वाले से बयान किया, जिनके शौहर नबी (ﷺ) के साथ बारह लड़ाइयों में शरीक थे और ख़ुद उनकी अपनी बहन अपने शौहर के साथ छः जंगों में गई थीं। उन्होंने बयान किया कि हम ज़ख़्मों की मरहम पट्टी किया करती थीं और मरीज़ों की ख़बर गिरी भी करती थीं। मेरी बहन ने एक बार नबी (ﷺ) से पूछा कि अगर हममें से किसी के पास चादर न हो तो क्या उसके लिये इसमें कोई ह़र्ज है कि वो (नमाज़े ईद के लिये) बाहर न निकले? आपने फ़र्माया उसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ ह़िस्सा उसे भी ओढ़ा दे, फिर वो ख़ैर (भलाइयों) के मौक़ों पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, (यानी ईदगाह जाएँ)। फिर जब उम्मे अ़तिया आईं तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फ़र्माया, मेरा बाप आप (ﷺ) पर फ़िदा हो, हाँ! आप (ﷺ) ने ये फ़र्माया था। और उम्मे अ़तिया जब भी आँह़ज़रत (ﷺ) का ज़िक्र करतीं तो ये ज़रूर फ़र्मातीं कि मेरा बाप आप (ﷺ) पर फ़िदा हो। (उन्होंने कहा) मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि जवान लड़कियाँ, पर्देवालियाँ और ह़ाइज़ा औरतें भी बाहर निकलें और ख़ैर के मौक़ों में और मुसलमानों की दुआओं

٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - ابْنُ سَلاَمٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا - وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَي عَشْرَةَ، غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ - قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ ﷺ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ قَالَ: ((لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ)). فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ - وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَ تَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ

الْمُصَلَّى)). قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: ((الْحُيَّضُ؟)) فَقَالَتْ : أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا؟

[أطرافه في: ٣٥١، ٩٧١، ٩٧٤، ٩٨٠، ٩٨١، ١٦٥٢].

में शरीक हों और हाइज़ा औरत नमाज़ की जगह से दूर रहे। हफ़्सा कहती हैं, मैंने पूछा क्या हाइज़ा भी? तो उन्होंने फ़र्माया क्या वो अरफ़ात में और फ़लाँ–फ़लाँ जगह नहीं जाती। यानी जब वो इन तमाम मुक़द्दस मुक़ामात (पवित्र स्थानों) में जाती हैं तो फिर ईदगाह में क्यों न जाएँ? (दीगर मक़ाम : 351, 971, 974, 980, 981, 1652)

तशरीह : इज्तिम–ए–इदैन में औरतें ज़रूर शरीक हों : इज्तिमा–ए–ईदैन में औरतों के शरीक होने की इस क़दर ताक़ीद है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हाइज़ा औरतों तक के लिये ताक़ीद फर्माई कि वो भी इस मिल्ली इज्तिमाअ में शरीक होकर दुआओं में हिस्सा लें और हालते हैज़ की वजह से जाए–नमाज़ से दूर रहें।

उन मस्तूरात (पर्दे वालियों) के लिये जिनके पास ओढ़ने के लिये चादर भी नहीं, आपने उन्हें इज्तिमाअ से पीछे रह जाने की इजाज़त नहीं दी बल्कि फ़र्माया कि उसके साथ वाली दूसरी औरतों को चाहिए कि उसके लिये ओढ़नी का इन्तिज़ाम कर दें। ज़िक्र की गई रिवायत में यहां तक तफ़्सील मौजूद है कि हज़रत हफ्सा ने तअज्जुब के साथ उम्मे अतिया से कहा कि हैज़ वाली औरतें किस तरह निकलेंगी जबकि वो नजासते हैज़ में हैं। इस पर उम्मे अतिया ने फर्माया कि हैज़ वाली औरतें हज्ज के दिनों में अरफ़ात में ठहरतीहै, मुजदलिफा में रहती है, मिना में कंकरियाँ मारती है, ये सब मुक़द्दस मक़ामात है; जिस तरह वो वहां जाती है उसी तरह ईदगाह भी जायें। बुख़ारी शरीफ की इस हदीष के अलावा और भी बहुत-सी वाजेह अहादीष इस सिलसिले में मौजूद है। जिन सबका ज़िक्र विस्तार का कारण होगा। मगर तअज्जुब है, फ़ुक़हा–ए–अहनाफ पर जिन्होंने अपने फ़र्ज़ी शक और वहम के आधार पर सराहतन अल्लाह के रसूल (ﷺ) के इस फर्माने आलीशान के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया है।

मुनासिब होगा कि फ़ुक़हा–ए–अहनाफ का फ़तवा साहिबे ईज़ाहुल बुख़ारी के लफ़्ज़ों में पेश कर दिया जाए चुनाँचे आप फ़र्माते हैं– अब ईदगाह का हुक्म बदल गया है। ईदगाहें मस्जिद की शक्ल में न होती थी इसलिये हाइज़ा और जुनुबी को भी अन्दर जाने की इजाज़त थी। अब ईदगाहें मुकम्मल मस्जिद की सूरत में होती है इसलिये उनका हुक्म मस्जिद का हुक्म है। इसी तरह दौरे हाज़िर (वर्तमान काल) में औरतों को ईदगाह की नमाज़ में शिरकत से भी रोका गया है। सदरे अव्वल में अव्वल तो इतना फ़ितना व फ़साद का अंदेशा नहीं था, दूसरे ये कि इस्लाम की शान व शौकत जाहिर करने के लिये ज़रूरी था कि मर्द व औरत सब मिलकर ईद की नमाज़ में शिरकत करें। अब फितने का भी ज़्यादा अन्देशा है और इजहारे शान व शौकत की भी ज़रूरत नहीं, इसलिये रोका जायेगा। मुतअख़्ख़िरीन (बाद वालों) का यही फ़ैसला है। इला आख़िरिही (इजाहुल बुख़ारी जुजः 11/ स.नं. 129)

इन्साफ़–पसन्दी का मिजाज़ रखने वाले नाज़िरीन अन्दाज़ा फर्मा सकेंगे कि जुर्अत के साथ अहादीषे सहीह के ख़िलाफ़ फ़तवा दिया जा रहा है जिसका अगर गहरी नज़र से मुतालआ किया जाये तो ये नतीजा भी निकल सकता है कि अगर ईदगाह खुले मैदान में हो और उसका तामीर मस्जिद जैसी न हो और पर्दे का इन्तज़ाम इतना बेहतर कर दिया जाये कि फ़ितना व फ़साद का मुतलक कोई ख़ौफ़ न हो और मर्दों व औरतों के इस इज्मिाअ से इस्लाम की शान व शौकत भी मक़्सूद हो तो फिर औरतों का ईद के इज्तिमाअ में शिर्कत करना जाइज़ होगा। अल्हम्दुल्लिाह! जमाअते अहले हदीष के यहां अक्षर ये तमाम चीजें पाई जाती है। वो बेशतर खुले मैदान के अन्दर इंतिज़ामात के साथ अपने अहलो अयाल के साथ ईदैन की नमाज़ अदा करते और इस्लामी शान व शौकत का मुज़ाहरा (प्रदर्शन) करते हैं। उनकी ईदगाहों में कभी फ़ितना व फ़साद का नाम तक नहीं आया। इसके बरख़िलाफ़ हमारे बहुत से भाईयों की औरतें मेलों और उर्सों में बिला-हिजाब (बेपर्दा) शरीक होती है और वहां नित नये फ़सादात होते रहते हैं। मगर हमारे मुहतरम फ़ुक़हा–ए–इज़ाम वहाँ औरतों की शिर्कत पर कदरे गैज व गजब (गुस्से और नाराज़गी) का इजहार कभी नहीं फ़र्माते, जिस क़दर इज्तिमाअ–ए–ईदैन में मस्तूरात की शिरकत पर उनकी फ़क़ाहत की बारीकियां मुख़ालिफाना मंज़रे आम पर आ जाती है। (कहने का मतलब यह है कि जो हनफ़ी फ़ुक़हा–ए–किराम औरतों के

लिये यह पाबन्दी लगाते हैं कि वे फ़ितने–फ़साद के डर से ईदगाह न जाएं, वही उलमा मेलों और उर्सों में औरतों के जाने पर नाराज़गी नहीं जताते हैं, जहाँ फ़ितना–फ़साद और नज़ारेबाज़ियाँ आम बात है)

फिर ये भी तो ग़ौरतलब चीज है कि आँहज़रत (ﷺ) की तमाम मस्तूरात, अस्हाबे किराम, अन्सार व मुहाजिरीन की मस्तूरात शराफत के दर्जे में सारी उम्मत की मस्तूरात से अफ़ज़ल हैं। फिर भी वो ईदैन की नमाज़ों में शरीक हुआ करती थी जैसा कि खुद फ़ुक़ह– ए–अहनाफ को तस्लीम (स्वीकार) है। हमारी मस्तूरात तो बहरहाल उनसे कमतर है, वो अगर पर्दे के साथ शरीक होंगी तो क्योंकर फ़ितना व फ़साद का आग भड़कने लग जाएगी या उनकी इज़्ज़त व आबरु पर कौनसा हर्फ़ आ जाएगा? क्या वे क़र्ने–अव्वल (शुरूआती दौर) की सहाबियात से भी ज़्यादा इज़्ज़त रखती हैं। बाक़ी रहा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) का इर्शाद– 'लौ राअ रसूलुल्लाहि ﷺ मा अहदष़न्निसाउ' कि अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) आज औरतों के नये पैदा किये हुए हालात को देखते तो ईदगाह से मना कर देते। ये हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) की ज़ाती (व्यक्तिगत) राय है जो उस वक़्त के हालात के पेशेनज़र थी और ज़ाहिर है कि उनकी इस राय से हदीष़े नबवी (ﷺ) को ठुकराया नहीं जा सकता। फिर ये बयान लफ़्ज़े लौ (अगर) के साथ है जिसका मतलब ये है कि इर्शादे नबवी (ﷺ) आज भी अपनी हालत पर वाजिबुल अ़मल है। खुलासा ये है कि ईदगाह में पर्दे के साथ औरतों का शरीक होना सुन्नत है।

बाब 25 : इस बारे में कि अगर किसी औरत को एक ही महीने में तीन बार हैज़ आए?

٢٥- بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ،

وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَفِيْمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾.

और हैज़ व हमल से मुता'ल्लिक़ जबकि हैज़ आना मुम्किन हो तो औरतों के बयान की तस्दीक़ की जाएगी क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने (सूरह बक़र में) फ़र्माया कि उनके लिये जाइज़ नहीं कि जो कुछ अल्लाह तआ़ला ने उनके रहम में पैदा किया है वो उसे छुपाएं। (लिहाज़ा जिस तरह ये बयान क़ाबिले तस्लीम होगा उसी तरह हैज़ के बारे में भी उनका बयान माना जाएगा।)

وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ : إِنْ جَاءَتْ بَيِّنَةٌ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِيْنُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ : أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ : النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

और हज़रत अ़ली (रज़ि.) और क़ाज़ी शुरैह से मन्क़ूल है कि अगर औरत के घराने का कोई आदमी गवाही दे और वो दीनदार भी हो कि ये औरत एक महीने में तीन बार हाइज़ा होती है तो उसकी तस्दीक़ की जाएगी और अ़ता बिन अबी रिबाह ने कहा कि औरत के हैज़ के दिन उतने ही क़ाबिले तस्लीम होंगे जितने पहले (उसकी आदत के तहत) होते थे। (यानी तलाक़ वग़ैरह से पहले) इब्राहीम नख़ई ने भी यही कहा है और अ़ता ने कहा कि हैज़ कम से कम एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक हो सकता है। मुअ़तमिर अपने वालिद सुलैमान के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने इब्ने सिरीन से एक ऐसी औरत के बारे में पूछा जो अपनी आदत के मुताबिक़ हैज़ आ जाने के पाँच दिन बाद ख़ून देखती है तो आपने फ़र्माया कि औरतें उसका ज़्यादा इल्म रखती हैं।

(325) हमसे अह़मद बिन अबी रजाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमें अबू उसामा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मैंने हिशाम बिन उ़र्वा से सुना, कहा मुझे मेरे वालिद ने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि फ़ाति़मा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से पूछा कि मुझे इस्तिह़ाज़ा का ख़ून आता है और मैं पाक नहीं होती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दिया करूँ? आपने फ़र्माया नहीं। ये तो एक रग का ख़ून है, हाँ! इतने दिनों नमाज़ ज़रूर छोड़ दिया कर जिनमें इस बीमारी से पहले तुम्हें हैज़ आया करता था। फिर ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ा कर।

٣٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: ((لاَ. إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

तश्रीह : आयते करीमा **वला अहिल्लु लहुन्न अंय्यक्तुम्न मा ख़लक़ल्लाहु फी अर्हामिहिन्न** (अल बकर : 228) की तफ़्सीर में जुहरी और मुजाहिद ने कहा कि औरतों को अपना हैज़ या हमल छुपाना दुरुस्त नहीं। उनको चाहिये कि हकीकते–हाल को सह़ीह़-सह़ीह़ बयान कर दें। अब अगर उनका बयान मानने के लायक़ नहीं तो बयान से क्या फायदा? इस तरह इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस आयत से बाब का मतलब निकाला है। हुआ ये था कि क़ाज़ी शुरैह के सामने एक मुक़द्दमा आया। जिसमें तलाक पर एक माह की मुद्दत गुजर चुकी थी। खाविन्द रुजू करना चाहता था लेकिन औरत कहती थी कि मेरी मुद्दत गुज़र गई और एक ही माह में मुझको तीन हैज़ आ गए हैं। तब क़ाज़ी शुरैह ने ये फ़ैसला ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के सामने सुनाया, इसको दारमी ने सनदे सह़ीह़ के साथ मौसूलन रिवायत किया है। क़ाज़ी शुरैह के फ़ैसले को सुनकर ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुमने अच्छा फ़ैसला किया है। इस वाक़िये को इसी हवाले से इमाम क़स्तलानी (रह.) ने भी अपनी किताब जिल्द 1/स.295 पर ज़िक्र फ़र्माया है। क़ाज़ी शुरैह बिन हर्ष कूफी है। जिन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़माना पाया मगर आपसे उनकी मुलाकात नसीब न हो सकी। कुज़ात (क़ाज़ियों) में इनका मुक़ाम बहुत बुलन्द है।

हैज़ की मुद्दत कम से कम एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा पन्द्रह दिन तक है। हनफ़िया के नज़दीक हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा पन्द्रह दिन है मगर इस बारे में उनकी दलीलें मज़बूत नहीं है। सह़ीह़ मजहब अहले ह़दीष़ का है कि हैज़ की कोई मुद्दत मुअय्यन (निर्धारित) नहीं। हर औरत की आदत पर इसका इन्हिसार है अगर मुअय्यन भी करें तो छः या सात रोज अकषर मुद्दत मुअय्यन (निर्धारित) होगी जैसा कि सह़ीह़ ह़दीष़ में मज़कूर (वर्णित) है।

एक महीने में औरत के तीन बार हैज़ नहीं आया करता, तन्दुरुस्त औरत को हर महीने, सिर्फ़ चन्द दिनों के लिये एक ही बार हैज़ आता है, लेकिन अगर कभी शाजो नादिर ऐसा हो जाए और खुद औरत इक़रार करें कि उसको तीन बार एक ही महीने में हैज़ आया है तो उसका बयान तस्लीम (स्वीकार) किया जाएगा, जिस तरह इस्तिहाज़ा के मुता'ल्लिक़ औरत ही के बयान पर फ़तवा दिया जाएगा कि कितने दिन वो हालते हैज़ में रहती है और कितने दिन उसको इस्तिहाज़ा की हालत रहती है। आँह़ज़रत (ﷺ) ने भी ह़ज़रत फातिमा बिन्त अबी हुबैश ही के बयान पर उनको मसाइले मुता'ल्लिक़ा ता'लीम फ़र्माए।

अ़ल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, **'व मुनासबतुल ह़दीष़ि लित्तर्जुमति फ़ी क़ौलिही क़दरुल अय्यामिलती कुन्ति तहीज़ीन फ़ीहा फ़यूकलु ज़ ालिक इला अमानतिहा व रुद्दहा इला आदतिहा.'**

यानी ह़दीष़ और बाब में मुनासिबत ह़दीष़ के इस जुम्ला में हैं कि नमाज़ छोड़ दो उन दिनों के अन्दाजा पर जिनमें तुमको हैज़ आता रहता है। पस इस मुआमला को उसकी अमानतदारी पर छोड़ दिया जाएगा।

बाब 26 : इस बयान में कि ज़र्द और मटमैला रंग

٢٦- بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي

हैज़ के दिनों के अलावा हो(तो क्या हुक्म है?)

غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

(326) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माईल बिन अ़लिया ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब सख़्तियानी से, वो मुहम्मद बिन सिरीन से, वो उम्मे अ़तिया से, आपने फ़र्माया कि हम ज़र्द और मटियाले रंग को कोई अहमियत नहीं देती थीं।

٣٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

तश्रीह : यानी जब हैज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाती तो मटमेले या जर्द रंग की तरह के पानी के आने को हम कोई अहमियत नहीं देती थी। इस हदीष़ के तहत अ़ल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, **'वल्हदीषु यदुल्लु अ़ला अन्नस्सुफ़रत वल्कुदरत बअ़दत्तुहरि लैसता मिनल हैज़ि व अम्मा फ़ी वक़्तिल हैज़ि फ़हुमा हैज़ुन'** (नैलुल औतार) ये हदीष़ दलालत करती है कि तुहर (पाकी) के बाद अगर मटमैले या जर्द (पीले) रंग का पानी आए तो वो हैज़ नहीं है लेकिन अय्यामे हैज़ में इनका आना हैज़ ही होगा।

बिल्कुल बरअक्स (एकदम विपरीत) : स़ाहिबे तफहीमुल बुख़ारी (देवबन्द) ने महज़ अपने मसलके–हनफ़िया की पासदारी में इस हदीष़ का तर्जुमा बिल्कुल बरअक्स (उलट) किया है, जो ये है– आपने फ़र्माया कि हम ज़र्द और मटमेले रंग की कोई अहमियत नहीं देते थे (यानी सबको हैज़ समझते थे)

अल्फ़ाज़े हदीष़ पर जब भी ग़ौर किया जाए तो वाज़ेह (स्पष्ट) होगा कि ये तर्जुमा बिल्कुल उलट है, इस पर ख़ुद स़ाहिबे तफ्हीमुल बुख़ारी ने और ज़्यादा वज़ाहत कर दी है कि हमने तर्जुमे में हनफिया के मसलक की रिआ़यत की है (तफ्हीमुल बुख़ारी जिल्द 2/सफा 44)। इस तरह हर शख़्स अगर अपने मज़ऊमा मसालिक की रिआयतों में हदीष़ का तर्जुमा करने बैठेगा तो मुआ़मला कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है मगर हमारे मुअ़ज्ज़ (सम्मानित) फ़ाज़िल (विद्वान) स़ाहिबे तफहीमुल बुख़ारी का ज़हन महज़ हिमायते मसलक की वजह से उधर नहीं जा सका। तक़लीदे जामिद का नतीजा यही होना चाहिए। **इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज़िऊन।**

अ़ल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, **'अय मिनल हैज़ि इज़ा कान फ़ी ग़ैरि ज़मनिल हैज़ि इम्मा फ़ीहि फ़हुव मिनल हैज़ि तब्अन व बिही क़ाल सईदुब्नुल मुसय्यिब व अ़ता वल्लैष़ व अबू हनीफ़त व मुहम्मद वश्शाफ़िइ व अहमद'**

यानी जब हैज़ का समय नहीं हो तो मटमेले या ज़र्द रंग वाले पानी को हैज़ नहीं माना जाएगा, हाँ! हैज़ के दिनों में आने पर उसे हैज़ ही कहा जाएगा। सईद बिन मुसय्यब और अ़ता और लैष और अबू हनीफा और मुहम्मद और शाफ़िई और अहमद का यही फ़तवा है। ख़ुदा जाने स़ाहिबे तफहीमुल बुख़ारी ने तर्जुमे में अपने मसलक की रिआयत किस बुनियाद पर की है।

अल्लाहुम्म वफ़्फ़िक़्ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, आमीन!

बाब 27 : इस्तिहाज़ा की रग के बारे में

٢٧- بَابُ عِرْقِ الإِسْتِحَاضَةِ

(327)हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर जज़ामी ने बयान किया, उन्होंने कहा हम से मअ़न बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब बिन अबी ज़िब से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने उर्वा और अ़म्रह से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से (जो आँहज़रत ﷺ की बीवी हैं) कि उम्मे हबीबा सात साल तक मुस्तहाज़ा रहीं। उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसके बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने उन्हें ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया और फ़र्माया कि ये एक रग (की वजह से बीमारी) है। पस उम्मे हबीबा हर नमाज़ के लिये ग़ुस्ल करती

٣٢٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ: ((هَذَا عِرْقٌ)) فَكَانَتْ

थीं। تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

तश्रीह : इस्तिहाज़ा वाली औरत के लिये हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल करना वाजिब नहीं है। यहाँ हज़रत उम्मे हबीबा के गुस्ल का ज़िक्र है जो वो हर नमाज़ के लिये किया करती थी। सो ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से था। हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) फ़र्माते हैं, **'व ला अशक्कु इंशाअल्लाह इन ग़सलहा कान ततव्वुअन ग़ैर मा अमरतु बिही ज़ालिक वासिउल्लहा व क़ज़ा क़ाल सुफ़्यानब्नु उययनत वल्लैषुब्नु सअद व ग़ैरहुमा व ज़हब इलैहिल जुम्हूरु मिन अदमि वुजूबिल इग्तिसालि इल्लल अदबारल हैज़त हुवल हक़्क़ु लिफ़क़दिहलीलिस्सहीहिल्लज़ी तक़ूमु बिहिल हुज्जतु'** (नैलुल औतार बाबु तुहरिल मुस्तहाज़ा) इंशाअल्लाह! मुझको क़तअन शक नहीं है कि हज़रत उम्मे हबीबा को ये हर नमाज़ के लिये गुस्ल करना महज़ उनकी अपनी ख़ुशी से बतौरे नफ़िल के था। जुम्हूर का मज़हबे हक़ यही है कि सिर्फ़ हैज़ के ख़ात्मे पर एक ही गुस्ल वाजिब है। इसके ख़िलाफ़ जो रिवायतें है जिनसे हर नमाज़ के लिये वुजूबे गुस्ल षाबित होता है तो वे क़ाबिले हुज्जत नहीं है।

हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **'व जमीअल अहादीषिल्लती फ़ीहा ईजाबुल गुस्लि लिकुल्लि स़लातिन क़द ज़करल मुसन्निफ़ु बअज़हा फ़ी हाज़ल बाबि व अक्षरूहा याती फ़ी अबवाबिल हैज़ि व कुल्लु वाहिदिम्मिन्हा ला यख़लू अन मक़ालिन'** (नैलुल औतार) यानी वो तमाम अहादीष जिनसे हर नमाज़ के लिये गुस्ल वाजिब मा'लूम होता है उन सबकी सनद ए'तिराज़ात से खाली नहीं है फिर **अद्दीनु युस्रुन** (कि दीन आसान है) के तहत भी हर नमाज़ के लिये नया गुस्ल करना किस क़दर बाइषे तकलीफ है। खास कर औरत ज़ात के लिये बेहद मुश्किल है। इसलिये, **'ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व क़द जमअ बअज़ुहुम बैनल अहादीषि बिहम्लि अहादीषिल ग़ुस्लि लिकुल्लि स़लातिन अलल इस्तिहबाबि'** (नैलुल औतार) यानी बाज हज़रात ने जुम्ला अहादीष में ततबीक देते हुए कहा है कि हर नमाज़ के लिये गुस्ल करने का अहादीष में इस्तिहबाबन कहा गया है। यानी ये गुस्ल मुस्तहब होगा, वाजिब नहीं।

बाब 28 : जो औरत हज्ज में तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हाइज़ा हो (उसके बारे में क्या हुक्म है?)

٢٨- بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

(328) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन अम्र बिन हज़्म से, उन्होंने अपने बाप अबूबक्र से, उन्होंने अब्दुर्रहमान की बेटी अम्रा से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से कहा कि हुज़ूर सफ़िया बिन्ते हुई को (हज्ज में) हैज़ आ गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया शायद कि वो हमें रोकेंगी। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ तवाफ़े (ज़ियारत) नहीं किया? औरतों ने जवाब दिया कि कर लिया है। आपने इस पर फ़र्माया कि फिर निकलो।

(राजेअ : 294)

٣٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟)) فَقَالُوا: بَلَى. قَالَ: ((فَاخْرُجِي)).

[راجع: ٢٩٤]

इसी को तवाफ़ुल इफ़ाज़ा भी कहते हैं ये दसवीं तारीख़ को मिना से आकर किया जाता है। ये तवाफ़ फ़र्ज़ है और हज्ज का एक

रुक्न है। लेकिन तवाफ़ुल विदाअ़ जो हाजी का'बा शरीफ से रुख़सती के वक़्त करते हैं वो फ़र्ज़ नहीं है इसलिये वो हाइज़ा (हैज़ वाली औरत) के वास्ते मुआफ़ है।

(329) हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस के हवाले से, वो अपने बाप ताऊस बिन क़ेसान से, वो अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि हाइज़ा के लिये (जबकि उसने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया हो) रुख़सत है कि वो घर जाए (और तवाफ़े विदाअ़ के लिये न रुकी रहे)

٣٢٩- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.

[طرفاه في : ١٧٥٥، ١٧٦٠].

(330) इब्ने उ़मर इब्तिदा में इस मसले में कहते थे कि इसे (बग़ैर तवाफ़े विदाअ़ के) जाना नहीं चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि चली जाए क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको इसकी रुख़सत (छूट) दी है। (दीगर मक़ाम: 1761)

٣٣٠- وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ : إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.

[أطرافه في: ١٧٦١].

तश्रीह: इस ह़दीष़ के बारे में मौलाना वहीदुज़्ज़मा स़ाह़ब हैदराबादी मरहूम ने ख़ूब लिखा है, फ़र्माते हैं, तो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर को जब ह़दीष़ पहुंची उन्होंने अपनी राय और फ़तवे से रुजूअ़ कर लिया। हमारे दीन के कुल इमामों और पेशवाओं ने ऐसा ही किया है कि जिधर हक मा'लूम हुआ उधर ही लौट गए। कभी अपनी बात की हठधर्मी नहीं की। इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक और इमाम अहमद से एक–एक मसले में दो–दो, तीन–तीन, चार–चार क़ौल मन्कूल है। हाँ, एक वो ज़माना था ओर एक ये ज़माना है कि स़ह़ीह़ ह़दीष़ देखकर भी अपनी राय और ख़याल से नहीं पलटते बल्कि जो कोई ह़दीष़ की पैरवी करे उसकी दुश्मनी पर उठ खड़े होते हैं। मुक़ल्लिदीन का आ़म तौर पर यही रवैया है–

सदा अहले तह़क़ीक़ से दिल में बल है, ह़दीष़ों पर चलने में दीं का खलल है.

बाब 29 : जब मुस्तह़ाज़ा अपने जिस्म में पाकी देखे तो क्या करे?

٢٩- بَابُ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ग़ुस्ल करे और नमाज़ पढ़े अगरचे दिन में थोड़ी देर के लिये ऐसा हुआ हो और उसका शौहर नमाज़ के बाद उसके पास आए। क्योंकि नमाज़ सबसे ज़्यादा अ़ज़्मत वाली चीज़ है।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً. وَيَأْتِيْهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلاَةُ أَعْظَمُ.

(331) हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़ुबैर बिन मुआ़विया ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब हैज़ का ज़माना आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब ये ज़माना गुज़र जाए तो ख़ून को धो और नमाज़ पढ़।

٣٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))

थानी जब मुस्तहाजा के लिये गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना दुरुस्त हुआ तो ख़ाविन्द को उससे सोहबत करना तो बतरीके औला दुरुस्त होगा। इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने यही ष़ाबित किया है।

बाब 30 : इस बारे में कि निफ़ास में मरनेवाली औ़रत पर नमाज़े जनाज़ा और उसका त़रीक़ा क्या है?

٣٠- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

(332) हमसे अह़मद बिन अबी सुरैज ने बयान किया, कहा हमसे शबाबा बिन सवार ने, कहा हमसे शुअ़बा ने हुसैन से। वो अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा से, वो समुरह बिन जुंदुब से कि एक औ़रत (उम्मे क़अ़ब) जचग़ी में मर गई, तो हुज़ूर (ﷺ) ने उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, उस समय आप उनके (मय्यित के) वस्त (बीच) में खड़े हुए। (दीगर मक़ाम : 1331, 1332)

٣٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَهَا.

[طرفاه في : ١٣٣١، ١٣٣٢].

तश्रीह़ : फी बत्न से जचगी की हालत में मरना मुराद है। इससे इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये ष़ाबित फ़र्माया है कि निफ़ास वाली औ़रत का हुक्म पाक औ़रतों का—सा है क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उस जनाज़े की नमाज़ अदा फ़र्माई। इससे उन लोगों के क़ौल की भी तर्दीद होती है जो कहते हैं कि मौत से आदमी नजिस हो जाता है। यही ह़दीष़ दूसरी सनद से किताबुल जनाइज़ में भी है जिसमें निफ़ास की हालत से मरने की सराहत मौजूद है। अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा ने भी इस ह़दीष़ को रिवायत किया है।

बाब 31 :

٣١- بَابٌ

(333) हमसे ह़सन बिन मुदरिक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह़्या बिन ह़म्माद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अबू अ़वाना वज़ाह़ ने अपनी किताब से देखकर ख़बर दी। उन्होंने कहा कि हमें ख़बर दी सुलैमान शैबानी ने अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद से, उन्होंने कहा मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) से जो नबी करीम (ﷺ) की बीवी थी सुना कि मैं ह़ाइज़ा होती तो नमाज़ नहीं पढ़ती थी और ये कि आप रसूल (ﷺ) के (घर में) नमाज़ पढ़ने की जगह के क़रीब लेटी होती थी। आप नमाज़ अपनी चटाई पर पढ़ते। जब आप सज्दा करते तो आपके कपड़े का कोई हिस़्सा मुझसे लग जाता था।

(दीगर मक़ाम : 379, 381, 517, 518)

٣٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.

[أطرافه في: ٣٧٩، ٣٨١، ٥١٧، ٥١٨].

तश्रीह़ : ह़ज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु ने यहां ये ष़ाबित करना चाहा है कि हाइज़ा औ़रत अगरचे नापाक हो गई है मगर इस क़दर नापाक नहीं है कि उससे किसी का कपड़ा छू जाए तो वो भी नापाक हो जाए ऐसी मुश्किलें अदयाने साबिका

(पुराने धर्मों) में थी, इस्लाम ने इन मुश्किलों को आसानियों से बदल दिया है। **मा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज** दीन में तंगी नहीं है।

अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, '**वस्तुम्बित मिन्हु अदमु निजासतिल हाइज़ि वत्तवाज़ुउल मस्कनतु फ़िस्सलाति बिख़िलाफ़ि सलामिल मुतकब्बिरीन सज्जादीद गालियत इष्मानि मुख़्तलिफ़तुल अलवानि**' (क़स्तलानी) इस हदीष़ में हाइज़ा की अदमे–नजासत पर इस्तिम्बात किया गया है और नमाज़ में तवाज़ोअ और मिस्कीनी पर, बख़िलाफ़ नमाज़े–मुतकब्बिरीन के जो बेशक़ीमती मुसल्लों पर जो मुख़्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन होते हैं, तकब्बुर से नमाज़ पढ़ते हैं। (अल्हम्दुलिल्लाह! रमज़ान शरीफ़ 1387 हिजरी में बहालते–क़याम बंगलौर, किताबुल-हैज़ के तर्जुमे से फ़राग़त हासिल हुई **वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक**.

7. किताबुत तयम्मुम

तयम्मुम के मसाइल

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة ٦].

और अल्लाह तआला के इस इर्शाद की वज़ाहत कि 'पस न पाओ तुम पानी तो इरादा करो पाक मिट्टी का, पस मल लो मुँह और हाथ उससे।'

(अल माइदा : 6)

١ - بَابٌ

٣٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ،

(334) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मालिक ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से ख़बर दी, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की बीवी मुहतरमा हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कुछ सफ़र (ग़ज़्व–ए–बनी मुस्तलिक़) में थे। जब हम मुक़ामे बैदा या ज़ातुल् जैश पर पहुँचे तो मेरा एक हार खो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी तलाश में वहीं ठहर गए और लोग भी आपके साथ ठहर गए। लेकिन वहाँ पानी कहीं क़रीब में न था।

وَلَيْسُوا عَلَى مَاء. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُوبَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ : حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَاتَبَنِي أَبُوبَكْرٍ وَقَالَ : مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ، ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ : مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

[أطرافه في: ٣٣٦، ٣٦٧٢، ٣٧٧٣، ٤٥٨٣، ٤٦٠٧، ٤٦٠٨، ٥١٦٤، ٥٢٥٠، ٥٨٨٢، ٦٨٤٤، ٦٨٤٥].

लोग हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पास आए और कहा, 'हज़रत आइशा (रज़ि.) ने क्या काम किया? कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और तमाम लोगों को ठहरा दिया है और पानी भी कहीं क़रीब में नहीं है और न लोगों ही के साथ है।' फिर अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) तशरीफ़ लाए, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना सरे मुबारक मेरी रान पर रखे हुए सो रहे थे। फ़र्माने लगे कि तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) और तमाम लोगों को रोक लिया। हालाँकि क़रीब में कहीं पानी भी नहीं है और न लोगों के पास है। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि वालिदे माजिद (रज़ि.) मुझ पर बहुत ख़फ़ा हुए और अल्लाह ने जो चाहा उन्होंने मुझे कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कचोके लगाए। रसूलुल्लाह (ﷺ) का सरे मुबारक मेरी रान पर था। इस वजह से मैं हरकत भी नहीं कर सकती थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सुबह के वक़्त उठे तो पानी का पता तक न था। पस अल्लाह तआला ने तयम्मुम की आयत उतारी और लोगों ने तयम्मुम किया। इस पर उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) ने कहा, ऐ आले अबीबक्र! ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है।' आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया। फिर हमने उस ऊँट को हटाया जिस पर मैं सवार थी तो हार उसी के नीचे मिल गया।

(दीगर मक़ाम : 336, 3672, 3773, 4573, 4607, 4608, 5164, 5250, 5882, 6844, 6865)

तश्रीह : लुगत (डिक्शनरी) में तयम्मुम के मा'ना क़स्द व इरादा करने के हैं। शरह में तयम्मुम ये है कि पाक मिट्टी से मुंह और हाथ का मसह करना, हदष या जनाबत दूर करने की निय्यत से। हज़रत आइशा (रज़ि.) का हार गले से टूटकर ज़मीन पर गिर गया था। फिर उस पर ऊंट बैठ गया। लोग इधर–उधर ढूंढते रहे इसी हालत में नमाज़ का वक़्त आ गया और वहां पानी न था जिस पर तयम्मुम की आयत नाजिल हुई, बाद में ऊंट के नीचे से हार भी मिल गया।

٣٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح. قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

(335) हमसे मुहम्मद बिन सिनान अवफ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशैम ने बयान किया (दूसरी सनद) कहा और मुझसे सईद बिन नज़र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी हुशैम ने, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी सय्यार ने, उन्होंने कहा हमसे

यज़ीद अल् फ़क़ीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो पहले किसी को नहीं दी गई थी। एक महीने की मुसाफ़त (दूरी) से रौब के ज़रिये मेरी मदद की गई है और तमाम ज़मीन मेरे लिये सज्दागाह और पाकी के लायक़ बनाई गई है। पस मेरी उम्मत का जो इंसान नमाज़ के समय को (जहाँ भी) पा ले उसे वहाँ ही नमाज़ अदा कर लेनी चाहिए। और मेरे लिये ग़नीमत का माल हलाल किया गया है। मुझसे पहले किसी के लिये भी ये हलाल न था। और मुझे शिफ़ाअ़त अ़ता की गई। और तमाम अंबिया अपनी अपनी क़ौम के लिये मब्ऊ़स होते थे लेकिन मैं तमाम इंसानियत के लिये आ़म तौर पर नबी बनाकर भेजा गया हूँ। (दीगर मक़ाम : 438, 3132)

هُشَيْم قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ - الْفَقِيْرُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً)).

[طرفاه في : ٤٣٨، ٣١٣٢].

तश्रीह : इर्शादे नबवी जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदंव व तुहूरा से बाब का तर्जुमा निकलता है चूंकि क़ुर्आन मजीद में लफ़्ज़ सईदन तय्यिबा (पाक मिट्टी) कहा गया है, लिहाज़ा तयम्मुम के लिये पाक मिट्टी ही होनी चाहिए जो लोग इसमें ईंट चूना वग़ैरह से भी तयम्मुम जाइज़ बतलाते हैं उनका क़ौल सहीह नहीं है।

बाब 2 : इस बारे में कि जब पानी न मिले और न मिट्टी तो क्या करे?

٢- بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا

(336) हमसे ज़करिया बिन यह्या ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन नुमैर ने, कहा हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, वो अपने वालिद से, वो ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से कि उन्हों ने ह़ज़रत अस्मा से हार माँगकर पहन लिया था, वो गुम हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को उसकी तलाश में भेजा जिसे वो मिल गया। फिर नमाज़ का समय हो गया और लोगों के पास (जो हार की तलाश में गए थे) पानी नहीं था। लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में शिकायत की। पस अल्लाह तआ़ला ने तयम्मुम की आयत उतारी जिसे सुनकर उसैद बिन हुज़ैर ने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा कि आपको अल्लाह बेहतरीन बदला दे। वल्लाह! जब भी आपके साथ कोई ऐसी बात पेश आई जिससे आपको तकलीफ़ हुई तो अल्लाह तआ़ला ने आपके लिये और तमाम मुसलमानों के लिये उसमें ख़ैर पैदा फ़र्मा दी।

(राजेअ़ : 234)

٣٣٦- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوا، فَشَكَوا ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ : جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَ اللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا.

[راجع: ٢٣٤]

तश्रीह : हज़रत इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, '**इस्तदल्ल बिज़ालिक जमाअतम मिनल मुहक़्क़िक़ीन मिन्हुमुल मुसन्निफ़ु अला वुजूबिस्सलाति इन्द अदमिल मुतह्हिरीन अल्माअ वत्तुराब व लैस फ़िल ह़दीषि अन्नहुम फकदुत्तुराब व इन्नमा फ़ीहि अन्नहुम फ़क़दुल्माअ फ़क़त व लाकिन्न अदमल्माइ फ़ी ज़ालिकल वक़्ति कअदमिलमाइ वत्तुराबि लिअन्नहू ला मितहर सिवाहू व वज्हुल इस्तिदलालि बिही अन्नहुम सल्लू मुअतक़िदीन वुजूब ज़ालिक व लौ कानतिस्सलातु हीनइज़िन मम्नूअतुन ला नकर अलैहिमुन्नबिय्यु (ﷺ) व बिहाज़ा क़ालश्शाफ़िइ व अहमद व जुम्हूरुल मुहद्दिषीन**' (नैलुल औतार जुज़्इ अव्वल / स.267)

यानी अहले तहकीक ने इस ह़दीष़ से दलील पकड़ी है कि अगर कहीं पानी और मिट्टी दोनों ही न हो तब भी नमाज़ वाजिब है। ह़दीष़ में जिन लोगों का ज़िक्र है उन्होंने पानी नहीं पाया था। फिर भी नमाज़ को वाजिब जानकर अदा किया, अगर उनका ये नमाज़ पढ़ना मना होता तो आँह़ज़रत (ﷺ) जरूर उन पर इन्कार फर्माते। पस यही हुक्म उसके लिये है जो न पानी पाए न मिट्टी, इसलिये कि तहारत सिर्फ़ उन्हीं दो चीज़ों से ह़ासिल की जाती हे तो उसको नमाज़ अदा करना ज़रूरी होगा। जुम्हूर मुहद्दिषीन का यही फत्वा है।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) यही बतलाना चाहते है कि जिस तरह उस दौर में जब तक तयम्मुम की मशरूइयत नाज़िल नहीं हुई थी सिर्फ़ पानी के मिलने की सूरत में जो हुक्म था वही अब पानी और मिट्टी दोनों मिलने की सूरत में होना चाहिए।

अल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, '**वस्तदल्ल बिही फ़ाकिदुत्तुहूरैनि युसल्ली अला हालिही व हुव वज्हुल मुताबक़ति बैनत्तर्जुमति वल ह़दीष़**' यानी ह़दीष़े मजकूरा दलालत कर रही है कि जो शख़्स पानी पाए न मिट्टी, वो उसी हालत में नमाज़ पढ़ले। ह़दीष़ और तर्जुमा में यही मुताबक़त है।

बाब 3 : इक़ामत की हालत में भी तयम्मुम करना जाइज़ है

٣- بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

जब पानी न पाओ और नमाज़ फ़ौत होने का डर हो। अता बिन अबी रिबाह़ का यही क़ौल है और इमाम ह़सन बसरी ने कहा कि अगर किसी बीमार के नज़दीक पानी हो जिसे वो उठा न सके और कोई शख़्स भी वहाँ न हो जो उसे वो पानी (उठाकर) दे सके तो वो तयम्मुम कर ले। और अब्दुल्लाह बिन उमर जर्फ़ की अपनी ज़मीन से वापस आ रहे थे कि अस्र का वक़्त मुक़ामे मरबदिल नअम में आ गया। आपने (तयम्मुम से) अस्र की नमाज़ पढ़ ली और मदीना पहुँचे तो सूरज अभी बुलन्द था मगर आपने वो नमाज़ नहीं लौटाई।

إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ ،وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيْضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ: يَتَيَمَّمُ وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ.

तश्रीह : हज़रत इमाम क़दस सिर्रुहू ये षाबित फर्मा रहे हैं कि तयम्मुम बवक़्ते ज़रूरत सफर में तो है ही मगर हजर में भी अगर पानी न मिल सके और नमाज़ का वक़्त निकला जा रहा हो या मरीज के पास कोई पानी देने वाला न हो तो ऐसी सूरत में तयम्मुम से नमाज़ अदा की जा सकती है। इर्शादे बारी है, **ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा** अल्लाह ने हर इन्सान को उसकी ताकत के अन्दर–अन्दर मुकल्लफ बनाया है। (अल बकर : 286)

(337) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने जा'फ़र बिन रबीआ से, उन्होंने अब्दुर्रह़मान अअरज से, उन्होंने कहा मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के गुलाम उमैर बिन अब्दुल्लाह से सुना, उन्होंने कहा कि मैं और अब्दुल्लाह बिन यसार जो कि नबी करीम की बीवी (ﷺ) ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) के गुलाम थे, अबू जुहैम बिन हारिष बिन

٣٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى

सिमा अंसारी (सहाबी) के पास आए। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) 'बीरे जमल' की तरफ़ से तशरीफ़ ला रहे थे, रास्ते में एक शख़्स ने आपको सलाम किया (यानी ख़ुद उसी अबू जुहैम ने) लेकिन आप (ﷺ) ने जवाब नहीं दिया। फिर आप दीवार के क़रीब आए और अपने चेहरे और हाथों का मसह किया फिर उनके सलाम का जवाब दिया।

أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: ((أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ)).

तश्रीह : इस हदीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने हालते हज़र में तयम्मुम करने का जवाज़ ष़ाबित किया। जब आपने सलाम के जवाब के लिये तयम्मुम कर लिया तो इसी तरह पानी न मिलने की सूरत में नमाज़ के लिये भी तयम्मुम करना जाइज़ होगा। जरफ नामी जगह मदीना से आठ किलोमीटर दूर थी। इस्लामी लश्कर यहां से मुसल्लह (हथियारबंद) हुआ करते थे। यहीं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की ज़मीन भी मरबद नअम नामी जगह, मदीना से तकरीबन एक मील की दूरी पर वाक़ेअ थी। यहाँ आपने अस्र की नमाज़ तयम्मुम से अदा कर ली थी।

बाब 4 : इस बारे में कि क्या मिट्टी पर तयम्मुम के लिये हाथ मारने के बाद हाथों को फूंककर उनको चेहरे और दोनों हथेलियों पर मल लेना काफ़ी है?

٤- بَابُ هَلْ يَنفُخُ فِي يَدَيْهِ ؟

(338) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया। उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हकम बिन उ़यैना ने बयान किया, उन्होंने ज़र्र बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, वो अपने बाप से, उन्होंने बयान किया कि एक शख़्स उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के पास आया और कहा कि मुझे ग़ुस्ल की हाजत हो गई और पानी नहीं मिला (तो मैं अब क्या करूँ) इस पर अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) ने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से कहा, क्या आपको याद नहीं जब मैं और आप सफ़र में थे, हम दोनों जुनुबी हो गए। आपने तो नमाज़ नहीं पढ़ी लेकिन मैं ज़मीन पर लोटपोट लिया, और नमाज़ पढ़ ली। फिर मैंने नबी करीम (ﷺ) से उसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया कि तुझे बस इतना ही काफ़ी था और आपने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन्हें फूंके और दोनों से चेहरे और पहुँचों का मसह किया।

(दीगर मक़ाम : 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347)

٣٣٨- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْنَا فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا)) فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

[أطرافه في : ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧].

तशरीह : मुस्लिम वग़ैरह की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि हज़रत उमर (रह.) ने उसे कहा कि नमाज़ न पढ़ जब तक पानी न मिले। हज़रत अम्मार ने गुस्ल की जगह सारे जिस्म पर मिट्टी लगाना ज़रूरी समझा, इस पर भी आँहज़रत (ﷺ) ने उनको फर्माया कि सिर्फ़ तयम्मुम कर लेना काफी था। हज़रत अम्मार ने उस मौक़े पर अपने इज्तिहाद से काम लिया था मगर दरबारे रिसालत में जब मुआमला आया तो उनके इज्तिहाद की गलती मा'लूम हो गई और फौरन उन्होंने रुजूअ कर लिया। सहाब–ए–किराम आजकल के अंधे मुक़ल्लिदीन की तरह नहीं थे कि सहीह अहादीष़ के सामने भी अपनी राय और क़ियास पर अड़े रहें और किताब व सुन्नत को महज़ तक़लीदे–जामिद की वजह से छोड़ दें। इसी तक़लीदे–जामिद ने मिल्लत को तबाह कर दिया– **फ़ल्यब्कि अलल इस्लामि मन कान बाकियन**

बाब 5 : इस बारे में कि तयम्मुम में सिर्फ़ मुँह और दोनों पहुँचों पर मसह करना काफ़ी है

٥- بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

(339) हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने, कहा कि मुझे हकम बिन उययना ने ख़बर दी ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से, वो सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, वो अपने बाप से कि अम्मार ने ये वाक़िआ बयान किया (जो पहले गुज़र चुका) और शुअबा ने अपने हाथ को ज़मीन पर मारा। फिर उन्हें अपने मुँह के क़रीब कर लिया (और फूंका) फिर उनसे अपने चेहरे और पहुँचों का मसह किया और नज़र बिन शुमैल ने बयान किया कि मुझे शुअबा ने ख़बर दी हकम से कि मैंने ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से सुना, वो सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा के हवाले से हदीष़ इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से सुनी, वो अपने वालिद के हवाले से बयान करते थे कि अम्मार ने कहा (जो पहले मज़्कूर हुआ)
(राजेअ़ : 338)

٣٣٩- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَمَّارٌ. [راجع: ٣٣٨]

सहीह अहादीष़ के आधार पर तयम्मुम में एक ही बार हाथ मारना और मुंह व दोनों पंजों का मसह कर लेना काफी है। अहले हदीष़ का यही फ़तवा है। इसके ख़िलाफ़ जो है वो क़ौल मरजूह है। यानी एक बार मुंह का मसह करना फिर हाथ मारकर दोनों हाथों का कोहनियों तक मसह करना, इस बारे की अहादीष़ जईफ है। दूसरी सनद के लाने की गर्ज ये है कि हुक्म का सिमाअ़ जर बिन अ़ब्दुल्लाह से साफ मा'लूम हो जाए जिसकी सराहत अगली रिवायत में नहीं है। बाज मुकल्लिदीन निहायत ही दरीदा दहनी के साथ मसह में एक बार का इन्कार करते हैं बल्कि जमाअ़ते अहले हदीष़ की तख़्फ़ीफ़ (कमतरी) व तौहीन के सिलसिले में तयम्मुम को भी ज़िक्र करते हैं, ये उनकी सख़्त ग़लती है।

(340) हमसे सुलैमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने हकम के वास्ते से हदीष़ बयान की, वो ज़र्र बिन अब्दुल्लाह से, वो इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, वो अपने वालिद से कि वो हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर थे और हज़रत अम्मार (रज़ि.) ने उनसे कहा कि हम एक लश्कर मे

٣٤٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ

गये थे। पस हम दोनों जुनुबी हो गए। और (उसमें है कि बजाय नफ़ख़ फीहिमा के) उन्होंने तफ़ल फ़ीहिमा कहा। (राजेअ़ : 338)

فَأَجْنَبْنَا. وَقَالَ : تَفَلَ فِيهِمَا.
[راجع: ٣٣٨]

तफ़ल भी फूंकने ही को कहते हैं लेकिन नफख से कुछ ज़्यादा ज़ोर से जिससे जरा–जरा थूक भी निकल आए।

(341) हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने ह़कम से, वो ज़र्र बिन अ़ब्दुल्लाह से, वो सईद बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा से, वो अपने वालिद अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा से, उन्होंने बयान किया कि अ़म्मार (रज़ि.) ने उ़मर (रज़ि.) से कहा कि मैं तो ज़मीन में लोटपोट हो गया। फिर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तेरे लिये सिर्फ़ चेहरे और पोहंचों पर मसह करना काफ़ी था (ज़मीन पर लोटने की ज़रूरत न थी) (राजेअ़ : 338)

٣٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ : تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : ((يَكْفِيْكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ)) . [راجع: ٣٣٨]

तश्रीह : बाज रावियाने बुख़ारी ने यहां **अल वज्हु वल कफ्फ़ानि** नकल किया है और उनको **यक्फ़ीक** का फाइल ठहराया है। इस सूरत में तर्जुमा ये होगा कि तुझको चेहरे और दोनों पोहंचे काफी थे। फतहुल बारी में इनको **यक्फ़ीक** का मफऊल करार देते हुए **अल वज्हु वल कफ्फैनि** नक़ल किया है। इस सूरत में तर्जुमा ये होगा कि तुझको तेरा मुंह और पोहंचों के ऊपर मसह कर लेना काफी था।

'व क़ालल हाफ़िज़ुब्नु ह़ज़रिन अन्नल अहादीष़िल वारिदत फ़ी स़िफ़तित्तयम्मुमि लम यस़िह़ मिन्हा सिवा ह़दीष़ि अबी जुहैमिन व अ़म्मारिन'

तयम्मुम में सबसे ज़्यादा सही अह़ादीष़ अबू जुहैम और अम्मार की है ये ह़ाफ़िज़ इब्ने हजर ने कहा है। उन दोनों में एक ही दफा मारने और मुंह और हथेलियों पर मल लेने का ज़िक्र है।

(342) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने ह़कम से, उन्होंने ज़र्र बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने सईद बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा से। उन्होंने अ़ब्दुर्रह़मान बिन अब्ज़ा से, उन्होंने कहा कि मैं ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की ख़िदमत में मौजूद था कि अ़म्मार (रज़ि.) ने उनसे कहा। फिर उन्होंने पूरी ह़दीष़ बयान की। (राजेअ़ : 338)

٣٤٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. [راجع: ٣٣٨]

(343) हमसे मुह़म्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे गुन्दर ने, कहा हमसे शुअ़बा ने ह़कम के वास्ते से, उन्होंने ज़र्र बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने इब्ने अ़ब्दुर्रह़ मान बिन अब्ज़ा से, उन्होंने अपने वालिद से कि अ़म्मार (रज़ि.) ने बयान किया, पस नबी करीम (ﷺ) ने अपने हाथों को ज़मीन पर मारा और उससे अपने चेहरे और पोहचों का मसह किया। (राजेअ़ : 338)

٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ: ((فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ)).
[راجع: ٣٣٨]

बाब 6 : इस बारे में कि पाक मिट्टी मुसलमानों

٦- بَابُ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ

का वुज़ू है पानी के बदले वो उसको काफ़ी है

الْمُسْلِمِ يَكْفِيْهِ مِنَ الْمَاءِ

और हसन बसरी ने कहा कि जब तक उसको हदष न हो (यानी वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें न पाई जाएँ) तयम्मुम काफ़ी है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने तयम्मुम से इमामत की और यह्या बिन सईद अंसारी ने फ़र्माया कि खारी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने और उससे तयम्मुम करने में कोई बुराई नहीं है।

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى السَّبْخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا.

तशरीह : हज़रत इमाम हसन बसरी के इस अषर को अब्दुर्रज़ाक ने मौसूलन रिवायत किया है, सुनन में इतने अल्फ़ाज़ और ज़्यादा हैं। **व इल्लम यजिदिल माअ अशरा सिनीन** (तिर्मिज़ी वग़ैरह) यानी अगरचे वो पानी को दस साल तक न पाए और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ज़िक्रशुदा अषर को इब्ने अबी शैबा और बैहक़ी ने रिवायत किया है। इमाम शौकानी मुन्तक़ा के **'बाबुन तअईनुत्तुराबि लित्तयम्मुमि दून बक़िय्यतिल जामिदाति'** यानी तयम्मुम के लिये जमादात में मिट्टी ही की ताईन है, के तहत हदीष **'व जुइलत तुर्बतुहा लना तहूरन'** और इस ज़मीन की मिट्टी हमारे लिये पाकी हासिल करने का ज़रिया बनाई गई है। लिखते हैं, **'वल हदीषु यदुल्लु अला कस्रित्तयम्मुमि अलत्तुराबि फ़ीहि'** है (नैलुल औतार)

ये हदीष इस अम्र पर दलील है कि तयम्मुम के लिये मिट्टी ही का होना ज़रूरी है क्योंकि उसमें सराहतन तुराब मिट्टी का लफ़्ज़ मौजूद है। पस जो लोग चूना, लोहा और दीगर सारी चीज़ों पर तयम्मुम करना जाइज़ बतलाते हैं , उनका कौल सहीह नहीं। खारी ज़मीन पर तयम्मुम कर नमाज़ पढ़ना, इसकी दलील वो हदीषे आइशा (रज़ि.) है जिसमें ज़िक्र है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **'रअयतु दारहिज्रतिकुम सबख़त ज़ाति नख़्लिन यअनी अल्मदीनत व क़द सम्मन्नबिय्यु (ﷺ) अल मदीनत तय्यिबत फ़दल्ला अन्नस्सबख़त दाख़िलतुन फ़ित्तय्यिबि'** (क़स्तलानी) मैंने तुम्हारे हिज़रत के घर को देखा जो उस बस्ती में है जिसकी अकषर ज़मीन शोर (क्षारीय, खारी) है और वहां खजूरें बहुत होती हैं। आपने इससे मदीना मुराद लिया, जिसका नाम आपने खुद ही मदीना तय्यिबा रखा; यानी पाक शहर। पस षाबित हुआ कि शोर ज़मीन भी पाक में दाख़िल है। फिर शोर ज़मीन की नापाकी पर कोई दलील किताब व सुन्नत से नहीं है इसलिये उसकी भी पाकी षाबित हुई।

(344) हमसे मुसद्दद ने बयान किया कि कहा हमसे यह्या बिन सईद ने, कहा कि हमसे औफ़ ने, कहा कि हमसे अबू रजाअ ने इमरान के वास्ते से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे कि हम रात भर चलते रहे और जब रात का आख़री हिस्सा आया तो हमने पड़ाव डाला और मुसाफिर के लिये उस समय के पड़ाव से ज़्यादा मर्ग़ूब और कोई चीज़ नहीं होती (फिर हम इस तरह ग़ाफ़िल होकर सो गए) कि हमें सूरज की गर्मी के सिवा कोई चीज़ बेदार न कर सकी। सबसे पहले बेदार होने वाला शख़्स फ़लाँ था। फिर फ़लाँ, फिर फ़लाँ। अबू रिजाअ ने सबके नाम लिये लेकिन औफ़ को ये नाम याद नहीं रहे। फिर चौथे नम्बर पर जागने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) थे और जब नबी करीम (ﷺ) आराम फ़र्माते तो हम आपको जगाते नहीं थे। यहाँ तक कि आप ख़ुद-ब-ख़ुद बेदार हों। क्योंकि हमें कुछ मा'लूम नहीं होता कि आप पर ख़्वाब में क्या ताज़ा वह्य आती है। जब

٣٤٤– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ – يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ – ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لأَنَّا لاَ نَدْرِيْ مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ

हज़रत उमर जाग गए और ये आमदा आफ़त देखी और वो एक बेख़ौफ़ दिलवाले आदमी थे। पस ज़ोर—ज़ोर से तक्बीर कहने लगे। उसी तरह ब-आवाज़े बुलन्द, आप उस समय तक तक्बीर कहते रहे जब तक कि नबी करीम (ﷺ) उनकी आवाज़ से बेदार न हो गए। तो लोगों ने पेश आई हुई मुसीबत के बारे में आप (ﷺ) से शिकायत की। इस पर आपने फ़र्माया कि कोई हर्ज नहीं। सफ़र शुरू करो। फिर आप थोड़ी दूर तक चले, उसके बाद आप ठहर गए और वुज़ू का पानी तलब फ़र्माया और अज़ान कही गई। फिर आपने लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ पढ़ाने लगे तो एक शख़्स पर आपकी नज़र पड़ी जो अलग किनारे पर खड़ा हुआ था और उसने लोगों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। आपने उससे फ़र्माया कि ऐ फ़लाँ! तुम्हें लोगों के साथ नमाज़ में शरीक होने से कौनसी चीज़ ने रोका? उसने जवाब दिया कि मुझे ग़ुस्ल की हाजत हो गई और पानी मौजूद नहीं है। आपने फ़र्माया कि पाक मिट्टी से काम निकाल लो। यही तुझको काफ़ी है। फिर नबी करीम (ﷺ) ने सफ़र शुरू किया तो लोगों ने प्यास की शिकायत की। आप फिर ठहर गए और फ़लाँ (यानी इमरान बिन हुसैन रज़ि.) को बुलाया। अबू रजाअ ने उनका नाम लिया था लेकिन औफ़ को याद नहीं रहा और हज़रत अली (रज़ि.) को भी तलब फ़र्माया। इन दोनों से आपने फ़र्माया कि जाओ पानी तलाश करो। ये दोनों निकले, रास्ते में एक औरत मिली जो पानी की दो पखालें (मश्कें) अपने ऊँट पर लटकाए हुए बीच में सवार होकर जा रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि पानी कहाँ मिलता है? तो उसने जवाब दिया कि कल मैं इसी समय पानी पर मौजूद थी (यानी पानी इतना दूर है कि कल मैं इसी समय पानी वहाँ से लेकर चली थी आज यहाँ पहुँची हूँ) और हमारे क़बीले के मर्द लोग पीछे रह गए हैं। उन्होंने उससे कहा। अच्छा, हमारे साथ चलो। उसने पूछा, कहाँ चलूँ? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में। उसने कहा, अच्छा वही जिनको लोग साबी कहते हैं। उन्होंने कहा, ये वही हैं, जिसे तुम कह रही हो। अच्छा, अब चलो। आख़िर ये दोनों हज़रात उस औरत को आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में लाए। और

وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ - وَكَانَ رَجُلاً جَلِيْدًا - فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرفَعُ صَوتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيقَظَ لِصَوتِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: ((لاَ ضَيْرَ - أَوْ لاَ يَضِيْرُ - ارتَحِلُوا)). فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: ((مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَومِ؟)) قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ: ((فَعَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ)). ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا - كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوفٌ - وَدَعَا عَلِيًّا. فَقَالَ: ((اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ))، فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ - أَوْ سَطِيْحَتَيْنِ - مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيْرٍ لَهَا فَقَالاَ لَهَا : أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ : عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفًا. قَالاَ لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا. قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالاَ: إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيءُ. قَالاَ : هُوَ الَّذِي تَعْنِيْنَ، فَانْطَلِقِي. فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيْثَ. قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ - أَوِ

السَّطِيحَتَيْنِ - وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ. وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا. وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اجْمَعُوا لَهَا)). فَجَمَعُوا لَهَا - مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ - حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: ((تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا)). فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ. قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنَةُ؟ قَالَتِ: الْعَجَبُ، لَقِيَنِي رَجُلاَنِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ- وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالأَرْضَ - أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ. فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى أَنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ

सारा वाक़िआ बयान किया। इमरान ने कहा कि लोगों ने उसे ऊँट से उतार लिया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने एक बर्तन तलब फ़र्माया और दोनों पखालों या मश्किज़ों के मुँह उस बर्तन में खोल दिये। फिर उनका ऊपर का मुँह बंद कर दिया। इसके बाद नीचे का मुँह खोल दिया और तमाम लश्करियों में मुनादी कर दी गई कि ख़ुद भी सैर होकर पानी पीयें और अपने तमाम जानवरों वग़ैरह को भी पिला लें। पस जिसने चाहा पानी पिया और पिलाया (और सब सैर हो गए) आख़िर में उस शख़्स को भी एक बर्तन में पानी दिया जिसे ग़ुस्ल की ज़रूरत थी। आपने फ़र्माया, ले जा और ग़ुस्ल कर ले। वो औरत खड़ी होकर देख रही थी कि उसके पानी से क्या क्या काम लिये जा रहे हैं और अल्लाह की क़सम! जब पानी लिया जाना उनसे बंद हुआ तो हम देख रहे थे कि मश्किज़ों में पानी पहले से भी ज़्यादा मौजूद था। फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कुछ उसके लिये (खाने की चीज़) जमा करो। लोगों ने उसके अच्छी क़िस्म की खजूरें (अज्वा) आटा और सत्तू इकट्ठा किया। यहाँ तक कि बहुत सारा खाना उसके लिये जमा हो गया। तो उसे लोगों ने एक कपड़े में रखा और औरत को ऊँट पर सवार कर के उसके सामने वो कपड़ा रख दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि तुम्हें मा'लूम है कि हमने तुम्हारे पानी में कोई कमी नहीं की है। लेकिन अल्लाह तआला ने हमें सैराब कर दिया। फिर वो अपने घर आई, देर काफ़ी हो चुकी थी इसलिये घरवालों ने पूछा कि ऐ फ़लानी! क्यूँ इतनी देर हुई? उसने कहा, एक अजीब बात हुई और वो ये कि मुझे दो आदमी मिले और वो मुझे उस शख़्स के पास ले गए जिसे लोग साबी कहते हैं। वहाँ इस तरह का वाक़िआ पेश आया, अल्लाह की क़सम! वो तो उसके और उसके बीच सबसे बड़ा जादूगर है और उसने बीच की उँगली और शहादत की उँगली आसमान की तरफ़ उठाकर इशारा किया। उसकी मुराद आसमान और ज़मीन से थी। या फिर वो वाक़ेई अल्लाह का रसूल है। उसके बाद मुसलमान उस क़बीले के दूर व नज़दीक के मुश्रिकीन पर हमला करते थे। लेकिन उस घराने को जिससे उस औरत का ता'ल्लुक़ था कोई नुक़्सान नहीं पहुँचाते

يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِيْنٍ إِلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : الصَّابِئِيْنَ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَؤُوْنَ الزَّبُوْرَ أَصْبُ أَمِلْ.

[طرفاه في : ٣٤٨، ٣٥٧١].

ये अच्छा बर्ताव देखकर उस औरत ने अपनी क़ौम से कहा कि मेरा ख़्याल है कि ये लोग तुम्हें जान–बूझकर छोड़ देते हैं। तो क्या तुम्हें इस्लाम की तरफ़ कुछ रग़बत है? क़ौम ने औरत की बात मान ली और इस्लाम ले आई।

हज़रत अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने फ़र्माया कि सबा का मतलब है अपना दीन छोड़कर दूसरे दीन में चला गया और अबुल आलिया ने कहा कि साबेईन अहले किताब का एक फ़िर्क़ा है और सूरह यूसुफ़ में जो असब का लफ़्ज़ है वहाँ भी उसके मअ़नी अमिलु के हैं। (दीगर मक़ाम : 348, 3571)

तशरीह : यानी हज़रत यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा था कि खुदाया! अगर तू मुझे न बचाएगा तो मैं उन औरतों की तरफ झुक जाऊंगा और मैं नादानों में से हो जाऊंगा । पस लफ़्ज़ साबी इसी से बना है जिसके माना दूसरी तरफ झुक जाने के हैं । सफरे मजकूर कौनसा सफर था? बाज़ ने इसे सफरे ख़ैबर, बाज़ ने सफरे हुदैबिया, बाज़ ने सफरे तबूक और बाज़ ने तरीके मक्का का सफर करार दिया है। बहरहाल एक सफर था जिसमें ये वाकिया पेश आया। चूंकि थकान गालिब थी और पिछली रात, फिर उस वक़्त रेगिस्ताने अ़रब की मीठी–ठण्डी हवाएं, नतीजा ये हुआ कि सबको नीन्द आ गई। आँहज़रत (ﷺ) भी सो गए। यहाँ तक कि सूरज निकल आया और मुजाहिदीन जागे। हज़रत उमर (रज़ि.) ये हाल देखा तो जोर–जोर से नार–ए–तकबीर बुलन्द करना शुरू किया ताकि हुजूर (ﷺ) की आँख भी खुल जाए। चुनान्चे आप (ﷺ) भी जाग उठे और आप (ﷺ) ने लोगों को तसल्ली दिलाई कि जो हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ। फिक्र की कोई बात नहीं। फिर आप (ﷺ) ने वहां से कूच का हुक्म दिया और और थोड़ी दूर आगे बढ़कर फिर पड़ाव लिया गया और आप (ﷺ) ने वहां अजान कहलवाकर जमाअत से नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ के बाद एक शख्स का अलेहदा बैठे हुए देखा तो मा'लूम हुआ कि उसको गुस्ल की हाजत हो गई है और वो पानी न होने की वजह से नमाज़ न पढ़ सका है। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस हालत में तुझको मिट्टी पर तयम्मुम कर लेना काफी था। बाब का तर्जुमा इसी जगह से साबित होता है। बाद में आप (ﷺ) ने पानी की तलाश में हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) को मुकर्रर फर्माया और उन्होंने मुसाफिर औरत को देखा कि पानी की पखालें ऊंट पर लटकाए हुए जा रही है, वो उसको बुलाकर हुजूर (ﷺ) के पास लाये, उनकी नियत जुल्म व बुराई की न थी बल्कि औरत से कीमत से पानी हासिल करना या उससे पानी के मुता'ल्लिक़ मा'लूमात हासिल करना था। आपने उसकी पखालों के मुंह खुलवा दिये और उनमें अपना रीक मुबारक डाला जिसकी बरकत से वो पानी इस कदर ज़्यादा हो गया कि मुजाहिदीन और उनके जानवर सब सैराब हो गए और उस जुनुबी शख़्स को गुस्ल के लिये भी पानी दिया गया। इसके बाद आपने पखालों के मुंह बन्द करा दिये और वो पानी से बिल्कुल लबरेज़ थी, उनमें जरा भी पानी कम नहीं हुआ था। आपने एहसान के तौर पर उस औरत के लिये खाना गल्ला सहाब–ए–किराम से जमा कराया और उसको इज्जत व एहतराम के साथ रूख़सत कर दिया। जिसके नतीजे में आगे चलकर उस औरत और उसके कबीले वालों ने इस्लाम कुबूल कर लिया।

हज़रत इमामुल मुहद्दिसीन (रह.) का मक़सद इस रिवायत की नकल से ये है कि पानी न मिलने की सूरत में मिट्टी पर तयम्मुम कर लेना वुज़ू और गुस्ल दोनों की जगह काफी है।

٧– بَابُ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ

बाब 7 : इस बारे में कि जब जुनुबी को (गुस्ल की वजह से) मर्ज़ बढ़ जाने का या मौत होने का

या (पानी के कम होने की वजह से) प्यास का डर हो तो तयम्मुम कर ले।

الْعَطَشَ تَيَمَّمَ

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء : ٢٩] فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ.

कहा जाता है कि हज़रत अम्र बिन आस़ (रज़ि.) को एक जाड़े की रात में ग़ुस्ल की हाजत हुई तो आपने तयम्मुम कर लिया और ये आयत तिलावत की 'अपनी जानों को हलाक न करो, बेशक अल्लाह तआ़ला तुम पर बड़ा मेहरबान है।' फिर इसका ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हुआ तो आप (ﷺ) ने उनको कोई मलामत नहीं फ़र्माई।

तश्रीह : आयते करीमा फिर सहाबा किराम के अमल से इस्लाम में बड़ी-बड़ी आसानियां मा'लूम होती है। मगर सदअफसोस कि नामनिहाद उलोमा व फुक्हा ने दीन को एक हौवा बनाकर रख दिया है।

٣٤٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لاَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا - يَعْنِي تَيَمَّمَ - وَصَلَّى. وَقَالَ: قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ. [راجع: ٣٣٨]

(345) हमसे बिशर बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा मुझको मुहम्मद ने ख़बर दी जो गुन्दर के नाम से मशहूर हैं, शुअ़बा के वास्ते से, वो सुलैमान से नक़ल करते हैं और अबुल वाइल से कि अबू मूसा ने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द से कहा कि अगर (ग़ुस्ल की ह़ाजत हो और) पानी न मिले तो क्या नमाज़ न पढ़ी जाए। अ़ब्दुल्लाह ने फ़र्माया, हाँ! अगर मुझे एक महीना तक भी पानी न मिलेगा तो मैं नमाज़ न पढ़ूँगा। अगर इसमें लोगों को इजाज़त दे दी जाए तो सर्दी मा'लूम करके भी लोग तयम्मुम से नमाज़ पढ़ लेंगे। अबू मूसा कहते हैं कि मैंने कहा कि फिर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के सामने ह़ज़रत अ़म्मार (रज़ि.) के क़ौल का क्या जवाब होगा, बोले कि मुझे तो नहीं मा'लूम है कि उ़मर (रज़ि.) अम्मार (रज़ि.) की बातों से मुत्मइन हो गये थे। (राजेअ़ : 338)

٣٤٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((كَانَ يَكْفِيكَ)) قَالَ : أَلَمْ تَرَ

(346) हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ ने बयान किया कि कहा मेरे वालिद ह़फ़्स़ बिन ग़यास ने, कहा कि हमसे अअ़मश ने बयान किया, कहा कि मैंने शक़ीक़ बिन सलमा से सुना, उन्होंने कहा कि मैं अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द) और अबू मूसा अश़अ़री की ख़िदमत में था, अबू मूसा ने पूछा कि अबू अ़ब्दुर्रह़मान! आपका क्या ख़याल है कि अगर किसी को ग़ुस्ल की ह़ाजत हो और पानी न मिले तो वो क्या करे? अ़ब्दुल्लाह ने फ़र्माया कि उसे नमाज़ न पढ़नी चाहिए, जब तक उसे पानी न मिल जाए। अबू मूसा ने कहा कि फिर अ़म्मार की उस रिवायत का क्या होगा जो नबी करीम (ﷺ) ने उनसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ़ (हाथ और मुँह का तयम्मुम) काफ़ी था। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम उ़मर को नहीं

देखते कि वो अ़म्मार की इस बात से मुत्मइन नहीं हुए थे। फिर अबू मूसा ने कहा अच्छा अ़म्मार की बात को छोड़ो लेकिन उस आयत का क्या जवाब दोगे (जिसमें जनाबत में तयम्मुम करने की वाज़ेह़ इजाज़त मौजूद है) अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) इसका कोई जवाब न दे सके। सिर्फ़ ये कहा कि अगर हम लोगों को इसकी भी इजाज़त दे दें तो उनका ह़ाल ये हो जाएगा कि अगर किसी को पानी ठण्डा मा'लूम हुआ तो उसे छोड़ दिया करेगा। और तयम्मुम कर लेगा। (अ़अ़मश कहते हैं कि) मैंने शक़ीक़ से कहा कि गोया अ़ब्दुल्लाह ने इस वजह से ये सूरत नापसंद की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! (राजेअ़ : 338)

عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ: فَقَالَ: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ. فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ : فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ لِهَذَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ.
[راجع: ٣٣٨]

क़ुर्आनी आयत **औ लामस्तुमुन्निसाअ** (अल माइदा : 6) से साफ तौर पर जुनुबी के लिये तयम्मुम का षुबूत मिलता है क्योंकि यहां लम्स से जिमा मुराद है। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ये आयत सुनकर जवाब न दे सके। हाँ! एक मस्लिहत का ज़िक्र फ़र्माया। मुसनद इब्ने अबी शैबा में हैं कि बाद में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अपने इस ख़याल से रुजूअ फर्मा लिया था और इमाम नववी (रह.) ने कहा कि ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने भी अपने कौल से रुजूअ फर्मा लिया था। इमाम नववी (रह.) फर्माते हैं कि इस पर तमाम उम्मत का इज्माअ है कि जुनुबी और हाइजा और निफ़ास वाली सबके लिये तयम्मुम दुरुस्त है जब वो पानी न पाए या बीमार हो कि पानी के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ने का खतरा हो या वो हालते सफर में हो और पानी न पाए तो तयम्मुम करें। ह़ज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये अम्मार (रज़ि.) वाला वाकिया याद नहीं रहा था हालांकि वो सफर में अम्मार (रज़ि.) के साथ थे, मगर उनका शक रहा। मगर अम्मार का बयान दुरुस्त था इसलिये उनकी रिवायत पर सारे उलमा ने फ़तवा दिया कि जुनुबी के लिये तयम्मुम जाइज़ है। ह़ज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और ह़ज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) के ख्यालों को छोड़ दिया गया। जब सही ह़दीष़ के ख़िलाफ़ ऐसे जलालुल कद्र स़ह़ाबा किराम का कौल छोड़ा जा सकता है तो इमाम या मुजतहिद का कौल ख़िलाफ़े ह़दीष़ क्यों कर काबिले तस्लीम होगा। इसीलिये हमारे इमाम आजम अबू हनीफा (रह.) ने खुद फर्माया कि– **इज़ा सह़्हल ह़दीषु फ़हुव मज़्हबी** सही ह़दीष़ ही मेरा मजहब है। पस मेरा जो कौल स़ह़ीह़ ह़दीष़ के ख़िलाफ़ पाओ उसे छोड़ देना और ह़दीष़ स़ह़ीह़ पर अ़मल करना।

बाब 8 : इस बारे में कि तयम्मुम में एक बार मिट्टी पर हाथ मारना काफ़ी है

٨- بَابُ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

(347) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमें अबू मुआ़विया ने ख़बर दी अ़अ़मश से, उन्होंने शक़ीक़ से, उन्होंने बयान किया कि मैं ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) और ह़ज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर था। ह़ज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से कहा कि अगर एक शख़्स को ग़ुस्ल की ह़ाजत हो और उसे महीने भर तक पानी न मिले तो क्या वो तयम्मुम करके नमाज़ न पढ़े? शक़ीक़ कहते हैं कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द

٣٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ

يَتَيَمَّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا﴾؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ رُخِّصَ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيْدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا - فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ)). فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيْدِ، فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا)) وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً.

[راجع: ٣٣٨]

(रज़ि.) ने जवाब दिया कि वो तयम्मुम न करे अगरचे वो एक महीने तक पानी न पाए (और नमाज़ न पढ़े) अबू मूसा (रज़ि.) ने इस पर कहा कि फिर सूरह माइदा की उस आयत का क्या मतलब होगा, 'अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो।' हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) बोले कि अगर लोगों को इसकी इजाज़त दे दी जाए तो जल्दी ही ये हाल हो जाएगा कि जब उनको पानी ठण्डा मा'लूम होगा तो वो मिट्टी से ही तयम्मुम कर लेंगे। अअ़मश ने कहा कि मैंने शक़ीक़ से कहा कि तुमने जुनुबी के लिये तयम्मुम इसलिये बुरा जाना। उन्होंने कहा हाँ! फिर हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने फ़र्माया कि क्या आपको हज़रत अ़म्मार का हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के सामने ये क़ौल मा'लूम नहीं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी काम के लिये भेजा था। सफ़र में मुझे ग़ुस्ल की ज़रूरत हो गई, लेकिन पानी नहीं मिला। इसलिये मैं मिट्टी में जानवर की तरह लोटपोट लिया। फिर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया कि तुम्हारे लिये सिर्फ़ इतना–इतना करना काफ़ी था। और आपने अपने हाथों को ज़मीन पर एक बार मारा फिर उनको झाड़कर बाएँ हाथ से दाहिने की पुश्त को मल लिया या बाएँ हाथ का दाहिने हाथ से मसह किया। फिर दोनों हाथों से चेहरे का मसह किया। अ़ब्दुल्लाह ने इसका जवाब दिया कि आप उ़मर को नहीं देखते कि उन्होंने अ़म्मार की बात पर क़नाअ़त नहीं की थी। और यअ़ला इब्ने उ़बैद ने अअ़मश के वास्ते से शक़ीक़ से रिवायत में ये ज़्यादती की है कि उन्होंने कहा कि मैं अ़ब्दुल्लाह और अबू मूसा की ख़िदमत में था और अबू मूसा ने फ़र्माया था कि आपने उ़मर से अ़म्मार का ये क़ौल सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे और आपको भेजा। पस मुझे ग़ुस्ल की हाजत हो गई और मैं मिट्टी में लोटपोट लिया। फिर मैं रात रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से सूरतेहाल के बारे में ज़िक्र किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हें सिर्फ़ इतना ही काफ़ी था और अपने चेहरे और हथेलियों का एक ही मर्तबा मसह किया।

(राजेअ़ : 338)

अबू दाऊद की रिवायत में साफ़ मजकूर है कि आप (ﷺ) ने तयम्मुम का तरीका बतलाते हुए पहले हथेली को दाएं हथेली और पोहंचों पर मारा फिर दाएं को बाएं पर मारा इस तरह दोनों पोहंचों पर मसह करके फिर मुंह पर फेर लिया। बस यही तयम्मुम है और यही राजेह है। उलम–ए–मुहक्क़िक़ीन ने इसी को इख्तियार किया है दो बार की रिवायतें सब जईफ है– अल्लामा शौकानी

(रह.) ह़दीष़े अम्मार रवाहुत्तिर्मिज़ी के तहत फ़र्माते हैं,

'वल हदीषु यदुल्लु अला अन्नत्तयम्मुम ज़र्बतुन वाहिदतुन लिल्वजहि वल कफ़्फ़ैनि व क़द ज़हब इला ज़ालिक अता व मकहूल वल औज़ाइ व अहमदुब्नु हंबल व इस्हाक़ वस्सादिक़ वल इमामियत क़ाल फ़िल्फ़तहि व नक़लहुब्नुल मुन्ज़िर अन जुम्हिरल उलमाइ वख़्तारहू व हुव क़ौलु आम्मति अहलिल हदीषि।' (नैलुल औतार)

यानी ये ह़दीष़ दलील है कि तयम्मुम में सिर्फ़ एक ही मर्तबा हाथों को मिट्टी पर मारना काफी है और जुम्हूर उलमा-ए-मुहद्दिषीन का यही मसलक है।

बाब 9 :

٩- بَابٌ

(348) हमसे अब्दान ने हदीस बयान की, कहा हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा हमें औफ़ ने अबू रजाअ से ख़बर दी, कहा कि हमसे कहा इमरान बिन हुसैन ख़ुज़ाई (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा कि अलग खड़ा हुआ है और लोगों के साथ नमाज़ में शरीक नहीं हो रहा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ फलाँ! तुम्हें लोगों के साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोक दिया?' उसने अर्ज़ किया, 'या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई और पानी नहीं है।' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तुमको पाक मिट्टी से तयम्मुम करना ज़रूरी था, बस वो तुम्हारे लिये काफ़ी होता।' (राजेअ : 344)

٣٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ)). [راجع: ٣٤٤]

8. किताबुस्सलात

नमाज़ के अहकाम व मसाइल

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : इस बारे में कि शबे मेअराज में नमाज़ किस तरह फ़र्ज़ हुई?

١- بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ فِي الإِسْرَاءِ؟

ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमसे अबू सुफ़यान बिन हर्ब ने बयान किया ह़दीष़े हिरक़्ल के सिलसिले में

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فِي حَدِيْثِ هِرَقْلَ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا-

कहा कि वो यानी नबी करीम (ﷺ) हमें नमाज़ पढ़ने, सच्चाई इख़्तियार करने और हराम से बचे रहने का हुक्म देते है।

يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ.

यानी जब रुम के बादशाह हिरक्ल ने अबू सुफ़यान और दूसरे कुफ्फारे कुरैश को जो तिजारत की गरज़ से रुम गए हुए थे, उनको बुलाकर आँहज़रत (ﷺ) के बारे में पूछा तो अबु सुफ़यान (रज़ि.) ने ऊपर लिखे हुए के मुताबिक़ जवाब दिया।

तश्रीह : सय्युदल फुकहा वल मुहद्दिषीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) मसाइले तहारत बयान फर्मा चुके, लिहाजा अब मसाइले नमाज़ के लिये किताबुस्सलात की इब्तिदा फर्माई। सलात हर वो इबादत है जो अल्लाह की अज़्मत और उसकी ख़शिय्यत के पेशेनज़र की जाए, कायनात की हर मख्लूक अल्लाह की इबादत करती है जिस पर लफ़्ज़े सलात ही बोला गया है जैसा कि कुर्आन पाक में हैं, **'कुल्लुन क़द अलिम सलातहू व तस्बीहहू'** हर मखलूक को अपने तरीके पर नमाज़ पढ़ने और अल्लाह की तस्बीह बयान करने का तरीका मा'लूम है। (अन् नूर : 41)

एक आयत में हैं– **'इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही व ला किल्ला तफकहून तस्बीहहुम.'** हर एक चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है लेकिन ऐ इन्सानों! तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। (अल इसरा : 44)

'क़ालन्नववी फ़ी शर्हि मुस्लिम इख़्तलफ़ल उलामाउ फ़ी अस्लिस्सलाति फ़क़ील हियदुआ लिइश्तिमालिहा अलैहि व हाज़ा क़ौलु जमाहीर अहलिल अरबिय्यति वल फुक़हाइ वग़ैरहुम' (नैलुल औतार) यानी इमाम नबवी (रह.) ने शर्हे मुस्लिम में कहा कि उलमा ने सलात की असल में इख्तिलाफ किया है। कहा गया है कि सलात की असल हकीकते दुआ है जबकि जुम्हूर अहले अरब और फुकहा वगैरुहुम का यही कौल है।

अ़ल्लामा क़स्तलानी फर्माते हैं, **'वश्तिक़ाक़ुहा मिनस्सल्ला'** यानी ये लफ़्ज़ सल्ला से मुशतक है सल्ला किसी टेढ़ी लकड़ी को आग में तैयार कर सीधा करना। पस नमाज़ो भी इसी तरह नमाज़ पढ़ने से सीधा हो जाता है और जो शख्स नमाज़ की आग में तपकर सीधा हो गया वो अब दोजख की आग में दाख़िल न किया जाएगा, **'व हिय सिलतुन बैनल अब्दि व रब्बिही'** ये अल्लाह और उसके बन्दे के बीच मिलने का एक ज़रिया है जो इबादते नफ़्सानी और बदनी तहारत और सतरे औरत और माल खर्च करने और का'बा की तरफ मुतवज्जह होने और इबादत के लिये बैठने आैर जवारिह से इजहारे खुशू करने और दिल से नियत को ख़ालिस करने और शैतान से जिहाद करने और अल्लाह अज्ज व जल्ल से मुनाजात करने और कुर्आन शरीफ पढ़ने और कलिम ए–शहादतैन को जुबान पर लाने और नफ्स को तमाम पाक व हलाल चीजों से हटाकर एक यादे इलाही पर लगा देने वगैरह का नाम है। लुगवी हैषियत से सलात दुआ पर बोला गया है और शरई तौर पर कुछ अकवाल और अफआल है जो तकबीरे तहरीमा से शुरू किए जाते हैं और तसलीम यानी सलाम फेरने पर खत्म होते हैं। बन्दों की सलात अल्लाह के सामने झुकना, नमाज़ पढ़ना और फरिश्तों की सलात अल्लाह व इबादत के साथ मोमिनीन के लिये दुआ–ए–इस्तिग़फ़ार करना और अल्लाह पाक की सलात अपनी मख़्लूक़ात पर नज़रे रहमत फर्माना। हदीषे मेअराज में आया है कि आप जब सातव आसमान पर तशरीफ ले गए तो आप (ﷺ) से कहा गया कि जरा ठहरिये आपका रब सलात में मसरुफ है यानी उस सलात में जो उसकी शान के लायक है।

नमाज़ (इबादत), हर मजहब, हर शरीअत, हर दीन में थी, इस्लाम ने इसका एक ऐसा जामेअ मुफीदतरीन तरीका पेश कियाहै कि जिससे ज़्यादा बेहतर और जामेअ तरीका मुमकिन नहीं है। कलिम–ए–तय्यिबा के बाद ये इस्लाम का अव्वलीन रुक्न है जिसे क़ाइम करना दीन को क़ाइम करना है और जिसे छोड़ देना दीन की इमारत गिरा देना है, नमाज़ के बेशुमार फवाएद हैं जो अपने अपने मक़ामात पर बयान किए जाएंगे। इन्शाअल्लाह तआला।

(349) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने यूनुस के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने फ़र्माया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) ये हदीष बयान करते थे कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे घर की छत खोल दी गई, उस समय मैं मक्का में था। फिर जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) उतरे और उन्होंने

٣٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ

मेरा सीना चाक किया। फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिक्मत और ईमान से भरा हुआ था। उसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ़ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुँचा तो जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोग़ा से कहा खोलो। उसने पूछा, आप कौन है? जवाब दिया कि जिब्रईल, फिर उन्होंने पूछा क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया हाँ! मेरे साथ मुहम्मद (ﷺ) हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उनको बुलाने के लिये आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ! फिर उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए, वहाँ हमने एक शख़्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ़ कुछ लोगों के झुण्ड थे और कुछ झुण्ड बाईं तरफ़ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ़ देखते तो मुस्कुराते और जब बाएँ तरफ़ देखते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फ़र्माया, आओ अच्छे आए हो। स़ालेह नबी और स़ालेह बेटे! मैंने जिब्रईल से पूछा, ये कौन हैं? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और इनके दाएँ और बाएँ तो झुण्ड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। इसलिये जब वो अपने दाएँ तरफ़ देखते हैं तो ख़ुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएँ तरफ़ देखते हैं तो (रंज से) रोते हैं। फिर जिब्रईल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और उसके दारोग़ा से कहा कि खोलो! उस आसमान के दारोग़ा ने भी पहले आसमान के दारोग़ा की तरह पूछा फिर खोल दिया। हज़रत अनस ने कहा कि अबू ज़र ने ज़िक्र किया कि आप (ﷺ) यानी नबी (ﷺ) ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया और अबू ज़र (रज़ि.) ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया। अल्बत्ता इतना बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत आदम को पहले आसमान पर पाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। अनस ने बयान किया कि जब जिब्रईल अलैहिस्सलाम नबी करीम (ﷺ) के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुज़रे तो उन्हों ने फ़र्माया कि आओ अच्छे आए हो स़ालेह नबी और स़ालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं?

السَّلاَمُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ. فَقَالَ: وَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ، فَأَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا : افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ)). قَالَ أَنَسٌ : فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيْسَ وَمُوسَى وَعِيْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ

بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيسَ قَالَ: ((مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ)). قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ. فَرَاجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ : هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ.

जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा उन्होंने फ़र्माया आओ अच्छे आए हो सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूसा हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा उन्होंने कहा आओ अच्छे आए हो सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। उन्होंने फ़र्माया आओ अच्छे आए हो सालेह नबी और सालेह बेटे! मैंने पूछा, ये कौन हैं? जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्ने शिहाब ने कहा कि मुझे अबूबक्र बिन हज़्म ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और अबू हब्बा अल अंसारी (रज़ि.) कहा करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया फिर मुझे जिब्रईल अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े, अब मैं उस बुलन्द मुक़ाम तक पहुँच गया जहाँ मैंने क़लम की आवाज़ सुनी (जो लिखने वाले फ़रिश्तों की क़लमों की आवाज़ थी) इब्ने हज़्म ने (अपने शैख़ से) और अनस बिन मालिक ने अबू ज़र्र (रज़ि.) से नक़ल किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया बस अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत पर पचास वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ कीं। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा कि पचास वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने कहा आप वापस अपने रब के बारगाह में जाइये क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों को अदा करने की ताक़त नहीं रखती है। मैं वापस बारगाहे इलाही में गया तो अल्लाह ने उसमें से एक हिस्सा कम कर दिया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया है, उन्होंने कहा कि दोबारा जाइये क्योंकि आपकी उम्मत में इसके बर्दाश्त की भी ताक़त नहीं है। फिर मैं बारगाहे इलाही में हाज़िर हुआ। एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो उन्होंने फ़र्माया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइये। क्योंकि आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त न कर सकेगी, फिर मैं बार बार आया गया पस अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि ये नमाज़ें (अमल में) पाँच हैं और

(ष़वाब में) पचास (के बराबर) हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाओ। लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्रईल मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए जिसे कई तरह के रंगों में ढांक रखा था। जिनके बारे में मुझे मा'लूम नहीं हुआ कि वो क्या है उसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया, मैंने देखा कि इसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मिट्टी मुश्क की है। (दीगर मक़ाम : 1636, 3342)

فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ : اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ. ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ)).

[طرفاه في : ١٦٣٦، ٣٣٤٢].

तश्रीह : मेअ़राज का वाकिआ कुर्आन मजीद की सूरह बनी इस्राईल और सूरह नज्म के शुरू में बयान हुआ है और अहादीष़ में इस कष़रत के साथ इसका ज़िक्र है कि इसे तवातुर का दर्जा दिया जा सकता है। सलफे उम्मत का इस पर इत्तिफाक़ है कि आँहज़रत (ﷺ) को मेअ़राज जाने में बदन और रूह के साथ हुआ। सीन–ए–मुबारक चाक करके आबे जमजम से धोकर हिकमत ओर ईमान से भरकर आपको आसमानी दुनिया की सैर करने के क़ाबिल बना दिया गया, ये शक्के सदर (सीना चाक किया जाना) दो बार है।

एक बार पहले रजाअत (दूध पीने के दौरान) में भी आप का सीना चाक करके इल्मो हिकमत व अनवारे तजल्लियात से भर दिया गया था। दूसरी रिवायात की बिना पर आप (ﷺ) ने पहले आसमान पर हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) से, दूसरे आसमान पर हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम से, तीसरे पर हज़रत युसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पाँचवे आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर सय्यिदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फर्माई। जब आप मक़ामे आला पर पहुंच गये तो आप (ﷺ) ने वहाँ फरिश्तों की कलमों कीआवाज सुनी और मुताबिके आयत शरीफ़ा **व लकद रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा** (अन् नज्म : 18) आपने मक़ामे–आला में बहुत सी चीजें देखी। वहां अल्लाह पाक ने आप (ﷺ) की उम्मत पर पचास वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की। फिर आपके नौ बार आने–जाने के सदके में सिर्फ़ पाँच वक़्त की नमाज़ बाकी रह गई मगर ष़वाब में वो पचास के बराबर है। बाब का तर्जुमा यहां से निकलता है कि नमाज़ मेअ़राज की रात में इस तफ़्सील के साथ फ़र्ज़ हुई।

सिदरतुल मुन्तहा सातवें आसमान पर एक बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान तक है। फरिश्ते वहीं तक जा सकते हैं, आगे जाने की उनकी मजाल नहीं है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) फर्माते हैं कि मुन्तहा उसको इसलिये कहते हैं कि ऊपर से जो अहकाम आते हैं वो वहां आकर ठहर जाते हैं और नीचे से जो कुछ जाता है वो भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता।

मेअ़राज की तफ़्सीलात अपने मक़ाम पर बयान की जाएगी आसमानों का वुजूद है जिस पर सारी कुतुबे समाविय्या और तमाम अंबिय–ए–किराम का इत्तिफाक है, मगर इसकी कैफियत और हक़ीक़त अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिस क़दर बतला दिया गया है उस पर ईमान लाना ज़रूरी है और दार्शनिक और आजकल के साइन्स वाले जो आसमान का इन्कार करते हैं, उनके क़ौले बातिल पर हर्गिज कान न लगाने चाहिए।

(350) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें ख़बर दी इमाम मालिक ने स़ालेह बिन कैसान से, उन्होंने उ़र्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने पहले नमाज़ में दो–दो रकअ़त फ़र्ज़ की थी। सफ़र में भी और इक़ामत की हालत में भी। फिर सफ़र की नमाज़ तो अपनी हालत पर बाक़ी

٣٥٠– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،

फ़ाक़िर्रत सलातुस्सफ़रि...

रखी गई और हालते इक़ामत की नमाज़ों में ज़्यादती कर दी गई।

(दीगर मक़ाम : 1090, 3935)

فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيْدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

[طرفاه في : ١٠٩٠، ٣٩٣٥].

बाब 2 : इस बयान में कि कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना वाजिब है

٢- بَابُ وُجُوْبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ، وَقَولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ:

(सूरह अअ़राफ़ में) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का हुक्म है कि तुम कपड़े पहना करो हर नमाज़ के समय और जो एक ही कपड़ा बदन पर लपेटकर नमाज़ पढ़े (उसने भी फ़र्ज़ अदा कर लिया) और सलमा बिन अक्वा से मन्क़ूल है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि (अगर एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़े तो) अपने कपड़े को टाँक ले अगरचे काँटे ही से टाँकना पड़े, इसकी सनद में गुफ़्तगू है और वो शख़्स जो उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ता है जिसे पहनकर वो जिमाअ़ करता है (तो नमाज़ दुरुस्त है) जब तक वो उसमें कोई गंदगी न देखे और नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि कोई नंगा बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे।

﴿ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((تَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ)). فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ. وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيْهِ مَا لَمْ يَرَ فِيْهِ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

तश्रीह : आयते शरीफा '**ख़ुज़ू ज़ीनतकुम**' अलअख़ में मस्जिद से मुराद नमाज़ है। बकौल ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास एक औ़रत खान–ए–का'बा का तवाफ नंगी होकर कर रही थी कि ये आयते शरीफा नाजिल हुईं मुश्रिकीने–मक्का भी उमूमन तवाफे का'बा नंगे होकर किया करते थे। इस्लाम ने इस हरकत से सख्ती के साथ रोका और नमाज़ के लिये मस्जिद में आते वक़्त कपड़े पहनने का हुक्म फर्माया '**ख़ुज़ू ज़ीनतकुम**' में ज़ीनत से सतरपोशी ही मुराद है जैसा कि मशहूर मुफ़स्सिरे क़ुर्आन ह़ज़रत मुजाहिद ने इस बारे में उम्मत का इजमाअ़ व इत्तिफाक़ नक़ल किया है। लफ़्ज़े ज़ीनत में बड़ी वुसअत है जिसका मफ्हूम (भावार्थ) ये कि मस्जिद अल्लाह का दरबार है, इसमें हर मुम्किन व जाइज़ जैबो–ज़ीनत के साथ इस निय्यत से दाख़िल होना कि मैं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन बादशाहों के बादशाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दाख़िल हो रहा हूं, ऐन आदाब दरबारे खुदावन्दी में दाख़िल है। ये बात अलग है कि अगर सि़र्फ़ एक ही कपड़े में नमाज़ अदा कर ली जाए बशर्ते उससे सतरपोशी कामिल तौर पर ह़ासिल हो तो ये भी जाइज़ व दुरुस्त है।

ऐसे एक कपड़े को पहन लेने का मतलब ये है कि उसके दोनों किनारे मिलाकर उसे अटकाए। अगर घुण्डी या तुमका (बटन, हुक वग़ैरह) न हो तो काँटे या पिन से अटका ले ताकि कपड़ा सामने से खुलने न पाए और शर्मगाह छुपी रहे। सलमा बिन अक्वा की रिवायत अबू दाऊद और इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान में हैं उसकी सनद में इजतिराब है। इसीलिये ह़ज़रत इमाम उसे अपनी स़ह़ीह़ में नहीं लाए '**व मन स़ल्ला फ़िष्षौबिल्लज़ी**' एक तवील ह़दीष़ में वारिद है जिसे अबू दाऊद और निसाई ने निकाला है कि आँह़ज़रत (ﷺ) जिस कपड़े को पहनकर सोहबत करते अगर उसमें कुछ पलीदी न पाते तो उसी में नमाज़ पढ़ लेते थे और ह़दीष़ '**अल्ला यत्तव्वफ़ फिल बैति उर्यान**' को इमाम अहमद ने रिवायत किया है। इससे मक़सद ये ष़ाबित करना कि जब नंगे होकर तवाफ करना मना हुआ तो नमाज़ ब-तरीक़े औला के मुताबिक़ मना है।

(351) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन इब्राहीम ने बयान किया, वो मुह़म्मद से, वो उम्मे अ़तिया से, उन्होंने फ़र्माया कि हमें हुक्म हुआ कि हम ईदैन के दिन हाइज़ा और पर्दानशीन औ़रतों को भी बाहर ले जाएँ ताकि वो

٣٥١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ

الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ . قَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: ((لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)).
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَتنا أُمُّ عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.

[راجع: ٣٢٤]

मुसलमानों के इज्तिमाअ और उनकी दुआओं में शरीक हो सकें अल्बत्ता हाइज़ा औरतों को नमाज़ पढ़ने की वजह से दूर रखें। एक औरत ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हममें कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके पास (पर्दा करने के लिये) चादर नहीं होती। आपने फ़र्माया कि उसकी साथी औरत अपनी चादर का एक हिस्सा उसे ओढ़ा दे और अब्दुल्लाह बिन रजाअ ने कहा हमसे इमरान क़त्तान ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन सीरीन ने, कहा हमसे उम्मे अतिया ने, मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना और यही हदीष़ बयान की। (राजेअ : 324)

तश्रीह : हदीष़ के बाब का तर्जुमा अल्फ़ाज़ लि तुलबिसहा साहिबतहा मिन जल्बाबिहा (जिस औरत के पास कपड़ा न हो उसके साथ वाली औरत को चाहिए कि अपनी चादर ही का कोई हिस्सा उसे भी ओढ़ा दे) से निकलता है। मक़सद ये कि मस्जिद में जाते वक़्त, ईदगाह में हाज़री के वक़्त, नमाज़ पढ़ते वक़्त इतना कपड़ा ज़रूर होना चाहिए जिससे मर्द व औरत अपनी-अपनी हैषियत में सतरपोशी कर सके। इस हदीष़ से भी औरतों का ईदगाह जाना ष़ाबित हुआ।

इमाम बुख़ारी (रह.) ने सनद में अब्दुल्लाह बिन रजा को लाकर उस शख़्स़ का रद्द किया जिसने कहा कि मुहम्मद बिन सीरीन ने ये हदीष़ उम्मे अतिय्या से नहीं सुनी बल्कि अपनी बहन हफ़्सा से, उन्होंने उम्मे अतिय्या से, उसे तबरानी ने मुअजम कबीर में वस्ल किया है।

٣- بَابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، صَلَّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.

बाब 3 : नमाज़ में गुद्दी पर तहबंद बाँधने के बयान में

और अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने सहल बिन सअद से रिवायत करते हुए कहा कि लोगों ने नबी (ﷺ) के साथ अपनी तहबंद कँधों पर बाँधकर नमाज़ पढ़ी।

٣٥٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ. وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ

(352) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे आ़सिम बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे वाक़िद बिन मुहम्मद ने मुहम्मद बिन मुंकदिर के हवाले से बयान किया, उन्होंने कहा कि हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने तहबंद बाँधकर नमाज़ पढ़ी, जिसे उन्होंने सर तक बाँध रखा था और आपके कपड़े खूँटी पर टंगे हुए थे। एक कहनेवाले ने कहा कि आप एक तहबंद में नमाज़ पढ़ते हैं? आपने जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिये किया कि तुझ जैसा कोई अहमक़ मुझे देखे। भला रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में दो कपड़े भी किसके

النَّبِيِّ ﷺ؟

[أطرافه في : ٣٥٣، ٣٦١، ٣٧٠].

पास थे? (दीगर मक़ाम : 353, 361, 370)

٣٥٣- حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ. [راجع: ٣٥٢]

(353) हमसे अबू मुसअ़ब बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मुतर्रफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी अल् मवाली ने बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन मुंकदिर से, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर (रज़ि.) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा और उन्होंने बतलाया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को भी एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा था। (राजेअ़ : 352)

इस ह़दीष़ का ज़ाहिर में इस बाब से कोई तअ़ल्लुक नहीं मा'लूम होता। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसे यहाँ इसलिये नक़ल किया कि अगली रिवायत में आँह़ज़रत (ﷺ) का एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना साफ़ मज़कूर न था, इसमें साफ–साफ मज़कूर है।

तश्रीह : रसूले करीम (ﷺ) के जमाने में अकष़र लोगों के पास एक ही कपड़ा होता था, उसी में वो सतरपोशी करके नमाज़ पढ़ते। ह़ज़रत जाबिर (रह.) ने कपड़े मौजूद होने के बावजूद इसीलिये एक कपड़े में नमाज़ अदा की ताकि लोगों को इसका जवाज़ मा'लूम हो जाए। बहुत से देहात में खासतौर पर खाना–बदोश कबाइल में ऐसे लोग अब भी मिल सकते हैं जो सर से पैर सिर्फ़ एक ही चादर या कम्बल का तहबन्द व कुर्ता बना लेते हैं और उसी से सतरपोशी कर लेते हैं। इस्लाम में नमाज़ अदा करने के लिये ऐसे सब लोगों के लिये गुन्जाइश रखी गई है।

٤- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

बाब 4 : इस बारे में कि सिर्फ़ एक कपड़े को बदन पर लपेटकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ व दुरुस्त है

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهُوَ الاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ : الْتَحَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

इमाम ज़ुहरी ने अपनी ह़दीष़ में कहा कि मुलतहिफ़ मुतवश्शह को कहते हैं, जो अपनी चादर के एक हिस्से को दूसरे काँधे पर डाल ले और दूसरे हिस्से को पहले काँधे पर डाल ले और वो दोनों काँधों को (चादर से) ढांक लेता है। उम्मे हानी ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक चादर ओढ़ी और उसके दोनों किनारों को उसके मुख़ालिफ़ तरफ़ के काँधों पर डाला।

٣٥٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

[طرفاه في : ٣٥٥، ٣٥٦].

(354) हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने अपने वालिद के हवाले से बयान किया, वो उ़मर बिन अबी सलमा से कि नबी करीम (ﷺ) ने एक कपड़े में नमाज़ पढ़ी और आपने कपड़े के दोनों किनारों को मुख़ालिफ़ तरफ़ के काँधे पर डाल लिया। (दीगर मक़ाम : 355, 356)

٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ:

(355) हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा हमसे

यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने ड़मर बिन अबी सलमा से नक़ल करके बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) को उम्मे सलमा के घर में एक कपड़ा में नमाज़ पढ़ते हुए देखा, कपड़े के दोनों किनारों को आपने दोनों काँधो पर डाल रखा था।

(राजेअ़ : 354)

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [راجع: ٣٥٤]

(356) हमसे ड़बैद बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने हिशाम के वास्ते से बयान किया, वो अपने वालिद से जिनको ड़मर बिन अबी सलमा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के घर में एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप उसे लपेटे हुए थे और उसके दोनों किनारों को दोनों काँधों पर डाले हुए थे। (राजेअ़ : 354)

٣٥٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [راجع: ٣٥٤]

(357) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक बिन अनस ने ड़मर बिन ड़बैदुल्लाह के ग़ुलाम अबुन् नज़र सालिम बिन उमय्या से कि उम्मे हानी बिन्ते अबी ताालिब के ग़ुलाम अबू मुर्रा यज़ीद ने बयान किया कि उन्होंने उम्मे हानी बिन्ते अबी ताालिब से ये सुना। वो फ़र्माती थी कि मैं फ़तहे मक्का के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। मैंने देखा कि आप ग़ुस्ल कर रहे हैं और आपकी साहबज़ादी फ़ातिमा (रज़ि.) पर्दा किये हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऑंहुज़ूर (ﷺ) को सलाम किया। आपने पूछा कि कौन है? मैंने बताया कि उम्मे हानी बिन्ते अबी ताालिब हूँ। आपने फ़र्माया अच्छी आई हो, उम्मे हानी! फिर जब (ﷺ) आप नहाने से फ़ारिग़ हो गये तो उठे और आठ रकअ़त नमाज़ पढ़ी, एक ही कपड़े में लिपटकर। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी माँ के बेटे (अ़ली बिन अबी ताालिब) का दावा है कि वो एक शख़्स को ज़रूर क़त्ल करेगा, हालाँकि मैंने उसे पनाह दे रखी है। ये (मेरे शौहर) हुबैरा का फ़लाँ बेटा है। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि उम्मे हानी जिसे तुमने पनाह दे दी, हमने भी उसे पनाह दी। उम्मे हानी ने कहा ये नमाज़ चाश्त थीं। (राजेअ़ : 280)

٣٥٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ)) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ ابْنَ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ)) قَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

[راجع: ٢٨٠]

तश्रीह : हज़रत अली (रज़ि.) उम्मे हानी के सगे भाई थे। एक बाप, एक माँ। उनको माँ का बेटा इसलिये कहा कि मादरी भाई-बहन एक-दूसरे पर बहुत मेहरबान होते हैं। गोया उम्मे हानी ये जाहिर कर रही है कि हज़रत अली (रज़ि.) मेरे सगे भाई होने के बावजूद मुझ पर मेहरबानी नहीं करते। हुबैरा का बेटा जअ़दा नाम था जो अभी बहुत छोटा था। उसे हज़रत अली (रज़ि.) मारने का इरादा क्यों करते? इब्ने हिशाम ने कहा उम्मे हानी ने हारिष बिन हिशाम और ज़ुहैर बिन अबी उमय्या या अ़ब्दुल्लाह बिन रबीआ को पनाह दी थी। ये लोग हुबैरा के चचाजाद भाई थे। शायद फलां बिन हुबैरा में रावी की भूल से उम्म का लफ़्ज़ छूट गया है यानी दरअसल फलां बिन उम्मे हुबैरा है।

हुबैरा बिन अबी वहब बिन अम्र मख़्ज़ूमी उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब के ख़ाविन्द थे, जिनकी औलाद में एक बच्चे का नाम हानी भी है जिनकी कुन्नियत से उस ख़ातून को उम्मे हानी से पुकारा गया। हुबैरा हालते शिर्क ही में मर गए उनका बच्चा जअ़दा नामी था जो उम्मे हानी ही के बतन से है जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ, फ़तहे मक्का के दिन उम्मे हानी ने इन्हीं को पनाह दी थी। इनके लिये आँहज़रत (ﷺ) ने इनकी पनाह को कुबूल फ़र्माया। आप उस वक़्त चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे थे। बाज़ के नज़दीक ये फ़तहे मक्का पर शुक्रिया की नमाज़ थी।

(358) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से ख़बर दी, वो सईद बिन मुसय्यिब से नक़ल करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि एक पूछने वाले ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया (कुछ बुरा नहीं) भला क्या तुम सबमें हर शख़्स के पास दो कपड़े हैं?

(दीगर मक़ाम : 365)

٣٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟)). [طرفه في : ٣٦٥].

एक ही कपड़ा जिससे सतरपोशी हो सके उसमें नमाज़ जायज दुरुस्त है। जुम्हूरे उम्मत का यही फ़त्वा है।

बाब 5 : एक कपड़े में नमाज़ पढ़े तो उसको मूँढों पर डाले

٥- بَابُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

(359) हमसे अबू आ़सिम ज़िहाक बिन मुख़लद ने इमाम मालिक (रह.) के हवाले से बयान किया, उन्होंने अबुज़्ज़िनाद से, उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान अअ़रज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी शख़्स को भी एक कपड़े में नमाज़ इस तरह न पढ़नी चाहिए कि उसके कँधों पर कुछ न हो। (दीगर मक़ाम : 360)

٣٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)). [طرفه في : ٣٦٠].

(360) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा हमसे शैबान बिन अ़ब्दुर्रहमान ने यह्या बिन अबी कष़ीर के वास्ते से, उन्होंने इकरमा से यह्या ने कहा मैंने इकरमा से सुना या मैंने उनसे पूछा था। तो इकरमा ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना,

٣٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ - قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)).

[راجع: ٣٥٩]

वो फ़र्माते थे। मैं इसकी गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को मैंने ये इर्शाद फ़र्माते हुए सुना है कि जो शख़्स एक कपड़े में नमाज़ पढ़ता है उसे कपड़े के दोनों किनारों को मुख़ालिफ़ सिम्त के काँधों पर डाल लेना चाहिए।

(राजेअ़ : 359)

इल्तिहाफ और तौशीह और इश्तिमाल सबका एक ही मतलब है यानी कपड़े का वो किनारा जो दाएँ काँधे पर हो उसको बाएँ हाथ की बगल से और जो बाएँ काँधे पर डाला हो उसको दाहिने हाथ की बगल के नीचे से निकालकर दोनों किनारों को मिलाकर सीने पर बाँध लेना। यहां भी मुखालिफ सिम्त (विपरीत दिशाओं से) से यही मुराद है।

٦- بَابُ إِذَا كَانَ الثَّوبُ ضَيِّقًا

बाब 6 : जब कपड़ा तंग हो तो क्या क्या जाए?

٣٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي. فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ : ((مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟)) قُلْتُ: كَانَ ثَوْبًا قَالَ: ((فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ)).

[راجع: ٣٦١]

(361) हमसे यह्या बिन स़ालेह़ ने बयान किया, कहा हमसे फ़ुलैह़ बिन सुलैमान ने, वो सईद बिन हारिष़ से, कहा हमने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र (ग़ज़्व–ए–बवात़) में गया। एक रात में किसी ज़रूरत की वजह से आपके पास आया। मैंने देखा कि आप (ﷺ) नमाज़ में मशग़ूल हैं, उस समय मेरे बदन पर सिर्फ़ एक ही कपड़ा था। इसलिये मैंने उसे लपेट लिया और आपके बाज़ू में खड़े होकर मैं भी नमाज़ में शामिल हो गया। जब आप (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो पूछा कि जाबिर इस रात के समय कैसे आए? मैंने आप (ﷺ) से अपनी ज़रूरत के बारे में बताया। मैं जब फ़ारिग़ हो गया तो आप (ﷺ) ने पूछा ये तुमने क्या लपेट रखा था जिसे मैंने देखा। मैंने कहा कि (एक ही) कपड़ा था (इस तरह न लपेटता तो क्या करता) आपने फ़र्माया कि अगर वो कुशादा हो तो अच्छी तरह लपेट लिया कर और अगर तंग हो तो उसको तहबंद के त़ौर पर बाँध लिया कर।

(राजेअ़ : 361)

तश्रीह : आँह़ज़रत (ﷺ) जाबिर पर इस वजह से इन्कार फ़र्माया कि उन्होंने कपड़े को सारे बदन पर इस तरह से लपेट रखा होगा कि हाथ वग़ैरह सब अन्दर बन्द हो गए होंगे इसी को आप (ﷺ) ने मना फ़र्माया। इसी को इश्तिमाले स़माअ कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत से मा'लूम होता है कि वो कपड़ा तंग था और जाबिर ने उसके दोनों किनारों में मुखालिफत की थी और नमाज़ में झुके हुए थे ताकि सतर न खुले। आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनको बतलाया कि ये सूरत जब है जब कपड़ा फराख (कुशादा) हो, अगर तंग हो तो स़िर्फ़ तहबन्द कर लेना चाहिए।

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى

(362) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, उन्होंने सुफ़यान ष़ौरी से, उन्होंने कहा मुझसे अबू

हाज़िम सलमा बिन दीनार ने बयान किया सहल बिन सअद सअदी से, उन्होंने कहा कि कई आदमी नबी करीम (ﷺ) के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर इज़ारें बाँधे हुए नमाज़ पढ़ते थे और औरतों को (आपके ज़माने में) हुक्म था कि अपने सरों को (सज्दे से) उस समय तक न उठाएँ जब तक कि मर्द सीधे होकर बैठ न जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 814, 1215)

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، يُقَالُ لِلنِّسَاءِ: ((لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا)). [طرفاه في : ٨١٤، ١٢١٥].

क्योंकि मर्दों के बैठ जाने से पहले सर उठाने में कहीं औरतों की नजर मर्दों के सतर पर न पड़ जाए इसीलिये औरतों को पहले सर उठाने से मना फर्माया। उस जमाने में औरतें भी मर्दों के साथ नमाज़ों में शरीक होती थी और मर्दों का लिबास भी इसी किस्म का होता था। आजकल ये सूरतें नहीं है, फिर औरतों के लिये अब ईदगाह में भी पर्दे का बेहतरीन इन्तेजाम कर दिया जाता है।

बाब 7 : शाम के बने हुए चोग़े में नमाज़ पढ़ने के बयान में

٧- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

इमाम हसन बस़री (रह.) ने फ़र्माया कि जिन कपड़ों को पारसी बुनते हैं उसके इस्ते'माल करने में कोई क़बाहत नहीं। मअ़मर राशिद ने फ़र्माया कि मैंने इब्ने शिहाब ज़ुहरी को यमन के कपड़े को पहने देखा जो (हलाल जानवरों के) पेशाब से रंग जाते थे और अ़ली बिन अबी त़ालिब ने नए बग़ैर धुले कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ी।

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسُ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ. وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद ये है कि शाम में उन दिनों काफ़िरों की हुकूमत थी ओर वहां से मुख़्तलिफ़ क़िस्मों के कपड़े यहाँ मदीना में आया करते थे, इसलिये इन मसाइल के बयान की ज़रूरत हुई। पेशाब से हलाल जानवरों का पेशाब मुराद है जिसको रंगाई के मसालों में डाला जाता था।

(363) हमसे यह़्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबू मुआविया ने अअ़मश के वास्ते से, उन्हों ने मुस्लिम बिन सबीह से, उन्होंने मसरूक़ बिन अज्दअ से, उन्होंने मुग़ीरह बिन शुअबा से, आपने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र (ग़ज़्व-ए-तबूक) में था। आपने एक मौक़े पर फ़र्माया। मुग़ीरह! पानी की छागल उठा ले। मैंने उसे उठा लिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) चले और मेरी नज़रों से छुप गए। आपने क़ज़ा-ए-ह़ाजत की। उस समय आप शामी जुब्बा पहने हुए थे। आप हाथ खोलने के लिये आस्तीन ऊपर चढ़ाना चाहते थे लेकिन वो तंग थी इसलिये आस्तीन के अंदर से हाथ निकाला। मैंने आपके हाथों

٣٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: ((يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ)). فَأَخَذْتُهَا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا،

पर पानी डाला। आप (ﷺ) नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू किया और अपने ख़ुफ़्फ़ैन (मौजों) पर मसह किया, फिर नमाज़ पढ़ी। (राजेअ़ : 182)

فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى. [راجع: ١٨٢]

बाब 8 : (बेज़रूरत) नंगा होने की कराहियत नमाज़ में हो (या किसी और हाल में)

٨- بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلاَةِ

(364) हमसे मत़र बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे रौह बिन इ़बादा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़करिया बिन इस्हाक़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़म्र बिन दीनार ने, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (नुबुव्वत से पहले) का'बा के लिये क़ुरैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। उस समय आप तहबंद बाँधे हुए थे। आप (ﷺ) के चचा अ़ब्बास ने कहा कि भतीजे क्यों नहीं तुम तहबंद खोल लेते और उसे पत्थर के नीचे अपने काँधे पर रख लेते (ताकि तुम पर आसानी हो जाए) ह़ज़रत जाबिर ने कहा कि आप (ﷺ) ने तहबंद खोल लिया और काँधे पर रख लिया। उसी समय ग़श खाकर गिर पड़े। उसके बाद आप (ﷺ) कभी नंगे नहीं देखे गये।

(दीगर मक़ाम : 1582, 3829)

٣٦٤- حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ. قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ. [طرفاه في : ١٥٨٢، ٣٨٢٩].

तशरीह : अल्लाह तआला ने आपको बचपन ही से बेशर्मी और तमाम क़िस्म की बुराइयों से बचाया था। आप (ﷺ) के गिजाजे अकदस में कुंआरी औरतों से भी ज़्यादा शर्म थी। ह़ज़रत जाबिर (रह.) ने हुजूर (ﷺ) से ये वाकिआ सुना और नकल किया। एक रिवायत में ये भी है कि एक फरिश्ता उतरा और उसने फौरन आपका तहबन्द बान्ध दिया। (इर्शादुस्सारी)

ईमान के बाद सबसे बड़ा फरीजा सतरपोशी का है जो नमाज़ के लिये एक ज़रूरी शर्त है। मियां-बीवी का एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो जाना अमरे दीगर (अलग काम) है।

बाब 9 : क़मीस़ और पाजामा और जांघिया और क़बा (चोग़ा) पहनकर नमाज़ पढ़ने के बयान में

٩- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ

(365) हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब के वास्ते से, उन्होंने मुह़म्मद से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि एक शख़्स़ नबी (ﷺ) के सामने खड़ा हुआ और उसने एक कपड़ा पहनकर नमाज़

٣٦٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى

पढ़ने के बारे में सवाल किया। आपने फ़र्माया कि क्या तुम सब ही लोगों के पास दो कपड़े हो सकते हैं? फिर (यही मसला) हज़रत उमर (रज़ि.) से एक शख़्स ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह तआला ने तुम्हें फ़राग़त दी है तो तुम भी फ़राग़त के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज़ में अपने कपड़े को इकट्ठा कर ले, कोई आदमी तहबंद और चादर में नमाज़ पढ़े, कोई तहबंद और क़मीस़, कोई तहबंद और क़बा में, कोई पाजामा और चादर में, कोई पाजामा और क़मीस़ में, कोई पाजामा और क़बा में, कोई जांघिया और क़बा में, कोई जांघिया और क़मीस़ में नमाज़ पढ़े। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जांघिया और चादर में नमाज़ पढ़े।

(राजेअ : 358)

النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: ((أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ)). ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا: جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيْلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ - فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.

[راجع: ٣٥٨]

तशरीह : इसमें हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को शक था कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये आख़िर का लफ़्ज़ कहा था या नहीं, क्योंकि महज़ जांघिया से सतरपोशी नहीं होती है। उस पर ऐसा कपड़ा हो जिससे सतरपोशी कामिल तौर पर ह़ासिल हो जाए तो जायज है और यहां यही मुराद है, फ़स्सत्रू बिही ह़ासिलुन मअल क़बा व मअल क़मीस़ (क़स्तलानी) चोग़ा या लम्बी कमीस पहन कर उसके साथ सतरपोशी हो जाती है।

(366) हमसे आसिम बिन अली ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने अबी ज़िब ने ज़ुहरी के ह़वाले से बयान किया, उन्होंने सालिम से, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक आदमी ने पूछा कि एहराम बाँधने वाले को क्या पहनना चाहिए। तो आपने फ़र्माया कि न क़मीस़ पहने न पाजामा, न बारान कोट और न ऐसा कपड़ा जिसमें जा'फ़रान लगा हुआ हो और न वर्स लगा हुआ कपड़ा, फिर अगर किसी शख़्स को जूतियाँ न मिलें (जिनमें पांव खुला रहता हो) वो मोज़े काटकर पहन ले ताकि वो टख़नों से नीचे हो जाएँ और इब्ने अबी ज़िब ने इस ह़दीष़ को नाफ़ेअ से भी रिवायत किया, उन्होंने ऐसा ही आँहज़रत (ﷺ) से भी रिवायत किया है।

(राजेअ : 134)

٣٦٦- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: ((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. [راجع: ١٣٤]

वर्स नामी एक पीले रंग वाली ख़ुश्बूदार घास यमन में होता थी जिससे कपड़े रंगे जाते थे। मुनासबत इस ह़दीष़ के बाब से ये है कि मुहरिम को एहराम की हालत में इन चीजों के पहनने से मना फर्माया मा'लूम हुआ कि एहराम के अलावा दीगर हालतों में इन सबको पहना जा सकता है। यहाँ तक कि नमाज़ में भी, यही बाब का तर्जुमा है। ह़ाफ़िज़ इब्ने हजर फर्माते हैं कि इस ह़दीष़ को यहां बयान करने से मक़सद ये है कि कमीस और पाजामे के बग़ैर भी (बशर्ते की सतरपोशी ह़ासिल हो) नमाज़ दुरूस्त है क्योंकि मुहरिम इनको नहीं पहन सकता और आख़िर वो नमाज़ जरूर पढ़ेगा।

बाब 10 : औरत (यानी सतर) का बयान जिसको ढांकना चाहिये

١٠- بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

٣٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) .

[أطرافه في : ١٩٩١، ٢١٤٤، ٢١٤٧، ٥٨٢٠، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤].

(367) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लैस़ ने इब्ने शिहाब से बयान किया, उन्होंने उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा से, उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी से कि नबी करीम (ﷺ) ने स़म्माअ की तरह कपड़ा बदन पर लपेट लेने से मना किया और इससे भी मना फ़र्माया कि आदमी एक कपड़े में एह़तिबाअ करे और उसकी शर्मगाह पर अलग से कोई दूसरा कपड़ा न हो।

(दीगर मक़ाम : 1991, 2144, 2147, 5820, 5822, 6284)

तश्रीह : एह़तबा का मतलब ये कि उकड़ू बैठकर पिण्डलियों और पीठ को किसी कपड़े से बाँध लिया जाए। इसके बाद कोई कपड़ा ओढ़ लिया जाए। अ़रब अपनी मजलिसों में ऐसे भी बैठा करते थे। चूंकि इस सूरत में बे-पर्दा होने का अन्देशा था इसलिये इस्लाम ने इस तरह बैठने की मुमानअ़त कर दी।

इश्तिमाले स़म्माअ ये है कि कपड़े को लपेट ले और एक तरफ़ से उसको उठाकर कन्धे पर डाल ले। इसमें शर्मगाह खुल जाती है। इसलिये मना हुआ, एक कपड़े में गोट मारकर बैठना उसको कहते हैं कि दोनों सुरीन (कूल्हों) को ज़मीन से लगा दे और दोनों पिण्डलियां खड़ी कर दे, इसमें भी शर्मगाह के खुलने का ख़तरा है, इसलिये इस तरह बैठना भी मना हुआ।

٣٦٨- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.[أطرافه في: ٥٨٤، ٥٨٨، ١٩٩١، ١٩٩٢، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٥٨١٩، ٥٨٢١]

(368) हमसे क़ुबैसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, जो अबुज़्ज़िनाद से नक़ल करते हैं, वो अअ़रज से, वो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने दो तरह की ख़रीदो-फ़रोख़्त से मना किया। एक तो छूने की ख़रीद से, दूसरे फेंकने की ख़रीद से और इश्तिमाले स़म्माअ से (जिसका बयान ऊपर गुज़रा) और एक कपड़े में गोट मारकर बैठने से।

(दीगर मक़ाम : 584, 588, 1991, 1992, 2145, 2146, 5819, 5821)

तश्रीह : अ़रब में ख़रीद व फ़रोख़्त का एक तरीक़ा ये भी था कि खरीदने वाला अपनी आँख बन्द करके किसी चीज पर हाथ रख देता, दूसरा तरीक़ा ये है कि खुद बेचने वाला आँख बन्द करके कोई चीज खरीदने वाले की तरफ फैंक देता। इन दोनों सूरतों में मुकर्ररह कीमत पर ख़रीद व फरोख़्त हुआ करती थी। पहले को लिमास और दूसरेको नबाज कहा जाता था। ये दोनों सूरत इस्लाम में नाजायज़ करार दी गई और ये उसूल ठहराया गया कि ख़रीद व फरोख़्त में बेचने या खरीदने वाला न जानने की वजह से धोखा न खा जाए (यहां तक फर्माया कि धोखेबाजी से ख़रीद व फरोख़्त करने वाला हमारी उम्मत से नहीं है)

(369) हमसे इस्हाक़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे मेरे भाई इब्ने शिहाब ने अपने चचा के वास्ते से, उन्होंने कहा मुझे हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ ने ख़बर दी कि ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि इस हज्ज के मौक़े पर मुझे ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने यौमुन्नहर (ज़िलहिज्ज की दसवीं तारीख़) में ऐलान करने वालों के साथ भेजा ताकि हम मिना में इस बात का ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज्ज नहीं कर सकता और कोई शख़्स नंगा होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता। हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने कहा इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पीछे भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो सूरह बराअत पढ़कर सुना दे और उसके मज़ामीन का आ़म ऐलान कर दें। अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने हमारे साथ नह्र के दिन मिना में दसवीं तारीख़ को ये सुनाया कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक न हज्ज कर सकेगा और न बैतुल्लाह का तवाफ़ कोई शख़्स नंगे होकर कर सकेगा। (दीगर मक़ाम : 1622, 3177, 4363, 4655, 4656, 4657)

٣٦٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنِي أَبُوبَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ. قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

[أطرافه في : ١٦٢٢، ٣١٧٧، ٤٣٦٣، ٤٦٥٥، ٤٦٥٦، ٤٦٥٧].

बयान किये गये कामों की मुमानअ़त इसलिये कर दी गई थी क्योंकि बैतुल्लाह की खिदमत व हिफाजत अब मुसलमानों के हाथ में आ गई थी।

तश्रीह : जब नंगे होकर तवाफ करना मना हुआ तो सतरपोशी तवाफ में ज़रूर वाजिब होगी। इसी तरह नमाज़ में ऊपर बताए गये तरीके से सतरपोशी वाजिब होगी। सूरह तौबा के नाज़िल होने पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने काफ़िरों की आगाही के लिये पहले सय्यिदिना ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) को भेजा। फिर आपको ये ख़याल आया कि मुआहदा को तोड़ने का हक अ़रब के दस्तूर के मुताबिक उसी को है, जिसने खुद मुआहदा किया है या कोई उसके ख़ास घरवालों से होना चाहिए। इसलिये आपने पीछे से ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को भी रवाना फर्मा दिया। कुरैश मक्का की बदअहदी की आखरी मिषाल सुलह हुदैबिया थी। तय हुआ था कि एक तरफ मुसलमान और उनके हलीफ होंगे और दूसरी तरफ कुरैश और उनके हलीफ; मुसलमानों के साथ क़बीला ख़ुज़ाआ शरीक़ हुआ और कुरैश के साथ बनू बक्र। सुलह की बुनियादी शर्त ये थी कि दस बरस तक दोनों फरीक सुलह व अमन से रहेंगे। मगर अभी दो साल भी पूरे न हुए थे कि बनू बक्र ने ख़ुज़ाआ पर हमला कर दिया और कुरैश ने उनकी मदद की। बनू ख़ुज़ाआ ने का'बा में अल्लाह के नाम पर अमान मांगी। फिर भी वो बेदरेग कत्ल किए गए। सिर्फ चालीस आदमी बचकर मदीना पहुंचे और सारा हालज़ार पैगम्बरे इस्लाम (ﷺ) को सुनाया। अब मुआहिदा की रु से आपके लिये ज़रूरी हो गया कि कुरैश को उनकी बदअहदी की सजा दी जाए। चुनाँचे दस हज़ार मुसलमानों के साथ आप (ﷺ) ने कूच फर्माया और बगैर किसी ख़ूँरेजी के मक्का शरीफ फतह हो गया जिसके बाद नौ हिजरी में इस सूरह-ए-शरीफ की शुरूआती दस आयतें नाज़िल हुईं और आँह़ज़रत (ﷺ) ने पहले ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) को मुसलमानों का अमीर बनाकर भेजा। ये हज्जतुल विदा से पहले का वाकिआ है। बाद में फिर ह़ज़रत अली (रज़ि.) को मक्का शरीफ भेजा ताकि वो सूरह तौबा की इन आयात का खुलेआम ऐलान कर दें। ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के दिल में ज़रा–सा ख़याल पैदा हुआ कि कहीं हुजूर नबी करीम (ﷺ) मुझ से खफा तो नहीं हो गए जो बाद में ह़ज़रत अली (रज़ि.) का भी इसी मक़सद के लिये भेजना ज़रूरी

समझा। इस पर आपने उनको वाज़ेह फ़र्माया और बतलाया कि दस्तूरे अरब के तहत मुझको अली (रज़ि.) का भेजना ज़रूरी हुआ वरना आप मेरे यारे गार हैं बल्कि हौजे कौषर पर भी आप ही की दोस्ती रहेगी। रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन।

बाब 11 : इस बारे में कि बग़ैर चादर ओढ़े सिर्फ़ एक कपड़े मे लिपटकर नमाज़ पढ़ना भी जाइज़ है

١١– بَابُ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

(370) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ उवैसी ने बयान किया, कहा मुझसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अबिल मवाली ने मुहम्मद बिन मुंकदिर से, कहा मैं जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अंसारी की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। वो एक कपड़ा अपने बदन पर लपेटे हुए नमाज़ पढ़ रहे थे, हालाँकि उनकी चादर अलग रखी हुई थी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हमने कहा ऐ अबू अ़ब्दुल्लाह! आपकी चादर रखी हुई है और आप (उसे ओढ़े बग़ैर) नमाज़ पढ़ रहे हैं। उन्होंने फ़र्माया, मैंने चाहा कि तुम जैसे जाहिल लोग मुझे इस तरह नमाज़ पढ़ते देख लें, मैंने भी नबी करीम (ﷺ) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा था।

(राजेअ़ : 352)

٣٧٠– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاءُهُ مَوْضُوعٌ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ. رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي كَذَا.

[راجع: ٣٥٢]

बाब 12 : रान के बारे में जो रिवायतें आई हैं

١٢– بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

हज़रत इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह (बुख़ारी) ने कहा कि इब्ने अ़ब्बास, जरहद और मुहम्मद बिन जहश ने नबी करीम (ﷺ) से ये नक़ल किया कि रान शर्मगाह है। अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने (जंगे ख़ैबर में) अपनी रान खोली। अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं कि अनस (रज़ि.) की ह़दीष सनद के ए'तिबार से ज़्यादा स़ह़ीह़ है और जर्हद की ह़दीष में बहुत एह़तियात मल्ह़ूज़ है। इस तरह हम इस बारे में उ़लमा के बाहमी इख़्तिलाफ़ से बच जाते हैं।

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((الْفَخِذُ عَوْرَةٌ)) وَقَالَ أَنَسٌ: حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخِذِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ، حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلاَفِهِمْ.

क्योंकि अगर रान बिल फ़र्ज़ सतर नहीं तब भी उसके छुपाने में कोई बुराई नहीं।

और अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) ने कहा कि उ़ष्मान (रज़ि.) आए तो नबी करीम (ﷺ) ने अपने घुटने ढांक लिये और ज़ैद बिन षाबित ने कहा कि अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल (ﷺ) पर एक बार वह्य नाज़िल फ़र्माई। उस समय आप (ﷺ) की राने मुबारक मेरी रान पर थी, आपकी रान इतनी भारी हो गई थी कि मुझे अपनी रान की हड्डी टूटने का डर पैदा हो गया।

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِي.

तश्रीह : हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह.) और हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) वग़ैरह के नजदीक रान शर्मगाह में दाख़िल है, इसलिये उसका छुपाना वाजिब है और इब्ने अबी ज़ाइब (रह.) और इमाम दाऊद जाहिरी (रह.) और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक रान शर्मगाह में दाख़िल नहीं है। मुहल्ला में इमाम इब्ने हज्म (रह.) ने कहा कि अगर रान शर्मगाह में दाख़िल होती तो अल्लाह पाक अपने रसूल (ﷺ) की जो मासूम और पाक थे, रान न खोलता न कोई उसको देख लेता। इमाम बुख़ारी (रह.) का रुझान भी इसी तरफ़ मा'लूम होता है, बाब के तहत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास का जिस ह़दीष़ का ज़िक्र इमाम बुख़ारी लाए हैं, उसको तिर्मिजी और अहमद ने रिवायत किया है और जरहद की ह़दीष़ को इमाम मालिक ने मोअत्ता में और मुहम्मद बिन जहश की ह़दीष़ को हाकिम ने मुस्तदरक में और इमाम बुख़ारी ने तारीख में निकाला है। मगर उन सबकी सनदों में कलाम है। हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत यहां इमाम बुख़ारी (रह.) खुद लाए हैं और आपका फ़ैसला एहतियातन रान ढांकने का है, वुज़ूबन नहीं। आपने मुख़्तलिफ़ रिवायत में ततबीक देने के लिये ये दर्मियानी रास्ता इख्तियार फर्माया है जो आपकी कमाले दानाई की दलील है, ऐसे फुरूई इख्तिलाफात मे दर्मियानी रास्ते तलाश किए जा सकते हैं मगर उलमा के दिलों में वुसअ़त की ज़रूरत है, अल्लाह पैदा करे।

इमाम शौकानी (रह.) ने कहा कि रान का शर्मगाह में दाख़िल होना सही है और दलाएल से ष़ाबित है, मगर नाफ और घुटना सतर में दाख़िल नहीं है। आपकी तकरीर ये है– **'क़ालन्नववी ज़हब अक्ष़रुल उलमाइ इला अन्नलफ़ख़िज औरतुन व अन अहमद व मालिक फ़ी रिवायतिल औरति अलकुबुल वद्दुबुरु फ़क़त व बिही क़ाल अहलुज़्ज़ाहिरि वब्नु जरीरिन वल अस्तख़री वल्हक़्क़ु अन्नल फ़ख़िज़ औरतुन'** (नैलुल औतार जिल्द 2 पेज 62) यानी बेशतर उलमा बकौले इमाम नववी (रह.) इसी के क़ाइल है कि रान भी शर्मगाह में दाख़िल है और इमाम अहमद व इमाम मालिक की रिवायत में सिर्फ़ कुबुल और दुबुर ही शर्मगाह है, रान शर्मगाह में दाख़िल नहीं है। अहले जाहिर और इब्ने जरीर और अस्तखरी वग़ैरह का यही मसलक है। मगर हक ये है कि रान भी शर्मगाह में दाख़िल है, **'व क़द तुक़ुर्रिर फिल उसूलि अन्नल क़ौल अर्जहु मिनल फ़िअ़लि'** (नैलुल औतार) यानी उसूल में ये मुक़र्रर हो चुका है कि जहाँ क़ौल और फ़ेअ़ल में ज़ाहिरी तज़ाद नज़र आए वहाँ क़ौल को तरजीह दी जाएगी। पस अनेक रिवायतों में आप (ﷺ) का इर्शाद, **'अल फ़ख़्ज़ु औरतुन'** (यानी रान भी शर्मगाह में दाख़िल है) वारिद है। रहा आपका फ़ेअ़ल तो हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं –**'अर्राबिउ ग़ायतुन मा फी हाजिहिल वाकिअति अंय्यकून ज़ालिक ख़ास्सन बिन्नबिय्यि (ﷺ) अल अख़'** यानी चौथी तावील ये भी की गई है कि इस वाक़िये की ग़ायत ये भी हो सकती है कि ये आँह़ज़रत (ﷺ) की खुसूसियाते तख़्यिबात में से हो।

हज़रत जैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) जिनका ज़िक्र यहां आया है, ये अन्सारी है जो आँहज़रत (ﷺ) की तरफ से कुर्आन की वह्य लिखने पर मामूर (नियुक्त) थे और हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) के ज़माने में कुर्आन जमा करने का शर्फ़ (श्रेय) उनको ह़ासिल हुआ। आँहज़रत (ﷺ) के इर्शाद पर उन्होंने कुतुबे यहूद और सिरयानी ज़बान का इल्म ह़ासिल कर लिया था और अपने इल्म व फज्ल के लिहाज से ये स़ह़ाबा में नुमायाँ मक़ाम रखते थे।

रिवायत में उम्महातुल मोमिनीन में से एक मुहतरमा खातून सफिया बिन्ते हुई का ज़िक्र आया है, जो एक यहूदी सरदार की साहबज़ादी थी। ये जंगे ख़ैबर में जब लौण्डी बनकर गिरफ्तार हुई तो आँहज़रत (ﷺ) ने उनके एहतराम के पेशेनजर उनको आज़ाद कर दिया और उनकी इजाज़त से आपने उनको अपने हरमे मुहतरम में दाख़िल फर्मा लिया। खैबर से रवाना होकर मक़ामे सहबा पर रस्मे उ़रूसी (शादी की रस्म) अदा की गई और जो कुछ लोगों के पास खाने का सामान था, उसको जमा करके दावते वलीमा की गई। खाने में सिर्फ़ पनीर, छुहारे और घी का मलीदा था। हज़रत सफिय्या (रज़ि.) सब्र व तहम्मुल और अखलाके हसना में मुमताज़ मक़ाम रखती थी, हुजूर (ﷺ) भी उनसे बेहद मुहब्बत फर्माते थे। साठ साल की उ़म्र में रमजान 50 हिजरी में आपकी वफात हुई। रज़िअल्लाहु अन्हा।

(371) हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन अ़लिया ने कि कहा हमें अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब

٣٧١– حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا

ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करके कि नबी करीम (ﷺ) ग़ज़्व–ए–ख़ैबर में तशरीफ़ ले गये। हमने वहाँ फ़ज्र की नमाज़ अँधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी करीम (ﷺ) सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए। मैं अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। नबी (ﷺ) ने अपनी सवारी का रुख़ ख़ैबर की गलियों की तरफ़ कर दिया। मेरा घुटना नबी करीम (ﷺ) की रान से छू जाता था। फिर नबी करीम (ﷺ) ने अपनी रान से तहबंद हटाया। यहाँ तक कि मैं नबी करीम (ﷺ) की शफ़्फ़ाफ़ और सफ़ेद रानों की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। जब आप ख़ैबर की बस्ती में दाख़िल हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ख़ैबर बर्बाद हो गया, जब हम किसी क़ौम के आंगन में उतर जाएँ तो डराये हुए लोगों की सुबह मनहूस हो जाती है। आपने ये तीन बार फ़र्माया, अनस ने कहा कि ख़ैबर के यहूदी लोग अपने कामों के लिये बाहर निकले ही थे कि वो चिल्ला उठे मुहम्मद (ﷺ) आ पहुँचे और अब्दुल अज़ीज़ रावी कहते हैं कि कुछ हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत करने वाले हमारे साथियों ने 'वल् ख़मीस' का लफ़्ज़ भी नक़ल किया है (यानी वो चिल्ला उठे कि मुहम्मद ﷺ लश्कर लेकर पहुँच गए) पस हमने ख़ैबर लड़कर फ़तह कर लिया और क़ैदी जमा किये गए। फिर दहिया (रज़ि.) आए और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ैदियों में से कोई बांदी मुझे इनायत कीजिए, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जाओ बांदी ले लो। उन्होंने सफ़िया बिन्ते हुय्यी को ले लिया। फिर एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत मे हाज़िर हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! सफ़िया जो क़ुरैज़ा और नज़ीर के सरदार की बेटी हैं, उन्हें आपने दहिया को दे दिया। वो तो सिर्फ़ आप ही के लिये मुनासिब थीं। इस पर आपने फ़र्माया कि दहिया को सफ़िया के साथ बुलाओ, वो लाये गए। जब नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें देखा तो कहा कि क़ैदियों में से कोई और बांदी ले लो। रावी ने कहा कि फिर नबी करीम (ﷺ) ने सफ़िया को आज़ाद कर दिया और उन्हें अपने निकाह में ले लिया। ष़ाबित बिनानी ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि अबू हम्ज़ा! उनका मेहर आँहुज़ूर (ﷺ) ने क्या रखा था? हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ख़ुद उन्हीं की आज़ादी उनका महर था और उसी पर आपने निकाह किया। फिर रास्ते में उम्मे सुलैम (रज़ि. हज़रत अनस रज़ि. की वालिदा) ने

عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيْفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ. ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ)). قَالَهَا ثَلاَثًا. قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ؟ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ. قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ. فَقَالَ: ((اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً)). فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ، لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ. قَالَ: ((ادْعُوهُ بِهَا)). فَجَاءَ بِهَا. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا)). قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ

उन्हें दुल्हन बनाया और नबी करीम (ﷺ) के पास रात के समय भेजा। अब नबी करीम (ﷺ) दूल्हा थे, इसलिये आपने फ़र्माया कि जिसके पास भी कुछ खाने की चीज़ हो तो यहाँ लाए। आपने एक चमड़े का दस्तरख़्वान बिछाया। कुछ सहाबा खजूर लाए, कुछ घी। अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मेरा ख़्याल है हज़रत अनस (रज़ि.) ने सत्तू का भी ज़िक्र किया। फिर लोगों ने उनका हलवा बना लिया, ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का वलीमा था।

(दीगर मक़ाम : 610, 947, 2228, 2235, 2889, 2893, 2943, 2944, 2945, 2991, 3085, 3086, 3367, 3647, 4083, 4084, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4211, 4212, 4213, 5085, 5159, 5169, 5387, 5425, 5528, 5968, 6185, 6363, 6369, 7333)

فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيءْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ. قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[أطرافه في: ٦١٠، ٩٤٧، ٢٢٢٨، ٢٢٣٥، ٢٨٨٩، ٢٨٩٣، ٢٩٤٣، ٢٩٤٤، ٢٩٤٥، ٢٩٩١، ٣٠٨٥، ٣٠٨٦، ٣٣٦٧، ٣٦٤٧، ٤٠٨٣، ٤٠٨٤، ٤١٩٧، ٤١٩٨، ٤١٩٩، ٤٢٠٠، ٤٢٠١، ٤٢١١، ٤٢١٢، ٤٢١٣، ٥٠٨٥، ٥١٥٩، ٥١٦٩، ٥٣٨٧، ٥٤٢٥، ٥٥٢٨، ٥٩٦٨، ٦١٨٥، ٦٣٦٣، ٦٣٦٩، ٧٣٣٣].

बाब 13 : औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े

١٣- بَابُ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ

और इकरमा ने कहा अगर औरत अपना सारा जिस्म एक ही कपड़े से ढांप ले तो भी नमाज़ दुरुस्त है।

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ جَازَ.

(372) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते और आप (ﷺ) के साथ नमाज़ में कई मुसलमान औरतें अपनी चादरें ओढ़े हुए शरीके नमाज़ होतीं। फिर अपने घरों को वापस चली जाती थीं। उस समय उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था।

(दीगर मक़ाम : 578, 867, 872)

٣٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

[أطرافه في: ٥٧٨، ٨٦٧، ٨٧٢].

इस हदीष़ से बाब का मतलब यूँ निकला कि ज़ाहिर में वो औरतें एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ती थी। ष़ाबित हुआ कि एक कपड़े से अगर औरत अपना सारा बदन छुपा ले तो नमाज़ दुरुस्त है। मक़सद पर्दा है वो जिस तौर पर मुकम्मल हासिल हो, सही है। कितनी ही गरीब औरतें हैं जिनको बहुत मुख़्तसर (कम) कपड़े मयस्सर होते हैं, इस्लाम में उन सबका लिहाज़ रखा गया है।

बाब 14 : हाशिया (बेल) लगे हुए कपड़ों में नमाज़ पढ़ना व उसके नक़्शो–निगार को देखना

١٤ – بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلاَمٌ، وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

(373) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इब्राहीम बिन सअद ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने एक चादर में नमाज़ पढ़ी। जिसमें नक़्श व निगार (बेल–बूटे) थे। आप (ﷺ) ने उन्हें एक बार देखा। फिर जब नमाज़ पढ़ चुके तो फ़र्माया मेरी ये चादर अबू जहम (आमिर बिन हुज़ैफ़ा) के पास ले जाओ और उनकी अंबजानिया वाली चादर ले आओ, क्योंकि इस चादर ने अभी नमाज़ से मुझको ग़ाफ़िल कर दिया। और हिशाम बिन उर्वा ने अपने वालिद से रिवायत की, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मैं नमाज़ में उसके नक़्शो–निगार को देख रहा था, पस मैं डरा कि कहीं ये मुझे ग़ाफ़िल न कर दे।

(दीगर मक़ाम : 752, 5817)

٣٧٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي)) . وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ فَأَخَافُ أَنْ يَفْتِنَنِي)). [طرفاه في : ٧٥٢، ٥٨١٧].

तश्रीह : हज़रत आमिर बिन हुज़ैफा सहाबी अबू जहम ने ये नक्श व निगार वाली चादर आपको तोहफ़े में पेश की थी। आपने उसे वापस कर दिया और सादा चादर उनसे मंगा ली ताकि उनको रंज न हो कि हुज़ूर (ﷺ) ने मेरा तोहफा वापस कर दिया। मा'लूम हुआ कि जो चीज नमाज़ के अन्दर खलल का सबब बन सके उसको अलेहदा करना (या हटा देना) ही अच्छा है। हिशाम बिन उर्वा की तअलीक को इमाम अहमद और इब्ने अबी शैबा और मुस्लिम और अबू दाऊद ने निकाला है।

बाब 15 : ऐसे कपड़े में अगर किसी ने नमाज़ पढ़ी जिस पर सलीब या मूर्ति बनी हो तो नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं और उसकी मुमानअत का बयान

١٥ – بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

(374) हमसे अबू मअमर ने अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) ने बयान किया कि कहा हमसे अब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने अनस (रज़ि.) से नक़ल किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास एक रंगीन बारीक पर्दा था जिसे उन्होंने अपने घर के एक तरफ़ पर्दा के लिये लटका दिया था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे सामने से

٣٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمِيطِي عَنَّا

قِرامَكِ هٰذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي)) .[طرفه في : ٥٩٥٩].

अपना ये पर्दा हटा दो क्योंकि इस पर नक़्शशुदा तस्वीरें बराबर मेरी नमाज़ में ख़लल-अंदाज़ होती रही है। (दीगर मक़ाम : 5959)

तश्रीह : गोया इस हदीष़ में सलीब का ज़िक्र नहीं है मगर इसका हुक्म भी वही है जो तस्वीर का हे और जब लटकाने से आपने मना फर्माया तो यक़ीनन ऐसे कपड़ों का पहनना मना होगा और शायद हज़रत इमाम ने किताबुल लिबास वाली हदीष़ की तरफ इशारा फर्माया है जिसमें ज़िक्र है कि आप अपने घर में कोई ऐसी चीज न छोड़ते जिस पर सलीब बनी होती, उसको तोड़ दिया करते थे और बाब की हदीष़ से ये मसला ष़ाबित हुआ कि ऐसे कपड़े पहनना या लटकाना मना है लेकिन अगर किसी ने इत्तिफाक़न पहन लिया तो नमाज़ फासिद न होगी क्योंकि आपने उस नमाज़ को दोबारा नहीं लौटाया।

١٦ – بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

बाब 16 : जिसने रेशम के कोट में नमाज़ पढ़ी फिर उसे उतार दिया

٣٧٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ : ((لاَ يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ)) . [طرفه في : ٥٨٠١].

(375) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने यज़ीद बिन हबीब से बयान किया, उन्होंने अबुल ख़ैर मर्षद से, उन्होंने उ़क़्बा बिन आमिर से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) को एक रेशम की क़बा तोहफ़े में दी गई। उसे आपने पहना और नमाज़ पढ़ी लेकिन जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो बड़ी तेज़ी के साथ उसे उतार दिया। गोया आप उसे पहनकर नागवारी महसूस कर रहे थे। फिर आपने फ़र्माया कि ये परहेज़गारों के लायक़ नहीं है।

(दीगर मक़ाम : 8501)

तश्रीह : सहीह मुस्लिम की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि हज़रत जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम ने मुझको इसके पहनने से मना फर्मा दिया। ये कोट आपने उस वक़्त पहना होगा जब तक मर्दों को रेशमी कपड़े की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। बाद में आपने सोना और रेशम के लिये ऐलान फर्मा दिया कि ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों के लिये हराम है।

١٧ – بَابُ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

बाब 17 : सुर्ख़ रंग के कपड़े में नमाज़ पढ़ना

٣٧٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ

(376) हमसे मुहम्मद बिन अ़रअ़रह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने अबी ज़ाइद ने बयान किया औन बिन अबी हुजैफ़ा से, उन्होंने अपने वालिद अबू जुहैफ़ा वहब बिन अ़ब्दुल्लाह से कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एक सुर्ख़ चमड़े के ख़ेमे में देखा और मैंने ये भी देखा कि बिलाल (रज़ि.) आँहुज़ूर (ﷺ) को वुज़ू करा रहे हैं और हर शख़्स आपके वुज़ू का पानी हासिल करने के लिये एक–दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को

थोड़ा सा पानी मिल जाता तो वो उसे अपने ऊपर मल लेता और अगर कोई पानी न पा सकता तो अपने साथी के हाथों की तरी ही हासिल करने की कोशिश करता। फिर मैंने बिलाल (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने अपनी एक बर्छी उठाई जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ था और उसे उन्होंने गाड़ दिया। नबी करीम (ﷺ) (डेरे में से) एक सुर्ख़ पोशाक पहने हुए तहबंद उठाए हुए बाहर तशरीफ़ लाए और बर्छी की तरफ़ मुँह करके लोगों को दो रकअत नमाज़ पढ़ाई, मैंने देखा कि आदमी और जानवर बर्छी के परे से गुज़र रहे थे।

(राजेअ : 187)

أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنَزَةً لَهُ فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ.

[راجع: ١٨٧]

तश्रीह : इमाम इब्ने कय्यिम (रह.) ने कहा है कि आपका ये जोड़ा उतना सुर्ख़ (लाल) न था बल्कि उसमें सुर्ख़ और काली धारिया थी। सुर्ख़ रंग के मुता'ल्लिक़ हाफ़िज़ इब्ने हजर ने सात मजहब बयान किए हैं और कहा है कि सही ये है कि काफ़िरों या औरतों की मुशाबहत की निय्यत से मर्द को सुर्ख़ रंग वाले कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं है और कसम में रंगा हुआ कपड़ा मर्दों के लिये बिल इत्तिफाक नाजाइज़ है। इसी तरह लाल जीन-पोशों का इस्ते'माल जिसकी मुमानअत में साफ़ हदीष मौजूद है।

डेरे से निकलते वक़्त आपकी पिण्डलियां खुली हुई थी। सहीह मुस्लिम की रिवायत है, गोया मैं आपकी पिण्डलियों की सुफेदी देख रहा हूं इससे ये भी मा'लूम हुआ कि सुतरा के बाहर से कोई आदमी नमाज़ के आगे से निकले तो कोई गुनाह नहीं और न (इससे) नमाज़ में खलल होता है।

बाब 18 : छत और मिम्बर और लकड़ी पर नमाज़ के बारे में

١٨- بَابُ الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

हज़रत अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) ने फ़र्माया कि हज़रत इमाम हसन बसरी बर्फ़ पर और पुलों पर नमाज़ पढ़ने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं समझते थे। ख़्वाह उसके नीचे, ऊपर, सामने पेशाब ही क्यों न बह रहा हो बशर्ते कि नमाज़ी और उसके बीच में कोई आड़ हो और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने मस्जिद की छत पर खड़े होकर इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी (और वो नीचे था) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बर्फ़ पर नमाज़ पढ़ी।

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. وَصَلَّى أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ.

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत इमाम बुख़ारी क़ुद्दस सिर्रुहू ने इशारा फर्माया है कि इन सूरतों में नमाज़ दुरुस्त है और ये भी बतलाया है कि नजासत का दूर करना जो नमाज़ी पर फ़र्ज़ है उससे ये गर्ज है कि नमाज़ी के बदन या कपड़े से नजासत न लगे। अगर दर्मियान में कोई चीज हाएल हो, जैसे–लोहे का बम्बा हो या ऐसा कोई नल हो जिसके अन्दर नजासत बह रही हो और उसके ऊपर की सतह पर जहां नजासत का कोई अषर नहीं है, वहाँ कोई नमाज़ पढ़े तो ये दुरुस्त है। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) वाले अषर को इब्ने अबी शैबा और सईद बिन मन्सूर ने निकाला है।

(377) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया,

٣٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैयना ने बयान किया, कहा हमसे अबू ह़ाज़िम सलमा बिन दीनार ने बयान किया। कहा कि लोगों ने सहल बिन सअ़्द साएदी से पूछा कि मिम्बरे रसूल (ﷺ) किस चीज़ का था। आपने फ़र्माया कि अब (दुनिय-ए-इस्लाम में) उसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई बाक़ी नहीं रहा है। मिम्बर ग़ाबा के झाव से बना हुआ था। फ़लाँ औरत के गुलाम फ़लाँ ने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये बनाया था। जब वो तैयार करके (मस्जिद में) रखा गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस पर खड़े हुए और आपने क़िब्ला की तरफ़ अपना मुँह किया और तक्बीर कही और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। फिर आपने क़ुर्आन मजीद की आयतें पढ़ीं और रुकूअ़ किया। आपके पीछे तमाम लोग भी रुकूअ़ में चले गए। फिर आपने अपना सर उठाया। फिर उसी ह़ालत में आप उलटे पांव पीछे हटे। फिर ज़मीन पर सज्दा किया। फिर मिम्बर पर दोबारा तशरीफ़ लाए और क़िरअते रुकूअ़ की, फिर रुकूअ़ से सर उठाया और क़िब्ला ही की तरफ़ रुख़ किये हुए पीछे लौटे और ज़मीन पर सज्दा किया। ये है मिम्बर का क़िस्सा। इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने कहा कि मुझसे इमाम अह़मद बिन ह़ंबल ने इस ह़दीष़ को पूछा। अ़ली ने कहा कि मेरा मक़्सद ये है कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ में लोगों से ऊँचे मुक़ाम पर खड़े होते थे इसलिये इसमें कोई ह़र्ज न होना चाहिए कि इमाम मुक़्तदियों से ऊँची जगह पर खड़ा हो। अ़ली बिन मदीनी कहते हैं कि मैंने इमाम अह़मद बिन ह़ंबल से कहा कि सुफ़यान बिन उ़यैयना से ये ह़दीष़ अक्सर पूछी जाती थी, आपने भी ये ह़दीष़ उनसे सुनी है तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं।

(दीगर मक़ाम : 448, 917, 2094, 2569)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، قَالَ : فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُوْنَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيْرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ.

[أطرافه في : ٤٤٨، ٩١٧، ٢٠٩٤، ٢٥٦٩].

तश्रीह : ग़ाबा मदीना के क़रीब एक गांव था। जहां झाव के दरख़्त बहुत उम्दा हुआ करते थे। इसी से आपके लिये मिम्बर बनाया गया था। ह़दीष़ से ष़ाबित हुआ कि मुक़्तदियों से ऊंची जगह पर खड़ा हो सकता है और ये भी निकला कि इतना हटना या आगे बढ़ना नमाज़ को नहीं तोड़ता। ख़त्ताबी ने कहा कि आपका मिम्बर तीन सीढ़ियों का था। आप दूसरी सीढ़ी पर खड़े होंगे तो उतरने में सिर्फ़ दो क़दम हुए। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) ने जब ये ह़दीष़ अ़ली बिन मदीनी से सुनी तो अपना मस्लक यही क़रार दिया कि इमाम मुक़्तदियों से बुलन्द खड़ा हो तो इसमें कुछ कबाहत नहीं— सुनने की नफ़ी से मुराद थे कि पूरी रिवायत नहीं सुनी। इमाम अह़मद ने अपनी सनद से सुफ़यान से ये ह़दीष़ नक़ल की है उसमें सिर्फ़ इतना ही ज़िक्र है कि मिम्बर ग़ाबा के झाव का बनाया गया था।

हनाफ़िया के यहां भी इस सूरत में इक़्तिदा सही है बशर्ते कि मुक़्तदी अपने इमाम के रुकू और सज्दा को किसी ज़रिये

से जान सके उसके लिये इसकी भी ज़रूरत नहीं कि छत में कोई सुराख हो। (तफ्हीमुल बारी, जि. दोम/स.77)

(378) हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन हारून ने, कहा हमको हुमैद तवील ने ख़बर दी अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) (5 हिज्री में) अपने घोड़े से गिर गए थे। जिससे आपकी पिण्डली या कँधा ज़ख़्मी हो गया था और आपने एक महीने तक अपनी बीवियों के पास न जाने की क़सम खाई। आप अपने बालाख़ाने पर बैठ गए। जिसके ज़ीने खजूर के तनों से बनाए गए थे। स़हाबा (रज़ि.) मिज़ाज़पुर्सी के लिये आए। आपने उन्हें बैठकर नमाज़ पढ़ाई और वो खड़े थे। जब आपने सलाम फेरा तो फ़र्माया कि इमाम इसलिये है कि उसकी पैरवी की जाए। पस जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो और जब वो रुकूअ़ में जाए तो तुम भी रुकूअ़ में जाओ और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो। और अगर खड़े होकर तुम्हें नमाज़ पढ़ाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। और आप 29 दिन बाद नीचे तशरीफ़ लाए, तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने तो एक महीने के लिये क़सम खाई थी। आपने फ़र्माया कि ये महीना 29 दिन का है।

(दीगर मक़ाम : 689, 732, 733, 805, 1114, 1911, 2469, 5201, 5279, 6684)

٣٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ - أَوْ كَتِفُهُ - وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا)). وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ، فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ)).

[أطرافه في : ٦٨٩، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥، ١١١٤، ١٩١١، ٢٤٦٩، ٥٢٠١، ٥٢٨٩، ٦٦٨٤].

तश्रीह : 5 हिजरी में आप इत्तिफाकन घोड़े से गिर गए थे और एक मौक़े पर आपने अजवाजे मुतहहरात से एक महीने के लिये 9 हिजरी में अलग रहने की क़सम खा ली थी। इन दोनों मौक़ों पर आपने बालाखाने में क़ियाम फर्माया था। ज़ख़्मी होने को हालत में इसलिये कि स़ह़ाबा को इयादत में आसानी हो और अजवाजे मुतहहरात से जब आपने मिलना जुलना तर्क किया तो इस ख्याल से कि पूरी तरह उनसे अलैहदगी रहे। बहरहाल उन दोनों वाक़िआत के सन व तारीख अलग–अलग है लेकिन रावी इस ख़याल से कि दोनों मर्तबा आपने बालाखाना पर कियाम फर्माया था। उन्हें एक साथ ज़िक्र कर देते हैं। बाज रिवायत में ये भी है कि इमाम अगर बैठकर नमाज़ पढ़ें तो तुम भी बैठकर पढ़ो-- क़स्तलानी फर्माते है– **'वस्स़ह़ीहु अन्नहू मन्सूख़ुन बिस़लातिहिम फी आख़िरि उम्रिही अलैहिस्सलात वस्सलाम क़ियामन ख़ल्फ़ुहू व हुव क़ाइदुन'** यानी स़ह़ीह़ ये है कि ये मन्सूख है इसलिये कि आखिरी उमर में (आँहज़रत ﷺ) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई और स़ह़ाबा (रज़ि.) आपके पीछे खड़े हुए थे।

बाब 19 : जब सज्दे में आदमी का कपड़ा उसकी औरत से लग जाए तो क्या हुक्म है?

١٩- بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

(379) हमसे मुसद्दद ने बयान किया ख़ालिद से, कहा कि हमसे सुलैमान शैबानी ने बयान किया अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद से, उन्होंने हज़रत मैमूना (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ते और हाइज़ा होने के बावजूद में उनके सामने होती, अकष़र जब आप सज्दा करते तो आपका कपड़ा मुझसे छू जाता था। उन्होंने कहा कि आप (खजूर के पत्तों से बने हुए एक छोटे से) मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ते थे। (राजेअ़ : 333)

٣٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. [راجع: ٣٣٣]

बाब 20 : बोरिये पर नमाज़ पढ़ने का बयान

٢٠- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

और जाबिर और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और इमाम हसन बस़री (रह.) ने कहा कि कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ जब तक कि उससे तेरे साथियों को तक्लीफ़ न हो और कश्ती के रुख़ के साथ तू भी घूमता जा वरना बैठकर नमाज़ पढ़।

وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيْدٍ فِي السَّفِيْنَةِ قَائِمًا. وَقَالَ الْحَسَنُ : يُصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا، وَإِلاَّ فَقَاعِدًا.

तश्रीह : हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह के अष़र को अबी शैबा ने रिवायत किया है। उसमें ये भी है कि कश्ती चलती रहती और हम नमाज़ पढ़ते रहते, हालांकि हम चाहते तो कश्ती का लंगर डाल सकते थे। इमाम हसन बसरी वाले अष़र को इब्ने अबी शैबा ने और इमाम बुख़ारी ने तारीख में रिवायत किया है। कश्ती के साथ घूमने का मतलब ये है कि नमाज़ शुरू करने के वक़्त क़िबला की तरफ मुंह कर लो, फिर जिधर कश्ती घूमे कुछ हर्ज़ नहीं, नमाज़ पढ़ते रहो। गोया किब्ला रुख बाकी न रहे, इमाम बुख़ारी ये अष़र इसलिये लाये हैं कि कश्ती भी ज़मीन नहीं है जैसा बोरिया ज़मीन नहीं है और उस पर नमाज़ दुरुस्त है, **'जव्वज अबू हनीफ़तस्स़लात फ़िस्सफ़ीनति क़ाइदन मअ़ल क़ुदरति अ़लल क़ियामि'** (क़स्तलानी) यानी हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह.) ने कश्ती में बैठकर नमाज़ पढ़ने को जाइज़ क़रार दिया है अगरचे खड़े होने की क़ुदरत भी हो। (ये बाब मुनअ़क़िद करने से इमाम बुख़ारी रह. का मक़सद उन लोगों की तर्दीद करना है कि जो मिट्टी के सिवा और किसी भी चीज पर सज्दा जाइज़ नहीं जानते)

(380) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, कि उनकी नानी मुलैका ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खाना तैयार करके खाने के लिये बुलाया। आपने खाने के बाद फ़र्माया कि आओ तुम्हें नमाज़ पढ़ा दूँ। अनस (रज़ि.) ने कहा कि मैंने अपने घर से एक बोरिया उठाया जो ज़्यादा इस्ते'माल करने से काला हो गया था। मैंने उस पर पानी छिड़का। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये (उसी बोरिये पर) खड़े हुए और मैं और एक यतीम (कि रसूलुल्लाह ﷺ के गुलाम अबू ज़मीरा के लड़के ज़मीरा) आपके पीछे स़फ़ बाँधकर खड़े हो गए और बूढ़ी औरत (अनस रज़ि. की

٣٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: ((قُوْمُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ)). قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيْمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

नानी मुलैका) हमारे पीछे खड़ी हुईं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई और वापस घर तशरीफ़ ले गए। (दीगर मक़ाम : 727, 860, 871, 874, 1164)

رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
[أطرافه في : ٧٢٧، ٨٦٠، ٨٧١، ٨٧٤، ١١٦٤].

तश्रीह : बाज़ लोगों ने मुलैका को हज़रत अनस की दादी बतलाया है। मुलैका बिन्ते मालिक बिन अदी अनस की मां की वालिदा है। अनस की मां का नाम उम्मे सुलैम और उनकी मां का नाम मुलैका है, **'वज़िज़्ज़मीरु फ़ी जद्दतिही यऊदु अ़ला अनसिन नफ़्सिही व बिही जज़म इब्नु सअ़द'** (क़स्तलानी) यहां भी हज़रत इमाम उन लोगों की तर्दीद कर रहे हैं जो सज्दा के लिये सिर्फ़ मिट्टी ही को बतौरे शर्त ख़्याल करते हैं।

बाब 21 : खजूर की चटाई पर नमाज़ पढ़ना

٢١- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

(381) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, कि कहा हमसे शुअ़बा ने, कहा हमसे सुलैमान शैबानी ने अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद के वास्ते से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) सज्दागाह (यानी छोटे मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ा करते थे।) (राजेअ़ : 333)

٣٨١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.
[راجع: ٣٣٣]

'क़ालल जौहरी अल ख़ुम्रतु बिजम्मि सज्जादतुन स़ग़ीरतुन तुअ़मलु मिन सुहुफ़िन्नख़िल व तुर्मुलु बिल ख़ुयूति व क़ाल स़ाहिबुन्निहायति हिय मिक़्दारुन मा यज़उ अलैहिर्रजुलु वज्हहू फ़ी सुजूदिही मिन हसीरिन औ नसीजति ख़ौज़िन व नह्विही मिनस्स़ियाबि व ला यकूनु ख़ुम्रतन इल्ला फ़ी हाज़ल मिक़्दारि' (नैल जिल्द 2 पेज नं. 129) ख़ुलासा ये कि ख़ुमरा छोटे मुसल्ले पर बोला जाता है वो खजूर का हो या किसी और चीज़ का और हसीर तूल-तवील (लम्बा चौड़ा) बोरिया, दोनों पर नमाज़ जाइज़ है, यहाँ भी हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहू उन लोगों की तर्दीद कर रहे हैं जो सज्दा के लिये ज़मीन की मिट्टी को शर्त क़रार देते हैं।

बाब 22 : बिछौने पर नमाज़ पढ़ना (जाइज़ है)

٢٢- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْفِرَاشِ

और अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने अपने बिछौने पर नमाज़ पढ़ी और फ़र्माया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे फिर हममें से कोई अपने कपड़े पर सज्दा कर लेता था।

وَصَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ.

(382) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने उ़मर बिन उ़बैदुल्लाह के ग़ुलाम अबुन् नज़्र सालिम के हवाले से, उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की जोज़ः-ए-मुतह्हरा हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने बतलाया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के आगे सो जाती और मेरे पांव आपके क़िब्ले में होते। जब आप सज्दा करते, तो मेरे पांव को आहिस्ता से दबा देते। मैं अपने पांव समेट लेती और आप जब खड़े हो जाते तो मैं उन्हें फिर फैला देती। उन दिनों

٣٨٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ:

घरों में चिराग़ भी नहीं हुआ करते थे।

وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

(दीगर मक़ाम : 383, 384, 508, 511, 512, 513, 515, 519, 997, 1209, 6276)

[أطرافه في : ٣٨٣، ٣٨٤، ٥٠٨، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٩، ٩٩٧، ١٢٠٩، ٦٢٧٦].

(383) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा हमसे लैष बिन सअ़द ने अ़क़ील से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उनको उ़र्वा ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर के बिछौने पर नमाज़ पढ़ते और हज़रत आइशा (रज़ि.) आपके और क़िब्ले के बीच इस तरह लेटी होतीं जैसे (नमाज़ के लिये) जनाज़ा रखा जाता है। (राजेअ़ : 382)

٣٨٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ. [راجع: ٣٨٢]

ऊपर वाली हदीष़ में बिछौने का लफ़्ज़ न था, इस हदीष़ से वजाहत हो गई।

(384) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने हदीष़ बयान की यजीद से, उन्हों ने अ़राक से, उन्होंने उ़र्वा बिन ज़ुबैर से कि नबी करीम (ﷺ) उस बिछोने पर नमाज़ पढ़ते जिस पर आप और हज़रत आइशा (रज़ि.) सोते और हज़रत आइशा (रज़ि.) आपके और क़िब्ले के बीच उस बिस्तर पर लेटीं रहतीं। (राजेअ़ : 382)

٣٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِيْ يَنَامَانِ عَلَيْهِ.[راجع: ٣٨٢]

इस हदीष़ में मज़ीद वज़ाहत (और ज़्यादा ख़ुलासा) हो गया कि जिस बिस्तर पर आप सोया करते थे, उसी पर बाज दफ़ा नमाज़ भी पढ़ लेते। पस मा'लूम हुवा कि सज्दा करने के लिये ज़मीन की मिट्टी का बतौरे शर्त होना ज़रूरी नहीं है। सज्दा बहरहाल ज़मीन ही पर होता है। इसलिये कि वो बिस्तर या चटाई या मुसल्ला ज़मीन पर बिछा हुआ है।

बाब 23 : सख़्त गर्मी में कपड़े पर सज्दा करना (जाइज़ है)

٢٣- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

और हसन बस़री (रह.) ने कहा कि लोग अ़मामा और कनटोप पर सज्दा किया करते थे और उनके दोनों हाथ आस्तीनों में होते।

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.

(385) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे बिश्र बिन मुफ़ज़्ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे ग़ालिब क़त्तान ने बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते थे। फिर सख़्त

٣٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

[طرفاه في : ٥٤٢، ١٢٠٨].

गर्मी की वजह से कोई कोई हममें से अपने कपड़े का किनारा सज्दे की जगह रख लेता।

(दीगर मक़ाम : 542, 1208)

٢٤- بَابُ الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ

बाब 24 : जूतियों समेत नमाज़ पढ़ना (जाइज़ है)

٣٨٦- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ.[طرفه في : ٥٨٥٠].

(386) हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू मुस्लिमा सईद बिन यज़ीद अज़्दी ने बयान किया, कहा मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) अपनी जूतियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ते थे? तो उन्होंने फ़र्माया, कि हाँ!

(दीगर मक़ाम : 5850)

तशरीह : अब दाऊद और हाकिम की हदीष में यूं है कि यहूदियों के ख़िलाफ़ करो, वो जूतियों में नमाज़ नहीं पढ़ते। हज़रत उमर (रज़ि.) नमाज़ में जूते उतारना मकरूह जानते थे और अबू अम्र शैबानी कोई नमाज़ में जूता उतारे तो उसे मारा करते थे मगर ये शर्त ज़रूरी है कि जूता पाक साफ हो। बाज़ लोग कहते हैं कि नअ़ल अरबों का एक ख़ास जूता था और इन आम जूतों में नमाज़ जाइज़ नहीं। ख़्वाह वो पाक-साफ़ भी हो। दलाइल की रु से ऐसा कहना सही नहीं है। जूतों में नमाज़ बिला कराहत जाइज़ दुरुस्त है। बशर्ते कि वो पाक व साफ़ सुथरे हो, गन्दगी का ज़रा भी शुबहा हो तो उनको उतार देना चाहिए।

٢٥- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْخِفَافِ

बाब 25 : मौज़े पहने हुए नमाज़ पढ़ना (जाइज़ है)

٣٨٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ، لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.

(387) हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने अअ़मश के वास्ते से, उसने कहा मैंने इब्राहीम नख़ई से सुना। वो हम्माम बिन हारिष से रिवायत करते थे, उन्होंने कहा कि मैंने जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह को देखा, उन्होंने पेशाब किया फिर वुज़ू किया और अपने मौज़ों पर मसह किया। फिर खड़े हुए और (मौज़ों समेत) नमाज़ पढ़ी। आपसे जब इसके बारे में पूछा गया तो फ़र्माया कि, मैंने नबी करीम (ﷺ) को ऐसा करते हुए देखा है। इब्राहीम नख़ई ने कहा कि ये हदीष लोगों की नज़र में बहुत पसंदीदा थी, क्योंकि जरीर (रज़ि.) आख़िर में इस्लाम लाए थे।

٣٨٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

(388) हमसे इस्हाक़ बिन नस्र ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बयान किया अअ़मश के वास्ते से, उन्होंने मुस्लिम बिन सबीह से, उन्होंने मसरूक़ बिन अज्दअ़ से, उन्होंने मुग़ीरह बिन शुअ़बा से, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को वुज़ू कराया। आपने अपने

मौज़ों पर मसह किया और नमाज़ पढ़ी। (राजेअ : 182)

وَصَلَّى. [راجع: ١٨٢]

तशरीह : ख़ुफ़ की तारीफ़ (परिभाषा) ये है, **'वल ख़ुफ़्फ़ु नअलुम्मिन अदमिन युग़त्तिल कअबैनि'** (नैलुल औतार) यानी वो चमड़े का एक ऐसा जूता होता है जो टख़नों तक सारे पैर को ढांक लेता है, उस पर मस्ह जाइज़ होने पर जुम्हूरे उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है। **'अनिब्निल मुबारकि क़ाल लैस फ़िलमस्हि अलल ख़ुफ़्फ़ैनि अनिस्सहाबति इख़्तिलाफ़ुन'** (नैलुल औतार) यानी सहाबा में ख़ुफ़्फ़ैन पर मसह करने के जवाज़ में किसी का इख़्तिलाफ मन्कूल नहीं हुआ। नववी शरहे मुस्लिम में है कि **'मसहु अलल ख़ुफ़्फ़ैन'** का जवाज़ बेशुमार सहाबा से मरवी है। ये ज़रूरी शर्त है कि पहली दफ़ा जब भी खुफ पहना जाए वुज़ू करके, पैर धोकर पहना जाए, इस सूरत में मुसाफिर के लिये तीन दिन और तीन रात और मुकीम के लिये एक दिन और एक रात उस पर मसह कर लेना जाइज़ होगा। तर्जुमे में मोजों से यही खुफ मुराद है। जुराबों पर भी मसह दुरुस्त है बशर्ते कि वो इस कदर मोटी हो कि उनको हकीकी जुर्राब कहा जा सके।

बाब 26 : जब कोई पूरा सज्दा न करे (तो उसकी नमाज़ के बारे में क्या फ़त्वा है?)

٢٦- بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجودَ

(389) हमें सल्त बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे महदी बिन मैमून ने वासिल के वास्ते से, वो अबू वाइल शक़ीक़ बिन सलमा से, वो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से कि उन्होंने एक शख़्स को देखा जो रुकूअ और सज्दे पूरी तरह नहीं करता था। जब उसने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। अबू वाइल रावी ने कहा, मैं ख़याल करता हूँ कि हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने ये भी फ़र्माया कि अगर तू ऐसी ही नमाज़ पर मर जाता तो आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नत पर नहीं मरता। (दीगर मक़ाम : 791, 808)

٣٨٩- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

[طرفاه في : ٧٩١، ٨٠٨].

तश्रीह : रुकूअ और सज्दा पूरा करने का मतलब ये है कि कम-अज-कम तीन-तीन मर्तबा रुकू और सज्दा की दुआएं पढ़ी जाएं और रुकूअ ऐसा हो कि कमर बिल्कुल सीधी झुक जाए और हाथ उम्दा तौर पर घुटनों पर हो। सज्दों में पेशानी और नाक और दोनों हाथों की हथेलियां और पैरों की किब्ला रुख उंगलियां ज़मीन पर जम जाए। रुकूअ और सज्दा को इन सूरतों में पूरा किया जाएगा। जो लोग मुर्गों की तरह ठोंगे मारते हैं, वो इस हदीष की वईद के मिस्दाक हैं। सुन्नत के मुताबिक आहिस्ता -आहिस्ता नमाज़ अदा करना जमाअते अहले हदीष का तुर्रए इम्तियाज है, अल्लाह इसी पर क़ाइम व दाइम रखे। आमीन।

बाब 27 : सज्दे में अपनी बग़लों को खुली रखे और अपनी पस्लियों से (दोनों कोहनियों को) जुदा रखे

٢٧- بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيهِ وَيُجَافِي جَنْبَيْهِ فِي السُّجُود

(390) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा मुझसे हदीष बयान की बुकैर बिन मुज़र ने जा'फ़र से, वो इब्ने हुर्मुज़ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना से कि नबी करीम (ﷺ) जब नमाज़ पढ़ते तो अपने बाज़ुओं के बीच इस क़दर कुशादगी कर देते

٣٩٠- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

कि दोनों बग़लों की सफ़ेदी दिखने लगती थी और लैष़ ने यूँ कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ़ ने इसी तरह ह़दीष़ बयान की।

(दीगर मक़ाम : 807, 3564)

ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

[طرفاه في : ٨٠٧، ٣٥٦٤].

ये सब रुकूअ व सुजूद (सज्दों) के आदाब बयान किए गए हैं जिनका मलहूज़ रखना बेहद ज़रूरी है।

बाब 28 : क़िब्ले की तरफ़ मुँह करने की फ़ज़ीलत

और अबू ह़ुमैद (रज़ि.) स़ह़ाबी ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है कि नमाज़ में अपने पांव की उँगलियाँ भी क़िब्ले की तरफ़ रखो।

٢٨- بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

तश्रीह : आँह़ज़रत (ﷺ) कियामे मक्का में और शुरू ज़माने में मदीना में बैतुल मक़दिस ही की तरफ़ मुंह करके नमाज़ अदा करते रहे मगरआपकी तमन्ना थी कि आपका क़िब्ला बैतुल्लाह मक्का शरीफ की मस्जिद को मुकर्रर किया जाए। चुनाँचे मदीना में तहवीले क़िब्ला हुआ और आप (ﷺ) ने मक्का शरीफ की मस्जिद का'बा की तरफ मुंह करके नमाज़ शुरू की और कयामत तक के लिये ये तमाम दुनिय–ए–इस्लाम के लिये क़िब्ला मुकर्रर हुआ। अब कलिम–ए–शहादत के साथ किब्ला को तस्लीम करना भी ज़रूरियाते ईमान से हैं।

(391) हमसे अ़म्र बिन अ़ब्बास ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने मह्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मंसूर बिन स़अ़द ने मैमून बिन सियाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी और हमारी ही तरह क़िब्ला की तरफ़ मुँह किया और हमारे ज़बीह़े को खाया तो वो मुसलमान है जिसके लिये अल्लाह और उसके रसूल की पनाह है। पस तुम अल्लाह के साथ उसकी दी हुई पनाह में ख़यानत न करो।

(दीगर मक़ाम : 392, 393)

٣٩١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ)).[طرفاه في : ٣٩٢، ٣٩٣].

(392) हमसे नईम बिन ह़म्माद ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक ने ह़ुमैद त़वील के वास्ते से, उन्होंने रिवायत किया अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोगों के साथ जंग करूँ यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। पस जब वो इसका इक़रार कर लें और हमारी तरह नमाज़ पढ़ने लगें और हमारे क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ में मुँह करें और हमारे ज़बीह़ा को खाने लगें तो उनका ख़ून और उनके माल हम पर हराम हो गए। मगर किसी

٣٩٢- حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَ أَكَلُوا ذَبِيْحَتَنَا، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ

हक़ के बदले और (बातिन में) उनका हिसाब अल्लाह पर रहेगा।

بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ)).

(राजेअ : 391)

[راجع: ٣٩١]

(393) अली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने फ़र्माया कि हमसे ख़ालिद बिन हारिष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुमैद त़वील ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैमून बिन सियाह ने ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि ऐ अबू हम्ज़ा! आदमी की जान और माल पर ज़्यादती को क्या चीज़ें ह़राम करती हैं? तो उन्होंने फ़र्माया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और हमारी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ी और हमारे ज़बीहे को खाया तो वो मुसलमान है। फिर उसके वही हुक़ूक़ हैं जो आ़म मुसलमानों के हैं और उसकी वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आ़म मुसलमानों पर हैं और इब्ने अबी मरयम ने कहा, हमें यह्या बिन अय्यूब ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमसे हुमैद ने ह़दीष़ बयान की, उन्होंने कहा हमसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करके ह़दीष़ बयान की। (राजेअ : 391)

٣٩٣ - قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ وَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٣٩١]

तश्रीह : इन अह़ादीष़ में उन चीजों का बयान है जिन पर इस्लाम की बुनियाद क़ायम (टिकी हुई) है जिनमें अव्वलीन चीज़ कलिम–ए–तय्यिबा पढ़ना और तौहीद व रिसालात की गवाही देना है और इस्लामी ता'लीम के मुताबिक क़िबला रुख होकर नमाज़ अदा करना और इस्लाम के तरीक़े पर जबह करना और उसे खाना। ये वो ज़ाहिरी उमूर है जिनके बजा लाने वाले को मुसलमान ही कहा जाएगा। रहा उसके दिल की मुआमला वो अल्लाह के हवाले है चूंकि उसमें किबला रुख मुँह करना बतौरे असल इस्लाम मजकूर है, इसलिये ह़दीष़ और बाब में मुताबक़त (समरूपता) हुई।

बाब 29 : मदीना और शाम वालों के क़िब्ले का बयान और मश्रिक़ का बयान

٢٩- بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ، لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)).

और (मदीना और शाम वालों का) क़िब्ला मश्रिक़ व मग़्रिब की तरफ़ नहीं है क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (ख़ास़ अहले मदीना के बारे में और अहले शाम भी उसी में दाख़िल हैं) कि पाख़ाना-पेशाब के समय क़िब्ला रुख़ न करो, अल्बत्ता मश्रिक़ की तरफ़ अपना मुँह कर लो, या मग़्रिब की तरफ़।

तश्रीह : मदीना और शाम से मक्का जुनूब (दक्षिण) में पड़ता है, इसलिये मदीना और शाम वालों को पाख़ाना और पेशाब मशरिक (पूरब) और मगरिब (पश्चिम) की तरफ मुँह करके करने का हुक्म हुआ लेकिन जो लोग मक्का से मशरिक या मगरिब में रहते हैं, उनके लिये ये हुक्म है कि वो जुनूब (दक्षिण) या शिमाल (उत्तर) की तरफ मुंह करें। इमाम बुख़ारी की मशरिक़ और मगरिब में किब्ला न होने से यही मुराद है कि उन लोगों का किब्ला मशरिक और मगरिब नहीं है जो मक्का से जुनूब (दक्षिण) या शिमाल (उत्तर) में रहते हैं।

(394) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ने, कहा हमसे ज़ुहरी ने अ़ता बिन यज़ीद लैष़ी के वास्ते से, उन्होंने अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जब तुम क़ज़ा-ए-ह़ाजत के लिये जाओ तो उस समय न क़िब्ला की तरफ़ मुँह करो न पीठ करो। बल्कि मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ उस समय अपना मुँह कर लिया करो। अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम जब शाम में आए तो यहाँ के बैतुलख़ला क़िब्ला रुख़ बने हुए थे (जब हम क़ज़ा-ए-ह़ाजत के लिये जाते) तो हम मुड़ जाते और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल से इस्तिग़फ़ार करते थे और ज़ुहरी ने अ़ता से इस ह़दीष़ को इसी तरह रिवायत किया। उसमें यूँ है कि अ़ता ने कहा मैंने अबू अय्यूब से सुना, उन्होंने इसी तरह आँह़ज़रत (ﷺ) से सुना। (राजेअ़ : 144)

٣٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)) قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ.[راجع: ١٤٤]

अस़ल में ये ह़दीष़ एक है जो दो सनदों से मरवी है—इमाम बुख़ारी (रह.), का मक़सद ये है कि सुफयान ने अली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी से ये ह़दीष़ दो बार बयान की। एक बार में तो **अन अ़ता अन अबी अय्यूब** कहा और दूसरी बार में **समिअ़तु अबा अय्युब** कहा तो दूसरी बार में अता के सिमाअ़ की अबू अय्यूब से वजाहत हो गई।

बाब 30 : अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का इर्शाद है कि 'मुक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बनाओ' (अल बक़र : 125)

٣٠- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾

अल्लाह तआ़ला ने उम्मते मुस्लिमा को इब्राहीमी मुसल्ला पर नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया था मगर सद अफसोस कि उम्मत ने का'बा को ही तक़्सीम कर डाला और चार मुसल्ले हनफी, मालिकी, शाफ़िई और ह़ंबली नामों से ईजाद कर लिये गये। इस तरह उम्मत में वो तफरीक पैदा हुई कि जिसकी सज़ा आज तक मुसलमानों को मिल रही है और वो आपसी इत्तिफाक के लिये तय्यार नहीं होते। अल्लाह भला करे नजदी हुकूमत का जिसमें का'बा से इस तफरीक को खत्म करके तमाम मुसलमानों को एक मुसल्ल—ए—इब्राहीमी पर जमा कर दिया। अल्लाह इस हुकूमत को हमेशा नेक तौफीक दे और क़ाइम रखे, आमीन!

(395) हमसे हुमैदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, कहा हमसे अ़म्र बिन दीनार ने, कहा हमने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से एक ऐसे शख़्स़ के बारे में पूछा जिसने बैतुल्लाह का त़वाफ़ उ़म्रह के लिये किया लेकिन स़फ़ा व मरवा की सई नहीं की, क्या ऐसा शख़्स़ (बैतुल्लाह के त़वाफ़ के बाद) अपनी बीवी से सुहबत कर सकता है? आपने जवाब दिया कि नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए आपने सात बार बैतुल्लाह का त़वाफ़ किया और मुक़ामे इब्राहीम के पास दो

٣٩٥- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، و﴿لَقَدْ كَانَ

रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सई की और तुम्हारे लिये नबी करीम (ﷺ) की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। (अल् अहज़ाब : 21)

(दीगर मक़ाम : 1623, 1627, 1645, 1647, 1793)

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

[أطرافه في : ١٦٢٣، ١٦٢٧، ١٦٤٥، ١٦٤٧، ١٧٩٣].

(396) अम्र बिन दीनार ने कहा, हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी ये मसला पूछा तो आपने भी यही फ़र्माया कि वो बीवी के क़रीब भी उस समय तक न जाए जब तक सफ़ा और मरवा की सई न कर ले।

(दीगर मक़ाम : 1624, 1646, 1794)

٣٩٦- وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

[أطرافه في : ١٦٢٤، ١٦٤٦، ١٧٩٤].

तश्रीह : गोया अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रह.) ने इशारा किया कि आँहज़रत (ﷺ) की पैरवी वाजिब है और ये भी बताया कि सफा और मरवा में दौड़ना वाजिब है और जब तक ये काम न करे, उमरा का एहराम नहीं खुल सकता।

हज़रत इमाम हुमैदी और अइम्म-ए-अहनाफ़ रहिमहुमुल्लाह अजमइन : साहिबे अनवारुल बारी ने हज़रत इमाम हुमैदी (रह.) के मुता'ल्लिक़ बाज़ जगह बहुत ही ग़ैर मुनासिब अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किए हैं। इनको इमाम शाफ़िई (रह.) का रफीके सफर और उनके मजहब का बड़ा अलमबरदार बताते हुए इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का मुख़ालिफ (विरोधी) करार दिया है। (देखें अनवारुलबारी, जिल्द हफतुम,स. 44) चूंकि इमाम हुमैदी, इमाम बुख़ारी (रह.) के अकाबिर असातिजा (बड़े उस्तादों) में से हैं इसलिये इमाम बुख़ारी भी अपने बुज़ुर्ग उस्ताद से काफी मुता'स्सिर और हनफ़ियत के लिये शदीद मुतअस्सिब नजर आते हैं। इस मुनासिब बयान के बावजूद साहिबे अनवारुल बारी ने शाह साहब (मौलाना अनवर शाह रह.) से जो हिदायत नक़ल फ़र्माई है वो अगर हर वक़्त मल्हूज रखने लायक़ रहें तो काफी हद तक तअस्सुब और तकलीदे जामिद से नजात हासिल की जा सकती है। शाह साहब के इर्शादात साहिबे अनवारुल बारी के लफ़्ज़ों में ये हैं—

हमें अपने अकाबिर की तरफ से किसी हालत में बदगुमान न होना चाहिए। यहाँ तक कि उन हज़रात से भी जिनसे हमारे मुक़्दाओं के बारे में सिर्फ़ बुरे कलिमात ही नक़ल हुए हो क्योंकि मुमकिन है उनकी राय आखिर वक़्त में बदल गई हो और वो हमारी उन मुक़्तदाओं की तरफ से **सलीमुस्सदर (पाक व साफ़ दिल)** होकर दुनिया से रुख़सत हुए हों। गर्ज सबसे बेहतर और असलम तरीक़ा यही है कि, **'क़िस्सा जमीं बर सरेज़मीं'** ख़त्म कर दिया जाए और आख़िरत में सब ही हज़रात अकाबिर को पूरी इज्जत और सरबुलन्दी के साथ और आपस में एक-दूसरे से खुश होते हुए मुलैक मुक़्तदिर के दरबारे ख़ास में यकजा व मुजतमअ तसव्वुर किया जाए, जहाँ वो सब इर्शादे खुदावन्दी, **'व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिम्मुतक़ाबिलीन'** (अल हिज्र : 47) के मजहरे अतम होंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज। (अनवारुल्लबारी, जिल्द 7/स.45)

हमें भी यक़ीन है कि आख़िरत में यही मुआमला होगा, मगर शदीद ज़रूरत है कि दुनिया में भी सारे कलिमा-गो मुसलमान एक—दूसरे के लिये अपने दिलों में जगह पैदा करें और एक—दूसरे का एहतराम करना सीखें ताकि वो उम्मते वाहिदा का नमूना बनकर आने वाले मसाएब का मुकाबला कर सकें। इस बारे में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन्हीं उलम—ए—किराम की है जो उम्मत की इज्जत व जिल्लत के वाहिद जिम्मेदार है, अल्लाह उनको नेक समझ अता करें। किसी शाइर ने ठीक कहा है—

'वमा अफ़्सदद्दीन इल्लल मुलूक व अहबारु सूइन व रुहबानुहा'

यानी दीन को बिगाड़ने में ज़्यादा हिस्सा ज़ालिम बादशाहों और दुनियादार मौलवियों और मक्कारों दुरवेशों ही का रहा है। अआज़नल्लाहु मिन्हुम।

(397) हमसे मुसद्दद बिन मुसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया सैफ़ुल्लाह इब्ने अबी सुलैमान से, उन्होंने कहा मैंने मुजाहिद से सुना, उन्होंने कहा कि इब्ने उमर की ख़िदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, ऐ लो! ये रसूलुल्लाह (ﷺ) आ पहुँचे और आप का'बा के अंदर दाख़िल हो गये। इब्ने उमर ने कहा मैं जब आया तो नबी करीम (ﷺ) का'बा से निकल चुके थे, मैंने देखा कि बिलाल दोनों दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। मैंने बिलाल से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने का'बा के अंदर नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा कि हाँ! दो रकअत उन दो सतूनों के बीच पढ़ी थीं, जो का'बा में दाख़िल होते समय बाएँ तरफ़ वाक़ेअ हैं। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो का'बा के सामने दो रकअत नमाज़ अदा फ़र्माई।

(दीगर मक़ाम : 468, 504, 505, 506, 1167, 1598, 1599, 2988, 4289, 4400)

٣٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.

[أطرافه في : ٤٦٨، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ١١٦٧، ١٥٩٨، ١٥٩٩، ٢٩٨٨، ٤٢٨٩، ٤٤٠٠].

यानी मक़ामे इब्राहीम के पास, गोया आपने मक़ामे इब्राहीम की तरफ मुंह नहीं किया बल्कि का'बा की तरफ मुंह किया।

(398) हमसे इस्हाक़ बिन नस्र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर पहुँचाई अता इब्ने अबी रिबाह से, उन्होंने कहा मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना कि जब नबी करीम (ﷺ) का'बा के अंदर तशरीफ़ ले गये तो उसके चारों कोनों में आपने दुआ की और नमाज़ नहीं पढ़ी। फिर बाहर तशरीफ़ लाए तो दो रकअत नमाज़ का'बा के सामने पढ़ी और फ़र्माया कि यही क़िब्ला है।

(दीगर मक़ाम : 1601, 3351, 3352, 4288)

٣٩٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ. فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: ((هَذِهِ الْقِبْلَةُ)).

[أطرافه في : ١٦٠١، ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٤٢٨٨].

और अब ये कभी मन्सूख नहीं होगा यानी मक़ामे इब्राहीम के पास इस तरह ये हदीष़ बाब के मुताबिक हो गई। हज़रतुल इमाम का इन अहादीष़ के लाने का मक़सद ये है कि आयते शरीफा **वत्तख़िज़ू मिम्मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला** (अल बकर : 125) में अम्र व वुजूब के लिये नहीं है। आदमी का'बा की तरफ मुंह करके हर जगह नमाज़ पढ़ सकता है। ख़्वाह मक़ामे इब्राहीम में पढ़े या किसी और जगह में। इस रिवायत में ये ज़िक्र मौजूद है। ततबीक ये है कि आप का'बा के अन्दर शायद कई दफा दाख़िल

हुए बाज दफ़ा आपने नमाज़ पढ़ी, बाज दफ़ा सिर्फ़ दुआ पर काफ़ी किया और का'बा में दाख़िल होने के दोनों तरीके जाइज़ हैं।

बाब 31 : हर मुक़ाम और हर मुल्क में मुसलमान जहाँ भी रहे नमाज़ में क़िब्ला की तरफ़ मुँह करे

٣١- بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

अबू हुरैरह (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया का'बा कि तरफ़ मुँह कर और तक्बीर कह।

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ)).

इस हदीष़ को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल इस्तीजान में निकाला है। मक़सद जाहिर है कि दुनिय-ए-इस्लाम के लिये हर हर मुल्क से नमाज़ में का'बा की दिशा में मुंह करना काफी है इसलिये कि ऐन का'बा की तरफ मुंह करना ना-मुमकिन है। हाँ, जो लोग हरम में हो और का'बा नजरों के सामने हो उनको ऐन का'बा की तरफ मुंह करना ज़रूरी है। नमाज़ में का'बा की तरफ तवज्जुह करना और तमाम आलम के लिये का'बा को मर्कज बनाना इस्लामी इत्तिहाद व मर्कज़ियत (केन्द्रीयता) का एक ज़बरदस्त मुज़ाहिदा है। काश! मुसलमान इस हक़ीक़त को समझे और मिल्ली तौर पर अपने अन्दर मर्कज़ियत पैदा करें।

(399) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन रजाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्राईल बिन यूनुस ने बयान किया, कहा उन्होंने अबू इस्हाक़ से बयान किया, कहा उन्होने हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने सोलह या सत्रह माह तक बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) (दिल से) चाहते थे कि का'बा की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। आख़िर अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, 'मैं आपका आसमान की तरफ़ बार-बार चेहरा उठाना देखता हूँ। फिर आपने का'बा की तरफ़ मुँह कर लिया और अहमक़ों ने जो यहूदी थे कहना शुरू कर दिया कि इन्हें अगले क़िब्ले से किस चीज़ ने फेर दिया। आप फ़र्मा दीजिए कि अल्लाह ही की मिल्कियत है मश्रिक़ और मग़्रिब, अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत कर देता है।' (जब क़िब्ला बदला तो) एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी फिर नमाज़ के बाद वो चला और अंसार की एक जमाअ़त पर से उसका गुज़र हुआ जो अ़स्र की नमाज़ बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके पढ़ रहे थे, उस शख़्स ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ वो नमाज़ पढ़ी है जिसमें आपने मौजूदा क़िब्ला (का'बा) की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है। फिर वो जमाअ़त (नमाज़ की हालत में ही) मुड़ गई और का'बा की तरफ़ मुँह कर

٣٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ - شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ - وَهُمُ الْيَهُودُ - ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ

लिया। (राजेअ : 40)

الْكَعْبَةِ. فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.[راجع: ٤٠]

बयान करने वाली अ़ब्बाद बिन बिश्र नामी एक सहाबी थे और ये बनी हारिषा की मस्जिद थी जिसको आज भी मस्जिदुल किबलतैन के नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि राकिमुलहुरुफ़ (लेखक) को एक मर्तबा 1951 ई. और दूसरी मर्तबा 1962 ई. में ये मस्जिद देखने का शर्फ (श्रेय) ह़ासिल हुआ। क़ुबा वालों को दूसरे दिन खबर हुई थी वो फज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ ही (की हालत) में का'बा की तरफ घूम गए।

(400) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम बिन अ़ब्दुल्लाह दस्तवाई ने, कहा हमसे यह्या बिन अबी कषीर ने मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान के वास्ते से, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) अपनी सवारी पर ख़्वाह उसका रुख़ किसी तरफ़ हो (नफ़िल) नमाज़ पढ़ते थे लेकिन जब फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते।

(दीगर मक़ाम : 1094, 1099, 4140)

٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ. فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيْضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

[أطرافه في : ١٠٩٤، ١٠٩٩، ٤١٤٠].

तश्रीह : नफिल नमाज़ें सवारी पर पढ़ना दुरुस्त हुई और रुकूअ सज्दा भी इशारे से करना काफी है। एक रिवायात में है कि ऊंटनी पर नमाज़ शुरू करते वक़्त आप किब्ला की तरफ मुंह करके तकबीर कह लिया करते थे।

(401) हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने मंसूर के वास्ते से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने अल्क़मा से, कि अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। इब्राहीम ने कहा मुझे नहीं मा'लूम कि नमाज़ में ज़्यादती हुई या कमी, फिर जब आपने सलाम फेरा तो आपसे कहा गया कि या रसूलल्लाह(ﷺ)! क्या नमाज़ में कोई नया हुक्म आया है? आपने फ़र्माया आख़िर बात क्या है? लोगों ने कहा आपने इतनी इतनी रकअ़त पढ़ी हैं। ये सुनकर आप (ﷺ) ने अपने दोनों पांव फेरे और क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर लिया और (सह्व के) दो सज्दे किये और सलाम फेरा। फिर हमारी तरफ़ मुड़े और फ़र्माया कि अगर कोई नया हुक्म नाज़िल हुआ होता तो तुम्हें पहले ज़रूर कह देता लेकिन मैं तो तुम्हारे ही जैसा एक आदमी हूँ, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ। इसलिये जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिलाया करो और अगर किसी को नमाज़ में शक हो जाए तो उस समय ठीक बात सोच ल

٤٠١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لاَ أَدْرِيْ زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ : ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ : ((إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ

لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)).

[أطرافه في: ٤٠٤، ١٢٢٦، ٦٦٧١، ٧٢٤٩].

और उसी के मुताबिक़ नमाज़ पूरी करे फिर सलाम फेर कर दो सज्दे (सह्व के) कर ले। (दीगर मक़ाम : 404, 1226, 6671, 7241)

तश्रीह : बुख़ारी शरीफ ही की एक दूसरी हदीष में खुद इब्राहीम से रिवायत है कि आपने बजाय चार के पांच रकअत नमाज़ पढ़ ली थी और ये जुहर की नमाज़ थी। तबरानी की एक रिवायत में है कि ये अस्र की नमाज़ थी, इसलिये मुमकिन है कि दो दफा ये वाकिआ हुआ था। ठीक बात सोचने का मतलब ये कि मषलन तीन या चार में शक हो तो तीन को इख़्तियार करें, दो और तीन में शक हो तो दो को इख़्तियार करें और ये भी षाबित हुआ कि नमाज़ में अगर इस गुमान पर नमाज़ पूरी हो चुकी है, (और किसी से) कोई बात कर ले तो नमाज़ का नए सिरे से लौटाना वाजिब नहीं है क्योंकि आप (ﷺ) ने खुद नए सिरे से (न तो) नमाज़ को लौटाया (और) न लोगों को हुक्म दिया।

٣٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ،

وَمَنْ لاَ يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ.

बाब 32 : क़िब्ले के बारे में मज़ीद अहादीष

और जिसने ये कहा कि अगर कोई भूल से क़िब्ले के अलावा किसी दूसरी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ ले तो उस पर नमाज़ का लौटाना वाजिब नहीं है। एक बार नबी करीम (ﷺ) ने ज़ुहर की दो रकअत के बाद ही सलाम फेर दिया और लोगों की तरफ़ मुड़ गए, फिर (याद दिलाने पर) बाक़ी नमाज़ पूरी की।

तश्रीह : ये एक हदीष का हिस्सा (टुकड़ा) है जिसे खुद हज़रत इमाम बुख़ारी ही ने रिवायत किया है। मगर उसमें आपका लोगों की तरफ मुंह करने का ज़िक्र नहीं है और ये फिकरा मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत में हैं। इस हदीष से बाब का तर्जुमा इस तरह निकला कि जब आपने भूले से लोगों की तरफ मुंह कर लिया तो किबला की तरफ़ आपकी पीठ हो गई। बावजूद इसके आपने नमाज़ को नए सिरे से नहीं लौटाया बल्कि जो बाकी रह गई थी उतनी ही पढ़ी।

٤٠٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ((وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾، وَآيَةُ الْحِجَابِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ

(402) हमसे अम्र बिन औन ने बयान किया, कहा हमसे हशीम ने हुमैद के वास्ते से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मेरी तीन बातों में जो मेरे मुँह से निकली मेरे रब ने वैसा ही हुक्म फ़र्माया। मैंने कहा था कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर हम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना सकते तो अच्छा होता। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, 'और तुम मुक़ामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो' दूसरी आयत पर्दा के बारे में है। मैंने कहा था, 'या रसूलल्लाह (ﷺ)! काश! आप अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते, क्योंकि उनसे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग बात करते हैं।' इस पर पर्दे की आयत नाज़िल हुई और एक बार आँहुज़ूर (ﷺ) की बीवियाँ जोशो-ख़रोश में आपकी ख़िदमत में इत्तिफ़ाक़ करके कुछ मुतालबात लेकर

ह़ाज़िर हुईं। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि अल्लाह पाक तुम्हें त़लाक़ दिला दें और तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर मुस्लिमा बीवियाँ अपने रसूल (ﷺ) को इनायत करें, तो ये आयत नाज़िल हुईं, 'अ़सा रब्बुहू अन् त़लक़कुन्न अय्युंब्दिलहू अज़्वाजन् ख़ैर मिन् कुन्न।' (दीगर मक़ाम : 4483, 479, 4916)

لَهُنَّ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ﴾، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ)).

[أطرافه في : ٤٤٨٣، ٤٧٩٠، ٤٩١٦].

और सईद इब्ने मरयम ने कहा कि मुझे यह़्या बिन अय्यूब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे ह़ुमैद ने बयान किया, कहा मैं ने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से ये ह़दीष़ सुनी।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي. حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا.

इस सनद के बयान करने से इमाम बुख़ारी (रह.) का गर्ज ये है कि हुमैद का सिमाअ अनस से मालूम हो जाए और यह़्या बिन अय्यूब अगरचे जईफ है मगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने उनकी रिवायत बतौरे मुताबअत क़ुबूल फ़र्माई।

(403) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से, आपने फ़र्माया कि लोग क़ुबा में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे कि इतने में एक आने वाला आया। उसने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर कल वह़्य नाज़िल हुई है और उन्हें का'बा की त़रफ़ (नमाज़ में) मुँह करने का हुक्म हो गया है। चुनाँचे उन लोगों ने भी का'बा की जानिब मुँह कर लिये जबकि उस समय वो शाम की जानिब मुँह किये हुए थे, इसलिये वो सब का'बा की जानिब घूम गए।

(दीगर मक़ाम : 4488, 4490, 4491, 4493, 4494, 7251)

٤٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

[أطرافه في : ٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١، ٤٤٩٣، ٤٤٩٤، ٧٢٥١].

तश्रीह : इब्ने अबी हातिम की रिवायत है कि औरतें मर्दों की जगह आ गई और मर्द औरतों की जगह चले गये। ह़ाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फर्माते हैं कि इसकी सूरत ये हुई कि इमाम जो मस्जिद के आगे की जानिब था, घूमकर मस्जिद के पीछे की जानिब आ गया, क्योंकि जो कोई मदीना में का'बा की तरफ मुंह करेगा तो बैतुल मक़दिस उसके पीठ की तरफ हो जाएगा और अगर इमाम अपनी जगह पर रहकर घूम जाता तो उसके पीछे सफों की जगह कहाँ से निकलती और जब इमाम घूमा तो मुक़्तदी भी उसके साथ घूम गये और औरतें भी, यहां तक कि वो मर्दों की पीछे आ गई, ज़रूरत के तहत ये किया गया जैसा कि वक़्त आने पर साँप मारने के लिये मस्जिद में बहालते नमाज़ घूमना-फिरना दुरुस्त है।

(404) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया कि कहा हमसे यह़्या बिन सईद क़त़्त़ान ने शुअ़बा के वास्ते से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने अ़ल्क़मा से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने (भूले से) ज़ुहर की नमाज़ (एक बार) पाँच

٤٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

रकअत पढ़ी हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फिर आप ने अपने पांव मोड़ लिये और (सह्व के) दो सज्दे किये।

(राजेअ : 400)

الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَزِيْدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

[راجع: ٤٠٠]

गुजिश्ता ह़दीष़ से ष़ाबित हुवा कि कुछ सह़ाबा ने बावजूद इसके कुछ नमाज़ का'बा की तरफ पीठ करके पढ़ी मगर उसको दोबारा नहीं लौटाया और इस ह़दीष़ से ये निकला कि आपने भूलकर लोगों की तरफ मुँह कर लिया और का'बा की तरफ आपकी पीठ हो गई मगर आप (ﷺ) ने नमाज़ को फिर भी नहीं लौटाया, बाब का यही मकसूद था।

बाब 33 : इस बारे में कि मस्जिद में थूक लगा हो तो हाथ से उसका खुरच डालना ज़रूरी है

٣٣- بَابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

(405) हमसे क़ुतैबा ने बयान किया कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने हुमैद के वास्ते से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने क़िब्ला की तरफ़ (दीवार पर) बलग़म देखा, जो आपको नागवार गुज़रा और ये नागवारी आपके चेहरे मुबारक पर दिखाई देने लगी। फिर आप उठे और ख़ुद अपने हाथ से उसे खुरच डाला और फ़र्माया कि जब कोई शख़्स नमाज़ के लिये खड़ा होता है तो गोया वो अपने रब के साथ सरगोशी (बातें) करता है, या यूँ फ़र्माया कि उसका रब उसके और क़िब्ले के बीच होता है। इसलिये कोई शख़्स (नमाज़ में अपने) क़िब्ले की तरफ़ न थूके। अल्बत्ता बाएँ तरफ़ या अपने क़दमों के नीचे थूक सकता है। फिर आपने अपनी चादर का किनारा लिया, उस पर थूका और उलट–पलट किया और फ़र्माया, या इस तरह कर लिया करो।

(राजेअ : 241)

٤٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)).

[راجع: ٢٤١]

(406) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने नाफ़ेअ के वास्ते से रिवायत किया, कहा उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़िब्ले की दीवार पर थूक देखा, आप (ﷺ) ने उसे खुरच डाला फिर (आपने) लोगों से ख़िताब किया और फ़र्माया कि जब कोई शख़्स नमाज़ में हो तो अपने मुँह के सामने न थूके क्योंकि नमाज़ में मुँह के सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल होता है।

٤٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى))

(दीगर मक़ाम : 753, 1213, 6111)

[أطرافه في : ٧٥٣، ١٢١٣، ٦١١١].

(407) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने हिशाम बिन ड़र्वा के वास्ते से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने ह़ज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़िब्ला की दीवार पर रेंट या थूक या बल्ग़म देखा तो उसे आप (ﷺ) ने खुरच डाला।

٤٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا - أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً - فَحَكَّهُ.

बाब 34 : मस्जिद में रेंट को कंकरी से खुरच डालना

٣٤- بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अगर गीली नजासत पर तुम्हारे पांव पड़ें तो उन्हें धो डालो और अगर नजासत ख़ुश्क हो तो धोने की ज़रूरत नहीं।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلاَ.

तश्रीह : इस अष़र को इब्ने अबी शैबा ने निकाला है जिसके आखिर में ये भी है कि अगर भूले से न धोए तो कोई हरज नहीं। दूसरी रिवायत में ये है कि इसके बाद की पाक ज़मीन उसको भी पाक कर देती है। आपने ऐसा एक औरत के जवाब में फर्माया था जिसका पल्लू लटकता रहता था। बाब के तर्जुमे से इस अष़र की मुताबक़त यूँ है कि किबला की तरफ थूकने की मुमानअ़त इसलिये है कि ये अदब के ख़िलाफ़ है, न इसलिये कि थूक नजिस है अगर बिल फ़र्ज़ नजिस भी होता तो सूखी नजासत रौन्दने से कुछ हरज नहीं है।

(408,409) हमसे सईद बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्ने शिहाब ने हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान के वास्ते से बयान किया कि ह़ज़रत अबू हुरैरह और ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद की दीवार पर रेंट देखा, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक कंकरी ली फिर उसे साफ़ कर दिया। फिर फ़र्माया कि जब तुममें से कोई शख़्स थूके तो उसे अपने मुँह के सामने या दाईं तरफ़ नहीं थूकना चाहिए, अल्बत्ता बाईं तरफ़ या अपने पांव के नीचे थूक ले।

(दीगर मक़ाम : 410, 411, 414, 416)

٤٠٨ و٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ: ((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).

[طرفاه في : ٤١٠، ٤١٦].

[طرفاه في : ٤١١، ٤١٤].

तश्रीह : बाब के तर्जुमे में रेंट का ज़िक्र था और ह़दीष़ में बलग़म का ज़िक्र है चूंकि ये दोनों आदमी के फुज़्ले हैं इसलिये दोनों का एक ही हुक्म है, ह़दीषे मज़कूर में नमाज़ की क़ैद नहीं है मगर आगे यही रिवायत आदम बिन अबी अयास

से आ रही है उसमें नमाज़ की कैद है। इमाम नववी (रह.) फ़र्माते हैं कि मुमानअत मुतलक है यानी नमाज़ में हो या ग़ैर नमाज़ में, मस्जिद में हो या ग़ैर मस्जिद, क़िब्ला की तरफ़ थूकना मना है। पिछले बाब में थूक को अपने हाथ से साफ़ करने का ज़िक्र था और यहाँ कंकरी से खुरचने का ज़िक्र है जिससे जाहिर है कि आपने कभी ऐसा किया, कभी वैसा किया; दोनों तरह से मस्जिद को साफ़ करना मक़सद है।

बाब 35 : इस बारे में कि नमाज़ में अपने दाईं तरफ़ न थूकना चाहिए

٣٥- بَابُ لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِيْنِهِ فِي الصَّلاَةِ

(410,411) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने उक़ैल बिन ख़ालिद के वास्ते से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान से कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद की दीवार पर बलग़म देखा तो आप (ﷺ) ने उसे कंकरी से खुरच डाला और फ़र्माया कि अगर तुममें से किसी को थूकना हो तो अपने चेहरे के सामने या अपनी दाएँ तरफ़ न थूका करो, बल्कि अपने बाएँ तरफ़ या पांव के नीचे थूक सकते हो।
(राजेअ़ : 408, 409)

٤١٠ و٤١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيْدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).
[راجع: ٤٠٨، ٤٠٩]

(412) हमसे ह़फ़्स़ बिन उ़मर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे क़तादा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अपने सामने या अपनी दाईं तरफ़ न थूका करो, अल्बत्ता बाईं तरफ़ या बाईं क़दम के नीचे थूक सकते हो। (राजेअ़ : 241)

٤١٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى)).[راجع: ٢٤١]

बाब 36 : बाईं तरफ़ या बाईं पैर के नीचे थूकने के बयान में

٣٦- بَابُ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

(413) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मोमिन जब नमाज़ में

٤١٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ

होता है तो वो अपने रब से सरगोशी (बातें) करता है। इसलिये वो अपने सामने या दाईं तरफ़ न थूके, हाँ! बाईं तरफ़ या अपने पैरों के नीचे थूक ले। (राजेअ : 241)

إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)). [راجع: ٢٤١]

(414) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उयैना ने, कहा हमसे इमाम ज़ुहरी ने हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी से कि नबी करीम (ﷺ) ने मस्जिद के क़िब्ले की दीवार पर बलग़म देखा तो आपने कंकरी से खुरच डाला। फिर फ़र्माया कि कोई शख़्स सामने या दाईं तरफ़ न थूके, अल्बत्ता बाईं तरफ़ या बाएँ पांव के नीचे थूक लेना चाहिए। दूसरी रिवायत में ज़ुहरी से यूँ है कि उन्होंने हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से अबू सईद ख़ुदरी के वास्ते से इसी तरह ये हदीष़ सुनी। (राजेअ : 409)

٤١٤- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ. ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ . . نَحْوَهُ. [راجع: ٤٠٩]

इस सनद के बयान करने से गर्ज ये है कि जोहरी का सिमा हुमैद से मा'लूम हो जाए। ये तमाम अहादीष़ उस जमाने से ता'ल्लुक रखती है जब मस्जिद कच्ची थीं और फर्श भी रेत का होता था उसमें उस थूक को गायब कर देना (दबा देना) मुम्किन था जैसा कि कफ्फारतुहा दफनुहा में वारिद हुआ, अब पुख़्ता फर्शों वाली मस्जिदों में सिर्फ़ रुमाल का इस्ते'माल होना चाहिए जैसा कि दूसरी रिवायत में इसका ज़िक्र मौजूद हुआ है।

बाब 37 : मस्जिद में थूकने का कफ़्फ़ारा

٣٧- بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

(415) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने, कहा हमसे क़तादा ने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़्फ़ारा उसे (ज़मीन में) छुपा देना है।

٤١٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا))

बाब 38 : इस बारे में कि मस्जिद में बलग़म को मिट्टी के अंदर छुपा देना ज़रूरी है

٣٨- بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

(416) हमसे इस्हाक़ बिन नस्र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने मअमर बिन राशिद से, उन्होंने हम्माम बिन मुनब्बा से, उन्होंने अबू हुरैरह से सुना कि वो नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि आपने फ़र्माया कि जब कोई नमाज़ के लिए खड़ा हो तो सामने न थूके क्योंकि वो जब तक अपनी नमाज़ की जगह में

٤١٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ،

होता है तो अल्लाह तआला से सरगोशी करता रहता है और दाईं तरफ़ भी न थूके क्योंकि उस तरफ़ फ़रिश्ता होता है, हाँ बाईं तरफ़ या पैर के नीचे थूक ले और उसे मिट्टी में छुपा दे।

(राजेअ : 408)

فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا)).

[راجع: ٤٠٨]

तश्रीह : इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु ने थूक से मुता'ल्लिक़ इन सारे अबवाब और इनमें रिवायतकर्दा अहादीष़ से ष़ाबित फ़र्माया कि बवक़्ते ज़रूरत थूक, रेंट, खंकार, बलगम सबका आना लाजमी है, मगर मस्जिद का अदब और नमाज़ियों के आराम व राहत का ख्याल ज़रूरी है, इब्तिदा–ए–इस्लाम में मस्जिदें कच्ची होती थीं। फ़र्श बिल्कुल मिट्टी के हुआ करते थे जिनमें थूक लेना और फिर रेत में उस थूक का छुपाना मुमकिन था। आजकल मस्जिदें पुख़्ता, उनके फ़र्श पुख़्ता फिर उन पर बेहतरीन हसीर होते हैं। इन सूरतों और इन हालात में रुमाल का इस्ते'माल ही मुनासिब है। मस्जिद में या उसके दरो–दीवार पर थूकना या रेण्ट या बलगम लगा देना सख़्त गुनाह और मस्जिद की बेअदबी है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने ऐसे लोगों पर अपनी सख़्ततरीन नाराजगी का इजहार फ़र्माया है, जैसा कि ह़दीष़े अ़ब्दुल्लाह बिन उमर में इसका ज़िक्र गुजर चुका है।

बाब 39 : जब थूक का ग़ल्बा हो तो नमाज़ी अपने कपड़े के किनारे में थूक ले

٣٩- بَابُ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

(417) हमसे मालिक बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर बिन मुआविया ने, कहा हमसे हुमैद ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने क़िब्ले की तरफ़ (दीवार पर) बलग़म देखा तो आपने ख़ुद उसे खुरच डाला और आपकी नाख़ुशी को महसूस किया गया कि (रावी ने इस तरह बयान किया कि) उसकी वजह से आपकी शदीद नागवारी को महसूस किया गया। फिर आपने फ़र्माया कि जब कोई शख़्स नमाज़ के लिये खड़ा हो तो वो अपने रब से सरगोशी करता है, या ये कि उसका रब उसके और क़िब्ले के बीच होता है। इसलिये क़िब्ले की तरफ़ न थूका करो, अल्बत्ता बाईं तरफ़ या पैरों के नीचे थूक लिया करो। फिर आप अपनी चादर का एक कोना (किनारा) लिया, उसमें थूका और चादर की एक तह को दूसरी तह पर फेर लिया और फ़र्माया, या इस तरह कर लिया करो।

(राजेअ : 24)

٤١٧- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)). ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيْهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ : ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)). [راجع: ٢٤]

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) ने आने वाले हालात के आधार पर ज़रूरत के वक़्त अपने अ़मल से हर तरह की आसानी ष़ाबित फ़र्माई है। चूंकि आजकल मस्जिदें पुख़्ता होती है। फ़र्श भी पुख़्ता और उन पर मुख़्तलिफ़ किस्म की कीमती चीजें (कालीन वगैरह) बिछी होती है। लिहाजा आज आपकी यही सुन्नत मल्हूज रखनी होगी कि बवक़्ते ज़रूरत रुमाल में थूक लिया जाए और इस मक़सद के लिये खास रुमाल रखे जाएं। कुर्बान जाइये! आपने अपने अ़मल से हर तरह की सहूलत जाहिर फ़र्मा दी। काश! मुसलमान समझें और उस्व–ए–हसना पर अ़मल को अपना मक़सदे हयात बना लें।

बाब 40 : इमाम लोगों को नसीहत करे कि नमाज़ पूरी तरह पढ़े और क़िब्ले का बयान

٤٠- بَابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلاَةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

(418) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुज़िनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअ़रज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया क्या तुम्हारा ये ख़्याल है कि मेरा मुँह (नमाज़ में) क़िब्ले की तरफ़ है, अल्लाह की क़सम! मुझसे न तुम्हारा ख़ुशूअ़ छुपता है न रुकूअ़, मैं अपनी पीठ के पीछे से तुमको देखता रहता हूँ। (दीगर मक़ाम :741)

٤١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَ اللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)).

[طرفه في : ٧٤١].

(419) हमसे यह्या बिन स़ालेह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे फ़ुलैह बिन सुलैमान ने हिलाल बिन अ़ली से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, वो कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें एक बार नमाज़ पढ़ाई, फिर आप (ﷺ) मिम्बर पर चढ़े, फिर नमाज़ के बाब में और रुकूअ़ के बाब में फ़र्माया मैं तुम्हें पीछे से भी इसी तरह देखता रहता हूँ जिस तरह अब सामने से देख रहा हूँ। (दीगर मक़ाम : 742, 6644)

٤١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةً، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوعِ : ((إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ)) .

[طرفاه في : ٧٤٢، ٦٦٤٤].

तशरीह : ये आपका मुअजज़ा था कि आप मुहरे नुबुव्वत के ज़रिये से पीठ पीछे से भी बराबर देख लिया करते थे। बाज़ दफ़ा वह्य और इलहाम के ज़रिये से भी आपको मा'लूम हो जाया करता था। ह़ाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि यहां ह़क़ीक़तन देखना मुराद है और ये आपके मुअजज़ात में से है कि आप पीठ की तरफ खड़े हुए लोगों को भी देख लिया करते थे, मवाहिबुद्दुनिया में भी ऐसा ही लिखा हुआ है।

बाब 41 : इस बारे में कि क्या यूँ कहा जा सकता है कि ये मस्जिद फ़लाँ खानदान वालों की है

٤١- بَابُ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ؟

इब्राहीम नखई (रह.) ऐसा कहना कि ये मस्जिद फलां क़बीला या फलां शख़्स की है; मकरुह जानते थे क्योंकि मसाजिद सब अल्लाह की है। इमाम बुख़ारी ने ये बाब इसी गर्ज से बाँधा है कि ऐसा कहने में कोई क़बाहत नहीं है। इससे मस्जिद और उसके ता'मीर करने वालों की शनाख़्त (पहचान) मक़सूद होती है वर्ना तमाम मसाजिद सब अल्लाह ही के लिये हैं और अल्लाह ही की इबादत के लिये ता'मीर की जाती है। इस्लामी फिर्क़े जो अपने-अपने नामों से मसाजिद को मौसूम करते हैं और उसमें दीगर मसलकों के लोगों, ख़ुसूसन अहले ह़दीष़ का दाख़ला ममनूअ रखते हैं और अगर कोई भूला-भटका उनकी मसाजिद में चला जाए तो मस्जिद को ग़ुस्ल देकर अपने तंई पाक स़ाफ़ करते हैं, उन लोगों का ये तर्ज़े-अमल तफ़रीक़ बैनुल मुस्लिमीन (मुसलमानों के बीच भेदभाव) का खुला मुजाहिरा (प्रदर्शन) है, अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को हिदायत दे।

(420) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने नाफ़ेअ़ के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन घोड़ों की जिन्हें (जिहाद के लिये) तैयार किया गया था मुक़ामे ह़फ़्याअ से दौड़ कराई, इस दौड़ की हद ष़निय्यतुल विदाअ़ से मस्जिद बनी ज़ुरैक़ तक कराई। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने भी इस घुड़–दौड़ में शिर्कत की थी।

(दीगर मक़ाम : 2868, 2869, 2870, 7336)

٤٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.[أطرافه في: ٢٨٦٨، ٢٨٦٩، ٢٨٧٠، ٧٣٣٦].

तश्रीह़ : ख़ानदानों की तरफ मसाजिद की निस्बत का रिवाज ज़मान–ए–रिसालत ही से शुरू हो चुका था जैसा कि यहाँ मस्जिदे बनी ज़ुरैक का जिक्र है। जिहाद के लिये खास तौर पर घोड़ों को तय्यार करना और उनमें से मश्क (प्रेक्टिस) के लिये दौड़ कराना भी ह़दीषे मजकूर से ष़ाबित हुआ। आपने जिस घोड़े को दौड़ के लिये पेश किया था उसका नाम सक़ब था। ये दौड़ हफया और ष़निय्यतुल विदाअ से हुई थी जिनका दरमियानी फासला पाँच या छह या ज्यादा से ज्यादा सात मील बतलाया गया है और जो घोड़े अभी नये थे उनकी दौड़ के लिये थोड़ी मसाफ़त (दूर) मुकर्रर की गई थी, जो ष़निय्यतुल विदाअ से लेकर मस्जिद बनी ज़ुरैक तक थी।

मौजूदा दौर में रेस के मैदानों में जो दौड़ कराई जाती है, उसकी हार-जीत का सिलसिला सरासर जुअेबाज़ी से है, लिहाजा इसमें शिर्कत किसी मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं है।

बाब 42 : मस्जिद में माल तक़्सीम करना और मस्जिद में खजूर का खोशा लटकाना

٤٢- بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि क़िनू के मा'नी (अ़रबी ज़ुबान में) इ़ज़्क़ (ख़ोश-ए-खजूर) के हैं। दो के लिये क़िन्वान आता है और जमा के लिये भी यही लफ़्ज़ आता है जैसे स़िन्वुन और स़िन्वान।

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْقِنْوُ الْعِذْقُ، وَالاِثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ. مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.

(421) इब्राहीम बिन त़हमान ने कहा, अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब से, उन्होंने ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) के पास बहरीन से रक़म आई। आपने फ़र्माया कि उसे मस्जिद में डाल दो और ये रक़म उस तमाम रक़म से ज़्यादा थी जो अब तक आपकी ख़िदमत में आ चुकी थी। फिर आप नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाए और उसकी तरफ़ कोई

٤٢١- وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: ((انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ)). وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ

तवज्जह नहीं फ़र्माई, जब आप नमाज़ पूरी कर चुके तो आकर माल (रक़म) के पास बैठ गए और उसे तक़्सीम करना शुरू किया। उस वक़्त जिसे भी आप देखते उसे दे देते। इतने में हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) आए और बोले कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे भी दीजिए क्योंकि मैंने (ग़ज़्व-ए-बद्र में) अपना भी फ़िद्या दिया था और अ़क़ील का भी (इसलिये मैं ज़ेरेबार हूँ) रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ले लीजिये। उन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया और उसे उठाने की कोशिश की लेकिन (वज़न की ज़्यादती की वजह से) वो न उठा सके और कहने लगे या रसूलल्लाह (ﷺ)! किसी को कहें कि वो उठाने में मेरी मदद करे। आपने फ़र्माया नहीं (ये नहीं हो सकता) उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिये। आपने इस पर भी इंकार किया, तब हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने उसमें से थोड़ा सा गिरा दिया और बाक़ी को उठाने की कोशिश की, (लेकिन अब भी न उठा सके) फिर कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ) किसी को मेरी मदद करने का हुक्म दीजिए। आप (ﷺ) ने इंकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिये। लेकिन आपने इससे भी इंकार कर दिया, तब उन्होंने उसमें से थोड़ा सा और रुपया गिरा दिया और उसे उठाकर अपने काँधे पर रख लिया और चलने लगे, रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनकी इस हिरस़ पर इतना तअ़ज्जुब हुआ कि आप उस वक़्त तक उनकी तरफ़ देखते रहे जब तक वो हमारी नज़रों से ग़ायब न हो गए और आप भी वहाँ से उस वक़्त तक न उठे जब तक कि एक चवन्नी भी बाक़ी रही। (दीगर मक़ाम : 3041, 3165)

رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((خُذْ)). فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ. قَالَ: ((لاَ)). قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ: ((لاَ)). فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ: ((لاَ)) قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ: ((لاَ)). فَنَثَرَ مِنْهُ. ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ - حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا - عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

[أطرافه في : ٣٠٤٩، ٣١٦٥].

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी क़द्दस सिर्रुहु ये साबित फ़र्मा रहे हैं कि मस्जिद में मुख़्तलिफ़ अमवाल (मालों) को तक्सीम के लिये लाना और तक्सीम करना दुरुस्त है जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) ने बहरैन से आया हुआ रुपया मस्जिद में रखवाया और फिर मस्जिद ही में तक्सीम फ़र्मा दिया। बाज़ दफ़ा खेतीबाड़ी करने वाले सहाबा असहाबे सुफ्फा के लिये मस्जिदे नबवी (ﷺ) में खजूर का खोशा लाकर लटका दिया करते थे। इसी के लिये लफ्जे सिनवान और किनवान बोले गये हैं और ये दोनों अल्फाज कुर्आने करीम में भी इस्ते'माल हुए है। सिन्व खजूर के उन दरख्तों को कहते हैं जो दो-तीन मिलकर एक ही जड़ से निकलते हैं। इब्राहीम बिन तहमान की रिवायत को इमाम साहब (रह.) ने तालीकन नकल फर्माया है। अबू नईम ने मुस्तखरज में और हाकिम ने मुस्तदरक में इसे मौसूलन रिवायत किया है। अहमद बिन हफ्स से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने इब्राहीम बिन तहमान से, बहरैन से आने वाला खजाना एक लाख रुपया था जिसे हज़रत अ़ला हज्रमी (रह.) ने खिदमते अक़्दस में भेजा था और ये पहला ख़राज (टैक्स) था जो मदीना मुनव्वरा में आपके पास आया। आँहज़रत (ﷺ) ने सारा रुपया मुसलमानों में तक्सीम फर्मा दिया और अपनी जाते (अक़्दस) के लिये एक पैसा भी नहीं रखा। हज़रत अब्बास (रजि.) के लिये आँहज़रत (ﷺ) ने रुपया उठाने की इजाज़त तो दे दी मगर उसने उठवाने में न तो खुद मदद दी न किसी दूसरे को मदद के लिये इजाजत दी,

इससे गर्ज ये थी कि अ़ब्बास (रज़ि.) समझ जाए और दुनिया के माल की हद से ज्यादा हिर्स (लालच) न करें।

٤٣- بَابُ مَنْ دُعِيَ لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيْهِ

बाब 43 : जिसे मस्जिद में खाने के लिये कहा जाए और वो उसे क़ुबूल कर ले

٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي: ((آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ((لِطَعَامٍ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِمَنْ مَعَهُ: ((قُومُوا)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. [أطرافه في: ٣٥٧٨، ٥٣٨١، ٥٤٥٠، ٦٦٨٨].

(422) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमसे मालिक ने इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह से कि उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मस्जिद में पाया, आपके पास और भी कई लोग थे। मैं खड़ा हो गया तो आँहज़रत (ﷺ) ने मुझसे पूछा कि क्या तुझको अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा जी हाँ! आपने पूछा खाने के लिये? (बुलाया है) मैंने कहा कि जी हाँ! तब आपने अपने क़रीब मौजूद लोगों से फ़र्माया कि चलो, सब हज़रात चलने लगे और मैं उनके आगे-आगे चलने लगा।

(दीगर मक़ाम : 3578, 5381, 5450, 6688)

यहाँ ये ह़दीष़ मुख़्तसर (छोटी) है, पूरी ह़दीष़ बाब अ़लामते नुबुव्वत में आगे आएगी। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) आगे दौड़कर ह़ज़रत अबू तलहा (रज़ि.) को खबर करने के लिये गये कि आँह़ज़रत (ﷺ) इतने आदमियों के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने मस्जिद में आपको दा'वत दी और आपने मस्जिद ही में दा'वत क़ुबूल फ़र्माई। यही बाब का तर्जुमा है।

٤٤- بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ

बाब 44 : मस्जिद में फ़ैसले करना और मर्दों और औरतों (शौहर—बीवी) के बीच लिआ़न कराना (जाइज़ है)

٤٢٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

[أطرافه في : ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥.

(423) हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने, कहा हमको इब्ने जुरैज ने, कहा हमें इब्ने शिहाब ने सहल बिन सअ़द साएदी से कि एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस शख़्स के बारे में फ़र्माइये जो अपनी बीवी के साथ किसी ग़ैर मर्द को (बद फ़ेअ़ली करते हुए) देखता है, क्या उसे मार डाले? आख़िर उस मर्द ने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में लिआ़न किया और उस वक़्त मैं मौजूद था।

(दीगर मक़ाम : 4745, 4746, 5259, 5308, 5309, 6854, 7165)

.[٧٣٠٤ ،٧١٦٦

तशरीह : लिआन ये कि मर्द अपनी औरत को ज़िना करते देखें मगर उसके पास गवाह न हो, बाद में औरत इन्कार कर जाए। इस सूरत में वो दोनों क़ाज़ी के यहाँ दा'वा पेश करेंगे, क़ाज़ी पहले मर्द से चार दफ़ा क़सम लेगा कि वो सच्चा है और आख़िर में कहेगा कि मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मुझ पर अल्लाह तआला की लअनत हो। फिर इसी तरह चार दफ़ा औरत क़सम खाकर आख़िर में कहेगी कि अगर मैं झूठी हूं तो मुझ पर अल्लाह तआला की लअनत हो। फिर क़ाज़ी मियाँ-बीवी के दर्मियान जुदाई का फ़ैसला कर देगा, इसी को लिआन कहते हैं। बाब की हदीष़ से मस्जिद में ऐसे झगड़ों का फ़ैसला देना ष़ाबित हुआ। यहां जिस मर्द का वाक़िया है उसका नाम उवैमिर बिन आमिर अजलानी था। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष़ को तलाक़, ऐतिसाम और अहकामे मुहारिबीन में भी रिवायत किया है।

बाब 45 : इस बारे में कि जब कोई किसी के घर में दाख़िल हो तो क्या जिस जगह वो चाहे वहाँ नमाज़ पढ़ ले या जहाँ उसे नमाज़ पढ़ने के लिये कहा जाए (वहाँ पढ़े) और फ़ालतू सवाल व जवाब न करे

٤٥- بَابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّسُ

(424) हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा क़अम्बी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने महमूद बिन रबीआ से, उन्होंने इत्बान बिन मालिक से (जो नाबीना थे) कि नबी करीम (ﷺ) उनके घर तशरीफ़ लाए। आप (ﷺ) ने पूछा कि तुम अपने घर में कहाँ पसंद करते हो कि मैं तुम्हारे लिये नमाज़ पढ़ूं। इत्बान ने बयान किया कि मैंने एक जगह की तरफ़ इशारा किया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने तक्बीर कही और हमने आपके पीछे स़फ़ बाँधी फिर आपने दो रकअ़त नमाज़ (नफ़्ल) पढ़ाई।

(दीगर मक़ाम : 425, 667, 686, 838, 840, 1186, 4009, 4010, 5401, 6423, 6938)

٤٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

[أطرافه في : ٤٢٥، ٦٦٧، ٦٨٦، ٨٣٨، ٨٤٠، ١١٨٦، ٤٠٠٩، ٤٠١٠، ٥٤٠١، ٦٤٢٣، ٦٩٣٨].

तशरीह : बाब का मतलब हदीष़ से इस तरह निकला कि आँहज़रत (ﷺ) ने उनके घर में नफ़िल नमाज़ बाजमाअ़त पढ़ाकर इस तरह उन पर अपनी नवाज़िश फ़र्माई। फिर उन्होंने (इतबान) ने अपनी नफ़्ली नमाज़ों के लिये इसी जगह को मुक़र्रर कर लिया। मा'लूम हुआ कि ऐसे मौक़ा पर नफ़िल नमाज़ों को जमाअ़त से भी पढ़ लेना जाइज़ है। मज़ीद तफ़्सील (विस्तृत जानकारी) आगे आ रही है।

बाब 46 : इस बयान में (कि बवक़्ते ज़रूरत) घरों में जाए नमाज़ (मुक़र्रर कर लेना जाइज़ है)

٤٦- بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي

और बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने अपने घर की मस्जिद में जमाअ़त से नमाज़ पढ़ी।

دَارِهِ جَمَاعَةً

(425) हमसे सईद बिन उ़फ़ैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे उ़कैल ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया कि मुझे महमूद बिन रबीअ़ा अंसारी ने कि इत्बान बिन मालिक अंसारी (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के स़हाबी और ग़ज़्व-ए-बद्र के हाज़िर होने वालों में से थे, नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बीनाई में कुछ फ़र्क़ आ गया है और मैं अपनी क़ौम के लोगों को नमाज़ पढ़ाया करता हूँ लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो मेरे और मेरी क़ौम के बीच जो वादी है वो भर जाती है और बहने लग जाती है और मैं उन्हें नमाज़ पढ़ाने के लिये मस्जिद तक नहीं जा सकता; या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी ख़्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ और (किसी जगह) नमाज़ पढ़ दें ताकि मैं उसे नमाज़ की जगह बना लूँ। रावी ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इत्बान से फ़र्माया, इंशाअल्लाह तआ़ला! मैं तुम्हारी इस ख़्वाहिश को पूरा करूँगा। इत्बान ने कहा कि (दूसरे दिन) जब दिन चढ़ा तब रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) दोनों तशरीफ़ ले आए और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंदर आने की इजाज़त चाही, मैंने इजाज़त दे दी। जब आप घर में तशरीफ़ लाए तो बैठे भी नहीं और पूछा कि तुम अपने घर के किस हिस्से में मुझसे नमाज़ पढ़ने की चाहत रखते हो। इत्बान ने कहा कि मैंने घर में एक कोने की तरफ़ इशारा किया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) (उस जगह) खड़े हुए और तक्बीर कही हम भी आपके पीछे खड़े हो गए और स़फ़ बाँधी। पस आपने दो रकअ़त (नफ़्ल) नमाज़ पढ़ाई फिर सलाम फेरा। इत्बान ने कहा कि हमने आपको थोड़ी देर के लिये रोका और आपकी ख़िदमत में ह़लीम पेश किया जो आप ही के लिये तैयार किया गया था। इत्बान ने कहा कि मुहल्ले वालों का एक मजमा घर में लग गया और मजमे में से एक शख़्स बोला कि मालिक बिन दुख़ैशिन या (या ये कहा कि

٤٢٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ. وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى. قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى)). قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)). قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ – أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ –؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ

अल्लाह وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لاَ تَقُلْ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يُرِيْدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟)) قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ))، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ- وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ، فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ.

[راجع: ٤٢٤]

इब्ने दुख़ैशिन दिखाई नहीं देता। इस पर किसी दूसरे ने कह दिया कि वो तो मुनाफ़िक़ है जिसे अल्लाह और रसूल (ﷺ) से कोई मुहब्बत नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया कि ऐसा मत कहो, क्या तुम देखते नहीं कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और इससे मक़्सूद ख़ालिस अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना है, तब मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम लगाने वाला बोला कि अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) को ज़्यादा इल्म है और हम तो बज़ाहिर इसकी तवज्जुहात और दोस्ती मुनाफ़िक़ों ही के साथ देखते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पर, अगर उसका मक़सद ख़ालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो जहन्नम की आग हराम कर दी है। इब्ने शिहाब ने कहा कि फिर मैंने महमूद से सुनकर हुसैन बिन महमूद अंसारी से जो बनू सालिम के शरीफ़ लोगों में से हैं (इस हदीष) के बारे में पूछा तो उन्होंने उसकी तस्दीक़ की और कहा कि महमूद सच्चा है। (राजेअ : 424)

तश्रीह : अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस हदीष से बहुत से मसाइल को षाबित फ़र्माया है। मषलन (1) अन्धे की इमामत का जाइज़ होना जैसा कि हज़रत इतबान नाबीना होने के बावजूद अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते थे। (2) अपनी बीमारी का बयान करना शिकायत में दाख़िल नहीं। (3) ये भी षाबित हुआ कि मदीना में मस्जिदे नबवी के अलावा दीगर मस्जिद में भी नमाज़ जमाअत से अदा की जाती थी। (4) इतबान जैसे मअज़ूरों के लिये अंधेरे और बारिश में जमाअत का मुआफ होना। (5) बवक़्ते ज़रूरत नमाज़ घर में पढ़ने के लिये एक जगह मुक़र्रर कर लेना। (6) सफ़ों का बराबर करना। (7) मुलाक़ात के लिये आने वाले बड़े आदमी की इमामत का जाइज़ होना, बशर्ते कि साहिबेख़ाना (घर का मुखिया) उसे इजाज़त दे। (8) आँहज़रत (ﷺ) ने जहाँ नमाज़ पढ़ी उस जगह का मुतबर्रक होना। (9) अगर किसी सालेह नेक इन्सान को घर में बरकत के लिये बुलाया जाए तो उसका जाइज़ होना। (10) बड़े लोगों की छोटे भाइयों की दा'वत कुबूल करना। (11) वादा पूरा करना और उसके लिये इंशाअल्लाह कहना। अगर मेजबान पर भरोसा है तो बग़ैर बुलाए हुए भी अपने साथ दूसरे अहबाब को दा'वत के लिये ले जाना। (12) घर में दाख़िल होने से पहले साहिबे ख़ाना से इजाज़त हासिल करना। (13) मुहल्ले वालों का आलिम या इमाम के पास बरकत हासिल करने के लिये जमा होना। (14) जिससे दीन में नुक़्सान का डर हो उसका हाल इमाम के सामने बयान कर देना। (15) ईमान में सिर्फ़ जुबानी इक़रार काफ़ी नहीं जब तक कि दिल में यक़ीन और ज़ाहिर में अमले-सालेह न हो। (16) तौहीद पर मरने वाले का हमेशा दोज़ख़ में न रहना। (17) बरसात में घर में नमाज़ पढ़ लेना। (18) नवाफ़िल जमाअत से अदा करना।

क़स्तलानी ने कहा कि इतबान बिन मालिक अन्सारी सालेमी मदनी थे जो नाबीना हो गए थे। आँहज़रत (ﷺ) हफ़्ता के दिन आपके घर तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बक्र और उमर (रज़ि.) भी साथ थे। हलीम ख़ज़ीरा का तर्जुमा है, जो गोश्त के टुकड़ों को पानी में पकाकर बनाया जाता था और उसमें आटा भी मिलाया जाता था। मालिक बिन दुख़ैशिन जिस पर निफ़ाक़ का शुबहा ज़ाहिर किया गया था, बाज़ लोगों ने इसे मालिक बिन दुख़शुम सही कहा है, बिला इख़्तिलाफ़ बद्र की लड़ाई में शरीक थे और सुहैल बिन अम्र काफ़िर को उन्होंने ही पकड़ा था। इब्ने इस्हाक़ ने मग़ाज़ी में बयान किया है कि मस्जिदे ज़रार को जलाने वालों में आँहज़रत (ﷺ) ने इनको भी भेजा था; तो ज़ाहिर हुआ कि ये मुनाफ़िक़ न थे मगर कुछ लोगों को बाज़ हालात की बिना पर उनके बारे में ऐसा ही शुबहा हुआ जैसा कि हातिब बिन अबी बलतआ के बारे में शुबहा पैदा हो गया था जबकि उन्होंने अपने

बीवी और बच्चों की मुहब्बत में आँहज़रत (ﷺ) के इरादा किये हुए लश्कर की जासूसी मक्का वालों से करने की कोशिश की थी जो उनकी ग़लती थी। मगर आँहज़रत (ﷺ) ने उनका उज़र कुबूल फ़र्माकर उस ग़लती को मुआफ़ कर दिया था। ऐसा ही मालिक बिन दुखशुम के बारे में आपने लोगों को मुनाफ़िक़ कहने से मना फ़र्माया, इसलिये भी कि वो मुजाहिदीने बद्र से हैं जिनकी सारी ग़लतियों को अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया है।

इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ को बीस से भी ज़्यादा मक़ामात पर रिवायत किया है और इससे बहुत से मसाइल निकाले हैं जैसा कि ऊपर गुज़र चुका है।

बाब 47 : मस्जिद में दाख़िल होने और दूसरे कामों में भी दाईं तरफ़ से शुरूआत करने के बयान में

٤٧- بَابُ: التَّيَمُّنُ فِي دخولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) मस्जिद में दाख़िल होने के लिये पहले दायाँ पांव रखते और निकलने के लिये पहले बायाँ पांव बाहर निकालते।

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

(426) हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा हमको शुअ़बा ने ख़बर दी अश्अ़ष़ बिन सुलैम के वास्ते से, उन्होंने मस्रूक़ से, उन्होंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से कि रसूलल्लाह (ﷺ) अपने तमाम कामों में जहाँ तक मुम्किन होता दाईं तरफ़ से शुरू करने को पसंद करते थे। त़हारत के वक़्त भी, कंघा करने और जूता पहनने में भी। (राजेअ़ : 168)

٤٢٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.

[راجع: ١٦٨]

बाब 48 : क्या दौरे जाहिलियत के मुश्रिकों की क़ब्रों को खोद डालना और उनकी क़ब्रों की जगह को मस्जिद बनाना जाइज़ है?

٤٨- بَابُ: هَلْ يُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ؟

क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह यहूदियों पर लअ़नत करे कि उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया और क़ब्रों में नमाज़ मक्रूह होने का बयान। ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) को एक क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ते देखा तो फ़र्माया कि क़ब्र है क़ब्र! और आपने उनको नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया।

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْقُبُورِ، وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ.

(427) हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने हिशाम बिन उ़र्वा के वास्ते से बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से ये ख़बर दी कि उम्मे ह़बीबा और उम्मे सलमा (रज़ि.) दोनों ने एक कनीसा का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने ह़ब्शा में देखा था उसमें

٤٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ

فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).[أطرافه في : ٤٣٤، ١٣٤١، ٣٨٧٨].

मूर्तियाँ (तस्वीरें) थीं। उन्होंने उसका तज़्किरा नबी करीम (ﷺ) से भी किया। आपने ये फ़र्माया कि उनका ये क़ायदा था कि अगर उनमें कोई नेकोकार शख़्स मर जाता तो वो लोग उसकी क़ब्र पर मस्जिद बनाते और उसमें यही मूर्तियाँ (तस्वीरें) बना देते पस ये लोग अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन तमाम मख़्लूक़ में बुरे होंगे। (दीगर मक़ाम : 434, 1341, 3878)

तश्रीह : ये अ़षर मौसूलन अबू नुऐम ने किताबुस्सलात में निकाला है जो हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के शुयूख़ में से हैं। तफ़्सील ये है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अनस (रज़ि.) को एक क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ते देखा तो क़ब्र क़ब्र कहकर उनको इत्तिला फ़र्माई, मगर वो कमर समझे। बाद में समझ जाने पर वो क़ब्र से दूर हो गए और नमाज़ अदा की। इससे इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि नमाज़ जाइज़ हो गई अगर फ़ासिद होती तो दोबारा शुरू करते। (फ़त्हुल बारी)

आज के ज़माने में जब क़ब्रपरस्ती आम है बल्कि चिल्लापरस्ती और शुदापरस्ती और ताज़ियापरस्ती सब ज़ोरों पर है, तो इन हालात में आँहज़रत (ﷺ) की हदीष़ के मुताबिक़ क़ब्रों के पास मस्जिद बनाने से मना करना चाहिए और अगर कोई किसी क़ब्र को सज्दा करें या क़ब्र की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़े तो उसके मुश्रिक होने में क्या शक़ हो हो सकता है?

٤٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعًا عِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُوبَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا)). قَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ. فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ،

(428) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उन्होंने अबुत तियाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ के बुलन्द हिस्से में बनी अ़म्र बिन औ़फ़ के यहाँ आप उतरे और यहाँ चौबीस रातें क़याम फ़र्माया। फिर आपने बनू नज्जार को बुला भेजा, तो वो लोग तलवारें लटकाए हुए आए। अनस ने कहा, गोया मेरी नज़रों के सामने नबी करीम (ﷺ) अपनी सवारी पर तशरीफ़ फ़र्मा हैं, जबकि अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) आपके पीछे बैठे हुए हैं और बनू नज्जार के लोग आपके चारों तरफ़ हैं। यहाँ तक कि आप अबू अय्यूब के घर के सामने उतरे और आप ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज़ का वक़्त हो जाए फ़ौरन नमाज़ अदा कर लें। आप बकरियों के बाड़ों में भी नमाज़ अदा कर लेते थे, फिर आपने यहाँ मस्जिद बनाने के लिये हुक्म दिया। चुनाँचे बनू नज्जार के लोगों को आपने बुलवाकर फ़र्माया कि ऐ बनू नज्जार! तुम अपने इस बाग़ की क़ीमत मुझसे ले लो। उन्होंने जवाब दिया नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसकी क़ीमत हम सिर्फ़ अल्लाह तआला से ही माँगते हैं। अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं जैसा कि तुम्हें बता रहा था, यहाँ मुश्रिकीन की क़ब्रें थीं, उस बाग़ में एक वीरान जगह

थी और कुछ खजूर के दरख़्त भी थे। पस नबी करीम (ﷺ) ने मुश्रिकीन की क़ब्रों को उखाड़ दिया। वीराने को साफ़ और बराबर कराया और दरख़्तों को कटवाकर उनकी लकड़ियों को मस्जिद के क़िब्ले की जानिब बिछा दिया और पत्थरों के ज़रिये उन्हें मज़बूत बना दिया। सहाबा पत्थर उठाते हुए रजुज़ पढ़ते थे और नबी करीम (ﷺ) भी उनके साथ थे और ये कह रहे थे कि ऐ अल्लाह! आख़िरत के फ़ायदे के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं पस अंसार व मुहाजिरीन की मग़्फ़िरत फ़र्माना। (राजेअ : 234)

وَفِيهِ خَرِبٌ، وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ
فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ

[راجع: ٢٣٤]

तश्रीह : बनू नज्जार से आपकी क़राबत (रिश्तेदारी) थी। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की इन लोगों में ननिहाल थी। ये लोग इज़हारे ख़ुशी और वफ़ादारी के लिये तलवारें बाँधकर आपके इस्तक़बाल के लिये हाज़िर हुवे और ख़ुसूसी शान के साथ आपको ले गए। आपने शुरू में हज़रत अबू अय्यूब के घर क़ियाम फ़र्माया। कुछ दिनों के बाद मस्जिदे नबवी की ता'मीर शुरू हुई और यहाँ से पुरानी क़ब्रों और दरख़्तों वग़ैरह से ज़मीन को साफ़ किया। यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि ख़जूर के उन दरख़्तों का लकड़ियों से क़िब्ला की दीवार बनाई गई थी। उनको खड़ी करके ईंट और गारे से मज़बूत कर दिया गया था। बाज़ का क़ौल है कि छत के क़िब्ला की जानिब वाले हिस्से में उन लकड़ियों को इस्तेमाल किया गया था।

बाब 41 : बकरियों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ना

٤٩- بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

(429) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअबा ने अबुत तियाह के वास्ते से, उन्होंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) बकरियों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ते थे, अबुत तियाह या शुअबा ने कहा, फिर मैंने अनस को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम (ﷺ) बकरियों के बाड़े में मस्जिद की ता'मीर से पहले नमाज़ पढ़ा करते थे। (राजेअ : 234)

٤٢٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

[راجع: ٢٣٤]

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि बकरियों के बाड़ों में बवक़्ते ज़रूरत एक तरफ़ जगह बनाकर नमाज़ पढ़ ली जाए तो जाइज़ है। इब्तिदा में आँहज़रत (ﷺ) ख़ुद भी बकरियों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ लिया करते थे। बाद में मस्जिदे नबवी बन गई और ये जवाज़ बवक़्ते ज़रूरत बाक़ी रहा।

बाब 50 : ऊँटों के रहने की जगह में नमाज़ पढ़ना

٥٠- بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ

(430) हमसे सदक़ा बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुलैमान बिन हय्यान ने, कहा हमसे उबैदुल्लाह ने नाफ़ेअ के

٤٣٠- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيْرِهِ وَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ. [طرفه في : ٥٠٧].

वास्ते से, उन्होंने कहा कि मैंने इ़मर (रज़ि.) को अपने ऊँट की तरफ़ नमाज़ पढ़ते देखा और उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इसी तरह नमाज़ पढ़ते देखा था।

٥١- بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌأَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

बाब 51 : अगर कोई शख़्स नमाज़ पढ़े और उसके आगे तन्नूर, या आग, या और कोई ऐसी चीज़ हो जिसे मुश्रिक लोग पूजते हों, लेकिन उस नमाज़ो की निय्यत सिर्फ़ इबादते इलाही हो तो नमाज़ दुरुस्त है

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وأنا أصلي)).

ज़ुहरी ने कहा अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे सामने दोज़ख़ लाई गई और उस वक़्त मैं नमाज़ पढ़ रहा था।

ये ह़दीष़ का एक टुकड़ा है जिसको इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाबु वक़्तिज़्ज़ुहर में वस़्ल किया है, इससे ष़ाबित होता है कि नमाज़ी के आगे ये चीज़ें हों और उसकी निय्यत ख़ालिस़ हो तो नमाज़ बिला कराहत दुरुस्त है।

٤٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((أُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ)). [راجع: ٢٩]

(431) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अ़ता बिन यसार से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी और फ़र्माया कि (मुझे) आज जहन्नम दिखाई गई, उससे ज़्यादा भयानक मंज़र मैंने कभी नहीं देखा। (राजेअ़ : 29)

इस ह़दीष़ से ह़ज़रत इमाम (रह.) ने ये निकाला कि नमाज़ में आग के अंगारे सामने होने से कुछ नुक़सान नहीं है।

٥٢- بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي الْمَقَابِرِ

बाब 52 : मक़्बरों में नमाज़ पढ़ने की कराहत में

٤٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُورًا)). [طرفه في : ١١٨٧].

(432) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह़्या ने बयान किया, उन्होंने इ़बैदुल्लाह बिन इ़मर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे नाफ़ेअ़ ने अ़ब्दुल्लाह बिन इ़मर (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने घरों में भी नमाज़ें पढ़ा करो और उन्हें बिलकुल मक़्बरा न बना लो। (दीगर मक़ाम : 1187)

इस बाब में एक और सरीह ह़दीष़ में फ़र्माया है मेरे लिये सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई है मगर क़ब्रस्तान और ह़माम, ये ह़दीष़ अगरचे सहीह है मगर हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की शर्त पर न थी इसलिये आप इसको न लाए, क़ब्रस्तान में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। सही मसलक यही है, घरों को मक़बरा न बनाओ का यही मतलब है कि नफ़िल नमाज़ें घरों में पढ़ा करो और क़ब्रस्तान की तरह वहाँ नमाज़ पढ़ने से परहेज़ न किया करो।

बाब 53 : धंसी हुई जगहों में या जहाँ कोई और अ़ज़ाब उतरा हो वहाँ नमाज़ (पढ़ना कैसा है?) ह़ज़रत अ़ली से मन्क़ूल है कि आपने बाबिल की धंसी हुई जगह में नमाज़ को मकरूह समझा

٥٣- بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ بِخَسْفِ بَابِلَ

बाबिल कूफ़ा की ज़मीन और उसके इर्द–गिर्द जहाँ नमरूद मरदूद ने बड़ी इमारत बाग़े इरम के नाम से बनवाई थी। अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया।

(433) हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, उन अ़ज़ाबवालों के आष़ार से अगर तुम्हारा गुज़र हो तो रोते हुए गुज़रो, अगर तुम उस मौक़े पर रो न सको तो उनसे गुज़रो ही नहीं, ऐसा न हो कि तुम पर भी उनके जैसा अ़ज़ाब आ जाए।

(दीगर मक़ाम : 3380, 3381, 4419, 4420, 4702)

٤٣٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ)).

[أطرافه في : ٣٣٨٠، ٣٣٨١، ٤٤١٩، ٤٤٢٠، ٤٧٠٢].

बाब 54 : गिरजा में नमाज़ पढ़ने का बयान

٥٤- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ

और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा ओ नस़रानियों! हम आपके गिरजाओं में इस वजह से नहीं जाते कि वहाँ मूर्तियाँ होतीं हैं और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) गिरजा में नमाज़ पढ़ लेते, मगर उस गिरजा में न पढ़ते जहाँ मूर्तियाँ होतीं।

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.

(434) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकन्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको अ़ब्दह बिन सुलैमान ने ख़बर दी, उन्होंने हिशाम बिन उ़र्वा से, उन्होंने अपने बाप उ़र्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से कि ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने

٤٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ

ا للهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ: ((أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ – أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ – بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ ا للهِ)). [راجع: ٤٢٦]

आँहज़रत (ﷺ) से एक गिरजा का ज़िक्र किया जिसको उन्होंने हब्श के मुल्क में देखा उसका नाम मारिया था। उसमें जो मूर्तियाँ देखी थीं वो बयान कीं। उस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया ये ऐसे लोग थे कि अगर उनमें कोई नेक बन्दा (या ये फ़र्माया कि) नेक आदमी मर जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बनाते और उसमें ये बुत रखते। ये लोग अल्लाह के नज़दीक सारी मख़्लूक़ से बदतर हैं।

(राजेअ : 426)

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि तर्जुमा और बाब में मुताबक़त ये है कि इस में ये ज़िक्र है कि वो लोग उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लेते, इसमें इशारा है कि मुसलमान को गिरजा में नमाज़ पढ़ना मना है क्योंकि इहतिमाल है कि गिरजा की जगह पहले क़ब्र हो और मुसलमान के नमाज़ पढ़ने से वो मस्जिद हो जाए।

इन ईसाइयों से बदतर उन मुसलमानों का हाल है जो मज़ारों को मस्जिदों से भी ज़्यादा ज़ीनत देकर वहाँ बुज़ुर्गों से ह़ाजत त़लब करते हैं बल्कि उन मज़ारों पर सज्दा करने से भी बाज़ नहीं आते। ये लोग भी अल्लाह के नज़दीक बदतरीन ख़लाइक़ हैं।

٥٥– بَابٌ

बाब : 55

٤٣٥، ٤٣٦– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ا للهِ بْنُ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ ا للهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ ا للهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: – وَهُوَ كَذَلِكَ – ((لَعْنَةُ ا للهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

[أطرافه في : ١٣٣٠، ١٣٩٠، ٣٤٥٣، ٤٤٤١، ٤٤٤٣، ٥٨١٥].

[أطرافه في : ٣٤٥٤، ٤٤٤٤، ٥٨١٦].

(435,436) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको शुऐब ने ख़बर दी ज़ुहरी से, उन्होंने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उत्बा ने ख़बर दी कि ह़ज़रत आइशा और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि जब नबी करीम (ﷺ) मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो आप अपनी चादर को बार-बार चेहरे पर डालते। जब कुछ इफ़ाक़ा होता तो अपने मुबारक चेहरे से चादर हटा देते। आपने इसी इज़्तिराब और परेशानी की ह़ालत में फ़र्माया, यहूदो-नसारा पर अल्लाह की फ़टकार हो कि उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया। आप ये फ़र्माकर उम्मत को ऐसे कामों से डराते थे।

(दीगर मक़ाम : 1330, 1390, 3453, 4441, 4443, 5815)

(दीगर मक़ाम : 3454, 4444, 5816)

٤٣٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ ا للهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

(437) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने मालिक के वास्ते से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सईद बिन

मुसय्यिब से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि .) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूदियों पर अल्लाह की लअ़नत हो उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया।

الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)).

तश्रीह : आपने उम्मत को इसलिये डराया कि कहीं वो भी आपकी क़ब्र को मस्जिद न बना लें। एक ह़दीष़ में आपने फ़र्माया- मेरी क़ब्र पर मेला न लगाना। एक दफ़ा आपने फ़र्माया कि- या अल्लाह! मेरी क़ब्र को बुत न बना देना कि लोग उसे पूजे। यहूद और नसारा दोनों के यहां क़ब्रपरस्ती आम थी और आज भी है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम **इग़ाष़तुल्लहफ़ान** में फ़र्माते हैं कि अगर कोई शख़्स मौजूदा आम मुसलमानों का ह़दीष़े नबवी और आष़ारे स़ह़ाबा व ताबेईन की रोशनी में मुवाज़ना (तुलना) करें तो वो देखेगा कि आज मुसलमानों के एक जम्मे ग़फ़ीर (बड़े झुण्ड) ने भी किस त़रह ह़दीष़े नबवी की मुख़ालफ़त करने की ठान ली है। मष़लन :—

(1) आँह़ज़रत (ﷺ) ने नबियों की क़ब्रों पर भी नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया मगर मुसलमान शौक़ से कितनी ही क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ते हैं। (2) आँह़ज़रत (ﷺ) ने क़ब्रों पर मसाजिद की त़रह इमारत बनाने से सख़्ती के साथ रोका मगर आज उन पर बड़ी-बड़ी इमारत बनाकर उनका नाम खानक़ाह, मज़ार शरीफ़ और दरगाह वग़ैरह रखा जाता है। (3) आँह़ज़रत (ﷺ) ने क़ब्रों पर चिराग़ां से मना फ़र्माया, मगर क़ब्रपरस्त मुसलमान क़ब्रों पर ख़ूब—ख़ूब चिराग़ां करते हैं और इस काम के लिये कितनी ही जायदादें वक़्फ़ करते हैं। (4) आँह़ज़रत (ﷺ) क़ब्रों पर ज़ाइद मिट्टी डालने से भी मना फ़र्माया, मगर ये लोग मिट्टी की बजाय चूना और ईंट से उनको पुख़्ता बनाते हैं। (5) आँह़ज़रत (ﷺ) ने क़ब्रों पर क़तबे लिखने से मना फ़र्माया, मगर ये लोग शानदार इमारतें बनाकर आयाते क़ुर्आनी क़ब्रों पर लिखते हैं। गोया कि हुज़ूर (ﷺ) के हर हुक्म के मुख़ालिफ़ और दीन की हर हिदायत के बाग़ी बने हुए हैं।

साहिबे मजालिसुल अबरार लिखते हैं कि ये गुमराह फ़िर्क़ा ग़ुलू (अति/हद से बढ़ने) में यहां तक पहुंच गया है कि बैतुल्लाह शरीफ़ की त़रह क़ब्रों के आदाब और अरकान व मनासिक मुक़र्रर कर डालते हैं जो इस्लाम की जगह खुली हुई बुतपरस्ती है। फिर ता'ज्जुब ये है कि ऐसे लोग अपने आप को ह़नफ़ी, सुन्नी कहलाते हैं। हालांकि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने हर्गिज ऐसे उमूर के लिये नहीं फ़र्माया। अल्लाह मुसलमानों को नेक समझ अ़ता करे।

बाब 56 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद कि मेरे लिये सारी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने और पाकी ह़ासिल करने (यानी तयम्मुम करने) की इजाज़त है

٥٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا))

(438) हमसे मुह़म्मद बिन सिनान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशैम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबू ह़कम सय्यार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यज़ीद फ़क़ीर ने, कहा हमसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे पाँच ऐसी चीज़ें अ़ता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया को नहीं दी गई थी। (1) एक महीने की राह से मेरा डर डालकर मेरी मदद की गई। (2) मेरे लिये तमाम ज़मीन में नमाज़ पढ़ने और पाकी ह़ासिल करने की इजाज़त है इसलिये मेरी उम्मत के जिस आदमी की नमाज़ का वक़्त (जहाँ भी) हो जाए उसे (वहीं) नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। (3) मेरे लिये माले ग़नीमत ह़लाल

٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ - هُوَ أَبُو الْحَكَمِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ

किया गया। (4) पहले अंबिया ख़ास अपनी क़ौम की हिदायत के लिये भेजे जाते थे लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिये भेजा गया है। (5) मुझे शफ़ाअत अता की गई है। (राजेअ : 335)

الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ)). [راجع: ٣٣٥]

मा'लूम हुआ कि ज़मीन के हर हिस्से पर नमाज़ और उससे तयम्मुम करना दुरुस्त है बशर्ते कि वो हिस्सा पाक हो। माले ग़नीमत वो जो इस्लामी जिहाद में फ़तह के नतीजा में हासिल हो। ये आपकी ख़ुसूसियात है जिनकी वजह से आप सारे अंबिया में मुमताज़ हुए। अल्लाह ने आपका रौब इस क़दर डाल दिया था कि बड़े-बड़े बादशाह दूर–दराज बैठे हुए महज आपका नाम सुनकर कांप जाते थे। क़िसरा परवेज़ ने आपका नाम–ए–मुबारक चाक कर डाला था। अल्लाह तआला ने थोड़े ही दिनों बाद उसी के बेटे शेरविया के हाथ से उसका पेट चाक करा दिया। अब भी दुश्मनाने रसूल (ﷺ) का यही हश्र होता है कि वो ज़िल्लत का मौत पर मरते हैं।

बाब 57 : औरत का मस्जिद में सोना

٥٧- بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

(439) हमसे उबैद बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने हिशाम के वास्ते से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, कि अरब के किसी क़बीले की एक काली लौण्डी थी। उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया था और वो उन्हीं के साथ रहती थीं। उसने बयान किया कि एक बार उनकी एक लड़की (जो दुल्हन थी) नहाने को निकली, उसका कमरबन्द सुर्ख़ तस्मों का था उसने कमरबन्द उतार कर रख दिया या उसके बदन से गिर गया फिर उस तरफ़ से एक चील गुज़री जहाँ कमरबन्द पड़ा था चील उसे (सुर्ख़ रंग की वजह से) गोश्त समझकर झपट ले गई। बाद में क़बीला वालों ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं न मिला। उन लोगों ने उसकी तोहमत मुझ पर लगा दी और मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी शर्मगाह तक की तलाशी ले ली। उसने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! मैं उनके साथ इसी हालत में खड़ी थी कि वही चील आई और उसने उसका वो कमरबन्द गिरा दिया। वो उनके सामने ही गिरा। मैंने (उसे देखकर) कहा यही तो था जिसकी तुम मुझ पर तोहमत लगाते थे। तुम लोगों ने मुझ पर इसका इल्ज़ाम लगाया था। हालाँकि मैं इससे पाक थीं। यही तो है वो कमरबन्द उस (लौण्डी) ने कहा, कि उसके बाद मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और इस्लाम लाई। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि उसके लिये मस्जिदे नबवी में एक बड़ा ख़ैमा

٤٣٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ. فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ- أَوْ وَقَعَ مِنْهَا - فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ. قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ. قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ. قَالَتْ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونِي حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا. قَالَتْ : وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ : فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ فَقُلْتُ:هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ

लगा दिया गया (या ये कहा कि) छोटा सा ख़ैमा लगा दिया गया। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि वो लौण्डी मेरे पास आती और मुझसे बातें किया करती थीं। जब भी वो मेरे पास आती तो ये ज़रूर कहती कि कमरबन्द का दिन हमारे रब की अजीब निशानियों मे से है। उसी ने मुझे कुफ़्र के मुल्क से नजात दी। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि मैंने उससे कहा आख़िर बात क्या है? जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये बात ज़रूर कहती हो। आपने बयान किया कि फिर उसने मुझे ये क़िस्सा सुनाया।

عِنْدِيْ. قَالَتْ فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلاَّ قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا‌أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِيْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا : مَا شَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِيْنَ مَعِيَ مَقْعَدًا إِلاَّ قُلْتِ هَذَا. قَالَتْ فَحَدَّثَتْنِيْ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

तश्रीह : ष़ाबित की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि मैंने अल्लाह तआला से दुआ की जो फ़ौरन कुबूल हुई, ष़ाबित हुआ कि ऐसी नौ मुस्लिमा मज़लूमा औरत अगर कहीं जाए पनाह न पा सके तो उसे मस्जिद में पनाह दी जा सकती है और वो रात भी मस्जिद में गुज़ार सकती है। बशर्ते कि किसी फ़ितने का डर न हो। आम हालात में मस्जिद का अदब व एहतराम पेशे नज़र रखना जरूरी है, इससे ये भी ष़ाबित हुआ कि मज़लूम अगरचे काफ़िर हो फिर भी उसकी दुआ कुबूल होती है।

आजकल की बाज़ क़ौमों में औरतें चाँदी का कमरबन्द बतौरे ज़ेवर इस्ते'माल करती है। वो भी इसी किस्म का क़ीमती कमरबन्द होगा जो सुर्ख़ रंग का था जिसे चील ने गोश्त जानकर उठा लिया मगर (बाद में उसे वापस उसी जगह लाकर डाल दिया, ये उस मज़लूमा की दुआ का अष़र था वर्ना वो चील उसे और नामा'लूम जगह डाल देती तो अल्लाह जाने कि वो काफ़िर इस ग़रीब मिस्कीना पर कितने ज़ुल्म ढाते। वो नौ मुस्लिमा हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास आकर बैठा करती थी और आपसे अपने ज़ाती वाक़िआत का ज़िक्र किया करती थी और अकषर मज़कूरा शे'र उसकी ज़ुबानी पर जारी रहा करता था।

बाब 58 : मस्जिदों में मर्दों का सोना

٥٨- بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِيْ الْمَسْجِدِ

और अबू क़िलाबा ने अनस बिन मालिक से नक़ल किया है कि उक्ल नामी क़बीले के कुछ लोग (जो दस से कम थे) नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आए वो मस्जिद के सायबान में ठहरे। अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र ने फ़र्माया कि सुफ़्फ़ा में रहने वाले फ़ुक़रा लोग थे।

وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ، فَكَانُوْا فِي الصُّفَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ.

तश्रीह : इस हदीष़ को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस लफ़्ज़ से बाबुल मुहारिबीन में बयान किया है और ये सायबान या सुफ़्फ़ा में रहनेवाले वो लोग थे जिनका घर बार कुछ न कुछ था। ये सत्तर आदमी थे। इनको अस्हाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता है और ये लोग दारुल उलूम मुहम्मदी के तलब-ए-किराम थे।

(440) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या ने उबैदुल्लाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझको नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि वो अपनी नौजवानी में जबकि उनके

٤٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ

बीवी–बच्चे नहीं थे नबी करीम (ﷺ) की मस्जिद में सोया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1121, 1156, 3738, 3740, 7015, 7028, 7030)

وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في : ١١٢١، ١١٥٦، ٣٧٣٨، ٣٧٤٠، ٧٠١٥، ٧٠٢٨، ٧٠٣٠].

अदब के साथ बवक़्ते ज़रूरत जवानों बूढ़ों के लिये मस्जिद में सोना जाइज़ है। सुफ़्फ़ा मस्जिदे नबवी के सामने एक छायादार जगह थी जो आज भी मदीना मुनव्वरा जाने वाले देखते हैं, यहाँ आप (ﷺ) से ता'लीम हासिल करने वाले रहते थे।

(441) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी ह़ाज़िम ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप अबू ह़ाज़िम सहल बिन दीनार से, उन्होंने सहल बिन सअ़द (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ातिमा (रज़ि.) के घर पर तशरीफ़ लाए देखा कि अ़ली (रज़ि.) घर में मौजूद नहीं है। आपने पूछा कि तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ है? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके बीच कुछ नागवारी पेश आ गई और वो मुझसे नाराज़ होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ क़ैलूला भी नहीं किया है। उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स से कहा कि अ़ली (रज़ि.) को तलाश करो कि कहाँ है? वो आए और बताया कि मस्जिद में सोये हुए हैं। फिर नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) लेटे हुए थे, चादर आपके पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फ़र्मा रहे थे उठो अबू तुराब! उठो!

(दीगर मक़ाम : 3703, 6204, 6280)

٤٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟)) قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لإِنْسَانٍ: ((انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟)) فَجَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ : ((قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ)).

[أطرافه في : ٣٧٠٣، ٦٢٠٤، ٦٢٨٠].

तश्रीह : तुराब अ़रबी में मिट्टी को कहते हैं। आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) को अज़ राहे मुहब्बत लफ़्ज़ अबू तुराब से बुलाया बाद में यही ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) की कुन्नियत हो गई और आप अपने लिये इसे बहुत पसन्द फ़र्माया करते थे। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) आँह़ज़रत (ﷺ) के चचाज़ाद भाई थे, मगर अ़रब के मुहावरे में बाप के अ़ज़ीज़ों को भी चचा का बेटा कहते हैं। आपने अपनी लख़्ते जिगर ह़ज़रत फ़ातमा (रज़ि.) के दिल में ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) की मुहब्बत पैदा कराने के ख़याल से इस त़रज़ से गुफ़्तगू फ़र्माई। मियां–बीवी गाहे–गाहे बाहमी नाराज़गी होना भी एक फ़ितरी चीज़ है, मगर ऐसी ख़फ़गी को दिल में जगह देना ठीक नहीं है। इससे ख़ानगी ज़िन्दगी तल्ख़ हो सकती है। इस ह़दीष़ से मस्जिद में सोने का जवाज़ निकला यही इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद है जिसके तह़त अपने ह़दीष़ को यहाँ ज़िक्र फ़र्माया। जो लोग आमतौर पर मस्जिदों में मर्दों के सोने को नाजाइज़ कहते हैं, उनका क़ौल सही नहीं, जैसा कि ह़दीष़ से ज़ाहिर है।

(442) हमसे यूसुफ़ बिन ईसा ने बयान किया, कहा हमसे इब्ने

٤٤٢- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ:

फ़ुजैल ने अपने वालिद के वास्ते से, उन्होंने अबू हाज़िम से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि मैंने 70 अस्हाबे सुफ़्फ़ा को देखा कि उनमें कोई ऐसा न था जिसके पास चादर हो। फ़क़त तहबंद होता रात को ओढ़ने का कपड़ा जिन्हें ये लोग अपनी गर्दनों से बाँध लेते। ये कपड़े किसी के आधी पिण्डली तक आते और किसी के टख़नों तक। ये हज़रात इन कपड़ों को इस ख़याल से कि कहीं शर्मगाह न खुल जाए अपने हाथों से समेटते रहते थे।

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

हज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहू ने इस हदीष से ये निकाला कि मसाजिद में बवक़्ते ज़रूरत सोना जाइज़ है।

बाब 59 : सफ़र से वापसी पर नमाज़ पढ़ने के बयान में

٥٩- بَابُ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

कअ़ब बिन मालिक से नक़ल है कि नबी (ﷺ) जब किसी सफ़र से (लौटकर मदीने में) तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाते थे और नमाज़ पढ़ते थे।

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ.

इस हदीष को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबे मग़ाजी में बयान किया है।

(443) हमसे यह्या बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमसे मिस्अ़र ने, कहा हमसे मुहारिब बिन दिषार ने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह के वास्ते से, वो कहते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप उस वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे। मिस्अ़र ने कहा कि मेरा ख़याल है कि मुहारिब ने चाश्त का वक़्त बताया था। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि (पहले) दो रकअ़त नमाज़ पढ़ और मेरा आँहज़रत (ﷺ) पर कुछ क़र्ज़ था। जिसे आपने अदा किया और ज़्यादा ही दिया।

(दीगर मक़ामात : 1801, 2097, 2309, 2385, 2394, 2406, 2470, 2603, 2670, 2603, 2604, 2718, 2861, 2967, 3087, 3089, 3090, 4052, 5079, 5080, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5367, 6387)

٤٤٣- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضُحًى - فَقَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ.

[أطرافه في : ١٨٠١، ٢٠٩٧، ٢٣٠٩، ٢٣٨٥، ٢٣٩٤، ٢٤٠٦، ٢٤٧٠، ٢٦٠٣، ٢٦٠٤، ٢٧١٨، ٢٨٦١، ٢٩٦٧، ٣٠٨٧، ٣٠٨٩، ٣٠٩٠، ٤٠٥٢، ٥٠٧٩، ٥٠٨٠، ٥٢٤٣، ٥٢٤٤، ٥٢٤٥، ٥٢٤٦، ٥٢٤٧، ٥٣٦٧، ٦٣٨٧].

बाब 60 : इस बारे में कि जब कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रकअ़त नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये

٦٠- بَابٌ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

(444) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने आमिर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से ये

٤٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

ख़बर पहुँचाई, उन्होंने अम्र बिन सुलैम ज़ुर्क़ी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू क़तादा सलमी (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रकअ़त नमाज़ पढ़ ले।

(दीगर मक़ाम : 1163)

الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)).

[طرفه في : ١١٦٣].

तशरीह : मस्जिद में आने वाला पहले दो रकअ़त नफ़िल पढ़े। फिर बैठे-चाहे कोई भी वक़्त हो और चाहे इमाम जुम्आ का ख़ुत्बा ही क्यों न पढ़ रहा हो। जामेअ़ तिर्मिज़ी में जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है, '**बैनमन्नबिय्यि बैनमन्नबिय्यु ﷺ यख़्तुबु यौमल जुमअ़ति इज जाअ रजुलुन फ़क़ालन्नबिय्यु ﷺ असल्लयत क़ाल ला क़ाल क़ुम फर्कअ क़ाल अबू ईसा व हाज़ल हदीषु हसनुन सहीहुन अख़रजहुल जमाअ़तु व फ़ी रिवायतिन इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमअ़ति वल इमामु यख़्तुबु फ़ल्यर्कअ रकअ़तैनि वल यतजव्वज फ़ीहिमा रवाहु अहमद व मुस्लिम व अबू दाऊद व फ़ी रिवायतिन इज़ा जाअ अहदुकुम यौमल जुमअ़ति व क़द ख़रजल इमामु फल्युसल्लि रकअ़तैनि मुत्तफ़क़ुन अलैहि कज़ा फिल मुन्तक़ा**' (तुहफ़तुल अहवज़ी, जि. 1/स. 363) यानी आँहज़रत (ﷺ) जुम्आ का ख़ुत्बा सुना रहे थे कि अचानक एक आदमी आया और बैठ गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि दो रकअ़त पढ़कर बैठो और रकअ़तों को हलका करके पढ़ो। एक रिवायत में फ़र्माया कि जब भी कोई तुम में से मस्जिद में आए और इमाम ख़ुत्बा पढ़ रहा हो चाहिए कि बैठने से पहले दो रकअ़त पढ़ ले। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, '**वल अमलु अला हाज़ा इन्द बअ़ज़ि अहलिल इल्मि व बिही यक़ूलुश्शाफ़िइय्यु व अहमदु व इस्हाक़ु व क़ाल बअ़ज़ुहुम इज़ा दख़ल वल इमामु यख़्तुबु फ़इन्नहू यज्लिसु व ला युसल्ली व हुव क़ौलु सुफ़्यानष्षौरी व अहलि कूफ़ति वल क़ौलुल अव्वलु असह्हु**' यानी अहले इल्म और इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद और इस्हाक का यही फ़तवा है मगर बाज़ लोग कहते हैं कि इस हालत में नमाज़ न पढ़े बल्कि यूँ ही बैठ जाए। सुफ़यान षौरी (रह.) और अहले कूफ़ा का भी यही क़ौल है। मगर पहला क़ौल ही ज़्यादा सही है और मना करने वालों का क़ौल सही नहीं है।

इमाम नववी (रह.) शरह मुस्लिम में फ़र्माते हैं कि इन अहादीषे सरीहा की बिना पर फ़ुक़हा-ए-मुहद्दिषीन और इमाम शाफ़िई वग़ैरहुम का यही फ़तवा है कि ख़्वाह इमाम ख़ुत्बा ही क्यों न पढ़ रहा हो। मगर मुनासिब है कि मस्जिद में आने वाला दो रकआ़त तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ कर बैठे और मुस्तहब है कि उनमें तख़्फ़ीफ़ (मुख़्तसर) करें। आँहज़रत (ﷺ) ने जिस आने वाले शख़्स को जुम्आ के ख़ुत्बा के दौरान दो रकअ़तें पढ़ने का हुक्म फ़र्माया था उसका नाम सुलैक था। मौजूदा दौर में बाज़ लोगों की आदत हो गई कि मस्जिद में आते ही पहले बैठ जाते हैं फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं जबकि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत ये है कि मस्जिद में बैठने से पहले दो रकअ़त पढ़े, फिर बैठे।

बाब 61 : मस्जिद में रियाह़ (हवा) ख़ारिज करना

٦١- بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

इस बाब से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का ग़र्ज़ ये है कि बे-वुज़ू आदमी मस्जिद में जा सकता है और मस्जिद में बैठ सकता है।

(445) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कि कहा हमें मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से, उन्होंने अअ़रज से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तक तुम अपने मुसल्ले पर जहाँ तुमने नमाज़ पढ़ी थी, बैठे रहो और रियाह़ ख़ारिज न करो तो मलाइका तुम पर बराबर दुरूद भेजते रहते हैं।

٤٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ،

कहते हैं, 'ऐ अल्लाह! इसकी मग़्फ़िरत कीजिए, ऐ अल्लाह! इस पर रह्म कीजिए।' (राजेअ़ : 176)

تَقُولُ : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ)).
[راجع: ١٧٦]

मा'लूम हुआ कि ह़दष (हवा ख़ारिज) होने की बदबू से फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है और वो अपनी दुआ मौक़ूफ़ कर देते हैं। इससे षाबित हुआ कि मस्जिद में जहाँ तक मुमकिन हो बावुज़ू बैठना अफ़ज़ल है।

बाब 62 : मस्जिद की इमारत

٦٢- بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

अबू सईद ने कहा कि मस्जिद की छत खजूर की शाखों से बनाई गई थी। उमर (रज़ि.) ने मस्जिद की ता'मीर का हुक्म दिया और फ़र्माया कि मैं लोगों को बारिश से बचाना चाहता हूँ और मस्जिदों पर सुर्ख़ (लाल), ज़र्द (पीला) रंग मत करो कि इससे लोग फ़ित्ने में पड़ जाएँगे। अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि (इस तरह पुख़्ता बनवाने से) लोग मसाजिद पर फ़ख़्र करने लगेंगे। मगर उनको आबाद बहुत कम लोग करेंगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम भी मसाजिद की इसी तरह ज़ैबाइश करोगे जिस तरह यहूद और नसारा ने की।

وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ : كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ. وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ. وَقَالَ أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لاَ يَعْمُرُوْنَهَا إِلاَّ قَلِيْلاً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى.

तश्रीह : हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब (रह.) फ़र्माते हैं कि मस्जिद की रंग–रोग़न और नक़्श व निगार देखकर नमाज़ में नमाज़ी का ख़याल के बाब में निकाला। इब्ने माजा ने हज़रत उमर (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न रिवायत किया है कि किसी क़ौम का काम उस वक़्त तक कुछ नहीं बिगड़ा जब तक उसने अपनी मस्जिदों को आरास्ता नहीं किया। अकष़र उलमा ने मस्जिदों को बहुत ज़्यादा सजाने को मकरूह जाना है क्योंकि ऐसा करने से एक तो नमाज़ियों का ख़याल नमाज़ से हट जाता है और दूसरा पैसे का बेकार ज़ाए (बर्बाद) करना है। जब मसाजिद का नक़्श व निगार बेफ़ायदा मकरूह और मना है तो शादी–ग़मी में रुपया उड़ाना और फ़ुज़ूल रस्में करना क़ब दुरुस्त होगा? मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आँखें खोले और जो पैसा मिले उसको नेक कामों और इस्लाम की तरक़्क़ी के सामान में ख़र्च करे। मषलन दीन की किताबें छपवाएं, ग़रीब तालिबे इल्म लोगो की ख़बरगीरी करें, मदरसे और सराय बनवाएं, मिस्कीनों और मुहताज़ों को खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, यतीमों और बेवाओं की परवरिश करें।

(446) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद इब्राहीम बिन सईद ने स़ालेह बिन कैसान के वास्ते से, हमसे नाफ़ेअ़ ने, अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मस्जिदे नबवी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। उसकी छत खजूर की शाख़ों की थी और सुतून उसी की लकड़ियों के। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसमें किसी क़िस्म की ज़्यादती नहीं की। अल्बत्ता हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उसे बढ़ाया और उसकी ता'मीर रसूलुल्लाह (ﷺ) की बनाई हुई बुनियादों के मुताबिक़ कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से की

٤٤٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيْدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ أَبُوبَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ

और उसके सुतून भी लकड़ियों ही के रखे। फिर हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने इसकी इमारत को बदल दिया और उसमें बहुत सी ज़्यादती की। उसकी दीवारें मुनक़्क़श पत्थरों और गछ से बनाईं। उसके सतून भी मुनक़्क़श पत्थरों से बनवाए और छत सागवान से बनाई।

رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا. ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ الْحِجَارَةِ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ.

तश्रीह : मस्जिदे नबवी ज़मान—ए—रिसालत मआब (ﷺ) में जब पहली बार ता'मीर हुई तो उसका तूल व अर्ज़ (क्षेत्रफल) तीस मुरब्बा ग़ज़ (30 वर्ग गज) था। फिर ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के बाद ज़रूरत के तहत इसका क्षेत्रफल पचास वर्ग ग़ज़ कर दिया गया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में मस्जिदे नबवी को कच्ची ईंटों और खजूर की शाख़ों से मुस्तहकम (मज़बूत) किया और सुतून कड़ियों के बनाए। हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में इसे पुख़्ता करा दिया। इसके बाद हज़रत अबु हुरैरह (रज़ि.) मदीना में आए तो आपने नेक हदीषे नबवी सुनाई कि आँहज़रत (ﷺ) ने पेशीनगोई फ़र्माई थी कि एक दिन मेरी मस्जिद की ता'मीर पुख़्ता बुनियादों पर होगी। हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने ये हदीष सुनकर बतौरे ख़ुशी हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को पाँच सौ दीनार पेश किए। बाद के सलातीने इस्लाम (मुस्लिम सुल्तानों) ने मस्जिदे नबवी की ता'मीर व इस्तिहकाम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मौजूदा दौरे हुकूमते सऊदिया (ख़ल्लदहल्लाहु तआ़ला) ने मस्जिद की इमारत को इस क़दर तवील व अ़रीज (लम्बी चौड़ी) और मुस्तहकम (मज़बूत, सुदृढ़) कर दिया है कि देखकर दिल से इस हुकूमत के लिये दुआएं निकलती है। अल्लाह तआ़ला इनकी इस बड़ी ख़िदमात को कुबूल करे।

अहादीष व आषार की बिना पर हद से ज़्यादा मसाजिद की टीपटाप करना अच्छा नहीं है। ये यहूदो-नसारा का दस्तूर था कि वो अपने मज़हब की हक़ीक़ी रूह से ग़ाफ़िल होकर ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत पर फ़रेफ़्ता हो गए। यही हाल आजकल मुसलमानों की मसाजिद का है, जिनके मिनारे आसमानों से बातें कर रहे हैं मगर तौहीद और इस्लाम की हक़ीक़ी रूह से उनको ख़ाली पाया जाता है। इल्ला माशाअल्लाह।

बाब 63 : इस बारे में कि मस्जिद बनाने में मदद करना

(यानी अपनी जान व माल से हिस्सा लेना ष़वाब का काम है) और अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है, 'मुश्रिकीन के लिये लायक़ नहीं है कि अल्लाह तआ़ला की मस्जिदों की ता'मीर में हिस्सा लें'

٦٣- بَابُ التَّعَاوُنِ فِيْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ﴾.

(447) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मुख़्तार ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने इक्रिमा से, उन्होंने बयान किया कि मुझसे और अपने साहबज़ादे अ़ली से इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में जाओ और उनकी अहादीष सुनो। हम गए। देखा कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) अपने बाग़ को दुरुस्त कर रहे थे। हमको देखकर आपने अपनी चादर संभाली और गोट मारकर बैठ गए। फिर हमसे हदीष बयान करने लगे। जब मस्जिदे नबवी के बनाने का ज़िक्र आया तो आप ने बताया कि हम तो (मस्जिद के बनाने में हिस्सा लेते वक़्त) एक—एक ईंट उठाते।

٤٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاِبْنِهِ عَلِيٍّ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ. فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ

لَبِنَتَيْنِ. فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ: ((وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ)) قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ: ((أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ)).

[طرفه في : ٢٨١٢].

लेकिन अम्मार दो-दो ईंटें उठा रहे थे। आँहज़रत (ﷺ) ने उन्हें देखा तो उनके बदन से मिट्टी झाड़ने लगे और फ़र्माया, अफ़सोस! अम्मार को एक बाग़ी जमाअत क़त्ल करेगी। जिसे अम्मार जन्नत की दा'वत देंगे और वो जमाअत अम्मार को जहन्नम की दा'वत दे रही होगी। अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि हज़रत अम्मार (रज़ि.) कहते थे कि मैं फ़ित्नों से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। (दीगर मक़ाम : 2812)

तश्रीह : यहाँ मज़्कूरा अली हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के बेटे हैं। जिस दिन हज़रत अली (रज़ि.) ने जामे शहादत नोश फ़र्माया। उसी दिन ये पैदा हुए थे इसीलिये इनका नाम अली रखा गया और कुन्नियत अबुल हसन। ये कुरैश में बहुत ही हसीन व जमील और बड़े आबिद व ज़ाहिद थे। 120 हिजरी के बाद उनका इन्तक़ाल हुआ। हज़रत अम्मार बिन यासिर बड़े जलीलुलक़द्र सहाबी और आँहज़रत (ﷺ) के जाँनिषार थे। इनकी माँ सुमय्या (रज़ि.) भी बड़े अज़्म व ईक़ान वाली ख़ातून गुज़री है जिनको शहीद कर दिया गया था।

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि बड़े लोगों की सोहबत में बैठना, उनसे दीन की ता'लीम हासिल करना ज़रूरी है। इस हदीष से चन्द बातें वाज़ेह होती हैं। मषलन हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की तरह इल्म व फ़ज़्ल के बावजूद खेतीबाड़ी के कामों में मशग़ूल रहना भी अम्रे मुस्तहसन (नेक काम) है। आनेवाले मेहमानों के एहतराम के लिये अपने कारोबार वाले लिबास को दुरुस्त करके पहन लेना और उनके लिये काम छोड़ देना और उनसे बातचीत करना भी बहुत ही अच्छा तरीक़ा है। (3) मसाजिद की ता'मीर में ख़ुद पत्थर उठा-उठाकर मदद देना इतना बड़ा षवाब का काम है जिसका कोई अन्दाज़ा नहीं किया जा सकता।

क़स्तलानी ने कहा कि इमाम बुख़ारी ने इस हदीष को बाबुल जिहाद और बाबुल फितन में भी रिवायत किया है। इस वाकिआ में आँहज़रत (ﷺ) की सदाक़त की भी रोशन दलील है कि आपने इतने अर्से पहले जो ख़बर दी वो मिन व अन (ज्यों की त्यों) पूरी होकर रही। इसलिये कि **'वमा यन्तिक़ु अनिल हवा, इन हुव इल्ला वह्युंय्युहा'** (सूरह नज्म आयत 3–4) यानी आप दीन के बारे में जो कुछ भी फ़र्माते वो अल्लाह के वहां से फ़र्माया करते थे। सच है :–

मुस्तफ़ा हर गिज़ न गुफ़्ते ताना गुफ़्ते जिब्राईल - जिब्राईल हरगिज़ न गुफ़्ते ताना गुफ़्ते परवरदिगार

٦٤- بَابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

बाब 64 : इस बारे में कि बढ़ई और कारीगर से मस्जिद की ता'मीर में और मिम्बर के तख़्तों को बनवाने में मदद हासिल करना (जाइज़ है)

٤٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ.

[راجع: ٣٧٧]

(448) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया कि कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ ने अबू हाज़िम के वास्ते से, उन्होंने सहल (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने एक औरत के पास एक आदमी भेजा कि वो अपने बढ़ई गुलाम से कहें कि मेरे लिये (मिम्बर) लकड़ियों के तख़्तों से बना दे जिन पर मैं बैठा करूं। (राजेअ : 377)

(449) हमसे ख़लाद बिन यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ऐमन ने अपने वालिद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से कि एक औरत ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं आपके लिये कोई ऐसी चीज़ न बना दूँ जिस पर आप बैठा करें। मेरा एक बढ़ई ग़ुलाम भी है। आपने फ़र्माया कि अगर तू चाहे तो मिम्बर बनवा दे।

(दीगर मक़ाम : 918, 2095, 3584, 3585)

٤٤٩- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا. قَالَ: ((إِنْ شِئْتِ)) فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ. [أطرافه في : ٩١٨، ٢٠٩٥، ٣٥٨٤، ٣٥٨٥].

तशरीह : इस बाब की अहादीष़ में सिर्फ़ बढ़ई का ज़िक्र है। मेअ़मार को इसी पर क़ियास किया गया। या ह़ज़रत त़लक़ बिन अ़ली की ह़दीष़ की त़रफ़ इशारा है जिसे इब्ने ह़िब्बान ने अपनी स़ह़ीह़ में रिवायत किया है कि ता'मीरे मस्जिद के वक़्त ये मिट्टी का गारा बना रहा था और आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनका काम बहुत पसन्द फ़र्माया था। ये ह़दीष़ पहली ह़दीष़ के ख़िलाफ़ नहीं है। पहले ख़ुद उस औरत ने मिम्बर बनवाने की पेशकश की होगी बाद में आपकी त़रफ़ से उसको याद दिहानी कराई गई होगी। इससे ये मसला भी निकलता है कि हदया बग़ैर सवाल किए आए तो क़ुबूल कर लें और वा'दा याद दिलाना भी दुरुस्त है और अहलुल्लाह (अल्लाह वालों) की ख़िदमत करके तक़र्रुब ह़ासिल करना उम्दा है। ह़ज़रत इमाम ने इस ह़दीष़ को अ़लामते नुबुव्वत और बुयूअ़ में भी नक़ल किया है।

बाब 65 : जिसने मस्जिद बनाई उसके अज्रो-ष़वाब का बयान

٦٥- بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

(450) हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़म्र बिन ह़ारिष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे बुकैर बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे आ़सिम बिन अ़म्र बिन क़तादा ने बयान किया, उन्होंने उ़बैदुल्लाह बिन अस्वद ख़ौलानी से सुना, उन्होंने ह़ज़रत उ़ष़्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) से सुना कि मस्जिद नबवी की ता'मीर के बारे में लोगों की बातें सुनकर आपने फ़र्माया कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। हालाँकि मैंने नबी अकरम (ﷺ) से सुना है कि जिसने मस्जिद बनाई.... बुकैर रावी ने कहा मेरा ख़्याल है कि आपने ये भी फ़र्माया कि, इससे मक़्सूद अल्लाह तआ़ला की रज़ा हो, तो अल्लाह तआ़ला ऐसा ही एक मकान जन्नत में उसके लिये बनाएगा।

٤٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلاَنِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ - عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ -: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)).

तशरीह : 30 हिजरी ह़ज़रत उष़मान (रज़ि.) ने मस्जिदे नबवी की ता'मीरे जदीद (पुनर्निर्माण) का काम शुरू कराया। कुछ लोगों ने ये पसन्द किया कि मस्जिद को पहले ह़ाल ही पर बाक़ी रखा जाए। इस पर ह़ज़रत उष़मान (रज़ि.) ने ये

ह़दीषे नबवी अपनी दलील में पेश फ़र्माई और ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की ह़दीष़ से भी इस्तिदलाल किया, जिसका ज़िक्र पहले गुज़र चुका है। बाब और ह़दीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 66 : जब कोई मस्जिद में जाए तो अपने तीर के फल को थामे रखे ताकि किसी नमाज़ी को तक्लीफ़ न हो

٦٦- بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

(451) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने, उन्होंने कहा कि मैंने अ़म्र बिन दीनार से पूछा क्या तुमने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से ये ह़दीष़ सुनी है कि एक शख़्स मस्जिदे नबवी में आया और वो तीर लिये हुए था, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि उनकी नोकें थामे रखो।

(दीगर मक़ाम : 7073, 7074)

٤٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا؟)).

[طرفاه في : ٧٠٧٣، ٧٠٧٤].

बाब 67 : मस्जिद में तीर वग़ैरह लेकर गुज़रना

٦٧- بَابُ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

(452) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने कि कहा हमसे अबू बुर्दा बिन अ़ब्दुल्लाह ने। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद (अबू मूसा अशअ़री स़ह़ाबी) से सुना वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया अगर कोई शख़्स हमारी मसाजिद या हमारे बाज़ारों में तीर लिये हुए चले तो उनके फल थामे रहे, ऐसा न हो कि अपने हाथों से किसी मुसलमान को ज़ख़्मी कर दे।

(दीगर मक़ाम : 7075)

٤٥٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا)).

[طرفه في : ٧٠٧٥].

तश्रीह : इन रिवायात और अबवाब से ह़ज़रात इमाम बुख़ारी (रह.) ये षाबित फ़र्मा रहे हैं कि मसाजिद में मुसलमानों को हथियारबन्द होकर आना दुरूस्त है मगर ये ख़्याल रखना ज़रूरी है कि किसी मुसलमान भाई को कोई तकलीफ़ या चोट न पहुंचे। इसलिये कि मुसलमान की इ़ज़्ज़त व हुर्मत हर ह़ाल में मुक़द्दस है।

बाब 68 : इस बयान में कि मस्जिद में शे'र पढ़ना कैसा है?

٦٨- بَابُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

(453) हमसे अबुल यमान ह़कम बिन नाफ़ेअ़ ने बयान किया, कि हमें शुऐ़ब बिन अबी ह़म्ज़ा ने ज़ुहरी के वास्ते से, कहा कि मुझे अबू सलमा (इस्माईल या अ़ब्दुल्लाह) इब्ने अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ ने, उन्होंने ह़स्सान बिन ष़ाबित अंसारी (रज़ि.) से सुना, वो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को इस बात पर गवाह बना रहे थे कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ)

٤٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ

ﷲ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. [طرفاه في : ٣٢١٢، ٦١٥٢].

को ये कहते हुए नहीं सुना था कि ऐ हस्सान! अल्लाह के रसूल (ﷺ) की तरफ़ से (मुश्रिकों को अश्आर में) जवाब दो और ऐ अल्लाह! हस्सान की रूहुल क़ुदुस के ज़रिये मदद कर। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ! (मैं गवाही देता हूँ। बेशक मैंने हुज़ूर ﷺ से ये सुना है) (दीगर मक़ाम : 3212, 6152)

तश्रीह : ख़िलाफ़ते फ़ारुक़ी के दौर में एक रोज़ हस्सान मस्जिदे नबवी में दीनी अशआर सुना रहे थे। जिस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको रोकना चाहा तो हस्सान (रज़ि.) ने अपने फ़ेअल (उस काम) के जवाज़ में ये हदीष बयान की। हज़रत हस्सान बिन षाबित (रज़ि.) दरबारे रिसालत के ख़ुसूसी शाइर थे और आँहज़रत (ﷺ) की तरफ़ से काफ़िरों के ग़लत अशआर का जवाब अशआर ही में दिया करते थे, इस पर आपने उनके हक़ में तरक़्क़ी की दुआ फ़र्माई।

मा'लूम हुआ कि दीनी अशआर, नज़्में मसाजिद में सुनाना दुरुस्त है। हाँ, लग्व (बेहूदा) और इश्क़िया अशआर का मस्जिद में सुनाना बिल्कुल मना है।

٦٩- بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

बाब 69 : छोटे—छोटे नेज़ों (भालों) से मस्जिद में खेलने वालों के बयान में

٤٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ.[أطرافه في: ٤٥٥، ٩٥٠، ٩٨٨، ٢٩٠٦، ٣٥٢٩، ٣٩٣١، ٥١٩٠، ٥٢٣٦].

(454) हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे स़ालेह बिन कैसान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, मैंने नबी करीम (ﷺ) को एक दिन अपने हुज्रे के दरवाज़े पर देखा। उस वक़्त हब्शा के कुछ लोग मस्जिद में (नेज़ों से) खेल रहे थे (हथियार चलाने की प्रेक्टिस कर रहे थे) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपनी चादर में छिपा लिया ताकि मैं उनका खेल देख सकूँ।

(दीगर मक़ाम : 455, 950, 988, 2906, 3529, 3931, 5190, 5236)

٤٥٥- زَادَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ

(455) इब्राहीम बिन मुंज़िर से रिवायत में ज़्यादती मन्क़ूल है कि उन्होंने कहा हमसे इब्ने वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस ने इब्ने शिहाब के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा जबकि हब्शा के लोग छोटे नेज़ों (भालों) से मस्जिद में खेल रहे थे।

(राजेअ : 454)

[راجع: ٤٥٤]

तश्रीह : इस बाब का मक़सद ये है कि ऐसे हथियार लेकर मस्जिद में जाना जिनसे किसी को किसी क़िस्म का नुक़सान पहुंचने का अन्देशा न हो, जाइज़ है और बाज़ रिवायात में है कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनके इस खेल पर इज़हारे नाराज़गी किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि नेज़ों से खेलना सिर्फ़ खेलकूद के दरजे की चीज़ नहीं है बल्कि इससे जंगी सलाहियतें पैदा होती है जो दुश्मनाने इस्लाम की मुदाफ़िमत में काम आएगी। (फतहुलबारी)

बाब 70 : मस्जिद में मिम्बर पर मसाइले ख़रीदो-फ़रोख़्त का ज़िक्र करना सही है

٧٠- بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

(456) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया कि कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने यह्या बिन सईद अंसारी के वास्ते से, उन्होंने अ़म्र बिन अ़ब्दुर्रहमान से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने फ़र्माया कि बरीरह (रज़ि.) (लौण्डी) उनसे अपनी किताबत के बारे में मदद लेने आईं। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मालिकों को ये रक़म दे दूँ (और तुम्हें आज़ाद करा दूँ) और तुम्हारा वला का रिश्ता मुझसे क़ायम हो। और बरीरह के आक़ाओं ने कहा (आइशा रज़ि. से) कि अगर आप चाहें तो जो क़ीमत बाक़ी रह गई है वो दे दें और वला का रिश्ता हमसे क़ायम रहेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे इस अम्र का ज़िक्र किया। आपने फ़र्माया कि तुम बरीरह को ख़रीदकर आज़ाद करो और वला का ता'ल्लुक़ तो उसी को हासिल हो सकता है जो आज़ाद कराए। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ लाए। सुफ़यान ने (इस हदीष़ को बयान करते हुए) एक बार यूँ कहा कि फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर चढ़े और फ़र्माया। उन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसी शराइत रखते हैं जिनका ता'ल्लुक़ किताबुल्लाह से नहीं है। जो शख़्स भी कोई ऐसी शर्त रखे जो किताबुल्लाह में न हो उसकी कोई हैष़ियत नहीं होगी, अगरचे वो सौ मर्तबा कर ले। इस हदीष़ की रिवायत मालिक ने यह्या के वास्ते से की, वो अ़म्र से कि बरीरह और उन्होंने मिम्बर पर चढ़ने का ज़िक्र नहीं किया। अल्अख़।

(दीगर मक़ाम : 1493, 2155, 2168, 2536, 2560, 2561, 2563, 2564, 2565, 2578, 2717, 2726, 2729, 273-,

٤٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِيْ. وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((ابْتَاعِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ)). رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ.

[أطرافه في: ١٤٩٣، ٢١٥٥، ٢١٦٨، ٢٥٣٦، ٢٥٦٠، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، ٢٥٧٨، ٢٧١٧،

5097, 5279, 5284, 5430, 6717, 6751, 6754, 6758, 6760)

،٢٧٢٦ ،٢٧٢٩ ،٢٧٣٥ ،٥٠٩٧ ،٥٢٧٩ ،٥٢٨٤ ،٥٤٣٠ ،٦٧١٧ ،٦٧٥١ ،٦٧٥٤ ،٦٧٥٨ ،٦٧٦٠].

तशरीह : गुलामी के दौर में ये दस्तूर (नियम) था कि लौण्डी या गुलाम अपने आक़ा का मुँहमांगा रुपया अदा करके आज़ाद हो सकते थे, मगर आज़ादी के बाद उनकी विराषत उन्हीं पहले मालिकों को मिलती थी। इस्लाम ने जहाँ गुलामी को ख़त्म किया, ऐसे ग़लत-दर-ग़लत रिवाजों को भी ख़त्म किया और बतलाया कि जो भी किसी गुलाम को आज़ाद कराए उसकी विराषत तर्का वग़ैरह का (गुलाम की मौत के बाद) अगर कोई उसका वारिष अस्बा न हो तो आज़ाद कराने वाला ही बतौरे असबा उसका वारिष क़रार पाएगा। लफ़्ज़ वला का यही मतलब है। अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि बाब का तर्जुमा आँहज़रत (ﷺ) के लफ़्ज़ **मा बालु अक़वामिन अलअख़....** से निकलता है। इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद यही है कि बैअ़ व शरअ़ (ख़रीदने--बेचने) के मसाइल का मिम्बर पर ज़िक्र करना दुरुस्त है। (फ़तहुल बारी)

बाब 71 : क़र्ज़ का तक़ाज़ा और क़र्ज़दार का मस्जिद तक पीछा करना

٧١- بَابُ التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

(457) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे उ़ष्मान बिन उ़मर अ़ब्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे यूनुस बिन यज़ीद ने ज़ुहरी के वास्ते से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक से, उन्होंने अपने बाप कअ़ब बिन मालिक से कि उन्होंने मस्जिदे नबवी में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी हद्‌रद से अपने क़र्ज़ का तक़ाज़ा किया और दोनों की बातचीत बुलन्द आवाजों से होने लगी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी अपने हुज्रे से सुन लिया। आप पर्दा हटाकर बाहर तशरीफ़ लाए और पुकारा। कअ़ब! कअ़ब (रज़ि.) बोले, हाँ! हुज़ूर फ़र्माइये क्या इर्शाद है? आपने फ़र्माया कि तुम अपने क़र्ज़ में से इतना कम कर दो। आपका इर्शाद था कि आधा कम कर दें। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने (बख़ुशी) ऐसा कर दिया, फिर आपने इब्ने अबी हद्‌रद से फ़र्माया अच्छा! अब उठो और उसका क़र्ज़ अदा करो। (जो आधा मुआफ़ कर दिया गया है)

(दीगर मक़ाम : 471, 2418, 2424, 2706, 2710)

٤٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَعْبُ)) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا. وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَيْ الشَّطْرَ)) قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

[أطرافه في : ٤٧١، ٢٤١٨، ٢٤٢٤، ٢٧٠٦، ٢٧١٠].

बाब 72 : मस्जिद में झाडू देना और वहाँ के चीथड़े, कूड़े–करकट और लकड़ियों को चुन लेना

٧٢- بَابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيْدَانِ

(458) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा

٤٥٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ:

हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने ष़ाबित से, उन्होंने अबू राफ़ेअ से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि एक हब्शी मर्द या हब्शी औरत मस्जिदे नबवी में झाड़ू दिया करती थी। एक दिन उसका इंतिक़ाल हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि वो तो इंतिक़ाल कर गई। आपने इस पर फ़र्माया कि तुमने मुझे क्यूँ न बताया, फिर आप (ﷺ) क़ब्र पर तशरीफ़ लाए और उस पर नमाज़ पढ़ी।

(दीगर मक़ाम : 460, 1337)

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ - أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: ((أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِيْ بِهِ، دُلُّونِيْ عَلَى قَبْرِهِ)) - أَوْ قَالَ قَبْرِهَا - فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا.

[طرفاه في : ٤٦٠، ١٣٣٧].

तशरीह : बैहक़ी की रिवायत में है कि उम्मे महजन नामी औरत थी वो मस्जिद की सफ़ाई सुथराई वग़ैरह की ख़िदमत अंजाम दिया करती थी, आप उसकी मौत की ख़बर सुनकर उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ उसकी (नमाज़े) जनाज़ा अदा फ़र्माई। बाब और हदीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है। मस्जिद की इस तरह ख़िदमत करना बड़ा ही ष़वाब का काम है।

बाब 73 : मस्जिद में शराब की सौदागिरी की हुर्मत का ऐलान करना

٧٣- بَابُ تَحْرِيْمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

(459) हमसे अब्दान बिन अब्दुल्लाह बिन उ़ष़्मान ने अबू हम्ज़ा मुहम्मद बिन मैमून के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अअमश से, उन्होंने मुस्लिम से, उन्होंने मसरूक़ से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि .) से । आप फ़र्माती हैं कि सूरह बक़रः की सूद से मुता'ल्लिक़ आयात नाज़िल हुईं तो नबी (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और उन आयात की लोगों के सामने तिलावत फ़र्माई। फिर फ़र्माया कि शराब की तिजारत हराम है।

(दीगर मक़ाम : 2084, 2226, 4540, 4541, 4542, 4543)

बाब और हदीष़ में मुताबिक़त ज़ाहिर है

٤٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الأعمشِ عن مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عن عائشةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

[أطرافه في: ٢٠٨٤، ٢٢٢٦، ٤٥٤٠، ٤٥٤١، ٤٥٤٢، ٤٥٤٣].

बाब 74 : मस्जिद के लिये ख़ादिम मुक़र्रर करना

٧٤- بَابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने (क़ुर्आन की इस आयत) 'जो औलाद मेरे पेट में है, या अल्लाह! मैंने उसे तेरे लिये आज़ाद छोड़ने की नज़्र मानी है' के बारे में फ़र्माया कि मस्जिद की ख़िदमत में छोड़ देने की नज़्र मानी थी कि (वो सारी उ़म्र) उसकी ख़िदमत किया करेगा।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِيْ مُحَرَّرًا﴾: لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ.

तशरीह : सूरह-आले इमरान में ह़ज़रत मरयम की वालिदा का ये क़िस्सा मज़कूर है। हालते ह़मल में उन्होंने नज़र मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा मस्जिद अक़्सा की ख़िदमत के लिये वक़्फ़ कर दूंगी। मगर लड़की ह़ज़रत मरयम अलैहिस्सलाम पैदा हुइ तो उनको ही नज़र पूरी करने के लिये वक़्फ़ कर दिया गया। मा'लूम हुआ कि मसाजिद का एह़तराम हमेशा से चला आ रहा है और उनकी ख़िदमत के लिये किसी को मुक़र्रर कर देना दुरुस्त है जैसा कि आजकल ख़ुद्दामे मसाजिद होते हैं।

(460) हमसे अह़मद बिन वाक़िद ने बयान किया, कि कहा ह़म्माद बिन ज़ैद ने ष़ाबित बिनानी के वास्ते से, उन्होंने अबू राफ़ेअ से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि एक औरत या मर्द मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। अबू राफ़ेअ ने कहा, मेरा ख़याल है कि वो औरत ही थी। फिर उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की ह़दीष़ नक़ल की कि आपने उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी।

(राजेअ : 458)

٤٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً - أَوْ رَجُلاً - كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ امْرَأَةً - فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا. [راجع: ٤٥٨]

बाब 75 : क़ैदी या क़र्ज़दार जिसे मस्जिद में बाँध दिया गया हो

٧٥- بَابُ الأَسِيْرِ أَوِ الْغَرِيْمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

(461) हमसे इस्ह़ाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने हमसे रौह़ बिन उ़बादा और मुह़म्मद बिन जा'फ़र ने शुअ़बा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने मुह़म्मद बिन ज़ियाद से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से, आपने फ़र्माया गुज़िश्ता रात एक सरकश जिन्न मेरे पास आया। या इसी तरह़ की कोई बात आपने फ़र्माई, वो मेरी नमाज़ में ख़लल डालना चाहता था। लेकिन अल्लाह तआ़ला ने मुझे उस पर क़ाबू दे दिया और मैंने सोचा कि मस्जिद के किसी सुतून से बाँध दूँ ताकि सुबह को तुम सब भी उसको देखो। फिर मुझे अपने भाई सुलैमान की वो दुआ़ याद आ गई (जो सूरह स़ाद में है) ऐ मेरे रब! मुझे ऐसा मुल्क अ़ता करना जो मेरे बाद किसी को ह़ासिल न हो। ह़दीष़ के रावी ह़ज़रत रौह़ ने बयान किया कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उस शैतान को ज़लील करके धुत्कार दिया।

(दीगर मक़ाम : 1210, 3284, 3423, 4808)

٤٦١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾)) قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خَاسِئًا. [أطرافه في: ١٢١٠، ٣٢٨٤، ٣٤٢٣، ٤٨٠٨].

तशरीह : बाब का तर्जुमा यहाँ से षाबित होता है कि आपने उस जिन्न को बतौर क़ैदी मस्जिद के सुतून के साथ बाँधना चाहा मगर फिर आपको ह़ज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ़ याद आ गई जिसकी वजह से जिन्नों पर उनको

इख़्तियारे ख़ास हासिल था। आपने सोचा कि अगर मैं इसे क़ैद कर दूंगा तो गोया ये इख़्तियार मुझको भी हासिल हो जाएगा और ये उस दुआ के ख़िलाफ़ होगा।

बाब 76 : जब कोई शख़्स इस्लाम लाए तो उसको ग़ुस्ल कराना और क़ैदी को मस्जिद में बाँधना.

٧٦- بَابُ الإِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ

क़ाज़ी शुरैह बिन हारिष़ (कुंदी कूफ़ा के क़ाज़ी) क़र्ज़दार के बारे में हुक्म दिया करते थे कि उसे मस्जिद के सतून से बाँध दिया जाए

كَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيْمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ.

(462) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे सईद बिन अबी सईद मक़बरी ने, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ सवार नज्द की तरफ़ भेजे (जो ता'दाद में तीस थे) ये लोग अबू हनीफ़ा के एक शख़्स को जिसका नाम षुमामा बिन उष़ाल था, पकड़कर लाए। उन्होंने उसे एक सुतून से बाँध दिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और (तीसरे रोज़ षुमामा की नेक तबीअ़त देखकर) आपने फ़र्माया कि षुमामा को छोड़ दो। (रिहाई के बाद) वो मस्जिदे नबवी से क़रीब एक बाग़ में गए और वहाँ ग़ुस्ल किया। फिर मस्जिद में दाख़िल हुए और कहा अश्हदुअल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और ये कि मुहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।

(दीगर मक़ाम : 469, 2422, 2423, 4372)

٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ)) فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

[أطرافه في : ٤٦٩، ٢٤٢٢، ٢٤٢٣، ٤٣٧٢].

तश्रीह : अष़रे क़ाज़ी शुरैह को मअ़मर ने वस्ल किया अय्यूब से, उन्होंने इब्ने सीरीन से, उन्होंने क़ाज़ी शुरैह से कि वो जब किसी शख़्स पर कुछ हक़ का फ़ैसला करते तो हुक्म देते कि वो मस्जिद में क़ैद रहे। यहाँ तक कि अपने ज़िम्मे का हक़ अदा करें। अगर वो अदा कर देता तो ख़ैर वर्ना उसे जेल भेज दिया जाता। ये ऐसा ही है जैसा कि आजकल अदालतों में अदालत ख़त्म होने तक क़ैद का हुक्म सुना दिया जाता है।

हज़रत षुमामा का ये वाक़िआ दसवीं मोहर्रम 6 हिजरी में हुआ। ये जंगी क़ैदी की हैष़ियत में मिले थे मगर रसूले अकरम (ﷺ) ने उन पर करम फ़र्माते हुए उन्हें आज़ाद कर दिया जिसका अष़र ये हुआ कि उन्होंने इस्लाम क़ुबूल कर लिया।

बाब 77 : मस्जिद में मरीज़ों वग़ैरह के लिये ख़ैमे लगाना

٧٧- بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

(463) हमसे ज़करिया बिन यह्या ने बयान किया कि कहा हमसे

٤٦٣- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:

अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने कि कहा हमसे हिशाम बिन उर्वा ने अपने बाप उर्वा बिन ज़ुबैर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से आपने फ़र्माया कि ग़ज़्व-ए-ख़ंदक में सअद (रज़ि.) के बाज़ू की एक रग (अकहल) में ज़ख़्म आया था। उनके लिये नबी करीम (ﷺ) ने मस्जिद में एक ख़ैमा नसब करा दिया ताकि आप क़रीब रहकर उनकी देखभाल किया करें। मस्जिद ही में बनी गिफ़ार के लोगों का भी ख़ैमा था। सअद (रज़ि.) के ज़ख़्म का ख़ून (जो रग से बकसरत निकल रहा था) बहकर जब उनके ख़ैमे तक पहुँचा तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि ऐ ख़ैमेवालो! तुम्हारी तरफ़ से ये कैसा ख़ून हमारे ख़ैमे तक आ रहा है? फिर उन्हें मा'लूम हुआ कि ये ख़ून सअद (रज़ि.) के ज़ख़्म से बह रहा है। हज़रत सअद (रज़ि.) का इसी ज़ख़्म की वजह से इंतिक़ाल हो गया। (दीगर मक़ाम : 2813, 3901, 4117, 4122)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا.

[أطرافه في : ٢٨١٣، ٣٩٠١، ٤١١٧، ٤١٢٢].

तशरीह : हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) ज़ीक़अदा 4 हिजरी में जंगे ख़न्दक की लड़ाई में इब्ने अली नामी एक क़ाफ़िर के तीर से ज़ख़्मी हो गए थे जो जानलेवा षाबित हुआ। आप (ﷺ) ने वक़्त की ज़रूरत के तहत उनका ख़ैमा मस्जिद ही में लगवा दिया था। जंगी हालात में ऐसे उमूर पेश आ जाते हैं और मिल्ली मक़ासिद के लिये मसाजिद तक को इस्तेमाल किया जा सकता है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का यही मक़सद है। आपकी दूरअन्देश निगाह अहादीष की रोशनी में वहाँ तक पहुँचती है जहाँ दूसरे उलमा की निगाहें कम पहुँचती हैं और वो अपनी कोताह-नज़री की वजह से ख़्वाह-म-ख़्वाह हज़रत इमाम पर ए'तिराज़ात करने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी अक़्लों का इलाज कराना चाहिये। इसी वजह से तमाम फ़ुक़हा व मुहद्दिषीने किराम में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) क़द्दस सिर्रुहु का मक़ाम बहुत ऊँचा है।

बाब 78 : ज़रूरत से मस्जिद में ऊँट ले जाना

٧٨- بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ

अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने ऊँट पर बैठकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया था।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ)).

(464) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक (रह.) ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफ़ल से ख़बर दी, उन्होंने उर्वा बिन ज़ुबैर से। उन्होंने जैनब बिन्ते अबी सलमा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, वो कहती हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से (हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर) अपनी बीमारी का शिकवा किया (मैंने कहा कि मैं पैदल तवाफ़ नहीं कर सकती) तो आपने फ़र्माया कि लोगों के पीछे रह

٤٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي. قَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ

राकिबतुन))। फ़तुफ़्तु व रसूलुल्लाहि ﷺ युसल्ली इला जम्बिल बैति...

और सवार होकर तवाफ़ कर। पस मैंने तवाफ़ किया और उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के क़रीब नमाज़ में ये आयत (वत्तूर व किताबिम् मस्तूर) की तिलावत कर रहे थे।

(दीगर मक़ाम : 1619, 1626, 1233, 4853)

رَاكِبَةٌ)). فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ.[أطرافه في: ١٦١٩، ١٦٢٦، ١٢٣٣، ٤٨٥٣].

तश्रीह : शायद किसी कोताह (तंग) नज़र को ये बाब पढ़कर हैरत हो मगर सय्यिदुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिष़ीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की गहरी नज़र पूरी दुनिय–ए–इस्लाम पर है और आप देख रहे हैं कि मुमकिन है बहुत-सी मसाजिद ऐसी भी हो जो एक तूले तवील चार दीवारी की शक्ल में बनाई गई हो। अब कोई देहाती ऊँट समेत आकर वहाँ दाख़िल हो गया तो उसके लिये क्या फ़तवा होगा। हज़रत इमाम बतलाना चाहते हैं कि अहदे रिसालत में मस्जिदे हराम का भी यही नक़्शा था। चुनाँचे खुद नबी अकरम (ﷺ) ने भी एक मर्तबा ज़रूरत के तहत ऊँट पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) को भी बीमारी की वजह से आपने ऊँट पर सवार होकर लोगों के पीछे-पीछे तवाफ़ करने का हुक्म फ़र्माया। इब्ने बत्ताल ने कहा कि हलाल जानवरों का मस्जिद में ले जाना जाइज़ और दुरुस्त है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि जब मस्जिद के आलूदा (गन्दा) होने का ख़ौफ़ हो तो जानवर को मस्जिद में न ले जाए।

बाब 79 :

٧٩- بَابٌ

(465) हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मुआज़ बिन हिशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने क़तादा के वास्ते से बयान किया, कहा हमसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि दो शख़्स नबी करीम (ﷺ) के पास से निकले, एक अब्बाद बिन बिश्र और दूसरे साहब मेरे ख़्याल से उसैद बिन हुज़ैर थे। रात तारीक (अंधेरी) थी और दोनों अस्हाब एक–दूसरे से जुदा हुए तो हर एक के साथ एक-एक चिराग़ रह गया जो घर तक साथ रहा।

(दीगर मक़ाम : 3639, 3805)

٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَ أَحْسِبُ الثَّانِيَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْئَانِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا. فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ.

[طرفاه في : ٣٦٣٩، ٣٨٠٥].

तश्रीह : उन सहाबियों के सामने रोशनी होना आँहज़रत (ﷺ) की सोहबत की बरकत थी। आयते मुबारका, **'नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम'** (अत् तहरीम : 8) उनका ईमानी नूर क़यामत के दिन उनके आगे दौड़ेगा। दुनिया ही में नक़्शा उनके सामने आ गया। इस हदीष़ को इमाम बुख़ारी (रह.) इस बाब में इसलिये लाए कि ये दोनों सहाबी अंधेरी रात में आँहज़रत (ﷺ) के पास से निकले और ये आप (ﷺ) से बातें करके ही निकले थे। पस मस्जिदों में नेक बातों के करने का जवाज़ ष़ाबित हुआ। (फ़तह वग़ैरह)

बाब 80 : मस्जिद में खिड़की और

٨٠- بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي

रास्ता रखना

الْمَسْجِدِ

(466) हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कि कहा हमसे फ़ुलैह बिन सुलैमान ने, कहा हमसे अबू नज़्र सालिम बिन अबी उमय्या से उबैद बिन हुनैन के वास्ते से, उन्होंने बसर बिन सईद से, उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से, उन्होंने बयान किया कि एक बार रसूले करीम (ﷺ) ने ख़ुत्बा फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने अपने एक बन्दे को दुनिया और आख़िरत के रहने में इख़्तियार दिया (कि वो जिसको चाहे इख़्तियार करे) बन्दे ने वो पसंद किया जो अल्लाह के पास है यानी आख़िरत। ये सुनकर अबूबक्र (रज़ि.) रोने लगे, मैंने अपने दिल में कहा कि अगर अल्लाह ने अपने किसी बन्दे को दुनिया और आख़िरत में से किसी को इख़्तियार करने को कहा और उस बन्दे ने आख़िरत पसंद कर ली तो उसमें इन बुज़ुर्ग के रोने की क्या वजह है। लेकिन ये बात थी कि बन्दे से मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) ही थे और अबूबक्र हम सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। आँहुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया। अबूबक्र आप रोइए मत, अपनी सुहबत और अपनी दौलत के ज़रिये तमाम लोगों से ज़्यादा मुझ पर एहसान करनेवाले आप ही हैं और अगर मैं किसी को ख़लील बनाता तो अबूबक्र को ही बनाता। लेकिन (जानी दोस्ती तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकती) इसके बदले में इस्लाम की बिरादरी और दोस्ती काफ़ी है। मस्जिद में अबूबक्र (रज़ि.) की तरफ़ के दरवाज़े के सिवा तमाम दरवाज़े बन्द कर दिये जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 3654, 3904)

٤٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ. فَبَكَى أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ، إِنْ يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ أَعْلَمَنَا. فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوبَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَابَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ. لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ، إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ)).

[طرفاه في : ٣٦٥٤، ٣٩٠٤].

बाज़ रावियाने बुख़ारी ने यहाँ अत्फ़ लाकर दोनों को हज़रत अबुन्नज़्र का शैख़ क़रार दिया है और इस सूरत में वो दोनों हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत करते हैं— **व क़द रवाहु मुस्लिम कज़ालिक वल्लाहु अअलम** (राज़)

(467) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद जअफ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे वहब बिन ज़रीर ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे मेरे बाप जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा मैंने यअला बिन हकीम से सुना, वो इक्रिमा से नक़ल करते थे, वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने मर्ज़े वफ़ात में बाहर तशरीफ़ लाए।

٤٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ

عاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْلاً لاتَّخَذْتُ أَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ. سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ)).

[طرفاه في : ٣٦٥٦، ٣٦٥٧، ٦٧٣٨].

सर से पट्टी बँधी हुई थी। आप (ﷺ) मिम्बर पर बैठे, अल्लाह की ह़म्दो—षना की और फ़र्माया, कोई शख़्स भी ऐसा नहीं जिसने अबूबक्र बिन अबू क़ुहाफ़ा से ज़्यादा मुझ पर अपनी जानो—माल से एह़सान किया हो और अगर किसी को इंसानों में जानी दोस्ती बनाता तो अबूबक्र ((रज़ि.)) को बनाता। लेकिन इस्लाम का ता'ल्लुक़ अफ़ज़ल है। देखो अबूबक्र (रज़ि.) की खिड़की को छोड़कर इस मस्जिद की तमाम खिड़कियाँ बन्द कर दी जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 3656, 3657, 6738)

तशरीह : मस्जिदे नबवी की इब्तिदाई ता'मीर के वक़्त अहले इस्लाम का क़िब्ला बैतुल मुक़द्दस था। बाद में क़िब्ला बदल गया और काबा मुकद्दस क़िब्ला क़रार पाया जो मदीना से जानिबे जुनूब (दक्षिण दिशा में) था। चूंकि सह़ाबा किराम के मकानात की त़रफ़ खिड़किया बना दी गई थी। बाद में आपने मशरिक व मग़रिब के तमाम दरवाज़ों को बन्द करने का हुक्म दिया। सिर्फ़ शिमाली स़दर दरवाज़ा (उत्तरी मेन गेट) बाक़ी रखा गया और उन तमाम खिड़कियों को भी बन्द करने का हुक्म स़ादिर फ़र्माया मगर अबू बक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) के मकान की जानिब वाली खिड़की बाक़ी रखी गई। इसमें आपकी ख़िलाफ़त की त़रफ़ भी इशारा था कि ख़िलाफ़त के ज़माने में नमाज़ पढ़ाते वक़्त इनको आने जाने में सहूलत रहेगी। ख़लील से मुराद मुह़ब्बत का वो आख़री दर्जा है जो सिर्फ़ मोमिन बन्दा अल्लाह ही के साथ क़ाइम कर सकता है, इसलिये आपने ऐसा फ़र्माया। इसके बाद इस्लामी उख़ुव्वत व मुह़ब्बत का आख़री दर्जा आपने ह़ज़रत अबू बक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) के साथ क़रार दिया। आज भी मस्जिदे नबवी में ह़ज़रत अबू बक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) की उस खिड़की की जगह पर बत़ौरे यादगार कतबा लगा हुआ है जिसको देखकर ये सारे वाक़िआत सामने आ जाते हैं।

इन अह़ादीष से ह़ज़रत अबू बक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) की बड़ी फ़ज़ीलत षाबित होती है। बाब और ह़दीष़ का मुत़ाबक़त ज़ाहिर है।

बाब 81 : का'बा और मसाजिद में दरवाज़े और ज़ंजीर रखना

٨١- بَابُ الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا.

अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी (रह.)) ने कहा मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद मुस्नदी ने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैयना ने अ़ब्दुल मलिक इब्ने जुरैज के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने अबी मुलैका ने कहा कि ऐ अ़ब्दुल मलिक! अगर तुम इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की मसाजिद और उनके दरवाज़ों को देखते।

तो तअ़ज्जुब करते, वो निहायत मज़बूत पाएदार थे और वो मसाजिद बहुत ही साफ़ सुथरी हुआ करती थी।

٤٦٨- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

(468) हमसे अबुन नोअ़मान मुह़म्मद बिन फ़ज़्ल ने और क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कि कहा हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने

अय्यूब सख़ितयानी के वास्ते से, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) जब मक्का तशरीफ़ लाए (और मक्का फ़तह हुआ) तो आपने उ़मान बिन तलहा (रज़ि.) को बुलवाया। (जो का'बा के मुतवल्ली, चाबी रखने वाले थे) उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नबी करीम (ﷺ), बिलाल, उसामा बिन ज़ैद और उ़मान बिन तलहा चारा अंदर तशरीफ़ ले गए फिर दरवाज़ा बन्द कर दिया गया और वहाँ थोड़ी देर तक ठहरकर बाहर आए। इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बिलाल से पूछा (कि आँहज़रत ﷺ ने का'बा के अंदर क्या किया) उन्होंने बताया कि आँहज़रत (ﷺ) ने अंदर नमाज़ पढ़ी थी। मैंने पूछा किस जगह? कहा कि दोनों सतूनों के बीच। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ये पूछना मुझे याद न रहा कि आपने कितनी रकअ़तें पढ़ी थीं। (राजेअ़ : 397)

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ فَلَبِثَ فِيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ: صَلَّى فِيْهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيٍّ؟ قَالَ: بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟.

[راجع: ٣٩٧]

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) ने का'बा शरीफ़ में दाख़िल होकर का'बा का दरवाजा इसलिये बन्द करा दिया ताकि और लोग अन्दर न आ जाएं और हुजूम की शक्ल में इबादत का अस़ल मक़सदे इबादत फ़ौत न हो जाए। इससे मा'लूम हुआ कि ख़ान-ए-का'बा के दरवाज़े में ज़न्जीर थी यही बाब का तर्जुमा है। मसाजिद में हिफ़ाज़त के लिये किवाड़ लगाना और उनमें कुण्डी व क़ुफ़्ल (ताला) वग़ैरह जाइज़ है।

बाब 82 : मुश्रिक का मस्जिद में दाख़िल होना कैसा है?

٨٢- بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ

(469) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने सईद बिन अबी सईद मक़्बरी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ सवारों को नजद की तरफ़ भेजा था। वो लोग बनू ह़नीफ़ा के एक शख़्स षुमामा बिन उष़ाल को (बतौरे जंगी क़ैदी) पकड़ लाए और मस्जिद के एक सतून से बाँध दिया। (राजेअ़ : 462)

٤٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. [راجع: ٤٦٢]

बवक़्ते ज़रूरत कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन को भी आदाबे-मसाजिद की शराइत के साथ मसाजिद में दाख़िले की इजाज़त दी जा सकती है, यही ह़ज़रत इमाम का मक़सदे-बाब है।

बाब 83 : मसाजिद में आवाज़ बुलन्द करना कैसा है?

٨٣- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

(470) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया,

٤٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا

उन्होंने कहा कि हमसे जुऐद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा ने बयान किया, उन्होंने साइब बिन यज़ीद से बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मैं मस्जिदे नबवी में खड़ा था, किसी ने मेरी तरफ़ कंकरी फेंकी। मैंने जो नज़र उठाई तो देखा कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) सामने हैं। आपने फ़र्माया कि ये सामने जो दो शख़्स हैं उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ। मैं बुला लाया। आपने पूछा कि तुम्हारा ता'ल्लुक़ किस क़बीले से है या ये फ़र्माया कि तुम कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। आपने फ़र्माया कि अगर तुम मदीने के होते तो मैं तुम्हें सज़ा दिये बग़ैर न छोड़ता। रसूले करीम (ﷺ) की मस्जिद में आवाज़ ऊँची करते हो।?

يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا. قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا - أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا -؟ قَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ!

(471) हमसे अहमद बिन स़ालेह़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे यूनुस बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने शिहाब ज़ुहरी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब बिन मालिक ने बयान किया, उनको उनके बाप कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन्होंने अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी ह़द्रद (रज़ि.) से अपने एक क़र्ज़ के सिलसिले में रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मस्जिदे नबवी में तक़ाज़ा किया। दोनों की आवाज़ कुछ ऊँची हो गई यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी अपने हुज्रे से सुन लिया। आप उठे और हुज्रे पर पड़े हुए पर्दे को हटाया। आपने कअ़ब बिन मालिक को आवाज़ दी, ऐ कअ़ब! कअ़ब बोले। या रसूलल्लाह (ﷺ)! हाज़िर हूँ। आपने अपने हाथ के इशारे से बताया कि वो अपना आधा क़र्ज़ मुआ़फ़ कर दे। हज़रत कअ़ब ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ने मुआ़फ़ कर दिया। आपने इब्ने अबी ह़द्रद से फ़र्माया अच्छा! अब चल उठ इसका क़र्ज़ अदा कर।

(राजेअ़ : 457)

٤٧١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى: ((يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ، يَا كَعْبُ)). قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

[راجع: ٤٥٧]

तश्रीह़ : ताइफ़ मक्का से कुछ मील के फ़ासले पर मशहूर क़स्बा है। पहली रिवायत में हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको मस्जिदे नबवी में शोरो-गुल करने पर झिड़का और बतलाया कि तुम लोग बाहर के रहने वाले और मस्जिद के आदाब से नावाक़िफ़ हो इसलिये तुमको छोड़ देता हूँ, कोई मदीना वाला ऐसी ह़रकत करता तो उसे बग़ैर सज़ा दिए न छोड़ता। इससे इमाम (रह.) ने ष़ाबित फ़र्माया कि फ़ुज़ूल शोरो-गुल करना आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ है, दूसरी रिवायत से आपने ष़ाबित

फ़र्माया कि ता'लीम व रुश्दो हिदायत के लिये अगर आवाज़ बुलन्द की जाए तो आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं है। जैसा कि आप (ﷺ) ने उन दोनों को बुलाकर उनको नेक हिदायत फ़र्माई। इस हदीष से ये भी मा'लूम हुआ कि क़र्ज़ देने वाला मकरूज़ (क़र्जदार) को जिस क़दर भी रिआयत दे सकता है। बशर्ते कि वो मकरूज़ नादार ही हो तो ये ऐन रज़ा-ए-इलाही का वसीला है। क़ुर्आने करीम की भी यही हिदायत है मगर मक़रूज़ का भी फ़र्ज़ है कि जहाँ तक हो सके पूरा क़र्ज़ अदा करके इस बोझ से अपने आपको आज़ाद करे।

बाब 84 : मस्जिद में हल्क़ा बाँधकर बैठना और यूँ ही बैठना

٨٤- بَابُ الْحَلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

(472) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया कि कहा हमसे बिश्र बिन मुफ़ज़्ज़ल ने उबैदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने नाफ़ेअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा (जबकि) उस वक़्त आप मिम्बर पर थे कि रात की नमाज़ (यानी तहज्जुद) किस तरह पढ़ने के लिये आप फ़र्माते हैं? आपने फ़र्माया कि दो-दो रकअत करके पढ़ और जब सुबह क़रीब होने लगे तो एक रकअत पढ़ ले। ये एक रकअत इस सारी नमाज़ को ताक़ बना देगी और आप फ़र्माया करते थे कि रात की आख़िरी नमाज़ को ताक़ रखा करो क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने इसका हुक्म दिया है।

(दीगर मक़ाम : 473, 990, 993, 995, 1173)

٤٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ : ((مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى)) وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ.

[أطرافه في : ٤٧٣، ٩٩٠، ٩٩٣، ٩٩٥، ١١٧٣].

(473) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, कि कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने, उन्होंने अय्यूब सख़्तियानी से, उन्होंने इब्ने उमर से कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) उस वक़्त ख़ुत्बा दे रहे थे आने वाले ने पूछा कि रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाए? आपने फ़र्माया दो-दो रकअत, फिर जब तुलूअे सुबह सादिक़ का अंदेशा हो तो एक रकअत वित्र की पढ़ ले ताकि तूने जो नमाज़ पढ़ी है उसे ये रकअत ताक़ (विषम) बना दे और इमाम बुख़ारी ने फ़र्माया कि वलीद बिन कष़ीर ने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह उमरी ने बयान किया, अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि एक शख़्स ने नबी (ﷺ) को आवाज़ दी जबकि आप मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे। (राजेअ : 472)

٤٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ : ((مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوْتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ)). قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ.

[راجع: ٤٧٢]

(474) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कि कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी तलहा के वास्ते से कि अ़क़ील बिन अबी त़ालिब के ग़ुलाम अबू मुर्रह ने उन्हें ख़बर दी अबू वाक़िद लैषी हारिष़ बिन औ़फ़ स़हाबी के वास्ते से, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ रखे थे कि तीन आदमी बाहर से आए। दो तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज्लिस में हाज़िरी की ग़र्ज़ से आगे बढ़ गए लेकिन तीसरा चला गया। उन दो में से एक ने बीच में ख़ाली जगह देखी और वहाँ बैठ गया। दूसरा शख़्स पीछे बैठ गया और तीसरा तो वापस ही जा रहा था। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) वअ़ज़ से फ़ारिग़ हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया। क्या मैं तुम्हें इन तीनों के बारे में एक बात न बताऊँ। एक शख़्स तो अल्लाह की तरफ़ बढ़ा और अल्लाह ने उसे जगह दी (यानी पहला शख़्स) रहा दूसरा तो उसने (लोगों में घुसने से) शर्म की, अल्लाह ने भी उससे शर्म की, तीसरे ने मुँह फेर लिया। इसलिये अल्लाह ने भी उसकी तरफ़ से मुँह फेर लिया। (राजेअ़ : 66)

٤٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ)).

[راجع: ٦٦]

बाब 85 : मस्जिद में चित्त लेटना कैसा है?

٨٥- بَابُ الاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرِّجْلِ

(475) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़न्बी ने बयान किया इमाम मालिक के वास्ते से, उन्होंने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से, उन्होंने अ़ब्बाद बिन तमीम से, उन्होंने अपने चचा (अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़स़िम माज़िनी (रज़ि.)) से कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को चित्त लेटे हुए देखा। आप अपना एक पांव दूसरे पर रखे हुए थे। इब्ने शिहाब ज़ुहरी से मरवी है, वो सई़द बिन मुसय्यिब से रिवायत करते हैं कि उ़मर और उ़ष्मान (रज़ि.) भी उसी तरह लेटते थे।

(दीगर मक़ाम : 5969, 6287)

٤٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ (مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى).

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ.

[طرفاه في : ٥٩٦٩، ٦٢٨٧].

तश्रीह : चित्त लेटकर एक पाँव दूसरे पर रखने की मुमानअ़त भी आई है और इस ह़दीष़ में है कि आँह़ज़रत (ﷺ) और ह़ज़रत उमर व उष़्मान (रज़ि.) भी इस तरह लेटा करते थे, इसलिये कहा जाएगा कि मुमानअ़त इस सूरत में है जब शर्मगाह बेपर्दा होने का ख़तरा हो। कोई शख़्स सतर का पूरा इहतिमाम करता है, फिर इस तरह चित्त लेटकर सोने में कोई मुज़ाइक़ा (मनाही या आपत्ति) नहीं है।

बाब 86 : आम रास्तों पर मस्जिद बनाना जबकि किसी को उससे नुक़्सान न पहुँचे (जाइज़ है) और इमाम हसन (बस़री) और अय्यूब और इमाम मालिक (रह.) ने भी यही कहा है

٨٦- بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيْقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ فِيْهِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ.

(476) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने अक़ील के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से, उन्होंने कहा मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) की जोज़—ए—मुतह्हरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि मैंने जबसे होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह व शाम दिन को दोनों वक़्त हमारे घर तशरीफ़ न लाए हों। फिर अबूबक्र (रज़ि.) की समझ में एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बनवा ली, वो उसमें नमाज़ पढ़ते और क़ुर्आन मजीद की तिलावत करते। मुश्रिकीन की औरतें और उनके बच्चे वहाँ तअ़ज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ़ देखते रहते। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बड़े रोने वाले आदमी थे। जब क़ुर्आने करीम पढ़ते तो आंसुओं पर क़ाबू न रहता, क़ुरैश के मुश्रिक सरदार इस सूरते हाल से घबरा गए।

(दीगर मक़ाम : 2138, 2263, 2264, 2297, 3905, 4093, 5807, 6079)

٤٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً وَلاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

[أطرافه في: ٢١٣٨، ٢٢٦٣، ٢٢٦٤، ٢٢٩٧، ٣٩٠٥، ٤٠٩٣، ٥٨٠٧، ٦٠٧٩].

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि मस्जिद का अपनी मिल्क (निजि सम्पत्ति) में बनाना जाइज़ है और ग़ैर मिल्क में मना है और रास्तों में भी मसाजिद बनाना दुरुस्त है बशर्ते कि चलने वालों को नुक़सान न हो, बाज़ ने राह में मुतलक़न नाजायज़ का फ़त्वा दिया है हज़रत इमाम इसी फ़त्वे की तर्दीद फ़र्मा रहे हैं।

बाब 87 : बाज़ार की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना और अ़ब्दुल्लाह बिन औन ने एक ऐसे घर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जिसके दरवाज़े आम लोगों पर बन्द कर दिये गए थे

٨٧- بَابُ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ وَصَلَّى ابْنُ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

(477) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अबू मुआ़विया

٤٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

ने अअमश के वास्ते से, उन्होंने अबू स़ालेह ज़क्वान से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने में घर के अंदर या बाज़ार (दुकान वग़ैरह) में नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना ज़्यादा स़वाब मिलता है क्योंकि जब कोई शख़्स़ तुममें से वुज़ू करे और उसके आदाब का लिहाज़ रखे फिर मस्जिद में सिर्फ़ नमाज़ की ग़र्ज़ से आए तो उसके हर क़दम पर अल्लाह तआ़ला एक दर्जा उसका बुलन्द करता है और एक गुनाह उससे मुआफ़ करता है। इस तरह वो मस्जिद के अंदर आएगा। मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज़ के इंतज़ार में रहेगा, उसे नमाज़ ही की ह़ालत में शुमार किया जाएगा। और जब तक उस जगह बैठा रहे जहाँ उसने नमाज़ पढ़ी है तो फ़रिश्ते उसके लिये रहमते ख़ुदावन्दी की दुआएँ करते हैं कि ऐ अल्लाह! इसको बख़्श दे, ऐ अल्लाह! इस पर रहम कर, जब तक कि रीह ख़ारिज करके (वो फ़रिश्तों को) तक्लीफ़ न दे। (राजेअ़: 176)

مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((صَلاَةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي - يَعْنِي عَلَيْهِ - الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيهِ)). [راجع: ١٧٦]

तश्रीह : बाज़ार की मस्जिद में नमाज़ पच्चीस दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। घर की नमाज़ से इसी से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि बाज़ार में अकेले नमाज़ पढ़नी जायज़ हुई तो जमाअ़त से ऊपर बताए गये तरीक़े से जायज़ हो गई। खुसूसन बाज़ार की मस्जिदों में और आजकल तो शहरों में बेशुमार बाज़ार है जिनमें बड़ी-बड़ी शानदार मसाजिद है। ह़ज़रत इमाम क़द्दस सिर्रुहु ने उन सबकी फ़ज़ीलत पर इशारा फ़र्माया। जज़ाहुल्लाहु ख़ैरल जज़ा।

बाब 88 : मस्जिद वग़ैरह में एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में दाख़िल करके क़ैंची करना दुरुस्त है

٨٨- بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

(478,479) हमसे ह़ामिद बिन उ़मर ने बिश्र बिन मफ़ज़्ज़ल के वास्ते से बयान किया, कहा हमसे आ़स़िम बिन मुहम्मद ने, कहा हमसे वाक़िद बिन मुहम्मद ने अपने बाप मुहम्मद बिन ज़ैद के वास्ते से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर या अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने अपनी उँगलियों को एक—दूसरे में दाख़िल किया। (दीगर मक़ाम : 480)

٤٧٨، ٤٧٩- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنَ عَمْرٍو - قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ.

[طرفه في : ٤٨٠].

(480) और आ़स़िम बिन अ़ली ने कहा, हमसे आ़स़िम बिन मुहम्मद ने बयान किया कि मैंने इस ह़दीस़ को अपने बाप मुहम्मद बिन ज़ैद से सुना। लेकिन मुझे ह़दीस़ याद नहीं रही थी। तो मेरे भाई वाक़िद ने उसको दुरुस्ती से अपने बाप से रिवायत करके मुझे बताया। वो कहते थे कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़ (रज़ि.)

٤٨٠- وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ أَحْفَظْهُ، فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ

से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरे लोगों में रह जाओगे इस तरह। (यानी आप (ﷺ) ने एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ में करके दिखाईं) (राजेअ़ : 475)

يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، وَكَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ . . بِهَذَا)). [راجع: ٤٧٥]

तश्रीह : आप (ﷺ) ने हाथों को कैंची करने से इसलिये रोका कि ये एक लग़्व (बेकार) हरकत है लेकिन अगर किसी मक़सद के पेशेनज़र ऐसा कभी किया जाये तो कोई हर्ज नहीं है जैसा कि इस हदीष़ में ज़िक्र है कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपने मक़सद की वज़ाहत के लिये हाथों को क़ैंची करके दिखलाया। इस हदीष़ में आगे यूँ है कि न उनके इक़रार का ऐतबार होगा, न उनमें अमानतदारी होगी। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि आसिम बिन अ़ली की दूसरी रिवायत जो इमाम बुख़ारी (रह.) ने मुअल्लक़न बयान की उसको इब्राहीम हरबी ने ग़रीबुल हदीष़ में वस़ल किया है, बाब के इन्इक़ाद से इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद ये है तश्बीक की कराहिय्यत के बारे में जो अहादीष वारिद हुई है वो ष़ाबित नहीं है बाज़ ने मुमानअ़त को हालते नमाज़ पर महमूल किया है।

(481) हमसे ख़ल्लाद बिन यह्या ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान षौरी ने अबी बुर्दा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़बी बुर्दा से, उन्होंने अपने दादा (अबू बुर्दा) से, उन्होंने अबू मूसा अश्अ़री से। उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिये इमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को क़ुव्वत पहुँचाता है और आप (ﷺ) ने एक हाथ की उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों में दाख़िल किया। (दीगर मक़ाम : 2446, 6026)

٤٨١- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. [طرفاه في : ٢٤٤٦، ٦٠٢٦].

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) ने मुसलमानों को बाहमी तौर पर मिल–जुलकर रहने की मिष़ाल बयान फ़र्माई और हाथों को कैंची करके बतलाया कि मुसलमान भी बाहमी तौर पर ऐसे ही मिले जुले रहते हैं जिस तरह इमारत के पत्थर एक-दूसरे को थामे रहते हैं । ऐसे ही मुसलमानों को भी एक-दूसरे का क़ुव्वते बाज़ू होना चाहिए। एक मुसलमान पर कहीं ज़ुल्म हो तो सारे मुसलमानों को उसकी इमदाद के लिये उठना चाहिए। काश! उम्मते मुस्लिमा अपने प्यारे रसूले मक़बूल (ﷺ) की इस प्यारी नसीहत को याद रखती तो आज ये तबाहकुन हालात न देखने पड़ते।

(482) हमसे इस्हाक़ बिन मंस़ूर ने बयान किया, कहा हमसे नज़्र बिन शुमैल ने, उन्होंने कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह इब्ने औ़न ने ख़बर दी, उन्होंने मुहम्मद बिन सिरीन से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि रसूले करीम (ﷺ) ने हमें दोपहर के बाद की दो नमाज़ों में से कोई नमाज़ पढ़ाई(ज़ुहर या अ़सर की) इब्ने सिरीन ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने उनका नाम तो लिया था लेकिन मैं भूल गया। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बतलाया कि आप (ﷺ) ने हमें दो रकअ़त नमाज़ पढ़ा कर सलाम फेर दिया। इसके बाद एक लकड़ी की लाठी से जो मस्जिद में रखी हुई थी आप (ﷺ) टेक लगाकर खड़े हो गए। ऐसा मा'लूम होता

٤٨٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: قَدْ سَمَّاهَا أَبُوهُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا، قَالَ - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ

था कि आप बहुत ही ख़फ़ा हों । और आप (ﷺ) ने अपने दाएँ हाथ को बाएँ हाथ पर रखा। और उनकी उँगलियों को एक–दूसरे में दाख़िल किया। और आपने अपने दाएँ रुख़सार को बाएँ हाथ की हथेली से सहारा दिया। जो लोग नमाज़ पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे वो मस्जिद के दरवाज़ों से पार हो गए। फिर लोग कहने लगे कि क्या नमाज़ कम कर दी गई है। हाज़िरीन में अबूबक्र और उमर (रज़ि.) भी मौजूद थे। लेकिन उन्हें भी आपसे बोलने की हिम्मत न हुई। उन्हीं में एक शख़्स थे जिनके हाथ लम्बे थे और उन्हें ज़ुलयदैन कहा जाता था। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) भूल गए या नमाज़ कम कर दी गई है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि न मैं भूला हूँ और न नमाज़ कम हुई है। फिर आप (ﷺ) ने लोगों से पूछा, क्या ज़ुलयदैन सहीह कह रहे हैं। हाज़िरीन बोले कि जी हाँ! ये सुनकर आप (ﷺ) आगे बढ़े और बाक़ी रकअतें पढ़ीं। फिर सलाम फेरा, फिर तक्बीर कही और सह्व का सज्दा किया। मअमूल के मुताबिक़ या उससे भी लम्बा सज्दा। फिर सर उठाया और तक्बीर कही। फिर तक्बीर कही और दूसरा सज्दा किया। मअमूल के मुताबिक़ या उससे भी लम्बा फिर सर उठाया और तक्बीर कही, लोगों ने बार-बार इब्ने सिरीन से पूछा कि क्या फिर सलाम फेरा तो वो जवाब देते कि मुझे ख़बर दी गई है कि इमरान बिन हुसैन कहते थे कि फिर सलाम फेरा।

(दीगर मक़ाम : 714, 715, 1227, 1228, 1229, 6051, 7250)

غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ)) فَقَالَ: ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ : ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

[أطرافه في : ٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠].

तश्रीह : ये ह़दीष़ 'ह़दीष़े ज़ुलयदैन' के नाम से मशहूर है। एक बुज़ुर्ग सहाबी ख़रबाक़ (रज़ि.) नामी के हाथ लम्बे-लम्बे थे इसलिये उनको ज़ुलयदैन कहा जाता था। इस ह़दीष़ से ष़ाबित हुआ कि सहवन बात कर लेने से या मस्जिद से निकल जाने से या नमाज़ की जगह से चले जाने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। यहाँ भी आँह़ज़रत (ﷺ) का हाथों की उंगलियों को कैंची करना मज़कूर है जिससे इस हालत का जवाज़ मस्जिद और ग़ैर मस्जिद में ष़ाबित हुआ। यही ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद है। बाक़ी इस ह़दीष़ के मुता'ल्लिक़ दीगर बहष़ें अपने मक़ामात में आएँगी।

बाब 89 : उन मसाजिद का बयान जो मदीना के रास्ते में वाक़ेअ हैं और वो जगहें जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ अदा फ़र्माई है

٨٩- بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ

(483) हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र मक़द्दमी ने बयान किया, कहा हमसे फ़ैज़ल बिन सुलैमान ने, कहा हमसे मूसा बिन उक़्बा

٤٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ. وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ وَقَالَ. وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ وَافَقَ نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا، إِلاَّ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ.

[أطرافه في : ١٥٣٥، ٢٣٣٦، ٧٣٤٥].

ने, कहा मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को देखा कि वो (मदीना से मक्का तक) रास्ते में कई जगहों को ढूँढ़कर वहाँ नमाज़ पढ़ते और कहते कि उनके बाप हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी इन जगहों पर नमाज़ पढ़ा करते थे। और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उन जगहों पर नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। और मूसा बिन उक़्बा ने कहा कि मुझको नाफ़ेअ ने इब्ने उमर के बारे में बयान किया कि वो इन जगहों पर नमाज़ पढ़ा करते थे। और मैंने सालिम से पूछा तो मुझे ख़ूब याद है कि उन्होंने भी नाफ़ेअ के बयान के मुताबिक़ ही तमाम जगहों का ज़िक्र किया। फ़क़त शर्फ़े रौहा जगह की मस्जिद के बारे में दोनों ने इख़्तिलाफ़ किया।

(दीगर मक़ाम : 1535, 2336, 7345)

तश्रीह : शर्फ़ुरौहा मदीना से 30 या 36 मील के फ़ासले पर एक मक़ाम है जिसके बारे में आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस जगह सत्तर नबियों ने इबादते इलाही की है और यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज्ज या उमरे की नियत से गुज़रे थे। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) सुन्नते रसूल (ﷺ) के पेशेनज़र उस जगह नमाज़ पढ़ा करते थे और हज़रत उमर (रज़ि.) ने ऐसी तारीख़ी मक़ामात को ढूंढने से इसलिये मना किया कि ऐसा न हो कि आगे चलकर लोग उसको ज़रूरी समझ लें। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) की मुराद ये थी कि ख़ाली इस क़िस्म के आषार की ज़ियारत करना बग़ैर नमाज़ के बे-फ़ायदा है और इतबान की हदीष ऊपर गुज़र चुकी है। उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से दरख़्वास्त की थी कि आप (ﷺ) मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ दीजिए ताकि मैं उसको नमाज़ की जगह बना लूं। आँहज़रत (ﷺ) उनकी दरख़्वास्त को मन्ज़ूर फ़र्माया था। इससे मा'लूम हुआ कि सालेहीन के आषार से बईं तौर पर बरकत लेना दुरुस्त है। ख़ास तौर पर रसूले अकरम (ﷺ) का हर क़ौल व फ़ेअल व हर नक़्शेक़दम हमारे लिये बरकत व सआदत का सरमाया है। मगर इस बारे में जो अफ़रात व तफ़रीत से काम लिया गया है वो भी हद दर्जा क़ाबिले मज़म्मत है। मषलन साहिबे अनवारुलबारी (देवबन्दी) ने अपनी किताब मज़कूर जि. 5, स. 157 पर एक जगह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की तरफ़ मन्सूब किया है कि वो आप (ﷺ) के पेशाब और तमाम फ़ुज़लात को भी ताहिर (पाक) कहते है। हम समझते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) जैसे सय्यिदुल फ़ुक़हा ऐसा नहीं कह सकते मगर यही वो ग़ुलू है जो तबर्रुकाते अंबिया के नाम पर किया गया है। अल्लाह तआला हमको इफ़्रात व तफ़रीत से बचाए। आमीन।

٤٨٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. وَكَانَ إِذَا

(484) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िरिल हुज़ामी ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन इयाज़ ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक़्बा ने नाफ़ेअ से, उनको अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि आँहज़रत (ﷺ) जब उम्रह के क़स्द से तशरीफ़ ले गए और हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर जब हज्ज के लिये निकले तो आप (ﷺ) ने ज़ुलहुलैफ़ा में क़याम फ़र्माया। ज़ुलहुलैफ़ा की मस्जिद के क़रीब आप (ﷺ) एक बबूल के पेड़ के नीचे उतरे। और जब आप किसी जिहाद से वापस होते और रास्ते में ज़ुलहुलैफ़ा से होकर गुज़रता या हज्ज या उम्रह से वापसी होती तो वादी-ए-

رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا فِيهِ السَّيْلُ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِيهِ.

[أطرافه في : ١٥٣٢، ١٥٣٣، ١٧٩٩].

अतीक़ के नशीबी (निचले) इलाक़े में उतरते, फिर जब वादी के नशीब से ऊपर चढ़ते तो वादी के बालाई (ऊँचाई वाले) किनारे के उस मश्रिक़ी (पूर्वी) हिस्से पर पड़ाव डालते जहाँ कंकरियों और रेत का कुशादा (चौड़ा) नाला है। (यानी बत्हा में) यहाँ आप (ﷺ) रात से सुबह तक आराम फ़र्माते। ये जगह उस मस्जिद के पास नहीं है जो पत्थरों की बनी है, आप उस टीले पर भी नहीं होते जिस पर मस्जिद बनी हुई है। वहाँ एक गहरा नाला था अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) वहीं नमाज़ पढ़ते थे। उसके नशीब में रेत के टीले थे। और रसूलुल्लाह (ﷺ) वहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे। कंकरियों और रेत के कुशादा नाले की तरफ़ से सैलाब ने आकर उस जगह की आषारो–निशानात को मिटा दिया है, जहाँ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1533, 1799)

٤٨٥ – وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

(485) और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ़ से ये भी बयान किया कि नबी (ﷺ) ने उस जगह नमाज़ पढ़ी जहाँ अब शर्फ़ुरौहा की मस्जिद के पास एक छोटी मस्जिद है, अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) उस जगह की निशानदेही करते थे जहाँ नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाईं तरफ़ जब तुम मस्जिद में (क़िब्ला रू होकर) नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े होते हो। जब तुम (मदीना से) मक्का जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएँ जानिब पड़ती है। उसके और बड़ी मस्जिद के बीच एक पत्थर के मार का फ़ासला है या उससे कुछ कम या ज़्यादा।

٤٨٦ – وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ

(486) और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) उस छोटी पहाड़ी की तरफ़ नमाज़ पढ़ते जो रौहा के आख़िर किनारे पर है और ये पहाड़ी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ रास्ते का किनारा है। उस मस्जिद के पास जो उसके और रूहा आख़िरी हिस्से के बीच में है मक्का को जाते हुए। अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) उस मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते थे बल्कि उसको अपने

اِنْتَهَى ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

बाएँ तरफ़ मुक़ाबिल में छोड़ देते थे और आगे बढ़कर ख़ुद पहाड़ी इर्क़ुलज़बीह की तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब रौहा से चलते तो ज़ुहर की नमाज़ उस वक़्त तक न पढ़ते जब तक उस जगह पर न पहुँच जाते। जब यहाँ आ जाते तो ज़ुहर पढ़ते, और अगर मक्का से आते हुए सुबह सादिक़ से थोड़ी देर पहले या सहर के आख़िर में वहाँ से गुज़रते तो सुबह की नमाज़ तक वहीं आराम करते और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते।

٤٨٧- وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلاَهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ.

(487) और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) रास्ते के दाईं तरफ़ मुक़ाबिल में एक घने पेड़ के नीचे वसीअ और नरम इलाक़े में क़याम करते जो क़र्या रुवैषा के पास है। फिर आप (ﷺ) उस टीले से जो रुवैषा के रास्ते से तक़रीबन दो मील के फ़ासले पर है, चलते थे। अब उस पेड़ का ऊपर का हिस्सा टूट गया है। और बीच में से दोहरा होकर जड़ पर खड़ा है। उसकी जड़ में रेत के बहुत से टीले हैं।

٤٨٨- وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

(488) और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ से ये बयान किया कि नबी (ﷺ) ने क़र्या अर्ज के पास उस नाले के किनारे पर नमाज़ पढ़ी जो पहाड़ की तरफ़ जाते हुए पड़ता है। उस मस्जिद के पास दो या तीन क़ब्रें हैं, उन क़ब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं, रास्ते के दाएँ जानिब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में हैं। उनके बीच में होकर नमाज़ पढ़ी, अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) क़र्या अर्ज से सूरज ढलने के बाद चलते और ज़ुहर इसी मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे।

٤٨٩- وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لاَصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ

(489) और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ से बयान किया कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) रास्ते के बाईं तरफ़ उन घने पेड़ों के पास क़याम फ़र्माते जो हर्शी पहाड़ के नशीब में हैं। ये ढलवाँ जगह हर्शी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ते तक पहुँचने के लिये तीर की मार का फ़ासला है। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.)

وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ قَرِيْبٌ مِنْ غَلْوَةٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيْقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.

उस बड़े पेड़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे जो उन तमाम दरख़्तों में रास्ते से सबसे ज़्यादा क़रीब है और सबसे ज़्यादा लम्बा दरख़्त भी यही है।

٤٩٠- وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيْلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيْلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيْقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ إِلاَّ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ.

(490) और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ़ से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) उस नाले में उतरा करते थे जो वादी मर्रज़ुहरान के नशीब में है। मदीना के मुक़ाबिल जबकि मुक़ामे सुफ़रावात से उतरा जाए। नबी करीम (ﷺ) उस ढलान के बिल्कुल नशीब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाएँ जानिब पड़ता है जब कोई शख़्स मक्का जा रहा हो (जिसको अब बत्ने मर्व कहते हैं) रास्ते और रसूलुल्लाह (ﷺ) की मंज़िल के बीच सिर्फ़ एक पत्थर ही के मार का फ़ासला है।

٤٩١- وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَيَبِيْتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ.

[طرفاه في : ١٧٦٧، ١٧٦٩].

(491) और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने नाफ़ेअ़ से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) मुक़ामे ज़ी-तुवा में क़याम फ़र्माते और रात यहीं गुज़ारते थे और सुबह होती तो नमाज़े फ़ज्र यहीं पढ़ते, मक्का जाते हुए। यहाँ नबी करीम (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी। उस मस्जिद में नहीं जो अब वहाँ बनी हुई है बल्कि उससे नीचे एक बड़ा टीला था।

(दीगर मक़ाम : 1767, 1769)

٤٩٢- وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ

(492) और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने ह़ज़रत नाफ़ेअ़ से बयान किया कि, नबी करीम (ﷺ) ने उस पहाड़ के दोनों कोनों का रुख़ किया जो उसके और जबले त़वील के बीच का'बा की दिशा में हैं। आप उस मस्जिद को जो अब वहाँ बनी है अपनी बाईं तरफ़ कर लेते टीले के किनारे। और नबी करीम (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने की जगह उससे नीचे काले टीले पर थी टीले से तक़रीबन दस हाथ छोड़कर पहाड़ की दोनों घाटियों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते जो तुम्हारे और का'बा के बीच है।

तश्रीह : इमाम क़स्तलानी शारेह बुख़ारी लिखते हैं कि इन मक़ामात में ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की नमाज़ पढ़ना तबर्रुक ह़ासिल करने के लिये था और ये उसके ख़िलाफ़ नहीं जो ह़ज़रत उमर (रज़ि.) से मरवी है क्योंकि ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने इस हाल में उसको मकरूह रखा जब कोई वाजिब और ज़रूरी समझकर ऐसा करें। यहाँ जिन–जिन मक़ामात की मसाजिद का ज़िक्र है उनमें से अकषर अब नापैद हो चुकी है, चन्द बाकी है। जुलहुलैफा एक मशहूर मक़ाम है जहाँ से अहले मदीना एह्राम बाँधा करते थे। बतहा वो जगह है जहाँ पानी का बहाव है और वहाँ बारीक-बारीक कंकरिया है। रुवैषा मदीना से सत्रह फर्स के फ़ासले पर एक गाँव का नाम है। यहां से अर्ज नामी गाँव तेरह चौदह मील पड़ता है। हज़्बह भी मदीना के रास्ते में एक पहाड़ है जो ज़मीन पर फैला हुआ है। हरशी जोह्फ़ह के क़रीब मदीना और शाम के रास्तों में एक पहाड़ का नाम है। मर्रुज्जहरान एक मशहूर मक़ाम है, सफ़रावात वो नदी नाले और पहाड़ जो मर्रुज्जहरान के बाद आते हैं।

इस बाब में नौ ह़दीषें मज़कूर है। इनको ह़सन बिन सुफ़यान ने मुतफर्रिक तौर पर अपनी मुसनद में निकाला है मगर तीसरी को नहीं निकाला और मुस्लिम ने आख़री ह़दीष़ को किताबुल ह़ज्ज में निकाला है।

अब उन मसाजिद का पता नहीं चलता, न वो दरख़्त और निशानात बाकी है। खुद मदीना मुनव्वरा में आँह़ज़रत (ﷺ) ने जिन-जिन मसाजिद में नमाज़ पढ़ी है उनको अमर बिन शैबा ने अख़्बारे मदीना में ज़िक्र किया है। ह़ज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अपने अ़हदे ख़िलाफ़त में उनको मा'लूम करके नक़्शी पत्थरों से ता'मीर करा दिया था उनमें से मस्जिदे क़ुबा, मस्जिदे फ़ज़ीख़, मस्जिदे बनी क़ुरैज़ा, मस्जिद बग़ला, मस्जिद बनी मुआविया, मस्जिदे फ़तह, मस्जिद क़िब्लतैन वग़ैरह अभी तक बाकी है। मौजूदा ह़ुकूमते सऊदिया ने अकषर मसाजिद को उम्दा त़ौर पर मुस्तह़कम (मज़बूत, सुदृढ़) कर दिया है।

इस ह़दीष़ में जिस सफ़र की नमाज़ों का ज़िक्र है वो सात दिन तक जारी रहा था और आपने उसमें 35 नमाज़ें अदा की थी। रावियाने ह़दीष ने अकषर का ज़िक्र नहीं किया। वादी–ए–रौहा की तफ़्सील पहले गुज़र चुकी है।

'क़ालश्शैख़ुब्नु हजर हाज़िहिल मसाजिदु ला युअरफ़ुल यौम हाहुना ग़ैर मस्जिदि ज़िल्हुलीफ़ति वल मसाजिदिल्लती बिरौह़ा अहलु तिल्कन्नाहियति इन्तहा व इन्नमा कानब्नु उमर युस़ल्ली फ़ी तिल्कल मवाज़िइ तबर्रुकन बिहा व लम यजलिन्नासु यतबर्रकून बिमवाज़िअस्सुलहाइ व अम्मा मा रूविय अन उमर अन्नहू करिह ज़ालिक फ़लिअन्नहू ख़शिय अंय्यल्तज़िमन्नासुस्सलात फ़ी तिल्कल मवाज़िअ व यम्बग़ी लिल आलिमि इज़ा राअन्नास यल्तजिमून बिन्नवाफ़िली इल्तिज़ामन शदीदन अंय्यन्हाहुम अ़न्हु'

अ़ल्लामा इब्ने ह़जर की इस तक़रीर का ख़ुलासा वही है जो ऊपर ज़िक्र हुआ है यानी उन मक़ामात पर नमाज़ महज़ तबर्रुकन पढ़ते थे मगर अवाम इसका इन्तिज़ाम करने लगी तो उलमा के लिये ज़रूरी है कि उनको रोके।

बाब 90 : इमाम का सुतरा मुक़्तदियों को भी किफ़ायत करता है

٩٠- باب سُتْرَةُ الإِمامِ سترةُ من خلفه

(493) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा से कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया। उस ज़माने में बालिग़ होने वाला ही था। रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। लेकिन दीवार आप (ﷺ) के सामने न थी। मैं स़फ़ के कुछ हिस़्से से गुज़र कर सवारी से उतरा। और मैंने गधी को चरने के लिये छोड़ दिया

٤٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ

فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، وَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

[راجع: ٤٧٦]

और स़फ़ में दाख़िल हो गया। पस किसी ने मुझपर ए'तिराज़ नहीं किया। (राजेअ : 476)

तश्रीह : बज़ाहिर इस ह़दीष़ से बाब का मत़लब नहीं निकलता। चूंकि आँह़ज़रत (ﷺ) की आदते मुबारका यही थी कि मैदान में बग़ैर सुतरा के नमाज़ न पढ़ते इसलिये आप (ﷺ) के आगे बर्छी गाड़ी जाती तो यक़ीनन उस वक़्त भी आप (ﷺ) के सामने सुतरा ज़रूर होगा। बाब का मत़लब ष़ाबित हो गया कि इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये काफी है।

अ़ल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं, '**इला ग़ैरि जिदारिन क़ालश्शाफ़िइय्यु इला ग़ैरि सुतरतिन व ह़ीनइज़िन फ़ला मुताबक़त बैनल हदीषि वत्तर्जुमति व क़द बव्वब अ़लैहिल बयहक़ी बाबुन मन स़ल्ला इला ग़ैरि सुतरतिन लाकिन इस्तम्बत बअ़्ज़ुहुम अल मुताबक़त मिन क़ौलिही इला ग़ैरि जिदारिन लिअन्न लफ़्ज़ ग़ैर यश्उर बिअन्न ष़म्मह़ू सुतरतुन लिअन्नहा तकउ दाइमन स़िफ़तुन व तक़्दीरूह़ू इला शैइन ग़ैर जिदारिन व हुव अअ़म्मु मिन अंय्यकून अस़न औ ग़ैर ज़ालिक**' यानी इमाम शाफ़िई (रह.) ने कहा कि आप (ﷺ) बग़ैर सुतरा के नमाज़ पढ़ रहे थे। इस सूरत में ह़दीष़ और बाब में कोई मुताबक़त नहीं इसीलिये इस ह़दीष़ पर इमाम बैहक़ी (रह.) ने यूँ बाब बाँधा कि ये बाब उसके बारे में हैं जो बग़ैर सुतरा के नमाज़ पढ़े लेकिन इसी ह़दीष़ से बाज़ उलमा ने लफ़्ज़ इला ग़ैरे जिदार से मुताबक़त पर इस्तिम्बात किया है। लफ़्ज़ ग़ैर बतलाता है कि वहाँ दीवार के अ़लावा किसी और चीज़ से सुतरा किया गया था। वो चीज़ अ़सा (लाठी) थी या कुछ और हर हाल में आपके सामने सुतरा मौजूद था जो दीवार के अ़लावा था।

शैख़ुल ह़दीष़ ह़ज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, '**क़ुल्तु ह़म्मलल बुख़ारी लफ़्ज़ल ग़ैरि अलन्नअ़ति वल बैहक़ी अलन्नफ़ियिलमह़ज़ि व मख़्तारहुल बुख़ारी हुना औला फ़इन्नत्तअ़र्रूज़ लिनफ़ियिल जिदारि ख़ास़्स़तन यदुल्लु अ़ला अन्नहू कान हुनाक शैउन मुग़ायिरूल लिल जिदारि**' (मिर्आ़त जि. 1/स. 515) खुलासा ये है कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्स़द यहाँ ये है कि आपके सामने दीवार के अ़लावा कोई चीज़ बतौरे सुतरा थी। ह़ज़रतुल इमाम ने लफ़्ज़ ग़ैर को यहाँ बतौरे नअ़त समझा और इमाम बैहक़ी (रह.) ने इससे नफ़ी-ए-मह़ज़ मुराद ली और जो कुछ यहाँ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इख़्तियार किया है वही मुनासिब और बेहतर है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का ये वाक़िआ ह़ज्जतुल विदाअ़ में पेश आया। उस वक़्त में जवानी के क़रीब थे। वफ़ाते नबवी (ﷺ) के वक़्त इनकी उम्र पन्द्रह साल के लगभग बतलाई गई है।

٤٩٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.

[أطرافه في : ٤٩٧، ٩٧٢، ٩٧٣].

(494) हमसे इस्ह़ाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन नुमैर ने कहा कि हमसे उ़बैदुल्लाह ने नाफ़ेअ़ के वास्ते से बयान किया। उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ईद के दिन (मदीना से) बाहर तशरीफ़ ले जाते तो छोटा नेज़ा (बर्छा) को गाड़ने का हुक्म देते वो जब आपके आगे गाड़ दिया जाता तो आप (ﷺ) उसकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते। और लोग आप (ﷺ) के पीछे खड़े होते। यही आप (ﷺ) सफ़र में भी किया करते थे। (मुसलमानों के) ख़ुलफ़ा ने इसी वजह से बर्छा साथ रखने की आदत बना ली है। (दीगर मक़ाम : 497, 972, 973)

٤٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:

(495) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया औ़न बिन अबी जुहैफ़ा से, कहा मैंने अपने बाप (वहब बिन अ़ब्दुल्लाह) से सुना कि नबी (ﷺ) ने लोगों को बत़्हा

سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. [راجع: ١٨٧]

में नमाज़ पढ़ाई। आपके सामने अंज़ा (डंडा जिसके नीचे फल लगा हुआ हो) गाड़ दिया गया था। (चूँकि आप मुसाफ़िर थे इसलिये) ज़ुहर की दो रकअ़त और अ़स्र की दो रकअ़त अदा कीं। आप (ﷺ) के सामने से औरतें और गधे गुज़र रहे थे। (राजेअ़ : 187)

तश्रीह : यहाँ भी ह़ज़रत इमाम क़ुद्दस सिर्रुहु ने यह षाबित फ़र्माया कि इमाम का सुतरा सारे नमाज़ियों के लिये काफ़ी है। आप (ﷺ) ने बतहा में ज़ुहर व अ़स्र की दोनों नमाज़ें जमा तक़्दीम के तौर पर पढ़ाई ओर आप (ﷺ) के आगे बतौरे सुतरा बरछा गाड़ दिया गया था। बरछों से बाहर और नमाज़ियों के आगे से गधे गुज़र रहे थे और औरतें भी, मगर आप (ﷺ) का सुतरा सब नमाज़ियों के लिये काफी माना गया। बग़ैर सुतरा के इमाम या नमाज़ियों के आगे से अगर औरतें या गधे व कुत्ते वग़ैरह गुज़रें तो चूंकि उनकी त़रफ़ तवज्जुह बंटने का एहतिमाल (अन्देशा) है, इसलिये उनसे नमाज़ टूट जाती है। बाज़ लोग नमाज़ टूटने को नमाज़ में सिर्फ़ ख़लल आ जाने पर महमूल करते हैं।

इसका फ़ैसला ख़ुद नमाज़ी ही कर सकता है **इन्नमल आमालु बिन्निय्यात** अगर इन चीज़ों पर नजर पड़ने से उसकी नमाज़ में पूरी तवज्जुह उधर हो गई तो यक़ीनन नमाज़ टूट जाएगी वर्ना ख़लले महज़ भी मायूब है। ह़ज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी शैख़ुल ह़दीष़ फ़र्माते हैं, '**क़ाल मालिक व अबू हनीफ़त वश्शाफ़िइय्यु रज़ियल्लाहु अन्हुम व जुम्हूरु मिनस्सलफ़ि वल ख़लफ़ि ला तब्तिलुस्सलातु बिमुरूरि शैइम्मिन हाउलाइ वला मिन ग़ैरिहिम व तअव्वल हाउलाइ हाज़ल ह़दीष़ु अला अन्नल मुराद बिल्क़तइ नक़्सुस्सलाति लिशग़लिल क़ल्बि बिहाज़िहिल अश्याइ व लैसल मुरादु इब्तालुहा**' (तोहफ़तुल अहवज़ी जि. 1/स.276) ख़ुलास़ा यही है कि कुत्ते और गधे और औरत के नमाज़ी के सामने गुज़रने से नमाज़ में नुक़्स आ जाता है। इसलिये कि दिल में इन चीज़ों से तअष्षुर (अष़र) आ जाता है। (कहने का मतलब यह है कि नमाज़ी का मन उनके बारे में सोचने–विचारने लगता है)। नमाज़ मुतलक़न बातिल हो जाए ऐसा नहीं है। जुम्हूर उलम-ए-सलफ़ व ख़लफ़ का यही फ़तवा है।

बाब 91 : नमाज़ी और सुतरा में कितना फ़ास़ला होना चाहिए?

٩١- بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟

٤٩٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

[طرفه في : ٧٣٣٤].

(496) हमसे अ़म्र बिन ज़ुरारह ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी ह़ाज़िम ने अपने बाप अबू ह़ाज़िम सलमा बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने सहल बिन सअ़द से, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) के सज्दा करने की जगह और दीवार के बीच एक बकरी के गुज़र सकने जितना फ़ास़ला रहता था। (दीगर मक़ाम : 7334)

٤٩٧- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

(497) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन अबी उ़बैद ने, उन्होंने सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने फ़र्माया कि मस्जिद की दीवार और मिम्बर के बीच बकरी के गुज़र सकने के फ़ास़ले के बराबर जगह थी।

तश्रीह : मस्जिदे नबवी में उस वक़्त मेहराब नहीं था और आप (ﷺ) मिम्बर की बाएं तरफ़ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे। लिहाज़ा मिम्बर और दीवार का फ़ास़ला उतना ही होगा कि एक बकरी निकल जाए। बाब का यही मतलब है।

बिलाल की हदीष़ में है कि आप (ﷺ) ने का'बा में नमाज़ पढ़ाई आप में और दीवार में तीन हाथ का फ़ासला था। हदीष़ से ये भी निकला कि मस्जिद में मेहराब बनाना और मिम्बर बनाना सुन्नत नहीं है, मिम्बर अलैहदा लकड़ी का होना चाहिये। बुख़ारी शरीफ़ की ष़लाष़ियात में से ये दूसरी हदीष़ है और ष़लाष़ियात की पहली हदीष़ पहला पारा किताबुल इल्म **'बाबु अष़म्मु-मन-कज़ब अलन्नबिय्यि सल्लाहु अलैहि व सल्लम'** में मक्की बिन इब्राहीम की रिवायत से गुजर चुका है। ष़लाष़ियात वो अहादीष़ जिनकी सनद में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) सिर्फ़ तीन ही असातिज़ा से उसे नक़ल करें। यानी ष़लाष़ियात से मुराद ये है कि इमाम बुख़ारी और नबी करीम (ﷺ) के दर्मियान तीन रावियों का वास्ता हो।

बाब 92 : बर्छी की तरफ़ नमाज़ पढ़ना

٩٢- بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

(498) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने उबैदुल्लाह के वास्ते से बयान किया, कहा मुझे नाफ़ेअ ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि नबी (ﷺ) के लिये बर्छा गाड़ दिया जाता था और आप (ﷺ) उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे।

٤٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [راجع: ٤٩٤]

बाब 93 : अंज़ा (लकड़ी जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो) की तरफ़ नमाज़ पढ़ना

٩٣- بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

(499) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे औन बिन अबी जुहैफ़ा ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप अबू जुहैफ़ा वहब बिन अब्दुल्लाह से सुना उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दोपहर के वक़्त बाहर तशरीफ़ लाए। आपकी ख़िदमत में वुज़ू का पानी पेश किया गया, जिससे आप (ﷺ) ने वज़ू किया। फिर हमें आप (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई और अस्र की, आप (ﷺ) के सामने अंज़ा गाड़ दिया गया था। और औरतें और गधे पर सवार लोग उसके पीछे से गुजर रहे थे। (राजेअ : 187)

٤٩٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا. [راجع: ١٨٧]

आपने ज़ुहर और अस्र को जमा किया था, इसे जमा-तक़दीम कहते हैं।

(500) हमसे मुहम्मद बिन हातिम बिन बज़ीअ ने बयान किया, कहा कि हमसे शाज़ान बिन आमिर ने शुअबा बिन हिजाज के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अता बिन अबी मैमूना से, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) जब रफ़ओ हाजत के लिये निकलते तो मैं और एक और लड़का आप (ﷺ) के पीछे-पीछे जाते। हमारे साथ उकाज़ह (डंडा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो) या छड़ी या अंज़ा होता और हमारे साथ एक छागल भी होता था। जब आँहुज़ूर (ﷺ)

٥٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ

हाजत से फ़ारिग़ हो जाते तो हम आपको वो छागल दे देते थे। (राजेअ : 150)

حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ.

[راجع: ١٥٠]

बाब 94 : मक्का और उसके अलावा दूसरे मुक़ामात में सुतरे का हुक्म

٩٤- بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

(501) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने हकम बिन उ़ययना से, उन्होंने अबू जुहैफ़ा से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) हमारे पास दोपहर के वक़्त तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने बत्हा में ज़ुहर और अ़स्र की दो-दो रकअ़तें पढ़ीं। आप (ﷺ) के सामने अंज़ा गाड़ दिया गया था। और जब आप (ﷺ) ने वुज़ू किया तो लोग आप (ﷺ) के वुज़ू का पानी को अपने बदन पर लगा रहे थे। (राजेअ : 187)

٥٠١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ.

[راجع: ١٨٧]

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि सुतरा के मसला में मक्का और दीगर मक़ामात में कोई फ़र्क़ नहीं। मुसन्नफ़ अब्दुर्रज्जाक़ में एक हदीष़ है कि आँहज़रत (ﷺ) मस्जिदे हराम में बग़ैर सुतरा के नमाज़ पढ़ते थे। इमाम बुख़ारी ने इस हदीष़ को ज़ईफ़ समझा है। बत्हा मक्का की पथरीली ज़मीन को कहते हैं।

'वल ग़रज़ु मिन हाज़ल बाबि अर्रद्दु अ़ला मन क़ाल यजूज़ुल मुरुरु दूनस्सुतरति लिज़्ज़ाइफीन लिज़रुरति ला लिग़ैरिहिम' जो लोग का'बा के तवाफ़ करने वालों को नमाज़ियों के आगे से गुज़रने के क़ाइल है, हज़रत इमाम (रह.) ये बाब मुनअ़किद करके उनका रद्द करना चाहते हैं।

बाब 95 : सतूनों की आड़ में नमाज़ पढ़ना

٩٥- بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

और हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़ पढ़नेवाले सतूनों के उन लोगों से ज़्यादा मुस्तह़िक़ हैं जो उस पर टेक लगाकर बातें करें। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने एक शख़्स को दो सतूनों के बीच में नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे सतून के पास कर दिया और कहा कि इसकी तरफ़ नमाज़ पढ़।

وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عُمَرُ رَجُلاً يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا.

(502) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन अबी उ़बैद ने बयान किया, कहा कि मैं सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) के साथ (मस्जिदे नबवी में) हाज़िर हुआ करता था। सलमा (रज़ि.) हमेशा उस सतून को सामने करके नमाज़ पढ़ते जहाँ क़ुर्आन शरीफ़ रखा रहता था। मैंने उनसे कहा कि ऐ अबू मुस्लिम! मैं देखता हूँ कि आप (ﷺ) हमेशा इसी सतून को सामने करके नमाज़ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा आप (ﷺ) ख़ास़ तौर से इसी सतून को सामने करके नमाज़ पढ़ा करते थे।

٥٠٢- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا.

हज़रत उष्मान (रज़ि.) के ज़माने में मस्जिदे नबवी में एक सुतून के पास कुर्आन शरीफ़ सन्दूक़ में रखा रहता था। उसको सुतूने मुस्हफ़ कहा करते थे। यहाँ इसी का ज़िक्र है, षलाषियाते बुख़ारी शरीफ़ में से ये तीसरी ह़दीष़ है।

(503) हमसे क़ुबैसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने अ़म्र बिन आमिर से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के बड़े-बड़े सह़ाबा किराम (रज़ि.) को देखा कि वो मग़रिब (की अज़ान) के वक़्त सतूनों की तरफ़ लपकते। और शुअ़बा ने अ़म्र बिन आमिर से उन्होंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से (इस ह़दीष़ में) ये ज़्यादती की है। 'यहाँ तक कि नबी करीम (ﷺ) हुज्रे से बाहर तशरीफ़ लाते।' (दीगर मक़ाम : 625)

٥٠٣- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ: حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ.
[طرفه في : ٦٢٥].

तश्रीह : मग़रिब की अज़ान और नमाज़ के दरमियान दो हल्की फुल्की रकअ़तें पढ़ना सुन्नत है। अ़हदे रिसालत में ये सह़ाबा (रज़ि.) का आ़म मामूल था, मगर बाद में नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्मा दिया कि जो चाहे इनको पढ़े जो चाहे न पढ़े। इस ह़दीष़ से सुतूनों को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ने का षुबूत हुआ और इन दो रकअ़तों का भी जैसा कि रिवायत से ज़ाहिर है। शुअ़बा की रिवायत को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल अज़ान में वस्ल किया है।

बाब 96 : दो सतूनों के बीच में अगर नमाज़ी अकेला हो तो नमाज़ पढ़ सकता है

٩٦- بَابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

क्योंकि जमाअ़त में सुतूनों के बीच में खड़े होने से सफ़ में ख़लल पैदा होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हर ह़ाल में दो सुतूनों के बीच में नमाज़ मकरूह है क्योंकि ह़ाकिम ने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से मुमानअ़त की नक़ल की है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर इशारा किया कि वो मुमानअ़त बाजमाअ़त नमाज़ पढ़ने की ह़ालत में है।

(504) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जुवैरिया बिन अस्मा ने नाफ़ेअ़ से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए और उसामा बिन ज़ैद उष्मान बिन त़लह़ा और बिलाल (रिज़.) भी आपके साथ थे। आप (ﷺ) देर तक अंदर रहे। फिर बाहर आए। और मैं सब लोगों से पहले आप (ﷺ) के पीछे ही वहाँ आया। मैंने बिलाल (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) ने कहाँ नमाज़ पढ़ी थी। उन्होंने बताया कि आगे के दो सतूनों के बीच में आपने नमाज़ पढ़ी थी। (राजेअ़ : 397)

٥٠٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ، وَ كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلاً: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ.
[راجع: ٣٩٧]

(505) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

٥٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

कहा हमें इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी नाफ़ेअ से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) का'बा के अंदर तशरीफ़ ले गए और उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उ़स्मान बिन तलहा भी आप (ﷺ) के साथ थे। फिर उ़स्मान (रज़ि.) ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और आप (ﷺ) उसमें ठहरे रहे। जब आप (ﷺ) बाहर निकले तो मैंने बिलाल से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) ने अंदर क्या किया? उन्होंने कहा कि आपने एक सतून को तो बाएँ तरफ़ छोड़ा और एक को दाएँ तरफ़ और तीन को पीछे। और उस ज़माने में ख़ान-ए-का'बा में छः सतून थे। फिर आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी। इमाम बुख़ारी ने कहा कि हमसे इस्माईल बिन इदरीस ने कहा, वो कहते हैं कि मुझसे इमाम मालिक ने ये ह़दीष़ यूँ बयान की कि आप (ﷺ) ने अपने दाएँ तरफ़ दो सतून छोड़े थे।
(राजेअ़ : 397)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا. وَ سَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ : عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ.
[راجع: ٣٩٧]

तश्रीह : यहीं से बाब का तर्जुमा निकला कि अगर आदमी अकेला नमाज़ पढ़ना चाहे तो दो सुन्नतों के बीच में पढ़ सकता है। शारेहे ह़दीष़ ह़ज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा (रह.) फ़र्माते हैं कि यही रिवायत सह़ीह़ मा'लूम होती है क्योंकि जब ख़ाना काबा छः सुतूनों पर था तो एक तरफ़ ख़्वामख़्वा दो सुतून रहेंगे और एक तरफ़ एक इमाम अहमद और इस्हाक़ और अहले ह़दीष़ का यही मज़हब है कि अकेला शख़्स सुतूनों के बीच में नमाज़ पढ़ सकता है लेकिन सुतूनों के बीच में स़फ़ बाँधना मकरूह है और ह़नफ़िय्या, मालकिया और शाफ़िइय्या ने इसको जाइज़ रखा है। तसहीलुल क़ारी में हैं कि हमारे इमाम अह़मद बिन ह़म्बल का मज़हब ह़क़ है और ह़नफ़िय्या और शाफ़िइय्या और मालकिय्या को इस मसले में शायद मुमानअ़त की ह़दीष़ें नहीं पहुंची, वल्लाहु अअ़लम।

बाब 97 :

٩٧- بَابٌ

(506) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़म्रह अनस बिन इ़याज़ ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ से कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) जब का'बा में दाख़िल होते तो सीधे मुँह के सामने चले जाते। दरवाज़ा पीठ की तरफ़ होता और आप आगे बढ़ते जब उनके और सामने की दीवार का फ़ासला क़रीब तीन हाथ रह जाता तो नमाज़ पढ़ते। इस तरह आप उस जगह नमाज़ पढ़ना चाहते थे जिसके बारे में ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने आपको बताया था कि नबी करीम (ﷺ) ने यहीं नमाज़ पढ़ी थी। आप फ़र्माते थे कि बैतुल्लाह में जिस कोने में हम चाहें नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसमें कोई क़बाहत नहीं।

٥٠٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيهِ. قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

(राजेअ : 397)

[راجع: ٣٩٧]

बाब 98 : ऊँटनी और ऊँट और पेड़ और पालान को सामने करके नमाज़ पढ़ना

٩٨- بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

(507) हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र मुक़द्दमी बसरी ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने बयान किया उबैदुल्लाह बिन उमर से, वो नाफ़ेअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) अपनी सवारी को सामने अर्ज़ में कर लेते और उसकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, उबैदुल्लाह बिन उमर ने नाफ़ेअ से पूछा कि जब सवारी उछलने कूदने लगती तो उस वक़्त आप क्या करते थे? नाफ़ेअ ने कहा कि आप उस वक़्त कजावे को अपने सामने कर लेते। और उसके आख़री हिस्से की (जिस पर सवार टेक लगाता है एक खड़ी सी लकड़ी की) तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी इसी तरह किया करते थे।

٥٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى أَخِرَتِهِ - أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ.

हज़रत इमाम (रह.) ने ऊँटनी पर ऊँट को और पालान की लकड़ी पर दरख़्त को क़ियास किया है। इस तफ़्सील के बाद हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 99 : चारपाई की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना

٩٩- بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى السَّرِيرِ

(508) हमसे उष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अब्दुल हमीद ने बयान किया मंसूर बिन मुअतमिर से, उन्होंने इब्राहीम नख़ई से, उन्होंने अस्वद बिन यज़ीद से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि तुम लोगों ने हम औरतों को कुत्तों और गधों के बराबर बना दिया। हालाँकि मैं चारपाई पर लेटी रहती थी और नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाते। और चारपाई के बीच में आ जाते (या चारपाई को अपने और क़िब्ले के बीच में कर लेते) फिर नमाज़ पढ़ते। मुझे आपके सामने पड़ा रहना बुरा मा'लूम होता, इसलिये मैं पाइंती की तरफ़ से खिसककर लिहाफ़ के रास्ते से बाहर निकल जाती। (राजेअ : 380)

٥٠٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، وَ أَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي. [راجع: ٣٨٠]

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाबुल इस्तीज़ान में एक हदीष रिवायत फ़र्माई है जिसमें साफ़ मज़कूर है कि आप (ﷺ) नमाज़ पढ़ते और चारपाई आपके और क़िबले के बीच में होती पस **फ़यतवस्सतुस्सरीरु** का तर्जुमा में सहीह होगा कि आप (ﷺ) चारपाई को अपने और क़िब्ला के बीच में कर लेते।

बाब 100 : चाहिए कि नमाज़ पढ़नेवाला अपने

١٠٠- بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ

सामने से गुज़रने वाले को रोक दे

بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ، وَفِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ.

और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने का'बा में जबकि आप तशह्हुद के लिये बैठे हुए थे रोक दिया था और अगर (गुज़रने वाला) लड़ाई पर उतर आए तो उससे लड़े।

अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के इस अष़र को इब्ने अबी शैबा और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक ने निकाला है। इससे इन लोगों का रद्द मक़सूद है जो का'बा में नमाज़ी के सामने से गुज़रना मुआ़फ़ जानते हैं।

٥٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيْدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُوسَعِيْدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيْدٍ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَدَخَلَ أَبُوسَعِيْدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيْكَ يَا أَبَا سَعِيْدٍ؟ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)). [طرفه في : ٣٢٧٤].

(509) हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, हमसे यूनुस बिन उ़बैद ने हुमैद बिन हिलाल के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू स़ालेह ज़क्वान सिमान से कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (दूसरी सनद) और हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे सुलैमान बिन मुग़ीरह ने, कहा हमसे हुमैद बिन हिलाल अ़दवी ने, कहा मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) को जुम्आ़ के दिन नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप किसी चीज़ की तरफ़ मुँह किए हुए लोगों की तरफ़ से आड़ बनाए हुए थे। अबू मुईत़ के बेटों में से एक जवान ने चाहा कि आपके सामने से होकर गुज़र जाए। अबू सईद (रज़ि.) ने उसके सीने पर धक्का देकर बाज़ रखना चाहा। जवान ने चारों तरफ़ नज़र दौड़ाई मगर कोई रास्ता सिवाय, सामने के गुज़रने के न मिला। इसलिये वो फिर उसी तरफ़ से निकलने के लिये लौटा। अब अबू सईद (रज़ि.) ने पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया। उसे अबू सईद (रज़ि.) से शिकायत हुई और वो अपनी ये शिकायत मरवान के पास ले गया। उसके बाद अबू सईद (रज़ि.) भी तशरीफ़ ले गए, मरवान ने कहा ऐ अबू सईद (रज़ि.)! आपमें और आपके भतीजे में क्या मुआ़मला पेश आया। आपने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना है आपने फ़र्माया था कि जब कोई शख़्स नमाज़ किसी चीज़ की तरफ़ मुँह करके पढ़े और उस चीज़ को आड़ बना रहा हो फिर भी अगर कोई सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिये, अगर अब भी उसे इस़रार हो तो उससे लड़ना चाहिए क्योंकि वो शैतान है। (दीगर मक़ाम : 3274)

तश्रीह : नमाज़ी के आगे से गुज़रना सख़्ततरीन गुनाह है। अगर गुज़रने वाला क़सदन (जान–बूझकर) ये हरकत कर रहा है तो वो यकीनन शैतान है जो ख़ुदा और बन्दे के दर्मियान हाएल हो रहा है। ऐसे गुज़रने वाले को हत्तल इमकान रोकना चाहिए। यहाँ तक कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की तरह ज़रूरत हो तो उसे धक्का देकर भी बाज़ रखा जा सकता है। बाज़ लोग इर्शादे नबवी फ़ल्युक़ातिल्हू को मुबालग़ा पर महमूल करते हैं ।

बाब 101 : नमाज़ी के आगे से गुज़रने का कितना गुनाह है?

١٠١- بَابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

(510) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने उमर बिन उबैदुल्लाह के गुलाम अबू नज़्र सालिम बिन अबी उमय्या से ख़बर दी। उन्होंने बुस्र बिन सईद से कि ज़ैद बिन ख़ालिद ने उन्हें अबू जुहैम अ़ब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) की ख़िदमत में उनसे ये बात पूछने के लिये भेजा कि उन्होंने नमाज़ पढ़नेवाले के सामने से गुज़रनेवाले के बारे में नबी करीम (ﷺ) से क्या सुना है। अबू जुहैम ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाला जान ले कि इसका कितना बड़ा गुनाह है? तो उसके सामने से गुज़रने पर चालीस तक वहीं खड़े रहने को तर्जीह देता। अबुन्नज़र ने कहा कि मुझे याद नहीं कि बुस्र बिन सईद ने चालीस दिन कहा था महीना या साल।

٥١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ أَبُوجُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)). قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِيْ أَقَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

बाब 102 : नमाज़ पढ़ते वक़्त एक नमाज़ी का दूसरे शख़्स की तरफ़ रुख़ करना कैसा है?

١٠٢- بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي

और हज़रत उ़म्मान (रज़ि.) ने नापसंद फ़र्माया कि नमाज़ी के सामने मुँह करके बैठे। इमाम बुख़ारी ने फ़र्माया कि ये कराहियत जब है कि नमाज़ी का दिल उधर लग जाए। अगर दिल न लगे तो ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) ने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं। इसलिये कि मर्द की नमाज़ को मर्द नहीं तोड़ता।

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَالَيْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ.

(511) हमसे इस्माईल बिन ख़लील ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मुस्हिर ने बयान किया सुलैमान अअ़मश के वास्ते से, उन्होंने मुस्लिम बिन स़बीह से, उन्होंने मसरूक़ से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि उनके सामने ज़िक्र हुआ कि नमाज़ को

٥١١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ - يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ - عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

क्या चीज़ें तोड़ देती हैं, लोगों ने कहा कि कुत्ता, गधा और औरत (भी) नमाज़ को तोड़ देती है। (जब सामने आ जाए) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुमने हमें कुत्तों के बराबर बना दिया, जबकि मैं जानती हूँ कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं आपके और आपके क़िब्ले के बीच (सामने) चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे ज़रूरत पेश आती थी और ये भी अच्छा नहीं मा'लूम होता था कि ख़ुद को आपके सामने कर दूँ। इसलिये मैं धीरे से निकल आती थी। अअ़मश ने इब्राहीम से, उन्होंने अस्वद से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से इसी तरह ये हदीष़ बयान की।

(राजेअ़ : 382)

عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيْرِ، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً. وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

[راجع: ٣٨٢]

हज़रत आइशा (रज़ि.) के बयान में अल्फ़ाज़ अकरहु अन अस्तक़बिलह् से बाब का तर्जुमा निकलता है। यानी हज़रत आइशा फ़र्माती है कि मैं आपके सामने लेटी रहती थी मगर उसे मकरूह जानकर इधर-उधर सरक जाया करती थी।

बाब 103 : सोते हुए शख़्स के पीछे नमाज़ पढ़ना

١٠٣ - بَابُ الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ

(512) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया, वो फ़र्माती थीं कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ते रहते और मैं (आप ﷺ के सामने) बिछौने पर आड़ी सोती हुई पड़ी होती। जब आप (ﷺ) वित्र पढ़ना चाहते तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वित्र पढ़ लेती थी। (राजेअ़ : 382)

٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

[راجع: ٣٨٢]

बाब और हदीष़ की मुताबक़त ज़ाहिर है। पारिवारिक ज़िन्दगी में बाज़ दफ़ा ऐसे भी मौक़े आ जाते हैं कि एक शख़्स सो रहा है और दूसरे नमाज़ी बुज़ुर्ग उसके सामने होते हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं। ज़रूरत के मद्देनज़र इससे नमाज़ में ख़लल नहीं आता।

बाब 104 : औरत के पीछे नफ़्ल नमाज़ पढ़ना

١٠٤ - بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

यानी सामने बतौरे—सुतरा के औरत हो तो नमाज़ का क्या हुक्म है।

(513) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी उ़मर बिन उ़बैदुल्लाह के ग़ुलाम अबुन्नज़्र से, उन्होंने अबू सलमा अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की जोज़-ए-मुतह्हरा हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सो जाया करती थी। मेरे पांव आप (ﷺ) के सामने (फैले हुए) होते। जब आप (ﷺ) सज्दा करते तो

٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
[راجع: ٥٨٢]

पांव को हलके से दबा देते और मैं उन्हें सिकोड़ लेती फिर जब क़याम फ़र्माते तो मैं उन्हें फैला लेती थी। उस ज़माने में चिराग़ नहीं होते थे। (मा'लूम हुआ कि ऐसा करना भी जाइज़ है)
(राजेअ : 582)

١٠٥- بَابُ مَنْ قَالَ : لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

बाब 105 : उस शख़्स की दलील जिसने ये कहा कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती

٥١٤- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح. قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ - الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ - فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
[راجع: ٣٨٢]

(514) हमसे उमर बिन हफ़्स बिन ग़ियाष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे अअमश ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम ने अस्वद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से (दूसरी सनद) और अअमश ने कहा कि मुस्लिम बिन सबीह ने मसरूक़ के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि उनके सामने उन चीज़ों का ज़िक्र हुआ। जो नमाज़ को तोड़ देती हैं यानी कुत्ता, गधा और औरत। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम लोगों ने हमें गधों और कुत्तों के बराबर कर दिया, जबकि ख़ुद नबी करीम (ﷺ) इस तरह नमाज़ पढ़ते थे कि मैं चारपाई पर आप (ﷺ) के और क़िब्ले के बीच में लेटी रहती थी। मुझे कोई ज़रूरत पेश आई और चूँकि ये बात पसंद न थी कि आपके सामने (जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे हों) बैठूं और इस तरह आप (ﷺ) को तक्लीफ़ हो। इसलिये मैं आपके पांव की तरफ़ से ख़ामोशी के साथ निकल जाती थी। (राजेअ : 282)

तश्रीह : साहिबे तफ़्हीमुल बुख़ारी लिखते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह.) इस हदीष़ का जवाब देना चाहते हैं कि कुत्ते, गधे और औरत नमाज़ को तोड़ देती है। ये भी सहीह हदीष़ है लेकिन इससे मक़सद ये बताना था कि उनके सामने से गुज़रने से नमाज़ के ख़ुशू व ख़ुज़ू में फ़र्क़ पड़ता है। ये मक़सद नहीं था कि वाक़ई इनका सामने से गुज़रना नमाज़ को तोड़ देता है। चूंकि बाज़ लोगों ने ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ पर ही हुक्म लगा दिया था इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसकी तर्दीद की ज़रूरत समझी। इसके अलावा इस हदीष़ से ये भी शुबहा होता था कि नमाज़ किसी दूसरे के अमल से भी टूट सकती है इसलिये इमाम बुख़ारी (रह.) ने उनवान लगाया कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती यानी किसी दूसरे का कोई अमल ख़ास तौर से सामने गुज़रना।

٥١٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي

(515) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमें यअक़ूब बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे मेरे भतीजे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने अपने चचा से पूछा कि क्या

ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلاَةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.

[راجع: ٣٨٢]

नमाज़ को कोई चीज़ तोड़ देती है? तो उन्होंने फ़र्माया कि नहीं! उसे कोई चीज़ नहीं तोड़ती। क्योंकि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि नबी (ﷺ) की बीवी मुतह्हरह हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) खड़े होकर रात को नमाज़ पढ़ते और मैं आपके सामने आपके क़िब्ले के बीच अर्ज़ में बिस्तर पर लेटी रहती थी।

(राजेअ : 382)

तफ़्सील तोहफ़तुल अह्वज़ी के हवाले से गुज़र चुका है।

١٠٦ - بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ

बाब 106 : इस बारे में कि नमाज़ में अगर कोई अपनी गर्दन पर किसी बच्ची को उठा ले तो क्या हुक्म है?

٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [طرفه في : ٥٩٩٦].

(516) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने अम्र बिन सुलैम ज़र्क़ी से, उन्होंने अबू क़तादा अंसारी (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उमामा बिन्ते ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) (कुछ औक़ात) को नमाज़ पढ़ते वक़्त उठाए होते थे। अबुल आस बिन रबीआ बिन अब्दे शम्स की हदीष़ में है कि जब सज्दे में जाते तो उतार देते और जब क़याम करते तो उठा लेते।

(दीगर मक़ाम : 5996)

तश्रीह : हज़रत उमामा बिन्ते अबुल आस (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) की बड़ी महबूब (लाडली) नवासी थी। बाज़ औक़ात इस फ़ितरी मुहब्बत की वजह से आँहज़रत (ﷺ) उनको, जबकि ये बहुत छोटी थी, नमाज़ में कंधे पर बिठा लिया करते थे। हज़रत उमामा का निकाह हज़रत अली कर्रमहुल्लाहु वज्हु से हुआ जबकि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) का इन्तिक़ाल हो चुका था और वो उनसे निकाह करने की वसिय्यत भी फ़र्मा गई थी। ये 11 हिजरी का वाक़िआ है। 40 हिजरी में हज़रत अली (रज़ि.) शहीद कर दिये गये तो आपकी वसिय्यत के मुताबिक़ हज़रत उमामा (रज़ि.) का अक़्दे षानी मुग़ीरा बिन नौफ़ल से हुआ जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते होते थे। इन्हीं के पास आपने वफ़ात पाई।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) अह्कामे इस्लाम में वुसअत के पेशेनज़र बतलाना चाहते हैं कि ऐसे किसी ख़ास मौके पर अगर किसी शख़्स ने नमाज़ में अपने किसी प्यारे मासूम बच्चे को कंधे पर बिठा लिया तो इससे नमाज़ फ़ासिद न होगी।

١٠٧ - بَابُ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

बाब 107 : ऐसे बिस्तर की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ना जिस पर हाइज़ा औरत हो

(517) हमसे अम्र बिन ज़ुरारह ने बयान किया, कहा कि हमसे हुशैम ने शैबानी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद से, कहा मुझे मेरी ख़ाला मैमूना बिन्तुल हारिष़ (रज़ि.) ने ख़बर दी कि मेरा बिस्तर नबी करीम (ﷺ) के मुसल्ले के बराबर हुआ करता था। और कुछ मर्तबा आप (ﷺ) का कपड़ा (नमाज़ पढ़ते में) मेरे ऊपर आ जाता और मैं अपने बिस्तर पर ही होती थी। (राजेअ़ : 333)

٥١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي. [راجع: ٣٣٣]

(518) हमसे अबू नोअ़मान बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबानी सुलैमान ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद ने बयान किया, कहा कि हमने हज़रत मैमूना (रज़ि.) से सुना, वो कहती थीं कि नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे होते और मैं आप (ﷺ) के बराबर में सोती रहती। जब आप (ﷺ) सज्दे में जाते तो आपका कपड़ा मुझे छू जाता हालाँकि मैं हाइज़ा होती थी। (राजेअ़ : 333)

٥١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

[راجع: ٣٣٣]

ऊपर की ह़दीष़ में ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) के हाइज़ा होने की वज़ाहत न थी इसलिये ह़ज़रत इमाम ने दूसरी ह़दीष़ लाए जिसमें उनके हाइजा होने की वजह मौजूद है इनसे मा'लूम हुआ कि हाइज़ा औरत सामने लेटी हो तो भी नमाज़ में कोई नुक़्स लाज़िम नहीं आता। यही ह़ज़रत इमाम का मक़्सदे बाब है।

बाब 108 : इस बयान में कि क्या मर्द सज्दा करते वक़्त अपनी बीवी को छू सकता है?

١٠٨ - بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ؟

(519) हमसे अ़म्र बिन अ़ली ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे उ़बैदुल्लाह अ़म्री ने बयान किया, कहा कि हमसे क़ासिम बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि तुमने बुरा किया कि हमको कुत्तों और गधों के हुक्म में कर दिया। ख़ुद नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं आपके सामने लेटी हुई थी। जब सज्दा करना चाहते तो मेरे पांव को छू देते और मैं उन्हें सिकोड़ लेती थी।

(बाब व ह़दीष़ की मुताबक़त ज़ाहिर है)

٥١٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.

(राजेअ़ : 382)

[راجع. ٣٨٢]

बाब 109 : इस बारे में कि अगर औरत नमाज़ पढ़ने वाले से गंदगी हटा दे (तो मुज़ायक़ा नहीं है)

١٠٩- بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

(520) हमसे अहमद बिन इस्हाक़ सरमारी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्राईल ने अबू इस्हाक़ के वास्ते से बयान किया। उन्होंने अ़म्र बिन मैमून से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से, कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का'बा के पास खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। क़ुरैश अपनी मज्लिस में (पास ही) बैठे हुए थे। इतने में उनमें से एक क़ुरैशी बोला इस रियाकार को नहीं देखते? क्या कोई है जो फ़लाँ क़बीले के ज़िब्ह किये हुए ऊँट की गोबर, ख़ून और ओझड़ी उठा लाए, फिर यहाँ इंतिज़ार करे। जब ये (हुज़ूर ﷺ) सज्दे में जाए तो गर्दन पर रख दे (चुनाँचे इस काम को अंजाम देने के लिये) उनमें से सबसे ज़्यादा बदबख़्त शख़्स उठा। और जब आप (ﷺ) सज्दे में गए तो उसने आप (ﷺ) की गर्दन पर ये ग़लाज़तें डाल दीं। आँहुज़ूर (ﷺ) सज्दे ही की हालत में सर रखे रहे। मुश्रिकीन (ये देखकर) हंसे और मारे हंसी के एक–दूसरे पर लोट–पोट होने लगे। एक शख़्स (ग़ालिबन इब्ने मसऊ़द रज़ि.) हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के पास आए। वो अभी बच्ची थीं। आप (रज़ि.) दौड़ती हुई आईं। हुज़ूर (ﷺ) अब भी सज्दे ही में थे। फिर (हज़रत फ़ातिमा रज़ि. ने) उन ग़लाज़तों को आप (ﷺ) के ऊपर से हटाया और मुश्रिकीन को बुरा–भला कहा। आँहुज़ूर (ﷺ) ने नमाज़ पूरी करके फ़र्माया 'या अल्लाह! क़ुरैश पर अ़ज़ाब नाज़िल कर। या अल्लाह! क़ुरैश पर अ़ज़ाब नाज़िल कर। या अल्लाह! क़ुरैश पर अ़ज़ाब नाज़िल कर।' फिर नाम लेकर कहा, ख़ुदाया! अ़म्र बिन हिशाम, उ़त्बा बिन रबीआ़, शैबा बिन रबीआ़, वलीद बिन उ़त्बा, उमय्या बिन ख़लफ़, उ़क़्बा बिन अबी मुईत़ और अ़म्मारा इब्ने वलीद को हलाक कर। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द

٥٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيْءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ! وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا. فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ. فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ - وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ - فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ))، ثُمَّ سَمَّى: ((اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي

(रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! मैंने उन सबको बद्र की लड़ाई में मक़्तूल पाया। फिर उन्हें घसीटकर बद्र के कुँए में फेंक दिया गया। इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि कुएँ वाले अल्लाह की रहमत से दूर कर दिये गए। (राजेअ : 240)

مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ)) قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيْبِ لَعْنَةً)). [راجع: ٢٤٠]

तश्रीह : इब्तिदा-ए-इस्लाम में जो कुछ कुफ्फारे कुरैश ने आप (ﷺ) से बर्ताव किया। उसी में से एक ये वाक़िआ भी है। आप (ﷺ) की दुआ अल्लाह ने क़ुबूल की और वो बदबख़्त सबके सब बद्र की जंग में ज़िल्लत के साथ मारे गये और हमेशा के लिये ख़ुदा की लानत में गिरफ़्तार हुए। बाब का मक़सद ये है कि ऐसे मौक़े पर अगर कोई भी औरत नमाज़ी के ऊपर से गन्दगी उठाकर दूर कर दे तो उससे नमाज़ में कोई ख़लल नहीं आता। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि अगर क़राइन से कुफ़्फ़ार के बारे में मा'लूम हो जाये कि वो अपनी हरकते बद से बाज़ नहीं आएंगे तो उनके लिये बद्दुआ करना जाइज है बल्कि ऐसे बदबख़्तों का नाम लेकर बद्दुआ की जा सकती है कि मोमिन का यही आख़री हथियार है वो ग़लाज़त लाने वाला उक़्बा बिन मुईत मलऊन था।

अलहम्दुलिल्लाह कि आशूरा मुहर्रम 1388 हिजरी में इस मुबारक किताब के पारा दौम के तर्जुमा और तहशिया से फ़राग़त हासिल हुई। अल्लाह पाक मेरी लग़ज़िशों को माफ़ फ़र्माकर इसे क़ुबूल करे और मेरे लिये, मेरे वालिदैन, औलाद, अहबाब के लिये, तमाम मुआविनीने किराम और नाज़िरीने इज़ाम के लिये वसील-ए-नजात बनाए और बक़ाया पारों को भी अपनी ग़ैबी इमदाद से पूरा कराये। आमीन। **वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।** (मुर्तजिम)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तीसरा पारा

9. किताबु मवाक़ितिस्सलात

किताब अवक़ाते नमाज़ के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : नमाज़ के अवक़ात और उनके फ़ज़ाइल और अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की वज़ाहत

١- بَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ وَفَضْلُهَا وَقَوْلِه :

कि मुसलमानों पर नमाज़ वक़्ते मुक़र्ररा में फ़र्ज़ है, यानी अल्लाह ने उनके लिए नमाज़ों के अवक़ात मुक़र्रर कर दिए हैं।

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء :١٠٣] مُوَقَّتًا، وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ

(521) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने इमाम मालिक (रह.) को पढ़कर सुनाया इब्ने शिहाब की रिवायत से कि हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ने एक दिन (अ़स्र की) नमाज़ में देर की, पस उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) उनके पास तशरीफ़ ले गए, और उन्होंने बताया कि (इसी तरह) मुग़ीरह बिन शुअ़बा (रज़ि.) ने एक दिन (इराक़ के मुल्क में) नमाज़ में देर की थी जब वो इराक़ में (हाकिम) थे। पस अबू मसऊ़द अंसारी (रज़ि.) (उ़क़्बा बिन उ़मर) उनकी ख़िदमत में गए। और फ़र्माया, मुग़ीरह (रज़ि.)! आख़िर ये क्या बात है, क्या आपको ये मा'लूम

٥٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ

جِبْرِيْلَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ نَزَلَ فَصَلَّى؟ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ،ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتَ. فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ.

[طرفاه في : ٣٢٢١، ٤٠٠٧].

नहीं कि जब जिब्रईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और रसूले करीम (ﷺ) ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी तो नबी (ﷺ) ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी तो नबी (ﷺ) ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसी तरह हुक्म किया गया हूँ। इस पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने उर्वा से कहा, मा'लूम भी है आप क्या बयान कर रहे हैं? क्या जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने नबी (ﷺ) को नमाज़ के अवक़ात (अमल करके) बतलाए थे। उर्वा ने कहा कि हाँ इसी तरह बशीर बिन अबी मसऊद (रज़ि.) अपने वालिद के वास्ते से बयान करते थे। उर्वा (रज़ि.) ने कहा कि मुझसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ लेते थे जब अभी धूप उनके हुज्रे में मौजूद होती थी इससे भी पहले की वो दीवार पर चढ़े। (दीगर मक़ाम : 3221, 4007)

तश्रीह : हज़रत इमामुद्दुनिया फ़िल हदीष इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी पाकीज़ा किताब के पारा सौम को किताबु मवाक़ीतिस्सलात से शुरू फ़र्माया। आगे बाबु मवाक़ीतुस्सलात अलअख़ मुनअक़िद किया, इन दोनों में फ़र्क़ ये है कि किताब में मुतलक़ अवक़ात मज़कूर होंगे। ख़्वाह फ़ज़ीलत के अवक़ात हो या कराहिय्यत के और बाब में वो वक़्त मज़कूर हो रहे हैं जिनमें नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। मवाक़ीत की तहक़ीक़ और आयते करीमा मज़कूरा की तफ़सील में शेख़ुल हदीष हज़रत उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी दामत बरकातुहम तहरीर फ़र्माते हैं, **'मवाक़ीतु जम्अ मीक़ातिन व हुव मिफ़आलुन मिनल वक़्ति वल मुरादु बिहिल वक़्तुल्लज़ी अय्यनहुल्लाहु लिअदाइ हाज़िहिल इबादति व हुवलक़द्रुल महदूदु लिल फ़िअलि मिनज़्ज़मानि क़ाल तआल इन्नस्सलात कानत अलल मूमिनीन किताबम्मौक़ूत अय मफ़रूज़ न फ़ी औक़ातिन मुअय्यनतिन मअलुमतिन फ़अज्मल ज़िक्रल औक़ाति फ़ी हाज़िहिल आयति व बय्यनहा फ़ी मवाज़िअ आख़र मिनल किताबि मिन ग़ैरि ज़िक्रि तहदीदि अवाइलिहा व अवाख़िरिहा व बय्यन अला लिसानिर्रसूलि ﷺ तहदीदहा व मक़ादीरहा'** (मिर्आत जिल्द 1 स. 383) यानी लफ़्ज़ मवाक़ीत का माद्दा वक़्त है और वो मिफ़आल के वज़न पर है और इससे मुराद वक़्त है जिसे अल्लाह ने इस इबादत की अदायगी के लिये मुतअय्यन फ़र्मा दिया है और वो ज़माने का एक महदूद हिस्सा है। अल्लाह ने फ़र्माया कि नमाज़ ईमानवालों पर वक़्ते मुक़र्ररा पर फ़र्ज़ की गई है। इस आयत में अवक़ात का मुज्मल ज़िक्र है। कुर्आन पाक के दीगर मक़ामात पर कुछ तफ़सीलात भी मज़कूर है, मगर वक़्तों का अव्वल व आख़िर अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) की ज़बाने मुबारक ही से बयान कराया है। आयते करीमा **अक़िमिस्सलात तरफ़इन्नहारि व ज़ुल्फ़म्मिनल्लैलि** में फ़ज्र और मग़रिब और इशा की नमाज़ें मज़कूर है। आयते करीमा **अक़िमिस्सलात लि दुलूकिश्शम्सि** में ज़ुहर व अस्र की तरफ़ इशारा है। **इला ग़सक़िल्लैलि** में मग़रिब और इशा मज़कूर है, **व कुर्आनल फ़ज्रि** में नमाज़े फ़ज्र का ज़िक्र है। आयते करीमा **फ़ सुब्हानल्लाहि हीन तम्सौन** में मग़रिब और इशा मज़कूर है; **व हीन तुस्बहून** में सुबह का ज़िक्र है व अशिय्या में अस्र और **हीन तज़्हरून** में ज़ुहर और आयते शरीफ़ **व सब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइश्शम्सि** में फ़ज्र और **बल्ल ग़ुरुबिहा** में अस्र **व मिन इनाइल्लयलि** आयते करीमा **व ज़ुलफ़म्मिनल्लैल** की तरह है। **फ़ सब्बिहहु व अत्राफ़न्नहारि** में ज़ुहर का ज़िक्र है। अलग़र्ज़ नमाज़े पंजगाना की ये मुख़्तसर तफ़्सील कुर्आने करीम में ज़िक्र हुई है, इनके अवक़ात की पूरी तफ़्सील अल्लाह के प्यारे रसूल (ﷺ) ने अपने अमल और क़ौल से पेश की है, जिनके मुताबिक़ नमाज़ का अदा करना ज़रूरी है।

आजकल कुछ बदबख़्तों ने अहादीषे नबवी का इन्कार करके सिर्फ़ क़ुर्आन मजीद पर अमलपैरा होने का दा'वा किया है, चूंकि वो क़ुर्आन मजीद की तफ़सीर महज़ अपनी नाक़िस राय से करते हैं इसलिये उनमें कुछ लोग पंजवक़्त नमाज़ों के क़ाइल है, कुछ तीन नमाज़ें बतलाते हैं और कुछ दो नमाज़ों को तस्लीम करते हैं। फिर नमाज़ की अदायगी के लिये उन्होंने अपने नाक़िस दिमागों से जो सूरतें तजवीज़ की है वो इन्तिहाई मुज़्हकाख़ेज है। अहादीषे नबवी को छोड़ने का यही नतीजा होना चाहिए था, चुनान्चे ये लोग अहले इस्लाम में बदतरीन इन्सान कहे जा सकते हैं जिन्होंने क़ुर्आन मजीद की आड़ में अपने प्यारे रसूल (ﷺ) के साथ खुली हुई ग़द्दारी पर कमर बांधी है। अल्लाह तआला उनको हिदायत नसीब फ़र्माए। आयते मज़कूरा बाब के तहत इमाम शाफ़िई (रह.) फ़र्माते हैं कि अगर तलवार चल रही हो ठहरने की मुहलत न हो तो तब भी नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ लेनी चाहिए। इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ऐसे वक़्त नमाज़ में ताख़ीर दुरुस्त है उनकी दलील (ग़ज़्व-ए) ख़न्दक की हदीष है जिसमें मज़कूर है कि आँहज़रत (ﷺ) ने कई नमाज़ों को ताख़ीर से अदा फ़र्माया, वो हदीष ये है, **'अन जाबिरिब्नि अब्दिल्लाहि अन्न उमर जाअ यौमल ख़ंदक़ि बअद मा ग़रबतिश्शम्सु फ़जअल यसुब्बु कुफ़्फ़ार क़ुरैशिन व क़ाल या रसूलल्लाहि ﷺ मा कित्तु उसल्लिल अस्र हत्ता कादतिश्शम्सु तग़रूबु फ़क़ालन्नबिय्यु ﷺ मा सल्लयतुहा फ़तवज्जअ व तवज्जअना फ़सल्लल अस्र बअद मा ग़रबतिश्शम्सु षुम्म सल्ला बअदहल मग़रिब'** (मुत्तफ़क़ुन अलैहि) यानी ज़ाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ख़न्दक के दिन सूरज गुरुब होने के बाद कुफ़्फ़ारे कुरैश को बुरा-भला कहते हुए ख़िदमते नबवी में हाज़िर हुए और कहा कि हुजूर मेरी अस्र की नमाज़ रह गई। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं भी नहीं पढ़ सका हूँ। पस आप (ﷺ) ने और हमने वुज़ू किया और पहले अस्र की नमाज़ पढ़ी, फ़िर मग़रिब की नमाज़ अदा की। मा'लूम हुआ कि ऐसी ज़रूरत के वक़्त ताख़ीर (देरी) होने से मुज़ायका नहीं है। बाज़ रिवायात से मा'लूम होता है कि उस मौक़े पर आँहज़रत (ﷺ) और सहाबा (रज़ि.) की चार नमाज़ें फ़ौत हो गई थी जिनको मग़रिब के वक़्त तर्तीब के साथ पढ़ाया गया।

इस हदीष में जिन बुज़ुर्ग का ज़िक्र आया है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ख़लीफ़-ए-ख़ामिस (पाँचवें ख़लीफ़ा) ख़ुलफ़-ए-राशिदीन में शुमार किए गए हैं। एक दिन ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि अस्र की नमाज़ में उनसे ताख़ीर हो गई यानी अव्वल वक़्त में न अदा कर सके जिस पर उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने उनको ये हदीष सुनाई, जिसे सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने उर्वा से मजीद तहक़ीक के लिये फ़र्माया कि ज़रा समझकर हदीष बयान करो, क्या जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने आँहज़रत (ﷺ)के लिये नमाज़ों के अवक़ात अमलन मुक़र्रर करके बतलाए थे। शायद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) को इस हदीष की इत्तिला न होगी। इसलिये उन्होंने उर्वा की रिवायत में शुबहा किया, उर्वा ने बयान कर दिया कि मैंने अबू मसऊद की ये हदीष उनके बेटे बशीर बिन अबी मसऊद से सुनी है और दूसरी हदीष हज़रत आइशा (रज़ि.) वाली भी बयान कर दी जिसमें आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़े अस्र अव्वल वक़्त में अदा करना मज़कूर है।

मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) इराक़ के हाकिम थे, इराक़ अरब के उस मुल्क को कहते हैं जिसका तूल अबादान से मूसल तक और अर्ज़ क़ादसिया से हलवान तक है। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) को यहाँ का गवर्नर मुक़र्रर किया था। रिवायात में हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने पाँचों नमाज़ें आप (ﷺ) को पहले दिन अव्वल वक़्त और दूसरे आख़िर वक़्त पढ़ाई और बताया कि नमाज़े पंजवक़्ता के अव्वल व आख़िर अवक़ात ये हैं । इमाम शाफ़िई (रह.) की रिवायत में है कि हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने मक़ामे-इब्राहीम के पास आप (ﷺ) को ये नमाज़ें पढ़ाईं। आप इमाम हुए और हज़रत नबी करीम (ﷺ) मुक़्तदी हुए। इस तरह अवक़ाते नमाज़ की ता'लीम बजाय क़ौल के फेअल के ज़रिये की गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने ये हदीष सुनकर तअम्मुल किया कि क़ौल के ज़रिये वक़्त का तअय्युन की जा सकती थी, अमलन इसकी क्या ज़रूरत थी, इसलिये आपने वज़ाहत से कहा कि क्या ज़िब्रील अलैहिस्सलाम ने आँहज़रत (ﷺ)को नमाज़ पढ़ाई थी? जब उर्वा (रज़ि.) ने ये हदीष सुनाई तो उमर (रज़ि.) बिन अब्दुल अज़ीज़ को कुछ और तअम्मुल हुआ। इसको दूर करने के लिये हज़रत उर्वा (रह.) ने इसकी सनद भी बयान कर दी ताकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को पूरी तरह इत्मीनान हो जाए।

हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शेख़ुल हदीष फ़र्माते हैं, **'व मक़्सुदु उर्वत बिज़ालिक अन्न अम्रल औक़ाति**

अज़ीमुन क़द नज़ल लितहदीदिहा जिब्रीलु फ़अल्लमहन्नबिय्य ﷺ बिलल्फ़िअलि फला यम्बगित्तक़्सीरु फ़ी मिस़्लिही' (मिर्आत जिल्द 1 / सफ़ा 387) यानी उ़र्वा का मक़सूद ये था कि अवक़ाते नमाज़ बड़ी अहमियत रखते हैं। जिनको मुक़र्रर करने के लिये जिब्रईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अमली तौर पर उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) को नमाज़ें पढ़ाकर औक़ाते स़लात (नमाज़ के वक़्तों) की ता'लीम फ़र्माई। पस इस बारे में कमज़ोरी मुनासिब नहीं।

बाज़ उलम–ए–अहनाफ़ का ये कहना कि ह़ज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) के ज़माने में अ़स्र की नमाज़ देर करके पढ़ने का मामूल (रूटीन) था, ग़लत है। रिवायत में स़ाफ़ मौजूद है कि **अख़्ख़रस्स़लात यौमन** एक दिन इत्तिफ़ाक़ से ताख़ीर हो गई थी, ह़नफ़िया के जवाब के लिये यही रिवायत काफ़ी है। वल्लाहु अअ़लम।

बाब 2 : अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है कि 'अल्लाह पाक की तरफ़ रुजूअ़ करने वाले (हो जाओ) और उससे डरो और नमाज़ क़ायम करो और मुश्रिकीन में से न हो जाओ।' (सूरह रूम)

٢- بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾[الروم: ٣١]

(523) हमसे क़ुतैबा बिन सई़द ने बयान किया, कहा हमसे अ़बाद बिन अ़ब्बाद ने बस़री ने, और ये अ़बाद के लड़के हैं, अबू जम्रह (नस्र बिन इमरान) के ज़रिये से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि अ़ब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और कहा कि हम इस रबीआ़ क़बीले से हैं और हम आप (ﷺ) की ख़िदमत में स़िर्फ़ हुर्मत वाले महीनों ही में ह़ाज़िर हो सकते हैं, इसलिए आप (ﷺ) हमें किसी ऐसी बात का हुक्म दीजिए, जिसे हम आप (ﷺ) से सीख लें और अपने पीछे रहनेवाले दूसरे लोगों को भी इसकी दा'वत दे सकें, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हें चार चीज़ों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ, पहले अल्लाह पर ईमान लाने का, फिर आप (ﷺ) ने उसकी तफ़्स़ील बयान फ़र्माई कि इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और दूसरे नमाज़ क़ायम करने का, तीसरे ज़कात देने का, और चौथे जो माल तुम्हें ग़नीमत में मिले, उसमें से पाँचवाँ हिस़्सा अदा करने का और तुम्हें मैं तूम्बड़ी, हन्तम, क़िसार और नक़ीर के इस्ते'माल से रोकता हूँ। (राजेअ़ : 53)

٥٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ - هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: ((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيْمَانِ بِاللهِ - ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ - شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالنَّقِيْرِ)).

[راجع: ٥٣]

तश्रीह : वफ़्द अ़ब्दुल क़ैस पहले 6 हिजरी में फिर फ़तहे मक्का के साल ह़ाजिरे ख़िदमते नबवी हुआ था। हुरमत वाले महीने रजब, ज़ीक़अ़दा, जिलहिज्जा और मुहर्रम है। इनमें अहले अ़रब लड़ाई मौक़ूफ़ कर देते (टाल देते) और हर त़रफ़ अम्नो -अमान हो जाया करता था। इसलिये ये वफ़्द इन्हीं महीनों में हाज़िर हो सकता था। आप (ﷺ) उनको अरकाने इस्लाम की ता'लीम फ़र्माई और शराब से रोकने के लिये उन बर्तनों से भी रोक दिया जिनमें अहले अ़रब शराब तैयार करते थे। ह़न्तुम (सब्ज रंग का मर्तबान जैसा घड़ा जिस पर रोगन लगा हुआ होता था) और क़िसार (एक क़िस्म का तेल जो बस़रा से लाया जाता था, लगे हुए बर्तन) और नक़ीर (खजूर की जड़ को खोदकर बर्तन की त़रह बनाया जाता था।)

बाब में आयते करीमा लाने से मक़सूद ये हैं कि नमाज़ ईमान में दाख़िल है और तौहीद के बाद ये दीन का अहम रुक्न है इस आयत से उन लोगों ने दलील ली है जो बेनमाज़ी को काफ़िर कहते हैं।

बाब 3 : नमाज़ दुरुस्त तरीक़े से पढ़ने पर बेअत करना

٣- بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ

(524) हमसे मुहम्मद बिन मुसन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने कहा कि हमसे इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे क़ैस बिन अबी हाज़िम ने जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत से बयान किया कि जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने, और हर मुसलमान के साथ ख़ैरख़्वाही करने पर बेअत की। (राजेअ : 57)

٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

[راجع: ٥٧]

जरीर अपनी क़ौम के सरदार थे, उनको आम ख़ैरख़्वाही की नसीहत की और अब्दुल क़ैस के लोग सपाह पेशा (कारोबारी) थे इसलिये इनको पाँचवां हिस्सा बैतुलमाल में दाखिल करने की हिदायत फ़र्माई।

बाब 4 : इस बयान में कि गुनाहों के लिए नमाज़ कफ़्फ़ारा है

(यानी इससे सग़ीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं)

٤- بَابٌ: الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ

(525) हमसे मुसद्दद बिन मुसरहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने अअमश की रिवायत से बयान किया, अअमश (सुलैमान बिन मेहरान) ने कहा कि मुझसे शक़ीक़ बिन मुस्लिमा ने बयान किया, शक़ीक़ ने कहा कि मैंने हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) से सुना। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में बैठे हुए थे कि आपने पूछा कि फ़ित्ने से मुता'ल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई हदीष़ तुममें से किसी को याद है? मैं बोला, मैंने इसे (उसी तरह याद रखा है) जैसे आँहुज़ूर (ﷺ) ने इस हदीष़ को बयान किया था। हज़रत उमर (रज़ि.) बोले, कि तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) से फ़ितन को मा'लूम करने में बहुत बेबाक थे। मैंने कहा कि इंसान के घरवाले, माल, औलाद और पड़ौसी सब फ़ित्ना (की चीज़) हैं। और नमाज़, रोज़ा, सदक़ा, अच्छी बात के लिये लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना, इन फ़ित्नों का कफ़्फ़ारा हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं तुमसे इसके बारे में नहीं पूछता, मुझे तुम उस फ़ित्ने के बारे में बतलाओ जो समंदर की मौज की तरह ठाठें

٥٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ! أَوْ عَلَيْهَا - لَجَرِيءٌ. قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: إِذَنْ لاَ يُغْلَقَ

أَبَدًا. قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَمَا أَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ. إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيْطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

[أطرافه في : ١٤٣٥، ١٨٩٥، ٣٥٨٦، ٧٠٩٦].

मारता हुआ आगे बढ़ेगा। इस पर मैंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन! आप उससे डर न खाइये। आपके और फ़ित्ने के बीच एक बन्द दरवाज़ा है। पूछा क्या वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या (सिर्फ़) खोला जाएगा। मैंने कहा कि तोड़ दिया जाएगा। हज़रत उमर (रज़ि.) बोल उठे कि फिर तो वो कभी बंद नहीं हो सकेगा। शक़ीक़ ने कहा कि हमने हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछा, क्या हज़रत उमर (रज़ि.) उस दरवाज़े के बारे कुछ इल्म रखते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ! बिलकुल उसी तरह जिस तरह दिन के बाद रात के आने का। मैंने तुमसे एक ऐसी हदीष बयान की है जो क़त्अन ग़लत नहीं है। हमें इसके बारे में हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से पूछने में डर होता था (कि दरवाज़े से क्या मुराद है) इसलिए हमने मसरूक़ से कहा (कि वो पूछें) उन्होंने पूछा तो आपने बताया कि वो दरवाज़ा ख़ुद हज़रत उमर (रज़ि.) ही थे। (दीगर मक़ाम : 1435, 1890, 3586, 7096)

तश्रीह : यहां जिस फ़ित्ने का ज़िक्र है वो हज़रत उमर (रज़ि.) की वफ़ात के बाद हज़रत उष्मान (रज़ि.) की ख़िलाफ़त ही से शुरू हो गया था जिसका नतीजा शीआ-सुन्नी की शक्ल में आज तक मौजूद है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि बन्द दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। एक मर्तबा फ़ितने शुरू होने पर फिर बढ़ते ही जाएंगे। चुनान्चे उम्मत का इफ़्तिराक़ मुहताज़े तफ़सील नहीं और फ़िक्ही इख़्तिलाफ़ात ने तो बिल्कुल ही बेड़ा ग़र्क़ कर दिया है। ये सब कुछ तक़लीदे–जामिद के नतीजे हैं।

٥٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِيَ هَذَا؟ قَالَ: ((لِجَمِيْعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ)).

[طرفه في : ٤٦٨٧].

(526) हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ ने बयान किया, सुलैमान तैमी के वास्ते से, उन्होंने अबू उष्मान नह्दी से, उन्होंने इब्ने मसऊद (रज़ि.) से कि एक शख़्स ने किसी ग़ैर औरत का बोसा ले लिया। और फिर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया और आपको इस हरकत की ख़बर दी। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, कि नमाज़ दिन के दोनों हिस्सों में क़ायम करो और कुछ रात गए भी, और बिला शुब्हा नेकियाँ बुराइयों को मिटा देती हैं। उस शख़्स ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ये सिर्फ़ मेरे लिए है। तो आपने फ़र्माया कि नहीं बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है।

(दीगर मक़ाम : 4687)

बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है। क़स्तलानी ने कहा कि इस आयत में बुराइयों से सग़ीरा (छोटे) गुनाह मुराद है जैसे एक हदीष में हैं कि एक नमाज़ दूसरी नमाज़ तक कफ़्फ़ारा है गुनाहों का जब तक आदमी कबीरा गुनाहों से बचा रहे।

٥- بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا

बाब 5 : नमाज़ वक़्त पर पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में

(527) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने, उन्होंने कहा कि मुझे वलीद बिन अ़यज़ार कूफ़ी ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अबू अम्र शैबानी से सुना, वो कहते थे कि मैंने उस घर के मालिक से सुना, (आप अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के घर की तरफ़ इशारा कर रहे थे) उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी (ﷺ) से पूछा कि अल्लाह तआ़ला की बारगाह में कौनसा अ़मल ज़्यादा महबूब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने वक़्त पर नमाज़ पढ़ना, फिर पूछा, उसके बाद, फ़र्माया वालदैन के साथ नेक सुलूक करना। पूछा उसके बाद, आपने फ़र्माया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) ने मुझे ये तफ़्सील बताई और अगर मैं और सवालात करता तो आप और ज़्यादा भी बतलाते। (लेकिन बतौरे अदब ख़ामोशी इख़्तियार की)

(दीगर मक़ाम : 2782, 5970, 7534)

٥٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيْدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: ((الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا)). قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)). قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ)). قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

[أطرافه في : ٢٧٨٢، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤].

तश्रीह : दूसरी ह़दीष़ों में जिन और कामों को अफ़ज़ल बताया है वो इसके ख़िलाफ़ नहीं, आप (ﷺ) हर शख़्स की हालत और वक़्त का तक़ाज़ा देखकर उसके लिये जो काम अफ़ज़ल नजर आता वो बयान फ़र्माते, जिहाद के वक़्त जिहाद को अफ़ज़ल बतलाते और क़हत (अकाल के दौर) में लोगों को खाना खिलाना वग़ैरह-वग़ैरह; मगर नमाज़ का अ़मल ऐसा है कि ये हर ह़ाल में अल्लाह को बहुत ही महबूब है जबकि इसे आदाबे मुक़र्ररा के साथ अदा किया जाए और नमाज़ के बाद वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक बेहतर अ़मल है।

बाब 6 : इस बयान में कि पाँचों वक़्त की नमाज़ें गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाती हैं जब कोई उनको जमाअ़त से या अकेला ही अपने वक़्त पर पढ़े

٦- بَابٌ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ للخطايا إذا صلاهن بوقتهن في الجماعة و غيرها

(528) हमसे इब्राहीम बिन ह़म्ज़ा ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी ह़ाज़िम और अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मुहम्मद दरावर्दी ने यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह की रिवायत से, उन्होंने मुहम्मद बिन इब्राहीम तैमी से, उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़ि.) से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) फ़र्माते थे कि अगर किसी शख़्स के दरवाज़े पर नहर जारी हो, और वो रोज़ाना उसमें पाँच बार नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है। क्या उसके बदन पर कुछ भी मैल बाक़ी रह सकता है? स़ह़ाबा ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! हर्गिज़ नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया

٥٢٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟)) قَالُوا: لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ:

((فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا)).

कि यही हाल पाँचों नमाज़ों का है। कि अल्लाह पाक उनके ज़रिये से गुनाहों को मिटा देता है।

٧- بَابُ فِيْ تَضْيِيْعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

बाब 7 : इस बारे में कि बेवक़्त नमाज़ पढ़ना, नमाज़ को ज़ाया (बर्बाद) करना है

٥٢٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. قِيْلَ : الصَّلَاةُ. قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيْهَا.

(529) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे महदी बिन मैमून ने ग़यलान बिन जरीर के वास्ते से, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि मैं नबी (ﷺ) के अहद (दौर) की कोई बात इस ज़माने में नहीं पाता। लोगों ने कहा, नमाज़ तो है। फ़र्माया उसके अंदर भी तुमने कर रखा है जो कर रखा है।

٥٣٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ لَهُ : مَا يُبْكِيْكَ؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. وَقَالَ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ.

(530) हमसे अ़म्र बिन ज़ुरारह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अ़ब्दुल वाहिद बिन वासिल अबू उ़बैदा हद्दाद ने ख़बर दी, उन्होंने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के भाई उ़स्मान बिन अबी रव्वाद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने ज़ुहरी से सुना कि मैं दमिश्क़ में हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) की ख़िदमत में गया। आप उस वक़्त रो रहे थे। मैंने कहा कि आप क्यूँ रो रहे हैं? उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) की अ़हद की कोई चीज़ इस नमाज़ के अलावा अब नहीं पाता और अब इसको भी ज़ाए कर दिया गया है। और बक्र बिन ख़ल्फ़ ने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन बक्र बरसानी ने बयान किया कि हमसे उ़स्मान बिन अबी रव्वाद ने यही हदीष़ बयान की।

तश्रीह : इस रिवायत से ज़ाहिर है कि स़हाब-ए-किराम को नमाज़ों का किस क़दर एहतमाम मद्देनज़र था। हज़रत अनस (रज़ि.) ने ताख़ीर से नमाज़ पढ़ने को नमाज़ का ज़ाए (बर्बाद) करना क़रार दिया। इमाम ज़ोहरी ने हज़रत अनस (रज़ि.) से ये ह़दीष़ दमिश्क़ में सुनी थी। जबकि हज़रत अनस (रज़ि.) हज्जाज की इमारत के ज़माने में दमिश्क़ के ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक से हज्जाज की शिकायत करने आए थे कि वो नमाज़ बहुत देर करके पढ़ाते हैं। ऐसे ही वक़्त में हिदायत की गई है कि तुम अपनी नमाज़ वक़्त पर अदा कर लो और बाद में जमाअ़त से भी पढ़ लो ताकि फ़ितने का वुक़ूअ़ न हो। ये नफ़िल नमाज़ हो जाएगी।

मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब हैदराबादी ने क्या ख़ूब फ़र्माया कि अल्लाहु अकबर जब हज़रत अनस (रज़ि.) के ज़माने में ये हाल था तो बहरहाल हमारे ज़माने के अब तो तौहीद से लेकर शुरू इबादात तक लोगों ने नई बातें और नए ऐतक़ाद तराश लिए हैं जिनका आँहज़रत (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में शाने गुमान भी न था और अगर कोई अल्लाह का बन्दा आँहज़रत (ﷺ) और स़हाबा किराम के तरीक़े के मुताबिक़ चलता है उस पर तरह-तरह की तोहमतें रखी जाती है, कोई उनको वहाबी

कहता है, कोई लामज़हब कहता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

बाब 8 : इस बारे में कि नमाज़ पढ़नेवाला नमाज़ में अपने रब से पोशीदा तौर पर बातचीत करता है

٨- بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(531) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम बिन अ़ब्दुल्लाह दस्तवाई ने क़तादा इब्ने दआमा के वास्ते से, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से कोई नमाज़ में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता रहता है इसलिए अपनी दाहिनी जानिब न थूकना चाहिए लेकिन बाएँ पांव के नीचे थूक सकता है। (राजेअ़ : 241)

٥٣١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)). [راجع: ٢٤١]

ये हुक्म ख़ास उन मसाजिद के लिए था जहाँ थूक ज़ज़्ब हो जाया करता था, अब ज़रूरी है कि बवक़्ते ज़रूरत रुमाल में थूक लिया जाए।

(532) हमसे हफ़्स बिन उ़मर ने बयान किया, कहा हमसे यज़ीद बिन इब्राहीम ने, उन्होंने कहा हमसे क़तादा ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, आप नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते थे कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि सज्दा करने में ए'तिदाल रखो (सीधी तरह पर करो) और कोई शख़्स तुममें से अपने बाज़ुओं को कुत्ते की तरह न फैलाए। जब किसी को थूकना ही हो तो सामने या दाईं तरफ़ न थूके, क्योंकि वो नमाज़ में अपने रब से पोशीदा बातें करता रहता है और सईद ने क़तादा (रज़ि.) से रिवायत करके बयान किया कि आगे या सामने न थूके अलबत्ता बाएँ तरफ़ पांव के नीचे थूक सकता है। और शुअ़बा ने कहा कि अपने सामने और दाएँ जानिब न थूके, बल्कि बाईं तरफ़ या पांव के नीचे थूक सकता है। और हुमैद ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि क़िब्ले की तरफ़ न थूके और न दाईं तरफ़ थूके अलबत्ता बाईं तरफ़ या पांव के नीचे थूक सकता है। (राजेअ़ : 241)

٥٣٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ لاَ يَتْفُلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَقَالَ شُعْبَةُ لاَيَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ وَ قَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَ لاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)). [راجع: ٢٤١]

तश्रीह : सज्दा में ए'तिदाल ये है कि हाथों को ज़मीन पर रखे, कोहनियों को दोनों पहलू से और पेट को रानों से जुदा रखे। हुमैद की रिवायत को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने अबवाबुल मसाजिद में निकाला है। हाफ़िज़ ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने इन तअ़लीक़ात को इस वास्ते ज़िक्र किया कि क़तादा के असहाब का इख़्तिलाफ़ इस हदीष़ की रिवायत में मा'लूम हो और शुअ़बा की रिवायत सबसे ज़्यादा पूरी है मगर उसमें सरगोशी का ज़िक्र नहीं है।

बाब 9 : इस बारे में कि सख़्त गर्मी में ज़ुहर को ज़रा ठण्डे वक़्त पढ़ना

٩- بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

(533,534) हमसे अय्यूब बिन सुलैमान मदनी ने बयान किया, कहा हमसे अबूबक्र अब्दुल हमीद बिन अबी उवैस ने सुलैमान बिन बिलाल के वास्ते से कि स़ालेह बिन कैसान ने कहा कि हमसे अअ़रज अब्दुर्रहमान वग़ैरह ने हदीष़ बयान की। वो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते थे, और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) मौला नाफ़ेअ़ अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से इस ह़दीष़ की रिवायत करते थे कि इन दोनों स़हाबा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत की कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग के भाप से होती है। (दीगर मक़ाम : 536)

٥٣٣، ٥٣٤- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).

[أطرافه في : ٥٣٦].

(535) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे ग़ुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे शुअ़बा बिन हिजाज ने मुहाजिर अबुल हसन की रिवायत से बयान किया, उन्होंने ज़ैद बिन वहब हम्दानी से सुना। उन्होंने अबू ज़र (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) के मुअज़्ज़िन (बिलाल) ने ज़ुहर की अज़ान दी तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ठण्डा कर, ठण्डा कर, या ये फ़र्माया कि इंतिज़ार कर, इंतिज़ार कर, और फ़र्माया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग की भाप से है। इसलिए जब गर्मी सख़्त हो जाए तो नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो, फिर ज़ुहर की अज़ान उस वक़्त कही गई जब हमने टीलों के साये देख लिए।

(दीगर मक़ाम : 539, 629, 3258)

٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ: ((أَبْرِدْ أَبْرِدْ)) - أَوْ قَالَ: ((انْتَظِرْ انْتَظِرْ)) - وَقَالَ: ((شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ)). حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

[أطرافه في : ٥٣٩، ٦٢٩، ٣٢٥٨].

तश्रीह : ठण्डा करने का ये मतलब है कि ज़वाल के बाद पढ़े न ये कि एक मिष़्ल साया हो जाने के बाद, क्योंकि एक मिष़्ल साया हो जाने पर तो अ़स्र का अव्वल वक़्त हो जाता है। जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है। ज़वाल होने पर फ़ौरन पढ़ लेना ये तअ़जील है और ज़रा देर करके ताकि गर्मी के मौसम में कुछ ख़न्की आ जाए, पढ़ना ये इबराद है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, **'व क़दिख़्तार क़ौमुम्मिन अहलिल इल्मि ताख़ीर स़लातिज़्ज़ुहरि फ़ी शिद्दतिल हर्रि व हुव क़ौलुब्नुल मुबारकि व अहमद व इस्हाक़'** यानी अहले इल्म की एक जमाअ़त का मज़हबे मुख़्तार यही है कि गर्मी की शिद्दत में ज़ुहर की नमाज़ ज़रा देर से पढ़ी जाए। अब्दुल्लाह बिन मुबारक व अहमद व इस्हाक़ का यही फ़तवा है। मगर इसका मतलब ये हर्गिज नहीं कि ज़ुहर को अ़स्र के अव्वल वक़्त एक मिष़्ल तक के लिए मोअख़्ख़र कर दिया जाए, जबकि मज़बूत दलीलों से ष़ाबित है कि अ़स्र का वक़्त एक मिष़्ल साया होने के बाद शुरू हो जाता है। ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी इसी मक़ाम पर अनेक रिवायात से अ़स्र का अव्वल वक़्त बयान फ़र्माया है जो एक मिष़्ल साया होने पर शुरू हो जाता है जो कि मुख़्तार मज़हब है

और दूसरे मक़ाम पर इसकी तफ़्सील है।

(536) हमसे अली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, कहा इस ह़दीष़ को हमने ज़ुहरी से सुनकर याद किया, वो सईद बिन मुसय्यिब के वास्ते से बयान करते हैं, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से, वो नबी करीम (ﷺ) से कि जब गर्मी तेज़ हो जाए तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की आग के भाप की वजह से होती है। (राजेअ़ : 533)

٥٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)). [راجع: ٥٣٣]

(537) जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की कि ऐ मेरे रब! (आग की शिद्दत की वजह से) मेरे कुछ हिस्से ने कुछ को खा लिया है इस पर अल्लाह तआ़ला ने उसे दो सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब इंतिहाई सख़्त गर्मी और सख़्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो उसी से पैदा होती है।

(दीगर मक़ाम : 3260)

٥٣٧- حَدَّثَنَا ((وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ)).

[طرفه في : ٣٢٦٠].

तश्रीह : दोज़ख़ ने हक़ीक़त में शिकवा किया, वो बात कर सकती है जबकि आयते शरीफ़ा व यौम नक़ूल लि जहन्नम (क़ाफ़ : 30) में वारिद है कि हम क़यामत के दिन दोज़ख़ से पूछेंगे कि क्या तेरा पेट भर गया वो जवाब देगी कि अभी तक तो गुन्जाइश बाक़ी है। '**व क़ाल अयाज़ अन्नहुल अज़्हरू वल्लाहु क़ादिरुन अला ख़ल्क़िल हयाति बिज़ुज़्इम्मिन्हा हत्ता तकल्लम औ यख़्लुकु ल हा कलामन युस्मिउहू मन शाअ मिन ख़ल्क़िही व क़ालल क़ुर्तुबी ला इहालत फ़ी हम्लिल लफ़्ज़ि अला हक़ीक़तिही व इज़ा अख़्बरस्सादिक़ु बिअम्रिन जाइज़िन लम यहतज इला तावीलिही फ़हम्लुहू अला हक़ीक़तिही औला**' (मिर्आतुल मफ़ातीह़ जिल्द 1 / सफ़ा 392) यानी अयाज़ ने कहा कि यही अम्र ज़ाहिर है अल्लाह पाक क़ादिर है कि दोज़ख़ को कलाम करने की ताक़त बख़्शे और अपनी मख़्लूक़ में से जिसे चाहे उसकी बात सुना दे। क़ुर्तुबी कहते हैं कि इस अम्र को ह़क़ीक़त पर महमूल करने में कोई इश्काल नहीं है और जब सादिक़ व मस्दूक़ (ﷺ) ने एक जाइज़ अम्र की ख़बर दी है तो इसकी तावील की कोई ह़ाजत नहीं है। इसको ह़क़ीक़त ही पर महमूल किया जाना मुनासिब है।

अ़ल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, '**इख़्तलफ़ल उ़लमाउ फ़ी मअनाहू फ़क़ाल बअ़ज़ुहुम हुव अला ज़ाहिरिही व क़ील बल हुव अला वज्हित्तशबीहि वल इस्तिआरति व तक़्दीरूहू अन्न शिद्दतल हर्रि तुशब्बिह नारू जहन्नम फ़हज़रूहु वज्तनिबू ज़ररहू व क़ाल वल अव्वलु अज़्हरू व क़ालन्नववी हुवस्सवाबु लिअन्नहू ज़ाहिरुल ह़दीष़ि वला मानिअ मिन हम्लिही अला ह़क़ीक़तिही मूजिबुल हुक्मि बिअन्नहू अला ज़ाहिरिही इन्तिहा**' (नैल) यानी इसके मा'ने में बाज़ आलिम इसको अपने ज़ाहिर पर रखते हैं। बाज़ कहते हैं कि इस ह़रारत को दोज़ख़ की आग से तशबीह (उपमा) दी गई और कहा गया कि इसके ज़रर से बचो और अव्वल मतलब ही ज़ाहिर है। इमाम नबवी कहते हैं कि यही स़वाब है, इसलिये कि ह़दीष़ ज़ाहिर और इसे ह़क़ीक़त पर महमूल करने में कोई मानिअ नहीं है।

ह़ज़रत मौलाना वह़ीदुज़्ज़मा साहब मरहूम फ़र्माते हैं कि दोज़ख़ गर्मी में सांस निकालती है, यानी दोज़ख़ की भाप ऊपर को निकलती है और ज़मीन के रहने वालों को लगती है उसको सख़्त गर्मी मा'लूम होती है और जाड़े में अन्दर को सांस लेती है तो ऊपर गर्मी नहीं महसूस होती, बल्कि ज़मीन की ज़ाती सर्दी ग़ालिब आकर रहने वालों को सर्दी महसूस होती है। इससे कोई बात अ़क़्ले सलीम के ख़िलाफ़ नहीं और ह़दीष़ में शुबहा करने की कोई वजह नहीं है। ज़मीन के अन्दर दोज़ख़ मौजूद है

। जियालोजी (भू–गर्भ विज्ञान) वाले कहते हैं कि थोड़े फ़ासले पर ज़मीन के अन्दर ऐसी गर्मी है कि वहाँ के तमाम उन्सुर (तत्व) पानी की तरह पिघले रहते हैं। अगर लोहा वहाँ पहुंच जाए तो उसी दम गलकर पानी हो जाए।

सुफ़यान ष़ौरी की रिवायत जो ह़दीष़े हाज़ा के आख़िर में दर्ज है इसे ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताब बदउल ख़ल्क़ में और यह्या की रिवायत को इमाम अह़मद (रह.) ने वस्ल किया है लेकिन अबू अवाना की रिवायत नहीं मिली।

٥٣٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)). تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.

[طرفه في : ٣٢٥٩].

(538) हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़याष़ ने बयान किया कहा मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा हमसे अअ़मश के वास्ते से अबू स़ालेह़ ज़क्वान ने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (कि गर्मी के मौसम में) ज़ुहर को ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। इस ह़दीष़ की मुताबअ़त सुफ़यान ष़ौरी, यह्या और अबू अवाना ने अअ़मश के वास्ते से की है। (दीगर मक़ाम : 3259)

١٠- بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

बाब 10 : इस बारे में कि सफ़र में ज़ुहर को ठण्डे वक़्त में पढ़ना

٥٣٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِي تَيْمِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَبْرِدْ)) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)) حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ)) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَتَفَيَّأُ يَتَمَيَّلُ. [راجع: ٥٣٥]

(539) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे बनी तैमुल्लाह के ग़ुलाम मुहाजिर अबुल ह़सन ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़ैद बिन वहब जहनी से सुना, वो अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) से नक़ल करते थे कि उन्होंने कहा कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। मोअज़्ज़िन ने चाहा कि ज़ुहर की अज़ान दे। लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि वक़्त को ठण्डा होने दो, मुअज़्ज़िन ने (थोड़ी देर बाद) फिर चाहा कि अज़ान दे, लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ठण्डा होने दो। जब हमने टीले का साया ढला हुआ देख लिया। (तब अज़ान कही गई) फिर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि गर्मी की तेज़ी जहन्नम की भाप की तेज़ी से है। इसलिए जब गर्मी सख़्त हो जाए तो ज़ुहर की नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, 'यतफ़य्यउ' (का लफ़्ज़ जो सूरह नहल में है) के मा'नी 'यतमय्यलू' (झुकना, माइल होना) हैं। (राजेअ़ 535)

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की आदत है कि ह़दीष़ में कोई लफ़्ज़ ऐसा आ जाए जो क़ुर्आन में भी हो तो साथ ही क़ुर्आन के लफ़्ज़ की भी तफ़्सीर कर देते हैं। यहाँ ह़दीष़ में यतफ़य्यउ का लफ़्ज़ है जो क़ुर्आन मजीद में यतफय्यऊ मज़कूर हुआ है, माद्दा दोनों का एक ही है, इसलिये इसकी तफ़्सीर भी नक़ल कर दी। पूरी आयत सूरह नह़ल में हैं जिसमें ज़िक्र है कि हर चीज़ का साया अल्लाह तआ़ला को सज्दा करने के लिए कभी दाएँ और कभी बाएँ तरफ़ झुकता रहता है।

बाब 11 : इस बयान में कि ज़ुहर का वक़्त सूरज ढलने पर है और हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) दोपहर की गर्मी में (ज़ुहर की) नमाज़ पढ़ते थे

١١- بَابُ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ
وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ

(540) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा हमसे शुऐब ने ज़ुहरी की रिवायत से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि जब सूरज ढला तो नबी (ﷺ) हुज्रे से बाहर तशरीफ़ लाए और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और क़यामत का ज़िक्र फ़र्माया। और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क़यामत में बड़े अ़ज़ीम उ़मूर पेश आएँगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर हूँ तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे। आप (ﷺ) बराबर फ़र्माते जाते थे कि जो कुछ पूछना हो पूछो। अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी (रज़ि.) खड़े हुए और पूछा कि हुज़ूर (ﷺ) मेरे बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हारे बाप हुज़ाफ़ा थे। आप अब भी बराबर कह रहे थे कि पूछो क्या पूछते हो। इतने में उ़मर (रज़ि.) अदब से घुटनों के बल बैठ गए। और उन्होंने फ़र्माया कि हम अल्लाह तआ़ला के मालिक होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने से राज़ी और ख़ुश हैं (पस इस गुस्ताख़ी से हम बाज़ आते हैं कि आपसे बेजा सवालात करें) इस पर आँहज़रत (ﷺ) ख़ामोश हो गए। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अभी अभी मेरे सामने जन्नत और जहन्नम इस दीवार के कोने में पेश की गई थी। पस मैंने न ऐसी कोई उ़म्दा चीज़ देखी (जैसी जन्नत थी) और न कोई ऐसी बुरी चीज़ देखी (जैसी जहन्नम थी) (राजेअ़ : 91)

٥٤٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ، فَلاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا)). فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي)). فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)) ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي)). فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا. فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ)).

[راجع: ٩١]

तश्रीह : ये हदीष मुख़्तसरन किताबुल इल्म में भी गुज़र चुकी है। लफ़्ज़ ख़रज हीन ज़ागतिश्शम्सु से बाब का तर्जुमा निकाला है। ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त सूरज ढलते ही शुरू हो जाता है। इस हदीष में कुछ सवाल व जवाब का भी ज़िक्र है। आप (ﷺ) को ख़बर लगी थी कि मुनाफ़िक़ लोग इम्तिहान के तौर पर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इसलिये आप (ﷺ) को ग़ुस्सा आया और फ़र्माया कि जो तुम चाहो मुझसे पूछो। अ़ब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा (रज़ि.) को लोग किसी और का बेटा कहते थे। लिहाज़ा उन्होंने तहक़ीक़ चाही और आप (ﷺ) के जवाब से ख़ुश हुए। लोग आपकी ख़फ़्गी देखकर ख़ौफ़ से रोने लगे कि अब ख़ुदा का अ़ज़ाब आयेगा या जन्नत व दोज़ख़ का ज़िक्र सुनकर रोने लगे। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने आपका ग़ुस्सा मा'लूम करके वो अल्फ़ाज़ कहे जिनसे आप का ग़ुस्सा जाता रहा।

(541) हमने ह़फ़्स़ बिन उ़मर से बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया अबुल मिन्हाल की रिवायत से, उन्होंने अबू बर्ज़ा (फ़ुज़्ला बिन उ़बैद रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी (ﷺ) सुबह की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे जब हम अपने पास बैठे हुए शख़्स़ को पहचान लेते थे। सुबह की नमाज़ में आँहुज़ूर (ﷺ) साठ से सौ तक आयतें पढ़ते। और आप (ﷺ) ज़ुहर उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता। और अ़स्र की नमाज़ उस वक़्त कि हम मदीना मुनव्वरा की आख़िरी ह़द तक (नमाज़ पढ़ने के बाद) जाते लेकिन सूरज अब भी तेज़ रहता था। नमाज़े मग़रिब का ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने जो वक़्त बताया था वो मुझे याद नहीं रहा। और आँह़ज़रत (ﷺ) इशा की नमाज़ को तिहाई रात तक देर करने में कोई ह़र्ज नहीं समझते थे, फिर अबुल मिन्हाल ने कहा कि आधी रात तक (मुअख़्ख़र करने में) कोई ह़र्ज नहीं समझते थे। और मुआज़ (रज़ि.) ने कहा कि शुअ़बा ने फ़र्माया कि फिर मैं दोबारा अबुल मिन्हाल से मिला तो उन्होंने फ़र्माया कि 'या तिहाई रात तक।' (दीगर मक़ाम : 547, 568, 599, 771)

٥٤١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيْهَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ. وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. - ثُمَّ قَالَ - إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ : أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

[أطرافه في: ٥٤٧، ٥٦٨، ٥٩٩، ٧٧١].

(542) हमसे मुह़म्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमसे ख़ालिद बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे ग़ालिब क़त्तान ने बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह मुज़नी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि जब हम (गर्मियों में) नबी करीम (ﷺ) के पीछे ज़ुहर की नमाज़ दोपहर दिन में पढ़ते थे तो गर्मी से बचने के लिए कपड़ों पर सज्दा किया करते थे। (राजेअ़ : 385)

٥٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُقَاتِلٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِّي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ. [راجع: ٣٨٥]

मा'लूम हुआ कि शिद्दते गर्मी में जब ऐसी जगह नमाज़ पढ़ने का इत्तेफ़ाक़ हो कि न कोई साया हो और न फ़र्श तो कपड़े पर सज्दा कर लेना जायज़ है।

बाब 12 : इस बारे में कि कभी ज़ुहर की नमाज़ अ़स्र के वक़्त तक देर करके पढ़ी जा सकती है

١٢- بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

(543) हमसे अबू नोअ़मान ने बयान किया, कहा हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया अ़म्र बिन दीनार से। उन्होंने जाबिर बिन ज़ैद से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) ने मदीने में रहकर

٥٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

सात रकअ़त (एक साथ) और आठ रकअ़त (एक साथ) पढ़ीं। ज़ुहर और अ़स्र (की आठ रकअ़त) और मग़्रिब और इशा (की सात रकअ़त) अय्यूब सख़्तियानी ने जाबिर बिन ज़ैद से पूछा शायद बरसात का मौसम रहा हो। जाबिर बिन ज़ैद ने जवाब दिया कि ग़ालिबन ऐसा ही होगा। (दीगर मक़ाम : 862, 1174)

صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَقَالَ أَيُّوبُ : لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ؟ قَالَ : عَسَى.

[طرفاه في : ٥٦٢، ١١٧٤].

तश्रीह : तिर्मिज़ी ने सईद बिन जुबैर इब्ने अ़ब्बास से इस ह़दीष़ पर ये बाब मुनअ़क़िद किया है। **बाबुन मा जाअ फ़िल जम्इ बैनस्सलातैनि** यानी दो नमाज़ों के जमा करने का बयान उस रिवायत में ये वज़ाहत है कि इब्ने अ़ब्बास (रह.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर और अ़स्र को और मग़रिब और इशा को जमा फ़र्माया, ऐसे ह़ाल में कि आप (ﷺ) मदीना में थे और आप (ﷺ) को न कोई ख़ौफ़ लाहक़ था न बारिश थी। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बतलाया कि **अल्लातहर्रुज उम्मतहि** ताकि आपकी उम्मत मशक़्क़त में न डाली जाए। ह़ज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं, **'क़ालल हाफ़िज़ु फ़िल्फ़तहि व क़द ज़हब जमाअ़तुम्मिनल अइम्मति इला अख़िज़ बिज़ाहिरि हाज़ल ह़दीष़ि फ़जव्वज़ुल जम्अ फ़िल ह़ज़्रि मुत्तलक़न लाकिन बिशर्ति अल्ला यत्तख़िज़ ज़ालिक आदतुन व मिम्मन क़ाल बिही इब्नु सीरिन व रबीआ़ व अश्हब वब्नुल मुन्ज़िर वल्क़ुफ्फ़ालुल कबीर व ह़काहुल्ख़त्ताबी व ज़हबल जुम्हुरू इला अन्नल जम्अ बिग़ैरि उज़्रिन ला यजूज़ु'** (तुहफ़तुल अहवज़ी जि. 1/स.166) यानी ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर ने फतहुलबारी में कहा है कि अइम्मा की एक जमाअ़त ने इस ह़दीष़ के ज़ाहिर ही पर एक फ़तवा दिया है और ह़ज़र में भी मुत्तलक़न उन्होंने जायज़ कहा है कि दो नमाज़ों को जमा कर लिया जाए इस शर्त के साथ कि इसे आ़दत न बना लिया जाए। इब्ने सीरीनी, रबीअ़ह, अशहब, इब्ने मुन्ज़िर, क़ुफ़्फ़ाल कबीर का यही फ़तवा है और ख़त्ताबी ने अहले ह़दीष़ की एक जमाअ़त से यही मसलक नक़ल किया है मगर जुम्हूर कहते हैं कि बग़ैर उ़ज़्र जमा करना जायज़ नहीं है। इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं कि इतने इमामों का इख़्तिलाफ़ होने पर ये नहीं कहा जा सकता कि जमा करना बिल इज्मा नाजायज़ है। इमाम अहमद बिन ह़ंबल और इस्ह़ाक़ बिन राहवै ने मरीज़ और मुसाफ़िर के लिये ज़ुहर और अ़स्र और मग़रिब और इशा में जमा करना मुत्तलक़न जायज़ क़रार दिया है। दलाइल की रु से यही मज़हब क़वी है।

बाब 13 : नमाज़े अ़स्र के वक़्त का बयान

١٣- بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

(544) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन अयाज़ लैष़ी ने हिशाम बिन उ़र्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से कहा कि ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) अ़स्र की नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ते थे कि उनके हुज्रे में से अभी धूप बाहर नहीं निकलती थी। (राजेअ़ : 522)

٥٤٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا. [راجع: ٥٢٢]

(545) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लैष़ बिन सअ़द ने इब्ने हिशाम से बयान किया, उन्होंने उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से, उन्होंने ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी तो धूप उनके हुज्रे में ही थी। साया वहाँ नहीं फैला था।

(राजेअ़ : 522)

٥٤٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا. [راجع: ٥٢٢]

(546) हमसे अबू नुऐम फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से बयान किया, उन्होंने उ़र्वा से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) जब अ़स्र की नमाज़ पढ़ते तो सूरज अभी मेरे हुज्रे में झांकता रहता था। अभी साया न फैला होता था। अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) कहते हैं कि इमामे मालिक और यह्या बिन सईद, शुऐ़ब (रह.) और इब्ने अबी ह़फ़्सा की रिवायतों में (ज़ुहरी से) 'वश्शम्सु क़ब्ल अन तज़्हर' के अल्फ़ाज़ हैं, (जिनका मतलब ये है कि धूप अभी ऊपर न चढ़ी होती)

٥٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ. وَقَالَ الْمَلِكُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ : وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

(547) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें औ़फ़ ने ख़बर दी सय्यार बिन सलमा से, उन्होंने बयान किया कि मैं और मेरे बाप अबू बर्ज़ा असलमी (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए। उनसे मेरे वालिद ने पूछा कि नबी करीम (ﷺ) फ़र्ज़ नमाज़ें किन व़क़्तों में पढ़ते थे। उन्होंने फ़र्माया कि दोपहर की नमाज़ जिसे तुम 'पहली नमाज़' कहते हो सूरज ढलने के बाद पढ़ते थे। और जब अ़स्र पढ़ते तो उसके बाद कोई शख़्स मदीना के इंतिहाई किनारे पर अपने घर वापस जाता तो सूरज अब भी तेज़ होता था। सय्यार ने कहा कि मिंरिब के वक़्त के बारे में आपने जो कुछ कहा था वो मुझे याद नहीं रहा। और इशा की नमाज़ जिसे तुम 'अ़तमा' कहते हो इसमें देर को पसंद फ़र्माते थे, और उससे पहले सोने को और उसके बाद बातचीत करने को नापसंद फ़र्माते और सुबह की नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग़ हो जाते जब आदमी अपने पास बैठे हुए दूसरे शख़्स को पहचान सकता और सुबह की नमाज़ में आप (ﷺ) साठ से सौ तक आयतें पढ़ा करते थे।

(राजेअ़ : 541)

٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُوْلَى - حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ. وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ. [راجع: ٥٤١]

तश्रीह : रिवायते मज़कूर में ज़ुहर की नमाज़ को नमाज़े ऊला इसलिये कहा गया कि जिस वक़्त आँह़ज़रत (ﷺ) को अवक़ाते नमाज़ की ता'लीम देने के लिये ह़ज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने पहले आँह़ज़रत (ﷺ) को ज़ुहर की नमाज़ ही पढ़ाई थी। इसलिये राावियाने अह़ादीष अवक़ाते नमाज़ के बयान में ज़ुहर की नमाज़ ही से शुरू करते हैं। इस रिवायत और दूसरी रिवायत से साफ़ ज़ाहिर है कि अ़स्र की नमाज़ आँह़ज़रत (ﷺ) अव्वल वक़्त एक मिष्ल साया हो जाने पर ही अदा फ़र्माया करते थे इस ह़क़ीक़त के इज़्हार के लिए उन रिवायात में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ इस्ते'माल

किए गए हैं। बाज़ रिवायतों में इसे **वश्शम्सु मुरतफ़िअतुन हय्यतुन** से ताबीर किया गया है कि अभी सूरज काफी बुलन्द और ख़ूब तेज़ हुआ करता था। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इस हक़ीक़त को यूँ बयान फ़र्माया कि, 'धूप मेरे हुजरे ही में रहती थी।' किसी रिवायत में यूँ मज़कूर हुआ है कि '**नमाज़े अस्र के बाद लोग अतराफ़े मदीना में चार-चार मील तक सफ़र कर जाते और फिर भी सूरज रहता था।**' इन तमाम रिवायतों का वाजेह मतलब यही है कि आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में अस्र की नमाज़ अव्वल वक़्त एक मिष्ल साया होने पर अदा कर ली जाती थी। इसलिये भी कि अस्र ही की नमाज़ **सलातुलवुस्ता** है। जिसकी हिफ़ाज़त करने का अल्लाह ने ख़ास हुक्म सादिर फ़र्माया है। चुनान्चे इर्शादे बारी है कि '**हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता व कूमू लिल्लाहि क़ानितीन**' (अल बकरा : 228)

यानी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो और दर्मियानी नमाज़ की ख़ास हिफ़ाज़त करो (जो अस्र की नमाज़ है) और अल्लाह के लिये फ़र्माबर्दार बन्दे बनकर (बा वफ़ा गुलामों की तरह अदब के साथ) खड़े हो जाया करो।

इन्हीं अहादीष और आयात की बिना पर अस्र का अव्वल वक़्त एक मिष्ल साया होने पर मुक़र्रर हुआ है। हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) व दीगर अकाबिर उलम-ए-इस्लाम व अइम्म-ए-किराम का यही मसलक है। मगर मोहतरम उलम-ए-अहनाफ़ अस्र की नमाज़ के लिये अव्वल वक़्त के क़ाइल नहीं हैं और मज़कूरा अहादीष की तावीलात करने में उनको बड़ी कोशिश करनी पड़ी है।

वले तावील शाँ दर हैरत अन्दाख़्त
ख़ुदा व जिब्राईल व मुस्तफ़ा रा

अजीब काविश :

ये अजीब काविश है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के बयान पर जिस में ज़िक्र है कि हुज़ूर (ﷺ) अस्र की नमाज़ ऐसे अव्वल वक़्त में पढ़ लिया करते थे कि धूप मेरे हुजरे से बाहर नहीं निकली थी जिसका मतलब वाज़ेह है कि सूरज काफी बुलन्द होता था मगर बाज़ उलम-ए-अहनाफ़ ने यहाँ अजीब बयान दिया है जो ये है कि

'अज़वाजे मुतह्हरात के हुजरों की दीवारें बहुत छोटी थी इसलिये गुरुब से पहले कुछ-न-कुछ धूप हुजरे में बाक़ी रहती थी इसलिये अगर आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ अस्र के वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुजरे में धूप रहती थी तो इससे ये षाबित नहीं हो सकता कि आप (ﷺ) नमाज़ सवेरे ही पढ़ लेते थे।' (तफ़्हीमुल बुख़ारी 41:3/स. 18)

हिमायते मसलक का ख़ब्त ऐसा होता है कि इन्सान क़ाइल के क़ौल की ऐसी तौजीह कर जाता है, जो क़ाइल के वहम व गुमान में भी नहीं होती। सोचना यहाँ ये था कि बयान करने वाली हज़रत आइशा सिद्दीक़ (रज़ि.) है, जिनका हर लिहाज़ से उम्मत में एक खुसूसी मक़ाम है। इनका इस बयान से असल मंशा क्या है।

वो आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़े अस्र का अव्वल वक़्त इन लफ़्ज़ों में बयान फ़र्मा रही है या आख़िर वक़्त के लिये ये बयान दे रही है। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) के बयान में अदना ग़ौर व तअम्मुल से ज़ाहिर हो जाएगा कि मोहतरम साहिबे तफ़्हीमुल बुख़ारी की ये काविश बिल्कुल ग़ैर मुफ़ीद है और इस बयाने सिद्दीका (रज़ि.) से साफ़ ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) बिला शक व शुबहा अस्र की नमाज़ अव्वल वक़्त ही पढ़ लिया करते थे जैसा कि हरमैन शरीफ़ैन का मामूल आज भी दुनिय-ए-इस्लाम के सामने है। ख़ुद हमारे वतन के हज़ारों हाजी हरमैन शरीफ़ैन हर साल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अस्र की नमाज़ कितने अव्वल वक़्त पर अदा की जाती है।

साहिबे तफ़हीमुल बुख़ारी ने इस बयान से एक सतर क़ब्ल (एक लाइन पहले) ख़ुद ही इक़रार फ़र्माया है। चुनान्चे आपके अल्फ़ाज़ ये हैं, 'हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत से बज़ाहिर ये मा'लूम होता है कि आँहज़रत (ﷺ) भी अव्वल वक़्त ही में पढ़ते थे।' (हवाला मज़कूर)

इस हक़ीक़त को तस्लीम करने के बाद क्या ज़रूरत थी कि इमाम तहावी (रह.) का सहारा लेकर, बयाने हज़रत सिद्दीका (रज़ि.) पर ऐसी नाज़ेबा तावील की जाए कि देखने और पढ़ने वालों के लिये हैरत की वजह बन जाए। हुजर-ए-नबवी (ﷺ) की दीवारें छोटी हो या बड़ी इससे बहष नहीं मगर ये तो एक अम्रे-मुसल्लमा (सर्वमान्य काम) है कि सूरज जिस क़दर भी ऊँचा रहता नबी (ﷺ) के हुजरों में धूप बाक़ी रहती है और ज्यों-ज्यों सूरज गुरूब होने को जाता वो धूप भी हुजरों से बाहर

निकल जाती थी। फिर दूसरी रिवायत में मज़ीद वज़ाहत (विस्तृत स्पष्टीकरण) के लिये ये स़रीह़ अल्फ़ाज़ मौजूद हैं कि सूरज बुलन्द और ख़ूब रोशन रहा करता था, इन अल्फ़ाज़ ने इमाम त़ह़ावी की पेशकर्दा तौजीह को ख़त्म करके रख दिया। तक़लीदे शख़्सी की बीमारी से सोचने और समझने की त़ाक़त ख़त्म हो जाती है और यहाँ यही माजरा है।

(548) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़नवी ने बयान किया, वो इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने इस्ह़ाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी तलहा से रिवायत किया, उन्होंने ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से इस ह़दीष़ को रिवायत किया, उन्होंने फ़र्माया कि हम अ़स्र की नमाज़ पढ़ चुकते और उसके बाद कोई बनी अ़म्र बिन औ़फ़ (क़ुबा) की मस्जिद में जाता तो उनको वहाँ अ़स्र की नमाज़ पढ़ते हुए पाता।

(दीगर मक़ाम: 550, 551, 7329)

٥٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

[أطرافه في : ٥٥٠، ٥٥١، ٧٣٢٩].

(549) हमसे मुह़म्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें अबूबक्र बिन उ़ष़्मान बिन सहल बिन ह़नीफ़ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मैंने अबू उमामा (सअ़द बिन सहल) से सुना, वो कहते थे कि हमने उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। फिर हम निकलकर ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए तो देखा आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि ऐ मुकर्रम चचा! ये कौनसी नमाज़ आपने पढ़ी है? फ़र्माया कि अ़स्र की और उसी वक़्त हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ भी ये नमाज़ पढ़ते थे।

٥٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

(550) हमसे अबुल यमान ह़कम बिन नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि कहा हमें शुऐ़ब बिन अबी ह़म्ज़ा ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अ़स्र की नमाज़ पढ़ते तो सूरज बुलन्द और तेज़ रोशन होता था। फिर एक शख़्स मदीना के बालाई (ऊँचाई वाले) इलाक़े की तरफ़ जाता वहाँ पहुँचने के बाद भी सूरज बुलन्द रहता था (ज़ुह्री ने कहा कि) मदीना के बालाई इलाक़े के बाज़ मुक़ामात तक़रीबन चार मील पर या कुछ ऐसे ही वाक़ेअ़ हैं।

٥٥٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ. [راجع: ٥٤٨]

(551) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक (रह.) ने इब्ने शिहाब के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने

٥٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. [راجع: ٥٤٨]

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया, हम अ़स्र की नमाज़ पढ़ते (नबी करीम ﷺ के साथ) उसके बाद कोई शख़्स क़ुबा जाता और जब वहाँ पहुँच जाता तो सूरज अभी बुलन्द होता था।

तश्रीह : अवाली उन देहात को कहा गया जो मदीना के अतराफ़ में बुलन्दी पर वाक़ेअ थे। उनमें बाज़ चार मील, बाज़ छह मील, बाज़ आठ मील के फ़ासले पर थे। इस हदीष़ से भी साफ़ ज़ाहिर है कि अ़स्र की नमाज़ का वक़्त एक मिष़्ल साए से शुरू हो जाता है। दो मिष़्ल साया हो जाने के बाद ये मुमकिन नहीं कि आदमी चार छह मील दूर जा सके और धूप अभी तक ख़ूब तेज़ बाक़ी रहे। इसलिये अ़स्र के लिये अव्वल वक़्त एक मिष़्ल से शुरू हो जाता है जो हज़रात एक मिष़्ल का इन्कार करते हैं वो अगर बनज़रे इन्साफ़ इन जुम्ला अहादीष़ पर ग़ौर करेंगे तो ज़रूर अपने ख़्याल की ग़लती तस्लीम करने पर मज़बूर हो जाएंगे मगर इन्साफ़ दरकार है।

इस हदीष़ के तहत अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, **'व हुव दलीलुन लिमज़्हबि मालिक वश्शाफ़िइ व अहमद वल जुम्हूरु मिनल अतरति व ग़ैरहुमुल क़ाइलीन बिअन्न अव्वल वक़्तल अ़स्रि इज़ा स़ार ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिष़्लुहू व फ़ीहि रद्दुन लिमज़्हबि अबी हनीफ़त फ़इन्नहू क़ाल इन्न अव्वल वक़्तिल अ़स्रि ला यदख़ुलु हत्ता यसीर ज़िल्लुश्शयइ मिष़्लैही'** (नैलुल औतार) यानी इस हदीष़ में दलील है कि अ़स्र का अव्वल वक़्त एक मिष़्ल साया होने पर हो जाता है और इमाम मालिक (रह.), अहमद (रह.), शाफ़िई (रह.) और जुम्हूरे अतरत का यही मज़हब है और इस हदीष़ में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के मज़हब की तर्दीद है जो साया दो मिष़्ल से क़ब्ल (पहले) अ़स्र का वक़्त नहीं मानते।

١٤- بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

बाब 14 : इस बयान में कि नमाज़े अ़स्र छूट जाने पर कितना गुनाह है

٥٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَتَرْتُ الرَّجُلَ قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلاً أَوْ أَخَذْتَ لَهُ مَالاً.

(552) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ़ के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसकी नमाज़े अ़स्र छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। इमाम बुख़ारी (रह.) ने फ़र्माया कि सूरह मुहम्मद में जो (यतिरकुम) का लफ़्ज़ आया है वो वित्र से निकाला गया है। वित्र कहते हैं किसी शख़्स को मार डालना या उसका माल छीन लेना।

١٥- بَابُ إِثْمِ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

बाब 15 : इस बयान में कि नमाज़े अ़स्र छोड़ देने पर कितना गुनाह है

٥٥٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ

(553) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन अ़ब्दुल्लाह दस्तवाई ने बयान किया, कहा हमें यह्या बिन अबी कष़ीर ने अबू क़लाबा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से ख़बर दी। उन्होंने अबुल मलीह से, कहा हम बुरैदा (रज़ि.) के साथ एक सफ़रे जंग में थे। अब्रो बारिश का दिन था। आपने फ़र्माया कि अ़स्र की नमाज़ जल्दी पढ़ लो क्योंकि नबी (ﷺ) ने

फ़र्माया कि जिसने अ़स्र की नमाज़ छोड़ दी, उसका नेक अमल ज़ाये हो गया। (दीगर मक़ाम : 594)

ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)). [طرفه في : ٥٩٤].

बाब 16 : नमाज़ की फ़ज़ीलत के बयान में

١٦- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

(554) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हुमैदी ने बयान किया, कहा हमसे मरवान बिन मुआ़विया ने, कहा हमसे इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने क़ैस बिन अबी हाज़िम से। उन्होंने जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद थे। आपने चाँद पर एक नज़र डाली फिर फ़र्माया कि तुम अपने रब को (आख़िरत में) इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को अब देख रहे हो। उसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी, पस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलूअ़ होने से पहले वाली नमाज़ (फ़ज्र) और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज़ (अ़स्र) से तुम्हें कोई चीज़ रोक न सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई कि 'पस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह कर सूरज तुलूअ़ होने और गुरूब होने से पहले।' इस्माईल (हदीष़ के रावी) ने कहा कि (अ़स्र और फ़ज्र की नमाज़ें) तुमसे छूटने न पाएँ। इनका हमेशा ख़ास़ तौर पर ध्यान रखो। (दीगर मक़ाम : 573, 4751, 7434, 7435, 7436)

٥٥٤- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِي الْبَدْرَ - فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا)). ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا، لاَ تَفُوتَنَّكُمْ.

[أطرافه في : ٥٧٣، ٤٧٥١، ٧٤٣٤، ٧٤٣٥، ٧٤٣٦].

(555) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक (रह.) ने अबुज़्ज़िनाद अ़ब्दुल्लाह बिन ज़क्वान से, उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अअ़रज से, उन्होंने हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। और फ़ज्र और अ़स्र की नमाज़ों में (ड्यूटी पर आने वालों और जाने वालों का) इज्तिमाअ़ होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तआ़ला पूछता है हालाँकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने बन्दों के बारे में जानता है, कि मेरे बन्दों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो (फ़ज्र की) नमाज़ पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो (अ़स्र की) नमाज़ पढ़ रहे थे।

٥٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ- وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)).

(दीगर मक़ाम : 3223, 7429, 7486)

[أطرافه في : ٣٢٢٣، ٧٤٢٩، ٧٤٨٦].

तशरीह : फ़रिश्तों का ये जवाब उन्हीं नेक बन्दों के लिये होगा जो नमाज़ पाबन्दी के साथ अदा करते थे और जिन लोगों ने नमाज़ को पाबन्दी के साथ अदा ही न किया। अल्लाह के दरबार में फ़रिश्ते उनके बारे में क्या कह सकेंगे। कहते हैं कि इन फ़रिश्तों से मुराद किरामन कातिबीन ही है जो आदमी की मुहाफ़ज़त करते हैं, सुबह व शाम उनकी बदली होती रहती है। कुर्तुबी ने कहा ये दो फरिश्ते हैं और परवरदिगार जो सब कुछ जानने वाला है। इसका उनसे पूछना इनको क़ाइल करने के लिये है जो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक़्त कहा था कि आदमज़ाद ज़मीन में ख़ून और फ़साद करेंगे।

बाब 17 : जो शख़्स अस्र की एक रकअत सूरज डूबने से पहले पढ़ सका तो उसकी नमाज़ अदा हो गई

١٧– بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

(556) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शैबान ने यह्या बिन अबी कष़ीर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर कोई अस्र की नमाज़ की एक रकअत सूरज गुरूब होने से पहले पा सका तो पूरी नमाज़ पढ़े (उसकी नमाज़ अदा हुई न कि क़ज़ा) इसी तरह अगर सूरज तुलूअ होने से पहले फ़ज्र की नमाज़ की एक रकअत भी पा सके तो पूरी नमाज़ पढ़े।

(दीगर मक़ाम : 579, 580)

٥٥٦– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ)).

[طرفاه في : ٥٧٩، ٥٨٠].

तशरीह : इस हदीष़ के तहत हज़रतुल अल्लाम मौलाना नवाब वहीदुज़्ज़मा साहब (रह.) के तशरीही अल्फ़ाज़ ये हैं, 'इस पर तमाम अइम्म और उलमा का इजमाअ है मगर हनफ़ियों ने आधी हदीष़ को लिया है और आधी को छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि अस्र की नमाज़ तो सहीह हो जाएगी लेकिन फ़ज्र की सहीह न होगी, उनका क़ियास हदीष़ के बरख़िलाफ़ है और ख़ुद इन्हीं के इमाम की वसिय्यत के मुताबिक़ छोड़ देने के लायक़ है।'

बैहक़ी में मज़ीद वज़ाहत यूँ मौजूद है, **'मन अदरक रकअतम्मिनस्सुब्हि फलियुस़्सल्लि इलैहा उख़्रा'** जो फ़ज्र की एक रकअत पा ले और सूरज निकल आए तो वो दूसरी रकअत भी उसके साथ मिला ले उसकी नमाज़े फ़ज्र सही होगी। शेख़ुल हदीष़ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी मद्द जिल्लहुल आली फ़र्माते हैं –

'व यूख़ज़ु मिन हाज़ा अर्रद्दु अलत्तहावी हैषु ख़स़्स़ल इदराक बिइहतिलामिस्सबिय्यि व तुहरिल हाइज़ि व इस्लामिल काफ़िरि व नहविहा व अराद बिज़ालिक नुस़्रत मज़हबिही फ़ी अन्न मन अदरक मिनस़्सुब्हि रकअतन तफ़्सुदु स़लातुहू लिअन्नहू ला युक्मिलुहा इल्ला फ़ी वक्तिल किराहति इन्तहा वल हदीषु यदुल्लु अला अन्न मन अदरक रकअतम्मिन स़लातिस़्सुब्हि वला तब्तिलु बितुलूइहा कमा अन्न मन अदरक रकअतम्मिन स़लातिल अस़्रि क़ब्ल गुरूबिश्शम्सि फ़क़द अदरक स़लातल अस़्रि व ला तब्तिलु बिगुरूबिहा व बिही क़ाल मालिक वश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ व हुवल हक़्क़' (मिर्आतुल मफ़ातीह, जि. 1/स. 398)

इस बयान की गई हदीष़ से इमाम तहावी का रद्द होता है जिन्होंने हदीष़े मज़कूरा को उस लड़के के साथ ख़ास़ किया है जो अभी-अभी बालिग़ हुआ है या कोई औरत जो अभी-अभी हैज़ से पाक हुई या कोई काफ़िर जो अभी-अभी इस्लाम लाया और उनको फ़ज्र की एक रकअत सूरज निकलने से पहले मिल गई तो गोया ये हदीष़ उनके लिये ख़ास़ है। इस तावील से

इमाम त़हावी (रह.) का मक़्सद अपने मज़हब की नुसरत (मदद) करना है जो ये है कि जिसने सुबह़ की एक रकअत पाई और फिर सूरज तुलूअ हो गया तो उसकी नमाज़ बात़िल हो गई इसलिये कि वो उसकी तकमील मकरूह वक़्त में कर रहा है। ये ह़दीष़ दलील है कि आ़म त़ौर पर हर शख़्स़ मुराद है जिसने फ़ज्र की एक रकअत सूरज निकलने से पहले पा ली उसको सारी नमाज़ का ष़वाब मिलेगा और ये नमाज़ सूरज उगने की वजह से बात़िल न होगी जैसा कि किसी ने अ़स्र की एक रकअ़त सूरज छिपने से पहले पा ली तो उसने अ़स्र की नमाज़ पा ली और वो ग़ुरूबे शम्स से बात़िल न होगी। इमाम शाफ़िई (रह.) मालिक (रह.) अह़मद व इस्ह़ाक (रह.) सबका यही मज़हब है और यही ह़क़ है।

(557) हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह उवैसी ने बयान किया, कहा मुझसे इब्राहीम बिन सअ़द ने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से, उन्होंने अपने बाप अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) फ़र्माते थे कि तुमसे पहले की उम्मतों के मुक़ाबले में तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ़ इतनी है जितना अ़स्र से सूरज डूबने तक का वक़्त होता है। तौरात वालों को तौरात दी गई। तो उन्होंने उस पर (सुबह़ से) अ़मल किया आधे दिन तक फिर वो आ़जिज़ आ गए, काम पूरा न कर सके। उन लोगों को उनके अ़मल का बदला एक एक क़ीरात (बक़ौल बाज़ दीनार का 6/4 हिस़्सा और कुछ के क़ौल के मुताबिक़ दीनार का 20वां हिस़्सा) दिया गया। फिर इंजील वालों को इंजील दी गई, उन्होंने (आधे दिन से) अ़स्र तक उस पर अ़मल किया, और वो भी आ़जिज़ आ गए। उनको भी एक-एक क़ीरात उनके अ़मल का बदला दिया गया। फिर (अ़स्र के वक़्त) हमको क़ुर्आन मिला। हमने इस पर सूरज ग़ुरूब होने तक अ़मल किया (और काम पूरा कर दिया) हमें दो-दो क़ीरात ष़वाब मिला। इस पर इन दोनों किताब वालों ने कहा। ऐ हमारे रब! इन्हें तो आपने दो-दो क़ीरात दिये और हमें स़िर्फ़ एक एक क़ीरात। हालाँकि अ़मल हमने उनसे ज़्यादा किया है। अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने फ़र्माया, तो क्या मैंने अज्र देने में तुम पर कुछ ज़ुल्म किया? उन्होंने कहा, नहीं! अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि फिर ये (ज़्यादा अज्र देना) मेरा फ़ज़्ल है जिसे मैं चाहूँ दे सकता हूँ।

(दीगर मक़ाम : 2267, 2269, 3459, 5021, 7468, 7533)

٥٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا. ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا. ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ. فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ)).

[أطرافه في: ٢٢٦٧، ٢٢٦٩، ٣٤٥٩، ٥٠٢١، ٧٤٦٧، ٧٥٣٣].

तश्रीह : इस ह़दीष़ से हनफ़ियों ने ये दलील ली है कि अ़स्र का वक़्त दो मिष़्ल साए से शुरू होता है वर्ना जो वक़्त ज़ुहर से अ़स्र तक है वो इस वक़्त से ज़्यादा नहीं ठहरेगा जो अ़स्र से ग़ुरूबे आफ़ताब तक है, हालांकि मुख़ालिफ़ ये कह सकता है कि ह़दीष़ में अ़स्र की नमाज़ से ग़ुरूबे आफ़ताब तक का वक़्त उस वक़्त से कम रखा गया है। जो दोपहर दिन से अ़स्र

की नमाज़ तक है और अगर एक मिष्ल साये पर अ़स्र की नमाज़ अदा की जाए जब भी नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद से ग़ुरूब तक जो वक़्त होगा वो दोपहर से नमाज़े अ़स्र से फ़ारिग़ होने से कम होगा क्योंकि नमाज़ के लिये अज़ान होगी, लोग जमा होंगे, वुज़ू करेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे, इसके अ़लावा ह़दीष़ का ये मत़लब हो सकता है कि मुसलमानों का वक़्त यहूद व नसारा के मजमूई वक़्त से कम था और इसमें कोई शक नहीं।

इस ह़दीष़ को इमाम बुख़ारी (रह.) इस बाब में लाये इसकी मुनासबत बयान करना मुश्किल है, ह़ाफ़िज़ ने कहा इससे और इसके बाद वाली ह़दीष़ से ये निकलता है कि कभी अ़मल के एक जुज़ पर पूरी मज़दूरी मिलती है इसी त़रह़ जो कोई फ़ज्र या अ़स्र की एक रकअ़त पा ले, उसको भी अल्लाह सारी नमाज़ वक़्त पर पढ़ने का ष़वाब देने पर क़ादिर है (इस ह़दीष़ में मुसलमानों का ज़िक्र भी हुआ है जिसका मत़लब ये है कि काम तो किया स़िर्फ़ अ़स्र से मग़रिब तक, लेकिन सारे दिन की मज़दूरी मिली। वजह ये है कि उन्होंने शर्त पूरी की, शाम तक काम किया और काम को पूरा किया अगले दो गिरोहों ने अपना नुक़सान आप किया। काम को अधूरा छोड़कर भाग गए, मेह़नत मुफ़्त गई।

ये मिषाल यहूद व नसारा और मुसलमानों की है। यहूदियों ने ह़ज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को माना और तौरात पर चले लेकिन इसके बाद इन्जीले मुकद्दस और क़ुर्आन शरीफ़ से मुनहरिफ़ हो गए और ह़ज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम और ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) को उन्होंने न माना और नस़ारा ने इन्जील और ह़ज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को माना लेकिन क़ुर्आन शरीफ़ और ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) से मुनह़रिफ़ हो गए तो इन दोनों फ़िर्क़ों की मेहनत बर्बाद हो गई। आख़िरत में जो अज्र मिलने वाला था, उससे मह़रुम रहे, आख़िर ज़माने में मुसलमान आए और उन्होंने थोड़ी-सी मुद्दत में काम किया मगर काम को पूरा कर दिया। अल्लाह तआ़ला की सब किताबों और सब नबियों को माना, लिहाज़ा सारा ष़वाब इन्हीं के ह़िस्से में आ गया **ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मय्यंशाउ वल्लाहु ज़ुल्फ़ज़्लिल अ़ज़ीम** (अज़ मौलाना वहीदुज़्ज़मा ख़ाँ स़ाह़ब मुह़द्दिष हैदराबादी रह.)

(558) हमसे कुरैब मुह़म्मद बिन अ़ला ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बुरैद बिन अ़ब्दुल्लाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अबू बुर्दा आ़मिर बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने अपने बाप अबू मूसा अश्अ़री अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस (रज़ि.) से। उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमानों और यहूद और नस़ारा की मिष़ाल ऐसे शख़्स की सी है कि जिसने कुछ लोगों से मज़दूरी पर रात तक काम करने के लिये कहा। उन्होंने आधे दिन काम किया। फिर जवाब दे दिया कि हमें तुम्हारी उजरत की ज़रूरत नहीं, (ये यहूद थे) फिर उस शख़्स ने दूसरे मज़दूर बुलाए और उनसे कहा कि दिन का जो ह़िस्सा बाक़ी रह गया है (यानी आधा दिन) उसी को पूरा कर दो। शर्त के मुताबिक़ मज़दूरी तुम्हें मिलेगी। उन्होंने भी काम शुरू किया लेकिन अ़स्र तक वो भी जवाब दे बैठे। (ये नस़ारा थे) पस उस तीसरे गिरोह ने (जो अहले इस्लाम हैं) पहले दो गिरोहों के काम की पूरी मज़दूरी ले ली।

(दीगर मक़ाम : 2271)

٥٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ. فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا. فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ)). [طرفه في : ٢٢٧١]

तश्रीह : इस ह़दीष़ को पिछली ह़दीष़ की रोशनी में समझना ज़रूरी है जिसमें ज़िक्र हुआ कि यहूदो नस़ारा ने थोड़ा काम किया और बाद में बाग़ी हो गए। फिर भी उनको एक-एक क़ीरात़ के बराबर ष़वाब दिया गया और उम्मते मुहम्मदिया ने वफ़ादाराना तौर पर इस्लाम को कुबूल किया और थोड़े वक़्त काम किया। फिर भी इनको दोगुना अज्र मिला। ये अल्लाह का फ़ज़्ल है, उम्मते मुहम्मदिया अपनी आमद के लिहाज़ से आख़िर वक़्त में आई, इसी को अ़स्र से मग़रिब तक ताबीर किया गया है।

बाब 18 : मग़्रिब की नमाज़ के वक़्त का बयान

١٨- بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

और अ़ता बिन अबी रबाह ने कहा कि मरीज़ इशा और मग़्रिब दोनों को जमा कर लेगा

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيْضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

इस अष़र को अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक ने मुसन्नफ़ में दाख़िल किया गया है।

(559) हमसे मुहम्मद बिन मेह्रान ने बयान किया, कहा हमसे वलीद बिन मुस्लिमा ने, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़म्र औज़ाई ने बयान किया, कहा मुझसे अबुन नज्जाशी ने बयान किया। उनका नाम अ़ता बिन सुहैब था और ये राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) के ग़ुलाम हैं। उन्होंने कहा कि मैंने राफ़ेअ़ बिन ख़दीज से सुना। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हम मग़्रिब की नमाज़ नबी करीम (ﷺ) के साथ पढ़कर जब वापस होते और तीरंदाज़ी करते (तो इतना उजाला बाक़ी रहता था कि) एक शख़्स अपने तीर गिरने की जगह को देखता था।

٥٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

तश्रीह : ह़दीष़ से ज़ाहिर हुआ कि मग़रिब की नमाज़ सूरज डूबने पर फ़ौरन अदा कर ली जाती थी। बाज़ अह़ादीष़ में ये भी आया है कि मग़रिब की जमाअ़त से पहले स़हाबा दो रकअ़त सुन्नत भी पढ़ा करते थे। फिर फ़ौरन जमाअ़त खड़ी की जाती और नमाज़ से फ़राग़त के बाद स़हाबा किराम बाज़ दफ़ा तीरअंदाज़ी की मश्क़ (प्रेक्टिस) भी किया करते थे और उस वक़्त इतना उजाला रहता था कि वो अपने तीर गिरने की जगह को देख सकते थे। मुसलमानों में मग़रिब की नमाज़ अव्वल वक़्त पढ़ना तो सुन्नते मुतवारिषा है मगर स़ह़ाबा की दूसरी सुन्नत यानी तीरंदाज़ी को वो इस तरह भूल गए, गोया ये कोई काम ही नहीं, हालांकि ता'लीमाते इस्लाम की रु से फ़ौजी ट्रेनिंग की ता'लीमात भी मज़हबी मक़ाम रखती है।

(560) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने, कहा हमसे शुअ़बा बिन हिजाज ने सअ़द बिन इब्राहीम से, उन्होंने मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हसन बिन अ़ली से, उन्होंने कहा कि हज्जाज का ज़माना आया (और वो नमाज़ देर करके पढ़ाया करता था इसलिये) हमने ह़ज़रते जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ ठीक दोपहर में पढ़ाया करते थे। अभी सूरज साफ़ और रोशन होता तो अ़स्र पढ़ाते। नमाज़े मग़्रिब वक़्त आते ही पढ़ाते और नमाज़ इशा को कभी जल्दी पढ़ाते और कभी देर से। जब देखते कि लोग जमा हो गए हैं तो जल्दी पढ़ा देते

٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ

और अगर लोग जल्दी जमा न होते तो नमाज़ में देर करते। (और लोगों का इंतिज़ार करते) और सुबह की नमाज़ सहाबा (रज़ि.) या (ये कहा कि) नबी (ﷺ) अंधेरे में पढ़ते थे।

(दीगर मक़ाम : 565)

اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ - كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ- يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. [طرفه في : ٥٦٥].

(561) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यज़ीद बिन अबी उबैद ने बयान किया सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) से, फ़र्माया कि हम नमाज़े मग़्रिब नबी (ﷺ) के साथ उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज पर्दे में छुप जाता।

٥٦١- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

(562) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा हमसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया, कहा मैंने जाबिर बिन ज़ैद से सुना, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) के वास्ते से बयान करते थे। आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने सात रकअ़ात (मग़्रिब और इशा की) एक साथ और आठ रकअ़ात (ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें) एक साथ पढ़ीं (राजेअ़ : 543)

٥٦٢- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا، وَثَمَانِيًا جَمِيعًا. [راجع: ٥٤٣]

बाब 19 : इस बारे में जिसने मग़्रिब को इशा कहना मकरूह जाना

١٩- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

(563) हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, जो अब्दुल्लाह बिन अम्र हैं, कहा हमसे अब्दुल वारिष़ बिन सईद ने हुसैन बिन ज़क्वान से बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह मज़नी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा न हो कि, 'मग़्रिब' की नमाज़ के नाम के लिए अअ़राबी (यानी देहाती लोगों) का मुहावरा तुम्हारी ज़ुबानों पर चढ़ जाए। अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने कहा या ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि बदवी मग़्रिब को इशा कहते थे।

٥٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ - هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ، قَالَ: وَيَقُولُ الأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ)).

तश्रीह : बदवी (देहाती) लोग नमाज़े मग़रिब को इशा और नमाज़े इशा को अ़त्मा से मौसूम करते थे इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि बदवियों की इस्तिलाह ग़ालिब (परिभाषा हावी) न होनी चाहिए बल्कि इनको मग़रिब और इशा ही के नामों से पुकारा जाये। अ़त्मा उस बाक़ी दूध को कहते थे, जो ऊँटनी के थन में रह जाये और थोड़ी रात गुज़रने के बाद उसे निकालते थे। कुछ लोगों ने कहा कि अ़त्मा का मतलब रात की तारीकी तक देर करना चूंकि इस नमाज़े इशा का यही वक़्त है इसलिये इसे अ़त्मा कहा गया। बाज़ मौक़ों पर नमाज़े इशा को सलाते अ़त्मा से ज़िक्र किया गया है। इसलिये उसे जवाज़ का दर्जा दिया गया मगर बेहतर यही कि लफ़्ज़े इशा ही से याद किया जाए।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि ये मुमानअत आपने इस ख़्याल से की कि इशा के माना लुग़त में तारीकी के हैं और ये शफ़क़ डूबने के बाद होती है। पस अगर मग़रिब का नाम इशा पड़ जाए तो एहतमाल है कि आइन्दा लोग मग़रिब का वक़्त शफ़क़ डूबने के बाद समझने लगे।

बाब 20 : इशा और अत्मा का बयान

٢٠- بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا

और जो ये दोनों नाम लेने में कोई हर्ज नहीं ख़्याल करते। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करके फ़र्माया, 'मुनाफ़िक़ीन पर इशा और फ़ज्र तमाम नमाज़ों से ज़्यादा भारी हैं' और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि काश! वो समझ सकते कि अत्मा (इशा) और फ़ज्र की नमाज़ों में कितना सवाब है। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) कहते हैं कि इशा कहना ही बेहतर है। क्योंकि इर्शादे बारी है, 'व मिन बअदि सलातिल इशा' 'में क़ुर्आन ने इसका नाम इशा रख दिया है' अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हमने इशा की नमाज़ नबी (ﷺ) की मस्जिद मे पढ़ने के लिए बारी मुक़र्रर कर ली थी। एक बार आपने उसे बहुत रात गए पढ़ा। और इब्ने अब्बास (रज़ि.) और आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़े इशा देर से पढ़ी। कुछ ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया कि नबी करीम (ﷺ) ने 'अत्मा' को देर से पढ़ा। हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) 'इशा' पढ़ते थे। अबू बर्ज़ा असलमी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) इशा में देर करते थे।

हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) आख़िरी इशा को देर में पढ़ते थे। इब्ने उमर, अबू अय्यूब और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि नबी (ﷺ) ने मग़रिब और इशा पढ़ी।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ)). وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ﴾. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ((كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: (أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ). وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ: (أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ). وَقَالَ جَابِرٌ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ). وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ).

وَقَالَ أَنَسٌ: (أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ).

तशरीह : इमामुल मुहद्दिषीन (रह.) ने इन तमाम अहादीष और आषार को यहाँ इस ग़र्ज़ से नक़ल किया है कि बेहतर है इशा को लफ़्ज़े इशा से मौसूम किया जाए। इस पर भी अगर किसी ने लफ़्ज़े अत्मा इसके लिये इस्ते'माल कर लिया तो ये भी जवाज़ के दर्जे में हैं। सहाबा किराम (रह.) का आम मामूल था कि वो नबी करीम (ﷺ) की हिदायात से आगाह रहना अपने लिए ज़रूरी ख़्याल करते थे, जो हज़रात मस्जिदे नबवी से दूर दराज़ सुकूनत (निवास) रखते थे, उन्होंने आपस में बारी मुक़र्रर कर रखी थी जो भी हाज़िरे दरबारे रिसालत होता, दीगर सहाबा (रज़ि.) उनसे हालात मा'लूम कर लिया करते थे। अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) भी उन्हीं में से थे। ये हिजरते हब्शा से वापसी के बाद मदीना में काफ़ी फ़ासले पर रहने लगे और इन्होंने अपने पड़ौसियों से मिलकर दरबारे रिसालत में हाज़री की बारी मुक़र्रर कर ली थी। आपने एक रात नमाज़े इशा देर से पढ़े जाने

का ज़िक्र किया और इसके लिये लफ़्ज़े अत्मा इस्ते'माल किया जिसका मतलब ये कि आपने देर से इस नमाज़ को अदा फ़र्माया। बाज़ किताबों में ताख़ीर की वजह ये बतलाई गई है कि आप (ﷺ) मुसलमानों के बाज़ मुआमलात के बारे में हज़रत सिद्दीक़े अकबर से मशवरा फ़र्मा रहे थे, इसीलिये ताख़ीर हुई।

٥٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ: (صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ) - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ)). [راجع: ١١٦]

(564) हमसे अब्दान अब्दुल्लाह बिन उ़ष्मान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें यूनुस बिन यज़ीद ने ख़बर दी ज़ुहरी से कि सालिम ने ये कहा कि मुझे (मेरे बाप) अब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने ख़बर दी। कि एक रात नबी (ﷺ) ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। यही जिसे लोग अत्मा कहते हैं। फिर हमें ख़िताब करते हुए फ़र्माया कि तुम इस रात को याद रखना। आज जो लोग ज़िन्दा हैं एक सौ साल के गुज़रने तक रूए ज़मीन पर इनमें से कोई भी बाक़ी नहीं रहेगा।

(राजेअ : 116)

यानी सौ बरस में जितने लोग आज ज़िन्दा हैं, सब मर जाएंगे और नई नस्ल ज़ुहूर में आती रहेगी। सबसे आख़िरी सहाबी अबुत तुफ़ैल बिन आमिर बिन वास्ला (रज़ि.) हैं, जिनका इन्तिक़ाल 110 हिजरी में हुआ। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष़ से हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर भी दलील पकड़ी है।

٥٦٥- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

बाब 21 : नमाज़े इशा का वक़्त जब लोग (जल्दी) जमा हो जाएँ या जमा होने में देर करें

٥٦٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ، إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ. وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ). [راجع: ٥٦٠]

(565) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शुअबा बिन हिजाज ने सअद बिन इब्राहीम से बयान किया, वो मुहम्मद बिन अम्र से जो हसन बिन अली बिन अबी तालिब के बेटे हैं, फ़र्माया कि हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से नबी (ﷺ) की नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि आप नमाज़े ज़ुहर दोपहर में पढ़ते थे। और जब नमाज़े अ़स्र पढ़ते तो सूरज साफ़ और रोशन होता। मग़्रिब की नमाज़ वाजिब होते ही अदा फ़र्माते, और इशा में अगर लोग जल्दी जमा हो जाते तो जल्दी पढ़ लेते और अगर आने वालों की ता'दाद कम होती तो देर करते। और सुबह की नमाज़ मुँह अंधेरे में पढ़ा करते थे।

(राजेअ : 560)

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते थे कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब का तर्जुमा और उनमें आने वाली अहादीष से उन लोगों की तर्दीद की है जो कहते हैं कि इशा की नमाज़ अगर जल्दी अदा की जाए तो उसे इशा ही कहेंगे और अगर

देर से अदा की जाए तो उसे अत्मा कहेंगे, गोया इन लोगों ने दोनों रिवायतों में तत्बीक दी है और उन पर रद्द इस तरह हुआ कि इन अहादीष में दोनों हालतों में उसे इशा ही कहा गया।

बाब 22 : नमाज़े इशा (के लिए इंतिज़ार करने) की फ़ज़ीलत

٢٢- بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

(566) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअद ने अक़ील के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने उर्वा से कि आइशा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि एक रात रसूले करीम (ﷺ) ने इशा की नमाज़ देर से पढ़ी। ये इस्लाम के फैलने से पहले का वाक़िआ है। आप (ﷺ) उस वक़्त तक बाहर तशरीफ़ नहीं लाए जब तक हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये न फ़र्माया कि 'औरतें और बच्चे सो गए।' पस आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी इंसान इस नमाज़ का इंतिज़ार नहीं करता।

(दीगर मक़ाम : 569, 862, 864)

٥٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلاَمُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ)).

[أطرافه في : ٥٦٩، ٨٦٢، ٨٦٤].

यानी उस वक़्त तक मदीना के सिवा और कहीं मुसलमान न थे, या ये कि ऐसी शान वाली नमाज़ के इंतज़ार का षवाब अल्लाह ने सिर्फ़ उम्मते-मुहम्मदिया ही की क़िस्मत में रखा है।

(567) हमसे मुहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बुरैद के वास्ते से, उन्होंने अबू बुर्दा से उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि मैंने अपने उन साथियों के साथ जो कश्ती में मेरे साथ (हब्शा से) आए थे 'बक़ीए बत्हान' में क़याम किया। उस वक़्त नबी (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ रखते थे। हम में से कोई न कोई इशा की नमाज़ में रोज़ाना बारी मुक़र्रर करके नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ करता था। इत्तिफ़ाक़ से मैं और मेरा एक साथी एक बार आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आप अपने किसी काम में मशग़ूल थे। (किसी मिल्ली मुआमले में आप ﷺ और हज़रत अबूबक्र रज़ि. बातचीत कर रहे थे) जिसकी वजह से नमाज़ में देर हो गई और तक़रीबन आधी रात गुज़र गई। फिर नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पूरी कर चुके तो हाज़िरीन से फ़र्माया कि अपनी अपनी जगह पर वक़ार के साथ बैठे रहो और एक ख़ुशख़बरी सुनो। तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस वक़्त नमाज़ पढ़ता हो, या आप (ﷺ) ने ये

٥٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ - وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ- فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَ لَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: ((عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ

फ़र्माया कि तुम्हारे सिवा इस वक़्त किसी (उम्मत) ने भी नमाज़ नहीं पढ़ी थी। ये यक़ीन नहीं कि आपने उन दो जुम्लों में से कौनसा जुम्ला कहा था। फिर रावी ने कहा कि अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने फ़र्माया। पस हम नबी करीम (ﷺ) से ये सुनकर बहुत ही ख़ुश होकर लौटे।

غَيْرُكُمْ)) أَوْ قَالَ: ((مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ)) لاَ يَدْرِيْ أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحَى بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

तश्रीह : हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने हिजरते हब्शा से वापसी के बाद बक़ीअ़े बत्हान में क़ियाम फ़र्माया। बक़ी हर उस जगह को कहा जाता था जहाँ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के दरख़्त वग़ैरह होते बत्हान नाम की वादी मदीना के क़रीब ही थी। इमाम सुयूती फ़र्माते हैं कि पहले की उम्मतों में इशा की नमाज़ न थी इसलिये आप (ﷺ) ने अपनी उम्मत को ये बशारत फ़र्माई जिसे सुनकर सहाब–ए–किराम (रज़ि.) को निहायत ख़ुशी हासिल हुई। ये मतलब भी हो सकता है कि मदीना शरीफ़ की दीगर मसाजिद में लोग नमाज़े इशा से फ़ारिग़ हो चुके लेकिन मस्जिदे नबवी के नमाज़ी इन्तज़ार में बैठे हुए थे इसलिये उनको ये फ़ज़ीलत हासिल हुई। बहरहाल इशा की नमाज़ के लिये ताख़ीर मत्लूब है। हदीष़ में आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मेरी उम्मत पर शाक़ (भारी) न गुज़रता तो मैं इशा की नमाज़ तिहाई रात गुज़रने पर ही पढ़ा करता।

बाब 23 : इस बयान में कि नमाज़े इशा पढ़ने से पहले सोना नापसंद है

٢٣- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

(568) हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल वहाब ष़क़फ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि ख़ालिद हज़्ज़ा ने बयान किया अबुल मिन्हाल से, उन्होंने अबू बर्ज़ा असलमी (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा से पहले सोने और इसके बाद बातचीत करने को नापसंद फ़र्माते।

(राजेअ़ : 541)

٥٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا).

[راجع: ٥٤١]

जब ख़तरा हो कि इशा के पहले सोने से नमाज़ व जमाअ़त चली जाएगी तो सोना जाइज़ नहीं। दोनों अहादीष़ में जो आगे आ रही है, यही ततबीक़ बेहतर है।

बाब 24 : अगर नींद का ग़लबा हो जाए तो इशा से पहले भी सोना दुरुस्त है

٢٤- بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

(569) हमसे अय्यूब बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा हमसे अबूबक्र ने सुलैमान से, उनसे स़ालेह बिन कैसान ने बयान कि मुझे इब्ने शिहाब ने उ़र्वा से ख़बर दी कि हज़रते आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक बार इशा की नमाज़ में देर फ़र्माई। यहाँ तक कि उ़मर (रज़ि.) ने पुकारा, नमाज़! औरतें और बच्चे सो गए। तब आप (ﷺ) घर से बाहर तशरीफ़ लाए, आप

٥٦٩- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ

(ﷺ) ने फ़र्माया कि रूए ज़मीन पर तुम्हारे अलावा इस नमाज़ का कोई इंतिज़ार नहीं करता। रावी ने कहा, उस वक़्त ये नमाज़ (बाजमाअ़त) मदीना के सिवा और कहीं नहीं पढ़ी जाती थी। सहाबा इस नमाज़ को शाम की सुर्ख़ी ग़ायब होने के बाद रात के पहले तिहाई हिस्से तक (किसी वक़्त भी) पढ़ते थे।

(राजेअ़ : 566)

حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ)). قَالَ : وَلاَ تُصَلَّي يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ وَكَانُوا يُصَلُّوْنَ الْعِشَاءَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. [راجع: ٥٦٦]

तशरीह : हज़रत अमीरुल मुहद्दिषीन फ़िल ह़दीष़ ये बतलाना चाहते हैं कि इशा से पहले सोना या इसके बाद बातचीत करना इसलिये नापसन्द है कि पहले सोने में इशा की नमाज़ के फ़ौत होने का ख़तरा है और देर तक बातचीत करने में सुबह की नमाज़ फ़ौत होने का ख़तरा है। हाँ अगर कोई शख़्स इन ख़तरात से बच सके तो उसके लिये इशा से पहले सोना भी जाइज़ और बाद में बातचीत भी जाइज़ जैसा कि वारिद हुई रिवायात से ज़ाहिर है और ह़दीष़ में ये जो फ़र्माया कि तुम्हारे सिवा इस नमाज़ का कोई इन्तज़ार नहीं करता, इसका मतलब ये है कि पहली उम्मतों में किसी भी उम्मत पर इस नमाज़ को फ़र्ज़ नहीं किया गया और नमाज़ अहले इस्लाम ही के लिये मुक़र्रर की गई या ये मतलब है कि मदीना की दूसरी मसाजिद में सब लोग अव्वल वक़्त ही पढ़कर सो गए हैं। सिर्फ़ तुम्ही लोग हो जो कि अभी तक इसका इन्तेज़ार कर रहे हो।

(570) हमसे महमूद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे नाफ़ेअ़ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रात किसी काम में मशग़ूल हो गए और बहुत देर की। हम (नमाज़ के इंतज़ार में बैठे हुए) मस्जिद ही में सो गए, फिर हम बेदार हुए, फिर हम सो गए, फिर हम बेदार हुए। फिर नबी करीम (ﷺ) घर से बाहर तशरीफ़ लाए। और फ़र्माया कि दुनिया का कोई शख़्स भी तुम्हारे सिवा इस नमाज़ का इंतज़ार नहीं करता। अगर नींद का ग़लबा न होता तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) नमाज़े इशा को पहले पढ़ने या बाद में पढ़ने को कोई अहमियत नहीं देते थे। कभी नमाज़ इशा से पहले आप सो भी लेते थे। इब्ने जुरैज ने कहा कि मैंने अ़ता से मा'लूम किया।

٥٧٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : ((لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا. وَقَدْ كَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ.

(571) तो उन्होंने फ़र्माया कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना था कि नबी करीम (ﷺ) ने एक रात इशा की नमाज़ में देर की जिसके नतीजे में लोग (मस्जिद ही में) सो

٥٧١- فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا

وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلاَةَ. قَالَ عَطَاءٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا)) فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً: كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِيَ الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلاَّ كَذَلِكَ، وَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا)).

[طرفه في : ٧٢٣٩].

गए, फिर बेदार हुए फिर सो गए, फिर बेदार हुए। आख़िर में उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) उठे और पुकारा, 'नमाज़' अ़ता ने कहा कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बतलाया कि उसके बाद नबी (ﷺ) घर से तशरीफ़ लाए। वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है जबकि आप (ﷺ) के सरे मुबारक से पानी के क़तरे टपक रहे थे और हाथ सर पर रखे हुए थे। आपने फ़र्माया कि अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल न हो जाती, तो मैं उन्हें हुक्म देता कि इशा की नमाज़ को इस वक़्त में पढ़ें। मैंने अ़ता से मज़ीद तह्क़ीक़ चाही कि नबी करीम (ﷺ) के हाथ सर पर रखने की कैफ़ियत क्या थी? इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने इस सिलसिले में किस तरह ख़बर दी थी। इस पर हज़रत अ़ता ने अपने हाथ की उँगलियाँ थोड़ी सी खोल दीं और उन्हें सर के एक किनारे पर रखा फिर उन्हें मिलाकर यूँ सर पर फेरने लगे कि उनका अंगूठा कान के इस किनारे से जो चेहरे से क़रीब है और दाढ़ी से जा लगा। न सुस्ती की और न जल्दी, बल्कि इस तरह किया। और कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न गुज़रती तो मैं हुक्म देता कि इस नमाज़ को इसी वक़्त पढ़ा करें।

(दीगर मक़ाम : 7239)

तश्रीह : सहाब–ए–किराम ताख़ीर की वजह से नमाज़ से पहले सो गए। पस मा'लूम हुआ कि ऐसे वक़्त में नमाज़े इशा से पहले भी सोना जाइज़ है बशर्ते कि नमाज़े इशा बा-जमाअ़त पढ़ी जा सके। जैसा कि यहाँ सहाब–ए–किराम का अ़मल मन्क़ूल है। यही बाब का मक़सद है– ला युक़स्सिर, का मतलब ये कि जैसे मैं हाथ फेर रहा हूं, इसी तरह फेरना इससे जल्दी फेरना इससे देर में । बाज़ नुस्ख़ों में लफ़्ज़ का यअ़स्सुर है तो तर्जुमा यूँ होगा न बालों को निचोड़ते, न हाथ में पकड़ते बल्कि इसी तरह करते यानी उंगलियों से बालों को दबाकर पानी निकाल रहे थे।

٢٥- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

बाब 25 : इस बारे में कि इशा की नमाज़ का वक़्त आधी रात तक रहता है

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.

और अबू बर्ज़ा (रज़ि.) सहाबी ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) इसमें देर करना पसंद फ़र्माया करते थे।

ये उस हदीष़ का टुकड़ा है जो ऊपर बाबु वक़्तिल अ़स्र में मौसूलन गुज़र चुकी है।

٥٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ

572) हमसे अ़ब्दुर्रहीम मुहारिबी ने बयान किया, कहा हमसे

ज़ाइद ने हुमैद तवील से, उन्होंने हज़रते अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने (एक दिन) इशा की नमाज़ आधी रात गए पढ़ी। और फ़र्माया कि दूसरे लोग नमाज़ पढ़कर सो गए होंगे। (यानी दूसरी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमान) और तुम लोग जब तक नमाज़ का इंतज़ार करते रहे (गोया सारे वक़्त) नमाज़ ही पढ़ते रहे। इब्ने मरयम ने इसमें ये ज़्यादा किया कि हमें यह्या बिन अय्यूब ने ख़बर दी। कहा मुझसे हुमैद तवील ने बयान किया, उन्होंने हज़रते अनस (रज़ि.) से ये सुना, 'गोया उस रात आपकी अंगूठी की चमक का नक़्शा इस वक़्त भी मेरी नज़रों के सामने चमक रहा है।' (दीगर मक़ाम : 600, 661, 847, 5869)

قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا)) وَزَادَ ابْنُ مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ. [أطرافه في : ٦٠٠، ٦٦١، ٨٤٧، ٥٨٦٩].

इब्ने मरयम की इस तअ़लीक़ के बयान करने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि हुमैद का सिमाअ़ हज़रत अनस (रज़ि.) से सराहतन साबित हो जाए।

बाब 26 : नमाज़े फ़ज्र की फ़ज़ीलत के बयान में

٢٦- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ

(573) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या ने इस्माईल से, कहा हमसे क़ैस ने बयान किया, कहा मुझसे जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे आप (ﷺ) ने चाँद की तरफ़ नज़र उठाई जो चौदहवीं रात का था। फिर फ़र्माया कि तुम लोग बे रोक-टोक अपने रब को देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो (उसे देखने में तुमको किसी क़िस्म की मुज़ाहमत न होगी) या ये फ़र्माया कि तुम्हें उसके दीदार में मुत्लक़ शुब्हा न होगा इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलूअ़ और ग़ुरूब से पहले (फ़ज्र और अ़स्र) की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही न हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। (क्योंकि उन्हीं के तुफ़ैल दीदारे इलाही नसीब होगा या इन्हीं वक़्तों में ये रुइयत मिलेगी) फिर आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, 'पस अपने रब के हम्द की तस्बीह पढ़ सूरज के निकलने और उसके डूबने से पहले।' इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह बुख़ारी (रह.) ने कहा कि इब्ने शिहाब ने इस्माईल के वास्ते से जो क़ैस से बवास्ता जरीर (रावी हैं) ये ज़्यादती नक़ल करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया 'तुम अपने रब को साफ़ देखोगे।'

(राजेअ़ 554)

٥٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: ((أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لاَ تُضَامُونَ - أَوْ لاَ تُضَاهُونَ - فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا)) ثُمَّ قَالَ: ((﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ زَادَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا.

[راجع: ٥٥٤]

जामेअ सग़ीर में इमाम सुयूती फ़र्माते हैं कि अस्र और फ़ज्र की तख़सीस इसलिये की गई कि दीदारे इलाही इन्हीं के अन्दाज़े पर हासिल होगा।

(574) हमसे हुदबा बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमसे हम्माम ने, उन्होंने कहा कि हमसे अबू हम्ज़ा ने बयान किया अबूबक्र बिन अबी मूसा अशअरी (रज़ि.) से, उन्होंने अपने बाप से कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने ठण्डे वक़्त की नमाज़ें (वक़्त पर) पढ़ीं (फ़ज्र और अस्र) तो वो जन्नत में दाख़िल होगा। इब्ने रजा ने कहा कि हमसे हम्माम ने अबू जम्रा से बयान किया कि अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह बिन क़ैस (रज़ि.) ने उन्हें इस हदीष की ख़बर दी। हमसे इस्हाक़ ने बयान किया, कहा हमसे हब्बान ने, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माम ने बयान किया, कहा हमसे अबू जम्रह ने बयान किया अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से, पहली हदीष की तरह।

٥٧٤- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)). وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَابَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَبُوجَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.. مِثْلَهُ

मक़सद ये है कि इन दोनों नमाज़ों को वक़्त पर पाबन्दी के साथ अदा किया। चूंकि इन अवक़ात में अकषर ग़फ़लत हो सकती है इसलिये इस खुसूसियत से इनका ज़िक्र किया। अस्र का वक़्त कारोबार में इन्तिहाई मश्गूलियत और फ़ज्र का वक़्त मीठी नीन्द सोने का वक़्त है, मगर अल्लाह वाले इनकी ख़ास तौर पर पाबन्दी करते हैं। अब्दुल्लाह बिन क़ैस, अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) का नाम है। इस तअलीक से हज़रत इमाम बुख़ारी की ग़र्ज़ ये है कि अबू बक्र बिन अबी मूसा जो अगली रिवायत में मज़कूर है वो हज़रत अबू मूसा अशअरी के बेटे हैं। इस तअलीक़ को ज़ुहली ने मौसूलन रिवायत किया है।

बाब 27 : नमाज़े फ़ज्र का वक़्त

٢٧- بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

(575) हमसे अम्र बिन आसिम ने ये हदीष बयान की, कहा हमसे हम्माम ने ये हदीष बयान की क़तादा से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि उन लोगों ने (एक बार) नबी (ﷺ) के साथ सहरी खाई, फिर नमाज़ के लिए खड़े हो गए। मैंने पूछा कि इन दोनों के बीच किस क़दर फ़ासला रहा होगा। फ़र्माया कि जितना पचास या साठ आयत पढ़ने में ख़र्च होता है इतना फ़ासला था। (दीगर मक़ाम : 1921)

٥٧٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ. يَعْنِي آيَةً.[طرفه في : ١٩٢١].

पचास या साठ आयतें पाँच दस मिनट में पढ़ी जा सकती है। इस हदीष से ये भी षाबित हुआ कि सहरी देर से खाना मसनून है, जो लोग सवेरे ही सहरी खा लेते है वो सुन्नत के ख़िलाफ़ करते हैं।

(576) हमसे हसन बिन सब्बाह ने ये हदीष बयान की, उन्होंने

٥٧٦- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ

रौहा बिन उबादा से सुना, उन्होंने कहा हमसे सईद ने बयान किया, उन्होंने क़तादा से रिवायत किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) और ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) ने सहरी खाई, फिर जब वो सहरी खाकर फ़ारिग़ हुए तो नमाज़ के लिए उठे और नमाज़ पढ़ी। हमने अनस (रज़ि.) से पूछा कि आपकी सहरी से फ़राग़त और नमाज़ की इब्तिदा में कितना फ़ासला था? उन्होंने फ़र्माया कि इतना कि एक शख़्स पचास आयतें पढ़ सके।

(दीगर मक़ाम : 1134)

رَوْحًا بْنَ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً.

[طرفه في : ١١٣٤].

(577) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, अपने भाई अब्दुल हमीद बिन अबी उवैस से, उन्होंने सुलैमान बिन बिलाल से, उन्होंने अबी हाज़िम सलमा बिन दीनार से कि उन्होंने सहल बिन सअद (रज़ि.) सहाबी से सुना। आपने फ़र्माया कि मैं अपने घर सेहरी खाता, फिर नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़े फ़ज्र पाने के लिए मुझे जल्दी करनी पड़ती थी। (दीगर मक़ाम : 1920)

٥٧٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ : كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِيْ ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بِيْ أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[طرفه في : ١٩٢٠].

(578) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें लैष ने ख़बर दी, उन्होंने अक़ील बिन ख़ालिद से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी, कि मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ फ़ज्र पढ़ने चादरों में लिपटकर आती थीं। फिर नमाज़ से फ़ारिग़ होकर जब अपने घरों को वापस होतीं तो उन्हें अँधेरे की वजह से कोई शख़्स पहचान नहीं सकता था। (राजेअ : 372)

٥٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ. [راجع: ٣٧٢]

इमामुद्दुन्या फ़िल हदीष क़द्दस सिर्रुहू ने जिस क़दर अहादीष यहाँ बयान की है, इनसे यही ज़ाहिर होता है कि नबी करीम (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ सुबह सादिक़ के तुलूअ होने के फ़ौरन बाद शुरू कर दिया करते थे और अभी काफ़ी अंधेरा रह जाता था आप (ﷺ) की नमाज़ ख़त्म हो जाया करती थी। लफ़्ज़ ग़लस का यही मतलब है कि फ़ज्र की नमाज़ आप अंधेरे ही में अव्वल वक़्त अदा फ़र्माया करते थे। हाँ एक दफ़ा आप (ﷺ) ने अवक़ाते नमाज़ की ता'लीम के लिये फ़ज्र की नमाज देर से भी अदा की है ताकि इस नमाज़ का भी अव्वल वक़्त 'ग़लस' और आख़री वक़्त 'इसफ़ार' मा'लूम हो जाए। इसके बाद हमेशा आप (ﷺ) ने ये नमाज़ अन्धेरे ही में अदा फ़र्माई है। जैसा कि हदीषे ज़ेल से ज़ाहिर है,

'अन अबी मस्ऊदिल अन्सारी अन्न रसूलल्लाहि ﷺ सल्ला सलातस्सुब्हि मर्रतन बि ग़लसिन षुम्म सल्ला मर्रतन उख़रा फ़अस्फ़र बिहा षुम्म कानत सलातुहू बअद ज़ालिकत्तग़लीसि हत्ता मात व लम यउद इला अंय्युस्फ़िर व रिज़ालुहू फ़ी सुननि अबी दाऊद रिज़ालुस्सहीहि'

यानी अबू मसऊद अन्सारी (रह.) से रिवायत है कि रसूल करीम (ﷺ) ने एक दफ़ा नमाज़े फ़ज्र ग़लस (अन्धेरे) में पढ़ाई और फिर एक मर्तबा इसफ़ार (यानी उजाले) में इसके बाद हमेशा आप (ﷺ) हमें नमाज़ अन्धेरे ही में पढ़ाते रहे। यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले फिर कभी आप (ﷺ) ने इस नमाज़ को इसफ़ार यानी उजाले में नहीं पढ़ाया।

हदीष आइशा के ज़ेल में अल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं–

'वल हदीषु यदुल्लु अला इस्तिहबाबिल मुबादरति बिस्सलातिल फ़ज्रि फ़ी अव्वलिल वक़्ति व क़दिख़्तलफ़ल उलमाउ फ़ी ज़ालिक फ़ज़हबल अत्तरतु व मालिक वश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ व अबू षौर वल औज़ाइ व दाऊद बिन अली व अबू जा'फ़र अत्तबरी व हुवल मर्वी अन उमर व उष्मान वब्नुज़्ज़ुबैरि व अनस व अबी मूसा व अबी हुरैरत इला अन्नत्तग़लीस अफ़ज़लु व अन्नल इस्फ़ार ग़ैर मन्दूबिन व हुकिय हाज़ल क़ौलुल हाज़मी अन बक़िय्यतिल ख़ुलफ़ाइल अरबअति वब्नि मस्ऊद व अबी मस्ऊद अल अन्सारी व अहलिल हिजाज़ि वहतजू बिल अहादीषिल मज़्कूरति फ़ी हाज़ल बाबि व ग़ैरिहा व लितस्रीहि अबी मस्ऊदिन फिल हदीषिल्आती बिअन्नहा कानत सलातुन्नबिय्यि ﷺ अत्तग़लीस हत्ता मात व लम यउद इल्लल इस्फ़ार' (नैलुल औतार जि. 2/स. 19)

ख़ुलासा ये कि इस हदीष और दीगर अहादीष से ये रोज़े रोशन की तरह षाबित है कि फ़ज्र की नमाज़ ग़लस यानी अन्धेरे ही में अफ़ज़ल है और ख़ुलफ़–ए–अरबआ और अकषर अइम्म–ए–दीन इमाम मालिक, शाफ़िई, अहमद, इस्हाक व अहले बैते नबवी और दीगर मज़्कूरा उलम–ए–आलाम का यही फ़त्वा है और अबू मसऊद की हदीष में ये सराहतन मौजूद है कि आँहज़रत (ﷺ) ने आख़िर वक़्त तक ग़लस ही में ये नमाज़ पढ़ाई , चुनान्चे मदीना मुनव्वरा और हरमे मुहतरम और सारे हिजाज में अलहम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम का यही अमल आज तक मौजूद है। आँहज़रत (ﷺ) के ज़्यादातर सहाबा का इस पर अमल रहा। जैसा कि इब्ने माजा में है, **'अन मुग़ीषिब्नि सुमय क़ाल सल्लयतु मअ अब्दिल्लाहिब्निज़्ज़ुबैरिस्सुब्ह बिग़लसिन फ़लम्मा सल्लम अक्बल्तु अला इब्नि उमर फक़ुल्तु मा हाज़िहिस्सलातु क़ाल हाज़िही सलातुना कानत मअ रसूलिल्लाहि स. व अबी बक्र व उमर फ़लम्मा तुइन उमरु अस्फ़र बिहा उष्मानु व इस्नादुहू सहीहुन'** (तोहफ़तुल अह्वज़ी जि. 1/स. 144) यानी मुग़ीष बिन सुमय नामी एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) के साथ फ़ज्र की नमाज़ ग़लस में यानी अन्धेरे में पढ़ी। सलाम फेरने के बाद मुक़्तदियों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी मौजूद थे। उनसे मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि आँहज़रत (ﷺ) के साथ हमारी नमाज़ इसी वक़्त हुआ करती थी हज़रत अबू बक्र व उमर (रज़ि.) के ज़मानों में भी ये नमाज़ ग़लस ही में अदा की जाती रही मगर जब हज़रत उमर (रज़ि.) पर नमाज़े फ़ज्र में हमला किया गया तो एहतियातन हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने उसे उजाले में पढ़ा।

इससे भी ज़ाहिर हुआ कि नमाज़े फ़ज्र का बेहतरीन वक़्त ग़लस यानी अन्धेरे ही में पढ़ना है। हनफ़िया के यहाँ इसके लिये इसफ़ार यानी उजाले में पढ़ना बेहतर माना गया है, मगर दलीलों के आधार पर ये ख़्याल दुरुस्त नहीं।

हनफ़िया की दलील राफ़िअ बिन ख़दीज (रज़ि.) की वो हदीष है जिसमें आँहज़रत (ﷺ) का क़ौल मज़्कूर है कि **असफ़िरु बिल फ़ज्र इन्नहू आज़म लिल अज्र।** यानी सुबह की नमाज़ उजाले में पढ़ो इसका षवाब ज़्यादा है। इस रिवायत का ये मतलब दुरुस्त नहीं कि सूरज निकलने के क़रीब होने पर ये नमाज़ अदा करो जैसा कि आजकल हनफ़िया का अमल है। इसका सही मतलब वो है जो इमाम तिर्मिज़ी ने अइम्म-ए-किराम से नक़ल किया है। चुनान्चे इमाम साहब फ़र्माते हैं, **'व क़ालश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ मअनल इस्फ़ारि अंय्यज़िहल फ़ज्रू फ़ला यशुक्कु फ़ीहि व लम यरौ अन्न मअनल इस्फ़ारि ताख़ीरुस्सलाति'** यानी इमाम शाफ़िई (रह.) व अहमद व इस्हाक फ़र्माते हैं कि यहाँ इस्फ़ार का मतलब ये है कि फ़ज्र ख़ूब वाजेह हो जाए कि किसी को शक व शुबहा की गुंजाइश न रहे और ये मतलब नहीं कि नमाज़ को ताख़ीर (देर) करके पढ़ा जाए (जैसा कि हनफ़िया का आम मामूल है) बहुत से अइम्म-ए-दीन ने इसका ये मतलब भी बयान किया है कि नमाज़े फ़ज्र को अन्धेरे में ग़लस में शुरू किया जाए और क़िरअत इस क़दर तवील पढ़ी जाए कि सलाम फेरने के वक़्त ख़ूब उजाला

हो जाए। हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा (रह.) के शागिर्दे रशीद हज़रत इमाम मुहम्मद (रह.) का भी यही मसलक है। (तफ़हीमुल बुख़ारी पारा 3 स. 33) हज़रत अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने ईलामुल मूक़िईन में भी यही तफ़्सील बयान की है।

याद रखने की बात :–

ये कि ज़िक्र किया गया इख़्तिलाफ़ (मतभेद) महज़ अव्वलियत व अफ़ज़लियत में हैं। वर्ना इसे हर शख़्स जानता व मानता है कि नमाज़े फ़ज्र का अव्वल वक़्त ग़लस और आख़िर वक़्त तुलू-ए-शम्स है और दरमियान में सारे वक़्त में ये नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इस तफ़्सील के बाद ता'ज्जुब है उन अवाम व ख़्वास बिरादराने अहनाफ़ पर ये कभी-भी ग़लस में नमाज़े फ़ज्र नहीं पढ़ते बल्कि किसी जगह अगर ग़लस में जमाअत नज़र आए तो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि हरमैन शरीफ़ैन में भी कितने भाई नमाज़े फ़ज्र अव्वल वक्त जमाअत के साथ नहीं पढ़ते, इस ख़्याल के आधार पर कि ये उनका मसलक नहीं है। ये अमल और ऐसा ज़हन बेहद ग़लत है। अल्लाह नेक समझ अता करे। खुद अहनाफ़ के बड़े उलमा के यहाँ बाज़ दफ़ा ग़लस का अमल रहा है।

देवबन्द में नमाज़े फ़ज्र ग़लस में :–

साहिबे तफ़हीमुल बुख़ारी देवबन्दी फ़र्माते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने जिन अहादीष़ का ज़िक्र किया है, इसमें क़ाबिले ग़ौर बात ये है कि तीन पहली अहादीष़ रमज़ान के महीने में नमाज़े फ़ज्र पढ़ने से मुता'ल्लिक़ है क्योंकि इन तीनों में है कि हम सहरी खाने के बाद नमाज़ पढ़ते थे। इसलिये ये भी मुमकिन है कि रमज़ान की ज़रूरत की वजह से सहरी के बाद फ़ौरन पढ़ ली जाती रही कि सहरी के लिए जो लोग उठे है कहीं रात के बीच की इस बेदारी के नतीजे में वो ग़फ़लत की नीन्द न सो जाएँ और नमाज़ ही फ़ौत हो जाए। चुनान्चे दारुल उलूम देवबन्द में अकाबिर के अहद से इस पर अमल रहा है कि रमज़ान में सहरी के फ़ौरन बाद फ़ज्र की नमाज़ शुरू हो जाती है। (तफ़हीमुल बुख़ारी पारा 3 स. 34)

मोहतरम ने यहाँ जिस एहतमाल का ज़िक्र फ़र्माया है इसकी तर्दीद के लिए हदीषे अबू मसऊद अन्सारी (रज़ि.) काफ़ी है जिसमें साफ़ मौजूद है कि आँहज़रत (ﷺ) का नमाज़े फ़ज्र के बारे में हमेशा ग़लस में पढ़ने का अमल रहा। यहाँ तक कि दुनिया से तशरीफ़ ले गए, इसमें रमज़ान वग़ैरह का कोई इम्तियाज़ (फ़र्क़) न था।

बाज़ अहले इल्म ने हदीषे इस्फ़ार की ये तावील भी की है कि गर्मियों में रातें छोटी होती है इसलिये इस्फ़ार कर लिया जाये ताकि अकष़र लोग शरीके जमाअत हो सकें और सर्दियों में रात तवील होती है इसलिये उनमें ये नमाज़ ग़लस ही में अदा की जाए।

बहरहाल मज़बूत व ठोस दलीलों से ष़ाबित है कि नमाज़े फ़ज्र ग़लस में अफ़ज़ल है और इस्फ़ार में जाइज़ है। इस पर लड़ना और झगड़ना और इसे वजहे इफ़्तिराक़ बनाना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में आमिलों को लिखा था कि फ़ज्र की नमाज़ उस वक्त पढ़ा करो जब तारे गहने हुए आसमान पर साफ़ नज़र आते हो। यानी अव्वल वक्त में पढ़ा करो।

बाब 28 : फ़ज्र की एक रकअत पाने वाला

٢٨- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

(579) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अनी ने बयान किया इमाम मालिक से, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अता बिन यसार और बुस्र बिन सईद और अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अअरज से, इन तीनों ने अबू हुरैरह (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने फ़ज्र की नमाज़ की एक

٥٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

رَكْعَةً (जमाअ़त के साथ) सूरज तुलूअ होने से पहले पा ली उसने फ़ज्र की नमाज़ (बाजमाअ़त का ष़वाब) पा लिया। और जिसने अ़स्र की एक रकअ़त (जमाअ़त के साथ) सूरज डूबने से पहले पा ली, उसने अ़स्र की नमाज़ (बाजमाअ़त का ष़वाब) पा लिया। (राजेअ़ : 556)

ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)).

[راجع: ٥٥٦]

अब उसे चाहिये कि बाक़ी नमाज़ बिला तरद्दुद पूरी कर ले। उसको नमाज़ वक़्त ही में अदा करने का ष़वाब ह़ासिल होगा।

बाब 29 : जो कोई किसी नमाज़ की एक रकअ़त पा ले, उसने वो नमाज़ पा ली

٢٩- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً

(580) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब से, उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) से उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने एक रकअ़त नमाज़ (बजमाअ़त) पा ली उसने नमाज़ (बजमाअ़त का ष़वाब) पा लिया। (राजेअ़ : 556)

٥٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ)).

[راجع: ٥٥٦]

तश्रीह : अगला बाब फ़ज्र और अ़स्र की नमाज़ों से ख़ास था और ये बाब हर नमाज़ को शामिल है जिसका मत़लब ये है कि जिस नमाज़ की एक रकअ़त वक़्त गुज़रने से पहले मिल गई तो गोया उसे सारी नमाज़ मिल गई। अब उसकी भी ये नमाज़ अदा ही मानी जाएगी, क़ज़ा न मानी जाएगी। इमाम नववी (रह.) फ़र्माते हैं कि इस सारे पर मुसलमानों का इजमाअ़ है कि पस वो नमाज़ी अपनी नमाज़ पूरी कर ले, इस ह़दीष़ से ये भी ष़ाबित हुआ कि अगर किसी नमाज़ का वक़्त एक रकअ़त पढ़ने तक का बाक़ी हो और उस वक़्त कोई क़ाफ़िर मुसलमान हो जाए या कोई लड़का बालिग़ हो जाए या कोई दीवाना होश में आ जाए या हाइज़ा औ़रत पाक हो जाए तो उस नमाज़ का पढ़ना उसके ऊपर फ़र्ज़ होगा।

बाब 30 : इस बयान में कि सुबह की नमाज़ के बाद सूरज बुलंद होने तक नमाज़ पढ़ने के बारे में क्या हुक्म है

٣٠- بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

(581) हमसे ह़फ़्स बिन उ़मर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उन्होंने क़तादा बिन दआमा से, उन्होंने अबुल आ़लिया रफ़ीअ़ से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, फ़र्माया कि मेरे सामने चंद मुअ़तबर ह़ज़रात ने गवाही दी, जिनमें सबसे ज़्यादा मोलतबर मेरे नज़दीक ह़ज़रते उ़मर (रज़ि.) थे, कि नबी (ﷺ) ने फ़ज्र कीनमाज़ के बाद सूरज बुलंद होने तक और अ़स्र की नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक नमाज़ पढ़ने से मना

٥٨١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى

फ़र्माया।

تَغْرُبَ)) .

हमसे मुसद्दद बिन मुसरहिद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने शुअबा से, उन्होंने क़तादा से कि मैंने अबुल आलिया से सुना, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते थे कि उन्होंने फ़र्माया कि मुझसे चंद लोगों ने ये हदीष़ बयान की। (जो ऊपर ज़िक्र हुई है)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا.

(582) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने हिशाम बिन उर्वा से, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वालिद उर्वा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ पढ़ने के लिये सूरज तुलूअ और ग़ुरूब होने के इंतिज़ार न बैठ रहो। (दीगर मक़ाम : 585, 589, 1192, 1629, 3283)

٥٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا)) .

[أطرافه في : ٥٨٥، ٥٨٩، ١١٩٢، ١٦٢٩، ٣٢٧٣].

(583) हज़रत उर्वा ने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब सूरज का ऊपर का किनारा तुलूअ होने लगे तो नमाज़ न पढ़ो यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए। और जब सूरज डूबने लगे उस वक़्त भी नमाज़ न पढ़ो, यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाए। इस हदीष़ को यह्या बिन सईद क़त्तान के साथ अब्दह बिन सुलैमान ने भी रिवायत किया है। (दीगर मक़ाम : 3272)

٥٨٣- وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبَ)). تَابَعَهُ عَبْدَةُ.

[طرفه في : ٣٢٧٢].

(584) हमसे उबैद बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने अबी सलमा के वास्ते से बयान किया। उन्होंने उबैदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने ख़ुबैब बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हफ़्स बिन आसिम से, उन्होंने हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने दो तरह की ख़रीदो-फ़रोख़्त और दो तरह के लिबास और दो वक़्तों की नमाज़ों से मना फ़र्माया। आप (ﷺ) ने नमाज़ फ़ज्र के बाद सूरज निकलने तक और नमाज़े अस्र के बाद सूरज ग़ुरूब होने तक नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया (और कपड़ों में) इश्तिमाले स़म्मा यानी एक कपड़ा अपने ऊपर इस तरह लपेट लेना कि शर्मगाह खुल जाए और (एह्तिबा) यानी एक कपड़े में गोट मारकर बैठने से मना फ़र्माया। (और ख़रीदो-फ़रोख़्त में) आप (ﷺ) ने

٥٨٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ

मुनाबज़ा और मुलामसा से मना फ़र्माया।

(राजेअ : 368)

إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَ الْمُلاَمَسَةِ. [راجع: ٣٦٨]

तश्रीह : दिन और रात में कुछ वक़्त ऐसे है जिनमें नमाज़ अदा करना मकरुह है। सूरज निकलते वक़्त और ठीक दोपहर में और अ़स्र की नमाज़ के बाद गुरुबे शम्स तक और फ़ज्र की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक हाँ अगर कोई फ़र्ज़ की नमाज़ क़ज़ा हो गई हो उसका पढ़ लेना जाइज़ है और फ़ज्र की सुन्नतें भी जमाअ़त होते हुए पढ़ते रहते हैं वो ह़दीष़ के ख़िलाफ़ करते हैं।

दो लिबासों से मुराद एक इश्तिमाले समा है यानी एक कपड़े का सारे बदन पर इस त़रह लपेट लेना कि हाथ वग़ैरह कुछ बाहर न निकल सके और इहतिबा एक कपड़े में गोट मारकर इस त़रह बैठना कि पाँव पेट से अलग हो और शर्मगाह आसमान की त़रफ़ खुली रहे।

दो ख़रीद व फ़रोख़्त में अव्वल बैअ़े मुनाबज़ा ये है कि मुश्तरी (बेचने वाला) या बायेअ जब अपना कपड़ा उस पर फेंक दे तो वो बैअ़ लाज़िम हो जाए और बैअ़े मुलामसा ये कि मुश्तरी का या मुश्तरी (बेचने वाले का कपड़ा) छू ले तो बैअ़ पूरी हो जाए, इस्लाम ने इन सबको बन्द कर दिया।

बाब 31 : इस बारे में कि सूरज छुपने से पहले क़स्द करके नमाज़ न पढ़े

٣١- بَابُ لاَ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

(585) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया कि कहा हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ़ से ख़बर दी, उन्होंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि कोई तुममें से इंतिज़ार में न बैठा रहे कि सूरज तुलूअ़ होते ही नमाज़ के लिये खड़ा हो जाए। इसी तरह़ सूरज के डूबने के इंतिज़ार में भी न बैठा रहना चाहिए। (राजेअ़ : 582)

٥٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا)). [راجع: ٥٨٢]

(586) हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने स़ालेह से ये ह़दीष़ बयान की, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा मुझसे अ़त़ा बिन यज़ीद जुंदई लैष़ी ने बयान किया कि उन्होंने ह़ज़रते अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना। उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि फ़ज्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ सूरज के बुलंद होने तक न पढ़ी जाए। इसी तरह़ अ़स्र की नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज़ न पढ़ी जाए।

(दीगर मक़ाम : 1188, 1197, 1864, 1996, 1995)

٥٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)).

[أطرافه في : ١١٨٨، ١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٢، ١٩٩٥].

(587) हमसे मुहम्मद बिन अबान ने बयान किया, कहा कि हमसे गुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने हदीष़ बयान की अबुत तियाह यज़ीद बिन हमीद से, कहा कि मैंने हुम्रान बिन अबान से सुना, वो मुआविया बिन अबी सुफ़यान (रज़ि.) से ये हदीष़ बयान करते थे कि उन्होंने फ़र्माया कि तुम लोग तो एक ऐसी नमाज़ पढ़ते हो कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुहबत में रहे लेकिन हमने कभी आप (ﷺ) को वो नमाज़ पढ़ते नहीं देखा बल्कि आपने तो उससे मना फ़र्माया था। हज़रत मुआविया (रज़ि.) की मुराद अ़स्र के बाद दो रकअ़तों से थी। (जिसे आपके ज़माने में कुछ लोग पढ़ते थे) (दीगर मक़ाम : 3766)

٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: ((إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا. وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا)) يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

[طرفه في : ٣٧٦٦].

इस्माईली की रिवायत में है हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने हमको ख़ुतबा सुनाया, हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि शायद हज़रत मुआविया (रज़ि.) के अ़स्र के बाद दो सुन्नतों को मना किया लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत से उनका पढ़ना ष़ाबित होता है मगर आप उनको मस्जिद में नहीं पढ़ा करते थे। अकष़र उलमा ने इसे ख़ुसूसियाते नबवी में शुमार किया है जैसा विसाल का रोज़ा आप रखते थे और उम्मत के लिये मना फ़र्माया। इसी तरह उम्मत के लिये अ़स्र के बाद नफ़िल नमाज़ों की इजाज़त नहीं है।

(588) हमसे मुहम्मद बिन सलमा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दह ने बयान किया, उन्होंने उबैदुल्लाह से ख़बर दी, उन्होने ख़ुबैब से, उन्होंने हफ़्स बिन आ़सिम से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने दो वक़्तों की नमाज़ पढ़ने से मना किया। नमाज़े फ़ज्र के बाद सूरज निकलने तक और नमाज़े अ़स्र के बाद सूरज ग़ुरूब होने तक। (राजेअ़ : 368)

٥٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)). [راجع: ٣٦٨]

बाब 32 : उस शख़्स की दलील जिसने फ़क़त अ़स्र और फ़ज्र के बाद नमाज़ को मकरूह रखा है

٣٢- بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ إِلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

इसको हज़रत उ़मर, इब्ने उ़मर, अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया।

رَوَاهُ عُمَرُ، وابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيْدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ.

(589) हमसे अबुन नोअ़मान मुहम्मद बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब से बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ़ से, उन्होंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि जिस तरह मैंने अपने साथियों को नमाज़ पढ़ते देखा। मैं भी उसी तरह नमाज़ पढ़ता हूँ। किसी को रोकता नहीं। दिन और रात के जिस हिस्से में जी चाहे नमाज़ पढ़ सकता है। अलबत्ता सूरज

٥٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ. لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا شَاءَ. غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ

के तुलूअ और ग़ुरूब के वक़्त नमाज़ न पढ़ा करो। (राजेअ: 582)

الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا. [راجع: ٥٨٢]

ऐन ज़वाल का वक़्त भी नमाज़ पढ़ने की मुमानअत सही अहादीष से षाबित है। मगर मा'लूम होता है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) को कोई ऐसी रिवायत इस बाब में नहीं मिली जो इनकी शराइत के मुताबिक़ सही हो।

बाब 33 : अ़स्र के बाद क़ज़ा नमाज़ें या उसकी तरह मष़लन जनाज़े की नमाज़ वग़ैरह पढ़ना

٣٣- بَابُ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

और कुरैब ने हज़रते उम्मे सलमा (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने अ़स्र के बाद दो रकअ़ात पढ़ीं, फिर फ़र्माया बनू अ़ब्दुल क़ैस के वफ़्द से बातचीत की वजह से ज़ुहर की दो रकअ़तें नहीं पढ़ सका था।

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: ((شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)).

चुनान्चे इनको आपने अ़स्र के बाद अदा फ़र्माया। फिर आप (ﷺ) घर में उनको अदा करते ही रहे और ये आपकी ख़ुसूयित में से हैं, उम्मत के लिये ये मना है मगर क़स्तलानी ने कहा कि मुहद्दिष़ीन ने इससे दलील ली है कि फ़ौतशुदा नवाफ़िल का अ़स्र के बाद पढ़ना भी दुरुस्त है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का यही रुज़हान मालूम होता है।

(590) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कि कहा हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ऐमन ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ऐमन ने हदीष़ बयान की कि उन्होंने आइशा (रज़ि.) से सुना। आपने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम! जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने यहाँ बुला लिया। आप (ﷺ) ने अ़स्र के बाद की दो रकअ़तों को कभी तर्क नहीं फ़र्माया, यहाँ तक कि आप अल्लाह पाक से जा मिले। और आपको वफ़ात से पहले नमाज़ पढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। फिर अकष़र आप बैठकर नमाज़ अदा फ़र्माया करते थे। अगरचे नबी करीम (ﷺ) उन्हें पूरी पाबन्दी के साथ पढ़ते थे लेकिन इस डर से कि कहीं (स़हाबा भी पढ़ने लगे और इस तरह) उम्मत को गिराँ बारी हो, उन्हें आप (ﷺ) मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। आप (ﷺ) को अपनी उम्मत का हल्का रखना पसंद था।

٥٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالَّذِيْ ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيْرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا، وَلاَ يُصَلِّيْهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

[أطرافه في: ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ١٦٣١].

इससे ये भी मा'लूम हुआ कि ये नमाज़ आप (ﷺ) की ख़ुसूस़ियात में दाख़िल थी।

(591) हमसे मुसद्दद बिन मुस़्हिद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप उ़र्वा ने ख़बर दी, कहा कि आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरे भांजे! नबी करीम (ﷺ) ने अ़स्र

٥٩١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ : ابْنَ أُخْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ

ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ قَطُّ.
[راجع: ٥٩٠]

के बाद की दो रकआ़त मेरे यहाँ कभी तर्क नहीं कीं।
(राजेअ़ : 590)

यानी आप (ﷺ) घर तशरीफ़ लाकर ज़रूर उनको पढ़ लिया करते थे और ये अ़मल आपके साथ ख़ास था।

٥٩٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. [راجع: ٥٩٠]

(592) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा हमसे शैबानी ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अस्वद ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि दो रकअ़तों को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी तर्क नहीं फ़र्माया। पोशीदा हो या आ़म लोगों के सामने, सुबह की नमाज़ से पहले दो रकआ़त और अ़स्र की नमाज़ के बाद दो रकआ़त। (राजेअ़ : 590)

٥٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَأْتِيْنِيْ فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)).

(593) हमसे मुहम्मद बिन अ़रअ़रा ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने अबू इस्हाक़ से बयान किया, कहा कि हमने अस्वद बिन यज़ीद और मसरूक़ बिन अज्दअ़ को देखा कि उन्होंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के इस कहने पर गवाही दी कि नबी करीम (ﷺ) जब भी मेरे घर में अ़स्र के बाद तशरीफ़ लाए तो दो रकअ़त ज़रूर पढ़ते।

मगर उम्मत के लिये आप (ﷺ) ने अ़स्र के बाद नफ़िल नमाज़ों से मना फ़र्माया।

٣٤- بَابُ التَّبْكِيْرِ بِالصَّلاَةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

बाब 34 : अब्र (बादल या बारिश) के दिनों में नमाज़ के लिए जल्दी करना (यानी सवेरे पढ़ना)

٥٩٤- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيْحِ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِيْ غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ)). [راجع: ٥٥٣]

(594) हमसे मुआ़ज बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कषीर से बयान किया, वो क़िलाबा से नक़ल करते हैं कि अबुल मलीह आ़मिर बिन उसामा हज़्ली ने उनसे बयान किया, उन्होंने कहा कि हम अब्र के दिन एक बार बुरैदा बिन ह़सीब (रज़ि.) स़हाबी के साथ थे, उन्होंने फ़र्माया कि नमाज़ सवेरे पढ़ा करो क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि जिसने अ़स्र की नमाज़ छोड़ दी उसका अ़मल अकारत हो गया। (राजेअ़ : 553)

यानीउसके आ़माल का ष़वाब मिट गया। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये ह़दीष़ नक़ल करके इस ह़दीष़ के दूसरे तरीक़ की त़रफ़ इशारा किया है। जिसे इस्माईली ने निकाला है और जिसमें स़ाफ़ यूँ है कि अब्र के दिन नमाज़ सवेरे पढ़ लो क्योंकि जिसने

अस्र की नमाज़ छोड़ी, उसके सारे नेक आमाल बर्बाद हो गये। हज़रत इमाम की आदत है कि वो बाब ही उस हदीष़ पर लाते हैं जिससे आपका मक़सद दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा करना होता है जिसको आपने बयान नहीं फ़र्माया।

बाब 35 : वक़्त निकल जाने के बाद नमाज़ पढ़ते वक़्त अज़ान देना

٣٥- بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

(595) हमसे इमरान बिन मैसरा ने रिवायत किया, कहा हमसे मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन बिन अ़ब्दुर्रहमान ने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप से, कहा हम (ख़ैबर से लौटकर) नबी करमी (ﷺ) के साथ रात में सफ़र कर रहे थे। किसी ने कहा कि हुज़ूर (ﷺ)! आप अब पड़ाव डाल देते तो बेहतर होता। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे डर है कहीं नमाज़ के वक़्त भी तुम सोते न रह जाओ। इस पर हज़रत बिलाल (रज़ि.) बोले कि मैं आप सब लोगों को जगा दूँगा। चुनाँचे सब लोग लेट गए। और हज़रते बिलाल (रज़ि.) ने भी अपनी पीठ कजावा से लगा ली और उनकी भी आँख लग गई। और जब नबी करीम (ﷺ) बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था। आपने फ़र्माया बिलाल (रज़ि.)! तूने क्या कहा था। वो बोले आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। फिर रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला तुम्हारी अरवाह (रूहों) को जब चाहता है क़ब्ज़ कर लेता है और जिस वक़्त चाहता है वापस कर देता है। ऐ बिलाल! उठ और अज़ान दे। फिर आप (ﷺ) ने वुज़ू किया और जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप (ﷺ) खड़े हुए और नमाज़ पढ़ाई।

(दीगर मक़ाम : 7471)

٥٩٥- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ)). قَالَ بِلاَلٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ. فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: ((يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟)) قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ: ((إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِيْنَ شَاءَ. يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ)). فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى.

[طرفه في : ٧٤٧١].

तश्रीह : इस हदीष़ शरीफ़ से क़ज़ा-ए-नमाज़ के लिये अज़ान देना षाबित हुआ। इमाम शाफ़िई (रह.) का क़दीम क़ौल यही है और यही मज़हब है इमाम अहमद अबू षोर और इब्ने मुन्ज़िर का और अहले हदीष़ के नज़दीक जिस नमाज़ से आदमी सो जाये या भूल जाये फिर जागे या याद आये और उसको पढ़ ले तो वो अदा होगी न कि क़ज़ा क्योंकि सहीह हदीष़ में है कि उस का वक़्त वही है जब आदमी जागा या उसको याद आई। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम)

बाब 36 : इस बारे में जिसने वक़्त निकल जाने के बाद क़ज़ा नमाज़ लोगों के साथ जमाअ़त से पढ़ी

٣٦- بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

(596) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने हदीष़ नक़ल की, उन्होंने

٥٩٦- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا)). فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.[أطرافه في: ٥٩٨، ٦٤١، ٩٤٥، ٤١١٢].

कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी कसीर से रिवायत किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से कि हज़रते उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ग़ज़्व-ए-ख़ंदक़ के मौक़े पर (एक बार) सूरज ग़ुरूब होने के बाद आए और वो कुफ़्फ़ारे कुरैश को बुरा भला कह रहे थे। और आपने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! सूरज ग़ुरूब हो गया, और नमाज़े अ़स्र पढ़ना मेरे लिए मुम्किन न हो सका। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी-ए-बत्हान में गए और आपने वहाँ नमाज़ के लिए वुज़ू किया, हमने भी वुज़ू किया। उस वक़्त सूरज डूब चुका था। पहले आप (ﷺ) ने अ़स्र पढ़ाई उसके बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ी।

(दीगर मक़ाम : 598, 641, 945, 4112)

तश्रीह : जंगे ख़न्दक़ या अह्ज़ाब पाँच हिजरी में हुई। तफ़सीली ज़िक्र अपनी जगह आयेगा। इस रिवायत में गोया सराहत नहीं है कि आप (ﷺ) ने जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ी मगर आप (ﷺ) की आ़दते मुबारका यही थी कि लोगों के साथ जमाअ़त से नमाज़ पढ़ते। लिहाज़ा ये नमाज़ भी आप (ﷺ) ने जमाअ़त ही से पढ़ी होगी और इस्माईली की रिवायत में साफ यूँ ज़िक्र है कि आप (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) के साथ नमाज़ पढ़ी।

इस ह़दीष़ की शरह़ में अ़ल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, '**(क़ौलुहू मा कित्तु) लफ़्ज़ुहू काद मिन अफ़आलिल मुक़ारबति फ़इज़ा कुल्त काद ज़ैदुन यक़ूमु फ़ुहिम मिन्हु अन्नहू क़ारिबुल क़ियामि व लम यक़ुम कमा तक़र्ररून फ़िन्नहवि वल ह़दीषु यदुल्लु अ़ला वुजूबि क़ज़ाइस्सलातिल मतरूकति लि उ़ज़्रिल इश्तिग़ालि बिल क़ितालि व क़द वक़अल ख़िलाफ़ु फ़ी सबबि तर्किन्नबिय्यि ﷺ व अस्हाबिही लिहाज़िहिस्सलाति फ़क़ील तरकूहा निस्यानन व क़ील शग़लू फ़लम यतमक्कनू व हुवल अक़रबु कमा क़ालल हाफ़िज़ु व फ़ी सुननिन्नसइ अन अबी सईदिन अन्न ज़ालिक क़ब्ल अंय्युनज़िल्लाहु फ़ी सलातिल ख़ौफ़ि फ़रिजालन औ रुक्बानन व सयातिल ह़दीषु व क़दिस्तुदिल्ल बिहाज़ल ह़दीषि अ़ला वुजूबित्तरतीबि बैनलफ़वाइतिल मक़्ज़िय्यति वल मौदाति**' (नैलुल औतार जिल्द 2/स. 31)

यानी लफ़्ज़े काद अफ़आले मुक़ारबा से है। जब तुम **काद ज़ैदुन यक़ूम** (यानी ज़ैद क़रीब हुआ कि खड़ा हो) बोलोगे तो इससे समझा जायेगा कि ज़ैद खड़े होने के क़रीब तो हुआ मगर खड़ा नहीं हो सका जैसा कि नह़्व में क़ायदा मुक़र्रर है पस रिवायत में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के बयान का मक़सद ये कि नमाज़े अ़स्र के लिये उन्होंने आख़िर वक़्त तक कोशिश की मगर वो अदा न कर सके। ह़ज़रत मौलाना वह़ीदुज़्ज़मा मरहूम के तर्जुमे में नफ़ी की जगह इष्बात है कि आख़िर वक़्त में उन्होंने अ़स्र की नमाज़ पढ़ ली। मगर इमाम **शौकानी** की वज़ाहत और ह़दीष़ का सियाक़ व सबाक़ बतला रहा है कि नफ़ी ही का तर्जुमा दुरुस्त है कि वो नमाज़े अ़स्र अदा न कर सके थे इसीलिये वो ख़ुद फ़र्मा रहे हैं कि **फ़-तवज्जअलिस्सलाति व तवज़्ज़अना लहा** कि आपने भी वुज़ू किया और हमने भी इसके लिये वुज़ू किया।)

ये ह़दीष़ दलील है कि जो नमाज़े जंग व जिहाद की मशग़ूलियत या और किसी शरई वजह से छूट जाये उनकी क़ज़ा वाजिब है और इसमें इख़्तिलाफ़ है कि नबी (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) से नमाज़ क्यों तर्क हुई। बाज़ भूलचूक की वजह

बयान करते हैं और बाज़ का बयान है कि जंग की तेज़ी और मसरुफियत की वजह से ऐसा हुआ और यही दुरुस्त मा'लूम होता है। जैसा कि ह़ाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़र्माया है और निसाई से ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.) की रिवायत में है कि ये स़लाते ख़ौफ़ के नुज़ूल से पहले का वाक़िआ है। जबकि हुक्म था कि हालते जंग में पैदल या सवार जिस त़रह भी मुमकिन हो नमाज़ अदा कर ली जाये। इस ह़दीष़ से ये भी ष़ाबित हुआ कि फ़ौत होने वाली नमाज़ों को तर्तीब के साथ अदा करना वाजिब है।

बाब 37 : जो शख़्स कोई नमाज़ भूल जाए तो जब याद आए उस वक़्त पढ़ ले और फ़क़त़ वही नमाज़ पढ़े और इब्राहीम नख़ई ने कहा जो शख़्स बीस साल तक एक नमाज़ छोड़ दे तो फ़क़त़ वही एक नमाज़ पढ़ ले

٣٧- بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، وَلاَ يُعِيْدُ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ
وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِيْنَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ.

(597) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन और मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन दोनों ने कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने क़तादा से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया अगर कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो जब याद आ जाए उसको पढ़ ले। इस क़ज़ा के सिवा और कोई कफ़्फ़ारा उसकी वजह से नहीं होता। और (अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि) नमाज़ मेरे याद आने पर कायम कर। मूसा ने कहा कि हमसे हम्माम ने ह़दीष़ बयान की कि मैंने क़तादा (रज़ि.) से सुना यूँ पढ़ते थे नमाज़ पढ़ मेरी याद के लिये। ह़ब्बान बिन हिलाल ने कहा, हमसे हम्माम ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस ने, उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से, फिर ऐसी ही ह़दीष़ बयान की।

٥٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالاَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾)). قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى﴾. وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

इससे इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्स़द उन लोगों की तर्दीद है जो कहते हैं कि क़ज़ा शुदा नमाज़ दोबारा पढ़े। एक बार जब याद आये और दूसरी बार दूसरे दिन उसके वक़्त पर पढ़े उस मौके पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने आयते शरीफ़ा **व अक़िमिस्स़लात लिज़िक्री** इसलिये तिलावत फ़र्माई कि क़ज़ा नमाज़ जब भी याद आ जाये उसका वही वक़्त है, उस वक़्त उसे पढ़ लिया जाये। शारिह़ीन लिखते हैं, '**फ़िल्आयति वुजूहुम्मिनल मआनी अक़्रबुहा मुनासबतुन बिज़ालिकल ह़दीष़ि अंय्युकाल अक़िमिस्स़लात वक़्त ज़िक्रिहा फ़इन्न ज़िक्रस़्स़लाति हुव ज़िक्रुल्लाहि तआला औ युक़द्दरुल मुज़ाफ़ु फ़युकालु अक़िमिस्स़लात वक़्त ज़िक्रि स़लाती**' यानी नमाज़ याद आने के वक़्त पर क़ायम करो।

बाब 38 : अगर कई नमाज़ें क़ज़ा हो जाएँ तो उनको तर्तीब के साथ पढ़ना

٣٨- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الأُوْلَى فَالأُوْلَى

(598) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने हदीष़ बयान की, कहा कि हमसे यह्या जो अबी कष़ीर के बेटे हैं, ने हदीष़ बयान की अबू सलमा से, उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि उमर (रज़ि.) ग़ज़्व-ए-ख़ंदक़ के मौक़े पर (एक दिन) कुफ़्फ़ार को बुरा–भला कहने लगे। फ़र्माया कि सूरज गुरूब हो गया, लेकिन मैं (लड़ाई की वजह से) नमाज़े अस्र न पढ़ सका। जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर हम वादी-ए-बुत्हान की तरफ़ गए। और (आप ﷺ ने अस्र की नमाज़) गुरूबे शम्स के बाद पढ़ी उसके बाद मग़्रिब पढ़ी। (राजेअ : 596)

٥٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ فَقَالَ: يَا مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ. قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.
[راجع: ٥٩٦]

हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है कि आपने पहले अस्र की नमाज़ अदा की फिर मग़रिब की। ष़ाबित हुआ कि फ़ौतशुदा नमाज़ों में तर्तीब का ख़याल ज़रूरी है।

बाब 39 : इशा की नमाज़ के बाद समर यानी दुनिया की बातें करना मकरूह है

٣٩- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

सामिर का लफ़्ज़ जो क़ुर्आन में है समर ही से निकला है। उसकी जमा (बहुवचन) सुम्मार है और लफ़्ज़े सामिर इस आयत में जमा के मा'नी में है। समर अस़ल में चांद की रोशनी को कहते हैं, अहले अरब चांदनी रातों में गपशप किया करते थे।

السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
السامر والجمع السُّمَّار و السامر ههنا في موضع الجمع و أصل السمر ضوء لون القمر و كانوا يتحدثون فيه.

सूरह मोमिनून में ये आयत है **मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजरून** यानी तुम मेरी आयतों पर अकड़ के बेहूदा बकवास किया करते थे। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ये आदत है कि हदीष़ में कोई लफ़्ज़ क़ुर्आन शरीफ़ का आ जाए तो उसकी तफ़सीर भी साथ ही बयान कर देते हैं।

(599) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा हमसे यह्या इब्ने सईद क़त्तान ने, कहा हमसे औफ़ अअ़राबी ने, कहा कि हमसे अबुल मिन्हाल सय्यार बिन सलमा ने, उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप सलमा के साथ बर्ज़ा असलमी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उनसे मेरे वालिद स़ाहब ने पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ)! फ़र्ज़ नमाज़ें किस तरह (यानी किन–किन अवक़ात में) पढ़ते थे। हमसे इसके बारे में बयान फ़र्माइये। उन्होंने फ़र्माया कि आप (ﷺ) जहीर (ज़ुहर) जिसे तुम स़लाते ऊला कहते हो सूरज ढलते ही पढ़ते थे और आप (ﷺ) के अस्र पढ़ने के बाद कोई शख़्स अपने घर वापस होता और वो भी मदीना सबसे आख़िरी किनारे पर तो सूरज अभी स़ाफ़ और रोशन होता। मग़्रिब के बारे

٥٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ -وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى- حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ.

में आपने जो कुछ भी बताया मुझे याद नहीं रहा। और फ़र्माया कि इशा में आप (ﷺ) देर करना पसंद फ़र्माते थे। इससे पहले सोने को और इसके बाद बात करने को पसंद नहीं करते थे। सुबह की नमाज़ से जब आप (ﷺ) फ़ारिग़ होते तो हम अपने क़रीब बैठे हुए दूसरे शख़्स को पहचान लेते। आप (ﷺ) फ़ज्र में साठ से सौ तक आयतें पढ़ते थे। (राजेअ : 100)

وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

[راجع: ١٠٠]

बाब 40 : इस बारे में कि मसले—मसाइल की बातें और नेक बातें इशा के बाद भी करना दुरुस्त है

٤٠- بَابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

(600) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन स़ब्बाह़ ने बयान किया, कहा हमसे अबू अ़ली उ़बैदुल्लाह ह़नफ़ी ने, कहा हमसे क़ुर्रा बिन ख़ालिद सदूसी ने, उन्होंने कहा कि एक दिन ह़ज़रते ह़सन बस़री (रह.) ने बड़ी देर की। और हम आपका इंतिज़ार करते रहे। जब उनके उठने का वक़्त क़रीब हो गया तो आप आए और (बतौरे मअ़ज़रत) फ़र्माया कि मेरे इन पड़ौसियों ने मुझे बुला लिया था (इसलिये देर हो गई) फिर बतलाया कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा था कि हम एक रात नबी करीम (ﷺ) का इंतिज़ार करते रहे। तक़रीबन आधी रात हो गई तो आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए, फिर हमें नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद ख़ुत्बा दिया। फिर आपने फ़र्माया कि दूसरों ने नमाज़ पढ़ ली और सो गए। लेकिन तुम लोग जब तक नमाज़ के इंतिज़ार में रहे हो गोया नमाज़ ही की हालत में रहे हो। इमाम ह़सन बस़री (रह.) ने फ़र्माया कि अगर लोग किसी ख़ैर के इंतिज़ार में बैठे रहें तो वो भी ख़ैर की ह़ालत ही में हैं। क़ुर्रा बिन ख़ालिद ने कहा कि ह़सन का ये क़ौल भी ह़ज़रते अनस (रज़ि.) की ह़दीष़ का है जो उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है। (राजेअ : 572)

٦٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ، وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيْرَانُنَا هَؤُلاَءِ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: ((أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُوْنَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ)). قَالَ قُرَّةُ: هُوَ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ٥٧٢]

तशरीह : तिर्मिज़ी ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की एक ह़दीष़ रिवायत की है कि नबी करीम (ﷺ) और अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) रात में मुसलमानों मुआमलात के बारे में गुफ़्तगू फ़र्माया करते थे और मैं भी उसमें शरीक रहता था। यानी अगरचे आम ह़ालात में इशा के बाद सो जाना चाहिए लेकिन अगर कोई भलाई का काम पेश आ जाए या इल्मी व दीनी कोई काम करना हो तो इशा के बाद जागने में बशर्ते कि सुबह की नमाज़ छूटने का ख़तरा न हो कोई मुज़ायक़ा नहीं। इमाम ह़सन बसरी (रह.) का मामूल था कि रोज़ाना रात में ता'लीम के लिये मस्जिद में बैठा करते थे लेकिन आज आने में देर की और उस वक़्त आये जब ये ता'लीमी मजलिस ह़स्बे मामूल ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ह़ज़रत ह़सन (रज़ि.) ने उसके बाद लोगों को नसीह़त की

और फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) ने एक मर्तबा देर से नमाज़ पढ़ाई और यही फ़र्माया। ये ह़दीष़ दूसरी सनदों के साथ पहले भी गुज़र चुकी है इससे ये ष़ाबित होता है कि इशा के बाद दीन और भलाई की बातें करना ममनूअ नहीं है।

(601) हमसे अबुल यमान ह़कम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब बिन अबी ह़म्ज़ा ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) और अबूबक्र बिन अबी ह़ष़्मा ने ह़दीष़ बयान की कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ी अपनी ज़िंदगी के आख़री ज़माने में। सलाम फेरने के बाद आप (ﷺ) खड़े हुए और फ़र्माया कि इस रात के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? आज इस रूए ज़मीन पर जितने इंसान ज़िन्दा हैं। सौ साल बाद इनमें से कोई भी बाक़ी नहीं रहेगा। लोगों ने आँहुज़ूर (ﷺ) का कलाम समझने में ग़लती की और मुख़्तलिफ़ बातें करने लगे। (अबू मसऊद रज़ि. ने ये समझा कि सौ बरस बाद क़यामत आएगी) ह़ालाँकि आपका मक़्सद सिर्फ़ ये था कि जो लोग आज (इस बातचीत के वक़्त) ज़मीन पर बसते हैं। उनमें से कोई भी आज से एक सदी बाद बाक़ी नहीं रहेगा। आप (ﷺ) का मतलब ये था कि सौ बरस में ये क़र्न (ज़माना) गुज़र जाएगा।

(राजेअ : 116)

٦٠١- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ)). فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ. وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ)). يُرِيْدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.

[راجع: ١١٦]

तश्रीह : सबसे आख़िर में इन्तिक़ाल करने वाले सहाबा अबुत्तुफ़ैल आमिर बिन वाष़्ला (रज़ि.) है और इनका इन्तिक़ाल 110 हिजरी में हुआ यानी आँहज़रत (ﷺ) की पेशीनगोई के ठीक सौ साल बाद। कुछ लोगों ने इस ह़दीष़ को सुनकर ये समझ लियार था कि सौ साल बाद क़यामत आ जायेगी। हालांकि ह़दीष़े नबवी का मंशा ये न था बल्कि सिर्फ़ ये था कि एक सौ बरस गुज़रने पर एक दूसरी नस्ल वुजूद में आ गई होगी और मौजूदा नस्ल ख़त्म हो चुकी होगी। ह़दीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 41 : अपनी बीवी या मेहमान से रात को (इशा के बाद) बातचीत करना

٤١- بَابُ السَّمَرِ مَعَ الأَهْلِ وَالضَّيْفِ

(602) हमसे अबुन नोअ़मान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअ़तमिर बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे उनके बाप सुलैमान बिन तुरख़ान ने, कहा कि हमसे अबू उ़ष़्मान नह्दी ने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि .) से ये ह़दीष़ बयान की कि अस्हाबे सुफ़्फ़ा नादार मिस्कीन लोग थे और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसके घर में दो आदमियों का खाना

٦٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ

हो तो वो तीसरे (अस्हाब सुफ़्फ़ा में से किसी) को अपने साथ लेता जाए। और जिसके यहाँ चार आदमियों का खाना है तो पांचवें या छठे आदमी को सायबान वालों में से अपने साथ ले जाए। पस अबूबक्र (रज़ि .) तीन आदमियों को अपने साथ लाए और नबी करीम (ﷺ) दस आदमियों को अपने साथ ले गए। अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि घर के अफ़राद में उस वक़्त बाप, माँ और मैं था। अबू उ़स्मान रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र ने ये कहा या नहीं कि मेरी बीवी और एक ख़ादिम जो मेरे और अबूबक्र (रज़ि.) दोनों के घर के लिए था ये भी थे। ख़ैर अबूबक्र (रज़ि .) नबी करीम (ﷺ) के यहाँ ठहर गए। (और गालिबन खाना भी वहीं खाया, सूरत ये हुई कि) नमाज़े इशा तक वहीं रहे। फिर (मस्जिद से) नबी करीम (ﷺ) के हुजर-ए-मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे इसलिए नबी करीम (ﷺ) ने भी खाना खा लिया। और रात का एक हिस्सा गुज़र जाने के बाद अल्लाह तआ़ला ने चाहा तो आप घर तशरीफ़ लाए तो उनकी बीवी (उम्मे रुम्मान) ने कहा कि क्या बात पेश आई कि मेहमानों की ख़बर भी आपने न ली, या ये कहा कि मेहमान की ख़बर न ली। आपने पूछा, क्या तुमने अभी उन्हें रात का खाना नहीं खिलाया। उम्मे रुम्मान ने कहा कि मैं क्या करूँ? आपके आने तक उन्होंने खाने से मना कर दिया। खाने के लिए उनसे कहा गया था लेकिन वो न माने। अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं डरकर छुप गया। अबूबक्र (रज़ि.) ने पुकारा ऐ गुंसर! (यानी ओ पाजी!) आपने बुरा–भला कहा और कोसने लगे। फ़र्माया कि खाओ तुम्हें मुबारक न हो! अल्लाह की क़सम! मैं इस खाने को कभी नहीं खाऊँ गा। (आख़िर मेहमानों को खाना खिलाया गया (अ़ब्दुर्रहमान रज़ि. ने कहा) अल्लाह गवाह है कि हम इधर एक लुक्मा लेते थे और नीचे से पहले से भी ज़्यादा खाना हो जाता था, बयान किया कि सब लोग शिकमसेर हो गए (पेट भर गया)। और खाना पहले से भी ज़्यादा बच गया। अबूबक्र (रज़ि.) ने देखा तो खाना पहले ही इतना या इससे भी ज़्यादा था। अपनी बीवी से बोले। बनू फ़रास की बहन! ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी आँख की ठंडक की क़सम! ये तो पहले से तीन गुना है। फिर

اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٍ فَخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ)). وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - فَلاَ أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي - وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ- قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ. فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ - وَجَدَّعَ وَسَبَّ - وَقَالَ: كُلُوا لاَ هَنِيئًا لَكُمْ. فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا. وَايْمُ اللهِ، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا. قَالَ : حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُوبَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ. فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مِرَارٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوبَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ

अबूबक्र (रज़ि.) ने भी वो खाना खाया। और कहा कि मेरा क़सम खाना एक शैतानी वस्वसा था। फिर एक लुक्मा उसमें से खाया, नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में बक़िया खाना ले गए और आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए। वो सुबह तक आपके पास रखा रहा। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हम मुसलमानों का एक दूसरे क़बीले के लोगों से मुआहदा था और मुआहदा की मुद्दत पूरी हो चुकी थी (इस क़बीले का वफ़्द मुआहदा के बारे में बातचीत करने मदीने में आया हुआ था) हमने उनमें से बारह आदमी अलग किये और हर एक के साथ कितने आदमी थे अल्लाह ही को मा'लूम है उन सबने उसमें से खाया। अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने कुछ ऐसे ही कहा।
(दीगर मक़ाम : 3581, 6140, 6141)

رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ وَاللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. أَوْ كَمَا قَالَ.

[أطرافه في : ٣٥٨١، ٦١٤٠، ٦١٤١].

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने मेहमानों को घर भेज दिया था और घरवालों को कहलवा भेजा था कि मेहमानों को खाना खिला दे लेकिन मेहमान ये चाहते थे कि आप ही के साथ खाना खायें, इधर आप मुतमईन (संतुष्ट) थे इसलिये ये सूरत पेश आई फिर आपके आने पर उन्होंने खाना खाया। दूसरी रिवायतों में ये भी है कि सबने पेट भरकर खाना खा लिया और उसके बाद भी खाने में कोई कमी नहीं हुई। ये हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की करामत थी। करामते औलिया बरहक़ है। मगर अहले बिदअत ने जो झूठी करामातें गढ़ ली है वो महज़ लायानी हैं अल्लाह तआला उन्हें हिदायत दे।

10. किताबुल अज़ान

अज़ान के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बाब 1 : इस बयान में कि अज़ान क्यूँ कर शुरू हुई

١ - بَابُ بَدْءِ الأَذَانِ

और अल्लाह तआला के इस इर्शाद की वज़ाहत कि 'और जब तुम नमाज़ के लिए अज़ान देते हो, तो वो इसको मज़ाक़ और खेल बना

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

लेते हैं। ये इस वजह से कि ये लोग न समझ हैं।' (अल माइदा : 58)

يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة : ٥٨].

और अल्लाह तआला का इर्शाद है कि जब तुम्हें जुम्अे के दिन नमाज़े जुम्आ के लिए पुकारा जाए। तो (अल्लाह की याद के लिए फ़ौरन चले आओ।) (अल जुमुआ : 9)

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة : ٩].

(603) हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने अबू क़िलाबा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि (नमाज़ के वक़्त के ऐलान के लिए) लोगों ने आग और नाक़ूस का ज़िक्र किया। फिर यहूदो-नस़ारा का ज़िक्र आ गया। फिर बिलाल (रज़ि.) को ये हुक्म हुआ कि अज़ान के कलिमात दो-दो मर्तबा कहें और इक़ामत में एक-एक मर्तबा। (दीगर मक़ामात : 605, 606, 607, 3457)

٦٠٣- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ.

[أطرافه في : ٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧، ٣٤٥٧].

तश्रीह : अमीरुल मुहद्दिष़ीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल अज़ान काइम फ़र्माकर **बाबु बदइल अज़ान** को कुर्आन पाक की दो आयाते मुक़द्दसा से शुरू फ़र्माया जिसका मक़सद ये है कि अज़ान की फ़ज़ीलत कुर्आन शरीफ़ से षाबित है और इस तरफ़ भी इशारा है कि अज़ान की इब्तिदा मदीना में हुई क्योंकि ये दोनों सूरतें जिनकी आयतें नक़ल की गई है यानी सूरह माइदा और सूरह जुमुआ ये मदीना में नाज़िल हुई है। अज़ान की तफ़सीलात के मुता'ल्लिक़ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम फ़र्माते हैं-

'व हुव फ़िल्लुग़ाति अल्इलाम व फ़िश्शरइ इअलाम बि वक़्तिस्सलाति बि अलफ़ाज़िन मख़सूसह' यानी लुग़त (डिक्शनरी) में अज़ान के माना इत्तिला करना और शरअ में मख़सूस लफ़्ज़ों के साथ नमाज़ों के अवक़ात की इत्तिला करना।

हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में तामीरे मस्जिदे नबवी के बाद सोचा गया कि मुसलमानों को नमाज़ के लिये वक़्ते मुक़र्ररा पर किस तरह इत्तिला की जाये। चुनान्चे यहूद व नसारा व मजूस के प्रचलित तरीक़े सामने आये जो वो अपनी इबादत गाह में लोगों को बुलाने के लिये इस्ते'माल करते हैं। इस्लाम में इन सब चीज़ों को नापसन्द किया गया कि इबादते इलाही के बुलाने के लिए घण्टे या नाकूस का इस्ते'माल किया जाये या इसकी इत्तिला के लिये आग रोशन कर दी जाये। ये मसला दरपेश ही था कि एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी ख़ज़रजी (रज़ि.) ने ख़्वाब में देखा कि एक शख़्स उनको नमाज़ के वक़्तों की इत्तिला के लिए मुरव्वजा (जो कही जाती है) अज़ान के अल्फ़ाज़ सिखा रहा है वो सुबह इस ख़्वाब को आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में पेश करने आए तो देखा गया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) भी दौड़े चले आ रहे हैं और आप भी हलफ़िया बयान देते हैं कि ख़्वाब में उनको भी हूबहू इन्हीं कलिमात की तलक़ीन की गई है। आँहज़रत (ﷺ) इन बयानात को सुनकर खुश हुए और फ़र्माया कि ये ख़्वाब बिल्कुल सच्चे हैं। अब यही तरीक़ा राइज़ (प्रचलित) कर दिया गया ये ख़्वाब का वाक़िआ मस्जिदे नबवी की तामीर के बाद पहले साल ही का है। जैसा कि हाफ़िज़ ने तहज़ीबुत्तहज़ीब में बयान किया है कि आपने जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से फ़र्माया कि तुम ये अल्फ़ाज़ बिलाल (रज़ि.) को सिखा दो, उनकी आवाज़ बहुत बुलन्द है।

इस हदीष़ और इसके अलावा और भी अनेक अहादीष में तकबीर (इक़ामत) के अल्फ़ाज़ एक-एक मर्तबा अदा करने का ज़िक्र है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं-

'क़ालल ख़त्ताबी मज़हबु जुम्हूरिल उलमाइ वल्लज़ी जर बिहिल अमलु फ़िल्हरमैनि वल हिजाज़ि

वश्शामि वल यमनि व मिस्र वल मग़रिबि इला अक़्सा बिलादिल इस्लामि अन्नल इक़ामत फ़ुरादा' यानी इमाम ख़त्ताबी ने कहा कि जुम्हूर उलमा का यही फ़तवा है तकबीरे इक़ामत इकहरी कही जाये। हरमैन और हिजाज़ और शाम और यमन और मिस्र और दूरदराज़ तक तमाम ममालिके इस्लामिया ग़रबिया में यही मामूल है कि तकबीरे इक़ामत इकहरी कही जाती है।

अगरचे तकबीरे इक़ामत में जुम्ला अल्फ़ाज़ का दो-दो दफ़ा मिष्ले अज़ान के कहना भी जाइज़ है मगर तरजीह उसी को है कि तकबीरे इक़ामत इकहरी कही जाये। मगर बिरादराने अहनाफ़ इसका न सिर्फ़ इन्कार करते हैं बल्कि इक्हरी तकबीर सुनकर बेशतर चौंक जाते हैं और दोबारा तकबीर अपने तरीक़ पर कहलवाते हैं। ये रवैया किस क़दर ग़लत है कि एक जाइज़ काम, जिस पर दुनिय-ए-इस्लाम का अमल है, उससे इस क़दर नफ़रत की जाये। बाज़ उलम-ए-अहनाफ़ ने इकहरी तकबीर वाली हदीष को मन्सूख़ क़रार दिया है और कई तरह की हल्के क़िस्म की तावीलात से काम लिया है। हज़रत अश्शैख़ुल कबीर वल मुहद्दिषुल जलील अ़ल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं–**'वल्हक़्क़ु अन्न अहादीष इफ़रादिल इक़ामति सहीहतुन षाबिततुन मुहकमतुन लैस बिमन्सूख़तिन व ला बिमुअल्लतिन'** (तोहफ़तुल अहवज़ी) यानी हक़ बात यही है कि इक्हरी तकबीर की अहादीष सहीह और षाबित है। इस क़दर मज़बूत है कि न वे मन्सूख़ है और न तावील के क़ाबिल है। इसी तरह तकबीर दो-दो दफ़ा कहने की अहादीष भी मुह्कम है। पस मेरे नज़दीक तकबीर इकहरी कहना भी जाइज़ है और दोहरी कहना भी जाइज़ है। तकबीर इकहरी के वक़्त अल्फ़ाज़ **क़द क़ामतिस्सलात क़द क़ामतिस्सलात** दो-दो दफ़ा कहने होंगे जैसा कि रिवायात में मज़कूर है।

हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं–**'व हुव मअ क़िल्लति अल्फ़ाज़िही मुश्तमिलुन अ़ला मसाइलिल अक़ाइदि कमा बय्यन ज़ालिकल हाफ़िज़ु फ़िल फ़त्हि नक़्लन अनिल क़ुर्तुबी'** यानी अज़ान में अगर्चे अल्फ़ाज़ थोड़े हैं मगर उसमें अकाइद के बहुत से मसाइल आ गए हैं जैसा कि फ़त्हुलबारी में हाफ़िज़ ने क़ुर्तुबी से नक़ल किया है जिसका खुलासा ये है कि–

'अज़ान के कलिमात बावजूद क़िल्लते अल्फ़ाज़, दीन के बुनियादी अक़ाइद और शआइर (निशानियों) पर मुश्तमिल (आधारित) है। सबसे पहला लफ़्ज़ **'अल्लाहु अकबर'** ये बताता है कि अल्लाह तआ़ला मौजूद है और सबसे बड़ा है' ये लफ़्ज़ अल्लाह तआ़ला की किब्रियाई और अज़्मत पर दलालत करता है। **'अशहदुअल्ला-इलाहा इल्ललाह'** बजाते ख़ुद एक अ़क़ीदा है और कलिम-ए-शहादत का जुज़ ये लफ़्ज़ बताता है कि अल्लाह तआ़ला अकेला और यक्ता है और वही माबूद है। कलिम-ए-शहादत का दूसरा जुज़ **'अशहदुअन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह'** है। जिससे मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत व नुबुव्वत की गवाही दी जाती है। **'हय्य अ़लस्सलाह'** पुकार है उसकी जिसने अल्लाह की वहदानियत और मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत की गवाही दे दी वो नमाज़ के लिये आये कि नमाज़ काइम की जा रही है। इस नमाज़ के पहचानने वाले और अपने क़ौल व फ़ेअ़ल से उसके तरीक़ों के बतलाने वाले रसूलुल्लाह (ﷺ) ही थे। इसलिये आप (ﷺ) की रिसालत की शहादत के बाद फ़ौरन ही इसकी दावत दी गई और अगर नमाज़ आपने पढ़ ली और एहतिमाम व इकमाल के साथ आपने उसे अदा किया तो ये इस बात की ज़मानत है कि आपने **'फ़लाह'** हासिल कर ली। **'हय्य अलल फ़लाह'** नमाज़ के लिये आइये, आपको यहाँ फ़लाह यानी दाइमी बक़ा और हयाते आख़िरत की ज़मानत दी जायेगी। आइये, चले आइये कि **अल्लाह के सिवा इबादत के लायक़ और कोई नहीं** उसकी अ़ज़्मत व किब्रियाई के साये में आपको दुनिया और आख़िरत के शुरूर व आफ़तों से पनाह मिल जायेगी। अव्वल भी अल्लाह है आख़िर भी अल्लाह– ख़ालिक़े कुल, मालिक यक्ता और माबूद। पस उसकी दी हुई ज़मानत से बढ़कर और कौनसी ज़मानत हो सकती है। **अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।** (तफ़हीमुल बुख़ारी)

(604) हमसे महमूद बिन ग़ैलान ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम ने, कहा कि हमें अ़ब्दुल मलिक इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे नाफ़ेअ़ ने ख़बर दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन इ़मर (रज़ि.) कहते थे कि जब मुसलमान (हिजरत करके) मदीना पहुँचे तो वक़्त मुक़र्रर करके नमाज़ के लिए आते थे। उसके लिए अज़ान नहीं दी जाती थी। एक दिन इस बारे में मश्वरा हुआ,

٦٠٤– حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ

किसी ने कहा नसारा की तरह एक घंटा ले लिया जाए और किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह नरसिंगा (बिगुल) बना लो, उसको फूंक दिया करो। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि किसी शख़्स को क्यूँ न भेज दिया जाए जो नमाज़ के लिए पुकार दिया करे। इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने (इसी राय को पसंद फ़र्माया और बिलाल से) फ़र्माया कि बिलाल! उठ और नमाज़ के लिए अज़ान दे।

يُنَادِي لَهَا. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا بِلاَلُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ)) .

बाब 2 : इस बारे में कि अज़ान के कलिमात दो-दो मर्तबा कहे जाएँ

٢- بَابُ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

(605) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया सिमाक बिन अतिया से, उन्होंने अय्यूब सख़्तियानी से, उन्होंने अबू क़िलाबा से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया गया कि अज़ान के कलिमात दो–दो मर्तबा कहें और सिवा 'क़द क़ामतिस्सला' के तक्बीर के कलिमात एक एक बार कहें। (राजेअ : 603)

٦٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الإِقَامَةَ. [راجع: ٦٠٣]

(606) हमसे मुहम्मद बिन सलमा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वह्हाब स़क़फ़ी ने बयान किया, हमसे ख़ालिद बिन मेह्रान हज़्ज़ाअ ने अबू क़िलाबा अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद हर्मी से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि जब मुसलमान ज़्यादा हो गए तो मश्वरा हुआ कि किसी ऐसी चीज़ के ज़रिये नमाज़ के वक़्त का ऐलान हो जिससे सब लोग समझ लें। कुछ लोगों ने ज़िक्र किया कि आग रोशन की जाए। या नरसिंगा के ज़रिये ऐलान करे। लेकिन अख़ीर में बिलाल को हुक्म दिया गया कि अज़ान के कलिमात दो–दो बार कहें और तक्बीरात के एक–एक बार। (राजेअ : 603)

٦٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ سَلاَمٍ - قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، ((فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ)) . [راجع: ٦٠٣]

तश्रीह : अज़ान के बारे में बाज़ रिवायात में पन्द्रह कलिमात वारिद हुए हैं जैसा कि अवाम में अज़ान का मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़ा है। कुछ रिवायतों में उन्नीस कलिमात आये हैं और ये इस आधार पर कि अज़ान तर्जीअ के साथ दी जाये। जिसका मतलब ये है कि शहादत के हर दो कलिमों को पहले दो-दो मर्तबा आहिस्ता–आहिस्ता कहा जाये फिर उन्हीं को दो-दो मर्तबा बुलन्द आवाज़ से कहा जाये।

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इन लफ़्ज़ों में बाब मुनअक़िद किया है– **बाबु मा जाऊ फ़ित्तरजीअ फ़िल अज़ान।** यानी तर्जीअ के साथ अज़ान कहने के बयान में। फिर आप यहाँ हदीष़े अबू महज़ूरा (रह.) को लाये हैं। जिससे अज़ान में तर्जीअ ष़ाबित है। चुनान्चे खुद इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं– **'क़ाल अबू ईसा हदीषु अबी महज़ूरत फिल अज़ानि हदीषुन स़हीहुन व क़द रूविय अन्हु मिन ग़ैरि वज्हिन व अलैहिल अमलु बिमक्कत व हुव क़ौलुश्शाफ़िइ'** यानी अज़ान के

बारे में अबू महज़ूरा की हदीष़ सहीह है जो मुख़्तलिफ़ तुरुक़ से मरवी है। मक्का शरीफ़ में इसी पर अमल है और इमाम शाफ़िई का भी यही क़ौल है। इमाम नववी हदीषे अबू महज़ूरा के तहत फ़र्माते हैं– **'फ़ी हाज़ल हदीषि हुज्जतुन बय्यिनतुन व दलालतुन वाज़िहतुन लिमज़्हबि मालिक वशाफ़िइ व जुम्हूरिल उलमाइ अन्नत्तरजीअ फ़िल अज़ानि ष़ाबितुन मश्रूउन व हुवल ऊदु इलश्शहादतैनि मर्रतैनि बिरफ़इस्सौति बअद क़ौलिहिमा मर्रतैनि बिख़फ़्ज़िस्सौति'** (नववी शरह मुस्लिम) यानी हदीषे अबी महज़ूरा रोशन वाज़ेह दलील है कि अज़ान में तर्जीअ मशरूअ है और वो ये है कि पहले कलिमात शहादतैन को आहिस्ता आवाज़ से दो-दो मर्तबा अदा करके बाद में बुलन्द आवाज़ से फिर दो-दो मर्तबा दोहराया जाये। इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई और जुम्हूर का यही मज़हब है। हज़रत अबू महज़ूरा की रिवायत तिर्मिज़ी के अलावा मुस्लिम और अबू दाऊद में भी तफ़्सील के साथ मौजूद है। फ़ुक़हा-ए-अहनाफ़ रहिमहुमुल्ला अजमईन तर्जीअ के क़ाइल नहीं हैं और उन्होंने रिवायत अबू महज़ूरा की मुख़्तलिफ़ तौजीहात की है।

तरजीअ के साथ अज़ान कहने का बयान :

अल मुहद्दिषुल कबीर हज़रत अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं– **'व अजाब अन हाज़िहिरिवायाति मल्लम यक़ुल बित्तर्जीइ बिअज्विबतिन कुल्लुहा मख़्दूशतुन वाहियतुन'** (तोहफ़तुल अहवज़ी) यानी जो हज़रात तरजीअ के कायल नहीं है उन्होंने रिवायाते अबू महज़ूरा (रह.) के मुख़्तलिफ़ जवाबात दिए हैं जो सब मख़दूश और वाहियात हैं। कोई उनमें क़ाबिले तवज्जह नहीं। इनकी बड़ी दलील अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की हदीष़ है जिसमें तरजीअ का ज़िक्र नहीं है।

अल्लामा मुबारकपुरी मरहूम इस बारे में फ़र्माते हैं कि हदीषे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद में फ़ज्र की अज़ान में कलिमात **'अस्सलातु ख़ैरुमिनन्नौम'** का भी ज़िक्र नहीं है और ये ज़्यादती भी हदीष़ अबू महज़ूरा ही से ष़ाबित है जिसे मोहतरम फ़ुक़हा-ए-अहनाफ़ ने क़ुबूल फ़र्मा लिया है। फिर कोई वजह नहीं कि तरजीअ के बारे में अबू महज़ूरा की ज़्यादती को क़ुबूल न किया जाये।

'क़ुल्तु फ़ज़ालिक युक़ालु अन्नत्तर्जीअ व इल्लम यकुन फ़ी हदीषि अब्दिल्लाहिब्नि ज़ैदिन फ़क़द अल्लमहुल्लाहु रसूलुल्लाहि ﷺ ज़ालिक अबा महज़ूरत बअद ज़ालिक फ़लम्मा अल्लमहू रसूलुल्लाहि ﷺ. अबा महज़ूरत कान ज़्यादतुन अला मा फ़ी हदीषि अब्दिल्लाहिब्नि ज़ैदिन फ़वजब इस्तिमालुहू' (तोहफ़तुल अहवज़ी)

यानी अगर्चे तरजीअ की ज़्यादती हदीषे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद में मज़कूर नहीं है मगर जिस तरह फ़ज्र में आप ने अबू महज़ूरा (रज़ि.) को **अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौम** के अल्फ़ाज़ की ज़्यादती ता'लीम फ़र्माई। ऐसे ही आपने तरजीअ की भी ज़्यादती ता'लीम फ़र्माई। पस इसका इस्तेमाल ज़रूरी हुआ, लिहाज़ा एक ही हदीष़ के आधे हिस्से को लेना और आधे का इन्कार कर देना क़रीन–ए–इन्साफ़ नहीं है।

हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.) : साहिबे तफ़हीमुल बुख़ारी (देवबन्दी) तरजीअ की अज़ान के बारे में हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी (रह.) का मसलक इन लफ़्ज़ों में बयान फ़र्माते हैं–

''हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) जिन्हें आँहज़रत (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के बाद मस्जिदुल हराम का मुअज़्ज़िन मुक़र्रर किया था वो इसी तरह (तरजीअ के साथ) अज़ान देते थे जिस तरह इमाम शाफ़िई (रह.) का मसलक है और उनका ये भी बयान था कि नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें इसी तरह सिखाया था।' नबी करीम (ﷺ) की हयात में बराबर आप इसी तरह (तरजीअ से) अज़ान देते रहे और फिर सहाबा किराम (रज़ि.) के तवील दौर में भी आपका यही अमल रहा। किसी ने उन्हें इससे नहीं रोका। इसके बाद भी मक्का में इसी तरह अज़ान दी जाती रही। लिहाज़ा अज़ान का ये तरीक़ा मकरूह हरगिज़ नहीं हो सकता। साहिबे बहरुर्राइक ने यही फ़ैसला किया है और इस आख़री दौर में शाह साहब कश्मीरी (रह.) ने भी इस फ़ैसला को दुरुस्त कहा है। (तफ़हीमुल बुख़ारी किताबुलअज़ान, पा. 3/ स. 50)

ये मुख़्तसर तफ़सील इसलिये दीगई कि हमारे मुअज़्ज़ज़ हनफ़ी भाइयों की अकषरियत अव्वल तो तरजीअ की अज़ान से वाकिफ़ ही नहीं और अगर इत्तिफ़ाक़न कहीं किसी अहले हदीष़ मस्जिद में इसे सुन पाते हैं तो हैरत से सुनते हैं बल्कि बाज़

लोग इन्कार करते हुए नाक-भौं भी चढ़ाने लग जाते हैं। उन पर वाजेह होना चाहिए कि वो अपनी नावाक़िफ़ियत के आधार पर ऐसा कर रहे हैं।

रही ये बह्ष कि तरजीअ के साथ अज़ान देना अफ़ज़ल है या बग़ैर तरजीअ के जैसा आमतौर पर मुरव्वज है इस लफ़्ज़ी बह्ष में जाने की ज़रुरत नहीं है। दोनों तरीक़े जाइज़ व दुरुस्त है। बाहमी इत्तिफ़ाक़ और रवादारी के लिये इतना ही समझ लेना काफी वाफी है।

हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी फ़र्माते हैं – **'कुल्तु हाज़ा हुवल हक़्क़ु अन्नल वज्हैनि जाइज़ानि षाबितानि मश्रूआनि सुन्नतानि मिन सुननिन्नबिय्यि ﷺ'** (मिर्आतुल मफ़ातीह जि. 1/स. 422) यानी हक़ ये है कि दोनों तरीक़े जायज़ और षाबित हैं और आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नतों में से हैं।

पस इस बारे में बाहमी तौर पर लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं अल्लाह पाक मुसलमानों को नेक समझ अता करे कि वो इन फ़ुरुई मसाइल पर लड़ना छोड़कर बाहमी इत्तिफ़ाक़ पैदा करें । आमीन।

बाब 3 : इस बारे में कि सिवाए 'क़द क़ामतिस्सलात' के इक़ामत के कलिमात एक–एक बार कहे जाएँ

٣– بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلاَّ قَوْلَهُ: ((قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ))

(607) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम बिन अलिया ने बयान किया, कहा हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने अबू क़िलाबा से बयान किया, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि बिलाल (रज़ि.) को हुक्म मिला कि अज़ान के कलिमात दो–दो बार कहें और तक्बीर में यही कलिमात एक–एक बार। इस्माईल ने बताया कि मैंने अय्यूब सख़्तियानी से इस हदीष का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा मगर लफ़्ज़ 'क़द क़ामतिस्सलात' दो ही बार कहा जाएगा। (राजेअ : 603)

٦٠٧– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ فَقَالَ : إِلاَّ الإِقَامَةَ. [راجع: ٦٠٣]

तश्रीह : इमामुल मुहद्दिषीन (रह.) ने इकहरी इक़ामत के मसनून होने के बारे में ये बाब मुनअक़िद फ़र्माया है और हदीषे बिलाल (रज़ि.) से उसे मुदल्लल किया है। यहाँ सेग़–ए–मजहूल ज़मिर बिलाल वारिद हुआ है। मगर बाज़ तरीक़–ए–सहीह से सराहत के साथ मौजूद है कि **अन्नन्नबिय्य (ﷺ) अमर बिलालन अय्यंश्फ़अल अज़ान व यूतिरल इक़ामत (कज़ा रवाहुन्नसइ)** यानी हज़रत बिलाल को इकहरी तकबीर का हुक्म फ़र्माने वाले ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) ही थे। मुहद्दिष मुबारकपुरी साहब (रह.) तोह्फ़तुल अह्वजी में फ़र्माते हैं–

'बिहाज़ा ज़हर बुत्लानु क़ौलिल ऐनी फ़ी शर्हिल कन्ज़ि ला हुज्जतलहुम फ़ीहि लिअन्नहू लम यज़्कुरि ल अम्रू फ़यहतमिलु अंय्यकून हुवन्नबिय्यु ﷺ औ ग़ैरहु' (तोह्फ़तुल अह्वज़ी)

यानी सुनने निसई में आई हुई तफ़्सील से अल्लामा ऐनी के उस क़ौल का बुतलान ज़ाहिर हो गया जो उन्होंने शरह कन्ज़ में लिखा है कि इस हदीष में एहतेमाल है कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म करने वाले रसूले करीम (ﷺ) हो या आपके अलावा कोई और हो। लिहाज़ा इससे इकहरी तकबीर का षुबूत सहीह नहीं है। ये अल्लामा ऐनी साहब मरहूम की तावील किस क़दर बातिल है, मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत नहीं। इकहरी तकबीर के बारे में अहमद, अबूदाऊद, नसई में इस क़दर रिवायात है कि सब को जमा करने की यहाँ गुन्जाइश नहीं है।

मौलाना मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं– **'क़ालल हाज़मी फ़ी किताबिल इतिबारि रायु अक्षरि अहलिल इल्मि अन्नल इक़ामत फ़ुरादा व इला हाज़ल मज़्हबि ज़हब सईदुब्नुल मुसय्यिब व उर्वतुनब्नुज़ुबैरि वज़्ज़ुहरी व मालिक बिन अनस अहलुल हिजाज़ि वश्शाफ़िइ व अस्हाबुहू व इलैहि ज़हब उमरुब्नु अब्दिल अज़ीज़ि व मक्हूल वल**

औजाई व अहलुश्शामि व इलैहि ज़हबल हसनुल बसरी व मुहम्मदुब्नु सीरीन व अहमदुब्नु हम्बल व मन तबिअहुम मिनल इराक़ियीन व इलैहि ज़हब यह्यब्नु यह्या व इस्हाक़ुब्नु इब्राहीम अल हंज़ली मन तबिअहुमा मिनल ख़ुरासानिय्यीन व ज़हबू फ़ी ज़ालिक इला हदीषि अनसिन इन्तहा कलामुल हाज़मी' (तोहफ़तुल अहवज़ी)

यानी इमाम हाज़मी ने किताबुल एं'तिबार में अकषर अहले इल्म का यही फ़तवा नक़ल किया है कि तकबीर इकहरी कहना मसनून है। उलमा में हिजाज़ी, शामी, इराक़ी और ख़ुरासानी ये तमाम उलमा इसके क़ायल है जिनके अस्मा–ए–गिरामी अल्लामा हाज़मी साहब ने पेश फ़र्माये हैं ।

आख़िर में अल्लामा मुबारकपुरी मरहूम ने किस क़दर मुन्सिफ़ाना (न्यायपूर्ण) फ़ैसला दिया है। आप फ़र्माते हैं - **'वल हक़्क़ु अन्न अहादीष इफ़्रादिल इक़ामति सहीहतुन षाबिततुन मुहकमतुन लैसत बिमन्सूख़तिन व ला बिमुअल्लतिन नअम क़द षबत अहादीषु षनिय्यतिल इक़ामति अयज़न व हिय अयज़न मुहकमतुन लैसत बिमन्सूख़तिन व ला बिमुअल्लतिन व इन्दी अल इफ़्रादु वत्तषनिय्यतु किलाहुमा जाइज़ानि वल्लाहु तआला आलमु'** (तोहफ़तुल अहवज़ी, जि. 1/स. 172) यानी हक़ बात यही है कि इकहरी तकबीर वाली हदीष सहीह, षाबित, मुहकम है। न वो मन्सूख़ है न काबिले तावील है, इसी तरह दोहरी तकबीर वाली अहादीष भी मुहकम हैं और वो भी मन्सूख़ नहीं है। न क़ाबिले तावील है। पस मेरे नज़दीक दोनों तरह से तकबीर कहना जाइज़ है।

किस क़दर अफ़सोस की बात है— हमारे अवाम नहीं बल्कि ख़्वास हनफ़ी हज़रात अगर कभी इत्तिफ़ाक़न कहीं इकहरी तकबीर सुन पाते हैं तो फ़ौरन ही मुश्तइल हो जाते हैं और बाज़ मुतअस्सिब इस इकहरी तकबीर को बातिल क़रार देकर दोबारा दोहरी तकबीर कहलवाते हैं। अहले इल्म हज़रात से ऐसी हरकत इन्तिहाई मज़मूम है जो अपनी इल्मी ज़िम्मेदारियों को ज़रा भी महसूस नहीं करते। इन्साफ़ की नज़र से देखा जाए तो यही हज़रात उम्मत के बिखराव के मुजरिम हैं जिन्होंने जुज़ई व फ़ुरुई इख़्तिलाफ़ात को हवा देकर इस्लाम में फ़िर्काबन्दी की बुनियाद रखी है दूसरे लफ़्ज़ों में इसी का नाम तक़लीदे जामिद है। जब तक उम्मत इन इख़्तिलाफ़ात को भुलाकर इस्लामी ता'लीमात के हर पहलू के लिए अपने दिलों में गुन्जाइश पैदा न करेगी उम्मत में इत्तिफ़ाक़ मुश्किल है। अगर कुछ मुख़्लिसीन ज़िम्मेदार उलमा इसके लिये तहिय्या (निश्चय) कर लें तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। जबकि आज पूरी दुनिय–ए–इस्लाम मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला है, ज़रूरत है कि मुसलमानों के अवाम व ख़्वास को बतलाया जाये कि आपसी इत्तिफ़ाक़ कितनी उम्दा चीज़ है। अलहम्दुलिल्लाह कि आज तक किसी अहले हदीष मस्जिद से मुता'ल्लिक़ ऐसा कोई केस नहीं मिल सकेगा कि वहाँ किसी हनफ़ी भाई ने दोहरी तकबीर कही हो और उस पर किसी अहले हदीष की तरफ़ से कभी बलवा हो गया हो। बरख़िलाफ़ इसके कितनी ही मिषालें मौजूद है। अल्लाह पाक मुसलमानों को नेक समझ अता करे कि वो कलिमा और क़ुर्आन और काबा व तौहीद व रिसालत पर मुत्तफ़िक़ होकर इस्लाम को को सरबुलन्द करने की कोशिश करें ।

बाब 4 : अज़ान देने की फ़ज़ीलत के बयान में

٤- بَابُ فَضْلِ التَّأْذِيْنِ

(608) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअरज से, उन्होंने हज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान पादता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ पीठ मोड़कर भागता है। ताकि अज़ान की आवाज़ न सुन सके और जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। लेकिन ज्यों ही तक्बीर शुरू हुई वो फिर पीठ मोड़कर भागता है। जब तक्बीर भी ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और नमाज़ी के दिल में वस्वसे डालता

٦٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ

है। कहता है कि फ़लाँ बात याद कर फ़लाँ बात याद कर। उन बातों की शैतान याद देहानी कराता है जिनका उसे ख़्याल भी न था और इस तरह उस शख़्स को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ीं हैं। (दीगर मक़ाम : 1222, 1231, 1232, 3285)

كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ - حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى)).

[أطرافه في : ۱۲۲۲، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۳۲۸٥].

तश्रीह : शैतान अज़ान की आवाज़ सुनकर इसलिये भागता है कि उसे आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा न करने का किस्सा याद आ जाता है लिहाज़ा वो अज़ान नहीं सुनना चाहता। बाज़ ने कहा इसलिये कि अज़ान की गवाही आख़िरत में न देनी पड़े। चूंकि जहाँ अज़ान की आवाज़ जाती है वो सब गवाह बनते हैं। इस डर से वो भाग जाता है कि जान बची, लाखों पाये। कितने ही इन्साननुमा शैतान भी है जो अज़ान की आवाज़ सुनकर सो जाते हैं या अपने दुनियावी कारोबार में मशग़ूल हो जाते हैं और नमाज़ के लिये, मस्जिद में हाज़िर नहीं होते। ये लोग भी शैतान मरदूद से कम नहीं है। अल्लाह उनको हिदायत से नवाज़े।

बाब 5 : इस बयान में कि अज़ान बुलंद आवाज़ से होनी चाहिए

٥- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

हज़रते उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़लीफ़ा ने (अपने मुअज़्ज़िन से) कहा कि सीधी–साधी अज़ान दिया कर वरना हमसे अलग हो जा।

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا، وَإِلاَّ فَاعْتَزِلْنَا.

(609) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी सअसआ अंसारी से ख़बर दी, फिर अब्दुर्रहमान माज़नी अपने वालिद अब्दुल्लाह से बयान करते हैं कि उनके वालिद ने उन्हें ख़बर दी कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) सहाबी ने उनसे बयान किया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है। इसलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों को लिये हुए मौजूद हो और नमाज़ के लिये अज़ान दो तो तुम बुलंद आवाज़ से अज़ान दिया करो क्योंकि जिन्न व इंस बल्कि तमाम ही चीज़ें जो मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनती हैं क़यामत के दिन इस पर गवाही देंगी। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ये मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है।

(दीगर मक़ाम : 3296, 7548)

٦٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ - أَوْ بَادِيَتِكَ - فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[طرفاه في : ۳۲۹٦، ۷٥٤۸].

तश्रीह : हज़रत ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के अषर को इब्ने अबी शैबा ने निकाला है। उस मोअज़्ज़िन ने ताल और सुर के साथ गाने की तरह अज़ान दी थी, जिस पर उसको ये चेतावनी दी गई। पस अज़ान में ऐसी बुलन्द आवाज़ी अच्छी नहीं जिसमें ताल और सुर पैदा हो बल्कि सादी तरह बुलन्द आवाज़ से मुस्तहब है। हदीष से जंगलों, बियाबानों में अज़ान की आवाज़ बुलन्द करने की फ़ज़ीलत षाबित हई तो वो गडरिये और मुसलमान चरवाहे बड़े ही ख़ुशनसीब हैं जो उस पर अमल करें सच है–

दी अज़ानें कभी यूरुप के कलीसाओं में, कभी अफ़रीक़ा के तपते हुए सहराओं में।

बाब 6 : अज़ान की वजह से ख़ूँरेज़ी रुकना (जान बचना)

٦- بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

(610) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र अंसारी ने हुमैद से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि जब नबी करीम (ﷺ) हमें साथ लेकर कहीं जिहाद के लिये तशरीफ़ ले जाते, तो फ़ौरन ही हमला नहीं करते थे। सुबह होती और फिर आप (ﷺ) इंतिज़ार करते अगर अज़ान की आवाज़ सुन लेते तो हमला का इरादा तर्क कर देते और अगर अज़ान की आवाज़ न सुनाई देती तो हमला करते थे। अनस (रज़ि.) से कहा कि हम ख़ैबर की तरफ़ गए और रात के वक़्त वहाँ पहुँचे। सुबह के वक़्त जब अज़ान की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो आप अपनी सवारी पर बैठ गए और मैं अबू तलहा (रज़ि.) के पीछे बैठ गया। चलने में मेरे क़दम नबी (ﷺ) के क़दमे मुबारक से छू-छू जाते थे। अनस (रज़ि .) ने कहा कि ख़ैबर के लोग अपने टोकरों और कुदालों को लिए हुए (अपने काम-काज को) बाहर निकले। तो उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) को देखा, और चिल्ला उठे, 'मुहम्मद वल्लाह मुहम्मद (ﷺ) पूरी फ़ौज समेत आ गए।' अनस ने कहा कि जब नबी (ﷺ) ने उन्हें देखा तो आपने फ़र्माया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ख़ैबर पर ख़राबी आ गई। बेशक जब हम किसी क़ौम के मैदान में उतर जाएँ तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी होगी। (राजेअ : 371)

٦١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ. فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ. قَالَ فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ : إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ)).

[راجع: ٣٧١]

हज़रत इमाम ख़त्ताबी फ़र्माते हैं कि अज़ान इस्लाम की एक बड़ी निशानी है। इसलिये इसका तर्क करना जायज़ नहीं जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ बुलन्द हो उस बस्ती वालों के लिये इस्लाम जान और माल की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी लेता है। हज़रत अबू तलहा (रज़ि.), हज़रत अनस (रज़ि.) की वालिदा के दूसरे शौहर हैं। गोया हज़रत अनस के सौतेले बाप हैं। ख़मीस पूरे लश्कर को कहते हैं जिसमें पाँचों टुकड़ियां हों यानी मैमना, मैसरा, क़ल्ब, मुक़द्दमा, साक़ा। हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है। इन्ना इज़ा नज़लना सूरह स़ाफ़्फ़ात की आयत की इक्तिबास है जो यूँ है फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुन्ज़रीन (अस्साफ़्फ़ात : 177)

बाब 7 : इस बारे में कि अज़ान का जवाब किस तरह देना चाहिए

٧- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

(611) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

٦١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ

بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ)) .

उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने अ़ता बिन यज़ीद लैष़ी से, उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कि जब तुम अज़ान सुनो तो जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता है उसी तरह तुम भी कहो।

यानी मोअज़्ज़िन ही के लफ़्ज़ों में जवाब दो, मगर **हय्य अ़लस्सलाह** और **हय्य अ़लल फ़लाह** के जवाब में **ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह** कहना चाहिए जैसा कि आगे आ रहा है।

٦١٢- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: ((وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)). حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى . . نَحْوَهُ.

[طرفاه في : ٦١٣، ٩١٤].

(612) हमसे मुआ़ज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कष़ीर से बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन हारिष़ से कहा कि मुझसे ईसा बिन तलहा ने बयान किया कि उन्होंने मुआ़विया बिन अबी सुफ़यान से एक दिन सुना आप (जवाब में) मुअज़्ज़िन के ही अल्फ़ाज़ को दोहरा रहे थे। अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह तक, हमसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, कहा कि हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कष़ीर से उसी तरह हदीष़ बयान की।

(दीगर मक़ाम : 613, 914)

٦١٣- قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ: ((لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)) . وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ. [راجع: ٦١٢]

(613) यह्या ने कहा कि मुझसे मेरे कुछ भाइयों ने हदीष़ बयान की कि जब मुअज़्ज़िन ने हय्या अ़लस्सलाह कहा तो मुआ़विया (रज़ि.) ने ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा और कहने लगे कि हमने नबी (ﷺ) से ऐसा ही कहते सुना है।

(राजेअ़ : 612)

तश्रीह : पहली हदीष़ में वज़ाहत न थी कि सुनने वाला **हय्य अ़लस्सलाह** व **हय्य अ़लल फ़लाह** के जवाब में क्या कहें, इसलिये हज़रत इमाम बुख़ारी दूसरी मुआ़विया वाली हदीष़ लाये। जिसमें बतलाया गया कि इन कलिमात का जवाब **ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह** से देना चाहिए।

बाब 8 : अज़ान की दुआ़ के बारे में

٨- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

٦١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ

(614) हमसे अ़ली बिन अ़याश हम्दानी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुऐ़ब बिन अबी हम्ज़ा ने बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन मुंकदिर से बयान किया, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स अज़ान सुनकर ये कहे 'अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहिद्दअवतित्ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल् वसीलत वल्

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) .

[طرفه في : ٤٧١٩].

फ़ज़ीलत वब्अस्हू मक़ामम्महमूदल्लज़ी वअत्तहू' उसे क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत मिलेगी।
(दीगर मक़ामात : 4719)

दुआ का तर्जुमा ये है कि :– ऐ मेरे अल्लाह जो इस सारी पुकार का रब है और क़ाइम होने वाली नमाज़ का भी रब है, मुहम्मद (ﷺ) को क़यामत के दिन वसीला नसीब फ़र्माना और बड़े मर्तबे और मक़ामे महमूद पर उनका क़ियाम फ़र्माइयो, जिसका तूने उनसे वा'दा किया हुआ है।

बाज़ लोगों ने इस दुआ में कुछ अल्फ़ाज़ अपनी तरफ़ से बढ़ा लिये हैं ये तरीक़ा ठीक नहीं है। हदीष़ में जितने अल्फ़ाज़ वारिद हुए हैं उन पर ज़्यादती करना मूजिबे गुनाह है। अज़ान पूरी पुकार है इसका मतलब ये है कि इसके ज़रिये नमाज़ और कामयाबी ह़ासिल करने के लिये पुकारा जाता है। कामयाबी से मुराद दीन और दुनिया की कामयाबी है और ये चीज़ यक़ीनन नमाज़ के अन्दर मौजूद है कि इसको बाजमाअ़त अदा करने से बाहमी मुहब्बत और इत्तिफ़ाक़ पैदा होता है और किसी क़ौम की तरक़्क़ी के लिए यही बुनियादे अव्वल है। दावते ताम्मा से दावते तौहीद कलिम–ए–तय्यिबा मुराद है।

٩– بَابُ الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

बाब 9 : अज़ान के लिए क़ुर्आ डालने का बयान

وَيُذْكَرُ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.

और कहते हैं कि अज़ान देने पर कुछ लोगों में इख़्तिलाफ़ हुआ तो ह़ज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ ने फ़ैस़ले (फ़ैसले के लिए) उन्में क़ुर्आ डलवाया।

٦١٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)).

[أطرافه في : ٦٥٤، ٧٢١، ٢٦٨٩].

(615) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने सुमय से जो अबूबक्र अ़ब्दुर्रहमान बिन ह़ारिष़ के ग़ुलाम थे ख़बर दी, उन्होंने अबू स़ालेह ज़क्वान से, उन्होंने ह़ज़रते अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि लोगों को मा'लूम होता कि अज़ान कहने और नमाज़ पहली स़फ़ में पढ़ने से कितना ष़वाब मिलता है। फिर उनके लिए क़ुर्आ डालने के सिवा और कोई चारा न बाक़ी रहता, तो अल्बत्ता इस पर क़ुर्आ-अंदाज़ी ही करते और अगर लोगों को मा'लूम हो जाता कि नमाज़ के लिए जल्दी आने में कितना ष़वाब है तो उसके लिए एक–दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। और अगर लोगों को मा'लूम हो जाता कि इशा और सुबह की नमाज़ का ष़वाब कितना मिलता है, तो ज़रूर कूल्हों के बल घिसटते हुए उनके लिए आते। (दीगर मक़ाम : 654, 721, 2689)

क़ुर्आ-अन्दाज़ी आपसी मश्वरे से की जाती है जिसे तस्लीम करने का सब लोग वा'दा करते हैं। इसलिये वा'दे को पूरा करने के लिये क़ुर्आ-अन्दाज़ी से जो फ़ैसला हो उसे तस्लीम करना अख़्लाक़न भी बेहद ज़रूरी है।

١٠– بَابُ الْكَلاَمِ فِي الأَذَانِ

बाब 10 : अज़ान के दौरान बात करने के बयान में

और सुलैमान बिन सुर्द सहाबी ने अज़ान के दौरान बात की और हज़रते हसन बसरी ने कहा कि अगर एक शख़्स अज़ान या तक्बीर कहते हुए हंस दे तो कोई हर्ज नहीं।

وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.

(616) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब सख़्तियानी और अब्दुल हमीद बिन दीनार साहब अज़ ज़ियादी और आसिम अहवल से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन हारिष़ बसरी से, उन्होंने कहा कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने एक दिन हमको जुम्आ का ख़ुत्बा दिया। बारिश की वजह से उस दिन अच्छी ख़ासी कीचड़ हो रही थी। मुअज़्ज़िन जब ह्य्या अलस्सलाह पर पहुँचा तो आपने उससे ये कहने के लिए कहा कि लोग नमाज़ अपनी क़यामगाहों पर पढ़ लें। इस पर लोग एक-दूसरे को देखने लगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि इसी तरह मुझसे जो अफ़ज़ल थे, उन्होंने भी किया था और इसमें शक नहीं कि जुम्आ वाजिब है। (दीगर मक़ाम : 668, 901)

٦١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : ((خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَزْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ : فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ)) .

[طرفاه في : ٦٦٨، ٩٠١].

तश्रीह : मूसलाधार बारिश हो रही थी कि जुम्आ का वक़्त हो गया और मोअज़्ज़िन ने अज़ान शुरू की जब वो ह्य्य अलस्सलाह पर पहुंचा तो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उसे फ़ौरन लुक़्मा दिया कि यूँ कहो अस्सलातु फ़िर्रिहाल यानी लोगो अपने-अपने ठिकानों पर नमाज़ अदा कर लो। चूंकि लोगों के लिये ये नई बात थी इसलिये उनको तअ़ज्जुब हुआ जिस पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उनको समझाया कि मैंने ऐसे मौक़ा पर रसूले करीम (ﷺ) का यही मामूल देखा है। मा'लूम हुआ कि ऐसे मौक़े पर दौराने अज़ान कलाम करना दुरुस्त है और इत्तिफ़ाक़न अगर किसी को अज़ान के वक़्त हंसी आ गई तो इससे भी अज़ान में ख़लल न होगा। ये इत्तिफ़ाक़ी उमूर है जिनसे इस्लाम में आसानी दिखाना मक़सूद है।

बाब 11 : इस बयान में कि अँधा आदमी अज़ान दे सकता है अगर उसे कोई वक़्त बताने वाला आदमी मौजूद हो

١١- بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

(617) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया इमाम मालिक से, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से, उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि बिलाल तो रात रहे अज़ान देते हैं। इसलिए तुम लोग खाते-पीते रहो। यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान दें। रावी ने कहा कि वो नाबीना थे और उस वक़्त तक अज़ान नहीं देते थे जब तक कि उन्हें कहा न जाता था कि सुबह हो गई, सुबह हो गई।

(दीगर मक़ाम : 620, 623, 1918, 2656, 7348)

٦١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)). قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

[أطرافه في : ٦٢٠، ٦٢٣، ١٩١٨،

[٢٦٥٦، ٧٢٤٨].

तशरीह : अहदे रिसालत ही से ये दस्तूर था कि सहरी की अज़ान हज़रत बिलाल दिया करते थे और नमाज़े फ़ज्र की अज़ान हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना – अहदे ख़िलाफ़त में भी यही तरीक़ा रहा और मदीनअल मुनव्वरा में आज तक यही दस्तूर चला आ रहा है जो लोग अज़ाने सहरी की मुख़ालफ़त करतेहैं, उनका ख़्याल सहीह नहीं है। इस अज़ान से न सिर्फ़ सहरी के लिए बल्कि नमाज़े तहज्जुद के लिए भी जगाना मक़सूद है। हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 12 : सुबह होने के बाद अज़ान देना

١٢– بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

(618) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से ख़बर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से, उन्होंने कहा मुझे उम्मुल मोमिनीन हज़रते हफ़्सा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूले करीम (ﷺ) की आदत थी कि जब मुअज़्ज़िन सुबह की अज़ान सुबह सादिक़ के तुलूअ होने के बाद दे चुका होता तो आप अज़ान और तक्बीर के बीच नमाज़ क़ायम होने से पहले दो हल्की सी रकअतें पढ़ते। (दीगर मक़ाम : 1173, 1181)

٦١٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ)).

[طرفاه في : ١١٧٣، ١١٨١].

ये फ़ज्र की सुन्नत होती थी आप (ﷺ) सफ़र व हज़र हर जगह लाज़िमन इनको अदा फ़र्माते थे।

(619) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने यह्या बिन अबी कषीर से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से, उन्होंने हज़रते आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) फ़ज्र की अज़ान और इक़ामत के बीच दो हल्की रकअतें पढ़ते थे। (दीगर मक़ाम : 1159)

٦١٩– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.

[طرفه في : ١١٥٩].

(620) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अब्दुल्लाह बिन दीनार से ख़बर दी, उन्होंने हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया। देखो! बिलाल (रज़ि.) रात को अज़ान देते हैं, इसलिए तुम लोग (सेहरी) खा पी सकते हो। जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान न दें। (राजेअ : 617)

٦٢٠– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)).

[راجع: ٦١٧]

इन अहादीष से मा'लूम होता है अहदे नबवी में फ़ज्र में दो अज़ानें दी जाती थी। एक फ़ज्र होने से पहले इस बात की इत्तिला के लिए

कि अभी सहरी का और नमाज़े तहज्जुद का वक़्त बाक़ी है जो लोग खाना पीना चाहें खा पी सकते हें, तहज्जुद वाले तहज्जुद पढ़ सकते हैं। फिर फ़ज्र के लिये अज़ान उस वक़्त दी जाती जब सुबह़ स़ादिक़ हो चुकी होती। पहली अज़ान के लिये ह़ज़रत बिलाल मुक़र्रर थे और दूसरी के लिए ह़ज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम और कभी इसके बरअ़क्स भी होता जैसा कि आगे बयान हो रहा है।

बाब 13 : सुबह़ स़ादिक़ से पहले अज़ान देने का बयान

١٣- بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

(621) हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर बिन मुआ़विया जुअ़फ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैमान बिन त़रख़ान तैमी ने बयान किया अबू उ़ष्मान अ़ब्दुर्रहमान नह्दी से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि बिलाल की अज़ान तुम्हें सेहरी खाने से न रोक दे क्योंकि वो रात रहे से अज़ान देते हैं या (ये कहा कि) पुकारते हैं। ताकि जो लोग इबादत के लिए जागे हैं वो आराम करने के लिए लौट जाएँ और जो अभी सोये हुए हैं वो होशियार हो जाएँ। कोई ये न समझे कि फ़ज्र या सुबह स़ादिक़ हो गई और आपने अपनी उँगलियों के इशारे से (तुलूए सुबह की कैफ़ियत) बताई। उँगलियों को ऊपर की त़रफ़ उठाया और फिर आहिस्ता से उन्हें नीचे लाए और फिर फ़र्माया कि इस तरह़ (फ़ज्र होती है) ह़ज़रते ज़ुहैर रावी ने भी शहादत की उँगली एक–दूसरी पर रखा, फिर उन्हें दाईं बाईं जानिब फैला दिया। (दीगर मक़ाम : 5298, 7247)

٦٢١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِيْ - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ. وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ - وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلَ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا)). وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.

[طرفاه في : ٥٢٩٨، ٧٢٤٧].

यानी बता दिया कि फ़ज्र की रोशनी इस तरह फैल जाती है।

(622,623) मुझसे इस्ह़ाक़ बिन राहवै ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अबू उसामा ह़म्माद बिन उसामा ने ख़बर दी, कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने बयान किया, उन्होंने क़ासिम बिन मुह़म्मद से और उन्होंने ह़ज़रते आ़इशा (रज़ि.) से बयान किया और नाफ़ेअ़ ने इब्ने उ़मर से ये ह़दीष़ बयान की कि रसूलुल्लाह (ﷺ)। (राजेअ़ : 617)

٦٢٢، ٦٢٣- حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ح. [راجع: ٦١٧]

(दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि मुझसे यूसुफ़ बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ज़्ल बिन मूसा ने, कहा कि हमसे उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर ने क़ासिम बिन मुह़म्मद से बयान किया, उन्होंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि बिलाल रात रहे में

قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ

अज़ान देते हैं। अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम की अज़ान तक तुम (सेहरी) खा पी सकते हो। (दीगर मक़ाम : 1919)

بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)). [طرفه في : ١٩١٩].

ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम क़ैस बिन ज़ाइदा (रज़ि.) क़ुरैशी, मशहूर नाबीना सहाबी हैं, जिनके मुता'ल्लिक़ सूरह अ़बस नाज़िल हुई। एक दफ़ा कुछ क़ुरैश के बड़े-बड़े लोग आँह़ज़रत (ﷺ) से विचार-विमर्श कर रहे थे कि ये वहाँ अचानक पहुँच गये। ऐसे मौक़े पर उनका वहाँ हाज़िर होना आँह़ज़रत (ﷺ) को ग़ैर-मुनासिब मा'लूम हुआ जिसके बारे में अल्लाह ने बयान की गई सूरह में अपने मुक़द्दस रसूल (ﷺ) को फ़हमाइश फ़र्माई और इर्शाद हुआ कि मेरे ऐसे प्यारे ग़रीब मुख़्लिस बन्दों का एज़ाज़ व इकराम हर वक़्त ज़रूरी है। चुनान्चे बाद में ऐसा हुआ कि ये जब भी तशरीफ़ लाते आँह़ज़रत (ﷺ) इनको बड़ी शफ़क़त व मुह़ब्बत से बिठाते और फ़र्माया कि ये वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह पाक ने मुझको फ़हमाइश फ़र्माई।

ज़िक्र की गई ह़दीष़ में जो कुछ है, बाज़ रिवायात में इसके बरअक्स भी वारिद हुआ है। यानी ये कि अज़ाने अव्वल अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम और अज़ाने ष़ानी ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) दिया करते थे। जैसा कि निसाई, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, मुसनद अह़मद वग़ैरह में मज़कूर है।

'व क़द जमअ बैनहुमा इब्नु ख़ुज़ैमत वग़ैरहू बिअन्नहू यजूज़ु अंय्यकून अ़लैहिस्सलाम जअलल अज़ान बैन बिलालिन वब्नु उम्मि मक्तुमिन नवाइबु फअमर फ़ी बअज़िल्लयालि बिलालन अंय्युज़न बिलैलिन फ़इज़ा नज़ल स़इद इब्नु उम्मि मक्तूम फअज़्ज़न फिल वक़्ति फ़इज़ा जाअत नौबतुब्नि उम्मि मक्तूम फअज़्ज़न बिलैलिन फ़इज़ा नज़ल स़इद बिलालुन फअज़्ज़न फिल वक़्ति फ़कानत मक़ालतुन्नबिय्यि ﷺ अन्न बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फ़ी वक़्ति नौबति बिलालिन व कानत मक़ालतुहू अन्नब्न उम्मि मक्तूम युअज़्ज़िनु बिलैलिन फ़ी वक़्ति नौबतिब्नि उम्मि मक्तूम' (मिर्आतुल मफ़ातीह, जि. 1/स. 443)

यानी मुह़द्दिष़ इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरह ने इन वाक़िआत में यूँ ततबीक दी है कि मुमकिन है आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत बिलाल व ह़ज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम को बारी-बारी दोनों अज़ानों के लिये मुक़र्रर कर रखा हो जिस दिन ह़जरत बिलाल (रज़ि.) की बारी थी कि वो रात में अज़ान दे रहे थे उस दिन आपने उनके मुता'ल्लिक़ फ़र्माया कि बिलाल की अज़ान सुनकर खाना पीना सह़री करना वग़ैरह मना नहीं हुआ क्योंकि ये अज़ान इसी आगाही के लिये दी गई है और जिस दिन इब्ने उम्मे मक्तूम की रात में अज़ान देने की बारी थी उस दिन उनके लिये फ़र्माया कि इनका अज़ान सुनकर खाने-पीने से न रुक जाना क्योंकि ये सहरी या तहज्जुद की अजान दे रहे हैं। फिर बाद में हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम को अजाने फज्र पर मुकर्रर करके लोगों से कह दिया गया कि फज्र होने पर उनको आगाह करें और वो अजान दे और हजरत बिलाल (रज़ि.) को खास सहरी की अजान के लिये मुकर्रर कर दिया गया। इमाम मालिक व इमाम शाफ़िई व इमाम अहमद व इमाम अबू युसूफ (रह.) ने तुलू-ए-फ़ज्र से कुछ पहले नमाजे फज्र के लिये अजान देना जाइज़ करार दिया है। ये हजरात कहते हैं कि नमाजे फज्र ख़ास़ अहमियत रखती है। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैखुल हदीष मुबारकपुरी दामत बरकातुहुम फर्माते हैं

'क़ाल हा उलाइल कानल अज़ानानि लिस़्सलातिल फ़ज्रि व लम यकुनिल अव्वलु मानिअ़म्मिनत्तसह़्हुरी व कानष़्ष़ानी मिन क़बीलिल इस्लामि बअदल इलामि व इन्नमख़्तस़्स़त सलातुल फ़ज्रि बिहाज़ा मिम्बैनिस़्सलवाति लिमा वरद मिनत्तर्गी बि फ़िस़्स़लाति अव्वलल वक़्ति वस़्सुब्हु याती ग़ालिबन अ़क़ीबन्नौमि फ़नासब अय्युन्सिब मंय्यक़िज़ुन्नास क़ब्ल दुख़ूलि वक़्तिहा लियुताहिबू व युदरिकू फ़ज़ीलत अव्वलिल वक़्ति' (मिर्आतुल मफ़ातीह, जि. 1/स. 444)

यानी ऊपर जिनका ज़िक्र हुआ है, वे ह़ज़रात कहते हैं कि दोनों अज़ानें जिनका ज़िक्र ह़दीष़े मज़कूरा में है। ये नमाज़े फ़ज्र ही के वास्ते होती थी। पहली अज़ान सहरी और तहज्जुद से रोकती न थी। दूसरी अज़ान मुकर्रर आगाही के लिये दिलाई जाती थी और बनिस्बत दूसरी नमाज़ों के ये ख़ास़ नमाज़े फ़ज्र ही के बारे में है इसलिये कि इसे अव्वल वक़्त अदा करने की तरग़ीब दिलाई गई है। पस मुनासिब हुआ कि एक ऐसा मोअज़्ज़िन भी मुक़र्रर किया जाये जो लोगों को पहले ही होशयार व बेदार कर दे ताकि वो तैयार हो जाये और अव्वल वक़्त की फ़ज़ीलत ह़ासिल कर सके।

बाज़ उलमा कहते हैं कि अज़ाने बिलाल (रज़ि.) का ता'ल्लुक़ ख़ास माहे रमज़ान ही से था। बाज़ शुर्राहे देवबन्द

ने भी ऐसा ही लिखा है। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैखुल हदीष मद्दजिल्लहू फ़र्माते हैं–

'व फ़ीहि नज़्रुन लिअन्न क़ौलुहू कुलू वश्रबू यताता फ़ी ग़ैरि रमज़ान अयज़न व हाज़ा लिमन कान युरीदु सौमत्ततव्वुइ फ़इन्न कषीरम्मिनस्सहाबति फ़ी ज़मनिही स. कानू युकष्षिरून स़ियामन्नफ़्लि फ़कान क़ौलुहू फ़कुलू वश्रबू बिन्नज़्रि इला हाउलाइ व यदुल्लु अला ज़ालिक मा रवाहु अब्दुर्रज़्ज़ाकु अनिब्निल मुसय्यिबि मुर्सलन बिलफ़्ज़ि अन्न बिलालन युअज़्ज़िनू बिलैलिन फ़मन अरादस्सौम फ़ला यम्नउहू अज़ानु बिलालिन हत्ता युअज़्ज़िनुब्नु उम्मि मक्तूम ज़करहु अलल मुत्तक़ी फ़ी क़न्ज़िल उम्मालि' (फ़िरअतुल मफ़ातीह ज़ि. 1/स. 444)

यानी ये सही नहीं कि इस अज़ान का ता'ल्लुक़ ख़ास रमज़ान से था। ज़मान–ए–नबवी में बहुत से सहाबा ग़ैर रमज़ान में नफ़िल रोज़े भी बकष़रत रखा करते थे जैसा कि मुसनद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में इब्ने मुसय्यिब की रिवायत से ष़ाबित है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि बिलाल रात में अज़ान देते हैं। पस जो कोई रोज़ा रखना चाहे उसको ये अज़ान सुनकर सहरी से नहीं रुकना चाहिए। ये इर्शादे नबवी ग़ैर रमज़ान ही से मुता'ल्लिक़ है पस ष़ाबित हुआ कि अज़ाने बिलाल को रमज़ान से मख़सूस करना सही नहीं है।

रहा ये मसला कि अगर कोई शख़्स फ़ज्र की अज़ान जानकर या भूलकर वक़्त से पहले पढ़ दे तो वो किफ़ायत करेगी या फ़ज्र होने पर दोबारा अज़ान लौटाई जायेगी। इस बारे में हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं– **'फ़क़ाल बअ़ज़ु अहलिल इल्मि इज़ा अज़्ज़नल मुअज़्ज़िनु बिल्लैलि अज्ज़ाहु व ला यूइदु व हुव क़ौलु मालिक वब्नुल मुबारक वश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ व क़ाल बअ़ज़ु अहलिल इल्मि इज़ा अज़्ज़न बिल्लैलि अआद व बिही यक़ूलु सुफ़्यानुष्षौरी'** यानी बाज़ अहले इल्म का क़ौल है कि अगर मुअज़्ज़िन रात में फ़ज्र की अज़ान कह देते तो वह काफ़ी होगी और दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं। ये इमाम मालिक और अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम शाफ़िई और अहमद इस्हाक़ वग़ैरह का फ़तवा है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वो अज़ान लौटाई जायेगी, इमाम सुफ़्यान षौरी का यही फ़तवा है।

मुहद्दिषे कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी क़द्दस सिर्रुहु फ़र्माते हैं– **'कुल्तु लम अकिफ़ अला हदीषिन सहीहिन स़रीहिन यदुल्लु अलल इक्तिफ़ाइ फ़ज़ाहिरु इन्दी क़ौलुम्मन क़ाल बिअदमिल इक्तिफ़ाइ वल्लाहु तआला आलमु'** (तुहफ़तुल अहवज़ी जि. : 1/सः 180)

यानी मैं कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी सहीह हदीष नहीं मिली जिससे रात में कही हुई अज़ान, फ़ज्र की नमाज़ के लिये काफ़ी हो। पस मेरे नज़दीक ज़ाहिर में उन्हीं का क़ौल सहीह है जो उसी अज़ान के काफ़ी न होने का मसलक रखते हैं। वल्लाहु आलम।

बाब 14 : इस बयान में कि अज़ान और तक्बीर के बीच कितना फ़ासला होना चाहिये?

١٤– بَابُ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ إِقَامَةَ الصَّلاَةِ؟

(624) हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह तिहान ने सअ़द बिन अय्यास जरीरी से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल मज़नी से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन बार फ़र्माया कि हर दो अज़ानों (अज़ान और इक़ामत) के बीच एक नमाज़ (का फ़स्ल) दूसरी नमाज़ से होना चाहिए (तीसरी बार फ़र्माया कि) जो शख़्स ऐसा करना चाहे। (दीगर मक़ाम : 627)

٦٢٤– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ – ثَلاَثًا – لِمَنْ شَاءَ)).

[طرفه في : ٦٢٧].

(625) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ग़ुंदर ने बयान किया, उन्होंने कहा

٦٢٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:

سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ. قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُودَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ : (لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ). [راجع: ٥٠٣]

कि हमसे शुअबा बिन हिजाज ने बयान किया, कहा मैंने अम्र बिन आमिर अंसारी से सुना, वो हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान करते थे कि आपने फ़र्माया कि (अहदे रिसालत में) जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता तो नबी करीम (ﷺ) के सहाबा सतूनों की तरफ़ लपकते। जब नबी करीम (ﷺ) अपने हुज्रे से बाहर तशरीफ़ लाते तो लोग उसी तरह नमाज़ पढ़ते हुए मिलते। ये जमाअतें मग़्रिब से पहले की दो रकअतें थीं। और (मग़्रिब में) अज़ान और तक्बीर में कोई ज़्यादा फ़ासला न होता था। और उ़ष्मान बिन जुब्ला और अबू दाऊद तियालिसी ने शुअबा से इस (ह़दीष़ में यूँ नक़ल किया है कि) अज़ान और तक्बीर में बहुत थोड़ा सा फ़ासला होता था। (राजेअ़ : 503)

तश्रीह़ : मग़रिब की जमाअ़त से पहले दो रकअ़त सुन्नत पढ़ने का सहाबा किराम में आम मा'मूल था। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सदे बाब ये भी है कि अज़ान और तकबीर के दर्मियान कम-अज़-कम इतना फ़ासला तो होना ही चाहिए कि दो रकअ़त नमाज़े नफ़िल पढ़ी जा सकें। यहाँ तक कि मग़रिब (की नमाज़) भी इससे अलग नहीं है।

देवबन्द के कुछ फ़ाज़िल ह़ज़रात ने लिखा है कि बाद में इन रकअ़तों के पढ़ने से रोक दिया गया था। मगर ये वज़ाह़त नहीं की कि रोकने वाले कौन साह़ब थे। शायद आँह़ज़रत (ﷺ) से मुमानअ़त के लिये कोई ह़दीष़ उनके इल्म में हो। मगर हमारी नज़र से वो ह़दीष़ नहीं गुज़री। ये लिखने के बावजूद इन रकअ़तों को मुबाह़ भी क़रार दिया है। (देखो तफ़्हीमुल बुख़ारी बाब 3 / सफा 59)

١٥- بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

बाब 15 : अज़ान सुनकर जो शख़्स (घर में बैठा) तक्बीर का इंतिज़ार करे

٦٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.

[أطرافه في: ٩٩٤، ١١٢٣، ١١٦٠، ١١٧٠، ٦٣١٠].

(626) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने कहा कि मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब मुअज़्ज़िन सुबह की दूसरी अज़ान देकर चुप हो जाता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होते और फ़र्ज़ से पहले दो रकअ़त (सुन्नते फ़ज्र) हल्की-फुल्की अदा करते सुबह सादिक़ रोशन हो जाने के बाद फिर दाहिनी करवट पर लेटे रहते। यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन तक्बीर कहने की इत्तिला देने के लिए आपके पास आता।

(दीगर मक़ाम : 994, 1123, 1160, 1170, 2310)

तश्रीह : इस ह़दीष़ से ष़ाबित हुआ कि घर में सुन्नत पढ़कर जमाअ़त खड़ी होने का इन्तेज़ार करते हुए बैठे रहना जाइज़ है। आजकल घड़ी घण्टों का ज़माना है। हर नमाज़ी मुसलमान अपने यहां की जमाअ़तों के अवक़ात को जानता है पस अगर कोई शख़्स ऐन जमाअ़त खड़ी होने के वक़्त पर घर से निकलकर शामिले जमाअ़त हो तो ये भी दुरुस्त है।

बाब 16 : हर अज़ान और तक्बीर के बीच में जो कोई चाहे (नफ़िल) नमाज़ पढ़ सकता है

١٦- بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ

(627) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद मक़बरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे कहमस बिन ह़सन ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाहज बिन बुरैदा से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर दो अज़ानों (अज़ान व तक्बीर) के बीच में नमाज़ है। हर दो अज़ानों के बीच नमाज़ है। फिर तीसरी बार आपने फ़र्माया कि अगर कोई पढ़ना चाहे। (राजेअ़ : 622)

٦٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ - ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: - لِمَنْ شَاءَ)). [راجع: ٦٢٢]

मक़सदे बाब ये कि अज़ान और तकबीर में कुछ न कुछ फ़ासला होना चाहिए। कम अज़ कम इतना ज़रूरी है कि कोई शख़्स दो रकअ़त सुन्नत पढ़ सके। मगर मग़रिब में वक़्त कम होने की वजह से फ़ौरन जमाअ़त शुरू हो जाती है। हाँ अगर कोई शख़्स मग़रिब में भी नमाज़े फ़र्ज़ से पहले दो रकअ़त सुन्नत पढ़ना चाहे तो उसको इजाज़त है।

बाब 17 : जो कहता है कि सफ़र में एक ही शख़्स अज़ान दे

١٧- بَابُ مَنْ قَالَ : لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

(628) हमसे मुअ़ल्ला बिन सअ़द असद बसरी ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने अबू अय्यूब से बयान किया, उन्होंने अबू क़िलाबा से, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष़ सहाबी (रज़ि.) से, कहा कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में अपनी क़ौम (बनी लैष़) के कुछ आदमियों के साथ हाज़िर हुआ और मैंने आपकी ख़िदमत में बीस रातों तक क़याम किया। आप बड़े रह़म दिल और मिलनसार थे। जब आपने हमारे अपने घर पहुँचने का शौक़ महसूस कर लिया तो फ़र्माया कि अब तुम जा सकते हो। वहाँ जाकर अपनी क़ौम को दीन सिखाओ और (सफ़र में) नमाज़ पढ़ते रहना। जब नमाज़ का वक़्त आ जाए तो तुममें से एक शख़्स अज़ान दे और जो तुममें सबसे बड़ा हो वो इमामत कराए।
(दीगर मक़ाम : 630, 631, 658, 685, 819, 2848, 6008, 7246)

٦٢٨- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا. فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِيْنَا قَالَ: ((ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).
[أطرافه في : ٦٣٠، ٦٣١، ٦٥٨، ٦٨٥، ٨١٩، ٢٨٤٨، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦].

आदाबे सफ़र में से है कि अमीरे सफ़र के साथ-साथ इमाम व मोअज़्ज़िन का भी तक़र्रुर कर लिया जाए ताकि सफ़र में नमाज़े बाजमाअत का एहतमाम किया जा सके। ह़दीषे नबवी का यही मन्शा है और यही मक़सदे बाब है।

बाब 18 : अगर कई मुसाफ़िर हो तो नमाज़ के लिये अज़ान दें और तक्बीर भी कहें और अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा में भी ऐसा ही करें

١٨- بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ

और जब सर्दी या बारिश की रात हो तो मुअज़्ज़िन यूँ पुकार दे कि अपने अपने ठिकानों में नमाज़ पढ़ लो।

وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيْرَةِ.

(629) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने मुहाजिर अबुल ह़सन से बयान किया, उन्होंने ज़ैद बिन वहब से, उन्होंने ह़ज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ एक सफ़र में थे। मुअज़्ज़िन ने अज़ान देनी चाही तो आपने फ़र्माया कि ठण्डा होने दे। फिर मुअज़्ज़िन ने अज़ान देनी चाही तो आपने फ़र्माया कि ठण्डा होने दे। फिर मुअज़्ज़िन ने अज़ान देनी चाही और आपने फिर यही फ़र्माया कि ठण्डा होने दे। यहाँ तक कि साया टीलों के बराबर हो गया। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि गर्मी की शिद्दत दोज़ख़ की भाप से पैदा होती है। (राजेअ़ : 535)

٦٢٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ ((أَبْرِدْ))، حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)). [راجع: ٥٣٥]

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान मुसाफ़िरों की जब एक जमाअ़त मौजूद हो तो वो भी अज़ान, तकबीर और जमाअ़त उसी तरह करें जिस तरह हालते इक़ामत में किया करते हैं। ये भी षाबित हुआ कि गर्मियों में ज़ुहर की नमाज़ ज़रा देर से पढ़ना मुनासिब है ताकि गर्मी की शिद्दत कुछ कम हो जाए जो कि दोज़ख़ के सांस लेने से पैदा होती है। जैसी दोज़ख़ है वैसा ही उसका सांस भी है। जिसकी ह़क़ीक़त अल्लाह ही बेहतर जानता है। मज़ीद कद्दो काविश (विस्तारपूर्वक लिखने) की ज़रूरत नहीं।

(630) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने ख़ालिद ह़ज़्ज़ा से, उन्होंने अबू क़िलाबा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष़ से, उन्होंने कहा कि दो शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आए ये किसी सफ़र में जाने वाले थे। आपने उनसे फ़र्माया कि देखो जब तुम सफ़र में निकलो तो (नमाज़ के वक़्त रास्ते में) अज़ान देना फिर इक़ामत कहना, फिर जो शख़्स तुममें उ़मर में बड़ा हो वो नमाज़ पढ़ाए। (राजेअ़ : 628)

٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيْدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيْمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)).

[راجع: ٦٢٨]

मतलब ये कि सफ़र में नमाज़ बाजमाअ़त से ग़ाफ़िल न होना

(631) हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल वहाब ने ख़बर दी, कहा कि हमें अबू अय्यूब सख़्तियानी ने अबू क़िलाबा से ख़बर दी, उन्होंने कहा हमसे मालिक बिन हुवैरिष़ ने बयान किया, कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए। हम सब हम उ़म्र और नौजवान ही थे। आपकी ख़िदमत में हमारा बीस दिन और रात क़याम रहा। आप बड़े ही रह़मदिल और मिलनसार थे। जब आपने देखा कि हमें अपने वत़न वापस जाने का शौक़ है तो आप (ﷺ) ने पूछा कि तुम लोग अपने घर किसे छोड़कर आए हो। हमने बताया। फिर आपने फ़र्माया कि अच्छा अब तुम अपने घर जाओ और उन घरवालों के साथ रहो और उन्हें भी दीन सिखाओ और दीन की बातों पर अ़मल करने का हुक्म करो। मालिक ने बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र किया जिनके बारे में अबू अय्यूब ने कहा कि अबू क़िलाबा ने यूँ कहा वो बातें मुझको याद हैं या यूँ कहा मुझको याद नहीं। और आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि इसी तरह नमाज़ पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो कोई एक अज़ान दे और जो तुममें सबसे बड़ा हो वो नमाज़ पढ़ाए। (राजेअ़ : 628)

٦٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا - أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا - سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيْمُوا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ))- وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا- ((وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

[راجع: ٦٢٨]

बशर्ते कि वो क़ुर्आन शरीफ़ व त़रीक़—ए—नमाज़ व इमामत जानता हो।

तश्रीह : इस ह़दीष़ से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी ष़ाबित फ़र्माया है कि ह़ालते सफ़र में अगर चन्द मुसलमान यकजा है तो उनको नमाज़ अज़ान और जमाअ़त के साथ अदा करनी चाहिए। इन नौ जवानों को आपने बहुत—सी नसीहतों के साथ आख़िर में ये ताकीद फ़र्माई कि जैसे तुमने मुझको नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, ऐन इसी त़रह़ मेरी सुन्नत के मुत़ाबिक़ नमाज़ पढ़ना मा'लूम हुआ कि नमाज़ का हर हर रुक्न फ़र्ज़ वाजिब मुस्तह़ब सब रसूल (ﷺ) के बतलाये हुए त़रीक़ा पर अदा होना ज़रूरी है, वर्ना वो नमाज़ स़ह़ी न होगी। इस मे'यार पर देखा जाये तो आज कितने नमाज़ी मिलेंगे जो बह़ालते नमाज़ क़ियाम व रुकूअ़ व सज्दा व क़ौमा में सुन्नते रसूल (ﷺ) को मलह़ूज़ रखते हैं। सच है—

मस्जिदें मर्षिया-ख़्वां है कि नमाज़ी न रहे, यानी वो स़ाहिबे औस़ाफ़े हिजाजी न रहे।

(632) हमसे मुसद्दद बिन मुस़्रहिद ने बयान किया, कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर अ़म्री से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने एक सर्द रात में मुक़ाम ज़ज्नान पर अज़ान दी फिर फ़र्माया कि लोगो! अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो और हमें आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) मुअज़्ज़िन से अज़ान के लिये फ़र्माते और ये भी फ़र्माते थे कि मुअज़्ज़िन अज़ान

٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ

مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: ((أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيْرَةِ فِي السَّفَرِ)).[طرفه في : ٦٦٦].

के बाद कह दे कि लोगों! अपने ठिकानों में नमाज़ पढ़ लो। ये हुक्म सफ़र की हालत में या सर्दी या बरसात की रातों में था।
(दीगर मक़ाम : 666)

क्योंकि इर्शादे बारी है– **'मा जअ़ल अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज'** (अल हज्ज : 78) दीन में तंगी नहीं है। ज़जनान मक्का से एक मन्ज़िल के फ़ासले पर एक पहाड़ी का नाम है।

٦٣٣– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالأَبْطَحِ، فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ. [راجع: ١٨٧]

(633) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें जा'फ़र बिन औन ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे अबुल उ़मैस ने बयान किया, उन्होंने औन बिन अबी जुहैफ़ा से बयान किया, कहा कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को अब्तह में देखा कि बिलाल हाज़िर हुए और आपको नमाज़ की ख़बर दी फिर बिलाल (रज़ि.) बर्छी लेकर आगे बढ़े और उसे आपके सामने (बतौरे सुतरा) मुक़ामे अब्तह में गाड़ दिया और आपने (उसको सुतरा बनाकर) नमाज़ पढ़ाई। (राजेअ़ : 187)

अब्तह मक्का से कुछ फ़ासले पर एक मशहूर मक़ाम है जहाँ आपने हालते सफ़र में जमाअ़त से नमाज़ पढ़ाई। पस हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है। ये भी ष़ाबित हुआ कि अगर ज़रूरत हो तो मुअज़्ज़िन इमाम को घर से बुलाकर ला सकते हैं और ये भी कि जंगल में सुतरा का इन्तज़ाम ज़रूरी है, इसका एहतमाम मुअज़्ज़िन को करना है। अन्ज़ा वो लकड़ी है जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो, उसे ज़मीन में आसानी के साथ गाड़ा जा सकता है।

١٩ – بَابُ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ؟

बाब 19 : क्या मुअज़्ज़िन अज़ान में अपना मुँह इधर–उधर (दाएँ–बाएँ) फिराए और क्या अज़ान कहते वक़्त इधर–उधर देख सकता है

وَيُذْكَرُ عَنْ بِلاَلٍ: أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

और बिलाल (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने अज़ान में अपनी दोनों उँगलियाँ अपने कानों में दाख़िल कीं। और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) अज़ान में कानों में उँगलियाँ नहीं डालते थे। और इब्राहीम नख़ई ने कहा कि बेवज़ू अज़ान देने में कोई हर्ज नहीं और अ़ता ने कहा कि अज़ान में वज़ू ज़रूरी और सुन्नत है। और हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूले करीम (ﷺ) सब वक़्तों में अल्लाह को याद करते थे।

٦٣٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلاَلاً يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ

(634) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने औन बिन अबी जुहैफ़ा से बयान किया, उन्होंने अपने बाप से कि उन्होंने बिलाल (रज़ि.) को अज़ान देते हुए देखा। वो कहते हैं मैं भी उनके मुँह के साथ इधर–

فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا بِالأَذَانِ.

उधर मुँह फेरने लगा।

तश्रीह : इस बाब के तहत हज़रतुल इमाम ने अनेक मसाइल पर रोशनी डाली है। मषलन मुअज़्ज़िन को **ह़य्य अलस्सलाह ह़य्य अलल फ़लाह**, के वक़्त दायें बायें मुंह फेरना दुरुस्त है; नीज़ कानों में उंगलियां दाखिल करना भी जाइज़ है ताकि आवाज़ में बुलन्दी पैदा हो। कोई कानों में उंगलिया न डाले तो भी कोई हर्ज नहीं। वुज़ू करके अज़ान कहना बेहतर है मगर इसके लिये वुज़ू शर्त नहीं है, जिन लोगों ने वुज़ू शर्त क़रार दिया है, उन्होंने फ़ज़ीलत का पहलू इख़्तियार किया है।

٢٠- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ

बाब 20 : यूँ कहना कैसा है कि नमाज़ ने हमें छोड़ दिया

وَكَرِهَ ابْنُ سِيْرِيْنَ أَنْ يَقُوْلَ: فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.

इमाम इब्ने सीरीन (रह.) ने इसको मकरूह जाना है कि कोई कहे कि हमें नमाज़ ने छोड़ दिया बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हम नमाज़ को न पा सके और नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान ही ज़्यादा स़ह़ीह़ है।

इब्ने सीरीन के अषर को इब्ने अबी शैबा ने वस्ल किया। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इमाम इब्ने सीरीन का रद्द करते हुए बतलाया है कि यूँ कहना दुरुस्त है कि हमारी नमाज़ जाती रही। जब ये क़ौल रसूलुल्लाह (ﷺ) से षाबित है तो फिर उसे मकरुह क़रार देना दुरुस्त नहीं है।

٦٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ الرِّجَالِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ؟)) قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا. إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) .

(635) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने यह़्या बिन अबी कष़ीर से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने वालिद अबू क़तादा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ में थे। आपने कुछ लोगों के चलने-फिरने और बोलने की आवाज़ सुनी। नमाज़ के बाद आपने पूछा कि क्या क़िस़्सा है लोगों ने कहा कि हम नमाज़ के लिए जल्दी कर रहे थे। आपने फ़र्माया कि ऐसा न करो। बल्कि जब तुम नमाज़ के लिए आओ तो वक़ार और सुकून का लिहाज़ रखो, नमाज़ का जो ह़िस़्सा पाओ उसे पढ़ो और जो रह जाए उसे (बाद में) पूरा कर लो।

तश्रीह : ह़दीष़ के लफ़्ज़ **वमा फातकुम** से ह़ज़रत इमाम ने मक़सदे बाब को षाबित फ़र्माया है और गुफ़्तगू का सलीक़ा सिखलाया है कि यूँ कहना चाहिए कि नमाज़ का जो ह़िस़्सा पा सके उसे पढ़ लो और जो रह जाये बाद में पूरा कर लो।

٢١- بَابٌ: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

बाब 21 : इस बयान में कि नमाज़ का जो ह़िस़्सा (जमाअ़त के साथ) पा सको उसे पढ़ लो और जो न पा सको उसे बाद में पूरा कर लो

وَقَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

ये मसला अबू क़तादा ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

(636) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िब ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम ज़ुह्री ने सईद बिन मुसय्यिब से बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से (दूसरी सनद) और ज़ुहरी ने अबू सलमा से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि .) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से, आपने फ़र्माया कि तुम लोग तक्बीर की आवाज़ सुन लो तो नमाज़ के लिए (मा'मूली चाल से) चल पड़ो। सुकून और वक़ार को (बहरहाल) लाज़िम पकड़े रहो और दौड़कर मत आओ। फिर नमाज़ का जो हिस्सा मिले उसे पढ़ लो, और जो न मिल सके उसे बाद में पूरा कर लो। (दीगर मक़ाम : 908)

٦٣٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ، وَلاَ تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)).

[طرفه في : ٩٠٨].

बाब 22 : नमाज़ की तक्बीर के वक़्त जब लोग इमाम को देखे तो किस वक़्त खड़े हों

٢٢- بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ؟

(637) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, कहा मुझे यह्या ने अ़ब्दुल वह्हाब बिन अबी क़तादा से ये ह़दीष़ लिखकर भेजी कि वो अपने बाप से बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब नमाज़ के लिए तक्बीर कही जाए तो उस वक़्त तक न खड़े हो जब तक मुझे निकलते हुए न देख लो। (दीगर मक़ाम : 638, 909)

٦٣٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)).

[طرفاه في : ٦٣٨، ٩٠٩].

तशरीह : इस मसले में कई क़ौल है, इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक तकबीर ख़त्म होने के बाद मुक़्तदियों को उठना चाहिये, इमाम मालिक (रह.) कहते हैं तकबीर शुरू होते ही– इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) कहते हैं कि जब मुअज़्ज़िन ह़य्य अलस्सलाह कहे और जब मुअज़्ज़िन क़द क़ामतिस्सलाह कहे तो इमाम नमाज़ शुरू कर दे। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) फ़र्माते हैं कि ह़य्य अलस्सलाह पर उठें। इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब की ह़दीष़ लाकर ये इशारा किया कि जब इमाम मस्जिद में न हो तो मुक़्तदियों को चाहिए कि बैठे रहे और जब इमाम को देख ले तब नमाज़ के लिये खड़े हो।

बाब 23 : नमाज़ के लिए जल्दी न उठे बल्कि इत्मीनान और सुकून व सहूलत के साथ उठे

٢٣- بَابُ لاَ يَسْعَى إِلَى الصَّلاَةِ مُسْتَعْجِلاً، وَلْيَقُمْ إِلَيْهَا بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ

(638) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहाकि हमसे शैबान ने यह्या बिन अबी कष़ीर से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू

٦٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

क़तादा ह़ारिष़ बिन रुबई (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ की तक्बीर हो तो जब तक मुझे देख न लो खड़े न हो और आहिस्तगी को लाज़िम रखो। शैबान के साथ इस ह़दीष़ को यह्या से अ़ली बिन मुबारक ने भी रिवायत किया है। (राजेअ़ : 637)

قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ)) تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ. [راجع: ٦٣٧]

जिसे ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल जुमुआ में निकाला है। मा'लूम हुआ कि शिरकते जमाअ़त के लिये भागदौड़ मुनासिब नहीं बल्कि सुकून और वक़ार के साथ चलकर शरीके जमाअ़त होना चाहिए। फिर जो नमाज़ छूट जाए वो बाद में पढ़ ले। जमाअ़त का ष़वाब बहरह़ाल ह़ासिल होगा, इन्शाअल्लाह।

बाब 24 : क्या मस्जिद से किसी ज़रूरत की वजह से अज़ान या इक़ामत के बाद भी कोई शख़्स निकल सकता है?

٢٤- بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ؟

(639) हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, वो स़ालेह़ बिन कैसान से, वो इब्ने शिहाब से, वो अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान से, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (एक दिन हुज्रे से) बाहर तशरीफ़ लाए, इक़ामत कही जा चुकी थी और सफ़ें बराबर की जा चुकी थीं। आप जब मुस़ल्ले पर खड़े हुए तो हम इंतिज़ार कर रहे थे कि अब आप तक्बीर कहें। लेकिन आप वापस तशरीफ़ ले गए और फ़र्माया कि अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। हम उसी ह़ालत में ठहरे रहे यहाँ तक कि आप दोबारा तशरीफ़ लाए, तो सरे मुबारक से पानी टपक रहा था, आपने ग़ुस्ल किया था। (राजेअ़ : 275)

٦٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ قَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ)). فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدِ اغْتَسَلَ. [راجع: ٢٧٥]

तशरीह़ : आप ह़ालते ज़नाबत में थे मगर याद न रहने की वजह से (नमाज़ के लिये) तशरीफ़ ले आए। बाद में मा'लूम हुआ तो वापस तशरीफ़ ले गये। इस ह़दीष़ से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये मसला ष़ाबित किया कि कोई ऐसी ही सख़्त ज़रूरत दरपेश आ जाए तो अज़ान व तकबीर के बाद भी आदमी मस्जिद के बाहर निकल सकता है। जिस ह़दीष़ में मुमानअ़त आई है वहां बिला ज़रूरत मह़ज़ बिला वजहे नफ़्सानी ख़्वाहिश के बाहर निकलना मुराद है।

मुमानअ़त वाली ह़दीष़ स़ह़ी मुस्लिम शरीफ़ में ह़ज़रत अबू हुरैराह (रज़ि.) से मरवी है और मुसनद अह़मद में भी है। इन अह़ादीष़ को नक़ल करने के बाद ह़ज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं–

'वल ह़दीष़ानि यदुल्लानि अला तह़रीमिल ख़ुरूजि मिनल मस्जिदि बअ़द सिमाइल अज़ानि लिग़ैरिल वुज़ूइ व कज़ाइल हाज़ति व मा तदउ़ज़्ज़रूरतु इलैहि ह़त्ता युस़ल्लिय फ़ीहि तिल्कस़्स़लात लिअन्न ज़ालिकल मस्जिद क़द तअय्युनुन लितिल्कस़्स़लाति' (नैलुल औतार)

यानी मस्जिद से अज़ान सुनने के बाद निकलना ह़राम है मगर वुज़ू या क़ज़ा–ए–ह़ाज़त या और कोई ज़रूरी काम हो तो इजाज़त है वर्ना जिस मस्जिद में रहते हुए अज़ान सुन ली अब उसी मस्जिद में नमाज़ की अदायगी लाज़िम है क्योंकि उस नमाज़ के लिये वही मस्जिद मुतअ़य्यिन (निर्धारित) हो चुकी है। इस ह़दीष़ से ये भी ष़ाबित हुआ कि अह़कामे शरीअ़त व त़रीक़–ए–इबादत में भूल हो सकती है ताकि वो वह़ी–आसमानी के मुताबिक़ उस भूल का सुधार कर सकें।

बाब 25 : अगर इमाम मुक़्तदियों से कहे कि तुम लोग इसी हालत में ठहरे रहो तो जब तक वो लौटकर आए उसका इंतिज़ार करें (और अपनी हालत पर ठहरे रहें)

٢٥- بَابُ إِذَا قَالَ الإِمَامُ ((مَكَانَكُمْ)) حَتَّى يَرْجِعَ انْتَظَرُوهُ

(640) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमें मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने ख़बर दी कि कहा हमसे औज़ाई ने इब्ने शिहाब जुह्री से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि उन्होंने फ़र्माया कि नमाज़ के लिए इक़ामत कही जा चुकी थी और लोगों ने सफ़ें सीधी कर ली थीं। फिर रसूले करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए और आगे बढ़े। लेकिन हालते जनाबत में थे (मगर पहले ख़्याल न रहा) इसलिए आपने फ़र्माया कि तुम लोग अपनी-अपनी जगहों पर ठहरे रहो। फिर आप (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाए तो आप गुस्ल किये हुए थे और सर से पानी टपक रहा था। फिर आप (ﷺ) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। (राजेअ़ : 275)

٦٤٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ. ثُمَّ قَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ)). فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ. [راجع: ٢٧٥]

तशरीह : हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मां साहब फ़र्माते हैं कि बाज़ नुस्ख़ों में यहाँ इतनी इबारत ज़ायद (अधिक) है– '**क़ील लिअबी अ़ब्दिल्लाहि अय अल बुख़ारी अन्न बदअ लिअहदिना मिष्ल हाज़ा यफ़अलु कमा यफ़अलुन्नबिय्यु ﷺ फ़अय्यु शैइन यस्नउ फ़ क़ील यन्तज़िरूनहू क़ियामन औ कुऊदन क़ाल इन कान क़ब्लत्तक्बीरि लिल इहरामि फ़ला बास अंय्यक़ऊदू व इन कान बअ़दत्तक्बीरि इन्तज़िरूहु हाल कौनिहिम क़ियामन**'

यानी लोगों ने इमाम बुख़ारी (रह.) से कहा अगर हममें किसी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो तो वो क्या करें? उन्होंने कहा कि जैसा आँहज़रत (ﷺ) ने किया वैसा करें। लोगों ने कहा तो मुक़्तदी इमाम का इन्तिज़ार खड़े रहकर करते रहे या बैठ जाये। उन्होंने कहा अगर तकबीर तहरीमा हो चुकी है तो खड़े खड़े इन्तिज़ार करें वर्ना बैठ जाने में कोई क़बाहत नहीं है।

बाब 26 : आदमी यूँ कहे कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ी तो इस तरह कहने में कोई क़बाहत नहीं है

٢٦- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

(641) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने यह्या के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सलमा से सुना, वो कहते थे कि हमें जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ग़ज़्व–ए–ख़ंदक़ के दिन हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम अल्लाह की सूरज ग़ुरूब होने को ही था कि मैं अब अ़स्र की नमाज़ पढ़ सका हूँ। आप जब हाज़िरे

٦٤١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ،

ख़िदमत हुए तो इफ़्तार का वक़्त हो चुका था। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि क़सम अल्लाह की मैंने भी तो नमाज़े अस्र नहीं पढ़ी है। फिर आप बत्हान की तरफ़ गए। मैं आपके साथ ही था। आपने वुज़ू किया, फिर अस्र की नमाज़ पढ़ी। सूरज डूब चुका था। फिर उसके बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। (राजेअ : 596)

وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا)) فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى - الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. [راجع: ٥٩٦]

ये बाब लाकर इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत इब्राहीम नख़ई (रह.) का (क़ौल) रद्द किया है जिन्होंने ये कहना मकरुह क़रार दिया कि यूँ कहा जाए कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ी। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि इब्राहीम ने ये कहना उस शख़्स के लिये मकरुह जाना जो नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहा हो क्योंकि वो गोया नमाज़ ही में हैं।

बाब 27 : अगर इमाम को तक्बीर हो चुकने के बाद कोई ज़रूरत पेश आए तो क्या करे?

٢٧- بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

(642) हमसे अबू मअ़मर अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब ने हज़रते अनस (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने कहा कि नमाज़ के लिए तक्बीर हो चुकी थी और नबी करीम (ﷺ) किसी शख़्स से मस्जिद के एक गोशे में चुपके चुपके कान में बातें कर रहे थे। फिर आप नमाज़ के लिए जब तशरीफ़ लाए तो लोग सो रहे थे। (दीगर मक़ाम : 643, 6292)

٦٤٢- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

[طرفاه في : ٦٤٣، ٦٢٩٢].

सोने से मुराद ऊँघना है जैसा कि इब्ने हिब्बान और इस्हाक़ बिन राहवै ने रिवायत किया कि बाज़ लोग ऊँघने लगे, चूंकि इशा की नमाज़ के वक़्त में काफ़ी गुन्जाइश है ओर बातें बेहद ज़रूरी थी, इसलिये आपने नमाज़ में देरी कर दी। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद उन शरई सहूलतों को बयान करना है जो रवा (प्रचलन में) रखी गई है। आज जबकि मसरुफ़ियाते जिन्दगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक-एक मिनट मसरुफ़ियात का है। हदीषे नबवी (ﷺ) अल इमामु ज़ामिनुन के तहत इमाम को बहरहाल मुक़्तदियों का ख़्याल करना ज़रूरी होगा।

बाब 28 : तक्बीर हो चुकने के बाद किसी से बातें करना

٢٨- بَابُ الْكَلاَمِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ

(643) हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे हुमीद तवील ने बयान किया, कहा कि मैंने षाबित बिनानी से एक शख़्स के बारे में मसला पूछा जो नमाज़ के लिए तक्बीर होने के बाद बातचीत करता रहे। इस पर उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान

٦٤٣- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ: (أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ).

[راجع: ٦٤٢]

किया कि उन्होंने फ़र्माया कि तक्बीर हो चुकी थी। इतने में एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) से रास्ता में मिला और आपको नमाज़ के लिए तक्बीर कही जाने के बाद भी रोके रखा। (राजेअ : 642)

ये आपके कमाले अख़्लाक़े हसना (अच्छे अख़्लाक़ की पूर्णता) की दलील है कि तकबीर हो चुकने के बाद आपने उस शख़्स से बातचीत जारी रखी। आपकी आदते मुबारका थी कि जब तक मिलने वाला ख़ुद जुदा न होता आप ज़रूर मौजूद रहते। यहाँ भी यही माजरा हुआ। बहरहाल किसी ख़ास मौक़े पर अगर इमाम ऐसा करे तो शरअन उस पर मुआख़ज़ा नहीं है।

٢٩- بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

बाब 29 : जमाअत से नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا.

और इमाम हसन बसरी ने कहा कि अगर किसी शख़्स की माँ मुहब्बत की बिना पर इशा की नमाज़ बाजमाअत के लिए मस्जिद में जाने से रोक दे तो उस शख़्स के लिए ज़रूरी है कि अपनी माँ की बात न मानें।

٦٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)).

[طرافه في : ٦٥٧، ٢٤٢٠، ٧٢٢٤].

(644) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअरज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है मैंने इरादा कर लिया था कि लकड़ियों के जमा करने का हुक्म दूँ। फिर नमाज़ के लिए कहूँ, उसके लिए अज़ान दी जाए फिर किसी शख़्स से कहूँ कि वो इमामत करे और मैं उन लोगों की तरफ़ जाऊँ (जो नमाज़ बाजमाअत में हाज़िर नहीं होते) फिर उन्हें उनके घरों समेत जला दूँ। उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है अगर ये जमाअत में न शरीक होने वाले लोग इतनी बात जान लें कि उन्हें मस्जिद में एक अच्छे क़िस्म की गोश्त वाली हड्डी मिल जाएगी या दो अच्छे खुर ही मिल जाएँगे तो ये इशा की जमाअत के लिए मस्जिद में ज़रूर-ज़रूर हाज़िर हो जाएँ।
(दीगर मक़ाम : 657, 242, 7224)

तश्रीह : इस ह़दीष़ से नमाज़ जमाअत के साथ अदा करना जिस कदर ज़रूरी मा'लूम होता है वो अल्फ़ाज़े ह़दीष़ से ज़ाहिर है कि रसूले करीम (ﷺ) ने जमाअत छोड़ने वालों के लिये उनके घरों को आग लगाने तक का इरादा ज़ाहिर फ़र्माया। इसलिये जिन उलमा ने नमाज़ को जमाअत के साथ फ़र्ज़ क़रार दिया है ये ह़दीष़ अहम दलील है।

अ़ल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, '**वल हदीषुस्तदल्ल बिहिल क़ाइलून बिवुजूबि सलातिल जमाअति लिअन्नहा लौ कानत सुन्नतन लम युहद्दद तारिकुहा बित्तहरीक**' यानी इस ह़दीष़ से उन लोगों ने दलील पकड़ी है जो नमाज़ बाजमाअत को वाजिब क़रार देते हैं। अगर ये महज़ सुन्नत होती तो इसके छोड़ने वाले को आग में जलाने की धमकी न दी जाती।

बाज़ उलमा इसके वुजूब के कायल नहीं है और वो कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने ये तम्बीह जिन लोगों को फ़र्माई

थी वो मुनाफ़िक़ लोग थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं– **'वल्लज़ी यज्हरू ली अन्नल हदीष़ वरद फ़िल मुनाफ़िक़ीन लिक़ौलिही ﷺ फ़ी स़दरिल हदीषि़ अष्क़लुस्सलाति अलल मुनाफ़िक़ीन व लि क़ौलिही ﷺ लौ यअ़लमून अल्ख़ लिअन्न हाज़ल वस्फ़ु यलीक़ु बिहिम ला बिल मूमिनीन लाकिन्नल मुराद निफ़ाक़ुल मअ़स़िय्यति ला निफ़ाक़ुल कुफ़्रि'**

यानी मेरी समझ में ये आता है कि ये ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) ख़ास़ मुनाफ़िक़ीन के बारे में है। शुरू के अल्फ़ाज़ स़ाफ़ हैं कि सबसे ज़्यादा भारी नमाज़ मुनाफ़िक़ीन पर इशा और फ़ज्र की नमाज़ें हैं और आप (ﷺ) का ये इर्शाद भी यही ज़ाहिर करता है, **लौयअ़लमून अल अख़** यानी इन नमाज़ों का ष़वाब बा-जमाअ़त पढ़ने का जान लेते तो.... आख़िर तक। पस ये बुरी आ़दत अहले ईमान की शान से बहुत बईद है। ये ख़ास अहले निफ़ाक़ ही का शेवा हो सकता है। यहाँ निफ़ाक़ से मुराद निफ़ाक़े मअ़स़ियत है निफ़ाक़े कुफ़्र मुराद नहीं है। बहरहाल जुम्हूर उलमा ने नमाज़ बाजमाअ़त को सुन्नत क़रार दिया है। इनकी दलील वो अहादीष़ हैं जिनमें नमाज़ बा-जमाअ़त का अकेले की नमाज़ पर सत्ताईस दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत बतलाई है। मा'लूम हुआ कि जमाअ़त से बाहर भी नमाज़ हो सकती है मगर ष़वाब में वो इस क़दर कम है कि उसके मुक़ाबले में जमाअ़त की नमाज़ सत्ताइस दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।

अ़ल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं– **'फ़अ़दलुल अक़्वालि अक़्रबुहा इलस्स़वाबि अन्नल जमाअ़त मिनस्सुननिल मुअक्कदतिल्लती ला यख़िल्लु बिमुलाज़मतिहा मा अम्कन इल्ला महरूमुन मश्ऊमुन'** (नैल, जुज़ : 3/स. 37)

यानी दुरुस्त तरक़ौल यही मा'लूम होता है कि जमाअ़त से नमाज़ अदा करना सुनने मोअक्कदा से हैं ऐसी सुन्नत कि इम्कानी त़ाक़त में इससे वही शख़्स़ सुस्ती बरत सकता है जो इन्तिहाई बदबख़्त बल्कि मनहूस है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का रुजहान इस त़रफ़ मा'लूम होता है कि नमाज़ बाजमाअ़त वाजिब है जैसा कि मुनअ़किद बाब से ज़ाहिर है इसीलिये मौलाना मिर्ज़ा हैरत मरहूम फ़र्माते हैं कि **'इन्नल मुह़क़्क़िक़ीन ज़हबू इला वुजूबिहा वल ह़क़्क़ु अह़क़्क़ु बिल इत्तिबाइ।'**

ह़दीष़े अबू हुरैरह (रह.) मुख़्तलिफ़ तुरुक़ से रिवायत की गई है जिसमें अल्फ़ाज़ की कमीबेशी है। इमाम बुख़ारी (रह.) की नक़ल की हुई रिवायत में मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र स़रीह लफ़्ज़ों में नहीं है दूसरी रिवायात में मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र सराहतन आया है जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ।

बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर नमाज़ बाजमाअ़त ही फ़र्ज़ होती तो आप (ﷺ) उनको बग़ैर जलाये न छोड़ते आपका इससे रुक जाना इस अम्र की दलील है कि ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नते मोअक्कदा है। नैलुल औतार में तफ़स़ील से इन अहादिष़ को लिखा गया है। **मनशाअ फ़ल युराजिअ़ इलैह।**

बाब 30 : नमाज़ बाजमाअ़त की फ़ज़ीलत का बयान

٣٠- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

अस्वद (रज़ि.) से जब जमाअ़त फ़ौत हो जाती तो आप किसी दूसरी मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते (जहाँ नमाज़ बाजमाअ़त मिलने का इम्कान होता) और अनस बिन मालिक (रज़ि.) एक ऐसी मस्जिद में ह़ाज़िर हुए जहाँ नमाज़ हो चुकी थी। आपने फिर अज़ान दी, इक़ामत कही और जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ी।

وَكَانَ الأَسْوَدُ: إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ: وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ: فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.

(645) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने नाफ़ेअ़ से, उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जमाअ़त के साथ नमाज़ अकेले नमाज़ पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। (दीगर मक़ाम : 649)

٦٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)). [طرفه في : ٦٤٩].

(646) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यज़ीद बिन हाद ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन ख़ब्बाब से, उन्होंने ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आप फ़र्माते थे कि जमाअ़त से नमाज़ अकेले नमाज़ पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।

٦٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً)).

(647) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाह़िद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अअ़मश ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबू स़ालेह़ से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि आदमी की जमाअ़त के साथ नमाज़ घर में या बाज़ार में पढ़ने से 25 गुना ज़्यादा बेहतर है। वजह ये है कि जब एक शख़्स वुज़ू करता है और उसके तमाम आदाब का लिहाज़ रखकर अच्छी तरह़ वुज़ू करता है फिर मस्जिद का रास्ता पकड़ता है और सिवा नमाज़ के और कोई दूसरा इरादा न हो तो हर क़दम पर उसका एक दर्जा बढ़ता है और एक गुनाह मुआ़फ़ किया जाता है और जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाता है तो फ़रिश्ते उस वक़्त तक उसके लिए बराबर दुआ़एँ करते रहते हैं जब तक कि वो अपने मुसल्ले पर बैठा रहे। कहते हैं कि ऐ अल्लाह! इस पर अपनी रह़मतें नाज़िल फ़र्मा। ऐ अल्लाह! इस पर रह़म कर और जब तक तुम नमाज़ का इंतिज़ार करते रहो गोया तुम नमाज़ ही में मशग़ूल हो। (राजेअ़ : 176)

٦٤٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ)). [راجع: ١٧٦]

तश्रीह : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की ह़दीष में पच्चीस दर्जा और इब्ने उमर (रज़ि.) की ह़दीष में सत्ताईस दर्जा ष़वाब बाजमाअत नमाज़ में बताया गया है।। बाज़ मुह़द्दिष़ीन ने ये भी लिखा है कि इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत ज़्यादा क़वी है इसलिये अ़दद से मुता'ल्लिक़ इस रिवायत को तरजीह होगी लेकिन इस सिलसिले में ज़्यादा स़ह़ी मसलक ये है कि दोनों को स़ह़ी तस्लीम किया जाये। बाजमाअ़त नमाज़ बज़ाते ख़ुद वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा है। एक फ़ज़ीलत की वजह तो यही है। फिर बाजमाअ़त नमाज़ पढ़ने वालों के इख़्लास व तक़्वा में भी तफावुत होगा और ष़वाब भी उसी के मुताबिक़ कमोबेश मिलेगा। इसके अ़लावा कलामे अ़रब में ये अ़दद कष़रत के इज़्हार के मौक़े पर बोले जाते हैं । गोया मक़्सूद सिर्फ़ ष़वाब की ज़्यादती को बताना था। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)।

इब्ने दक़ीक़ुल ईद कहते हैं कि मतलब ये है कि मस्जिद में जमाअ़त से नमाज़ अदा करना घरों और बाज़ारों में नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना ज़्यादा ष़वाब रखता है गो बाज़ार या घर में जमाअ़त से नमाज़ पढ़े। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं कि मैं समझता

हूं घर में और बाज़ार में नमाज़ पढ़ने से वहाँ अकेले नमाज़ पढ़ना मुराद है। वल्लाहु आलम।

बाब 21 : फ़ज्र की नमाज़ बाजमाअत पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में

٣١- بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

(648) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुऐब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़ुह्री ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जमाअ़त से नमाज़ अकेले नमाज़ पढ़ने से 25 दर्जा ज़्यादा बेहतर है। और रात–दिन के फ़रिश्ते फ़ज्र की नमाज़ में जमा होते हैं। फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो (सूरह बनी इस्राईल) की ये आयत पढ़ो, 'इन्ना क़ुर्आनल फ़ज्रि कान मशहूदा' यानी फ़ज्र में क़ुर्आन पाक की तिलावत पर फ़रिश्ते हाज़िर होते है। (राजेअ़ : 176)

٦٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ)) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. [راجع: ١٧٦]

(649) शुऐब ने फ़र्माया कि मुझसे नाफ़ेअ़ ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) के वास्ते से इस तरह हदीष़ बयान की कि जमाअ़त की नमाज़ अकेले की नमाज़ से 27 दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। (राजेअ़ : 645)

٦٤٩- قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. [راجع: ٦٤٥]

(650) हमसे उ़मर बिन हफ़्स ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे अअ़मश ने बयान किया, कहा कि मैंने सालिम से सुना। कहा कि मैंने उम्मे दर्दा से सुना, आपने फ़र्माया कि (एक बार) अबू दर्दा आए, बड़े ही ख़फ़ा हो रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात हुई, जिसने आपको ग़ज़बनाक बना दिया। फ़र्माया अल्लाह की क़सम! हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की शरीअ़त की कोई बात अब मैं नहीं पाता। सिवा इसके कि जमाअ़त के साथ ये लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं।

٦٥٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ : مَا أَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيْعًا.

(651) हमसे मुहम्मद बिन अ़लाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बुरैदा बिन अ़ब्दुल्लाह से बयान किया, उन्होंने अबू बुर्दा से, उन्होंने अबू मूसा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ में ष़वाब के लिहाज़ से सबसे बढ़कर वो

٦٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: ((أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ)).

शख़्स होता है, जो (मस्जिद में नमाज़ के लिए) ज़्यादा से ज़्यादा दूर से आए और जो शख़्स नमाज़ के इंतिज़ार में बैठा रहता है और फिर इमाम के साथ पढ़ता है उस शख़्स से अज्र में बढ़कर है जो (पहले ही) पढ़कर सो जाए।

तश्रीह : पहली ह़दीष में नमाज़े फ़ज्र की ख़ास फ़ज़ीलत का ज़िक्र है कि उसमें फ़रिश्ते ह़ाज़िर होते हैं और किरअते क़ुर्आन मजीद सुनते हैं। दूसरी दो ह़दीषों में मुतलक़ जमाअ़त की फ़ज़ीलत का ज़िक्र है जिसमें इस त़रफ़ इशारा है कि फ़ज्र की नमाज़ बाजमाअ़त अदा की जाये ताकि सत्ताइस हिस्सा ज़्यादा ष़वाब ह़ासिल करने के अ़लावा फ़रिश्तों की भी मइय्यत (साथ) नस़ीब हो जो फ़ज्र में तिलावते क़ुर्आन के लिए जमाअ़त में ह़ाज़िर होते हैं, फिर अ़र्श पर जाकर अल्लाह पाक के सामने इन नेक बन्दों का ज़िक्रे ख़ैर करते हैं।अल्लाह तआ़ला हमें भी इनमें शामिल फ़र्मा दे। आमीन।

٣٢- بَابُ فَضْلِ التَّهْجِيْرِ إِلَى الظُّهْرِ

बाब 32 : ज़ुहर की नमाज़ के लिए सवेरे जाने की फ़ज़ीलत के बयान में

٦٥٢- حَدَّثَنِيْ قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ)).

[طرفه في : ٢٤٧٢].

(652) मुझसे क़ुतैबा बिन सईद ने इमाम मालिक से बयान किया, उन्होंने अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान के ग़ुलाम सुमय नामी से, उन्होंने अबू स़ालेह़ सम्मान से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह ने फ़र्माया एक शख़्स कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने कांटों की भरी हुई एक टहनी देखी, पस उसे रास्ते से दूर कर दिया। अल्लाह तआ़ला (स़िर्फ़ उसी बात पर) राज़ी हो गया और उसकी बख़्शिश कर दी। (दीगर मक़ाम : 2472)

٦٥٣- ثُمَّ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُوْنُ، وَالْمَبْطُوْنُ، وَالْغَرِيْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيْدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ)) وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)).

[أطرافه في : ٧٢٠، ٢٨٢٩، ٥٧٣٣].

(653) फिर आपने फ़र्माया कि शुहदा पाँच क़िस्म के होते हैं। त़ाऊ़न में मरने वाले, पेट के आ़रज़े (हैज़े वग़ैरह) में मरने वाले और डूबकर मरने वाले और जो दीवार वग़ैरह किसी भी चीज़ से दबकर मर जाए और अल्लाह के रास्ते में (जिहाद करते हुए) शहीद होने वाले और आपने फ़र्माया कि अगर लोगों को मा'लूम हो जाए कि अज़ान देने और पहली स़फ़ में शरीक होने का ष़वाब कितना है और फिर इसके सिवा कोई चारा न हो कि क़ुर्आ डाला जाए तो लोग उनके लिए क़ुर्आ ही डाला करें। (दीगर मक़ाम : 720, 2829, 5733)

٦٥٤- ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)).

[راجع: ٦١٥]

(654) और अगर लोगों को ये मा'लूम हो जाए कि ज़ुहर की नमाज़ के लिए सवेरे जाने में क्या ष़वाब है तो उसके लिए एक-दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश करें और अगर ये जान लें कि इशा और सुबह़ की नमाज़ के फ़ज़ाइल कितने हैं, तो घुटनों के बल घिसटते हुए उनके लिए आएँ। (राजेअ़ : 615)

तशरीह : इस ह़दीष में अव्वल रिफ़ाहे आम के षवाब पर रोशनी डाली गई है और बतलाया गया है कि मख़्लूक़े इलाही को फ़ायदा पहुँचाने के लिये अगर कोई छोटा सा क़दम भी उठाया जाये तो इन्दल्लाह इतनी बड़ी नेकी है कि नजाते उख़रवी के लिये सिर्फ़ वही एक काफ़ी हो सकती है। फिर अल्लाह की राह में शहीद होने वालों का बयान किया गया; जिनकी पाँच मज़कूरा किस्मे हैं। फिर अज़ान देना और पहली सफ़ में ह़ाज़िर होकर बाजमाअ़त नमाज़ अदा करना। फिर ज़ुहर की नमाज़ अव्वल वक़्त अदा करना। फिर सुबह और इशा की नमाज़ों का ख़ास ख़्याल रखना वग़ैरह नेकियों पर तवज्जुह दिलाई गई। ज़ुहर की नमाज़ गर्मियों में देर करने की अह़ादीष ज़िक्र में आ चुकी है। यहाँ गर्मियों के अलावा अव्वल वक़्त पढ़ने की फ़ज़ीलत मज़कूर है।

बाब 33 : (जमाअ़त के लिए) हर क़दम पर षवाब मिलने का बयान

٣٣- بَابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

(655) हमसे मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ह़ौशब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ष़क़फ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे ह़ुमैद त़वील ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ बनू सलमा वालों! क्या तुम अपने क़दमों का ष़वाब नहीं चाहते। (दीगर मक़ाम : 656, 1887)

٦٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ)). [طرفاه في : ٦٥٦، ١٨٨٧].

(656) और इब्ने अबी मरयम ने बयान में ये ज़्यादा कहा कि मुझे यह़्या बिन अय्यूब ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे ह़ुमैद त़वील ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि बनू सलमा वालों ने ये इरादा किया कि अपने मकान (जो मस्जिद से दूर थे) छोड़ दें और आँह़ज़रत (ﷺ) के पास आ रहें। (ताकि नमाज़ बाजमाअ़त के लिये मस्जिदे नबवी का ष़वाब ह़ासिल हो) लेकिन आँह़ज़रत (ﷺ) को मदीना का उजाड़ देना बुरा मा'लूम हुआ। आपने फ़र्माया कि क्या तुम लोग अपने क़दमों का ष़वाब नहीं चाहते? मुजाहिद ने कहा (सूरह यासीन में) 'वआष़ारहुम' से क़दम मुराद हैं। यानी ज़मीन पर चलने से पांव के निशानात। (राजेअ़ : 655)

٦٥٦- وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ : أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيْبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْرُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ: ((أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ)). قَالَ مُجَاهِد: خُطاهم: آثارهم، أن يمشي في الأرض بأرجلهم.

[راجع: ٦٥٥]

तशरीह : मदीना के आस-पास जो मुसलमान रहते थे उनकी आरज़ू थी कि वो मस्जिदे नबवी के क़रीब शहर में सुकूनत (निवास) इख़्तियार कर लें लेकिन रसूले करीम (ﷺ) ने इसकी इजाज़त नहीं दी और फ़र्माया कि तुम लोग जितनी दूर से चल चलकर आओगे और यहाँ नमाज़ बाजमाअ़त अदा करोगे हर एक क़दम नेकियों में शुमार किया जायेगा। सूरह यासीन की आयते करीमा **इन्ना नह़नु नुह़यिलमौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आष़ारहुम** में अल्लाह ने इस आम उसूल को बयान फ़र्माया है कि इन्सान का हर वो क़दम भी लिखा जाता है जो वो उठाता है। अगर कदम नेकी के लिये है तो वो नेकियों में लिखा जायेगा ओर अगर बुराई के लिये कोई क़दम उठा रहा है तो वो बुराइयों में लिखा जाएगा। मुजाहिद के क़ौले मज़कूर को अ़ब्द बिन हुमैद ने मौसूलन रिवायत किया है।

बाब 34 : इशा की नमाज़ बाजमाअ़त की

٣٤- باب فضل صلاة العشاء في

फ़ज़ीलत के बयान में

الجماعة

(657) हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़य्याष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अअ़मश ने बयान किया, उन्होनें कहा कि मुझसे अबू स़ालेह ज़क्वान ने बयान किया, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुनाफ़िक़ों पर फ़ज्र और इशा की नमाज़ से ज़्यादा और कोई नमाज़ भारी नहीं और अगर उन्हें मा'लूम होता कि इनका ष़वाब कितना ज़्यादा है (और चल न सकते) तो घुटनों के बल घिसट कर आते और मेरा तो इरादा हो गया था कि मुअज़्ज़िन से कहूँ कि वो तक्बीर कहे, फिर मैं किसी को नमाज़ पढ़ाने के लिये कहूँ और ख़ुद आग की चिंगारियाँ लेकर उन सबके घरों को जला दूँ जो अभी तक नमाज़ के लिए नहीं निकले। (राजेअ़ : 644)

٦٥٧- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيْهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ)). [راجع: ٦٤٤]

इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी ने ये निकाला कि इशा और फ़ज्र की जमाअ़त दीगर नमाज़ों की जमाअ़त से ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है और शरीअ़त में इन दोनों नमाज़ों का बड़ा एहतमाम है। तभी तो आपने उन लोगों के घरों को जलाने का इरादा किया जो उनमें शरीक न हो। मक़्स़दे बाब यही है, बाब और ह़दीष़ में मुत़ाबक़त ज़ाहिर है।

बाब 35 : दो या ज़्यादा आदमी हो तो जमाअ़त हो सकती है

٣٥- بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

(658) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़रअ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद ह़ज़्ज़ाअ ने अबू क़िलाबा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष़ से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि जब नमाज़ का वक़्त आ जाए तो तुम दोनों अज़ान दो और इक़ामत कहो, फिर जो तुममें बड़ा है वो इमाम बने। (राजेअ़ : 628)

٦٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)). [راجع: ٦٢٨]

तशरीह : इससे पहले भी ये ह़दीष़ गुज़र चुकी है कि दो शख़्स़ नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए जो सफ़र का इरादा रखते थे। इन्हीं दो अस़हाब को आपने ये हिदायत फ़र्माई थी। इससे ये मसला ष़ाबित हुआ कि अगर स़िर्फ़ दो आदमी हो तो भी नमाज़ के लिए जमाअ़त करनी चाहिए।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं– **'अल मुरादु बिक़ौलिही अज़्ज़िना अय मन अहब्बु मिन्कुमा अय्युअज़्ज़िन फ़ल युअज़्ज़िन व ज़ालिक लिइस्तिवाइहिमा फिल फ़ज़्लि व ला युअ़तबरू फिल अज़ानि अस्सिनु बिख़िलाफ़ल इमामि अल्ख़'** (फ़तहुल बारी)

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर लफ़्ज़ अज़्ज़िना की तफ़्सीर करते हैं कि तुममें में से जो चाहे अज़ान दे ये इसलिये कि वो दोनों फ़ज़ीलत में बराबर थे और अज़ान में उमर का ए'तिबार नहीं बरख़िलाफ़ इमामत के कि इसमें बड़ी उमर वाले का लिह़ाज़ रखा गया है।

बाब 36 : जो शख़्स़ मस्जिद में नमाज़ के इंतिज़ार

٣٦- بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ

يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

में बैठे उसका बयान और मसाजिद की फ़ज़ीलत

٦٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ)). [راجع: ١٧٦]

(659) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कअ़नी ने बयान किया इमाम मालिक से, उन्होंने अबुज़्ज़िनाद से, उन्होंने अअ़रज से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मलाइका तुममें से उस नमाज़ी के लिये उस वक़्त तक दुआएँ करते रहते हैं। जब तक कि (नमाज़ पढ़ने के बाद) वो अपने मुसल्ले पर बैठा रहे कि ऐ अल्लाह इसकी मग़्फ़िरत कर। ऐ अल्लाह! इस पर रहम कर। तुममें से वो शख़्स जो सिर्फ़ नमाज़ की वजह से रुका हुआ है। घर जाने से सिवाय नमाज़ के और कोई चीज़ उसके लिए मानेअ नहीं, तो उसका (ये सारा वक़्त नमाज़ ही में शुमार होगा। (राजेअ : 176)

٦٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ : وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)).

[أطرافه في : ١٤٢٣، ٦٤٧٩، ٦٨٠٦].

(660) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने उबैदुल्लाह बिन उ़मर अ़म्री से बयान किया, कहा कि मुझसे ख़ुबैब बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया हफ़्स बिन आ़सिम से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि सात तरह के आदमी होंगे। जिनको अल्लाह उस दिन अपने साये में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा और कोई साया न होगा। अव्वल इंसाफ़-पसंद हाकिम, दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में जवानी की उमंग से (हटकर) मसरूफ़ रहा, तीसरा ऐसा शख़्स जिसका दिल हर वक़्त मस्जिद में लगा रहे, चौथे दो ऐसे शख़्स जो अल्लाह के लिए आपस में मुहब्बत रखते हैं और उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही लिल्लाही मुहब्बत है, पाँचवाँ वो शख़्स जिसे किसी बाइज़्ज़त हसीन औरत ने (बुरे इरादे से) बुलाया लेकिन उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, छठा वो शख़्स जिसने सदक़ा किया, मगर इतने पोशीदा तौर पर कि बाएँ हाथ को ख़बर नहीं हुई कि दाहिने हाथ ने क्या ख़र्च किया। सातवाँ वो शख़्स जिसने तनहाई में अल्लाह को याद किया और (बेसाख़्ता) आँखों से आंसू जारी हो गए। (दीगर मक़ाम : 1423, 6479, 6806)

तश्रीह : अल्लामा अबू शामा अब्दुर्रहमान बिन इस्माईल ने उन सात ख़ुशनसीबों का ज़िक्र इन शे'रों में मन्ज़ूम फ़र्माया है

व क़ालन्नबिय्युल मुस्तफ़ा अन्न सब्अ़तु — युज़िल्लुहुमुल्लाहुल करीम बिज़िल्लिही
मुहिब्बुन अफ़ीफ़ुन नाशी मुतसद्दिक़ु — बाकिन मुसल्लिन वल इमामु बिअ़दलिही

अ़र्श का साया मिले सातों तरह से हश्र में, — मुझको मेरी आल को जो हों क़यामत तक ख़ुदा।

इन सात के अलावा भी और बहुत से नेक अमल हैं जिनके बजा लाने वालों को साय-ए-अर्शे अज़ीम की बशारत दी गई है।

हदीष के लफ़्ज़, **'क़ल्बुहू मुअल्लकुन फिल मसाजिदि'** यानी वो नमाज़ी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता है) इस बाब का मक़सद षाबित होताहै। बाकी उन सातों पर तबसरा किया जाये तो दफ़ातिर भी नाकाफ़ी है।

मुतसद्दिक के बारे में मुसनद अहमद में एक हदीष मर्फ़ूअन हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है जिसमें मज़कूर है कि फ़रिश्तों ने कहा या अल्लाह! तेरी कायनात में कोई मख़लूक पहाड़ों से भी ज़्यादा मज़बूत है? अल्लाह ने फ़र्माया हाँ, लोहा है। फिर पूछा कि कोई मख़लूक लोहे से भी ज़्यादा सख़्त है। फ़र्माया कि हाँ, आग है जो लोहे को भी पानी बना देती है। फिर पूछा- परवरदिगार कोई चीज़ आग से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। फ़र्माया हाँ, पानी है जो आग को भी बुझा देता है। फिर पूछा इलाही कोई चीज़ पानी से ज़्यादा अहम है। फ़र्माया हाँ हवा है जो पानी को भी ख़ुश्क कर देती है। फिर पूछा कि या अल्लाह! कोई चीज़ हवा से भी ज़्यादा अहम है। फ़र्माया हाँ आदम का वो बेटा जिसने अपने दाँये हाथ से सदक़ा किया कि उसके बाँयें हाथ को भी ख़बर न हुई कि क्या सदक़ा किया।

हदीषे मज़कूरा में जिन सात खुशनसीबों का ज़िक्र किया गया है उससे मख़सूस तौर पर मर्दों ही को न समझना चाहिए बल्कि औरतें भी इस शरफ़ में दाख़िल हो सकती हैं और सातों औसाफ़ (गुणों) में से हर एक वस्फ़ (गुण) उस औरत पर भी सादिक़ आ सकता है जिसके अन्दर वो ख़ूबी पैदा हो। मषलन सातवां इमामे आदिल है, इसमें वो औरत भी दाख़िल है जो अपने घर की मलिका है और अपने मातहतों पर अदल व इन्साफ़ के साथ हुकूमत करती है। अपने तमाम मुता'ल्लिक़ीन में से किसी की हक़तल्फ़ी नहींकरती। न किसी की तरफ़दारी करते हुए रिआयत करती है बल्कि हर वक़्त अदल व इन्साफ़ को मुक़द्दस रखती है व अला हाज़ल क़ियास।

(661) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया हुमैद तवील से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि क्या रसूलल्लाह (ﷺ) ने कोई अंगूठी पहनी है? आपने फ़र्माया कि हाँ! एक रात इशा की नमाज़ में आपने आधी रात तक देर की। नमाज़ के बाद हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, लोग नमाज़ पढ़कर सो चुके होंगे और तुम लोग इस वक़्त तक नमाज़ ही की हालत में थे जब तक कि तुम इंतिज़ार करते रहे। हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया जैसे इस वक़्त में आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूँ (यानी आपकी अंगूठी की चमक का समाँ मेरी आँखों में है।) (राजेअ : 572)

٦٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: هَلِ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ: ((صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا)) قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ. [راجع: ٥٧٢]

बाब 37 : मस्जिद में सुबह और शाम आने-जाने की फ़ज़ीलत का बयान

٣٧- بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

(662) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन हारून वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमें मुहम्मद बिन मुत़र्रफ़ ने ज़ैद बिन असलम से ख़बर दी, उन्होंने अ़ता बिन यसार से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने हज़रत नबी करीम (ﷺ) से, आपने फ़र्माया कि जो शख़्स मस्जिद में

٦٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)).

सुबह शाम बार-बार हाज़िरी देता है। अल्लाह तआला जन्नत में उसकी मेहमानी का सामान करेगा। वो सुबह शाम जब भी मस्जिद में जाएगा।

٣٨- بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

बाब 38 : जब नमाज़ की तक्बीर होने लगे तो फ़र्ज़ नमाज़ के सिवा और कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकता

٦٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ.)) ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا)) تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَقَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكٍ.

(663) हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने अपने बाप सअ़द बिन इब्राहीम से बयान किया, उन्होंने ह़फ़्स बिन आ़सिम से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना से, कहा कि नबी करीम (ﷺ) का गुज़र एक शख़्स पर हुआ (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि मुझसे अ़ब्दुर्रहमान बिन बिश्र ने बयान किया, कहा कि हमसे बह्ज़ बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे सअ़द बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, कहा कि मैंने ह़फ़्स बिन आ़सिम से सुना, कहा कि मैंने क़बीला अज़्द के एक साहब से जिनका नाम मालिक बिन बुहैना (रज़ि.) था, सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नज़र एक ऐसे नमाज़ी पर पड़ी जो तक्बीर के बाद दो रकअ़त नमाज़ पढ़ रहा था। आँहुज़ूर (ﷺ) जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो लोग उस शख़्स के इर्द–गिर्द जमा हो गए और आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया क्या सुबह की चार रकअ़तें पढ़ता है? क्या सुबह की चार रकअ़तें हो गईं? इस ह़दीष़ की मुताबअ़त ग़ुंदर और मुआ़ज़ ने शुअ़बा से की है जो मालिक से रिवायत करते हैं।

इब्ने इस्हाक़ ने सअ़द से, उन्होंने ह़फ़्स से, वो अ़ब्दुल्लाह बिन बुहैना से और ह़म्माद ने कहा कि हमें सअ़द ने ह़फ़्स के वास्ते से ख़बर दी और वो मालिक के वास्ते से।

तश्रीह़ : ह़ज़रत सय्यिदुना इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ जिन लफ़्ज़ों में बाब मुनअ़क़िद किया है ये लफ़्ज़ ही ख़ुद इस ह़दीष़ में वारिद हुआ है, जिसे इमाम मुस्लिम और सुनन वालों ने निकाला है। मुस्लिम बिन ख़ालिद की रिवायत में इतना ज़्यादा और है कि फ़ज्र की सुन्नतें भी न पढ़ें।

ह़ज़रत मौलाना वह़ीदुज्जमा साहब मुह़द्दिष़ ह़ैदराबादी (रह.) फ़र्माते हैं—हमारे इमाम अह़मद बिन ह़ंबल और अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है कि जब फ़र्ज़ की तकबीर शुरू हो जाये तो फिर कोई नमाज़ न पढ़े न फ़ज्र की सुन्नतें न और कोई सुन्नत या फ़र्ज़, बस उसी फ़र्ज़ में शरीक हो जाये जिसकी तकबीर हो रही है।

और बैहक़ी की रिवायत में जो भी मज़कूर है **इल्ला रकअतयल फ़ज** और हनफ़िया ने इससे दलील पकड़ी कि फ़ज्र की जमाअत होते भी सुन्नत पढ़नी ज़रूरी है, वो सही नहीं है। इसकी सनद में हज्जाज बिन नसीर मतरुक और अब्बाद बिन कषीर मरदूद है। अहले हदीष का ये भी क़ौल है कि अगर कोई फ़ज्र की सुन्नतें शुरू कर चुका हो और फ़र्ज की तकबीर हो तो सुन्नत को तोड़ दे और फ़र्ज में शरीक हो जाए।

अल्लामा शौकानी (रह.) ने नैलुल औतार में इस हदीषे बुख़ारी की शरह में नौ अक़वाल ज़िक्र किए हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का मसलक इन लफ़्ज़ों में बयान फ़र्माया है– **'अन्नहू इन ख़शिय फ़ौतर्रक्अतैनि मअन व अन्नहू ला युदरिकल इमामु क़ब्ल रफ़इही मिनर्रकूइ फ़िष्षानियति दख़ल मअहू व इल्ला फ़ल्यरकअहुमा यअनी रक्अतइल फ़ज्रि ख़ारिजल मस्जिदि षुम्म यदख़ुलु मअल इमामि'** अगर ये ख़तरा हो कि फ़र्ज की दोनों रकअत हाथ से निकल जाएगी तो फ़ज्र की सुन्नतों को न पढ़े बल्कि इमाम के साथ मिल जाए और अगर इतना भी एहतिमाल है कि दूसरी रकअत के रुकूअ में इमाम के साथ मिल सकेगा तो उन दो रकअत सुन्नते फ़ज्र को पढ़ ले, फिर फ़र्जों में मिल जाये। इस सिलसिले में इमाम साहब (रह.) की दलील ये है जो बैहक़ी में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत से मरवी है जिसके अल्फ़ाज़ ये है– **'इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्लल मक्तूबत इल्ला रकअतस्सुब्हि'** यानी तकबीर हो चुकने के बाद सिवाय इस फ़र्ज़ नमाज़ के और कोई नमाज़ जाइज़ नहीं मगर सुबह की दो रकअत सुन्नत।

इमाम बैहक़ी इस हदीष को नक़ल करके ख़ुद फ़र्माते हैं – **'हाज़िहिज़्ज़ियादतु ला अस्ल लहा व फ़ी इस्नादिहा हज्जाजुब्नु नसीर व उब्बादुब्नु कषीर व हुमा ज़ईफ़ानि'** यानी ये इल्ला रकअतइल फ़ज्र वाली ज़ियादती बिल्कुल बेअसल है जिसका कोई षुबूत नहीं और इसकी सनद में हज्जाज बिन नसीर और अब्बाद बिन कषीर हैं और ये दोनों ज़ईफ़ है इसलिये ये ज़ियादती क़तअन नाकाबिले ए'तिबार (अविश्वसनीय) है। बरख़िलाफ़ इसके ख़ुद इमाम बैहक़ी ही ने हज़रत अबू हुरैरह की सही रिवायत इन लफ़्ज़ों में नक़ल की है। **'अन अबी हुरैरत क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्लल मक्तूबत क़ील या रसूलल्लाहि व ला रक्अतइल फ़ज्रि क़ाल वला रक्अतइल फ़ज्रि फ़ी इस्नादिही मुस्लिमुब्नु ख़ालिद अज़्ज़न्जी व हुव मुतकल्लमुन फ़ीहि व क़द वष्षक़हुब्नु हब्बान वहतज्ज बिही फ़ी सहीहिही'**

यानी रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब नमाज़े फ़र्ज़ की तकबीर हो जाए तो फिर कोई और नमाज़ जायज़ नहीं। कहा गया कि फ़ज्र की सुन्नतों के बारे में क्या इर्शाद है। फ़र्माया कि वो भी जाइज़ नहीं। इस हदीष की सनद में मुस्लिम बिन ख़ालिद ज़न्जी है जिसमें कलाम किया गया है। मगर इमाम इब्ने हिब्बान ने इसकी तौष़ीक़ की है और इसके साथ हुज्जत पकड़ी है। अल्लामा शौकानी (रह.) ने इस बह्ष में आख़री नवाँ क़ौल इन लफ़्ज़ों में नक़ल किया है,

'अन्नहू इज़ा समिअल इक़ामात लम यहिल लहूदुख़ूलु फ़ी रक्अतइल फ़ज्रि वला फ़ी ग़ैरिहा मिनन्नवाफ़िलि सवाउन कान फ़िल मस्जिदि औ ख़ारिजिही फ़इन फ़अल फ़क़द असा व हुव क़ौलु अहलिज़्ज़ाहिरि व नक़लहुब्नु हज़्म अनिश्शाफ़िइ व जुम्हूरिस्सलफ़ि' (नैलुल औतार)

या'नी तकबीर सुन लेने के बाद नमाज़ी के लिए फ़ज्र की सुन्नत पढ़ना या और किसी नमाज़े नफ़िल में दाख़िल होना जाइज़ नहीं है। वो मस्जिद में या बाहर अगर ऐसा किया तो वो अल्लाह और रसूल का नाफ़र्मान ठहरा। अहले ज़ाहिर का यही फ़तवा है और अल्लामा इब्ने हज़्म ने इमाम शाफ़िई (रह.) और जुम्हूर सलफ़ से इसी मसलक को नक़ल किया है।

एक तारीख़ी मक्तूबे मुबारक : कौन अहले इल्म है जो हज़रत मौलाना अहमद अली साहब मरहूम सहारनपुरी के नामे नामी से वाक़िफ़ नहीं? आपने बुख़ारी शरीफ़ के हवाशी तहरीर फ़र्माकर अहले इल्म पर एक एहसाने अज़ीम फ़र्माया है मगर इस बह्ष के मौक़े पर आपका क़लम भी जाद-ए-ए'तिदाल से हट गया यानी आपने उसी बैहक़ी वाली हदीष को बतौर दलील नक़ल किया है और उसे अल्लामा मौलाना मुहम्मद इस्हाक साहब देहलवी (रह.) की तरफ़ मन्सूब फ़र्माया है। इन्साफ़ का तक़ाज़ा था कि इस रिवायत पर रिवायत नक़ल करने वाले बुजुर्ग यानी ख़ुद अल्लामा बैहक़ी का फ़ैसला भी नक़ल कर दिया जाता मगर ऐसा नहीं किया जिस से मुतअष्षिर होकर उस्ताज़ुल असातिज़ा शैख़ुल कुल फ़िल कुल हज़रत मौलाना व उस्ताजुना सय्यिद मुहम्मद नज़ीर हुसैन साहब मुहद्दिष देहलवी (रह.) ने आपके नाम एक ख़त तहरीर फ़र्माया था चूंकि ये ख़त एक इल्मी दस्तावेज़ है जिससे रोशन ख़्याल नौजवान को बहुत से मुफ़ीद उमूर मा'लूम हो सकेंगे–इसलिये इस ख़त का पूरा मतन दर्जे ज़ेल

किया जाता है। उम्मीद कि क़ारेईने किराम व उलमा–ए–इज़ाम इसके मुतालअे से महज़ूज़ होंगे।

'मिनल आजिज़िन्नहीफ़ि मुहम्मद नज़ीर हुसैन इलल मौलवी अहमद अली सलम्महुल्लाहुल क़विय्यु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू व बअद फ़त्तिबाअन बिहदीषि ख़ैरल अनामि अलैहि अफ़्ज़लुत्तहिय्यति वस्सलाम अद्दीनुन्नसीहतु वब्तिग़ाउ तासिन बिअहसनिल क़ौलि फ़ा बिल्मइ इष्मन अंय्युहद्दिष बिकुल्लि मा समिअ अज्हरु बिख़िदमतिमुश्शरीफ़ति अन्न मा वक़अ मिन ज़ालिकल मुकर्रमि फ़िल्हाशिय्यति अला सहीहिल बुख़ारी तहत हदीषि इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्ला मक्तूबत समिअतु उस्ताज़ी मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ रहिमहुल्लाहु तआला यक़ूलु वरद फ़ी रिवायतिल बैहक़ी इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्ला रक्अतअल फ़ज्रि इन्तिहा जअलहू अक्षरु तलबतिल इल्मि बल बअ्जु अकाबिरि ज़मानिना अल्लज़ीन यअतमिदून अला क़ौलिकुम बिमुरव्वति अन्फ़ुसिहिम युसल्लूनस्सुन्नत व ला युबालून फ़ौतल जमाअति व हाज़िहिज़्ज़ियादतुल इस्तिफ़्नाउल अख़ीरु इल्ला रक्अतइल फ़ज्रि ला अस्ल लहा बल मर्दूदतुन मतरूदतुन इन्दल मुहक़्क़िक़ीन ला सीमा इन्दल बैहक़िल अमीन व आफ़तुल वज़्इ अला हाज़ल हदीषिस्सहीहि इन्नमा तरउन अन अब्बादिब्नि कषीरिन व हज्जाजुब्नु नसीरिन बिइल्हाक़ि हाज़िहिज़्ज़ियादतुल इस्तिफ़नाउल अख़ीरु व ज़न्नी अन्नकुम अय्युहल मुमज्जिदु मा समिअतुम नक़्ल कलामि उस्ताज़ी अल अल्लामतुल बहरुल फ़हहामतुल मुश्तर बैनल आफ़ाक़ि मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ु रहिमहुल्लाहु तआला ख़ैर रहमतिन फ़ी यौमित्तलाक़ि मिनल बैहक़ी बित्तमामि वल कमालि फ़इन्नल बैहक़ी क़ाल ला अस्ल लहा औ तसामह मिनल मौलाना अल मरहूम लिज़ुअफ़ि मज़ाजिही फ़ी नक़्लिहा व इल्ला फ़ला कलाम इन्दष्षिक़ातिल मुहद्दिषीन फ़ी बुत्लानि रक्अतल फ़ज्रि कमा अख़्रजहुब्नु अदी व सनदुहु हसनुन व अम्मा ज़ियादतुन इल्ला रक्अतस्सुब्हि फ़िल हदीषि फ़क़ालल बैहक़ी हाज़िहिज़्ज़ियादतु ला अस्ल लहा इन्तिहा मुख़्तसरन व क़ालत्तुर्पिश्ती व ज़ाद अहमद बिलफ़्ज़ि फ़ला सलात इल्लल लती उक़ीमत व हुव अख़स्सु व ज़ादुब्नु अदी बिसनदिन हसनिन क़ीला या रसूलल्लाहि व ला रक्अतल फ़ज्रि क़ाल वला रक्अतल फ़ज्रि व क़ालश्शौक़ानी व हदीषु इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्लल मक्तूबत इल्ला रक्अतस्सुब्हि क़ालल बैहक़ी हाज़िहिज़्ज़ियाद ला अस्ल लहा व क़ालश्शैख़नूरुद्दीन फ़ी मौज़ूआतिही हदीषु इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्लल मक्तूबत इल्ला रक्अतइल फ़ज्रि रवल बैहक़ी अन अबी हुरैरत व क़ाल हाज़िहिज़्ज़ियादतु ला अस्ल लहा व हाकज़ा फ़ी कुतुबिल मौज़ूआतिल उख़रा फ़ अलैकुम वल हालतु हाज़िही बिसियानतिद्दीनि इम्मा अन तुसह्हिहुल जुम्लतल अख़ीरत मिन कुतुबि षिक़ातिल मुहद्दिषीन औ तर्ज़िक व ला तुअल्लिमू तलबतकुम इन्न हाज़िहिज़्ज़ियादतु मर्दूदतुन व ला यलाक़ुल अमलु बिहा व ला यअतक़िदु व हा व अना अर्जुल जवाब बिस्सवाबि फ़इन्नहू युनब्बिहुल ग़फ़्लत व यूक़िज़ुल ज़हल वस्सलामु मअल इक्राम'

(इलामु अहलिल अस्रि बिअकामि रक्अतल फ़ज्रि)

तर्जुमा :– ये मुरासला आजिज़ नहीफ़ (विनम्र चिट्ठी) सय्यिद मुहम्मद नज़ीर हुसैन की तरफ़ से मौलवी अहमद अली सल्लमहुलल्लाहुल क़वी के नाम है। बाद सलाम मसनून **हदीष ख़ैरुल अनाम अलैहित्तहय्यतु वस्सलाम अद्दीनुन्नसीहा** (दीन ख़ैर ख़्वाही का नाम है) की इत्तिबाअ (पैरवी) और आँहज़रत (ﷺ) के फ़र्मान, **'इज़ा उक़ीमतुस्सलात अल्हदीष'** (इन्सान को गुनाहगार बनाने के लिए यही काफ़ी है बग़ैर तहक़ीक़े कामिल हर सुनी सुनाई बात को नक़ल कर दे) के पेशेनज़र आपकी ख़िदमत शरीफ़ में लिख रहा हूँ कि आप मुकर्रम ने बुख़ारी शरीफ़ की हदीष **इज़ा उक़ीमतिस्सलातु अल हदीष** के हाशिया पर बैहकी के हवाले से हजरतुल उस्ताज़ मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ साहब का क़ौल नक़ल फ़र्माया है जिसमें सुन्नते फ़ज्र का जमाअते फ़र्ज़ की हालत में पढ़ने का जवाज़ निकलता है। आपके इस क़ौल पर भरोसा करके बहुत से तलबा बल्कि बाज़ अकाबिरे अस्रे हाज़िर (आज के दौर के बड़े लोगों) का ये अमल हो गया है कि फ़र्ज़ नमाज़े फ़ज्र की जमाअत होती रहती है और वो सुन्नतें पढ़ते रहते हैं सो वाजेह हो कि रिवायते मज़कूरा में बैहक़ी के हवाले से **इल्ला रक्अतइल फज्र** वाली ज़ियादती मुहक़्क़िक़ीन उलमा ख़ासतौर पर हज़रत अल्लामा बैहक़ी के नज़दीक बिल्कुल मरदूद और मतरूद है और हदीष सही रिवायतकर्दा हज़रत अबू हुरैरह पर ये इज़ाफ़ा अब्बाद बिन कषीर व हज्जाज बिन नसीर का वज़्अकर्दा (गढ़ा हुआ) है और ऐ मुहतरम फ़ाज़िल! मेरा गुमान है कि आपने हज़रत मौलाना व उस्ताज़ुना अल्लामा फ़हहामा मौलाना मुहमाद इस्हाक साहब (रह.) का बैहक़ी से

नक़ल कर्दा क़ौल पूरे तौर पर नहीं सुना। हालांकि ख़ुद इमाम बैहक़ी वहाँ फ़र्मा रहे हैं कि ये क़ौल बिल्कुल बेअसल (फ़र्ज़ी) है या फिर हज़रत मौलाना (मुहम्मद इस्हाक़ मरहूम) की तरफ़ से उसके नक़ल में उसके ज़ोअफ़े मिज़ाज की वजह से तसामुह (कन्फ्यूज़न) हुआ है वर्ना **इल्ला रकअतल फ़ज्रि** के लफ़्ज़ों के बुतलान में षिक़ाते मुहद्दिषीन की तरफ़ से कोई कलाम ही नहीं, जैसा कि शैख़ सनाउल्लाह साहब ने मुहल्ला शरहे मोअत्ता में फ़र्माया है कि मुस्लिम बिन खालिद ने अम्र बिन दीनार से नक़ल किया है। जब आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया **इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलात इल्लल मक्तूबत** तो आपसे पूछा गया कि फ़ज्र की दो सुन्नतों के बारे में क्या इर्शाद है? आपने फ़र्माया हाँ **वला रकअतल फ़ज्रि** यानी जब फ़र्ज़ नमाज़ की तकबीर हो गई तो अब कोई नमाज़ हत्ता कि फ़ज्र की दो सुन्नतों को पढ़ना भी जाइज़ नहीं। इसको इब्ने अदी ने सनदे हसन के साथ रिवायत किया है और नक़लकर्दा ज़ियादती **इल्ला रकअतल फ़ज्रि** के बारे में इमाम बैहक़ी फ़र्माते हैं कि इस ज़ियादती की कोई असल नहीं है। तोर पिश्ती ने कहा कि अहमद ने ज़्यादा किया **फ़ला सलात इल्लल्लती उक़ीमत** यानी उस वक़्त ख़ुसूसन वही नमाज़ पढ़ी जाएगी जिसकी तकबीर कही गई है और इब्ने अदी ने सनदे हसन के साथ ज़्यादा किया है कि आप (ﷺ) से पूछा गया, क्या नमाज़े फ़ज्र की सुन्नतों के बारे में भी यही इर्शाद है। आपने फ़र्माया हाँ, बवक़्ते जमाअत उनका पढ़ना भी जाइज़ नहीं।

इमाम शौकानी हज़रत इमाम बैहक़ी से हदीष के तहत **इज़ा उक़ीमतिस्सलातु अलअख़** में ज़ियाद की **इल्ला रकअतल फ़ज्रि** मनघड़त और बेअसल है। शेख़ नूरुद्दीन ने भी इन लफ़्ज़ों को मौज़ूआत में शुमार किया है और दूसरी कुतुबे मौज़ूआत में भी ये सराहत मौजूद है।

इन हालात में दीन की हिफ़ाज़त के लिये आप पर लाज़िम हो जाता है कि या तो षिक़ाते मुहक़्क़िक़ीन की किताबों से इसकी सिहहत षाबित फ़र्माएं या फिर रुजूअ फ़र्माकर अपने तलबा को आगाह फ़र्मा दें कि ये ज़ियादती नाक़ाबिले अमल और मरदूद है। इनके सुन्नत होने का अक़ीदा बिल्कुल न रखा जाए। मैं जवाब बा सवाब के लिये उम्मीदवार हूँ जिससे ग़ाफ़िलों को तम्बीह होगी और बहुत से ज़ाहिलों के लिए आगाही, वस्सलामु मअल इक्राम।

जहाँ तक बाद की मा'लूमात है हज़रत मौलाना अहमद अली (रह.) ने इस मक्तूब का कोई जवाब नहीं दिया न ही इस ग़लती की इस्लाह की बल्कि आज तक जुम्ला मतबूआ बुख़ारी मअ हवाशी मौलाना मरहूम में ये ग़लत बयान मौजूद है। पस ख़ुलासतुल–मराम ये कि फ़ज्र की जमाअत होते हुए फ़र्ज़ नमाज़ छोड़कर सुन्नतों में मशग़ूल होना जायज़ नहीं है।

फिर इन सुन्नतों को कब अदा किया जाये इसके बारे में हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने अपनी सुनन में यूँ बाब मुनअक़िद किया है– **बाबुन मा जाअ फ़ीमन तफ़ूतुहुर्रकअतानि क़ब्लल फ़ज्रि युसल्लीहिमा बअद सलातिस्सुब्हि** बाब इस बारे में जिसकी फ़ज्र की ये दो सुन्नतें रह जायें वो उनको नमाज़े फ़र्ज़ की जमाअत के बाद अदा करें। इस पर इमाम तिर्मिज़ी ने ये हदीष दलील में पेश की है।

'अन मुहम्मदिब्नि इब्राहीम अन जद्दिही क़ैस क़ाल ख़रज रसूलुल्लाहि ﷺ फ़उक़ीमतिस्सलातु फ़सल्लैतु मअहुस्सुब्ह षुम्मन्सरफ़न्नबिय्यु ﷺ फ़वजदनी उसल्ली फ़क़ाल महलन या क़ैस अ सलातानि मअन क़ुल्तु या रसूलल्लाहि ﷺ इन्नी लम अकुन रकअतु रकअतल फ़ज्रि फ़ला अज़िन' यानी मुहम्मद बिन इब्राहीम अपने दादा क़ैस का वाक़िया नक़ल करते हैं कि एक दिन मैंने रसूले करीम (ﷺ) के साथ फ़ज्र की नमाज़े फ़र्ज़ जमाअत के साथ अदा की। सलाम फेरने के बाद मैं फिर नमाज़ में मशग़ूल हो गया। आँहज़रत (ﷺ) ने जब मुझे देखा तो फ़र्माया कि ऐ क़ैस! क्या दो नमाज़ें पढ़ रहे हो? मैंने अर्ज़ की हुज़ूर मुझसे फ़ज्र की सुन्नत रह गई थी उनको अदा कर रहा हूँ। आपने फ़र्माया, फिर कुछ मुज़ायक़ा नहीं है।

हज़रत इमाम तिर्मिज़ी फ़र्माते हैं– **'व क़द क़ाल क़ौमुन मिन अहलि मक्कत बिहाज़ल हदीषि लम यरौ बासन अंय्युसल्लियर्रजुलु अर्रकअतैनि बअदल मक्तूबति क़ब्ल अन ततलुअश्शम्सु'** यानी मक्का वालों से एक क़ौम ने इस हदीष के पेशेनज़र फ़तवा दिया है कि इसमें कोई हरज नहीं जिसकी फ़ज्र की सुन्नतें रह जायें वो नमाज़ जमाअत के बाद सूरज निकलने से पहले ही उनको पढ़ लें।

अल मुहद्दिषुल कबीर मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं–

'इअलम अन्न क़ौलहू ﷺ फ़ला अज़िन मअनाहू फला बास अलैक अन तुसल्लियहुमा हीनइज़िन कमा जकर्तुहू व यदुल्लु अ लैहि रिवायतु अबी दाऊद फसकत रसूलुल्लाहि ﷺ (इला अन) फ़इज़ा अरफ़्त हाज़ा कुल्लहू ज़हर

लक बुत्लानु क़ौलि साहिबिल उर्फ़िश्शज़ी फ़ी तफ़्सीरि क़ौलिही फ़ला अज़िन फ़ला तुसल्ली मअ हाज़ल उज़्रि अयज़न अय फ़ला अज़िन लिल इन्कारि' (तोहफ़तुल अहवुज़ी)

यानी जान ले फ़र्माने नबवी **फ़ला अज़िन** का मतलब ये है कि कोई हरज़ नही कि तू उनको अब पढ़ रहा है। अबू दाऊद में सराहत यूँ है कि रसूले करीम (ﷺ) ख़ामोश हो गये। इस तफ़सील के बाद साहिबे उर्फुश्शुज़ा के क़ौल का बुतलान तुझ पर ज़ाहिर हो गया। जिन्होंने फ़ला अज़िन के माना इन्कार के बतलाये हैं यानी आँहज़रत (ﷺ) ने इस लफ़्ज़ से उसको उन सुन्नतों के पढ़ने से रोक दिया। हालांकि ये माना बिल्कुल ग़लत है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **'क़ालब्नु अब्दुल बर्र व ग़ैरहू अल हुज्जतु इन्दत्तनाज़ुइस्सुन्नति फ़मन अदला बिहा फ़क़द अफ्लह व तर्कुत्तनफ़्फ़ुलि इन्द इक़ामतिस्सलाति व तदारुकिहा बअद क़ज़ाइल फ़र्ज़ि अक़्रबु इला इत्तिबाइस्सुन्नति व यतायदु ज़ालिक मिन हैषिल मअना बिअन्न क़ौलहू फिल इक़ामति हय्य अलस्सलाति मअनाहू हल्लुमू इलस्सलाति अय अल्लती युक़ामु लहा फअस्अदुन्नासि बिइम्तिषालि हाज़ल अम्रि मल्लम यताशागल अन्हू बिग़ैरिही वल्लाहु आलमु'** यानी इब्ने अब्दुल बर्र वग़ैरह फ़र्माते हैं कि तनाज़अः (विवाद) के वक़्त फ़ैसलाकुन चीज़ सुन्नते रसूल (ﷺ) है जिसने उसको लाज़िम पकड़ा वो कामयाब हो गया और तकबीर होते ही नफ़िल नमाज़ों को छोड़ देना (जिनमें फ़ज्र की सुन्नतें भी दाख़िल हैं) और उनको फ़र्ज़ों के बाद अदा कर लेना इत्तिबा–ए–सुन्नत के यही क़रीब है और इक़ामत में जो **हय्य अलस्सलाह** कहा जाता है मअ़नवी तौर पर इससे भी उसी अम्र की ताईद होती है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप उस नमाज़ के लिए आओ जिसके लिये इक़ामत कही जा रही है। पस ख़ुशनसीब वही है जो इस अम्र पर फ़ौरन अमलपैरा हो और इसके सिवा और किसी ग़ैर अमल में मशग़ूल न हो। ख़ुलासा ये है कि फ़ज्र की नमाज़े फ़र्ज़ की जमाअ़त होते हुए सुन्नतें पढ़ते रहना और जमाअ़त को छोड़ देना अक़लन व नक़लन किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। फिर भी हिदायत अल्लाह ही के इख़्तियार में है।

बाब 39 : बीमार को किस हद तक जमाअ़त में आना चाहिए

٣٩– بَابُ حَدِّ الْمَرِيْضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

(664) हमसे उमर बिन हफ़्स बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप हफ़्स बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे अअ़मश ने इब्राहीम नख़ई से बयान किया कि हज़रत अस्वद बिन यज़ीद नख़ई ने कहा कि हम हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में गए थे। हमने नमाज़ में हमेशगी और उसकी ता'ज़ीम का ज़िक्र किया। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) के मर्ज़ुल मौत में जब नमाज़ का वक़्त आया और अज़ान दी गई तो फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। उस वक़्त आपसे कहा गया कि अबूबक्र बड़े नर्म दिल हैं। अगर वो आपकी जगह खड़े होंगे तो नमाज़ पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने फिर वही हुक्म दिया, और आपके सामने फिर वही बात दोहराई गई। तीसरी मर्तबा आपने फ़र्माया कि तुम तो बिलकुल यूसुफ़ की साथ वाली औरतों की तरह हो। (कि दिल में कुछ और है और ज़ाहिर कुछ और कर रही

٦٦٤– حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ الأَسْوَدُ: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيْمَ لَهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيْفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. وَأَعَادَ. فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، (فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ. ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ). قِيلَ لِلأَعْمَشِ : وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ. وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.

[راجع: ١٩٨]

हो) अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। आख़िर अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। इतने में नबी करीम (ﷺ) ने मर्ज़ में कुछ कमी महसूस की और दो आदमियों का सहारा लेकर बाहर तशरीफ़ ले गए। गोया मैं उस वक़्त आपके क़दमों को देख रही हूँ कि तकलीफ़ की वजह से ज़मीन पर लकीर करते जाते थे। अबूबक्र (रज़ि.) ने ये देखकर चाहा कि पीछे हट जाएँ। लेकिन आप (ﷺ) ने इशारे से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा फिर उनके पास आए और बाज़ू में बैठ गए। जब अअ़मश ने ये ह़दीष़ बयान की, उनसे पूछा गया कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। और अबूबक्र (रज़ि.) ने आपकी इक़्तिदा की और लोगों ने अबूबक्र (रज़ि.) की नमाज़ की इक़्तिदा की? ह़ज़रत अअ़मश ने सर के इशारे से बतलाया कि हाँ! अबू दाऊद तयालसी ने इस ह़दीष़ का एक टुकड़ा शुअ़बा से रिवायत किया है और शुअ़बा ने अअ़मश से और अबू मुआ़विया ने इस रिवायत में ये ज़्यादा किया है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के बाईं तरफ़ बैठे। पस अबूबक्र (रज़ि.) खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। (राजेअ़ : 198)

٦٦٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(665) हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी मअ़मर से, उन्होंने ज़ुह्री से, कहा कि मुझे ड़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसऊ़द ने ख़बर दी कि ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब नबी करीम (ﷺ) बीमार हो गए और तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई तो आपने अपनी बीवियों से इसकी इजाज़त ली कि बीमारी के दिन मेरे घर में गुज़ारें। उन्होंने इसकी आपको इजाज़त दे दी। फिर आप बाहर तशरीफ़ ले गए। आपके क़दम ज़मीन पर लकीर कर रहे थे। आप उस वक़्त अ़ब्बास (रज़ि.) और एक और शख़्स के बीच में थे (यानी दोनों ह़ज़रात का सहारा लिए हुए थे) ड़बैदुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) रावी ने बयान किया कि मैंने ये ह़दीष़ ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से बयान की, तो आपने फ़र्माया कि उस शख़्स को भी जानते हो? जिनका नाम आ़इशा (रज़ि.) ने नहीं लिया। मैंने कहा कि नहीं! आपने फ़र्माया कि वो दूसरे आदमी ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) थे।

(राजेअ़ : 198) [راجع: ١٩٨]

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद बाब मुनअक़िद करने और ये ह़दीष लाने से ज़ाहिर है कि जब तक भी मरीज़ किसी न किसी त़रह़ से मस्जिद में पहुँच सके यहाँ तक कि किसी दूसरे आदमी के सहारे से जा सके तो जाना ही चाहिए। जैसा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ह़ज़रत अ़ब्बास और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ ले गये।

अल्लामा इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं– **'व मुनासबतु ज़ालिक मिनल ह़दीषि ख़ुरूजुहूस. मुवक्क़िअन अ़ला ग़ैरिही मिन शिद्दतिज़्ज़ुअफ़ि फकअन्नहू युशीरु इला अन्नहू मम बलग इला तिल्कल हालि ला यस्तहिब्बु लहू तकल्लुफ़ल ख़ुरूजि लिल जमाअ़ति इल्ला इज़ा वजद मंय्यतवक्क़उ'** (फ़तहुल बारी)

यानी ह़दीष से इसकी मुनासबत इस तौर पर है कि आँह़ज़रत (ﷺ) का घर से निकलकर मस्जिद में तशरीफ़ लाना कमज़ोरी की शिद्दत के बावजूद दूसरे के सहारे मुमकिन हुआ। गोया ये उस त़रफ़ इशारा है कि जिस मरीज़ का ह़ाल यहाँ तक पहुँच जाए उसके लिये जमाअ़त में ह़ाज़री का तकल्लुफ़ मुनासिब नहीं। हाँ अगर वो कोई ऐसा आदमी पा ले जो उसे सहारा देकर पहुँचा सके तो मुनासिब है।

ह़दीष रोज़े रोशन की त़रह़ वाज़ेह़ है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपने आख़री वक़्त में देख लिया था कि उम्मत की बागडोर सम्भालने के लिए ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से ज़्यादा मौज़ूं (उचित) कोई दूसरा शख़्स इस वक़्त नहीं है, इसलिये आपने बार-बार ताकीद फ़र्माकर ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि.) ही को मुसल्ले पर बढ़ाया। ख़िलाफ़ते सिद्दीकी की ह़क़्क़ानियत पर इससे ज़्यादा वाज़ेह़ दलील नहीं हो सकती बल्कि जब उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने इस सिलसिले में कुछ मअ़ज़रत पेश की और इशारा किया कि मुह़तरम वालिद माजिद बेह़द रक़ीक़ुल क़ल्ब (नर्मदिल) हैं। वो मुसल्ले पर जाकर रोना शुरू कर देंगे। लिहाज़ा आप ह़ज़रत उमर (रज़ि.) को इमामत का हुक्म फ़र्माइये। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) का ऐसा ख़्याल भी नक़ल किया गया है कि वालिदे माजिद मुसल्ला पर तशरीफ़ लाए और बाद में आँह़ज़रत (ﷺ) का विसाल हो गया तो अ़वाम उनके वालिद माजिद के मुता'ल्लिक़ क़िस्म-क़िस्म की बदगुमानियां पैदा करेंगे। इसलिये आँह़ज़रत (ﷺ) ने ये कहकर तुम यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम का साथ वालियों जैसी हो सबको ख़ामोश कर दिया। जैसा कि ज़ुलैख़ा की सहेलियों का ह़ाल था कि ज़ाहिर में कुछ कहती थी और दिल में कुछ और ही था। यही ह़ाल तुम्हारा है।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस वाक़िआ से बहुत से मसाईल षाबित होते हैं। मषलन–
(1) ऐसे शख़्स की उसके सामने ता'रीफ़ करना जिसकी त़रफ़ से अमन हो कि वो ख़ुदपसन्दी में मुब्तला न होगा।
(2) अपनी बीवियों के साथ नर्मी का बर्ताव करना।
(3) छोटे आदमी को ह़क़ ह़ासिल है कि किसी अहम अम्र (काम) में अपने बड़ों की त़रफ़ मुराजअ़त करे।
(4) किसी उमूमी मसले पर आपसी मश्वरे करना।
(5) बड़ों का अदब बहरह़ाल बजा लाना जैसा कि ह़ज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.), आँह़ज़रत (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी देखकर पीछे हटने लगे।
(6) नमाज़ में बकषरत रोना।
(7) कुछ मौक़ों पर बोलने के बजाय मह़ज़ इशारे से काम लेना।
(8) नमाज़ बाजमाअ़त की ताकीद शदीदे वग़ैरह–वग़ैरह। (फ़तहुल बारी)

बाब 40 : बारिश और किसी उ़ज़्र की वजह से घर में नमाज़ पढ़ लेने की इजाज़त का बयान

٤٠- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

(666) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ़ से ख़बर दी कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने एक ठण्डी और बरसात की रात में अज़ान दी,

٦٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ

फिर यूँ पुकार कर कह दिया कि लोगों! अपनी क़यामगाहों पर ही नमाज़ पढ़ लो। फिर फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) सर्दी व बारिश की रातों में मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे कि वो ऐलान कर दे कि लोगों अपनी क़यामगाहों पर ही नमाज़ पढ़ लो। (राजेअ : 632)

بِالصَّلاَةِ – فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ – ثُمَّ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ – إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ – يَقُولُ: ((أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ)). [راجع: ٦٣٢]

(667) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने महमूद बिन रबीअ अंसारी से कि अत्बान बिन मालिक अंसारी (रज़ि.) नाबीना थे और वो अपनी क़ौम के इमाम थे। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अँधेरी और सैलाब की रातें होती हैं और मैं अँधा हूँ, इसलिए आप मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ लें ताकि मैं अपनी नमाज़ की जगह बना लूँ। फिर रसूलुल्लाह उनके घर तशरीफ़ लाए और पूछा कि तुम कहाँ नमाज़ पढ़ना पसंद करोगे। उन्होंने घर में एक जगह बतला दी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वहाँ पढ़ी। (राजेअ : 424)

٦٦٧– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟)) فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [راجع: ٤٢٤]

मक़सद ये है कि जहाँ नमाज़, बाजमाअत की शदीद ताकीद है वहाँ शरीअत ने माक़ूल उज़रों (उचित कारणों) के आधार पर जमाअत छोड़कर नमाज़ की इजाज़त भी दी है। जैसा कि ऊपर बयान की गई अहादीष से ज़ाहिर है।

बाब 41 : जो लोग (बारिश या और किसी आफ़त में) मस्जिद में आ जाएँ तो क्या इमाम उनके साथ नमाज़ पढ़ ले और बरसात में जुमुआ के दिन ख़ुत्बा पढ़े या नहीं?

٤١– بَابُ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ؟

यानी गोया ऐसी आफ़तों में जमाअत में हाज़िर होना मुआफ है लेकिन अगर कुछ लोग तकलीफ़ उठाकर मस्जिद में आ जाएं तो इमाम उनके साथ नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ ले क्योंकि घरों में नमाज़ पढ़ लेना रुख़सत है अफ़ज़ल तो यही है कि मस्जिद में हाज़िर हो।

(668) हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वह्हाब बसरी ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल हमीद साहब अज़् ज़ियादी ने बयान किया, कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन हारिष बिन नौफ़ल से सुना, उन्होंने कहा हमें एक दिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जब बारिश की वजह से कीचड़ हो

٦٦٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا

रही थी ख़ुत्बा सुनाया। फिर मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया और जब वो हय्य अलस्सलात पर पहुँचा तो आपने फ़र्माया कि आज यूँ पुकार दो कि नमाज़ अपनी क़यामगाहों पर पढ़ लो। लोग एक–दूसरे को (हैरत की वजह से) देखने लगे। जैसे उसको उन्होंने नाजाइज़ समझा। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ऐसा मा'लूम होता है कि तुमने शायद इसको बुरा जाना है। ऐसा तो मुझसे बेहतर ज़ात यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी किया था। बेशक जुमुआ वाजिब है मगर मैंने ये पसंद नहीं किया कि हय्य अ़लस्सलात कहकर तुम्हें बाहर निकालूँ (और तक्लीफ़ में मुब्तला करूँ) और हम्माद ने आ़सिम से, वो अ़ब्दुल्लाह बिन हारिष़ से, वो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, इसी तरह रिवायत करते हैं। अल्बत्ता उन्होंने इतना और कहा कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझे अच्छा मा'लूम नहीं हुआ कि तुम्हें गुनाहगार करूँ और तुम इस हालत में आओ कि तुम मिट्टी में घुटनों तक आलूदा हो गए हो। (राजेअ़ 616)

بْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِيْ رَدْغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ: قُلْ : الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا فَقَالَ : كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ.
وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ، فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ.
[راجع: ٦١٦]

तश्रीह : शारहीने बुख़ारी लिखते हैं– 'मक़्सूदुल मुसन्निफ़ि मिन अक़्दि ज़ालिकल बाबि बयानुन अन्नल अम्रा बिस्सलाति फिर्रिहालि लिल इबाहति ला लिल वुजूबि व ला लिन्नुदुबि व इल्ला लम यजुज़ औ लम यकुन औला अय्युसल्लियल इमामु बिमन हज़र' यानी हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सदे बाब ये है कि बारिश और कीचड़ के वक़्त अपने अपने ठिकाने पर अदा करने का हुक्म वुजूब के लिए होता तो फिर हाज़िरीने मस्जिद के साथ मस्जिद के साथ इमाम का नमाज़ अदा करना भी जायज़ न होता या औला न होता। बारिश में ऐसा होता ही है कि कुछ लोग आ जाते हैं कुछ नहीं आ सकते। बहरहाल शरीअ़त ने हर तरह से आसानी को पेशेनज़र रखा है।

(669) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन कष़ीर से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से (शबे क़द्र को) पूछा। आपने फ़र्माया कि बादल का एक टुकड़ा आया और बरसा यहाँ तक कि (मस्जिद की छत) टपकने लगी जो खजूर की शाख़ों से बनाई गई। फिर नमाज़ के लिये तक्बीर हुई। मैंने देखा कि नबी करीम (ﷺ) कीचड़ और पानी में सज्दा कर रहे थे। कीचड़ का निशान आपकी पेशानी पर भी मैंने देखा।

(दीगर मक़ाम : 813, 836, 2016, 2018, 2027, 2036, 2040)

٦٦٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ - وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ - فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ
أطرافه في : ٨١٣، ٨٣٦، ٢٠١٦، ٢٠١٨، ٢٠٢٧، ٢٠٣٦، ٢٠٤٠].

इमाम बुख़ारी (रह.) ने इससे ये ष़ाबित किया कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने कीचड़ और बारिश में भी नमाज़ मस्जिद में पढ़ी। बाब का यही मक़सद है कि ऐसी आफ़तों में जो लोग मस्जिद में आ जायें उनके साथ इमाम नमाज़ पढ़ ले।

(670) हमसे आदम बिन अयास ने बयान किया, कहाकि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन सीरीन ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस (रज़ि.) से सुना, कि अंसार में से एक मर्द ने बहाना पेश किया कि मैं आपके साथ नमाज़ में शरीक नहीं हो सकता और वो मोटा आदमी था। उसने नबी करीम (ﷺ) के लिए खाना तैयार किया और आपको अपने घर दा'वत दी और आपके लिए एक चटाई बिछा दी और उसके एक किनारे को (साफ़ करके) धोया। आँहुज़ूर (ﷺ) ने उस बोरिये पर दो रकअतें पढ़ीं। आले जारूद के एक शख़्स (अब्दुल ह़मीद) ने अनस (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) चाश्त की नमाज़ पढ़ते थे तो उन्होंने फ़र्माया कि उस दिन के सिवा और कभी मैंने आपको पढ़ते हुए नहीं देखा। (दीगर मक़ाम : 1179, 6070)

٦٧٠- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ - وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا - فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيْرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيْرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

[طرفاه في : ١١٧٩، ٦٠٨٠].

तश्रीह : यहां ये हदीष लाने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद बज़ाहिर ये मा'लूम होता है कि मा'ज़ूर (असमर्थ) लोग अगर जुमुआ की जमाअत में न शरीक हो सकें और वो इमाम से दरख़्वास्त करें कि उनके घर में उनके लिये नमाज़ की जगह तजवीज़ कर दी जाये तो इमाम को ऐसा करने की इजाज़त है। बाब में बारिश के उज़्र का ज़िक्र था और हदीषे हाज़ा में एक अन्सारी मर्द के मोटापे को उज़्र (कारण) के तौर पर ज़िक्र किया गया है। जिससे ये ज़ाहिर करना मक़सूद है कि शरअन जो उज़र मा'कूल हो उसके आधार पर जमाअत से पीछे रह जाना जाइज़ है।

बाब 42 : जब खाना ह़ाज़िर हो और नमाज़ की तक्बीर हो जाए तो क्या करना चाहिये?

٤٢- بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ،

और इब्ने उमर (रज़ि.) तो ऐसी ह़ालत में पहले खाना खाते थे। और अबू दर्दा (रज़ि.) फ़र्माते थे कि अ़क़्लमंदी ये है कि पहले आदमी अपनी हाजत पूरी कर ले ताकि जब वो नमाज़ में खड़ा हो तो उसका दिल फ़ारिग़ हो।

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلاَتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ.

(671) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने हिशाम बिन उर्वा से बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि अगर शाम का खाना सामने रखा जाए और इधर नमाज़ के लिये तक्बीर

٦٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَأُوا

होने लगे तो पहले खाना खा लो। (दीगर मक़ाम : 5465)

بِالْعَشَاءِ)). [طرفه في : ٥٤٦٥].

(672) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने अ़क़ील से, उन्होंने इब्ने शिहाब से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि शाम का खाना ह़ाज़िर किया जाए तो मग़रिब की नमाज़ से पहले खाना खा लो और खाने में बेमज़ा भी न होना चाहिए और अपना खाना छोड़ कर नमाज़ में जल्दी न करो। (दीगर मक़ाम : 5463)

٦٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)). [طرفه في : ٥٤٦٣].

तश्रीह : इन जुम्ला आष़ार और अह़ादीष़ का मक़सद इतना ही है कि भूख के वक़्त अगर खाना तैयार हो तो पहले उससे फ़ारिग़ होना चाहिए ताकि नमाज़ पूरे सुकून के साथ अदा की जाये और दिल खाने में न लगा रहे और ये उसके लिये है जिसे पहले ही से भूख सता रही हो।

(673) हमसे उ़बैद बिन इस्माईल ने बयान किया अबू उसामा ह़म्माद बिन उसामा से, उन्होंने उ़बैदुल्लाह से, उन्होंने नाफ़ेअ़ से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुममें से किसी का शाम का खाना तैयार हो चुका हो और तक्बीर भी कही जा चुकी तो पहले खाना खा लो नमाज़ के लिये जल्दी न करो, खाने से फ़राग़त कर लो। और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के लिए खाना रख दिया जाता और इधर इक़ामत भी हो जाती लेकिन आप खाने से फ़ारिग़ होने तक नमाज़ में शरीक नहीं होते थे। आप इमाम की क़िरअत बराबर सुनते रहते थे।

(दीगर मक़ाम : 674, 5464)

٦٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ، فَلاَ يَأْتِيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

[طرفاه في : ٦٧٤، ٥٤٦٤].

(674) ज़ुहैर और वहब बिन उ़ष़्मान ने मूसा बिन उ़क़्बा से बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ़ से, उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर तुममें से कोई खाना खा रहा हो तो जल्दी न करे बल्कि पूरी तरह खा ले गो नमाज़ खड़ी ही क्यूँ न हो गई हो। अबू अ़ब्दुल्लाह ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा और मुझसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने वहब बिन उ़ष़्मान से ये ह़दीष़ बयान की और वहब मदनी है।

٦٧٤ - وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ)) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبٌ مَدِيْنِيٌّ.

बाब 43 : जब इमाम को नमाज़ के लिए बुलाया जाए

٤٣ - بَابُ إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى

और उसके हाथ में खाने की चीज़ हो तो वो क्या करे?

الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

(675) हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने स़ालेह़ बिन कैसान से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझको जा'फ़र बिन अ़म्र बिन उमय्या ने ख़बर दी कि उनके बाप अ़म्र बिन उमय्या ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप बकरी की रान का गोश्त काट—काटकर खा रहे थे। इतने में आप नमाज़ के लिए बुलाए गए। आप खड़े हो गए और छुरी डाल दी, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई और वुज़ू नहीं किया। (राजेअ़ : 208)

٦٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [راجع: ٢٠٨]

तशरीह : इस बाब और इसके तहत इस ह़दीष़ के लाने से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रज़ि.) को ये स़ाबित करना मन्ज़ूर है कि पिछली ह़दीष़ का हुक्म इस्तिहबाबन था वुजूबन न था वर्ना आँह़ज़रत (ﷺ) खाना छोड़कर नमाज़ के लिए क्यों जाते। बाज़ कहते हैं इमाम का हुक्म अलग है उसे खाना छोड़कर नमाज़ के लिये जाना चाहिए। ह़दीष़ से ये भी स़ाबित हुआ कि गोश्त खाने से वुज़ू नहीं टूटता।

बाब 44 : उस आदमी के बारे में जो अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ था कि तक्बीर हुई और वो नमाज़ के लिए निकल खड़ा हुआ

٤٤- بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

(676) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा हमसे ह़कम बिन उ़त्बा ने इब्राहीम नख़ई से बयान किया, उन्होंने अस्वद बिन ज़ैद से, उन्होंने कहा कि मैंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर में क्या—क्या करते रहे थे। आपने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने घर के काम—काज यानी अपने घरवालियों की मदद किया करते थे और जब नमाज़ का वक़्त होता तो फ़ौरन (काम—काज छोड़कर) नमाज़ के लिए चले जाते थे। (दीगर मक़ाम : 5363, 6039)

٦٧٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

[طرفاه في : ٥٣٦٣، ٦٠٣٩].

बाब 45 : कोई शख़्स सिर्फ़ ये बतलाने के लिए कि आँह़ज़रत (ﷺ) नमाज़ क्यूँकर पढ़ा करते थे और आपका त़रीक़ा क्या था नमाज़ पढ़ाए तो कैसा है?

٤٥- بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتَهُ

(677) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़्तियानी ने अबू क़िलाबा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से बयान किया, उन्होंने कहा कि मालिक बिन हुवैरिष़ (स़हाबी) एक बार हमारी

٦٧٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي

مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي. فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.

[أطرافه في : ٨٠٢، ٨١٨، ٨٢٤].

इस मस्जिद में आए और फ़र्माया कि मैं तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाऊँगा और मेरी निय्यत नमाज़ की नहीं है। मेरा मक़सद ये है कि तुम्हें नमाज़ का वो तरीक़ा सीखा दूँ जिस तरीक़े से नबी (ﷺ) नमाज़ पढ़ा करते थे। मैंने अबू क़िलाबा से पूछा कि उन्होंने किस तरह नमाज़ पढ़ी थी? उन्होंने बताया कि हमारे शैख़ (उमर बिन सलमा) की तरह। शैख़ जब सज्दे से सर उठाते तो ज़रा बैठ जाते फिर खड़े होते।

(दीगर मक़ाम : 802, 818, 824)

तश्रीह : दूसरी या चौथी रकअ़त के लिए थोड़ी देर बैठकर उठना ये जल्स-ए-इस्तिराहत कहलाता है। इसी का ज़िक्र इस ह़दीष में आया है। **'क़ालल ह़ाफ़िज़ु फिल फ़तहि व फ़ीहि मशरूइय्यतुन जल्सतुल इस्तिराहति व अख़ज़ बिहिश्शाफ़िइ व ताइफ़तुम्मिन अहलिल ह़दीष़'** यानी फ़तहुल बारी में ह़ाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़र्माया कि इस ह़दीष से जल्स-ए-इस्तिराहत की मशरुइय्यत ष़ाबित हुई और इमाम शाफ़िई (रह.) और अहले ह़दीष की एक जमाअ़त का इसी पर अ़मल है।

मगर अह़नाफ़ ने जल्स–ए–इस्तिराहत का इन्कार किया है। चुनान्चे एक जगह लिखा हुआ है– 'ये जल्स–ए–इस्तिराहत है और ह़नफ़िया के यहाँ बेहतर है कि ऐसा न किया जाए।' (तफ़्हीमुल बुख़ारी, स:81)

आगे यही ह़ज़रत अपने इस ख़्याल की खुद ही तर्दीद फ़र्मा रहे हैं चुनान्चे इर्शाद होता है, 'यहाँ ये भी मलह़ूज़ रहे कि इसमें इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ अफ़ज़लियत की ह़द तक है।'

जिससे साफ जाहिर है कि आप इसे जवाज़ के दर्जे में मानते हैं। फिर ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है कि बाद में इस पर अमल तर्क हो गया था। हम इस बह़ष को तूल देना नहीं चाहते सिर्फ़ मौलाना अब्दुल हई स़ाहब ह़नफ़ी लखनवी का तबस़रा नक़ल कर देते हैं आप लिखतेहैं– **'इ़अलम अन्न अक्ष़र अस़्ह़ाबिनल ह़नफ़िय्यति व कष़ीरम्मिनल मशाइख़िस्सूफ़िय्यती क़द ज़करू फ़ी कैफ़िय्यति स़लातित्तस्बीहि अल कैफ़िय्यतल्लती ह़काहत्तिर्मिज़ी वल ह़ाकिम अन अ़ब्दिल्लाहिब्निल मुबारकि अल्ख़ालियत अन जल्सतिल इस्तिराहति वश्शाफ़िइय्यतु वल मुहद्दिषून अक्ष़रहुमुख़्तारुल कैफ़िय्यतल मुश्तमिलत अ़ला जल्सतिल इस्तिराहति व क़द अ़लिम हुमा अस्लफ्ना अन्नल असह्ह ष़ु बूतन हुव हाज़िहिल कैफ़िय्यतु फ़ल्याख़ुज़ बिहा मंय्युसल्लीहा ह़नफ़िय्यन औ शाफ़िइय्यन'** (तुह़फ़तुल अह़वुज़ी) यानी जान लो कि हमारे अकषर अह़नाफ़ और मशाइख़े–सूफ़िया ने सलातुत्तस्बीह़ का ज़िक्र किया है जिसे तिर्मिज़ी और ह़ाकिम ने ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से नक़ल किया है मगर उसमें जल्स–ए–इस्तिराह़त का ज़िक्र नहीं है। जबकि शाफ़िइय्यह और अकषर मुह़द्दिष़ीन ने जल्स–ए–इस्तिराह़त को मुख़्तार क़रार दिया है और हमारे बयाने गुज़िश्ता से ज़ाहिर है कि षुबूत के लिहाज़ से स़ही यही है कि जल्स–ए–इस्तिराहत करना बेहतर है। पस कोई ह़नफ़ी हो या शाफ़िई उसे चाहिए कि जब भी वो सलाते तस्बीह पढ़े ज़रूर जल्स–ए–इस्तिराहत करे।

मुहद्दिषे कबीर अल्लामा अब्दुर्रहमान स़ाहब मुबारकपूरी (रह.) फ़र्माते हैं– **'क़दिअ़तरज़ल हनफ़िय्यतु व ग़ैरहुम मल्लम यक़ुल बिजल्सतिल इस्तिराहति अ़निल अ़मलि बिहदीष़ि मालिकिब्नि लहुवैरिष़िल मज़्कूरत फिल बाबि बिअ़ाज़ारिन कुल्लिहा बारिदतुन'** (तोहफतुल अहवुज़ी) यानी जो हजरात जल्स–ए–इस्तिराहत के काइल नहीं अहनाफ वग़ैरह उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष (रज़ि.) की हदीष़, जो यहाँ तिर्मिज़ी में मज़्कूर हुई है (और बुख़ारी शरीफ़ में भी क़ारेईन के सामने है) पर अ़मल करने से अनेक उज़्र पेश किए हैं जिनमें कोई जान नहीं है और जिनको उज़्रे–बेजा ही कहना चाहिए। (मजीद तफ़सील के लिये तुहफ़तुल अहवजी का मुतालआ करना चाहिए)

बाब 46 : इमामत कराने का सबसे ज़्यादा ह़क़दार वो है जो इल्म और (अ़मली तौर पर भी) फ़ज़ीलत वाला हो

٤٦- بَابُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ इस बाब के मुनअ़क़िद करने से उन लोगों की तर्दीद है जो इमामत कराने वालों के लिये इल्म व फ़ज़्ल की ज़रूरत नहीं समझते और हर एक जाहिल, कुन्दा, ना-तराश (अनपढ़) को बेतकल्लुफ़ नमाज़ में इमाम बना देते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि इमाम बुख़ारी का ये मज़हब है कि आ़लिम इमामत का ज़्यादा ह़क़दार है बनिस्बत क़ारी के क्योंकि सह़ाबा में उबय बिन कअ़ब को इमाम नहीं बनाया और आँह़ज़रत (ﷺ) ने अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) को इमामत का हुक्म दिया और ह़दीष में जो आया है कि जो ज़्यादा तुमसे अल्लाह की किताब का क़ारी हो वो इमामत करें तो इमाम शाफ़िई (रह.) ने उसकी ये तौजीह की है कि ये हुक्म आप ही के ज़मान-ए-मुबारक में था। उस वक़्त जो अक़रअ होता वो अफ़्क़ह यानी आ़लिम भी होता था और इमाम अह़मद (रह.) ने अक़रअ को मुक़द्दम रखा है। अक़रअ पर और अगर कोई अफ़्क़ह भी हो और अक़रअ भी तो वो सब पर मुक़द्दम होगा बिल इत्तिफ़ाक़ हमारे ज़माने में भी ये बला आम हो गई लोग ज़ाहिलों को पेश इमाम बना देते हैं जो अपनी नमाज़ भी ख़राब करते हैं और दूसरों की भी। (ख़ुलासा शरह वह़ीदी)

(678) हमसे इस्ह़ाक़ बिन नस्र ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन बिन अ़ली बिन वलीद ने ज़ाइदा बिन क़ुदामा से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल मलिक बिन उ़मैर से, कहा कि मुझसे अबू बुर्दा आ़मिर ने बयान किया, मैंने अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) बीमार हुए और जब बीमार शिद्दत इख़्तियार कर गई तो आपने फ़र्माया कि अबूबक्र (रज़ि.) से कहो कि उन लोगों को नमाज़ पढ़ाए। इस पर ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) बोली कि वो नर्मदिल हैं जब आपकी जगह खड़े होंगे तो उनके लिये नमाज़ पढ़ाना मुश्किल होगा। आपने फिर फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने फिर वही बात कही। आपने फिर फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो कि नमाज़ पढ़ाएँ। तुम लोग सवाहि़बे यूसुफ़ (ज़ुलैख़ा) की तरह (बातें बनाती) हो। आख़िर अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पास आदमी बुलाने आया और आपने लोगों को नबी (ﷺ) की ज़िन्दगी में नमाज़ पढ़ाई। (दीगर मक़ाम : 3385)

٦٧٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ((مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَ: ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَعَادَتْ. فَقَالَ : ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ)). فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.[طرفه في : ٣٣٨٥].

(679) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने हिशाम बिन उ़र्वा से ख़बर दी, उन्होंने अपने बाप उ़र्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीमारी में फ़र्माया कि अबूबक्र से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो।

٦٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي

مَرَضِهِ، ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَهْ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ)). فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا. [راجع: ١٩٨]

हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने कहा कि अबूबक्र आपकी जगह खड़े होंगे तो रोते–रोते वो (क़ुर्आन मजीद) सुना न सकेंगे, इसलिए आप उमर से कहिए कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। आप फ़र्माती थी कि मैंने हफ़्सा (रज़ि .) से कहा कि वो भी कहें कि अगर अबूबक्र आपकी जगह खड़े हुए तो रोते–रोते लोगों को (क़ुर्आन) सुना न सकेंगे। इसलिए उमर (रज़ि.) से कहिये कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। हफ़्सा (रज़ि.) उम्मुल मोमिनीन और हज़रत उमर रज़ि. की बेटी) ने भी इसी तरह कहा तो आपने फ़र्माया कि ख़ामोश रहो। तुम सवाहिबे यूसुफ़ की तरह हो। अबूबक्र से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ पस हफ़्सा (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा, भला मुझको कहीं तुमसे भलाई पहुँच सकती है? (राजेअ : 198)

तश्रीह : इस वाक़िआ से मुता'ल्लिक अहादीष में **'सवाहिबे यूसुफ़'** का लफ़्ज़ आता है, लेकिन यहां मुराद सिर्फ़ जुलेखा से है। इसी तरह हदीष में भी सिर्फ़ एक ज़ात आइशा (रज़ि.) की मुराद है। यानी ज़ुलेख़ा ने औरतों के एतराज़ के सिलसिले को बन्द करने के लिये उन्हें बज़ाहिर दावत दी और एज़ाज़ व इकराम किया लेकिन मक़सद सिर्फ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिखाना था कि तुम मुझे क्या मलामत करती हो बात ही कुछ ऐसी है कि मैं मज़बूर हूँ जिस तरह उस मौक़े पर ज़ुलेख़ा ने अपने दिल की बात छुपाए रखी थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) भी जिनकी दिली तमन्ना यही थी कि अबू बक्र (रज़ि.), नमाज़ पढ़ाएं लेकिन आँहज़रत (ﷺ) से मज़ीद तौषीक़ के लिए एक दूसरे उनवान से बार–बार पुछवाती थी। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने इब्तिदा में ग़ालिबन बात नहीं समझी होगी और बाद में जब आँहज़रत (ﷺ) ने ज़ोर दिया तो वो भी हज़रत आइशा (रज़ि.) का मक़सद समझ गई और फ़र्माया कि मैं भला तुमसे कभी भलाई क्यों देखने लगी? (तफ़्हीमुल बुख़ारी, स : 82/पा :3)

हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का मतलब ये था कि आख़िर तुम सौकन हो तो कैसी ही सही तुमने ऐसी सलाह दी कि आँहज़रत (ﷺ) को मुझ पर ख़फ़ा कर दिया। इस हदीष से अहले दानिश समझ सकते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) को क़तई तौर पर ये मन्ज़ूर न था कि अबू बक्र (रज़ि.) के सिवा और कोई इमामत करे और बावजूद कि हज़रत आइशा (रज़ि.) जैसी प्यारी बीवी ने तीन बार मअ़रुज़ा पेश किया मगर आपने एक न सुनी।

पस अगर हदीषुल क़िरतास में भी आपका मन्शा यही होता कि ख़्वाहमख़्वाह किताब लिखी जाए तो आप ज़रूर लिखवा देते और हज़रत उमर (रज़ि.) के झगड़े के बाद आप कई दिन ज़िन्दा रहे मगर दोबारा किताब लिखवाने का हुक्म नहीं फ़र्माया। (वहीदी)

٦٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ - وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي

(680) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे अनस बिन मालिक अंसारी (रज़ि.) ने ख़बर दी। आप नबी करीम (ﷺ) की पैरवी करने वाले ख़ादिम और सहाबी थे कि आँहुज़ूर (ﷺ) के मरज़ुल मौत में अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाते

थे। पीर के दिन जब लोग नमाज़ में सफ़ बाँधे खड़े हुए थे तो आँहज़रत (ﷺ) हुजरे का पर्दा हटाए खड़े हुए हमारी तरफ़ देख रहे थे। आप (ﷺ) का चेहरा (हुस्नो—जमाल और सफ़ाई में) गोया मुस्हफ़ का वरक़ था। आप मुस्कुराकर हंसने लगे। हमें इतनी खुशी हुई कि ख़तरा हो गया कि कहीं हम सब आपको देखने ही में न मशग़ूल हो जाएँ और नमाज़ तोड़ दें। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) उलटे पांव पीछे हटकर सफ़ के साथ आ मिलना चाहते थे। उन्होंने समझा कि नबी (ﷺ) नमाज़ के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं लेकिन आपने हमें इशारा किया कि नमाज़ पूरी कर लो फिर आपने पर्दा डाल दिया फिर आप (ﷺ) की वफ़ात हो गई। (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन)

(दीगर मक़ाम : 671, 754, 1205, 4448)

بِهِمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ ﷺ.

[أطرافه في:٦٨١، ٧٥٤، ١٢٠٥، ٤٤٤٨].

(681) हमसे अबू मअमर अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर मनक़री ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ बिन सईद ने बयान किया। कहाकि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) (अय्यामे बीमारी में) तीन दिन तक बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। उन्हीं दिनों में एक दिन नमाज़ क़ायम की गई। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आगे बढ़ने को थे कि नबी करीम (ﷺ) ने (हुज्र—ए—मुबारक का) पर्दा उठाया। जब हुज़ूर (ﷺ) का चेहरा मुबारक दिखाई दिया। तो आपके रूए पाक व मुबारक से ज़्यादा हसीन मंज़र हमने कभी नहीं देखा था। (क़ुर्बान उस हुस्न व जमाल के) फिर आपने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया और आपने पर्दा गिरा दिया और उसके बाद वफ़ात तक कोई आपको देखने पर क़ादिर न हो सका। (राजेअ : 680)

٦٨١– حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثًا، فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا. فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

[راجع: ٦٨٠]

(682) हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझसे यूनुस बिन यज़ीद ऐली ने इब्ने शिहाब से बयान किया, उन्होंने हम्ज़ा बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने अपने बाप अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से ख़बर दी कि जब रसूले करीम (ﷺ) की बीमारी शिद्दत

٦٨٢– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ

इख़्तियार कर चुकी और आपसे नमाज़ के लिए कहा गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। आइशा (रज़ि.) ने कहा कि अबूबक्र कच्चे दिल के आदमी हैं। जब वो क़ुर्आन मजीद पढ़ते हैं तो बहुत रोने लगते हैं। लेकिन आपने कहा कि उन्हीं से कहो नमाज़ पढ़ाएँ। दोबारा उन्होंने फिर वही बहाना दोहराया। आपने फिर फ़र्माया कि उनसे नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। तुम तो बिलकुल सवाहिबे यूसुफ़ की तरह हो। इस हदीष़ की मुताबअ़त मुहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी और ज़ुह्री के भतीजे और इस्हाक़ बिन यह्या कल्बी ने ज़ुह्री से की है और अक़ील और मअ़मर ने ज़ुह्री से, उन्होंने हम्ज़ा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

اللهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ. قَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي)). فَعَاوَدَتْهُ فَقَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ.

तश्रीह : इन जुमला अहादीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद यही है कि इमामत उस शख़्स को करनी चाहिए जो इल्म में मुमताज़ (श्रेष्ठ) हो ये एक अहमतरीन मन्सब है जो हर किसी के लिए मुनासिब नहीं है। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा का ख़्याल था कि वालिदे मुहतरम हुज़ूर की जगह खड़े हों और हुज़ूर की वफ़ात हो जाए तो लोग क्या क्या ख़यालात पैदा करेंगे। इसलिये बार-बार वो उज़्र पेश करती रही मगर अल्लाह पाक को ये मन्ज़ूर था कि आँहज़रत (ﷺ) के बाद अव्वलीन तौर पर इस मसनद के मालिक हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ही हो सकते है, इसलिये आप ही का तक़र्रुर अमल में आया।

ज़ुबैदी की रिवायत को तबरानी ने और ज़ोहरी के भतीजे की रिवायत को इब्ने अ़दी ने और इस्हाक़ की रिवायत को अबूबक्र बिन शाज़ान ने वस्ल किया अ़क़ील और मअ़मर ने इस हदीष को मुरसलन रिवायत किया क्योंकि हम्ज़ा बिन अ़ब्दुल्लाह ने आँहज़रत (ﷺ) को नहीं पाया। अ़क़ील की रिवायत को इब्ने सअ़द और अबू लैला ने वस्ल किया है।

बाब 47 : जो शख़्स किसी उज़्र की वजह से सफ़ छोड़कर इमाम के बाज़ू में खड़ा हो

٤٧– بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

(683) हमसे ज़करिया बिन यह्या बल्ख़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हिशाम बिन उ़र्वा ने अपने बाप उ़र्वा से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीमारी में हुक्म दिया कि अबूबक्र लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ इसलिए आप लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे। उ़र्वा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन अपने आपको कुछ हल्का पाया और बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा रहे थे। उन्हों ने जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को देखा तो पीछे हटना चाहा। लेकिन आँहुज़ूर (ﷺ) ने इशारे से उन्हें अपनी जगह क़ायम रहने का हुक्म फ़र्माया। पस रसूले करीम (ﷺ)

٦٨٣– حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ،

فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ. [راجع: ١٩٨]

अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के बाज़ू में बैठ गए। अबूबक्र (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा करते थे। (राजेअ: 198)

गो इमाम के बाज़ू में खड़ा होना मज़कूर है और हदीष में आँहज़रत (ﷺ) का अबू बक्र (रज़ि.) के बाज़ू में बैठना बयान हो रहा है मगर शायद आप पहले बाज़ू में खड़े हो कर फिर बैठ गए होंगे या खड़े होने को बैठने पर क़ियास कर लिया गया है।

٤٨- بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلاَتُهُ. فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 48 : एक शख़्स ने इमामत शुरू कर दी फिर पहला इमाम आ गया अब पहला शख़्स (मुक़्तदियों में मिलने के लिए) पीछे सरक गया या नहीं सरका, बहरहाल उसकी नमाज़ जाइज़ हो गई। इस बारे में हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से रिवायत किया है।

٦٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ

(684) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार से ख़बर दी, उन्होंने सहल बिन सअ़द साएदी (सहाबी रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बनी अ़म्र बिन औ़फ़ में (क़ुबा में) सुलह कराने के लिए गए, पस नमाज़ का वक़्त हो गया। मुअज़्ज़िन (हज़रत बिलाल रज़ि. ने) अबूबक्र (रज़ि.) से आकर कहा कि क्या आप नमाज़ पढ़ाएँगे, मैं तक्बीर कहूँ। अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा कि हाँ चुनाँचे अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने नमाज़ शुरू कर दी। इतने में रसूले करीम(ﷺ) तशरीफ़ ले आए तो लोग नमाज़ में थे। आप सफ़ों से गुज़रकर पहली सफ़ में पहुँचे। लोगों ने एक हाथ को दूसरे पर मारा (ताकि हज़रत अबूबक्र रज़ि.) आँहुज़ूर (ﷺ) की आमद पर आगाह हो जाएँ) लेकिन अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ में किसी तरफ़ तवज्जह नहीं देते थे। जब लोगों ने लगातार हाथ पर हाथ मारना शुरू कर दिया तो सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) मुतवज्जह हुए और रसूले करीम (ﷺ) को देखा। आपने इशारे से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा। (कि नमाज़ पढ़ाए जाओ) लेकिन उन्होंने अपना हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको इमामत का ऐज़ाज़ बख़्शा, फिर भी वो पीछे हट गए और सफ़ में शामिल हो गए। इसलिए नबी करीम (ﷺ) ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आपने

फ़र्माया कि अबूबक्र जब मैंने आपको हुक्म दिया था। फिर आप षाबित क़दम क्यूँ न रहे। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बोले कि अबू क़ुहाफ़ा के बेटे (यानी अबूबक्र) की ये हैषियत न थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने नमाज़ पढ़ा सके। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों की तरफ़ ख़िताब करते हुए फ़र्माया कि अजीब बात है। मैंने देखा कि तुम लोग बकष़रत तालियाँ बजा रहे थे। (याद रखो) अगर नमाज़ में कोई बात पेश आ जाए तो सुब्हानल्लाह कहना चाहिए जब वो ये कहेगा तो उसकी तरफ़ तवज्जह की जाएगी और ये ताली बजाना औरतों के लिए है।
(दीगर मक़ाम : 1201, 1204, 1218, 1234, 2690, 2693, 7190)

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟)) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا لِيْ رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)).
[أطرافه في : ١٢٠١، ١٢٠٤، ١٢١٨، ١٢٣٤، ٢٦٩٠، ٢٦٩٣، ٧١٩٠].

तश्रीह : क़ुबा के रहने वाले बनी अम्र बिन औफ़, क़बील-ए-औस की एक शाख़ थी। उनमें आपस में तकरार हो गई। उनमें सुलह कराने की ग़र्ज़ से आँहज़रत (ﷺ) वहां तशरीफ़ ले गये और चलते वक़्त बिलाल (रज़ि.) से फ़र्मा गए थे कि अगर अ़स्र का वक़्त आ जाए और मैं न आ सकूं तो अबू बक्र (रज़ि.) से कहना वो नमाज़ पढ़ा देंगे। चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि आपको वहां काफ़ी वक़्त लग गया। यहाँ तक कि जमाअ़त का वक़्त आ गया और हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) मुसल्ला पर खड़े कर दियेगये। इतने ही में आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ ले आए और मा'लूम होने पर हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) पीछे हो गये और आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने तवाज़ुअ और कमतरे नफ़्सी की बिना पर अपने आपको अबू क़ुहाफ़ा का बेटा कहा क्योंकि उनके बाप अबू क़ुहाफ़ा को दूसरे लोगों पर कोई ख़ास फ़ज़ीलत न थी। इस हृदीष से मा'लूम हुआ कि अगर मुक़र्ररा इमाम के अ़लावा कोई दूसरा शख़्स इमाम बन जाए और नमाज़ शुरू करते ही फ़ौरन दूसरा इमामे मुक़र्ररा आ जाए तो उसको इख़्तियार है कि ख़्वाह ख़ुद इमाम बन जाए और दूसरा शख़्स जो इमामत शुरू करा चुका था वो मुक़्तदी बन जाए या नए इमाम का मुक़्तदी रहकर नमाज़ अदा करे। किसी हाल में नमाज़ में ख़लल न होगा और न नमाज़ में कोई ख़राबी आएगी। ये भी मा'लूम हुआ कि मर्दों को अगर इमाम को लुक़्मा देना पड़े तो बाआवाज़े बुलन्द सुब्हानल्लाह कहना चाहिए। अगर कोई औरत लुक़्मा दे तो उसे ताली बजा देना काफ़ी होगा।

बाब 49 : इस बारे में कि अगर जमाअ़त के सब लोग क़िरअत में बराबर हों तो इमामत बड़ी उ़म्र वाला करे

٤٩- بَابُ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

(685) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमें हम्माद बिन ज़ैद ने ख़बर दी अय्यूब सुख़्तियानी से, उन्होंने अबू क़िलाबा से, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष सहाबी (रज़ि.) से, उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम (ﷺ) के पास अपने मुल्क से आए। हम सब हम उ़म्र नौजवान थे। तक़रीबन बीस रात हम आपके पास ठहरे रहे। आप (ﷺ) बड़े ही रहमदिल थे। (आपने

٦٨٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيْمًا فَقَالَ: ((لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى

बِلَادِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

[راجع: ٦٢٨]

हमारी गुर्बत का हाल देखकर) फ़र्माया कि जब तुम लोग अपने घरों को जाओ तो अपने क़बीले वालों को बताना और उनसे नमाज़ पढ़ने के लिए कहना कि फ़लाँ नमाज फ़लाँ वक़्त और फ़लाँ नमाज़ फ़लाँ वक़्त पढ़ें और जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो कोई एक अज़ान दे और तुममें सबसे जो उम्र में बड़ा हो वो इमामत कराए। (राजेअ : 628)

बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है। हदीष में अकबरुहुम से उमर में बड़ा होना मुराद है।

٥٠- بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

बाब 50 : इस बारे में कि जब इमाम किसी क़ौम के यहाँ गया और उन्हें (उनकी फ़र्माइश पर) नमाज़ पढ़ाई (तो ये जाइज़ होगा)

٦٨٦- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَقَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا.

[راجع: ٤٢٤]

(686) हमसे मुआज़ बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें मअमर ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे महमूद बिन रबीआ ने ख़बर दी, कहा कि मैंने इत्बान बिन मालिक अंसारी (रह.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि रसूले करीम (ﷺ) ने (मेरे घर तशरीफ़ लाने की) इजाज़त चाही और मैंने आपको इजाज़त दी, आप (ﷺ) ने पूछा कि तुम लोग अपने घर में जिस जगह पसंद करो मैं नमाज़ पढ़ दूँ। मैं जहाँ चाहता था उसकी तरफ़ मैंने इशारा किया। फिर आप (ﷺ) खड़े हो गए और हमने आप (ﷺ) के पीछे स़फ़ बाँध ली। फिर आप (ﷺ) ने जब सलाम फेरा तो हमने भी सलाम फेरा। (राजेअ : 424)

तशरीह : दूसरी हदीष में मरवी है कि किसी शख़्स़ को इजाज़त नहीं कि दूसरी जगह जाकर उनके इमाम की जगह ख़ुद इमाम बन जाए मगर वो लोग ख़ुद चाहे और उनके इमाम भी इजाज़त दें तो फिर मेहमान भी इमामत करा सकता है। साथ ही ये भी है कि बड़ा इमाम जिसे ख़लीफ़—ए—वक़्त या सुलतान कह जाए चूंकि वो ख़ुद आमिर है, इसलिये वहाँ इमामत करा सकता है।

٥١- بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

बाब 51 : इमाम इसलिए मुक़र्रर किया जाता है कि लोग उसकी पैरवी करे

وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ. وَقَالَ الْحَسَنُ - فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ

और रसूले करीम (ﷺ) ने अपने मर्ज़े वफ़ात में लोगों को बैठकर नमाज़ पढ़ाई (लोग खड़े हुए थे) और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का क़ौल है कि जब कोई इमाम से पहले सर उठा ले (रुकूअ में सज्दे में) वो फिर वो रुकूअ या सज्दे में चला जाए और उतनी देर ठहरे जितनी देर सर उठाए रहा था फिर इमाम की पैरवी

करे। और इमाम ह़सन बस़री (रह.) ने कहा कि अगर कोई शख़्स इमाम के साथ दो रकआत पढ़े लेकिन सज्दा न कर सके, तो वो आख़री रकअ़त के लिए दो सज्दे करे। फिर पहली रकअ़त सज्दे समेत दोहराए और जो शख़्स सज्दे किये बग़ैर भूलकर खड़ा हो गया तो वो सज्दे में चला जाए।

رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا. وَفِيْمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ.

(687) हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमें ज़ाइदा बिन क़ुदामा ने मूसा बिन अबी आइशा से ख़बर दी, उन्होंने उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा से, उन्होंने कहा कि मैं ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और कहा, काश! रसूलुल्लाह (ﷺ) की बीमारी की ह़ालत आप हमसे बयान करतीं, (तो अच्छा होता) उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर सुन लो। आपका मर्ज़ बढ़ गया। तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली? हमने कहा, जी नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोग आपका इंतिज़ार कर रहे हैं। आपने फ़र्माया कि मेरे लिए एक लगन में पानी रखो। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कहा कि हमने पानी रख दिया आप (ﷺ) ने बैठकर ग़ुस्ल किया। फिर आप उठने लगे, लेकिन आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो फिर आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोग आपका इंतिज़ार कर रहे हैं। आपने (फिर) फ़र्माया कि लगन में मेरे लिए पानी रख दो। ह़ज़रते आ़इशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि हमने फिर पानी रख दिया और आप (ﷺ) ने बैठकर ग़ुस्ल फ़र्माया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन (दोबारा) फिर आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो आपने फिर यही फ़र्माया कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोग आपका इंतिज़ार कर रहे हैं। आपने फिर फ़र्माया कि लगन में पानी लाओ और आपने बैठकर ग़ुस्ल किया। फिर उठने की कोशिश की लेकिन आप बेहोश हो गए। फिर जब होश हुआ तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। हमने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो आपका इंतिज़ार कर रहे हैं। लोग मस्जिद में इशा की नमाज़ के लिए बैठे हुए थे। आख़िर आप (ﷺ) ने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास आदमी भेजा और हुक्म दिया

٦٨٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِيْنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَى. ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). قَالَتْ: فَفَعَلْنَا. فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ ﷺ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: ((ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)). فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ- فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ

بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيْقًا - يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، قَالَ : ((أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ)). فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا. فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِيْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ : هُوَ عَلِيٌّ.

[راجع: ١٩٨]

कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। भेजे हुए शख़्स ने आकर कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया है। अबूबक्र (रज़ि.) बड़े नरमदिल इंसान थे। उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा कि तुम नमाज़ पढ़ाओ। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि आप इसके ज़्यादा हक़दार हैं। आख़िर (बीमारी के) दिनों में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाते रहे। फिर जब नबी करीम (ﷺ) को मिज़ाज कुछ हल्का मा'लूम हुआ तो दो आदमियों का सहारा लेकर जिनमें से एक हज़रत अब्बास (रज़ि.) थे ज़ुहर की नमाज़ के लिये घर से बाहर तशरीफ़ लाए और अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने आँहुज़ूर (ﷺ) को देखा तो पीछे हटना चाहा। लेकिन नबी (ﷺ) ने इशारे से उन्हें रोका कि पीछे न हटो! फिर आपने उन दोनों मर्दों से फ़र्माया कि मुझे अबूबक्र के बाज़ू में बिठा दो। चुनाँचे दोनों ने आपको अबूबक्र (रज़ि.) के बाज़ू में बिठा दिया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ में नबी करीम (ﷺ) की पैरवी कर रहे थे और लोग अबूबक्र (रज़ि.) की नमाज़ की पैरवी कर रहे थे। नबी करीम (ﷺ) बैठे-बैठे नमाज़ पढ़ रहे थे। उबैदुल्लाह ने कहा कि फिर मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के पास आया और उनसे कहा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) की बीमारी के बारे में जो हदीष बयान की है क्या मैं वो आपको सुनाऊँ? उन्होंने फ़र्माया कि ज़रूर सुनाओ। मैंने ये हदीष उनको सुना दी। उन्होंने किसी बात का इंकार नहीं किया। सिर्फ़ इतना कहा कि आइशा (रज़ि.) ने उन साहब का नाम भी तुमको बताया जो हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ थे। मैंने कहा नहीं। आपने फ़र्माया वो हज़रत अली (रज़ि.) थे। (राजेअ : 198)

तश्रीह : इमाम शाफ़िई ने कहा कि मर्ज़े मौत में आपने लोगों को यही नमाज़ पढ़ाई वो भी बैठकर बाज़ ने गुमान किया कि ये फ़ज्र थी क्योंकि दूसरी रिवायत में है कि आपने वहीं से क़िरअत शुरू की जहां तक अबू बक्र पहुंचे थे मगर ये सही नहीं है क्योंकि ज़ुहर में भी आयत का सुनना मुमकिन है जैसे एक हदीष में है कि आप सिर्री (ख़ामोश तिलावत वाली) नमाज़ में भी इस तरह से क़िरअत करते थे कि एक आध आयत हमको सुनाई देती यानी पढ़ते-पढ़ते एक-आध आयत ज़रा हल्की आवाज़ से पढ़ देते कि मुक़्तदी उसको सुन लेते। (मौलाना वहीदुज़्ज़मा मरहूम)

तर्जुमतुल बाब के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं– **'हाज़िहित्तर्जुमत क़ितअतुम्मिनल हदीषिल्आती फ़िल्बाबि वल मुरादु बिहा अन्नल इतिमाम यक्तज़ी मुताबअतल मामूमि लि इमामिही अल्ख़'** (फ़तह) यानी ये

बाब ह़दीष ही का एक टुकड़ा है जो आगे मज़कूर है मुराद ये है कि इक़्तिदा करने का इक़्तिज़ा ही ये है कि मुक़्तदी अपने इमाम की नमाज़ में पैरवी करे उस पर सबक़त न करे। मगर दलीले शरई से कुछ षाबित हो तो वो अलग बात है। जैसा कि ज़िक्र किया गया कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई और लोग आपके पीछे खड़े हुए थे।

(688) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने हिशाम बिन उ़र्वा से बयान किया। उन्होंने अपने बाप उ़र्वा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने बतलाया कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक बार बीमारी की ह़ालत में मेरे ही घर में नमाज़ पढ़ी। आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे और लोग आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने उनको बैठने का इशारा किया और नमाज़ पढ़ लेने के बाद फ़र्माया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए। इसलिए जब वो रुकूअ़ में जाए तो तुम भी रुकूअ़ में जाओ और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअ़ल्लाहुलिमन ह़मिदह् कहे तो तुम रब्बना व लकल ह़म्दु कहो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो।
(दीगर मक़ाम : 1113, 1236, 5657)

٦٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا). فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُوْنَ)).
[أطرافه في : ١١١٣، ١٢٣٦، ٥٦٥٨].

तश्रीह : क़स्तलानी ने कहा कि इस ह़दीष से ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने दलील ली कि इमाम फ़क़त **समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदह** कहे और मुक़्तदी **रब्बना लकल ह़म्द** या **रब्बना व लकल ह़म्द** या **अल्लाहुम्म रब्बना लकल ह़म्द** कहे और इमाम शाफ़ेई (रह.) और इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) का ये क़ौल है कि इमाम दोनों लफ़्ज़ कहे और इसी त़रह़ मुक़्तदी भी दोनों लफ़्ज़ कहे। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़मा)

(689) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक घोड़े पर सवार हुए तो आप उस पर से गिर पड़े। उससे आपके दाएँ पहलू पर ज़ख़्म आए। तो आप (ﷺ) ने कोई नमाज़ पढ़ी, जिसे आप बैठकर पढ़ रहे थे, इसलिए हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया कि इमाम खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और जब वो रुकूअ़ करे तो तुम भी रुकूअ़ करो। और जब वो रुकूअ़ से सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअ़ल्लाहुलिमन ह़मिदह् कहे तो तुम रब्बना व लकल ह़म्द कहो और जब वो

٦٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا

बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) ने कहा कि हुमैदी ने आपके इस क़ौल, 'जब इमाम बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो।' के बारे में कहा कि ये शुरू में आपकी पुरानी बीमारी का वाक़िआ है। उसके बाद आख़री बीमारी में आपने ख़ुद बैठकर नमाज़ पढ़ी थी और लोग आपके पीछे खड़े होकर इक़्तिदा कर रहे थे। आपने उस वक़्त लोगों को बैठने की हिदायत नहीं की और अस़ल ये है कि जो फ़ेअ़ल आपका आख़री हो उसको लेना चाहिए, और फिर जो उससे आख़री हो। (राजेअ़ : 378)

صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)).
قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٣٧٨]

तशरीह : साहिबे औनुल मा'बूद फ़र्माते हैं– 'क़ालल ख़त्ताबी कुल्तु व फ़ी इक़ामति रसूलिल्लाहि ﷺ अबा बक्रिन अंय्यमीनिही व हुव मक़ामल मामूमि व फ़ी तक्बीरिही बिन्नासि व तक्बीरु अबी बक्रिन बितक्बीरिही बयानुन वाज़िहुन अन्नल इमाम फ़ी हाज़िहिस्सलाति रसूल ﷺ व क़द सल्ला क़ाइदन वन्नासु मिन ख़ल्फ़िही क़ियामुन व हिय आख़िरु सलातिन सल्लहा बिन्नासि फ़दलीलुन अल्ला अन्न हदीष़ अनसिन व जाबिरिन मन्सूख़ुन व यज़ीदु मा क़ुल्नाहु वुज़ूहन मा रवाहु अबू मुआवियत अनिल आमशि अन इब्राहीम अनिल अस्वदि अन आइशत क़ालत लम्मा ष़कुल रसूलुल्लाहि ﷺ व ज़करल हदीष़ फ़जाअ रसूलुल्लाहि ﷺ युसल्ली बिन्नासि जालिसन व अबू बक्र क़ाइमन यक़्तदी बिही वन्नासु यक़्तदून बि अबी बक्र हद्दष़ना बिही अन यह्यब्नि यह्या क़ालू अख़बरना मुसद्दस क़ाल अख़बरन अबू मुआवियत वल क़ियासु यश्हदु लिहाज़ल क़ौलि लिअन्नल इमाम ला यस्क़ितु अनिल क़ौमि शैअन मिन अर्कानिस्सलाति मअल क़ुदरति अलैहि अला तरा अन्नहू ला यहीलुर्रूकुउ वस्सुजूदु इलल इमाइ व कज़ालिक यहीलुल क़ियामु इल्ल क़ुऊदि व इला हाज़ा ज़हब सुफ़्यानुष़्ष़ौरी व अस्हाबुर्राइ वश्शाफ़िइ व अबू ष़ौर व क़ाल मालिकब्नु अनसिन ला यम्बग़ी लिअहदिन अंय्यउम्मन्नास क़ाइदन व ज़हब अहमदुब्नु हम्बल व इस्हाक़ुब्नु राहवैय व नफ़रुम्मिन अहलिल हदीषि इला ख़बरि अनसिन फ़इन्नल इमाम इज़ा सल्ला क़ाइदन सल्लु मिन ख़ल्फ़िही क़ुऊदन व जमअ बअज़ु अहलिल हदीषि अन्नरिंवायाति इख़्तलफ़त फ़ी हाज़ा फ़रवल अस्वदु अन आइशत अन्ननबिय्य ﷺ कान इमामन व रवा शक़ीक़ुन अन्हा अन्नल इमाम कान अबू बक्र फ़लम यजुज़ अंय्युतरक बिही हदीषु अनसिन व जाबिरिन' (औनुल माबूद, जि : 1/स: 234)

यानी इमाम ख़त्ताबी ने कहा कि ज़िक्र की गई हदीष में जहां हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का आँहज़रत (ﷺ) का दायें जानिब खड़े होने का ज़िक्र है जो मुक़्तदी की जगह है और उनका लोगों को तकबीर कहना और अबू बक्र (रज़ि.) की तकबीरों का आँहज़रत (ﷺ) की तकबीर के पीछे होना, में वाज़ेह बयान है कि इस नमाज़ में इमाम रसूले करीम (ﷺ) ही थे और आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे और सारे सहाबा आपके पीछे खड़े होकर पढ़ रहे थे और ये आख़री नमाज़ है जो रसूले करीम (ﷺ) ने पढ़ाई। जो इस बात पर दलील है कि हज़रत अनस और जाबिर की अहादीष जिनमें इमाम बैठा हो तो मुक़्तदियों को भी बैठना लाज़िम मज़कूर है, वो मन्सूख है और हमने जो कहा है इसकी मज़ीद वुज़ाहत उस रिवायत से हो गई है जिसे अबू मुआविया ने आमश से, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने असवद से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत किया है कि जब आप (ﷺ) ज़्यादा बीमार हो गये तो आप तशरीफ़ लाये और अबू बक्र की बायें जानिब बैठ गये और आप बैठकर ही लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे और अबू बक्र खड़े होकर आपकी इक़्तिदा (पैरवी, अनुसरण) कर रहे थे और क़ियास भी यही चाहता है कि इमाम अरकाने सलात में से मुक़्तदियों से जब वो उन पर क़ादिर हो किसी रुक्न को साकित नहींकर सकता। न वो रुकूअ, सुजूद ही को महज़ इशारों से अदा कर सकता है तो फिर क़ियाम जो एक रुक्ने नमाज़ है इसे क़ुऊद से कैसे बदल सकता है। इमाम सुफ़यान षौरी और अस़हाबे राय और इमाम शाफ़िई और अबू षौर वग़ैरह का यही मसलक है और हज़रत इमाम मालिक बिन अनस कहते हैं कि मुनासिब नहीं कोई बैठकर लोगों की इमामत कराये और इमाम अहमद बिन हंबल व इस्हाक़ बिन राहवैय और एक गिरोह अहले हदीष का यही मसलक है जो हदीषे अनस में मज़कूर है कि जब

इमाम बैठकर नमाज़ पढ़ाए तो मुक़्तदी भी बैठकर ही पढ़े। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

लेखक कहता है कि मैं इस तफ़्सील के लिये सख़्त हैरान था, तुहफ़तुल अहवुज़ी, नैलुल औतार, फ़तहुलबारी वग़ैरह सारी किताबें सामने थी मगर किसी से तशफ़्फ़ी न हो रही थी कि अचानक अल्लाह से अमरे हक़ के लिए दुआ करके औनुल माबूद को हाथ में लिया और खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि पहली ही दफ़ा फ़िल फौर ऊपर बयान गई तफ़्सील सामने आ गई जिसे यक़ीनन ताइदे ग़ैबी कहना ही मुनासिब है। वल ह़म्दुलिल्लाहि अ़ला ज़ालिक। (राज़)

बाब 52 : इमाम के पीछे मुक़्तदी कब सज्दा करें?

٥٢- بَابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ؟

और ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने नबी करीम से रिवायत किया कि जब इमाम सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो (ये ह़दीष़ पीछे गुज़र चुकी है)

قَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

(690) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने सुफ़यान से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू इस्ह़ाक़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि मुझसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने बयान किया, वो झूठे नहीं थे (बल्कि निहायत ही सच्चे थे) उन्होंने कहा कि जब नबी (ﷺ) समिअ़ल्लाहुलिमन ह़मिदह कहते तो हम में से कोई भी उस वक़्त तक न झुकता जब तक कि आँहुज़ूर (ﷺ) सज्दे में न चले जाते फिर हम लोग सज्दे में जाते। हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने, उन्होंने अबू इस्ह़ाक़ से जैसे ऊपर गुज़रा।

(दीगर मक़ाम : 747, 811)

٦٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ بِهَذَا.

[طرفاه في : ٧٤٧، ٨١١].

बाब 53 : (रुकूअ़ या सज्दे में) इमाम से पहले सर उठाने वाले का गुनाह कितना है?

٥٣- بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

(691) हमसे हुज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने मुहम्मद बिन ज़ियाद से बयान किया, कहा कि मैंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया क्या तुममें से वो शख़्स जो (रुकूअ़ या सज्दे में) इमाम से पहले अपना सर उठा लेता है इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह पाक उसका सर गधे के सर की तरह बना दे या उसकी सूरत को

٦٩١- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ أَلاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ

गधे की सी सूरत बना दे।

الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ)).

बाब 54 : गुलाम की और आज़ाद किए हुए गुलाम की इमामत का बयान

٥٤- بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

और हज़रत आइशा (रज़ि.) की इमामत उनका गुलाम ज़क्वान क़ुर्आन देखकर किया करता था और वलदुज़्ज़िना और गंवार और नाबालिग़ लड़के की इमामत का बयान क्योंकि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि किताबुल्लाह का सबसे बेहतर पढ़नेवाला इमामत कराए और गुलाम को बग़ैर किसी ख़ास उज़्र के जमाअत में शिर्कत से न रोका जाएगा।

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ وَالْغُلاَمِ الَّذِيْ لَمْ يَحْتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يَؤُمُّهُم أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ)) وَلاَ يُمْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عِلَّةٍ.

तशरीह : मक़्सदे बाब ये है कि गुलाम अगर क़ुर्आन शरीफ़ का ज़्यादा आलिम हो तो वो इमामत करा सकता है। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) के गुलाम ज़क्वान उनको नमाज़ पढ़ाया करते थे और ज़हरी नमाज़ों में मुसहफ़ देखकर क़िरअत किया करते थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं– **'वस़लहू अबू दाऊद फ़ी किताबिल मुस़ाहिफ़ि मिन तरीक़ि अय्यूब अनिब्नि अबी मुलैकत अन्न आइशत कान यउम्मुहा गुलामुहा ज़कवानु फ़िल मुस्हफ़ि व वसलहुब्नु अबी शैबत क़ाल हद्दषना वकीअ अन हिशामिब्नि उरवत अनिब्नि अबी मुलैक़त अन आइशत अन्नहा इअतक़त गुलामन लहा अन दुबुरिन फ़कान यउम्मुहा फ़ी रमज़ान फ़िल मुस्हफ़ि व वसलहुश्शाफ़िइ व अब्दुर्रज़्ज़ाक़ मिन तरीक़िन उख़रा अनिब्नि अबी मुलैक़त अन्नहू कान याती आइशत बिआलल वादी हुव व अबूहु व उबैदिब्नि उमैरिन वल मिस्वरुब्नि मख़रमत व नासुन कषीरुन फ़यउम्मुहुम अबू अम्र मौला आइशत व हुव यौमइज़िन गुलामुन लम युअतक अबू अम्र अल मज़्कूर हुव ज़कवानु'** (फ़त्हुल बारी)

ख़ुलासा इस इबारत का यही है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) के गुलाम अबू अम्र ज़कवान नामी रमज़ान शरीफ़ में शहर से दूर वादी से आते उनके साथ उनका बाप होता उबैद बिन उमैर मिस्वर बिन मख़रमा और भी बहुत से लोग जमा हो जाते और वो गुलाम ज़कवान मुसहफ़ देखकर क़िरअत करते हुए नमाज़ पढ़ाया करते थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उनको बाद में आज़ाद भी कर दिया था और चूंकि रिवायत में रमज़ान का ज़िक्र है लिहाज़ा एहतिमाल है कि वो तरावीह की नमाज़ पढ़ाया करते थे और उसमें क़ुर्आन शरीफ़ देखकर क़िरअत किया करते हों। इस रिवायत को अबू दाऊद ने किताबुल मसाहिफ में और इब्ने अबी शैबा ने और इमाम शाफ़िई और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने मौसूलन रिवायत किया है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं– **'उस्तुदिल्ल बिही अला जवाज़िल मुसल्ली मिनल मुस्हफ़ि व मनअ अन्हु आख़रून लिकौनिही अमलन कषीरन फ़िस्सलाति'** (फत्हुल बारी) यानी इससे दलील ली गई है कि मुसल्ली (नमाज़ पढ़ाने वाला) क़ुर्आन शरीफ़ देखकर क़िरअत जवाज़न कर सकता है और दूसरे लोगों ने इसे जायज़ नहीं समझा क्योंकि उनके ख़्याल के मुताबिक़ ये नमाज़ में अमले कषीर है जो मना है।

तहरीफ़ (फेरबदल) का एक नमूना– हमारे मुहतरम उलमा–ए देवबन्द रहिमहुमुल्लाह अजमईन जो बुख़ारी शरीफ़ का तर्जुमा और शरह शाए फ़र्मा रहे हैं उनकी जुरअत कहिये या हिमायते मसलक कि कुछ–कुछ जगह ऐसी तशरीह (व्याख्या) कर डालते हैं जिससे सराहतन तहरीफ़ (फेरबदल) ही कहना चाहिए जिसका एक नमूना यहां भी मौजूद है चुनान्चे साहिबे तफ़हीमुल बुख़ारी देवबन्दी इसकी तशरीह यूँ फ़र्माते हैं कि हज़रत ज़कवान के नमाज़ में क़ुर्आन मजीद के क़िरअत का मतलब ये है कि दिन में आयतों को याद कर लेते थे और रात के वक़्त उन्हें नमाज़ में पढ़ते। (तफ़हीमुल बुख़ारी, पा : 3/स : 92)

ऐसा तो सारे ही हाफ़िज़ करते हैं कि दिन भर दौर फ़र्माते हैं और रात को सुनाया करते हैं। अगर हज़रत ज़कवान ऐसा ही करते थे तो ख़ुसूसियत के साथ इनका ज़िक्र करने की राविया को क्या जरूरत थी। फिर रिवायत में साफ़ फ़िल मुसहफ का लफ़्ज़ मौजूद है जिसका मतलब ज़ाहिर है कि क़ुर्आन शरीफ़ देखकर किरअत किया करते थे चूंकि मसलके हनफ़िया में ऐसा

करने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है इसीलिये तफ़हीमुल बुख़ारी को इस रिवायत की तावील करने के लिये इस ग़लत़ तशरीह का सहारा लेना पड़ा अल्लाह पाक उलम–ए–दीन को तौफ़ीक दे कि वो अपनी इल्मी ज़िम्मेदारियों को महसूस फ़र्माये, आमीन!

अगर मुक़्तदियों में सिर्फ़ कोई नाबालिग़ लड़का ही ज़्यादा क़ुर्आन शरीफ़ जानने वाला हो तो वो इमामत करा सकता है। मगर फ़ुकह–ए–हनफिया इसके खिलाफ हैं वो मुतलक़न मना का फ़तवा देते हैं जो कि ग़लत़ है।

٦٩٢– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ – مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ – قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. [طرفه في : ٧١٧٥].

(692) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर हुज़ामी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन इयाज़ ने बयान किया, उन्होंने उबैदुल्लाह अम्र से, उन्होंने हज़रत नाफ़ेअ से उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से कि जब पहले मुहाजिरीन रसूलुल्लाह (ﷺ) की हिजरत से भी पहले क़ुबा के मुक़ामे उस्बा में पहुँचे तो उनकी इमामत अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम सालिम (रज़ि.) किया करते थे। आपको क़ुर्आन मजीद सबसे ज़्यादा याद था। (दीगर मक़ाम : 7175)

٦٩٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)).

[طرفاه في : ٦٩٦، ٧١٤٢].

(693) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबुत तियाह यज़ीद बिन हुमीद ज़बई ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया (अपने हाकिम की) सुनो और इताअ़त करो, ख़्वाह एक ऐसा हब्शी (ग़ुलाम तुम पर) क्यूँ न हाकिम बना दिया जाए जिसका सर सूखे हुए अंगूर के बराबर हो। (दीगर मक़ाम : 696, 7142)

तश्रीह : इससे बाब का मतलब यूँ निकलता है कि जब हब्शी ग़ुलाम की जो हाकिम हो, इताअ़त का हुक्म हुआ तो उसकी इमामत यक़ीनन सही होगी क्योंकि उस ज़माने में जो हाकिम होता वही इमामत भी नमाज़ में किया करता था। इस हदीष से ये दलील भी ली है कि बादशाहे वक़्त से गो वो कैसा ही ज़ालिम, बेवकूफ हो लड़ना और फ़साद करना दुरुस्त नहीं है बशर्ते कि वो जायज़ ख़ुलफ़ा यानी क़ुरैश की तरफ़ से बादशाह बनाया गया हो इसका मतलब ये नहीं है कि हब्शी ग़ुलाम की ख़िलाफ़त है क्योंकि ख़िलाफ़त सिवाए क़ुरैशी के और किसी क़ौम वाले की दुरुस्त नही है जैसे दूसरी हदीष से षाबित है। (मौलाना वहीदुज़्ज़मा मरहूम)

٥٥– بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

बाब 55 : अगर इमाम अपनी नमाज़ को पूरा न करे और मुक़्तदी पूरा करें

٦٩٤– حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

(694) हमसे फ़ज़ल बिन सहल ने बयान किया, कहा कि हमसे हसन बिन मूसा अश्यब ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अ़ता बिन यसार से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)).

(रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं। पस अगर इमाम ने ठीक नमाज़ पढ़ाई तो उसका ष़वाब तुम्हें मिलेगा और अगर ग़लती की तो भी (तुम्हारी नमाज़ का) ष़वाब तुमको मिलेगा और ग़लती का वबाल उन पर रहेगा।

यानी इमाम की नमाज़ में नुक्स रह जाने से मुक़तदियों की नमाज़ में कोई ख़लल न होगा जब उन्होंने तमाम शरायत और अरकान को पूरा किया हो।

٥٦- بَابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

बाब 56 : बाग़ी और बिदअ़ती की इमामत का बयान

وَقَالَ الْحَسَنُ : صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ.

और बिदअ़ती के बारे में इमाम हसन बसरी (रह.) ने कहा कि तू उसके पीछे नमाज़ पढ़ ले उसकी बिदअ़त उसके सर रहेगी।

٦٩٥- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ: الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا.

(695) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा हमसे इमाम ज़ुह्री ने हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान से नक़ल किया। उन्होंने उ़बैदुल्लाह बिन अ़दी बिन ख़ियार से कि वो ख़ुद ह़ज़रत उ़ष्मान ग़नी (रज़ि.) के पास गए। जबकि बाग़ियों ने उनको घेर रखा था। उन्होंने कहा कि आप ही आम मुसलमानों के इमाम हैं मगर आप पर जो मुसीबत है वो आपको मा'लूम है। इन हालात में बाग़ियों का मुक़र्रर किया हुआ इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है। हम डरते हैं कि उसके पीछे नमाज़ पढ़कर गुनहगार न हो जाएँ। ह़ज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने जवाब दिया नमाज़ तो जो लोग काम करते हैं उन कामों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम है। तो वो जब अच्छा काम करें तुम भी उनके साथ मिलकर अच्छा काम करो और जब वो बुरा काम करें तो तुम उनकी बुराई से अलग रहो और मुहम्मद बिन यज़ीद ज़ुबैदी ने कहा कि इमाम ज़ुह्री ने फ़र्माया हम तो ये समझते हैं कि हिजड़े के पीछे नमाज़ न पढ़ें। मगर ऐसी ही लाचारी हो तो और बात है जिसके बग़ैर कोई चारा न हो।

तश्रीह : मफ़्तून का तर्जुमा बाग़ी किया है जो सच्चे बरहक़ इमाम से फिर जाये और बिदअ़ती से आम बिदअ़ती मुराद है ख्वाह उसकी बिदअ़त ए'तिक़ादी हो जैसे शीआ, ख्वारिज, मुर्जिया, मुअतज़ला वग़ैरह की, ख्वाह अ़मली हो जैसे सेहरा बान्धने वाले, तीजा, दसवां करने वाले, ता'ज़िया या अ़लम उठाने वाले, क़ब्रों पर चराग़ां करने वाले, मीलाद या ग़िना या मरषिया की मजलिस करने वाले की, बशर्ते कि उनकी बिदआ़त कुफ़्र और शिर्क की हद तक न पहुँचे। अगर कुफ़्र या शिर्क के दर्जे पर पहुंच जाए तो उनके पीछे नमाज़ दुरुस्त नहीं। तसहील में हैं कि सुन्नत कहते हैं हदीष़ को और जमाअ़त से मुराद सहाबा और ताबेईन है जो लोग हदीष शरीफ़ पर चलते हैं और ए'तिक़ाद और अ़मल में सहाबा और ताबेईन के तरीक़ पर है वह अहले सुन्नत वल जमाअ़त है बाक़ी सब बिदअ़ती हैं। (मौलाना वहीदुज़्ज़मा)

(696) हमसे मुहम्मद बिन अबान ने बयान किया, कहा कि हमसे ग़ुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया शुअबा से, उन्होंने अबुत तियाह से, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने अबू ज़र से फ़र्माया (हाकिम की) सुन और इत्ताअत कर। ख़्वाह वो एक ऐसा हब्शी गुलाम ही क्यूँ न हो जिसका सर मुनक़्क़े के बराबर हो। (राजेअ : 693)

٦٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي ذَرٍّ: ((اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)). [راجع: ٦٩٣]

बाब 57 : जब सिर्फ़ दो ही नमाज़ी हो तो मुक़्तदी इमाम के दाईं जानिब उसके बराबर खड़ा हो

٥٧- بَابُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

(697) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने हकम से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सईद बिन जुबैर से सुना, वो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते थे कि उन्होंने बतलाया कि एक रात में अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि .) के घर पर रह गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा की नमाज़ के बाद जब उनके घर तशरीफ़ लाए तो यहाँ चार रकअत नमाज़ पढ़ी। फिर आप सो गए फिर (नमाज़े तहज्जुद के लिए) आप उठे (और नमाज़ पढ़ने लगे) तो मैं भी उठकर आपकी बाईं तरफ़ खड़ा हो गया। लेकिन आपने मुझे अपनी दाहिनी तरफ़ कर लिया। आपने पाँच रकअत नमाज़ पढ़ी। फिर दो रकअत (सुन्नते फ़ज्र) पढ़कर आप सो गए। और मैंने आपके ख़र्राटे की आवाज़ भी सुनी। फिर आप फ़ज्र की नमाज़ के लिए हाज़िर हुए। (राजेअ : 118)

٦٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ - أَوْ قَالَ خَطِيْطَهُ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. [راجع: ١١٧]

तश्रीह : इस हदीष से षाबित हुआ कि जब इमाम के साथ एक ही आदमी हो तो वो इमाम के दाहिनी तरफ़ खड़ा हो, जवान हो या नाबालिग़, फिर कोई दूसरा आ जाए तो वो इमाम के बायें तरफ निय्यत बांध ले। फिर इमाम आगे बढ़ जाये या मुक्तदी पीछे हट जायें।

बाब 58 : अगर कोई शख़्स इमाम के बाईं तरफ़ खड़ा हो और इमाम उसे फिराकर दाईं तरफ़ कर ले तो दोनों मे से किसी की भी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी

٥٨- بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِيْنِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُمَا

(698) हमसे अहमद बिन स़ालेह ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़म्र बिन हारिष मिस्री ने अ़ब्दे रब्बिही बिन सईद से बयान किया, उन्होंने

٦٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ

मख़रमा बिन सुलैमान से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ग़ुलाम कुरैब से उन्होंने इब्ने अब्बास से। आपने बतलाया कि मैं एक रात उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सो गया। उस रात नबी करीम (ﷺ) की भी वहीं सोने की बारी थी। आपने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गये। मैं आपके बाईं तरफ़ खड़ा हो गया। इसलिए आपने मुझे पकड़कर दाईं तरफ़ कर दिया। फिर तेरह रकअत (वित्र समेत) नमाज़ पढ़ी और सो गए। यहाँ तक कि ख़र्राटे लेने लगे और नबी करीम (ﷺ) जब सोते तो ख़र्राटे लेते थे फिर मुअज़्ज़िन आया तो आप बाहर तशरीफ़ ले गए। आपने उसके बाद (फ़ज्र की) नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। अम्र ने बयान किया कि मैंने ये हदीष़ बुकैर बिन अब्दुल्लाह के सामने बयान की तो उन्होंने फ़र्माया कि ये हदीष़ मुझसे कुरैब ने भी बयान की थी। (राजेअ : 117)

سَعِيْدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

[راجع: ١١٧]

बाब 59 : नमाज़ शुरू करते वक़्त इमामत की निय्यत न हो, फिर कुछ लोग आ जाएँ और वो उनकी इमामत करने लगे (तो क्या हुक्म है)

٥٩- بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُم

(699) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम ने अय्यूब सुख़्तियानी से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन सईद बिन जुबैर से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कि आपने बतलाया कि मैंने एक बार अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के घर रात गुज़ारी। नबी करीम (ﷺ) रात में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी आपके साथ नमाज़ में शरीक हो गया। मैं (ग़लती से) आपके बाईं तरफ़ खड़ा हो गया था। फिर आपने मेरा सर पकड़कर दाईं तरफ़ कर दिया (ताकि सहीह तौर पर खड़ा हो जाऊँ)। (राजेअ : 117)

٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ.

[راجع: ١١٧]

बाब 60 : अगर इमाम लम्बी किरअत शुरू कर दे और किसी को काम हो वो अकेले नमाज़ पढ़कर चल दे तो ये कैसा है?

٦٠- بَابُ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

(700) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने अम्र बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने जाबिर

٧٠٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ

बिन अ़ब्दुल्लाह से कि मुआ़ज़ बिन जबल नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते फिर वापस आकर अपनी क़ौम की इमामत किया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 701, 705, 711, 6106)

مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

[أطرافه في: ٧٠١، ٧٠٥، ٧١١، ٦١٠٦].

(701) (दूसरी सनद) और मुझसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे ग़ुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने अ़म्र से बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अंसारी से सुना, आपने फ़र्माया कि मुआ़ज़ बिन जबल नबी करीम (ﷺ) के साथ (फ़र्ज़) नमाज़ पढ़ते फिर अपनी क़ौम में वापस जाकर लोगों को (वही) नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक बार इशा की नमाज़ में उन्होंने सूरह बक़रः शुरू की (मुक़्तदियों में से) एक शख़्स नमाज़ तोड़कर चल दिया। मुआ़ज़ उसको बुरा कहने लगे। ये ख़बर आँहज़रत (ﷺ) को पहुँची (उस शख़्स ने मुआ़ज़ की शिकायत की) आपने मुआ़ज़ को फ़र्माया तू बला में डालने वाला है, बला में डालने वाला, बला में डालने वाला तीन बार कहा। या यूँ फ़र्माया कि तू फ़सादी है, फ़सादी, फ़सादी। फिर आपने मुआ़ज़ को हुक्म दिया कि मुफ़स्सल के बीच की दो सूरतें पढ़ा करे। अ़म्र बिन दीनार ने कहा कि मुझे याद न रहा (कि कौन-सी सूरतों का आपने नाम लिया) (राजेअ़ : 700)

٧٠١- قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا يَنَاوَلُ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ((فَتَّانٌ، فَتَّانٌ، فَتَّانٌ)) ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ: ((فَاتِنًا، فَاتِنًا، فَاتِنًا)) وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ. قَالَ عَمْرٌو: لاَ أَحْفَظُهُمَا.

[راجع: ٧٠٠]

तशरीह : इससे इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद और अहले हदीष का मज़हब ष़ाबित हुआ कि फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक्तिदा नफ़िल पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त है। हनफ़िया ने यहां भी दूर अज़्कार तावीलात की हैं। जो सब महज़ तअ़स्सुबे मसलक का नतीजा है। मष़लन हज़रत मुआ़ज़ के ऊपर आँहज़रत (ﷺ) की ख़फ़्गी के बारे में लिखा है कि मुमकिन है कि इस वजह से भी आप ख़फ़ा हुए हों कि दोबारा क्यों जाकर पढ़ाई (देखो तफ़्हीमुल बुख़ारी, पाः3/ सः97) ये ऐसी तावील है जिसका इस वाक़िआ से दूर तक भी ता'ल्लुक़ नहीं।

क़ियास कुन ज़गुलिस्ताने मन बहार मुरा।

बाब 61 : इमाम को चाहिए कि क़याम हल्का करे (मुख़्तसर सूरतें पढ़े) और रुकूअ और सज्दे पूरे पूरे अदा करे

٦١- بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي الْقِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

(702) हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर बिन मुआ़विया ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि मैंने क़ैस बिन अबी हाज़िम से सुना, कहा कि मुझे अबू मसऊ़द अंसारी ने ख़बर दी कि एक शख़्स ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम अल्लाह की

٧٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي

मैं सुबह की नमाज़ में फ़लाँ की वजह से देर से जाता हूँ, क्योंकि वो नमाज़ को बहुत लम्बा कर देते हैं। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नसीहत के वक़्त उस दिन से ज़्यादा (कभी भी) ग़ज़बनाक नहीं देखा। आपने फ़र्माया कि तुम में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि (अवाम को इबादत से या दीन से) नफ़रत दिला दें, ख़बरदार! तुममें लोगों को जो शख़्स भी नमाज़ पढ़ाए तो हल्की पढ़ाए। क्योंकि नमाज़ियों में कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरत वाले सब ही तरह के लोग होते हैं। (राजेअ़: 90)

لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ)).
[راجع: ٩٠]

बाब 62 : जब अकेला नमाज़ पढ़े तो जितनी चाहे लम्बी कर सकता है

٦٢- بَابُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

(703) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअ़रज से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। जब कोई तुममें से लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो तख़्फ़ीफ़ करे। क्योंकि जमाअ़त में बूढ़े, बीमार और ज़ईफ़ (सब ही तरह के लोग होते हैं। लेकिन अकेला पढ़े तो जिस क़दर जी चाहे तूल दे सकता है। (बाब और हदीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है)

٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)).

बाब 63 : उसके बारे में जिसने इमाम से नमाज़ का लम्बा हो जाने की शिकायत की

٦٣- بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

एक सहाबी अबू उसैद (मालिक बिन रबीआ) ने अपने बेटे (मुंज़िर) से फ़र्माया। बेटा तूने नमाज़ को हम पर लम्बा कर दिया।

وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ.

(704) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान कियाइस्माईल बिन अबी ख़ालिद से, उन्होंने क़ैस बिन अबी हाज़िम से, उन्होंने अबू मसऊद अंसारी (रज़ि.) से, आपने फ़र्माया कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं फ़ज्र की नमाज़ में देर करके इसलिए शरीक होता हूँ कि फ़लाँ साहब फ़ज्र की नमाज़ बहुत लम्बी कर देते हैं। इस पर आप इस क़दर गुस्सा

٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فُلاَنٌ فِيْهَا. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُهُ

हुए कि मैंने नसीहत के वक़्त उस दिन से ज़्यादा ग़ुस्से में आपको कभी नहीं देखा। फिर आपने फ़र्माया कि लोगों! तुममें कुछ लोग (नमाज़ से लोगों को) दूर करने का बाइ़ष हैं। पस जो शख़्स इमाम हों उसे हल्की नमाज़ पढ़नी चाहिए इसलिए उसके पीछे कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरतमंद सब ही होते हैं। (राजेअ़ : 90)

غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ)).

[راجع: ٩٠]

(705) हमसे आदम बिन अबी इयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहारिब बिन दिषार ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अंसारी से सुना, आपने बतलाया कि एक शख़्स पानी उठानेवाले दो ऊँट ले आया, रात तारीक (अंधेरी) हो चुकी थी। उसने मुआ़ज़ को नमाज़ पढ़ाते हुए पाया। इसलिए अपने ऊँटों को बिठाकर (नमाज़ में शरीक होने के लिए) मुआ़ज़ (रज़ि.) की तरफ़ बढ़ा। मुआ़ज़ (रज़ि.) ने नमाज़ में सूरह बक़र या सूरह निसा शुरू की। चुनाँचे वो शख़्स निय्यत तोड़कर चल दिया। फिर उसे मा'लूम हुआ कि मुआ़ज़ (रज़ि.) ने तुझको बुरा—भला कहा है। इसलिए वो नबी करीम (ﷺ) के पास आया और मुआ़ज़ की शिकायत की, नबी करीम (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, मुआ़ज़! क्या तुम लोगों को फ़ित्ने में डालते हो। आपने तीन बार (फ़त्तान या फ़ातिन) फ़र्माया, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आ़ला, वश्शम्सि व ज़ुहाहा, वल्लैलि इज़ा यग़्शा (सूरतें) तुमने क्यूँ न पढ़ीं क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और ह़ाजतमंद नमाज़ पढ़ते हैं। शुअ़बा ने कहा कि मेरा ख़्याल है कि ये आख़री जुम्ला (क्योंकि तुम्हारे पीछे अल्ख़) ह़दीष़ में दाख़िल है। शुअ़बा के साथ उसकी मुताबअ़त सईद बिन मसरूक़, मिस्अ़र और शैबानी ने की है। और अ़म्र बिन दीनार, उ़बैदुल्लाह बिन मिक़्सम और अबुज़्ज़ुबैर ने भी इस ह़दीष़ को जाबिर के वास्ते से बयान किया है कि मुआ़ज़ ने इशा में सूरह बक़रह पढ़ी थी और शुअ़बा के साथ इस रिवायत की मुताबअ़त अअ़मश ने मुहारिब के वास्ते से की है।

(राजेअ़ : 700)

٧٠٥- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ! وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ - فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَيْهِ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ - أَوِ النِّسَاءِ - فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ - أَوْ أَفَاتِنٌ أَنْتَ - ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَلَوْ لاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُو الْحَاجَةِ)). أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيْثِ. تَابَعَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ. قَالَ عَمْرٌو وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ) وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ.

[راجع: ٧٠٠]

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) ने इन अह़ादीष़ से निहायत अहम मसले की त़रफ़ तवज्जुह दिलाई है कि क्या किसी ऐसे काम के बारे में जो महज़ ख़ैर हो, शिकायत की जा सकती है या नहीं। नमाज़ हर तरह ख़ैर ही ख़ैर है, किसी बुराई

का इसमें कोई पहलू नहीं। इसके बावूजद इस सिलसिले में एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से शिकायत की और आँहज़रत (ﷺ) ने उसे सुना और शिकायत की तरफ़ भी तवज्जह फ़र्माई। इससे मा'लूम होता है कि इस तरह के मुआमलात में भी शिकायत बशर्ते कि मा'कूल और मुनासिब हो जायज़ है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

दूसरी रिवायत में है कि **सूरह अत्तारिक़ और वश्शम्सि व जुहाहा या सब्बिहिस्मा या इक़्तरबतिस्साअतु** पढ़ने का हुक्म फ़र्माया। मुफ़स्सल क़ुर्आन की सातवीं मन्ज़िल का नाम है यानी सूरह क़ाफ़ से आख़िर क़ुर्आन तक। फिर इसमें तीन टुकड़े हैं– तिवाल यानी क़ाफ़ से सूरह अम्म तक औसात यानी बीच की अम्मा से वज़्ज़ुहा तक क़िसार यानी छोटी वज़्ज़ुहा से आख़िर तक। अइम्मा को इन हिदायात का मद्देनज़र रखना ज़रूरी है।

बाब 64 : नमाज़ हल्की और पूरी पढ़ना (यानी रुकूअ व सुजूद अच्छी तरह करना)

٦٤- بَابُ الإِيْجَازِ فِي الصَّلاَةِ وَإِكْمَالِهَا

(706) हमसे अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन अम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष़ बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ को हल्की और पूरी पढ़ते थे।

٧٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا).

बाब 65 : जिसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज़ को हल्का कर दिया

٦٥- بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

(707) हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम अब्दुर्रहमान बिन अम्र औज़ाई ने यह्या बिन अबी कष़ीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू क़तादा हारिष़ बिन रुब्ई से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि मैं नमाज़ देर तक पढ़ने के इरादे से खड़ा होता हूँ। लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज़ को हल्की कर देता हूँ। क्योंकि उसकी माँ को (जो नमाज़ में शरीक होगी) तक्लीफ़ में डालना बुरा समझता हूँ। वलीद बिन मुस्लिम के साथ इस रिवायत की मुताबअ़त बिश्र बिन बक्र, बक़िया बिन वलीद और इब्ने मुबारक ने औज़ाई के वास्ते से की है। (दीगर मक़ाम : 868)

٧٠٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيْهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)). تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَبَقِيَّةُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ.

[طرفه في : ٨٦٨].

(708) हमसे ख़ालिद बिन मुख़्लद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नम्र क़ुरैशी ने बयान किया, कहा कि मैं ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज़ मैंने

٧٠٨- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ

أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

किसी इमाम के पीछे कभी नहीं पढ़ी। आपका ये हाल था कि अगर आप बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख़्याल से कि उसकी माँ कहीं परेशानी में न पड़ जाए नमाज़ हल्की कर देते।

यानी आपकी नमाज़ किरअत के ए'तिबार से तो हल्की होती, छोटी-छोटी सूरतें पढ़ते और अरकान यानी रुकूअ, सज्दा वग़ैरह पूरे तौर पर अदा फ़र्माते। जो लोग सुन्नत की पैरवी करना चाहें, उनको इमामत की हालत में ऐसी ही नमाज़ पढ़ानी चाहिए।

٧٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)).

(709) हमसे अली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरेअ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अ़रूबा ने बयान किया। कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ शुरू कर देता हूँ। इरादा ये होता है कि नमाज़ लम्बी करूँ। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर हल्की कर देता हूँ। क्यों कि मुझे मा'लूम है माँ के दिल पर बच्चे के रोने से कैसी चोट पड़ती है।

٧١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ فَأُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)). وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ.

[راجع: ٧٠٩]

(710) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमें मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन अ़दी ने सईद बिन अबी अ़रूबा के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया कि मैं नमाज़ की निय्यत बाँधता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज़ को लम्बा करूँगा। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर हल्की कर देता हूँ क्यों कि मैं उस दर्द को जानता हूँ जो बच्चे के रोने की वजह से माँ को हो जाता है। और मूसा बिन इस्माईल ने कहा हमसे अबान बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस ने आँहज़रत (ﷺ) से यही ह़दीष़ बयान की।
(राजेअ़ : 709)

तश्रीह : इन सारी अहादीष से आपकी शफ़्क़त ज़ाहिर होती है। ये भी मा'लूम हुआ कि अहदे रिसालत में औरतें भी शरीके जमाअ़त हुआ करती थी। इब्ने अबी शैबा में है कि एक दफ़ा आपने पहली रकअ़त में साठ आयतों को पढ़ा। फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर आपने इतना अषर लिया कि दूसरी रकअ़त में सिर्फ़ तीन आयतें पढ़कर पूरा कर दिया।

٦٦- بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

बाब 66 : एक शख़्स नमाज़ पढ़कर दूसरे लोगों की इमामत करे

٧١١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو

(711) हमसे सुलैमान बिन हर्ब और अबुन नोअ़मान मुहम्मद

बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब सुख़्तियानी से, उन्होंने अम्र बिन दीनार से, उन्होंने जाबिर से फ़र्माया कि मुआज़ नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते फिर वापस आकर अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते थे। (राजेअ : 700)

النُّعْمَانِ قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ. [راجع: ٧٠٠]

बाब 67 : उसके बारे में जो मुक़्तदियों को इमाम की तक्बीर सुनाए

٦٧- بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

(712) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन दाऊद ने बयान किया, कहा कि हमसे अअ़मश ने इब्राहीम नख़ई से बयान किया, उन्होंने अस्वद से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) मर्ज़ुल वफ़ात में हज़रत बिलाल (रज़ि.) नमाज़ की इत्तिला देने के लिए हाज़िरे ख़िदमत हुए। आपने फ़र्माया कि अबूबक्र से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। मैंने कहा कि अबूबक्र कच्चे दिल के आदमी हैं अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रो देंगे और क़िरअत न कर सकेंगे। आपने फिर फ़र्माया कि अबूबक्र से कहो वो नमाज़ पढ़ाएँ। मैंने वही उ़ज्र फिर दोहराया। फिर आपने तीसरी या चौथी बार फ़र्माया कि तुम लोग तो बिलकुल सवाहिबे यूसुफ़ की तरह हो। अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। ख़ैर अबूबक्र (रज़ि.) ने नमाज़ शुरू करा दी। फिर नबी करीम (ﷺ) (अपना मिज़ाज ज़रा हल्का पाकर) दो आदमियों का सहारा लिए हुए बाहर तशरीफ़ लाए। गोया मेरी नज़रों के सामने वो मंज़र है कि आपके क़दम ज़मीन पर निशान कर रहे थे। अबूबक्र आपको देखकर पीछे हटने लगे। लेकिन आपने इशारे से उन्हें पढ़ाने के लिए कहा। अबूबक्र पीछे हट गए और नबी करीम (ﷺ) उनके बाज़ू में बैठे। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) लोगों को नबी करीम (ﷺ) की तक्बीर सुना रहे थे। अ़ब्दुल्लाह बिन दाऊद के साथ इस हदीष़ को मुहाज़िर ने भी अअ़मश से रिवायत किया है। (राजेअ : 198)

٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ)). قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ. قَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ)). فَقُلْتُ مِثْلَهُ. فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ - أَوِ الرَّابِعَةِ -: ((إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ)) فَصَلَّى. وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ. فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ. [راجع: ١٩٨]

जब मुक्तदी ज़्यादा हो तो दूसरा शख़्स तकबीर ज़ोर से पुकारे ताकि सबको आवाज़ पहुंच जाये। आजकल इस मक़सद के लिये एक आला (लाउड स्पीकर) वजूद में आ गया है जिसे आवाज़ पहुंचाने के लिये इस्तेमाल किया जाता है और ये अकषर उलमा के नज़दीक जायज़ है।

बाब 68 : एक शख़्स इमाम की इक़्तिदा करे और लोग उसकी इक़्तिदा करें (तो कैसा है?)

٦٨- بَابُ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ، وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

और आँहज़रत (ﷺ) से मरवी है कि आपने (पहली स़फ़ वालों से) फ़र्माया, तुम मेरी पैरवी करो और तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो तुम्हारी पैरवी करें।

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((ائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ))

(713) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू मुआविया मुहम्मद बिन ख़ाज़िम ने बयान किया, उन्होंने अअमश के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्राहीम नख़ई से, उन्होंने अस्वद से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से। आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ज़्यादा बीमार हो गए थे तो बिलाल (रज़ि.) आपको नमाज़ की ख़बर देने आए। आपने फ़र्माया कि अबूबक्र (रज़ि.) से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। मैंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! अबूबक्र (रज़ि.) नरमदिल आदमी हैं और जब भी वो आपकी जगह खड़े होंगे तो लोगों को (शिद्दते गिर्या की वजह से) आवाज़ नहीं सुना सकेंगे। इसलिए अगर आप उमर (रज़ि.) से कहते तो बेहतर था। आपने फ़र्माया कि अबूबक्र से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। फिर मैं ने हफ़्सा (रज़ि.) से कहा कि तुम कहो कि अबूबक्र नरमदिल आदमी हैं और अगर आपकी जगह खड़े हुए तो लोगों को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकेंगे। इसलिए अगर उमर से कहें तो बेहतर होगा। इस पर आपने फ़र्माया कि तुम लोग स़वाहिबे यूसुफ़ से कम न हो। अबूबक्र से कहो कि नमाज़ पढ़ाएँ। जब अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने लगे तो आँहुज़ूर (ﷺ) ने अपने मर्ज़ में कुछ हल्कापन महसूस किया और दो आदमियों का सहारा लेकर खड़े हो गए। आपके पांव ज़मीन पर निशान कर रहे थे। इस तरह चलकर आप मस्जिद में दाख़िल हुए। जब अबूबक्र ने आपकी आहट सुनी तो पीछे हटने लगे इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशारे से रोका फिर नबी करीम (ﷺ) अबूबक्र (रज़ि.) की बाईं तरफ़ बैठ गए तो अबूबक्र खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर। अबूबक्र (रज़ि.)

٧١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. فَقَالَ : ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي)). فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَايَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ: ((إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ)) فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا

रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा। (राजेअ : 198)

يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. [راجع: ١٩٨]

इसी जुम्ले से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ख़ुद मुक़्तदी थे लेकिन दूसरे मुक़्तदियों ने उनकी इक़्तिदा की।

बाब 69 : इस बारे में कि अगर इमाम को शक हो जाए तो क्या मुक़्तदियों की बात पर अमल कर सकता है?

٦٩- بَابُ هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

(714) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कअ़नी ने बयान किया, उन्होंने ह़ज़रत इमाम मालिक बिन अनस से बयान किया, उन्होंने अय्यूब बिन अबी तमीमा सुख़्तियानी से उन्होंने मुह़म्मद बिन सीरीन से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (ज़ुहर की नमाज में) दो रकअ़त पढ़कर नमाज़ ख़त्म कर दी तो आपसे ज़ुलयदैन ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ कम हो गई है या आप भूल गए हैं। इस पर आप (ﷺ) ने (और लोगों की त़रफ़ देखकर) पूछा क्या ज़ुलयदैन स़हीह़ कहते हैं? लोगों ने कहा हाँ! फिर आप उठे और दूसरी दो रकअ़तें भी पढ़ीं। फिर सलाम फेरा। फिर तक्बीर कही और सज्दा किया पहले की तरह या उससे भी कुछ लम्बा सज्दा।

(राजेअ : 182)

٧١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ). [راجع: ١٨٢]

तश्रीह़ : ये बाब लाकर इमाम बुख़ारी (रह.) ने शाफ़िइय्या का रद्द किया है जो कहते हैं कि इमाम मुक़्तदियों की बात न सुने। बाज़ ने कहा इमाम बुख़ारी (रह.) का ग़र्ज़ ये है कि इस मसले में इख़्तिलाफ़ उस हालत में है जब इमाम को ख़ुद शक हो लेकिन अगर इमाम को एक अम्र का यक़ीन हो तो बिल इत्तिफ़ाक़ मुक़्तदियों की बात न सुननी चाहिए। ज़ुलयदैन का असल नाम ख़रबाक़ था। उनके दोनों हाथ लम्बे लम्बे थे इसलिये लोग उनको ज़ुलयदैन कहने लगे। इस हदीष से भी निकला कि हद दर्जा यक़ीन हासिल करने के लिये और लोगों से भी शहादत ली जा सकती है, ये भी मा'लूम हुआ कि अपने हक़ का इज़हार एक अदना आदमी भी कर सकता है।

(715) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने सअ़द बिन इब्राहीम से बयान किया, वो अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान से, वो ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि नबी (ﷺ) ने (एक बार) ज़ुहर की स़िर्फ़ दो रकअ़तें पढ़ीं (और भूल से सलाम फेर दिया) फिर कहा गया कि आपने स़िर्फ़ दो ही रकअ़तें पढ़ीं हैं। पस आपने दो रकअ़तें

٧١٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ

और पढ़ीं फिर सलाम फेरा, फिर दो सज्दे किए। (राजेअ : 482)

سَجْدَتَيْنِ. [راجع: ٤٨٢]

बाब 70 : जब इमाम नमाज़ में रो दे (तो कैसा है?)

٧٠- بَابُ إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ

और अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद (रह.) (ताबेई) ने बयान किया कि मैंने नमाज़ में उ़मर (रज़ि.) के रोने की आवाज़ सुनी हालाँकि मैं आख़री सफ़ में था। आप आयते शरीफ़ा 'इन्नमा अश्कू बष्षी व हुज़्नी इलल्लाहि' पढ़ रहे थे।

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيْجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ﴾.

ये सूरह यूसुफ़ की आयत का एक जुमला है जिस का तर्जुमा ये है कि मैं अपने ग़म और फ़िक्र की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ, ये हज़रत या'क़ूब अ़लैहिस्सलाम ने फ़र्माया था।

(716) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक बिन अनस ने हिशाम बिन उ़र्वा से बयान किया, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मर्ज़ुल वफ़ात में फ़र्माया कि अबूबक्र से लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने कहा कि अबूबक्र अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकेंगे। इसलिए आप उ़मर (रज़ि.) से कहें कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। आपने फिर फ़र्माया कि नहीं अबूबक्र ही से नमाज़ पढ़ाने के लिए कहो। आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने ह़फ़्सा (रज़ि.) से कहा कि तुम भी तो आँह़ज़रत (ﷺ) से कहो कि अगर अबूबक्र आपकी जगह खड़े हुए तो आपको याद करके गिरया व ज़ारी की वजह से लोगों को क़ुर्आन न सुना सकेंगे। इसलिए उ़मर (रज़ि.) से कहिए कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। ह़ज़रत ह़फ़्सा (रज़ि.) ने भी कह दिया। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बस चुप रहो। तुम लोग स़वाह़िबे यूसुफ़ से किसी तरह कम नहीं हो। अबूबक्र से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। बाद में ह़ज़रत ह़फ़्सा (रज़ि.) ने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से कहा। भला मुझको तुमसे कहीं भलाई होनी है। (राजेअ : 198)

٧١٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ : ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ : قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ. فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ : قُوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَهْ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ)) قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : مَا كُنْتُ لأُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا.

[راجع: ١٩٨]

तश्रीह : मक़सदे बाब ये है कि रोने से नमाज़ में कोई ख़राबी नहीं आती। जन्नत या दोज़ख़ के ज़िक्र पर रोना तो ऐन मतलूब है। कई अहादीष से आँह़ज़रत (ﷺ) की नमाज़ में रोना षाबित है। ये ह़दीष पहले भी कई जगह गुज़र चुकी है और इमामुल मुह़द्दिषीन (रह.) ने इससे बहुत से मसाइल अख़्ज़ किए हैं। आँह़ज़रत (ﷺ) ने सिद्दीके अकबर (रज़ि.) के रोने का

ज़िक्र सुना फिर भी आपने इनको नमाज़ के लिये हुक्म फ़र्माया। पस दा'वा षाबित हुआ कि रोने से नमाज़ नहीं टूट सकती। सवाहिबे यूसुफ़ की तफ़सीर पहले गुज़र चुकी है। जुलैख़ा और उसके साथ वाली औरतें मुराद है जिनकी ज़ुबान पर कुछ था और दिल में कुछ और। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) अपने कहने पर पछताई और इसीलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) पर इज़हारे ख़फ़्गी फ़र्माया (रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन)

बाब 71 : तक्बीर होते वक़्त और तक्बीर होने के बाद सफ़ों का बराबर करना

٧١- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

(717) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़म्र बिन मुर्रह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सालिम बिन अबुल जअ़्द से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने नोअ़मान बिन बशीर से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया। नमाज़ में अपनी सफ़ों को बराबर कर लो, नहीं तो अल्लाह तुम्हारे मुँह उलट देगा।

٧١٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)).

तश्रीह : यानी मस्ख़ क़र देगा। बाज़ ने ये मुराद ली कि फूट डाल देगा। बाब की हदीषों में ये मज़मून नहीं है कि तकबीर के बाद सफ़ों को बराबर करो लेकिन इमाम बुख़ारी ने इन हदीषों को दूसरे तरीक़ों की तरफ़ इशारा किया चुनान्चे आगे चलकर ख़ुद इमाम बुख़ारी ने इस हदीष को इस तरह निकाला है नमाज़ की तकबीर होने के बाद आप हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और ये फ़र्माया और मुस्लिम की रिवायत में है कि आप तकबीर कहकर नमाज़ शुरू करने को थे कि ये फ़र्माया। इमाम इब्ने हज़्म ने हदीषों के ज़ाहिर से ये कहा है कि सफ़ें बराबर करना वाजिब है और जुम्हूर उलमा के नज़दीक सुन्नत है और ये वईद इसलिये फ़र्माई कि लोग इस सुन्नत का ख़्याल रखे। बराबर रखने से ये ग़र्ज़ है कि एक ख़त्ते मुस्तक़ीम पर खड़े हो आगे पीछे न खड़े हो या सफ में जो जगह ख़ाली रहे उसको भर दें (मौलाना वहीदुज्जमां मरहूम)।

अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **'व यहतमिलु अंय्यकूनल बुख़ारी अख़ज़ल वुजूब मिन सीगतिल अम्रि फ़ी क़ौलिही सव्वू सुफ़ूफ़कुम व मिन उमूमि क़ौलिही सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली व मिन वुरूदिल वईद अला तर्किही'** (फ़तहुल बारी) यानि मुमकिन हैकि इमाम बुख़ारी (रह.) ने हदीष के सिग़ा **अम्र सव्वू सुफ़ूफ़ कुम** (अपनी सफ़ों को सीधा करो) से वुजूब निकाला हो और हदीषे नबवी के इस उमूम से भी जिसमें आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐसी नमाज़ पढ़ो जैसी नमाज़ पढ़ते हुए तुमने मुझको देखा है।

सही रिवायत से षाबित है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अबू उषमान नहदी के क़दम पर मारा जबकि वो सफ़ में सीधे खड़े नहीं हो रहे थे। हज़रत बिलाल (रज़ि.) का भी यही दस्तूर था कि जिसको वो सफ़ में टेढ़ा देखते वो उनके क़दमों को मारना शुरू कर देते। अलग़र्ज़ सफ़ों को सीधा करना बेहद ज़रूरी है।

(718) हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया,

٧١٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَقِيْمُوا الصُّفُوفَ

फ़इन्नी अराकुम ख़ल्फ़ ज़हरी

فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِيْ)).

सफ़ें सीधी कर लो, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देख रहा हूँ।
(दीगर मक़ाम : 719, 725)

[طرفه في : ٧١٩، ٧٢٥].

तश्रीह : ये आपके मोअजज़ात में से है कि जिस तरह आप सामने से देखते इसी तरह पीछे मोहरे नुबुव्वत की वजह से आप (ﷺ) देख लिया करते थे। सफ़ों को दुरुस्त करना इस क़दर अहम है कि आप और आपके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का भी यही दस्तूर रहा कि जब तक सफ़ बिल्कुल दुरुस्त न हो जाती ये नमाज़ शुरू नहीं किया करते थे। अहदे फ़ारुकी में इस मक़सद के लिये लोग मुक़र्रर थे जो सफ़बन्दी कराये, मगर आजकल सबसे ज़्यादा मतरूक यही चीज़ है जिस मस्जिद में भी चले जाओ सफ़ें इस क़दर टेढ़ी नज़र आयेगी कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक मुसलमानों को नबी (ﷺ) के तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख़्शे।

बाब 72 : सफ़ें बराबर करते वक़्त इमाम का लोगों की तरफ़ मुँह करना

٧٢- بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

(719) हमसे अहमद बिन अबी रिजाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुआविया बिन अम्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ाइद बिन क़ुदामा ने बयान किया, कहा कि हमसे हुमैद तवील ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होने कहा कि नमाज़ के लिए तक्बीर कही गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना मुँह हमारी तरफ़ किया और फ़र्माया कि अपनी सफ़ें बराबर कर लो और मिलकर खड़े हो जाओ। मैं तुमको अपनी पीठ के पीछे से भी देखता रहता हूँ। (राजेअ : 718)

٧١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((أَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ)). [راجع: ٧١٨]

तश्रीह : तरासौ का मफ़हूम ये कि चुनाई की हुई दीवार की तरह मिलकर खड़े हो जाओ। कन्धे से कन्धा, क़दम से क़दम, टख़ने से टख़ना मिला लो। सूरह सफ़ में अल्लाह तआला ने फ़र्माया, '**इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीन युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम्मर्सूस**' (अस्सफ, आयत-4) अल्लाह पाक उन लोगों को दोस्त रखता है जो अल्लाह की राह में सीसा पिलाई हुई दीवारों की तरह मुत्तहिद होकर लड़ते हैं, जब नमाज़ में ऐसी कैफ़ियत नहीं कर पाते तो मैदाने जंग में क्या ख़ाक कर सकेंगे। आजकल के अहले इस्लाम का यही हाल है।

बाब 73 : पहली सफ़ (के स़वाब के बयान में)

٧٣- بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ

(720) हमसे अबू आसिम ज़िहाक बिन मुख़लद ने इमाम मालिक से बयान किया, उन्होंने सुमय से, उन्होंने अबू सालेह ज़क्वान से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि डूबने वाले, पेट की बीमारी में मरने वाले, ताऊन में मरने वाले और दबकर मरने वाले शहीद हैं। (राजेअ : 653)

٧٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الشُّهَدَاءُ : الْغَرِقُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْمَطْعُونُ، وَالْهَدِمُ)).

[راجع: ٦٥٣]

(721) फ़र्माया कि अगर लोग जान लें कि जो सवाब नमाज़ के

٧٢١- وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

लिए जल्दी आने में है तो एक—दूसरे से आगे बढ़ें और अगर इशा और सुबह की नमाज़ के ष़वाब को जान लें तो उसके लिए ज़रूर आएँ। ख़्वाह सुरीन के बल आना पड़े और अगर पहली स़फ़ के ष़वाब को जान लें तो उसके लिए क़ुर्आअंदाज़ी करें। (राजेअ़ : 615)

التَّهْجِيرِ لاَ سْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لاَسْتَهَمُوا)). [راجع: ٦١٥]

तश्रीह : इत्तिफ़ाक़न कोई मुसलमान मर्द औरत किसी पानी में डूबकर मर जाये या हैज़ा वग़ैरह अमराज़े शिकम (पेट की बीमारियों) का शिकार हो जाये या ताऊन (प्लेग) की बीमारी से फ़ौत हो जाये या किसी दीवार वग़ैरह के नीचे दबकर मर जाये इन सबको शहीदों में शुमार किया गया है। पहली सफ़ से इमाम के क़रीब वाली सफ़ मुराद है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि आगे की सफ़ दूसरी सफ़ को भी शामिल है इसलिये कि वो तीसरी सफ़ से आगे है। इस तरह तीसरी सफ़ को भी क्योंकि वो चौथी से आगे है। ये हदीष पहले भी गुज़र चुकी है।

बाब 74 : स़फ़ बराबर करना नमाज़ का पूरा करना है

٧٤- بَابُ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

(722) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें मअ़मर ने हम्माम बिन मुनब्बह के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि इमाम इसलिए होता है ताकि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए तुम इससे इख़्तिलाफ़ न करो। जब वो रुकूअ़ करे तो तुम भी रुकूअ़ करो और जब वो समिअ़ल्लाहुलिमन ह़मिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो और वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो। और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम सब भी बैठकर पढ़ो और नमाज़ में स़फ़ें बराबर रखो क्योंकि नमाज़ का हुस्न स़फ़ों के बराबर रखने में है। (दीगर मक़ाम : 734)

٧٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ)). [طرفه في : ٧٣٤].

मा'लूम हुआ कि नमाज़ में सफ़ दुरुस्त करने के लिये आदमी आगे या पीछे सरक जाये या सफ़ मिलाने के वास्ते किसी तरफ़ हट जाये या किसी को खींच ले तो उससे नमाज़ में ख़लल नहीं आयेगा बल्कि ष़वाब पायेगा क्योंकि सफ़ बराबर करना नमाज़ का एक अदब है। इमाम के साथ बैठकर नमाज़ पढ़ना पहले या बाद में आपके आख़री फ़ेअ़ल से ये मन्सूख़ हो गया।

(723) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमको शुअ़बा ने क़तादा के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने हज़रत अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि स़फ़ें बराबर रखो क्योंकि स़फ़ों का बराबर रखना नमाज़ को क़ायम करने में दाख़िल है।

٧٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ)).

बाब 75 : इस बारे में कि स़फ़ें पूरी न करने वालों पर (कितना गुनाह है)

٧٥- بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

(724) हमसे मुआ़ज़ बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ज़ल बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद बिन उ़बैद ताई ने बयान किया बिश्र बिन यसार अंस़ारी से, उन्होंने ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कि जब वो (बस़रा से) मदीना आए, तो आपसे पूछा गया कि नबी करीम (ﷺ) के अ़हदे मुबारक और हमारे इस दौर में आपने क्या फ़र्क़ पाया। फ़र्माया कि और तो कोई बात नहीं सिर्फ़ लोग स़फ़ें बराबर नहीं करते।

٧٢٤- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، فَقِيْلَ لَهُ، مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمَ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّكُمْ لاَ تُقِيْمُونَ الصُّفُوفَ.

और उ़क़्बा बिन उ़बैद ने बशीर बिन यसार से यूँ रिवायत किया कि अनस (रज़ि.) हमारे पास मदीना आए। फिर यही ह़दीस़ बयान की।

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ الْمَدِيْنَةَ.. بِهَذَا.

तश्रीह़ : इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये ह़दीस़ लाकर स़फ़ बराबर करने का वुजूब स़ाबित किया क्योंकि सुन्नत के तर्क को ह़ज़रत रसूले करीम (ﷺ) के ख़िलाफ़ करना नहीं कह सकते और ह़ज़रत रसूले करीम (ﷺ) के ख़िलाफ़ करना क़ुर्आन की रोशनी में सज़ा का मुस्तह़िक़ होगा। 'फ़ल्यह़ज़रिल्लज़ीन युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुस़ीबहुम फ़ित्नतुन औ युस़ीबुहुम अ़ज़ाबन अलीमुन' (सूरह नूर : 63) तसहीलुल क़ारी में ह कि हमारे ज़माने में लोगों ने सुन्नत के मुवाफ़िक़ स़फ़ें बराबर करना छोड़ दी है। कहीं तो ऐसा होता है कि आगे पीछे बेतरतीब खड़े होते हैं, कहीं बराबर भी करते हैं तो मोंढे से मोंढा और टख़ने से टख़ना नहीं मिलाते बल्कि ऐसा करने को नाज़ैबा जानते हैं। ख़ुदा की मार उनकी शक़्लऔर तहज़ीब पर। नमाज़ी लोग परवरदिगार की फ़ौज हैं। फ़ौज में जो कोई क़ायदे की पाबन्दी न करे वो सख़्त सज़ा के क़ाबिल होता है। (मौलाना वहीदुज़्ज़मा मरहूम)

बाब 76 : स़फ़ में मोंढा और क़दम से क़दम मिलाकर खड़े होने का बयान

٧٦- بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

और नोअ़मान बिन बशीर स़ह़ाबी ने कहा कि मैंने देखा (स़फ़ में) एक आदमी हममें से अपना टख़ना अपने पास वाले दूसरे आदमी के टख़ने से मिलाकर खड़ा होता।

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ : رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.

(725) हमसे अ़म्र बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर बिन मुआ़विया ने ह़ुमीद से बयान किया, उन्होंने ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने नबी अकरम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया, स़फ़ें बराबर कर लो। मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ और हममें से हर शख़्स ये करता कि (स़फ़ में)

٧٢٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ

مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ)). [راجع: ٧١٨]

अपना मोंढा अपने साथी के मोंढे से और अपना क़दम उसके क़दम से मिलाता था। (राजेअ : 718)

तश्रीह : हज़रत इमामुद्दुन्या फ़िल हदीष इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ मुतफ़र्रिक़ अबवाब मुनअक़िद फ़र्माकर और उनके तहत अनेक अहादीष लाकर सफ़ों को सीधा करने की अहमियत पर रोशनी डाली है। इस सिलसिले का ये आख़री बाब है जिसमें आपने बतलाया है कि सफ़ों की सीधी करने का मतलब ये है कि सफ़ में हर नमाज़ी अपने करीब वाले नमाज़ी के मोंढे से मोंढा और क़दम से क़दम और टख़ने से टख़ना मिलाकर खड़ा हो जैसा कि हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) का बयान नक़ल हुआ कि हम अपने साथी के टख़ने से टख़ना मिलाकर खड़े हुआ करते थे। हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान भी मौजूद है।

नीज़ फ़तहुलबारी, जिल्द 2/स: 176 पर हज़रत अनस (रज़ि.) ही के ये अल्फ़ाज़ भी मन्क़ूल है कि **'लौ फ़अलतु ज़ालिक बिअहदिहिमिल यौम लि नफ़र कअन्नहू बग़लुन शमूसुन'** अगर मैं आज के नमाज़ियों के साथ क़दम से क़दम और टखने से टख़ना मिलाने की कोशिश करता हूँ तो वो इससे सरकश खच्चर की तरह दूर भागते हैं। इससे मा'लूम होता है कि अहदे सहाबा के ख़त्म होते होते मुसलमान इस दर्जा ग़ाफ़िल होने लगे थे कि हिदायते नबवी के मुताबिक़ सफ़ों को सीधा करने और क़दमों से क़दम मिलाने का अमल एक अजनबी अमल बनने लग गया था। जिस पर हज़रत अनस (रज़ि.) को ऐसा कहना पड़ा। इस बारे में और भी कई अहादीष वारिद हुई हैं,

'रवा अबू दाऊद वल इमामु अहमद अनिब्नि उमर अन्नहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम व हाज़ू बैनल मनाकिबि व सद्दुलख़िलल व लय्यिनू बिअयदी इख़्वानिकुम ला तज़िरु फ़ुरूजातिश्शैतानि मन वसल सफ़्फ़न व वसलहुल्लाहु व मन क़तअ सफ़्फ़न क़तअहुल्लाहु व रवल्बज़्ज़ारु बिइस्नादिन हसनिन अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सद्द फ़ुर्जतम्मिनस्सफ़्फ़ि ग़फ़रल्लाहु लहू व फ़ी अबी दाऊद अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल ख़ियारुकुम अल्यनुकुम मनाकिब फ़िस्सलाति' यानी अबू दाऊद और मुसनद अहमद में अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि सफ़ें सीधी करो और कन्धों को बराबर करो। यानी कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हो जाओ और जो सुराख़ दो नमाज़ियों के दर्मियान नज़र आये उसे बन्द कर दो और अपने भाईयों के साथ नर्मी इख़्तियार करो और शैतान के घुसने के लिये सुराख़ की जगह न छोड़ो। याद रखो जिसने सफ़ को मिलाया अल्लाह उसको भी मिला देगा और जिसने सफ़ को क़तअ किया ख़ुदा उसको भी काट देगा। बज़्ज़ार में सनद हसन से है कि जिसने सफ़ की दरार को बन्द किया अल्लाह उसको बख़्शे। अबू दाऊद में ह कि तुममें वही बेहतर है जो नमाज़ में कन्धों को नरमी के साथ मिलाये रखे।

'व अनिन्नुअमानिब्नि बशीरिन क़ाल कान रसूल ﷺ युसव्वी सुफ़ूफ़ना कअन्नमा युसव्वी बिहिलक़दाहु हत्ता राअ इन्न क़द अक़ल्ना अन्हु षुम्म ख़रज यौमन फ़क़ाम हत्ता क़ाद अंय्युकब्बिर फ़राअ रजुलन बादियन सदरहू मिनस्सफ़्फ़ि फ़क़ाल इबादल्लाहि लतुसव्वुन सुफ़ूफ़कुम औ लियुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन वुजूहिकुम रवाहुल जमाअतु इल्लल बुख़ारी फ़इन्न लहू मिन्हु लतुसव्वुन सुफ़ूफ़कुम औ लयुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन वुजूहिकुम व लि अहमद व अबी दाऊद फ़ी रिवायतिन क़ाल फ़राइतुर्रजुल युल्ज़िक़ु कअबहू बिकअबि साहिबिही व रुक्बतहू बिरुक्बतिही व मन्कबहू बिमन्किबिही' (नैलुल औतार जिल्द 3 स. 199)

यानी नोअमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूले करीम (ﷺ) हमारी सफ़ों को इस तरह सीधा कराते, गोया उसके साथ तीर को सीधा किया जायेगा। यहाँ तक कि आपको इत्मीनान हो गया कि हमने इस मसले को आपसे ख़ूब समझ लिया है। एक दिन आप मुसल्ला पर तशरीफ़ लाये और एक आदमी को देखा कि उसका सीना सफ़ से बाहर निकला हुआ है। आपने फ़र्माया, अल्लाह के बन्दों! अपनी सफ़ों को बराबर कर लो वर्ना अल्लाह तआला तुम्हारे बाहमी तौर पर इख़्तिलाफ़ डाल देगा। बुख़ारी शरीफ़ में यूँ कि अपनी सफ़ों को बिल्कुल बराबर कर लिया करो। वर्ना तुम्हारे चेहरों में आपस में अल्लाह मुख़ालफ़त डाल देगा और अहमद और अबू दाऊद की रिवायत में है मैंने देखा कि हर नमाज़ी अपने साथी के कन्धे से कन्धा और क़दम से क़दम और टख़ने से टख़ना मिलाया करता था।

इमाम मुहम्मद किताबुल आषार बाबु इक़ामतिस्सुफ़ूफ़ में लिखते हैं,

'अन इब्राहीम अन्नहू कान यक़ूलु सव्वव सुफ़ूफ़कुम व सव्वव मनाकिबकुम तरासौ व लियतखल्ललन्नकुमुश्शैतानु अल्ख़. क़ाल मुहम्मद व बिही नाख़ुज़ु ला यम्बग़ी अंय्यतरूकस्सफ़्फ़ व फीहिल ख़िलल हत्ता युसव्वू व हुव क़ौलु अबी हनीफ़त' यानो इब्राहीम नख़ई फ़र्माते हैं कि सफ़ और शाना बराबर करो और गच करो ऐसा न हो कि शैतान बकरी के बच्च की तरह तुम्हारे दर्मियान दाख़िल हो जाये। इमाम मुहम्मद कहते हैं कि हम भी इसी को लेते हैं कि सफ़ में ख़लल छोड़ देना मुनासिब नहीं जब तक उनको दुरुस्त न कर लिया जाये। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का भी यही मज़हब है।

नीज़ बहर्रुरायक़ व आलमगीरी व दुर्रे मुख़्तार में भी यही है कि **'यम्बग़ी लिल मामूमिन अंय्यतरासौ व अंय्यसुद्दुल ख़िलल फ़िस्सुफ़ूफ़ि व युसव्वू मनाकिबहुम व यम्बी लिल इमामि अंय्यामुरहुम बिज़ालिक व अंय्यकिफ़ वस्तहुम'** यानी मुक़्तदियों को चाहिए कि सफ़ों को चूना गच करे सफ़ों में दराज़ को बन्द कर दें और शानों को हमवार रखें बल्कि इमाम के लिये लायक़ है कि मुक़्तदियों को इसका हुक्म करें फिर बीच में खड़ा हो। फ़तावा तातारख़ानिया में है कि जब सफ़ों में खड़े हो तो गच करे और कन्धे हमवार कर लें। (शामी जि: 1/स5595)

ये तफ़्सील इसलिये पेश की गई है कि सफ़ों को सीधा करना, पैर से पैर मिलाकर खड़ा होना ऐसा मसला है जिसमें किसी को भी इख़्तिलाफ़ नहीं है। इसके बावजूद आजकल मसाजिद में सफ़ों का मन्ज़र ये होता है कि हर नमाज़ी दूसरे नमाज़ी से दूर बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है जैसे कुछ लोग अछूतों से अपना जिस्म दूर रखने की कोशिश करते हैं, अगर क़दम से क़दम मिलाने की कोशिश की जाये तो ऐसे सरककर अलग हो जाते हैं जैसे कि किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। इसी का नतीजा है कि आज मिल्लत के बाहमी तौर पर दिल नहीं मिल रहे हैं। आपसी मुहब्बत जैसे क़ैदख़ाने में है। सच है–

सफ़ें कज, दिल परेशान, सजदा बेज़ोक़। कि अन्दाज़े जुनूँ बाक़ी नहीं है।।

अजीब फ़तवा : हमारे मुहतरम देवबन्दी हज़रात फ़र्माते हैं कि इससे मक़सद पूरी तरह सफ़ों को दुरुस्त करना है ताकि दर्मियान में किसी क़िस्म की कोई कुशादगी बाक़ी न रहे। (तफ़हीमुल बुख़ारी, पा:3/स:108) बिल्कुल दुरुस्त और बजा है कि शरीअत का यही मक़सद है और लफ़्ज़ **तरासौ** का यही मतलब है कि नमाज़ियों की सफ़ें चूना-गच दीवारों की तरह होनी ज़रूरी है। दर्मियान में हर्गिज़–हर्गिज कोई सुराख़ बाक़ी न रह जाये मगर उसी जगह आगे इर्शाद होता है। फ़ुक़हा–ए–अरबअ के यहां भी यही मसला है कि दो आदमियों के दर्मियान चार उंगलियों का फ़र्क़ होना चाहिए। (हवाला मज़कूर)

ऊपर बयान की गई तफ़सीलात में शरीअत का मक़सद ज़ाहिर हो चुका है कि सफ़ में हर नमाज़ी का दूसरे नमाज़ी के क़दम से क़दम, टख़ने से टख़ना, कन्धे से कन्धा मिलाना मक़सूद है। अकाबिरे अहनाफ़ का भी यही इर्शाद है, फिर ये 'दो आदमियों के दर्मियान चार अंगुल के फ़र्क़ का फ़तवा' समझ में नहीं आया कि क्या मतलब रखता है। साथ ही ये भी कमाल है कि न इसके लिये कोई सही हदीष बतौरे दलील पेश की जा सकती है, न किसी सहाबी व ताबेईन का क़ौल। फिर ये चार अंगुल के फ़ासले का इख़्तिराअ क्या वुज़ून रखती है?

इसी फ़तवे का शायद ये नतीजा है कि मसाजिद में जमाअतों का अजब हाल है। चार अंगुल की गुंजाइश पाकर लोग एक–एक फुट खड़े होते हैं और बाहमी क़दम मिल जाने के इन्तिहाई ख़तरनाक तसव्वुर करते हैं और इस परहेज़ के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है। क्या हमारे इन्साफ़ पसन्द व हक़ीक़त शनास उलमा–ए–किराम इस सूरते हाल पर मुहक़्क़िक़ाना नज़र डालकर इस्लाहे हाल की कोशिश फ़र्मा सकेंगे। वर्ना इर्शादे नबवी आज भी पुकार-पुकार कर ऐलान कर रहा है– **'लि तुसव्वन्न सुफ़ुफ़कुम औ लियुख़ालिफ़न्नल्लाहु बैन क़ुलूबिकुम सदक रसूलुल्लाहि (ﷺ)'** यानी सफ़ बराबर करो वर्ना अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों में बाहमी इख़्तिलाफ़ डाल देगा।

बाब 77 : अगर कोई शख़्स इमाम के बाएँ तरफ़ खड़ा हो और इमाम अपने पीछे से उसे दाईं तरफ़

٧٧– بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ

कर दे तो नमाज़ हो जाएगी

صَلَاتُهُ

(726) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे दाऊद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने अ़म्र बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के ग़ुलाम कुरैब से, उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि एक रात मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ (आपके घर में तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ी। मैं आपके बाएँ तरफ़ खड़ा हो गया इसलिए आपने पीछे से मेरा सर पकड़कर मुझे अपने दाएँ तरफ़ कर दिया। फिर नमाज़ पढ़ी और आप सो गए और जब मुअज़्ज़िन (नमाज़ की ख़बर देने) आया तो आप नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए और वुज़ू नहीं किया। (राजेअ़ : 117)

٧٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَيُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). [راجع: ١١٧]

सो जाने पर आपका वुज़ू बाक़ी रहता था इसलिये कि आपका दिल जागता और ज़ाहिर में आँखें सो जाती थी। ये ख़ुसूसियाते नबवी में से हैं। बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 78 : इस बारे में कि औरत अकेली एक सफ़ का हुक्म रखती है

٧٨- بَابُ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُوْنُ صَفًّا

(727) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी तलहा ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बतलाया कि मैंने और एक यतीम लड़के (ज़मीरा बिन अबी ज़मीरा) ने जो हमारे घर में था, आँहज़रत (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी और मेरी वालिदा उम्मे सुलैम हमारे पीछे थीं। (राजेअ़ : 380)

٧٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأُمِّي خَلْفَنَا - أُمُّ سُلَيْمٍ -. [راجع: ٣٨٠]

यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि उम्मे सुलैम अकेली थी मगर लड़कों के पीछे अकेली सफ़ में खड़ी हुईं।

बाब 79 : मस्जिद और इमाम की दाहिनी जानिब का बयान

٧٩- بَابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامِ

(728) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे ष़ाबित बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि हमसे आ़सिम अहवल ने आ़मिर शअ़बी से बयान किया, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि मैं एक रात नबी करीम (ﷺ) की बाईं तरफ़ (आपके घर में) नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। इसलिए आपने मेरा सर या बाज़ू पकड़कर मुझको अपनी दाईं तरफ़ खड़ा कर दिया। आपने अपने हाथ से इशारा किया कि पीछे से घूम आओ।

٧٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي - أَوْ بِعَضُدِي - حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي.

(राजेअ 117)

[راجع: ١١٧]

तश्रीह : इस हदीष में फ़क़त इमाम की दाहिनी तरफ़ का बयान है और शायद इमाम बुख़ारी (रह.) ने उस हदीष की तरफ़ इशारा किया जिसको निसाई ने बराअ से निकाला है कि हम जब आपके पीछे नमाज़ पढ़ते तो दाहिनी जानिब खड़ा होना पसन्द करते थे और अबू दाऊद ने निकाला कि अल्लाह रहमत उतारता है और फ़रिश्ते दुआ करते हैं सफ़ों के दाहिने जानिब वालों के लिए और ये उसके ख़िलाफ़ नहीं जो दूसरी हदीष में है कि जो कोई मस्जिद की बांयी जानिब मामूर करे तो उसको इतना ष़वाब है, क्योंकि अव्वल तो ये हदीष ज़ईफ़ है दूसरे ये आपने उस वक़्त फ़र्माया जब सब लोग दाहिने ही खड़े होने लगे और बांयी जानिब बिल्कुल उजड़ गया। (वहीदी)

बाब 80 : जब इमाम और मुक्तदियों के बीच कोई दीवार या पर्दा हाइल हो (तो कुछ क़बाहत नहीं)

٨٠- بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

और हज़रत इमाम हसन बसरी ने फ़र्माया कि अगर इमाम के और तुम्हारे बीच नहर हो तब भी नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं और अबू मिज्लज़ ताबेई ने फ़र्माया कि अगर इमाम और मुक्तदी के बीच कोई रास्ता हाइल हो तब भी इक़्तिदा कर सकता है बशर्ते कि इमाम की तक्बीर सुन सकता हो।

وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهَرٌ. وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ - وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيْقٌ أَوْ جِدَارٌ - إِذَا سَمِعَ تَكْبِيْرَ الإِمَامِ.

(729) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दह बिन सुलैमान ने यह्या बिन सईद अंसारी से बयान किया, उन्होंने अम्रह बिन्ते अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात में अपने हुज्रे के अंदर (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ते थे। हुज्रे की दीवारें पस्त (नीची) थीं इसलिए लोगों ने नबी करीम (ﷺ) को देख लिया और कुछ लोग आप की इक़्तिदा में नमाज़ के लिये खड़े हो गए। सुबह के वक़्त लोगों ने उसका ज़िक्र दूसरों से किया। फिर जब दूसरी रात आप जब खड़े हुए तो कुछ लोग आपकी इक़्तिदा में इस रात भी खड़े हो गए। ये सूरत दो या तीन रात तक रही। उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे रहे नमाज़ की जगह पर तशरीफ़ नहीं लाए, फिर सुबह के वक़्त लोगों ने इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़र्माया कि मैं डरा कि कहीं रात की नमाज़ (तहज्जुद) तुम पर फ़र्ज़ न हो जाए (इस ख़याल से मैंने यहाँ का आना नाग़ा कर दिया)

(दीगर मक़ाम : 730, 924, 1129, 2011, 2012, 8561)

٧٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ: ((إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ)).

[أطرافه في : ٧٣٠، ٩٢٤، ١١٢٩، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٨٥٦١].

बाब 81 : रात की नमाज़ का बयान

٨١- بَابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ

(730) हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन इस्माईल बिन अबी फ़ुदैक ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िब ने बयान किया, मक़्बरी के वास्ते से, उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) के पास एक चटाई थी। जिसे आप दिन में बिछाते थे और रात में उसी का पर्दा कर लेते थे। फिर कुछ लोग आपके पास खड़े हुए या आपकी तरफ़ झुके और आपके पीछे नमाज़ पढ़ने लगे। (राजेअ़ : 729)

٧٣٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوا وَرَاءَهُ. [راجع: ٧٢٩]

(731) हमसे अ़ब्दुल आला बिन हम्माद ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, अबुन्नज़र सालिम से, उन्होंने बुस्र बिन सईद से, उन्होंने ज़ैद बिन स़ाबित (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान में एक हुज्रा या ओट (पर्दा) बना लिया। बुस्र बिन सईद ने कहा कि मैं समझता हूँ कि वो बोरिये का था। आपने कई रातें उसमें नमाज़ पढ़ी। स़हाबा में से कुछ हज़रात ने इन रातों में आपकी इक़्तिदा की। जब आपको इसका पता चला तो आपने बैठे रहना शुरू किया (नमाज़ मौक़ूफ़ रखी) फिर हाज़िर हुए और फ़र्माया तुमने जो किया वो मुझको मा'लूम है। लेकिन लोगों! तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ते रहो क्योंकि बेहतर नमाज़ आदमी की वही है जो उसके घर में हो। मगर फ़र्ज़ नमाज़ (मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है) और अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, कहा कि मैंने अबुन्नज़र बिन अबी उमय्या से सुना, वो बुस्र बिन सईद से रिवायत करते थे, वो ज़ैद बिन स़ाबित से, वो नबी करीम (ﷺ) से।

(दीगर मक़ाम : 6113, 7290)

٧٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ)). قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفاه في : ٦١١٣، ٧٢٩٠].

इस सनद के बयान से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का ग़र्ज़ ये है कि मूसा बिन उक़बा का सिमा (सुनना) अबू नज़र से स़ाबित करें जिसकी इस रिवायत में तसरीह है।

बाब 82 : तक्बीरे तह्रीमा का वाजिब होना

٨٢- بَابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ

और नमाज़ का शुरू करना

الصَّلاَةِ

(732) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने ये बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुऐब ने ज़ुह्री के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक अंसारी (रज़ि.) ने ख़बर दी, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े पर सवार हुए और (गिर जाने की वजह से) आपके दाएँ पहलू में ज़ख़्म आ गए। हज़रत अनस (रज़ि.) ने बतलाया कि उस दिन आपने हमें एक नमाज़ पढ़ाई, चूँकि आप बैठे हुए थे, इसलिये हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज़ पढ़ी। फिर सलाम के बाद आपने फ़र्माया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए। इसलिए जब वो खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो और जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वो समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो। (राजेअ़ : 378)

٧٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ - وَقَالَ أَنَسٌ ﷺ- فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا). ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). [راجع: ٣٧٨]

तश्रीह : जब इमाम बुख़ारी (रह.) जमाअ़त और इमामत के ज़िक्र से फ़ारिग़ हुए तो अब सिफ़ते नमाज़ का बयान शुरू किया। बाज़ नुस्ख़ों में बाब के लफ़्ज़ के पहले ये इबारत है। **अब्वाबु सिफ़तिस्सलाति** लेकिन अकषर नुसख़ों में ये इबारत नहीं है। हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल और शाफ़ेइय्या और मालिकिय्या सबके नज़दीक नमाज़ के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना फ़र्ज़ है और कोई लफ़्ज़ काफ़ी नहीं और हनफ़िया के नज़दीक कोई लफ़्ज़ जो अल्लाह की ताज़ीम पर दलालत करें काफ़ी है, जैसे— **अल्लाहु अजल्लु या अल्लाहु आज़मु** (वहीदी) मगर अहादीषे वारिदा की बिना पर ये ख़्याल सही नहीं है।

(733) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब ज़ुह्री से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि .) से, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े से गिर गए और आप ज़ख़्मी हो गए, इसलिए आपने बैठकर नमाज़ पढ़ी और हमने भी आपकी इक़्तिदा में बैठकर नमाज़ पढ़ी। फिर नमाज़ पढ़कर आपने फ़र्माया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए। इसलिए जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो। जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो। जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो सज्दा करे तो तुम भी करो। (राजेअ़ : 378)

٧٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: (خَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا). ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا الإِمَامُ - أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)). [راجع: ٣٧٨]

(734) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि अबुज़्ज़िनाद ने मुझसे बयान किया अअ़रज के वास्ते से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो। जब वो रुकूअ़ करे तो तुम भी रुकूअ़ करो और जब वो समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो और जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम सब भी बैठकर नमाज़ पढ़ो।

(राजेअ़ : 722)

٧٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)). [راجع: ٧٢٢]

तश्रीह : इस बारे में भी क़द्रे इख़्तिलाफ़ है बेहतर यही है कि इमाम व मुक़्तदी दोनों समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह कहें और फिर दोनों **रब्बना व लकल हम्द** कहें। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) **'षुम्मा यक़ूलु समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदहू हीन यर्फ़उ सुल्बहू मिनर्रक्अ़ति षुम्मा यक़ूलु व हुम क़ाइमुन रब्बना व लकल हम्द'** के तहत फ़र्माते हैं।

'रब्बना लकल हम्दु बिहज़्फ़िल्वावि व फ़ी रिवायतिन बिइष्बातिहा व क़द तक़द्दम अन्नर्रिवायत बिषुबूतिल वावि अर्जहू व हिय आतिफ़तुन अ़ला मुक़द्दरिन अय रब्बना अतअ़नाक व हमदनाक व लकल हम्दु व क़ील ज़ाइदतुन क़ालल अस्मई सअलतु अबा अम्रिन मिन्हा फ़क़ाल ज़ाइदतुन तक़ूलुल अ़रबु यअ़नी हाज़ा फ़यक़ूलुल मुख़ातबु नअ़म व हुव लक बिदिरहमिन फ़ल्वावु ज़ाइदतुन व क़ील हिय वावुल हालि क़ालहुब्नुल अषीर व ज़अ़अफ़ मा अ़दाहू व फ़ीहि अन्नत्तस्मीअ़ ज़िक्रुन्नुहूज़ि वर्रफ़इ वत्तहमीदु ज़िक्रुल इअ़तिदालि वस्तुदिल्ल बिही अ़ला अन्नहू युशरिउल जम्अ बैनत्तस्मीइ वत्तहमीदि लिकुल्लि मुसल्लिन मिन इमामिन व मुन्फ़रिदिन व मुतमिन इज़ हुव हिक़ायतु लिमुतलक़ि सलातिही ﷺ' (मिर्आतुल मफ़ातीह जि: 1/स:559) **रब्बना लकद हम्द** हज़्फ़े वाव के साथ और बाज़ रिवायात में **इष्बाते वाव** के साथ मरवी है और तरजीह **इष्बाते वाव** को ही है जो **वावे–अत्फ़** है और मअ़तूफ़ अलैह मुक़द्दर है। यानी ऐ रब हमारे! हमने तेरी इताअ़त की, तेरी ता'रीफ़ की और ता' रीफ़ तेरे ही लिए है। बाज़ लोगों ने अ़रब के मुहावरे के मुताबिक़ इसे **वावे ज़ाइद** भी कहा है। बाज़ ने वाव हाल के लिए माना है, इस हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) से मा'लूम हुआ कि **समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह** कहना, ये रुकूअ़ में झुकने और इससे सर उठाने का ज़िक्र है और **रब्बना व लकल हम्द** कहना ये खड़े होकर ए'तिदाल पर आ जाने के वक़्त का ज़िक्र है। इसीलिए मशरूअ़ है कि इमाम हो या मुक़्तदी या मुनफ़रिद सब ही **समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह** फिर **रब्बना व लकल हम्द** कहें। इसलिये कि हज़रत (ﷺ) की नमाज़ इसी तरह नक़ल की गई है और आपका इर्शाद है कि तुम उसी तरह नमाज़ पढ़ो जैसे तुमने मुझको पढ़ते हुए देखा है।

बाब तक्बीरे तहरीमा में नमाज़ शुरू करते ही बराबर दोनों हाथों का (कँधों या कानों तक) उठाना

٨٣- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى مَعَ الافْتِتَاحِ سَوَاءً

(735) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक से, उन्होंने इब्ने शिहाब ज़ुह्री से, उन्होंने सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने अपने बाप (अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से कि रसूलल्लाह नमाज़ शुरू करते वक़्त अपने दोनों

٧٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ

हाथों को मोंढों तक उठाते, उसी तरह जब रुकूअ के लिए अल्लाहु अकबर कहते और जब अपना सर रुकूअ से उठाते तो दोनों हाथ भी उठाते और रुकूअ से सर मुबारक उठाते हुए समिअल्लाहुलिमन हमिदह रब्बना व लकल हम्द कहते थे। सज्दे में जाते वक़्त रफ़उल यदैन नहीं करते थे।

(दीगर मक़ाम : 736, 738, 739)

يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا) وَقَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). (وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ).

[أطرافه في : ٧٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩].

बाब 84 : रफ़उल यदैन तक्बीरे तहरीमा के वक़्त, रुकूअ में जाते और रुकूअ से सर उठाते वक़्त (सुन्नत है)

٨٤- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ

(736) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी। कहा कि हमको यूनुस बिन यज़ीद ऐली ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि जब आप नमाज़ के लिए खड़े हुए तो तक्बीरे तहरीमा के वक़्त आपने रफ़उल यदैन किया। आपके दोनों हाथ उस वक़्त मोंढों तक उठे और उसी तरह जब आप रुकूअ के लिए तक्बीर कहते उस वक़्त भी रफ़उल यदैन करते और जब रुकूअ से सर उठाते उस वक़्त भी करते। उस वक़्त आप कहते समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अलबत्ता सज्दे में आप रफ़उल यदैन नहीं करते थे। (राजेअ : 735)

٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

[راجع: ٧٣٥]

(737) हमसे इस्हाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह तिहान ने बयान किया ख़ालिद हुज़्ज़ाअ से। उन्होंने अबू क़िलाबा से कि उन्होंने मालिक बिन हुवैरिष़ सहाबी को देखा कि जब वो नमाज़ शुरू करते तो तक्बीरे तहरीमा के साथ रफ़उल यदैन करते, फिर जब रुकूअ में जाते तो उस वक़्त भी रफ़उल यदैन करते और जब रुकूअ से सर उठाते तब भी करते और उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी इसी

٧٣٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ

तरह किया करते थे।

اللهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا.

बाब 85 : हाथों को कहाँ तक उठाना चाहिए

٨٥- بَابُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟

और अबू हुमैद सअदी (रज़ि.) ने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाया

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: ((رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)).

(738) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा कि आप नमाज़ तक्बीरे तहरीमा से शुरू करते और तक्बीर कहते वक़्त अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठा कर ले जाते और जब रुकूअ के लिये तक्बीर कहते तब भी उसी तरह करते और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते तब भी उसी तरह करते और रब्बना व लकल हम्द कहते। सज्दा करते वक़्त या सज्दा से सर उठाते वक़्त इस तरह रफ़उल यदैन नहीं करते थे।

(राजेअ : 735)

٧٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

[راجع: ٧٣٥]

बाब 86 : (चार रकअत नमाज़ में) क़अदा ऊला से उठने के बाद रफ़उल यदैन करना

٨٦- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

(739) हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल आला बिन अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह उमरी ने नाफ़ेअ से बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब नमाज़ में दाख़िल होते तो पहले तक्बीरे तहरीमा कहते और साथ ही रफ़उल यदैन करते। इसी तरह जब वो रुकूअ करते तब और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते तब भी दोनों हाथों को उठाते और जब क़अद-ए-ऊला से उठते तब भी रफ़उल यदैन करते। आपने इस काम को नबी करीम (ﷺ) तक पहुँचाया। (कि आँहज़रत ﷺ इसी तरह नमाज़ पढ़ा करते थे) (राजेअ : 735)

٧٣٩- حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ).

[راجع: ٧٣٥]

तश्रीह : तकबीरे तहरीमा के वक़्त और रुकूअ में जाते और रुकूअ से सर उठाते वक़्त और आख़री रकअत के

लिए उठने के वक़्त और तीसरी रकअ़त के लिए उठने के वक़्त दोनों हाथों को कन्धों या कानों तक उठाना रफ़उलयदैन कहलाता है, तकबीरे तहरीमा के वक़्त रफ़उलयदैन पर सारी उम्मत का इजमा है मगर बाद के मक़ामात पर हाथ उठाने में इख़्तिलाफ़ है। अइम्म–ए–किराम उलम–ए–इस्लाम की अकषरियत यहाँ तक कि अहले बैत सब बिल इत्तिफ़ाक़ इन मक़ामात पर रफ़उलयदैन के क़ायल हैं मगर हनफ़िया के यहां मक़ामाते मज़कूरा पर रफ़उलयदैन नहीं है। कुछ उलम–ए–अहनाफ़ इसे मन्सूख़ क़रार देते हैं, कुछ रफ़इल यदैन को बेहतर जानते है, कुछ दिल से क़ायल हैं मगर ज़ाहिर में अमल नहीं है।

फ़रीक़ैन ने इस बारे में काफ़ी तबअ़ आज़माई की है। दोनों जानिब से ख़ास तौर पर आज के दौरे पुरफ़ितन में बहुत से काग़ज़ काले किए गए हैं। बड़े–बड़े मुनाज़रे हुए हैं मगर बात अभी तक जहां थी वहीं पर मौजूद है। एक ऐसे जुज़ई मसले पर इस क़दर तशद्दुद बहुत ही अफ़सोसनाक है। **कितने अवाम हैं जो कहते हैं कि शुरू इस्लाम में लोग बग़लों में बुत रख लिया करते थे, इसलिये रफ़उलयदैन का हुक्म हुआ ताकि उनके बग़लों के बुत गिर जाया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह! ये ऐसा झूठ है जो शायद इस्लाम की तारीख़ में इसके नाम पर सबसे बड़ा झूठ कहा जा सकता है। कुछ लोग इसे सुन्नते नबवी को मक्खी उड़ाने से तशबीह देकर तौहीने सुन्नत के मुर्तकिब होते हैं।**

काश! उलम–ए–अहनाफ़ ग़ौर करते और उम्मत के सवादे आज़म को देखकर जो उसके सुन्नत के क़ायल हैं कम–अज़–कम ख़ामोशी इख़्तियार कर लेते तो ये फ़साद यहां तक न बढ़ता। हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलिउल्लाह मुहद्दिष देहलवी ने बड़ी तफ़्सीलात के बाद फ़ैसला दिया है। **'वल्लजी यर्फ़उ अहब्बु इलय्य मिम्मन ला यर्फ़उ'** रफ़उलयदैन करने वाला मुझको न करने वाले से ज़्यादा प्यारा है इसलिये कि अहादीषे रफ़अ बकषरत हैं और सहीह हैं जिनके आधार पर इन्कार की गुंजाइश नहीं है। महज़ बदगुमानियों के दूर करने के लिए कुछ तफ़्सीलात नीचे दी जाती हैं। उम्मीद है कि नाज़िरीने किराम तअ़स्सुब से हटकर इनका मुतालआ़ करेंगे और ताक़त से भी ज़्यादा सुन्नते रसूल (ﷺ) का एहतराम मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों में बाहमी इत्तिफ़ाक़ के लिए कोशां होंगे कि वक़्त का यही फ़ौरी तक़ाज़ा है।

हज़रत इमाम शाफ़िई फ़र्माते हैं– **'मअ़नाहु तअ़ज़ीमुन लिल्लाह वत्तिबाउन लिसुन्नतिन्नबिय्यि ﷺ'** कि शुरू नमाज़ में और रुकू में जाते वक़्त और सर उठाने पर रफ़उल यदैन करने से एक तो अल्लाह की ताज़ीम और दूसरे अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इत्तिबाअ़ मुराद है। (नबवी, सः168 वग़ैरह)

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं, **'रफ़उलयदैन मिन ज़ीनतिस्सलाति'** कि ये रफ़उलयदैन नमाज़ की ज़ीनत है। (ऐनी, जि.:3/सः7 वग़ैरह)

और हज़रत नोअ़मान बिन अबी अ़यास (रह.) फ़र्माते हैं, **'लि कुल्लि शैइन ज़ीनतुन व ज़ीनतुस्सलाति अन्तर्फ़अ यदैक इज़ा कब्बरत व रकअ़त व इज़ा रफ़अ़त रासक मिनर्रुकूइ'** कि हर चीज़ के लिए एक ज़ीनत है और नमाज़ की ज़ीनत शुरू नमाज़ में रुकूअ में जाते और रुकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़उलयदैन करना है। (जुज़्ए बुख़ारी, स.21)

और इमाम इब्ने सीरीन (रह.) फ़र्माते है– **'हुव मिन तमामिस्सलाति'** कि नमाज़ में रफ़उलयदैन करना नमाज़ की तकमील का बाइष है। (जुज़्ए बुख़ारी, सः17)

और अब्दुल मालिक फ़र्माते हैं, **'सअलतु सईदब्न जुबैरिन अन रफ़इलयदैनि फ़िस्सलाति फ़ क़ाल हुव शैउन तज़य्यनु बिही सलातुक'** (बैहक़ी, जिः2/सः75) कि मैंने सईद बिन जुबैर से नमाज़ में रफ़उलयदैन करने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा ये वो चीज़ है कि तेरी नमाज़ को मुज़य्यन कर देती है।

और हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) फ़र्माते हैं– **'मन रफ़अ़यदैहि फ़िस्सलाति लहू बि कुल्लि इशारतिन अशर हसनातिन'** कि नमाज़ में एक दफ़ा रफ़उलयदैन करने से दस नेकियों का षवाब मिलता है। (फ़तावा इमाम इब्ने तैमिया, सः376) गोया दो रकअ़त में पचास और चार रकअ़त में सौ नेकियों का इज़ाफ़ा हो जाता है।

मरवियाते बुख़ारी के अलावा नीचे लिखी रिवायते सहीहा से भी रफ़उलयदैन का सुन्नत होना षाबित है, **'अन अबी**

बक्रिस्सिद्दीक़ क़ाल सल्लैतु ख़ल्फ रसूलिल्लाहि (ﷺ) फ़ कान यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ़्ततहस्सलात व इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूअ' हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी आप हमेशा शुरू नमाज़ में और रुकूअ में जाने और रुकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़उलयदैन किया करते थे। (बैहक़ी, जिः2/सः73)

इमाम बैहक़ी, इमाम सुबुकी, इमाम इब्ने हजर फ़र्माते हैं – **'रिजालुहू षिक़ातुन'** की इस हदीष के सब रावी षिक़ह हैं। (बैहक़ी, जिः2/सः73, तलख़ीस, सः82, सुबुकी सः6)

'वक़ालल हाकिम अन्नहू महफ़ूज़न' हाकिम ने कहा ये हदीष महफ़ूज़ है। (तलख़ीसुल हबीर, सः82)

'अन उमरिब्निल ख़त्ताबि अन्नहू क़ाल राइतु रसूल्लाहि (ﷺ) कान यर्फ़उ यदैहि इज़ा कब्बर व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ' (रवाहुद्दारक़ुत्नी, जुज़्इ सुब्की : सः6)

'व अन्हु अनिन्नबिय्यि ﷺ कान यर्फ़उ यदैहि इन्दर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रासहू' (जुज़्इ बुख़ारी, सः13)

इमाम बैहक़ी और हाकिम फ़र्माते हैं – **'फकद रुविय हाज़िहिस्सुन्नतु अन अबी बक्रिन व उमर व उष्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम'** कि रफ़ुउलयदैन की हदीष जिस तरह हज़रत अबू बकर व उमरे फ़ारूक़ (रज़ि.) ने बयान की है उसी तरह हज़रत उष्मान (रज़ि.) से भी मरवी है। (ता'लीक़ुल मुग़नी, सः111) नीज़ हज़रत अली (रज़ि.) से भी मरवी है।

अल्लामा सुबकी फ़र्माते हैं, **'अल्लज़ीन नक़ल अन्हुम रिवायत अनिन्नबिय्यि (ﷺ) अबू बकर व उमर व उष्मान व अली व ग़ैरहुम रज़ियल्लाहुअन्हुम'** कि जिन सहाबा ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से रफ़उलयदैन की रिवायत नक़ल की है, हज़रत अबू बक्र, उमर, उष्मान और अली वग़ैरह (रज़ि.) भी उन्हीं में से हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) शुरू नमाज़ और रुकूअ में जाने और रुकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़उलयदैन करते थे। (जुज़्इ सुब्की, सः9)

'व अन अलिय्यिब्नि अबी तालिबिन अन्न रसूलल्लाहि ﷺ कान यर्फ़उ यदैहि इज़ा कब्बर लिस्सलाति हज़्व मन्कबैहि व इज़ा अराद अंय्यर्कअ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ व इज़ा क़ाम मिनर्रकअतैनि फ़अल मिष्ल ज़ालिक' (जुज़्इ बुख़ारी, सः6) हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि बेशक अल्लाह के रसूल (ﷺ) हमेशा तकबीरे तहरीमा के वक़्त कन्धों तक हाथ उठाया करते थे और जब रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते औरर जब दो रकअतों से खड़े होते तो तकबीरे तहरीमा की तरह हाथ उठाया करते थे। (अबू दाऊद, जिः1/सः198) मुसनद अहमद, जिः3/सः165), इब्नेमाजा, सः62 वग़ैराह)

'अनिब्नि उमर (रज़ि.) अन्न रसूलुल्लाहि (ﷺ) कान यर्फ़उ यदैहि हज़्व मन्कबैहि इज़ा इफ़्ततहस्सलात व इज़ा कब्बर लिर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ रफ़अहुमा कज़ालिक' फ़र्माते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब नमाज़ शुरू करते तो हमेशा अपने दोनों हाथों को मोंढों तक उठाया करते। फिर जब रुकूअ के लिए तकबीर कहने और जब रुकू से सर उठाते तब भी इस तरह अपने हाथ उठाया करते थे। (मुस्लिम,सः168, अबू दाऊद, जिः1/सः192, तिर्मिज़ी, सः36 वग़ैरह) इनके अलावा इक्कीस किताबों में ये हदीष मौजूद है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) आशिके सुन्नत ने **'कान यरफ़उ यदैहि'** फ़र्माकर और बैहक़ी की रिवायत आख़िर में **'हत्ता लक़ियल्लाह'** लाकर ये षाबित कर दिया कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) इब्तिदा–ए–नुबुव्वत से लेकर अपनी उमर शरीफ़ की आख़री नमाज़ तक रफ़उलयदैन करते रहे।

हदीष इब्ने उमर (रज़ि.) **'कान यर्फ़उ यदैहि अलअख़'** के तहत शैख़ुल हदीष हज़रत उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी ज़ाद फ़ज़्लुहू फ़र्माते हैं,

'हाज़ा दलीलुन स़रीहुन अ़ला अन्न रफ़अल यदैनि फ़ी हाज़िहिल मवाज़िइ सुन्नतुन व हुवल हक़्क़ु वस़्सवाबु नक़लल बुख़ारी फ़ी स़हीहिही अक्ब हदीषिब्नि उमर हाज़ा अन शैख़िही अ़लिय्यिब्निल मदीनी अन्नहू क़ाल हक़्क़न अलल मुस्लिमीन अंय्यर्फ़ंउ अयदियहुम इन्दर्रूकूइ वर्रफ़्इ मिन्हु लिहदीषिब्नि उमर हाज़ा व हाज़ा फ़ी रिवायतिब्निल असाकिर व क़द ज़करहूल बुख़ारी फ़ी जुज़्इ रफ़इलदैनि व ज़ाद व कान आलमु अहल ज़मानिहि इन्तहा

क़ुल्तु व ज़हब आम्मतु अहलिल इल्मि मिन अस्हाबिन्नबिय्यि ﷺ वत्ताबिइन व ग़ैरहुम क़ाल मुहम्मदुब्नु नस़रल मर्वज़ी अज्मअ उलमाउलअम्सारि अ़ला मश्रूइय्यति ज़ालिक इल्ला अहलल कूफ़ति व क़ालल बुख़ारी फ़ी जुज़्इ रफ़्इलयदैनि क़ालल हसनु व हुमैदुब्नु हिलाल अस़्हाबु रसूलिल्लाहि ﷺ कानू यर्फ़ऊन

व रवब्नु अ़ब्दिल बर बिसनादिही अ़निल हसनिल बस़्री क़ाल कान अस़्हाबु रसूलिल्लाहि ﷺ यर्फ़उन अयदीहिम फ़िस़्सलाति इज़ा रकऊ व इज़ा रफ़उ कअन्नहल मराविहु व रवल बुख़ारी अन हुमैदिब्नि हिलालिन क़ाल कान अस़्हाबु रसूलिल्लाहि ﷺ कअन्नमा अयदीहिमिल मराविह यर्फ़ऊनहा इज़ा रक़ऊ व इज़ा रफ़उ रुऊसहुम क़ालल बुख़ारी व लम यस्तष्नल हसनु अहदम्मिन्हुम मिन अस़्हाबिन्नबिय्यि ﷺ अन्नहू लम यर्फ़अ यदैहि षुम्म ज़करल बारी अन इद्दति मिन उलमाइ अहलिमक्कत व अहलिल हिजाज़ि व अहलिल इराक़ि वश्शामि वल बस़्रति वल्यमनि व इद्दतिम्मिन अहलि ख़ुरासान व आम्मति अस्हाबिब्निल मुबारकि व मुहद्दिषी अहलि बुख़ारा वग़ैरहुम मिम्मन ला युह़सा इन्नहुम कानू यर्फ़ऊन अयदीहिम इन्दर्रूकूइ वर्रफ़्इ मिन्हु ला इख़्तिलाफ़ मिन्हुम फ़ी ज़ालिक अल्ख़' (मिर्आत जिल्द 1 स. 529)

ख़ुलासा इस इबारत का ये कि हदीष इस अम्र पर सरीह दलील है कि इन मक़ामात पर रफ़उलयदैन सुन्नत है और यही हक़ और सवाब है ओर इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपने उस्ताद अ़ली बिन अल मदीनी से नक़ल किया है कि मुसलमानों के लिये ज़रूरी है कि वो रुकूअ में जाते और सर उठाते वक़्त अपने दोनों हाथों को (कन्धों या कानों की लौ तक) उठाएं। असहाबे रसूल (ﷺ) से आ़म अहले इल्म का यही मसलक है और मुहम्मद बिन नस्र मरवज़ी कहते हैं कि सिवाये अहले कूफ़ा के तमाम उलम–ए–अमसार ने इसकी मशरूइयत पर इजमा किया है। तमाम असहाबे रसूल (ﷺ) रुकूअ में जाते वक़्त और रुकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे। इमाम हसन बसरी (रह.) ने अस्हाबे नबवी (ﷺ) में से इस बारे में किसी को अलग नहीं किया या फिर बहुत से अहले मक्का व हिजाज़ व अहले इराक़ व अहले शाम और बसरा और यमन और बहुत से अहले ख़ुरासान और जालअ शागिर्दान अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक और जुम्ला मुहद्दिषीने बुख़ारा वग़ैरह जिनकी ता'दाद शुमार में भी नहीं आ सकती, इन सबका यही अ़मल नक़ल किया है कि वो रुकूअ में जाते और रुकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़उलयदैन किया करते थे।

नीचे लिखी अहादीष में मजीद वुज़ाहत मौजूद है– **'अन अनसिन अन्न रसूलल्लाहि ﷺ कान यर्फ़उ यदैहि इज़ा दख़ल फ़िस़्सलाति व इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रूकूइ'** (रवाहु इब्ने माजा) हज़रत अनस (रज़ि.) (जो दस साल दिन रात आप ﷺ की ख़िदमत में रहे) फ़र्माते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब भी नमाज़ में दाख़िल होते और रुकूअ करते और रुकूअ से सर उठाते तो रफ़उलयदैन करते **व सनदुहू स़हीहुन**, सुबकी ने कहा, सनद उसकी सही है। (इब्ने माजा सः62, बैहक़ी 2/सः74, दार कुतनी सः 108, जुज़इ बुख़ारी सः9, तलख़ीस सः82, जुज़इ सुब्की सः4)

हज़रत अनस (रज़ि.) ने **कान यर्फ़उ** फ़र्माकर वाज़ेह कर दिया कि हुजूर (ﷺ) ने दस साल में ऐसी कोई नमाज़ नहीं पढ़ी जिसमें रफ़उलयदैन न किया हो (तख़रीज ज़ेल जिः 1/सः 110)

'अनिब्नि अब्बासिन अ़निन्नाबिय्यि (ﷺ) कान यर्फ़उ यदैहि इन्दर्रूकूइ व इज़ा रफ़अ रासहू' (जुज़इ बुख़ारी, सः 13) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूले ख़ुदा (ﷺ) हमेशा ही रुकू में जाने और रुकू से सर उठाने के वक़्त रफ़उलयदैन किया करते थे। (इब्नेमाजा सः63)

1

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने **कान यर्फ़उ** फ़र्माया जो दवाम और हमेशगी पर दलालत करता है।

'अन अबिज़ुबैरि अन्न जाबिरब्न अब्दिल्लाहि कान इज़ा इफ़्ततहस्सलात रफ़अ यदैहि व इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ फ़अल मिष्ल ज़ालिक व यक़ूलु राइतु रसूलल्लाहि ﷺ फ़अल ज़ालिक' (रवाहुब्नु माजा पेज नं. 62)

'व अन्हु अनिन्नबिय्यि ﷺ कान यर्फ़उ यदैहि इन्दर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रासहू' (जुज़इ बुख़ारी, पेज नं. 13)

हज़रत जाबिर (रज़ि) हमेशा रफ़उल यदैन किया करते थे और फ़र्माया करते थे कि मैं इसलिए रफ़उल यदैन करता हूँ कि मैंने ख़ुद अपनी आखों से रसूलुल्लाह (ﷺ) को रुकूअ में जाते और रुकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़उल यदैन करते देखा करता था। (बैहक़ी, जिल्द : 2/ पेज नं. 74, जुज़ सुब्की, पेज नं. 5, बुख़ारी : पेज नं. 13)

इस हदीष में भी **कान यर्फ़उ** मौजूद है जो हमेशगी पर दलालत करता है।

'अन अबी मूसा क़ाल हल उरीकुम सलात रसूलिल्लाहि ﷺ फ़कब्बर व रफ़अ यदैहि षुम्म क़ाल समिअल्लहु लिमन हमिदा व रफ़अ यदैहि षुम्म क़ाल हाज़ा फ़स्नऊ रवाहुद्दारमी' (जुज़इ रफ़इल यदैनि सुबुकी, पेज नं. 5)

व अन्हु अनिन्नबिय्यि स क़ाल कान यर्फ़उ यदैहि इन्दर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रासहू हज़रत अबू मूसा (रज़ि) ने मज्मओ आम में कहा, आओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़कर दिखाऊँ। फिर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ शुरू की। जब रुकूअ के लिए तक्बीर कही तो दोनों हाथ उठाए, फिर जब उन्होंने **समिअल्लाहु लिमन् हमिदह** कहा तो दोनों हाथ उठाए और फ़र्माया, लोगों! तुम भी इसी तरह नमाज़ पढ़ा करो क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा रुकूअ में जाने से पहले और सर उठाने के वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे। (दारमी, दारे क़ुत्नी, पेज नं. 109, तल्ख़ीसुल हबीर पेज नं. 81, जुज़ बुख़ारी, पेज नं. 13, बैहक़ी पेज नं. 74)

इस हदीष में भी **कान यर्फ़उ** मौजूद है जो दवाम (हमेशगी) के लिए है।

मौलाना अनवर शाह साहब (रह) फ़र्माते हैं । **हिय सहीहतुन** ये हदीष सहीह है (अल् अरफ़ुश्शाज़ी, पेज नं. 125)

'अन अबी हुरैरत अन्नहू क़ाल कान रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा कब्बर लिस्सलाति जअल यदैहि हज़्व मन्कबैहि व इज़ा रकअ फ़अल मिष्ल ज़ालिक व इज़ा रफ़अ लिस्सुजूदि फ़अल मिष्ल ज़ालिक व इज़ा क़ाम मिनर्रक्अतैनि फ़अल मिष्ल ज़ालिक' (रवाहु अबू दाऊद)

'व अन्हु अनिन्नबिय्यि ﷺ कान यर्फ़उ यदैहि इन्दरुकूइ व इज़ा रफ़अ रासहू' हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी नमाज़ के लिए अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अपने हाथ कँधों तक उठाते और इसी तरह जब रुकूअ में जाते और रुकूअ से सर उठाते तो हमेशा कँधों तक हाथ उठाया करते थे। इसमें भी **काना यर्फ़उ** सैग़ ए इस्तिम्रारी मौजूद है। (अबू दाऊद, जिल्द : 1/ पेज नं. 197, बैहक़ी, जिल्द : 2, पेज नं. 74, व **रिजालुहू रिजालुन सहीहुन** (तल्ख़ीस ज़ेलई, जिल्द 1 पेज नं. 215)

'अन उबैदिब्नि उमैरिन अन अबीहि अनिन्नबिय्यि ﷺ कान यर्फ़उ यदैहि इन्दर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रासहू' (जुज़इ बुख़ारी, पेज नं. 3) हज़रत उबैद बिन उमेर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा रुकूअ में जाते और उठते रफ़उल यदैन किया करते थे।

इस हदीष में भी **काना यर्फ़उ** सैग़-ए-इस्तिम्रारी मौजूद है जो दवाम (हमेशगी) पर दलालत करता है।

'अनिल बराइब्नि आज़िबिन क़ाल राइतु रसूलल्लाहि ﷺ इज़ा इफ़्ततहस्सलात रफ़अ यदैहि व इज़ा अराद अंय्यर्कअ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ' (रवाहुल हाकिम वल् बैहक़ी)

बराअ बिन आज़िब (रज़ि) फ़र्माते हैं कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि हुज़ूर (ﷺ) शुरू नमाज़ और रुकूअ में जाने और रुकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे। (हाकिम, बेहक़ी, जिल्द 2 पेज नं. 77)

'अन क़तादत अन्न रसूलल्लाहि ﷺ कान यर्फ़उ यदैहि इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ' (सुबुकी पेज नं. 8) **व क़ालत्तिर्मिज़ी व फिल्बाबि अन क़तादत.** हज़रत क़तादा (रज़ि) फ़र्माते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशाँ ही रुकूअ

में जाने और रुकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे। (तिर्मिज़ी : पेज नं. 36)

इस हदीष में भी **काना यर्फ़उ** आया है जो दवाम और हमेशगी की दलील है।

'अन सुलैमान बिन यसार अन्ना रसूलल्लाहि (ﷺ) काना यरफ़उ यदैहि फ़िस्सलाति' (रवाहु मालिक फ़िल मौता जिल्द 1 पेज नं. 98, सबकी पेज नं. 8) हज़रत सुलैमान बिन यसार (रज़ि) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा ही नमाज़ में रफ़उल यदैन किया करते थे और इसी तरह उमेर लैषी से भी रिवायत आई है (इब्ने माजा : पेज नं. 62 जुज़ सुबुकी, पेज नं. 7)

'व फ़िल बाबि अन उमैरिल्लैषी' (तिर्मिज़ी, पेज नं. 36, तुहफ़तुल अहवज़ि, जिल्द 1 पेज नं. 219)

'अन वाइलिब्नि हुज्रिन क़ाल कुल्तु लअन्ज़ुरन्न इला सलाति रसूलिल्लाहि ﷺ कैफ़ युसल्ली फ़नज़र्तु इलैहि क़ाम फकब्बर अलल्युस्रा अला सदरिही फ़लम्मा अराद अंय्यर्कअ रफ़अ यदैहि मिष्लहा फ़लम्मा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ रफ़अ यदैहि मिष्लहा' (रवाहु अहमद) हज़रत वाइल बिन हुज्र (जो एक शहज़ादे थे) फ़र्माते हैं कि मैंने इरादा किया कि देखूँ रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ किस तरह पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि जब आप अल्लाह अकबर कहते तो रफ़उल यदैन करते और सीने पर हाथ रख लेते। फिर जब रुकूअ में जाने का इरादा करते और रुकूअ से सर उठाते तो रफ़उल यदैन करते। (मुस्नद अहमद वग़ैरह) सीने पर हाथ रखने का ज़िक्र मुस्नद इब्ने ख़ुज़ैमा में है।

'अन अबी हुमैदिन क़ाल फ़ी अशरतिम्मिन अस्हाबिन्नबिय्यि ﷺ अना आलमुकुम बिसलाति रसूलिल्लाहि ﷺ क़ालू फ़ज़्कुर क़ाल कानन्नबिय्यु ﷺ इज़ा काम इलस्सलाति रफ़अ यदैहि व इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ रफ़अ यदैहि' हज़रत अबू हुमैद ने दस सहाबा की मौजूदगी में फ़र्माया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ से अच्छी तरह वाक़िफ़ हूँ, उन्होंने कहा अच्छा बताओ। अबू हुमैद ने कहा। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े होते तो रफ़उल यदैन किया करते थे और जब रुकूअ करते और रुकूअ से सर उठाते तब भी अपने हाथ उठाया करते थे। ये बात सुनकर तमाम सहाबा ने कहा **सदक़्त हाकज़ा कान युसल्ली** बेशक तू सच्चा है, रसूलुल्लाह (ﷺ) इसी तरह नमाज़ में रफ़उल यदैन किया करते थे। (जुज़इ सुब्की, पेज नं. 4)

इस हदीष में **कान युसल्ली** क़ाबिले ग़ौर है जो दवाम और हमेशगी पर दलालत करता है। (जुज़इ बुख़ारी पेज नं. 8, अबू दाऊद पेज नं. 194)

'अन अब्दिल्लाहिब्निज़ुबैर अन्नहू सल्ला बिहिम यूशीरु बिकफ़्फैहि हीन यक़ूमु व हीन यर्कउ व हीन यस्जुदु व हीन यन्हज़ु फ़क़ालब्नु अब्बासिन मन अहब्ब अंय्यन्ज़ुर इला सलाति रसूलिल्लाहि ﷺ फ़ल्यक़्तदि बिब्निज़ुबैरि' हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और खड़े होने के वक़्त और रुकूअ में जाने और रुकूअ से सर उठाने और दो रकअतों से खड़े होने के वक़्त दोनों हाथ उठाए। फिर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) ने फ़र्माया, लोगों! जो शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ पसंद करता हो उसको चाहिए कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) की तरह नमाज़ पढ़े क्योंकि ये बिल्कुल रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़ते हैं। (अबू दाऊद पेज नं. 198)

'अनिल हसनि अनन्नबिय्य ﷺ कान इज़ा अराद अंय्युकब्बिर रफ़अ यदैहि व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ रफ़अ यदैहि' (रवाहु अबू नुऐम, जुज़इ सुब्की पेज नं. 8) हज़रत हसन (रज़ि) फ़र्माते हैं कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) रुकूअ करने और रुकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे (रवाहु अब्दुर्रज़ाक़, तल्ख़ीसुल हबीर, पेज नं. 82)

सहाबा किराम भी रफ़उल यदैन किया करते थे जैसा कि नीचे लिखी तफ़सीलात से ज़ाहिर है।

हज़रत अबूबक्र सिद्दिक़ (रज़ि) रफ़उल यदैन किया करते थे : 'अन अब्दिल्लाहिब्निज़ुबैरि क़ाल सल्लैतु ख़ल्फ़ अबी बक्र फ़कान यर्फ़उ यदैहि इज़ा इफ़्ततहस्सलात व इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ व क़ाल सल्लैतु ख़ल्फ़ रसूलिल्लाहि ﷺ फ़ज़कर मिष्लहू' (रवाहुल बैहक़ी व रिजालुहू षिक़ातुन, जिल्द 2 पेज नं. 73)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) कहते हैं कि मैंने सिद्दीक़े अकबर (रज़ि) के साथ नमाज़ अदा की। आप हमेशा शुरू नमाज़ और रुकूअ में जाने और रुकूअ से सर उठाने के वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे और फ़र्माते थे अब ही नहीं बल्कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ भी आपको रफ़उल यदैन करते देखकर इसी तरह ही नमाज़ पढ़ा करता था। (तल्ख़ीस पेज नं. 82 सुबुकी पेज नं. 6) इस हदीष में भी सैग़ा इस्तिमरारी **काना यर्फ़उ** मौजूद है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि) भी रफ़उल यदैन किया करते थे : 'व अन उमर नहवुहू रवाहुद्दारकुत्नी फ़ी ग़राइबि मालिक वल बैहक़ी व क़ाल हाकिमु अन्नहू महफ़ूज़ुन' (तल्ख़ीसुल हबीर इब्नि हजर पेज नं. 82) हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि) की तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि) भी रफ़उल यदैन किया करते थे।

अब्दुल मलिक बिन क़ासिम फ़र्माते हैं, **'बैनमा युसल्लून फ़ी मस्जिदि रसूलिल्लाहि ﷺ इज़ा ख़रज फ़ीहिम उमरू फ़क़ाल अक्बिलू अलय्य बिवुजूहिकुम उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाहि ﷺ अल्लती युसल्ली व यामुरू बिहा फ़क़ाम व रफ़अ यदैहि हत्ता हाज़ा बिहिमा मन्कबैहि षुम्म कब्बर षुम्म रफ़अ व रकअ व कज़ालिक हीन रफ़अ'** कि लोग मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ रहे थे, हज़रत उमर आए और फ़र्माया, मेरी तरफ़ तवज्जह करो मैं तुमको रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़ाता हूँ, जिस तरह हुज़ूर (ﷺ) पढ़ा करते थे और जिस तरह पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। फिर हज़रत उमर (रज़ि) क़िब्ला रू खड़े हो गये और तक्बीरे तहरीमा और रुकूअ में जाते और सर उठाते हुए अपने हाथ कँधों तक उठाए। **'फ़ क़ालल क़ौमु हाकज़ा रसूलुल्लाहि ﷺ युसल्ली बिना'** फिर सब सहाबा ने कहा बेशक हुज़ूर (ﷺ) ऐसा ही करते। **'अख़्रजहुल बैहक़ी फिल ख़िलाफ़ियाति तख़्रीजि ज़ैलई व क़ालश्शैख़ु तक़िय्युद्दीन रिजालु इस्नादिही मअरूफ़ुन'** (तहक़ीक़ुर्रासिख़ पेज नं. 38)

हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत अली व दीगर पन्द्रह सहाबा (रज़ि) : इमाम बुख़ारी (रह) फ़र्माते हैं, (1) उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि) (2) अली बिन अबी तालिब (रज़ि) (3) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) (4) अबू क़तादा (रज़ि) (5) अबू उसैद (रज़ि) (6) मुहम्मद बिन मुस्लिमा (रज़ि) (7) सहल बिन सअ द (रज़ि) (8) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) (9) अनस बिन मालिक (रज़ि) (10) अबू हुरैरह (रज़ि) (11) अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि) (12) अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) (13) वाइल बिन हुज्र (रज़ि) (14) अबू मूसा (रज़ि) (15) मालिक बिन हुवेरिष (रज़ि) अबू हमीद अस् साअदी (रज़ि) (17) **उम्मे दर्दा इन्नहुम कानू यर्फ़ऊन अयदियहुम इन्दर्रुकूइ** (जुज़इ बुख़ारी पेज नं. 6) कि ये सबके सब में रुकूअ जाने और सर उठाने के वक़्त रफ़उल यदैन किया करते थे।

ताऊस व अता बिन रबाह की शहादत : अता बिन रबाह फ़र्माते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अबू सईद और जाबिर (रज़ि) को देखा, **'यर्फ़ऊन अयदियहुम इज़ा इफ़्ततहुस्सलात व इज़ा रकऊ'** कि ये शुरू नमाज़ और इन्दर् रुकूअ रफ़उल यदैन किया करते थे। (जुज़इ बुख़ारी पेज नं. 11)

हज़रत ताऊस कहते हैं **राइतु अब्दल्लाहि व अब्दल्लाहि व अब्दल्लाहि यर्फ़ऊन अयदियहुम** कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि) और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) को देखा, ये तीनों नमाज़ में रफ़उल यदैन किया करते थे। (जुज़इ बुख़ारी पेज नं. 13)

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि) : 'अन आसिमिन क़ाल राइतु अनसब्न मालिकिन इज़ा इफ़्ततहस्सलात कब्बर व रफ़अ यदैहि व यर्फ़उ कुल्लमा रकअ व रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ' आसिम कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस (रज़ि) को देखा कि जब तक्बीरे तहरीमा कहते और रुकूअ करते और रुकूअ से सर उठाते तो रफ़उल यदैन किया करते थे। (जुज़इ बुख़ारी पेज नं. 12)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) : 'अन्नहू कान इज़ा कब्बर रफ़अ यदैहि व इज़ा रकअ व इज़ा रफ़अ रासहू मिनर्रुकूइ' अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रजि) जब तक्बीरे तहरीमा कहते और जब रकुअ में जाते और जब रुकूअ से सर उठाते तो रफ़उल यदैन किया करते थे। (जुज़इ बुख़ारी : पेज नं. 11)

हज़रत उम्मे दर्दा (रज़ि) : सुलेमान बिन उमैर (रज़ि) फ़र्माते हैं , **'राइतु उम्म दर्दा तर्फ़उ यदैहा फ़िस्सलाति हज़्व मन्कबैहा हीन तफ़्ततहुस्सलात व हीन तर्कउ फ़इज़ा क़ालत समिअल्लाहु लिमन हमिदहू रफ़अ यदैहा'** कि मैंने उम्मे दर्दा को देखा वो शुरू नमाज़ में अपने कँधों तक हाथ उठाया करती थी और जब रुकूअ करती और रुकूअ से सर उठाती और **समिअल्लाहु लिमन हमिदह** कहती तब भी अपने दोनों हाथों को कँधों तक उठाया करती थी। (जुज़उ रफ़उलयदैन, इमाम बुख़ारी पेज नं. 12)

नाज़िरीने किराम को अंदाज़ा हो चुका होगा हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने रफ़उल यदैन के बारे में आँहज़रत (ﷺ) का जो फ़ेअल नक़ल किया है दलाइल की रू से वो किस क़दर सहीह है। जो हज़रात रफ़उल यदैन का इंकार करते और उसे मन्सूख़ क़रार देते हैं। वो भी ग़ौर करेंगे तो अपने ख़याल को ज़रूर वापस लेंगे। चूँकि मुंकिरीने रफ़उल यदैन के पास भी कुछ न कुछ दलाइल हैं । इसलिए एक हल्की सी नज़र उन पर भी डालनी ज़रूरी है ताकि नाज़िरीने किराम के सामने तस्वीर के दोनों रुख़ आ जाएँ और वो ख़ुद अपने हक़ के लिए अपनी ख़ुदादाद अक़्ल व बसीरत के आधार पर फ़ैसला कर सकें।

मुंकिरीने रफ़उल यदैन के दलाइल और उनके जवाबात :

(1) जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, **'मा ली अराकुम राफ़िइ अयदियकुम कअन्नहा अज़्नाबु ख़ैलिन शम्सिन उस्कुनू फ़िस्सलाति'** (सहीह मुस्लिम बाबुल अम्रि बिस्सुकूनि फ़िस्सलाति वन्नहयु अनिल इशारति बिल्यदि रफ़उहुमा इन्दस्सलामि) ये क्या बात है कि मैं तुमको सरकश घोड़ों की दुमों की तरह हाथ उठाते हुए देखता हूँ, नमाज़ में हरकत न किया करो। मुंकिरीने रफ़उल यदैन की ये पहली दलील है जो इसलिए सहीह नहीं कि

(अ) अव्वल तो मुंकिरीन को इमाम नववी ने बाब बाँधकर ही जवाब दे दिया कि ये हदीष़ तशह्हुद के बारे में है जबकि कुछ लोग सलाम फेरते वक़्त हाथ उठाकर इशारा करते थे, उनको देखकर आँहज़रत (ﷺ) ने ये फ़र्माया। भला इसको रुकूअ में जाते और सर उठाते वक़्त रफ़उल यदैन से क्या ता'ल्लुक़ है? मज़ीद वुज़ूहात के लिए ये हदीष़ मौजूद है।

(ब) जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि हमने हुज़ूर (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी, जब हमने अस्सलामु अलैयकुम कहा, **व अशार बियदिही इलल्जानिबैनि** और हाथ से दोनों तरफ़ इशारा किया तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया **मा शानुकुम तुशीरून बिअयदिकुम कअन्नहा अज़्नाबु ख़ैलिन शम्सिन** तुम्हारा क्या हाल है कि तुम शरीर (बिगड़ैल) घोड़ों की दुमों की तरह हाथ हिलाते हो। तुमको चाहिये कि अपने हाथ रानों पर रखो **व युसल्लिमु अला अख़ीहि मन अला यमीनिही व शिमालिही** और अपने भाई पर दाएँ बाएँ सलाम कहो **इज़ा सल्लम अहदुकुम फ़ल्यल्तफ़ित इला साहिबिही वला यूमी (यर्मी) बियदिही** जब तशह्हुद में तुम सलाम कहने लगो तो सिर्फ़ चेहरा फेरकर सलाम कहा करो, हाथों से इशारा मत करो। (मुस्लिम शरीफ़)

(स) तमाम मुहद्दिष़ीन का मुत्तफ़क़ा बयान है कि ये दोनों हदीष़ें दरअसल एक ही हैं। इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ फ़क़त ता'दादे रिवायात की बिना पर है कोई अक़्लमन्द इस सारी हदीष़ को पढ़कर इसको **रफ़उल यदैन इन्दर्रुकूअ** के मना पर दलील नहीं ला सकता। जो लोग अहले इल्म होकर ऐसी दलील पेश करते हैं उनके हक़ में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) फ़र्माते हैं। **'मनिहतज्ज बिहदीष़ि जाबिरिब्नि समुरत अला मन्इर्रफ़इ इन्दर्रुकूइ फ़लैस लहू हज़्ज़ुम्मिनल इल्मि'** कि जो शख़्स जाबिर बिन समुरा की हदीष़ से रफ़उल यदैन इन्दर्रुकूअ मना समझता है, वो जाहिल और इल्मे हदीष़ से नावाक़िफ़ है क्योंकि **'उस्कुनू फ़िस्सलाति फ़इन्नमा कान फ़ित्तशह्हुदि ला फ़िल क़ियामि'** हुज़ूर (ﷺ) ने **उस्कुनू फ़िस्सलात** तशह्हुद में इशारा करते देखकर फ़र्माया था न कि क़याम की हालत में। (जुज़उ रफ़इल यदैनि, बुख़ारी पेज नं. 16, तल्ख़ीस, पेज नं. 83 तुहफ़ा पेज नं. 223)

इस तफ़्सील के बाद ज़रा सी भी अक़्ल रखने वाला मुसलमान समझ सकता है कि इस हदीष़ को रफ़उल यदैन के इन्कार पर पेश करना अक़्ल और इंसाफ़ और दयानत के किस क़दर ख़िलाफ़ है।

(2) मुंकिरीन की दूसरी दलील ये कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि) ने नमाज़ पढ़ाई **फ़लम यर्फ़अ यदैहि इल्ला मर्तन** और एक ही बार हाथ उठाए (अबू दाऊद, जिल्द 1 पेज नं. 199, तिर्मिज़ी पेज नं. 36)

इस अस़र को भी बहुत ज़्यादा पेश किया जाता है। मगर फ़न्ने ह़दीस़ के बहुत बड़े इमाम ह़ज़रत अबू दाऊद फ़र्माते हैं **'व लैस़ हुव बिस़्सहीहिन अ़ला हाज़ल्लफ़्ज़ि'** ये ह़दीस़ इन लफ़्ज़ों के साथ स़ह़ीह़ नहीं है।

और तिर्मिज़ी में है। **'यक़ूलु अ़ब्दुल्लाहिब्निल मुबारक व लम यस़्बुत ह़दीसुब्नि मस्ऊद'**, अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक फ़र्माते हैं कि ह़दीस़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद की स़ेह़त ही स़ाबित नहीं। (तिर्मिज़ी पेज नं. 36, तल्ख़ीस़ पेज नं. 83)

और ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़), इमाम अह़मद, इमाम यह़या बिन आदम और अबू ह़ातिम ने उसको ज़ईफ़ कहा है (मुस्नद अह़मद, जिल्द : 3 पेज नं. 16) और ह़ज़रत इमाम नववी (रह़) ने कहा कि इसके ज़ुअफ़ पर तमाम मुह़द्दिस़ीन का इत्तिफ़ाक़ है। लिहाज़ा ये क़ाबिले हुज्जत नहीं। लिहाज़ा इसे दलील में पेश करना स़ह़ीह़ नहीं है।)

(3) तीसरी दलील बरा बिन आ़ज़िब की ह़दीस़ कि हुज़ूर (ﷺ) ने पहली बार रफ़उ़ल यदैन किया। **'सुम्म ला यऊ़दु'** फिर नहीं किया। इस ह़दीस़ के बारे में भी ह़ज़रत इमाम अबू दाऊद फ़र्माते हैं। **'हाज़ल ह़दीसु लैस बिस़्सहीहिन'** कि ये ह़दीस़ ही स़ह़ीह़ नहीं। (अबू दाऊद जिल्द 1 पेज नं. 200)

'व क़द ज़ह़्ह़फ़हुब्नुल मदीनी व अहमदु वद्दारक़ुत्नी व ज़अ़्अ़फ़हुल बुख़ारी' इस ह़दीस़ को बुख़ारी (रह़) ने ज़ईफ़ और अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी, इमाम अह़मद और दारे क़ुत्नी ने मर्दूद कहा है लिहाज़ा क़ाबिले हुज्जत नहीं। (तनवीर पेज नं. 16)

(4) चौथी दलील अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि) की त़रफ़ मन्सूब करते हैं कि उन्होंने पहली बार हाथ उठाए (त़ह़ावी) इसके बारे में सरताजे उ़लमा-ए-अह़नाफ़ ह़ज़रत मौलाना अ़ब्दुल ह़य्य स़ाह़ब लखनवी फ़र्माते हैं कि ये अस़र मरदूद है क्योंकि उसकी सनद में इब्ने अ़याश है जो मुतकल्लम फ़ीह (मश्कूक/संदिग्ध) है।

नीज़ यही ह़ज़रत मज़ीद फ़र्माते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि) ख़ुद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमेशा इन्दर्रुकूअ़ रफ़उ़ल यदैन किया करते थे। **'फ़मा ज़ालत तिल्क स़लातुहू ह़त्ता लक़ियल्लाहु तआ़ला'** यानी इब्तिदा-ए-नुबुव्वत से अपनी उ़म्र की आख़िरी नमाज़ तक आप रफ़उ़ल यदैन करते रहे। वो इसके ख़िलाफ़ किस त़रह़ कर सकते थे और उनका रफ़उ़ल यदैन करना स़ह़ीह़ सनद से स़ाबित है। (तअ़लीक़ुल मुम्जिद पेज नं. 193)

इंस़ाफ़ पसन्द उ़लमा का यही शैवा होना चाहिए कि तअ़स्सुब से बुलन्द व बाला होकर (ऊपर उठकर) अम्रे ह़क़ का ए'तिराफ़ करें और इस बारे में किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें।

(5) पाँचवीं दलील कहते हैं अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि) और उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि) पहली बार ही करते थे। (दारे क़ुत्नी)

दारे क़ुत्नी ने ख़ुद इसे ज़ईफ़ और मरदूद कहा है। और इमाम इब्ने ह़जर (रह़) ने फ़र्माया कि इस ह़दीस़ को इब्ने जौज़ी (रह़) ने मौज़ूआत में लिखा है। लिहाज़ा क़ाबिले हुज्जत नहीं। (तल्ख़ीसुल ह़बीर पेज नं. 83)

उनके अ़लावा अनस, अबू हुरैरह, इब्ने ज़ुबैर (रज़ि) के जो आस़ार पेश किये जाते हैं। सबके सब मौज़ूअ़ लग्व और बात़िल हैं **ला अस़्ल लहुम** इनका अस़ल व स़बूत नहीं। (तल्ख़ीसुल मुम्जिद पेज नं. 83)

आख़िर में हुज्जतुल हिन्द ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह स़ाह़ब मुह़द्दिस़ देहलवी क़द्दस सिर्रुहु का फ़ैसला भी सुन लीजिए। आप फ़र्माते हैं, **'वल्लज़ी यर्फ़ड़ अह़ब्बु इलय्य मिम्मन ला यर्फ़ड़'** यानी रफ़उ़ल यदैन करने वाला मुझको न करने वाले से ज़्यादा मह़बूब है क्योंकि इसके बारे में दलील बकस़रत और स़ह़ीह़ हैं। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा जिल्द नं. 2 पेज नं. 8)

इस बह़स़ को ज़रा त़ूल (विस्तार) इसीलिए दिया गया कि रफ़उ़ल यदैन न करने वाले भाई, रफ़उ़ल यदैन करने वालों से झगड़ा न करें और ये समझें कि करने वाले सुन्नते रसूल के आ़मिल हैं। ह़ालाते ज़माना का तक़ाज़ा है कि ऐसे फ़ुरूई मसाइल में वुस्अ़ते क़ल्बी से काम लेकर रवादारी इख़्तियार की जाए और मसाइले मुत्तफ़क़ अ़लैह में इत्तिफ़ाक़ करके इस्लाम को सर बुलन्द करने की कोशिश की जाए। अल्लाह पाक हर कलिमा गो मुसलमान को ऐसी समझ अ़त़ा करे, आमीन या रब्बल आ़लमीन।

बाब 87 : नमाज़ में दायाँ हाथ बाएँ पर रखना

٨٧- بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ

(740) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़नी ने बयान किया इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने अबू हाज़िम बिन दीनार से, उन्होंने सहल बिन सअ़द (रज़ि.) से कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज़ में दायाँ हाथ बाईं कलाई पर रखें। अबू हाज़िम बिन दीनार ने बयान किया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) तक पहुँचाते थे। इस्माईल बिन अबी उवैस ने कहा ये बात आँहज़रत (ﷺ) तक पहुँचाई जाती थी यूँ नहीं कहा कि पहुँचाते थे।

٧٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: ((يُنْمَى ذَلِكَ)) وَلَمْ يَقُلْ ((يَنْمِي)).

तश्रीह : शैख़ुल ह़दीष़ ह़ज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब मद्दज़िल्लुहू फ़र्माते हैं, **'लम यज़्कुर सहलुब्नु सअ़दिन फ़ी ह़दीष़िही मह़ल्ल वज़्इल्यदैनि मिनल जसदि व हुव इन्दना अलस्सदरि लिमा वरद फ़ी ज़ालिक मिन अह़ादीष़ स़रीह़तिन क़विय्यतिन फ़मिन्हा ह़दीषु वाइलिब्नि हुज्र क़ाल स़ल्लैतु मअ़न्नबिय्यि ﷺ फ़वुज़ूअ यदहुल्युम्ना अला यदिहिल्युस्रा अला स़दरिही अख़्रजहुब्नु ख़ुज़ैमत फ़ी स़ह़ीह़िही ज़करहुल्हाफ़िज़ु बुलूग़ुल्मरामि वद्दिरायति वत्तल्ख़ीस़ि व फ़त्हिल बारी वन्नववी फ़िल्ख़ुलास़ति व शर्हिल्मुहज़्ज़बि व शर्हि मुस्लिम लिल इह़तिजाजि बिही अला मा ज़हबत इलैहिश्शाफ़िइय्यतु मिन वज़्इल्यदैनि अलस्सदरि व ज़िक्रुहुमा हाज़ल ह़दीष़ फ़ी मअ़रज़िल इह़तिजाजि बिही सुकूतुहुमा अनिल कलामि फ़ीहि यदुल्लु अला अन्न ह़दीष़ वाइलिन हाज़ाइन्दहुमा स़ह़ीह़ुन औ ह़सनुन क़ाबिलुन लिल्इह़तिजाजि अल्ख़'** (मिर्आतुल मफ़ातीह़)

यानी ह़ज़रत सहल बिन सअ़द ने इस ह़दीष़ में हाथों के बाँधने की जगह का ज़िक्र नहीं किया और वो हमारे नज़दीक सीना है। जैसा कि इस बारे में कई अह़ादीषे क़वी और स़रीह़ मौजूद हैं। जिनमें एक ह़दीष़ वाइल बिन हुज्र की है। वो कहते हैं कि मैंने आँह़ज़रत (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। आपने अपना दायाँ, हाथ बाएँ के ऊपर बाँधा और उनको सीने पर रखा। इस रिवायत को मुह़द्दिष़ इब्ने ख़ुज़ैमा ने अपनी स़ह़ीह़ में नक़ल किया है और ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर ने अपनी किताब बुलूग़ुल मराम और दिराया और तल्ख़ीस़ और फ़त्हुल बारी मे ज़िक्र फ़र्माया है। और इमाम नववी (रह़) ने अपनी किताब ख़ुलास़ा और शरहे मुहज़्ज़ब और शरहे मुस्लिम में ज़िक्र किया है और शाफ़िय्या ने इसी से दलील पकड़ी है कि हाथों को सीने पर बाँधना चाहिए। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर और अ़ल्लामा नववी (रह़) ने इस बारे में ह़दीष़ से दलील ली है और इस ह़दीष़ की सनद में उन्होंने कोई कलाम नहीं किया, लिहाज़ा ये ह़दीष़ उनके नज़दीक स़ह़ीह़ या ह़सन हुज्जत पकड़ने के क़ाबिल है।

इस बारे में दूसरी दलील वो ह़दीष़ है जिसे इमाम अह़मद ने अपनी मुस्नदे अह़मद में रिवायत किया है। चुनाँचे फ़र्माते हैं, **'ह़द्दष़ना यह़्याब्नु सइदिन अन सुफ़्यान ह़द्दष़ना सम्माक अ न क़बीसा इब्नि हल्ब अन अबीहि क़ाल राइतु रसूलल्लाहि ﷺ यन्स़रिफ़ अन यमीनिही व अन यसरिही व राइतुहू यज़उ हाज़िही अला स़दरिही व वस़फ़ यह़्या अल्युम्ना अलल युस्रा फ़ौ क़ल्मफ़्स़ लि व रुवातु हाज़ल ह़दीष़ि कुल्लुहुम ष़िक़ातुन व इस्नादुहू मुत्तसिलुन'** (तुह़फ़तुल अह़वज़ी पेज नं. 216)

यानी हमसे यह़्या बिन सईद ने सुफ़यान ष़ौरी से बयान किया। वो कहते हैं कि हमसे सिमाक ने क़ुबैस़ा इब्ने वहब से बयान किया। वो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को देखा। आप अपने दाएँ और बाएँ जानिब सलाम

फेरते थे और मैंने आपको देखा कि आपने अपने दाएँ हाथ को बाएँ पर सीने के ऊपर रखा था। इस ह़दीष़ के रावी सब ष़िक़ह हैं और इसकी सनद मुत्तसिल है।

तीसरी दलील वो ह़दीष़ है जिसे इमाम अबू दाऊद ने मरासिल में इस सनद के साथ नक़ल किया है, **'ह़द्द़ना अबू तौबत ह़द्द़नल हैष़मु यअ़नी इब्ने हुमैद अन ष़ौरिन अन सुलैमानब्नि मूसा अन ताउसिन क़ाल कान रसूलुल्लाहि ﷺ यज़उ यदहुल्युम्ना अ़ला यदिहिल्युस्रा ष़ुम्म यशुद्दु बैनहुमा अ़ला स़दिरिही'** (ह़वाला मज़्कूर) यानी हमसे अबू तौबा ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे हैशम यानी इब्ने हुमैद ने ष़ौर से बयान किया, उन्होंने सुलेमान बिन मूसा से, उन्होंने त़ाउस से, वो नक़ल करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) नमाज़ में अपना दायाँ हाथ बाएँ हाथ पर रखते और उनको ख़ूब मज़बूती के साथ मिलाकर सीने पर बाँधा करते थे।

औ़नुल मा'बूद शरह़ अबू दाऊद के स़फ़ा : 275 पर ये ह़दीष़ इसी सनद के साथ मौजूद है।

इमाम बैहक़ी (रह़) फ़र्माते हैं कि ये ह़दीष़ मुरसलन है। इसलिए कि त़ाउस रावी ताबेई हैं और इसकी सनद ह़सन है और ह़दीष़े मुरसल ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) इमाम मालिक व इमाम अह़मद (रह़) के नज़दीक मुत़्लक़न हुज्जत है। इमाम शाफ़ई (रह़) ने इस शर्त के साथ तस्लीम किया है। जब इसकी ताईद में कोई दूसरी रिवायत मौजूद हो। चुनाँचे इसकी ताईद ह़दीष़े वाइल बिन हुज्र और ह़दीष़े हलबत़ाई से होती है जो ऊपर गुज़र चुकी हैं। पस इस ह़दीष़ से इस्तिदलाल बिलकुल दुरुस्त है कि नमाज़ में सीने पर हाथ बाँधना सुन्नते नबवी है।

चौथी दलील वो ह़दीष़ है जिसे ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) ने आयते करीमा **'फ़स़ल्लि लि रब्बिक वन्ह़र'** की तफ़्सीर में रिवायत किया है यानी **'ज़अ यदकल्युम्ना अलश्शिमालि इन्दन्नह़रि'** यानी अपना दायाँ हाथ अपने बाएँ हाथ पर रखकर सीने पर बाँधो।

ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) से भी इस आयत की तफ़्सीर इसी त़रह़ मन्क़ूल है।

बैहक़ी और इब्ने मुंज़िर और इब्ने अबी ह़ातिम और दारे क़ुत़्नी व अबुश्शैख़ व ह़ाकिम और इब्ने मर्दवैह ने उन ह़ज़रात की इस तफ़्सीर को इन लफ़्ज़ों में नक़ल किया है।

ह़ज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह़) ने इस बारे में फ़र्माया है, **'व राअ बअ़ज़ुहुम अंय्यज़हुमा फ़ौक़स्सुर्रति व राअ बअ़ज़ुहुम अंय्यजअ़हुमा तह़तस्सुर्रति व कुल्लु ज़ालिक वासिअतुन इन्दहुम'** यानी स़ह़ाबा (रज़ि) व ताबेईन में कुछ ने नाफ़ के ऊपर हाथ बाँधना इख़्तियार किया। कुछ ने नाफ़ के नीचे और इस बारे में उनके नज़दीक गुंजाइश है।

इख़्तिलाफ़े मज़्कूर अफ़ज़ लियत के बारे में है और इस बारे में ऊपर की तफ़्सील से ज़ाहिर हो गया कि अफ़्ज़लियत और तरजीह़ सीने पर हाथ बाँधने को ह़ासिल है।

नाफ़ के नीचे हाथ बाँधने वालों की बड़ी दलील ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) का वो क़ौल है। जिसे अबू दाऊद और अह़मद और इब्ने अबी शैबा और दारे क़ुत़्नी और बैहक़ी ने अबू जुहैफ़ा (रज़ि) से रिवायत किया है। कि **'इन्न अ़लिय्यन क़ाल अस्सुन्नतु वज़्उल्कफ़्फ़ि तह़तस्सुर्रति'** यानी सुन्नत ये है कि दाएँ हाथ की कलाई को बाएँ हाथ की कलाई पर नाफ़ के नीचे रखा जाए।

अल् मुह़द्दिष़ुल कबीर मौलाना अ़ब्दुर्रह़मान स़ाह़ब मुबारक पूरी (रह़) फ़र्माते हैं, **'क़ुल्तु फ़ी इस्नादि हाज़ल हदीष़ि अ़ब्दुर्रहमानिब्नि इस्हाक़ अल वास्ती व अलैहि मदारु हाज़ल हदीष़ि व हुव ज़ईफ़ुन ला यस्लुहु लिल इहतिजाजि'** यानी मैं कहता हूँ कि इस ह़दीष़ की सनद में अ़ब्दुर्रह़मान बिन इस्ह़ाक़ वास्ती है जिन पर इस रिवायत का दारोमदार है और वो ज़ईफ़ है। इसलिए ये रिवायत दलील पकड़ने के क़ाबिल नहीं है।

इमाम नववी (रह़) फ़र्माते हैं, **'हुव हदीष़ुन मुत्तफ़क़ुन अ़ला तज़्ईफ़िही फ़अन्न अ़ब्दर्रहमानिब्नि इस्हाक़ ज़इफ़ुन बिल इत्तिफ़ाक़'** यानी इस ह़दीष़ के ज़ईफ़ होने पर सबका इत्तिफ़ाक़ है।

इन ह़ज़रात की दूसरी दलील वो रिवायत है जिसे इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है जिसमें रावी कहते हैं कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को देखा आपने नमाज़ में अपना दायाँ हाथ बाएँ पर रखा और आपके हाथ नाफ़ के नीचे थे। इसके बारे में ह़ज़रत

अ़ल्लामा शैख़ मुहम्मद ह़यात सिंधी अपने मशहूर मक़ाला **'फ़त्ह़ुल ग़फ़ूर फ़ी वज़्इल अयदी अलस्सुदूर'** में फ़र्माते हैं कि इस रिवायत में ये **तह़तुस्सुर्रह** (**नाफ़ के नीचे**) वाले अल्फ़ाज़ किताब के रावी ने भूल से लिख दिये हैं वरना मैंने मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा का स़ह़ीह़ नुस्ख़ा ख़ुद मुतालआ़ किया है और इस ह़दीष़ को इस सनद के साथ देखा है मगर उसमें तह़तुस्सुर्रह के अल्फ़ाज़ मज़्कूर नहीं हैं। उसकी मज़ीद ताईद मुस्नद अह़मद की रिवायत से होती है जिसमें इब्ने अबी शैबा ही की सनद के साथ इसे नक़ल किया गया है और इसमें ये ज़्यादती लफ़्ज़ तह़तुस्सुर्रह वाली नहीं है, मुस्नद अह़मद की पूरी ह़दीष़ ये है।

'ह़द्दष़ना वकीअ़ ह़द्दष़ना मूसब्नु ड़मैरिल अ़म्बरी अ़न अ़ल्क़मतिब्नि वाइलिल ह़ज़रमी अ़न अबीहि क़ाल राइतु रसूलल्लाहि ﷺ वाज़िअ़न यमीनहू अ़ला शिमालिही फ़िस्सलाति' यानी अ़ल्क़मा बिन वाइल अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ में अपना दायाँ हाथ बाएँ पर रखे हुए देखा।

दारे क़ुत्नी में भी इब्ने अबी शैबा ही की सनद से ये रिवायत मज़्कूर है, मगर वहाँ भी तह़तुस्सुर्रह के अल्फ़ाज़ नहीं हैं। इस बारे में कुछ और आष़ार व रिवायात भी पेश की जाती हैं, जिनमें से कोई भी क़ाबिले हुज्जत नहीं है।

पस ख़ुलासा ये कि नमाज़ में सीने पर हाथ बाँधना ही सुन्नते नबवी है और दलाइल की रू से उसी को तरजीह़ ह़ास़िल है। जो ह़ज़रात इस सुन्नत पर अ़मल नहीं करते न करें मगर उनको चाहिए कि इस सुन्नत के अ़मल करने वालों पर ए'तिराज़ न करें, उन पर ज़ुबाने त़ंज़ न खोलें। अल्लाह पाक जुम्ला मुसलमानों को नेक समझ अ़त़ा करे कि वो इन फ़ुरूई मसाइल पर उलझने की आ़दत से ताइब होकर अपने दूसरे कलिमा गो भाईयों के लिए अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें। वल्लाहु हुवल मुवफ़्फ़िक़

बाब 88 : नमाज़ में ख़ुशूअ़ का बयान

٨٨- بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ

(741) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने अबुज़्ज़िनाद से बयान किया, उन्होंने अअ़रज से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम समझते हो कि मेरा मुँह उधर (क़िब्ले की तरफ़) है। अल्लाह की क़सम! तुम्हारा रुकूअ़ और तुम्हारा ख़ुशूअ़ मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। (राजेअ़ : 418)

٧٤١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ وَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلاَ خُشُوعُكُمْ، وَإِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي)).

[راجع: ٤١٨]

आप मुहरे नुबुव्वत से देख लिया करते थे और ये आपके मुअजिज़ात मे से हैं।

(742) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे गुंदर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मैंने क़तादा से सुना; वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान करते थे और वो नबी करीम (ﷺ) से कि आपने फ़र्माया रुकूअ़ और सुजूद पूरी तरह किया करो। अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ या इस

٧٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَقِيْمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا

तरह कहा कि पीठ पीछे से जब तुम रुकूअ करते हो और सज्दा करते हो (तो मैं तुम्हें देखता हूँ) (राजेअ : 419)

قَالَ - مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ)). [راجع: ٤١٩]

बाब 89 : इस बारे में कि तक्बीरे तह्रीमा के बाद क्या पढ़ा जाए

٨٩- بَابُ مَا يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

(743) हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने क़तादा (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ह ज़रत अनस (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) और अबूबक्र और उमर (रज़ि.) नमाज़ (अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से शुरू करते थे।

٧٤٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

तश्रीह : यानी क़ुर्आन की क़िरात सूरह फ़ातिहा से शुरू करते थे तो ये मनाफ़ी न होगी इस हदीष के जो आगे आती है। जिसमें तक्बीरे तहरीमा के बाद दुआ-ए-इस्तिफ़्ताह पढ़ना मन्क़ूल है और **अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन** से सूरह फ़ातिहा मुराद है। उसमें उसकी नफ़ी नहीं है कि **बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर् रहीम** नहीं पढ़ते थे क्योंकि बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा की जुज़ है। तो मक़्सूद ये है कि बिस्मिल्लाह पुकारकर नहीं पढ़ते थे। जैसे कि निसाई और इब्ने हिब्बान की रिवायत में है कि बिस्मिल्लाह को पुकारकर नहीं पढ़ते थे। रौज़ा में है कि बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा के साथ पढ़ना चाहिए। जहरी नमाज़ों में पुकारकर और सिर्री नमाज़ों में आहिस्ता और जिन लोगों ने बिस्मिल्लाह का न सुनना नक़ल किया है वो आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में कमसिन थे जैसे अनस (रज़ि) और अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल और ये आख़िर सफ़ में रहते होंगे, शायद उनको आवाज़ न पहुँची होगी और बिस्मिल्लाह के जहर मे बहुत हदीषें वारिद हैं। गो उनमें कलाम भी हो मगर इष्बात मुक़द्दम है नफ़ी पर। (वहीदी)

(744) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अम्मारा बिन क़अक़ाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़ुर्आ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तक्बीरे तहरीमा और क़िरअत के बीच थोड़ी देर चुप रहते थे। अबू ज़ुर्आ ने कहा मैं समझता हूँ अबू हुरैरह (रज़ि.) ने यूँ कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप पर मेरे माँ-बाप फ़िदा हों। आप उस तक्बीर और क़िरअत के दरम्यान की ख़ामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? आपने फ़र्माया कि मैं पढ़ता हूँ (तर्जुमा) ऐ अल्लाह! मेरे और मेरे गुनाहों के दरम्यान इतनी दूरी कर जितनी मश्रिक़ और मग़रिब में है। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक होता है। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को

٧٤٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ أَقُولُ: ((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ

पानी, बर्फ़ और ओले से धो डाल।

بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)).

तश्रीह : दुआए इस्तिफ़्ताह़ कई त़रह़ पर वारिद है मगर सबसे स़ह़ीह़ दुआ यही है और **सुब्ह़ानकल्लाहुम्मा** जिसे ड़मूमन पढ़ा जाता है वो भी ह़ज़रत आ़यशा (रज़ि) से मरवी है। मगर उस रिवायत की सनद में ज़ुअ़फ़ है, बहरह़ाल इसे भी पढ़ा जा सकता है। मगर तरजीह़ इसी को ह़ासिल है, और अहले ह़दीष़ का यही मा'मूल है।

बाब 90 :

٩٠- بَابٌ

(745) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमें नाफ़ेअ बिन उ़मर ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे इब्ने अबी मुलैका ने अस्मा बिन्ते अबीबक्र से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरज गहन की नमाज़ पढ़ी। आप जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे फिर रुकूअ में गए तो देर तक रुकूअ ही में रहे। फिर रुकूअ से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे। फिर (दोबारा) रुकूअ में गए और देर तक रुकूअ की ह़ालत में रहे और फिर सर उठाया, फिर सज्दा किया और देर तक सज्दा में रहे। फिर सर उठाया और फिर सज्दा किया और देर तक सज्दे में रहे फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे। फिर रुकूअ किया और देर तक रुकूअ ही में रहे। फिर आपने सर उठाया और देर तक खड़े रहे। फिर (दोबारा) रुकूअ किया और आप देर तक रुकूअ की ह़ालत में रहे। फिर सर उठाया, फिर आप सज्दे में चले गए और देर तक सज्दे ही में रहे। फिर सर उठाया फिर सज्दे में चले गए और देर तक सज्दे में रहे। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया कि जन्नत मुझसे इतनी नज़दीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके ख़ोशों में से कोई ख़ोशा तुमको तोड़कर ला देता और मुझसे दोज़ख़ भी इतनी क़रीब कर दी गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक मैं तो इसमें से नहीं हूँ? मैंने वहाँ एक औ़रत को देखा। नाफ़ेअ बयान करते हैं कि मुझे ख़याल है कि इब्ने अबी मुलैका ने बतलाया कि उस औ़रत को एक बिल्ली नोच रही थी, मैंने पूछा कि उसकी क्या वजह है? जवाब मिला कि उस औ़रत ने उस बिल्ली को बाँधे रखा था यहाँ तक कि वो भूख की वजह से मर गई, न तो उसने उसे खाना दिया और न छोड़ा कि वो ख़ुद कहीं से खा लेती। नाफ़ेअ ने बयान किया कि मेरा ख़याल है कि इब्ने अबी मुलैका ने यूँ कहा कि न छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े वग़ैरह खा लेती।

(दीगर मक़ाम : 2364)

٧٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: ((قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا. وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ أَوَ أَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لاَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ)) - قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ -: مِنْ خَشِيشٍ أَوْ خِشَاشٍ.

[طرفه في : ٢٣٦٤].

तश्रीह : सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण दोनों मौक़े पर नमाज़ का यही तरीक़ा है। नमाज़ के बाद ख़ुत्बा और दुआ भी षाबित है। इस रिवायत से ये भी मा'लूम हुआ कि जो जानवरों पर ज़ुल्म करेगा आख़िरत में उसे इसका भी बदला लिया जाएगा। हाफ़िज़ ने इब्ने रशीद से हदीष और बाब में मुताबक़त यूँ नक़ल की है कि आप (ﷺ) की मुनाजात और मेहरबानी की दरख़्वास्त ऐन नमाज़ के अंदर मज़्कूर है तो मा'लूम हुआ कि नमाज़ में हर क़िस्म की दुआ करना दुरुस्त है। बशर्ते कि वो दुआएँ शरई हुदूद में हों।

बाब 91 : नमाज़ में इमाम की तरफ़ देखना

٩١- بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ

और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरज गहन की नमाज़ में फ़र्माया कि मैंने जहन्नम देखी। उसका कुछ हिस्सा कुछ को खाए जा रहा था। जब मैंने देखा तो मैं (नमाज़ में) पीछे सरक गया।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ: ((فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ)).

(746) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अअमश ने इमारा बिन इमैर से बयान किया, उन्होंने (अब्दुल्लाह बिन मुन्जिर) अबू मअमर से, उन्होंने बयान किया कि हमने ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) सहाबी से पूछा क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर और अस्र की रकअतों में (फ़ातिहा के सिवा) और कुछ क़िरअत करते थे? उन्होंने फ़र्माया कि हाँ! हमने कहा कि लोग ये बात किस तरह समझ जाते थे। फ़र्माया कि आपकी दाढ़ी मुबारक के हिलने से। (दीगर मक़ाम : 760, 761, 777)

٧٤٦- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

[أطرافه في : ٧٦٠، ٧٦١، ٧٧٧].

तश्रीह : यहीं से बाब का तर्जुमा निकला क्योंकि दाढ़ी का हिलना उनको बग़ैर इमाम की तरफ़ देखे क्यूँकर मा'लूम हो सकता था। बहरहाल नमाज़ में नज़र इमाम पर रहे या मुक़ामे सज्दा पर रहे इधर-उधर न झांकना चाहिए।

(747) हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमें अबू इस्हाक़ अम्र बिन अब्दुल्लाह सबीई ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद (रज़ि.) से सुना कि आप ख़ुत्बा दे रहे थे। आपने बयान किया, कि हमसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने बयान किया——और वो झूठे नहीं थे—— कि जब वो (सहाबा) नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते तो आँहज़रत (ﷺ) के रुकूअ से सर उठाने के बाद उस वक़्त तक खड़े रहते जब तक देखते कि आप सज्दे में चले गए हैं (उस वक़्त वो भी सज्दे में जाते) (राजेअ : 690)

٧٤٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ.

[راجع: ٦٩٠]

(748) हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इमाम मालिक ने ज़ैद बिन असलम से बयान किया, उन्होंने अ़ता बिन यसार से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) के अ़हद में सूरज गहन हुआ तो आपने गहन की नमाज़ पढ़ी। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमने देखा कि (नमाज़ में) आप अपनी जगह से कुछ लेने को आगे बढ़े थे फिर हमने देखा कि कुछ पीछे हटे। आपने फ़र्माया कि मैंने जन्नत देखी तो उसमें से एक ख़ोशा लेना चाहा और अगर मैं ले लेता तो उस वक़्त तक तुम उसे खाते रहते जब तक दुनिया मौजूद है।

٧٤٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَصَلَّى، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا)).

वो कभी फ़ना न होता क्योंकि जन्नत को ख़ुलूद है। बाब का तर्जुमा इस क़ौल से निकलता है कि हमने आपको देखा।

(749) हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ुलैह बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे बिलाल बिन अ़ली ने बयान किया अनस बिन मालिक (रज़ि.) से। आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने हमको नमाज़ पढ़ाई। फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से क़िब्ला की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया कि अभी जब मैं नमाज़ पढ़ा रहा था तो जन्नत और जहन्नम को उस दीवार पर देखा। उसकी तस्वीरें उस दीवार में क़िब्ले की तरफ़ नमूदार हुईं तो मैंने आज की तरह ख़ैर और शर कभी नहीं देखी। आपने क़ौले मज़्कूर तीन बार फ़र्माया। (राजेअ़ : 93)

٧٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ رَقَى الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ - مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ - الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ)). ثَلاَثًا. [راجع: ٩٣]

ख़ैर जन्नत और शर दोज़ख़ मतलब ये कि बहिश्त से बेहतर कोई चीज़ मैंने नहीं देखी और दोज़ख़ से बुरी कोई चीज़ नहीं देखी। इस ह़दीष़ में इमाम के आगे देखना मज़्कूर है और जब इमाम को आगे देखना जाइज़ हुआ तो मुक़्तदी को भी अपने आगे यानी इमाम को देखना जाइज़ होगा। ह़दीष़ और बाब में यही मुताबक़त है।

बाब 92 : नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र उठाना कैसा है?

٩٢- بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ

(750) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद बिन मेह्रान इब्ने अबी उ़रूबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि नबी करीम

٧٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا

بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟)) فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: ((لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)).

(ﷺ) ने फ़र्माया। लोगों का क्या हाल है जो नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाते हैं। आपने उससे निहायत सख़्ती से रोका। यहाँ तक कि आपने फ़र्माया कि लोग इस हरकत से बाज़ आ जाएँ वरना उनकी बीनाई उचक ली जाएगी।

फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसकी बीनाई (आँखों की रोशनी) छीन लेंगे। हाफ़िज़ (रह) ने कहा ये कराहत महमूल है इस हालत पर जब नमाज़ में दुआ की जाए जैसे मुस्लिम में इन्दद् दुआ का लफ़्ज़ ज़्यादा है। ऐनी ने कहा कि ये मुमानअत है नमाज़ में दुआ के वक़्त हो या और किसी वक़्त। इमाम इब्ने हज़्म ने कहा ऐसा करने से नमाज़ बातिल हो जाती है।

٩٣- بَابُ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ

बाब 93 : नमाज़ में इधर–उधर देखना कैसा है?

٧٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ)).

[طرفه في : ٣٢٩١].

(751) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुल अह्वस सलाम बिन सुलैम ने बयान किया, कहा कि हमसे अशअ़ष बिन सुलैम ने बयान किया अपने वालिद के वास्ते से, उन्होंने मसरूक़ बिन अज़दअ से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से आपने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ में इधर–उधर देखने के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया कि ये तो डाका है जो शैतान बन्दे की नमाज़ पर डालता है।

(दीगर मक़ाम : 3291)

इसको इल्तिफ़ात कहते हैं यानी बग़ैर गर्दन या सीना मोड़े इधर उधर झांकना नमाज़ में ये सख़्त मना है। पहले सहाबा नमाज़ में इल्तिफ़ात किया करते थे जब आयते करीमा क़द अफ़्लह मूमिनूनल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन (अल् मोमिनून : 1) नाज़िल हुई तो वो इससे रुक गये और नज़रों को मुक़ामे सज्दा पर रखने लगे। हदीष में आया है कि जब नमाज़ी बार बार इधर उधर देखता है तो अल्लाह पाक भी अपना चेहरा उसकी तरफ़ से फेर लेता है रवाहुल बज़्ज़ार अन जाबिर।

٧٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَقَالَ: ((شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ)).

[راجع: ٣٧٣]

(752) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने ज़ुहरी से बयान किया, उन्होंने उ़र्वा से, उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने एक धारीदार चादर में नमाज़ पढ़ी। फिर फ़र्माया कि उसके नक़्शो–निगार ने मुझे ग़ाफ़िल कर दिया। इसे ले जाकर अबू जहम को वापस कर दो और उनसे (बजाए इसके) सादी चादर माँग लाओ।

(राजेअ़ : 373)

ये चादर अबू जहम ने आपको तोहफ़े में दी थी। मगर उसके नक़्श व निगार आपको पसंद नहीं आए क्योंकि उनकी वजह से नमाज़ के ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ में फ़र्क़ आ रहा था। इसलिये आपने उसे वापस करा दिया। मा'लूम हुआ कि नमाज़ में ग़ाफ़िल करने वाली कोई चीज़ न होनी चाहिए।

बाब 94 : अगर नमाज़ी पर कोई हादषा हो या नमाज़ी कोई बुरी चीज़ देखे या क़िब्ले की दीवार पर थूक देखे (तो इल्तिफ़ात में कोई क़बाहत नहीं)

٩٤- بَابُ هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

और सहल बिन सअ़द ने कहा अबूबक्र (रज़ि.) ने इल्तिफ़ात किया तो आँहज़रत (ﷺ) को देखा।

وَقَالَ سَهْلٌ: اِلْتَفَتَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ.

(753) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअ़द ने नाफ़ेअ़ से बयान किया, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से आपने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में क़िब्ले की दीवार पर रेंट देखी। आप उस वक़्त लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। आपने (नमाज़ ही में) रेंट को खुरच डाला। फिर नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद आपने फ़र्माया कि जब कोई नमाज़ में होता है तो अल्लाह तआ़ला उसके मुँह के सामने होता है। इसलिए कोई शख़्स सामने की तरफ़ नमाज़ में न थूके। इस हदीष की रिवायत मूसा बिन उक़्बा और अब्दुल अज़ीज़ इब्ने अबी रव्वाद ने नाफ़ेअ़ से की। (राजेअ़ : 406)

٧٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَي النَّاسِ فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ)). رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ. [راجع: ٤٠٦]

बाब और हदीष में मुताबक़त ये है कि आँहज़रत (ﷺ) ने बहालते नमाज़ मस्जिद की क़िब्ला रुख़ दीवार पर बल्ग़म देखा और आपको उसकी नागवारी का बहुत सख़्त एहसास हुआ, ऐसी हालत में आपने उसकी तरफ़ इल्तिफ़ात फ़र्माया तो ऐसा इल्तिफ़ात (कनखियों से देखना) जाइज़ है। हदीष से साफ़ ज़ाहिर है कि हालते नमाज़ ही में आपने उसको साफ़ कर डाला था।

(754) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने अक़ील बिन ख़ालिद से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि (हुज़ूर ﷺ के मर्ज़ुल वफ़ात में) मुसलमान फ़ज्र की नमाज़ पढ़ रहे थे, अचानक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे से पर्दा हटाया, आपने सहाबा को देखा। सब लोग सफ़ें बाँधे हुए थे। आप (ख़ुशी से) ख़ूब खुलकर मुस्कुराए और अबूबक्र (रज़ि.) ने (आपको देखकर) पीछे हटना चाहा ताकि सफ़ में मिल जाएँ। आपने समझा कि आँहुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबा (आपको देखकर ख़ुशी से इस क़द्र बेक़रार हुए कि गोया) नमाज़ ही छोड़ देंगे। लेकिन आँहज़रत (ﷺ) ने इशारा किया कि अपनी

٧٥٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا الْمُسْلِمُوْنَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، وَنَكَصَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ، فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيْدُ الْخُرُوجَ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ

नमाज़ पूरी कर लो और पर्दा डाल लिया। उसी दिन चाश्त को आपने वफ़ात पाई।

(राजेअ : 680)

يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ، فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [راجع: ٦٨٠]

तश्रीह : बाब का तर्जुमा यूँ निकला कि सहाबा ने ऐन नमाज़ में इल्तिफ़ात किया क्योंकि अगर वो इल्तिफ़ात न करते तो आपका पर्दा उठाना क्यूँकर देखते और उनका इशारा कैसे समझते। बल्कि ख़ुशी के मारे हाल ये हुआ कि क़रीब था वो नमाज़ को भूल जाएँ और आँहज़रत (ﷺ) के दीदार के लिए दौड़ें। इसी हालत को उन लफ़्ज़ों से ता'बीर किया गया कि मुसलमानों ने ये क़स्द (इरादा) किया कि वो फ़ित्ने में पड़ जाएँ। बहरहाल ये मख़्सूस हालात हैं। वरना आम तौर पर नमाज़ में इल्तिफ़ात जाइज़ नहीं जैसा कि हदीषे साबिक़ा में गुज़रा। कुर्आन मजीद में इर्शादे बारी है **वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन** (अल् बक़र : 238) यानी नमाज़ में अल्लाह के लिए दिली तवज्जह के साथ फ़र्मांबरदार बन्दे बनकर खड़े हुआ करो। नमाज़ की रूह यही है कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर यक़ीन करके उससे दिल लगाया जाए। आयते शरीफ़ा **अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन** (अल् मोमिनून : 2) का यही तक़ाज़ा है।

बाब 95 इमाम और मुक़्तदी के लिए क़िरअत का वाजिब होना, हज़र और सफ़र हर हालत में, सिर्री और जह्री सब नमाज़ों में

٩٥- بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

क़िरअत से सूरह फ़ातिहा का पढ़ना मुराद है। जैसा कि अगली हदीस में आ रही है कि सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर नमाज़ नहीं होती

(755) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना वज़्ज़ाह यश्करी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने जाबिर बिन समुरा (रज़ि.) से बयान किया, कहा कि अहले कूफ़ा ने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) की हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) से शिकायत की। इसलिए हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको अलग करके हज़रत अम्मार (रज़ि.) को कूफ़ा का हाकिम बनाया, तो कूफ़ा वालों ने सअद के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वो तो अच्छी तरह नमाज़ भी नहीं पढ़ा सकते। चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनको बुला भेजा। आपने उनसे पूछा कि ऐ अबू इस्हाक़! इन कूफ़ावालों का ख़याल है कि तुम अच्छी तरह नमाज़ नहीं पढ़ा सकते हो। इस पर आपने जवाब दिया कि अल्लाह की क़सम! मैं तो इन्हें नबी करीम (ﷺ) ही की तरह नमाज़ पढ़ाता था, उसमें कोताही नहीं करता इशा की नमाज़ पढ़ाता तो उसकी पहली दो रकअत में (क़िरअत) लम्बी करता और दूसरी दो रकअतें हल्की पढ़ाता। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि ऐ अबू इस्हाक़! मुझको तुमसे उम्मीद भी यही थी। फिर आपने हज़रत सअद (रज़ि.) के साथ एक या कई

٧٥٥- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي. قَالَ أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ. قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً - أَوْ رِجَالاً -

إِلَى الْكُوفَةِ تَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا. حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ.

[طرفاه في: ٧٥٨، ٧٧٠].

आदमियों को कूफ़ा भेजा। क़ासिद ने हर मस्जिद में जाकर उनके बारे में पूछा। सबने आपकी ता'रीफ़ की लेकिन जब मस्जिद बनी अबस में गए तो एक शख़्स जिसका नाम उसामा बिन क़तादा और कुन्नियत अबू सअ़दा थी खड़ा हुआ। उसने कहा कि जब आपने अल्लाह का वास्ता देकर पूछा है तो (सुनिये कि) सअ़द न फ़ौज के साथ ख़ुद जिहाद करते थे, न माले ग़नीमत की तक़्सीम सहीह करते थे और न फ़ैसले में अ़दलो—इंसाफ़ करते थे। हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने (ये सुनकर) फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम! मैं (तुम्हारी इस बात पर) तीन दुआएँ करता हूँ। ऐ अल्लाह! अगर तेरा ये बन्दा झूठा है और सिर्फ़ रिया व नुमूद के लिए खड़ा हुआ है तो उसकी उम्र दराज़ (लम्बी) कर और उसे ख़ूब मुहताज बना और उसे फ़ित्नों में मुब्तला कर। उसके बाद (वो शख़्स इस दर्जा बदहाल हुआ कि) जब उससे पूछा जाता तो कहता कि एक बूढ़ा बदहाल इंसान हूँ मुझे सअ़द (रज़ि.) की बद्दुआ लग गई। अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया कि मैंने उसे देखा उसकी भवें बुढ़ापे की वजह से आँखों पर आ गईं थीं। लेकिन अब भी रास्तों में वो लड़कियों को छेड़ता।

(दीगर मक़ाम : 758, 770)

तश्रीह : हज़रत सअ़द (रज़ि) ने नमाज़ की जो तफ़्सील बयान की और उसको नबी (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया इसी से बाब के तमाम मक़ासिद षाबित हो गये। हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि) अ़शर—ए—मुबश्शरा में से हैं, ये मुस्तजाबुद्दअ़वात थे, आँहज़रत (ﷺ) ने उनके लिए दुआ फ़र्माई थी। अ़हदे फ़ारूक़ी में ये कूफ़ा के गवर्नर थे। मगर कूफ़ा वालों की बेवफ़ाई मशहूर है। उन्होंने हज़रत सअ़द (रज़ि) के ख़िलाफ़ झूठी शिकायतें कीं। आख़िर हज़रत उ़मर (रज़ि) ने वहाँ के हालात का अंदाज़ा फ़र्माकर हज़रत अ़म्मार (रज़ि) को नमाज़ पढ़ाने के लिएऔर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि) को बैतुलमाल की हिफ़ाज़त के लिए मुक़र्रर फ़र्माया। हज़रत सअ़द (रज़ि) की फ़ज़ीलत के लिए ये काफ़ी है कि जंगे उहुद में उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) के बचाव के लिए बेनज़ीर जुर्अत का षुबूत दिया। जिससे ख़ुश होकर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ सअ़द! तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों। ये फ़ज़ीलत किसी और सहाबी को नसीब नहीं हुई। जंगे ईरान में उन्होंने शुजाअ़त के वो जौहर दिखलाए जिनसे इस्लामी तारीख़ भरपूर है। सारे ईरान पर इस्लामी परचम लहरा दिया। रुस्तमे षानी को मैदाने कारज़ार में बड़ी आसानी से मार लिया। जो अकेला हज़ार आदमियों के मुक़ाबले पर समझा जाता था।

हज़रत सअ़द(रज़ि) ने उसामा बिन क़तादा कूफ़ी के हक़ में बद्दुआ की जिसने आप पर इल्ज़ामात लगाए थे। अल्लाह तआ़ला ने हज़रत सअ़द (रज़ि) की दुआ क़ुबूल की और वो नतीजा हुआ जिसका यहाँ ज़िक्र मौजूद है।

मा'लूम हुआ कि किसी पर नाहक़ कोई इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी हालत में मज़्लूम की बद्दुआ से डरना ईमान की ख़ासियत है।

(756) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयैना ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहरी ने बयान किया महमूद बिन रबीआ से, उन्होंने हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) से कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने सूरह फ़ातिहा न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं हुई।

٧٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

तश्रीह : इमाम के पीछे जहरी और सिर्री नमाज़ों में सूरह फ़ातिहा पढ़ना एक ऐसा मसला है जिसके षुबूत बहुत सी अहादीषे सहीहा से षाबित है। बावजूद इस हक़ीक़त के फिर ये एक मअरका आरा बहष चली आ रही है। जिस पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। जो हज़रात इसके क़ाइल नहीं है। उनमें कुछ का ग़ुलू तो यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि वो इसे हरामे मुत्लक़ क़रार देते हैं और इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने वालों के बारे में यहाँ तक कह जाते हैं कि क़यामत के दिन उनके मुँह मे आग के अंगारे भरे जाएँगे। नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु। इसीलिए मुनासिब मा'लूम हुआ कि इस मसले की कुछ वज़ाहत कर दी जाए ताकि क़ाइलीन और मानेईन के दरम्यान निफ़ाक़ की ख़लीज कुछ न कुछ कम हो सके।

यहाँ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) जो हदीष लाए हैं उसके ज़ेल में हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी मद्दज़िल्लुहू फ़र्माते हैं,

'व सुम्मियत फ़ातिहतुल किताबि लिअन्नहू युब्दउ बिकिताबतिहा फ़िल्मुसाहिफ़ि व युब्दउ बिक़िरअतिहा फ़िस्सलाति व फ़ातिहतु कुल्लि शैइन मब्दउहूल्लज़ी युफ़्ततहु बिही मा बअदहू इफ़्ततह फ़ुलानुन कज़ा इब्तदअ बिही क़ालब्नु ज़रीर फ़ी तफ़्सीरिही (जिल्द 1 स. 25) व सुम्मियत फ़ातितुल किताबि लिअन्नहा युफ़्ततहु बिकिताबतिहल मुसाहिफ़ व युक़्रा बिहा फ़िस्सलाति फ़हिय फ़वातिहु लिमा यतलूहा मिन सुवरिल क़ुर्आनि फिल किताबि वल किराति व सुम्मियत उम्मुल क़ुआनि लितक़दुमिहा अला सुवरि साइरिल क़ुर्आनि ग़ैरहा व तअख़्ख़ुरा मा सिवाहा फ़िल क़िराति वल किताबति अल्ख़' (अल् मिर्आत जिल्द नं. पेज नं. 583)

ख़ुलासा इस इबारत का ये कि सूरह अल्हम्दु शरीफ़ का नाम फ़ातिहातुल किताब इसलिए रखा गया कि क़ुर्आन मजीद की किताबत इसी से शुरू होती है और नमाज़ में क़िरात की इब्तिदा भी इसी से की जाती है। अल्लामा इब्ने जरीर ने भी अपनी तफ़्सीर में यही लिखा है। इसको उम्मुल क़ुर्आन इसलिए कहा गया कि किताबत और क़िरात मे ये इसकी तमाम सूरतों पर मुक़द्दम है और सारी सूरतें इसके बाद हैं। ये हदीष इस अम्र पर दलील है कि नमाज़ में सूरह फ़ातिहा फ़र्ज़ है और ये नमाज़ के अरकान में से है। जो इसे न पढ़े उसकी नमाज़ सहीह न होगी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी ने भी अपनी मशहूर किताब **हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा** (जिल्द 2 पेज नं. 4) पर इसे नमाज़ का अहम रुक्न तस्लीम किया है। इसलिए कि ये हदीष आम है। नमाज़ चाहे फ़र्ज़ हो चाहे नफ़्ल, और वो शख़्स इमाम हो या मुक़्तदी, या अकेला। यानी किसी शख़्स की कोई नमाज़ भी बग़ैर फ़ातिहा पढ़े नहीं होगी।

चुनाँचे मशहूर शारेहे बुख़ारी हज़रत अल्लामा क़स्तलानी (रह) शरह सहीह बुख़ारी जिल्द 2 पेज नं. 439 में इस हदीष की वज़ाहत करते हुए लिखते हैं। **'अय फ़ी कुल्लि रकअतिन मुन्फ़रिदन औ इमामन औ मामूमन सवाउन असर्रल्इमामु औ जहर'** यानी इस हदीष का मक़सद ये है कि हर रकअत में (हर नमाज़ी को) ख़्वाह अकेला हो या इमाम, या मुक़्तदी, ख़्वाह आहिस्ता पढ़े या बुलन्द आवाज़ से सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है।

नीज़ इसी तरह अल्लामा किरमानी (रह) फ़र्माते हैं,

'व फ़िल हदीषि (अय हदीषु उबादत) दलीलुन अला अन्न क़िरातल्फ़ातिहति वाजिबतुन अलल इमामि वल मुन्फ़रिदि वल मामूमि फ़िस्सलवाति कुल्लिहा' (उम्दतुल क़ारी शरह सहीह बुख़ारी जिल्द नं. 3 पेज नं. 63) यानी हज़रत उबादा (रज़ि) की ये हदीष इस अम्र पर साफ़ दलील है कि सूरह फ़ातिहा का पढ़ना इमाम और अकेले और मुक़्तदी सबके लिए तमाम नमाज़ों मे वाजिब है। नीज़ उम्दतुल क़ारी शरह सहीह बुख़ारी जिल्द 3 पेज नं. 64 में लिखते हैं। हन्फ़ियों के मशहूर शारेह

बुख़ारी इमाम महमूद अहमद ऐनी मुतवफ़्फ़ा 855 हिज्री

'इस्तदल्ल बिहाज़ल हदीषि अ़ब्दुल्लाहिब्निल मुबारक वल औजाई व मालिक वश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ व अबू ष़ौर व दाऊद अ़ला वुजूबि किरातिल फ़ातिहति ख़ल्फ़ल इमामि फ़ी जमीइस्सलवाति' यानी इस हदीष़ (हज़रत उ़बादह रज़ि) से इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम औज़ाई, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, इमाम अबू ष़ौर, इमाम दाऊद (रह) ने (मुक़्तदी के लिए) इमाम के पीछे तमाम नमाज़ों में सूरह फ़ातिहा पढ़ने के वजूब पर दलील पकड़ी है।

इमाम नववी (रह) अल मज्मूआ शरह मुहज़्ज़ब जिल्द 3 पेज नं. 326 मिस्री में फ़र्माते हैं।

'व किरातुल फ़ातिहति लिल क़ादिरि अ़लैहा फ़र्ज़ुम्मिन फ़ुरूज़िस्सलाति व रुक्नुम्मिन अर्कानिहा व मुतअ़य्यनतुन लि यक़ूमु मक़ामहा तर्जमतुहा बिग़ैरिल अ़रबिय्यति व ला किराति ग़ैरिहा मिनल क़ुर्आनि व यस्तवी फ़ी तअ़य्युनिहा जमीअ़स्सलवाति फ़र्ज़ुहा व नफ़्लुहा जहरुहा व सिर्रुहा वर्रजुलु वल्मरातु वल्मुसाफ़िरु, वस्सबिय्यु वल्क़ाइमु वल्क़ाइदु वल्मुज़्तज़िउ व फ़ी हालि शिद्दतिल ख़ौफ़ि व ग़ैरिहा सवाउन फ़ी तअ़य्युनिहा अल इमामु वल्मामूमु वल्मुन्फ़रिदु' यानी जो शख़्स सूरह फ़ातिहा पढ़ सकता है (यानी इसको ये सूरह याद है) उसके लिये इसका पढ़ना नमाज़ के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ और नमाज़ के अरकान में से एक रुक्न है और ये सूरह फ़ातिहा नमाज़ में ऐसी मुअ़य्यन (निर्धारित) है कि न तो उसकी बजाय ग़ैर अरबी में इसका तर्जुमा क़ायम मुक़ाम हो सकता है और न ही क़ुर्आन मजीद की कोई दीगर आयत और इस तअ़य्युने फ़ातिहा में तमाम नमाज़ें बराबर हैं फ़र्ज़ हों या नफ़्ल, जहरी हों, या सिर्री और मर्द, औरत, मुसाफ़िर लड़का (नाबालिग़) और खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने वाला और बैठकर या लेटकर नमाज़ पढ़ने वाला सब इस हुक्म में बराबर हैं और इस तअ़य्युने फ़ातिहा में इमाम, मुक़्तदी और अकेला नमाज़ पढ़ने वाला (भी) बराबर हैं।

हदीष़ और शारेहीने हदीष़ की इस क़दर खुली हुई वज़ाहत के बावजूद कुछ हज़रात कह दिया करते हैं कि इस हदीष़ में इमाम या मुक़्तदी या मुंफ़रिद का ज़िक्र नहीं। इसलिए इससे मुक़्तदी के लिये सूरह फ़ातिहा की फ़र्ज़ियत ष़ाबित नहीं होगी। इसके जवाब के लिए नीचे लिखी हदीष़ मुलाहज़ा हो, जिसमें साफ़ लफ़्ज़ों में मुक़्तदियों का ज़िक्र मौजूद है।

'अ़न उ़बादतब्निस्सामिति क़ाल कुन्ना ख़ल्फ़ रसूलिल्लाहि ﷺ फ़ी सलातिल फ़ज्रि फ़करअ रसूलुल्लाहि ﷺ फ़ष़कुलत अ़लैहिल क़िरातु फ़लम्मा फ़रग़ क़ाल लअ़ल्लकुम तक़रऊन ख़ल्फ़ इमामिकुम क़ुल्ना नअ़म हाज़ा या रसूलल्लाहि ﷺ क़ाल ला तफ़अ़लू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताबि फ़इन्नहू ला सलात लिमल्लम यक़्रा बिहा.' (अबू दाऊद जिल्द 1 पेज नं. 119, तिर्मिज़ी जिल्द 1 पेज नं. 41, व क़ाल हसन)

हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि) कहते हैं कि फ़ज्र की नमाज़ में हम रसूले करीम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे आपने जब क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ा तो आप पर पढ़ना मुश्किल हो गया। जब आप (नमाज़ से) फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया कि शायद तुम अपने इमाम के पीछे (क़ुर्आन पाक से कुछ) पढ़ते रहते हो। हमने कहा, हाँ या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आपने फ़र्माया कि याद रखो सूरह फ़ातिहा के सिवा कुछ न पढ़ा करो क्योंकि जो शख़्स सूरह फ़ातिहा न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं होती और हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह) ने इसको हसन कहा है।

इस हदीष़ के ज़ैल में इमाम तिर्मिज़ी (रह) फ़र्माते हैं : 'वल्अ़मलु अ़ला हाज़िहिल हदीषि फ़िल्क़िराति ख़ल्फ़इमामि इन्द अक्ष़रि अहलिल इल्मि मिन अस्हाबिन्नबिय्यि ﷺ वत्ताबिईन व हुव क़ौलु मालिकिब्नि अनस वब्निल मुबारकि वश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ यरौनल क़िरात ख़ल्फ़ल इमामि' (तिर्मिज़ी जिल्द 1 पेज नं. 41)

यानी इमाम के पीछे (सूरह फ़ातिहा) पढ़ने के बारे में अकष़र अहले इल्म, सहाबा किराम और ताबेईन का इसी हदीष़ (उ़बादा रज़ि) पर अ़मल है और इमाम मालिक, इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक (शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा) इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ (भी) इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल थे।

इमाम ख़त्ताबी मआलिमुस्सुनन शरह अबू दाऊद जिल्द 1 पेज नं. 205. में लिखते हैं,

'हाज़ल हदीषु नस्सुन सरीहुन बिअन्न क़िरातल फ़ातिहति वाजिबतुन अला मन सल्ल ख़ल्फ़ल इमामि सवाउन जहरल इमामु बिल्क़िराति औ ख़ाफ़तबिहा व इस्नादुहू जय्यिदुन ला तअन फ़ीहि' (मिर्आत जिल्द 1 पेज नं. 619)

यानी ये हदीष नस्से सरीह है कि मुक़्तदी के लिए सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। ख़्वाह इमाम क़िरात बुलन्द आवाज़ से करे या आहिस्ता से क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ास मुक़्तदियों को ख़िताब करके सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया और उसकी वजह ये बयान की कि सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर किसी की नमाज़ नहीं होती। इस हदीष की सनद बहुत ही पुख़्ता है, जिसमें तअन की कोई गुंजाइश नहीं। इस बारे में दूसरी दलील ये हदीष है,

'अन अबी हुरैरत अनिन्नबिय्यि ﷺ क़ाल मन सल्ल सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल्कुर्आनि फ़हिय ख़िदाजुन षलाषन ग़ैर तमामिन फ़क़ील लिअबी हुरैरत इन्ना नकूनु वराअल्इमामि फ़क़ाल इक़्र: फ़ी नफ़्सिक फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि ﷺ यक़ूलु क़ालल्लाहु तआला क़स्सम्तुस्सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैनि अल हदीष' (सहीह मुस्लिम जिल्द नं. 1 पेज नं. 169)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। जो शख़्स कोई नमाज़ पढ़े और उसमे सूरह फ़ातिहा न पढ़े तो वो नमाज़ नाक़िस (मुर्दा) है, नाक़िस (मुर्दा) है, नाक़िस (मुर्दा) है, पूरी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) से कहा गया कि हम लोग इमाम के पीछे होते हैं। (जब भी पढ़ें) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) ने फ़र्माया, (हाँ) इसको आहिस्ता पढ़ा करो, क्योंकि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि मैंने नमाज़ को अपने और बन्दे के दरम्यान दो हिस्सों में तक़्सीम कर दिया है। (आख़िर तक)

इस हदीष में सूरह फ़ातिहा ही को नमाज़ कहा गया है क्योंकि नमाज़ की असल रूह सूरह फ़ातिहा ही है। दो हिस्सों में बांटने का मतलब ये कि शुरू सूरत से **इय्याकनस्तईन** तक मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह की हम्दो षना है। फिर आख़िर सूरत तक दुआएँ हैं जो बन्दा अल्लाह के सामने पेश कर रहा है। इस तरह ये सूरत शरीफ़ा दो हिस्सों में मुंक़सिम (बंटी हुई) है।

इमाम नववी (रह) शरह मुस्लिम जिल्द 1 पेज नं. 170 में लिखते हैं,

'फ़फ़ीहि वुजूबि किरातिल फ़ातिहति व इन्नहा मुतअय्यनतुन ला यज्ज़ी ग़ैरहा इल्ला लिआजिज़िन अन्हा व हाज़ा मज़्हबु मालिक वश्शाफ़िइ व जुम्हूरिल उलमा मिनस्सहाबति वत्ताबिईन व मिम्बअदिहिम.'

यानी इस हदीष (अबू हुरैरह रज़ि) में सूरह फ़ातिहा के फ़र्ज़ होने का षुबूत है और आजिज़ के सिवा सूरह फ़ातिहा नमाज़ में मुतअय्यन है। कोई दूसरी आयत उसकी जगह किफ़ायत नहीं कर सकती और यही मज़हब इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई और जुम्हूर सहाबा किराम और ताबेईन और उनके बाद उलेमा व अइम्म ए-इज़ाम का है।

इस हदीष में सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर नमाज़ के लिए लफ़्ज़े ख़िदाज का इस्ते'माल किया गया है। चुनाँचे इमाम ख़त्ताबी मआलिमुस्सुनन शरह अबू दाऊद, जिल्द 1 पेज नं. 213 पर फ़हिया ख़िदाज का मा'नी लिखते हैं, **'मअनाहु नाक़िसतुन नक़्सु फ़सादिन व बुत्लानिन यक़ूलुल अरबु अख़दजतिन्नाक़ातु इज़ा अल्क़त वलदहा व हुव दमुन लम यस्तबिन ख़ल्क़ुहू फ़हिय मुख़्दजुन वल ख़िदाजु इस्मुन मब्नियुन अन्हु'** (मिरआत जिल्द नं. 1 पेज नं. 58)

हासिल इसका ये है कि जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाए, वो फ़ासिद और बातिल है। अहले अरब **अख़दजतिन्नाक़तु** उस वक़्त बोलते हैं जब ऊँटनी अपने बच्चे को उस वक़्त गिरा दे कि वो ख़ून हो और उसकी ख़िल्क़त व पैदाइश ज़ाहिर न हुई हो और इसी से लफ़्ज़े ख़िदाज लिया गया है। षाबित हुआ कि ख़िदाज वो नुक़्सान है जिससे नमाज़ नहीं होती और इसकी मिषाल ऊँटनी के मुर्दा बच्चे जैसी है।

इक़्र: बिहा फ़ी नफ़्सिक इसका मा'नी दिल में तदब्बुर व तफ़क्कुर और ग़ौर करना नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है कि ज़ुबान के साथ आहिस्ता आहिस्ता सूरह फ़ातिहा पढ़ा कर।

इमाम बैहक़ी (रह) फ़र्माते हैं,

'वल्मुरादु बिक़ौलिही इक़्रा बिहा फ़ी नफ़्सिक अंय्यतलफ़्फ़ज़ बिहा सिर्रन दूनल जहरि बिहा व ला यजूज़ु हम्लुहू अला ज़िक्रिहा बिक़ल्बिही दूनत्तलफ़्फ़ुज़ि बिहा लिइज्माइ अहलिल लिसानि अला अन्न ज़ालिक ला युसम्मा क़िरातुन व लिइज्माइ अहलिल इल्मि अला अन्न ज़िक्रहा बिक़ल्बिही दूनत्तलफ़्फ़ुज़ि बिहा लैस बिशर्तिन व ला मस्नूनिन फ़ला यजूज़ु हम्लुल ख़बरि अला मा ला यक़ूलु बिही अहदुन व ला युसाइदुहू लिसानुल अरबि' (किताबुल क़िरात पेज नं. 17)

यानी इस क़ौल **'इक़्रः बिहा फ़ी नफ़्सिक'** से मुराद ये है कि ज़ुबान से आहिस्ता–आहिस्ता पढ़ और उसको ज़िक्रे क़ल्ब यानी तदब्बुर व तफ़क्कुर व गौर पर महमूल करना जाइज़ नहीं क्योंकि अहले लुग़त का इस पर इज्माअ है कि उसको क़िरात नहीं कहते और अहले इल्म का इस पर भी इज्माअ है कि ज़ुबान से तलफ़्फ़ुज़ किये बग़ैर सिर्फ़ दिल से ज़िक्र करना नमाज़ की सेह्हत के लिए न शर्त है और न ही सुन्नत। लिहाज़ा ह़दीष़ को ऐसे मा'नी पर महमूल करना जिसका कोई भी क़ाइल नहीं और न ही लुग़ते अरब इसकी ताईद करे जाइज़ नहीं।

तफ़्सीरे जलालैन, जिल्द 1 पेज नं. 147 मिस्री में **'वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक'** का मा'नी लिखा है, **अय सिर्रन** यानी अल्लाह तआला को ज़ुबान से आहिस्ता याद कर।

इमाम नववी (रह) शरह मुस्लिम जिल्द नं. 1 पेज नं. 170 में **'इक़्रः बिहा फ़ी नफ़्सिक'** का मा'नी लिखते हैं,

'फ़मअनाहु इक़्रः बिहा सिर्रन बिहैषु तस्मउ नफ़्सुक व अम्मा मा हम्लुहू अलैहि बअ्ज़ुल मालिकिय्यति व ग़ैरहुम अन्नल मुराद तदब्बर ज़ालिक व तज़क्करहु फ़ला युक़्बलु लिअन्नल क़िरात ला तुत्लकु इल्ला अला हर्कतिल्लिसानि बिहैषु यस्मउ नफ़्सुहू'

और ह़दीष़ में क़िरात (पढ़ने) का हुक्म है। लिहाज़ा जब तक मुक़्तदी फ़ातिह़ा को ज़ुबान से नहीं पढ़ेगा, उस वक़्त तक ह़दीष़ पर अमल नहीं होगा।

हिदाया, जिल्द 1 पेज नं. 98 में है, **'लिअन्नल क़िरात फ़िअलुल्लिसानि'** क्योंकि क़िरात (पढ़ना) ज़ुबान का काम है।

किफ़ाया, जिल्द नं. 1 पेज नं. 64 में है, **'फ़युसल्लिस्सामिउ फ़ी नफ़्सिही अय युसल्ली बिलिसानिही ख़फ़ियन'** यानी जब ख़तीब आयत, **'या अय्युहल लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा'** (अल् अह़ज़ाब : 56) पढ़े तो सामेईन (सुनने वालों) को चाहिए कि अपनी ज़ुबान से आहिस्ता दुरूद पढ़ लें। यानी **फ़ी नफ़्सिही** का मा'नी ज़ुबान से आहिस्ता और पोशीदा पढ़ना है। इन ह़वालाजात से वाज़ेह़ हो गया कि **फ़ी नफ़्सिक** का मा'नी दिल में तदब्बुर व ग़ौर व फ़िक्र करना, लुग़त और अहले इल्म और ख़ुद फ़ुक़हा की तस़रीह़ात के ख़िलाफ़ है और स़ह़ीह़ मा'नी है कि ज़ुबान से आहिस्ता पढ़ा कर और यही ह़दीष़ का मक़्सूद है।

तीसरी ह़दीष़ ये है,

'अन आइशत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ मन स़ल्ला स़लातन लम यक़्रः फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताबि फ़हिय ख़िदाजुन ग़ैर तमामिन' (जुज़ उल क़िरात पेज नं. 8 दिहली किताबुल क़िरात पेज नं 31)

ह़ज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जिस शख़्स ने किसी नमाज़ में सूरह फ़ातिह़ा न पढ़ी वो नमाज़ नाक़िस है पूरी नहीं। ख़िदाज की तफ़्सीर ऊपर गुज़र चुकी है।

इस बारे में चौथी ये है,

'अन अनसिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि ﷺ स़ल्ल बिअस्हाबिही फ़लम्मा क़ज़ा स़लातहू अक़्बल अलैहिम बिवज्हिही फ़क़ाल अ तक़्रऊन फ़ी स़लातिकुम ख़ल्फ़ल इमामि वल इमामु यक़्रउ फ़सकतू फ़क़ाल लहा ष़लाष़ मर्रातिन फ़क़ाल क़ाइलून औ क़ाइलुन इन्ना लनफ़्अलु क़ाल फ़ला तफ़्अलू वल्यक्र अहदुकुम फ़ातिहतल्किताबि फ़ी नफ़्सिही' (किताबुल क़िरात, पेज नं. 48,49, 50, 55 जुज़उल क़िरात देहली पेज नं. 28)

ह़ज़रत अनस (रज़ि) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़ह़ाबा किराम (रज़ि) को नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पूरी करने के बाद आपने स़ह़ाबा किराम (रज़ि) की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया, जब इमाम पढ़ रहा हो तो तुम भी अपनी नमाज़

में इमाम के पीछे पढ़ते हो? सहाबा किराम (रज़ि) ख़ामोश हो गये। तीन बार आपने यही फ़र्माया। फिर एक से ज़्यादा लोगों ने कहा हाँ! हम ऐसा करते हैं। आपने फ़र्माया ऐसा न करो। तुममें से हर एक सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा आहिस्ता पढ़ा करो।

इस हदीष़ से इमाम के पीछे मुक़्तदी के लिये सूरह फ़ातिहा पढ़ने की फ़र्ज़ियत साफ़ षाबित है। इस बारे में मज़ीद वज़ाहत (और अधिक स्पष्टीकरण) के लिए पाँचवीं हदीष़ ये है,

'अन अबी क़लाबत अन्न रसूलल्लाहि ﷺ क़ाल लअल्ल अहदुकुम यक़रउ ख़ल्फ़ल इमामि वल्इमामु यक़रउ फ़क़ाल रजुलुन इन्ना लनफ़अलु ज़ालिक क़ाल फ़ला तफ़अलू व लाकिन लियक़्रा अहदुकुम बिफ़ातिहतिल किताबि' (किताबुल क़िरात पेज नं. 50)

अबू क़लाबा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद जब इमाम पढ़ रहा हो तो तुम में से हर एक इमाम के पीछे पढ़ता है। एक आदमी ने कहा बेशक हम ऐसा करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया ऐसा मत करो और लेकिन तुम में से हर एक (इमाम के पीछे) सूरह फ़ातिहा पढ़ा करे।

इन अहादीष़ से रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गया कि मुक़्तदी के लिए सूरह फ़ातिहा ज़रूरी है क्योंकि इन अहादीष़ में ख़ास लफ़्ज़ फ़ातिहा और ख़ल्फ़े इमाम मौजूद है और भी वज़ाहत के लिये छठी हदीष़ ये है,

'अन अब्दिल्लाहिब्नि सौदा अल क़ुशैरी अन रजुलिम्मिन अहलिल्बादियति अन अबीहि व कान अबूहु असीरन इन्द रसूलि ﷺ क़ाल समिअतु मुहम्मद ﷺ क़ाल लिअस्हाबिही तक़्रऊन ख़ल्फ़ियल क़ुर्आन फ़क़ालू या रसूलल्लाहि ﷺ नहुज़्ज़ुहू हाज़ा क़ाल ला तक़रऊ इल्ला बिफ़ातिहतिल्किताबि' (किताबुल क़िरात पेज नं. 53)

अब्दुल्लाह बिन सवाद एक देहाती थे, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं और उसका बाप रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास असीर (क़ैदी) था। उसने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने सहाबा (रज़ि) को फ़र्माते हुए सुना, क्या तुम नमाज़ में मेरे पीछे क़ुर्आन पढ़ते हो? सहाबा (रज़ि) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फ़र्माया, सिवाय सूरह फ़ातिहा के कुछ न पढ़ा करो।

इमाम बुख़ारी (रह) फ़र्माते हैं,

'व तवातुरुल ख़ब्रि अन रसूलिल्लाहि ﷺ ला सलात इल्ला बिक़िराति उम्मिल क़ुर्आनि.' (जुज़उल क़िरात पेज नं. 4 देहली)

यानी इस बारे में कि बग़ैर सूरह फ़ातिहा पढ़े नमाज़ नहीं होती। रसूलुल्लाह (ﷺ) से तवातुर (यानी जम्मे ग़फ़ीर रिवायत करते हैं) के साथ अहादीष़ मरवी हैं।

इमाम अब्दुल वह्हाब शअरानी मीज़ाने कुब्रा जिल्द 1 पेज नं. 166 तबअ देहली में फ़र्माते हैं,

'मन क़ाल बितअय्युनिल्फ़ातिहति व अन्नहू ला यज़्ज़ी किरातु ग़ैरिहा क़द दार मअ ज़ाहिरिल अहादीष़िल्लती कादत तब्लुग़ु हद्दत्तवातुरि मअ ताइदि ज़ालिक बिअमलिस्सलफ़ि वल्ख़ल्फ़ि'

यानी जिन उलमा ने सूरह फ़ातिहा को नमाज़ में मुतअय्यन किया है और कहा कि सूरह फ़ातिहा के सिवा कुछ और पढ़ना किफ़ायत नहीं कर सकता। अव्वलन तो उनके पास अहादीष़े नबविया इस कष़रत (अधिकता) से हैं कि तवातुर को पहुँचने वाली हैं। षानियन सल्फ़ व ख़ल्फ़ (सहाबा किराम रज़ि. व ताबेईन व तबे ताबेईन व अइम्म–ए–इज़ाम) का अमल भी तअय्युने फ़ातिहा दर नमाज़ की ताईद करता है।

'मिस्कुल ख़ितामि शरहु बुलूग़िल मरामि' जिल्द नं. 1 पेज नं. मुत्तबअ निज़ामी में है। **वईं हदीष़ रा शवाहिद बिस्यारस्त,** यानी क़िराते फ़ातिहा ख़ल्फ़ुल इमाम की हदीष़ के शवाहिद बहुत ज़्यादा हैं।

तफ़्सीर इब्ने कष़ीर पेज नं. 12 में है। **'वल अहादीष़ु फ़ी हाज़ल्बाबि कष़ीरतुन'** यानी क़िराते फ़ातिहा की अहादीष़ बकष़रत हैं।

इन्हीं अहादीष़े कष़ीरा की बिना पर बहुत से मुहक़्क़िक़ीन उलम–ए–अहनाफ़ भी क़िराते फ़ातिहा ख़ल्फ़ुल इमाम के क़ाइल हैं, जिसकी तफ़्सील के सिलसिले में अल मुहद्दिषुल कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी मरहूम फ़र्माते हैं,

अ़ल्लामा शअ़रानी ने लिखा है कि इमाम अबू ह़नीफ़ा और इमाम मुह़म्मद (रह़) का ये क़ौल कि मुक़्तदी को अल्ह़म्दु नहीं पढ़ना चाहिए उनका पुराना क़ौल है। इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) और इमाम मुह़म्मद (रह़) ने बाद में अपने इस पुराने क़ौल से रुजूअ़ कर लिया था और मुक़्तदी के लिये अल्ह़म्दु पढ़ने को सिर्री नमाज़ में मुस्तह़सन और मुस्तह़ब बताया। चुनाँचे अ़ल्लामा मौसूफ़ लिखते हैं,

'लि अबी हनीफ़त व मुहम्मद कौलानि अहदुहुमा अ़दमु वुजूबिहा अलल्मामूमि बल वला तसुन्नु व हाज़ा क़ौलुहुमुल क़दीमु व अदख़लहू मुहम्मद फ़ी तसानीफ़िहिल क़दीमति वन्तशरतिन्नुसख़ु इलल अतराफ़ि व ष़ानीहुमा इस्तिहसानुहा अ़ला सबीलिल इहतियाति अ़दमु कराहतिहा इन्दल मख़ाफ़तति अल हदीषुल मर्फ़ुउ़ ला तफ़्अलू इल्ला बिउम्मिल क़ुर्आनि व फ़ी रिवायतिन ला तक़्रऊ बिशैइन इज़ा जहरतु इल्ला बिउम्मिल क़ुर्आनि व क़ाल अ़ता कानू यरौन अलल मामूमिल्क़िरात फ़ी मा यजहरू फ़ीहिल्इमामु व फ़ी मा यसिर्रु फ़रजअ मिन क़ौलिहिमल अव्वलु इलष़्ष़ानी इहतियातन इन्तिहा कज़ा फ़ी ग़ैषिल्ग़मामि स. 156 हाशिया इमामुल कलाम.' 156 ह़ाशिया इमामुल कलाम।

ख़ुलास़ा—ए—तर्जुमा :— इस इबारत का ये है कि इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) और इमाम मुह़म्मद (रह़) के दो क़ौल हैं। एक ये कि मुक़्तदी को अल्ह़म्दु पढ़ना न वाजिब है और न सुन्नत और इन दोनों इमामों का ये क़ौल पुराना है और इमाम मुह़म्मद (रह़) ने अपनी क़दीम तस़्नीफ़ात (पुरानी किताबों) में इसी क़ौल को दर्ज किया है और उनके नुस्ख़े अत़राफ़ व जवानिब (आसपास के इलाक़ों) में मुंतशिर हो गये (फैल गये) और दूसरा क़ौल ये है कि मुक़्तदी को नमाज़े सिर्री में अल्ह़म्दु पढ़ना मुस्तह़सन है अ़ला सबीलिल एह़तियात। इस वास्ते कि ह़दीषे़ मर्फ़ूअ़ में वारिद हुआ है कि न पढ़ो मगर सूरह फ़ातिह़ा और एक रिवायत में है कि जब मैं बाआवाज़े बुलन्द क़िरात करूँ तो तुम लोग कुछ न पढ़ो मगर सूरह फ़ातिह़ा। और अ़त़ा (रह़) ने कहा कि (यानी स़ह़ाबा रज़ि व ताबेईन (रह़) कहते थे कि नमाज़े सिर्री व जहरी दोनों में मुक़्तदी को पढ़ना चाहिए। पस इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) और मुह़म्मद (रह़) ने एह़तियात़न अपने पहले क़ौल से दूसरे क़ौल की त़रफ़ रुजूअ़ किया।

लो अब बक़ौले अ़ल्लामा शअ़रानी, इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) के नज़दीक भी इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ना जाइज़ हुआ बल्कि मुस्तह़सन व मुस्तह़ब।

ऐ नाज़िरीन! जिस ह़दीष़ को अ़ल्लामा शअ़रानी ने ज़िक्र किया है और जिसकी वजह से इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) का अपना क़ौल से रुजूअ़ करना लिखा है। इसी ह़दीष़ और इसके मिष़्ल और अह़ादीषे़ स़ह़ीह़ा को देखकर ख़ुद मज़हबे ह़नफ़ी के बड़े—बड़े फ़ुक़हा व उ़लमा इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) के क़ौले क़दीम को छोड़कर इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ने के क़ाइल व फ़ाइल हो गये। कुछ ने तो नमाज़ सिर्री और जहरी दोनों में और कुछ फ़क़त़ नमाज़े सिर्री में।

अ़ल्लामा ऐनी शरहे बुख़ारी में लिखते हैं : 'बअ़ज़ु अस्हाबिना यस्तहसिनून ज़ालिक अ़ला सबीलिल इहतियाति फ़ी जमीइस्सलवाति व बअ़ज़ुहुम फ़िस्सिर्री यति फ़क़त व अलैहि फ़ुक़हाउल हिजाज़ि वश्शामि.' (कज़ा फ़ी ग़ैषिल ग़मामि पेज नं. 156) यानी कुछ फ़ुक़ह—ए—ह़न्फ़िया हर नमाज़ में ख़्वाह सिर्री हो ख़्वाह जहरी इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ने को एह़तियात़न मुस्तह़सन बताते हैं और कुछ फ़ुक़हा फ़क़त़ नमाज़े सिर्री में और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरह और मुल्के शाम के फ़ुक़हा का इसी पर अ़मल है।

उ़म्दतुर्रिआया पेज नं. 173 में मौलाना अ़ब्दुल ह़य्यि स़ाह़ब लिखते हैं : 'व रूविय अ़न मुहम्मद अन्नहुस्तहसन क़िरातुल फ़ातिहति ख़ल्फ़ल इमामि फ़िस्सिर्रियति व रूविय मिष़्लुहू अ़न अबी हनीफ़त स़रीहुन बिही फ़िल हिदायति वल मुज्तबा शर्हु मुख़्तसरल क़ुदूरी व ग़ैरहुमा व हाज़ा हुव मुख़्तारुन कष़ीरुम्मिम मशाइख़िना' यानी इमाम मुह़म्मद (रह़) से मरवी है कि उन्होंने इमाम के पीछे सूरह फ़ातिह़ा पढ़ने को नमाज़े सिर्री में मुस्तह़सन बताया है और इसी त़रह़ इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) से रिवायत किया गया है। और इसी को हमारे बहुत से मशाइख़ ने इख़्तियार किया है।

हिदाया में है, **'व यस्तहसिनु अ़ला सबीलिल इहतियाति फ़ी मा युर्वा अन मुहम्मद'** यानी इमाम मुह़म्मद (रह़) से मरवी है कि इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ना एह़तियात़न मुस्तह़सन है।

मौलवी अ़ब्दुल ह़य्यि स़ाह़ब इमामुल कलाम में लिखते हैं : **'व हुव इन कान ज़ईफ़न रिवायतन लाकिन्नहू**

दिरायतन क़विय्युन व मिनल मअ़लूम अल्मुसर्रिह फ़ी गुनतिल मुस्तमली शर्हु मनिय्यतुल मुसल्ली वग़ैरुहू अन्नहू ला यअ़दिलु अनिर्रिवायति इज़ा वाफ़क्तहा दिरायतुन' यानी इमाम मुहम्मद (रह़) का ये क़ौल कि, इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ना मुस्तह़सन है, अगरचे रिवायतन ज़ईफ़ है लेकिन दलील के ए'तिबार से क़वी है। और **ग़नियतुल मुस्तम्ली शरह मनिय्यतुल मुसल्ली** में इस बात की तस़रीह़ की गई है कि जब रिवायत दलील के मुवाफ़िक़ हो तो इससे उ़दूल (इन्कार) नहीं करना चाहिए और अ़ल्लामा शअ़रानी के कलाम से ऊपर मा'लूम हो चुका है कि इमाम मुह़म्मद (रह़) व नीज़ इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) का भी अख़ीर क़ौल है और उन दोनों इमामों ने अपने पहले क़ौल से रुजूअ़ कर लिया है।

और शैख़ुल इस्लाम निज़ामुल मिल्लत वद्दीन मौलाना अ़ब्दुर्रह़ीम जो शैख़ुत् तस्लीम के लक़ब से मशहूर हैं और रईसे अहले तह़क़ीक़ के नाम से भी आप याद किये गये हैं और बइत्तफ़ाक़े उ़लम-ए-मावरा उन्नहर व ख़ुरासान मज़हबे ह़नफ़ी के एक मुज्तहिद हैं। आप ह़नफ़ियतुल मज़हब होने के बावजूद इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) के मसलके क़दीम को छोड़कर इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ने को मुस्तह़ब कहते हैं और ख़ुद भी पढ़ते और फ़र्माते थे **'लौ कान फ़ी फ़मी यौमल क़ियामति जम्रतुन अहब्बु इला मन अंय्युक़ाल ला स़लात लक'** यानी अगर क़यामत के रोज़ मेरे मुँह में अंगारा हो तो मेरे नज़दीक ये बेहतर है इससे कि कहा जाए कि तेरी तो नमाज़ ही नहीं हुई। (इमामुल कलाम पेज नं. 20)

ऐ नाज़िरीन! ये ह़दीष़ कि जिसने सूरह फ़ातिह़ा नहीं पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं हुई निहायत स़ह़ीह़ है और ये ह़दीष़ कि जो शख़्स़ इमाम के पीछे पढ़े उसके मुँह में क़यामत के रोज़ अंगारा होगा मौज़ूअ़ (गढ़ी हुई) और झूठी है। शैख़ुत् तस्लीम ने अपने क़ौल में पहली ह़दीष़ के स़ह़ीह़ होने और दूसरी ह़दीष़ को मौज़ूअ़ और झूठी होने की त़रफ़ इशारा किया है।

और इमाम अबू ह़फ़्स़ कबीर (रह़) जो मज़हबे ह़नफ़ी के एक बहुत बड़े मशहूर फ़क़ीह हैं और इमाम मुह़म्मद (रह़) के तलामिज़-ए-किबार (नामी शागिर्दों) में से हैं। आपने भी इसी मसलक को इख़्तियार किया है। यानी ये भी नमाज़े सिर्री में इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ने के क़ाइल थे और उनके सिवा और बहुत से फ़ुक़हा ने भी इसी मसलक को इख़्तियार किया है। जैसा कि गुज़र चुका है और मशाइख़े ह़न्फ़िया और जमाअ़ते सूफ़िया के नज़दीक भी यही मसलके मुख़्तार है।

मुल्ला जीवन ने तफ़्सीरे अह़मदी में लिखा है, **'फ़इन राइत्ताइफ़तस़्सूफ़िय्यत वल मशाइख़ीन तराहुम यस्तहसिनून क़िरातल फ़ातिहति लिल्मूतमि'** यानी अगर जमाअ़ते सूफ़िया और मशाइख़ीने ह़नफ़िया को देखोगे तो तुम्हें मा'लूम होगा कि ये लोग इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ने को मुस्तह़सन बताते थे। जैसा कि इमाम मुह़म्मद (रह़) एह़तियातन इस्तेह़सान के क़ाइल थे।

और मौलाना शाह वलीउल्लाह स़ाह़ब (रह़) देहलवी ने भी बावजूद ह़नफ़ी मज़हब होने के इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ने को औलुल अक़्वाल बताया है। देखें हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा। और जनाब शाह स़ाह़ब के वालिद माजिद मौलाना शाह अ़ब्दुर्रह़ीम स़ाह़ब (रह़) भी इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ने के क़ाइल थे। चुनाँचे शाह स़ाह़ब **अन्फ़िफ़ासुल आ़रिफ़ीन** मे अपने वालिदे माजिद के ह़ाल में लिखते हैं कि वो (यानी मौलाना शाह अ़ब्दुर्रह़ीम स़ाह़ब रह़) अकष़र मसाइले फ़ुरूइया में मज़हबे ह़नफ़ी के मुवाफ़िक़ थे। लेकिन जब किसी मसले में ह़दीष़ से या विज्दान से मज़हबे ह़नफ़ी के सिवा किसी और मज़हब की तरजीह़ और क़ुव्वत ज़ाहिर होती तो इस सूरत में ह़नफ़ी मज़हब का मसला छोड़ देते। अज़ाँ जुम्ला एक ये है कि इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ते थे और नमाज़े जनाज़ा में भी सूरह फ़ातिह़ा पढ़ते थे। (ग़ायषुल ग़माम पेज नं. 175)

मौलाना शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ स़ाह़ब (रह़) ने भी इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ने की फ़र्ज़ियत को तरजीह़ दी है। चुनाँचे आप एक इस्तिफ़्ता के जवाब में तह़रीर फ़र्माते हैं कि मुक़्तदी को इमाम के पीछे अल्ह़म्दु पढ़ना इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) के नज़दीक मना है और इमाम मुह़म्मद(रह़) के नज़दीक जिस वक़्त इमाम आहिस्ता पढ़े जाइज़ है। और इमाम शाफ़ई (रह़) के नज़दीक बग़ैर अल्ह़म्दु पढ़े नमाज़ जाइज़ नहीं। और नज़दीक इस फ़क़ीर के भी क़ौले इमाम शाफ़ई (रह़) को तरजीह़ रखता है और बेहतर है क्योंकि इस ह़दीष़ के लिहाज़ से कि नहीं नमाज़ होती मगर सूरह फ़ातिह़ा से, नमाज़ का बुत़्लान ष़ाबित होता है। और क़ौले इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़) का भी जा बजा वारिद है कि जिस जगह ह़दीष़ स़ह़ीह़ वारिद हो और मेरा क़ौल उसके ख़िलाफ़ पड़े तो मेरे क़ौल को छोड़ देना चाहिए और ह़दीष़ पर अ़मल करना चाहिए। **इन्तिहा मुतर्जमन बिकदरिल हाजति**

और मौलवी अ़ब्दुल ह़य्यि स़ाह़ब लखनवी ने इस मसले में ख़ास़ एक रिसाला तस्नीफ़ किया है जिसका नाम इमामुल

कलाम है इस रिसाले में आपने बावजूद हनफ़ियुल मज़हब होने के ये फ़ैसला किया है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना नमाज़े सिर्री में मुस्तहसन व मुस्तहब है और नमाज़ जहरी में भी सक्ताते इमाम के वक़्त।

'फ़इज़न ज़हर हक्कुज़्ज़ुहूरु अन्न अक्वल मसालिकिल्लती सलक अलैहा अस्हाबुना हुव मस्लकु इस्तिहसानिल क़िराति फ़िस्सिर्रियति कमा हुव रिवायतुन अन मुहम्मदिब्निल हसनि वख़्तारहा जमीउम्मिन फ़ुक़हाइज़्ज़मनि व अर्जू रिजाअन मूषिकन अन्न मुहम्मदल माजूज़ल्किरात फ़िस्सिर्रियति वस्तहसनहा ला बुद्द अंय्यजूज़ल्किरात फ़िल्जहरिय्यति फिस्सक्ताति इन्द विज्दानिहा लिअदमिल फ़र्कि बैनहू व बैनहू इन्तहा मुख़्तसरन' यानी अब निहायत अच्छी तरह ज़ाहिर हो गया कि जिन मसलकों को हमारे फ़ुक़हा–ए–अह्नाफ़ ने इख़्तियार किया है, उन सब में ज़्यादा क़वी यही मसलक है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना नमाज़े सिर्री में मुस्तहसन है। जैसा कि रिवायत में है इमाम मुहम्मद (रह) से और इसी मसलक को फ़ुक़हा–ए–ज़माना की एक जमाअत ने इख़्तियार किया है। और मैं (यानी मौलवी अब्दुल हय्यि साहब (रह) उम्मीदे वाषिक़ रखता हूँ कि इमाम मुहम्मद (रह) ने जब नमाज़े सिर्री में इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को मुस्तहसन कहा है तो ज़रूर नमाज़े जहरी में भी सक्ताते इमाम के वक़्त मुस्तहसन होने के क़ाइल होंगे क्योंकि नमाज़े जहरी मे सक्ताते इमाम की हालत में और नमाज़े सिर्री में कुछ फ़र्क़ नहीं है और मौलवी साहब मौसूफ़ ने अपना यही फ़ैसला सआया शरह विक़ाया में भी लिखा है।

मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी (रह) ने मिरक़ात शरहे मिश्कात में ये लिखा है कि नमाज़े सिर्री में इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना जाइज़ है और नमाज़े जहरी में मना। मौलवी अब्दुल हय्यि साहब ने मुल्ला साहब के इस क़ौल को रद्द कर दिया है। चुनाँचे सआया में लिखते हैं कि मुल्ला अली क़ारी का ये क़ौल ज़ईफ़ है। क्या मुल्ला अली क़ारी को ये नहीं मा'लूम है कि उबादा (रज़ि) की हदीष़ से नमाज़े जहरी में इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने का जवाज़ सराहतन षाबित है।

फ़त्हुल क़दीर वग़ैरह कुतुबे फ़ुक़हा में लिखा है कि मना की दलीलों के लेने में ज़्यादा एहतियात है। मौलवी अब्दुल हय्यि साहब ने उसको भी रद्द कर दिया है। चुनाँचे सआया पेज नं. 304. में लिखते हैं, **'व कज़ा ज़ुअफ़ुन मा फ़ी फ़तहिल क़दीरि व ग़ैरहू अन्नल अख़ज़ बिल्मन्इ अहवतु फ़इन्नहू ला मनअ हाहुना इन्द दक़ीक़िन्नज़्रि'** यानी फ़त्हुल क़दीर वग़ैरह में जो ये लिखा है कि मना की दलीलों के लेने में ज़्यादा एहतियात है, सो ये ज़ईफ़ है क्योंकि दक़ीक़ नज़र से देखा जाए तो यहाँ मना की कोई रिवायत ही नहीं है और मौलवी साहब मौसूफ़ तअलीक़ुल मुम्जिद पेज नं. 101 में लिखते हैं, **'लम यरिद फ़ी हदीषिन मर्फ़ूइन सहीहिन अन्नहयु अन क़िरातिल फ़ातिहति ख़ल्फ़ल इमामि व कुल्ल मा जकरूहु मर्फ़ूअन फ़ीहि अम्मा ला अस्ल लहू व अम्मा ला यसुह्हु इन्तिहा'** यानी इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने की मुमानअत किसी हदीषे मर्फ़ूअ सहीह में वारिद नहीं हुई है और मुमानअत के बारे में उलमा–ए–अह्नाफ़ जिस क़दर मर्फ़ूअ हदीषें बयान करते हैं या तो उनकी कुछ अस्ल ही नहीं है या वो सहीह नहीं हैं।

ऐ नाज़िरीन! देखो और तो और ख़ुद मज़हबे हनफ़ी के बड़े फ़ुक़हा व उलमा ने क़िराते फ़ातिहा, ख़ल्फ़े इमाम की हदीषों को देखकर इमाम अबू हनीफ़ा (रह) के मसलके मशहूर को छोड़कर इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को मुस्तहसन व मुस्तहब बताया है और ख़ुद भी पढ़ा है। कुछ फ़ुक़हा ने हर नमाज़ में सिर्री हो या जहरी और कुछ ने फ़क़त सिर्री में। और बक़ौल अल्लामा शअरानी ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा साहब (रह) व इमाम मुहम्मद (रह) ने भी उन ही हदीषों की वजह से अपने पहले क़ौल से रुजूअ करके नमाज़े सिर्री में इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को मुस्तहब व मुस्तहसन बताया है और मौलवी अब्दुल हय्यि साहब लखनवी हनफ़ी ने इस मसले में जो कुछ फ़ैसला किया और लिखा है। आप लोगों ने इसको भी सुन लिया।

मगर अभी तक कुछ हनफ़िया का यही ख़्याल है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ना हर नमाज़ में सिर्री हो ख़्वाह जहरी, (हर हालत में) नाजाइज़ व हराम है। और इमाम साहब (रह) के उसी मशहूर मसलक को (जिसकी कैफ़ियत मज़्कूर हो चुकी है) शाहराह (राजमार्ग, हाइवे) समझकर उसी पर चले जाते हैं । ख़ैर अगर इसी मसलक को शाह राह समझते थे, समझते और इसी पर चुपचाप जाते। लेकिन हैरत तो ये है कि साथ उसके क़िराते फ़ातिहा ख़ल्फ़े इमाम की इन हदीषों का भी साफ़ इंकार किया जाता है। जिनकी वजह से और तो और ख़ुद मज़हबे हनफ़ी के अइम्मा व फ़ुक़हा व उलमा ने इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ने को इख़्तियार कर लिया। या अगर इंकार नहीं किया जाता है तो उनकी मुह्मल और नाजाइज़ तावीलें की जाती हैं। और ज़्यादा

हैरत तो उन उ़लम–ए–ह़नफ़िया से है जो रिवायाते मौज़ूअ व काज़िबा (गढ़ी हुई व झूठी रिवायात) और आषारे मुख़्तलिफ़ा व बातिला को अपनी तफ़्सीलात में दर्ज करके और बयान करके अपने अवाम और जाहिल लोगों को फ़ित्ने में डालते हैं और उनकी ज़ुबान से और तो और ख़ुद अपने अइम्मा व फ़ुक़हा की शान में कलिमाते नाशाइस्ता और अल्फ़ाज़े नागुफ़्ताब (अशोभनीय बातें) निकलवाते हैं। कोई जाहिल बकता है कि इमाम के पीछे अल्हम्दु पढ़ेगा वो गुनाहगार है। **वल इयाज़ु बिल्लाहि। कबुरत कलिमतन तख़्रजु मिन अफ़्वाहिहिम** (अल कहफ़ : 5)

अगरचे ग़ौर से देखा जाए तो इन जाहिलों का ये क़ुसूर नम्बर दो में है और नम्बर अव्वल का क़ुसूर उन्हीं उ़लम–ए–ह़न्फ़िया का है, जो रिवायाते काज़िबा व मौज़ूआ को ज़िक्र करके इन जाहिलों को फ़ित्नों में डालते और उनकी ज़ुबान से अपने बुज़ुर्गाने दीन के मुँह में आग व पत्थर भरवाते हैं और जो चाहते हैं उनसे कहलवाते हैं। अगर ये लोग रिवायाते काज़िबा व मौज़ूआ का बयान न करते या बयान करते मगर उनका किज़्ब व मौज़ूअ होना भी साफ़–साफ़ ज़ाहिर करते और साथ इसके इस मज़्मून को भी वाज़ेह तौर पर बयान करते जो ऊपर हमने बयान किया है तो इन जाहिलों की ज़ुबान से ऐसे नागुफ़्ताब कलिमात हर्गिज़ न निकलते।

आँचमी पुर्सी के ख़ुस्रू राकिहे कुश्त — ग़म्ज़हे तु चश्म तु अबरूए तू

(तह्क़ीक़ुल कलाम, ह़िस्सा अव्वल पेज नं. 7)

हमारे मुह़तरम उ़लम–ए–अह्नाफ़ के पास भी कुछ दलाइल हैं जिनकी तफ़्सीली ह़क़ीक़त मा'लूम करने के लिये मुह़द्दिषे कबीर ह़ज़रत मौलाना अब्दुर्रह़मान साहब मुबारकपुरी की मशहूर किताब तह्क़ीक़ का मुतालआ किया जा सकता है। यहाँ हम इज्माली तौर पर उन दलाइल की ह़क़ीक़त ह़ज़रत मौलाना अब्दुल ह़य्यि ह़नफ़ी लखनवी मरहूम के लफ़्ज़ों में पेश कर देना चाहते हैं। मौसूफ़ उ़लम–ए–अह्नाफ़ के चोटी के आ़लिम हैं। मगर अल्लाह पाक ने आपको जो बसीरत अ़ता फ़र्माई वो क़ाबिले सद ता'रीफ़ है। चुनाँचे आपने नीचे लिखे बयान में इस बहूष का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया है। आप फ़र्माते हैं, **'लम यरिद फ़ी हदीषिन मर्फ़ूइन सह़ीहिन अन्नहु अन किरातिल फ़ातिहति ख़ल्फ़ल इमामि व कुल्ल मा ज़करूहु मर्फ़ूअन फ़ीहि अम्मा ला अस्ल लहू व अम्मा ला यसिह्हु'** (तअ़लीक़ुल मुम्जिद अ़ला मुअत्ता इमाम मालिक पेज नं. 101 त़बअ़ यूसुफ़ी)

यानी किसी मर्फ़ूअ ह़दीष में इमाम के पीछे सूरह फ़ातिह़ा पढ़ने की नही (मना) वारिद नहीं हुई और इसके बारे में उ़लम–ए–अह्नाफ़ जिस क़दर दलाइल ज़िक्र करते हैं या तो वो बिलकुल बेअसल और मनघड़ंत हैं, या वो सह़ीह़ नहीं।

'फ़ज़हर अन्नहू ला यूजदु मुआरिज़ुन लिआदीषि तज्वीज़िल किराति ख़ल्फ़ल इमामि मर्फ़ूअन' (तअ़लीक़ुल मुम्जिद पेज नं. 101 त़बअ़ यूसुफ़ी) यानी इमाम के पीछे (सूरह फ़ातिह़ा) पढ़ने की अह़ादीष के मुआरिज़ व मुख़ालिफ़ कोई मर्फ़ूअ ह़दीष नहीं पाई जाती।

ह़नफ़िया के दलाइल के जवाब ज़िक्र करने के बाद फ़र्माते है, **'व बिल जुम्लति ला यज़ हरू लिअहादीषि तज्वीजिल किराति ख़ल्फ़ल इमामि मुआरिज़ुन युसावीहा फ़िद्दरजति व यदुल्लु अ़लल्मनइ'** (तअ़लीक़ुल मुम्जिद पेज नं. 101) यानी बातचीत का ख़ुलासा ये है कि इमाम के पीछे (सूरह फ़ातिह़ा) पढ़ने की अह़ादीष के दर्जे की कोई मुआरिज़ व मुख़ालिफ़ ह़दीष नहीं है और न ही (इमाम के पीछे सूरह फ़ातिह़ा पढ़ने के) मना पर कोई ह़दीष दलालत करती है।

उम्मीद है कि नाज़िरीने किराम के इत्मीनान ख़ातिर के लिए इसी क़दर काफ़ी होगा। अपना मक़्सद सिर्फ़ यही है कि सूरह फ़ातिह़ा ख़ल्फ़ुल इमाम पढ़ने वालों से ह़सद बुग़्ज़ रखना, उनको ग़ैर मुक़ल्लिद, ला मज़हब कहना ये किसी त़रह़ भी ज़ेबा नहीं है। ज़रूरी है कि ऐसे फ़ुरूई मबाह़िष में वुस्अ़ते क़ल्बी से काम लेकर बाहमी इत्तिफ़ाक़ के लिये कोशिश की जाए जिसकी आज सख़्त ज़रूरत है। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़।

नोट :– कुछ लोग इस आयत को **'व इज़ा क़ुरिअल्क़ुर्आन'** से सूरह फ़ातिह़ा न पढ़ने की दलील पकड़ते हैं ह़ालाँकि ये आयत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई जबकि नमाज़ बा जमाअ़त का सिलसिला ही न था, लिहाज़ा इस्तिदलाल बातिल है। तफ़्सीले मज़ीद के लिए षनाई तर्जुमा वाले क़ुर्आन मजीद के आख़िर में मक़ाला षनाई का मुतालआ किया जाए। (राज़)

(757) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने उ़बैदुल्लाह उ़मरी से बयान किया,

٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي

कहा कि मुझसे सईद बिन अबी सईद मक़्बरी ने अपने बाप अबू सईद मक़्बरी से बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाए उसके बाद एक और शख़्स आया। उसने नमाज़ पढ़ी, फिर नबी करीम (ﷺ) को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देकर फ़र्माया कि वापस जा और नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। वो शख़्स वापस गया और पहले की तरह नमाज़ पढ़ी और फिर आकर सलाम किया। लेकिन आपने इस बार भी यही फ़र्माया कि वापस जा और दोबारा नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। आपने इस तरह तीन बार किया। आख़िर उस शख़्स ने कहा कि उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ मबऊ़स किया है। मैं इसके अलावा और कोई अच्छा तरीक़ा नहीं जानता, इसलिये आप मुझे नमाज़ सिखा दीजिए। आपने फ़र्माया कि जब नमाज़ के लिए खड़े हो तो पहले तक्बीर कह। फिर आसानी के साथ जितना क़ुर्आन तुझको याद है पढ़। उसके बाद रुकूअ़ कर, अच्छी तरह से रुकूअ़ हो ले तो फिर सर उठाकर पूरी तरह खड़ा हो जा। उसके बाद सज्दा कर पूरे इत्मीनान के साथ। फिर सर उठा और अच्छी तरह बैठ जा। इसी तरह अपनी तमाम नमाज़ पूरी कर।

(दीगर मक़ाम : 793, 6251, 6252, 6667)

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ وَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) ، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))، (ثَلاَثًا). فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي: فَقَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا)).

[أطرافه في : ٧٩٣، ٦٢٥١، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧].

आँहज़रत (ﷺ) को हर बार ये उम्मीद रही कि वो ख़ुद दुरुस्त कर लेगा। मगर तीन बार देखकर आपने उसे ता'लीम फ़र्माई। अबू दाऊद की रिवायत में यूँ है कि तक्बीर कह फिर सूरह फ़ातिहा पढ़। इमाम अहमद व इब्ने हिब्बान की रिवायात में यूँ है कि जो तू चाहे वो पढ़ यानी क़ुर्आन में से कोई सूरत। यहीं से बाब का तर्जुमा निकला कि आपने उसको क़िराते क़ुर्आन का हुक्म फ़र्माया। क़ुर्आन मजीद में सबसे ज़्यादा आसानी के साथ याद होने वाली सूरत सूरह फ़ातिहा है। इसी के पढ़ने का आपने हुक्म दिया और आयते क़ुर्आन **'फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिन्हु'** (अल् मुज़्ज़म्मिल : 20) में भी सूरह फ़ातिहा ही का पढ़ना मुराद है।

बाब 96 : नमाज़े ज़ुहर में क़िरअत का बयान

٩٦– بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

(758) हमसे अबुन नोअ़मान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना वज़्ज़ाह यश्करी ने अ़ब्दुल मलिक बिन उ़मैर से बयान किया, उन्होंने जाबिर बिन समुरह से कि सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) ने हज़रत उ़मर (रज़ि.) से कहा। मैं उन (कूफ़ा वालों) को नबी करीम (ﷺ) की तरह नमाज़ पढ़ाता था। ज़ुहर और अ़स्र की दोनों नमाज़ें, किसी क़िस्म का

٧٥٨– حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: ((كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا. كُنْتُ أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ

नुक़्स उनमें नहीं छोड़ता था। पहली दो रकअ़तें लम्बी और दूसरी दो रकअ़तें हल्की। तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझको तुमसे उम्मीद भी यही थी। (राजेअ़ : 755)

وَأَخْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ)).

[راجع: ٧٥٥]

(759) हमसे अबू नुऐ़म फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने बयान किया, उन्होंने यह़्या बिन अबी कष़ीर से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी अकरम (ﷺ) ज़ुहर की पहली दो रकअ़तों में सूरह फ़ातिह़ा और हर रकअ़त में एक-एक सूरत पढ़ते थे, उनमें भी क़िरअत करते थे लेकिन आख़री दो रकअ़तें हल्की पढ़ाते थे कभी-कभी हमको भी कोई आयत सुना दिया करते थे। अ़स्र में आप (ﷺ) सूरह फ़ातिह़ा और सूरतें पढ़ते थे, उसकी भी पहली दो रकअ़तें लम्बी पढ़ते। इसी तरह़ सुबह़ की नमाज़ की पहली रकअ़त लम्बी करते और दूसरी हल्की।

(दीगर मक़ाम : 762, 776, 778, 779)

٧٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

[أطرافه في: ٧٦٢، ٧٧٦، ٧٧٨، ٧٧٩].

(760) हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ ने बयान किया कि कहा हमसे मेरे वालिद ने, उन्होंने कहा कि हमसे सुलैमान बिन मेहरान अअ़मश ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़म्मारा बिन उ़मैर ने बयान किया अबू मअ़मर अ़ब्दुल्लाह बिन मुख़बरह से, कहा कि हमने ख़ब्बाब बिन अरत से पूछा, क्या नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर और अ़स्र में क़िरअत किया करते थे? तो उन्होंने बतलाया कि हाँ! हमने पूछा कि आप लोगों को किस तरह मा'लूम होता था? फ़र्माया कि आपकी दाढ़ी मुबारक के हिलने से।

٧٦٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْنَا خَبَّابًا: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ : قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

बाब 97 : नमाज़े अ़स्र में क़िरअत का बयान

٩٧- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

(761) हमसे मुह़म्मद बिन यूसुफ़ बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने अअ़मश से, उन्होंने अ़म्मारा बिन उ़मैर से, उन्होंने अबू मअ़मर से कि मैंने ख़ब्बाब बिन अल अरत से पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ों में क़िरअत किया करते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ! मैंने

٧٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ : أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ

وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

कहा कि आँहज़रत (ﷺ) की क़िरअत करने को आप लोग किस तरह मा'लूम कर लेते थे? फ़र्माया कि आपकी दाढ़ी मुबारक के हिलने से।

٧٦٢- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا.[راجع: ٧٥٩]

(762) हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने हिशाम दस्तवाई से, उन्होंने यह्या बिन अबी कसीर से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) ज़ुहर और अस्र की दो रकआत में सूरह फ़ातिहा और एक-एक सूरत पढ़ते थे। और आप (ﷺ) कभी कभी कोई आयत हमें सुना भी दिया करते।

(राजेअ़ : 759)

तश्रीह : मक़्सूद ये है कि ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ में भी इमाम मुक़्तदी दोनों के लिए क़िराते सूरह फ़ातिहा और उसके बाद पहली दो रकआत में कुछ और क़ुर्आन पढ़ना ज़रूरी है। सूरह फ़ातिहा का पढ़ना तो इतना ज़रूरी है कि इसके पढ़े बग़ैर नमाज़ ही न होगी और कुछ आयात का पढ़ना बस मस्नून तरीक़ा है। ये भी मा'लूम हुआ कि सिर्री नमाज़ों में मुक़्तदियों को मा'लूम कराने के लिए इमाम अगर कभी किसी आयत को आवाज़ से पढ़ दे तो उससे सज्द–ए–सह्व लाज़िम नहीं आता। निसाई की रिवायत में है कि हम सहाबा आपसे सूरह लुक़्मान और सूरह वज़्ज़ारियात की आयत कभी कभार सुन लिया करते थे। कुछ रिवायतों में सूरह सब्बिहिस्मा और सूरह हल अताका हदीसुल ग़ाशिया का ज़िक्र आया है। बहरहाल इस तरह कभी कभार कोई आयत आवाज़ से पढ़ दी जाए तो कोई हर्ज नहीं।

٩٨- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

बाब 98 : नमाज़े मग़िरब में क़िरअत का बयान

٧٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا﴾ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

[طرفه في : ٤٤٢٩].

(763) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा से बयान किया, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने कहा कि उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) (उनकी माँ) ने उन्हें वल मुर्सलाति उर्फ़ा पढ़ते हुए सुना। फिर कहा कि ऐ बेटे! तुमने इस सूरत की तिलावत करके मुझे याद दिला दिया। मैं आख़िर उम्र में आँहज़रत (ﷺ) को मग़िरब में यही सूरत पढ़ते हुए सुनती थी।

(दीगर मक़ाम : 4429)

٧٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

(764) हमसे अबू आसिम नबील ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल मलिक इब्ने जरीह से, उन्होंने इब्ने अबी मुलैका (ज़ुहैर

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ.

बिन अ़ब्दुल्लाह) से, उन्होंने उ़र्वा बिन ज़ुबैर से, उन्होंने मरवान बिन हकम से, उसने कहा ज़ैद बिन ष़ाबित ने मुझे टोका कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मग़्रिब में छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हो। मैंने नबी करीम (ﷺ) को दो लम्बी सूरतों में से एक सूरत पढ़ते हुए सुना।

٩٩- بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

बाब 99 : मग़्रिब की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ना (चाहिए)

٧٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

[أطرافه في : ٣٠٥٠، ٤٠٢٣، ٤٨٥٤].

(765) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्होंने मुहम्मद बिन ज़ुबैर बिन मुत़इम से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मग़्रिब में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना था। (दीगर मक़ाम : 3050, 4023, 4754)

तश्रीह : मग़्रिब की नमाज़ का वक़्त थोड़ा होता है, इसलिए इसमें छोटी छोटी सूरतें पढ़ी जाती हैं। लेकिन अगर कभी कोई बड़ी सूरत भी पढ़ ली जाए तो ये भी मस्नून तरीक़ा है। ख़ास़ तौर पर सूरह तूर पढ़ना कभी सूरह मुर्सलात।

١٠٠- بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

बाब 100 : नमाज़े इशा में बुलन्द आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ना

٧٦٦- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ، قَالَ: سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

[أطرافه في : ٧٦٨، ١٠٧٤، ١٠٧٨].

(766) हमसे अबुन नोअ़मान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअ़तमिर बिन सुलैमान ने बयान किया अपने बाप से, उन्होंने अबूबक्र बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने अबू राफ़ेअ़ से, उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी। उसमें आपने इज़स्समाउन् शक़्क़त पढ़ी और सज्द-ए-(तिलावत) किया। मैंने उनसे इसके बारे में मा'लूम किया तो उसने बतलाया कि मैंने अबुल क़ासिम (ﷺ) के पीछे भी (इस आयत में तिलावत का) सज्दा किया है और ज़िन्दगी भर में उसमें सज्दा करूँगा, यहाँ तक कि मैं आपसे मिल जाऊँ। (दीगर मक़ाम : 768, 1074, 1078)

٧٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

[أطرافه في : ٧٦٩، ٤٩٥٢، ٧٥٤٦].

(767) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया अ़दी बिन ष़ाबित से, उन्होंने बयान किया कि मैंने बराअ बिन आ़ज़िब से सुना कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना। आप सफ़र में थे कि इशा की दो पहली रकअ़त में से किसी एक रकअ़त में आपने वत्तीनि वज़्ज़ैतून पढ़ी। (दीगर मक़ाम : 769, 4952, 7546)

बाब 101 : नमाज़े इशा में सज्दा की सूरत पढ़ना

١٠١- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

(768) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ ने बयान किया, कहा कि हमसे तैमी ने अबूबक्र से, उन्होंने अबू राफ़ेअ से, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ इशा पढ़ी, आपने इज़स्समाउन्न शक़्क़त पढ़ी और सज्दा किया। इस पर मैंने कहा कि ये सज्दा कैसा है? आपने जवाब दिया कि इस सूरत में मैंने अबुल क़ासिम (ﷺ) के पीछे सज्दा किया था। इसलिए मैं भी हमेशा इसमें सज्दा करूँगा, यहाँ तक कि आपसे मिल जाऊँ। (राजेअ : 766)

٧٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ، مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. [راجع: ٧٦٦]

बाब 102 : नमाज़े इशा में क़िरअत का बयान

١٠٢- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

(769) हमसे ख़ल्लाद बिन यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मिस्अर बिन कुदाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अदी बिन ष़ाबित ने बयान किया। उन्होंने बराअ (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इशा में 'वत्तीनि वज़्ज़ैतून' पढ़ते सुना। मैंने आपसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ और अच्छी क़िरअत वाला किसी को नहीं पाया। (राजेअ : 767)

٧٦٩- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ فِي الْعِشَاءِ، مَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً. [راجع: ٧٦٧]

बाब 103 : इशा की पहली दो रकअतें लम्बी और आख़िरी दो रकअतें हल्की करनी चाहिए

١٠٣- بَابُ يُطَوِّلُ فِي الأُوْلَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

(770) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने अबू औन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ष़क़फ़ी से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन समुरा से सुना, उन्होंने बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से कहा कि आपकी शिकायत कूफ़ा वालों ने तमाम ही बातों में की है, यहाँ तक कि नमाज़ में भी। उन्होंने कहा कि मेरा अमल तो ये है कि पहली दो रकअत में क़िरअत लम्बी करता हूँ और दूसरी दो रकअतें हल्की जिस तरह मैंने नबी करीम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी थी उसमें किसी क़िस्म की कमी नहीं करता। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि सच कहते

٧٧٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلاَةِ. قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ الأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: صَدَقْتَ، ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ظَنِّي بِكَ.

हो। तुमसे उम्मीद भी इसी की है।

तश्रीह : पहली दो रकआत में लम्बी क़िरात करना और दूसरी दो रकआत में मुख़्तसर करना यानी सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पर किफ़ायत करना यही मस्नून तरीक़ा है। हज़रत उमर (रज़ि) ने हज़रत सअद (रज़ि) का बयान सुनकर इज़्हारे इत्मीनान किंया मगर कूफ़ा के हालात के पेशे नज़र हज़रत सअद (रज़ि) को वहाँ से बुला लिया। जो हज़रत उमर (रज़ि) की कमाले दूरअंदेशी की दलील है। कुछ मवाक़ेअ पर ज़िम्मेदारों को ऐसा इक़दाम करना ज़रूरी हो जाता है।

बाब 104 : नमाज़े फ़ज्र में कुर्आन शरीफ़ पढ़ना और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहाकि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह तूर पढ़ी

١٠٤- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ
وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِالطُّورِ.

(771) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे सय्यार इब्ने सलामा ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मैं अपने बाप के साथ अबू बर्ज़ा असलमी सहाबी (रज़ि.) के पास गया। हमने आपसे नमाज़ के वक़्तों के बारे में पूछा तो उन्होंनें कहा कि नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ सूरज ढलने पर पढ़ते थे। अस्र जब पढ़ते तो मदीना के इंतिहाई किनारे तक एक शख़्स चला जाता, लेकिन सूरज अब भी बाक़ी रहता। मग़्रिब के बारे में जो कुछ आपने कहा वो मुझे याद नहीं रहा और इशा के लिए तिहाई रात तक देर करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे और आप इससे पहले सोने को और बाद में बातचीत करने को नापसंद करते थे। जब नमाज़े सुबह से फ़ारिग़ होते तो हर शख़्स अपने पास बैठे हुए को पहचान सकता था। आप दोनों रकआत में या एक में साठ से सौ तक आयतें पढ़ते थे। (राजेअ : 541)

٧٧١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. [راجع: ٥٤١]

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) ने कहा कि ये शुअबा ने शक किया है। तबरानी में इसका अंदाज़ा सूरह अल् हाक़्क़ा मज़्कूर है। इब्ने अब्बास (रज़ि) की हदीष में है कि रसूले करीम (ﷺ) जुम्आ के दिन सुबह की नमाज़ में पहली रकअत में अलिफ़ लाम मीम तनज़ीलुल किताब और दूसरी रकअत में सूरह अद् दहर पढ़ा करते थे। जाबिर बिन समुरा की रिवायत में आपका फ़ज्र की नमाज़ में सूरह क़ाफ़ पढ़ना भी आया है। कुछ रिवायात में वस् साफ़्फ़ात और सूरह वाक़िया पढ़ना भी मज़्कूर हुआ है। बहरहाल फ़ज्र की नमाज़ में क़िराते कुर्आन तवील करना मक़सूद है। ये वो मुबारक नमाज़ है जिसमें क़िराते कुर्आन सुनने के लिए ख़ुद फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं ।

(772) हमसे मुसद्दद बिन मुसरहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमें

٧٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ

अब्दुल मलिक इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अता बिन अबी रबाह ने ख़बर दी कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, वो फ़र्माते थे कि हर नमाज़ में क़ुर्आन मजीद की तिलावत की जाएगी। जिनमें नबी करीम (ﷺ) ने हमें क़ुर्आन सुनाया था हम भी तुम्हें उनमें सुनाएँगे और जिन नमाज़ों में आपने आहिस्ता क़िरअत की हम भी उसमें आहिस्ता ही क़िरअत करेंगे और अगर सूरह फ़ातिहा ही पढ़ो जब भी काफ़ी है। लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ लो तो और बेहतर है।

جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ. وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

बाब 105 : फ़ज्र की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से क़ुर्आन मजीद पढ़ना

١٠٥- بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاَةِ الْفَجْرِ

और उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने लोगों के पीछे होकर का'बा का तवाफ़ किया। उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) (नमाज़ में) सूरह तूर पढ़ रहे थे।

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ.

(773) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अवाना वज़्ज़ाह यश्करी ने अबू बिश्र से बयान किया, उन्होंने अबू सईद बिन जुबैर से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) एक बार कुछ सहाबा (रज़ि.) के साथ उकाज़ के बाज़ार की तरफ़ गए, उन दिनों शयातीन को आसमान की ख़बरें लेने से रोक दिया गया था और उन पर अंगारे (शिहाबे ष़ाक़िब) फेंके जाने लगे थे तो वो शयातीन अपनी क़ौम के पास आए और पूछा कि बात क्या हुई? उन्होंने कहा कि हमें आसमान की ख़बरें लेने से रोक दिया गया है और (जब हम आसमान की तरफ़ जाते हैं तो) हम पर शिहाबे ष़ाक़िब फेंके जाते हैं। शयातीन ने कहा कि आसमान की ख़बरें लेने से रोकने की कोई नई वजह हुई है। इसलिए तुम मश्रिक़ व मग़रिब में हर तरफ़ फैल जाओ और इस सबब को मा'लूम करो जो तुम्हें आसमान की ख़बरें लेने से रोकने का सबब हुआ है। वजह मा'लूम करने के लिए निकले हुए शयातीन तिहामा की तरफ़ गए जहाँ नबी करीम (ﷺ) उकाज़ के बाज़ार को जाते हुए मक़ामे नख़्ला में अपने अस्हाब के साथ नमाज़े फ़ज्र पढ़ रहे थे। जब क़ुर्आन मजीद उन्होंने सुना तो ग़ौर से उसकी तरफ़ कान लगा दिए। फिर कहा। अल्लाह की क़सम! यही है जो आसमान की

٧٧٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا : مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا : حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ

113

ख़बरें सुनने से रोकने का बाइ़ष़ बना है। फिर वो अपनी क़ौम की तरफ़ लौटे और कहा क़ौम के लोगों! हमने हैरत अंगेज़ क़ुर्आन सुना जो सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत करता है। इसलिए हम उस पर ईमान लाते हैं और अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। इस पर नबी करीम (ﷺ) पर ये आयत नाज़िल हुई 'क़ुल ऊहिया इलय्य' (आप कहिए कि मुझे वह्य के ज़रिये बताया गया है) और आप पर जिन्नों की बातचीत वह्य की गई थी।

(दीगर मक़ाम : 4921)

الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا: ﴿يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ. [طرفه في : ٤٩٢١].

तश्रीह : उकाज़ एक मण्डी का नाम था, जो मक्का शरीफ़ के क़रीब क़दीम ज़माने से चली आ रही थी, आँहज़रत (ﷺ) अपने अस्ह़ाब समेत ऐसे आ़म इज्तिमाआ़त में तशरीफ़ ले जाते और तब्लीग़े इस्लाम फ़र्माया करते थे। चुनाँचे आप उस जगह जा रहे थे कि बत़्न नख़्ला वादी में फ़ज्र का वक़्त हो गया और आपने स़ह़ाबा किराम (रज़ि) को फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। जिसमें जिन्नों की एक जमाअ़त ने क़ुर्आन पाक सुना और मुसलमान हो गये। सूरह जिन्न में उन ही जिन्नों का ज़िक्र है। ह़दीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र में बा आवाज़े बुलन्द क़िरात फ़र्माई। मग़रिब और इशा और फ़ज्र इन वक़्तों की नमाज़ें जहरी कहलाती हैं कि उनकी शुरू वाली रकअ़तों में बुलन्द आवाज़ से क़िरात की जाती है।

(774) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अ़लिया ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़ितयानी ने इक्रिमा से बयान किया, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) को जिन नमाज़ों में बुलन्द आवाज़ से क़ुर्आन मजीद पढ़ने का हुक्म हुआ था उनमें आपने बुलन्द आवाज़ से पढ़ा और जिनमें आहिस्ता पढ़ने का हुक्म हुआ था उनमें आहिस्ता से पढ़ा और तेरा रब भूलने वाला नहीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है।

٧٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أُمِرَ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾. ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

बाब 106 : एक रकअ़त में दो सूरतें एक साथ पढ़ना

١٠٦- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ

और सूरत के आख़िरी ह़िस़्सों का पढ़ना और तर्तीब के ख़िलाफ़ सूरतें पढ़ाना या किसी सूरत को (जैसा कि क़ुर्आन शरीफ़ की तर्तीब है) उससे पहले की सूरत से पहले पढ़ना और किसी सूरत के पहले ह़िस़्से का पढ़ना ये सब दुरुस्त है। और अ़ब्दुल्लाह बिन साइब से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ में सूरह

وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى

وَهَارُوْنَ أَوْ ذِكْرُ عِيْسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ الْمَثَانِي. وَقَرَأَ الأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الأُوْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوْسُفَ أَوْ يُوْنُسَ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِهِمَا. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِأَرْبَعِيْنَ آيَةً مِنَ الأَنْفَالِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وَقَالَ قَتَادَةُ - فِيْمَنْ يَقْرَأُ سُوْرَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُرَدِّدُ سُوْرَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ -: كُلٌّ كِتَابُ اللهِ.

मुअमिनून तिलावत फ़र्माई, जब आप ह़ज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ह़ज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पर पहुँचे या ह़ज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पर पहुँचे तो आपको खांसी होने लगी, इसलिए रुकूअ फ़र्मा दिया और ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने पहली रकअत में सूरह बक़र की एक सौ बीस आयतें पढ़ीं और दूसरी रकअत में मषानी (जिसमें तक़रीबन सौ आयतें होती हैं) में से कोई सूरत तिलावत की और ह़ज़रत अहनफ़ (रज़ि.) ने पहली रकअत में सूरह कहफ़ और दूसरी रकअत में सूरह यूसुफ़ या सूरह यूनुस पढ़ी और कहा कि ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने सुबह की नमाज़ में ये दोनों सूरतें पढ़ी थीं। इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने सूरह अन्फ़ाल की चालीस आयतें (पहली रकअत में) पढ़ीं और दूसरी रकअत में मुफ़स्सल की कोई सूरत पढ़ीं और क़तादा (रज़ि.) ने उस शख़्स के बारे में जो एक रकअत में तक़्सीम करके पढ़े या एक सूरह दो रकअतों में बार-बार पढ़े, फ़र्माया कि सारी ही किताबुल्लाह में से हैं। (लिहाज़ा कुछ हर्ज नहीं)

٧٧٤ - وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّوْرَةِ ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ: وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ. وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا

(774ब) उबैदुल्लाह बिन उमर ने षाबित (रज़ि.) से उन्होंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से नक़ल किया कि अंसारी में से एक शख़्स (कुलषुम बिन हिदम) क़ुबा की मस्जिद में लोगों की इमामत किया करता था। वो जब भी कोई सूरह (सूरह फ़ातिहा के बाद) शुरू करता तो पहले क़ुल हुवल्लाहु अह़द पढ़ लेता। फिर कोई दूसरी सूरह पढ़ता। हर रकअत में उसका यही अमल था। उसके साथियों ने इस सिलसिले में उस पर ए'तिराज़ किया और कहा कि तुम पहले ये सूरह पढ़ते हो और सिर्फ़ उसी को काफ़ी ख़याल नहीं करते बल्कि दूसरी सूरह भी (उसके साथ) ज़रूर पढ़ते हो। या तो तुम्हें सिर्फ़ उसी को पढ़ना चाहिए वरना उसे छोड़ देना चाहिए और बजाए उसके कोई दूसरी सूरह पढ़नी चाहिए। उस शख़्स ने कहा कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता अब अगर तुम्हें पसंद है कि मैं नमाज़ पढ़ाऊँ तो बराबर पढ़ाता रहूँगा। वरना मैं नमाज़ पढ़ाना छोड़ दूँगा, लोग समझते थे कि ये उन सबसे अफ़ज़ल हैं इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और नमाज़ पढ़ाए। जब नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो उन लोगों ने आपको वाक़िए की

أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ- فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: ((يَا فُلاَنُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟)) فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: ((حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ)).

ख़बर दी। आप (ﷺ) ने उनको बुलाकर पूछा कि ऐ फ़लाँ! तुम्हारे साथी जिस तरह कहते हैं इस पर अमल करने से तुमको कौनसी रुकावट है और हर रकअत में इस सूरह को ज़रूरी क़रार देने का सबब क्या है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर! मैं इस सूरह से मुहब्बत करता हूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस सूरह की मुहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी।

आपने उनके इस फ़ेअल पर सुकूत फ़र्माया बल्कि तहसीन फ़र्माई। ऐसी अहादीष को तक़रीरी कहा गया है।

٧٧٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ. لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ. فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

[طرفاه في : ٤٩٩٦، ٥٠٤٣].

(775) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन मुर्रह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबुल वाइल शक़ीक़ बिन मुस्लिम से सुना कि एक शख़्स अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि मैंने रात एक रकअत में मुफ़स्सल की कोई सूरत पढ़ी। आपने फ़र्माया कि क्या इस तरह (जल्दी-जल्दी) पढ़ी जैसे शे'र पढ़े जाते हैं। मैं उन हम—मा'नी सूरतों को जानता हूँ जिन्हें नबी करीम (ﷺ) एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। आपने मुफ़स्सल की बीस सूरतों का ज़िक्र किया। हर रकअत के लिए दो-दो सूरतें।

(दीगर मक़ाम : 4996, 5043)

١٠٧- بَابُ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

बाब 107 : पिछली दो रकआत में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ना

٧٧٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي

(776) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी कष़ीर के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने बाप अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) ज़ुहर की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा और दो सूरतें पढ़ते थे और आख़िरी दो रकअतों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ते। कभी-कभी हमें एक आयत सुना भी दिया करते थे और पहली रकअत में क़िरअत दूसरी रकअत से ज़्यादा करते थे। अस्र और सुबह की नमाज़ों मे भी आपका यही मअमूल था (हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है)

(राजेअ : 759)

الصُّبْحِ. [راجع: ٧٥٩]

बाब 108 : जिसने ज़ुहर और अस्र में आहिस्ता से क़िरअत की

١٠٨- بَابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

(777) हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अब्दुल हमीद ने अअमश से बयान किया, वो अम्मार बिन इमैर से, वो अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन मुंजिर से, उन्होंने बयान किया कि हमने ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) से कहा कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर और अस्र में क़ुर्आन मजीद पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! हमने पूछा कि आपको मा'लूम किस तरह होता था। उन्होंने बतलाया कि आप (ﷺ) की रीशे मुबारक के हिलने से।

٧٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ: قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: (أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ).

बाब 109 : अगर इमाम सिर्री नमाज़ में कोई आयत पुकार कर पढ़ दे कि मुक़्तदी सुन लें, तो कोई क़बाहत नहीं

١٠٩- بَابُ إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

(778) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम अब्दुर्रहमान औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यह्या बिन अबी कषीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अ ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने बयान किया, वो अपने वालिद अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी (ﷺ) ज़ुहर और अस्र की पहली दो रकअ तों में सूरह फ़ातिहा और कोई सूरह पढ़ते थे। कभी कभी आप कोई आयत हमें सुना भी दिया करते थे। पहली दो रकअत में क़िरअत ज़्यादा लम्बी करते थे। (राजेअ : 759)

٧٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيْلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى). [راجع: ٧٥٩]

बाब 110 : पहली रकअत (में क़िरअत) लम्बी होनी चाहिए

١١٠- بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

(779) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उन्होंने यह्या बिन अबी कषीर से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से, उन्होंने अपने वालिद अबू क़तादा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर की पहली रकअत में (क़िरअत)

٧٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ،

लम्बी करते थे और दूसरी रकअ़त में हल्की। सुबह की नमाज़ में भी आप उसी तरह करते थे। (राजेअ़ : 759)

وَيُقَصِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ. [راجع: ٧٥٩]

बाब 111 : (जहरी नमाज़ों में) इमाम का बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना

١١١- بَابُ جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِيْنِ

मस्नून है और अ़ता बिन अबी रबाह ने कहा कि आमीन एक दुआ है और अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) और उन लोगों ने जो आपके पीछे (नमाज़ पढ़ रहे) थे, इस ज़ोर से आमीन कही कि मस्जिद गूंज उठी और ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) इमाम से कह दिया करते थे कि आमीन से हमें महरूम न रखना और नाफ़ेअ़ ने कहा कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) आमीन कभी नहीं छोड़ते थे और लोगों को उसकी तर्ग़ीब भी दिया करते थे। मैंने आपसे उसके बारे में एक ह़दीष़ भी सुनी थी।

وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِيْنَ دُعَاءٌ. أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ: لاَ تَفُتْنِي بِآمِيْنَ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدَعُهُ، وَيَحُضُّهُمْ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا.

(780) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान के वास्ते से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ हो गई उसके तमाम गुनाह मुआ़फ़ कर दिये जाएँगे। इब्ने शिहाब ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आमीन कहते थे।

(दीगर मक़ाम : 2402)

٧٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((آمِيْنَ)).

[طرفه في : ٢٤٠٢].

बाब 112 : आमीन कहने की फ़ज़ीलत

١١٢- بَابُ فَضْلِ التَّأْمِيْنِ

(781) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से ख़बर दी, उन्होंने अअ़रज से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब कोई तुममें से आमीन कहे और फ़रिश्तों ने भी उसी वक़्त आसमान पर आमीन कही। इस तरह एक की आमीन दूसरे की आमीन के साथ मिल गई तो उसके

٧٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। ذَنْبِهِ)).

अलहम्दु शरीफ़ के ख़ात्मे पर फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। सिर्री में पस्त आवाज़ से और जहरी में बुलन्द आवाज़ से, पस जिस नमाज़ी की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, उसका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह पाक हर मुसलमान का बेड़ा पार लगाए।

बाब 113 : मुक़्तदी का आमीन बुलन्द आवाज़ से कहना

١١٣- بَابُ جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

(782) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़नी ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान के ग़ुलाम सुमय से, उन्होंने अबू स़ालेह सम्मान से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब इमाम 'ग़ैरिल मग़ज़ूबि अ़लैहिम वलज़्ज़ाल्लीन' कहे तो तुम भी आमीन कहो क्योंकि जिसने फ़रिश्तों के साथ आमीन कही उसके पीछे के तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते हैं। सुमय के साथ इस ह़दीष़ को मुहम्मद बिन अ़म्र ने भी अबू सलमा से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया। और नुऐ़म मज्मर ने भी अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से।

(दीगर मक़ाम : 4475)

٧٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفه في : ٤٤٧٥].

मुक़्तदी इमाम की आमीन सुनकर आमीन कहेंगे, इसी से मुक़्तदियों के लिए आमीन बिल जहर का इष़्बात हुआ। बनज़रे इंस़ाफ़ मुत़ालआ़ करने वालों के लिए यही काफ़ी है। तअ़स्सुबे मसलकी का दुनिया में कोई इलाज नहीं।

तश्रीह : जहरी नमाज़ों में सूरह फ़ातिह़ा के इख़्तिमाम पर इमाम और मुक़्तदियों के लिए बुलन्द आवाज़ से आमीन कहना ये भी एक ऐसी बहष़ है जिस पर फ़रीक़ेन ने कितने ही स़फ़्ह़ात स्याह (कागज़ काले) कर डाले हैं। यही नहीं बल्कि इस पर बड़े—बड़े फ़सादात भी हो चुके हैं। मुह़तरम बिरादराने अह़नाफ़ ने कितनी मसाजिद से आमीन बिल जहर के आ़मिलीन को निकाल दिया, मारा-पीटा और मामला सरकारी अ़दालतों तक पहुँचा है। यही वजह हुई कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए अहले ह़दीष़ ह़ज़रात ने अपनी मसाजिद अलग ता'मीर कीं और इस तरह ये फ़साद कम हुआ। अगर ग़ौर किया जाए तो अ़क़्लन व नक़्लन ये झगड़ा हर्गिज़ न होना चाहिए था। लफ़्ज़े आमीन का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह! मैंने जो दुआएँ तुझसे की हैं उनको क़ुबूल फ़र्मा ले। ये लफ़्ज यहूद व नस़ारा में भी मुस्तअ़मल (प्रयुक्त Used) रहा और इस्लाम में भी इसे इस्ते'माल किया गया। जहरी नमाज़ों मे इसका ज़ोर से कहना कोई अम्रे क़बीह़ न था। मगर स़द अफ़सोस कि कुछ उ़लमा—ए—सू ने राई को पहाड़ बना दिया। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों में सर फुटव्वल हुई और अ़र्से के लिये दिलों में काविश पैदा हो गई।

सय्यदना ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) ने यहाँ बाब मुनअ़क़िद करके और उसके तहत अह़ादीष़ लाकर इस बहष़ का ख़ात्मा कर दिया। फिर भी बहुत से लोग तफ़्स़ीलात का शौक़ रखते हैं। लिहाज़ा हम इस बारे में एक तफ़्स़ीली मक़ाला पेश कर रहे हैं जो मुत्तह़िदा (अखण्ड) भारत के एक ज़बरदस्त फ़ाज़िल उस्ताज़ ह़ज़रत मौलाना ह़ाफ़िज़ अ़ब्दुल्लाह स़ाह़ब रोपड़ी (रह़) के ज़ोरे क़लम का नतीजा है। इसमें दलाइल के साथ साथ उन पर ए'तिराज़ात वारिदा के भी काफ़ी शाफ़ी जवाबात दिये गये हैं। चुनाँचे ह़ज़रत मौलाना स़ाह़ब क़ुद्दस सिर्रुहु फ़र्माते हैं :

बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने के बारे में अहादीष़ व आष़ार और उलम-ए-अहनाफ़ के फ़तावे

अहादीष़ : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) फ़र्माते हैं, **'कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा तला ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन क़ाल आमीन हत्ता यस्मअ़ मंय्यलीहि मिनस्सफ़्फ़िल अव्वलि'** (अबू दाऊद पेज नं. 134 तबअ़ देहली)

तर्जुमा : रसूलुल्लाह (ﷺ) जब **ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन** पढ़ते तो आमीन कहते। यहाँ तक कि जो पहली सफ़ में आपके नज़दीक थे, वो सुन लेते।

इस हदीष़ पर हनफ़िया की तरफ़ से दो ए'तिराज़ होते हैं,

एक ये कि इस हदीष़ की इस्नाद में बिश्र बिन राफ़ेअ़ अल हारिष़ी अबुल अस्बात एक रावी है। इसके बारे में नस्बुर्राया जिल्द 1 पेज नं. 371 में अल्लामा ज़ेलई हनफ़ी लिखते हैं, **'ज़अ़अफ़हुल् बुख़ारी वत्तिर्मिज़ी वन्नसइ व अह़मद वब्नु मईन वब्नु हिब्बान'** इसको इमाम बुख़ारी, तिर्मिज़ी, नसाई, अहमद, इब्ने मुईन और इब्ने हिब्बान (रह) ने ज़ईफ़ कहा है।

दूसरा ए'तिराज़ ये है कि एक रावी अबू अब्दुल्लाह इब्ने अम्मे अबू हुरैरह (रज़ि) है। जो बिश्र बिन राफ़ेअ़ का उस्ताज़ है, इसके बारे में ज़ेलई (रह) लिखते हैं : कि उसका हाल मा'लूम नहीं और बिश्र बिन राफ़ेअ़ के सिवा उससे किसी ने रिवायत नहीं की। यानी ये मज्हूलुल ऐन है, उसकी शख़्सियत का पता नहीं।

जवाब ए'तिराज़े अव्वल : ख़ुलासा तज़हीबुल कमाल के पेज नं. 41 में बिश्र बिन राफ़ेअ़ के बारे में लिखा है, **वष़्ष़कहू इब्नु मईन व इब्नु अदी व कालल बुख़ारी वला युताबउ़ अलैहि** यानी इब्ने मुईन और इब्ने अदी ने इसको ष़िक़ा कहा है और इमाम बुख़ारी (रह) ने कहा है। इसकी मुवाफ़क़त नहीं की जाती।

इससे मा'लूम हुआ कि कोई ज़ईफ़ कहता है और कोई ष़िक़ा और ये भी मा'लूम हुआ कि ज़ईफ़ कहने वालों ने ज़ुअ़फ़ की वजह बयान नहीं की और ऐसी जरह को जरहे मुब्हम कहते हैं और उसूल का क़ायदा है :

ष़िक़ा कहने वालों के मुक़ाबले में ऐसी जरह का ए'तिबार नहीं। हाँ अगर वजह ज़ुअ़फ़ बयान कर दी जाती तो ऐसी जरह बेशक तअ़दील पर मुक़द्दम होती और ऐसी जरह को जरहे मुफ़स्सर कहते हैं।

फिर इमाम बुख़ारी (रह) का कहना कि इसकी मुवाफ़क़त नहीं की जाती। ये बहुत हल्की जरह है। ऐसे रावी की हदीष़ हसन दर्जे से नहीं गिरती। ग़ालिबन इसी लिए अबू दाऊद (रह) और मुंज़री ने इस पर सुकूत किया है और इससे दूसरे ए'तिराज़ का जवाब भी निकल आया क्योंकि अबू दाऊद जिस हदीष़ पर सुकूत करते हैं। वो उनके नज़दीक अच्छी होती है और मज्हूलुल ऐन की रिवायत ज़ईफ़ होती है। पस अबू अब्दुल्लाह मज्हुलुल ऐन न हुआ, वरना सुकूत न करते। अलावा उसके अल्लामा ज़ेलई (रह) को ग़लती लगी है, ये मज्हूल नहीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) तक़रीब में लिखते हैं। मक़्बूल यानी उसकी हदीष़ मोतबर है।

इमाम दारे क़ुत्नी (रह) कहते हैं। इस हदीष़ की इस्नाद हसन है। मुस्तदरक हाकिम में है कि ये हदीष़ बुख़ारी मुस्लिम की शर्त पर सहीह है। इमाम बैहक़ी कहते हैं। हसन सहीह है। (नैलुल औतार जिल्द 2 पेज नं. 117 तबअ़ मिस्र)

तम्बीह : नसबुर्राया जिल्द 1 पेज नं. 371 के हाशिये में लिखा है कि इसकी इस्नाद में इस्हाक़ बिन इब्राहीम बिन अल्अला ज़ुबैदी ज़ईफ़ है।

मगर जो जरह मुफ़स्सर ष़ाबित नहीं हुई। इसलिए दारे क़ुत्नी ने इसको हसन कहा है और हाकिम ने सहीह और बैहक़ी

ने ह़सन स़हीह़ और मीज़ानुल ए'तिदाल में जो औफ़ ताई से इसका झूठा होना ज़िक्र है । ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़) ने तक़रीब में इसकी तर्दीद कर दी है और ख़ुलास़ा तज़्हीबुल कमाल में औफ़ताई के इन अल्फ़ाज़ को नक़ल ही नहीं किया। ह़ालाँकि वो ख़ुलास़ा वाले मीज़ानुल ए'तिदाल से लेते हैं।

(2) ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) फ़र्माते हैं : **'अन अबी हुरैरत क़ाल तरकन्नासुत्तामीन कान रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा क़ाल ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन क़ाल आमीन हत्ता यस्मअहा अहलुस्सफ़्फ़िल अव्वलि'**

तर्जुमा : अबू हुरैरह (रज़ि) कहते हैं, लोगों ने आमीन छोड़ दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब **ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन** कहते तो आमीन कहते। यहाँ तक कि पहली स़फ़ सुन लेती। पस (बहुत आवाज़ों के मिलने से) मस्जिद गूंज जाती। (इब्ने माजा पेज नं. 62 त़बअ देहली)

इस ह़दीष़ की स़ेह़त भी वैसी ही है। जैसी पहली ह़दीष़ की। मुलाह़ज़ा हो नैलुल औतार जिल्द 2 पेज नं. 117 तबअ मिस्र)

(3) **'अन उम्मिल्हुसैनि अन्नहा कानत तुस़ल्ली ख़ल्फ़न्नबिय्यि ﷺ फ़ी स़फ़्फ़ीन्निसाइ फ़समिअतुहू यक़ूलुअल्हम्दुल्लिाहि रब्बिल आलमीनर्रह़्मानिर्रह़ीम मालिकि यौमिद्दीनि हत्ता इज़ा बलग़ ग़ैरिल्मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन क़ाल आमीन'** (मज्मउज़्ज़वाइद हैष़मी जिल्द 2 पेज नं. 114 तख़रीज हिदाया ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर पेज नं. 78)

तर्जुमा : उम्मुल हुसैन (रज़ि) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे औरतों की स़फ़ में नमाज़ पढ़ा करती थीं (वो कहती हैं) मैंने आपको ये पढ़ते हुए सुना। **अल्ह़म्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रह़मानिर्रह़ीम. मालिकि यौमिद्दीन।** यहाँ तक कि **ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन** पर पहुँचते तो आमीन कहते। यहाँ तक कि मैं सुनती और मैं औरतों की स़फ़ में होती।

मज़्कूरा बाला ह़दीष़ में एक रावी इस्माईल बिन मुस्लिम मक्की है। इस पर ज़ेलई (रह़) ने और ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़) ने तो सुकूत किया। मगर हैष़मी ने उसको ज़ईफ़ कहा है। ख़ैर अगर ज़ईफ़ हो तो दूसरी रिवायतें मज़्कूरा बाला और आने वाली रिवायतें इसको तक़्वियत देती हैं।

तम्बीह : कभी पहली स़फ़ का सुनना और कभी पिछली स़फ़ों तक आपकी आवाज़ का पहुँच जाना। इसकी वजह ये है कि कभी आप आमीन फ़ातिह़ा की आवाज़ के बराबर कहते और कभी मामूली आवाज़ से।

(4) **'अख़रजहू अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी अन सुफ़्यान अन सल्मतब्नि कुहैलिन अन हुज्रिब्नि अम्बस अन वाइलिब्नि हुज्रिन वल्लफ़्ज़ुतु लिअबी दाऊद क़ाल कान रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा करअ वलज़्ज़ाल्लीन क़ाल आमीन व रफ़अ बिहा सौतहू इन्तिहा व लफ़्ज़ुत्तिर्मिज़ी व मद्द बिहा सौतहू व क़ाल हदीषुन हसनुन'** (तख़रीज हिदाया ज़ेलई जिल्द 1 पेज नं. 370)

तर्जुमा : अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में है, वाइल बिन हुजर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब **वलज़्ज़ाल्लीन** पढ़ते तो बुलन्द आवाज़ से आमीन कहते। ये अबू दाऊद के लफ़्ज़ हैं और तिर्मिज़ी के ये लफ़्ज़ हैं **व मद्द बिहा सौतहू** यानी आमीन के साथ आवाज़ को खींचते और तिर्मिज़ी ने इस ह़दीष़ को ह़सन कहा है।

तम्बीह : कुछ लोग **व मद्द बिहा सौतहू** के मा'नी करते हैं कि आमीन के वक़्त अलिफ़ को खींचकर पढ़ते लेकिन अबू दाऊद के लफ़्ज़ **रफ़अ बिहा सौतहू** और नम्बर 5 की रिवायत **जहर बिआमीन** ने वज़ाह़त कर दी कि **मद्द बिहा से** मुराद आवाज़ की बुलन्दी है और ये अरब का आम **मुह़ावरा है और** अह़ादीष़ में भी बहुत आया है। चुनाँचे तिर्मिज़ी में अबूबक्र (रज़ि) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया। ग़िफ़ार, असलम और मुज़ैना तीनों क़बीले तमीम, असद, ग़त़फ़ान और बनी आमिर स़अस़आ से बेहतर हैं। **यमुद्दु बिहा सौतहू** यानी बुलन्द आवाज़ से कहते और बुख़ारी में बराअ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अह़ज़ाब के दिन ख़ंदक़ खोदते और ये कलिमात कहते।

'अल्लाहुम्म लौ ला अन्त महतदैना व ला तसद्दक़्ना व ला स़ल्लैना फअन्ज़िल सकीनतन अलैना व ष़ब्बितिल अक़्दाम इन लाक़ीना इन्नल ऊला रगिबू अलैना व इज़ा अरादू फ़ित्नतन अबैना क़ाल यमुद्दु सौतहू बिआख़रिहा.'

या अल्लाह! अगर तेरा एह़सान न होता तो न हम हिदायत पाते, न स़दक़ा ख़ैरात करते, न नमाज़ पढ़ते, पस अगर हम

दुश्मनों से मिलें तो हमारे दिलों को ढारस दे और हमारे क़दमों को मज़बूत रख। ये लोग हम पर दुश्मनों को चढ़ा कर ले आए। जब उन्होंने हमसे मुश्रिकाना अक़ीदा मनवाना चाहा, हमने इंकार कर दिया। बराअ कहते हैं। अख़ीर कलिमा (अबैना यानी हमने इंकार कर दिया) के साथ दूसरे कलिमात की निस्बत आवाज़ बुलन्द करते।

और अबू दाऊद वग़ैरह में तरजीअे अज़ान के बारे में अबू मह़ज़ूरा की ह़दीष़ है। उसमें ये अल्फ़ाज़ **फ़मद्द मिन सौतिक** यानी अपनी आवाज़ को (पहले की निस्बत) बुलन्द कर।

(5) 'अख़रज अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी अन अलिय्यिब्नि स़ालिहिन व युक़ालु अल अलाउब्नु स़ालिहिन अल असदी अन सल्मतब्नि कुहैलिन अन हजरिब्नि अम्बस अन वाइलिब्नि हुज्रिन अनिन्नबिय्यि ﷺ अन्नहू सल्ला फजहर बिआमीन'

तर्जुमा : वाइल बिन हुजर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से आमीन कही।

तम्बीह : वाइल बिन हुजर (रह़) की इस ह़दीष़ के रावी शुअ़बा भी हैं, जो सलमा बिन कुहैल के शागिर्द हैं, उन्होंने अपनी रिवायत में **व ख़फ़ज़ बिहा स़ौतहू** यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आहिस्ता आमीन कही। ह़नफ़िया इसी को लेते हैं। और सुफ़यान ष़ौरी (रह़) ने जो अपनी रिवायत में सलमा बिन कुहैल से **व मद्द बिहा स़ौतहू या रफ़अ़ बिहा स़ौतहू** कहा है उसको तर्क कर दिया है। हालाँकि फ़त्हुल क़दीर शरहे हिदाया और इनाया शरहे हिदाया, जिल्द 1 पेज नं. 219) पर रफ़इल यदैन की बह़ष़ में लिखा है कि ज़्यादा फ़क़ीह की रिवायत को तरजीह़ होती है। और सुफ़यान ष़ौरी (रह़) बिल इत्तिफ़ाक़ शुअ़बा (रह़) से ज़्यादा फ़क़ीह हैं। इस बिना पर सुफ़यान की रिवायत को तरजीह़ होनी चाहिए और मुहद्दिष़ीन का उसूल है कि ज़्यादा ह़ाफ़ज़ा वाले को तरजीह़ होती है और सुफ़यान (रह़) ह़ाफ़ज़ा में भी शुअ़बा (रह़) से ज़्यादा हैं। इसी बिना पर ह़नफ़िया ने कई मक़ामात पर सुफ़यान (रह़) को शुअ़बा (रह़) की रिवायत पर तरजीह़ दी है। (तफ़्सील के लिए मुलाह़ज़ा हो तिर्मिज़ी की शरह़ तुह़फ़तुल अह़वुज़ी जिल्द नं. 1 पेज नं. 210 व पेज नं. 211)

फिर लुत्फ़ की बात ये है कि सलमा बिन कुहैल के दो शागिर्द और हैं। एक अ़लाअ बिन स़ालेह़ ये ष़िक़ा हैं और उनको अ़ली बिन सालेह़ भी कहते हैं। दूसरे मुह़म्मद बिन सलमा ये ज़ईफ़ हैं। इन दोनो से अ़लाअ की रिवायत में **जहर बिआमीन** है और मुह़म्मद बिन सलमा की रिवायत में **रफ़अ़ बिहा स़ौतहू** है। बल्कि ख़ुद शुअ़बा ने भी एक रिवायत में सलमा बिन कुहैल से **राफ़िअ़न बिहा स़ौतहू** रिवायत किया है। और सनद भी इसकी स़ह़ीह़ है। मुलाह़ज़ा हो नस़बुर्राया जिल्द 1 पेज नं. 369 और तल्ख़ीसुल ह़िबर पेज नं. 89 और तुह़फ़तुल अह़वुज़ी जिल्द 1 पेज नं. 211। मगर बावजूद इसके ह़नफ़िया ने शुअ़बा (रह़) की रिवायत **ख़फ़ज़ बिहा सौतहू** ही को लिया है। लेकिन सारे ह़नफ़िया एक से नहीं। कई इस कमज़ोरी को मह़सूस करके आमीन बिल जहर के क़ाइल हैं । चुनाँचे इसका ज़िक्र आगे आएगा इंशाअल्लाह।

(6) 'अन अ़ब्दिल जब्बारिब्नि वाइलिन अ न अबीहि क़ाल स़ल्लैतु ख़ल्फ़ रसूलिल्लाहि ﷺ फ़लम्मा इफ़्ततह़स्स़लात कब्बर व रफ़अ़ यदैहि हत्ता हाज़ता उज़नैहि षुम्म क़रअ बिफ़ातिहतिल किताबि फ़लम्मा फ़रग़ मिन्हा क़ाल आमीन यर्फ़ड़ स़ौतहू' (रवाहुन्निसाई तख़रीज ज़ेलई जिल्द 1 पेज नं. 371)

तर्जुमा : अ़ब्दुल जब्बार बिन वाइल (रह.) अपने बाप वाइल बिन हुज्र से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ शुरू की तो तकबीर कही और हाथ उठाए यहाँ तक कि कानों के बराबर हो गये। फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ी, फिर जब फ़ातिहा से फ़ारिग़ हुए तो बलन्द आवाज़ से आमीन कही। इस ह़दीष़ को इमाम नसई ने रिवायत किया। नसबुर्राया जिल्द : अव्वल पेज नं. 371 के हाशिया मे इमाम नववी (रह़) से बह़वाला शरह़ लिल नववी लिखा है कि अइम्मा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अ़ब्दुल जब्बार ने अपने वालिद से नहीं सुना और एक जमाअ़त ने कहा है कि वो अपने बाप की वफ़ात के छः माह बाद पैदा हुआ है। पस ये ह़दीष़ मुन्क़तअ़ हुई।

इसका जवाब ये है कि ह़ुज्र बिन अ़म्बस ने भी वाइल बिन ह़ुज्र से ये ह़दीष़ रिवायत की है और उसने वाइल से सुनी है। इसलिए मुन्क़तअ़ होने का शुब्हा दूर हो गया। नीज़ कुतुबे अस्माउर्रिजाल मे अ़ब्दुल जब्बार का उस्ताद ज़्यादातर इसका भाई अल्क़मा

लिखा है। इसलिए ग़ालिब ज़न है कि उसने ये ह़दीष़ अपने भाई अल्क़मा से सुनी हो। नस्बुर्राया जिल्द 1 पेज नं. 370 पर जो लिखा है कि अल्क़मा ने अपने बाप से नहीं सुना, वो अपने बाप की वफ़ात के छः माह बाद पैदा हुआ है, ये नक़ल करने वालों की ग़लती है और यहीं से ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़) को भी ग़लती लगी है। वो भी तक़रीब में लिखते हैं कि अल्क़मा बिन वाइल ने अपने बाप से नहीं सुना। ह़ालाँकि वो अ़ब्दुल जब्बार है और वही अपने बाप की वफ़ात के छः माह बाद पैदा हुआ है, चुनाँचे अभी गुज़रा है।

तिर्मिज़ी **बाबुल मर्अति इस्तक्रहत अलज़्ज़िना** में तसरीह़ की है कि अल्क़मा ने अपने बाप से सुना है, और वो अ़ब्दुल जब्बार से बड़ा है और अ़ब्दुल जब्बार ने अपने बाप से नहीं सुना।

और मुस्लिम **बाबु मनइ सब्बिद्दहरि** में अल्क़मा की ह़दीष़ जो उसने अपने बाप से रिवायत की है, लाये हैं और मुस्लिम मुन्क़तअ़ ह़दीष़ नहीं ला सकते क्योंकि वो ज़ईफ़ होती है।

और अबू दाऊद **बाबुन मन ह़लफ़ लियक़्ततिअ़ बिहा माला** में इसकी ह़दीष़ इसके बाप से लाये हैं और इस पर सुकूत किया है। ह़ालाँकि उनकी आ़दत है कि वो इंक़िताअ़ वग़ैरह बयान करते हैं।

बहरसूरत अल्क़मा के सिमाअ़ में शुब्हा नहीं। यही वजह है कि ख़ुलासा तज़्हीबुल कमाल में तक़रीब की ये इ़बारत कि, उसने अपने बाप से नहीं सुना, ज़िक्र नहीं की। ख़ुलासा वाले तक़रीब से लेते हैं। पस जब अल्क़मा का सिमाअ़ ष़ाबित हो गया और ज़न्न (गुमान) ग़ालिब है कि अ़ब्दुल जब्बार ने ये ह़दीष़ अल्क़मा से ली है। पस ह़दीष़ मुत्तसिल हो गई और ह़नफ़िया के नज़दीक तो ताबेई की ह़दीष़ वैसे ही मुत्तसिल के हुक्म में होती है। ख़्वाह अपने उस्ताद का नाम ले या न ले तो उनको तो इस पर ज़रूर अ़मल करना चाहिए।

(7) **'अ़न अलिय्यिन रज़ियल्लाहु अ़न्हु क़ाल समिअ़तु रसूलल्लाहि ﷺ इज़ा क़ाल वलज़्ज़ाल्लीन क़ाल आमीन'** (इब्ने माजा, बाबुल जहरि बिआमीन पेज नं. 62)

तर्जुमा : ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) फ़र्माते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि जब आप **वलज़्ज़ाल्लीन** कहते तो आमीन कहते।

इस ह़दीष़ में मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला एक रावी है। इसके बारे में मज्मउ़ज़्ज़वाइद में लिखा है। जुम्हूर इसको ज़ईफ़ कहते हैं और अबू ह़ातिम कहते हैं मक़ाम इसका सदक़ है।

मज्मउ़ज़्ज़वाइद में जुम्हूर के ज़ईफ़ कहने की वजह नहीं बताई। तक़रीबुत्तहज़ीब में इसकी वज़ाह़त की है। चुनाँचे लिखते हैं। **सदूक़ुन सीउल हिफ़्ज़ि जिद्दा** यानी सच्चा है, ह़ाफ़्ज़ा बहुत ख़राब है।

इससे मा'लूम हुआ कि ज़ुअ़फ़ की वजह ह़ाफ़्ज़ा की कमज़ोरी है। वैसे सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। पस ये ह़दीष़ भी किसी क़दर अच्छी हुई और दूसरी ह़दीष़ों के साथ मिलकर निहायत क़वी हो गई।

तुह़फ़तुल अह़्वज़ी जिल्द 1 पेज नं. 608 में है :

'व अम्मा हदीषु अलिय्यिन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़अख़्रजहुल हाकिमु बिलफ़्ज़ि क़ाल समिअ़तु रसूलल्लाहि ﷺ यक़ूलु आमीन इज़ा क़रअ ग़ैरिल्मग़ज़ूबि अ़लैहिम वलज़्ज़ाल्लीन व अख़्रज अयज़न अ़न्हु अन्ननबिय्य (ﷺ) इज़ा करअ वलज़्ज़ाल्लीन रफ़अ़ सौतहू बिआमीन कज़ा फ़ी इअ़लामुल मुवक़्क़िईन.'

तर्जुमा : मुस्तदरक ह़ाकिम में है, ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) फ़र्माते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आमीन कहते सुना जब आपने **ग़ैरिल मग़ज़ूबि अ़लैहिम वलज़्ज़ाल्लीन** पढ़ा। नीज़ मुस्तदरक ह़ाकिम में ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब **वलज़्ज़ाल्लीन** पढ़ते तो बुलन्द आवाज़ से आमीन कहते। इअ़लामुल मूक़िईन में इसी त़रह़ है।

(8) तुह़फ़तुल अह़्वज़ी के इसी सफ़्ह़ा (पेज) पर है,

'व लि अबी हुरैरत हदीषुन आख़र फ़िल्जहरि बित्तामीन रवाहुन्निसाइ अ़न नईमिल्मुज्मिर क़ाल सल्लैतु वराअ अबी हुरैरत फ़क़रअ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम षुम्म क़रअ बिउम्मिल क़ुर्आनि ह़त्ता बलग़ ग़ैरिल्मग़ज़ूबि अ़लैहिम

वलज़्ज़ाल्लीन क़ाल आमीन फ़क़ालन्नासु आमीन अल्हदीष़ व फ़ी आख़िरिही क़ाल वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही इन्नी लअश्बहुकुम स़लात बिरसूलिल्लाहि ﷺ व इस्नादुहू स़हीहुन'

तर्जुमा : अबू हुरैरह (रज़ि) से आमीन बिल जहर के बारे में एक और ह़दीष़ है जो नसाई में है। नईम मुज्मर (रह़) ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि) के पीछे नमाज़ पढ़ी। उन्होंने पहले **बिस्मिल्लाह** पढ़ी, फिर फ़ातिह़ा पढ़ी जब **ग़ैरिल मग़ज़ूबि अ़लैहिम वलज़्ज़ाल्लीन** पर पहुँचे, तो आमीन कही। पस लोगों ने भी आमीन कही। इस ह़दीष़ के आख़िर में है कि अबू हुरैरह (रज़ि) ने फ़र्माया। मुझे उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है। बेशक में नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ तुमसे ज़्यादा मुशाबहत रखता हूँ और उसकी इस्नाद स़ह़ीह़ है।

(9) नस्बुर्राया ज़ेलई जिल्द 1 पेज नं. 371 में है,

'व रवाहुब्नु ह़िब्बान फ़ी स़ह़ीह़िही फ़िन्नौइर्राबिइ मिनल्क़िस्मिल्ख़ामिसि व लफ़्ज़ुहू कान रसूलुल्लाहि ﷺ इज़ा फ़रग़ मिन क़िराति उम्मिल क़ुर्आनि रफ़अ बिहा स़ौतहू व क़ाल आमीन'

तर्जुमा : इब्ने ह़िब्बान ने अपनी स़ह़ीह़ मे अबू हुरैरह (रज़ि) से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब फ़ातिह़ा से फ़ारिग़ होते तो बुलन्द आवाज़ से आमीन कहते। (ज़ेलई रह. ने इस ह़दीष़ पर कोई जरह़ नहीं की)

(10) इब्ने माजा बाबुल जेहर बिआमीन पेज नं. 63 में है :

'अन आइशत अनिन्नबिय्यि ﷺ मा हसदतकुमुल्यहूदु अ़ला शैइन मा हसदतकुम अलस्सलामि वत्तामीन'

तर्जुमा : ह़ज़रत आ़यशा (रज़ि) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया यहूद जितना सलाम और आमीन से ह़सद करते हैं, इतना किसी और चीज़ पर ह़सद नहीं करते।

बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने में जब बहुत सी आवाज़ें मिल जातीं तो उसमें इस्लामी नुमाइश पाई जाती। इसलिए यहूद को ह़सद आता। वरना आहिस्ता में ह़सद के कुछ मा'नी ही नहीं क्योंकि जब सुना ही कुछ नहीं तो ह़सद किस बात पर। इस ह़दीष़ की इस्नाद स़ह़ीह़ है। जैसे मुंज़िरी (रह़) ने स़रीह़ की है और इब्ने ख़ुज़ैमा (रह़) इसको अपनी स़ह़ीह़ में लाए हैं और इमाम अह़मद (रह़) ने अपने मुस्नद में और बैहक़ी (रह़) ने भी अपनी सुनन मे इसको सनदे स़ह़ीह़ के साथ रिवायत किया है।

तिल्क अ़शरतुन् कामिलतुन ये दस अह़ादीष़ हैं। इनके अ़लावा और रिवायतें भी हैं। मिस्कुल ख़िताम शरह़ बुलूग़ुल मराम में 17 ज़िक्र की हैं। और आष़ार तो बेशुमार हैं। दो सौ स़ह़ाबा (रज़ि) का ज़िक्र तो अ़ता ताबेई (रह़) के क़ौल ही में गुज़र चुका है और अबू हुरैरह (रज़ि) के पीछे भी लोग आमीन कहते थे। चुनाँचे नम्बर 8 की ह़दीष़ गुज़र चुकी है। बल्कि ह़नफ़िया के त़रीक़ पर इज्माअ ष़ाबित है। ह़नफ़िया का मज़हब है कि कुएँ में गिरकर कोई मर जाए तो सारा कुआँ स़ाफ़ कर देना चाहिए। दलील उसकी कुएँ ज़मज़म में एक ह़ब्शी गिरकर मर गया तो अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) ने स़ह़ाबा (रज़ि) की मौजूदगी में कुएँ में सारा पानी निकलवा दिया और किसी ने इंकार नहीं किया।

पस ये इज्माअ़ हो गया। ठीक इसी त़रह़ आमीन का मसला है। अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) ने मस्जिदे मक्का में स़ह़ाबा (रज़ि) की मौजूदगी में आमीन कही और उनके साथ लोगों ने भी कही। यहाँ तक कि मस्जिद गूंज उठी और किसी ने इस पर इंकार नहीं किया। पस ये भी इज्माअ हो गया। फिर ह़नफ़िया के पास आहिस्ता आमीन के बारे में एक ह़दीष़ भी नहीं। स़िर्फ़ शुअ़बा की रिवायत है जिसका ज़ुअ़फ़ ऊपर बयान हो चुका है और हिदाया में अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि) के क़ौल से इस्तिदलाल किया है कि इमाम चार चीज़ें आहिस्ता कहे।

सुब्हानकल्लाहुम्म, अऊ़ज़ु, बिस्मिल्लाह, आमीन मगर इसका भी कोई षुबूत नहीं। मुलाह़ज़ा हो दिराया तख़्रीजे हिदाया ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़) पेज नं. 71 और नस्बुर्राया तख़्रीजे हिदाया ज़ेलई (रह़) जिल्द 1 पेज नं. 325। और फ़त्हुल क़दीर शरहे हिदाया, जिल्द 1 पेज नं. 204 वग़ैरह़।

हाँ इब्राहीम नख़ई ताबेई का ये क़ौल है कि इमाम चार चीज़ें आहिस्ता कहे। मगर मर्फ़ूअ़ अह़ादीष़ और आष़ारे स़ह़ाबा

के मुक़ाबले में एक ताबेई के क़ौल की क्या वक़्अत है। ख़ासकर जब ख़ुद इससे इसके ख़िलाफ़ रिवायत मौजूद है। चुनाँचे ऊपर गुज़र चुका है कि वो आयते करीमा **व ला तज्हर बिस़लातिक** में स़लात के मा'नी दुआ करते हैं। इस बिना पर आमीन उनके नज़दीक दरम्यानी से कहनी चाहिए, न बहुत चिल्लाकर न बिलकुल आहिस्ता और यही अहले ह़दीष़ का मज़हब है।

ह़नफ़िया के बक़िया दलाइल : कुछ ह़नफ़िया ने इस मसले में कुछ और आष़ार भी पेश किये हैं। हम चाहते हैं कि वो भी ज़िक्र कर दें।

शाह अ़ब्दुल ह़क़ मुह़द्दिष़ देहलवी (रह़) सफ़रुस्सआ़दत में लिखते हैं,

अज़ अमीरुल मोमिनीन उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि) रिवायत कर्दा **अन्द कि इख़्फ़ा कुनद इमाम चहार चीज़ रा तअव्वज़ु बिस्मिल्लाह, आमीन सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिह़म्दिक**। व अज़ इब्ने मसऊ़द (रज़ि) नीज़ मिष़्ल ईं आमदा व सियूती (रह़) दर जम्उल्जवामेअ़ में अबी वाइल से रिवायत लाए हैं कि वह कहते हैं कि ..... (इब्ने जरीर त़ह़ावी)

तर्जुमा : ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) से रिवायत है कि इमाम चार चीज़ आहिस्ता कहे, **अऊ़ज़ुबिल्लाहि, बिस्मिल्लाह, आमीन-सुब्हानकल्लाहुम्म** और इसी की मिष़्ल अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि) से भी आया है। और सियूती (रह़) जम्उल जवामेअ़ में अबी वाइल (रह़) से रिवायत लाए हैं, वो कहते हैं कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) बिस्मिल्लाह, अऊ़ज़ु और आमीन बुलन्द आवाज़ से नहीं कहते थे। इब्ने जरीर और त़ह़ावी ने इसको रिवायत किया है।

और इब्ने माजा तबअ़ हिन्द के पेज नं. 62 के ह़ाशिया में लिखा है।

'व रूविय अ़न उ़मरब्नल्ख़त्ताबि क़ाल युख़्फ़िल्इमामु अर्बअ़त अश्याअ अत्तअव्वुज़ वल्बस्मलत व आमीन व सुब्हानक अल्लाहुम्म व अ़निब्नि मस्ऊ़दिन मिष़्लुहू व रवस्सुयूती फ़ी जम्इल्जवामिइ अ़न अबी वाइलिन क़ाल कान उ़मरू व अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ला यज्हरानि बिल्बस्मलति व ला बित्तअव्वुज़ि व ला बिआमीन रवाहुब्नु जरीर वत्तहावी वब्नु शाहीन'

इस अ़रबी इ़बारत का तर्जुमा बऐनिही शरहे सफ़रुस्सआदत की फ़ारसी इ़बारत का तर्जुमा है। ह़नफ़िया की सारी पूँजी यही है जो इन दोनों इ़बारतों में है। इन दोनों इ़बारतों (अ़रबी, फ़ारसी) में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) और ह़ज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि) के क़ौल का तो कोई ह़वाला नहीं दिया कि किसने इसको रिवायत किया है और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि) और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) का फ़ेअ़ल कि वो अऊ़ज़ु, बिस्मिल्लाह, आमीन बुलन्द आवाज़ से नहीं कहते थे। इसके बारे में कहा है कि इब्ने जरीर, त़ह़ावी और इब्ने शाहीन ने इसको रिवायत किया है। लेकिन इसकी इस्नाद में सईद बिन मरज़बान बक़ाल है। जिसके बारे में मीज़ानुल ए'तिदाल में लिखा है कि इमाम फ़लास ने इसे तर्क कर दिया है और इब्ने मुईन कहते हैं इसकी ह़दीष़ लिखने के क़ाबिल नहीं। और बुख़ारी (रह़) कहते हैं मुंकिरुल ह़दीष़ है। और अबान बिन ह़ीला कूफ़ी के तर्जुमा में मीज़ानुल ए'तिदाल में इब्नुल क़त्तान ने नक़ल किया है बुख़ारी कहते हैं जिसके ह़क़ में मैं मुंकरुल ह़दीष़ कह दूँ इससे रिवायत लेनी ह़लाल नहीं। पस ये रिवायत बिलकुल रद्दी हो गई। अलावा इसके उन किताबों के बारे में जिनकी ये रिवायत है शाह वलीउल्लाह स़ाह़ब (रह़) ह़ुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा और शाह अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ स़ाह़ब (रह़) उ़जाल-ए-नाफ़िआ में लिखते हैं, कि उनकी रिवायतें बग़ैर जांच पड़ताल के नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये एह़तियात़ नहीं करते। झूठी सच्ची, स़ह़ीह़, ज़ईफ़ सब उन्होंने ख़लत़ मलत़ (मिक्स) कर दी हैं।

पस ह़नफ़िया का बग़ैर तस़्ह़ीह़ के उनकी रिवायतें पेश करना दोहरी ग़लती है। ख़ास़ कर जब ख़ुद ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) से आमीन बिल जेहर की रिवायत आ गई है जो नम्बर 27 में गुज़र चुकी है और बिस्मिल्लाह भी जहरन उनसे ष़ाबित है। चुनाँचे सुबुलुस्सलाम और दारे क़ुत्नी में मज़्कूर है। (मुलाह़ज़ा हो मिस्कुल ख़िताम शरहे बुलूग़ुल मराम पेज नं. 230)

अलावा इसके मर्फ़ूअ़ अह़ादीष़ के मुक़ाबले में किसी का क़ौल व फ़ेअ़ल कोई ह़ैष़ियत नहीं रखता। ख़्वाह कोई बड़ा हो या छोटा। मुसलमान की शान ये होनी चाहिए।

मुस़व्विर खींच वो नक़्शा जिसमें ये सफ़ाई हो, इधर ह़ुक्मे पैग़म्बर हो उधर गर्दन झुकाई हो

मज़ीद षुबूत और उलम–ए–अहनाफ़ की शहादत : कुछ इख़्तिलाफ़ी मसाइल में जानिबीन (पक्षकारों) के पास दलाइल का कुछ न कुछ सहारा होता है। मगर यहाँ तो दूसरे पलड़े में कुछ भी नहीं और जो कुछ है इसका अंदाज़ा क़ारेईने किराम को हो चुका होगा। अब इसकी मज़ीद वज़ाहत उलम–ए–अहनाफ़ के फ़ैसलों से मुलाहज़ा फ़र्माएँ।

इमाम इब्नुल हुमाम (रह) : अहनाफ़ के जद्दे अमजद हैं। हनफ़ी मज़हब की मशहूर किताब शामी (रद्दुल मुख़्तार) की जिल्द 4 पेज नं. 388 में लिखा है, **'कमालुब्नुल हुमामु बलग़ रुत्बुहुल्इज्तिहाद'** यानी इमाम इब्नुल हुमाम मर्तब-ए-इज्तिहाद को पहुँच गये। वो अपनी किताब फ़त्हुल क़दीर में लिखते हैं,

'व लौ कान इलय्य फ़ी हाज़ा शैइन लवफ़क़्क़तु बिअन्न रिवायतल्ख़फ़्ज़ि युरादु बिहा अदमुल्क रइल्अफ़ीफ़ि व रिवायतुल्जहरि बिमअना क़ौलिही फ़ी ज़ैरिस्सौति व ज़ैलिही' (फ़त्हुल क़दीर जिल्द 1 पेज नं. 117)

तर्जुमा : अगर फ़ैसला मेरे सुपुर्द होता तो मैं यूँ मुवाफ़क़त करता कि आहिस्ता कहने की हदीष़ से ये मुराद है कि चिल्लाकर न कहे और जेहर की हदीष़ से दरम्यानी आवाज़ है।

इमाम इब्ने अमीरुल हाज (रह) : ये इमाम इब्नुल हुमाम (रह) के अरशद तलामिज़ा (योग्य छात्रों) में से हैं। ये अपने उस्ताद के फ़ैसले पर स़ाद फ़र्माते हैं। चुनाँचे अपनी किताब हुलिया में लिखते हैं।

'व रज्जह मशाइख़ुना बिमा ला यअरी अन शैइन लिमुतअम्मिलिही फ़ला जरम अन्न क़ाल शैख़ुना इब्नुल हुमामि व लौ कान इलय्य शैउन अल्ख़' (तअलीक़ुल मम्जिद अला मुअत्ताअल इमामुल मुहम्मद स. 109)

तर्जुमा : हमारे मशाइख़ ने जिन दलाइल से अपने मज़हब को तरजीह दी है वो ता'म्मुल से ख़ाली नहीं। इसलिए हमारे शैख़ुल हुमाम (रह) ने फ़र्माया है। अगर फ़ैसला मेरे सुपुर्द होता.... अल्ख़

शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिष़ देह्लवी (रह) : जिनकी फ़ारसी इबारत शरहे सफ़रुस्सआदत के हवाले से अभी गुज़री है। ये शाह वलीउल्लाह स़ाहब (रह) से बहुत पहले हुए हैं। उन्होंने हनफ़ी मज़हब के तर्क का इरादा किया। लेकिन उलम–ए–मक्का ने मश्विरा दिया कि जल्दी न करो, हनफ़ी मज़हब के दलाइल पर ग़ौर करो। चुनाँचे इसके बाद उन्होंने फ़त्ह सिर्रुल मन्नान लिखी। इसमें हनफ़ी मज़हब के दलाइल जमा किये। मसल–ए–आमीन के बारे में यही इबारत लिखी जो इमाम इब्नुल हुमाम (रह) ने लिखी और इमाम इब्नुल हुमाम (रह) वाला ही फ़ैसला किया।

मौलाना अब्दुल हय्यि स़ाहब लखनवी (रह) : हनफ़ी मज़हब के मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं । वो लिखते हैं, **'वल इन्स़ाफ़ु अन्नल जहर क़विय्युम्मिन हैष़िद्दलीलि'** (अत्तअलीक़ुल मुम्जिद अला मुअत्ता अल्इमाम मुहम्मद स. 105)

मौलाना सिराज अहमद स़ाहब (रह) : ये भी हनफ़ी मज़हब के मशहूर बुज़ुर्ग हैं। शरहे तिर्मिज़ी में लिखते हैं,

'अहादीषुल जहरि बित्तामीनि अक्ष़रु व अस़ह्हु' (तर्जुमा) यानी बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने की अहादीष़ अकष़र हैं और ज़्यादा स़हीह हैं।

उनके अलावा मौलाना अब्दुल आला बहरुल उलूम लखनवी हनफ़ी (रह) भी, अरकानुल इस्लाम में यही लिखते हैं कि आमीन आहिस्ता कहने की बाबत कुछ षाबित नहीं हुआ। और दीगर उलमा भी इसी तरह लिखते हैं। मगर हम इसी पर इक्तिफ़ा (बस) करते हैं क्योंकि जब आहिस्ता कहने का कोई षुबूत ही नहीं, तो बहुत भरमार से फ़ायदा ही किया। तसल्ली व इत्मीनान के लिये जो कुछ लिखा गया। अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख़्शे और ज़िद व तअस्सुब से महफ़ूज़ रखे आमीन। (मक़ाला आमीन व रफ़उल यदन हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्लाह स़ाहब रोपड़ी नूरुल्लाह क़ब्रुह् व बरद मज़्अहू आमीन)

आजकल के शारेहीने बुख़ारी जिनका ता'ल्लुक़ देवबन्द से है। ऐसे इख़्तिलाफ़ी उमूर पर जो बेतुकी राय ज़नी फ़र्मा रहे हैं वो सख़्त हैरत अंगेज़ हैं। मष़लन इमाम बुख़ारी (रह) ने पिछले बाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) और उनके साथियों का फ़ेअल नक़ल फ़र्माया कि वो इस क़दर बुलन्द आवाज़ से आमीन कहा करते थे कि मस्जिद गूंज उठती थी। इस पर ये शारेहीन

फ़र्मा रहे हैं।

ग़ालिबन उस ज़माने का वाक़िया है कि जब आप फ़ज्र में अब्दुल मलिक पर क़ुनूत पढ़ते थे। अब्दुल मलिक भी इब्ने ज़ुबैर (रज़ि) पर क़ुनूत पढ़ता था और जिस तरह के हालात इस ज़माने में थे उसमें मुबालग़ा और बेएहतियात उमूमन हो जाया करती है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी पारा 3 पेज नं. 135)

इस बेतुकी राय ज़नी पर अहले इंसाफ़ ख़ुद नज़र डाल सकेंगे कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। अव्वल तो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) का आमीन बिल जेहर कहना ख़ास नमाज़े फ़ज्र में किसी रिवायत में मज़्कूर नहीं है। हो सकता है कि इस वाक़िये का ता'ल्लुक़ मग़्रिब या इशा से भी हो। फिर अल्हम्दु शरीफ़ के ख़ात्मे पर आमीन बिल जेहर का अब्दुल मलिक पर क़ुनूत पढ़ने से क्या ता'ल्लुक़? क़ुनूत का महल्ल दूसरा है फिर मुबालग़ा और बे एहतियाती को हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि) जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी की तरफ़ मन्सूब करना एक बड़ी जुर्अत है और भी इसी क़िस्म की बेतुकी बातें की जाती हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलम–ए– किराम को नेक हिदायत दे कि वो अम्रे हक़ को तस्लीम करने के लिए दिल खोलकर तैयार हों और बेजा तावीलात से काम लेकर आज के ता'लीमयाफ़्ता रोशन ख़्याल लोगों को हंसने का मौक़ा न दें **अल्लाहुम्म वफ़्फ़िक़्ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, आमीन।**

बाब 114 : जब सफ़ तक पहुँचने से पहले ही किसी ने रुकूअ कर लिया (तो उसके बारे में क्या हुक्म है?)

١١٤ – بَابُ إِذَا رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ

(783) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने ज़ियाद बिन हस्सान अअलम से बयान किया, उन्होंने हज़रत हसन (रह.) से, उन्होंने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ (नमाज़ पढ़ने के लिए) गए, आप उस वक़्त रुकूअ में थे। इसलिए सफ़ तक पहुँचने से पहले ही उन्होंने रुकूअ कर लिया, फिर इसका ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) से किया तो आपने फ़र्माया कि अल्लाह तुम्हारा शौक़ और ज़्यादा करे लेकिन दोबारा ऐसा न करना।

٧٨٣– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الأَعْلَمِ – وَهُوَ زِيَادٌ – عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلاَ تَعُدْ)).

तश्रीह : तबरानी की रिवायत में यूँ है कि अबूबक्र उस वक़्त मस्जिद में पहुँचे कि नमाज़ की तक्बीर हो चुकी थी, ये दौड़े और तहावी की रिवायत में है कि दौड़ते हुए हांपने लगे, उन्होंने मारे जल्दी के सफ़ में शरीक होने से पहले ही रुकूअ कर दिया। नमाज़ के बाद जब आँहज़रत (ﷺ) को ये हाल मा'लूम हुआ तो आपने फ़र्माया कि आइन्दा ऐसा न करना।

कुछ अहले इल्म ने इससे रुकूअ में आने वालों के लिए रकअत के हो जाने पर दलील पकड़ी है। औनुल मा'बूद शरहे अबू दाऊद पेज नं. 332 में है, **'क़ालश्शौकानी फ़िन्नैलि लैस फ़ीहि मा यदुल्लु अला मा ज़हबू इलैहि लिअन्नहू कमा लम यामुर्हु बिल आदति लम युन्क़ल अयज़न अन्नहू इअतद्द बिहा वद्दुआउ लहू बिल्हिर्सि ला यस्तल्ज़िमुल इअतिदादु बिहा लिअन्नल्कौन मअइमामि मामूरुन बिही सवाउन कानश्शैउल्लज़ी युदरिकुहुल्मूतिम मुअतद्दन बिही अम ला कमा फ़िल्हदीष़ इजाजिअतुम इलस्सलाति व नह्नु सुजूदुन फ़स्जुदू औ ला तउद्दूहा शैअन अला अन्नन्नबिय्यु ﷺ क़द नहा अबा बकरत अनिल्औदि इला मिष़्लि ज़ालिक वल्इहतिजाजु बिशैइन क़द नहा अन्हु ला यसिह्हु व क़द अजाब इब्नु हज़्म फ़िल्मुहल्ला अन हदीष़ि अबी बकरत फ़क़ाल अन्नहू ला हुज्जत लहुम फ़ीहि लिअन्नहू लैस फ़ीहि इज्तिराउन बितिल्कर्रअति'**

ख़ुलासा ये कि बक़ौले अल्लामा शौकानी इस हदीष़ से ये इस्तिदलाल सहीह नहीं है क्योंकि अगर हदीष़ में ये सराहत नहीं है कि आपने इसे उस रकअत के लौटाने का हुक्म नहीं फ़र्माया तो साथ ही मन्क़ूल ये भी नहीं कि इस रकअत को काफ़ी

समझा। आपने अबूबक्र (रज़ि) को इसकी ह़िर्स पर दुआ–ए–ख़ैर ज़रूर दी मगर इससे ये लाज़िम नहीं आता कि इस रकअ़त को भी काफ़ी समझा और जब आँह़ज़रत (ﷺ) ने अबूबक्र (रज़ि) को इस फ़ेअ़ल से मुत्लक़न मना फ़र्मा दिया तो ऐसी मम्नूआ चीज़ से इस्तिदलाल पकड़ना स़ह़ीह़ नहीं। अ़ल्लामा इब्ने ह़ज़म ने भी मुह़ल्ला में ऐसा ही लिखा है।

ह़ज़रत स़ाह़िबे औ़नुल मा'बूद (रह़) फ़र्माते है :

'फ़हाज़ा मुहम्मदुब्नु इस्माईल अल्बुख़ारी अहदुल्मुज्तहिदीन व वाहिदुम्मिन अर्कानिल्लज़ीन क़द ज़हब इला अन्न मुदरिकन लिर्रुकूइ ला यकूनु मुदरिकन लिर्रक्अति हत्ता यक़्रअ फ़ातिहतल किताब फ़मन दख़ल मअल इमामि फिर्रुकूइ फ़लहू अंय्यक़्ज़िय तिल्कर्रक्अत बअद सलामिल इमामि बल हकल्बुख़ारी हाज़ल मज़्हब अन कुल्लिम्मन जहब इला वुजूबिल क़िराति ख़ल्फ़ इमामि' (औ़नुल मा'बूद पेज नं. 334)

यानी ह़ज़रत इमाम मुह़म्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह़) जो मुज्तहिदीन में से एक ज़बरदस्त मुज्तहिद बल्कि मिल्लते इस्लाम के अहमतरीन रुक्न हैं, उन्होंने रुकूअ़ पाने वाले की रकअ़त को तस्लीम नहीं किया बल्कि उनका फ़त्वा ये है कि ऐसे शख़्स़ को इमाम के सलाम के बाद ये रकअ़त पढ़नी चाहिए। बल्कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) ने ये हर उस शख़्स़ का मज़्हब नक़ल फ़र्माया है जिसके नज़दीक इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़नी वाजिब है और हमारे शैख़ुल अ़रब वल अ़जम ह़ज़रत मौलाना सय्यद मुह़म्मद नज़ीर ह़ुसैन स़ाह़ब मुह़द्दिष़ देहलवी (रह़) का भी यही फ़त्वा है। (ह़वाला मज़्कूर)

इस तफ़्स़ील के बाद ये अम्र भी मल्ह़ूज़ रखना ज़रूरी है कि जो ह़ज़रात बिला तअ़स्सुब मह़ज़ अपनी तह़क़ीक़ की बिना पर रुकूअ़ की रकअ़त के क़ाइल हैं वो अपने फ़ेअ़ल के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। उनको भी चाहिए कि रुकूअ़ की रकअ़त न मानने वालों के ख़िलाफ़ ज़ुबान को तअ़रीज़ से रोकें और ऐसे मुख़्तलफ़ फ़ीह फ़ुरूई मसाइल में वुस्अ़त से काम लेकर आपसी इत्तिफ़ाक़ को ज़र्ब (चोट) न लगाएँ कि सल्फ़ स़ालेह़ीन का यही त़रीक़ा यही तर्ज़े अ़मल रहा है। ऐसे उमूर में क़ाइलीन व मुंकिरीन में से ह़दीष़ **अल् आमालु बिन् निय्यात** के तहत हर शख़्स़ अपनी निय्यत के मुताबिक़ बदला पाएगा। इसीलिए **अल्मुज्तहिद क़द युख़्ती व युसीब** का उसूल वुज़ूअ़ किया गया है। **वल्लाहु आलमु बिस्स़वाब व इलैहिल मर्जअ वल्मआब** दलाइल की रू से स़ह़ीह़ यही है कि रुकूअ़ में मिलने से उस रकअ़त का लौटाना ज़रूरी है।

बाब 115 : रुकूअ़ करने के वक़्त भी तक्बीर कहना

ये इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी अकरम (ﷺ) से नक़ल किया है और मालिक बिन ह़ुवैरिष़ (रज़ि.) ने भी इस बाब में रिवायत की है।

۱۱٥– بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيْرِ فِي الرُّكُوْعِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِيْهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.

(784) हमसे इस्ह़ाक़ बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह त़िह़्हान ने सईद बिन अयास हरीरी से बयान किया, उन्होंने अबुल अ़ला यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने मुत़र्रिफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने इमरान बिन ह़ुसैन से कि उन्होंने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के साथ बस़रा में एक बार नमाज़ पढ़ी। फिर कहा कि हमें उन्होंने वो नमाज़ याद दिला दी जो हम नबी (ﷺ) के साथ पढ़ा करते थे। फिर कहा कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) जब सर उठाते और जब सर झुकाते उस वक़्त तक्बीर कहते। (दीगर मक़ाम : 786, 826)

٧٨٤– حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: (صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ ﷺ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ).

[طرفاه في: ٧٨٦، ٨٢٦].

(785) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी,

٧٨٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ).

[أطرافه في : ٧٨٩، ٧٩٥، ٨٠٣].

उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे तो जब भी वो झुकते और जब भी वो उठते तो तक्बीर ज़रूर कहते। फिर जब फ़ारिग़ होते तो कहते कि मैं नमाज़ पढ़ने में तुम सब लोगों से ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ से मुशाबिहत रखनेवाला हूँ। (दीगर मक़ाम : 789, 795, 803)

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) का मक़्सद उन लोगों की तर्दीद करना है जो रुकूअ़ और सज्दा वग़ैरह में जाते हुए तक्बीर नहीं कहते। बनी उमय्या ख़ानदान के कुछ बादशाह ऐसा ही किया करते थे। बाब का तर्जुमा यूँ भी किया गया है कि तक्बीर को रुकूअ़ में जाकर पूरा करना। मगर बेहतर तर्जुमा वही है जो ऊपर हुआ।

١١٦- بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

बाब 116 सज्दे के वक़्त भी पूरे तौर पर तक्बीर कहना

٧٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ. فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ : قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ- أَوْ قَالَ - لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ).

[راجع: ٧٨٤]

(786) हमसे अबुन नोअ़मान मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने ग़ैलान बिन जरीर से बयान किया, उन्होंने मुत़्रिफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन शुख़ैर से, उन्होंने कहा कि मैंने और इमरान बिन हुसैन ने अ़ली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) के पीछे नमाज़ पढ़ी। तो वो जब भी सज्दा करते तो तक्बीर कहते। इसी त़रह जब सर उठाते तो तक्बीर कहते। जब दो रकअ़त के बाद उठते तो तक्बीर कहते। जब नमाज़ ख़त्म हुई तो इमरान बिन हुसैन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने आज हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की नमाज़ याद दिला दी, या ये कहा कि उस शख़्स ने हमको आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ की त़रह आज नमाज़ पढ़ाई।

(राजेअ़ : 784)

٧٨٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : (رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ أُمَّ

(787) हमसे अ़म्र बिन औ़न ने बयान किया, कहा कि हमें हुशैम बिन बशीर ने अबू बिश्र हफ़्स़ बिन अबी वह़्शा से ख़बर दी, उन्होंने इक्रिमा से, उन्होंने बयान किया कि मैंने एक शख़्स को मुक़ामे इब्राहीम में (नमाज़ पढ़ते हुए) देखा कि हर झुकने और उठने पर वो तक्बीर कहता था। इसी त़रह खड़े होते वक़्त और बैठते वक़्त भी। मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को इसकी इत्तिला दी। आपने फ़र्माया, अरे! तेरी माँ मरे! क्या ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की

लَكَ؟). [طرفه في : ٧٨٨].

सी नमाज़ नहीं है।

तश्रीह : यानी ये नमाज़ तो आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़ के ऐन मुताबिक़ है और तू इस पर तअज्जुब करता है। **ला उम्म लक** अरब लोग ज़जर व तौबीख़ के वक़्त बोलते हैं। जैसे **ष़कुलतक उम्मुक** यानी तेरी माँ तुझ पर रोये। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि) इक्रिमा पर ख़फ़ा हुए कि तू अब तक नमाज़ का पूरा तरीक़ा नहीं जानता और अबू हुरैरह (रज़ि) जैसे फ़ाज़िल पर इंकार करता है।

١١٧- بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

बाब 117 : जब सज्दा करके उठे तो तक्बीर कहे

٧٨٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ، فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ.

[راجع: ٧٨٧]

(788) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने क़तादा से बयान किया, वो इक्रिमा से, कहा कि मैं ने मक्का में एक बूढ़े के पीछे (ज़ुहर की) नमाज़ पढ़ी। उन्होंने (तमाम नमाज़ में) बाईस तक्बीर कहीं। इस पर मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से कहा कि ये बूढ़ा बिलकुल बेअ़क़्ल मा'लूम होता है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया तुम्हारी माँ तुम्हें रोये ये तो अबुल क़ासिम (ﷺ) की सुन्नत है। और मूसा बिन इस्माईल ने यूँ भी बयान किया, कि हमसे अबान ने बयान किया, कि कहा हमसे क़तादा ने, उन्होंने कहा कि हमसे इक्रिमा ने ये ह़दीष़ बयान की। (राजेअ़ : 787)

٧٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ

(789) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने अ़क़ील बिन ख़ालिद के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से, उन्होंने कहा कि मुझे अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन ह़ारिष़ ने ख़बर दी कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बतलाया कि आँहज़रत (ﷺ) जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो तक्बीर कहते। फिर जब रुकूअ़ करते तब भी तक्बीर कहते थे। फिर जब सर उठाते तो समिअ़ल्लाहुलिमन ह़मिदह कहते और खड़े ही खड़े रब्बना व लकल कहते। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए (सज्दे के लिए) झुकते, फिर जब सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब (दूसरे) सज्दे के लिए झुकते तब तक्बीर कहते और जब सज्दे से सर उठाते तक भी तक्बीर कहते। इसी तरह आप तमाम नमाज़ पूरी कर लेते थे। क़अ़दा ऊला से उठने पर भी तक्बीर कहते थे। (इस ह़दीष़ में) अ़ब्दुल्लाह बिन स़ालेह ने लैष़ के वास्ते से (बजाए रब्बना लकल ह़म्द के रब्बना व लकल ह़म्द) नक़ल किया है। (रब्बना लकल ह़म्द कहे या व लकल ह़म्द

वाव के साथ दोनों तरीक़े से दुरुस्त है) (राजेअ : 785)

الْجُلُوسِ وَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَ لَكَ الْحَمْدُ. [راجع: ٧٨٥]

तश्रीह : चार रकअ़त नमाज़ में कुल बाईस तक्बीरें होती हैं हर रकअ़त में पाँच तक्बीरें, एक तक्बीरे तहरीमा, दूसरी पहले तशह्हुद के बाद उठते वक़्त सब बाइस हुईं और तीन रकअ़त नमाज़ में सत्रह और दो रकअ़त में ग्यारह होती हैं और पाँचों नमाज़ों में चौरानवे तक्बीरें होती हैं। मूसा बिन इस्माईल की सनद के बयान से ह़ज़रत इमाम की ग़र्ज़ ये है कि क़तादा से दो शख़्सों ने इसको रिवायत किया है। हम्माम और अबान ने और हम्माम की रिवायत उसूल में इमाम बुख़ारी (रह़) की शर्त है और अबान की रिवायत मुताबआ़त में। दूसरा फ़ायदा है कि क़तादा का सिमाअ़ इक्रिमा से मा'लूम हो जाए।

बाब 118 : इस बारे में कि रुकूअ में हाथ घुटनों पर रखना

١١٨- بَابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

और अबू हुमैद ने अपने साथियों के सामने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने रुकूअ में अपने दोनों हाथ घुटनों पर जमाए।

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: أَمْكَنَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ.

(790) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया अबू यअफ़ूर अकबर से, उन्होने बयान किया कि मैंने मुसअ़ब बिन सअ़द से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद के पहलू में नमाज़ पढ़ी और अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर रानों के बीच रख लिया। इस पर मेरे बाप ने मुझे टोका और फ़र्माया कि हम भी पहले उसी तरह करते थे। लेकिन बाद में उससे रोक दिये गए और हुक्म हुआ कि हम अपने हाथों को घुटनों पर रखें।

٧٩٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ)).

तश्रीह : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि) से रुकूअ में दोनों हाथों की उँगलियाँ मिलाकर दोनों रानों के बीच मे रखना मन्क़ूल है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) ने ये बाब लाकर इशारा फ़र्माया कि ये हुक्म मन्सूख़ हो गया है।

बाब 119 : अगर रुकूअ अच्छी तरह इत्मीनान से न करे तो नमाज़ न होगी

١١٩- بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

(791) हमसे ह़फ़्स बिन उ़मर ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया सुलैमान अअ़मश के वास्ते से, कहा मैंने ज़ैद बिन वहब से सुना, उन्होंने बयान किया कि हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) ने एक शख़्स को देखा कि न रुकूअ पूरी तरह करता है न सज्दा। इसलिए आपने उससे कहा कि तुमने नमाज़ ही नहीं पढ़ी और अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत उस सुन्नत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह

٧٩١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ

तआला ने मुहम्मद (ﷺ) को पैदा किया था। (राजेअ : 389)

الله مُحَمَّدًا ﷺ. [راجع: ٣٨٩]

यानी तेरा ख़ात्मा मआज़ल्लाह कुफ़्र पर होगा। जो लोग सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुख़ालफ़त करते हैं उनको इस तरह ख़राबी ख़ात्मे से डरना चाहिए। सुब्हानल्लाह अहले हदीष़ का जीना और मरना दोनों अच्छा। मरने के बाद आँहज़रत (ﷺ) के सामने कुछ शर्मिन्दगी नहीं। आपकी हदीष़ पर चलते रहे जब तक जिये ख़ात्मा भी हदीष़ पर हुआ। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम रह)

बाब 120 : रुकूअ में पीठ को बराबर करना। (सर ऊँचा-नीचा न रखना) अबू हमद (रज़ि.) ने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने रुकूअ किया, फिर अपनी पीठ पूरी तरह झुका दी।

١٢٠- بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

बाब 121 : रुकूअ पूरी तरह करने की और उसमें ए'तिदाल व तमानियत की (हद क्या है?)

١٢١- بَابُ حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالِ فِيهِ، وَالاطْمَأْنِينَةِ

कुछ नुस्ख़ों में ये बाब अलग नहीं है और दरहक़ीक़त ये अगले ही बाब का एक जुज़ है और अबू हुमैद (रज़ि) की तअलीक़ इसके अव्वल जुज़ के बारे में है और बराअ की हदीष़ पिछले जुज़ से। अब इब्ने मुनीर का ए'तिराज़ दूर हो गया कि हदीष़ बाब के मुताबिक़ नहीं है, कज़ा क़ालल हाफ़िज़।

(792) हमसे बदल बिन महब्बर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे हकम ने इब्ने अबी लैला से ख़बर दी, उन्होंने बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) के रुकूअ व सुजूद, दोनों सज्दों के बीच का वक़्फ़ा और जब रुकूअ से सर उठाते तो तक़रीबन सब बराबर थे। सिवा क़ियाम और तशह्हुद के क़ुऊद के। (दीगर मक़ाम : 801, 820)

٧٩٢- حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ - مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ - قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ)).

[طرفاه في : ٨٠١، ٨٢٠].

क़ियाम से मुराद क़िरात का क़याम है और तशह्हुद का क़ुऊद, लेकिन बाक़ी चार चीज़ें यानी रुकूअ और सज्दा और दोनों सज्दों के बीच में क़अदा और रुकूअ के बाद क़ोमा ये सब क़रीब क़रीब बराबर होते। हज़रत अनस (रज़ि) की रिवायत में है कि आप (ﷺ) रुकूअ से सर उठाकर इतनी देर तक खड़े रहते कि कहने वाला कहता आप भूल गये हैं। हदीष़ के मुताबक़त बाब के तर्जुमे से इस तरह है कि इससे रुकूअ में देर तक ठहरना ष़ाबित होता है। तो बाब का एक जुज़ यानी इत्मीनान इससे निकल आया और ए'तिदाल यानी रुकूअ के बाद सीधा खड़ा होना वो भी इस रिवायत से ष़ाबित हो चुका। हाफ़िज़ फ़र्माते हैं कि इस हदीष़ के कुछ तरीक़ों में जिनको मुस्लिम ने निकाला है ए'तिदाल लम्बा करने का ज़िक्र है। तो इससे तमाम अरकान का लम्बा करना ष़ाबित हो गया।

बाब 122 : नबी करीम (ﷺ) का उस शख़्स को नमाज़ दोबारा पढ़ने का हुक्म देना जिसने रुकूअ पूरी तरह नहीं किया था

١٢٢- بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

٧٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ السَّلاَمَ فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) (ثَلاَثًا) فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي. قَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا)). [راجع: ٧٥٧]

(793) हमसे मुसद्दद बिन मुसरहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने उबैदुल्लाह उमरी से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन अबी सईद मक़्बरी ने अपने वालिद से बयान किया, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि .) से कि नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। इतने में एक शख़्स आया और नमाज़ पढ़ने लगा। नमाज़ के बाद उसने आकर नबी करीम (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने सलाम का जवाब देकर कहा कि वापस जाकर दोबारा नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ नहीं पढ़ी। चुनाँचे उसने दोबारा नमाज़ पढ़ी और वापस आकर फिर आपको सलाम किया। आपने इस बार भी यही फ़र्माया कि दोबारा जाकर नमाज़ पढ़, क्योंकि तूने नमाज़ पढ़ी। तीन बार इसी तरह हुआ। आख़िर उस शख़्स ने कहा कि उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ मबऊ़ष फ़र्माया। मैं तो इससे अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता। इसलिए आप मुझे सिखलाइए। आपने फ़र्माया जब तू नमाज़ के लिए खड़ा हो तो (पहले) तक्बीर कह फिर क़ुर्आन मजीद में से जो कुछ तुझसे हो सके पढ़, उसके बाद रुकूअ़ कर और पूरी तरह रुकूअ़ में चला जा। फिर सर उठा और पूरी तरह खड़ा हो जा। फिर जब तू सज्दा करे तो पूरी तरह सज्दा में चला जा। फिर (सज्दा से) सर उठाकर अच्छी तरह बैठ जा। दोबारा भी इसी तरह सज्दा कर। यही तरीक़ा नमाज़ की तमाम (रकअ़तों में) रख। (राजेअ़ : 757)

तश्रीह : इसी ह़दीष़ को बरिवायत रिफ़ाआ़ बिन राफ़ेअ़ इब्ने अबी शैबा ने यूँ रिवायत किया है कि उस शख़्स ने रुकूअ़ और सज्दा पूरे तौर पर अदा नहीं किया था। इसलिए आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म फ़र्माया। यही बाब का तर्जुमा है। ष़ाबित हुआ कि ठहर ठहरकर इत्मीनान से हर रुक्न का अदा करना फ़र्ज़ है। उस रिवायते बुख़ारी में ये है कि आपने उसे फ़र्माया कि पढ़ जो तुझे क़ुर्आन से आसान हो। मगर रिफ़ाआ़ बिन राफ़ेअ़ की रिवायत इब्ने अबी शैबा में साफ़ यूँ मज़्कूर है, **ष़ुम्म इक़्रः बिउम्मिल क़ुर्आन व माशाअल्लाहु** यानी पहले सूरह फ़ातिह़ा पढ़ फिर जो आसान हो क़ुर्आन की तिलावत कर। इस तफ़्सील के बाद इस रिवायत से सूरह फ़ातिह़ा की अ़दमे रुक्नियत पर दलील पकड़ने वाला या तो तफ़्सीली रिवायात से नावाक़िफ़ है या फिर तअ़स्सुब का शिकार है।

١٢٣- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

बाब 123 : रुकूअ़ की दुआ़ का बयान

٧٩٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

(794) हमसे ह़फ़्स बिन उ़मर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने मंसूर बिन मुअ़तमिर से बयान किया, उन्होंने अबुज़्ज़ुहा मुस्लिम बिन सबीह से, उन्होंने

मसरूक़ से, उन्होंने आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) रुकूअ और सज्दे में (सुब्हानकल्लाहुम्म वबिहम्दिक अल्लाहुम्मग़्फ़िरली) पढ़ा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 817, 4293, 4967, 4968)

قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. ((سُبْحَانَكَ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)).
[أطرافه في : ٨١٧، ٤٢٩٣، ٤٩٦٧، ٤٩٦٨].

तश्रीह : रुकूअ और सज्दे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है इसमें किसी का भी कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। अल्बत्ता इस हदीष़ के पेशेनज़र कि रुकूअ में अपने रब की ता'ज़ीम करो और बन्दा सज्दे की हालत मे अपने रब से सबसे ज़्यादा क़रीब होता है, इसलिए सज्दे में दुआ किया करो कि सज्दे की दुआ के क़ुबूल होने की ज़्यादा उम्मीद है। कुछ अइम्मा ने सज्दे की हालत में दुआ जाइज़ क़रार दी है और रुकूअ में दुआ को मकरूह कहा है। इमाम बुख़ारी (रह) ये बताना चाहते हैं कि मज़्कूरा हदीष़ में दुआ का एक मख़्सूसतरीन वक़्त हालते सज्दा को बताया गया है। इसमें रुकूअ में दुआ करने की कोई मुमानअत नहीं है बल्कि हदीष़ से ष़ाबित है कि नबी करीम (ﷺ) रुकूअ और सज्दा दोनों हालतों मे दुआ करते थे। इब्ने अमीरुल हाज ने तमाम दुआएँ जमाअत तक में इस शर्त पर जाइज़ क़रार दी हैं कि मुक़्तदियों पर उससे कोई गिराँ बारी न हो (यानी मुक़्तदियों को बोझल महसूस न हो)। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

बाब 124 : इमाम और मुक़्तदी रुकूअ से सर उठाने पर क्या कहें?

١٢٤ - بَابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

(795) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने ज़िब ने बयान किया, उन्होंने सईद मक़्बरी से बयान किया, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) जब समिअल्लाहुलिमन हमिदह कहते तो उसके बाद अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्द भी कहते। इसी तरह जब आप रुकूअ करते और सर उठाते तो तक्बीर कहते। दोनों सज्दों से खड़े होते वक़्त भी आप अल्लाहु अकबर कहा करते थे। (राजेअ : 785)

٧٩٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)). [راجع: ٧٨٥]

तश्रीह : हदीष़ से इमाम का कहना तो ष़ाबित हुआ लेकिन मुक़्तदी का ये कहना इस तरह ष़ाबित होगा कि मुक़्तदी पर इमाम की पैरवी ज़रूरी है। जैसा कि दूसरी रिवायत में मज़्कूर है। इसी हदीष़ के दूसरे तरीक़ों में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि) से मरवी है कि जब इमाम समिअल्लाह कहे तो पीछे वाले भी इमाम के साथ साथ रब्बना लकल हम्द अल्अख़ भी कहें।

बाब 125 : अल्लाहुम्म रब्बना व लकल हम्द पढ़ने की फ़ज़ीलत

١٢٥ - بَابُ فَضْلِ ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ))

(796) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

٧٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)).

[أطرافه في: ٣٢٢٨].

उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने सुमय से ख़बर दी, उन्होंने अबू स़ालेह ज़क्वान के वास्ते से बयान किया, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जब इमाम समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्म रब्बना व लकल ह़म्द कहो क्योंकि जिसका ये कहना फ़रिश्तों के कहने के साथ होगा उसके पिछले तमाम गुनाह मुआ़फ़ कर दिये जाएँगे।

(दीगर मक़ाम : 3228)

١٢٦ – بَابٌ

बाब : 126

٧٩٧– حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ. فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. [أطرافه في : ٨٠٤، ١٠٠٦، ٢٩٣٢، ٣٣٨١، ٤٥٦٠، ٤٥٩٨، ٦٢٠٠، ٦٣٩٣، ٦٩٤٠].

(797) हमसे मुआ़ज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने हिशाम दस्तवाई से, उन्होंने यह़्या बिन अबी कष़ीर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि लो मैं तुम्हें नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ के क़रीब–क़रीब कर दूँगा। चुनाँचे ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ज़ुहर, इशा और सुबह की आख़िरी रकअ़त में क़ुनूत पढ़ा करते थे। समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह के बाद। यानी मोमिनीन के ह़क़ में दुआ़ करते और काफ़िरों पर लअ़नत भेजते।

(दीगर मक़ाम : 804, 1006, 2932, 3381, 4560, 4598, 6200, 6393, 6940)

तश्रीह : कुछ ग़द्दारों ने चन्द मुसलमानों को धोखे से बीरे मऊ़ना पर शहीद कर दिया था। आँह़ज़रत (ﷺ) को इस ह़ादष़े से सख़्त स़दमा हुआ और आपने एक माह तक उन पर बद्दुआ़ की और उन मुसलमानों की रिहाई के लिये भी दुआ़ फ़र्माई जो कुफ़्फ़ार के यहाँ क़ैद थे। यहाँ उसी क़ुनूत का ज़िक्र है। जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आए तो हर नमाज़ में आख़िर रकअ़त में रुकूअ़ के बाद क़ुनूत पढ़ना मुस्तह़ब है।

٧٩٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ). [طرفه في : ١٠٠٤].

(798) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी अल अस्वद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन अ़लिया ने बयान किया, उन्होंने ख़ालिद ह़ज्जाअ से बयान किया, उन्होंने अबू क़िलाबा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि दुआ-ए-क़ुनूत फ़ज्र और मग़रिब की नमाज़ों में पढ़ी जाती है। (राजेअ़ : 1004)

٧٩٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ

(799) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़नी ने बयान किया

مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟)) قَالَ: أَنَا. قَالَ: ((رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ)).

इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने नुऐम बिन अब्दुल्लाह मुज्मिर से, उन्होंने अली बिन यह्या बिन ख़ालिद ज़र्क़ी से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने रिफ़ाअ बिन राफ़ेअ ज़र्क़ी से, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम (ﷺ) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप रुकूअ से सर उठाते तो समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते। एक शख़्स ने पीछे से कहा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कष़ीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि आप (ﷺ) ने नमाज़ से फ़ारिग़ होकर पूछा कि किसने ये कलिमात कहे हैं, उस शख़्स ने जवाब दिया कि मैंने। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने तीन से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा कि वो इन कलिमात के लिखने में एक—दूसरे पर सबक़त ले जाना चाहते थे (इससे इन कलिमात की फ़ज़ीलत ष़ाबित होती है)।

١٢٧- بَابُ الاطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

बाब 127 : रुकूअ से सर उठाने के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ.

और अबू हुमैद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने (रुकूअ से) सर उठाया तो सीधे इस तरह खड़े हो गए कि पीठ का हर जोड़ अपनी जगह पर आ गया।

٨٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : (كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ). [طرفه في : ٨٢١].

(800) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने ष़ाबित बिनानी से बयान किया, उन्होंने बयान किया कि हज़रत अनस (रज़ि.) हमें नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ का तरीक़ा बतलाते थे, चुनाँचे आप नमाज़ पढ़ते और जब अपना सर रुकूअ से उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि हम सोचने लगते कि आप भूल गए हैं। (दीगर मक़ाम : 821)

क़स्तलानी ने कहा इससे साफ़ मा'लूम होता है कि ए'तिदाल यानी रुकूअ के बाद सीधा खड़ा होना एक लम्बा रुक्न है। जिन लोगों ने इसका इंकार किया उनका क़ौल फ़ासिद और नाक़ाबिले तवज्जह है।

٨٠١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ).

(801) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने हकम से बयान किया, उन्होंने इब्ने अबी लैला से, उन्होंने बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) के रुकूअ, सज्दा, रुकूअ से सर उठाते वक़्त और दोनों सज्दों के बीच बैठना तक़रीबन बराबर बराबर होता था।

(राजेअ : 792)

[راجع: ٧٩٢]

मुराद ये कि आपकी नमाज़ मुअतदिल (संतुलित) हुआ करती थी। अगर क़िरात मे तूल करते तो इसी निस्बत से और अरकान को भी तवील करते थे। अगर क़िरात में तख़्फ़ीफ़ करते तो और अरकान को भी हल्का करते।

(802) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब सुख़ितयानी से, उन्होंने अबू क़िलाबा से कि मालिक बिन हुवैरिष़ (रज़ि.) ने हमें (नमाज़ पढ़कर) दिखलाते कि नबी करीम (ﷺ) किस तरह नमाज़ पढ़ते थे और ये नमाज़ का वक़्त नहीं था चुनाँचे आप (एक बार) खड़े हुए और पूरी तरह खड़े रहे। फिर जब रुकूअ किया और पूरी तमानियत के साथ। सर उठाया तब भी थोड़ी देर सीधे खड़े रहे। अबू क़िलाबा ने बयान किया कि मालिक (रज़ि.) ने हमारे इस शैख़ अबू यज़ीद की तरह नमाज़ पढ़ाई। अबू यज़ीद जब दूसरे सज्दे से सर उठाते तो पहले अच्छी तरह बैठते फिर खड़े होते।

٨٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِيْنَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَالِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ: فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَبَ هُنَيَّةً. قَالَ: أَبُو قِلاَبَةَ: فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي يَزِيْدَ، وَكَانَ أَبُو يَزِيْدَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ نَهَضَ.

बाब 128 : सज्दे के लिए अल्लाहु अकबर कहता हुआ झुके

١٢٨- بَابُ يَهْوِي بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَسْجُدُ

और नाफ़ेअ ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) (सज्दा करते वक़्त) पहले हाथ ज़मीन पर टेकते फिर घुटने टेकते।

وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

इस तअलीक़ को इब्ने ख़ुज़ैमा और तहावी ने मौसूलन ज़िक्र किया है। इमाम मालिक (रह) का यही क़ौल है। लेकिन बाक़ी तीनों इमामों ने ये कहा कि पहले घुटने टेके फिर हाथ ज़मीन पर रखे। नववी ने कहा दलील की रू से दोनों मज़हब बराबर हैं और इसीलिए इमाम अहमद (रह) से एक रिवायत ये है कि नमाज़ी को इख़्तियार है, चाहे घुटने पहले रखे चाहे हाथ और इब्ने क़य्यिम ने वाइल बिन हुज्र की हदीष़ को तरजीह दी है, जिसमें मज़्कूर है कि जब आँहज़रत (ﷺ) सज्दा करने लगते तो पहले घुटने ज़मीन पर रखते फिर हाथ (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम)

दुरुस्त ये है कि हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि) राजेह और ज़्यादा सहीह है जो मुस्लिम में मौजूद है और उसमें हाथ पहले और घुटने बाद में टेकने का मसला बयान किया है।

(803) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, उन्होंने ज़ुह्री से, उन्होंने कहा कि मुझको अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिष़ बिन हिशाम और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) तमाम नमाज़ों में तक्बीर कहा करते थे ख़्वाह फ़र्ज़ हो या न हो।

٨٠٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَنَّ

रमज़ान का महीना हो या कोई और महीना हो। चुनाँचे जब आप नमाज़ के लिए खड़े होते तो तक्बीर कहते। फिर समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह कहते और उसके बाद रब्बना व लकल हम्द सज्दे से पहले। फिर जब सज्दे के लिए झुकते तो अल्लाहु अकबर कहते फिर सज्दे से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर दूसरा सज्दा करते तो अल्लाहु अकबर कहते। इसी तरह सज्दे से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। दो रकअ़त के बाद क़अदा ऊला करने के बाद जब खड़े होते तब भी तक्बीर कहते और आप हर रकअ़त में ऐसा ही किया करते। यहाँ तक कि नमाज़ से फ़ारिग़ होने तक। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद फ़र्माते कि उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है। मैं तुममें से सबसे ज़्यादा नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ से मुशाबेह हूँ और आप (ﷺ) इसी तरह नमाज़ पढ़ते रहे यहाँ तक कि आप (ﷺ) दुनिया से तशरीफ़ ले गए।

(राजेअ़ : 785)

أباهُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الاثْنَتَيْنِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا). [راجع: ٧٨٥]

(804) अबूबक्र और अबू सलमा दोनों ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सरे मुबारक (रुकूअ़ से) उठाते तो समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना व लकल हम्द कहकर कुछ लोगों के लिए दुआएँ करते और नाम लेकर फ़र्माते या अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, व अयाश बिन अबी रबीआ और तमाम कमज़ोर मुसलमानों को (कुफ़्फ़ार से) नजात दे। ऐ अल्लाह! क़बील–ए–मुज़र के लोगों को सख़्ती के साथ कुचल दे और उन पर ऐसा क़हत मुसल्लत कर जैसा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था। उन दिनों पूरब वाले क़बील–ए–मुज़र के लोग मुख़ालिफ़ीन में थे।

(राजेअ़ : 798)

٨٠٤– قَالاَ: وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ ﷺ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ– حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ – يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيْهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ. فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، واجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ)). وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. [راجع: ٧٩٧]

इस हदीष से मा'लूम हुआ कि नमाज़ में दुआ या बददुआ किसी मुस्तहिक़े हक़ीक़ी का नाम लेकर भी की जा सकती है।

(805) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा

٨٠٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ - فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: صَلَّيْنَا قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)). كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ حَفِظَ. كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ، حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ. فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ: فَجُحِشَ سَاقُهُ الأَيْمَنُ. [راجع: ٣٧٨]

कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बार–बार ज़ुह्री से ये बयान किया कि उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि .) को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। सुफ़यान ने अक्सर (बजाय अ़न फ़रस) के मिन फ़रस कहा। उस गिरने से आपका दायाँ पहलू ज़ख़्मी हो गया तो हम आपकी ख़िदमत में इ़यादत की ग़र्ज़ से हाज़िर हुए। इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया और आपने हमें बैठकर नमाज़ पढ़ाई और हम भी बैठ गए। सुफ़यान ने एक बार कहा कि हमने भी बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हो गए तो फ़र्माया कि इमाम इसलिए है कि उसकी इक़्तिदा की जाए। इसलिए जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो, जब रुकूअ़ करे तो तुम भी रुकूअ़ करो। जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदह कहे तो तुम रब्बना व लकल ह़म्द कहो। और जब सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो। (सुफ़यान ने अपने शागिर्द अ़ली बिन मदीनी से पूछा कि) क्या मअ़मर ने भी इसी तरह ह़दीष़ बयान की थी। (अ़ली कहते हैं कि) मैंने कहा जी हाँ! इस पर सुफ़यान बोले कि मअ़मर को ह़दीष़ याद थी। ज़ुहरी ने यूँ कहा व लकल ह़म्द। सुफ़यान ने ये भी कहा कि मुझे याद है कि ज़ुह्री ने यूँ कहा आपका दायाँ बाज़ू छिल गया था। जब हम ज़ुह्री के पास से निकले इब्ने जुरैज ने कहा मैं ज़ुह्री के पास मौजूद था तो उन्होंने यूँ कहा कि आपकी दाहिनी पिंडली छिल गई। (राजेअ़ : 378)

तश्रीह : ज़ुह्री ने कभी तो पहलू कहा, कभी पिण्डली। कुछ ने यूँ तर्जुमा किया है सुफ़यान ने कहा जब हम ज़ुह्री के पास से निकले तो इब्ने जुरैज ने इस ह़दीष़ को बयान किया। मैं उनके पास था इब्ने जुरैज ने पहलू के बदले पिण्डली कहा। ह़ाफ़िज़ ने इस तर्जुमे को तरजीह़ दी है। इस ह़दीष़ में ये मज़्कूर है कि जब इमाम तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो और जब सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और ज़ाहिर है कि मुक़्तदी इमाम के बाद सज्दा में जाता है तो उसकी तक्बीर भी इमाम के बाद ही होगी और जब दोनों फ़ेअ़्ल उसके इमाम के बाद हुए तो तक्बीर उसी वक़्त पर आ कर पढ़ेगी जब मुक़्तदी सज्दा के लिए झुकेगा और यही बाब का तर्जुमा है।

١٢٩ - بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

बाब 129 : सज्दे की फ़ज़ीलत का बयान

٨٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ

(806) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमें शुऐ़ब ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि हमसे सईद बिन मुसय्यिब और अ़ता बिन यज़ीद लैष़ी ने ख़बर दी कि अबू हुरैरह

أَبَاهُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : ((هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ ((فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ ((فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ : هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟)) قَالُوا : نَعَمْ. قَالَ: ((مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ : فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَن يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو. حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ

(रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि लोगों ने या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आपने (जवाब के लिए) पूछा क्या तुम्हें चौदहवीं रात के चाँद के देखने में जबकि उसके पास कहीं बादल भी न हों शक होता है? लोग बोले हर्गिज़ नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर आपने पूछा और क्या तुम्हें सूरज के देखने में जबकि उसके क़रीब बादल भी न हो कोई शक होता है। लोगों ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह! फिर आपने फ़र्माया कि रब्बुल इज़्ज़त को तुम इसी तरह देखोगे। लोग क़यामत के दिन जमा किये जाएँगे। फिर अल्लाह तआला फ़र्माएगा जो जिसे पूजता था वो उसके साथ हो जाए। चुनाँचे बहुत से लोग सूरज के पीछे हो लेंगे, बहुत से चाँद और बहुत से बुतों के साथ हो लेंगे। ये उम्मत बाक़ी रह जाएगी। इसमें मुनाफ़िक़ीन भी होंगे। फिर अल्लाह तआला एक नई सूरत में आएगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो मुनाफ़िक़ीन कहेंगे कि हम यहीं अपने रब के आने तक खड़े रहेंगे। जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उनके पास (ऐसी सूरत में जिसे वो पहचान ले) आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो भी कहेंगे कि बेशक तू हमारा रब है। फिर अल्लाह तआला बुलाएगा पुल सिरात जहन्नम के बीचो–बीच रखा जाएगा और आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि मैं अपनी उम्मत के साथ उससे गुज़रने वाला सबसे पहला रसूल होऊँगा। उस दिन सिवाय अंबिया के और कोई भी बात न कर सकेगा और अंबिया भी सिर्फ़ ये कहेंगे कि ऐ अल्लाह! मुझे महफ़ूज़ रखियो, ऐ अल्लाह! मुझे महफ़ूज़ रखियो और जहन्नम में सअदान के कांटों की तरह आंकस होंगे। सअदान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा (रज़ि.) ने कहा हाँ! (आपने फ़र्माया) तो वो सअदान के कांटों की तरह होंगे। अलबत्ता उनकी लम्बाई और चौड़ाई को अल्लाह तआला के सिवा और कोई नहीं जानता।

ये आंकस लोगों को उनके आमाल के मुताबिक़ खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे। बहुत से टुकड़े—टुकड़े हो जाएँगे, फिर उनकी नजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह तआला जिस पर रहम फ़र्माना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो ख़ालिस अल्लाह ही की इबादत करते थे उन्हें बाहर निकाल लो। चुनाँचे उनको वो बाहर निकालेंगे और मुवह्हिदों (तौहीद-परस्तों) को सज्दे के निशानात से पहचानेंगे। अल्लाह तआला ने जहन्नम पर सज्दे के आष़ार का जलाना हराम कर दियाहै। चुनाँचे ये जब जहन्नम से निकाले जाएँगे तो सज्दे के निशानात के अलावा जिस्म के तमाम हिस्सों को आग जला चुकी होगी। जब जहन्नम से बाहर होंगे तो बिलकुल जल चुके होंगे। इसलिए उन पर आबे हयात डाला जाएगा। जिससे वो इस तरह उभर आएँगे। जैसे सैलाब के कूड़े—करकट पर सैलाब के थमने के बाद सब्ज़ा उभर आता है। फिर अल्लाह तआला बन्दों के हिसाब से फ़ारिग़ हो जाएगा। लेकिन एक शख़्स जन्नत और जहन्नम के बीच अब भी बाक़ी रह जाएगा। ये जन्नत में दाख़िल होने वाला आख़िरी दोज़ख़ी शख़्स होगा। उसका मुँह जहन्नम की तरफ़ होगा। इसलिए कहेगा कि ऐ मेरे रब! मेरे मुँह को दोज़ख़ की तरफ़ से फेर दे क्योंकि इसकी बदबू मुझको मारे डालती है और उसकी चमक मुझे जलाए डालती है। अल्लाह तआला पूछेगा अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूँ तो तू दोबारा कोई नया सवाल तो नहीं करेगा? बन्दा कहेगा नहीं! तेरी बुज़ुर्गी की क़सम! और जैसे जैसे अल्लाह चाहेगा वो क़ौल व क़रार करेगा। आख़िर अल्लाह तआला जहन्नम की तरफ़ से उसका मुँह फेर देगा। जब वो जन्नत की तरफ़ मुँह करेगा और उसकी शादाबी नज़रों के सामने आई तो अल्लाह तआला ने जितनी देर चाहा वो चुप रहेगा। लेकिन फिर बोल पड़ेगा ऐ अल्लाह! मुझे जन्नत के दरवाज़े के पास पहुँचा दे। अल्लाह तआला पूछेगा क्या तूने अहदो—पैमान नहीं बाँधा था कि इस एक सवाल के सिवा कोई और सवाल तू नहीं करेगा। बन्दा कहेगा कि ऐ मेरे रब! मुझे तेरी मख़्लूक़ में सबसे ज़्यादा बदनसीब न होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़र्माएगा कि फिर क्या ज़मानत है कि अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दी गई तो दूसरा कोई सवाल तू नहीं करेगा। बन्दा कहेगा नहीं तेरी इज़्ज़त की क़सम!

يَعبُدُ اللهَ، فَيُخرِجُونَهُمْ، وَيَعرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ. فَيُخرَجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ – وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ – مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَقَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا. فَيَقُولُ : هَلْ عَسَيتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ، لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَقُولُ : فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيْتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ، وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ. فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ

अब दूसरा कोई सवाल तुझसे नहीं करूँगा। चुनाँचे अपने रब से हर तरह अ़हदो–पैमान बाँधेगा और जन्नत के दरवाज़े तक पहुँचा दिया जाएगा। दरवाज़े पर पहुँचकर जब जन्नत की पहनाई, ताज़गी और मुसर्रतों को देखेगा तो जब तक अल्लाह तआ़ला चाहेगा वो बन्दा चुप रहेगा। लेकिन आख़िर बोल पड़ेगा कि ऐ अल्लाह! मुझे जन्नत के अंदर पहुँचा दे। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, अफ़सोस ऐ इब्ने आदम! तू ऐसा दग़ाबाज़ क्यूँ बन गया? क्या (अभी) तूने अ़हदो–पैमान नहीं बाँधा था कि जो कुछ मुझे दे दिया गया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं माँगूगा। बन्दा कहेगा ऐ रब! मुझे अपनी सबसे ज़्यादा बदनसीब मख़्लूक़ न बना। अल्लाह पाक हंस देगा और उसे जन्नत में भी दाख़िले की इजाज़त दे देगा और फिर फ़र्माएगा माँग क्या है तेरी तमन्ना। चुनाँचे वो अपनी तमन्नाएँ (अल्लाह तआ़ला के सामने) रखेगा और जब तमाम तमन्नाएँ ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा कि फ़लाँ चीज़ और माँगो, फ़लाँ चीज़ का मज़ीद सवाल करो। ख़ुद अल्लाह पाक ही याददेहानी कराएगा और जब वो तमाम तमन्नाएँ पूरी हो जाएँगी तो फ़र्माएगा कि तुम्हें ये सब और इतनी ही और दी गई। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया ये और इससे दस गुना और ज़्यादा तुम्हें दी गई। इस पर हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की यही बात मुझे याद है तुम्हें ये तमन्नाएं और इतनी ही और दी गईं। लेकिन हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि ये और इसकी दस गुना तमन्नाएँ तुझको दी गईं।

(दीगर मक़ाम : 6573, 7437)

النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ! أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ : تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى. حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا – أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ – حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ)). قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَوْلَهُ: ((لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ)).

[طرفاه في : ٦٥٧٣، ٧٤٣٧].

तश्रीह : इमामुल मुहद्दिष़ीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) सज्दे की फ़ज़ीलत बयान करने के लिए इस त़वील ह़दीष़ को लाए हैं। इसमें एक जगह मज़्कूर है कि अल्लाह पाक ने दोज़ख़ पर हराम किया है कि वो उस पेशानी को जलाए जिस पर सज्दे के निशानात हैं। उन्ही निशानात की बिना पर बहुत से गुनाहगारों को ढूँढ़–ढूँढ़कर दोज़ख़ से निकाला जाएगा बाब और ह़दीष़ में यही मुताबक़त है। बाक़ी ह़दीष़ में और भी बहुत सी बातें मज़्कूर हैं। एक ये कि अल्लाह का दीदार बरह़क़ है जो इस त़रह ह़ासिल होगा जैसे चौदहवीं रात के चाँद का दीदार आ़म होता है। नीज़ इस ह़दीष़ में अल्लाह पाक का आना और अपनी सूरत पर जलवा अफ़रोज़ होना और अहले ईमान के साथ शफ़क़त के साथ कलाम करना। कुर्आन मजीद की बहुत सी आयात और बहुत सी अह़ादीष़े सह़ीह़ा जिनमें अल्लाह पाक की सिफ़ात मज़्कूर हैं। उनकी बिना पर अहले ह़दीष़ इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह पाक इन जुम्ला सिफ़ात से मौसूफ़ है। वो ह़क़ीक़तन कलाम करता है। जब वो चाहता है फ़रिश्ते उसकी आवाज़ सुनते हैं और वो अपने अ़र्श पर है। उसकी ज़ात के लिये जहत फ़ौक़ ष़ाबित है। उसका इल्म और समअ़ व बसर हर एक चीज़ को घेरे हुए है। उसको इख़्तियार है कि वो जब चाहे

जहाँ चाहे जिस तरह चाहे आए जाए। जिससे चाहे बात करे उसके लिए कोई अम्र मानेअ नहीं ।

इस ह़दीष़ में दोज़ख़ का भी ज़िक्र है। सअ़दान नामी घास का ज़िक्र है जिसके काटे बड़े सख़्त हैं और फिर दोज़ख़ का सअ़दान जिसकी बड़ाई और ज़रर–रसानी अल्लाह ही जानता है कि किस ह़द तक होगी। नीज़ ह़दीष़ में माउल ह़यात (आबे ह़यात/अमृत) का ज़िक्र है, जो जन्नत का पानी होगा और उन दोज़ख़ियों पर डाला जाएगा जो दोज़ख़ में जलकर कोयला बन चुके होंगे। उस पानी से उनमें ज़िन्दगी लौट आएगी। आख़िर में अल्लाह पाक का एक गुनाहगार से मुकालमा (वार्तालाप) ज़िक्र किया गया है। जिसे सुनकर अल्लाह पाक हंसेगा, उसका ये हंसना भी बरह़क़ है।

अल्ग़र्ज़ ह़दीष़ बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है। ह़ज़रत इमाम की आदते मुबारक है कि एक ह़दीष़ से बहुत से मसाइल का इस्तिख़राज करते हैं। एक मुज्तहिदे मुत्लक़ की शान यही होनी चाहिए। फिर ह़ैरत है उन ह़ज़रात पर जो ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़) जैसे फ़ाज़िले इस्लाम को मुज्तहिदे मुत्लक़ तस्लीम नहीं करते। ऐसे ह़ज़रात को बनज़रे इंसाफ़ अपने ख़्याल पर नज़रे षानी की ज़रूरत है।

बाब 130 : सज्दे में दोनों बाज़ू खुले और पेट रानों से अलग रखे

١٣٠- بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

(807) हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि मुझसे बक्र बिन मुज़र ने जा'फ़र बिन रबीआ़ से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुर्रह़मान बिन हुर्मुज़ से, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना से कि नबी करीम (ﷺ) जब नमाज़ पढ़ते तो सज्दे में अपने दोनों बाज़ूओं को इस क़द्र फैला देते कि बग़ल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती थी। लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया कि मुझसे भी जा'फ़र बिन रबीआ़ ने इसी तरह ह़दीष़ बयान की।

(राजेअ़ : 390)

٨٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ نَحْوَهُ.

[راجع: ٣٩٠]

इमाम शाफ़ई (रह़) ने किताबुल उम्म में कहा है कि सज्दे में कोहनियाँ पहलू से अलग रखना और पेट को रानों से जुदा रखना सुन्नत है।

बाब 131 : सज्दे में पांव की उँगलियों को क़िब्ले की तरफ़ रखना चाहिए। इस बात को अबू ह़ुमैद स़ह़ाबी (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से बयान किया है

١٣١- بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 132 : सज्दा पूरी तरह न करें तो कैसा है?

١٣٢- بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

(808) हमसे सुल्त बिन मुह़म्मद बस़री ने बयान किया, कहा हमसे मह्दी बिन मैमून ने वास़िल से बयान किया, उन्होंने अबू वाइल से, उन्होंने ह़ुज़ैफ़ा (रज़ि.) से कि उन्होंने एक शख़्स को देखा जो रुकूअ़ और सज्दा पूरी तरह नहीं करता था। जब वो नमाज़ पढ़ चुका तो उन्होंने उससे फ़र्माया कि तूने नमाज़ ही नहीं पढ़ी। अबू वाइल ने कहा कि मुझे याद आता है कि ह़ुज़ैफ़ा ने

٨٠٨- حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتَ. قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ:

फ़र्माया कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी मौत मुहम्मद (ﷺ) की सुन्नत पर नहीं होगी। (राजेअ़ : 389)

وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

[راجع: ٣٨٩]

बाब 133 : सात हड्डियों पर सज्दे करना

١٣٣- بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

(809) हमसे क़बीसा बिन उक़्बा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने अ़म्र बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने ताऊस से, उन्होंने ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) को सात अअ़ज़ा पर सज्दे का हुक्म दिया गया था। इस तरह कि न बालों को आप समेटते न कपड़े को (वो सात हिस्से ये हैं) पेशानी (नाक के साथ) दोनों हाथ, दोनों पांव और दोनों घुटने। (दीगर मक़ाम : 810, 812, 815, 816)

٨٠٩- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا، وَلاَ ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ)).

[أطرافه في: ٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦].

(810) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने, उन्होंने अ़म्र से, उन्होंने ताऊस से, उन्होंने ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, उन्होंने रसूले करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हमें सात हिस्सों पर इस तरह सज्दे का हुक्म हुआ है कि हम न बाल समेटें न कपड़े।

(राजेअ़ : 809)

٨١٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ نَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا)).

[راجع: ٨٠٩]

(811) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्राईल ने अबू इस्ह़ाक़ से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद से, उन्होंने कहा कि हमसे बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने बयान किया, वो झूठ नहीं बोल सकते थे। आपने फ़र्माया कि हम नबी करीम (ﷺ) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते थे। जब आप समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदह कहते (यानी रुकूअ़ से सर उठाते) तो हममें से कोई उस वक़्त तक अपनी पीठ न झुकाता जब तक कि आप अपनी पेशानी ज़मीन पर न रख देते।

(राजेअ़ : 690)

٨١١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ.

[راجع: ٦٩٠]

तश्रीह : अस़ल में पेशानी ही ज़मीन पर रखना सज्दा करना है और नाक भी पेशानी ही में दाख़िल है। इसलिये नाक और पेशानी दोनों का ज़मीन से लगाना वाजिब है। फिर दोनों हाथों और दोनों घुटनों का ज़मीन पर टेकना और दोनों पैरों की उँगलियों को क़िब्ला रुख़ मोड़कर रखना। ये कुल सात हिस्से हुए जिन पर सज्दा होता है।

3 STOP

बाब 134 : सज्दे में नाक भी ज़मीन से लगाना

١٣٤- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

(812) हमसे मुअ़ल्ला बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे वहब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस से, उन्होंने अपने बाप से, उन्होंने ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुझे सात हिस्सों पर सज्दा करने का हुक्म हुआ है। पेशानी पर और अपने हाथ से नाक की तरफ़ इशारा किया और दोनों हाथ और दोनों घुटनों और दोनों पांव की उँगलियों पर। इस तरह कि हम न कपड़े समेटें न बाल। (राजेअ़ : 809)

٨١٢- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ. وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ)).
[راجع: ٨٠٩]

बाब 135 : सज्दा करते वक़्त कीचड़ में भी नाक ज़मीन पर लगाना

١٣٥- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ فِي الطِّينِ

(813) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या बिन अबी कष़ीर से बयान किया, उन्होंने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से, उन्होंने बयान किया कि मैं अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के पास गया। मैंने कहा कि फ़लाँ नलिख़लस्तान में क्यूँ न चलें, सैर भी करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। चुनाँचे आप तशरीफ़ ले चले। अबू सलमा ने बयान किया कि मैंने राह में कहा कि शबे क़द्र के बारे में आपने अगर कुछ नबी करीम (ﷺ) से सुना है तो उसे बयान कीजिए। उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने रमज़ान के पहले अ़शरे में ए'तिकाफ़ किया और हम भी आपके साथ ए'तिकाफ़ में बैठ गए। लेकिन जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप जिसकी तलाश में है (शबे क़द्र) वो आगे है। चुनाँचे आपने दूसरे अ़शरे में भी ए'तिकाफ़ किया और आपके साथ हमने भी। जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम दोबारा आए और फ़र्माया कि आप जिसकी तलाश में हैं वो (रात) आगे है। फिर आपने बीसवीं रमज़ान की सुबह को ख़ुत्बा दिया। आपने फ़र्माया कि जिसने मेरे साथ ए'तिकाफ़ किया वो दोबारा करे क्योंकि शबे क़द्र मुझे मा'लूम

٨١٣- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ؟ فَخَرَجَ. فَقَالَ: قُلْتُ حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَ الأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ. فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ. قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ

كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ)). وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا، ((فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ)).

[راجع: ٦٦٩]

हो गई। लेकिन मैं भूल गया और वो आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में है और मैंने ख़ुद को कीचड़ में सज्दा करते देखा। मस्जिद की छत खजूर की डालियों की थी। आसमान मत्लअ बिलकुल साफ़ था कि इतने में एक पतला सा बादल का टुकड़ा आया और बरसने लगा। फिर नबी करीम (ﷺ) ने हमको नमाज़ पढ़ाई और मैंने रसूले करीम (ﷺ) की पेशानी और नाक पर कीचड़ का अष़र देखा। आपका ख़्वाब सच्चा हो गया। (राजेअ़ : 669)

कि मैं उस शब में पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूँ। बाब का तर्जुमा यहीं से निकलता है कि आपने पेशानी और नाक पर सज्दा किया। हुमैदी ने इस हदीष़ से दलील ली कि पेशानी और नाक में अगर मिट्टी लग जाए तो नमाज़ में न पोंछे। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) का मक़्सदे बाब ये है कि सज्दे में नाक को ज़मीन पर रखना ज़रूरी है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने ज़मीन तर होने के बावजूद नाक ज़मीन पर लगाई और कीचड़ की कुछ परवाह न की।

मुनाजात (दुआएं)

हकीम मुहम्मद सिद्दीक़ ग़ौरी

रब्बे-आज़म अर्शे-आज़म पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रब्बुलउला।

हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद
सिर्फ़ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया।

लामकां, बेख़ानमां, तू है नही हरगिज़ रफ़ीअ
अर्श पर है तू यक़ीनन, है पता मुझको तेरा।

अर्श पर होकर भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब
इतना मेरे पास है मै कह नही सकता ज़रा।

अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो-कुदरत से क़रीब
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर ख़ुदा।

अर्श पर है तू यक़ीनन और वह 'मकतूब' भी
'तेरी रहमत है फ़ज़ू तेरे ग़ज़ब से ऐ ख़ुदा।

अरबो खरबो रहमते हो, बरकते लाखो सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो है मुहम्मद मुस्तफ़ा।

क़ाबिले-तारीफ़ तू है मेरे रब्बुल आलमीन
तू है रहमानो-रहीमो-मालिके-यौमे-जज़ा।।

हम तुझी को पूजते है तू ही इक माबूद है
हम मदद चाहते नही, हरगिज़ कभी तेरे सिवा।

तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू
फ़क़र भी तू दूर कर दे क़र्ज़ भी या रब मेरा।

मै ज़मीनो-आसमां पर डालता हू जब नज़र
कोई भी पाता नही हू मै 'ख़ुदा' तेरे सिवा।

चाँद-तारे दे रहे है अपने सानेअ की ख़बर
तेरी कुदरत से अया है बिलयक़ीन होना तेरा।

मै तुझे कुछ जानता हू, तेरे कुछ औसाफ़ भी
तू क़यामत मे भी होगा जाना-पहचाना मेरा।

तू मेरा ज़ाकिर रहे मै भी रहू ज़ाकिर तेरा
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां मे हो मेरा।

क़ल्बे-मुज़्तर को सुकूं मिल जाए तेरी याद से
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मइन ये दिल मेरा।

रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठो पहर, चौसठ घड़ी
तू ही तू दिल मे रहे कोई न हो तेरे सिवा।

मै हमेशा याद रक्खू अपनी मजलिस मे तुझे
तू भी मुझको याद रक्खे अपनी मजलिस मे सदा।

बन्द तेरी याद से मेरी ज़ुबां या रब न हो
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा।

ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर
माही-ए-बेआब हो बे-ज़िक्र ये बन्दा तेरा।

मै दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब
गोया तहतुलअर्श मे हूं तेरे क़दमो मे पड़ा।

हालते सद-यास मे भी ऐ ख़ुदा तेरी क़सम
जी न हारू और मै करता रहूं तुझसे दुआ।

बह रही हो मेरी आँखे मेरी गर्दन हो झुकी
नाक रगड़े, पस्त होकर, तुझसे मै मांगू दुआ।

तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त बस्ता, सर नगूं
मै रहूं या रब खड़ा भी तेरे क़दमो मे पड़ा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की क़सम
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो जिस से टल जाए पहाड़
ग़ार वालो से भी बढ़कर तेरी रहमत से ख़ुदा।

हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अगर तक़्सीम हो
तेरे बन्दो पर तो बख़्शे जाएं लाखो बे-सज़ा।

नेकियो मे तू बदल दे और उनको बख़्श दे
उम्र भर के अगले पिछले सब गुनाहो को ख़ुदा।

हज मेरे मबरूर हो सब कोशिशे मशकूर हो
दे तिजारत तू भी वह जिसमे न हो घाटा ज़रा।

तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी
खाना पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा।

जो क़सम खाई या खाऊं तुझ पे करके ऐतमाद
मअ फ़लाहे दोजहा के साथ पूरी हो ख़ुदा।

मै न छोड़ू, मै न छोड़ू संगे-दर तेरा कभी
आ गया हूं, आ पड़ा हूं, तेरे दर पर ऐ ख़ुदा।

हर नज़ाई कोई शय हो मै तेरी तौफ़ीक़ से
सिर्फ़ चाहूं तुझसे या तेरे नबी से फ़ैसला।

उम्र भर मेरी नज़र इस पर रहे हो जुस्तजू
तूने या रब क्या कहा? मुस्तफ़ा ने क्या कहा?

आख़िरत मे अपनी या रब कितनी ही मख़्लूक़ पर
मुझ को मेरी आल को तू फ़ौक़ियत करना अता।

उम्र मेरी आख़री है दिन है मरने के क़रीब
मै रहूं गिरयां के तू ख़न्दां मिले मुझसे ख़ुदा।

फ़ज़्ल फ़रमा मरते दम तक मै रहूं इस हाल मे
तुझ से हो उम्मीद बेहद डर भी हो मुझको तेरा।

मै रहूं बेचैन बेहद तुझसे मिलने के लिये
जान जब निकले तो तड़पे कब वह हो तन से जुदा।

मौत की ताख़ीर भी हो मौत ही मेरे लिए
हो दमे-आख़िर मुझे इतना तेरा शौक़े लिक़ा।

बख़्श दे तू, रहम कर, आला रफ़ीक़ो से मिलू
हो मुझे उस वक़्त बेहद शौक़ मिलने का तेरा।

'क़ौल साबित' पर रहूं साबित ख़ुदाया हो नसीब
ला इलाहा इल्ला अन्ताल्लाह पे मरना मेरा।

आख़री हिचकी मुझे दे तेरी रहमत की ख़बर
आँख जब बन्द हो तो देखू तेरी जन्नत की फ़िज़ा।

तेरी रहमत की तरफ़ हो मेरा दुनिया से ख़ुरूज
जांकनी के वक़्त पाऊं मुज़दा हाए जांफ़िज़ा।

क्या मेरा मस्कन ज़मीनो-आसमां तक रो पड़े
मेरे मरने पर ख़ुदाया अ़र्श हिल जाए तेरा।

'रब्बे राज़ी की तरफ़ चल हो के राज़ी तू निकल'
रूह से मेरी फ़रिश्ते यह कहे वक़्ते क़ज़ा।

तेरी रहमत के फ़रिश्ते मुझको लेने के लिए
आएं वह, लेकर चढ़े, मुझको जहां है तू ख़ुदा।

रूह का जब आसमां मे हो फ़रिश्तो पर वरूद
हो यही उनकी सदाएं 'मरहबा सद मरहबा!'

'क़द्दे मुनी, क़द्दे मुनी ले चलो जल्दी चलो'
जब जनाज़ा ले चले कहता रहे बन्दा तेरा।

तू मुसल्ली हो मलाइक भी तेरे हो बिलख़ुसूस
मुझ ग़रीबो-बेनवा का जब जनाज़ा हो पड़ा।

हो मेरा मस्कन वहां, तुझ को जहां भी हो पसन्द
जो ज़मी हो तुझको पियारी वह बने मदफ़न मेरा।

कर चुके जब दफ़न मुझको आए जब मुन्कर नकीर
'रब्बे सब्बित रब्बे सब्बितनी' हो लब पर ऐ ख़ुदा।

क़ब्र हो मुश्ताक़ मेरी उसका बेहतर हो सुलूक
पाऊं मै आग़ोश मादर की तरह उसको ख़ुदा।

ज़िन्दगी के इस सफ़र मे तू मेरा साहिब रहे
कुल मेरे पसमान्दगां मे तू ख़लीफ़ा हो मेरा।

तू सफ़र मे भी 'हज़र मे' क़ब्र मे भी हश्र मे
मेहरबां मुझ पर रहे बेहद निगहबां भी मेरा।

जांकनी हो, क़ब्र हो या हश्र हो या पुल-सिरात
सहल तेरे फ़ज़्ल से हो मरहला इक इक मेरा।

'रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम हस्बुना नेअ़मुल-वकील'
हश्र के कुल मरहलो मे हो यही कलमा मेरा।

रोज़े महशर हो तेरे रूए मुबारक पर नज़र
जब तेरी पिण्डली खुले सज्दे मे हो बन्दा तेरा।

अ़र्श का साया मिले सातो तरह से हश्र मे
मुझको, मेरी आल को जो हो क़यामत तक ख़ुदा।

गो पलक झपके न झपके मुझसे तै हो पुल-सिरात
इस कठिन मंज़िल मे मेरी मेरे मौला काम आ।

'जल्द इसको पार कर यह सर्द कर देगा मुझे'
जब जहन्नुम पर से गुज़रू वह कहे तुझको ख़ुदा।

आएगा बन्दा तेरा इक दिन कफ़न पहने हुए
तेरे आगे, बख़्श देना आफ़ियत करना अ़ता।

रास्ता सीधा दिखा, इन्आम कर हम पर मदाम
उम्मते-अहमद मे मुझको ख़ास दर्जा कर अ़ता।

उम्र भर की कुल ख़ताएं उनकी ग़ाफ़िर बख़्श दे
तू मेरे मां-बाप की कर मग़्फ़िरत बेइन्तिहा।